

# **TEXT LITE** & DARK **WITHIN THE BOOK ONLY**

FLYING TEXT WITH IN THE  
BOOK ONLY.

UNIVERSAL  
LIBRARY

**OU\_176559**

UNIVERSAL  
LIBRARY









# भारत

(वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ)

1954



पब्लिकेशन्स डिवीजन  
मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एण्ड प्रोडक्स्टिंग  
भारत सरकार

प्रसार तथा सूचना मन्त्रालय के रिसर्व  
एण्ड रेफरेन्स डिवीजन द्वारा संगृहीत  
तथा पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा सम्पादित ।

( 7 खपया 8 आना )

मेनेजर, गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया प्रेस, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित  
तथा  
टाइपेटर, पब्लिकेशन्स डिवीजन, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली द्वारा प्रकाशित

## वक्तव्य

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से देश में जो असाधारण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं और जिस रफ़्तार से भारत उन्नति पथ पर अग्रसर हो रहा है, उनके कारण भारत के सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध में विश्वसनीय और प्रामाणिक सूचनाओं और गणनाओं का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इसी कारण 1953 में अंग्रेजी में एक सन्दर्भ ग्रन्थ का प्रकाशन जारी किया गया था। इस वर्ष हिन्दी में भी इस सन्दर्भ ग्रन्थ का प्रकाशन प्रारम्भ करते हुए हमें विशेष प्रसन्नता अनुभव हो रही है।

इस सन्दर्भ ग्रन्थ के लिए रिसर्च एण्ड रैफरेन्स डिवीज़न ने सामग्री एकत्र की और इसका सम्पादन पब्लिकेशन्स डिवीज़न ने किया है। भविष्य में हम इस प्रकाशन को और भी अधिक उपयोगी बनाने का अधिकाधिक प्रयत्न करेंगे।

दीपावली  
26 अक्तूबर, 1954 }

पब्लिकेशन्स डिवीज़न



## विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| 1. भारत भूमि और उसके निवासी                                 | 1—34    |
| 2. संविधान                                                  | 35—45   |
| 3. राष्ट्र के प्रतीक                                        | 46—48   |
| 4. यूनियन सरकार और पार्लियामेंट                             | 49—78   |
| 5. न्याय विभाग                                              | 79—93   |
| 6. सार्वजनिक सेवा                                           | 94—97   |
| 7. प्रतिरक्षा                                               | 98—104  |
| 8. सार्वजनिक वित्त                                          | 105—151 |
| 9. पंचवर्षीय आयोजना                                         | 152—166 |
| 10. कृषि                                                    | 167—190 |
| 11. सामूहिक विकास                                           | 191—197 |
| 12. विद्युत शक्ति तथा मिर्चाई                               | 198—218 |
| 13. वैज्ञानिक शोध                                           | 219—227 |
| 14. उद्योग धन्धे                                            | 228—253 |
| 15. वाणिज्य                                                 | 254—263 |
| 16. परिवहन                                                  | 264—285 |
| 17. डाक और तार                                              | 286—299 |
| 18. सहकारी आन्दोलन                                          | 300—309 |
| 19. शिक्षा                                                  | 310—324 |
| 20. स्वास्थ्य                                               | 325—344 |
| 21. श्रम                                                    | 345—378 |
| 22. पत्र पत्रिकाएँ, फिल्में और रेडियो द्वारा प्रसार         | 379—387 |
| 23. पुनर्वास                                                | 388—402 |
| 24. अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित उपजातियाँ और पिछड़े हुए वर्ग | 403—414 |
| 25. “क” भाग के राज्य                                        | 415—485 |
| 26. “ख” भाग के राज्य                                        | 486—518 |
| 27. “ग” भाग के राज्य तथा “घ” भाग के प्रदेश                  | 519—535 |
| 28. खेल                                                     | 536—544 |
| 29. 1953 की घटनाओं की सूची                                  | 545—551 |
| 30. वर्ष के कानून                                           | 552—556 |
| 31. सामान्य जानकारी                                         | 557—578 |



बच्चे  
को  
प्रसन्न  
रखिए



जब बच्चा चिड़चिड़ा हो जाये तो उसे  
अत्यन्त स्वादिष्ट 'नरिशिंग बिस्कुट' दीजिए और वह तुरन्त  
हंसने लगेगा। 'नरिशिंग बिस्कुट' में भरपूर विटामिन होते हैं

जे० बी० मंगाराम के



**NOURISHING**

'नरिशिंग बिस्कुट'  
विटामिनों से भरपूर हैं

**J. B. MANGHARAM & CO.**  
Gwalior

जे० बी० मंगाराम एण्ड कम्पनी, ग्वालियर  
फ़तेहपुरी, दिल्ली और कनाॅट प्लेस, नई दिल्ली में भी दुकानें हैं

# राम तीर्थ ब्राह्मी तैल

(स्पेशल नं० १)

आयुर्वेदिक औषधि (रजिस्टर्ड)

स्मरण शक्ति बढ़ती है,  
गाढ़ी निद्रा आती है तथा  
बाल काले होते हैं ।  
आँखों में डालने से आँखों  
की रोशनी बढ़ती है ।



कान में डालने से कान  
के सब रोग मिटते हैं ।  
गर्जापन दूर होता है ।  
सब ऋतुओं में उपयोगी ।

कीमत — बड़ी गीशी ३॥) छोटी गीशी २) रु०

प्रत्येक स्थान पर मिलता है ।

५॥॥) का मनीआईर बड़ी गीशी के लिये तथा ३॥॥) का मनीआईर  
छोटी गीशी के लिये (ठाक व्यय मिलाकर) भेजे ।

उपरोक्त पते पर प्रातः ७॥ बजे से ९॥ बजे तक और सांयकाल ६ से ७॥ बजे  
तक योग की कक्षाएं नियमित रूप से (रविवार की छुट्टी) लगती हैं । स्वस्थ बनने  
और ठीक रहने के लिये हमारा आकर्षक मानचित्र मंगाइये जिसमें योग के  
आसन दिखाये गये हैं और जो एक रुपया बारह आने मिलने पर भेज  
दिया जायेगा । घर पर इन आसनों को बड़ी सरलता से किया जा  
सकता है ।

## श्री रामतीर्थ योगाश्रम

दादर (सैन्ट्रल रेलवे)

टेली :—६२८९९

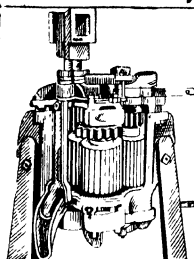
बम्बई १४

ग्राम्स :—“PRANAYAM”

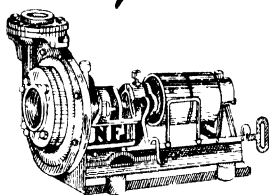
# अनुभव के उत्पादन

प्रत्येक अपने क्षेत्र में

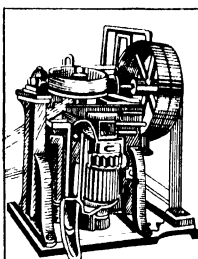
अग्रणी



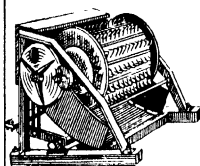
सुल्तान कोल्हू



सेण्ट्रिफ्यूगल पम्प

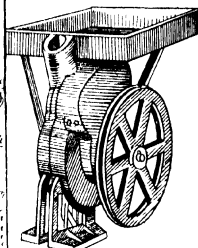


शिवालक  
पावर से चलने वाला बेलना

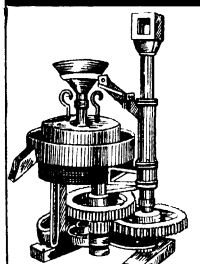


धान कुड़ने की मशीन

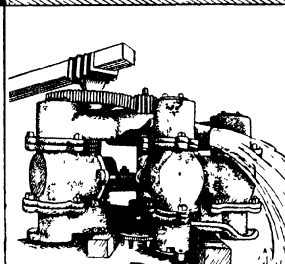
हमारे यहां उच्च कोटि के  
कृषि-उपकरणों का निर्माण  
तथा पुरानी तथा मिश्रित  
धातुओं की ढलाई तथा  
मशीनी काम होता है



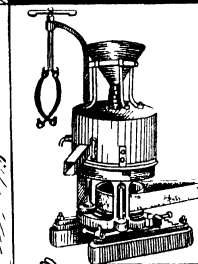
कार्न श्रैलर



कैसर-ए-हिन्द  
आटा मिल



सरोवर  
बैलों से चलने वाला पम्प

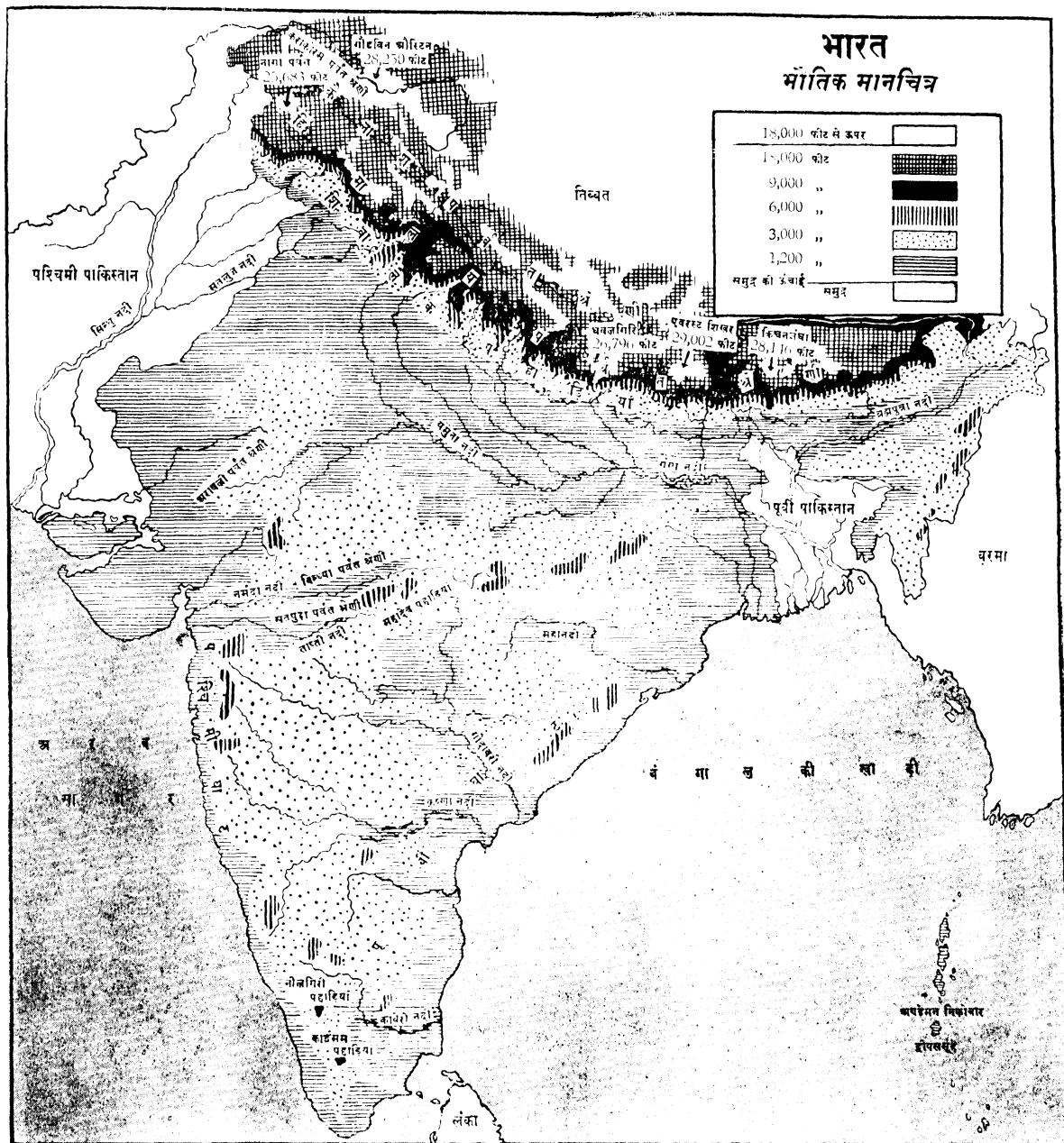
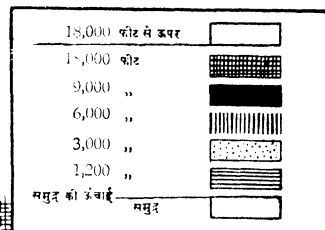


कैसर-ए-हिन्द  
पावर आटा मिल

**नाहन फाउण्डी लिमिटेड, नाहन**  
(हिमाचल प्रदेश) (भारत सरकार प्रतिष्ठान)



# भारत भौतिक मानचित्र



## पहला अध्याय

### भारत भूमि और उसके निवासी

#### भूमि

एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि में से जो तीन टेढ़े-मेढ़े प्रायद्वीप समुद्र में बाहर की ओर निकले हुए हैं, उनमें से बीच का प्रायद्वीप भारत है। एशिया के मध्य-दक्षिणी भाग से वह हिमालय की ऊँची पर्वतमाला द्वारा जुड़ा हुआ है और यह उसका उत्तरी छोर है, जहाँ से दक्षिण की ओर समुद्र हिन्द महासागर तक उसका विस्तार है। उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब समुद्र। भूमध्य रेखा के उत्तर में  $8^{\circ}$  से लेकर  $37^{\circ}$  उत्तरी अक्षांश रेखाओं तथा  $66^{\circ}20'$  से लेकर  $97^{\circ}$  पूर्वी देशांश रेखाओं के बीच यह देश अवस्थित है। कर्क रेखा इसे प्रायः दो बराबर के भागों में बाटती है। देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबन्ध में पड़ता है और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबन्ध में। देश की भू-सीमा रेखा 8,200 मील लम्बी है और समुद्रतट रेखा 3,500 मील।

शानदार हिमालय सगर की सबसे अधिक दुर्लभ प्राचीन है, और वही भारत की उत्तरी सीमा है जिस पर तिब्बत, भूटान, सिक्किम और नेपाल अवस्थित हैं। पूर्व में कुछ पर्वतमालाएँ, भारत और बर्मा को अलग करती हैं। उत्तर-पूर्व में पश्चिमी बंगाल और आसाम के बीच पूर्वी पाकिस्तान अवस्थित है। उत्तर-पश्चिम में भारत और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाएँ मिलती हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह भी भारतीय मघ के अन्तर्गत है।

लगभग 12,69,640 वर्गमील में फैले हुए इस भारतीय यूनियन में कुल 29 राज्य हैं, जिनमें जम्मू और काश्मीर भी सम्मिलित हैं। इनमें से सब से नया राज्य आन्ध्र है, जिसका जन्म अक्टूबर 1953 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत मसारा का सातवाँ देश है। वह संयुक्त राज्य ब्रिटेन से प्रायः 13 गुना और जापान से 8 गुना बड़ा है। उसका क्षेत्रफल कनाडा के क्षेत्रफल का एक तिहाई और रूस का सातवाँ भाग है।

#### प्राकृतिक बनावट

सम्पूर्ण देश को तीन सुनिश्चित प्रदेशों में बाटा जा सकता है :—(1) महान हिमालय पर्वत-शृङ्खला वाला प्रदेश, (2) सिन्ध-गंगा का मैदान और (3) प्रायद्वीप का दक्षिणी पठार। हिमालय प्रायः तीन समानान्तर पर्वत श्रेणियों से मिल कर बना है, जिनके बीच में लम्बे चौड़े पठार और घाटियाँ हैं, जैसे काश्मीर और कुल्लू की घाटियाँ, जो बड़ी उथलाऊँ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न हैं। इन पर्वत श्रेणियों में ससारा की कुछ सबसे ऊँची चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे एवरस्ट (29,141 फीट), माउण्ट गॉडविन ऑस्टिन (28,250 फीट), और फ़चनजवा (28,146 फीट)। अधिक ऊँचाई के कारण कुछ ही दरों से आना-जाना सम्भव है, 13 M of I & B.

विशेषत "जेल्लेप ला" और "नाट ला" दरें जो दार्जिलिंग के उत्तर में चम्बी की घाटी से होकर जाने वाले भारत-तिब्बत व्यापार के मुख्य मार्ग हैं। उत्तर पश्चिम स्थित पामीर की शृङ्खला सिन्ध से लेकर आसाम की सीमा तक पर्वत की दीवार प्रायः 1500 मील तक फैली हुई है। पूर्व में बर्मा और भारत के बीच पर्वत श्रेणियों की ऊँचाई अपेक्षाकृत काफी कम है और विभिन्न स्थानों में उनके विभिन्न नाम हैं, जैसे आसाम के उत्तर-पूर्व में पटकई और नागा पहाड़ियाँ और दक्षिण-पश्चिम में जैन्तिया, खासी और गारो पहाड़ियाँ।

एक ओर हिमालय पर्वत और दूसरी ओर प्रायद्वीप के बीच स्थित सिन्ध-गंगा का मैदान पूर्वी पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक प्रायः 1500 मील लम्बा है। इसमें पंजाब की सतलुज, व्यास के अतिरिक्त गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, यमुना, गोमती, घाघरा और गण्डक नदियाँ बहती हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार में निकलती है, और भारत में ध्रुव पूर्वी सीमा पर प्रवेश करती है। आसाम और पूर्वी बंगाल में होकर बहती हुई वह गंगा के बंगाल की खाड़ी में गिरने में पहले ही उससे मिल जाती है।

प्रायद्वीप का पठार सिन्ध-गंगा के मैदान से कई पर्वत श्रेणियों द्वारा, जिनकी ऊँचाई 1500 फुट से लेकर 4000 फुट तक है, पृथक है। इनमें से प्रमुख श्रेणियाँ अरावली, विन्ध्य, मलपुड़ा, मेकल और अजन्ता हैं। प्रायद्वीप के एक ओर पूर्वी घाट पर्वतमालाएँ हैं, जिनकी औसत ऊँचाई 1500 फुट है। दूसरी ओर पश्चिमी घाट पर्वतमालाएँ हैं, जिनकी औसत ऊँचाई 3000 फुट है पर कहीं कहीं वह 9000 फुट तक भी ऊँची है। प्रायद्वीपीय पठार चट्टानी और ऊँच खण्ड है और दूर दक्षिण की उन पर्वत श्रेणियों तक फैला हुआ है, जिनकी ऊँचाई कहीं कहीं 4000 फुट तक है। इनमें से नीलगिरि और काडैम श्रेणियाँ उल्लेखनीय हैं। पठार के आरपाय नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं और महानदी, गोंदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बहती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।

### जलवायु

भारत का जलवायु मुख्यतः वर्षा प्रचलन मम-शीतोष्ण है। निम्नान्वेह स्थानीय परिवर्तन इसमें विद्यमान हैं। भारत के जलवायु पर मौसम की हेर-फेर का स्पष्ट और सीधा प्रभाव रहता है और यहाँ मौसम का बटवारा इस प्रकार किया जा सकता है —

- (क) अक्टूबर में फरवरी के अन्त तक सर्दी का मौसम,
- (ख) मार्च के आरम्भ में जून के अन्त तक गर्मी का मौसम,
- (ग) जून के अन्त में सितम्बर के अन्त तक वर्षा का मौसम।

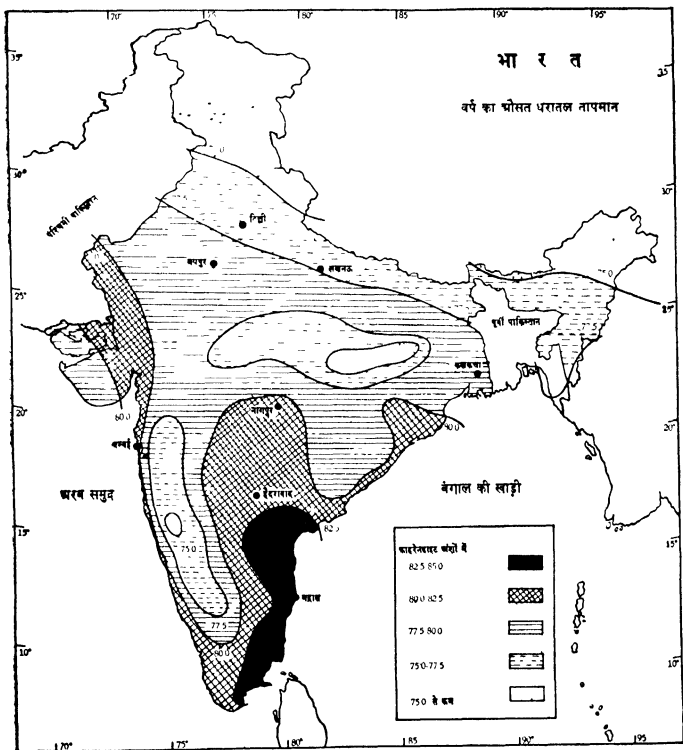
उत्तर-पूर्वी मानसून के मौसम का उप-विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है — (1) जनवरी में फरवरी तक सर्दी का मौसम, (2) मार्च से जून तक गर्मी का मौसम। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसून का उप-विभाजन इस प्रकार है — (1) जून से सितम्बर के मध्य तक वर्षा का मौसम और (2) अक्टूबर में दिसम्बर तक मानसून की वापसी का मौसम।

जनवरी में सब से अधिक सर्दी पड़ती है, फिर भी उत्तर से दक्षिण तक के तापमान में बहुत अन्तर रहता है। दिन प्रायः गर्म होते हैं और रातें निश्चित रूप से ठंडी। जनवरी के तापमान का औसत पंजाब में 55° फारनहाइट, गंगा की घाटी में लगभग

60° फा० और मद्रास में लगभग 75° फा० होता है। अप्रैल और मई में भारत में सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, और इसी से ये सबसे अधिक गर्म महीने होते हैं। मई में उत्तर-पश्चिम भारत में मैदानों का अधिकतम तापमान 110° फा० से भी बढ़ जाता है, यद्यपि औसत तापमान 100° फा० से कुछ ऊपर होता है। गंगा के डेल्टा में औसत तापमान 85° फा० होता है। प्रायः जून के मध्य में वर्षा शुरू हो जाती है और तेज गड़गड़ाहट और कौंध के साथ मूसलाधार पानी पड़ने लगता है। भारत के अधिकांश भागों में, जहाँ उत्तर-पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है, जून और सितम्बर के बीच वर्षा होती है। मद्रास के समुद्र तट को छोड़ कर भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा केवल तिरुवाकर कोचीन और मद्रास के कुछ भागों में होती है।

### भारत

#### वर्ष का औसत धरातल तापमान





## तालिका 1

छाया में मासिक और वार्षिक अधिकतम तापमान (फाहरेनहाइट अंशों में)

| केन्द्र                 | फुटो में ऊनाई | जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई    | जून   | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्तूबर | नवम्बर | दिसम्बर | वार्षिक |
|-------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|
| <b>प्रांश्य केन्द्र</b> |               |       |       |       |        |       |       |       |       |         |         |        |         |         |
| दाजिलिंग                | 7,432         | 47.0  | 47.8  | 55.4  | 61.2   | 62.9  | 64.9  | 65.7  | 65.6  | 64.6    | 61.7    | 55.6   | 50.5    | 58.6    |
| शिलांग                  | 4,921         | 60.1  | 62.5  | 70.4  | 74.1   | 74.0  | 74.5  | 75.3  | 75.1  | 74.3    | 71.1    | 66.0   | 61.6    | 69.9    |
| गिमला                   | 7,224         | 47.5  | 48.8  | 57.0  | 65.9   | 73.2  | 75.1  | 70.9  | 68.4  | 68.4    | 64.3    | 58.3   | 50.6    | 62.4    |
| <b>तटीय केन्द्र</b>     |               |       |       |       |        |       |       |       |       |         |         |        |         |         |
| बम्बई                   | 35            | 83.2  | 83.1  | 86.2  | 89.1   | 91.1  | 88.5  | 85.5  | 85.0  | 85.5    | 88.8    | 89.4   | 86.6    | 86.8    |
| मद्रास                  | 51            | 85.3  | 88.3  | 91.4  | 95.5   | 101.3 | 99.6  | 96.3  | 94.8  | 93.9    | 90.1    | 85.4   | 84.1    | 92.2    |
| <b>भंडारी केन्द्र</b>   |               |       |       |       |        |       |       |       |       |         |         |        |         |         |
| इलाहाबाद                | 332           | 74.8  | 79.2  | 91.7  | 102.6  | 107.1 | 102.7 | 92.1  | 89.4  | 91.5    | 90.4    | 83.4   | 75.7    | 90.1    |
| कलकत्ता                 | 21            | 79.6  | 83.7  | 92.5  | 96.8   | 95.6  | 92.4  | 89.5  | 89.0  | 89.9    | 89.2    | 84.2   | 79.4    | 88.5    |
| कानपुर                  | 413           | 71.9  | 77.0  | 89.4  | 99.4   | 106.2 | 102.7 | 92.4  | 89.7  | 90.9    | 91.2    | 82.8   | 74.0    | 89.0    |
| कटक                     | 87            | 83.1  | 88.2  | 96.6  | 101.2  | 101.4 | 95.5  | 89.5  | 89.0  | 90.0    | 89.7    | 85.0   | 81.2    | 90.9    |
| नई दिल्ली               | 710           | 70.5  | 74.7  | 85.0  | 96.6   | 104.8 | 102.4 | 95.3  | 93.0  | 93.5    | 92.5    | 83.2   | 73.7    | 88.8    |
| लखनऊ                    | 371           | 73.9  | 78.6  | 90.8  | 101.4  | 105.4 | 100.2 | 92.4  | 90.5  | 91.9    | 91.4    | 83.9   | 75.9    | 89.7    |
| पटना                    | 173           | 73.0  | 77.8  | 89.8  | 98.9   | 100.3 | 96.2  | 90.7  | 89.1  | 89.7    | 88.6    | 82.1   | 74.6    | 87.6    |
| <b>पठारी के केन्द्र</b> |               |       |       |       |        |       |       |       |       |         |         |        |         |         |
| देहरादून                | 2,239         | 66.1  | 69.3  | 79.4  | 90.0   | 96.0  | 93.7  | 86.5  | 84.5  | 84.8    | 82.9    | 75.4   | 68.7    | 81.4    |
| नागपुर                  | 1,010         | 83.7  | 88.2  | 96.7  | 104.2  | 108.7 | 99.5  | 88.3  | 87.3  | 89.8    | 90.6    | 85.5   | 81.7    | 92.0    |

तलिका 2

छाया भ मासिक तथा वार्षिक न्यूनतम तापमान (फाहरेनहाइट अशो मे)

| केन्द्र           | फुटो मे ऊचाई     | जनवरी | फरवरी | माचं | अप्रैल | मई   | जून  | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्तूबर | नवम्बर | दिसम्बर | वार्षिक |
|-------------------|------------------|-------|-------|------|--------|------|------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|
| पावंत्य केन्द्र.  |                  |       |       |      |        |      |      |       |       |         |         |        |         |         |
| दाजिलगा           |                  | 35.4  | 36.6  | 43.0 | 48.8   | 52.4 | 56.5 | 58.0  | 57.7  | 56.0    | 50.2    | 43.1   | 36.6    | 47.9    |
| गिलागा            |                  | 38.8  | 42.4  | 50.8 | 57.0   | 59.1 | 63.0 | 64.6  | 64.0  | 61.6    | 54.8    | 46.2   | 40.0    | 53.5    |
| गिमला             | ऊचाई के लिए देखो | 35.4  | 36.1  | 43.6 | 50.6   | 57.7 | 60.1 | 59.2  | 59.2  | 56.3    | 51.4    | 44.2   | 39.3    | 49.4    |
| तटीय केन्द्र :    |                  |       |       |      |        |      |      |       |       |         |         |        |         |         |
| बम्बई             |                  | 66.7  | 67.4  | 71.9 | 76.1   | 79.6 | 78.6 | 76.7  | 76.1  | 75.7    | 75.6    | 72.5   | 68.8    | 73.8    |
| मद्रास            | न० 1             | 67.1  | 68.4  | 72.4 | 78.1   | 81.7 | 81.1 | 79.3  | 78.0  | 77.2    | 75.0    | 71.9   | 68.9    | 74.9    |
| मैदानी केन्द्र.   |                  |       |       |      |        |      |      |       |       |         |         |        |         |         |
| इलाहाबाद          |                  | 47.1  | 50.9  | 61.0 | 71.4   | 79.9 | 82.9 | 79.8  | 78.5  | 76.6    | 67.1    | 54.3   | 47.1    | 66.4    |
| कनकतो             |                  | 54.6  | 59.4  | 68.8 | 75.5   | 77.5 | 78.6 | 78.6  | 78.3  | 78.0    | 73.8    | 63.7   | 55.0    | 70.2    |
| कानपुर            |                  | 45.7  | 51.0  | 60.1 | 70.6   | 80.4 | 83.0 | 79.9  | 78.7  | 76.2    | 66.0    | 53.9   | 46.5    | 66.0    |
| कटक               |                  | 59.8  | 64.8  | 71.8 | 77.5   | 79.9 | 79.6 | 78.3  | 78.1  | 77.8    | 74.4    | 65.8   | 58.7    | 72.2    |
| नई दिल्ली         |                  | 43.3  | 49.2  | 57.1 | 67.7   | 78.8 | 82.5 | 80.1  | 78.4  | 75.5    | 64.3    | 51.8   | 45.0    | 64.5    |
| नवमऊ              |                  | 47.1  | 51.4  | 60.6 | 70.8   | 78.3 | 81.7 | 79.5  | 78.6  | 76.5    | 66.5    | 54.1   | 47.3    | 66.0    |
| पटना              |                  | 51.1  | 54.8  | 64.3 | 73.5   | 78.1 | 79.9 | 79.9  | 79.7  | 78.9    | 72.8    | 61.0   | 52.3    | 68.9    |
| पठारों के केन्द्र |                  |       |       |      |        |      |      |       |       |         |         |        |         |         |
| देहरादून          |                  | 44.0  | 46.6  | 54.1 | 62.5   | 70.1 | 74.1 | 73.8  | 72.9  | 69.5    | 60.3    | 51.1   | 45.1    | 60.3    |
| नागपुर            |                  | 56.0  | 59.9  | 66.7 | 74.5   | 80.9 | 79.6 | 75.5  | 75.0  | 74.2    | 66.5    | 59.1   | 53.8    | 68.5    |

भारत भूमि और उसके निवासी

तलिका 3  
मासिक तथा वार्षिक वर्षा (इंचों में)

| केन्द्र            | अंचाई<br>फुटों में | जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई    | जून   | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्तूबर | नवम्बर | दिसम्बर | वार्षिक |
|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|
| पार्वत्य केन्द्रः  |                    |       |       |       |        |       |       |       |       |         |         |        |         |         |
| दार्जिलिंग         |                    | 0.53  | 1.19  | 1.88  | 4.14   | 9.63  | 24.18 | 32.92 | 26.56 | 18.90   | 5.41    | 0.81   | 0.27    | 126.42  |
| शिलांग             |                    | 0.52  | 1.06  | 1.97  | 5.10   | 11.29 | 18.16 | 13.65 | 12.49 | 11.79   | 6.72    | 1.61   | 0.28    | 84.64   |
| शिमला              |                    | 2.61  | 2.92  | 2.36  | 1.81   | 2.53  | 6.04  | 16.30 | 16.85 | 6.68    | 1.18    | 0.52   | 1.24    | 61.04   |
| तटीय केन्द्रः      |                    |       |       |       |        |       |       |       |       |         |         |        |         |         |
| बम्बई              |                    | 0.14  | 0.08  | 0.05  | 0.03   | 0.65  | 19.06 | 24.27 | 13.39 | 10.39   | 2.54    | 0.53   | 0.08    | 71.21   |
| मद्रास             |                    | 1.41  | 0.41  | 0.29  | 0.61   | 1.03  | 1.86  | 3.60  | 4.58  | 4.68    | 12.04   | 13.96  | 5.45    | 49.92   |
| मैदानी केन्द्रः    |                    |       |       |       |        |       |       |       |       |         |         |        |         |         |
| इलाहाबाद           |                    | 0.85  | 0.63  | 0.56  | 0.17   | 0.63  | 5.04  | 12.56 | 10.03 | 8.36    | 2.34    | 0.31   | 0.34    | 41.82   |
| कलकत्ता            |                    | 0.37  | 1.17  | 1.36  | 1.75   | 5.49  | 11.69 | 12.81 | 12.92 | 9.95    | 4.48    | 0.81   | 0.18    | 62.98   |
| कानपुर             |                    | 0.56  | 0.66  | 0.29  | 0.22   | 0.32  | 3.19  | 10.75 | 11.20 | 5.79    | 1.30    | 0.35   | 0.28    | 35.91   |
| कटक                |                    | 0.32  | 0.78  | 1.04  | 1.07   | 3.57  | 9.95  | 12.89 | 13.40 | 9.76    | 5.34    | 1.62   | 0.23    | 59.97   |
| नई दिल्ली          |                    | 0.99  | 0.83  | 0.51  | 0.33   | 0.52  | 3.03  | 7.03  | 7.23  | 4.84    | 0.40    | 0.10   | 0.43    | 26.24   |
| लखनऊ               |                    | 0.76  | 0.72  | 0.34  | 0.25   | 0.77  | 4.46  | 12.00 | 11.50 | 7.40    | 1.28    | 0.22   | 0.32    | 40.02   |
| पटना               |                    | 0.59  | 0.74  | 0.42  | 0.27   | 1.40  | 7.14  | 11.58 | 13.09 | 8.60    | 2.30    | 0.34   | 0.22    | 46.69   |
| पठारों के केन्द्रः |                    |       |       |       |        |       |       |       |       |         |         |        |         |         |
| देहरादून           |                    | 2.32  | 2.47  | 1.26  | 0.65   | 1.45  | 8.55  | 26.30 | 28.79 | 10.62   | 1.26    | 0.35   | 1.02    | 85.04   |
| नागपुर             |                    | 0.37  | 0.65  | 0.60  | 0.60   | 0.76  | 8.82  | 14.60 | 11.42 | 8.01    | 2.17    | 0.77   | 0.47    | 49.24   |

प्राकृतिक साधन

खनिज पदार्थ

सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है, जिसे गोडवाना भी कहते हैं। इसके अन्तर्गत दक्षिण बिहार का भाग, दक्षिण-पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा आते हैं। देश को कोयले, लोहे, अभ्रक और तांबे का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। झरिया और रानीगंज की कोयला खानों से कोयले का प्रमुख भाग प्राप्त होता है। साथ ही लिग्नाइट के रूप में कोयला दक्षिण-पूर्वी हैदराबाद, दक्षिणी मध्य-भारत और मद्रास के दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तट के साथ भी मिलता है। लोहा मैसूर में और अभ्रक उत्तरी मद्रास तथा मध्य राजस्थान में पाया जाता है। इल्मेनाइट और मोनाजाइट, जो सामरिक महत्व के खनिज पदार्थ हैं, त्रिश्वाकुर के समुद्री तट की बालू में पाये जाते हैं। मंगनेमाइट मद्रास की चाक की पहाड़ियों के क्षेत्र में निकाला जाता है और सोना मैसूर की कोलार स्वर्ण खानों से। बाक्साइट, जिप्सम, मकान बनाने के लिये पत्थर, तमक, अग्निजिप्त मिट्टी (फायर क्ले) कोरडम, और फुलर की मिट्टी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिमाण में प्रचुरता के साथ पाई जाती हैं। भारत में अभ्रक काफी मिलता है। वास्तव में यहाँ समार के कुल अभ्रक के 60 प्रतिशत का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त भारत में पाये जाने वाले मंगनीज, इल्मेनाइट, मोनाजाइट और लोहा तथा टिटैनियम की और किस्में भी परिमाण की दृष्टि से सप्तर की सब से अधिक अच्छी किस्मों में हैं। पर भारत के खनिज साधनों का लाभ अभी तक पूरी तरह नहीं उठाया जा सका है। देश में पेट्रोलियम की कमी है। पेट्रोलियम का एकमात्र क्षेत्र आसाम में है। आसाम के इन तेलक्षेत्रों का उत्पादन प्रायः नगण्य है। इसी प्रकार सीसा, गंधक, चादी, निकेल, टिन, जस्ता, पारा, टंगस्टेन, मोलिब्डेनम, प्लैटिनम, ग्रेफाइट, तारकोल, ग्रेनाइट, और फ्लोराइड्स का परिमाण देश की आवश्यकता के अनुपात से यथेष्ट नहीं है। नीचे दिए गए विवरण द्वारा इन महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की मात्रा और मूल्य का संकेत मिलता है, जिनका उत्पादन देश में सन् 1951 में हुआ।—

तालिका 4

सन् 1951 में खनिज उत्पादन

| खनिज        | मात्रा         | रुपयों में मूल्य |
|-------------|----------------|------------------|
| ग्रैनाइट    | 416 टन         | 6,408            |
| एस्बेस्टस   | 433 टन         | 2,32,555         |
| बाक्साइट    | 67,047 टन      | 7,52,365         |
| बेरिटीज     | 8,224 टन       | 2,89,631         |
| चीनी मिट्टी | 54,987 टन      | 15,86,298        |
| क्रोमाइट    | 15,802 टन      | 8,67,287         |
| कोयला       | 3,44,30,522 टन | 50,47,62,162     |
| कच्चा तांबा | 3,69,057 टन    | ..               |
| कोरडम       | 548 टन         | 2,27,745         |
| हीरा        | 1,674 करेट     | 5,34,361         |

| खनिज          | मात्रा            | रूपों में मूल्य |
|---------------|-------------------|-----------------|
| फेल्सपर       | 3,145 टन          | 34 532          |
| फुलर्स अर्थ   | 4,000 टन          | 63 000          |
| सोना          | 2,26,357 ग्राम्स  | 6,75,28,992     |
| ग्रेफाइट      | 1,578 टन          | 2,01,188        |
| जिप्सम        | 2,03,602 टन       | 12,63,128       |
| कच्चा लोहा    | 36,56,661 टन      | 2,09,45,218     |
| कायनाइट       | 42,301 टन         | 58,50,626       |
| मैंगनेसाइट    | 1,17,071 टन       | 17,78,134       |
| कच्चा मैंगनीज | 12,83,929 टन      | 17,71,82,202    |
| अभ्रक         | 4,90,665 हड्डेडेट | 13,75,81,134    |
| ग्रोकर        | 8,409 हड्डेडेट    | 1,14,965        |
| स्टीटाइट      | 32,378 हड्डेडेट   | 12,95,885       |

### नदियां तथा जल-साधन

भारत के राष्ट्रीय जीवन पर सदा से नदियों का गहरा प्रभाव रहा है। यहाँ की प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास सिन्धु, गंगा और उनकी सहायक नदियों के तटीय प्रदेशों में हुआ। दक्षिण में भी देशवासियों की बड़ी सभ्यता, अपने अस्तित्व के लिए नदियों पर निर्भर रही है। नदियों के अतिरिक्त जमीन की सतह के नीचे का पानी भी घरेलू और कृषि कार्यों के लिए जल की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन रहा है। देश के अधिकांश भागों में सिंचाई की व्यवस्था के बिना सफलतापूर्वक खेती करना सम्भव नहीं है।

नदियों में वर्ष पर्यन्त अनुमानतः कुल 1,35,60,00,000 एकड़ फुट पानी बहता है, जिसमें से प्रायः 7,60,00,000 एकड़ फुट या 5 6 प्रतिशत ही इस समय सिंचाई के काम में आता है। नदियों में बहने वाले कुल पानी का न तो पूरा इस्तेमाल किया ही जा सकता है और न सिंचाई के लिए उतने पानी की जरूरत है। पर यह अनुमान लगाया गया है कि 1,35,60,00,000 एकड़ फुट पानी में से एक तिहाई, अर्थात् 45,00,00,000 एकड़ फुट पानी देश के उपयोग में लाया जा सकता है। महत्वपूर्ण नदी श्रृङ्खलाओं में जनीय साधनों के उपयोग की स्थिति इस प्रकार है:—

### तालिका 5

| नदी श्रृङ्खला | अनुमानित<br>वार्षिक बहाव<br>एकड़ फुटों में                       | वर्तमान उपयोग           | प्रस्तावित कार्य     | प्रस्तावित<br>उपयोग<br>एकड़ फुटों में |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| I. सिन्ध      | 1,700 लाख<br>सम्पूर्ण श्रृङ्खला<br>के लिए<br>(पाकिस्तान<br>सहित) | लगभग 80 लाख एकड़<br>फुट | भाखड़ा नंगल<br>कार्य | 80 लाख                                |

| नदी शृङ्खला   | अनुमानित<br>वार्षिक बहाव<br>एकड़ फुटों में | वर्तमान उपयोग                                                                             | प्रस्तावित कार्य     | प्रस्तावित<br>उपयोग<br>एकड़ फुटों में |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 2. गंगा       | 4,000 लाख                                  | अल्प भाग का उपयोग<br>मुख्यतः गंगा यमुना<br>और शारदा नदियों की<br>नहरों द्वारा हो रहा है।  | दामोदर घाटी<br>कार्य | 27 लाख                                |
| 3 ब्रह्मपुत्र | 3,000 लाख                                  | नगण्य ग्राम तौर पर<br>ग्रामों में भारी वर्षा<br>होने के कारण मिटाई<br>की जरूरत नहीं होती। | —                    | —                                     |
| 4. गोदावरी    | 840 लाख                                    | लगभग 14 प्रतिशत                                                                           | —                    | —                                     |
| 5 महानदी      | 740 लाख                                    | डेल्टा क्षेत्रों के लिए अल्प<br>मात्रा में                                                | हीराकुड कार्य        | लगभग<br>110 लाख                       |
| 6 कृष्णा      | 500 लाख                                    | लगभग 18 प्रतिशत                                                                           | तुंगभद्रा कार्य      | 60 लाख                                |
| 7. कावेरी     | 120 लाख                                    | 60 प्रतिशत से अधिक                                                                        | —                    | —                                     |
| 8 नर्मदा      | 320 लाख                                    | —                                                                                         | —                    | —                                     |
| 9 ताप्ती      | 170 लाख                                    | —                                                                                         | काकरापार कार्य       | —                                     |

### शक्ति—

भारत में विद्युत प्राप्त करने के ये तीन प्रमुख स्रोत हैं—पिट्टी का तेल, कोयला, और पानी। पेट्रोलियम के ज्ञात स्रोत यहाँ बहुत कम हैं। पत्थर के कोयले की कुल अनुमानित मिकदार 20,00,00 लाख (20 अरब) टन है, जिसमें से 5,00,00 लाख (5 अरब) टन अच्छी किस्म का कोयला है। यह अच्छी किस्म का कोयला घाते बनाने आदि कार्यों के लिये सुरक्षित किया जाएगा। घटिया किस्म का (लिग्नाइट आदि) कोयला काफी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, और उससे प्राप्ति स्थानों के निकट, बिजली पैदा की जा सकती है। भारत के जल-विद्युत के स्रोत बहुत विशाल हैं। नीचे की तालिका से 11 विभिन्न क्षेत्रों के अनुमानित स्रोतों का अन्दाज लगाया जा सकता है—

### तालिका 6

(किलोवाट में)

| क्षेत्र का नाम                             | माघे 1951 में<br>प्राप्त | 1954 के अन्त में<br>अनुमानित शक्ति | 1959 के अन्त में<br>अनुमानित शक्ति |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. जम्मू और काश्मीर                        | 6,000                    | 12,000                             | 15,000                             |
| 2. पंजाब, दिल्ली और राजस्थान का<br>कुछ भाग | 1,48,000                 | 2,62,000                           | 4,70,000                           |

| क्षेत्र का नाम                                                      | मार्च 1951 में प्राप्त | 1954 के अन्त में अनुमानित शक्ति | 1949 के अन्त में अनुमानित शक्ति |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ३. मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग                               | 1,49,000               | 2,31,000                        | 3,26,000                        |
| ४. बम्बई और हैदराबाद का कुछ भाग                                     | 5,28,000               | 6,99,000                        | 10,44,000                       |
| ५. दक्षिण भारत (आन्ध्र के तटीयभाग को छोड़ कर)                       | 3,17,000               | 5,78,000                        | 7,57,000                        |
| ६. आन्ध्र का तटीय भाग तथा हैदराबाद, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के कुछ भाग | 67,000                 | 1,78,000                        | 2,35,000                        |
| ७. महानदी घाटी कार्य का क्षेत्र                                     | 13,000                 | 66,000                          | 1,41,000                        |
| ८. रेहन्द कार्य का क्षेत्र तथा उत्तर-प्रदेश का कुछ भाग              | 1,75,000               | 1,96,000                        | 2,96,000                        |
| ९. उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले                                     | 74,000                 | 1,43,000                        | 1,94,000                        |
| १०. कलकत्ता तथा दामोदर घाटी कार्य                                   | 9,48,000               | 12,15,000                       | 15,34,000                       |
| ११. आसाम                                                            | 8,000                  | 8,000                           | 17,000                          |
| योग                                                                 | 24,33,000              | 35,88,000                       | 50,92,000                       |

### जंगल—

भारत के जंगलों का क्षेत्रफल 14,77,00,000 वर्गमील है, और देश की अर्थ-व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 2,500 किस्म की लकड़ी उपलब्ध होती है, जिसमें से 450 किस्में व्यापारिक दृष्टि से मूल्यवान हैं। निर्माण के कार्य तथा जलाने के अतिरिक्त लकड़ी से यहाँ ये चीजें भी निकाली जाती हैं : ऐसेटिक एसिड, ऐसेटोन, मेथिल अलकोहल, तेल, क्रैमोसोट तथा सल्फेनोमाइड और क्लोरोफार्म जैसी कीमती दवाइयाँ। जंगलों से प्राप्त होने वाली छोटी चीजों की विविधता और मात्रा बहुत बड़ी है। भारत में लगभग 3,000 किस्मों की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, उनके साथ ही जन्तु जगत की भी कितनी ही वस्तुएँ जंगलों से प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए दवाई वाली तथा जहरीली वनस्पतियाँ, आवश्यक तेल, बरोजा, घने तेल और चरबी, मोम, मैदा, गोद, रंग, बांस, बैत, कपड़े के तन्तु, घटिया किस्म का रेशम, सब तरह की घासें, शहद, लाख तथा पैकिंग का सामान आदि। इनमें से बहुत सी चीजें छोटे और बड़े व्यवसायों का पोषण करती हैं। विभिन्न प्रदेशों में भारत के जंगलों का क्षेत्रफल इस तालिका से ज्ञात होगा :—

तालिका 7

| प्रदेश               | जंगलों का क्षेत्रफल | कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| पूर्वी प्रदेश        | 3,46,10,000         | 20 63                            |
| उत्तर-पश्चिमी प्रदेश | 2,98,74,000         | 10 70                            |
| केन्द्रीय प्रदेश     | 3,96,92,000         | 29 92                            |
| दक्षिणी प्रदेश       | 4,35,29,000         | 18 82                            |
| सम्पूर्ण भारत        | 14,77,05,000        | 18 22                            |

**कृषि—**

भारत में विविध प्रकार के खाद्यान्न तथा धन लाने वाली उपजें पैदा होती हैं। इन क्षेत्रों में चावल पैदा होता है—गंगा की घाटिया, पंजाब के पहाड़ी जिले, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आसाम, पश्चिमी घाट, उड़ीसा के तट क्षेत्र और मद्रास। गेहूँ के उत्पादन क्षेत्र हैं—पंजाब, पंप्सू, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत। गन्ने के क्षेत्र हैं—गंगा के निकटवर्ती मैदान, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, हैदराबाद और पंजाब। मूँगफली, तिल, एरण्ड, सरसों, बीन्स, अलसी आदि तेल देने वाली उपजें, उत्तरी मद्रास, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश आदि में तथा रुई दक्खन के दक्षिणी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और पंजाब में पैदा होती हैं। चाय दार्जिलिंग, आसाम की पहाड़ियों तथा नीलगिरी में उत्पन्न होती हैं। पटसन मुख्यतः पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होता है। काफी, चाय, रबर, काली मिरच, मसाले आदि अग्रामलाई तथा काठमम पहाड़ियों में पैदा होते हैं। भारत के विस्तृत समुद्र तट के काफी बड़े भाग पर नारियल पैदा होता है, जिससे गिरी, तेल और सुन्बी आदि उपलब्ध होते हैं। काजू मलाबार तट पर होता है। इन्ही तटों पर केला भी खूब होता है। भारतीय ग्राम की लगभग 500 किस्में होती हैं, जिनमें से बम्बई का अल-फन्मो आदि सत्तार भर में प्रसिद्ध हैं। बम्बई, पूना, मद्रास के सेलेम और तजोर जिलों के तथा माल्दा, दरभंगा, सहरनपुर और लखनऊ आदि के ग्राम देश भर में प्रसिद्ध हैं।

सन् 1953 की मुख्य उपजों के क्षेत्रफल का अन्दाज इस तालिका से मिलेगा :—

तालिका 8

| फसल                   | क्षेत्रफल एकड़ों में | उपज टनों में       |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>खाद्यान्न :—</b>   |                      |                    |
| चावल . . .            | 7,46,74,000          | 2,34,24,000        |
| गेहूँ . . .           | 2,40,41,000          | 67,62,000          |
| अन्य अन्न . . .       | 10,10,81,000         | 1,73,98,000        |
| चना . . .             | 1,72,67,000          | 37,71,000          |
| मूँगफली . . .         | 1,18,62,000          | 28,94,000          |
| गन्ना . . .           | 43,76,000            | 52,60,000          |
| <b>अन्य उपजें :—</b>  |                      |                    |
| तिलहन . . .           | 1,56,49,000          | 17,41,000          |
| तम्बाकू . . .         | 7,98,000             | 2,05,000           |
| रबर (1952 में) . . .  | 1,73,000             | 44,000             |
| रूई . . .             | 1,56,78,000          | 3,00,50,000 (गांठ) |
| पटसन (1952 में) . . . | 18,34,000            | 46,95,000 (गांठ)   |

**पशुधन—**

भारत में 29,22,18,000 पालतू पशु हैं, जो रूस को छोड़ कर शेष सत्तार के कुल पशुधन का सातवा भाग हैं। इनमें से लगभग दो तिहाई दूध देने वाले पशु हैं। इनके द्वारा प्राप्त दूध, मक्खन, घी, मास, अण्डे आदि देश के आन्तरिक व्यवहार में आते हैं, और खाल, हड्डी, ऊँ, चगड़ा, सींग



गदि के कुछ भाग का निर्यात होता है। पशुधन की पिछली तीन पंचवर्षीय गणनाओं के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

|                | 1940         | 1945         | 1950         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| कुल पशु .      | 27,61,48,000 | 26,84,40,000 | 29,22,18,000 |
| मुर्गिया आदि . | 5,74,08,000  | 5,82,47,000  | 7,33,99,000  |

### बन्दरगाह—

भारत के पूर्वी तट पर कलकत्ता, मद्रास और विशाखापत्तनम तथा पश्चिमी तट पर बम्बई और कोचीन महत्वपूर्ण बन्दरगाह हैं। कराँची की क्षतिपूर्ति के लिये इन दिनों कांडला के बन्दरगाह का विकास किया जा रहा है। इन्हीं से भारत का अधिकांश सामुद्रिक आयात निर्यात होता है।

### गमियों के लिये शीतल स्थान—

गमियों में भारत के ये पहाड़ी स्थान बहुत लोकप्रिय हैं— हिमालय पर शिमला, मसूरी, नैनीताल, गुलमर्ग, पहलगवा, श्रीनगर, कुल्लू, शिलांग और दार्जिलिंग तथा पश्चिमी घाट के माथेरान, महाबलेश्वर, ऊटकमंड और कोडाईकनाल।

### तीर्थस्थल—

उत्तर प्रदेश में काशी इलाहाबाद (प्रयाग), हरिद्वार, मथुरा और वृन्दावन; उड़ीसा में पुरी; सौराष्ट्र में द्वारका; बम्बई में नासिक; मद्रास में काजीवरम, कुम्भकोणम और रामेश्वरम; आन्ध्र में तिरुपति आदि प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ हैं। पंजाब में अमृतसर और फतेहगढ़ सिकखों के तीर्थ हैं और अजमेर, दिल्ली तथा पेन्सू में सरहिन्द मुसलमानों के तीर्थ स्थान हैं। मैसूर में श्रवण बेलगोला तथा पालिताना के निकट शशुजय पहाड़ी जैनियों के तीर्थ हैं। दिल्ली का राजघाट, जहा महात्मा गांधी का दाह संस्कार किया गया था, भारत भर का तीर्थस्थान बन गया है।

### अनुसन्धान के स्थान—

ऐतिहासिक अनुसन्धान के महत्वपूर्ण स्थान ये हैं :—हैदराबाद में अजन्ता और एलोरा की गुफाएँ; बम्बई में कार्लो और एलिफेन्टा की गुफाएँ; उत्तर प्रदेश में सारनाथ के बौद्ध खडहर; भूपाल में सावी और बिहार में बुद्ध गया; मैसूर में बेलूर; बम्बई में माउण्ट आबू; मद्रास में मदुरा; तंजौर, कोणार्क और महाबलिपुरम तथा उड़ीसा में भुवनेश्वर। इनके अतिरिक्त आगरा में ताजमहल, दिल्ली के मुगल काल और उससे पहले के निर्माण, फतहपुर सीकरी, दौलताबाद, अहमदाबाद, सिकन्दराबाद और गोलकुण्डा आदि भी दर्शनीय हैं।

### निवासी—

आबादी की दृष्टि से चीन के बाद भारत ससार का सबसे बड़ा देश है। सन् 1881 से भारत में प्रति 10 वर्षों के बाद नियमित रूप से जनगणना होती रही है। 1951 में जम्मू—काश्मीर तथा

आसाम के आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण भारत में जनगणना हुई थी। निम्नलिखित तालिका से पिछले 60 वर्षों की जनवृद्धि का अन्दाजा मिलेगा :—

तालिका 9

| वर्ष | आबादी        | गत दस वर्ष में<br>(+) वृद्धि या (—)<br>घटोती |
|------|--------------|----------------------------------------------|
| 1891 | 23,59,00,000 | ..                                           |
| 1901 | 23,55,00,000 | - 4,00,000                                   |
| 1911 | 24,90,00,000 | + 1,35,00,000                                |
| 1921 | 24,81,00,000 | - 9,00,000                                   |
| 1931 | 27,55,00,000 | + 2,74,00,000                                |
| 1941 | 31,28,00,000 | + 3,73,00,000                                |
| 1951 | 35,69,00,000 | + 4,41,00,000                                |

सन् 1921 से लेकर 1951 के 30 वर्षों में भारत की आबादी में लगभग 11 करोड़ की वृद्धि हुई है। 1921 के बाद से आबादी की वृद्धि का ढाँचा एकदम बदल गया है। 1921 से पहले अकाल, महामारी आदि के कारण आबादी की वृद्धि रुकी रही, और कृषि की उपज बढ़ती चली गई। परन्तु 1921 के बाद से इस परिस्थिति में परिवर्तन आ गया।

### 1951 की जनगणना—

तालिका सं० 10 में विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की जनसंख्या दी गई है। जम्मू-काश्मीर तथा आसाम के उपजातीय क्षेत्र को छोड़ कर भारत की कुल जनसंख्या 35,68,29,485 है। इसमें 18,33,05,654 पुरुष हैं और 17,35,23,831 स्त्रियाँ। 1941 से 1951 तक 4,20,00,000 आबादी बढ़ी। सिर्फ पंजाब और अण्डमान निकोबार में क्रमशः 0.5 तथा 8.6 प्रतिशत आबादी घटी, बाकी सब राज्यों में आबादी बढ़ी। सबसे अधिक आबादी दिल्ली में बढ़ी जो 62.1 प्रतिशत है और दूसरे नम्बर पर कुर्ग में (30.5 प्रतिशत)। अधिकांश राज्यों में वृद्धि का हिसाब 10 से 22 प्रतिशत रहा। सिर्फ बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और पेप्सू में वृद्धि 10 प्रतिशत से नीचे रही। पेप्सू की आबादी केवल 2.6 प्रतिशत बढ़ी।

### स्त्री और पुरुषों का अनुपात :—

भारत में प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे 947 स्त्रियाँ हैं। केवल उड़ीसा, मणिपुर, मद्रास, त्रिबुंग-कुर-कोचीन और कच्छ (जहाँ प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्रमशः 1,022, 1,036, 1,006, 1,008 और 1,079 है) को छोड़ कर सब राज्यों में पुरुषों की संख्या अधिक

## तालिका 10

क्षेत्रों तथा राज्यों की जनसंख्या

| क्षेत्र और राज्य   | वांगनीलो में<br>भूमि का<br>क्षेत्रफल | आबादी        |              |              | 1941<br>व्यक्ति | प्रति 1000<br>पुरुषों के<br>बीछे स्त्रिया<br>(1951) | 1941-1951<br>में वृद्धि की<br>रफ्तार |        |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                    |                                      | 1951         |              |              |                 |                                                     |                                      |        |
|                    |                                      | व्यक्ति      | पुरुष        |              |                 |                                                     |                                      | स्त्री |
|                    |                                      |              | पुरुष        | स्त्री       |                 |                                                     |                                      |        |
| भारत .             | 12,69,64                             | 35,68,29,485 | 18,33,05,654 | 17,35,23,831 | 31,47,66,380    | 947                                                 | + 12.5                               |        |
| I उत्तर भारत .     | 1,13,409                             | 6,32,15,742  | 3,30,98,866  | 3,01,16,876  | 5,65,31,848     | 910                                                 | + 11.2                               |        |
| I. उत्तर प्रदेश .  | 1,13,409                             | 6,32,15,742  | 3,30,98,866  | 3,01,16,876  | 6,65,31,848     | 910                                                 | + 11.2                               |        |
| 2. पूर्वी भारत .   | 2,61,657                             | 9,00,80,297  | 4,63,15,658  | 4,37,64,639  | 8,08,73,038     | 945                                                 | + 10.8                               |        |
| 1. बिहार .         | 70,330                               | 4,02,25,947  | 2,02,23,675  | 2,00,02,272  | 3,65,28,119     | 989                                                 | + 9.6                                |        |
| 2. उड़ीसा .        | 60,136                               | 1,46,45,946  | 72,42,892    | 74,03,054    | 1,37,67,988     | 1,022                                               | + 6.2                                |        |
| 3. पश्चिमी बंगाल . | 30,775                               | 2,48,10,308  | 1,33,45,441  | 1,14,64,867  | 2,18,37,295     | 859                                                 | + 12.7                               |        |
| 4. आसाम* .         | 85,012                               | 90,43,707    | 48,12,166    | 42,31,541    | 7,593,037       | 879                                                 | + 17.4                               |        |
| 5. मणिपुर .        | 8,628                                | 5,77,635     | 2,83,685     | 2,93,950     | 5,12,069        | 1,036                                               | + 12.0                               |        |
| 6. त्रिपुरा .      | 4,032                                | 6,39,029     | 3,35,589     | 3,03,440     | 5,13,010        | 904                                                 | + 21.9                               |        |
| 7. सिक्किम .       | 2,744                                | 1,37,725     | 72,210       | 65,515       | 1,21,520        | 907                                                 | + 12.5                               |        |
| 3. दक्षिण भारत .   | 1,68,009                             | 7,56,00,804  | 3,78,22,542  | 3,77,78,262  | 6,48,37,350     | 999                                                 | + 15.3                               |        |

|                               |          |             |             |             |             |       |       |
|-------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 1. मद्रास                     | 1,27,790 | 5,70,16,002 | 2,84,19,003 | 2,85,96,999 | 4,98,30,749 | 1,006 | +13 4 |
| 2. मसूर                       | 29,489   | 90,74,972   | 46,57,409   | 44,17,563   | 73,37,818   | 949   | +21 2 |
| 3. तिरुवाक्क कंचिनी           | 9,144    | 92,80,425   | 46,20,803   | 46,59,622   | 75,00,057   | 1,008 | +21 2 |
| 4. कुर्ग                      | 1,586    | 2,29,405    | 1,25,327    | 1,04,078    | 1,68,726    | 830   | +30 5 |
| 4. पश्चिमी भारत               | 1,49,609 | 4,06,61,115 | 2,09,82,281 | 1,96,78,834 | 3,32,49,726 | 938   | +20 1 |
| 1. कावई                       | 1,11,434 | 3,59,56,150 | 1,86,14,802 | 1,73,41,288 | 2,91,81,146 | 932   | +20 8 |
| 2. सौराष्ट्र                  | 21,451   | 41,37,359   | 20,94,442   | 20,42,917   | 35,60,700   | 975   | +15 0 |
| 3. कच्छ                       | 16,724   | 5,67,606    | 2,72,977    | 2,94,629    | 5,07,880    | 1,079 | +11 1 |
| 5. मध्य भारत                  | 2,89,399 | 5,22,67,959 | 2,64,97,524 | 2,57,70,435 | 4,72,73,886 | 973   | +10 0 |
| 1. मध्य प्रदेश                | 1,30,272 | 2,12,47,533 | 1,06,62,812 | 1,05,84,721 | 1,96,31,615 | 993   | +7 9  |
| 2. मध्य भारत                  | 46,478   | 79,54,144   | 41,33,075   | 38,21,079   | 71,69,880   | 925   | +10 4 |
| 3. हैदराबाद                   | 82,168   | 1,86,55,108 | 94,31,062   | 92,24,046   | 1,63,27,119 | 978   | +13 3 |
| 4. भोपाल                      | 6,878    | 8,36,474    | 4,37,635    | 3,98,839    | 7,78,623    | 911   | +7 2  |
| 5. विन्ध्य प्रदेश             | 23,603   | 35,74,690   | 18,32,940   | 17,41,750   | 33,66,649   | 950   | +6 0  |
| 6. उत्तर-पश्चिमी भारत         | 2,84,342 | 3,49,72,597 | 1,85,69,728 | 1,64,02,869 | 3,19,66,764 | 883   | +9 0  |
| 1. राजस्थान                   | 1,30,207 | 1,52,90,797 | 79,61,673   | 73,29,124   | 1,33,06,232 | 921   | +13 9 |
| 2. पंजाब                      | 37,378   | 1,26,41,205 | 67,86,934   | 58,54,271   | 1,26,98,603 | 863   | +0 5  |
| 3. पेशावर                     | 10,078   | 34,93,685   | 18,94,844   | 15,98,841   | 34,02,586   | 844   | +2 6  |
| * 4. जम्मू और काश्मीर         | 92,780   | ---         | ---         | ---         | ---         | ---   | ---   |
| 5. अजमेर                      | 2,417    | 6,98,372    | 3,60,236    | 3,33,136    | 3,83,693    | 925   | +17 2 |
| 6. दिल्ली                     | 578      | 17,44,072   | 9,86,538    | 7,57,534    | 9,17,939    | 768   | +62 1 |
| 7. विलासपुर                   | 453      | 1,26,099    | 64,738      | 61,361      | 1,10,336    | 948   | +13 3 |
| 8. हिमाचल प्रदेश              | 10,451   | 9,83,367    | 5,14,765    | 4,68,602    | 9,47,375    | 910   | +3 7  |
| अन्धमान और निकलावर द्वीपसूत्र | 3,215    | 30,971      | 19,055      | 11,916      | 33,768      | 625   | +8 6  |

\* जम्मू और काश्मीर तथा आसाम के आदिवासी क्षेत्रों के आंकड़े शामिल नहीं हैं ।

है। सबसे कम स्त्रियाँ अण्डमान निकोबार में हैं, जहाँ उनका अनुपात 1,000 पुरुषों के पीछे 625 है। दिल्ली में यह अनुपात 768 है। इन राज्यों में स्त्रियों का अनुपात 1,000 के पीछे 900 से कम है—पश्चिमी बंगाल, आसाम, कुर्ग, पंजाब और पेप्सु।

### आबादी का विभाजन :—

क्षेत्रों की दृष्टि से आबादी का वर्गीकरण करने पर उत्तर भारत में केवल एक ही राज्य (उत्तर प्रदेश) की आबादी भारत की कुल आबादी का 18 प्रतिशत है। पूर्वी भारत (7 राज्य) की आबादी 25 प्रतिशत है, दक्षिणी भारत (4 राज्य) की 21 प्रतिशत, पश्चिमी भारत (3 राज्य) की आबादी 11 प्रतिशत, केन्द्रीय भारत (5 राज्य) की 15 प्रतिशत और उत्तर पश्चिमी भारत (7 राज्य) की आबादी 10 प्रतिशत है।

### तालिका 11

#### आबादी का प्रादेशिक वर्गीकरण

| संख्या | क्षेत्र                      | कुल आबादी    | कुल आबादी का अनुपात |
|--------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 1.     | हिमालय प्रदेश . . . . .      | 1,70,42,697  | 4.8                 |
| 2.     | उत्तरी मैदान . . . . .       | 13,93,98,043 | 39.1                |
| 3.     | प्रायद्वीपी पहाड़िया और पठार | 10,85,58,645 | 30.4                |
| .      | पश्चिमी घाट तथा तटीय प्रदेश  | 3,99,26,793  | 11.2                |
| 5.     | पूर्वी घाट तथा तटीय प्रदेश . | 5,18,23,336  | 14.5                |
| 6.     | अण्डमान निकोबार द्वीप समूह   | 30,571       |                     |
|        | सम्पूर्ण भारत                | 35,68,29,485 | 100.0               |

क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 1,30,272 वर्गमील है। राजस्थान (क्षेत्रफल 1,30,207 वर्ग मील) का स्थान दूसरा है। सबसे छोटा राज्य दिल्ली है, जिसका क्षेत्रफल केवल 578 वर्गमील है।

आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 6,30,00,000 है। मद्रास दूसरा है (5,70,00,000) और बिहार तीसरा (4,00,00,000)। विन्ध्य प्रदेश (आबादी 35,70,000) और दिल्ली (आबादी 17,40,000) को छोड़ कर और किसी भी "ग" या "घ" श्रेणी के राज्य की आबादी 10 लाख से अधिक नहीं। अण्डमान निकोबार की आबादी केवल 30,971 है।

### आबादी की घनता:—

भारत में आबादी की औसत घनता प्रति वर्ग मील पीछे 312 व्यक्ति है। किसी राज्य में आबादी अधिक घनी है, और किसी में कम। दिल्ली में आबादी का औसत प्रति वर्गमील पीछे 3,017 है और तिरुवांकुर कोचीन में 1,015; कच्छ में यह औसत 34 है और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 10। आबादी की घनता या विरलता स्वभावतः भूतल की बनावट, मिट्टी और वर्षा पर निर्भर करती है। विशिष्ट रूप से यह निश्चित होता है कि कितनी जमीन खाद्य-उत्पादन के काम

में आ सकती है और वह किस हद तक खाद्य-उत्पादन के योग्य है। इसलिये आबादी की समस्या का अध्ययन देश के राजनीतिक विभागों के सहारे न करके भू-विज्ञान और मौसम के आधार पर किये गये प्राकृतिक विभागों की सहायता से किया जाये तो अधिक अच्छा होगा। इसी अभिप्राय से देश को 15 उप-प्रदेशों में बाटा गया है और उन्हें निम्न तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। अधिक सघन, कम सघन और मध्यम सघन। नीचे के विवरण में यह बताया गया है कि इन 15 उप-प्रदेशों में आबादी कितनी घनी है और प्रति व्यक्ति पीछे जमीन का औसत कितना है।

तालिका 12

| उप-प्रदेश                                   | आबादी<br>(लाख) | घनता प्रति<br>वर्ग मील | जमीन का<br>क्षेत्रफल<br>(लाख एकड़) | प्रति व्यक्ति<br>जमीन का<br>क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>अधिक सघन उपप्रदेश :—</b>                 |                |                        |                                    |                                                     |
| 1 गंगा का निचला मैदान                       | 700            | 832                    | 538                                | 77                                                  |
| 2 गंगा का उपरला मैदान                       | 389            | 681                    | 366                                | 94                                                  |
| 3 मलाबार कोकण                               | 238            | 638                    | 239                                | 1 00                                                |
| 4 दक्षिणी मद्रास                            | 307            | 554                    | 355                                | 1 15                                                |
| 5 उत्तरी मद्रास और<br>समुद्र तटवर्ती उड़ीसा | 211            | 461                    | 293                                | 1 39                                                |
| <b>योग</b>                                  | <b>1,845</b>   | <b>660</b>             | <b>1,791</b>                       | <b>97</b>                                           |
| <b>कम सघन उपप्रदेश :—</b>                   |                |                        |                                    |                                                     |
| 1 रेगिस्तान                                 | 46             | 61                     | 482                                | 10 47                                               |
| 2 पश्चिमी हिमालय                            | 90             | 68                     | 852                                | 9 44                                                |
| 3 उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी<br>प्रदेश            | 104            | 163                    | 409                                | 3 94                                                |
| 4 पूर्वी हिमालय                             | 124            | 118                    | 674                                | 5 42                                                |
| 5 उत्तर-मध्यवर्ती पहाड़ी<br>प्रदेश और पठार  | 138            | 164                    | 537                                | 3 89                                                |
| 6 उत्तरी पूर्वी पठार                        | 290            | 192                    | 967                                | 3 33                                                |
| <b>योग</b>                                  | <b>792</b>     | <b>129</b>             | <b>3,921</b>                       | <b>4 95</b>                                         |
| <b>मध्यम सघन उपप्रदेश :—</b>                |                |                        |                                    |                                                     |
| 1 गंगा पार का मैदान                         | 259            | 332                    | 499                                | 1 93                                                |
| 2 दक्षिणी दक्कन का पठार                     | 315            | 247                    | 817                                | 2 59                                                |
| 3 उत्तरी दक्कन का पठार                      | 239            | 246                    | 621                                | 2 60                                                |
| 4 गुजरात काठियावाड़                         | 161            | 226                    | 456                                | 2 83                                                |
| <b>योग</b>                                  | <b>974</b>     | <b>266</b>             | <b>2,393</b>                       | <b>2 46</b>                                         |

नीचे की तालिका में भारत तथा कुछ अन्य देशों में जोती, बोई जाने वाली और जोतने बोलने योग्य जमीन का प्रति व्यक्ति पीछे क्षेत्रफल दिया गया है :—

तालिका 13

|                                                      | भारत | संसार | अमेरिका | यूरोप (रूस को छोड़कर) | रूस   |
|------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------------------|-------|
| आबादी (करोड़ों में) . . . . .                        | 36.1 | 240   | 15.1    | 39.6                  | 19.4  |
| जमीन का क्षेत्रफल (करोड़ एकड़ों में)                 | 81.3 | 3,251 | 190.5   | 121.8                 | 590.4 |
| क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति (एकड़ों में):                |      |       |         |                       |       |
| कुल जमीन (प्रति व्यक्ति)                             | 2.25 | 13.54 | 12.64   | 3.07                  | 30.46 |
| जोती बोई जाने वाली जमीन (प्रति व्यक्ति) (एकड़ों में) | .97  | 3.51  | 7.41    | 1.53                  | 4.48  |
| जोतने बोलने योग्य जमीन (प्रति व्यक्ति)"              | .97  | 1.26  | 3.02    | .92                   | 2.87  |

संसार में सबसे अधिक घना बसा महाद्वीप यूरोप है, परन्तु वह भारत से कम घना बसा है। औसत भारतीय कुल जमीन के 43 प्रतिशत भाग में खेती करता है, जबकि औसत यूरोपीय 30 प्रतिशत भाग में ही खेती करता है। अमेरिका और रूस में काम में आने लायक जितनी जमीन है, उतनी यूरोप और भारत में नहीं है।

#### शहरी और देहाती आबादी :—

भारत की कुल आबादी 35 करोड़ 70 लाख है। इसमें में केवल 6 करोड़ 20 लाख आदमी शहरों और कस्बों में रहते हैं, शेष 29 करोड़ 50 लाख गांवों में रहते हैं। शहरी आबादी कुल आबादी का 17.3 प्रतिशत है और देहाती आबादी 82.7 प्रतिशत। नीचे की तालिका से पता चलता है कि गांवों की आबादी धीरे धीरे शहरों की ओर खिंच रही है।

तालिका 14

| वर्ष | कुल आबादी का प्रतिशत |      |
|------|----------------------|------|
|      | देहाती               | शहरी |
| 1921 | 88.7                 | 11.2 |
| 1931 | 87.9                 | 12.1 |
| 1941 | 86.1                 | 13.9 |
| 1951 | 82.7                 | 17.3 |

पिछली दशब्दी में शहरी आबादी 3.4 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि उससे पिछली दो दशब्दियों में वह केवल 2.6 प्रतिशत ही बढ़ी थी।

देहली और अजमेर राज्य बहुत छोटे हैं। यहाँ शहरी आबादी क्रमशः 83 और 43 प्रतिशत है। बड़े राज्यों में सबसे अधिक शहरी आबादी सौराष्ट्र और बम्बई में है। सौराष्ट्र में 34 प्रतिशत और बम्बई में 31 प्रतिशत लोग बड़े नगरों और शहरों में रहते हैं।

**शहर, गांव और घर :—**

देश में कुल 3,018 शहर और 5,58,089 गांव हैं। बसे हुए घरों की कुल संख्या 6 करोड़ 44 लाख है, जिनमें से 5 करोड़ 41 लाख गांवों में हैं और 1 करोड़ 3 लाख शहरों में। नीचे की तालिका में आबादी के अनुसार वर्गीकृत गांवों, कस्बों, शहरों और बड़े नगरों की संख्या दी गई है :—

तालिका 15

| गांव, कस्बे और शहर                   | संख्या   |
|--------------------------------------|----------|
| 500 से कम आबादी वाले                 | 3,80,020 |
| 500 से 1,000 तक आबादी वाले           | 1,04,268 |
| 1,000 से 2,000 तक आबादी वाले         | 51,769   |
| 2,000 से 5,000 तक आबादी वाले         | 20,508   |
| 5,000 से 10,000 तक आबादी वाले        | 3,101    |
| 10,000 से 20,000 तक आबादी वाले       | 856      |
| 20,000 से 50,000 तक आबादी वाले       | 401      |
| 50,000 से 1,00,000 तक आबादी वाले     | 111      |
| 1,00,000 से 10,00,000 तक आबादी वाले  | 69       |
| 10,00,000 से अधिक आबादी वाले         | 4        |
| (दिल्ली और नई दिल्ली को एक मान कर 5) |          |
| योग                                  | 5 61 107 |

१ लाख से अधिक आबादी वाले 73 शहरों में “क” भाग के राज्यों में से आसाम में और “ख” भाग के राज्यों में से पेंसु में एक भी ऐसा शहर नहीं है। “ग” भाग के सात राज्यों में इस तरह के चार शहर हैं, दिल्ली, नई दिल्ली, अजमेर और भोपाल। उपर्युक्त 73 शहरों में 24 ऐसे हैं, जिनकी आबादी दस साल पहले 1 लाख से कम थी। पिछले दस सालों में ये सब बढ़ते बढ़ते शहर बन



गए है। परन्तु इससे पिछले दस सालों में इस तरह के केवल 15 ही नए शहर बने थे। इन शहरों के नाम और 1942 तथा 1951 की जनगणना में इनकी जनसंख्या नीचे दी जा रही है :—

तालिका 16

| शहर                     | जनसंख्या<br>(1951 में) | जनसंख्या<br>(1941 में) | दशवर्षिकी वृद्धि<br>का मध्यमान<br>(मीन रेट)<br>1941-51 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>“क” भाग के राज्य</b> |                        |                        |                                                        |
| <b>बिहार</b>            |                        |                        |                                                        |
| 1. पटना . . .           | 2,83,479               | 1,96,415               | + 36 3                                                 |
| 2. जमशेदपुर . . .       | 2,18,162               | 1,65,395               | + 27 5                                                 |
| 3. गया . . .            | 1,33,700               | 1,05,223               | + 23 8                                                 |
| 4. भागलपुर* . . .       | 1,14,530               | 93,254                 | + 20 5                                                 |
| 5. रांची* . . .         | 1,06,849               | 62,562                 | + 52 3                                                 |
| <b>बम्बई</b>            |                        |                        |                                                        |
| 1. बम्बई . . .          | 28,39,270              | 16,95,168              | + 50 5                                                 |
| 2. अहमदाबाद . . .       | 7,88,333               | 5,91,267               | + 28 6                                                 |
| 3. पुना . . .           | 4,80,982               | 2,78,165               | + 53 4                                                 |
| 4. शोलापुर . . .        | 2,66,050               | 2,03,691               | + 26 6                                                 |
| 5. सुरत . . .           | 2,23,182               | 1,71,434               | + 26 2                                                 |
| 6. बडौदा . . .          | 2,11,407               | 1,53,301               | + 31 9                                                 |
| 7. कोल्हापुर* . . .     | 1,36,835               | 93,032                 | + 38 1                                                 |
| 8. हुबली* . . .         | 1,29,609               | 95,512                 | + 30 3                                                 |
| <b>मध्यप्रदेश</b>       |                        |                        |                                                        |
| 1. नागपुर . . .         | 4,49,099               | 3,01,957               | + 39 2                                                 |
| 2. जबलपुर . . .         | 2,56,998               | 1,78,339               | + 36 1                                                 |
| <b>मद्रास</b>           |                        |                        |                                                        |
| 1. मद्रास . . .         | 14,16,057              | 7,77,481               | + 58 5                                                 |
| 2. मदुराई . . .         | 3,61,781               | 2,39,144               | + 40 8                                                 |
| 3. तिरुचिरापल्ली . . .  | 2,18,921               | 1,59,566               | + 31 4                                                 |
| <b>मद्रास क्रमशः</b>    |                        |                        |                                                        |
| 4. सलेम . . .           | 2,02,335               | 1,29,702               | + 43 8                                                 |
| 5. कोयम्बटूर . . .      | 1,97,755               | 1,30,348               | + 41 1                                                 |
| 6. विजयवाडा* . . .      | 1,61,198               | 86,184                 | + 60 6                                                 |
| 7. कोजीकोडे . . .       | 1,58,724               | 1,26,352               | + 22 7                                                 |
| 8. गुन्टूर* . . .       | 1,25,255               | 83,599                 | + 39 9                                                 |
| 9. मंगलौर* . . .        | 1,17,083               | 81,069                 | + 36 3                                                 |

नोट:—तारांकित शहर पहली बार बड़े शहर माने गए हैं।

| शहर                     | जनसंख्या<br>(1951 में) | जनसंख्या<br>(1941 में) | दशवार्षिकी वृद्धि<br>का मध्यमान<br>(मीन रेट)<br>1141-51 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| IO. विशाखपत्तनम्*       | 1,08,042               | 70,243                 | + 42.4                                                  |
| II. वेल्लोर*            | 1,06,024               | 71,502                 | + 38.9                                                  |
| 12. राजमुन्दी*          | 1,05,276               | 74,564                 | + 34.2                                                  |
| 13. तंजौर*              | 1,00,680               | 68,702                 | + 37.8                                                  |
| <b>उड़ीसा</b>           |                        |                        |                                                         |
| I. कटक*                 | 1,02,505               | 74,291                 | + 31.9                                                  |
| <b>पंजाब</b>            |                        |                        |                                                         |
| I. अमृतसर               | 3,25,747               | 3,91,010               | — 18.2                                                  |
| 2. जालंधर               | 1,68,816               | 1,35,283               | + 22.1                                                  |
| 3. लुधियाना             | 1,53,795               | 1,11,639               | + 31.8                                                  |
| <b>उत्तर प्रदेश</b>     |                        |                        |                                                         |
| I. कानपुर               | 7,05,383               | 4,87,324               | + 36.6                                                  |
| 2. लखनऊ                 | 4,96,861               | 3,87,177               | + 24.8                                                  |
| 3. आगरा                 | 3,75,665               | 2,84,149               | + 27.7                                                  |
| 4. बनारस                | 3,55,777               | 2,63,100               | + 30.0                                                  |
| 5. इलाहाबाद             | 3,32,295               | 2,60,630               | + 24.2                                                  |
| 6. मेरठ                 | 2,33,183               | 1,69,290               | + 31.8                                                  |
| 7. वरेली                | 2,08,083               | 1,92,688               | + 7.7                                                   |
| 8. मुरादाबाद            | 1,61,854               | 1,42,414               | + 12.8                                                  |
| 9. सहारनपुर             | 1,48,435               | 1,08,263               | + 31.3                                                  |
| 10. देहरादून*           | 1,44,216               | 78,228                 | + 59.3                                                  |
| 11. अलीगढ़              | 1,41,618               | 1,12,655               | + 22.8                                                  |
| 12. रामपुर*             | 1,34,277               | 89,322                 | + 40.2                                                  |
| 13. गोरखपुर*            | 1,32,436               | 98,977                 | + 28.9                                                  |
| 14. झांसी               | 1,27,365               | 1,03,254               | + 20.9                                                  |
| <b>पश्चिमी बंगाल</b>    |                        |                        |                                                         |
| I. कलकत्ता              | 25,48,677              | 21,08,891              | + 18.9                                                  |
| 2. हावड़ा               | 4,33,630               | 3,79,292               | + 13.4                                                  |
| 3. टोलीगंज*             | 1,49,317               | 58,594                 | + 87.5                                                  |
| 4. भाटपाड़ा             | 1,34,916               | 1,17,044               | + 14.2                                                  |
| 5. खडगपुर*              | 1,29,636               | 87,185                 | + 39.2                                                  |
| 6. गार्डेन रीच *        | 1,09,160               | 85,188                 | + 24.7                                                  |
| 7. साउथ सवबन (बेहाला) * | 1,04,055               | 63,479                 | + 48.4                                                  |
| <b>“ख” भाग के राज्य</b> |                        |                        |                                                         |
| <b>हैदराबाद</b>         |                        |                        |                                                         |
| I. हैदराबाद             | 1,085,722              | 7,39,159               | + 38.0                                                  |
| 2. वारंगल*              | 1,33,130               | 92,808                 | + 35.7                                                  |

नोट — तारांकित शहर पहली बार बड़े शहर माने गये हैं।

| शहर                      | जनसंख्या<br>(1951 में) | जनसंख्या<br>(1941 में) | दशवार्षिकी वृद्धि<br>का मध्यमान<br>(मीब रेट)<br>1941—51 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>मध्य-भारत</b>         |                        |                        |                                                         |
| 1. इन्दौर .              | 3,10,859               | 2,03,695               | + 41.7                                                  |
| 2. ग्वालियर .            | 2,41,577               | 1,82,492               | + 27.9                                                  |
| 3. उज्जैन*               | 1,29,817               | 81,272                 | + 46.0                                                  |
| <b>मैसूर</b>             |                        |                        |                                                         |
| 1. बंगलूर .              | 7,78,977               | 4,06,760               | + 62.8                                                  |
| 2. मैसूर .               | 2,44,323               | 1,50,540               | + 47.5                                                  |
| 3. कोलार (सोने की खान) . | 1,59,084               | 1,33,859               | + 17.2                                                  |
| <b>राजस्थान</b>          |                        |                        |                                                         |
| 1. जयपुर .               | 2,91,130               | 1,75,810               | + 49.4                                                  |
| 2. जोधपुर .              | 1,80,717               | 1,26,842               | + 35.0                                                  |
| 3. बीकानेर .             | 1,17,113               | 1,27,226               | — 8.3                                                   |
| <b>सौराष्ट्र</b>         |                        |                        |                                                         |
| 1. भावनगर .              | 1,37,951               | 1,02,851               | + 29.2                                                  |
| 2. राजकोट .              | 1,32,069               | 52,178                 | + 86.7                                                  |
| 3. जामनगर .              | 1,04,419               | 71,588                 | + 37.3                                                  |
| <b>तिरुवांकूर-कोचीन</b>  |                        |                        |                                                         |
| 1. त्रिवेन्द्रम .        | 1,86,931               | 1,28,365               | + 37.2                                                  |
| 2. अलेप्पी *             | 1,16,278               | 56,333                 | + 69.5                                                  |
| <b>“न” भाग के राज्य</b>  |                        |                        |                                                         |
| 1. अजमेर .               | 1,96,633               | 1,47,258               | + 28.7                                                  |
| 2. भोपाल *               | 1,02,633               | 75,228                 | + 30.5                                                  |
| 3. दिल्ली .              | 9,14,790               | 5,21,849               | + 54.7                                                  |
| 4. नई दिल्ली*            | 2,76,314               | 98,733                 | + 98.7                                                  |

नोट:—ताराकित शहर पहली बार बड़े शहर माने गये हैं।

### आर्थिक वर्गीकरण

जीविका के साधनों की दृष्टि से यदि आबादी का वर्गीकरण किया जाए, तो ज्ञात होगा कि 70 प्रतिशत आदमी खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हैं और 30 प्रतिशत अन्य व्यवसायों पर। सौराष्ट्र, कच्छ, अजमेर, दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ कर शेष सब राज्यों में किसानों की संख्या गैरकिसानों की संख्या से अधिक है। सौराष्ट्र, कच्छ, अजमेर, दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में गैर किसानों की संख्या किसानों की संख्या से क्रमशः 3,8,5,90 और 86

प्रतिशत अधिक है। पश्चिमी बंगाल और बम्बई राज्य उद्योगों में सबसे आगे बड़े हुए हैं, यद्यपि किसानों की संख्या यहां भी गैर किसानों की संख्या से अधिक है। इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आदि अधिकांश पहाड़ी राज्यों में तो किसानों की आबादी कुल आबादी के 90 प्रतिशत से भी अधिक है।

हर 100 भारतीयों में जिनमें उनके आश्रित भी शामिल हैं, 47 मुख्य रूप से अपने खेतों के मालिक किसान हैं, 9 मुख्य रूप से किराये की जमीन बोने वाले किसान हैं, 13 खेतिहर मजदूर हैं, 1 जमींदार हैं, और 10 उद्योगों में या दूसरे किसी गैर खेतीबाड़ी सम्बन्धी उत्पादन में लगे हुए हैं, 6 व्यापार में हैं, 2 परिवहन में तथा 12 नौकरियों और विभिन्न फुटकर कार्यों में लगे हुए हैं। नीचे की तालिका में आजीविका की दृष्टि से खेतीबाड़ी और अन्य व्यवसायों के चार-चार उपवर्ग किये गये हैं, और यह दिखाया गया है कि इनमें कितने स्वावलम्बी हैं, और कितने उनके आश्रित हैं तथा आश्रितों में कितने कमाते हैं और कितने नहीं कमाते।

तालिका 17

(लाखों में)

| वर्ग          | उपवर्ग                                                             | स्वावलम्बी | न कमाने वाले आश्रित | कमाने वाले आश्रित | योग   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-------|
| (1) किसान     | (1) ऐसे किसान, जो सर्वथा या अधिकांश में अपनी जमीन के मालिक हैं     | 4,58       | 10,01               | 2,14              | 16,73 |
|               | (2) ऐसे किसान जो सर्वथा या अधिकांश में अपनी जमीन के मालिक नहीं हैं | 88         | 1,89                | 39                | 3,16  |
|               | (3) खेतों में काम करने वाले मजदूर                                  | 1,49       | 2,46                | 53                | 4,48  |
|               | (4) ऐसे जमींदार जो खेती करते हैं और लगान वसूल करते हैं             | 16         | 33                  | 4                 | 53    |
|               | किसानों की कुल संख्या                                              | 7,11       | 14,69               | 3,10              | 24,90 |
| (2) गैर किसान | (1) ऐसा उत्पादन जो खेती से नहीं होता                               | 1,22       | 2,24                | 31                | 3,77  |
|               | (2) व्यापार                                                        | 59         | 1,45                | 9                 | 2,13  |
|               | (3) परिवहन                                                         | 17         | 36                  | 3                 | 56    |
|               | (4) अन्य सेवाएँ और व्यवसाय आदि                                     | 1,36       | 2,68                | 26                | 4,30  |
|               | गैर किसानों की कुल संख्या                                          | 3,34       | 6,73                | 69                | 10,76 |
|               | सर्व योग                                                           | 10,45      | 21,42               | 3,79              | 35,66 |

जनगणना के समय जीविका के उपसाधनों के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसकी सहायता से अपनी जमीन जोतने वाले किसानों और दूसरों की जमीन जोतने वाले भूमिहीन किसानों की अलग गणना की गई है। इस गणना से पता चला है कि अपनी जमीन जोतने वाले किसानों और भूमिहीन किसानों में परस्पर में 1,000 और 402 का अनुपात है। एक हजार भूमिधर किसानों के पीछे भूमिहीन किसानों का अनुपात हर राज्य में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में यह सब से कम (161) है और तिरुवाकुर-कोचीन में सब से अधिक (782)। दूसरे बड़े राज्यों में ये आकड़े इस प्रकार हैं—मैसूर (190), आसाम (235), उड़ीसा (271), बम्बई (383), मध्यभारत (397), मध्य-प्रदेश (413), हैदराबाद (507), बिहार (510), राजस्थान (544), पश्चिमी बंगाल (609) और मद्रास (714)।

खेती करने वाले असली किसान 545 लाख हैं। इन में 457 लाख मालिक-किसान हैं, और 88 लाख लगान देने वाले किसान। मालिक-किसानों की अधिकता भारत के कृषकवर्ग के ढाँचे की विशेषता है। हमारे देश में इन की अधिकता बहुत महत्वपूर्ण है। ये रयतवारी इलाकों में ही नहीं, इस्तमरारी बन्दोबस्त वाले और ग्रस्थायी बन्दोबस्त वाले इलाकों में भी अधिक है।

334 लाख स्वावलम्बी गैर-किसानों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है :

## तालिका 18

| श्रेणियाँ                                                                                                                           | संख्या      | स्वावलम्बी गैर<br>किसानों का प्रतिशत | स्वावलम्बी<br>व्यक्तियों का<br>प्रतिशत |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| (1) मालिक                                                                                                                           | 11,00,000   | 3 3                                  | 1 1                                    |
| (2) मालिकों के अलावा<br>अन्य लोग जो अपना<br>ही काम करते हैं                                                                         | 1,65,00,000 | 49.4                                 | 15 7                                   |
| (3) नौकर                                                                                                                            | 1,48,00,000 | 44.3                                 | 14 2                                   |
| (4) ऐसे लोग किसी प्रकार<br>के किराये पर निर्भर<br>करते हैं, पेशन पाने<br>वाले तथा अन्य<br>किसी प्रकार की<br>आय पर गुजर करने<br>वाले | 10,00,000   | 3.0                                  | 0.9                                    |
| योग                                                                                                                                 | 3,34,00,000 | 100.0                                | 31.9                                   |

इस विभाजन को देखने से पता चलता है कि गैर-किसानों में नौकरों की संख्या का अनुपात किसानों में नौकरों की संख्या के अनुपात से अधिक है। इस के विपरीत अपना काम करने वाले लोग (जो मालिक नहीं हैं) संख्या में इतने अधिक हैं कि मालिक और नौकर दोनों मिल कर भी उतने नहीं हैं।

खेतीबाड़ी को छोड़कर अन्य सेवाओं और उद्योगों में लगे हुए 324 लाख स्वावलम्बी व्यक्ति अपनी जीविका किस प्रकार कमाते हैं, यह जानने के लिये उनको दस विभागों और 88 उप-विभागों में बाटा गया है। नीचे जो आंकड़े दिये गये हैं, वे उसी ढंग से तैयार किये गये हैं, जिस ढंग से दूसरे देशों में युनेस्को द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार तैयार किये जाते हैं। भारत की 1931 की तथा उस से पहले की जन-गणनाओं के जो आंकड़े प्रकाशित होते रहे हैं, उन के ढंग को भी ध्यान में रखा गया है।

तालिका 19

| उद्योग और नौकरियों के विभाग                                                            | संख्या      | प्रतिशत |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1. खेती, खान और पत्थर की खुदाई को छोड़ कर अन्य प्राथमिक उद्योग                         | 24,00,000   | 7.4     |
| 2. खानों और पत्थर की खुदाई                                                             | 5,70,000    | 1.8     |
| 3. खाद्य पदार्थ, कपड़े, चमड़ा और उस की बनी चीजों की प्रक्रिया और निर्माणसम्बन्धी कार्य | 55,10,000   | 17.0    |
| 4. धातु, रासायनिक पदार्थ और उन की बनी चीजों की प्रक्रिया और निर्माणसम्बन्धी कार्य      | 12,40,000   | 3.8     |
| 5. अन्यत्र अनिर्दिष्ट वस्तुओं की प्रक्रिया तथा निर्माण                                 | 24,30,000   | 7.5     |
| 6. निर्माण और उपयोग की चीजें                                                           | 15,90,000   | 4.9     |
| 7. व्यापार                                                                             | 59,00,000   | 18.2    |
| 8. परिवहन, भंडारीकरण और संचार                                                          | 19,00,000   | 5.9     |
| 9. स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक प्रशासन                                              | 32,90,000   | 10.2    |
| 10. वे मंवाये जिन का अन्यत्र निर्देश नहीं है                                           | 75,40,000   | 23.3    |
| योग                                                                                    | 3,23,70,000 | 100.0   |

### आयुओं का विवरण

21 नम्बर तालिका में आयु के अनुसार आबादी का ब्यौरा दिया गया है। प्रत्येक आयु-वर्ग के साथ जो संख्या नीचे दिखाई गई है, वह कुल आबादी का प्रतिशत है :

तालिका 20

|                                | आयुवर्ग<br>(वर्षों में) | प्रतिशत |
|--------------------------------|-------------------------|---------|
| दूध पीते और छोटे बच्चे         | 0 से 4                  | 13.5    |
| लड़के और लड़कियाँ              | 5 से 14                 | 24.8    |
| युवक और युवतियाँ               | { 15 से 24              | 17.4    |
|                                | { 25 से 34              | 15.6    |
| अधेड़ पुरुष और अधेड़ स्त्रियाँ | { 35 से 44              | 11.9    |
|                                | { 45 से 54              | 8.5     |
|                                | { 55 से 64              | 5.1     |
| वृद्ध तथा वृद्धाएं             | { 65 से 74              | 2.2     |
|                                | { 75 और उस से ऊपर       | 1.0     |
|                                |                         | 100.0   |

तालिका 21  
आयु और नागरिक स्थिति

| आयु-वर्ग (वर्षों में)          | कुल (हजारों में) |          | अप्रतिवाहित (हजारों में) |        | विवाहित (हजारों में) |        | विधुर, विधवा और विवाह विच्छेद प्राप्त (हजारों में) |        |
|--------------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
|                                | पुरुष            | स्त्री   | पुरुष                    | स्त्री | पुरुष                | स्त्री | पुरुष                                              | स्त्री |
| 1 से कम                        | 5,821            | 5,668    | 5,821                    | 5,668  | —                    | —      | —                                                  | —      |
| 1 से 4                         | 17,939           | 17,908   | 17,939                   | 17,908 | —                    | —      | —                                                  | —      |
| 5 से 14                        | 44,703           | 41,989   | 41,804                   | 35,737 | 2,833                | 6,118  | 66                                                 | 134    |
| 15 से 24                       | 30,672           | 30,052   | 16,627                   | 5,184  | 13,660               | 24,041 | 384                                                | 827    |
| 25 से 34                       | 27,875           | 26,633   | 3,701                    | 733    | 23,122               | 23,731 | 1,052                                              | 2,129  |
| 35 से 44                       | 22,032           | 19,528   | 1,150                    | 304    | 19,323               | 15,346 | 1,559                                              | 3,178  |
| 45 से 54                       | 15,719           | 13,898   | 604                      | 173    | 13,076               | 8,314  | 2,038                                              | 5,412  |
| 55 से 64                       | 9,064            | 8,624    | 299                      | 89     | 6,777                | 3,334  | 1,989                                              | 5,201  |
| 65 से 74                       | 3,867            | 3,976    | 104                      | 37     | 2,533                | 1,092  | 1,230                                              | 2,847  |
| 75 और उस से ऊपर                | 1,630            | 1,756    | 46                       | 18     | 883                  | 370    | 701                                                | 1,367  |
| अज्ञात आयु                     | 111              | 117      | 51                       | 60     | 46                   | 42     | 14                                                 | 15     |
| विस्थापितों के इलावा कुल आबादी | 1,79,433         | 1,70,149 | 88,146                   | 65,951 | 12,253               | 12,388 | 9,033                                              | 21,810 |

यह स्पष्ट है कि आबादी में कम उम्र वालों का अनुपात बहुत अधिक है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, जो ग्रैवेड होने के बाद जीते हैं। नीचे की तालिका (संख्या २२) में इस सम्बन्ध में दूसरे देशों की परिस्थिति के साथ हमारे देश की परिस्थिति की तुलना की गई है।

तालिका 22

| देश                      | कुल आबादी का प्रतिशत |                              |                           |                                  |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                          | छोटे बच्चे           | छोटे बच्चे और लड़के लड़कियाँ | 15 से कम आयु वाले व्यक्ति | 55 और उस से ऊपर आयु वाले व्यक्ति |
| भारत                     | 3.3                  | 13.5                         | 38.3                      | 8.3                              |
| यूरोप                    | 2.0                  | 9.8                          | 26.9                      | 17.2                             |
| जर्मनी                   | 1.5                  | 7.0                          | 23.5                      | 19.1                             |
| इंग्लैंड                 | 1.5                  | 8.6                          | 22.5                      | 21.1                             |
| इटली                     | 1.8                  | 9.2                          | 26.6                      | 12.0                             |
| फ्रांस                   | 1.6                  | 7.2                          | 21.8                      | 21.4                             |
| उत्तरी अमेरिका           | —                    | 10.8                         | 27.1                      | 16.9                             |
| ओशेनिया                  | 2.5                  | 10.5                         | 26.0                      | 17.8                             |
| जापान                    | 2.8                  | 13.5                         | 35.4                      | 11.0                             |
| दक्षिण पूर्वी एशिया      | 3.3                  | 15.1                         | 40.9                      | 7.3                              |
| दक्षिण पश्चिमी एशिया     | 3.1                  | 16.7                         | 40.6                      | 9.5                              |
| दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका | 3.1                  | 14.6                         | 40.1                      | 7.4                              |
| अफ्रीका                  | 2.9                  | 13.7                         | 13.1                      | 8.5                              |

**विवाह सम्बन्धी स्थिति का नमूना**

भारत में प्रति 10 हजार व्यक्तियों में (इनमें विस्थापितों का हिसाब शामिल नहीं है) 5,133 पुरुष और 4,867 स्त्रियाँ हैं। इन में से 2,521 पुरुष और 1,886 स्त्रियाँ अविवाहित हैं। यदि पुरुषों और स्त्रियों का हिसाब एक साथ किया जाए, तो कुल आबादी के 44.1 प्रतिशत लोग अविवाहित हैं।

विवाह सम्बन्धी परिस्थिति की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि बाल-विवाह रोक सम्बन्धी कानून होते हुए भी बहुत अधिक बाल विवाह होते हैं। 1951 की जनगणना में 5 से लेकर 14 साल की उम्र के लोगों में 28,33,000 विवाहित पुरुष, 61,18,000 विवाहित स्त्रियाँ, 66,000 विधुर और 1,34,000 विधवाएँ दिखाई गई हैं। 14 साल उम्र की विवाहित स्त्रियों तथा 15, व 16 और 17 साल के विवाहित पुरुषों की संख्या क्या है, यह मालूम नहीं है। इस जन-गणना से यह मालूम हुआ है कि लगभग 92,00,000 विवाह ऐसे हुए हैं, जो कानून तोड़ कर ही किये गये थे। देश के विभिन्न इलाकों में कानून के विरुद्ध बाल-विवाह इस प्रकार हुए हैं :—

तालिका 23

| इलाका               | 15 साल से कम आयु वाले विवाहित, विधुर तथा विधवाएँ |                               |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
|                     | संख्या                                           | इलाके की कुल आबादी का प्रतिशत |
| उत्तरी भारत         | 25,70,000                                        | 4.1                           |
| पूर्वी भारत         | 27,60,000                                        | 3.2                           |
| दक्षिणी भारत        | 5,20,000                                         | 0.7                           |
| पश्चिमी भारत]       | 6,80,000                                         | 1.7                           |
| मध्य भारत]          | 19,20,000                                        | 3.7                           |
| उत्तर-पश्चिमी भारत] | 7,00,000                                         | 2.2                           |
| भारत                | 91,50,000                                        | 2.6                           |



इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बाल-विवाहों की संख्या करीब करीब सभी स्थानों पर स्पष्टतः घट रही है। 1941 में 15 साल से कम उम्र वाली विवाहिता स्त्रियों का अनुपात विवाहित पुरुषों के मुकाबले में 9.6 प्रतिशत था, और अब 1951 में यह प्रतिशत घट कर 7.4 रह गया है। इसी प्रकार यह अनुपात उत्तर भारत में 10.9 से 10.1, पूर्वी भारत में 10.5 से 8.2, दक्षिण भारत में 5.2 से 2.6, पश्चिमी भारत में 9.5 से 6.0, मध्य भारत में 12.8 से 10.6 और उत्तर-पश्चिमी भारत में 7.4 से 6.5 हो गया है।

#### जन्म और मृत्यु का अनुपात

नीचे की तालिका में 1931 से 1946 तक की जन्म और मृत्यु संख्याएँ दिखलाई गईं हैं, जब भारत अविभक्त था। साथ ही 1947 से 1950 तक की जन्म और मृत्यु संख्याएँ भी दिखलाई गईं हैं।

तालिका 24।

| वर्ष | प्रति हजार के पीछे |               |             |
|------|--------------------|---------------|-------------|
|      | जन्म अनुपात        | मृत्यु अनुपात | शिशु-मृत्यु |
| 1931 | 35                 | 25            | 179         |
| 1932 | 34                 | 22            | 169         |
| 1933 | 36                 | 23            | 171         |
| 1934 | 34                 | 25            | 187         |
| 1935 | 35                 | 24            | 164         |
| 1936 | 36                 | 23            | 162         |
| 1937 | 35                 | 22            | 162         |
| 1938 | 34                 | 24            | 167         |
| 1939 | 34                 | 24            | 156         |
| 1940 | 33                 | 22            | 160         |
| 1941 | 32.1               | 21.9          | 158         |
| 1942 | 29.5               | 21.4          | 163         |
| 1943 | 26.1               | 23.9          | 165         |
| 1944 | 25.8               | 24.5          | 169         |
| 1945 | 28.0               | 22.1          | 151         |
| 1946 | 28.9               | 18.7          | 136         |
| 1947 | 26.6               | 19.7          | 146         |
| 1948 | 25.4               | 17.1          | 130         |
| 1949 | 26.7               | 16.0          | 123         |
| 1950 | 24.8               | 16.0          | 127         |

ऊपर जो आंकड़े दिये गये हैं, वे विभिन्न राज्यों द्वारा रखी हुई पंजीकरण सामग्री पर आधारित हैं। यहां यह बता देना चाहिये कि अधिकांश राज्यों में पंजीकरण की पद्धति न तो

सन्तोषजनक है, और न वह कुशलता-पूर्वक रक्खी जाती है। इसी कारण जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में हमें रजिस्ट्रों में जो आकड़े मिलते हैं, उन में और दस-वर्षीय जन-गणना के आकड़ों में बहुत अन्तर हो जाता है।

पंजीकरण सम्बन्धी सम्प्रदायी, जनगणना के आकड़े तथा अन्य इस प्रकार की सूचनाओं की खानबीन और अध्ययन करने के बाद 1951 की जन-गणना की रिपोर्ट में ये परिणाम निकाले गये हैं :—

गत 10 वर्षों में यानी 1941-50 में :—

- (1) प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे 40 नए जन्म हुए।
- (2) प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे 24 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
- (3) इस तरह प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे 13 आदमियों की वृद्धि हुई।

धर्म :—

1951 की जनगणना में भी पहले की जन-गणनाओं की तरह धर्म सम्बन्धी आकड़े एकत्र किये गये थे। गणना सम्बन्धी लेखा पहलेपहल धार्मिक आधार पर तैयार किया जाता था, पर इस बार गणना जीविका के प्रधान साधनों के आधार पर की गई है। इसलिये इस जन-गणना में आबादी के वर्गों के लिये जो सूचना एकत्र की गई है, वह केवल विभिन्न धर्मों के मानने वालों की सख्या की जानकारी तक ही सीमित है। नीचे जो आकड़े दिये गये हैं, उनमें पता चलेगा कि कितने लोग किस धर्म को मानने वाले हैं।

तालिका 25

| धर्म                    | सख्या        | प्रति 1,000 व्यक्तियों पर |
|-------------------------|--------------|---------------------------|
| हिन्दू                  | 30,32,00,000 | 8.499                     |
| सिख                     | 62,00,000    | 174                       |
| जैन                     | 16,00,000    | 45                        |
| बौद्ध                   | 2,00,000     | 6                         |
| पारसी                   | 1,00,000     | 3                         |
| ईसाई                    | 82,00,000    | 230                       |
| मुसलमान                 | 3,54,00,000  | 993                       |
| यहूदी                   | ...          | ...                       |
| दूसरे धर्म (कबायली),    | 17,00,000    | 47                        |
| दूसरे धर्म (गैर कबायली) | 1,00,000     | 3                         |
| सर्व धर्म               | 35,67,00,000 | 10,000                    |

विशेष त्रण :—

1951 के पहले जब भी जन-गणना होती थी, तो प्रत्येक व्यक्ति से उसकी नस्ल, उपजाति या जाति के सम्बन्ध में पूछा जाता था। यह प्रथा भारत में पृथकता की भावना बढ़ाने वाली थी।

इस कारण 1951 की जन-गणना में जात-तमूलक विभिन्नताओं का लेखा बन्द कर दिया गया। केवल उन्हीं विशेष वर्गों के सम्बन्ध में गणनाएं की गईं, जिन के सम्बन्ध में संविधान में विशेष-रूप से उल्लेख है। एक व्यक्ति विशेष वर्ग का सदस्य केवल उसी हालत में माना गया है, जब कि वह “अनुसूचित जाति”, “अनुसूचित उपजाति”, अन्य किसी पिछड़े हुए वर्ग का सदस्य हो या “ऐंग्लो इण्डियन” हो। नीचे की तालिका में विभिन्न राज्यों की इन विशेष वर्गों की आबादी दिखलाई गई है।

## तालिका 26

## विशेष वर्गों की आबादी

| राज्य            | ऐंग्लो इण्डियन | अनुसूचित जातिया | अनुसूचित जन-जातिया |
|------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| अजमेर            | 298            | 80,974          | 9,816              |
| आसाम             | 1,055          | 4,24,044        | 17,35,245          |
| भोपाल            | 18             | 1,29,370        | 59,114             |
| बिहार            | 4,596          | 50,57,812       | 40,49,183          |
| बिलासपुर         | 4              | 27,135          | ..                 |
| बम्बई            | 7,327          | 30,03,024       | 33,59,305          |
| चन्द्रनगर        | 89             | ..              | ..                 |
| कुर्ग            | 41             | 25,690          | 21,084             |
| दिल्ली           | 812            | 2,08,612        | ..                 |
| .. माचल प्रदेश   | 6              | 2,24,610        | ..                 |
| दराबाद           | 3,919          | 28,00,184       | 3,54,933           |
| कच्छ             | ..             | 7,450           | 17,002             |
| मध्य भारत        | 186            | 13,23,881       | 10,60,812          |
| मध्य प्रदेश      | 2,634          | 28,98,968       | 24,77,024          |
| मद्रास           | 27,253         | 85,33,632       | 6,35,979*          |
| मणिपुर           | ..             | ..              | 1,94,239           |
| मैसूर            | 10,659         | 16,08,821       | 15,310             |
| उड़ीसा           | 485            | 26,30,763       | 29,67,334          |
| पैप्पू           | 239            | 6,76,302        | ..                 |
| पंजाब            | 935            | 23,86,143       | 2,429              |
| राजस्थान         | 740            | 16,09,074       | 3,16,348           |
| सौराष्ट्र        | 58             | 1,19,338        | 38,849             |
| सिक्किम          | ..             | ..              | ..                 |
| तिरुवांकुर-कोचीन | 11,990         | 8,70,139        | 26,580             |
| त्रिपुरा         | 94             | 46,371          | 1,92,293           |
| उत्तर-प्रदेश     | 6,343          | 1,14,79,102     | ..                 |
| विन्ध्य-प्रदेश   | 240            | 4,76,234        | 4,18,282           |
| पश्चिमी बंगाल    | 31,616         | 46,96,205       | 11,65,377          |
| कुल              | 1,11,637       | 5,13,43,898     | 1,91,16,498*       |

\*इन आकड़ों में मद्रास जिले के 5000 व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने को हरिजन लिखाया था पर उन्हें गलती से अनुसूचित उपजातियों में दिखला दिया गया था।

संविधान की धारा 314 और 342 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आज्ञापत्रों के अनुसार अन्दमान द्वीपपुत्र, चन्द्रनगर, और सिक्किम की कोई जाति या जनजाति अनुसूचित नहीं की गई। फिर भी 1951 की जन-गणना में चन्द्रनगर और सिक्किम पर पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जनजातियों वाली सूची लागू कर दी गई है। इस आधार पर जो आकड़े प्राप्त हुए, वे इस प्रकार हैं :—

|                      | अनुसूचित जातियां | अनुसूचित आदिजातियां |
|----------------------|------------------|---------------------|
| चन्द्रनगर<br>सिक्किम | 5,457<br>112     | 139<br>29,429       |

### भाषाएं

संविधान में ये 14 भाषाएँ स्वीकृत की गई हैं —आसामी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, उर्दू, कन्नड, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, मङ्कृत, तमिल और तेलगू। देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी स्वीकार की गई है और यह धीरे धीरे अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। अंग्रेजी उस देश में 1965 तक चलेगी।

1951 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक भाषा के बोलने वालों की संख्या अभी तक प्राप्त नहीं है।

हिन्दी उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश, अजमेर, दिल्ली, बिहार, मध्यप्रदेश के अधिकांश भाग, पंजाब पेशू, हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद के कुछ भागों की बोलचाल की भाषा है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का देश भर में विकास किया जाएगा और उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। पर साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपने अपने इलाक़ों में इसी प्रकार पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाएगा।

### प्रवासी भारतीय

मोटे तौर पर प्रवासी भारतीयों की कुल संख्या लगभग 40 लाख है। जिन देशों में उन की संख्या 1 लाख से ऊपर है, वे हैं सिङ्गल, मलय, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनिडाड, टोबागो, मारीशस, ब्रिटिश गयाना और फिजी द्वीपपुत्र। इन के अतिरिक्त डच गयाना, केनिया, यूगांडा, टांगानिका तथा उडोन्तेशिया में उनकी संख्या प्रत्येक स्थान पर 25 हजार से ऊपर है।

भारतीय मजदूरों के बाहर जाने का कार्यक्रम 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में तब से जारी हुआ था, जब उन्हें स्टेट्स मैन्डमेन्ट बगानों में काम करने के लिए ले जाया गया था। 1837 में जब पहला 'एमीग्रेशन ऐक्ट' पास हुआ, तभी से भारतीय नियमित ढंग से बाहर जाकर बसने लगे। उसके पहले यह सब बिल्कुल अनियमित था। 1922 में इस कानून की जगह पर एक दूसरा भारतीय एमीग्रेशन ऐक्ट पास हुआ। 1938 में उसमें संशोधन किया गया, और फिर 1940 में संशोधन हुआ।

नीचे की तालिका में सप्तर के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या दिखाई गई है :—

## तालिका 27

## प्रवासी भारतीय

| देश का नाम                                  | भारतीयों की संख्या | गणना का वर्ष |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>राष्ट्रमंडलीय देश</b>                    |                    |              |
| ऑस्ट्रेलिया                                 | 2,500              | 1947         |
| कैनाडा                                      | 3,000              | 1950         |
| न्यूजीलैन्ड                                 | 1,200              | 1952         |
| दक्षिण अफ्रीका                              | 3,65,524           | 1951         |
| दक्षिण रोडेसिया                             | 4,150              | 1951         |
| सिंहल (क)                                   | 9,85,327           | 1953         |
| ब्रिटिश मलाया<br>(पाकिस्तानियों को मिला कर) | 6,40,709           | 1952         |
| सिंगापुर (क)                                | 83,624             | 1952         |
| हांगकांग                                    | 1,500              | 1952         |
| मारीशस                                      | 3,22,972           | 1952         |
| सेशेलज                                      | 285                | 1947         |
| जिब्राल्टर                                  | 41                 | 1946         |
| नाइजीरिया                                   | 375                | 1947         |
| केन्या                                      | 90,528             | 1948         |
| यूगान्डा                                    | 33,767             | 1948         |
| न्यासालैण्ड                                 | 4,000              | 1951         |
| जम्बिया और पेम्बा                           | 15,812             | 1948         |
| डेगानिका                                    | 56,499             | 1952         |
| जमैका                                       | 25,000             | 1952         |
| ट्रिनीडाड और टोबैगो                         | 2,27,390           | 1950         |
| ब्रिटिश गयाना                               | 1,97,696           | 1951         |
| फिजी द्वीप                                  | 1,48,802           | 1952         |
| उत्तरी रोडेसिया                             | 2,600              | 1951         |
| ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो                     | 1,298              | 1948         |
| अदन                                         | 9,456              | 1946         |

(क) 1953 के 15 मार्च तक जिन भारतीयों तथा पाकिस्तानियों ने इंडियन मिशन में अपना पंजीकरण कराया, उनकी संख्या 18,500 थी।

## तालिका 27--क्रमशः

| देशों के नाम                                         | भारतीयों की संख्या | गणना का वर्ष |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| माराथावा                                             | 2,300              | 1940         |
| ब्रिटेन                                              | 436                | 1947         |
| ब्रिटिश सोमालीलैण्ड                                  | 250                | 1946         |
| माल्टा                                               | 37                 | 1948         |
| ग्रनाडा                                              | 9,000              | 1946         |
| सेंट बमिया                                           | 7,000              | 1952         |
| ब्रिटिश टण्डांगस                                     | 2,000              | 1946         |
| सेरां लीग्रान                                        | 76                 | 1948         |
| ब्रिटेन                                              | 7,128              | 1932         |
| लीवर्ट द्वीप                                         | 99                 | 1946         |
| गाल्फ कांस                                           | 250                | 1948         |
| सेंट क्रिस्त                                         | 1,818              | 1950         |
| बार्बडोस                                             | 100                | 1950         |
| सेंट फिट्स                                           | 97                 | 1950         |
| डोमिनिका                                             | 5                  | 1950         |
| राष्ट्रमंडलीय देशों में<br>भारतीयों की कुल<br>संख्या | 32,54,651          |              |
| अन्य विदेश                                           |                    |              |
| बर्मा (I)                                            | ...                | ...          |
| एण्डोनेशिय गणराज्य                                   | 40,000             | 1952         |
| थाई देश                                              | 17,000             | 1952         |
| हिंदुस्तान                                           | 2,300              | 1950         |
| जापान                                                | 474                | 1952         |
| बेहरीन                                               | 1,135              | 1948         |
| ईराक                                                 | 650                | 1948         |
| मस्कत                                                | 1,145              | 1947         |
| पुर्तगीज पूर्वी अफ्रीका                              | 5,000              | 1948         |
| मदगास्कर                                             | 9,955              | 1950         |
| रीयूनियन                                             | 2,200              | 1947         |
| सयुक्त राज्य अमेरिका                                 | 2,405              | 1947         |
| ब्राजील                                              | 40                 | 1951         |
| पनामा                                                | 908                | 1950         |
| भारत स्थित फ्रांसीसी<br>वस्तिया                      | 3,23,295           | 1939         |

(I) बर्मा के सही आंक प्राप्य नहीं हैं। 1931 की जनगणना के अनुसार वहां भारतीयों की जनसंख्या करीब 11 लाख थी। रगत स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार भारतीयों की जनसंख्या अब लगभग 7 लाख होने का अनुमान है।

तालिका 27 —क्रमशः

| देशो के नाम                                                  | भारतीयों की संख्या | गणना का वर्ष |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| अफगानिस्तान (2)                                              | 264                | 1951         |
| ईरान                                                         | 752                | 1952         |
| इथियोपिया                                                    | 1,250 (3)          | —            |
| डच गयाना                                                     | 60,000             | 1953         |
| फिलिपीन                                                      | 1,800              | 1951         |
| लेबनान                                                       | 49                 | 1948         |
| मीरिया                                                       | 32                 | 1948         |
| कुबेत                                                        | 1,250              | 1948         |
| मऊदी अरब                                                     | 2,400              | 1948         |
| फिलिस्तीन                                                    | 56                 | 1947         |
| जर्मनी                                                       | 35                 | 1953         |
| आस्ट्रिया                                                    | 39                 | 1953         |
| इटली                                                         | 200                | 1952         |
| बेल्जियन कांगो                                               | 1,227              | 1950         |
| बेल्जियम                                                     | 60                 | 1952         |
| आन्डा उरुन्डी                                                | 1,963              | 1950         |
| इटालियन सोमालीलैण्ड                                          | 1,000              | 1947         |
| नेपाल                                                        | 10,441             | 1941         |
| चेकोस्लोवाकिया                                               | 11                 | 1953         |
| बल्गारिया                                                    | 3                  | 1953         |
| सोवियत रूस                                                   | 15                 | 1953         |
| स्विट्जरलैण्ड                                                | 100                | 1953         |
| फ्रांस                                                       | 23                 | 1951         |
| नीदरलैण्ड                                                    | —                  | 1953         |
| लक्समबर्ग                                                    | —                  | 1952         |
| पुर्तगाल                                                     | 1                  | 1952         |
| यूगोस्लाविया                                                 | —                  | 1953         |
| विदेशों में कुल भार-<br>तीयों की मख्या<br>(बर्मा को छोड़कर)  | 4,89,478           |              |
| सब देशों में कुल भार-<br>तीयों की मख्या<br>(बर्मा को छोड़कर) | 37,44,129          |              |

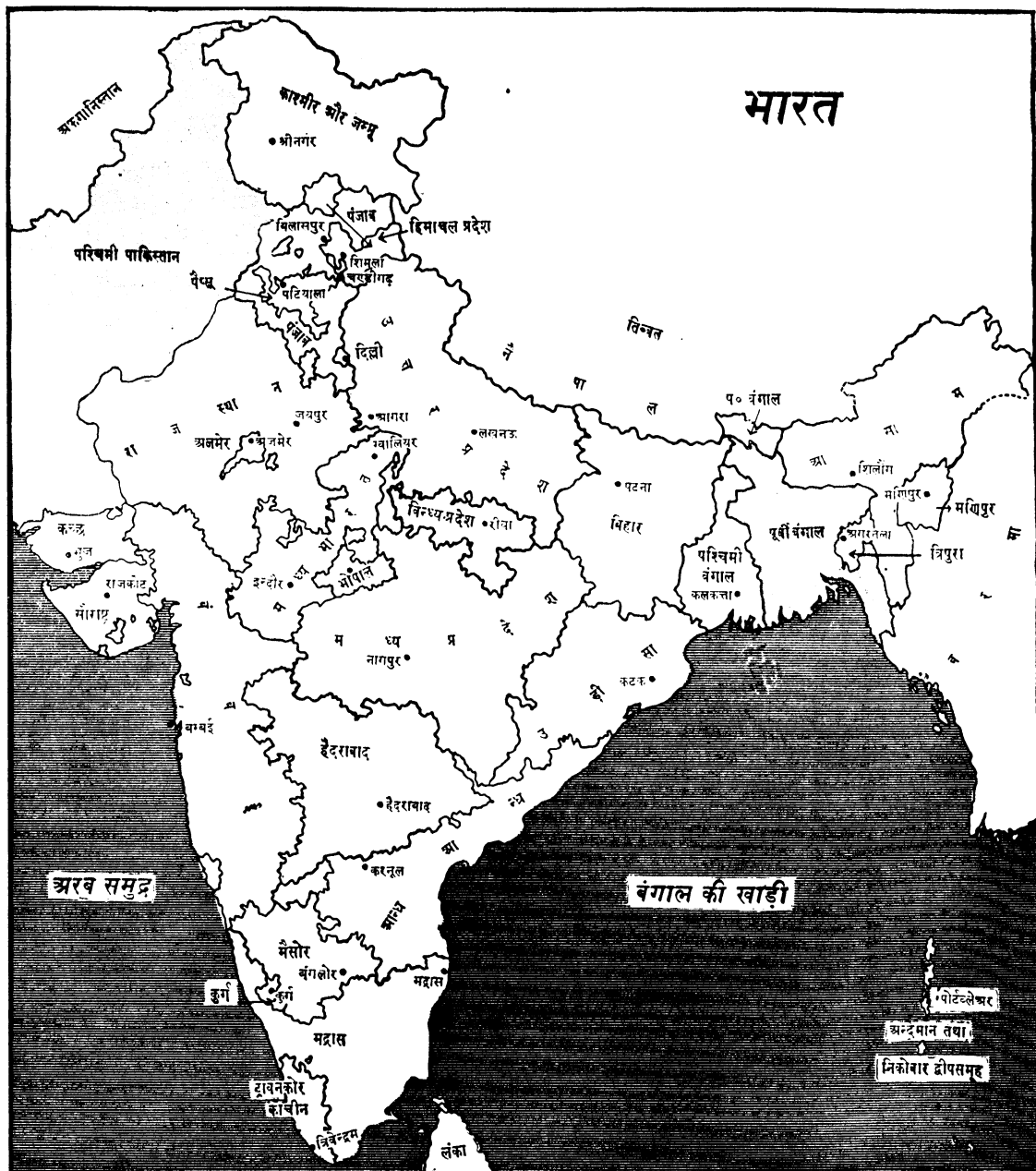
(2) ये आकड़े केवल काबुल और कन्दहार के ही हैं। पूरे अफगानिस्तान के सम्बन्ध में जानकारी अप्राप्य है।

(3) इथियोपिया के ये आकड़े गैर सरकारी हैं, वहा कभी जनगणना नहीं हुई।





# भारत



## दूसरा अध्याय

### संविधान

भारत का संविधान 22 भागों में विभक्त है, और उसमें 395 धाराएँ तथा 9 अनुसूचियाँ हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान का उद्देश्य अपने सब नागरिकों के लिये निम्नलिखित बातों को सुरक्षित करना है :

- (क) न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
- (ख) विचारों की स्वाधीनता—अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना के सम्बन्ध में,
- (ग) समानता—संविधान की निगाह में सब एक समान हैं और सब को एक समान अवसर है,
- (घ) भ्रातृभाव—व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित करना।

### नागरिकता

संविधान की पाचवी धारा में कहा गया है :

प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का निवासी बन गया है और

- (क) जो भारत की सीमा में जन्मा था, अथवा
  - (ख) जिस के माता पिता में से कोई भारत की सीमा में जन्मा था; अथवा
  - (ग) जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्षों तक भारत की सीमा में सामान्यतया रहता आया है,
- भारत का नागरिक होगा।

पाकिस्तान से भारत आये प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह भी व्यवस्था की गई है कि—

- (क) यदि वह अथवा उस के माता पिता में से कोई अथवा उस के दादा दादी और नाना नानी में से कोई भारत-शासन-कानून 1935 (मूल कानून) में परिभाषित मा त में उत्पन्न हुआ था,
- (ख) (1) ऐसा व्यक्ति जो सन् 1948 की जुलाई के उन्नीसवें दिन से पूर्व भारत में चला आया हो और तब से सामान्यतः भारत की सीमा में ही रहता आया हो ; अथवा

- (2) ऐसा व्यक्ति जो सन् 1948 की जुलाई के उन्नीसवें दिन या उस के पश्चात् भारत में आया हो, परन्तु संविधान प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत राज्य की सरकार द्वारा निश्चित रीति से आवेदनपत्र दे कर अधिकारप्राप्त भारतीय पदाधिकारी से भारत का नागरिक पञ्जीकृत कर लिया गया हो।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदनपत्र की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न रहा हो, तो वह इस प्रकार पञ्जीकृत नहीं किया जायेगा।

भारतीय उद्भव के ऐसे व्यक्तियों को भी नागरिकता का अधिकार दिया गया है, जो इस समय भारत के बाहर अन्यत्र निवास कर रहे हैं। इनमें वे व्यक्ति भी आ जाते हैं जो, स्वयं अथवा जिनके माता पिता में अथवा दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत-शासन कानून 1935 में परिभाषित भारत में जन्मे थे, तथा जो विदेश स्थित भारत के राजनीतिक अथवा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों द्वारा अपने को भारत का नागरिक पंजीकृत करा चुके हैं।

जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वह फिर भारत का नागरिक नहीं रह जाता। किन्तु उपरोक्त नियम नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में भारतीय संसद को कानून बना से नहीं रोकते।

### आधारभूत अधिकार

भारतीय नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को इन सात श्रेणियों में विभाजित किया गया है: समता का अधिकार; स्वातन्त्र्य अधिकार; शोषण के विरुद्ध अधिकार; धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार; संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार; सम्पत्ति का अधिकार और सार्वधानिक उपचारों का अधिकार।

समता के अधिकार द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के कारण सभी प्रकार के भेदभावों का निषेध किया गया है। हा, राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिये किसी विशेष कानून बनाने तथा सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के विकास की व्यवस्था करने का अधिकार अवश्य दिया गया है। संविधान के अन्तर्गत सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में सभी लोगों को समान अवसर दिया जायेगा। अस्पृश्यता का किसी भी दशा में आचरण करना निषिद्ध ठहराया गया है, और अस्पृश्यता के कारण किसी को किसी भी कार्य के लिये आयोग्य ठहराना कानून की दृष्टि में (धारा 17) दण्डनीय अपराध है। साथ ही संविधान द्वारा सेना या विद्या सम्बन्धी गपाधियों को छोड़ अन्य उपाधियों को प्रथा का भी अन्त कर दिया गया है।

धारा 19 (1) द्वारा भारत के सभी नागरिकों को बोलने और भाव प्रकट करने, सस्था या सघ बनाने, भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र आ जा सकने, भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने, सम्पत्ति के कमाने और व्यय करने, कोई भी वृत्ति या उपजीविका अपनाने तथा कोई भी व्यापार या कारोबार करने के अधिकार की गारंटी दी गई है। परन्तु इस से राज्य पर ऐसे कानून बनाने पर रूकावट नहीं डाली गई जिस के फलस्वरूप राज्य की सुरक्षा हो, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार अथवा सदाचार का हित हो। साथ ही न्यायालय-अवमान, मान-हानि अथवा उल्काहट पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये चाहे जैसे कानून बनाये जा सकते हैं। इस के अतिरिक्त इन अधिकारों का किसी भी वर्तमान कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और न सार्वजनिक हित और व्यवस्था के लिये कोई नया कानून बनाने में ही रूकावट आती है।

संविधान की धारा 21 व 22 में व्यक्ति की स्वाधीनता का संरक्षण किया गया है। इसी धारा के अनुसार नियमविरुद्ध गिरफ्तारी तथा अनियमित नजरबन्दों पर भी रोक लगाई गई है। अन्य अधिकारों द्वारा बेगार, बाल-श्रम तथा मनुष्यों के व्यापार का प्रतिषेध लगाया गया है,

धार्मिक मामलों में अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का आश्रय दिया गया है, अल्पमूल्यको के सांस्कृतिक और विश्वासमन्ध्री हितों की रक्षा की गई है तथा यह कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में दिये बिना सरकार किसी की सम्पत्ति पर कब्जा न कर सकेगी।

धारा 32 के अनुसार उपरोक्त अधिकारों के सम्बन्ध में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह निश्चय कराने के लिये कि इन अधिकारों का पूर्ण पालन किया जायेगा धारा 12 में राज्य की परिभाषा करते समय कहा गया है “राज्य के अन्तर्गत भारत की सरकार और समस्त तथा भातय राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और उन के विधानमंडल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियन्त्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य अधिकारी भी हैं।” एक दूसरे उपबन्ध (धारा 13) द्वारा वे सभी कानून, जो इन अधिकारों के विरोधी हैं और जो इस मविधान के प्रारम्भ होने से पहले चालू थे, उस मात्रा तक अवैध घोषित कर दिये गये हैं, जहां तक उनका इन अधिकारों से विरोध है।

### निर्देशक मिद्धान्त

न्यायालयों द्वारा लागू न किये जा सकने पर भी निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत माने जाते हैं। धारा 38 में कहा गया है : लोक कल्याण की भावना से राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने का अधिकतम प्रयत्न करेगा, जिस में सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सकेगा। धारा 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति का ऐसा संचालन करेगा जिस से कि निश्चित रूप से

- (क) सभी नागरिकों को, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ;
- (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बढ़ा हो, जिसे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सम्पन्न हो ;
- (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन के साधनों का ऐसा एकत्रीकरण न होता चला जाए, जो सार्वजनिक हित का विरोधी हो ;
- (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाए ,
- (ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जा सके। साथ ही आर्थिक आवश्यकता से विवश हो कर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल न हो ;
- (च) बच्चों और कम उम्र के लोगों का शोषण या चारित्रिक तथा भौतिक पतन न होने दिया जाए।

स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में राज्य ग्राम-पंचायतों का संगठन करेगा, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर राज्य सभी नागरिकों की रोजगारी, शिक्षा आदि का प्रबन्ध करेगा और बुढ़ापा, बीमारी और अगहीनता आदि की दशाओं में सार्वजनिक सहायता देने का प्रबन्ध करेगा। वह नागरिकों के भोजन तथा जीवनस्तर को भी ऊँचा करने का प्रयत्न करेगा। स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक द्रव्यों के यथासंभव प्रतिषेध करने तथा कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा सगठित करने का प्रयत्न किया जाएगा। यह भी

निश्चय किया गया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का तथा राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाने और बढ़ाने का प्रयास करेगा।

### यूनियन कार्यकारी

भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति द्वारा देश के शासन की व्यवस्था है। केन्द्र की कार्यपालिका में एक राष्ट्रपति और एक मन्त्रिपरिषद् है।

### राष्ट्रपति

भारत यूनियन का कार्यकारी मुखिया भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। सभ की कार्यकारी शक्ति, जिस में सेनाओं का उच्चतम कमांड भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्र के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसा निर्वाचक मंडल करता है, जिस में संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचन सानुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार इकट्ठे सङ्क्रमणशील मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु से अधिक तथा लोक सभा के सदस्य निर्वाचित होने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिये। राष्ट्रपति अपने पद पर पांच वर्ष तक रह सकता है, तथा वह दुबारा भी चुना जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण की दशा में राष्ट्रपति पर अभियोग चला कर उसे पदच्युत भी किया जा सकता है।

राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। वह संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, सत्र को समाप्त किये बिना बैठक स्थगित करवा सकता है, दोनों सदनों को सम्बोधित कर सकता है तथा उनको सन्देश भेज सकता है। वह अध्यादेश जारी कर सकता है तथा संसद द्वारा पास किये गये कानूनों पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। कुछ खास मामलों में राष्ट्रपति दंड क्षमा, उस का परिहार अथवा दंडादेश को लघु भी कर सकता है।

### उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति को चुनने वाला निर्वाचक मंडल ही उपराष्ट्रपति को भी चुनता है। उस का कार्यकाल भी पांच वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यपरिषद् के सभापति का कार्य करता है। राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रपति के रूप में उस समय तक कार्य करेगा, जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार न मंजूर ले।

### मन्त्री-परिषद्

संविधान की धारा 74 में एक मन्त्री-परिषद् की व्यवस्था की गई है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करती है। परिषद् का मुखिया प्रधान होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य मन्त्री भी प्रधानमन्त्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, यद्यपि मन्त्रीपरिषद् राष्ट्रपति की इच्छा की अवधि पर्यन्त रहती है, तो भी वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

संविधान की 78 धारा में ऐसी व्यवस्था है कि प्रधानमन्त्री मन्त्री-परिषद् के यूनियन के प्रशासन सम्बन्धी सभी निश्चयों को राष्ट्रपति तक पहुँचाये तथा राष्ट्रपति के कहने पर उस विषय को, जिस पर किसी मन्त्री ने निश्चय कर दिया हो, किन्तु मन्त्रीपरिषद् ने विचार नहीं किया हो, परिषद् के सम्मुख विचार के लिये पेश करे।

## मसद्

यूनियन का व्यवस्था सम्बन्धी भाग राष्ट्रपति और दो सदनों — (I) राज्य सभा और (2) लोक सभा—से मिल कर बनता है ।

### राज्यपरिषद्

राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है । इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा आदि के क्षेत्रों में उनकी ख्याति के कारण नामजद किये जाते हैं । शेष सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं । स्थानों का बटवारा मन्त्रिपरिषद् की चतुर्थ अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार होता है ।

पूरी राज्य सभा कभी नहीं बदलती । इस के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल प्रति दो वर्षों के बाद समाप्त हो जाता है, और उन स्थानों का नया चुनाव होता है । राज्य सभा के निर्वाचन परोक्ष होते हैं । प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित सदस्यों का निर्वाचन उसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से मक्रमणशील मत पद्धति के अनुसार होता है ।

### लोक सभा

लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 है, जो जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किये जाते हैं । निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बाटे जाते हैं कि प्रति 7,50,000 की जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा प्रति 5,00,000 की जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न रहे ( धारा 81 )।

कोई व्यक्ति मसद् में न चुना जा सकेगा, जब तक कि वह

- (क) भारत का नागरिक न हो,
- (ख) राज्य सभा के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का तथा लोक सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का न हो, तथा
- (ग) ऐसी अन्य योग्यतायें न रखता हो जोंकि इस बारे में मसद्-निर्माण किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें ।

मन्त्रिपरिषद् द्वारा मसद् के दोनों सदनों के सदस्यों को कई अधिकार और विशेषाधिकार दिये गये हैं । धारा 105(2) के अनुसार मसद् में या उस की किसी समिति में कहीं हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में मसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, मसद् के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मत या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी । मसद् के प्रत्येक सदन के सदस्य की शक्तियां, विशेषाधिकार और छूट ऐसी होगी, जैसी मसद् समय-समय पर नियत करे तथा इस सम्बन्ध में जिन बातों पर मसद् कोई नियम नहीं बनाती, उन के बारे में जो कानून इंग्लैन्ड की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स के हैं, वे ही लागू होंगे ।

### न्याय

भारत के उच्चतम न्यायालय में, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये एक मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, जो 7 से अधिक न हों, होते हैं । न्यायाधीश 65 वर्ष की अवस्था तक पद पर बने

रहते हैं। यदि आवश्यक हो तो धारा 124 (I) के अन्तर्गत मसद् अधिक सख्या भी निर्दिष्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एतदर्थ तथा पेंशन प्राप्त जजों की नियुक्ति भी हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिये व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और वह (क) किसी एक या दो हाईकोर्टों का कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा (ख) किसी एक या दो हाई कोर्टों में दस वर्ष तक लगातार वकील रहा हो अथवा (ग) राष्ट्रपति की राय में कानून का पंडित हो। उच्चतम न्यायालय से अवसर-प्राप्त मुख्य न्यायाधीपति या न्यायाधीश भारत की किसी अदालत में वकालत का काम नहीं कर सकता।

### राज्य सरकारें

#### राज्यपाल

संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' में उल्लिखित राज्य का मुख्य-कार्यवाहक राज्यपाल कहलाता है। राष्ट्रपति साधारणतः पांच वर्ष की अवधि के लिये उस की नियुक्ति करते हैं, और वह उन के प्रसाद पर्यन्त उस पर रहता है। 35 वर्ष से अधिक अवस्था वाले भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं। राज्यपाल केन्द्र अथवा राज्य के किसी विधान मंडल के सदस्यत्व का अथवा कोई भी सरकारी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता।

राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, और उस से प्रत्यक्षतः अथवा अपने अधीन अधिकारियों द्वारा संविधान के अनुरूप इस शक्ति के प्रयोग की अपेक्षा की जाती है।

#### मंत्रिपरिषद्

धारा 163 में एक ऐसी मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था है, जो सिवाय उन मामलों में, जहां संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल से अपने निर्णय की अपेक्षा की जाती है, सभी कामों में राज्यपाल को मंत्रणा और सहायता देती है। इस का नेता मुख्यमंत्री होता है। मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किये जाते हैं। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के सम्मुख उत्तरदायी है।

### विधान मंडल

संविधान में प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान मंडल की व्यवस्था है। बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मैसूर इन 7 राज्यों में दो सदनों के विधानमंडल हैं। शेष राज्यों में एक सदन के विधान मंडल हैं। उच्च सदन विधान परिषद् कहलाता है और निचला सदन विधान सभा।

#### विधान सभा

किसी विधान सभा के सदस्यों की कुल सख्या 500 से अधिक और 60 से कम न होगी। साधारण तौर से 75,000 जनसख्या के पीछे एक सदस्य लिया \*। विधान सभा का साधारण कार्य काल 5 वर्ष है, यदि इस से पूर्व उसे भंग न कर दिया जाए।

\* भाग 'क' के 10 राज्य निम्नलिखित हैं—आसाम, आन्ध्र, बिहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, तम्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

### विधान परिषद्

किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक चौथाई से अधिक न होगी। कम से कम निर्दिष्ट संख्या 40 है। जब तक कि समूह किसी विधि द्वारा अन्य व्यवस्था न कर दे, विधान परिषद् के आधे सदस्य स्थानीय प्रशासन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के स्नानकों और शिक्षकों के निर्वाचकमंडलों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। एक तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किये जायेंगे, जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं और शेष राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जायेंगे, जिन्होंने माहिर्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया है। केन्द्र में अपने प्रतिरूप की तरह विधान परिषद् स्थायी है, प्रति दूसरे वर्ष के बाद उनके एक तिहाई सदस्य निवृत्त होते रहते हैं।

राज्य विधान मंडल में निर्वाचन के लिये ये बातें आवश्यक हैं—

(क) भारतीय नागरिक होना।

(ख) विधान सभा के स्थान के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और विधान परिषद् के लिए 30 वर्ष।

(ग) ऐसी योगताएँ, जो इस सम्बन्ध में संसद् द्वारा बनाई किसी विधि अथवा उसके अन्तर्गत आवश्यक करार दी जाए।

प्रत्येक राज्य के विधान मंडल में भी भाषण की स्वतन्त्रता है, और इस सम्बन्ध में उन की स्थिति संसद् के समान है।

### न्याय

सर्वविधान में प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) का विधान है। इस में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। वे 60 वर्ष की अवस्था तक अपने पद का उपभोग कर सकते हैं।

### भाग 'ख' के राज्य<sup>1</sup>

धारा 238 में निर्दिष्ट कुछ रूपभेदों और छूटों के अतिरिक्त भाग 'क' के राज्यों पर लागू होने वाले सभी उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' में उल्लिखित सभी राज्यों पर लागू होंगे। ये रूपभेद विशेष रूप से राज्य के मुख्य के पद के बारे में और भूतपूर्व नरेशों की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के कुछ विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में हैं।

इन राज्यों में राज्य का मुख्य (जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त) राजप्रमुख कहलाता है। जम्मू और काश्मीर में वह 'सदरे रियासत' कहलाता है। राज्य का राजप्रमुख राष्ट्रपति द्वारा इसी रूप में मान्यता प्राप्त करता है और वह उन सभी मतों और विशेषाधिकारों का हकदार है

1. भाग 'ख' के 8 राज्य हैं : हैदराबाद, जम्मू और काश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेंसू, राजस्थान, सौराष्ट्र, और तिरुवाकुर-कोचीन।



जो राष्ट्रपति सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा निश्चित कर दे। राज्य के मुख्य कार्यपालक के रूप में राजप्रमुख की भी स्थिति 'क' राज्यों के राज्यपाल के समान है।

### भाग 'ग' के राज्य <sup>1</sup>

मविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 'ग' में निर्दिष्ट राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त द्वारा करेगा। इन राज्यों का प्रशासन पड़ोसी राज्य की सरकार द्वारा भी किया जा सकता है। संसद् को अधिकार है कि इन राज्यों में स्वायत्त शासन को बढ़ाने के अभिप्राय से इन राज्यों के लिये स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रणादाताओं या मंत्रियों की परिषदों की स्थापना कर दे। इसी के अनुरूप भाग 'ग' के 6 राज्यों में निर्वाचित विधान-मंडल या डैलेक्टोरल कालेज और मंत्रिपरिषदे स्थापित की जा चुकी हैं।

### संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध

#### वैधानिक सम्बन्ध

संसद् समस्त भारत के बारे में या उस के किसी भाग के बारे में कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल समस्त राज्य या राज्य के किसी भाग के बारे में कानून बना सकता है। संसद् का बनाया कोई कानून कभी इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वह क्षेत्र के आधार पर अथवा क्षेत्रों का ख्याल किए बिना बनाया गया है।

यूनियन सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में पार्लियामेंट को कानून बनाने के पूर्ण अधिकार हैं, और यूनियन की राज्यों की सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर राज्य विधान मंडलों के साथ-साथ संसद् को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।

एक राज्य विधान-मंडल को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय के बारे में कुल राज्य या उस के एक भाग के लिये विधि निर्माण करने का पूर्ण अधिकार है। विधान निर्माण की अतिरिक्त (\*जिड्यूअरी) शक्तियां भारतीय संसद् में निहित हैं (धारा 248)।

#### शासन सम्बन्ध

प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का इस ढंग से प्रयोग किया जाएगा कि संसद् द्वारा निर्मित कानूनों और राज्य में प्रयुक्त होने वाले कानूनों में परस्पर कोई टकराव न हो। संघ की कार्यकारी शक्ति उस सीमा तक राज्य को निर्देश देगी, जहां तक कि वह इस उद्देश्य के लिये आवश्यक समझे (धारा 256)। राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे अपनी शक्तियों का इस ढंग से प्रयोग करेंगी कि यूनियन की कार्यकारी शक्ति पर उस का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

यूनियन के कार्यकारी अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे राज्य के राष्ट्रीय अथवा सैनिक महत्व के घोषित मंचार साधनों के निर्माण और स्थिति के बारे में आदेश दे सकें। संसद् को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह किसी राजमार्ग अथवा जलमार्ग को राष्ट्रीय घोषित कर दे। यूनियन के कार्यकारी अधिकारी नौ-सैनिक, सैनिक और वायु शक्ति के सम्बन्ध में जरूरी रास्तों का निर्माण कर सकते हैं और उन की रक्षा के लिये प्रबन्ध कर सकते हैं। वे राज्यों के भीतर रेलों की सुरक्षा के लिये भी आवश्यक उपाय कर सकते

<sup>1</sup> भाग 'ग' में ये 9 राज्य हैं : अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मनिपुर, त्रिपुरा और विन्ध्यप्रदेश।

है। इस के साथ ही धारा 258 में इस बात की भी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से कुछ शर्तों पर अथवा बिना शर्त उस सरकार अथवा उसके अधिकारियों को ऐसे कार्यों की जिम्मेवारी सौंप दे जिन पर यूनियन की कार्यकारी शक्ति का अधिकार है।

जन-हित की दृष्टि से एक अन्तर्राज्य परिषद् के निर्माण की भी व्यवस्था है ताकि—

- (क) राज्यों के बीच उठने वाले झगड़ों की छान-बीन कर उन्हें परामर्श दिया जा सके,
- (ख) ऐसे विषयों की चर्चा और अनुसन्धान किया जा सके, जिस में कुछ अथवा सब राज्यों का अथवा यूनियन और एक अथवा अधिक राज्यों का साझा हित है ; या
- (ग) राज्यों में परस्पर ताल-मेल बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जा सके और उनके उपाय सुझाये जा सकें।

ऐसी किसी परिषद् की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से हो सकती है।

### यूनियन सूची

यूनियन सूची में 97 विषय हैं और इन में रक्षा, परमाणु शक्ति वैदेशिक मामलें, नागरिकता और निष्कासन, रेलें और राष्ट्रीय राजपथ, समुद्रपथ, नौवहन, व्यापारिक समुद्री याता-यात और राष्ट्रीय जलमार्ग, विमान और वायुपथ, डाक और नार, नोट और सिक्के, महाजनी और बीमा, विदेशी मुद्रा-विनिमय, विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, व्यापार चिन्ह, पैटेंट, आविष्कार, नमूने और कापीराइट, सीमा-शुल्क, कृषि आय के अनिश्चित आय पर कर, कारपोरेशन कर आदि विषय सम्मिलित हैं।

### राज्य सूची

राज्य सूची में 66 विषय हैं और इन में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय का प्रशासन, जेल और सुधारालय, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आरोग्य, शिक्षा, भूमि, वन और मछली व्यवसाय, चुगी-कर तथा कृषि-कर, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका, विलास की वस्तुओं पर कर, मनोरंजन-कर, शर्त और जुय पर कर आदि विषय सम्मिलित हैं।

### समाधिकार सूची

समाधिकार सूची में 47 विषय हैं। इनमें दंड-विधि और दण्ड प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शर्तनामे, खाद्यों में अपमिश्रण, ट्रेडयूनियन, मजदूरों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, आर्थिक और सामाजिक योजना, मूल्य नियन्त्रण, कारखाने, विजली, समाचारपत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय आदि सम्मिलित हैं।

यदि एक राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून ससद् द्वारा बनाये गये किसी कानून के विरुद्ध है, अथवा समाधिकार सूची में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा बनाय गये कानूनों में कोई विरोध है, तो ससद् निर्मित कानून ही मान्य होगा। फिर, यदि राज्य सभा (काउन्सिल आफ स्टेट) दो-तिहाई संख्या के बहुमत से यह निश्चय कर ले कि राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के बारे में भी ससद् कानून बनाये, तो उस विषय पर भी ससद् कानून बना सकती है।

### संकटकालीन निवेश

युद्ध अथवा भीतरी उपद्रवों के कारण उत्पन्न गंभीर संकट के समय राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा (क) उस प्रदेश के राज्यों को निदेश दे सकते हैं कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग किस रूप में करें ; साथ ही वह (ख) मविधान की उन धाराओं को भी स्थगित कर सकते हैं जिन के अनुसार यूनियन राज्यों को कुछ आर्थिक सहायता देता है । इस विपत्तिकालीन अवधि में यूनियन की संसद् राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय के बारे में कानून बना सकती है ।

### चुनाव कमीशन

संसद् और राज्यों के विधान मंडलों के सभी चुनावों तथा संघ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियन्त्रण राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक चुनाव कमीशन करेगा । मुख्य चुनाव कमीशनर को वही अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त होंगी, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त हैं ।

### लेखा-परीक्षा

मविधान में इस बात की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति भारत का एक नियंत्रक (कंट्रोलर) और एक महालेखा परीक्षक नियुक्त करें, जो यूनियन और राज्यों के वित्तीय साधनों और हिसाब-किताब पर निगाह रखें । यह देखना उस का उत्तरदायित्व है कि संसद् अथवा किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पास किये गये और विनियोग अधिनियम में दिये गये व्यय से अधिक या अन्य मद में तो व्यय नहीं होता ।

### व्यापार और वाणिज्य

समस्त भारतीय प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य, आने जाने की स्वतन्त्रता के सामान्य सिद्धान्त संविधान में विद्यमान हैं । तथापि संसद् और राज्य विधान मंडलों को यह अधिकार प्राप्त है कि जहाँ कहीं किसी विशेष वस्तु का अभाव हो तो राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक हित के विचार से उन पर बाधाएँ लगा सकें । परन्तु किसी भी विधान मंडल को, चाहे वह संसद् हो अथवा किसी राज्य का विधान मंडल, ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है जिस से सातवी अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य के सम्बन्ध में एक राज्य को दूसरे राज्य की अपेक्षा अधिक सुविधायें दी जा सकें अथवा जिस में विभिन्न राज्यों के प्रति भेदभाव प्रदर्शित हो । केवल भाग 'ख' के कुछ राज्य दस वर्ष की अवधि तक के लिये इस निवेश से मुक्त कर दिये गये हैं । यह विशेषाधिकार उन्हें इसलिये दिया गया है कि मविधान के लागू होने से पूर्व वे इस का उपयोग करते थे और भारत सरकार के साथ इस सम्बन्ध में एक करार कर चुके थे ।

### सरकारी भाषा

धारा 343 में व्यवस्था है कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी और सरकारी उद्देश्यों के लिये भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा । तथापि संविधान जारी होने से 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा सरकारी भाषा के रूप में जारी रहेगी । इस अवधि में राष्ट्रपति को एक विशेष कमीशन बनाने का अधिकार होगा जो हिन्दी के विकास और उन्नति का निरीक्षण करे और सभी सम्बन्धित उद्देश्यों के लिये इस के प्रयोग का

उन्नतिशील विस्तार करे। उद्देश्य यह है कि निश्चित अवधि की समाप्ति पर हिन्दी पूर्ण रूप से अंग्रेजी का स्थान ले ले।

संविधान के अनुसार किसी राज्य का विधान मंडल कानून बना कर राज्य में प्रचलित एक या कई प्रादेशिक भाषाओं<sup>1</sup> को अथवा हिन्दी को सभी सरकारी उद्देश्यों अथवा विशेष कार्यों के लिये राज्य भाषा स्वीकार कर सकता है। राज्यों के बीच और राज्य तथा यूनियन के बीच उसी भाषा का प्रयोग होगा, जो यूनियन की भाषा है अर्थात् 15 वर्षों तक अंग्रेजी और बाद में हिन्दी। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्टों की कार्रवाई तथा कानूनों के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई है और धारा 348 में इस बात की व्यवस्था भी की गई है।

### संविधान ५ मशोरन

धारा 368 में व्यवस्था है कि संविधान में संशोधन, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और जब वह दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की दो-तिहाई संख्या के बहुमत से पास हो जाए, तो उसे राष्ट्रपति के सम्मुख उन की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जाएगा और उस अनुमति के प्राप्त हो जाने पर वह संविधान का भाग बन जाएगा। केवल निम्नलिखित मशोरन<sup>2</sup> के लिये राज्यों की कम से कम आधी संख्या का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है—सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, तीनों व्यवस्थापिका सूचियां पार्लियामेंट में राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा संविधान में मशोरन की विधि।

<sup>1</sup>. संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की निम्नलिखित 14 भाषाओं को प्रादेशिक भाषा स्वीकार किया गया है : असमिया, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, मल्लया, तमिल, तेलुगु और उर्दू।

## तीसरा अध्याय

### राष्ट्र के प्रतीक

#### राष्ट्रीय चिन्ह

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तम्भ के शीर्ष का प्रतिरूप है। इस में एक चौरस गोल पत्थर पर 3 सिंह खड़े हैं और चौकोर आधा पर बीच में उभरा हुआ “धर्मचक्र” है, दाईं ओर एक बैल है, बाईं ओर एक घोड़ा तथा दायें-बायें छोर पर धर्मचक्र की रूपरेखा अंकित हैं। चिन्ह के नीचे मृण्मय उपनिषद् से लिये गये “सत्यमेव जयते” (सत्य ही की विजय होती है) शब्द देवनागरी लिपि में अंकित हैं।

26 जनवरी, 1950 को भारत सरकार ने सिंह मस्तक को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। इस तथ्य से कि मूल सिंह मस्तक का यह चिन्ह 242-232 ई० पू० तैयार किया गया था, और यह सम्राट् अशोक द्वारा उस स्थान के प्रतिष्ठान के लिये बनाया गया था, जहां बुद्ध ने अपने शिष्यों को सर्वप्रथम अष्टांग मार्ग में दीक्षित किया था, चिन्ह को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्त्व प्राप्त हो गया है। एक बालुए पत्थर में से तराशी लट के मस्तक पर यह चक्र था।

#### राष्ट्रीय झंडा

राष्ट्रीय झंडे में 3 समानान्तर रंग हैं—सब से ऊपर केसरी, बीच में श्वेत और नीचे गहरा हरा। सब पट्टियां बराबर चौड़ाई की हैं। झंडे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। झंडे का चिन्ह सारनाथ में अशोक स्तम्भ के मस्तक के चक्र की हव्वा प्रतिलिपि है, और यह बीच की पट्टी पर बनाया जाता है। यह चक्र सफेद पट्टी जितना चौड़ा है। इस का रंग गहरा नीला है और चक्र में 24 अरे हैं।

22 जुलाई, 1947 को भारत की मविधान सभा ने इस राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था और 14 अगस्त, 1947 को सविधान सभा के अर्धरात्रि सत्र में भारत की नारियों द्वारा यह राष्ट्र को भेंट किया गया था।

#### झंडे का प्रयोग

झंडे के समुचित प्रयोग की गारंटी के लिये गृह मंत्रालय और सेना के सदर मुकामों ने नियम बना दिये हैं। यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सम्मान में न झुकाया जाये जहां इस सम्मान की आवश्यकता हो, बल्कि रेंजमेंट का झंडा, राज्य का झंडा, संगठन या संस्था का झंडा यह काम देगा।

राष्ट्रीय झंडे के ऊपर या इस के दाहिनी ओर कोई भी अन्य झंडा अथवा चिन्ह न रखा जाये। यदि झंडे एक पंक्ति में फहराने हों, तो सभी झंडे राष्ट्रीय झंडे के बाईं ओर रहेंगे, और यदि उन को ऊंचे फहराना हो तो राष्ट्रीय झंडा सब से ऊपर फहराया जाये।

यदि राष्ट्रीय झंडे के साथ अन्य झंडे भी एक ही ध्वजदंड पर फहराये जाने हों, तो राष्ट्रीय झंडा सब से ऊपर रहना चाहिये। झंडे को लिटाकर या गिरी हुई अवस्था में कभी न ले जाया जाये, सदा ऊंचा और खुला हुआ ले जाया जाये। जब कभी किसी जुलूस में राष्ट्रीय झंडा ले जाया जाये, तो यह ध्वजावाहक के दाहिने कंधे पर ऊंचा उठा रहे और जुलूस के आगे-आगे रहे।

जब झंडे को किसी खिड़की या छज्जे या भवन के आगे एक दंड पर क्षितिज समानान्तर अथवा किसी कोण पर झूलता हुआ दिखाया जाये, तो केसरिया भाग सब से ऊपर रहे ।

### भवनों पर प्रदर्शन

साधारणतया राष्ट्रीय झंडा केन्द्र और राज्यों में उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिश्नरी और कलेक्टरों के दफ्तरो, जेलों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा म्युनिसिपैलिटियों के दफ्तरो जैसे सभी महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर फहराया जाना चाहिये । तथापि सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ विशेष स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा लहरा सकता है । भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजप्रमुखों के अपने निजी झंडे हैं ।

स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी के जन्म-दिवस और राष्ट्रीय सप्ताह आदि विशेष अवसरों पर झंडे के प्रयोग पर कोई रोक-टोक न होगी ।

### राष्ट्रीय गान

24 जनवरी, 1950 को “जनगणमन” भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकृत हुआ । उस के साथ ही यह निर्णय भी किया गया कि “वन्दे मातरम्” को भी, जिस ने कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक भाग अदा किया है, समान दर्जा प्राप्त रहेगा ।

### “जनगणमन”

27 दिसम्बर, 1911 को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर का “जनगणमन” प्रथम बार गाया गया था । जनवरी 1912 में यह गान “भारत विधाता” शीर्षक से “तत्वबोधिनी पत्रिका” में, जिस के सम्पादक स्वयं श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे, सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ । सन् 1911 में “दि मॉनिंग सागर आन्ड इण्डिया” शीर्षक से कवि ने स्वयं इस का अंग्रेजी में अनुवाद किया था । पूरे गीत में 5 पद हैं । प्रथम पद, जिसे सेनाओं ने अंगीकार किया है, और जो साधारणतया समारोहों के अवसरों पर गाया जाता है, इस प्रकार है :

जनगणमन अधिनायक, जय हे भारत-भाग्य-विधाता ।

पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग

विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग

तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे,

गाहे तव जय गाथा ।

जनगण मंगलदायक, जय हे भारत-भाग्य-विधाता ।

जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ।

इस का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :

जनता के हृदय सम्प्राद, भारत के भाग्य-विधाता, तेरी जय हो । पंजाब, सिन्ध, गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड, उत्कल, बंग, विन्ध्याचल, हिमाचल, गंगा, यमुना और सागर की उच्छल तरंगे तेरी शुभ महिमा गाती हैं, तेरे शुभ आशीष की कामना करती हैं, तेरी जय गाथा गाती हैं ।

जनता का कल्याण करने वाले, भारत-भाग्य-विधाता, तेरी जय हो, जय हो, जय हो ! जय जय जय, जय हो ।

## वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् ।

सुजला सुफला मलयज शीतलाम्

शस्यश्यामला मातरम् ।

शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्,

फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,

सुहासिनी सुमधुर भाषिणीम्

सुखदा वरदा मातरम् ।

वन्दे मातरम् ।

इस का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है —

हे मा, मैं तेरी वन्दना करता हूँ ।

शुभ जल से आप्लावित, फलो से लदी,

मलय पवन से शीतल,

लहलहाती फसलो से हरी-भरी, मा !

तेरी राते शुभ्र चादनी से आनन्दमय है,

तू फूलों से लदे वृक्षों से शोभायमान है,

सुहासिनी, सुमधुर भाषिणी,

सुखदायिनी, वरदायिनी, मा !

मैं तेरी वन्दना करता हूँ ।

# चौथा अध्याय

## यूनियन सरकार और संसद्

I जनवरी 1954

| राष्ट्रपति<br>उप-राष्ट्रपति                                    | राजेन्द्रप्रसाद<br>एस० राधाकृष्णन् | मंत्रिपरिषद्   | पद लेने की तिथि |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| मंत्री                                                         | माम                                |                |                 |
| 1. प्रधान मंत्री और वैदेशिक मामलों के<br>तथा प्रतिरक्षा मंत्री | जवाहरलाल नेहरू                     |                | 13 मई 1952      |
| 2. शिक्षा और प्राकृतिक साधन तथा<br>वैज्ञानिक अन्वेषण           | अबुल कलाम आज़ाद                    |                | "               |
| 3. संचार                                                       | जगजीवनराम                          |                | "               |
| 4. स्वास्थ्य                                                   | राजकुमारी अमृतकौर                  |                | "               |
| 5. वित्त                                                       | सी० डी० देशमुख                     |                | "               |
| 6. योजना, सिंचाई और बिजली                                      | गुलज़ारीलाल नन्दा                  |                | "               |
| 7. गृह विभाग और राज्य                                          | कैलासनाथ काटजू                     |                | "               |
| 8. खाद्य और कृषि                                               | रफ़ी अहमद किदवई                    |                | "               |
| 9. वाणिज्य और उद्योग                                           | टी० टी० कृष्णमाचारी                |                | "               |
| 10. कानून और अल्पमतों के मामले                                 | सी० सी० विश्वास                    |                | "               |
| 11. रेल और परिवहन                                              | लालबहादुर शास्त्री                 |                | "               |
| 12. निर्माण, आवास और पूर्ति                                    | स्वर्णसिंह                         |                | "               |
| 13. श्रम                                                       | बी० बी० गिरि**                     |                | "               |
| 14. उत्पादन                                                    | के० सी० रेड्डी                     |                | "               |
| मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री (परन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं) |                                    |                |                 |
| 15. संसदीय मामले                                               | सत्यनारायण सिन्हा                  |                | "               |
| 16. पुनर्वास                                                   | अजित प्रसाद जैन†                   |                | "               |
| 17. रक्षा संगठन                                                | महावीर त्यागी*                     | 13 मार्च, 1953 |                 |
| 18. सूचना एवं प्रसार                                           | बी० बी० केसकर                      | 13 मई, 1952    |                 |
| 19. वाणिज्य                                                    | डी० पी० करमारकर                    | 12 अगस्त, 1952 |                 |
| 20. कृषि                                                       | पंजाबराव एस० देशमुख                | "              |                 |
| उपमंत्री                                                       |                                    |                |                 |
| 21. संचार                                                      | राजबहादुर                          | 4 जून, 1952    |                 |

† अगस्त 1954 से मंत्रिमंडल के सदस्य बन गए हैं।

\* महावीर त्यागी 13 मई 1952 से लेकर 15 मार्च, 1953 तक आप और व्यय के राज्य मंत्री थे।

\*\* बी० बी० गिरि द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर मध्यसितम्बर में श्रममन्त्री के पद पर खंडूभाई देसाई नियुक्त हुए।



| उपमंत्री                                | नाम                      | पद लेने की तिथि  |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 22. प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अन्वेषण | केशवदेव मालवीय           | 12 अगस्त, 1952   |
| 23. रक्षा                               | सुरजीतसिंह मजीठिया       | "                |
| 24. घरेलू मामले                         | बी० एन० दातार            | "                |
| 25. श्रम                                | बाबिद अली                | "                |
| 26. वित्त                               | एम० सी० साह              | "                |
| 27. पुनर्वास                            | जे० के० भोंसले           | "                |
| 28. रेल और परिवहन                       | ओ० बी० अलगेशन            | "                |
| 29. स्वास्थ्य                           | श्रीमती एम० चन्द्रशेखर   | "                |
| 30. वैदेशिक मामले                       | ए० के० चन्दा             | "                |
| 31. खाद्य और कृषि                       | एम० बी० कृष्णप्पा        | "                |
| 32. सिंचाई और बिजली                     | जयमुखलाल हाथी            | 12 सितम्बर, 1952 |
| 33. प्रतिरक्षा                          | सतीशचन्द्र               | 27 नवंबर, 1952   |
| 34. वित्त                               | ए० सी० गुह               | 18 मार्च, 1953   |
| 35. प्लानिंग                            | श्यामनन्दन मिश्र         | 5 सितम्बर 1954   |
| <b>संसदीय सचिव</b>                      |                          |                  |
| 1. वैदेशिक मामले                        | श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन |                  |
| 2. रेल और परिवहन                        | शाहनवाज खान              |                  |
| 3. वैदेशिक मामले                        | जे० एन० हज्रिका          |                  |
| 4. वित्त                                | बी० आर० भगत              |                  |
| 5. उत्पादन                              | आर० जी० दुबे             |                  |
| 6. शिक्षा                               | के० एल० श्रीमाली         |                  |
| 7. शिक्षा                               | मनमोहन दास               |                  |
| 8. सूचना एवं प्रसार                     | जी० राजागोपालन           |                  |
| 9. वैदेशिक मामले                        | सआदत अली खान             |                  |

2 सितम्बर, 1946 को जो अन्तरिम सरकार बनी थी, उसके

सदस्य निम्नलिखित थे :

जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, बलदेवसिंह, जान मथाई, एम० आसफ अली, राजेन्द्र प्रसाद, जगजीवनराम, शफात अहमद खां, अली जहीर, सी० राजगोपालाचारी, शरतचन्द्र बोस और सी० एच० भाभा।

15 अगस्त, 1947 को स्वाधीन भारत की जो प्रथम सरकार बनी थी, उसके सदस्य निम्नलिखित थे :

जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जान मथाई, बलदेवसिंह, जगजीवनराम, सी० एच० भाभा, रफी अहमद किदवाई, राजकुमारी अमृतकौर, बी० आर० अम्बेदकर, आर० के० पणमुखम् चेदटी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी और एन० बी० साहगिल।

## लोक-सभा

अध्यक्ष

जी० वी० मावलकर

उपाध्यक्ष

एम० अनन्तशयनम् आध्यगार

## राजनीतिक दलों की शक्ति

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  | 361       |
| प्रजा समाजवादी दल          | 25        |
| भारतीय साम्यवादी दल        | 17        |
| जनता का लोकतंत्री मोर्चा   | 7         |
| गणतंत्र परिषद् (उड़ीसा)    | 5         |
| तमिलनाडु टायलर्स दल        | 4         |
| हिन्दू महासभा              | 4         |
| अकाली दल (पंजाब और पेप्पू) | 4         |
| अन्य दल                    | 25        |
| स्वतन्त्र तथा अन्य         | 43        |
| रिक्त (उप-चुनाव होने बाकी) | 4         |
|                            | <hr/> 499 |

## लोक सभा के सदस्य

| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र | सदस्य का नाम            | दल (क)   |
|-------------|---------------|-------------------------|----------|
|             |               | अध—28                   |          |
| 1           | अनन्तपुर      | पैडी लक्ष्मय्या         | कांग्रेस |
| 2           | चित्तूर       | टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी | "        |

(क) चुनाव के समय के दलीय सम्बन्ध दिखाये गये हैं। समाजवादी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी को, जो बाद में प्रजा समाजवादी दल के रूप में एक पार्टी बन गई, एक दल के रूप में दिखाया गया है।

संस्थाओं के संक्षिप्त नामों की सूची इस प्रकार है : कां० (कांग्रेस) ; प्र० सो० पा० (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) ; छो० ना० स० प० ज० पा० (छोटा नागपुर और सथालपरगना जनता पार्टी) ; लो० से० सं० (लोक सेवक संघ) ; पी० व० पा० (पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी) ; अनु० जा० सं० (अनुसूचित जाति संघ) ; फा० ब्ला० (मा०) (फार्वर्ड ब्लाक-मार्क्सवादी) ; त० टा० पा० (तमिलनाडु टायलर्स पार्टी) ; का० वी० पा० (कामन वील पार्टी) ; मु० ली० (मुस्लिम लीग) ; ग० प० (गणतंत्र परिषद्) ; हि० म० (हिन्दू महासभा) ; रि० सो० पा० (रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी) ; ज० मं० (जनसंघ) पी० डि० एफ० (पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट) ; क० लो० पा० (कृषिकार लोक पार्टी) ; रा० रा० प० (रामराज्य परिषद्) ; ति० त० कां० (तिरुवांकूर तमिलनाडु कांग्रेस) ; अनु० आ० जा० सु० (अनुसूचित आदिम जाति के लिये सुरक्षित) ; अनु० जा० सु० (अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित) ।

| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र                               | सदस्य का नाम             | दा           |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 3           | चित्तूर (अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित) | एम० बी० गंगाधर शिखा      | कांग्रेस     |
| 4           | कड़प्पा                                     | वाई० ईश्वर रेड्डी        | साम्यवादी    |
| 5           | एलुरु                                       | बी० एस० मूर्ति           | प्र० सो० पा० |
| 6           | एलुरु (अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित)   | कोंडू सुब्बा राव         | साम्यवादी    |
| 7           | गुडिवाडा                                    | कादियाला गोपाल राव       | साम्यवादी    |
| 8           | गुण्टूर                                     | एस० बी० एल० नरसिंहम्     | स्वतंत्र     |
| 9           | काकिनडा                                     | चौ० बी० रामा राव         | साम्यवादी    |
| 10          | कुरनूल                                      | वाई० गाडीलिंगना गौड      | प्र० सो० पा० |
| 11          | मसुलीपटनम्                                  | सर्पेक बुचि कोटैय्या     | साम्यवादी    |
| 12          | नन्दलाल                                     | राय सम शेषागिरि राव      | स्वतंत्र     |
| 13          | नरसरावपेट                                   | सी० आर० चौधरी            | "            |
| 14          | नेल्लोर                                     | बी० रामचन्द्र रेड्डी     | "            |
| 15          | ओगोल (अनु० जा० सु०)                         | पशुपति वेकटा राघवैया     | "            |
| 16          | ओंगोल (अनु० जा० सु०)                        | मंगलगिरि नानादास         | "            |
| 17          | पार्वतीपुरम्                                | एन० रामशेषय्या           | "            |
| 18          | पथापटनम्                                    | बी० बी० गिरि             | कांग्रेस     |
| 19          | पेनुकोंडा                                   | के० एस० राघवाचारी        | प्र० सो० पा० |
| 20          | राजामुन्त्री                                | नलारेड्डी नायडू          | "            |
| 21          | राजामुन्त्री (अनु० जा० सु०)                 | कनेटी मोहन राव           | साम्यवादी    |
| 22          | श्रीकाकुलम्                                 | बी० राजगोपाल राव         | स्वतंत्र     |
| 23          | तेनालि                                      | कोथा रघुरामैया           | कांग्रेस     |
| 24          | तिरुपति                                     | एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार  | कांग्रेस     |
| 25          | विजयवाड़ा                                   | हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय | स्वतंत्र     |
| 26          | विशाखापटनम्                                 | लंका सुन्दरम्            | "            |
| 27          | विशाखापटनम् (अनु० आ० जा० सु०)               | गाम मल्लूडोरा            | स्वतंत्र     |
| 28          | विजियानगरम्                                 | कांडल सुब्रामण्यम्       | प्र० सो० पा० |
| आसाम—13*    |                                             |                          |              |
| 29          | स्वायत्त जिले (अनु० आ० जा० सु०)             | श्रीमती बी० खोगमेन       | कांग्रेस     |

\* आसाम के भाग 'ख' आदिम जाति क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिये राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये गये सदस्य सहित ।

| क्र.सं संख्या | जुनाव क्षेत्र                               | सदस्य का नाम            | दल           |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 30            | बारपेटा                                     | बेलीराम दास             | कांग्रेस     |
| 31            | कचार-लुशाई पहाड़ियां                        | एस० सी० देव             | "            |
| 32            | कचार-लुशाई पहाड़ियां (अनु० जा० सु०)         | निवारणचन्द्र लश्कर      | "            |
| 33            | दर्रांग                                     | कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी | "            |
| 34            | डिब्रुगढ़                                   | जोगेन्द्रनाथ हजारिका    | "            |
| 35            | गोवालपाड़ा-गारो पहाड़ियां                   | अमजद अली                | प्र० सो० पा० |
| 36            | गोवालपाड़ा-गारो पहाड़ियां (अनु० आ० जा० सु०) | सीतानाथ ब्रह्म चौधरी    | कांग्रेस     |
| 37            | गोलाघाट-जोरहाट                              | देवेश्वर समी            | "            |
| 38            | गोहाटी                                      | रोहिणी कुमार चौधरी      | "            |
| 39            | कोलमाँव                                     | देवकान्त बरुआ           | "            |
| 40            | मिर्जासागर-उत्तर लखीम-पुर                   | बी० पी० चालिहा          | "            |
| 41            | निर्देशित (भाग 'ख' आदिम जाति क्षेत्र)       | चौखामून गोहिन           | "            |

बिहार—55

|    |                               |                         |              |
|----|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 42 | भागलपुर (मध्य)                | वनारसीप्रसाद जुनजुनवाला | कांग्रेस     |
| 43 | भागलपुर (दक्षिण)              | श्रीमती सुषमा सेन       | "            |
| 44 | भागलपुर-मूनिया                | जे० बी० कृपालानी        | प्र० सो० पा० |
| 45 | भागलपुर-मूनिया (अनु० जा० सु०) | किराई मुसहर             | प्र० सो० पा० |
| 46 | चाईबस्ता (अनु० आ० जा० सु०)    | कान्हू राम देवगम        | भारतवर्ष     |
| 47 | चम्पारन (उत्तर)               | बी० बी० वर्मा           | कांग्रेस     |
| 48 | चम्पारन (पूर्व)               | सैयद महमूद              | "            |
| 49 | दरभंगा (मध्य)                 | श्री नारायण दास         | "            |
| 50 | दरभंगा (पूर्व)                | अनिरुद्ध सिंह           | "            |
| 51 | दरभंगा (उत्तर)                | श्यामनन्दन मिश्र        | "            |
| 52 | दरभंगा-भागलपुर                | ललित नारायण मिश्र       | "            |
| 53 | गया (पूर्व)                   | ब्रजेश्वर प्रसाद        | "            |
| 54 | गया (पूर्व) (अनु० जा० सु०)    | रामधनी दास              | "            |
| 55 | गया (उत्तर)                   | विजेश्वर मिश्र          | प्र० सो० पा० |

| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र                               | सदस्य का नाम              | दल                                          |
|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 56          | गया (दक्षिण)                                | सत्येन्द्र नारायण सिंह    | कांग्रेस                                    |
| 57          | हजारीबाग (पूर्व)                            | नागेश्वर प्रसाद सिन्हा    | कांग्रेस                                    |
| 58          | हजारीबाग (पश्चिम)                           | रामनारायण सिंह            | (छोटा नागपुर<br>संघाल परगना<br>जनता पार्टी) |
| 59          | मानभूम (उत्तर)                              | पी० सी० बोस               | कांग्रेस                                    |
| 60          | मानभूम (उत्तर)<br>(अनु० जा० सु०)            | हरिमोहन                   | कांग्रेस                                    |
| 61          | मानभूम (दक्षिण-धालभूम)                      | भजहरि महाता               | लोकसेवक संघ                                 |
| 62          | मानभूम (दक्षिण-धालभूम)<br>(अनु० आ० जा० सु०) | चैतन माझी                 | "                                           |
| 63          | मुंगेर (उत्तर-पूर्व)                        | सुरेशचन्द्र मिश्र         | प्र० सो० पा०                                |
| 64          | मुंगेर (उत्तर-पश्चिम)                       | मथुराप्रसाद मिश्र         | कांग्रेस                                    |
| 65          | मुंगेर सदर जमुई                             | बनारसीप्रसाद सिन्हा       | "                                           |
| 66          | मुंगेर सदर-जमुई<br>(अनु० जा० सु०)           | नयनतारा दास               | "                                           |
| 67          | मजफ्फरपुर (मध्य)                            | श्यामनन्दन सहाय           | "                                           |
| 68          | मजफ्फरपुर (पूर्व)                           | अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा    | "                                           |
| 69          | मुजफ्फरपुर (उत्तर पश्चिम)                   | युगल किशोर सिंह           | प्र० सो० पा०                                |
| 70          | मुजफ्फरपुर (उत्तर पूर्व)                    | दिग्विजय नारायण सिंह      | कांग्रेस                                    |
| 71          | मुजफ्फरपुर-दरभंगा                           | राजेश्वर पटेल             | "                                           |
| 72          | मुजफ्फरपुर-दरभंगा<br>(अनु० जा० सु०)         | रामेश्वर साहू             | "                                           |
| 73          | पालामऊ-हजारीबाग-रांची                       | गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा    | "                                           |
| 74          | पालामऊ-हजारीबाग-रांची<br>(अनु० आ० जा० सु०)  | खेरवर जेठन                | "                                           |
| 75          | पाटलिपुत्र                                  | एस० सिन्हा                | "                                           |
| 76          | पटना (मध्य)                                 | कैलासपति सिन्हा           | "                                           |
| 77          | पटना (पूर्व)                                | श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा | "                                           |
| 78          | पटना-शाहाबाद                                | बी० आर० भगत               | "                                           |
| 79          | पूनिया (उत्तर पूर्व)                        | मुहम्मद इस्लामुद्दीन      | "                                           |
| 80          | पूनिया (मध्य)                               | फणि गोपाल सेन             | "                                           |
| 81          | पूनिया-सन्धाल परगना                         | भागवत झा आजाद             | "                                           |
| 82          | पूनिया-सन्धाल परगना<br>(अनु० आ० जा० सु०)    | पाल जुझर सोरेन            | क्षारसङ्घ                                   |
| 83          | रांची (उत्तर-पूर्व)                         | ए० इब्राहीम               | कांग्रेस                                    |

| क्रम संख्या | चुनात क्षेत्र                              | मदम्य का नाम            | दल       |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 84          | रांची (पश्चिम)<br>(अनु० आ० जा० सु०)        | जयपाल सिंह              | सारखण्ड  |
| 85          | समस्तीपुर (पूर्व)                          | सत्यनारायण सिन्हा       | कांग्रेस |
| 86          | सन्थाल परगना-हजारीबाग                      | रामराज जजवाड़े          | "        |
| 87          | सन्थाल परगना-हजारीबाग<br>(अनु० आ० जा० सु०) | लाल हेमब्रोम            | "        |
| 88          | सारन (मध्य)                                | महेन्द्रनाथ सिंह        | "        |
| 89          | सारन (पूर्व)                               | सत्यनारायण सिन्हा       | "        |
| 90          | सारन (उत्तर)                               | झूलन सिन्हा             | "        |
| 91          | सारन (दक्षिण)                              | द्वारका नाथ तिवारी      | "        |
| 92          | सारन-चम्पारन                               | विभूति मिश्र            | "        |
| 93          | सारन-चम्पारन<br>(अनु० जा० सु०)             | भोला राउत               | "        |
| 94          | शाहाबाद (दक्षिण)                           | राम सुभग सिंह           | "        |
| 95          | शाहाबाद (दक्षिण)<br>(अनु० जा० सु०)         | जगजीवन राम              | "        |
| 96          | शाहाबाद (उत्तर पश्चिम)                     | कमलसिंह<br>बम्बई—45     | स्वतंत्र |
| 97          | अहमदाबाद                                   | जो० बी० मावलंकर         | कांग्रेस |
| 98          | अहमदनगर (अनु० जा० सु०)                     | मूलदास भूधरदास वैश्य    | "        |
| 99          | अहमदनगर (उत्तर)                            | पी० आर० कानावाड़े पाटिल | "        |
| 100         | अहमदनगर (दक्षिण)                           | यू० आर० बोगावत          | "        |
| 101         | वनस्कंठा                                   | अकबर चावदा              | "        |
| 102         | बड़ौदा (पश्चिम)                            | इन्दुभाई बी० अमीन       | स्वतंत्र |
| 103         | बेलगांव (उत्तर)                            | बलवन्त नागेश दातार      | कांग्रेस |
| 104         | बेलगांव (दक्षिण)                           | एस० बी० पाटिल           | "        |
| 105         | भुसावल                                     | शिवराम रांगो राने       | कांग्रेस |
| 106         | बीजापुर (उत्तर)                            | राजाराम गिरधरलाल कुबे   | "        |
| 107         | बीजापुर (दक्षिण)                           | रामप्प बालप्प बिदारी    | "        |
| 108         | बम्बई नगर (उत्तर)                          | बी० बी० गांधी           | "        |
| 109         | बम्बई नगर (उत्तर)<br>(अनु० जा० सु०)        | नारायण सादोबा कज्रोलकर  | "        |
| 110         | बम्बई नगर (दक्षिण)                         | एस० के० पाटिल           | "        |
| 111         | बम्बई (उपनगर)                              | श्रीमती जयश्री रायजी    | "        |
| 112         | भडौच                                       | चन्द्रशंकर भट्ट         | "        |

| क्रम संख्या       | चुनाव क्षेत्र                           | सदस्य का नाम                | दल           |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 113               | घारवाड़ (उत्तर)                         | डी० पी० करमरकर              | कांग्रेस     |
| 114               | घारवाड़ (दक्षिण)                        | डी० आर० नेसवी               | "            |
| 115               | जलगांव                                  | हरी विनायक पाटस्कर          | "            |
| 116               | कैरा (उत्तर)                            | फ़लसिहजी बी० दाभी           | "            |
| 117               | कैरा (दक्षिण)                           | श्रीमती मणिबेन बी० पटेल     | "            |
| 118               | कनारा                                   | जोकीम आल्वा                 | "            |
| 119               | कोलाबा                                  | चिन्तामण द्वारकानाथ देशमुख  | "            |
| 120               | कोल्हापुर-सतारा                         | डी० एच० खड्गेकर             | स्वतंत्र     |
| 121               | कोल्हापुर-सतारा (अनु० जा० सु०)          | के० एल० मोरे                | कांग्रेस     |
| 122               | मेहसाणा (पूर्व)                         | शान्तिीलाल गिरधरलाल पारिख   | "            |
| 123               | मेहसाणा (पश्चिम)                        | गुलसिदास क्लिाचन्द          | स्वतंत्र     |
| 124               | नासिक (मध्य)                            | गोविन्द हरि बेशपांडे        | कांग्रेस     |
| 125               | उत्तर सतारा                             | गणेश सदाशिव आल्तेकर         | "            |
| 126               | पंचमहल-बड़ौदा (पूर्व)                   | भाजिकलाल मगनलाल गांधी       | "            |
| 127               | पंचमहल-बड़ौदा (पूर्व) (अनु० आ० जा० सु०) | रूपाजी भावजी परमार          | "            |
| 128               | पूना (मध्य)                             | नरहर विष्णु गाडगिल          | "            |
| 129               | पूना (दक्षिण)                           | श्रीमती इन्दिरा ए० मायदेव   | "            |
| 130               | रत्नागिरि (उत्तर)                       | जगन्नाथराव कृष्णराव भोंसले  | "            |
| 131               | रत्नागिरि (दक्षिण)                      | मोरेस्वर दिनकर जोशी         | "            |
| 132               | सबरकंठा                                 | गुलबारीलाल नन्दा            | "            |
| 133               | शोलापुर                                 | शंकर शांतिाराम मोरे         | पी० व० पा०   |
| 134               | शोलापुर (अनु० जा० सु०)                  | पी० एन० राजभोज              | अनु० जा० सं० |
| 135               | दक्षिण सतारा                            | वंकटराव पिराजीराव पवार      | कांग्रेस     |
| 136               | सूरत                                    | कन्हैयालाल नानाभाई देसाई    | "            |
| 137               | सूरत (अनु० आ० जा० सु०)                  | बहादुरभाई कुंठाभाई पटेल     | "            |
| 138               | थाना                                    | चोड्याराम प्रतापराय गिडवानी | प्र० सो० पा० |
| 139               | थाना (अनु० आ० जा० सु०)                  | यशवन्तराव मारतण्डराव मुक्णे | कांग्रेस     |
| 140               | पश्चिम खान्देश                          | शालिग्राम रामचन्द्र भारतीय  | "            |
| 141               | पश्चिम खान्देश                          | जयन्तराव गणपत नटवाडकर       | "            |
| (अनु० आ० जा० सु०) |                                         |                             |              |
| मध्य प्रदेश—२९    |                                         |                             |              |
| 142               | अमरावती (पूर्व)                         | पंजाबराव एस० देशमुख         | कांग्रेस     |
|                   | अमरावती (पश्चिम)                        | के० जी० देशमुख              | "            |

| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र                               | सदस्य का नाम                   | दल                            |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 144         | बालाघाट                                     | सी० डी० गौतम                   | कांग्रेस                      |
| 145         | बस्तर<br>(अनु० आ० जा० सु०)                  | मुवाकी क्लेसा                  | स्वतंत्र                      |
| 146         | बैतूल                                       | बी० एल० चांडक                  | कांग्रेस                      |
| 147         | बंगारा                                      | प्रशोक मेहता                   | प्र० सो० पा०                  |
| 148         | बनारा (अनु० जा० सु०)                        | जगन्नाथ चौधरी                  | कांग्रेस                      |
| 149         | बिलासपुर                                    | अमरसिंह कटुवाल                 | "                             |
| 150         | बिलासपुर (अनु० आ० सु०)                      | सेनमल्लिक-बांगड़े              | "                             |
| 151         | बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर                       | कृष्णकाय मिश्र                 | "                             |
| 152         | बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर<br>(अनु० जा० सु०)     | श्रीमती किरीमाता               | "                             |
| 153         | बलरामा-अकोला                                | गोपालराव बाजीराव खेडकर         | "                             |
| 154         | बुलढाना-अकोला<br>(अनु० जा० सु०)             | लक्ष्मण श्रवण भटकर             | "                             |
| 155         | चान्दा                                      | अब्दुल्लाभाई मुल्ला तेहरमली    | "                             |
| 156         | छिंदवाड़ा                                   | रायचन्द भाई एन० शाह            | "                             |
| 157         | दुर्ग                                       | वासुदेव श्रीधर किरोलिकर        | "                             |
| 158         | दुर्ग-बस्तर                                 | भगवती चरण शुक्ल                | "                             |
| 159         | होशंगाबाद                                   | सैयद अहमद                      | "                             |
| 160         | जबलपुर (उत्तर)                              | मुशीलकुमार पटेरिया             | "                             |
| 161         | महासमुन्द                                   | मगनलाल बागड़ी                  | प्र० सो० पा०                  |
| 162         | मण्डला-जबलपुर (दक्षिण)                      | सेठ गोविन्ददास                 | कांग्रेस                      |
| 163         | मण्डला-जबलपुर (दक्षिण)<br>(अनु० आ० जा० सु०) | एम० जी० उइके                   | "                             |
| 164         | नागपुर                                      | श्रीमती अनसूयाबाई काले         | "                             |
| 165         | निमाड़                                      | बी० एल० तिवारी                 | "                             |
| 166         | सागर                                        | खूबचन्द सोधिया                 | "                             |
| 167         | सरगुजा-रायगढ़                               | चन्डिकेश्वर शरणासिंह           | स्वतंत्र                      |
| 168         | सरगुजा-रायगढ़<br>(अनु० आ० जा० सु०)          | बाबूनाथ सिंह                   | कांग्रेस                      |
| 169         | वर्धा                                       | श्रीमन्नारायण अग्रवाल          | "                             |
| 170         | यवतमाल                                      | गोस्वामी राजा सहदेव भारती      | "                             |
| 171         | अरुणकोटाई                                   | मन्नास—46<br>एम० डी० रामस्वामी | फ़ार्वहे ब्लॉक<br>(माक्सिस्ट) |
| 172         | कन्नानूर                                    | ए० के० गोपालन                  | साम्यवादी                     |



| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र           | सदस्य का नाम                                | दल           |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 173         | चिगलपट                  | ओ० वी० अलगेशन                               | कांग्रेस     |
| 174         | कोयम्बटूर               | एन० एम० लिंगम                               | "            |
| 175         | कुडलूर                  | एन० डी० गोविन्दस्वामी काचि-<br>रोयर         | त० टा० पा०   |
| 176         | कुडलूर (अनु० जा० सु०)   | एल० इलयापेरुमल                              | कांग्रेस     |
| 177         | धर्मपुरी                | एन० सत्यनाथन                                | स्वतंत्र     |
| 178         | डिडिगल                  | श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन                    | कांग्रेस     |
| 179         | इरोड                    | के० पेरियास्वामी गौडर                       | "            |
| 180         | इरोड (अनु० जा० सु०)     | एस० सी० बालकृष्णन्                          | "            |
| 181         | कांचीपुरम               | ए० कृष्णस्वामी                              | का० बी० पा०  |
| 182         | कोच्चिकोडे              | के० ए० दामोदर मेनन                          | प्र० सो० पा० |
| 183         | कृष्णगिरि               | सी० आर० नरसिहन्                             | कांग्रेस     |
| 184         | कुम्भकोणम्              | सी० रामस्वामी मुदलियार                      | "            |
| 185         | मद्रास                  | टी० टी० कृष्णमाचारी                         | "            |
| 186         | मदुराई                  | एस० बालसुब्रह्मण्यम्                        | "            |
| 187         | मदुराई (अनु० जा० सु०)   | पी० कक्कन                                   | "            |
| 188         | मलप्पुरम                | बी० पोकर                                    | मुसलिम लीग   |
| 189         | मयूरम्                  | के० आनन्द नम्बियार                          | साम्यवादी    |
| 190         | मयूरम् (अनु० जा० सु०)   | वी० वीरस्वामी                               | स्वतंत्र     |
| 191         | पेराम्बलूर              | वी० बूवराघसामी                              | त० टा० पा०   |
| 192         | पेरियाकुलम              | के० शक्तिवाडिवेल गौडर                       | कांग्रेस     |
| 193         | पोल्लाची                | जी० आर० दामोदरन                             | "            |
| 194         | पोन्नानी                | के० केलप्पन                                 | प्र० सो० पा० |
| 195         | पोन्नानी (अनु० जा० सु०) | आई० ईयाचरण                                  | कांग्रेस     |
| 196         | पुदुकोटे                | के० एम० वल्लथरास                            | प्र० सो० पा० |
| 197         | रामनाथपुरम              | वी० वी० आर० एन० ए० आर०<br>नागप्पा चेट्टियार | कांग्रेस     |
| 198         | सलेम                    | एस० वी० रामस्वामी                           | "            |
| 199         | शंकरनायिनार कोबिल       | एम० शंकरपांडियन्                            | "            |
| 200         | श्रीवैकुण्ठम            | ए० वी० टामस                                 | "            |
| 201         | श्रीविल्लीपुत्तूर       | के० कामराज                                  | "            |
| 202         | दक्षिण कनारा (उत्तर)    | यू० श्रीनिवास मल्लय्या                      | "            |
| 203         | दक्षिण कनारा (दक्षिण)   | बी० शिवाराव                                 | "            |
| 204         | तंजोर                   | आर० वैकटरमण                                 | "            |
| 205         | तेलिचेरी                | नेत्तूर पी० दामोदरन्                        | प्र० सो० पा० |

| क्रम संख्या | चुनाय क्षेत्र                       | सदस्य का नाम                    | दल                            |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 206         | टिन्डीवनम                           | बी० मुनिस्वामी अ० ल० थिरुकुरलार | तामिलनाडु टाय-<br>लर्स पार्टी |
| 207         | टिन्डीवनम (अनु० जा० सु०)            | ए० जयरमन                        | "                             |
| 208         | तिरुचनगोड                           | एस० के० बेंबी कंडासामी          | स्वतंत्र                      |
| 209         | तिरुचिरापल्ली                       | एडवर्ड पाल मथुरम                | "                             |
| 210         | तिरुनलवेली                          | पी० टी० थानू पिल्ले             | कांग्रेस                      |
| 211         | तिरुपुर                             | टी० एस० अविनाशिलिंगम चेदिटयार   | "                             |
| 212         | तिरुवल्लूर                          | पी० नटेशन                       | "                             |
| 213         | तिरुवल्लूर (अनु० जा० सु०)           | श्रीमती एम० चन्द्रशेखर          | "                             |
| 214         | वेल्लोर                             | डी० रामचन्द्र                   | कामनवील पार्टी                |
| 215         | वेल्लोर (अनु० जा० सु०)              | एम० मुत्तुकृष्णन                | कांग्रेस                      |
| 216         | वान्दिवाश                           | एन० आर० एम० स्वामी              | का० बी० पा०                   |
| उड़ीसा—20   |                                     |                                 |                               |
| 217         | बालासोर                             | भागवत साहू                      | कांग्रेस                      |
| 218         | बालासोर (अनु० जा० सु०)              | कान्हू चर जेना                  | "                             |
| 219         | बारगढ़                              | जी० डी० थिरानी                  | स्वतंत्र                      |
| 220         | कटक                                 | हरेकृष्ण महताब                  | कांग्रेस                      |
| 221         | ढेंकानाल-पश्चिम कटक                 | सारंगधर दास                     | प्र० सो० पा०                  |
| 222         | ढकानाल-पश्चिम कटक<br>(अनु० जा० सु०) | निरंजन जेना                     | कांग्रेस                      |
| 223         | गंजम (दक्षिण)                       | विजयचन्द्र दाम                  | साम्यवादी                     |
| 224         | धूममूर                              | उमाचरण पटनायक                   | स्वतंत्र                      |
| 225         | जाजपुर क्योझर                       | बी० दास                         | कांग्रेस                      |
| 226         | जाजपुर क्योझर (अनु० जा० सु०)        | लक्ष्मीधर जेना                  | गणतंत्र परिषद्                |
| 227         | कालाहांडी-बोलनगर                    | राजेन्द्र नारायण सिंह           | ग० प०                         |
| 228         | कालाहांडी-बोलनगर (अनु० जा० सु०)     | गिरधारी भोई                     | "                             |
| 229         | केन्द्रपाड़ा                        | नित्यानन्द कानूनगो              | कांग्रेस                      |
| 230         | खुरदा                               | लिंगराज मिश्र                   | "                             |
| 231         | मयूरभंज (अनु० आ० जा० सु०)           | रामचन्द्र माझी                  | "                             |
| 232         | नौरंगपुर                            | पी० सुब्बा राव                  | ग० प०                         |
| 233         | पुरी                                | लोकनाथ मिश्र                    | कांग्रेस                      |
| 234         | रायगढ़ फुलबनी<br>(अनु० आ० जा० सु०)  | टी० संगण्णा                     | "                             |

| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र                                                      | सदस्य का नाम              | दल       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 235         | सम्बलपुर                                                           | नटवर पाण्डे               | ग० प०    |
| 236         | सुम्बरमढ़ (अनु० जा० सु०)                                           | स्किन्नाभ्रायण सिंह महापा | कांग्रेस |
|             |                                                                    | पंजाब—18                  |          |
| 237         | अम्बाला-शिमला                                                      | टेकचन्द                   | कांग्रेस |
| 238         | अमृतसर                                                             | गुरुमुख सिंह मुसाफिर      | "        |
| 239         | फ़ाजिल्का सिरसा                                                    | इकबाल सिंह                | "        |
| 240         | फ़िरोज़पुर-लुधियाना                                                | लाल सिंह                  | अकासी    |
| 241         | फ़िरोज़पुर-लुधियाना<br>(अनु० जा० सु०)                              | बहादुर सिंह               | "        |
| 242         | मुकससपुर                                                           | तेजा सिंह अकरपुरी         | कांग्रेस |
| 243         | गुडगांव                                                            | ठाकुरदास भागव             | "        |
| 244         | हिसार                                                              | अबिन्त राम                | "        |
| 245         | होशियारपुर                                                         | दीवान चन्द शर्मा          | "        |
| 246         | होशियारपुर (अनु० जा० सु०)                                          | रामदास                    | "        |
| 247         | झज्जर-रिवाड़ी                                                      | धमण्डी लाल बन्सल          | "        |
| 248         | जालन्धर                                                            | अमरनाथ विद्यालंकार        | "        |
| 249         | कांगड़ा                                                            | हेमराज                    | "        |
| 250         | करनाल                                                              | श्रीमती सुभद्रा जोशी      | "        |
| 251         | करनाल (अनु० जा० सु०)                                               | वीरेन्द्र कुमार           | "        |
| 252         | नवांशहर                                                            | बलदेव सिंह                | "        |
| 253         | रोहतक                                                              | रणवीर सिंह                | "        |
| 254         | तरन तारन                                                           | सुरजीतसिंह मजीठिया        |          |
|             |                                                                    | उत्तर प्रदेश—86           |          |
| 255         | आगरा ज़िला (पूर्व)                                                 | रघुवीरसिंह                | कांग्रेस |
| 256         | आगरा ज़िला (पश्चिम)                                                | अचलसिंह                   | "        |
| 257         | अलीगढ़ ज़िला                                                       | श्रीचन्द सिंघल            | "        |
| 258         | अलीगढ़ (अनु० जा० सु०)                                              | नरदेव स्नातक              | "        |
| 259         | इलाहाबाद ज़िला (पश्चिम)                                            | पुरुषोत्तमदास टंडन        | "        |
| 260         | इलाहाबाद ज़िला (पूर्व)—<br>जौनपुर ज़िला (पश्चिम)                   | जवाहरलाल नेहरू            | "        |
| 261         | इलाहाबाद ज़िला (पूर्व)—<br>जौनपुर ज़िला (पश्चिम)<br>(अनु० जा० सु०) | मसुरिया दीन               | "        |
| 262         | अल्मोड़ा ज़िला (उत्तर-<br>पूर्व)                                   | देवीदत्त पंत              | "        |

| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र                                                              | सदस्य का नाम         | दल       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 263         | आज़मगढ़ ज़िला (पश्चिम)                                                     | सीताराम अस्थाना      | "        |
| 264         | आज़मगढ़ ज़िला (पश्चिम)<br>(अनु० जा० सु०)                                   | विश्वनाथ प्रसाद      | "        |
| 265         | आज़मगढ़ ज़िला (पूर्व) —<br>बलिया ज़िला (पश्चिम)                            | अलगू राय शास्त्री    | "        |
| 266         | बहराइच ज़िला (पूर्व)                                                       | रफी अहमद किदवाई      | "        |
| 267         | बहराइच ज़िला (पश्चिम)                                                      | जोगेन्द्र सिंह       | "        |
| 268         | बलिया ज़िला (पूर्व)                                                        | मुरली मनोहर          | स्वतंत्र |
| 269         | बनारस ज़िला (मध्य)                                                         | रघुनाथ सिंह          | कांग्रेस |
| 270         | बनारस ज़िला (पूर्व)                                                        | त्रिभुवन नारायण सिंह | "        |
| 271         | बांदा ज़िला-फतहपुर ज़िला                                                   | शिवदयाल उपाध्याय     | "        |
| 272         | बांदा ज़िला-फतहपुर ज़िला<br>(अनु० जा० सु०)                                 | प्यारेलाल कुरील      | "        |
| 273         | बरेली ज़िला (दक्षिण)                                                       | सतीश चन्द्र          | "        |
| 274         | बस्ती ज़िला (उत्तर)                                                        | उदय शंकर दुबे        | "        |
| 275         | बस्ती ज़िला (मध्य पूर्व) —<br>गोरखपुर ज़िला (पश्चिम)                       | रामशंकर लाल          | "        |
| 276         | बस्ती ज़िला (मध्य पूर्व) —<br>गोरखपुर ज़िला (पश्चिम)<br>(अनु० जा० सु०)     | सोहनलाल घूसिया       | "        |
| 277         | बिजनौर ज़िला (दक्षिण)                                                      | नेमी सरन जैन         | "        |
| 278         | बदायूँ ज़िला (पश्चिम)                                                      | बदन सिंह             | "        |
| 279         | बुलन्दशहर ज़िला                                                            | रघुवर दयाल मिश्र     | "        |
| 280         | बुलन्दशहर ज़िला<br>(अनु० जा० सु०)                                          | कन्हैयालाल वाल्मीकी  | "        |
| 281         | देहरादून ज़िला—बिजनौर<br>ज़िला (उत्तर-पश्चिम) —<br>सहारनपुर ज़िला (पश्चिम) | महावीर त्यागी        | "        |
| 282         | देवरिया ज़िला (पूर्व)                                                      | रामजी वर्मा          | "        |
| 283         | देवरिया ज़िला (पश्चिम)                                                     | विश्वनाथ राय         | "        |
| 284         | देवरिया ज़िला (दक्षिण)                                                     | सरयू प्रसाद मिश्र    | "        |
| 285         | एटा ज़िला (मध्य)                                                           | रोहनलाल चतुर्वेदी    | "        |
| 286         | एटा ज़िला (उत्तर पूर्व) —<br>बदायूँ ज़िला (पूर्व)                          | रघुवीर सहाय          | "        |
| 287         | एटा ज़िला (पश्चिम) —<br>मैनपुरी ज़िला (पश्चिम)<br>—मथुरा ज़िला (पूर्व)     | दिगम्बर सिंह         | "        |

| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र                                                                                     | सदस्य का नाम             | दल           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 288         | फैजाबाद जिला (उत्तर- पश्चिम)                                                                      | लल्लन जी                 | कांग्रेस     |
| 289         | फैजाबाद जिला (उत्तर- पश्चिम)                                                                      | पन्नालाल                 | "            |
| 290         | फर्रुखाबाद जिला (उत्तर)                                                                           | मूलचन्द दुबे             | "            |
| 291         | गढ़वाल जिला (पश्चिम) —<br>—टिहरी गढ़वाल जिला<br>—बिजनौर जिला (उत्तर)                              | श्रीमती कमलेंद्रुमती शाह | स्वांत्र     |
| 292         | गढ़वाल जिला (पूर्व) —<br>मुरादाबाद जिला (उत्तर- पूर्व)                                            | भक्त दर्शन               | कांग्रेस     |
| 293         | गाजीपुर जिला (पश्चिम)                                                                             | हरप्रसाद सिंह            | कांग्रेस     |
| 294         | गाजीपुर जिला (पूर्व) —<br>बलिया जिला (दक्षिण पश्चिम)                                              | आर० एन० सिंह             | प्र० सो० पा० |
| 295         | गोंडा जिला (उत्तर)                                                                                | हैदर हुसैन               | कांग्रेस     |
| 296         | गोंडा जिला (पश्चिम)                                                                               | श्रीमती शकुन्तला नायर    | हि० म०       |
| 297         | गोंडा जिला (पूर्व) —वस्ती जिला (पश्चिम)                                                           | केशवदेव मालवीय           | कांग्रेस     |
| 298         | गोरखपुर जिला (उत्तर)                                                                              | हरिशंकर प्रसाद           | "            |
| 299         | गोरखपुर जिला (मध्य)                                                                               | दशरथप्रसाद द्विवेदी      | "            |
| 300         | गोरखपुर जिला (दक्षिण)                                                                             | सिंहासन सिंह             | "            |
| 301         | हमीरपुर जिला                                                                                      | एम० एल० द्विवेदी         | "            |
| 302         | हरदोई जिला (उत्तर- पश्चिम) — फर्रुखाबाद जिला (पूर्व) —शाहजहान-पुर जिला—दक्षिण                     | बी० एच० जैदी             | "            |
| 303         | हरदोई जिला (उत्तर- पश्चिम) — फर्रुखाबाद जिला (पूर्व) —शाहजहान-पुर जिला (दक्षिण)<br>(अनु० जा० सु०) | बुलाकीराम वर्मा          | "            |
| 304         | जालौन जिला—इटावा जिला (पश्चिम)—झांसी जिला (उत्तर)                                                 | होतीलाल अग्रवाल          | "            |
| 305         | जालौन जिला—इटावा जिला (पश्चिम)—झांसी जिला (उत्तर)(अनु० जा० सु०)                                   | लोटन राम                 | "            |
| 306         | जौनपुर जिला (पूर्व)                                                                               | बीरबल सिंह               | "            |

| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र                                                       | सदस्य का नाम               | दल       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 307         | जौनपुर जिला (पूर्व)<br>(अनु० जा० सु०)                               | गणपति राम                  | कांग्रेस |
| 308         | झांसी जिला (दक्षिण)                                                 | आर० बी० धुलेकर             | "        |
| 309         | कानपुर जिला (मध्य)                                                  | (शिवनारायण टंडन)           | "        |
| 310         | कानपुर जिला (दक्षिण)—<br>इटावा जिला (पूर्व)                         | बालकृष्ण शर्मा             | "        |
| 311         | कानपुर जिला (उत्तर)—<br>फर्रुखाबाद जिला (दक्षिण)                    | बेकटेश नारायण तिवारी       | "        |
| 312         | लखनऊ जिला (मध्य)                                                    | श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित | "        |
| 313         | लखनऊ जिला—बाराबांकी<br>जिला                                         | मोहनलाल सक्सेना            | "        |
| 314         | लखनऊ जिला—बाराबांकी<br>जिला (अनु० जा० सु०)                          | श्रीमती गंगा देवी          | "        |
| 315         | मैनपुरी जिला (पूर्व)                                                | बादशाह गुप्त               | "        |
| 316         | मथुरा जिला (पश्चिम)                                                 | कृष्ण चन्द्र               | "        |
| 317         | मेरठ जिला (पश्चिम)                                                  | खुशीराम शर्मा              | "        |
| 318         | मेरठ जिला (दक्षिण)                                                  | कृष्ण चन्द्र शर्मा         | "        |
| 319         | मेरठ जिला (उत्तर पूर्व)                                             | शाहनवाज खा                 | "        |
| 320         | मिर्जापुर जिला—बनारस<br>जिला (पश्चिम)                               | जे० एन० विल्सन             | "        |
| 321         | मिर्जापुर जिला—बनारस<br>जिला (पश्चिम) (अनु०<br>जा० सु०)             | रूप नारायण                 | "        |
| 322         | मुरादाबाद जिला (पश्चिम)                                             | राम सरन                    | "        |
| 323         | मुरादाबाद जिला (मध्य)                                               | हिफ्जुर रहमान              | "        |
| 324         | मुजफ्फरनगर जिला (दक्षिण)                                            | हीरा बल्लभ त्रिपाठी        | "        |
| 325         | नैनीताल जिला—अल्मोड़ा<br>जिला (दक्षिण-पश्चिम)<br>बरेली जिला (उत्तर) | सी० डी० पाडे               | "        |
| 326         | पीलीभीत जिला—बरेली<br>जिला (पूर्व)                                  | मुकुन्दलाल अग्रवाल         | "        |
| 327         | प्रतापगढ़ जिला (पश्चिम)                                             | मुनीश्वर दत्त उपाध्याय     | "        |
| 328         | प्रतापगढ़ जिला (पश्चिम)<br>—रायबरेली जिला<br>(पूर्व)                | किंगेज गान्धी              | "        |
| 329         | प्रतापगढ़ जिला (पश्चिम)—<br>रायबरेली जिला (पूर्व)<br>(अनु० जा० सु०) | वैजनाथ कुरील               | "        |

| क्रम संख्या     | चुनाव क्षेत्र                                                                  | सदस्य का नाम            | दल        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 330             | रामपुर जिला-बरेली जिला (पश्चिम)                                                | अबुल कलाम आजाद          | कांग्रेस  |
| 331             | सहारनपुर जिला (पश्चिम)<br>-मुजफ्फरनगर जिला (उत्तर)                             | अजित प्रसाद जैन         | "         |
| 332             | सहारनपुर जिला (पश्चिम)<br>-मुजफ्फरनगर जिला (उत्तर) (अनु. जा० सु०)              | सुन्दरलाल               | "         |
| 333             | शाहजहांपुर जिला (उत्तर)<br>-खेरी (पूर्व)                                       | आर० पी० नेवटिया         | "         |
| 334             | शाहजहांपुर जिला (उत्तर)<br>-खेरी (पूर्व) (अनु० जा० सु०)                        | गणेशी लाल चौधरी         | "         |
| 335             | सीतापुर जिला-खेरी जिला (पश्चिम)                                                | श्रीमती उमा नेहरू       | "         |
| 336             | सीतापुर जिला-खेरी जिला (पश्चिम) (अनु० जा० सु०)                                 | परागीलाल                | "         |
| 337             | सुल्तानपुर जिला (दक्षिण)                                                       | बी० वी० केसकर           | "         |
| 338             | सुल्तानपुर जिला (उत्तर)<br>फज्जाबाद जिला (दक्षिण पश्चिम)                       | सैयद मुहम्मद अहमद काजमी | "         |
| 339             | उन्नाव जिला-रायबरेली जिला (पश्चिम)-हरदोई जिला (दक्षिण-पूर्व)                   | विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी | "         |
| 340             | उन्नाव जिला-रायबरेली जिला (पश्चिम)-हरदोई जिला (दक्षिण-पूर्व)<br>(अनु० जा० सु०) | रामानन्द शास्त्री       | "         |
| पश्चिम बंगाल-34 |                                                                                |                         |           |
| 341             | बांकुरा                                                                        | जगन्नाथ कोले            | कांग्रेस  |
| 342             | बांकुरा (अनु० जा० सु०)                                                         | पशुपति मण्डल            | "         |
| 343             | बैरकपुर                                                                        | रामानन्द दास            | "         |
| 344             | बसीरहाट                                                                        | श्रीमती रेणु चक्रवर्ती  | साम्यवादी |
| 345             | बसीरहाट (अनु० जा० सु०)                                                         | पतिराम राय              | कांग्रेस  |
| 346             | बरहामपुर                                                                       | त्रिदिव कुमार चौधरी     | साम्यवादी |
| 347             | बीरभूम                                                                         | अनिल कुमार चन्दा        | कांग्रेस  |
| 348             | बीरभूम (अनु० जा० सु०)                                                          | कमल कृष्ण दास           | "         |
| 349             | बर्दवान                                                                        | अतुल्य घोष              | "         |

| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र                           | सदस्य का नाम            | दल            |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 350         | बर्देवान (अनु० जा० सु०)                 | मन मोहन दास             | कांग्रेस      |
| 351         | कलकत्ता (उत्तर पूर्व)                   | हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी   | साम्यवादी     |
| 352         | कलकत्ता (उत्तर पश्चिम)                  | मेघनाद साहा             | स्वतंत्र      |
| 353         | कलकत्ता (दक्षिण पूर्व)                  | साधन चन्द्र गुप्त       | साम्यवादी     |
| 354         | कलकत्ता (दक्षिण पश्चिम)                 | असीम कृष्ण दत्त         | कांग्रेस      |
| 355         | कोण्टाई                                 | बसन्त कुमार दास         | "             |
| 356         | डायमण्ड हारबर                           | कमल कुमार बसु           | साम्यवादी     |
| 357         | डायमण्ड हारबर (अनु० जा० सु०)            | पूर्णन्दु शेखर नास्कर   | कांग्रेस      |
| 358         | घाटल                                    | निकुंज बिहारी चौधरी     | साम्यवादी     |
| 359         | हुगली                                   | एन० सी० चैटर्जी         | हिन्दू महासभा |
| 360         | हावडा                                   | सन्तोषकुमार दत्त        | कांग्रेस      |
| 361         | कलना-कटवा                               | अब्दुस्सत्तार           | "             |
| 362         | माल्दा                                  | सुरेन्द्र मोहन घोष      | "             |
| 363         | मिदनापुर झाड़ग्राम                      | दुर्गा चरण बैनर्जी      | ज० सं०        |
| 364         | मिदनापुर झाड़ग्राम<br>(अनु० आ० जा० सु०) | भरत लाल टुडू            | कांग्रेस      |
| 365         | मुर्शिदाबाद                             | मुहम्मद खुदा बख्त       | "             |
| 366         | नवद्वीप                                 | श्रीमती इला पाल चौधरी   | "             |
| 367         | उत्तर बंगाल                             | ए० के० बसु              | "             |
| 368         | उत्तर बंगाल (अनु० जा० सु०)              | उपेन्द्र नाथ बर्मन      | "             |
| 369         | उत्तर बंगाल (अनु० आ० जा० सु०)           | बीरेन्द्रनाथ कथम        | "             |
| 370         | शान्तिपुर                               | अरुण चन्द्र गुहा        | "             |
| 371         | श्रीरामपुर                              | तुषार चैटर्जी           | साम्यवादी     |
| 372         | तामलुक                                  | सतीशचन्द्र सामन्त       | कांग्रेस      |
| 373         | उलुबेरिया                               | सत्यवान राय             | "             |
| 374         | पश्चिम दीनाजपुर                         | सुशील रजन चैटर्जी       | "             |
| हंवरबाब—25  |                                         |                         |               |
| 375         | आदिलाबाद                                | सी० माधव रेड्डी         | प्र० सो० पा०  |
| 376         | अम्बड़                                  | हनुमतराव गणेशराव वैष्णव | कांग्रेस      |
| 377         | औरंगाबाद                                | सुरेशचन्द्र             | "             |
| 378         | भीर                                     | आर० जी० पराजपे          | पी० डे० फ्र०  |
| 379         | बीदर                                    | शौकतुल्ला शाह अन्सारी   | कांग्रेस      |



| क्रम संख्या | चुनाव क्षेत्र           | सदस्य का नाम                      | दल           |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 380         | गुलबर्गा                | रामानन्द तीर्थ                    | कांग्रेस     |
| 381         | हैदराबाद शहर            | अहमद मुहीउद्दीन                   | "            |
| 382         | इब्राहीमपटनम्           | सादत अली खा                       | "            |
| 383         | करीम नगर                | बहम येला रेड्डी                   | पी० डे० फं०  |
| 384         | करीम नगर (अनु० जा० सु०) | एम० आर० कृष्ण                     | अनु० जा० सं० |
| 385         | खम्मम                   | टी० बी० विठ्ठल राव                | पी० डे० फं०  |
| 386         | कुष्टगी                 | शिवमूर्ति स्वामी                  | स्वतंत्र     |
| 387         | महबूबनगर                | के० जनार्दन रेड्डी                | कांग्रेस     |
| 388         | महबूबनगर (अनु० जा० सु०) | पी० रामस्वामी                     | "            |
| 389         | मेदक                    | एन० एम० जयसूर्य                   | पी० डे० फं०  |
| 390         | नलगोडा                  | रवि नारायण रेड्डी                 | " " "        |
| 391         | नलगोडा (अनु० जा० सु०)   | रुक्म अचल                         | " " "        |
| 392         | नान्देड                 | शकर राव तेलकीकर                   | कांग्रेस     |
| 393         | नान्देड (अनु० जा० सु०)  | देवराव नामदेवराव पाथरीकर          | "            |
| 394         | निजामाबाद               | एच० सी० हेडा                      | "            |
| 395         | उस्मानाबाद              | राघवेन्द्रराव, श्रीनिवासराम दीवान | "            |
| 396         | परभणी                   | नारायणराव वाघमारे                 | पी० व० पा०   |
| 397         | विकाराबाद               | एस० ए० एबनजिर                     | कांग्रेस     |
| 398         | वारगल                   | पेट्याल राघव राव                  | पी० डे० फं०  |
| 399         | यादगीर                  | कृष्णाचार्य जोशी                  | कांग्रेस     |

## जम्मू और काश्मीर—6 (अ)

|     |                          |                   |   |
|-----|--------------------------|-------------------|---|
| 400 | राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत | मुहम्मद सईद मसूदी | " |
| 401 | " " "                    | लक्ष्मणसिंह चरक   | " |
| 402 | " " "                    | सूफी मुहम्मद अकबर | " |
| 403 | " " "                    | शिवनारायण फोतेदार | " |
| 404 | " " "                    | मुहम्मद शफी चौधरी | " |
| 405 | " " "                    | गुलाम कादिर       | " |

## मध्य भारत—II

|     |        |                         |               |
|-----|--------|-------------------------|---------------|
| 406 | गूना   | विष्णु घनश्याम देशपांडे | हिन्दू महासभा |
| 407 | खालियर | एन० बी० खरे             | "             |
| 408 | इन्दौर | नन्दलाल जोशी            | कांग्रेस      |

(अ) नेशनल कान्फ्रेंस, काश्मीर के छः सदस्य लोक-सभा की कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये हैं ।

| क्रम संख्या                         | चुनाव क्षेत्र                      | सदस्य का नाम          | दल           |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 409                                 | झाबुआ (अनु० आ० जा० सु०)            | अमरसिंह साबजी डामर    | कांग्रेस     |
| 410                                 | मन्दसौर                            | कैलास नाथ काटजू       | "            |
| 411                                 | मुरैना-भिड                         | राधाचरण शर्मा         | "            |
| 412                                 | मुरैना-भिड (अनु० जा० सु०)          | सूर्यप्रसाद           | "            |
| 413                                 | निमाड                              | बैजनाथ महोदय          | "            |
| 414                                 | शाजापुर-राजगढ़                     | लीलाधर जोशी           | "            |
| 415                                 | शाजापुर-राजगढ़<br>(अनु० जा० सु०)   | भगूनन्दु मालवीय       | "            |
| 416                                 | उज्जैन                             | राधेलाल व्यास         | "            |
| मंसूर—12                            |                                    |                       |              |
| 417                                 | वगलौर-उत्तर                        | एन० के० वेंकटार       | "            |
| 418                                 | वगलौर-दक्षिण                       | टी० मा० दि० गौडा      | "            |
| 419                                 | बेल्लारी                           | टे० सु० ब्रह्मण्यम्   | "            |
| 420                                 | चित्तलद्वग                         | एस० निजलिगप्पा        | "            |
| 421                                 | हामन-चिकमगलूर                      | एच० मि० न० जप्पा      | "            |
| 422                                 | कोलार                              | एम० वी० कृष्णप्पा     | "            |
| 423                                 | कोलार (अनु० जा० सु०)               | डोडा तिमय्या          | "            |
| 424                                 | मण्डया                             | एम० के० शिवनजप्पा     | "            |
| 425                                 | मंसूर                              | एम० एस० गुरुपादस्वामी | प्र० सो० पा० |
| 426                                 | मंसूर (अनु० जा० सु०)               | एन० रा० चय्या         | कांग्रेस     |
| 427                                 | शिमोगा                             | के० जी० वोडयार        | "            |
| 428                                 | टमकुर                              | सी० आर० बासप्पा       | "            |
| पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ—5 |                                    |                       |              |
| 429                                 | कपूरथला-भटिंडा                     | हु० क० म० सिंह        | अकाली        |
| 430                                 | कपूरथला-भटिंडा (अनु० जा० सु०)      | अजीतसिंह              | "            |
| 431                                 | महेन्द्रगढ़                        | हीरामिह चिनारिया      | कांग्रेस     |
| 432                                 | पटियाला                            | रामप्रताप गर्ग        | "            |
| 433                                 | सगरूर                              | रणजीतसिंह             | स्वतंत्र     |
| राजस्थान—20                         |                                    |                       |              |
| 434                                 | अलवर                               | शोभा राम              | कांग्रेस     |
| 435                                 | बासवाडा-डूंगरपुर (अनु० आ० जा० सु०) | भीखाभाई               | "            |

| क्रम संख्या                | चनाव क्षेत्र                          | सदस्य का नाम               | दल          |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 436                        | बारमर-जालोर                           | भवानी सिंह                 | स्वतंत्र    |
| 437                        | भरतपुर-सवाई माधोपुर                   | गिरिराजशरण सिंह            | "           |
| 438                        | भरतपुर-सवाई माधोपुर<br>(अनु० जा० सु०) | मानिकचन्द जाटव-वीर         | कृ० लो० पा० |
| 439                        | भीलवाड़ा                              | हरिराम नथानी               | रा० रा० प०  |
| 440                        | बीकानर-बुरू                           | कर्णीसिंह जी               | स्वतंत्र    |
| 441                        | चित्तौड़                              | उमाशंकर मूलजीभाई त्रिवेदी  | जनसंघ       |
| 442                        | गंगानगर-झुझुनू                        | राधेश्याम रामकुमार मुरारका | कांग्रेस    |
| 443                        | गंगानगर-झुझुनू (अनु० जा० सु०)         | पन्नालाल बाह्पाळ           | "           |
| 444                        | जयपुर                                 | दौलत मल भडारी              | "           |
| 445                        | जयपुर-सवाई माधोपुर                    | राजब्रह्मादुर              | "           |
| 446                        | जोधपुर                                | जसवन्तराज मेहता            | स्वतंत्र    |
| 447                        | कोटा-बून्दी                           | राजचन्द्र सेन              | रा० रा० प०  |
| 448                        | कोटा-झालावाड़                         | नेमीचन्द्र कासलीवाल        | कांग्रेस    |
| 449                        | नागौर-पाली                            | जी० डी० सोमानी             | स्वतंत्र    |
| 450                        | सीकर                                  | नन्दलाल शर्मा              | रा० रा० प०  |
| 451                        | सिरोही-पाली                           | अजित सिंह                  | स्वतंत्र    |
| 452                        | टोंक                                  | माणिक्यलाल वर्मा           | कांग्रेस    |
| 453                        | उदयपुर                                | बलवन्तसिंह मेहता           | "           |
| <b>सौराष्ट्र—6</b>         |                                       |                            |             |
| 454                        | गोहिलवाड़                             | बलवन्तराय गोपालजी मेहता    | "           |
| 455                        | गोहिलवाड़-सोरठ                        | चिमनलाल चाकूभाई शाह        | "           |
| 456                        | हालर                                  | खडूभाई कासनजी देसाई        | "           |
| 457                        | मध्य सौराष्ट्र                        | जेठालाल हरिकृष्ण जोशी      | "           |
| 458                        | सोरठ                                  | नरेन्द्र पी० नयवानी        | "           |
| 459                        | झालावाड़                              | जयान्तलाल नरभेराम पारिख    | "           |
| <b>तिरुवांकुर-कोचीन—12</b> |                                       |                            |             |
| 460                        | एल्लेपी                               | पी० टी० पुन्नूस            | स्वतंत्र    |
| 461                        | चिरायिनकील                            | वी० पी० नायर               | "           |
| 462                        | क्रेगाभूर                             | के० टी० अच्युतन            | कांग्रेस    |
| 463                        | एरणाकुलम                              | ए० एम० टामस                | "           |
| 464                        | कोट्टयाम                              | सी० पी० मैथ्यू             | "           |
| 465                        | मीनाचिल                               | जार्ज टामस                 | "           |

| क्रम संख्या     | चुनाव क्षेत्र                        | सदस्य का नाम              | दल           |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 466             | नागरकोइल                             | ए० नेसामनी                | तिरू त० कां० |
| 467             | कविलोन-मावेलिक्करा                   | एन० श्रीकान्तन नायर       | रि० सो० पा०  |
| 468             | कविलोन-मावेलिक्करा<br>(अनु० जा० सु०) | आर० वेंलायुधन             | स्वतंत्र     |
| 469             | तिरुवल्ला                            | सी० पी० मंथन              | कांग्रेस     |
| 470             | त्रिचूर                              | सी० आर० इय्युप्पी         | "            |
| 471             | त्रिवेन्द्रम                         | श्रीमती ऐन मैस्करीन       | स्वतंत्र     |
| अजमेर—2         |                                      |                           |              |
| 472             | अजमेर—उत्तर                          | ज्वालाप्रसाद              | कांग्रेस     |
| 473             | अजमेर—दक्षिण                         | मुकुट बिहारीलाल भार्गव    | "            |
| भोपाल—2         |                                      |                           |              |
| 474             | रायसेन                               | चतुरनारायण मालवीय         | "            |
| 475             | सिहोरे                               | सैयदउल्लाखा रज्मी         | "            |
| बिलासपुर—I      |                                      |                           |              |
| 476             | बिलासपुर                             | आनन्दचन्द                 | स्वतंत्र     |
| कूर्ग—I         |                                      |                           |              |
| 477             | कूर्ग                                | एन० सोमना                 | कांग्रेस     |
| दिल्ली—4        |                                      |                           |              |
| 478             | दिल्ली शहर                           | राधारमण                   | कांग्रेस     |
| 479             | नई दिल्ली                            | श्रीमती सुचेता कृपलानी    | प्र० सो० पा० |
| 480             | बाह्य दिल्ली                         | सी० कृष्णन नायर           | कांग्रेस     |
| 481             | बाह्य दिल्ली<br>(अनु० जा० सु०)       | नवल प्रभाकर               | "            |
| हिमाचल प्रदेश—3 |                                      |                           |              |
| 482             | मंडी-महासू                           | राजकुमारी अमृतकोर         | कांग्रेस     |
| 483             | मंडी-महासू (अनु० जा० सु०)            | गोपीराम                   | "            |
| 484             | सिरमूर-चम्बा                         | ए० आर० सेवल               | स्वतंत्र     |
| कच्छ—2          |                                      |                           |              |
| 485             | कच्छ—पूर्व                           | गुलाबशंकर अमृतलाल धोलकिया | कांग्रेस     |
| 486             | कच्छ—पश्चिम                          | भवनजी ए० खीमजी            | "            |

| क्रम संख्या                               | चनाव क्षेत्र                        | सदस्य का नाम                   | दल           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>मणिपुर—2</b>                           |                                     |                                |              |
| 487                                       | आंतरिक मणिपुर                       | लेसराम जोगवरसिंह               | कांग्रेस     |
| 488                                       | बाह्य मणिपुर (अनु० आ० जा० सु०)      | रिशांग किशिंग                  | प्र० सो० पा० |
| <b>त्रिपुरा—2</b>                         |                                     |                                |              |
| 489                                       | त्तिपुरा—पूर्व                      | दशरथ देव                       | साभ्यवादी    |
| 490                                       | त्रिपुरा—पश्चिम                     | बीरेन दत्त                     | "            |
| <b>बिन्ध्य प्रदेश—6</b>                   |                                     |                                |              |
| 491                                       | छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़                | रामसहाय तिवारी                 | कांग्रेस     |
| 492                                       | छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़ (अनु० जा० सु०) | मोतीलाल मालवीय                 | "            |
| 493                                       | रीवा                                | राजभानु सिंह तिवारी            | "            |
| 494                                       | सतना                                | शिवदत्त उपाध्याय               | "            |
| 495                                       | शाहडोल-सिद्धी                       | भगवानदत्त शास्त्री             | प्र० सो० पा० |
| 496                                       | शाहडोल-सिद्धी (अनु० आ० जा० सु०)     | रणदमन सिंह                     | "            |
| <b>अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह—1 (क)</b> |                                     |                                |              |
| 497                                       | नामजद                               | जान रिचडसन<br>ऐंरलो इंडियन (क) |              |
| 498                                       | नामजद                               | फ्रैंक एन्थनी                  |              |
| 499                                       | नामजद                               | ए० ई० टी० बैरो                 |              |

## लोक-सभा के लिये उपचुनाव

| निर्वाचन क्षेत्र और मतदाताओं की संख्या            | स्थान रिक्त होने का कारण                                                     | उम्मीदवारों के नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पार्टी                                                                                                                                                                                                                        | प्राप्त मत |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| आसाम : शिवसागर—उत्तरी लखीमपुर—<br>3,42,934        | एस० एन० बरगोहेन (कांग्रेस)<br>की मृत्यु                                      | 1. बी० पी० चालिया (निर्वाचित)<br>2. के० एन० बरबरुआ<br>3. पी० एम० सारवान<br>4. पद्मेश्वर गोर्गोई<br>1. जुगलकिशोर सिंह (निर्वाचित)<br>2. चन्द्रेश्वरनारायण प्रसाद सिंह<br>3. लक्ष्मण महतो<br>1. जे० बी० कृपालानी (निर्वाचित)<br>2. किराई गुप्तहर (अनु० जा०)<br>(निर्वाचित)<br>3. महावीरदास (अनु० जा०)<br>1. यशवन्तराव मातण्डराव मुक्णे<br>(अनु० आ० जा०) (निर्वाचित)<br>2. लक्ष्म नवसू पाडू (अनु० आ० जा०)<br>3. चौडथराम प्रतापराय गिडवानी<br>(निर्वाचित) (क) | कांग्रेस<br>रिवोल्यूशनरी<br>साम्यवादी<br>स्वतंत्र<br>प्र० सो० पा०<br>प्र० सो० पा०<br>कांग्रेस<br>स्वतंत्र<br>प्र० सो० पा०<br>प्र० सो० पा०<br>कांग्रेस<br>कांग्रेस<br>प्र० सो० पा०<br>प्र० सो० पा०<br>प्र० सो० पा०<br>I,40,595 |            |
| बिहार : मुजफ्फरपुर (उत्तर-पश्चिम)—<br>2,93,890    | चन्द्रेश्वरनारायण प्रसाद सिंह<br>(कांग्रेस) का चुनाव अवैध<br>घोषित           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |            |
| बिहार : भागलपुर—पूर्विया—6,40,994<br>(हि-सदस्यीय) | अनुपलब्ध मेहुता (कांग्रेस) और<br>किराई गुप्तहर (सो०) के<br>चुनाव अवैध घोषित। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |            |
| बम्बई : धाना—7,12,902 (हि-सदस्यीय)                | ए० एस० नन्दकर (अनु० आ०<br>जा०—कांग्रेस) की मृत्यु                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |            |

(क) चुनाव ट्रिव्यूनल द्वारा जो० डी० वर्तक (कांग्रेस) के स्थान पर, जिसे आम चुनाव में 1,40,604 मत मिले, निर्वाचित घोषित।

(ख) आम चुनाव में प्राप्त मत।

| नमर्वाचन क्षेत्र और मतदाताओं की संख्या                    | स्थान रिक्त होने का कारण                          | उम्मीदवारों के नाम                        | पार्टी                | प्राप्त मत |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|
| मध्य प्रदेश : महासमुन्द-3,92,827                          | शिवदास लाल डागा (कांग्रेस) की मृत्यु              | 1. मगनलाल बागडी (निर्वाचित)               | प्र० सो० पा०          | 49,938     |
| मध्य प्रदेश : बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर-7,59,652 (हि-सदस्यीय) | आगमदास (अनु० जा०-कांग्रेस) की मृत्यु              | 2. नेमीचन्द . . . . .                     | कांग्रेस . . .        | 41,770     |
| मद्रास : अरुक्कोटाई-3,72,858                              | यू० मुथुरामालिंगा शेवर (माक्स-वादी) का त्यागपत्र  | 1. श्रीमती मणिमाता (अनु० जा०) (निर्वाचित) | कांग्रेस . . .        | 55,146     |
| मद्रास : कोयम्बटूर-3,46,405                               | दी० ए० रामलिंगम चेटियार (कांग्रेस) की मृत्यु      | 2. मुक्तावदास (अनु० जा०) . . .            | स्वतंत्र . . .        | 23,661     |
| आंध्र : कुरनूल-3,54,495                                   | एच० सीताराम रेड्डी (कांग्रेस) का चुनाव अवैध घोषित | 1. एम० डी० रामस्वामी (निर्वाचित)          | फा० ब्ला० (माक्सवादी) | 69,128     |
| उत्तर प्रदेश : इलाहाबाद जिला (पश्चिम)-3,76,100            | श्रीप्रकाश (कांग्रेस) का त्यागपत्र                | 2. राजायी कुंजियापत्थम . . .              | कांग्रेस . . .        | 50,291     |
| पश्चिमी बंगाल : कलकत्ता (दक्षिणपूर्व)-3,80,061            | श्यामाप्रसाद मुखर्जी (जनसंघ) की मृत्यु            | 3. नलाइअप्पा पिल्ले . . .                 | स्वतंत्र . . .        | 3,190      |
|                                                           |                                                   | 4. पिचुमणि अय्यर . . .                    | स्वतंत्र . . .        | 2,679      |
|                                                           |                                                   | 1. एन० एम० लिंगम (निर्वाचित)              | कांग्रेस . . .        | 92,465     |
|                                                           |                                                   | 2. पार्वती कुण्जन . . .                   | साम्यवादी . .         | 51,138     |
|                                                           |                                                   | 3. पी० एस० चिन्नादुराई . . .              | प्र० सो० पा० . .      | 4,680      |
|                                                           |                                                   | 4. आर० बरदाप्पन . . .                     | स्वतंत्र . . .        | 1,356      |
|                                                           |                                                   | 1. वाई० गाडिलान गौड (निर्वाचित)           | प्र० सो० पा० . .      | 90,192     |
|                                                           |                                                   | 2. एच० सीताराम रेड्डी . . .               | कांग्रेस . . .        | 48,532     |
|                                                           |                                                   | 3. नागप्पा . . .                          | स्वतंत्र . . .        | 8,218      |
|                                                           |                                                   | 1. पुरुषोत्तमदास टंडन (निर्वाचित)         | कांग्रेस . . .        | निर्विरोध  |
|                                                           |                                                   | 1. साधन चन्द्र गुप्त (निर्वाचित)          | साम्यवादी . .         | 58,211     |
|                                                           |                                                   | 2. राधा बिनोद पाल . . .                   | कांग्रेस . . .        | 36,319     |
|                                                           |                                                   | 3. जे० पी० मित्र . . .                    | जनसंघ . . .           | 5,431      |
|                                                           |                                                   | 4. भूपाल चन्द्र बोस . . .                 | फा० ब्ला० (माक्सवादी) | 5,415      |

|                                        |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                        |                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| पश्चिमी बंगाल : नवद्वीप-3,81,812       | लक्ष्मीकान्त मैत्र (कांग्रेस) की मृत्यु       | 1. श्रीमती इलापाल चौधरी (निर्वाचित)<br>2. सुशील कुमार चेटर्जी . . .<br>3. मिहिर लाल चेटर्जी . . .<br>4. जतीन्द्रनाथ बिस्वास . . . | कांग्रेस . . .<br>साम्यवादी . . .<br>प्र० सो० पा० . . .<br>स्वतंत्र . . .              | 69,606<br>27,455<br>19,802<br>7,365       |
| मध्य भारत : ग्वालियर-3,79,320          | वी० जी० देशपांडे (हि० म०)<br>का त्यागपत्र     | 1. एन० बी० खरे (निर्वाचित)<br>2. गोतम शर्मा . . .                                                                                 | हि० म० . . .<br>कांग्रेस . . .                                                         | 42,534<br>38,846                          |
| राजस्थान : जयपुर-सवाई माधोपुर-3,86,270 | रामकरण जोशी (कांग्रेस) का त्यागपत्र           | 1. राजबहादुर (निर्वाचित)<br>2. शातिभाई जोहरी . . .                                                                                | कांग्रेस . . .<br>प्र० सो० पा० . . .                                                   | 31,282<br>5,316                           |
| राजस्थान : जोधपुर-4,03,653             | हनवन्त सिंह जी (स्वतंत्र) की मृत्यु           | 1. जसवन्तराय मेहता (निर्वाचित)<br>2. नूरी मुहम्मद यासीन . . .<br>3. रतन लाल . . .<br>4. हैदर बक्स . . .<br>5. सीताराम . . .       | स्वतंत्र . . .<br>कांग्रेस . . .<br>स्वतंत्र . . .<br>स्वतंत्र . . .<br>स्वतंत्र . . . | 58,527<br>20,183<br>3,260<br>1,372<br>702 |
| राजस्थान : टोंक 3,91,851               | पन्नालाल आर० कौशिक (कांग्रेस) की मृत्यु       | 1. माणिक्यलाल वर्मा (निर्वाचित)<br>2. श्रीगणायण तोतला . . .<br>3. ग्यारसीलाल . . .                                                | कांग्रेस . . .<br>स्वतंत्र . . .<br>स्वतंत्र . . .                                     | 41,492<br>7,073<br>5,311                  |
| सौराष्ट्र : हलार 2,71,319              | हिम्मतसिंहजी (कांग्रेस) का त्यागपत्र          | 1. खडुभाई देसाई (निर्वाचित)<br>2. कृष्णवर्मा गुरुदयाल शर्मा . . .                                                                 | कांग्रेस . . .<br>हि० म० . . .                                                         | 53,573<br>7,682                           |
| सौराष्ट्र : झालावाड 3,15,744           | रसिकलाल उमेदचन्द पारख (कांग्रेस) का त्यागपत्र | 1. जयन्तिलाल नरभेराम पारख (निर्वाचित)                                                                                             | कांग्रेस . . .                                                                         | निर्विरोध                                 |
| तिरुवांकोर कांचोल : मीनाचल-3,55,237    | पी० टी० चाको (कांग्रेस) का त्यागपत्र          | 1. जार्ज टामस कौतुकपल्ली (निर्वाचित)<br>2. अकम्मा . . .                                                                           | कांग्रेस . . .<br>स्वतंत्र . . .                                                       | 1,57,006<br>1,16,747                      |



## राज्यसभा

अध्यक्ष

एस० राधाकृष्णन्

उपाध्यक्ष

एस० वी० कृष्णमूर्ति राव

## अजमेर और कुर्ग—I

के० सी० कसम्बाया

## आंध्र—I2

ए० बालारामी रेड्डी  
अल्लूरी सत्यनारायण राजु  
जी० रगा  
शकगालिब  
जे० वी० के० वल्लभराव  
के० सूर्यनारायण

मक्किनेनी बासवपुन्नैया  
एन० डी० एम० प्रसादराव  
पुचलपल्ली सुन्दरैया  
पाइदा वेकटनारायण  
एस० शम्भू प्रसाद  
वी० वेकटरमण

## आसाम—6

(श्रं मतं) वेदवर्त बरागोहाई  
मोहम्मद रफीक  
एम० तय्यबुल्ला

(श्रीमती) पुष्पलता दास  
आर० थन्हेलिरा  
फखरुद्दीन अली अहमद

## भोपाल—I

भैरों प्रसाद

## बिहार—21

अहमद हुसेन  
थिप्रोडोर बोडरा  
ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह  
महेश सरन  
जाफर इमाम  
कैलाशबिहारी लाल  
कामेश्वर सिंह  
किशोरीराम  
(श्रीमती) लक्ष्मी एन० मेनन  
महेश्वरप्रसाद नारायण सिंह  
मजहर इमाम

पूर्णचन्द्र मित्र  
रामबहादुर सिंह  
रामधारी सिंह दिनकर  
आर० जी० अग्रवाल  
राजेन्द्रप्रताप सिंह  
राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह  
श्री नारायण महथा  
तजम्मूल हुसैन  
वी० जी० गोपाल  
(कुँवराणी) विजया राजे

## बिनासपुर और हिमाचल प्रवेश—I

सी० एल० वर्मा

बम्बई—I7

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| आबिद अली                   | एम० डी० डी० गिल्डर     |
| भालचन्द्र महेश्वर गुप्ते   | एन० एस० हार्डिकर       |
| बी० आर० अम्बेदकर           | प्रेमजी ठोभनभाई लियबा  |
| चन्दूलाल पी० पारिख         | राजाराम बालकृष्ण राउत  |
| देवकीनन्दन नारायण          | श्रीयांस प्रसाद जैन    |
| धैर्यशीलराव यशवन्तराव पवार | सोमनाथ पी० दवे         |
| लालचंद हीराचंद दोषी        | टी० आर० देवगिरिकर      |
| (श्रीमती) लीलावती मुन्शी   | (श्रीमती) वायलेट अल्वा |
| मणिलाल चतुरभाई शाह         |                        |

िल्ली—I

ओकार नाथ

हैदराबाद—II

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| दिनशा डी० इनालिया          | बी० प्रसादराव      |
| अकब अली खान                | राजबहादुर गोड      |
| किशन चंद                   | स० चन्ना रेड्डी    |
| राघवेन्द्र राव             | वेकट कृष्ण घगे     |
| नरसिंहराव बालभीमराव देशमुख | बी० बी० गुरुमूर्ति |
| नारायणदास डागा             |                    |

जम्मू और काश्मीर—4

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| आगा सैयद मुहम्मद जलाली | बुधसिंह         |
| रिक्त                  | पीर मोहम्मद खां |

कच्छ—I

लावजी लाखमशी

मध्य भारत—6

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| गोपीकृष्ण विजयवर्गीय | रघुबीर सिंह             |
| कन्हैयालाल डी० वैद्य | त्रिम्बक दामोदर पुस्तके |
| कृष्णकान्त व्यास     | बी० एस० सरवते           |

पन्थ प्रदेश—I2

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| नानुप्रताप सिंह          | रामराव माधवराव देशमुख |
| करीमुद्दीन               | आर० पी० दुबे          |
| गोपालदास ढुलाकीदास मोहता | राजा भाऊ विठ्ठलदास    |

एम० आर० मजुमदार  
रघुवीर  
रामेश्वर उमराव अग्निभोज

(श्रीमती) सीता परमानन्द  
रतनलाल किशोरीलाल मालवीय  
वामन शिवदास बालिगे

#### मद्रास—18

ए० रामास्वामी मुदलियार  
के० माधव मेनन  
(श्रीमती) पार्वती कृष्णन  
जी० राजगोपालन  
एच० डी० राजा  
के० एल० नरसिम्हम्  
के० एस० हेग्डे  
एम० मुहम्मद इस्माइल साहिब  
(श्रीमती) मोना हेन्समैन

पी० एस० राजगोपाल नायडू  
पी० सुब्बरायन  
एस० वेकटरामन्  
टी० भास्कर राव  
टी० एस० पट्टाभिरामन्  
टी० वी० कमलास्वामी  
वी० के० कृष्ण मेनन  
वी० एम० ओबेदुल्ला साहिब  
वी० एम० सुरेन्द्र राम

#### मैसूर—6

बी० पी० बासप्पा शेटी  
एच० सी० दासप्पा  
के० सी० रेड्डी

एम० गोविन्द रेड्डी  
मुहम्मद वलीउल्ला  
एस० वी० कृष्णमूर्ति राव

#### मणिपुर और त्रिपुरा—1

नंगोम तम्पोक सिंह

#### उड़ीसा—9

बोधराम दुबे  
स्वप्नानन्द पाणिग्रही  
जगन्नाथ दास  
प्रफुल्लचन्द्र भट्टजदेव  
रधाकृष्ण विस्वासराय

बिस्वनाथ दास  
सुन्दर मोहन हेमराम  
सुरेन्द्र महन्ती  
सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी

#### पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यसंघ—3

जगन्नाथ कौशल  
जोगेन्द्रसिंह मान

रघवीरसिंह जहजारी

#### पंजाब—8

अनूपसिंह  
चमन लाल  
दर्शनसिंह फेरुमन  
गुरजसिंह डिल्लन

रायझादा हंसराज  
एम० एच० एस० निहालसिंह  
स्वर्णसिंह  
उधमसिंह नागोके

राजस्थान—9

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| वरकत उल्ला खा     | आदित्येन्द्र         |
| हरिश्चन्द्र माथुर | विजय सिंह            |
| केशवानन्द         | सरदार सिंह           |
| के० एल० श्रीमाली  | (श्रीमती) शारदा भागव |
| लक्ष्मण सिंह      |                      |

सौराष्ट्र—4

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| भोगीलाल मगनलाल शाह | जैसुखलाल हाथी |
| डी० एच० वरियावा    | नानाभाई भट्ट  |

तिरुवांकुर-कोचीन—6

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ए० अब्दुल रजाक      | के० पी० माधवन नायर |
| सी० नारायण पिल्लई   | एन० सी० शेखर       |
| (श्रीमती) के० पारती | एस० चट्टनाथ करयालर |

उत्तर प्रदेश—31

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ए० धरमदास                   | जसपतराय कपूर                |
| अहमद सईद खा                 | लालबहादुर शास्त्री          |
| (बेगम) एजाज रसूल            | मोहम्मद फारूकी              |
| अमरनाथ अग्रवाल              | मुरारीलाल                   |
| अस्तर हुसैन                 | नरेन्द्र देव                |
| अमोलख चन्द                  | नवाबसिंह चौहान              |
| बी० के० मुकर्जी             | रामकृपाल सिंह               |
| ब्रजबिहारी शर्मा            | रामप्रसाद टम्टा             |
| (श्रीमती) चन्द्रावती लखनपाल | आर० सी० गुप्त               |
| गोपीनाथ सिंह                | (श्रीमती) सावित्रीदेवी निगम |
| हरप्रसाद सक्सेना            | शाम सुन्दर नारायण तन्खा     |
| हृदयनाथ कुजूरू              | श्यामधर मिश्र               |
| इन्द्र विद्यावाचस्पति       | सुमतप्रसाद                  |
| जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल      | तारकेश्वर पाडे              |
| जसोदसिंह बिष्ट              | ठाकुरदास                    |
| जे० पी० श्रीवास्तव          |                             |

बिन्ध्य प्रदेश—4

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| अवधेशप्रताप सिंह       | बनारसीदास चतुर्वेदी |
| (श्रीमती) कृष्ण कुमारी | गुलशेर अहमद         |

## पश्चिमी बंगाल—14

बेनी प्रसाद अग्रवाल  
 भूपेश गुप्त  
 विमल कुमार घोष  
 सी० सी० बिस्वास  
 अब्दुर रेज्जाक खान  
 इन्द्र भूषण बीड  
 (श्रीमती) मायादेवी छेत्री

नलिनाक्ष दत्त  
 नौशेर अली  
 राजपतसिंह डूगर  
 सत्यप्रिय बनर्जी  
 सत्येन्द्र नारायण मजूमदार  
 सत्येन्द्र प्रसाद राय  
 सुरेशचन्द्र मजूमदार

## राष्ट्रपति द्वारा नामजब—12

ए० आर० वाडिया  
 काका साहेब कालेलकर  
 एम० सत्यनारायण  
 मैथिलीशरण गुप्त  
 नारायणदास रतनमल मलकानी  
 पृथ्वीराज कपूर

पी० बी० काने  
 राधाकुमुद मुकर्जी  
 (श्रीमती) विमणीदेवी अरुण्डेल  
 साहिबसिंह सोखे  
 सत्येन्द्रनाथ बोस  
 जाकिर हुसैन

## पांचवा अध्याय न्याय विभाग

26 जनवरी, 1950 को भारत में नया संविधान जारी हुआ था, परन्तु देश के न्याय विभाग में उससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। संविधान की धारा 372 में यह कहा गया है कि यह संविधान जारी होने के दिन भारत में जो कानून चल रहे हैं, उनमें से 'भारत सरकार कानून 1935' तथा 'भारतीय स्वाधीनता कानून 1947' के अतिरिक्त शेष सब कानून उसी तरह जारी रहेंगे, जब तक कि अधिकारप्राप्त व्यवस्था द्वारा उनमें परिवर्तन या सुधार न कर दिया जाय। वर्तमान कानूनों को संविधान के अनुकूल बनाने के लिए उनमें आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।

इस तरह भारत में न्याय सम्बन्धी कानून लगभग उसी तरह जारी हैं, जिस तरह वे स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर थे। दूसरे शब्दों में विवाह, उत्तराधिकार, दत्तकाधिकार इत्यादि पर विभिन्न सम्प्रदायों के लिए विभिन्न कानून जारी हैं और अपराध, सौदा, सम्पत्ति के हस्ता-तरण करने व ट्रस्ट इत्यादि के सम्बन्ध में देशभर में एक से कानून हैं।

### भारत का उच्चतम न्यायालय

संविधान की धारा 124 में कहा गया है कि "देश में एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें एक उच्चतम न्यायाधिपति और 7 न्यायाधीश रहेंगे। समस्त इस संस्था को बढ़ा भी सकती है।" इस समय उच्चतम न्यायालय के सदस्य इस प्रकार हैं —

| मुख्य न्यायाधिपति : |                       | नियुक्ति की तिथि: |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| मेहरचन्द महाजन      |                       | 4 जनवरी 1954      |
| न्यायाधीश :         |                       |                   |
| 1.                  | विजयकुमार मुखर्जी     | 14 अक्टूबर 1948   |
| 2.                  | सुधी रजन दास          | 20 जनवरी 1950     |
| 3.                  | विवियन बोस            | 3 मार्च 1951      |
| 4.                  | गुलाम हसन             | 8 सितम्बर 1952    |
| 5.                  | एन० एच० भगवति         | 8 सितम्बर 1952    |
| 6.                  | बी० जगन्नाथदास        | 9 मार्च 1953      |
| 7.                  | टी० एल० वैकटराम अय्यर | 4 जनवरी 1954      |

इस से पहले हरिलाल जे० कानिया 26 जनवरी 1950 से 6 नवम्बर 1951 तक तथा एम० पातंजलि शास्त्री 7 नवम्बर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक मुख्य न्यायाधिपति रह चुके हैं।

### अधिकार क्षेत्र

उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नये मुकदमे सुनना तथा अपीलें सुनना दोनों हैं। यूनियन तथा राज्यों के बीच के झगड़े अथवा राज्यों के पारस्परिक झगड़े उच्चतम न्यायालय के सामने आते हैं। कानून के अर्थ के सम्बन्ध में हाईकोर्टों द्वारा दिये गये सभी निर्णयों के सम्बन्ध

में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दीवानी और फौजदारी के मामलों में उच्चतम न्यायालय को वही अधिकार प्राप्त है, जो 1947 तक प्रिवी कौंसिल को थे। इस के अतिरिक्त नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को अक्षुण्ण रखने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा निर्णयार्थ प्रेरित विषयों पर इस न्यायालय से सलाह भी मांगी जा सकती है।

1935 के कानून के अनुसार, उस जमाने के प्रस्तावित फ़ैडरल कोर्ट में कानून सम्बन्धी केवल वे ही मामले पेश किये जा सकते थे, जिनके सम्बन्ध में हाईकोर्ट अपना निर्णय दे चुका हो और हाईकोर्ट ने यह भी कहा हो कि उनका सम्बन्ध संविधान की व्याख्या से है। परन्तु नये संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय में वे मामले भी पेश किये जा सकते हैं, जिनके सम्बन्ध में हाईकोर्ट इस तरह की कोई बात नहीं कह का। वे आर्थिक मामले उच्चतम न्यायालय में पेश हो सकते हैं, जिनमें 20 हजार रुपये से अधिक राशि का निर्णय होना हो। इस से पहले प्रिवी कौंसिल के सामने कम से कम 10,000 रु० की धनराशि के सम्बन्ध में अपील हो सकती थी।

फौजदारी के मुकदमों में से वे मामले उच्चतम न्यायालय में पेश हो सकते हैं, जिनके सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने (क) निचले न्यायालय में अभियुक्त की रिहाई के निर्णय के प्रतिकूल मौत की सजा दे दी हो (ख) अपने से निम्न कोर्ट के किसी न्यायालय से किसी मुकदमे को अपने हाथ में ले लिया हो, और उस मुकदमे में अभियुक्त को मौत की सजा दी हो या (ग) यह प्रमाणित किया हो कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उन्मुख है (धारा 134)। सदन को यह अधिकार भी प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और भी बड़ा कर उसे यह अधिकार दे दे कि वह भारत के किसी हाईकोर्ट द्वारा फौजदारी मामले में दिए हुए निर्णय, अन्तिम आज्ञा या सजा के सबंध में अर्जी प्राप्त करें तथा सुने।

### अन्य शक्तियाँ

धारा 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के आधारभूत अधिकारों की रक्षा के लिए कई विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार हाईकोर्टों को भी हैं। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सम्पूर्ण भारत में मान्य होगा। किसी एक मामले में दिया गया उच्चतम न्यायालय का निर्णय देश भर के उसी तरह के मामलों के लिए प्रत्येक न्यायालय को मान्य होगा। धारा 142(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को कहीं उपस्थित होने के लिए अथवा दस्तावेजों को पेश करने के लिए अथवा अपने अपमान के सिलसिले में हारि होने के लिए बाधित कर सकता है।

धारा 145 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने लिए कार्य पद्धति के नियमों-पनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। संविधान सम्बन्धी मामलों में, जो उच्चतम न्यायालयों की डिवीजन बेंचों के सम्मुख पेश होंगे, कम से कम 5 जज अवश्य होंगे। अगर जजों में मतभेद होगा, तो बहुमत की राय मानी जायेगी, परन्तु अल्पमत को यह अधिकार होगा कि वह अपने मतभेद को अंकित कर दे।

### उच्चतम न्यायालय के निर्णय

गत वर्ष कई ऐसे महत्वपूर्ण मामले उच्चतम न्यायालय के सामने उपस्थित किये गये थे, जो कानून की व्यवस्था से सम्बद्ध थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मामला सविधान का प्रथम संशोधन (सन् 1951) सम्बन्धी था। सदन ने यह कानून जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए न्याय-सम्बन्धी अनावश्यक और लम्बी छानबीन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया था ताकि अनावश्यक मुकदमेवाजी न हो। जमींदारों पर इस कानून का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इसलिये सविधान की धारा 32 के अनुसार उन्होंने उच्चतम न्यायालय में इस कानून के खिलाफ अपील की। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उक्त कानून वैध है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि अस्थायी सदन को इस तरह का परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि उस में उस समय केवल एक ही सदन था, जब कि संविधान में दो सदनों की व्यवस्था है।

### सार्वजनिक उद्देश्य

इसी सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण कानूनी मसला यह था कि जमींदारी हटाने में 'सार्वजनिक उद्देश्य' कहा तक आता है। इस सम्बन्ध में जजों की राय विभाजित थी। जस्टिस महाजन ने बहुमत की रिपोर्ट में यह कहा कि "उच्चतम न्यायालय को इस सम्बन्ध में विचार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।" उनका कथन था, "यह स्पष्ट है कि कुछ व्यक्तियों के पास भूमि के बड़े बड़े भाग होना भारतीय सविधान के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इस कानून का उद्देश्य यह है कि वह भूमि कुछ व्यक्तियों के हाथ से निकल कर राष्ट्र के हाथ में आ जाए और राष्ट्र उसे सार्वजनिक हित के कार्यों में लगा सके।"

इस तरह विद्वान जजों ने जमींदारी को हटाने के सम्बन्ध में राष्ट्र की नीति को उचित मित्र किया। ये सिद्धान्त कोई अदालत किसी राज्य पर थोप नहीं सकती, परन्तु सरकार का यह अपना कर्तव्य है कि कानून बनाते हुए इन सिद्धान्तों का ख्याल रखे। जस्टिस महाजन का कथन था कि सार्वजनिक हित का तात्पर्य क्या है, यह युग भावना की गति को देखते हुए समझना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वह विशेष कानून किस समय बनाया गया था। उन्होंने यह भी कहा, इस सम्बन्ध में अदालतों की अपेक्षा राज्यों के विधानमंडल अधिक प्रामाणिक हैं।

### कानून के सन्मुख समानता

उच्चतम न्यायालय के सामने दूसरा महत्वपूर्ण मामला 'पश्चिमी बंगाल सरकार बनाम अनवरअली सरकार' था। इस मामले में कानून के सन्मुख समानता का प्रश्न विचारणीय था। पश्चिमी बंगाल सरकार ने बंगाल स्पेशल कोर्ट कानून के नाम से एक कानून बनाया था, जिसका उद्देश्य कुछ मामलों में मुकदमों की रफ्तार तेज करना था। राज्य की सरकार ने कुछ ऐसी विशेष अदालतें बनाई थी, जिन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सिद्धान्त के अतिरिक्त भी कुछ कार्य-पद्धति सम्बन्धी अधिकार दिए गए थे। ऐसी ही किसी विशेष अदालत ने अनवरअली को फांसी की सजा दी थी। अनवरअली ने इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की कि राज्य को कानून के सम्बन्ध में समानता के सिद्धान्त को खंडित करने का



अधिकार नहीं है। इन सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से (6 और 1) अपील को स्वीकार कर लिया। यह निर्णय दिया गया कि स्पेशल कोर्टों की कार्य पद्धति में कोई आधारभूत भेद नहीं होना चाहिए।

### पेशों की स्वाधीनता

संविधान की धारा 19(9) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को कोई भी पेशा अपनाने की पूरी स्वाधीनता है। केवल राज्यों की सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे व्यापार व्यवसाय आदि पर आवश्यक प्रतिबन्ध लगा सकें। 'मोहम्मद यासीन बनाम टाउन एरिया कमेटी' के एक मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि व्यापार पर लायसेंस फी लगाना आधारभूत सिद्धान्त के विरुद्ध है या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस तरह की फीस नहीं लगाई जा सकती।

'सतीशचन्द्र बनाम भारत यूनियन' मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या भारत सरकार सतीशचन्द्र की सेवाओं को बीच में ही समाप्त कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य अस्थायी सेवा के लिए अनुबन्ध कर सकता है। सतीशचन्द्र की अपील स्वीकार नहीं हुई।

### उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट)

राज्यों में न्याय के लिए सब से उच्च अदालत उच्च-न्यायालय है।

वर्तमान समय में 'क' और 'ख' सूचियों के राज्यों में कुल 17 उच्च न्यायालय हैं। उन की सूची इस प्रकार है :—

| उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) का नाम | अधिकार क्षेत्र का प्रदेश | प्रतिस्थापन वर्ष |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. इलाहाबाद                     | उत्तर प्रदेश             | 1919             |
| 2. आसाम                         | आसाम                     | 1948             |
| 3. बम्बई                        | बम्बई                    | 1861             |
| 4. कलकत्ता                      | पश्चिमी बंगाल            | 1861             |
| 5. हैदराबाद                     | हैदराबाद                 | 1926             |
| 6. जम्मू और काश्मीर             | जम्मू और काश्मीर         | 1928             |
| 7. मध्य भारत                    | मध्य भारत                | 1948             |
| 8. मद्रास                       | मद्रास और आंध्र          | 1861             |
| 9. मैसूर                        | मैसूर                    | 1884             |
| 10. नागपुर                      | मध्यप्रदेश               | 1936             |
| 11. उड़ीसा                      | उड़ीसा                   | 1948             |
| 12. पटना                        | बिहार                    | 1916             |
| 13. पेप्सू                      | पेप्सू                   | 1948             |
| 14. पंजाब                       | पंजाब और दिल्ली          | 1947             |
| 15. राजस्थान                    | राजस्थान                 | 1949             |
| 16. सौराष्ट्र                   | सौराष्ट्र                | 1948             |
| 17. तिरुवांकुर-कोचीन            | तिरुवांकुर-कोचीन         | 1949             |

लगभग 75 वर्षों तक इनमें से कुछ उच्च न्यायालय देश के सर्वोच्च न्यायालय बने रहे । प्रिवी कौंसिल इम देश से बहुत दूर थी, इसलिए उसका शासन सम्बन्धी नियंत्रण उच्च न्यायालयों पर नहीं रह सकता था । नए संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अधिकार स्वभावतः अधिक हैं । उसके अपील सम्बन्धी अधिकार भी प्रिवी कौंसिल की अपेक्षा विस्तृत हैं । उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के व्यवस्था सम्बन्धी मामलों में अब भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता । यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, जो उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करते हुए भारत के उच्चतम न्यायाधिपति से भी राय लेता है ।

उच्च न्यायालयों के जजों की मर्यादा का निर्णय राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को देखकर करता है । उक्त 17 उच्च न्यायालयों में कुल मिलाकर 140 जज हैं, उनकी सूची नीचे दी गई है ।

### उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

#### इलाहाबाद

##### मुख्य न्यायाधीश

बी० मलिक

नियुक्ति की तिथि

14 दिसम्बर 1947

##### अन्य न्यायाधीश

|                       |            |      |
|-----------------------|------------|------|
| 1. एम० एच० किदवाई     | 13 जुलाई   | 1946 |
| 2. ओ० एच० मूथम        | 22 जुलाई   | 1946 |
| 3. आर० दयाल           | 22 जुलाई   | 1946 |
| 4. एच० चन्द्र         | 15 जनवरी   | 1947 |
| 5. सी० बी० अग्रवाल    | 14 मई      | 1948 |
| 6. एम० सी० देसाई      | 13 दिसम्बर | 1948 |
| 7. बी० भार्गव         | 1 अगस्त    | 1949 |
| 8. बी० एम० लाल        | फरवरी      | 1950 |
| 9. आर० एन० गुर्दे     | 1 जून      | 1951 |
| 10. एन० बेग           | 1 जून      | 1951 |
| 11. बी० मुरुजी        | 8 अगस्त    | 1952 |
| 12. एम० एल० चतुर्वेदी | 8 अगस्त    | 1952 |
| 13. एच० एम० चतुर्वेदी | 14 नवम्बर  | 1952 |
| 14. ए० चरण            | 22 दिसम्बर | 1952 |
| 15. आर० मिह           | 6 अप्रैल   | 1953 |
| 16. एच० पी० अस्थाना   | 6 अप्रैल   | 1953 |
| 17. डी० एन० राय       | 14 दिसम्बर | 1953 |

#### आसाम

##### मुख्य न्यायाधीश

सरजू प्रसाद

25 जनवरी 1950

## अन्य न्यायाधीश

1. आर० लभाया
2. एच० आर० डेहा

निधुक्ति की तिथि

- 3 जनवरी 1949
- 5 जून 1951

## बम्बई

## मुख्य न्यायाधीश

एम० सी० चागला

4 जनवरी 1948

## अन्य न्यायाधीश

- 1 एन० एच० सी० कोयाजी
- 2 जी० एम० राजाध्याक्ष
- 3 आर० एम० वावडेकर
- 4 पी० बी० गजेन्द्रगडकार
- 5 वाई० बी० दीक्षित
- 6 एम० आर० तन्दूलकर
- 7 एच० के चंनानी
- 8 जे० सी० शाह
- 9 डी० बी० व्यास
10. एम० टी० देसाई

- 1 मार्च 1943
- 14 जून 1943
- 6 मार्च 1945
- 6 मार्च 1945
- 16 फरवरी 1946
- 2 जुलाई 1946
- 27 अगस्त 1948
- 1 मार्च 1949
- 6 मार्च 1950
- 8 अक्टूबर 1952

## कलकत्ता

## मुख्य न्यायाधीश

पी० बी० चक्रवर्ती

14 मई 1952

## अन्य न्यायाधीश

1. जी० एन० दाम
2. के० सी० चन्दर
3. के० सी० दामगुप्त
4. आर० पी० मुकर्जी
5. एम० आर० दामगुप्त
6. एम० सी० गहगरी
7. पी० बी० मुकर्जी
8. ए० के० सरकार
9. जे० पी० मित्र
10. बी० के० गुहा
11. एच० के० वोरा
12. आर० एम० बच्चावट
13. डी० एन० मिन्हा
14. पी० एन० मुकर्जी
15. एम० एन० गुहा राय

- 12 फरवरी 1947
- 10 मार्च 1948
- 13 मई 1948
- 13 मई 1948
- 3 जनवरी 1949
- 3 जनवरी 1949
- 3 जनवरी 1949
- 25 जनवरी 1949
- 11 फरवरी 1949
- 3 नवम्बर 1949
- 8 दिसम्बर 1949
- 23 जनवरी 1950
- 3 जुलाई 1950
- 20 नवम्बर 1950
- 23 मई 1951

|                   |           |      |
|-------------------|-----------|------|
| 16. आर० मुकजी     | 12 मई     | 1952 |
| 17. एस० के० सेन   | 12 मई     | 1952 |
| 18. जी० के० मित्र | 24 नवम्बर | 1952 |
| 19. डी० मुकजी     | 24 नवम्बर | 1952 |

हैदराबाद

मुख्य न्यायाधीश

|               |           |      |
|---------------|-----------|------|
| एल० एस० मिश्र | 13 नवम्बर | 1952 |
|---------------|-----------|------|

अन्य न्यायाधीश

|                       |            |      |
|-----------------------|------------|------|
| 1 एस० आर० पालनितकर    | 24 फरवरी   | 1943 |
| 2 क्यू० हसन           | 24 फरवरी   | 1943 |
| 3 एम० प्रसाद          | 20 नवम्बर  | 1946 |
| 4 एम० ए० अमारी        | 20 नवम्बर  | 1946 |
| 5 एम० ए० खान          | 1 जनवरी    | 1947 |
| 6 ए० श्रीनिवासामाचारी | 26 मार्च   | 1947 |
| 7 बी० आर० देशपांडे    | 10 सितम्बर | 1949 |
| 8 पी० जे० रेड्डी      | 16 फरवरी   | 1952 |

जम्मू और काश्मीर

मुख्य न्यायाधीश

|              |       |      |
|--------------|-------|------|
| जे० एन० बजीर | मार्च | 1948 |
|--------------|-------|------|

अन्य न्यायाधीश

|                  |        |      |
|------------------|--------|------|
| 1 जे० एन० किलम   | अग्रेत | 1948 |
| 2 एम० ए० साहमीरी | अगस्त  | 1948 |

मध्य भारत

मुख्य न्यायाधीश

|                |          |      |
|----------------|----------|------|
| जी० के० शिण्डे | 26 जनवरी | 1952 |
|----------------|----------|------|

अन्य न्यायाधीश

|                      |          |      |
|----------------------|----------|------|
| 1 पी० बी० दीक्षित    | 29 जुलाई | 1948 |
| 2. ए० एच० खान        | 21 मार्च | 1951 |
| 3. बी० के० चतुर्वेदी | 21 मार्च | 1951 |
| 4. बी० आर० नेवामकर   | 14 जुलाई | 1952 |
| 5. एम० एम० सम्बतसर   | 29 जुलाई | 1953 |

मद्रास

मुख्य न्यायाधीश

|                   |          |      |
|-------------------|----------|------|
| पी० बी० राजमन्नार | 17 जनवरी | 1948 |
|-------------------|----------|------|

अन्य न्यायाधीश

|                 |          |      |
|-----------------|----------|------|
| 1. पी० एस० राव  | 28 जुलाई | 1947 |
| 2. पी० जी० मेनन | 28 जुलाई | 1947 |

| अन्य न्यायाधीश             | नियुक्ति की तिथि |
|----------------------------|------------------|
| 3. के० एस० राव             | 22 मार्च 1948    |
| 4. ई० ई० मैक               | 3 अप्रैल 1948    |
| 5. पी० राजगोपालन]          | 5 अप्रैल 1948    |
| 6. ए० एस० पी० अय्यर        | 7 सितम्बर 1948   |
| 7. एन० सोमसुन्दरम्!        | 27 सितम्बर 1948  |
| 8. पी० वी० वी० अय्यर       | 19 जनवरी 1949    |
| 9. पी० सी० रेड्डी          | 16 जुलाई 1949    |
| 10. वी० अहमद]              | 16 जुलाई 1949    |
| 11. डब्ल्यू० एस० के० नाथडू | 16 जुलाई 1949    |
| 12. पी० एन० रामास्वामी     | 7 जुलाई 1951     |
| 13. के० आर० गुन्दर         | 7 जुलाई 1951     |
| 14. एन० आर० आर्यंगार       | 23 नवम्बर 1953   |
| 15. के० उमामहेश्वरम्       | 26 नवम्बर 1953   |

## मैसूर

| मुख्य न्यायाधीश    |                |
|--------------------|----------------|
| पी० मेदप्पा        | 20 नवम्बर 1948 |
| अन्य न्यायाधीश     |                |
| 1. पी० वेकटरामय्य  | 25 फरवरी 1946  |
| 2. एन० बालकृष्णय्य | 14 जून 1948    |
| 3. टी० एन० मल्लप्प | 24 नवम्बर 1948 |
| 4. बी० वी० मूर्ति  | 10 अगस्त 1950  |

## नागपुर

| मुख्य न्यायाधीश       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| बी० पी० सिनहा         | 24 फरवरी 1951   |
| अन्य न्यायाधीश        |                 |
| 1. एम० हिदायतउल्ला    | 24 जून 1944     |
| 2. के० टी० मंगलमूर्ति | 21 जून 1948     |
| 3. के० राव            | 2 मार्च 1949    |
| 4. जे० आर० मुधोलकर    | 11 नवम्बर 1948  |
| 5. वी० आर० सैन        | 26 जनवरी 1949   |
| 6. पी० पी० देव        | 29 अक्तूबर 1949 |
| 7. बी० के० चौधरी      | 9 नवम्बर 1951   |
| 8. जी० पी० भट्ट       | 14 फरवरी 1953   |
| 9. वाई० एस० ताम्बे    | 8 फरवरी 1954    |

उड़ीसा

मुख्य न्यायाधीश

[एल० पाणिग्रही 4 मार्च 1953]

अन्य न्यायाधीश

- |                     |           |      |
|---------------------|-----------|------|
| 1. आर० एल० नरसिंहम् | 26 जुलाई  | 1948 |
| 2. एस० पी० महापात्र | 2 मई      | 1952 |
| 3. जे० महन्ती       | 23 अप्रैल | 1953 |

टटना

मुख्य न्यायाधीश

एस० जे० इमाम 3 सितम्बर 1953

अन्य न्यायाधीश

- |                    |            |      |
|--------------------|------------|------|
| I एस० के० दाम      | 4 नवम्बर   | 1944 |
| 2. बी० रामास्वामी  | 1 नवम्बर   | 1947 |
| 3. जे० के० नारायण  | 22 जनवरी   | 1948 |
| 4. बी० पी० जमौर    | 18 जुलाई   | 1949 |
| 5. बी० एन० राय     | 25 जनवरी   | 1950 |
| 6. सी० पी० मिन्हा  | 16 जून     | 1950 |
| 7. के० अहमद        | 23 अप्रैल  | 1951 |
| 8. एस० सी० मिश्र   | 11 दिसम्बर | 1952 |
| 9. के० के० बैनर्जी | 12 दिसम्बर | 1952 |
| 10. आर० के० चौधरी  | 4 अप्रैल   | 1953 |
| 11. के० सहाय       | 13 जुलाई   | 1953 |

पेप्सु

मुख्य न्यायाधीश

[के० आर० पास्सी 19 नवम्बर 1953]

अन्य न्यायाधीश

- |                   |            |      |
|-------------------|------------|------|
| 1. जी० एल० चौपड़ा | 28 अक्तूबर | 1948 |
| 2. जी० सिंह       | 21 जुलाई   | 1950 |
| 3. मेहरसिंह       | 24 दिसम्बर | 1953 |

पंजाब

मुख्य न्यायाधीश

ए० एन० भंडारी 8 दिसम्बर 1952

अन्य न्यायाधीश

- |                  |           |      |
|------------------|-----------|------|
| 1. जी० डी० खोसला | 1 नवम्बर  | 1944 |
| 2. डी० फालशा     | 2 दिसम्बर | 1946 |

|                 |          |      |
|-----------------|----------|------|
| 3. एच० सिंह     | 8 नवम्बर | 1948 |
| 4. जे० एल० कपूर | 6 जून    | 1949 |
| 5. एस० एस० दूलत | 13 मार्च | 1953 |

## राजस्थान

## मुख्य न्यायाधीश

|              |         |      |
|--------------|---------|------|
| के० एन० वाचू | 2 जनवरी | 1951 |
|--------------|---------|------|

## अन्य न्यायाधीश

|                   |          |       |
|-------------------|----------|-------|
| 1. के० एल० बापना  | 29 अगस्त | 1949  |
| 2. जे० एस० राणावट | 29 अगस्त | [1949 |
| 3. के० के० शर्मा  | 15 जून   | 1951  |
| 4. डी० एस० दवे    | 12 जुलाई | 1952  |
| 5. आई० एन० मोदी   | 29 जनवरी | 1953  |

## सौराष्ट्र

## मुख्य न्यायाधीश

|             |          |      |
|-------------|----------|------|
| एम० सी० शाह | 1 अप्रैल | 1951 |
|-------------|----------|------|

## अन्य न्यायाधीश

|                 |            |      |
|-----------------|------------|------|
| 1. एस० जे० चटपर | 5 अप्रैल   | 1950 |
| 2. जे० ए० बक्सी | 22 सितम्बर | 1951 |

## तिरुवाकुर-कोचीन

## मुख्य न्यायाधीश

|              |          |      |
|--------------|----------|------|
| के० टी० कोशी | 26 जनवरी | 1952 |
|--------------|----------|------|

## अन्य न्यायाधीश

|                            |           |      |
|----------------------------|-----------|------|
| 1. के० शकरन                | 7 जुलाई   | 1949 |
| 2. के० एस० गोविन्द पिल्लई  | 7 जुलाई   | 1949 |
| 3. पी० के० मुन्नमण्य अय्यर | 9 अगस्त   | 1950 |
| 4. वी० आई० जोसेफ           | 25 मई     | 1951 |
| 5. जी० के० पिल्लई          | 24 नवम्बर | 1952 |
| 6. एम० एस० मेनन]           | 29 जनवरी  | 1953 |
| 7. टी० के० जोसेफ           | 31 जुलाई  | 1953 |

## उच्च न्यायालयों की स्वाधीनता

साधारणतः उच्च न्यायालय का अधिकारक्षेत्र अपने राज्यो तक ही सीमित है। राज्य के विधान मण्डलों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे उच्च न्यायालय के विधान या मगठन में कोई परिवर्तन कर सकें। यह अधिकार संसद् को है। इसी तरह उच्च न्यायालय के जजों किसी जज को हटाने का अधिकार भी संसद् को ही है। उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाने के सम्बन्ध में जो कानून है, उसी ढंग से उच्च न्यायालय के जजों को हटाया जा सकता है।

### शक्ति तथा कार्य

नए सविधान में उच्च न्यायालयों के कार्य तथा शक्ति में विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। भारत में ये उच्च न्यायालय रायल लैटर्स पेटेण्ट के अनुसार जारी किये गये थे। 1861 में तीन प्रेसीडेसी हाई-कोर्ट बने थे, जिन्हें सीधे मुकदमों में सुनने तथा अपीलें सुनने का विशेष अधिकार दिया गया था। उसके बाद जो हाई-कोर्ट बने, उन्हें केवल अपीलें सुनने का अधिकार था। हाँ, कुछ विशेष मामले सीधे तौर पर भी उनके पास जा सकते थे।

उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी अदालतों और न्याय मंडलों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। वह इन न्यायालयों के सभी कार्यों, गतिविधि, हिसाब किताब तथा कार्य पद्धति के सम्बन्ध में नियम बना सकता है तथा देखरेख रख सकता है। (धारा 225)

धारा 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी सीमा के भीतर किसी व्यक्ति, अधिकारी या सरकार को पेशी के लिए बुला सके या किसी काम को करने से रोक सके और या सविधान के भाग ३ के अधिकारों का प्रयोग कर सके।

### अधीनस्थ अदालतें

जिले के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय की राय में करता है। ये न्यायाधीश दीवानी मामलों के सम्बन्ध में पेश होने वाले मुकदमों में सुनते हैं। जिले के शेष न्यायाधिकारी उनके अधीन होते हैं। इन शेष न्यायाधिकारियों की नियुक्ति राज्य के पब्लिक सर्विस कमिशन की राय में राज्यपाल करता है, और उस की मजूरी उच्च न्यायालय में ली जाती है। इन न्यायाधिकारियों के सम्बन्ध में सभी कानून, उन के स्थान का निश्चय पदान्ति, छुट्टी आदि के कार्य उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं।

### बनावट और कार्य

देश भर में छोटे न्यायालयों का ढाँचा लगभग एक समान है। प्रत्येक राज्य कुछ जिलों में बंटा हुआ है और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। उन के नीचे विभिन्न ओहदों के न्यायाधिकारी होते हैं। इन में से कुछ को नए मामले सुनने का अधिकार होता है, और कुछ को अपीलें सुनने का भी। छोटे दीवानी मामलों के लिए सबज्जी अदालतें होती हैं। जमींदार और किसानों के झगड़ों के लिए लगान सम्बन्धी अदालतें हैं, जिन के निर्णय की अपील ऊपर की अदालतों में की जा सकती है।

दीवानी अदालतें जायदाद या रुपये जैसे सम्बन्धी मुकदमों के अतिरिक्त सरक्षकता, विवाह, तलाक, जायदाद का प्रबन्ध और अधिकार क्षेत्र के निश्चय आदि के सम्बन्ध में पेश होने वाले मामलों में सुनती हैं। भूमि अधिगति कानून (लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट) तथा जंगलात कानून के दीवानी मामले विशेष अफसर सुनते हैं, परन्तु उन की अपील दीवानी अदालतों में हो सकती है। नागरिकता के अधिकार सम्बन्धी मामलों को सुनने के लिए तीसरी तरह की अदालतें भी होती हैं, जो प्रायः इसी काम के लिए अस्थायी रूप से बनाई जाती हैं। इन मामलों में अपील सम्बन्धी अधिकारों के बारे में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में वादी और प्रतिवादी प्रायः उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप का अनुरोध किया करते हैं।



### फौजदारी न्याय

भारत का फौजदारी कानून समय समय पर सशोधित किया जाता रहा है और उस के अनुसार फौजदारी अदालतें काम करती हैं। प्रत्येक जिले में इन अदालतों का मुखिया एक सेशन जज होता है। आवश्यकता के अनुसार उस की सहायता के लिए सहायरी सेशन जज भी नियुक्त किया जाता है। ये न्यायाधिकारी सीधे उच्च न्यायालय के नीचे होते हैं, और प्रायः जिले का शासक उन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन के सम्मुख गंभीर मामले भी पेश किये जाते हैं, जिन के बारे में कोई मजिस्ट्रेट पहले छानबीन कर चुका होता है। इन अदालतों में जूरी या असेसर भी नियुक्त किये जाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट इन बात पर निगरानी रखता है कि उस के जिले में विभिन्न न्यायाधीश क्या काम कर रहे हैं। जिला कलक्टर के रूप में वह जिले की कार्यव्यवस्था का भी मुखिया होता है। इसी सम्बन्ध में यह प्रश्न पैदा होता है कि न्याय को शासन व्यवस्था में कहा तक पृथक् रखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में एक अभीष्ट बात यह है कि न्याय सम्बन्धी सभी मामले उच्चन्यायालय के अधीन होते हैं, और उसी की देखरेख में चलाये जाते हैं। बहुत छोटे मामले आनरेरी मजिस्ट्रेटों के सामने भी पेश किये जाते हैं।

### पंचायती अदालतें

संविधान की धारा 40 के अनुसार राज्यों को यह हिदायत दी गई है कि वे गावों की पंचायतों को क्रमशः ऐसे अधिकार दे कि वे धीरे धीरे स्वायत्त शासन करने योग्य संस्थाओं का रूप धारण कर लें। इस निर्देश के अनुसार कई राज्यों ने पंचायत सम्बन्धी कानून पार कर दिये हैं, और वहाँ पंचायतों ने कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है।

इन पंचायतों के कानूनी विभाग को पंचायती अदालत कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गाव में एक गाव सभा होती है, जिसका सदस्य प्रत्येक ग्रामवासी होता है। यह गाव सभा 5 प्रतिनिधियों को चुनती है। इसी तरह से कई गाव मिल कर 25-30 ग्रामियों की एक अदालत सी बना लेते हैं। ये पंचायती अदालतें अपने में से फिर 5 पंचों को चुन लेती हैं। गाव के छोटे छोटे मामले इन पंचायतों के सामने पेश होते हैं। ये पंच मौके पर जाकर अपने विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में निर्णय देने हैं। उनके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अगर किसी मामले में दीवानी जज यह समझे कि कोई भारी अन्याय हुआ है, तो वह किसी नए ट्रिब्यूनल के सामने उस मामले को पेश कर सकता है। परन्तु पंचायती अदालत के निर्णय को वह स्वयं नहीं बदल सकता।

### न्याय और शासन का पृथक्त्व

संविधान की धारा 50 के अनुसार सभी राज्य अब यह प्रयत्न कर रहे हैं कि न्याय को शासन से पृथक् कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में सब से अधिक उन्नति मद्रास में हुई है। वहाँ फौजदारी कानून के अधीन निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं। मजिस्ट्रेट के कार्यों को इन दो भागों में बाटा गया है—(1) न्याय सम्बन्धी तथा (2) अन्य। जो अधिकारी न्याय सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं, उन्हें हाईकोर्ट के अधीन कर दिया गया है। जो शासन अधिकारी कानून और व्यवस्था की रक्षा का कार्य कर रहे हैं, उनके अधिकारों

में कोई कमी नहीं की गई। यह भी नियम बना दिया गया है कि न्याय सम्बन्धी अधिकारी केवल वही लोग बनाये जायें, जिन्हें कानून का ज्ञान हों। अन्य राज्यों में भी इसी तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

### न्यायपद्धति में सुधार

22 दिसम्बर 1953 को भारत सरकार ने एक नया बिल प्रकाशित किया था, जिस का उद्देश्य देश की न्याय व्यवस्था में बड़े बड़े सुधार करना है। इस बिल पर आजकल ससद विचार कर रही है। जब यह बिल कानून बन जायगा, तब देश की न्याय-व्यवस्था अब की अपेक्षा अधिक सरल, कम समय लेने वाली और प्रभावशाली बन जायेगी।

### अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन

गत वर्ष की एक बड़ी घटना दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन का होना है, जो 28 दिसम्बर 1953 से 2 जनवरी 1954 तक हुआ था। यह सम्मेलन एशिया भर में अपने ढंग का प्रथम सम्मेलन था, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून मंच की भारतीय शाखा ने आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधि और प्रेक्षकों ने भाग लिया था। सम्मेलन ने कोई प्रस्ताव तो पार नहीं किया, परन्तु कानून सम्बन्धी कितनी ही बातों पर 6 दिन तक विचार-विनिमय होता रहा। प्रतिनिधियों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। जिन प्रश्नों पर विचार हुआ था, उन में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

संयुक्त राष्ट्र मंच का अधिकारपत्र; मानवीय अधिकार, राज्य के व्यक्तित्व भंग का कानूनी परिणाम, विदेशियों के व्यक्तिगत अधिकार, न्याय सम्बन्धी कानून और कानूनी पेशा। मसारा की वर्तमान राजनीतिक अवस्था को देखते हुए सम्मेलन ने यह अनुभव किया कि केवल बहुमत के बल पर संयुक्त राष्ट्र मंच के अधिकारपत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

### मानवीय अधिकार

सम्मेलन को यह ज्ञान कर सन्तोष हुआ कि मानवीय अधिकारों की आधारभूत बातें बहुत से देशों के संविधानों में सम्मिलित कर ली गई हैं। परन्तु यह उचित समझा गया कि इस सम्बन्ध के कानून सब देशों में लगभग एक समान बनाये जायें। प्रतिनिधियों की यह भी राय थी कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे मानवीय अधिकारों के अधिकारपत्र का आदेश स्वीकार करें।

### न्यायविभाग तथा कानूनी पेशा

सम्मेलन की यह भी राय थी कि जज कैसे व्यक्ति बनाये जाते हैं, इस बात का किसी भी देश की न्याय व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उचित ढंग के लोगों को न्याय विभाग में लगाना चाहिए। सब की यह भी राय थी कि न्यायाधिकारियों का चुनाव करते हुए राजनीतिक दृष्टिकोण कभी नहीं होना चाहिए, केवल कानूनी गुण और योग्यता को ही इस सम्बन्ध में परख मानना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि न्यायाधिकारियों का वेतन इतना प्रबल रखना चाहिए कि यह कार्य ऊँचे दर्जे के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर सके।

### सलाहकारी समिति

सम्मेलन के अन्तिम दिन बर्मा के प्रतिनिधि ने यह सुझाव पेश किया कि एशियाई देशों की सरकारें कानून विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का निर्माण करें, जो अन्तर्राष्ट्रीय

कानून तथा अन्य कानूनी बातों के सम्बन्ध में राय दिया करे। ईराक, सीरिया, इण्डोनेशिया, जापान, नेपाल, लका और भारत के प्रतिनिधियों ने इस सुझाव का समर्थन किया।

### भारत का एटर्नी-जनरल

सविधान की धारा 76 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे एक ऐसे व्यक्ति को भारत का एटर्नी-जनरल नियुक्त करें, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय का जज बनने की योग्यता विद्यमान हो। यह एटर्नी-जनरल भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा। एटर्नी-जनरल भारत की सब अदालतों में उपस्थित हो सकता है। इसके साथ एक सोलिसिटर-जनरल होता है। आजकल ये पद इन लोगों के पास है —

(1) भारत के एटर्नी-जनरल : एम० सी० सीतलवाड

(2) भारत के सोलिसिटर-जनरल : सी० के० दपतरी

प्रत्येक राज्य में एक एडवोकेट जनरल होता है। उस की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस एडवोकेट जनरल में उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। भारत में जो कार्य और अधिकार एटर्नी-जनरल को हैं, वही कार्य और अधिकार राज्यों में एडवोकेट जनरल को हैं।

### वकील

1926 के बार कौंसिल कानून के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य भर के एडवोकेटों की एक सूची रखनी पड़नी है। इस कानून का उद्देश्य यह था कि देश में वकालत का काम करने वाले विभिन्न पदवी प्राप्त लोगों, यथा वकील, एटर्नी, बार-एट-ला, मुन्तार प्लीडर, एडवोकेट आदि को एक ही सूची में लाया जा सके।

वर्तमान प्रथा के अनुसार उच्चतम न्यायालय में सब वकील अपना नाम दर्ज कराते हैं, और किसी मामले में बिना छोटे वकील को साथ लिए कोई बड़ा वकील पेश नहीं हो सकता। उच्च न्यायालयों में वकालत करने वाले वकीलों की पृथक् सूची है, और उस के सम्बन्ध में विशेष नियम हैं। छोटी अदालतों में वकालत करने वाले वकीलों के सम्बन्ध में राज्य का उच्च न्यायालय कानून बनाता है।

### अखिल भारतीय विधान-जीवी-वर्ग (बार)

उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बाद देश में इस बात का विशेष अनुभव किया गया कि एक अखिल भारतीय विधान-जीवी-वर्ग (बार) को स्थापित करना आवश्यक है। दिसम्बर 1951 में जस्टिस एम० आर० दास की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक बार-कमेटी का निर्माण किया था। इस कमेटी को यह कार्य दिया गया था कि वह अखिल भारतीय बार की आवश्यकताओं और सभावनाओं के सम्बन्ध में विचार करे।

मई 1953 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस कमेटी ने सिफारिश की कि (1) एक अखिल भारतीय बार कौंसिल की स्थापना की जाये, (2) कलकत्ता और बम्बई के उच्च न्यायालयों में कौंसिल और सोलिसिटर की दोहरी प्रथा जारी रहे, (3) उच्चतम न्यायालय में यह दोहरी प्रथा न डाली जाय और (4) देश भर में वकालत के पेशे के लिए अपना नाम दर्ज कराने के सम्बन्ध में कम से कम योग्यता का एक समान माप नियत कर दिया जाये।

इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार डम प्रस्तावित अ० भा० बार कौंसिल में ये लोग रहेंगे :—

- (1) उच्चतम न्यायालय के दो ऐसे जज, जो कभी वकील रह चुके हों। उन का चुनाव भारत का मुख्य न्यायाधिपति करेगा। (2) भारत का एटर्नी-जनरल तथा सोली-मिटर-जनरल। (3) राज्यों की बार कौंसिलों का एक-एक प्रतिनिधि। (4) उच्चतम न्यायालय की बार कौंसिल के ३ प्रतिनिधि।

यह अखिल भारतीय विधानजीवी कौन्सिल देश भर के वकीलों के लिए न्यूनतम योग्यता तथा सूची में ग्रपना नाम लिखाने के लिए फीस की दर निश्चित करेगी। यह उन बातों का भी निश्चय करेगी, जिन के आधार पर आवेदनपत्र को अस्वीकार किया जा सकता है और यही कौन्सिल वकालत के नियमों तथा शिष्टाचारों का निश्चय करेगी, तथा उन प्रस्तावों का निर्णय करेगी, जिनमें राज्यों की विधानजीवी कौन्सिल अपने सदस्यों के व्यवहार के सम्बन्ध में जाच करेगी। देश में कानूनी शिक्षा का माप भी यही कौंसिल निश्चित करेगी।

## छटा अध्याय सार्वजनिक सेवा

सविधान के अनुसार भारतीय यूनियन में तथा भारत के प्रत्येक राज्य में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का विधान है। दो या अधिक राज्य चाहे तो वे मिलकर अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुज्ञा से कोई राज्य यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी यह अनुरोध कर सकता है कि उस राज्य की सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करे।

सविधान की धारा 316 में इन कमीशनो का उल्लेख है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष तथा सदस्यो की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों में ये नियुक्तिया राज्यपाल करता है। इस कमीशन के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए, जो कम से कम 10 वर्षों तक यूनियन की अथवा किसी एक राज्य की सेवा कर चुके हो।

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यो की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए होती है और वे 65 वर्ष की अवस्था में अवसर प्राप्त कर लेते हैं। राज्यों के कमीशनो के लिए अधिकतम आयु की सीमा 60 वर्ष है। पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य को उस के किसी गभीर विपरीत आचरण के लिए उच्चतम न्यायालय की राय से केवल राष्ट्रपति ही पदच्युत कर सकता है।

धारा 319 के अनुसार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष अवसर प्राप्त कर लेने के बाद भारत सरकार में अथवा राज्यों की किसी सरकार में पद ग्रहण नहीं कर सकता। राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष किसी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं अथवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लिए जा सकते हैं। इस तरह के नियम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यो तथा राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशनो के सदस्यो के लिए भी है।

ये कमीशन अपने क्षेत्र में राज्य की सेवाओं के लिए परीक्षा द्वारा अथवा भेट द्वारा राज्याधिकारियो को चुनते हैं। पदोन्नति के लिए भी ये कमीशन उम्मीदवारो को मुलाकात के लिए बुला सकते हैं। ये कमीशन अपनी अपनी सरकारो को सरकारी सेवाओं के सम्बन्ध के सभी मामलों पर सलाह देते हैं। इनमें सरकारी कार्यकर्ताओं के अनुशासन भग का मसला भी है। सरकारी नौकरी सम्बन्धी प्रत्येक बात के लिए यह आवश्यक है कि यूनियन सरकार और राज्यों की सरकारें अपने पब्लिक सर्विस कमीशनों से राय ले। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति या राज्यपाल भी यदि हस्तक्षेप करना चाहे तो उन्हें संसद या राज्य के सविधान मंडलो से स्वीकृति लेनी होगी।

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजता है। अगर किसी मामले में राष्ट्रपति कमीशन से असहमत हो, तो वह मामला तथा उक्त रिपोर्ट संसद के सामने पेश की जाती है। राज्यों में भी इसी तरह की कार्य पद्धति का विधान है।

**सेवाओं का पुनर्गठन**

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से एक ओर तो सरकारो का काम बढ़ गया, और दूसरी ओर उन का कार्य-क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया। जनता की हित की दृष्टि से जो नये

काम प्रारम्भ किये गये तथा नये राजनीतिक सम्बन्धों के कारण नये दूतावास स्थापित होने से राज्य कर्मचारियों की संख्या पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ानी आवश्यक हो गई। दूसरी ओर स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बहुत से अंग्रेज उच्च राज्याधिकारी वापस चले गए, तथा अधिकांश मुसलमान राज्याधिकारी पाकिस्तान चले गए। इस तरह भारतीय सिविल सर्विस के लगभग 1,000 उच्च पदाधिकारियों में से लगभग 600 देश छोड़ कर चले गए, और 400 ही बाकी बच रहे। भारतीय पुलिस सेवाओं का भी यही हाल हुआ।

देश विभाजन से भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में 3 नई समस्याएँ उत्पन्न हुई : (1) रिक्त स्थानों की तत्काल पूर्ति, (2) भारतीय सिविल सर्विस तथा भारतीय पुलिस सर्विस के लिए चुनाव करने की नई विधि बनाना, (3) देश की आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीय सरकार की शासन सम्बन्धी मशीन का पुनर्गठन करना, ताकि देश की शासन सम्बन्धी सेवाएँ भारत की उन्नति के लिए बढ़ती जानें वाली नई नीति को भली प्रकार व्यवहार में ला सकें।

### आपत्कालीन भरती

भारतीय गृह-मन्त्रालय ने इस कार्य के लिए सेवाओं की तत्कालीन भरती प्रारम्भ की। 1948 के मध्य में एक विशेष भरती बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड ने स्थायी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य लोगों में से भी योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया। ऊँचे पदों पर वे लोग चुने गये, जिन में इन पदों के लिए आवश्यक सभी गुण विद्यमान थे।

### अखिल भारतीय सेवाएँ

भारतीय सिविल सर्विस तथा भारतीय पुलिस सर्विस के पुनर्गठन तथा पूरी तरह भारतीय-करण की ओर सरदार वल्लभभाई पटेल का ध्यान उसी समय आकर्षित हुआ, जब वे पहले पहल अन्तरिम सरकार के गृहमंत्री बने। अक्टूबर 1946 में ही उन्होंने भारतीय सिविल सर्विस की जगह भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रारम्भ किया, और पुलिस सम्बन्धी सेवाओं की भरती तथा शिक्षा के लिए भी आवश्यक परिवर्तन किये।

3 वर्षों के बाद जब भारत की प्रायः सब रियासतें भाग 'ख' के रूप में भारत में शामिल हो गईं, तब उन्हें भी (जम्मू और काश्मीर को छोड़कर), इन सेवाओं के अन्तर्गत ले आया गया। वर्तमान भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारत की केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों को उच्च शासनाधिकारी देती है और उस का वर्गीकरण विभिन्न राज्यों के आधार पर किया जाता है।

### एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ट्रेनिंग स्कूल

दूसरे महायुद्ध तक आई० सी० एस० के सभी चुने हुए उम्मीदवारों को इंग्लैंड में जा कर 1 या 2 वर्षों के लिए शिक्षा लेनी पड़ती थी। महायुद्ध के दिनों में यह प्रथा बन्द कर दी गई और देहरादून में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया गया और 1947 में दिल्ली में एक भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस स्कूल खोल दिया गया। इस स्कूल के पाठ्यक्रम में, फौजदारी कानून, प्रारम्भिक दीवानी कानून, भारतीय भाषाएँ, सेवा सम्बन्धी व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा, भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवस्था सम्बन्धी विकास का इतिहास और देश की आर्थिक समस्याओं से सम्बद्ध अर्थ-अस्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती है।

### भारतीय पुलिस सेवाएँ

स्वाधीनता से पहले भारतीय पुलिस सर्विस का सगठन भी भारतीय सविल सर्विस के ढग पर था, और इस सेवा में भी कुछ लोग इंग्लैंड में और कुछ लोग भारत में प्रादेशिक आधार पर लिए जाते थे। प्रान्तों की पुलिस सेवाओं के व्यक्ति भी अच्छा काम करने की दशा में भारतीय पुलिस सर्विस में ले लिए जाते थे। द्वितीय विश्व महायुद्ध तथा भारतीय स्वाधीनता के कारण इन सेवाओं में जब स्थान रिक्त हुए, तो उन की पूर्ति मुख्यतः प्रान्तों की पुलिस सर्विस के योग्य व्यक्तियों को लेकर की गई।

राज्यों के मुख्य मंत्रियों के जिस सम्मेलन में भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सम्बन्ध में नया ढग स्वीकार किया गया, उसी सम्मेलन में भारतीय पुलिस सर्विस के लिए भी यह ढग स्वीकार किया गया। यह निश्चय हुआ कि पुलिस सर्विस के व्यक्ति भी राज्यों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा चुने जायेंगे। इन सेवाओं के वेतन वर्तमान स्थितियों के दृष्टिकोण से विभिन्न राज्यों की सलाह से नियत किये जायेंगे। शुरू शुरू में एक विशेष भरती बोर्ड रिक्त स्थानों की पूर्ति बाहर से योग्य व्यक्तियों के चुनाव द्वारा करेगा।

### सेवाओं के सम्बन्ध के नियम

सविधान की धारा 312 के अनुसार भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा भारतीय पुलिस सर्विस ये दोनों अखिल भारतीय सेवाएँ हैं। इन के सम्बन्ध में सभी तरह के नियमन करना संसद का काम है। उसी के अनुसार अक्टूबर 1951 में संसद ने अखिल भारतीय सेवा कानून (आल इंडिया सर्विस ऐक्ट) पास किया था। सविधान के अनुसार सेवाओं के मदस्यों को उनके सदस्यत्व काल के लिए उचित सुरक्षा भी दी गई है। धारा 311 के अनुसार किसी अखिल भारतीय सेवा का कोई व्यक्ति केवल अपने नियुक्त करने वाली संस्था द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है और साथ ही यदि कभी उसे पदच्युत करने की स्थिति उत्पन्न भी हो जाये, तो पदाधिकारी को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर दिया जायेगा। परन्तु वह अधिकार तीन अवस्थाओं में नहीं मिलेगा—(1) जिन अधिकारियों पर फौजदारी अधिरोप हो, या (2) जिन्हें पदच्युत करने वाला अधिकृत अधिकारी यह समझे कि अपराधकर्ता को अपनी सफाई दे सकने की सुविधा देने का कोई व्यवहारिक उपाय नहीं है और (3) जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस बात का विश्वास हो कि इस तरह की सफाई से राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

### भरती

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से राज्य की सेवाओं की भरती के लिए निम्नलिखित अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती हैं :

भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा, भारतीय विदेशी सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा सेवा, भारतीय सेना-लेखा सेवा, भारतीय रेलवे-लेखा सेवा, भारतीय तटकर तथा आन्तरिक कर सेवा, आयकर अफसर श्रेणी I और 2, रेलवे-व्यापारिक सेवा, भारतीय रेलवे का प्रबन्ध विभाग, भारतीय डाक सेवा, भारतीय प्रमाणन सेवा, भारतीय जंगल सेवा, केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय

रेल की इजीनियरिंग सेवा, तार इजीनियरिंग सेवा, डाक और तार विभाग की बतार शाखा की सेवा ।

### आयु सीमा

प्रतियोगिता से जिन परीक्षाओं में चुनाव किया जाता है, उनमें उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ सेवाओं के लिए परिगणित जातियों के उम्मीदवारों की आयु 27 वर्ष तक हो सकती है।

### केन्द्रीय सचिवालय की सेवाएँ

केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओं में सहकारी (असिस्टेंट) से लेकर अडर-सेक्रेटरी तक की सेवाएँ सम्मिलित हैं। गृह-मन्त्रालय चाहे तो इस में कुछ अपवाद कर सकता है। उन के अतिरिक्त वे सेवाएँ भी इन्हीं में सम्मिलित हैं, जिन के बारे में विभिन्न मन्त्रालय, अर्थ सचिवालय तथा गृह सचिवालय की सहमति से यह निश्चय करे कि उनकी गणना उक्त सेवाओं में की जाए।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा सम्बन्धी नई योजना 22 अक्टूबर 1948 को मन्त्रि-मंडल ने स्वीकार की थी। इस योजना के अनुसार इन सेवाओं को चार भागों में बाटा गया है —

(1) अडर सेक्रेटरी, (2) सुपरिन्टेण्डेंट, (3) असिस्टेंट सुपरिन्टेण्डेंट, (4) असिस्टेंट। पिछले दो दर्जों के लिए सीधा चुनाव किया जायेगा। 25 प्रतिशत असिस्टेंट साधारण क्लाकों में से चुने जायेंगे। बाकी स्थानों की पूर्ति यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा करेगा। असिस्टेंट सुपरिन्टेण्डेंट के लिए 50 प्रतिशत स्थान पदोन्नति द्वारा पूरे किये जायेंगे और शेष की पूर्ति प्रतियोगिता-परीक्षकों द्वारा की जायेगी, जिन परीक्षाओं का नियंत्रण एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा सेन्ट्रल श्रेणी I की परीक्षाओं के ढग पर किया जायेगा। सुपरिन्टेण्डेंट तथा अडर सेक्रेटरी की सेवाएँ पदोन्नति के द्वारा की जायेगी।



## सातवां अध्याय

### प्रतिरक्षा

अगस्त 1947 में भारतीय सेनाओं को बहुत सी गुथीली समस्याओं का सामना एक साथ करना पड़ा। उन्ही दिनों सेना के बहुत से अग्रज अफसर इंग्लैंड वापस चले गये थे, और अनेक मुसलमान अफसर पाकिस्तान चले गये थे। इस से भारतीय सेनाओं को अनुभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्ही दिनों पाकिस्तान से लाखों व्यक्तियों को भारत में लाना था और भारत से लाखों व्यक्तियों को पाकिस्तान ले जाना था। यह सब काम भी भारतीय सेना ने किया। यह कठिन काम समाप्त हुआ ही था कि भारतीय सेनाओं को जम्मू और काश्मीर में आतताइयों को खदेड़ने के काम पर जाना पड़ा। उस के कुछ दिन बाद हैदराबाद में भारतीय सेना को पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी। जिस शीघ्रता और श्रेष्ठता से भारतीय सेनाओं ने यह कार्य किया, उस से उस की ख्याति और प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई है।

### संगठन

भारतीय सेना जिन दिनों इन उपर्युक्त महत्वपूर्ण कामों में लगी हुई थी, उन्ही दिनों उन के संगठन में नए और महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे थे। सबसे पहले सेना का नियन्त्रण एक मंत्री के सुपुर्द किया गया। स्थल-सेना, जल सेना तथा वायु सेना के लिए पृथक्-पृथक् तीन कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किये गये।

नये विधान के अनुसार सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के अधीन है तथा उक्त तीनों सेनाओं का नियन्त्रण प्रतिरक्षा सचिवालय करता है। नीति सम्बन्धी सभी बातों का निश्चय मन्त्रिमंडल की प्रतिरक्षा समिति करती है। इस प्रतिरक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान मंत्री है, और प्रतिरक्षा, गृह विभाग, अर्थ तथा यातायात के मंत्री इस समिति के सदस्य हैं। तीनों कमानों के अध्यक्ष, प्रतिरक्षा सचिव तथा प्रतिरक्षा के आर्थिक सलाहकार भी इस समिति की बैठकों में सम्मिलित होते हैं।

स्थल-सेना का मुख्य केन्द्र मीधे तौर पर आर्मी स्टाफ के मुखिया तथा कमांडर-इन-चीफ के अधीन काम करता है। इस की मुख्य शाखाएँ निम्नलिखित हैं (1) जनरल स्टाफ शाखा, (2) एडजुटेंट जनरल की शाखा, (3) क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा, (4) आर्डिनेंस के मास्टर-जनरल की शाखा, (5) मुख्य इंजीनियर की शाखा और, (6) सेना सचिव की शाखा। ये छह शाखाएँ कितनी ही उपशाखाओं में विभक्त की गई हैं, जिन का डायरेक्टरेट कहा जाता है।

सेना की विभिन्न कमानें पृथक्-पृथक् जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफों के अधीन हैं, जिन्हें लेफ्टिनेंट-जनरल का ओहदा प्राप्त है। ये कमानें क्षेत्रों के अनुसार विभाजित हैं और प्रत्येक क्षेत्र का मुखिया जनरल आफिसर कमांडिंग (जी० आ० सी०) कहलाता है और उसे मेजर जनरल का ओहदा प्राप्त है। ये क्षेत्र उप-क्षेत्रों में विभक्त हैं, जिन का मुखिया एक एक ब्रिगेडियर होता है।

जल सेना की कमान नवल स्टाफ के मुखिया तथा कमांडर-इन-चीफ के अधीन है। इस का कार्य चार हिस्सों में बटा हुआ है। एक सामुद्रिक जहाजों में सम्बन्ध रखने वाला और शेष 3 के कार्यालय स्थल भाग पर हैं। इसी तरह वायु सेना की कमान 'चीफ आफ एयर स्टाफ' तथा

कमांडर-इन-चीफ के अधीन है। 1949 से सेना के सब फ़ैल्टलाइन यूनिट ओपरेशनल कमान के अधीन कर दिये गये हैं, और सैनिक शिक्षा देने वाली संस्थाएँ ट्रेनिंग कमान के नीचे ले आई गई हैं।

### विभिन्न सेनाओं में पारस्परिक समन्वय

तीनों सेनाओं में पारस्परिक रूप से तालमेल रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक कमे-टिया बनाई गई हैं। इन में सब से ऊँची प्रतिरक्षा मंत्री की कमेटी है, जो विभिन्न सेनाओं की मुख्य समस्याओं पर विचार करती है। भारत के प्रतिरक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के मुखिया, प्रतिरक्षा सचिव तथा सेना के आर्थिक सलाहकार इस कमेटी के सदस्य हैं। इस कमेटी का निश्चय देश भर में लागू होता है। अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी बाने यह कमेटी मंत्रिमंडल की प्रतिरक्षा कमेटी को विचारार्थ भेजती है।

उक्त तीनों सेनाओं में परस्पर में अच्छे सम्बन्ध और तालमेल रखने की दृष्टि से सेना, जल सेना तथा वायु सेना के कैंडेट अफसरों को खडकवामला की नेशनल डिफेंस एकेडेमी में एक साल प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी तरह देहरादून की नेशनल डिफेंस एकेडेमी में भी तीनों सेनाओं का एक सम्मिलित भाग जारी कर दिया गया है। इसी तरह विलिंग्टन में शिक्षण प्राप्त सैनिक अफसरों को सैनिक विज्ञान तथा रणनीति आदि का स्नातकोत्तर शिक्षण देने के लिए एक स्टाफ कालेज खोला गया है।

### राष्ट्रीयकरण

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय सेनाओं का राष्ट्रीयकरण बहुत शीघ्रता में हुआ। आज भारतीय सेना में केवल 49 अंग्रेज अफसर हैं और उन में से भी अधिकांश विशेष सलाहकार का काम ही कर रहे हैं।

भारतीय जल सेना तथा वायु सेना में राष्ट्रीयकरण की यह प्रक्रिया बड़ी तेजी में जारी है। जल सेना के बहुत से बड़े-बड़े अफसर भारतीय हैं और कैप्टन आर० डी० कटारी भारतीय जल सेना के डिप्टी कमांडर-इन-चीफ हैं। कैप्टन ए० चक्रवर्ती बम्बई के कोमोडोर-इंचार्ज हैं। दोनों का कमांडर का पद प्राप्त है। इन दोनों से ऊपर केवल दो जल सेना अफसर हैं, एक तो जल सेना के कमांडर-इन-चीफ और दूसरे भारतीय जल सेना के फ्लैग अफसर।

इसी तरह वायु सेना में भी बड़ी शीघ्रता में राष्ट्रीयकरण हो रहा है। अप्रैल 1954 से एयर मार्शल मुखर्जी भारतीय वायु सेना के चीफ आफ स्टाफ और कमांडर-इन-चीफ नियुक्त हुए हैं। एक अन्य भारतीय एयर मार्शल है।

### प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी संगठन

1948 में एक वैज्ञानिक सलाहकार के अधीन प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन बनाया गया था जिस का उद्देश्य प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी आवश्यक बानों के सम्बन्ध में अन्वेषण करना है। यथा-शक्तिक्षेपण, युद्ध कार्य सम्बन्धी अनुसन्धान, युद्ध सम्बन्धी यातायात, वारूद सम्बन्धी अन्वेषण, सैनिक भोजन तथा सैनिक शिक्षा आदि।

प्रतिरक्षा मंत्रालय को राय देने के लिए वैज्ञानिकों की एक समिति बनाई गई है। प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा नाम से प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिकों की एक नई सेवा जारी की गई है, जिस में नागरिक वैज्ञानिक भी लिए जाते हैं।

1922 में किरकी में शस्त्रास्त्रों के अध्ययन के लिए एक सस्था जारी की गई थी। अक्टूबर 1953 से इस सस्था ने सेना के टैक्निकल स्टाफ को नियमित रूप से शिक्षा देना आरम्भ किया। इस सस्था का कोर्स 18 महीनों का है। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी यह सस्था सम्बद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान के कार्य में सहायता लेती है।

### वीरता के पुरस्कार

26 जनवरी, 1950 को, जिस दिन भारत एक प्रजातन्त्र राज्य बना, राष्ट्रपति ने वीरता के लिए 3 सैनिक पुरस्कार जारी किये - परमवीर चक्र, महावीर चक्र, और वीर चक्र। सेना सम्बन्धी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, वीरता के ये पुरस्कार मिल सकते हैं।

अभी तक परमवीर चक्र, जो वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है, केवल 5 व्यक्तियों को मिला है। कुछ व्यक्तियों को महावीर चक्र और वीर चक्र भी दिये गये हैं, जो मुख्यतः काश्मीर के युद्ध में दिखाई गई वीरता के सम्बन्ध में हैं। इस के अतिरिक्त सैनिकों की वीरता के कार्य का वर्णन सेना के खरीतों में भी किया जाता है।

युद्ध के अतिरिक्त अन्य सेना सम्बन्धी प्रशसनीय या वीरतापूर्ण कार्य के लिए अशोक चक्र नाम का एक पदक दिया जाता है, जो तीन श्रेणियों में बाटा गया है। भारत का कोई भी नागरिक यह पदक प्राप्त कर सकता है। कुछ व्यक्तियों को यह पदक दिया भी गया है।

### सेना

देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना को आधुनिक ढंग का श्रेष्ठतम शिक्षण देने का प्रयत्न किया जा रहा है। सैनिक शिक्षण के डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक शिक्षण पख-वाड़ा भी मनाया गया था। इस के अतिरिक्त बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक व्यायामों का प्रदर्शन किया गया। गत वर्ष सैनिक शिक्षण का कार्य बहुत सन्तोषप्रद रहा। सेनाओं को युद्ध के नये से नये साधनों और उपायों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया। बर्मा, इण्डोनेशिया, नेपाल, अफ-गानिस्तान और लंका के सैनिक भी ऊँची शिक्षा के लिए भारतीय सेना शिक्षण केन्द्र में आये। भारतीय सेना के एक मिशन ने नेपाल की सेना का पुनर्गठन किया।

### उपकरण

सेना सम्बन्धी उपयोगी और महत्वपूर्ण औजार बनाने के लिए अम्बरनाथ में एक मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी खोली गई है। नये ढंग की इस फैक्टरी से देश की सेना सम्बन्धी औजारों की आवश्यकताओं की बहुत अंश तक पूर्ति होगी। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हमें बाहर से कम से कम सामान मगवाना पड़े। भारत सरकार ने एक फ्रांसीसी सस्था से यह समझौता भी किया है कि वह देश में एक बेतार के तार का कारखाना खोलेगी। इस कारखाने में तीनों सेनाओं के लिए बहुत सा उपयोगी सामान बनाया जायेगा। आशा है कि सन् 1956 तक यह कारखाना सामान बनाने लगेगा।

### एम्बुलेंस यूनिट

1953 में भारतीय फील्ड एम्बुलेंस यूनिट ने कोरिया में बहुत प्रशसनीय कार्य किया

### एक महान कार्य

18 अगस्त 1953 को भारतीय सेना के जिम्मे एक बहुत ही कठिन परन्तु निराला कार्य सौंपा गया। यह कार्य था कोरियाई मन्त्रि के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मन्त्र, उत्तरी कोरियाई तथा चीनी कमानों को सहायता देने के लिए एक भारतीय कस्टोडियन सेना को कोरिया में भेजना। सम्भवतः मानवीय इतिहास में यह पहला उदाहरण था, जब किसी देश की सेना किसी दूसरे देश में शान्ति तथा जन-कल्याण के उद्देश्य में भेजी गई हो।

हमारी सेना ने कोरिया में जिस समझदारी, धैर्य और निष्पक्षता से काम किया, उस से सब जगह उन के प्रति सम्मान का भाव बहुत बढ़ गया और ससार भर में उस की प्रशंसा हुई। भारत में अपनी इस सेना के लिए जो स्नेह तथा आत्मीयता का भाव विद्यमान था, उस का उदाहरण इस तथ्य में मिला कि भारतीय नागरिकों ने लाखों रुपये की वस्तुएं अपने-अपने-अपने माहमी जवानों के लिए भेजी। अपना काम पूरा कर जब ये सेनाएं भारत में वापस आईं, तो सब जगह उन का शानदार स्वागत किया गया।

### जल सेना

1953 में भारतीय जल सेना ने असाधारण उन्नति की। जल सेना को नवीनतम साधनों की शिक्षा देने तथा सैनिक सेवाओं में तालमेल बढ़ाने के अतिरिक्त गत वर्ष भारतीय जल सेना का पहला हवाई स्टेशन गरुड के रूप में स्थापित किया गया। इस के अतिरिक्त एक प्लेट रिक्वायरमेंट यूनिट भी जारी किया गया। गत वर्ष अंग्रेजी जल सेना से हण्ट थ्रणी के 3 डिस्ट्रॉयर उधार रूप में लिए गये। इन के नाम हैं गोदावरी, गोमती और गंगा। साथ ही 'आई० एन० एस० तीर' पर सैनिक शिक्षण देने का एक केन्द्र खोला गया है।

### शुभेच्छा का दूत

भारतीय जल सेना हमारे देश के लिए शुभेच्छा के दूत के रूप में भी कार्य कर रही है। उसके जहाज इसी भावना से मध्य तथा पूर्वीय भूमध्यसागर के देशों और बर्मा में भेजे गये। ये जहाज जहां भी गये, वहां इन का हार्दिक स्वागत किया गया। मित्र के राष्ट्रपति जनरल नजीब ने 8 अगस्त 1953 को अलक्जेंड्रिया में भारतीय जल सेना के इन जहाजों का निरीक्षण किया।

जून 1953 में भारतीय जल सेना के 3 पताका जहाज, जिन में दिल्ली भी था, महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के अवसर पर इंग्लैंड में होने वाली जल सेना परेड में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हमारी जल सेना के इन जहाजों का निरीक्षण अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों के जल सेना अधिकारियों ने भी किया।

### जल सेना दिवस

सन् 1953 का जल सेना दिवस बहुत महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि उस दिन पहली बार राष्ट्रपति ने उस का निरीक्षण किया। भारतीय जल सेना के कमांडर-इन-चीफ सर पिञ्जे के शब्दों में यह दिन भारतीय जल सेना के इतिहास में एक स्मरणीय दिन था।

जल सेना का वीरता सम्बन्धी पुरस्कार पहली बार 15 अगस्त को लक्ष्मणन टोपास को दिया गया। 26 जनवरी 1953 को लक्ष्मणन ने अपनी जान पर खेल कर हुगली में से 9 आदिमियों की जान बचाई थी, जिन में स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे।

### वायु सेना

1953 में भारतीय वायु सेना के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा संगठन में लगातार उन्नति हुई है। भारतीय वायु सेना की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे देश में कितने हवाई जहाज बनाये जाते हैं। इस वर्ष हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड ने एच० टी० 2 नाम के कुछ जहाज बनाए। आशा की जाती है निर्माण की इस रफ्तार में शीघ्र ही बहुत वृद्धि होगी और भारतीय वायु सेना को अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए आवश्यक जहाज इसी कम्पनी से मिल सकेंगे। भारतीय वायु सेना के कुछ जहाजों ने आसाम के जंगलों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता भी पहुँचाई। इस कार्य के लिए एक चिकित्सा सम्बन्धी उडान यूनिट भी बनाई गई है।

### प्रशिक्षण

पिछले दो वर्षों में भारतीय वायु सेना ने उडान की तथा उडान सम्बन्धी टेक्निकल बातों की शिक्षा देने का विशेष प्रबन्ध कर लिया है। अब एशिया के कुछ देशों से भी शिक्षार्थी इस बात की शिक्षण के लिए यहाँ आ रहे हैं। भारतीय वायु सेना के विमान देश भर में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं और राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री को हवाई मार्ग से ले जाने और ले आने का कार्य भारतीय वायु सेना के जिम्मे है। इस के अतिरिक्त भारतीय वायु सेना सर्वे सम्बन्धी उड़ानें भी करती रहती है। गत वर्ष कुछ संकटापन्न व्यक्तियों को भारतीय वायु सेना के विमानों ने उक्त परिस्थितियों से बचाया था।

### जेट फाइटर्स

भारतीय वायु सेना ने फ्रांस से बहुत से ओरागन या तूफानी जेट फाइटर्स भी खरीदे हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं। मार्च 1954 में वायु सेना की छठी वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के निकट वायु सेना का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिस में राजधानी के लगभग 3 लाख नागरिक दर्शक रूप से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर प्रधान मंत्री एक हेलीकॉप्टर में सवार हो कर गये थे।

### पुरस्कार

1953 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास को भारत के सब से बड़े पुरस्कारों में से अशोक चक्र प्रथम श्रेणी में दिया गया।

### प्रादेशिक सेना

अक्तूबर 1949 से प्रादेशिक सेना में भरती शुरू की गई। इस नागरिक सेना में ऐसा प्रत्येक भारतीय शामिल हो सकता है, जिस की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो। परन्तु फौजियों तथा टेक्निकल योग्यता के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु की सीमा 35 तक ही सीमित नहीं है।

वायुयान से होने वाले आक्रमणों से रक्षा तथा तटीय रक्षा के लिए यह प्रादेशिक सेना उत्तरदायी है। अन्य सैनिक कार्यों में भी इस से सहायता ली जा सकती है। इस का मुख्य उद्देश्य यह है कि नागरिक अपना कुछ समय निकाल कर सैनिक शिक्षण ले और अपने को देश की रक्षा के योग्य बनाये। इस प्रादेशिक सेना में भरती करने के लिए भारत को 8 भागों में बांटा गया है। सब तरह के सैनिक कार्यों का शिक्षण इस सेना को दिया जाता है तथा शहरों और नगरों में इस की भरती की जाती है।

प्रान्तीय यूनिटों को 30 दिन का शिक्षण दिया जाता है और नागरिक यूनिटों को कुल मिला कर 120 घंटे का। उस के बाद प्रान्तीय यूनिटों को प्रति वर्ष 2 महीनों की शिक्षा लेनी होती है और शहरी यूनिटों को प्रति वर्ष 120 घंटे की। इन सब के लिए वर्ष में कम से कम 4 दिन फौजी कैम्प में रहना आवश्यक है। प्रादेशिक सेना के सब सदस्यों को 7 वर्षों के लिए कलर्स में अपना नाम लिखाना होता है और 8 वर्ष तक वे रिजर्व में रखे जाते हैं। पहले ढंग के सेवा काल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

प्रादेशिक सेना का कार्य आंशिक समय का कार्य गिना जाता है और उस के लिए भत्ता और वेतन केवल इन तीन स्थितियों में मिलता है : (1) शिक्षण काल, (2) व्यवहारिक शिक्षण काल और (3) सेना में काम करने के दिन।

### सहकारी प्रादेशिक सेना

इस सहकारी सेना का उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को सैनिक ढंग का शिक्षण देना है, ताकि उन में अच्छा नागरिक बनने के लिए उचित नियंत्रण आ सके। 18 से लेकर 40 वर्ष तक के सभी भारतीय नागरिक इस सेना में सम्मिलित हो सकते हैं। इस के कैम्प भी शहरी तथा देहाती इन दो भागों में बांटे जाते हैं। देहाती कैम्पों में 7 दिन का शिक्षण दिया जाता है और शहरी कैम्पों में 14 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन। इस सेना के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वे आवश्यकता पड़ने पर सेना में सम्मिलित हों। सन् 1953 में इस सेना के 3 कैम्प लगाये गये थे और 1954 के पहले 3 महीनों में लगभग 36।

### राष्ट्रीय केडेट कोर

राष्ट्रीय केडेट कोर का उद्देश्य स्कूलों और कालेजों के लड़के लड़कियों को सैनिक शिक्षण देना है ताकि उनमें नियंत्रण, नेतृत्व की शक्ति और कष्ट सहन आदि गुणों का संचार हो सके।

राष्ट्रीय केडेट कोर के 3 भाग हैं : उच्च विभाग, निम्न विभाग तथा लड़कियों का विभाग। इन में से पहले दोनों विभागों में सब तरह का सैनिक शिक्षण दिया जाता है। तथा उन्हें सेना, जल सेना और वायु सेना के योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जल सेना की शिक्षा का प्रबन्ध केवल उन नगरों में है, जो समुद्र के किनारे हैं। जो विद्यार्थी वायुसेना की शिक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें हवाई जहाज चलाना भी सिखाया जाता है। लड़कियों के विभाग का उद्देश्य उन में आत्मनिर्भरता की भावना भरना है। इस से उनकी शारीरिक दशा भी सुधारती है। वे इस लायक बन पाती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए कठिन से कठिन काम भी कर सकें।

राष्ट्रीय केडेट कोर का प्रारम्भ सन् 1948 में किया गया था और प्रारम्भ से ही वह बहुत लोकप्रिय हो गया था। परन्तु आर्थिक सीमाओं के कारण उस का विकास यथेष्ट रूप से नहीं हो पाया। आजकल पंचवर्षीय योजना की प्रगति के लिए भी राष्ट्रीय केडेट कोर बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं। जहा-जहा इस कोर के विद्यार्थी गये हैं, वहा वहां उन्होंने अपने सगठन के लिए आदर का भाव पैदा किया है। समय समय पर विभिन्न विषयों का शिक्षण देने के लिए इस कोर के कैम्प संगठित किए जाते हैं। इन कैम्पों में शिक्षण के साथ साथ सदस्यों से व्यावहारिक काम भी करवाया जाता है और वे सड़कें, मकान, नहरें आदि बनाने में नागरिकों की सहायता करते हैं।

### सहायक कंडेट कोर

26 अगस्त 1953 को दिल्ली राज्य के लगभग 30,500 विद्यार्थियों ने सहायक कंडेट कोर नाम के एक नये आन्दोलन में भाग लिया। इस में 121 लड़कों के और 79 लड़कियों के स्कूलों के विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इस कोर का उद्देश्य विद्यार्थियों को नियन्त्रण तथा देश-सेवा की शिक्षा देना है। इस का संचालन प्रतिरक्षा मंत्रालय के नेशनल कंडेट कोर के डायरेक्टर द्वारा होता है। इस के व्यय में विद्यार्थी भी हिस्सा बटाते हैं।

### नया पेंशन कानून

गत वर्ष पेंशन कानून में कुछ सुधार किये गये, और अवसर-प्राप्त सैनिकों की पेंशन में बढ़ा दी गई। नई दरों के अनुसार एक सैनिक कैप्टन को 350 रु० पेंशन मिलेगी, और एक जनरल को 1,000 रु०। एक सूबेदार मेजर को 153 रु०, चीफ आर्टिफिसर को 116 रु० और मास्टर वारंट आफिसर को 165। एक साधारण सिपाही को, जो 15 वर्ष सेना में काम कर चुका हो, 15 रु० प्रति मास पेंशन मिलेगी। यह भी निश्चय किया गया कि कल्याणवाला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सैनिकों के प्रोविडेंट फण्ड में सरकारी देन  $6\frac{1}{4}$  प्रतिशत से बढ़ाकर  $8\frac{1}{8}$  प्रतिशत कर दी जाये।

### भूतपूर्व सैनिक

गत वर्ष भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए भी सन्तोषजनक प्रयत्न किये गये। इस उद्देश्य से भारत के विभिन्न भागों में 9 कृषि उपनिवेश बसाने का निश्चय किया गया, जिस में से भोपाल का कृषि उपनिवेश पूर्ण रूप से बन चुका है तथा मनुनगर (उत्तर प्रदेश) में काम जारी है।

## आठवां अध्याय

### सार्वजनिक वित्त

सविधान के अनुसार सरकार की आमदनी जमा करने का अधिकार केवल किसी एक ही संस्था या अधिकारी को नहीं है। यह अधिकार केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में बाँटा हुआ है, और उन की आय के स्रोत अलग-अलग हैं। इस तरह देश भर के लिए राष्ट्रीय आय का केवल एक बजट नहीं होता। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न स्रोतों से आय होती है और उस का व्यय एक ही व्यक्ति या अधिकारी के हाथ में नहीं होता। इस तरह सरकारी परिव्यय एक बहुत गुथीली मशीन के समान है।

सविधान के अनुसार लेखा-परीक्षक सभी सरकारी व्ययों का निरीक्षण करता है, और उस पर कार्यकारी अधिकारी मंडल का अधिकार नहीं होता। सभी राज्यों के व्यय का लेखा तथा उस की जाच पड़ताल की रिपोर्ट व्यवस्थापक मंडल के सामने पेश की जाती है।

संसद में तथा राज्यों की व्यवस्थापिका सभाओं में क्रमशः भारत सरकार और राज्यों की सरकारों का बजट प्रति वर्ष अप्रैल के महीने में पेश किया जाता है। इन गस्थाओं की अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता। व्यय के कुछ बंधे हुए मद ऐसे हैं, जिन की स्वीकृति लिए बिना ही सरकार उन्हें व्यय कर सकती है। परन्तु पूर्व स्वीकृति के बिना इन मदों पर पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक खर्च किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता।

### राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय कमेटी ने जो जाच पड़ताल की थी, उस के अनुसार सन् 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय 9,530 करोड़ रुपये थी। इस से पूर्व 1949-50 में यह आय 9,010 करोड़ थी और इस से भी एक वर्ष पूर्व अर्थात् 1948-49 में 8,650 करोड़ रही। इस तरह इन 3 वर्षों की प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार है। 1950-51 में 265.2 रु०, 1949-50 में 253.9 रुपये और 1948-49 में 246.9 रुपये।

### केन्द्रीय सरकार की आय और व्यय

पहले 4 वर्षों में केन्द्रीय सरकार की आय और व्यय इस प्रकार थे -

तालिका 28

आय लेखा (क)

(करोड़ रुपये में)

|                     | आय     | व्यय   | बचत (+)<br>घाटा (-) |
|---------------------|--------|--------|---------------------|
| 1951-52 (लेखे) . .  | 515.36 | 387.27 | +128.09             |
| 1952-53 (संशोधित) . | 418.64 | 422.43 | -3.79               |
| 1953-54 (बजट) . .   | 437.76 | 438.81 | +0.45               |

(क) ताजे से ताजे आकड़ों के लिए देखिए तालिका 35.



## पूँजी लेखा (क)

(करोड़ रुपयों में)

|                       | प्राप्ति | व्यय   | बचत (+)<br>घाटा (-) |
|-----------------------|----------|--------|---------------------|
| 1951-52 (लेखे) . .    | 169.04   | 293.43 | -124.39             |
| 1952-53 (संशोधित) . . | 130.01   | 208.50 | -78.49              |
| 1953-54 (बजट) . .     | 317.51   | 348.08 | -30.57              |

देश विभाजन के बाद से केन्द्रीय सरकार के आय और व्यय की विस्तृत रूपरेखा तालिका संख्या 34 और 36 में दी गई है।

## राज्य सरकारों की आय और व्यय

पिछले तीन वर्षों में राज्यों की सरकारों की आय और व्यय इस प्रकार रहा :

## तालिका 29

## भाग 'क' के राज्य—राजस्व लेखा

(करोड़ रुपयों में)

|                       | आय     | व्यय   | बचत (+)<br>घाटा (-) |
|-----------------------|--------|--------|---------------------|
| 1951-52 (लेखे) . .    | 315.60 | 309.11 | +6.49               |
| 1952-53 (संशोधित) . . | 336.96 | 340.06 | -3.10               |
| 1953-54 (बजट) . .     | 350.51 | 362.93 | -12.42              |

## भाग 'क' के राज्य—पूँजी लेखा

(करोड़ रुपयों में)

|                       | प्राप्ति | व्यय | बचत (+)<br>घाटा (-) |
|-----------------------|----------|------|---------------------|
| 1951-52 (लेखे) . .    | 133      | 147  | -14                 |
| 1952-53 (संशोधित) . . | 154      | 157  | -3                  |
| 1953-54 (बजट) . .     | 151      | 161  | -10                 |

## भाग 'ख' के राज्य—राजस्व लेखा

(करोड़ रुपयों में)

|                       | प्राप्ति | व्यय   | बचत (+)<br>घाटा (-) |
|-----------------------|----------|--------|---------------------|
| 1951-52 (लेखे) . .    | 106.70   | 100.53 | +6.17               |
| 1952-53 (संशोधित) . . | 110.91   | 111.18 | -0.27               |
| 1953-54 (बजट) . .     | 115.29   | 118.62 | -3.33               |

(क) ताज से ताजे आंकड़ों के लिए देखिए तालिका 35.

भाग 'ख' के राज्य-पूँजी लेखा

(करोड़ रुपये में)

|                     | प्राप्ति | व्यय  | बचत (+)<br>घाटा (—) |
|---------------------|----------|-------|---------------------|
| 1951-52 (लेखे) .    | 32.00    | 43.00 | —11.00              |
| 1952-53 (संशोधित) . | 36.80    | 39.25 | —3.15               |
| 1953-54 (बजट) .     | 42.60    | 46.00 | —3.40               |

सन 1952-53 से भाग 'ग' के राज्यों (अजमेर, भूपाल, कर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश) का पुषक बजट बनने लगा, जो इस प्रकार है—

(हजार रुपये में)

|                     | आय       | व्यय     | बचत (+)<br>घाटा (—) |
|---------------------|----------|----------|---------------------|
| 1952-53 (संशोधित) . | 1,35,353 | 1,33,241 | + 2,112             |
| 1953-54 (बजट) .     | 1,55,386 | 1,55,243 | + 143               |

राज्यों की सरकारों के आय और व्यय का विस्तृत ब्यौरा तालिका सख्या 41 से तालिका सख्या 43 तक दिया गया है।

आय के स्रोतों का विभाजन

केन्द्र की आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं :

तट कर, आन्तरिक कर, कारपोरेशन कर तथा आय कर (जिस में कृषि से होने वाली आय सम्मिलित नहीं है), जायदाद तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क, टकसाल की आय। इन के अतिरिक्त रेल तथा डाक और तार विभागों से भी कुछ आय केन्द्र के सामान्य बजट में होती है। केन्द्रीय सरकार की आय का लगभग 90 प्रतिशत तट कर, आन्तरिक कर, कारपोरेशन कर तथा आय कर से आता है। जायदाद तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क 15 अक्तूबर 1953 से जारी किया गया है।

राज्यों की आय का एक स्रोत जंगल, मछली व्यवसाय, राज्यों द्वारा प्रारम्भ किये गये अपने व्यवसाय तथा केन्द्र द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता है। आय कर से केन्द्रीय सरकार को जो धन प्राप्त होता है, उसका आधे से अधिक भाग राज्यों को दे दिया जाता है। कृषि पर लगाये गये सब करों की आय पूर्णरूप से राज्यों को प्राप्त होती है। राज्यों की आय के अन्य स्रोत ये हैं : कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क, मकानों और जमीनों पर कर, खनिज कर, शराब, भंग, धतूरा आदि पर कर, बिक्री कर, बिजली से प्राप्त होने वाली आय, विज्ञापनों पर (अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों के अतिरिक्त) कर, यात्री कर, कुछ सवारियों पर कर, चुंगी, विभिन्न पेशों पर कर, व्यापार, टिकटों का शुल्क, भोग की वस्तुओं तथा मनोविनोद पर कर।

संविधान की धारा 280 के अनुसार नवम्बर 1953 में जो वित्त आयोग (फाइनेन्स कमीशन) नियुक्त हुआ था, उस की सिफारिश इस प्रकार थी : (1) आयकर में राज्यों का हिस्सा 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 55 प्रतिशत कर दिया जाये। इस का 4/5वां भाग आबादी के आधार पर तथा शेष भाग आय कर सग्रह करने के आधार पर दिया जाये, (2) आबादी के आधार पर निम्न करोों का 40 प्रतिशत राज्यों को मिले : तम्बाकू, दियासलाई, वनस्पति पदार्थ आदि पर आन्तरिक कर, (3) आसाम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के पटसन के निर्यात पर लगाये गये कर से प्राप्त होने वाली आय में से राज्यों को अब की अपेक्षा अधिक हिस्सा दिया जाये तथा (4) जिन राज्यों को सहायता की अधिक आवश्यकता है, विशेषतः शिक्षा तथा विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को, उन्हें अब की अपेक्षा अधिक सहायता दी जाये।

इस के अतिरिक्त भाग 'क' तथा 'ख' के राज्यों के विकास के लिए यथेष्ट पूंजी केन्द्रीय सरकार कर के रूप में देती है। भाग 'ग' के राज्यों में पूंजी का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के बजट से किया जाता है।

### करोों की जाँच

अप्रैल 1953 में भारतीय करो की जाँच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिस के अध्यक्ष डा० जान मथाई हैं, तथा श्री बी० एल० मेहता, प्रोफेसर बी० के० आर० बी० राव, श्री के० आर० के० मेनन, श्री बी० वेकटपथा तथा डाक्टर बी० के० मदान सदस्य हैं। यह कमीशन इन बातों के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल कर रहा है :

- (1) विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यक्तियों पर केन्द्रीय तथा राज्यों के करो का बोझ किस तरह पड़ता है ?
- (2) देश के विकास कार्यक्रम को ध्यान में रख कर तथा आय और सम्पत्ति की विषमता को कम करने की दृष्टि से वर्तमान कर प्रथा कहा तक उपयुक्त है ?
- (3) वर्तमान आय कर के विभिन्न दर्जों से देश की पूंजी-संग्राहकता तथा उत्पादक व्यवसायों के विकास पर कहा तक प्रभाव पड़ता है ?
- (4) मुद्रा सकोच (डिफ्लेशन) तथा मुद्रा विस्तार (इन्फ्लेशन) की दशा में सुधार करने के लिए करो का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है ?
- (5) वर्तमान कर प्रथा की पूरी छानबीन करना और नये करो के स्रोत तलाश करना।

### के द्वीय ध्यय

केन्द्रीय बजट में पिछले कुछ वर्षों से घाटा इस कारण हो रहा है कि देश को अपने विकास के कार्यक्रम के लिए बहुत अधिक नई पूंजी लगाने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न सिर्फ युद्ध और विभाजन के आर्थिक दुष्परिणामों को दूर करना है, अपितु इन का सब से बड़ा उद्देश्य यह है कि देश के सम्पूर्ण प्राप्त और सम्भव साधनों में इस हद तक देश की आर्थिक उन्नति कर ली जाये कि भारत भर में कहीं बेकारी न रहे। 1953-54 के पूंजी बजट में 317.51 करोड़ रुपये की आय थी तथा 348.08 करोड़ रुपये का व्यय। इस से पहले वर्षों में यह मद बहुत कम हुआ करती थी। विकास सम्बन्धी इन व्ययों की विस्तृत तालिकाएं अन्यत्र दी गई हैं। विकास सम्बन्धी कुछ कार्यों के लिए नये ऋण जारी कर के धन सग्रह किया जा रहा है। अप्रैल 1954 के अन्त में राष्ट्रीय विकास ऋण नाम से एक नया ऋण जारी किया गया,

जिसमें जून 54' के अन्त तक 120 करोड़ रुपये से ऊपर रुपये एकत्र हो चुके हैं। इस उद्देश्य से कुछ विदेशी सरकारों से भी भारत को रुपया प्राप्त हो रहा है। भारत अपने पौण्ड पावने का रुपया भी इसी काम में लगा रहा है।

### राज्यों का व्यय

राज्यों की आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग विकास के कार्यों पर व्यय किया जा रहा है।

### आय कर तथा जायदाद शुल्क

तालिका सख्या 39 और 40 में आय कर तथा जायदाद शुल्क की दरें दी गई हैं। इन में बहुत सी छूटें भी दी जाती हैं। उदाहरण के लिए कृषि से प्राप्त होने वाली आय, ट्रस्टों तथा धार्मिक और दान सम्बन्धी संस्थाओं की आय, वह आय जो धार्मिक संस्थाओं को चन्दे द्वारा प्राप्त होती है, पूजा की आय, इनाम तथा वर्ग पहली प्रतियोगिताओं में प्राप्त होने वाली आय नौकरों छूट जाने की दशा में प्राप्त होने वाली इक्वटी राशि, कतिपय आय-कर मुक्त सरकारी ऋणों के स्रोत में प्राप्त होने वाली आय इत्यादि।

जायदाद शुल्क के सम्बन्ध में और भी अधिक छूटें दी गई हैं। यह कर केवल उम्मीद दशा में लगेगा, जब कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उस की जायदाद उस के उत्तराधिकारियों को मिलेगी। इस के अतिरिक्त 6 श्रेणियों की सम्पत्ति पर यह शुल्क नहीं लगेगा। इन के सम्बन्ध में यह माना गया है कि यह मृत्यु के बाद हस्तान्तरित नहीं होती।

### राष्ट्रीय ऋण

अविभक्त भारत में 1938-39 में केन्द्रीय सरकार का कुल ऐसा राष्ट्रीय ऋण जिस पर सरकार स्रोत देती थी, 1,205.76 करोड़ रुपये था, जो 1945-46 में बढ़ कर 2,308.48 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि महायुद्ध के कारण हुई, तथापि यह वृद्धि तत्कालीन सरकार की उम्मीदों तथा समय की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं थी। यही कारण है कि जहाँ इंग्लैंड और अमेरिका में युद्ध का व्यय मुख्यतः आन्तरिक ऋणों से पूरा किया गया, वहाँ भारत में उसका व्यय बहुत अधिक नोट छाप कर पूरा किया गया। इसी तथ्य से यह ज्ञात हो जाता है कि भारत में जो मुद्रा विस्तार हुआ, वह इंग्लैंड या अमेरिका के मुद्रा विस्तार की अपेक्षा अधिक आशकाएँ पैदा करने वाला क्यों था? स्वाधीन भारत में भारतीय जनता ऋणों के सम्बन्ध में सरकार का साथ दे रही है, और मार्च 1953 तक ऋणों से प्राप्त राशि 2,646 करोड़ तक पहुँच गई, जब कि 1947-48 में यह केवल 2,181.89 करोड़ रुपये थी। 1952-53 में छोटी बचतों से प्राप्त आय में 45 करोड़ की वृद्धि हुई तथा आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त राशि में 28 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, उधर प्लवमान (प्लॉटिंग) कर्जों में 16 करोड़ की कमी हुई। हाल ही में राष्ट्रीय विकास ऋण नाम से जो बड़ा ऋण जारी किया गया है, उस का देश में हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। इस ऋण का जिक्र पहले भी किया जा चुका है। तालिका सख्या 44 और 45 में इन ऋणों की सख्या दी गई है।

अगस्त 1952 में बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने क्रमशः रु० 3½ करोड़, 50 करोड़, 2 करोड़ और 2 करोड़ रुपये के ऋण जारी किए। ये सब ऋण 1964 में अदा किये जायेंगे और इन पर 4 प्रतिशत स्रोत मिलेगा। बम्बई और पश्चिमी बंगाल

के ऋण पूरी कीमत पर जारी किये गये, जब कि उत्तर प्रदेश में उनका प्रारम्भिक मूल्य 99-8-0 ६० और मद्रास में 99-12-0 ६० था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 करोड़ का एक और ऋण भी जारी किया। ये सब ऋण बहुत शीघ्र खरीद लिये गये।

दिसम्बर 1947 के समझौते के अनुसार अविभाजित भारत के ऋणों में भारत और पाकिस्तान के हिस्सों का भी निश्चय किया गया था। उस के अनुसार यह निश्चित हुआ था कि अविभक्त भारत के राष्ट्रीय ऋणों का पूरा जिम्मा भारत सरकार अपने पर ले ले, और पाकिस्तान सरकार अपने हिस्से का 300 करोड़ रुपये, 3 प्रतिशत सूद सहित, 50 वार्षिक किश्तों में भारत को अदा करे। परन्तु अब तक पाकिस्तान सरकार ने एक भी किश्त भारत को नहीं दी है। इस सम्बन्ध में बातचीत जारी है।

### मुद्रा तथा बैंकिंग

युद्ध की असाधारण परिस्थितियों में भारतीय मुद्रा का विस्तार बहुत अधिक हो गया। उस का परिणाम यह हुआ कि वस्तुओं की कीमतें बहुत शीघ्रता से बढ़ने लगी। अगस्त 1939 में वस्तुओं के जो दाम थे, उन्हें यदि 100 माना जाय, तो 1942-43 में वे 171 तक जा पहुँचे और 1946-47 में 275 '4 तक। इस तरह जीवन व्यय बहुत बढ़ गया। अगस्त 1939 को आधार मान कर यह माप 1942-43 में 166 तक पहुँच गया, और 1946-47 में 252 तक।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस मुद्रा विस्तार को नियंत्रण में लाने के गम्भीर प्रयत्न किये गये। 1952-53 में बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार देश की मूल्य नियंत्रण सम्बन्धी नीति में आवश्यक परिवर्तन किये। कुछ चीजों पर से, जैसे कपड़ा, चीनी, अनाज आदि, यह नियंत्रण या तो हटा लिया गया या ढीला कर दिया गया। दूसरी ओर अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने कच्चा लोहा, इस्पात और रबर की कीमतों को कुछ हद तक बढ़ जाने दिया। प्रयत्न किया गया कि चीनी, गन्ना और खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो जायें। वर्ष के प्रथम आधे भाग में कीमतें कुछ ऊपर की ओर गईं, परन्तु पिछले आधे भाग में कीमतें गिरी।

वर्ष के पहले आधे भाग में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने का एक कारण यह भी था कि मार्च 1952 से भारत सरकार ने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता रोक दी। दूसरी ओर उन की पूर्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। परिणाम यह हुआ कि कीमतों पर नियंत्रण रहा। काम करने वाली जमानों के जीवन व्यय का माप भारत में 1944 को आधार मान कर, मार्च 1952 में 135 हो गया, अक्टूबर 1952 में वह 144 तक पहुँच गया, परन्तु जनवरी 1953 में वह 139 तक उतर आया।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के वर्षों में मुद्रा विस्तार को रोकने के सब प्रयत्न किये गये। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने ये प्रयत्न किए। बैंक के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को खुले बाजार में साख पर धकेल देना, तथा बाजार में विद्यमान रुपये के चलन पर नियंत्रण रखना। 1949-50 में 12,52,96,00,000 रुपये बाजार में थे और 1950-51 में 13,42,69,00,000 रुपये। 1951-52 में यह घट कर 12,23,39,00,000 रुपये हो गये और 1952-53 में 12,09,66,00,000 रुपये।

**भारत का रिजर्व बैंक**

भारत का रिजर्व बैंक केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों का बैंकर है, और इस तरह वह देश का केन्द्रीय बैंक है। वह राष्ट्रीय ऋणों की व्यवस्था करता है, तथा सरकारों की आय और व्यय का संचालन करता है। जहाँ इस बैंक की शाखाएँ नहीं हैं, वहाँ इस के एजेंट के रूप में भारत का इम्पीरियल बैंक, और जिलों तथा सब-डिवीजनों के खजाने यह काम करते हैं। रिजर्व बैंक ही भारत भर के बैंकों पर निगरानी रखता है तथा देश की मुद्रा का प्रबन्ध करता है। इस बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।

**बीमा**

भारत में बीमे की क्रमशः सन्तोषजनक उन्नति हो रही है। पिछले 10 वर्षों में बीमा कंपनियों ने जो काम किया, उस की सूची निम्नलिखित है :—

तालिका 30

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | भारतीय बीमा कंपनियों में बीमा की गई राशि | अभारतीय बीमा कंपनियों में बीमा की गई राशि | योग   |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 1942 | 36 5                                     | 6 4                                       | 42 9  |
| 1943 | 62 9                                     | 9 2                                       | 72 1  |
| 1944 | 95 2                                     | 11 0                                      | 106 2 |
| 1945 | 122 8                                    | 12 6                                      | 135 4 |
| 1946 | 131 4                                    | 12 9                                      | 144 3 |
| 1947 | 114 1                                    | 12 3                                      | 126 4 |
| 1948 | 107 7                                    | 12 0                                      | 119 7 |
| 1949 | 123 1                                    | 12 2                                      | 135 3 |
| 1950 | 118 4                                    | 13 7                                      | 132 1 |
| 1951 | 116 5                                    | 16 4                                      | 132 9 |

31 दिसम्बर 1951 को भारतीय बीमा कंपनियों के पास 2,49,82,00,000 रुपये थे। ये रुपये निम्नलिखित प्रकार से काम में लाये गये थे :

तालिका 31

(लाख रुपये में)

| व्योरा                                                 | राशि   |
|--------------------------------------------------------|--------|
| भारत सरकार की सिक्युरिटियां                            | 12,160 |
| भाग 'ख' राज्यों की सिक्युरिटियां                       | 161    |
| ब्रिटिश, औपनिवेशिक तथा विदेशी सरकारों की सिक्युरिटियां | 414    |

| व्यौरा                                                              | राशि  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| म्युनिसिपल, पोर्ट ट्रस्ट तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों की मिक्चरिटिया . | 1,374 |
| रहन रखी गई सम्पत्ति . . . . .                                       | 998   |
| पालिसियों पर ऋण . . . . .                                           | 1,478 |
| स्टाक और शेयरों पर ऋण . . . . .                                     | 23    |
| अन्य ऋण . . . . .                                                   | 173   |
| भारतीय कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि में हिस्सा . .                | 3,468 |
| भूमि और मकान सम्पत्ति . . . . .                                     | 1,248 |
| एजेंटों की बाकी, चालू प्रीमियम, ब्याज आदि . . . . .                 | 1,244 |
| जमा, नकद और स्टाम्प . . . . .                                       | 1,581 |
| विविध                                                               | 660   |

## तालिका 32

## भारतीय संघ की राष्ट्रीय आय

(अरब रुपयों में)

| मद                                        | 1950-51      | 1949-50      | 1948-49      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           | कुल प्राप्ति | कुल प्राप्ति | कुल प्राप्ति |
| <b>कृषि</b>                               |              |              |              |
| 1. कृषि, पशुपालन तथा सम्बन्धित कार्य      | 47.8         | 43.8         | 41.6         |
| 2. जंगल उद्योग . . . . .                  | 0.7          | 0.7          | 0.6          |
| 3. मछली उद्योग . . . . .                  | 0.4          | 0.4          | 0.3          |
| योग . . . . .                             | 48.9         | 44.9         | 42.4         |
| <b>खनिजकार्य, कारखाने और छोटे व्यापार</b> |              |              |              |
| 4. खनिजकार्य . . . . .                    | 0.7          | 0.6          | 0.6          |
| 5. कारखाने . . . . .                      | 5.5          | 5.4          | 5.5          |
| 6. छोटे व्यवसाय . . . . .                 | 9.1          | 9.0          | 8.7          |
| योग . . . . .                             | 15.3         | 15.0         | 14.8         |
| <b>वाणिज्य, यातायात तथा संवाद परिवहन</b>  |              |              |              |
| 7. संवाद परिवहन (डाक और तार) . .          | 0.4          | 0.3          | 0.3          |
| 8. रेलवे . . . . .                        | 1.8          | 1.8          | 1.7          |
| 9. बैंकिंग और बीमा कम्पनी . . . .         | 0.7          | 0.6          | 0.5          |
| 10. अन्य वाणिज्य और यातायात . . .         | 14.0         | 13.9         | 13.5         |
| योग . . . . .                             | 16.9         | 16.6         | 16.0         |
| <b>अन्य कार्य</b>                         |              |              |              |
| 11. व्यवसाय तथा कलात्मक कार्य . .         | 4.7          | 4.5          | 4.3          |
| 12. सरकारी नौकरिया (प्रशासन) . .          | 4.3          | 4.1          | 4.0          |
| 13. घरेलू नौकरिया . . . . .               | 1.3          | 1.2          | 1.2          |
| 14. गृह सम्पत्ति . . . . .                | 4.1          | 4.0          | 3.9          |
| योग . . . . .                             | 14.4         | 13.8         | 13.4         |
| 15. देश का शुद्ध उत्पादन . . . . .        | 95.5         | 90.3         | 86.7         |
| 16. विदेशों से अर्जित शुद्ध आय . . .      | -0.2         | -0.2         | -0.2         |
| 17. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन               |              |              |              |
| राष्ट्रीय आय . . . . .                    | 95.3         | 90.1         | 86.5         |

तालिका 33

चुने हुए देशों के शोक मूल्य और जीवन निर्वाह के सूचक अंक

सार्वजनिक वित्त

[ 113 ]

| वर्ष | भारत |       | ऑस्ट्रेलिया |     | कनाडा |     | फ्रांस |     | द० अफ्रीका मघ |     | ब्रिटेन |     | अमेरिका |     |
|------|------|-------|-------------|-----|-------|-----|--------|-----|---------------|-----|---------|-----|---------|-----|
|      | शो   | जी(ब) | शो*         | जी  | शो    | जी  | शो(पे) | जी  | शो**          | जी  | शो      | जी  | शो      | जी  |
| 1948 | 100  | 100   | 100         | 100 | 100   | 100 | 100    | 100 | 100           | 100 | 100     | 100 | 100     | 100 |
| 1949 | 104  | 101   | 112         | 109 | 103   | 104 | 112    | 118 | 106           | 104 | 105     | 103 | 95      | 99  |
| 1950 | 109  | 103   | 132         | 120 | 109   | 107 | 121    | 131 | 113           | 108 | 120     | 106 | 99      | 100 |
| 1951 | 120  | 109   | 163         | 146 | 124   | 118 | 155    | 154 | 129           | 116 | 146     | 116 | 110     | 108 |
| 1952 | 105  | 111   | 184         | 170 | 117   | 121 | 163    | 171 | 148           | 126 | 149     | 126 | 107     | 110 |

नि--नितम्बर

• \*\*--खपत हुआ माल

शो--शोक मूल्य

जी--जीवन निर्वाह

\*--मेलबोर्न में खपत हुआ माल

(पे)--पेरिस में खपत हुआ माल

जी--जीवन निर्वाह व्यय

(ब)--बम्बई के मजदूरों का जीवन निर्वाह अंक



## तालिका 34

भारत सरकार के आय और व्यय के मुख्य मद

(करोड़ रुपये में)

|                                                                          | 1948-49-क | 1949-50 | 1950-51-क | 1951-52-क | 1952-53<br>(महाधित) | 1953-54<br>(बजट) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| आय                                                                       |           |         |           |           |                     |                  |
| सीमाकर . . . . .                                                         | 126 16    | 124 71  | 157 15    | 231 69    | 177 00              | 170 00           |
| यूनियन आन्तरिक कर . . . . .                                              | 50 63     | 67 85   | 67 54     | 85 78     | 80 00               | 94 00            |
| कारपोरेट टैक्स . . . . .                                                 | 62 26     | 39 53   | 40 49     | 41 41     | 39 83               | 36 62            |
| (अतिरिक्त लाभ कर) . . . . .                                              | (14 38)   | (3 98)  | (3 81)    | (1 03)    | (0 72)              | (0 85)           |
| कारपोरेट टैक्स के अलावा आय पर कर (ख) . . . . .                           | 119 50    | 121 59  | 132 73    | 146 19    | 130 17              | 123 38           |
| (अतिरिक्त लाभ कर) . . . . .                                              | (8 11)    | (3 46)  | (2 49)    | (2 44)    | (1 81)              | (1 40)           |
| मुद्रा तथा टर्म्सल . . . . .                                             | 12 63     | 11 22   | 12 27     | 11 30     | 10 77               | (-0 82) (ग)      |
| रिजर्व बैंक का लाभ . . . . .                                             | ( )       | ( )     | ( )       | ( )       | (7 50)              | 15 69            |
| सामान्य आय को प्राप्त भाग :—                                             |           |         |           |           |                     | (12 50)          |
| रेल . . . . .                                                            | 7 34      | 7 00    | 6 50      | 6 93      | 7 68                | 7 65             |
| डाक और तार . . . . .                                                     | 2 36      | 2 38    | 3 98      | 3 43      | 1 40                | 0 40             |
| सम्पूर्ण संग्रहित आय (ख) . . . . .                                       | 361 73    | 357 28  | 404 52    | 512 85    | 429 11              | (+1 90) (ग)      |
| आयकर, सम्पूर्ण करो से होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत है (घ) . . . . . | 50 2      | 45 1    | 42 8      | 36 6      | 39 6                | 425 34 (ङ)       |
| सम्पूर्ण आय . . . . .                                                    | 371 70    | 350 39  | 410 66    | 515 36    | 418 64              | 437 76 (च)       |
|                                                                          |           |         |           |           |                     | (+1 50) (ग)      |

व्यय

|                                        |        |        |        |         |        |           |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| अ.य. पर सीधी भाग                       | 8 62   | 13 90  | 12 50  | 16 23   | 31 05  | 32 49     |
| मिचार्ड                                | 0 06   | 0 08   | 0 22   | 0 17    | 0 17   | 0 19      |
| ऋण मंत्रालय (छ)                        | 42 53  | 39 43  | 37 36  | 39 00   | 35 03  | 37 17     |
| नार्गा क प्रगामन                       | 35 56  | 39 30  | 48 80  | 53 67   | 56 23  | 71 27     |
| मुद्रा और टुकमाल                       | 2 13   | 2 08   | 2 55   | 2 51    | 3 05   | 2 57      |
| नार्गा क कार्य आदि                     | 6 61   | 6 53   | 10 38  | 11 36   | 14 82  | 15 06     |
| विविध                                  | 56 89  | 52 44  | 52 88  | 65 14   | 53 11  | 29 37     |
| प्रतिरक्षा सेवाएं (शुद्ध)              | 146 05 | 148 86 | 164 13 | 170 96  | 192 73 | 199 84    |
| सधीय तथा राज्य सरकारों के बीच अगदान और |        |        |        |         |        |           |
| विविध समायोजन (ज)                      | 2 96   | 2 96   | 15 59  | 17 31   | 23 04  | 26 37     |
| अमाधारण मदें                           | 19 45  | 11 54  | 7 03   | 10 91   | 13 21  | 24 48 (झ) |
| आय में में किया गया कुल व्यय—          | 320 86 | 317 12 | 351 44 | 387 27  | 422 43 | 438 81    |
| वर्तत (—) अथवा घाटा (—)                | +50 84 | +33 27 | +59 22 | +128 09 | —3 79  | +0 45     |

(क) लेखे अस्थायी हैं ।

(ख) इन में राज्यों का भी भाग सम्मिलित है—1951-52 में 52 86 करोड़ रुपये, 1952-53 (बजट) में 50 84 करोड़ रुपये, 1952-53 (मशोधित) में 56 82 करोड़ रुपये तथा 1953-54 (बजट) में 54 90 करोड़ रुपये (राज्यों के अश सम्बन्धी बजट प्रस्तावों के फलस्वरूप)

42 लाख रुपये ।

(ग) बजट प्रस्ताव के फल ।

(घ) कारपोरेशन टैक्स सहित ।

(ङ) बजट प्रस्ताव के परिणाम को ध्यान में रखते हुए ।

(च) पाकिस्तान में 1952-53 (बजट) में 9 करोड़ और 1953-54 (बजट) में 18 करोड़ रुपये की प्राप्ति के लिये बजट में कां. गई जमा भी इस में सम्मिलित है ।

(छ) ऋण की कमी या बचाव के लिये निर्धारित राशि सम्मिलित है ।

(ज) राज्यों को दिये गये सहायता अनुदान सम्मिलित है ।

(झ) राज्यों को (1) अधिक अन्न उपजाओ योजना, (2) दैवी प्रकोपो के दिनों में सहायता, (3) सामूहिक विकास योजनाओ, (4) औद्योगिक गृह निर्माण योजनाओ तथा (5) विकास योजनाओ के लिये भाग “ख” के राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था सम्मिलित है ।

## तालिका 35

## आय लेखा

(अन्तिम अनुमान जो 27 फरवरी 1954 को संसद में प्रस्तुत किये गये)

(करोड़ रुपयों में)

|                             | आय     | व्यय   | वचत (+)<br>घाटा (-) |
|-----------------------------|--------|--------|---------------------|
| 1953-54 (संशोधित) . . . . . | 413 69 | 430 65 | —16 96              |
| 1954-55 (बजट) . . . . .     | 452.88 | 467.09 | —14.21              |

## पूजी लेखा

(अन्तिम अनुमान जो 27 फरवरी 1954 को संसद में रखे गये)

(करोड़ रुपयों में)

|                             | प्राप्ति | व्यय   | वचत (+)<br>घाटा (-) |
|-----------------------------|----------|--------|---------------------|
| 1953-54 (संशोधित) . . . . . | 285.28   | 318.10 | —32 82              |
| 1954-55 (बजट) . . . . .     | 433.06   | 406.62 | + 26.46             |

## तालिका 36

भारत सरकार के आय और व्यय के मुख्य मद (1953-54 और 1954-55)

(अन्तिम प्राक्कलन जो 27 फरवरी 1954 को संसद में रखे गये)

(लाख रुपयों में)

|                             | संशोधित<br>1953-54 | बजट<br>1954-55 |
|-----------------------------|--------------------|----------------|
| आय                          |                    |                |
| सीमाकर . . . . .            | 16,000             | 17,500         |
| यूनियन आन्तरिक कर . . . . . | 9,355              | 9,260          |
|                             |                    | + 1,185 (क)    |

(क) बजट प्रस्तावों का परिणाम ।

|                                                           | संशोधित<br>1953-54 | बजट<br>1954-55        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| कारपोरेशन टैक्स . . . . .                                 | 3,840              | 3,835                 |
| कारपोरेशन टैक्स के अलावा आय पर कर . . . . .               | 6,931              | 7,067                 |
| भू सम्पत्ति कर . . . . .                                  | ..                 | 25                    |
| अफीम . . . . .                                            | 207                | 185                   |
| व्याज . . . . .                                           | 278                | 278                   |
| नार्गिक प्रशामन . . . . .                                 | 1,034              | 1,048                 |
| मुद्रा और टकसाल . . . . .                                 | 1,541              | 2,042                 |
| नागरिक कार्य . . . . .                                    | 162                | 163                   |
| आय के अन्य स्रोत . . . . .                                | 1,069              | 792                   |
| डाक और तार—से प्राप्त आय . . . . .                        | 202                | 150                   |
| रेल—से प्राप्त आय . . . . .                               | 750                | 737                   |
| असाधारण मदे . . . . .                                     | ..                 | 1,021                 |
| सम्पूर्ण आय . . . . .                                     | 41,369             | 44,103(क)<br>1,185(क) |
| <b>व्यय</b>                                               |                    |                       |
| आय पर सीधी माग . . . . .                                  | 3,092              | 3,219                 |
| मिचार्ड . . . . .                                         | 19                 | 16                    |
| ऋण सेवाएं . . . . .                                       | 3,885              | 4,000                 |
| नागरिक प्रशामन . . . . .                                  | 6,857              | 8,608                 |
| मुद्रा और टकसाल . . . . .                                 | 256                | 263                   |
| नागरिक कार्य और विविध सार्वजनिक सुधार<br>पेन्शन . . . . . | 1,475<br>859       | 1,554<br>845          |
| <b>विविध</b>                                              |                    |                       |
| शरणार्थियों पर व्यय . . . . .                             | 1,267              | 1,023                 |
| खाद्य सम्बन्धी सहायता . . . . .                           | 177                | ..                    |
| अन्य व्यय . . . . .                                       | 998                | 974                   |
| राज्यों को अनुदान आदि . . . . .                           | 2,636              | 3,248                 |
| असाधारण मदे . . . . .                                     | 1,576              | 2,397                 |
| प्रतिरक्षा सेवाएं (शुद्ध) . . . . .                       | 19,968             | 20,562                |
| सम्पूर्ण व्यय . . . . .                                   | 43,065             | 46,709                |
| <b>बचत (+)</b>                                            |                    |                       |
|                                                           | —1,696             | —1,421                |
| <b>घाटा (—)</b>                                           |                    |                       |

(क) बजट प्रस्तावों के परिणाम

## तालिका 37

1943 के वाव से करों से प्राप्त होने वाली आय का विवरण

| वर्ष                 | तट कर से आय | यूनिफ़ॉर्म आय कर से आय | संग्रह व्यय | कार्पोरेशन टैक्स सहित आय पर लगे करों से होने वाली आय | संग्रह व्यय | नमक से प्राप्त आय | संग्रह व्यय | अन्य करों से प्राप्त आय | संग्रह व्यय | सम्पूर्ण करों से प्राप्त आय का योग | केंद्रीय सड़क कोष को हस्तांतरण | बाटे जाने योग्य आन्तरिक करों से राज्यों का भाग | सघीय सरकार द्वारा प्राप्त आय | संग्रह व्यय का योग | शुद्ध कर आय का योग |
|----------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1943-44              | 2,657       | 2,494                  | 219         | 10,964                                               | 98          | 834               | 129         | 166                     | 69          | 17,115                             | 92                             | —                                              | 17,023                       | 515                | 16,508             |
| 1944-45              | 3,976       | 3,814                  | 397         | 16,474                                               | 109         | 929               | 124         | 196                     | 75          | 25,389                             | 102                            | —                                              | 25,287                       | 705                | 24,582             |
| 1945-46              | 7,361       | 4,637                  | 438         | 14,980                                               | 128         | 1,020             | 136         | 216                     | 85          | 28,214                             | 60                             | —                                              | 28,154                       | 787                | 27,367             |
| 1946-47              | 8,922       | 4,303                  | 440         | 13,072                                               | 152         | 897               | 201         | 252                     | 98          | 27,446                             | 142                            | —                                              | 27,304                       | 891                | 26,413             |
| 1947-48              | 7,274       | 2,438                  | 144         | 7,811                                                | 95          | 80                | 104         | 147                     | 52          | 17,750                             | 87                             | —                                              | 17,663                       | 395                | 17,268             |
| 1948-49              | 12,616      | 5,063                  | 407         | 13,998                                               | 182         | —                 | —           | 319                     | 148         | 31,996                             | 268                            | —                                              | 31,728                       | 737                | 30,991             |
| 1949-50              | 12,471      | 6,785                  | 815         | 11,537                                               | 201         | —                 | —           | 360                     | 155         | 31,153                             | 220                            | —                                              | 30,933                       | 1,171              | 29,762             |
| 1950-51              | 15,715      | 6,754                  | 591         | 12,571                                               | 244         | —                 | —           | 661                     | 190         | 35,701                             | 340                            | —                                              | 35,361                       | 1,025              | 34,336             |
| 1951-52              | 23,169      | 8,578                  | 835         | 13,474                                               | 270         | —                 | —           | 778                     | 183         | 45,999                             | 340                            | —                                              | 45,659                       | 1,288              | 44,371             |
| 1952-53<br>(संशोधित) | 17,700      | 8,000                  | 739         | 11,318                                               | 315         | —                 | —           | 211                     | 141         | 37,229                             | 520                            | 1,642                                          | 35,067                       | 1,195              | 33,872             |
| 1953-54<br>(बजट)     | 17,000      | 9,400                  | 704         | 10,470                                               | 341         | —                 | —           | 216                     | 145         | 37,086                             | 460                            | 1,649                                          | 34,977                       | 1,190              | 33,787             |

तालिका 38

भारत सरकार का पूंजी बजट

(करोड़ रुपये में)

|                                                         | 1950-51<br>(क) | 1951-52<br>(क) | 1952-53<br>संशोधित | 1953-54<br>बजट |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| <b>प्राप्तियां</b>                                      |                |                |                    |                |
| नये ऋण . . . . .                                        | 38.09          | 111.30         | 35.79              | 100.79         |
| ट्रेजरी बिल (ख) . . . . .                               | 16.10          | -43.69         | 4.69               | 110.00         |
| ट्रेजरी डिपोजिट से प्राप्ति (ख) . . . . .               | -7.13          | 11.47          | -18.03             | -0.15          |
| ट्रेजरी सेविंग्स डिपोजिट सर्टी-<br>फिकेट (ख) . . . . .  | 5.47           | 13.10          | 8.00               | 9.00           |
| छोटी बचत (ख) . . . . .                                  | 28.05          | 25.38          | 35.98              | 35.93          |
| अन्य ऋण जिन के लिए कोई<br>निधि न हो (ख) . . . . .       | 8.30           | 10.16          | 10.37              | 10.74          |
| रेल कोष (ख) . . . . .                                   | 17.55          | 20.04          | -11.78             | -10.09         |
| अन्य सुरक्षित कोष (ख) . . . . .                         | 0.16           | 0.26           | -0.45              | -0.71          |
| ऋण की कमी या बचत के लिए<br>व्यवस्था (ख) . . . . .       | 5.00           | 5.00           | 5.00               | 5.00           |
| अतिरिक्त लाभकर तथा आय-<br>कर सम्बन्धी जमा (ख) . . . . . | -33.21         | -39.27         | -32.94             | -10.92         |
| राज्यों द्वारा ऋणों का<br>भुगतान दिया जाना . . . . .    | 8.08           | 12.22          | 16.55              | 17.57          |
| विशेष विकास कोष (ग) . . . . .                           | —              | 51.02          | 40.22              | 29.72          |
| आकस्मिकता कोष . . . . .                                 | 15.00          | —              | —                  | —              |
| अन्य मदे . . . . .                                      | 19.09          | -7.95          | 36.61              | 20.63          |
| <b>सम्पूर्ण प्राप्तियां . . . . .</b>                   | <b>120.55</b>  | <b>169.04</b>  | <b>130.01</b>      | <b>317.51</b>  |

(शेष पृष्ठ 120 पर)

(क) लेखे अस्थायी हैं

(ख) आंकड़े शुद्ध हैं

(ग) (1) अमेरिकी (ऋण) गेहूं और (2) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्राप्त गेहूं की बिक्री के रूप में तथा—(1) कोलम्बो योजना और (2) भारत-अमेरिकी टेकनिकल कोषा परेशन एग्रीमेंट के अन्तर्गत सहायता के रूप में विशेष विकास कोष में प्राप्ति ।

(करोड़ रुपये में)

|                                                   | 1950-51<br>(क) | 1951-52<br>(क) | 1952-53<br>संशोधित | 1953-54<br>बजट |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| व्यय                                              |                |                |                    |                |
| पूजीगत व्यय—                                      |                |                |                    |                |
| रेल . . . . .                                     | 25.41          | 23.21          | 14.12              | 18.97          |
| नागरिक कार्य . . . . .                            | 7.72           | 10.15          | 15.93              | 17.81          |
| प्रतिरक्षा पूजीगत व्यय . . . . .                  | 4.19           | 10.17          | 8.71               | 15.00          |
| डाक और तार . . . . .                              | 7.07           | 4.96           | 5.39               | 7.60           |
| औद्योगिक विकास . . . . .                          | 8.90           | 8.34           | 1.95               | 6.75           |
| बहुउद्देश्य नदी घाट योजनाएं . . . . .             | 2.50           | 3.77           | 4.15               | 3.80           |
| सरकारी व्यापार की योजनाएं . . . . .               | —2.26          | 12.63          | —0.20              | 3.52           |
| नागरिक उद्बुधन . . . . .                          | 1.82           | 1.51           | 1.77               | 2.32           |
| बन्दरगाह . . . . .                                | 0.70           | 0.90           | 2.13               | 3.25           |
| पौण्ड पथेन . . . . .                              | —7.37          | —7.31          | —7.26              | —7.16          |
| विशेष विकास कोष (ख)                               | —              | 46.97          | 26.57              | —              |
| अन्य मदें . . . . .                               | 22.35          | 2.88           | 2.60               | 4.78           |
| सम्पूर्ण पूजी व्यय . . . . .                      | 71.03          | 118.18         | 75.86              | 76.64          |
| स्थायी ऋण का चुकता किया जाना . . . . .            | 45.85          | 87.94          | 6.19               | 119.62         |
| राज्यों को पेशगी . . . . .                        | 61.46          | 60.77          | 90.00              | 93.75          |
| विशेष विकास कोष में से राज्यों को पेशगी . . . . . | —              | 14.94          | 27.12              | 37.45          |
| अन्य ऋण और पेशगी (ग) . . . . .                    | 4.25           | 11.60          | 9.33               | 20.62          |
| सम्पूर्ण व्यय . . . . .                           | 182.59         | 293.43         | 208.50             | 348.08         |
| पूजी लेखा में घाटा . . . . .                      | 62.04          | 124.39         | 78.49              | 30.57          |

## तालिका 39

आयकर और सुपरटेक्स की दरें

व्यक्तियों, फर्मों, हिन्दू संयुक्त परिवारों तथा अन्य जनसंस्थाओं के सम्बन्ध में

| आयकर                                    | दरें                | सर्चार्ज                                      |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| (1) सम्पूर्ण आय के प्रथम 1,500 रुपये पर | कुछ नहीं            | कुछ नहीं                                      |
| (2) " " " अगले 3,500 " "                | 9 पाई प्रति रुपया   | पिछले खाने में निदिष्ट दर का $\frac{1}{20}$ " |
| (3) " " " 5,000 " "                     | एक आना 9 पाई        | "                                             |
| (4) " " " 5,000 " "                     | तीन आना प्रति रुपया | "                                             |
| (5) शेष आय पर . . . . .                 | चार आना प्रति रुपया | "                                             |

नोट :— 7,200 रुपये या इस से कम की सम्पूर्ण आय पर सर्चार्ज नहीं लगता ।

(क) लेखे अस्थायी हैं । (ख) अमेरिकी (ऋण) गेहूं की विक्री से प्राप्त धन का हस्तांतरण ।  
 (ग) आकड़े शुद्ध हैं ।

| सुपरटैक्स                                        | दरें                | सर्चार्ज                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| (1) सम्पूर्ण आय के प्रथम 25,000 रुपये पर         | कुछ नहीं            | कुछ नहीं                                         |
| (2) " " अगले 15,000 " "                          | तीन आना प्रति रुपया | पिछले खाने मे निदिष्ट दर का $\frac{1}{20}$ " " " |
| (3) " " " 15,000 " "                             | चार आना " "         | " " "                                            |
| (4) " " " 15,000 " "                             | छः आना " "          | " " "                                            |
| (5) " " " 15,000 " "                             | सात आना " "         | " " "                                            |
| (6) " " " 15,000 " "                             | साढे सात आना " "    | " " "                                            |
| (7) " " " 50,000 " "                             | आठ आना " "          | " " "                                            |
| (8) शेष सम्पूर्ण आय अर्थात् डेढ लाख रुपये से ऊपर | साढे आठ आना " "     | " " "                                            |

### तालिका 40

#### भूसम्पत्ति कर की दरें

##### भाग I

ऐसी सम्पत्ति जिस पर मिताक्षरा, मरूमक्वत्तायम अथवा अलियासन्तान कानून द्वारा प्रशासित सम्मिलित हिन्दू परिवार की सयुक्त सम्पत्ति सम्मिलित है :

कर की दर :

|                                  |                     |             |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
| (I) भूसम्पत्ति के मूल्य के प्रथम | 50,000 रुपये पर     | कुछ नहीं    |
| (2) " " " " अगले                 | 50,000 " " . . .    | 5 प्रतिशत   |
| (3) " " " " "                    | 50,000 " " . . .    | 7½ प्रतिशत  |
| (4) " " " " "                    | 50,000 " " . . .    | 10 प्रतिशत  |
| (5) " " " " "                    | 1,00,000 " " . . .  | 12½ प्रतिशत |
| (6) " " " " "                    | 2,00,000 " " . . .  | 15 प्रतिशत  |
| (7) " " " " "                    | 5,00,000 " " . . .  | 20 प्रतिशत  |
| (8) " " " " "                    | 10,00,000 " " . . . | 25 "        |
| (9) " " " " "                    | 10,00,000 " " . . . | 30 "        |
| (10) " " " " "                   | 20,00,000 " " . . . | 35 "        |
| (II) " " " " शेष भाग पर          | . . .               | 40 "        |

##### भाग 2

अन्य किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कर की दर :

|                                  |                        |             |
|----------------------------------|------------------------|-------------|
| (I) भूसम्पत्ति के मूल्य के प्रथम | 1,00,000 रुपयों पर . . | कुछ नहीं    |
| (2) " " " " अगले                 | 50,000 " " . . .       | 7½ प्रतिशत  |
| (3) " " " " "                    | 50,000 " " . . .       | 10 प्रतिशत  |
| (4) " " " " "                    | 1,00,000 " " . . .     | 12½ प्रतिशत |



|      |                             |                       |    |         |
|------|-----------------------------|-----------------------|----|---------|
| (5)  | भूसम्पत्ति के मूल्य के अगले | 2,00,000 रुपये पर . . | 15 | प्रतिशत |
| (6)  | " " " "                     | 5,00,000 " " . .      | 20 | "       |
| (7)  | " " " "                     | 10,00,000 " " . .     | 25 | "       |
| (8)  | " " " "                     | 10,00,000 " " . .     | 30 | "       |
| (9)  | " " " "                     | 20,00,000 " " . .     | 35 | "       |
| (10) | " " " "                     | शेष भाग पर . .        | 40 | "       |

## भाग 3

ऐसी कम्पनी के किसी मृत सदस्य के हिस्से के सम्बन्ध में जिस की स्थापना भारत से बाहर हुई हो और जो उस क्षेत्र में कारोबार करती हो, जिस में कानून लागू होता हो :

कर की दर :

- (1) यदि हिस्से 5,000 रुपये के मूल्य से अधिक के नहीं हों . . . . . कुछ नहीं
- (2) यदि हिस्से 5,000 रुपये से अधिक के ही . . . . .  $7\frac{1}{2}$  प्रतिशत

भाग "क" के राज्यों की बजट सम्बन्धी स्थिति

| राज्य             | आयकर | लगान | विक्रय कर | आनुवंशिक कर | स्टाम्प | करों में अन्य आय | करों में प्राप्ति अन्य आय | करों के अलावा अन्य आय | संपूर्ण आय | आय पर सीधी मांग | ऋण सेवाएँ (ख) | नगरिक प्रशासन (ग) | नगरिक कार्यों के व्यय | अन्य विकास व्यय | संपूर्ण व्यय | वर्धमान (+) घटाना (-) | सर्वजनिक वित्त |
|-------------------|------|------|-----------|-------------|---------|------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                   |      |      |           |             |         |                  |                           |                       |            |                 |               |                   |                       |                 |              |                       |                |
| आसाम              | 248  | 181  | 76        | 121         | 29      | 76               | 731                       | 398                   | 1,129      | 97              | 9             | 232               | 204                   | 358             | 1,093        | +36                   | +4             |
|                   | 235  | 172  | 81        | 148         | 27      | 72               | 735                       | 537                   | 1,272      | 103             | 8             | 206               | 349                   | 408             | 1,268        | +4                    |                |
| 1953-54 (बजट)     | 190  | 166  | 71        | 158         | 28      | 72               | 685                       | 616                   | 1,301      | 121             | 12            | 224               | 385                   | 544             | 1,497        | -196                  | +148           |
| बिहार             | 710  | 145  | 409       | 519         | 224     | 142              | 2,149                     | 1,281                 | 3,430      | 176             | -9            | 894               | 650                   | 1,284           | 3,282        | +148                  |                |
| 1951-52 (लेखे)    | 636  | 350  | 321       | 653         | 197     | 156              | 2,313                     | 1,264                 | 3,577      | 283             | 23            | 815               | 530                   | 1,242           | 1,136        | +441                  | -34            |
| 1952-53 (संशोधित) | 608  | 331  | 270       | 655         | 207     | 173              | 2,244                     | 1,056                 | 3,300      | 337             | 27            | 820               | 574                   | 1,329           | 3,334        | -34                   |                |
| 1953-54 (बजट)     |      |      |           |             |         |                  |                           |                       |            |                 |               |                   |                       |                 |              |                       |                |

सार्वजनिक वित्त

(जारी)

(क) अनुदान, ग्रामाधारण मदें, सुपरानुदान, रोकथाम रिजर्व से प्राप्त राशि सहित ।

(ख) ऋण की वचत या कमी की व्यवस्था सहित ।

(ग) सामान्य प्रशासन, न्याय का प्रशासन, जेल और कैदियों की बस्तिया तथा विविध विभाग (विकास मन्त्री शीर्षकों को छोड़ कर) सहित ।

(घ) वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, चिकित्सा मन्त्री और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग, ग्राम विकास, श्रम कल्याण, उड्डयन, प्रसार, विद्युत योजनाएँ तथा सामूहिक विकास योजनाओं सहित ।



तालिका 42  
भाग 'ख' के राज्यों की बजट संरक्षणी स्थिति

| राज्य                   | आय                      |              |              |              |               | व्यय              |                    |              |              |             | (लाख रुपये में) |            |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|
|                         | अंतरा विधायक पारित करने | वित्तिय करने | सामाजिक करने | संरक्षण करने | को से अन्य आय | को से संरक्षणी आय | अन्य स्रोतों से आय | अपराध आय     | अपराध आय (ब) | सामाजिक कोष | सामाजिक कोष (ब) | समग्र व्यय |
|                         |                         |              |              |              |               |                   |                    |              |              |             |                 | (-)<br>(+) |
| <b>हैदराबाद</b>         |                         |              |              |              |               |                   |                    |              |              |             |                 |            |
| 1951-52 (लेख)           | 403 10                  | 482 106      | 1,016 51     | 222,090      | 897           | 2,987             | 306,215            | 901          | 152          | 836         | 2,819           | +168       |
| 1952-53 (संगोषित)       | 223 254                 | 492 193      | 1,036 51     | 362,285      | 506           | 2,791             | 332,271            | 654          | 178          | 818         | 2,682           | +109       |
| 1953-54 (वजट)           | 171 245                 | 502 197      | 1,038 51     | 542,258      | 544           | 2,802             | 322,322            | 554          | 203          | 892         | 2,822           | -20        |
| <b>मध्य भारत</b>        |                         |              |              |              |               |                   |                    |              |              |             |                 |            |
| 1951-52 (लेख)           | 127 6                   | 253 91       | 185 41       | 17 720       | 429           | 1,149             | 102 -              | 366          | 102          | 407         | 1,131           | +18        |
| 1952-53 (संगोषित)       | 100 96                  | 341 108      | 199 39       | 17 900       | 401           | 1,301             | 109 5              | 316          | 136          | 467         | 1,273           | +28        |
| 1953-54 (वजट)           | 85 93                   | 346 138      | 220 40       | 18 940       | 490           | 1,430             | 116 3              | 300          | 164          | 570         | 1,449           | -19        |
| <b>पंजाब</b>            |                         |              |              |              |               |                   |                    |              |              |             |                 |            |
| 1951-52 (लेख)           | -                       | 131 137      | 207 46       | 109 630      | 1,201         | 1,831             | 91 128             | 212          | 213          | 1,040       | 1,835           | -4         |
| 1952-53 (संगोषित)       | -                       | 134 121      | 177 47       | 113 592      | 1,375         | 1,967             | 93 132             | 241          | 246          | 1,177       | 2,021           | -54        |
| 1953-54 (वजट)           | -                       | 121 98       | 172 48       | 115 554      | 1,508         | 2,062             | 100 129            | 242          | 237          | 1,379       | 2,220           | -158       |
| <b>पेप्सू</b>           |                         |              |              |              |               |                   |                    |              |              |             |                 |            |
| 1951-52 (लेख)           | - 15                    | 90 46        | 235 19       | 40 445       | 164           | 609               | 48 -               | 164          | 67           | 126         | 466             | +143       |
| 1952-53 (संगोषित)       | - 40                    | 100 45       | 186 19       | 37 427       | 198           | 625               | 73 1               | 172          | 72           | 184         | 579             | +46        |
| 1953-54 (वजट)           | - 40                    | 131 45       | 176 20       | 36 448       | 187           | 635               | 83 41              | 174          | 114          | 239         | 704             | -69        |
| <b>राजस्थान</b>         |                         |              |              |              |               |                   |                    |              |              |             |                 |            |
| 1951-52 (लेख)           | 419 13                  | 315 -        | 299 47       | 301,123      | 428           | 1,551             | 203 20             | 517          | 88           | 522         | 1,576           | -25        |
| 1952-53 (संगोषित)       | 351 192                 | 380 -        | 323 53       | 341,333      | 417           | 1,750             | 238 7              | 524          | 125          | 645         | 1,714           | +36        |
| 1953-54 (वजट)           | 349 200                 | 425 -        | 348 54       | 391,415      | 529           | 1,944             | 263 25             | 552          | 169          | 767         | 1,944           | -          |
| <b>सौराष्ट्र</b>        |                         |              |              |              |               |                   |                    |              |              |             |                 |            |
| 1951-52 (लेख)           | 40 -                    | 152 16       | 17 23        | 43 291       | 461           | 752               | 57 2               | 259          | 91           | 329         | 863             | -111       |
| 1952-53 (संगोषित)       | 14 -                    | 280 16       | 10 21        | 36 377       | 607           | 984               | 142 13             | 247          | 130          | 520         | 1,166           | -182       |
| 1953-54 (वजट)           | 11 -                    | 279 58       | 9 22         | 38 417       | 525           | 942               | 127 10             | 209          | 147          | 419         | 995             | -53        |
| <b>तिरुवांकुर-कोचीन</b> |                         |              |              |              |               |                   |                    |              |              |             |                 |            |
| 1951-52 (लेख)           | - 99                    | 71 244       | 240 89       | 127 870      | 921           | 1,791             | 125 88             | 180          | 182          | 523         | 1,363           | +428       |
| 1952-53 (संगोषित)       | - 85                    | 72 227       | 260 90       | 106 840      | 833           | 1,673             | 136 53             | 196          | 220          | 669         | 1,683           | -10        |
| 1953-54 (वजट)           | - 75                    | 87 212       | 240 90       | 107 811      | 903           | 1,714             | 142 5              | 221          | 244          | 778         | 1,728           | -14        |
| <b>योग</b>              |                         |              |              |              |               |                   |                    |              |              |             |                 |            |
| 1951-52 (लेख)           | 989 143                 | 1,494 640    | 2,199 316    | 388 6,169    | 4,501 10,670  | 932 453           | 2,599 895          | 3,783 10,053 | +617         |             |                 |            |
| 1952-53 (संगोषित)       | 688 667                 | 1,799 710    | 2,191 320    | 379 6,754    | 4,337 11,091  | 1,123 482         | 2,350 1,107        | 4,480 11,118 | -27          |             |                 |            |
| 1953-54 (वजट)           | 616 653                 | 1,891 748    | 2,203 325    | 407 6,843    | 4,686 11,529  | 1,153 535         | 2,252 1,278        | 5,044 11,862 | -333         |             |                 |            |

(क) अनुदान, असाधारण मदें, मुद्राप्रत्युत्पादन, रवित्यू रिजर्व से प्राप्त राशि समेत ।

(ख) ऋण की वकत या कमी की व्यवस्था सहित ।

(ग) सामान्य प्रशासन, न्याय व प्रशासन, जेल और कैदियों की बर्नियाय, पुलिस तथा विविध विभाग सहित ।

(घ) वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, सहकारिता, उद्योग धंधे, ग्राम विकास, श्रम-कल्याण उद्घरण, प्रसार, विद्युत योजनाएं तथा सामूहिक विकास योजनाएं सहित ।

## भारत 'म' के राज्यों की बजट सम्बन्धी स्थिति (क) (हजार रुपये में)

| राज्य            | आय                 |            |           |                 |                     | व्यय               |             |                |                     |                     |
|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                  | राज्यीय आजीवनिक कर | राज्यीय कर | विक्रय कर | करों से अन्य आय | करों से सम्पुर्ण आय | अन्य स्रोतों से आय | सम्पुर्ण आय | आय पर सीधी भाग | नगराधिक प्रशासन (ख) | नगराधिक कार्यों (ग) |
| अजमेर            | 299                | 3,272      | 412       | —               | 70                  | 4,053              | 18,576      | 22,629         | 971                 | 4,299               |
| 1952-53 (समाहित) |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | 860                 | 16,068              |
| 1953-54 (बजट)    | 335                | 2,777      | 433       | 1,000           | 395                 | 4,940              | 13,936      | 18,876         | 1,191               | 4,385               |
| भोपाल            | 4179               | 1,500      | 264       | —               | 418                 | 6,361              | 14,311      | 20,672         | 1,565               | 4,883               |
| 1952-53 (समाहित) |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | 3,681               | 9,047               |
| 1953-54 (बजट)    | 4,328              | 1,561      | 274       | —               | 441                 | 6,604              | 16,700      | 23,30          | 1,690               | 4,526               |
|                  |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | 4,384               | 11,938              |
|                  |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | 20,232              | 23,259              |
|                  |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | +440                | +45                 |
|                  |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | 22,269              | 23,259              |
|                  |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | +360                | —                   |

भारत 1954

| राज्य            | आय                 |            |           |                 |                     | व्यय               |             |                |                     |                     |
|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                  | राज्यीय आजीवनिक कर | राज्यीय कर | विक्रय कर | करों से अन्य आय | करों से सम्पुर्ण आय | अन्य स्रोतों से आय | सम्पुर्ण आय | आय पर सीधी भाग | नगराधिक प्रशासन (ख) | नगराधिक कार्यों (ग) |
| अजमेर            | 299                | 3,272      | 412       | —               | 70                  | 4,053              | 18,576      | 22,629         | 971                 | 4,299               |
| 1952-53 (समाहित) |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | 860                 | 16,068              |
| 1953-54 (बजट)    | 335                | 2,777      | 433       | 1,000           | 395                 | 4,940              | 13,936      | 18,876         | 1,191               | 4,385               |
| भोपाल            | 4179               | 1,500      | 264       | —               | 418                 | 6,361              | 14,311      | 20,672         | 1,565               | 4,883               |
| 1952-53 (समाहित) |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | 3,681               | 9,047               |
| 1953-54 (बजट)    | 4,328              | 1,561      | 274       | —               | 441                 | 6,604              | 16,700      | 23,30          | 1,690               | 4,526               |
|                  |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | 4,384               | 11,938              |
|                  |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | 20,232              | 23,259              |
|                  |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | +440                | +45                 |
|                  |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | 22,269              | 23,259              |
|                  |                    |            |           |                 |                     |                    |             |                | +360                | —                   |

सावजनिक वित्त

[ 129 ]

और सावजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु-चिकित्सा, सहायिता, उद्योग और पूर्ण सहित ।

(क) कुल को छोड़ कर । (ख) मामूली प्रमाण, न्यायप्रमाण, जेल और कोदियों की बस्तिया तथा निविदा विभागों के ममेत । (ग) शिक्षा, चिकित्सा

1952-53 (समाहित) 15,188 16,523 5,585 12,100 5,982 55,378 79,975 1,35,353 13,396 26,774 15,114 74,398 1,33,241 + 2,112

योग

1952-53 (समाहित) 15,478 16,553 5,707 12,246 7,531 60,565 94,821 1,55,386 14,908 29,058 20,882 86,362 1,55,243 + 143

1953-54 (बजट)

8,147 8,251 3,000 530 1,796 1,033 14,610 29,350 43,960 5,591 10,399 7,221 19,165 43,949 - 11

विवक्ष्य प्रदेव

1952-53 (समाहित)

1,916 1,916 1,653 440 209 4,218 22,465 26,683 3,768 4,606 4,766 12,414 26,596 + 87

1953-54 (बजट)

1,941 1,941 1,499 245 219 4,008 19,961 23,569 4,371 4,206 3,717 10,306 23,694 + 275

हिमाचल प्रदेश

1952-53 (समाहित)

622 6,892 4,030 10,500 4,725 26,769 9,484 36,253 2,455 4,819 2,056 26,793 36,253 0

1953-54 (बजट)

648 7,562 4,030 12,500 5,453 30,193 12,370 42,563 2,668 5,142 2,860 31,394 42,563 0

13 M of I &amp; B.

## तालिका

भारत सरकार के ऋण (जिन पर व्याज देना होगा)

[ 144

B1

और सम्पत्तियां (जिन पर व्याज मिलेगा)

(लाख रुपये में)

|                                                                | 1938-39  | 1946-47<br>संशोधित | 1947-48<br>संशोधित | 1948-49<br>संशोधित | 1949-50<br>संशोधित | 1950-51<br>संशोधित | 1951-52<br>संशोधित | 1952-53<br>संशोधित | 1953-54<br>बजट |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>I ऋण जिन पर व्याज देना होगा</b>                             |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| भारत में :                                                     |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| 1 ऋण                                                           | 43,787   | 1,52,975           | 1,51,709           | 1,47,839           | 1,45,215           | 1,43,846           | 1,40,210           | 1,40,558           | 1,38,958       |
| 2 ट्रेजरी बिल, पेशगी तथा ट्रेजरी डिपॉजिट की प्राप्ति           | 4,630    | 7,920              | 8,684              | 37,333             | 36,148             | 37,320             | 33,501             | 31,919             | 42,904         |
| 3 छोटी बचत                                                     | 14,145   | 27,320             | 23,310             | 27,173             | 29,380             | 32,625             | 37,257             | 41,764             | 46,257         |
| 4 मूल्य ह्रास और सरभित कोष                                     | 2,734    | 14,397             | 11,215             | 11,677             | 12,615             | 15,556             | 17,147             | 17,018             | 15,940         |
| 5 अन्य                                                         | 8,368    | 29,703             | 18,341             | 17,274             | 22,275             | 20,726             | 19,302             | 18,914             | 19,413         |
| योग                                                            | 73,664   | 2,32,315           | 2,13,259           | 2,41,296           | 2,45,633           | 2,50,073           | 2,47,417           | 2,50,173           | 2,63,462       |
| <b>इंग्लैण्ड में</b>                                           |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| 6 ऋण                                                           | 39,650   | 1,222              | 580                | 339                | 273                | 135                | 124                | 120                | 115            |
| 7 अन्य                                                         | 7,262    | 4,652              | 4,360              | 3,945              | 3,710              | 3,482              | 3,224              | 2,903              | 2,784          |
| योग                                                            | 46,912   | 5,874              | 4,940              | 4,284              | 3,983              | 3,617              | 3,348              | 3,023              | 2,899          |
| 8 डालर ऋण                                                      |          |                    |                    |                    | 1,677              | 2,460              | 11,204             | 11,374             | 11,276         |
| ऋणों का योग (जिन पर व्याज देना होगा)                           | 1,20,576 | 2,38,189           | 2,18,199           | 2,45,580           | 2,51,293           | 2,56,150           | 2,61,969           | 2,64,570           | 2,77,637       |
| <b>II व्याज देने वाली सम्पत्ति (एसेट)</b>                      |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                |
| 9 रेल को दी गई पूँजी                                           | 72,524   | 80,816             | 67,587             | 69,247             | 72,380             | 81,413             | 83,363             | 86,423             | 88,320         |
| 10 अन्य वाणिज्य विभागों को दी गई पूँजी                         | 2,742    | 4,863              | 4,386              | 4,885              | 6,897              | 9,011              | 11,295             | 8,125              | 9,034          |
| 11 राज्यों को पेशगी दी गई पूँजी और अन्य ऋण जिन पर व्याज मिलेगा | 14,399   | 7,378              | 7,315              | 11,044             | 15,892             | 21,697             | 28,432             | 37,747             | 47,379         |
| 12 बर्मा और पाकिस्तान से प्राप्त ऋण                            | 4,973    | 4,815              | 34,815             | 34,815             | 34,815             | 34,815             | 34,815             | 34,815             | 34,815         |
| 13 रेल एन्यूटी के लिये ब्रिटिश सरकार के पाम जमा                | —        | 2,244              | 1,965              | 1,553              | 1,329              | 1,096              | 853                | 544                | 433            |
| 14 स्टनिंग पेशनों के लिए एन्यूटियों की खरीद                    | —        | —                  | —                  | 21,568             | 20,826             | 20,089             | 19,358             | 18,632             | 17,916         |
| 15 कुल सम्पत्तियों का योग जिन पर व्याज मिलेगा                  | 94,638   | 1,00,116           | 1,16,068           | 1,43,112           | 1,52,139           | 1,68,121           | 1,78,116           | 1,86,286           | 1,97,897       |
| 16 नकद और ट्रेजरी एकाउन्ट में जमा सिक्कुरिटिया                 | 3,030    | 51,376             | 24,612             | 23,581             | 17,299             | 14,197             | 19,870             | 13,618             | 10,653         |
| 17 व्याज देने वाले ऐसे अन्य बाकी ऋण, जो ऊपर नहीं आये           | 22,908   | 86,697             | 77,519             | 78,887             | 81,855             | 73,832             | 63,983             | 64,466             | 68,887         |

तालिका 45]

(रुपया ऋण)

भारत सरकार की

ऋण सम्बन्धी स्थिति

(करोड़

रुपयों में)

| मार्च के अन्त में | विना तारीख | कुल का प्रति-शत | 10 वर्षों के ऊपर | कुल का प्रति-शत | 5 से 10 वर्षों तक के | कुल का प्रति-शत | 5 वर्षों के कम के | कुल का प्रति-शत | ट्रेजरी बिल |
|-------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 1939              | 128 46 18  | 1113.80         | 10 6             | 124 7 1         | 17 6                 | 70.89           | 5 5               | 46.30           |             |
| 1945              | 284 03 18  | 1396.17         | 25 2             | 282 44 18       | 0249 50              | 15 9            | 86.71             |                 |             |
| 1946              | 284 04 14  | 7663.80         | 24 3             | 222 75 11       | 5321 59              | 16.6            | 83 33             |                 |             |
| 1947              | 257 47 12  | 1752.62         | 35 5             | 171 09          | 8.1343.18            | 16.2            | 77 59             |                 |             |
| 1948(घ)           | 257 74 12  | 1682.42         | 31 9             | 2 13 3          | 287 23 13 4          | 58 68           |                   |                 |             |
| 1949(घ)           | 257 85 10  | 8711.59         | 29 9             | 196 50          | 8 3309 80            | 13 0            | 354 36(ङ)         |                 |             |
| 1950(घ)           | 257 86 10  | 5597.93         | 24 3             | 303 08          | 12 3291.08           | 11 8            | 355 70(ङ)         |                 |             |
| 1951(घ)           | 257 85 10  | 4519.33         | 21 0             | 342.51          | 13 9318 77           | 12 9            | 364 72(ङ)         |                 |             |
| 1952(घ)           | 257 85 10  | 5463.47         | 18.8             | 450 14 18       | 3232 05              | 5 4             | 332.51(ङ)         |                 |             |
| 1953(घ)           | 257 85 10  | 3887.60         | 15.6             | 411 67          | 16 5346 40           | 13 5            | 315.44(ङ)         |                 |             |

(क) 1950-51 से दस वर्षों में ट्रेजरी सॉलिंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट सहित ।

(ख) इसमें सम्मिलित हैं—(1) पुराने बाकी ऋण जिन्हें मांगा नहीं गया और जिन पर अब व्याज नहीं दिया जाता, (2) विशेष ऋणों का बाकी, (3) स्टेट प्राविडेंट फंड, पेयन फंड और अन्य फंडों का शेष, जैसे जनरल फैमिली पेयन फंड, हिन्दू फैमिली एन्ड्युटी फंड, पोस्टल इश्योरेस और लाइफ एन्ड्युटी फंड आदि तथा (4) तीन वर्षीय व्याज मुक्त बॉन्ड और पंचवर्षीय व्याज मुक्त इनाम बॉन्ड ।

| कुल का प्रति-शत | शेरी एवने (र) | कुल का प्रति-शत | अन्य ऋण (ख) | कुल का प्रति-शत | कुल    | प्रतिशत वृद्धि घटी (-) | विदेशी ऋण (ग) |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|------------------------|---------------|
| 6 5 14 45       | 19 8          | 81 34 11 8      | 709 96      | +2 4            | 469 10 |                        |               |
| 5 5 159 18      | 10 1          | 113.39          | 7 2         | 1,571.42        | +17 0  | 38.13                  |               |
| 4 3 221 52      | 11 4          | 139 92          | 7 2         | 1,936 95        | +23 3  | 37 69                  |               |
| 3 6 253 30      | 12 6          | 251 68          | 11 9        | 2,121 93        | +9 6   | 36 52                  |               |
| 4.6 283 90(र)   | 13 3          | 244 42          | 17 4        | 2,140 01        | +0 9   | 29 83                  |               |
| 14.93 13 27(र)  | 13 2          | 234 34          | 9 9         | 2,378 11        | +11 1  | 27 36                  |               |
| 14 4339 15(र)   | 13 8          | 317 91          | 12 9        | 2,462 71        | +3 6   | 43 38(ख)               |               |
| 14 8325 25      | 13 2          | 342 81          | 13.9        | 2,472 24        | +2 3   | 49 81(ख)               |               |
| 13 5372 57      | 15 2          | 351 24          | 14 3        | 2,459 83        | —0 9   | 136 99(ख)              |               |
| 12 7411 78      | 16 5          | 361 82          | 14 5        | 2,492 62        | +0 6   | 138 53(ख)              |               |

(ग) इसमें मार्च 1949 के अन्त तक केवल स्टॉकिंग ऋण था, 1942-43 से रेल एन्ड्युटी यांचिल नहीं थी पर उन के बाद से डाक्टर ऋण शामिल थे ।

(घ) प्रारम्भिक ।

(ङ) ट्रेजरी डिपॉजिट की रसीदों समेत ।

(च) 14 अगस्त, 1947 के दिन तक का पाकिस्तान का ऋण भी सम्मिलित है ।

(छ) मार्च 1950, 1951, 1952 तथा 1953 के अन्त में के क्रमशः 16 77 करोड़, 24 60 करोड़, 112 04 करोड़ और 113 74 करोड़ डाक्टर ऋण भी सम्मिलित है ।





| सूचीकरण क्रमांक | श्री श्री | अवधि के अंत में<br>बैंकों की संख्या | एक श्रेणी जो मान पर<br>बुनाई जाने वाली है | (6) का संप्रति (2) का<br>प्रतिशत | निश्चित समय की<br>श्रेणी | संवर्धन विधियां<br>(को) | 9 श्रेणी (4) की प्रमाण<br>श्रेणी (2) | बैंकों के बीच श्रेणियों का लेन देन (ग) |                     |           |        |       | 10    | 11 | 12    |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------|-------|-------|----|-------|
|                 |           |                                     |                                           |                                  |                          |                         |                                      | मान पर एक<br>श्रेणी                    | समय पर एक<br>श्रेणी | प्रमाण    | 8      | 9     |       |    |       |
| 1938-39         | 51        | 12,381                              | 54.5                                      | 10,330                           | —                        | —                       | 22,711                               | —                                      | भारत                | —         | —      | —     | —     | —  | 638   |
| 1945-46         | 91        | 65,453                              | 71.6                                      | 25,952                           | 12,156                   | —                       | 91,405                               | —                                      | —                   | —         | —      | —     | —     | —  | 3,480 |
| 1946-47         | 96        | 72,554                              | 69.2                                      | 32,311                           | 13,304                   | —                       | 1,04,865                             | —                                      | —                   | —         | —      | —     | —     | —  | 4,111 |
| 1947-48         | 101       | 70,665                              | 67.3                                      | 34,389                           | 14,971                   | —                       | 1,05,054                             | —                                      | —                   | —         | —      | —     | —     | —  | 3,992 |
|                 |           |                                     |                                           |                                  |                          |                         |                                      |                                        | भारतीय मुद्रा       |           |        |       |       |    |       |
| 1948-49         | 94        | 67,456                              | 68.9                                      | 30,388                           | 14,039                   | —                       | 97,844                               | 2,659 (ब)                              | 49 (ब)              | 2,708 (ब) | 95,136 | 333   | 3,751 |    |       |
| 1949-50         | 94        | 59,779                              | 68.7                                      | 27,259                           | 13,395                   | —                       | 87,038                               | 2,606                                  | 48                  | 2,654     | 84,384 | 743   | 3,447 |    |       |
| 1950-51         | 93        | 59,913                              | 68.3                                      | 27,845                           | 13,785                   | —                       | 87,759                               | 2,075                                  | 101                 | 2,176     | 85,583 | 446   | 3,468 |    |       |
| 1951-52         | 94        | 59,373                              | 67.1                                      | 29,082                           | 13,566                   | —                       | 88,455                               | 2,320                                  | 61                  | 2,381     | 86,074 | 1,382 | 3,733 |    |       |
| 1952-53         | 91        | 54,623                              | 63.8                                      | 30,926                           | 13,805                   | —                       | 85,549                               | 1,304                                  | 343                 | 1,646     | 83,903 | 1,120 | 3,333 |    |       |

(क) मेंटग्स डिपॉजिट के आकड़े मार्च के अन्तिम शुक्रवार के श्रीग मासिक आकड़े महिन के अन्तिम शुक्रवार के है। रिजर्व बैंक कानून की धारा 42 के अनुसार सेविंग डिपॉजिट को 'टाइम लाणविलिटी' (समय का ऋण) माना गया है।

सिसिविग डिपोजिट को 'टाइम लाएविलिटी' (समय का ऋण) माना गया है।

(ख) मार्च 1949 तक समाप्त होने वाले 9 महीनों के लिये ।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिये गये ऋणों को छोड़ कर और इम्पीरियल बैंक (भारत) से लिये गये ऋण 18 अप्रैल, 1952 के बाद से ।

(जारी)

नालिका 47—जारी

डयल्ट डेकों की वल मलाकर स्थिति (बर्मा को छोड़कर) — जारी

(लाख रुपयो मे)

| क्र.सं. | विवरण            | 13     | 14    | 15     | 16    | 17        | 18         | 19            | 20        | 21    | 22     | 23     | 24    |
|---------|------------------|--------|-------|--------|-------|-----------|------------|---------------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 1938-39 | विश्व बैंक से ऋण | 1,588  | 762   | 2,226  | 9 80  | —         | —          | अविभक्त भाग   | —         | 460   | 11,134 | 11,594 | 51 05 |
| 1945-46 | विश्व बैंक से ऋण | 8,991  | 5,199 | 12,471 | 13.64 | —         | —          | —             | —         | 1,605 | 28,507 | 30,112 | 32 94 |
| 1946-47 | विश्व बैंक से ऋण | 8,125  | 3,851 | 12,236 | 11 67 | —         | —          | —             | —         | 2,132 | 40,639 | 42,771 | 40.79 |
| 1947-48 | विश्व बैंक से ऋण | 10,081 | 5,860 | 14,073 | 13 40 | —         | —          | भारतीय युनियन | —         | 1,682 | 42,754 | 44,436 | 42 30 |
| 1948-49 | विश्व बैंक से ऋण | 7,663  | 3,682 | 11,414 | 11 67 | —         | —          | —             | —         | 1,644 | 42,485 | 44,129 | 45.10 |
| 1949-50 | विश्व बैंक से ऋण | 6,585  | 3,051 | 10,032 | 11 53 | —         | —          | —             | —         | 1,535 | 42,674 | 44,209 | 50.79 |
| 1950-51 | विश्व बैंक से ऋण | 6,078  | 2,525 | 9,546  | 10 88 | —         | —          | —             | —         | 1,187 | 44,703 | 45,890 | 52.29 |
| 1951-52 | विश्व बैंक से ऋण | 5,729  | 2,179 | 9,462  | 10.70 | 1.191 (च) | 30,348 (च) | 34 31         | 1,140 (च) | 2,281 | 52,359 | 55,120 | 62.32 |
| 1952-53 | विश्व बैंक से ऋण | 5,182  | 1,832 | 8,515  | 9.95  | 1.157     | 30,634     | 35 81         | 1,726     | 3,847 | 46,164 | 51,737 | 60.48 |

(घ) किताबी कीमत के अनुसार; इसमें टूँजरी बिल और टूँजरी डिपॉजिट रमादों भी शामिल हैं।

(क) नवम्बर 1951 के "प्रकाश" में छोटे नोटिस पर वापस लिया जा सकने वाला रुपया तथा खरीदे हुए प्रत्यदेशीय बिल शामिल नहीं है। तब से उनकी गणना डिस्काउन्टेड प्रत्यदेशीय बिलों (संख्या 21) में की गई है।

(च) नवम्बर 1951 से सप्ताह की औसत ।

भारतीय शेड्यूल्ड ज्वाइन्ट स्टॉक बैंक, 1951

| संख्या | बैंक का नाम                                | स्थापन तिथि |
|--------|--------------------------------------------|-------------|
| 1      | ग्रयोध्या बैंक, फैजाबाद                    | 11-9-1894   |
| 2      | इलाहाबाद बैंक, कानपुर                      | 17-4-1865   |
| 3      | आंध्र बैंक, मद्रिनीपल्लभ                   | 20-11-1923  |
| 4      | बैंक ऑफ़ ग्रानाम, शिवाग                    | 29-4-1936   |
| 5      | बैंक ऑफ़ बडोदा, बडोदा                      | 20-7-1908   |
| 6      | बैंक ऑफ़ बिहार, पटना                       | 1-4-1911    |
| 7      | बैंक ऑफ़ बीकानेर, बीकानेर                  | 30-12-1944  |
| 8      | बैंक ऑफ़ इण्डिया, बम्बई                    | 7-9-1906    |
| 9      | बैंक ऑफ़ इंदौर, इंदौर                      | 23-3-1920   |
| 10     | बैंक ऑफ़ जयपुर, जयपुर                      | 8-2-1943    |
| 11     | बैंक ऑफ़ मद्रास, मद्रास                    | 16-9-1935   |
| 12     | बैंक ऑफ़ मसूर, मसूर                        | 19-5-1913   |
| 13     | बैंक ऑफ़ मणपुर, मणि                        | 13-11-1937  |
| 14     | बैंक ऑफ़ पूना, पूना                        | 19-7-1945   |
| 15     | बैंक ऑफ़ राजापुर, उरापुर                   | 7-5-1943    |
| 16     | बरेली कार्पोरेशन (बैंक), बरेली             | 19-7-1928   |
| 17     | बेलगांव बैंक, बेलगांव                      | 11-1-1930   |
| 18     | बलारम स्टेट बैंक, रामनगर                   | 12-9-1946   |
| 19     | भारत नक्षत्री बैंक, मद्रिनीपल्लभ           | 22-4-1929   |
| 20     | कलकत्ता विशाल बैंक, कलकत्ता                | 9-5-1935    |
| 21     | कनारा बैंक, मंगलूर                         | 1-7-1906    |
| 22     | कनारा बैंकिंग कार्पोरेशन, उदीपी            | 28-5-1906   |
| 23     | कनारा इन्डियन गण्ड बैंकिंग मिण्डिकेट उदीपी | 20-10-1925  |
| 24     | सेण्डल बैंक ऑफ़ इण्डिया, बम्बई             | 21-12-1911  |
| 25     | देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी, बम्बई         | 26-5-1938   |
| 26     | दिनाजपुर बैंक, कलकत्ता                     | 28-3-1914   |
| 27     | गाडोदिया बैंक, बम्बई                       | 11-8-1943   |
| 28     | हिन्द बैंक, कलकत्ता                        | 2-2-1943    |
| 29     | हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक, कानपुर          | 14-5-1943   |
| 30     | हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल बैंक, कलकत्ता      | 5-2-1944    |
| 31     | हैदराबाद स्टेट बैंक, हैदराबाद (दक्षिण)     | 25-8-1941   |
| 32     | इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इण्डिया, कलकत्ता        | 27-1-1921   |

| संख्या | बैंक का नाम                                       | स्थापन तिथि |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 33.    | इण्डियन बैंक, मद्रास                              | 5-3-1907    |
| 34.    | इण्डियन ओवरसीज बैंक, मद्रास                       | 20-11-1936  |
| 35.    | इण्डो-कमर्शियल बैंक, मयूरम्                       | 20-11-1932  |
| 36.    | इण्डो-मर्कैन्टाइल बैंक, कोचीन                     | 2-9-1937    |
| 37.    | जोधपुर कमर्शियल बैंक, जोधपुर                      | 16-6-1944   |
| 38.    | करनानी इंडस्ट्रियल बैंक, कलकत्ता                  | 26-9-1919   |
| 39.    | कुम्भकोणम बैंक, कुम्भकोणम                         | 31-10-1904  |
| 40.    | लक्ष्मी कमर्शियल बैंक, दिल्ली                     | 3-4-1939    |
| 41.    | लक्ष्मी बैंक, अकोला                               | 26-2-1938   |
| 42.    | महालक्ष्मी बैंक, कलकत्ता                          | 22-11-1910  |
| 43.    | मर्कैन्टाइल बैंक और्व हैदराबाद, हैदराबाद (दक्षिण) | 6-2-1947    |
| 44.    | मेट्रोपोलिटन बैंक, कलकत्ता                        | 16-9-1936   |
| 45.    | मीराज स्टेट बैंक, मिराज                           | 30-4-1929   |
| 46.    | नाबर बैंक, तूतीकोरिन                              | 11-5-1921   |
| 47.    | नारंग बैंक और्व इण्डिया, अमृतसर                   | 24-12-1942  |
| 48.    | नेशनल बैंक और्व लाहौर, दिल्ली                     | 28-8-1942   |
| 49.    | नेशनल सेविंग्स बैंक, बम्बई                        | 28-5-1941   |
| 50.    | नेदुगडी बैंक, कोजीकोड                             | 29-5-1913   |
| 51.    | न्यू बैंक और्व इण्डिया, अमृतसर                    | 21-12-1936  |
| 52.    | न्यू सिटिजन बैंक और्व इण्डिया, बम्बई              | 31-7-1937   |
| 53.    | ओरियंटल बैंक और्व कामर्स, दिल्ली                  | 19-2-1943   |
| 54.    | अवध कमर्शियल बैंक, फैजाबाद                        | 3-5-1881    |
| 55.    | पलाई सेंट्रल बैंक, पलाई                           | 10-1-1927   |
| 56.    | पाण्ड्यन बैंक, तिरुमंगलम                          | 11-12-1946  |
| 57.    | प्रभात बैंक, दिल्ली                               | 1-2-1943    |
| 58.    | प्रताप बैंक, दिल्ली                               | 17-12-1943  |
| 59.    | प्रेजिडेंसी इण्डस्ट्रियल बैंक, पूना               | 19-11-1936  |
| 60.    | पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, अमृतसर                     | 4-6-1908    |
| 61.    | पंजाब कोआपरेटिव बैंक, अमृतसर                      | 31-10-1904  |
| 62.    | पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली                       | 19-5-1894   |
| 63.    | सांगली बैंक, सांगली                               | 5-10-1916   |
| 64.    | सदर्न बैंक, कलकत्ता                               | 10-10-1934  |
| 65.    | साउथ इण्डिया बैंक, तिरुनेलवेली                    | 12-1-1903   |

| संख्या | बैंक का नाम                                       | स्थापन तिथि |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| 66.    | साउथ इण्डियन, बैंक, त्रिचूर . . . .               | 25-1-1929   |
| 67.    | तैजोर परमानेन्ट बैंक, तैजोर . . . .               | 6-7-1901    |
| 68.    | ट्रेडर्स बैंक, दिल्ली . . . .                     | 28-7-1933   |
| 69.    | तिरुवांकुर बैंक, त्रिवेन्द्रम . . . .             | 12-9-1945   |
| 70.    | तिरुवांकुर फारवर्ड बैंक, कोट्टयम . . . .          | 7-2-1929    |
| 71.    | यूनियन बैंक श्रीव् इण्डिया, बम्बई . . . .         | 11-11-1919  |
| 72.    | यूनाइटेड बैंक श्रीव् इण्डिया, कलकत्ता . . . .     | 12-10-1950  |
| 73.    | यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, दिल्ली . . . .            | 6-1-1943    |
| 74.    | यूनाइटेड इण्डस्ट्रियल बैंक, कलकत्ता . . . .       | 21-2-1940   |
| 75.    | यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, सतारा सिटी . . . .        | 17-10-1936  |
| 76.    | यूनिवर्सल बैंक श्रीव् इण्डिया, दालमियानगर . . . . | 4-1-1937    |
| 77.    | बीस्या बैंक, बंगलौर सिटी . . . .                  | 29-3-1930   |

### विदेशी शेड्यूल बैंक

| संख्या | बैंक का नाम                                        |
|--------|----------------------------------------------------|
| 1.     | अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी इन्कारपोरेटेड             |
| 2.     | बैंक श्रीव् चाइना                                  |
| 3.     | चार्टर्ड बैंक श्रीव् इण्डिया, आस्ट्रेलिया एण्ड चीन |
| 4.     | कोरवार नावयनाल देस्कॉतब पारि                       |
| 5.     | ईस्टर्न बैंक                                       |
| 6.     | फरीदपुर बैंकिंग कार्पोरेशन                         |
| 7.     | ग्रिन्डलेज बैंक                                    |
| 8.     | हबीब बैंक                                          |
| 9.     | हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन             |
| 10.    | लायड्स बैंक                                        |
| 11.    | मर्कन्टाइल बैंक श्रीव् इण्डिया                     |
| 12.    | नेशनल बैंक श्रीव् इण्डिया                          |
| 13.    | नेशनल बैंक श्रीव् पाकिस्तान                        |
| 14.    | नेशनल सिटी बैंक श्रीव् न्यूयार्क                   |
| 15.    | नेशनल हैण्डेल्स बैंक एन० बी०                       |
| 16.    | नीडरलैण्ड्स ट्रेडिंग सोसाइटी                       |

## भारतीय इन्डोरेन्स कम्पनियाँ

जी = जीवन, अ = अग्नि, स = समुद्री और वि = विविध

1. आदर्श बीमा कम्पनी (1935) जी, इलाहाबाद
2. एडवास इन्डोरेन्स कम्पनी (1942) जी, अ, स, वि, बम्बई
3. अजय म्युचुअल बीमा कॉर्पोरेशन (1945) जी, आगरा
4. अल्को इन्डोरेन्स कम्पनी (1944) अ, वि, बम्बई
5. आल इण्डिया कोऑपरेटिव फायर एण्ड जनरल इन्डोरेन्स सोसायटी (1949) अ, वि, बम्बई
6. आल इण्डिया जनरल इन्डोरेन्स कम्पनी (1944) जी, अ, स, वि, बम्बई
7. आल इण्डिया मोटर ट्रान्सपोर्ट म्युचुअल इन्डोरेन्स कम्पनी (1946) वि, पूना
8. आनन्द इन्डोरेन्स कम्पनी (1942) जी, अ, स, वि, बम्बई
9. आंध्र इन्डोरेन्स कम्पनी (1925) जी, अ, स, वि, मद्रासीपट्टम
10. आर्यम इन्डोरेन्स कम्पनी (1919) जी, यमुनादाबाद
11. अरुणोदय मैरीन इन्डोरेन्स कम्पनी (1949) स, कट्टीकफट, बम्बई
12. आर्यन चेम्बियन इन्डोरेन्स कम्पनी (1934) जी, बम्बई
13. आर्यम्बान इन्डोरेन्स कम्पनी (1933) जी, कलकत्ता
14. आर्य इन्डोरेन्स कम्पनी (1910) जी, कलकत्ता
15. एशियन इन्डोरेन्स कम्पनी (1910) जी, अ, स, वि, बम्बई
16. एशियाटिक गवर्नमेंट मिक्युगिटी ला. फ एण्ड जनरल इन्डोरेन्स कम्पनी (1913) जी, अ, स, वि, बंगलौर सिटी
17. एसोशिएटो गोआना डि म्युचुअल प्रोप्रिअिटी (1885) जी, बम्बई
18. एसोशिएटेड इन्डोरेन्स (1931) <sup>1</sup> जी, नागपुर
19. औष म्युचुअल ला. फ एन्डोरेन्स सोसायटी (1941) जी, पूना
20. बंगलक्ष्मी इन्डोरेन्स (1931) जी, कलकत्ता
21. बिहार यूनाइटेड इन्डोरेन्स (1933) जी, पटना
22. बंगाल क्रिश्चियन फैमिली पेन्शन फंड (1859) जी, कलकत्ता
23. बंगाल इन्डोरेन्स एण्ड रिअल प्रापर्टी कम्पनी (1920) जी, कलकत्ता
24. बंगाल सेक्रेटरीएट कोऑपरेटिव इन्डोरेन्स सोसायटी (1929) जी, कलकत्ता
25. भाभा मैरीन इन्डोरेन्स कम्पनी (1951) स (कन्ट्रीक्लाफ्ट) पोरबन्दर, सौराष्ट्र राज्य
26. भाग्यलक्ष्मी इन्डोरेन्स (1931) जी, कलकत्ता
27. भारत फायर एण्ड जनरल इन्डोरेन्स (1942) अ, स, वि, नई दिल्ली
28. भारत इन्डोरेन्स कम्पनी (1896) जी, वि, दिल्ली
29. भास्कर इन्डोरेन्स कम्पनी (1936) जी, गीहाटी (आसाम)

<sup>1</sup> विधि की धारा 3(4) (जी) के अनुसार रजिस्ट्री नद् कर दिया गया।

- 30 बी० बी० एण्ड सी० आई रेलवे जॉरॉस्ट्रियन कोआपरेटिव डेथ बेनिफिट एसोसिएशन (1888)<sup>1</sup> जी बम्बई
- 31 बौम्बे एलाइन्स एश्योरेस कम्पनी (1937) जी बम्बई
- 32 बौम्बे कोआपरेटिव इश्योरेस सोसायटी (1930) जी बम्बई
- 33 बौम्बे फेमिली पेंशन फंड ऑफ़ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स (1848) जी, बम्बई
- 34 बौम्बे फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1935) अ, स, वि, बम्बई
- 35 बौम्बे लाइफ़ एश्योरेस कम्पनी (1908) जी बम्बई
- 36 बौम्बे म्युचुअल लाइफ़ एश्योरेस सोसायटी (1871) जी, बम्बई
- 37 बौम्बे पोस्टल एम्प्लाइज कोआपरेटिव इश्योरेस फंड (1935) जी बम्बई
- 38 बौम्बे जॉरॉस्ट्रियन कोआपरेटिव लाइफ़ एश्योरेस सोसायटी (1889)<sup>2</sup> जी, बम्बई
- 39 ब्रिटिश इण्डिया जनरल इश्योरेस कम्पनी (1919) जी, अ, स, वि, बम्बई
- 40 कलकत्ता कम्पेन्स कोआपरेटिव बेनिफिट सोसायटी (1931) जी कलकत्ता
- 41 कलकत्ता हास्पिटल एण्ड नर्सिं० होम बेनिफिटिंग एसोसिएशन (1948) जी, कलकत्ता
- 42 कलकत्ता इश्योरेस (1924) जी, अ, स वि कलकत्ता
- 43 कलकत्ता पोस्टल एण्ड ग्राम० एम० एम० कोआपरेटिव म्युचुअल बेनिफिट सोसायटी (1930) जी, कलकत्ता
- 44 बनारा मोटर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1945) वि कोडिगलवेल (२० बनारा)
- 45 बनारा म्युचुअल इश्योरेस कम्पनी (1935) जी, बाराणसी (द० भारत)
- 46 सेंट्रल इण्डिया इश्योरेस कम्पनी<sup>3</sup> (1946) जी, अ, वि इन्डो सिटी
- 47 सेंट्रल मर्केन्टाइल इश्योरेस कम्पनी (1941) जी, बम्बई
- 48 सेंट्रल म्युचुअल लाइफ़ इश्योरेस कम्पनी (1943) जी बम्बई
- 49 सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज इश्योरेस फंड<sup>4</sup> (1916) जी बम्बई
- 50 चन्द्रगुप्त म्युचुअल लाइफ़ इश्योरेस कम्पनी<sup>5</sup> (1944) जी, बम्बई
- 51 सिटिजन ऑफ़ इण्डिया म्युचुअल इश्योरेस कम्पनी (1945) जी, भरतपुर
- 52 कलाइव इश्योरेस कम्पनी (1917) अ, स वि कलकत्ता
- 53 कामनिवेलथ इश्योरेस कम्पनी (1932) जी, सी, डी, डी
- 54 कामनिवेलथ इश्योरेस कम्पनी (1928) जी, अ, वि, पून सिटी
- 55 कन्कोर्ड ऑफ़ इण्डिया इश्योरेस कम्पनी (1931) अ, स, वि, कलकत्ता

<sup>1</sup> पहले का बी० बी० एण्ड सी० आई रेलवे जॉरॉस्ट्रियन एसोसिएशन डेथ बेनिफिट फंड

<sup>2</sup> पहले का बौम्बे जॉरॉस्ट्रियन म्युचुअल डेथ बेनिफिट फंड

<sup>3</sup> पहले ग्लोरी इश्योरेस कम्पनी

<sup>4</sup> पहले जी० आई० पी० रेलवे एम्प्लाइज इश्योरेस फंड

<sup>5</sup> कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द । कम्पनी मन्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल

56. कौन्टिनेन्टल म्यूचुअल एश्योरेस कम्पनी (1946) जी, पूना
57. कोआपरेटिव एश्योरेस कम्पनी (1906) जी, अ, स, वि, अमृतसर
58. कोआपरेटिव फायर एण्ड जनरल इश्योरेस सोसायटी (1941) अ, वि, मद्रास
59. कोआपरेटिव जनरल इश्योरेस सोसायटी अ, वि, हैदराबाद (दक्षिण)
60. कौन्टिनेन्टल कोआपरेटिव इश्योरेस सोसायटी (1931) जी, कलकत्ता
61. क्रेसन्ट इश्योरेस कम्पनी (1919) जी, बम्बई
62. दीपक जनरल इश्योरेस कम्पनी (1943) जी, अ, स, वि, बम्बई
63. दिल्ली क्लाय एण्ड जनरल मिक्स इश्योरेस कम्पनी (1945) जी, दिल्ली
64. डिपॉजिटर्स बेनिफिट इश्योरेस कम्पनी (1932) जी, बम्बई
65. देवकरण नानजी इश्योरेस कम्पनी (1941) जी, अ, वि, बम्बई
66. धर्मजी मोरारजी पैरीन इश्योरेस कम्पनी (1951) स, (कन्द्री क्राफ्ट) पोरबन्दर
67. दिग्विजय इश्योरेस कम्पनी (1941) जी, बम्बई
68. डोमिनियन इश्योरेस कम्पनी (1930) जी, कलकत्ता
69. ईस्ट एण्ड वेस्ट इश्योरेस कम्पनी (1913) जी, अ, स, वि, बम्बई
70. ईस्ट इण्डिया इश्योरेस कम्पनी (1929) जी, कलकत्ता
71. ईस्टर्न लाइफ एश्योरेस कम्पनी (1941) जी, बम्बई
72. ईस्टर्न म्यूचुअल इश्योरेस कम्पनी (1943) जी, कलकत्ता
73. एम्पायर आंव इण्डिया लाइफ एश्योरेस कम्पनी<sup>1</sup> (1897) जी, बम्बई
74. फ्रेमस लाइफ इश्योरेस कम्पनी<sup>2</sup> (1942) जी, बम्बई
75. फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1942) अ, स, वि, कलकत्ता
76. फ्री इण्डिया जनरल इश्योरेस कम्पनी (1934) जी, अ, स, वि, कानपुर
77. जनरल एश्योरेस सोसायटी (1908) जी, अ, स, वि, अजमेर
78. जनरल फेमिली पेंशन फंड (1870) जी, कलकत्ता
79. गुडविल एश्योरेस कम्पनी (1935) जी, बम्बई
80. गोर्धनदास मगनलाल भामा (1936)<sup>3</sup> स (कन्द्री क्राफ्ट), बम्बई
81. ग्रेट पिरामिड इश्योरेस कम्पनी (1945) अ, स, वि, कलकत्ता
82. ग्रेट सोशल लाइफ एण्ड जनरल एश्योरेस (1933) जी, स, बम्बई
83. गुजरात पारसी म्यूचुअल लाइफ इश्योरेस सोसायटी (1891) जी, सूरत
84. हैपी इण्डिया इश्योरेस कम्पनी (1936) जी, कलकत्ता
85. हरिलाल जेठाभाई बीमावाला (1946)<sup>4</sup> स (कन्द्री क्राफ्ट), बम्बई
- 85क. हरिलाल जेठाभाई बीमावाला लि० (1951) स (कन्द्री क्राफ्ट), बम्बई

<sup>1</sup> कानून की धारा 52(क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त

<sup>2</sup> कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द और धारा 52(क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त

<sup>3</sup> 25-7-51 से रजिस्ट्री रद्द

<sup>4</sup> नवकरण न करवाने के कारण रजिस्ट्री रद्द



86. हरकुलीज इश्योरेंस कम्पनी (1935) अ, स, वि, कलकत्ता
87. हिन्दू फेमिली एन्युटी फंड (1872) जी, वि, कलकत्ता
88. हिन्दू म्युचुअल लाइफ एश्योरेंस (1891) जी, कलकत्ता
89. हिन्दुस्तान म्युचुअल एश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, आगरा
90. हिन्दुस्तान कोआपरेटिव इश्योरेंस सोसायटी (1907) जी, वि, कलकत्ता
91. हिन्दुस्तान जनरल इश्योरेंस सोसायटी (1944) अ, स, वि, कलकत्ता
92. हिन्दुस्तान आइडियल इश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, अ, वि, मद्रिलीपल्य
93. होम सिक्युरिटी एश्योरेंस कम्पनी (1944) जी, बम्बई
94. हावडा इश्योरेंस कम्पनी (1942) जी, अ, स, वि, कलकत्ता
95. हुकुमचन्द इश्योरेंस कम्पनी (1929) अ, वि, कलकत्ता
96. हैदराबाद कोआपरेटिव इश्योरेंस सोसायटी (1935) जी, हैदराबाद (दक्षिण)
97. हैदराबाद यूनाइटेड इश्योरेंस कम्पनी (1947) अ, स, वि, हैदराबाद (दक्षिण)
98. आइडियल म्युचुअल इश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, कलकत्ता
99. इण्डिया इक्विटैबल इश्योरेंस कम्पनी (1908) जी, कलकत्ता
100. इण्डिया लाइफ एण्ड जनरल एश्योरेंस सोसायटी <sup>1</sup> (1927) जी, वि, कोयम्बटूर
101. इण्डिया ओरियोल एश्योरेंस कम्पनी (1931) जी, अमृतसर
102. इण्डियन सरकार इश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, मद्रास
103. इण्डियन एकोनोमिक इश्योरेंस कम्पनी (1934) जी, कलकत्ता
104. इण्डियन ग्लोब इश्योरेंस कम्पनी (1929) जी, अ, स, वि, बम्बई
105. इण्डियन गारटी एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1922) अ, वि, बम्बई
106. इण्डियन इश्योरेंस (1934) <sup>2</sup> जी, दिल्ली
107. इण्डियन मर्केन्टाइल इश्योरेंस कम्पनी (1907) जी, अ, स, वि, बम्बई
108. इण्डियन मर्चेन्ट्स मैरी <sup>3</sup> इश्योरेंस (1941) स. (कन्ट्री क्राफ्ट) बम्बई
109. इण्डियन म्युचुअल जनरल इश्योरेंस सोसायटी (1946) अ, वि, मद्रास
110. इण्डियन म्युचुअल इश्योरेंस कम्पनी (1928) जी, दिल्ली
111. इण्डियन म्युचुअल लाइफ एसोसियेशन (1926) जी, मद्रास
112. इण्डियन मोशन इश्योरेंस कम्पनी (1944) स (कन्ट्री क्राफ्ट), बम्बई
113. इण्डियन पोर्ट्स एण्ड टेलिग्राफ कोआपरेटिव इश्योरेंस सोसायटी (1921) <sup>3</sup> जी, मद्रास
114. इण्डियन प्रोप्रैसिव इश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, पूना
115. इण्डिया ट्रेड एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1944) अ, स, वि, कलकत्ता
116. इंडस्ट्रियल एण्ड प्रूडेन्शियल इश्योरेंस कम्पनी (1913) जी, बम्बई
117. इश्योरेंस ऑव इण्डिया (1936) जी, कलकत्ता

<sup>1</sup> पहले इण्डिया लाइफ बेनिफिट एश्योरेंस सोसायटी

<sup>2</sup> कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द

<sup>3</sup> पहले पोस्टल एण्ड आर० एम० एस० कोआपरेटिव बेनिफिट फंड

- 118 स्वेस्टमेट मटी एण्ड इश्योरेस कारपोरेशन (1936) वि, बेलगाव  
 119 जय भारत इश्योरेस कम्पनी (1943) जी, अ, स, वि, बम्बई  
 120 जुपीटर जनरल इश्योरेस कम्पनी<sup>1</sup> (1919) जी, अ, स, वि, बम्बई  
 121 केसर-ए-हिन्द इश्योरेस कम्पनी (1935) जी, अ, स, वि, बम्बई  
 122 कल्याण मैरी : इश्योरेस कम्पनी (1951) स (कन्ट्री क्राफ्ट) पोरबन्दर  
 123 लक्ष्मी इश्योरेस कम्पनी (1924) जी, दिल्ली  
 124 लिबर्टी इश्योरेस कम्पनी<sup>2</sup> (1947) अ, स, वि, नई दिल्ली  
 125 लीग लाइफ इश्योरेस कम्पनी (1933) जी, पूना  
 126 मध्यप्रदेश म्युचुअल इश्योरेस (1927)<sup>3</sup> जी, नागपुर  
 127 मद्रास लाइफ इश्योरेस कम्पनी (1934) जी, कांचीपुरम  
 128 मद्रास मोटर इश्योरेस कम्पनी (1950) वि, मद्रास  
 129 मदुरा इश्योरेस कम्पनी (1943) अ, वि, मदुराई  
 130 महागुजरात कोआपरेटिव इश्योरेस सोसायटी (1938) जी, वटोदा  
 131 महावीर इश्योरेस कम्पनी (1935) जी, कलकत्ता  
 132 मंगलोर रोमन कैथोलिक पायोनियर फंड (1888) जी, मंगलौर  
 133 मैरी : एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1944) अ, स, वि, बम्बई  
 134 मर्चेंट्स जनरल इश्योरेस कम्पनी (1944) स (कन्ट्री क्राफ्ट) बम्बई  
 135 मेथोडिस्ट एन्ड्रुइटेड सोसायटी फीर इण्डिया, वर्म एण्ड गीतान (1911) जी, स, वि  
 136 मेट्रोपोलिटन इश्योरेस कम्पनी (1930) जी, कलकत्ता  
 137 मिडलैण्ड इश्योरेस कम्पनी (1935) जी, वि, मद्रास  
 138 मिलग्रोनर्स म्युचुअल इश्योरेस एसोसियेशन (1924) वि, बम्बई  
 139 मोर्टन म्युचुअल लाइफ इश्योरेस कम्पनी (1945)<sup>4</sup> जी, कलकत्ता  
 140 मदर इण्डिया फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1943) अ, स, वि, मदुराई  
 141 मदर इण्डिया लाइफ इश्योरेस कम्पनी (1936) जी, मदुराई  
 142 मोटर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1947) वि, कलकत्ता  
 143 मोटर ओपन म्युचुअल इश्योरेस कम्पनी (1910) वि, बेलगाव  
 144 म्युचुअल हैल्थ एसोसियेशन, जामना (1899) जी, नई दिल्ली  
 145 मैसूर इश्योरेस कम्पनी (1933) जी, बंगलूर  
 146 नागपुर पायोनियर इश्योरेस कम्पनी (1921) जी, बम्बई  
 147 नागजी भानाभाई एण्ड कम्पनी लि० (1951) स (कन्ट्री क्राफ्ट), भावनगर  
 148 नरहरि मैरीन इश्योरेस कम्पनी लि० (1952) स (कन्ट्री क्राफ्ट), बम्बई  
 149 नेशनल मिटी इश्योरेस (1940) जी, कलकत्ता

<sup>1</sup> कानून की धारा 52 (क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त

<sup>2</sup> पहले खातेवाल इश्योरेस कम्पनी

<sup>3</sup> पहले सी० पी० एण्ड बयार टी नई म्युचुअल बेनिफिट फंड

<sup>4</sup> कानून की धारा 3 (4) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीरिड

150. नेशनल फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1931) अ, स, वि, कलकत्ता
151. नेशनल इण्डियन लाइफ इश्योरेस कम्पनी (1906) जी, कलकत्ता
152. नेशनल इश्योरेस कम्पनी (1906) जी, अ, स, वि, कलकत्ता
153. नेशनल मर्कन्टाइल इश्योरेस कम्पनी (इण्डिया) <sup>1</sup> (1933) जी, कलकत्ता
154. नेशनल सिक्युरिटी एश्योरेस कम्पनी (1940) अ, स, वि, शिमला
155. नेशनल स्टार एश्योरेस कम्पनी (1928) जी, मद्रास
156. नेपचून एश्योरेस कम्पनी (1930) जी, अ, वि, बम्बई
157. न्यू एशियाटिक इश्योरेस कम्पनी (1933) जी, अ, स, वि, नई दिल्ली
158. न्यू ग्रेंट इश्योरेस कम्पनी औव इण्डिया (1943) जी, अ, स, वि, बडौदा
159. न्यू गाजियन औव इण्डिया लाइफ इश्योरेस कम्पनी (1934) जी, मद्रास
160. न्यू इण्डिया एश्योरेस कम्पनी (1919) जी, अ, स, वि, बम्बई
161. न्यू इश्योरेस (1933) जी, बनारस
162. न्यू मर्चेंट्स इश्योरेस कम्पनी (1936) स (कन्ट्री क्राफ्ट), पोरबन्दर
163. न्यू मेट्रो इश्योरेस कम्पनी (1941) जी, बम्बई
164. न्यू स्वस्तिक लाइफ एश्योरेस कम्पनी (1936) जी, बम्बई
165. नार्दर्न इण्डिया मोटर ओनर्स म्यूचुअल इश्योरेस कम्पनी (1944) वि, जालंधर सिटी
166. नार्दर्न इण्डिया ट्रासपोर्टर्स इश्योरेस कम्पनी (1948) वि, जालंधर सिटी
167. ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1947) अ, स, वि, बम्बई
168. ओरियण्टल गवर्नमेन्ट सिक्युरिटी लाइफ एश्योरेस कम्पनी (1874) जी, बम्बई
169. उडीसा कोओपरेटिव इश्योरेस सोसायटी (1946) अ, वि, कटक
170. पैलेडियम एश्योरेस कम्पनी (1936) जी, कलकत्ता
171. पाण्ड्यन इश्योरेस कम्पनी (1933) अ, स, वि, मदुराई
172. पीयरलैस लाइफ एश्योरेस कम्पनी <sup>2</sup> (1942) जी, कलकत्ता
173. पीपुल्स इश्योरेस कम्पनी (1926) जी, दिल्ली
174. पायोनियर फायर एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1942) जी, अ, स, वि, कोयम्बटूर
175. पौलिस कोओपरेटिव लाइफ इश्योरेस सोसायटी (1926) जी, कलकत्ता
176. पौलिसी-होल्डर्स एश्योरेस (1939) जी, दिल्ली
177. पीपुलर इश्योरेस कम्पनी (1929) जी, मंगलौर (द० भारत)
178. पोरबन्दर इश्योरेस कम्पनी (1951) स (कन्ट्री क्राफ्ट), पोरबन्दर
179. प्रवर्तक इश्योरेस कम्पनी (1931) जी, कलकत्ता
180. प्राची इश्योरेस कम्पनी (1947) अ, वि, कटक
181. प्रीमियर लाइफ एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1934) जी, अ, स, वि, मद्रास
182. प्रेसीडेन्सी लाइफ इश्योरेस कम्पनी (1930) जी, बम्बई

<sup>1</sup> कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रह और धारा 52-क के अन्तर्गत प्रणामक नियुक्त

<sup>2</sup> कानून की धारा 3 (4) (क) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रह

183. पृथ्वी इश्योरस कम्पनी (1943) जी, अ, स, वि, बम्बई
184. पंजाब नेशनल इश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, दिल्ली
185. गैडिकल इश्योरस कम्पनी (1931) जी, कलकत्ता
186. रेलवे एम्प्लोईज कोआपरेटिव इश्योरेंस सोसायटी<sup>1</sup> (1931) जी, कलकत्ता
187. राजस्थान एग्रीकल्चर लिक्विडा एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1948) जयपुर
188. राजस्थान इश्योरेंस कम्पनी (1937) जी, कलकत्ता
189. रिलायन्स एश्योरेंस सोसायटी (1931) जी, बडौदा
190. रूबी जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1936) जी, अ, स, वि, दिल्ली
191. सह्याद्री इश्योरेंस कम्पनी (1936) जी, नासिक सिटी
192. सरस्वती इश्योरेंस कम्पनी (1934) जी, अ, वि, दिल्ली
193. सैन्टिनेल एश्योरेंस कम्पनी (1934) जी, अ, स, वि, बम्बई
194. सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया इश्योरेंस कम्पनी (1932) जी, नई दिल्ली
195. शाह नरोत्तमदास हरजीवनदास एण्ड कम्पनी<sup>2</sup> (1933) स (कन्ट्री क्राफ्ट), बम्बई
196. श्री महासागर बीमा कम्पनी (1951) म (कन्ट्री क्राफ्ट), पोरबन्दर
197. श्री विजय सागर इश्योरेंस कम्पनी लि० (1951) स (कन्ट्री क्राफ्ट), वेरावल
198. माउथ इण्डिया कोआपरेटिव इश्योरेंस सोसायटी (1932) जी, मद्रास
199. माउथ इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी<sup>3</sup> (1934) अ, म, वि, बम्बई
200. माउथ इण्डियन टीचर्स यूनियन प्रोटेक्शन फंड (1928) जी, मद्रास
201. स्टैण्डर्ड जनरल एश्योरेंस कम्पनी (1943) अ, स, वि, कलकत्ता
202. स्टर्लिंग जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1944) जी, अ, स, वि, नई दिल्ली
203. सनलाईट ऑफ इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी (1932) जी, नई दिल्ली
204. सनगाइन इश्योरेंस कम्पनी (1933) जी, बम्बई
205. मुन्नीम म्युचुअल एश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, पुना
206. मुशील लाइफ एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी<sup>4</sup> (1939) जी, नई दिल्ली
207. स्वदेशी बीमा कम्पनी<sup>5</sup> (1931) जी, वि, आगरा
208. स्वराज लाइफ इश्योरेंस कम्पनी (1933) जी, धारवाड
209. सिल्वन स्टार इश्योरेंस ट्रस्ट (1936) जी, दिल्ली
210. तरुण एश्योरेंस कम्पनी (1931) जी, बम्बई ।
211. तिलक इश्योरेंस कम्पनी (1936) जी, नई दिल्ली

1. पहले बी० एण्ड ए० रेलवे एम्प्लोईज कोआपरेटिव बेनिफिट सोसायटी

2. नवकरण न कराये जाने के कारण रजिस्ट्री रद्द

3. पहले साउथ इण्डिया फायर एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी

4. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द और कम्पनी को बन्द करन का प्राथना पत्र दाखिल

कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द

212. तिन्नेवेली डायोसेशन म्युचुअल इश्योरेंस कम्पनी<sup>1</sup> (1849) जी, पलमकोटा (दक्षिण भारत)
213. ट्रिनिटी म्युचुअल एश्योरेंस कम्पनी<sup>2</sup> (1942) जी, बम्बई
214. ट्रिटोन इश्योरेंस कम्पनी (1850) अ, स, वि, कलकत्ता
215. ट्रौपिकल इश्योरेंस कम्पनी<sup>3</sup> (1927) जी, स, वि, नई दिल्ली
216. ट्रस्ट आर्व इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी (1935) जी, पूना
217. यूनियन लाइफ एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी<sup>4</sup> (1939) जी, बम्बई
218. यूनीक मोटर एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1940) स, वि, बम्बई
219. युनाइटेड जनरल एश्योरेंस ट्रस्ट (इण्डिया) (1928) अ, स, वि, बम्बई
220. युनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1938) अ, स, वि, मद्रास
221. युनाइटेड इण्डिया लाइफ एश्योरेंस कम्पनी (1906) जी, मद्रास
222. युनाइटेड कर्नाटक इश्योरेंस कम्पनी<sup>5</sup> (1929) जी, धारवाड
223. यूनीवर्सल फायर एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1919) जी अ, स, वि, बम्बई
224. वेनगाड फायर एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (1944) अ, स, वि, मद्रास
225. वेनगाड इश्योरेंस कम्पनी (1937) जी, वि, मद्रास
226. वसंत इश्योरेंस कम्पनी (1941) जी, बम्बई
227. विक्रम जनरल एश्योरेंस (1937) जी, बम्बई
228. विशालभारत बीमा कम्पनी<sup>6</sup> (1934) जी, आगरा
229. विश्व भारती इश्योरेंस कम्पनी (1942) जी, अ, स, वि, बम्बई
230. वल्कन इश्योरेंस कम्पनी (1919) जी, अ, स, वि, बम्बई
231. वार्डन इश्योरेंस कम्पनी (1933) जी, अ, वि, बम्बई
232. वैंस्टर्न इण्डिया लाइफ इश्योरेंस कम्पनी (1913) जी, सतारा सिटी
233. वैंस्टर्न रेलवे कोआपरेटिव लाइफ एश्योरेंस सोसायटी<sup>7</sup> (1932) जी, बम्बई सेंट्रल
234. व्हाइट स्टार म्युचुअल इश्योरेंस कम्पनी (1944) जी, कलकत्ता
235. यशवन्त म्युचुअल इश्योरेंस कम्पनी (1943) जी, पूना
236. जैन्थि एश्योरेंस कम्पनी (1916) जी, अ, स, वि, बम्बई

- 
1. पहले तिन्नेवेली डायोसेशन काउन्सिल विडोज़ फंड
  2. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द, बम्बई हाई कोर्ट द्वारा कम्पनी का काम बन्द करने का आदेश
  3. कानून की धारा 52 (क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त
  4. अग्नि, समुद्री तथा विविध बीमा सम्बन्धी काम की रजिस्ट्री रद्द, कानून की धारा 52-  
(क) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त
  5. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द
  6. कानून की धारा 3 (4) (च) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रद्द
  7. पहले बी० बी० एण्ड सी आई० रेलवे कोआपरेटिव लाइफ एश्योरेंस सोसायटी

## विदेशी बीमा कम्पनियों की सूची

## अफ्रीका में संस्थापित

जुविली इश्योरेस कम्पनी (1937) जी, अ, बम्बई  
 सोसिएटे नीड अफ्रीकने डि एश्योरेसेज (1941) अ, बम्बई

## आस्ट्रेलिया में संस्थापित

बैकर्स एण्ड ट्रेडर्स इश्योरेस कम्पनी (1921) अ, स, वि, कलकत्ता  
 इश्योरेस आफ्रिस औव् आस्ट्रेलिया (1910) अ, कलकत्ता  
 नेशनल इश्योरेस कम्पनी औव् न्यूजीलैण्ड (1873) अ, स, वि, कलकत्ता  
 न्यूजीलैण्ड इश्योरेस कम्पनी (1859) अ, स, वि, कलकत्ता  
 क्वीन्सलैण्ड इश्योरेस कम्पनी (1886) अ, स, वि, कलकत्ता  
 साउथ ब्रिटिश इश्योरेस कम्पनी (1872) अ, स, वि, कलकत्ता

## कैनाडा में संस्थापित

क्राउन लाइफ इश्योरेस कम्पनी (1900) जी, बम्बई  
 मर्कैन्टाइल इश्योरेस कम्पनी (1927) अ, कलकत्ता  
 सन लाइफ् इश्योरेस कम्पनी औव् कैनाडा, (1865) जी, वि, बम्बई  
 वेस्टर्न इश्योरेस कम्पनी (1851) अ, स, वि, कलकत्ता

## फ्रांस में संस्थापित

यूनियन फायर, एक्सिडेंट एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी<sup>1</sup> अ, स, बम्बई

## हांगकांग में संस्थापित

ब्रिटिश ट्रेडर्स इश्योरेस कम्पनी (1865) अ, स, कलकत्ता  
 केन्टन इश्योरेस आफ्रिस (1836) स, कलकत्ता  
 चाइना फायर इश्योरेस कम्पनी<sup>2</sup> (1870) अ, कलकत्ता  
 हांगकांग फायर इश्योरेस कम्पनी (1868) अ, कलकत्ता  
 नार्थ चाइना इश्योरेस कम्पनी (1863) स, कलकत्ता  
 यूनियन इश्योरेस सोसायटी औव् केन्टन (1835) अ, स, वि, कलकत्ता

## इण्डोनीशिया में संस्थापित

जावा सी एण्ड फायर इश्योरेस कम्पनी (1861) अ, स, कलकत्ता

<sup>1</sup> प्रतिस्थापन—वर्ष अग्रप्राप्य

<sup>2</sup> नवकरण न कराये जाने के कारण रजिस्ट्री रद्द, स्वेच्छा समामान सम्बन्धी प्रस्ताव  
 I-10-51 को पाम

**इटली में संस्थापित**

एड्रियाटिक इश्योरेस कम्पनी (1838) अ, स, बम्बई

**पाकिस्तान में संस्थापित**

क्रिश्चियन म्युचुअल इश्योरेस कम्पनी (1847) जी, वि, गुन्टूर  
ईस्टर्न फेडरल यूनियन इश्योरेस कम्पनी (1932) जी, अ, स, वि, कलकत्ता  
इण्डियन लाइफ़ इश्योरेस कम्पनी (1892) जी, बम्बई  
कराची म्युचुअल इश्योरेस कम्पनी (1946)<sup>2</sup> जी, अजमेर

**स्ट्रेट सेंटलमेन्ट्स में संस्थापित**

ईस्टर्न यूनाइटेड इश्योरेस कार्पोरेशन (1913) अ, स, वि, कलकत्ता  
ओवरमोउ इश्योरेस कार्पोरेशन (1920) अ, कलकत्ता

**स्विट्ज़रलैण्ड में संस्थापित**

बलीजे फायर इश्योरेस कम्पनी (1863) अ, बम्बई  
हलवेशिया स्विस् फायर इश्योरेस कम्पनी (1861) अ, बम्बई  
विन्टरथुर स्विस् लाइफ़ इश्योरेस कम्पनी (1923) जी, बम्बई

**ब्रिटेन में संस्थापित**

एलायन्स इश्योरेस कम्पनी (1824) अ, स, वि, कलकत्ता  
एटलस इश्योरेस कम्पनी (1808) जी, अ, स, वि, कलकत्ता  
एविएशन एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1935) वि, कलकत्ता  
ब्रिटिश एण्ड फ़ारेन मैरीन इश्योरेस कम्पनी (1863) स, कलकत्ता  
ब्रिटिश एविएशन इश्योरेस कम्पनी (1930) वि, कलकत्ता  
ब्रिटिश कामनवेल्थ इश्योरेस कम्पनी (1946) अ, बम्बई  
ब्रिटिश फ़ाउन्ड इश्योरेस कार्पोरेशन (1919) अ, स, बम्बई  
ब्रिटिश इन्विटेबल इश्योरेस कम्पनी (1854) अ, कलकत्ता  
ब्रिटिश फ़ायर इश्योरेस कम्पनी (1908) अ, वि, कलकत्ता  
ब्रिटिश जनरल इश्योरेस कम्पनी (1904) अ, कलकत्ता  
केलेडोनियन इश्योरेस कम्पनी (1805) अ, स, वि, कलकत्ता  
सेन्ट्रल इश्योरेस कम्पनी (1907) अ, वि, कलकत्ता  
सेन्चुरी इश्योरेस कम्पनी (1885) अ, स, वि, कलकत्ता  
कमशियल यूनियन इश्योरेस कम्पनी (1861) जी, अ, स, वि, कलकत्ता

1. कानून की धारा 3 (4) (ब) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रह

2. कानून की धारा 3 (4) (क) के अन्तर्गत रजिस्ट्री रह

- क्रूसेडर इंड्योरेंस कम्पनी (1899) अ, स, बम्बई  
 ईगल स्टार इंड्योरेंस कम्पनी (1904) अ, स, वि, बम्बई  
 एम्प्लायर्स लायबिलिटी एंड्योरेंस कार्पोरेशन (1880) अ, स, वि, कलकत्ता  
 इंग्लिश एण्ड अमेरिकन इंड्योरेंस कम्पनी (1929) अ, स, बम्बई  
 एसेक्स एण्ड सफ़ोक एक्विटेबल इंड्योरेंस सोसायटी (1802) अ, वि, कलकत्ता  
 फाइन आर्ट एण्ड जनरल इंड्योरेंस कम्पनी (1890) वि, कलकत्ता  
 जनरल एक्सिडेंट, फ़ायर एण्ड लाइफ़ एंड्योरेंस कार्पोरेशन (1885) अ, स, वि, बम्बई  
 ग़ेशम फ़ायर एण्ड एक्सिडेंट इंड्योरेंस सोसायटी (1910) अ, स, बम्बई  
 ग़ेशम लाइफ़ एंड्योरेंस सोसायटी (1848) जी, बम्बई  
 गार्जियन एंड्योरेंस कम्पनी (1821) अ, स, वि, कलकत्ता  
 इंडेन्मिटी मैरीन एंड्योरेंस कम्पनी (1824) स, बम्बई  
 लॉ यूनियन एण्ड रोक इंड्योरेंस कम्पनी (1806) अ, स, वि, कलकत्ता  
 लीगल एण्ड जनरल एंड्योरेंस सोसायटी (1836) अ, स, वि, बम्बई  
 लाइसेन्सेड एण्ड जनरल इंड्योरेंस कम्पनी (1890) अ, स, बम्बई  
 लिबरपूल एण्ड लन्दन एण्ड ग्लोब इंड्योरेंस कम्पनी (1836) अ, स, वि, कलकत्ता  
 लन्दन एंड्योरेंस (1720) अ, स, कलकत्ता  
 लन्दन गारण्टी एण्ड एक्सीडेंट कम्पनी (1869) अ, कलकत्ता  
 लन्दन एण्ड लकाशायर इंड्योरेंस कम्पनी (1862) अ, स, वि, कलकत्ता  
 लन्दन एण्ड प्राविन्सियल मैरीन एण्ड जनरल इंड्योरेंस कं० (1898) स, बम्बई  
 लन्दन एण्ड स्कौटिश एंड्योरेंस कार्पोरेशन (1862) अ, कलकत्ता  
 मेरिटाइम इंड्योरेंस कम्पनी (1864) स, बम्बई  
 मोटर यूनियन इंड्योरेंस कम्पनी (1906) अ, स, वि, कलकत्ता  
 नेशनल एम्प्लायर्स म्युचुअल जनरल इंड्योरेंस एसोसिएशन (1914) अ, वि, बम्बई  
 नेशनल गारण्टी एण्ड इन्डोस्ट्रियल एसोसिएशन (1863) वि, कलकत्ता  
 नेशनल इंड्योरेंस कम्पनी औक् ग्रेट ब्रिटेन (1897) अ, वि, कलकत्ता  
 नार्थ ब्रिटिश एण्ड मर्केन्टाइल इंड्योरेंस कं० (1809) जी, अ, वि, कलकत्ता  
 नार्दन एंड्योरेंस कम्पनी (1836) अ, स, वि, कलकत्ता  
 नार्थविच यूनियन फ़ायर इंड्योरेंस सोसायटी (1797) अ, स, वि, कलकत्ता  
 नार्थविच यूनियन लाइफ़ इंड्योरेंस सोसायटी (1808) जी, वि, बम्बई  
 ओशन एक्सीडेंट एण्ड गारण्टी कार्पोरेशन (1871) वि, कलकत्ता  
 ओशन मेरिन इंड्योरेंस कम्पनी (1888) स, कलकत्ता  
 पेलैटाइन इंड्योरेंस कम्पनी (1886) अ, कलकत्ता  
 पर्ल एंड्योरेंस कम्पनी (1864) जी, अ, वि, कलकत्ता  
 फिनिक्स एंड्योरेंस कम्पनी (1782) जी, अ, स, वि, कलकत्ता  
 प्राविन्सियल इंड्योरेंस कम्पनी (1903) अ, स, बम्बई  
 प्रूडेंशियल एंड्योरेंस कं० (1848) जी, अ, स, वि, कलकत्ता



रेलवे पैसेन्जर्स एश्योरेस कम्पनी (1849) वि, कलकत्ता  
 रिलायन्स मैरीन इश्योरेस कम्पनी (1881) अ, म, कलकत्ता  
 रायल एक्सचेंज एश्योरेस (1720) अ, म, वि, कलकत्ता  
 रायल इश्योरेस कम्पनी (1845) जी, अ, स, वि, कलकत्ता  
 स्कॉटिश यूनियन एण्ड नेशनल इश्योरेस कम्पनी<sup>1</sup> (1824) जी, अ, वि, कलकत्ता  
 सी इश्योरेस कम्पनी औक् लिवरपूल (1875) अ, स, वि, बम्बई  
 स्टेट एश्योरेस क० (1891) अ, म, वि, कलकत्ता  
 मैन इश्योरेस आफिम (1710) अ, स, वि, कलकत्ता  
 टेम्स एण्ड मर्सी मैरीन इश्योरेस क० (1860) स, कलकत्ता  
 यूनियन एश्योरेस सोसायटी (1907) अ, वि, कलकत्ता  
 यूनियन मैरीन एण्ड जनरल इश्योरेस कम्पनी (1863) म, कलकत्ता  
 यूनाइटेड स्कॉटिश इश्योरेस क० ( 1992 ) अ, स, वि, कलकत्ता  
 वेस्ट ब्राव स्कॉटलैण्ड इश्योरेस आफिम (1886) अ, कलकत्ता  
 वर्ल्ड मैरीन एण्ड जनरल इश्योरेस क० (1894) स, कलकत्ता  
 यार्कशायर इश्योरेस क० (1824) जी, अ, स, वि, बम्बई

**लायड्स के साथ स्थायी सम्पर्क रखने वाली बीमा कम्पनी**

ब्लडस्टीक सेल्म एण्ड सविमेज (1948) वि, बम्बई

### अमेरिका में संस्थापित

अमेरिकन इश्योरेस क० (1846) अ, कलकत्ता  
 ग्रेट अमेरिकन इश्योरेस कम्पनी (1872) अ, स, कलकत्ता  
 हेनोवर फायर इश्योरेस कम्पनी (1852) अ, स, बम्बई  
 हार्टफोर्ड फायर इश्योरेस क० (1810) अ, कलकत्ता  
 होम इश्योरेस क० (1853) अ, स, कलकत्ता  
 इश्योरेस कम्पनी औक् नार्थ अमेरिका (1946) स, बम्बई  
 न्यू हेम्पशायर फायर इश्योरेस कम्पनी (1869) अ, स, बम्बई  
 ओरियन्ट इश्योरेस क० (1867) अ, कलकत्ता  
 क्वीन इश्योरेस कम्पनी औक् अमेरिका (1891) अ, कलकत्ता

<sup>1</sup>. नवकरण न कराये जाने पर मैरीन इश्योरेस की रजिस्ट्री रह

## नवा अध्याय पंच वर्षीय आयोजना

मार्च 1950 में भारत सरकार ने भारत के साधनों का अधिकतम प्रभावशाली और संतुलित उपयोग करने के उद्देश्य से एक आयोजना कमिशन की स्थापना की थी। जुलाई 1950 में इस कमिशन से अनुरोध किया गया था कि वह कामनवैलथ सलाहकार समिति के सन्मुख पेश करने के लिए एक षष्ट वर्षीय आर्थिक विकास की आयोजना प्रस्तुत करे। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के सहोद्योगी आर्थिक विकास के लिए जो कोलम्बो आयोजना बनी थी, उसमें उक्त आयोजना सम्मिलित की गई थी।

जुलाई 1951 में आयोजना कमिशन ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की रूप रेखा सार्वजनिक जनता की अधिकतम आलोचना प्राप्त करने की दृष्टि से प्रकाशित की थी। यह रूपरेखा दो भागों में विभक्त थी और इसके अनुसार 1951 से 1956 तक, मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रों में 1793 करोड़ रुपये लगाए जाने थे। आयोजना के प्रथम भाग पर जो 1,493 करोड़ रुपये लगाए जाने थे, उसके अधिकांश भाग को आन्तरिक साधनों से ही पूरा करने का निश्चय हुआ था। दूसरे भाग पर जो 300 करोड़ रुपया व्यय होना था, उसका अधिकांश भाग इस आशा पर आश्रित था कि विदेशों से आर्थिक सहायता मिलेगी। उसके बाद दिसम्बर 1952 में प्रथम पंचवर्षीय आयोजना भारतीय ससद् के सन्मुख पेश की गई। पहली रूपरेखा के समान वर्तमान पंचवर्षीय आयोजना दो भागों में विभक्त नहीं की गई। वह एक पूरी आयोजना है तथा उसकी पूर्ति के लिए बाह्य सहायता शर्त रूप में नहीं रखी गई। इस आयोजना के अनुसार 1951 से 1956 तक 2,069 करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय हुआ। अक्तूबर 1953 में यह राशि 150 से लेकर 175 करोड़ रुपये तक इस उद्देश्य से बढ़ाई गई कि उसके द्वारा देश में बढ़ती हुई बेकारी को नियंत्रित किया जा सके। व्यय में पूरी आयोजना की वृद्धि इस कारण की गई कि उस में कुछ नए कार्य बढ़ा दिए गए और कुछ कार्यों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रम पर किये जानेवाले व्यय का परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा :—

| तालिका                            | 84              | (करोड रुपयों मे) |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|                                   | 1951-56 का व्यय | कल का प्रतिशत    |
| कृषि और सामूहिक विकास             | 361             | 17.5             |
| सिंचाई                            | 168             | 8.1              |
| बहुदेशीय सिंचाई और विद्युत् कार्य | 266             | 12.9             |
| विद्युत्                          | 127             | 6.1              |
| यातायात और डाक-तार                | 497             | 24.0             |
| उद्योग                            | 173             | 8.4              |
| समाज सेवाएं                       | 340             | 16.4             |
| पुनर्वासि                         | 85              | 4.1              |
| विविध                             | 52              | 2.5              |
| योग                               | 2,069           | 100.0            |

आयोजना में देश के कृषि सम्बन्धी विकास, सिंचाई की व्यवस्था तथा बिजली के उत्पादन पर सबसे अधिक बल दिया गया है। भारत में यातायात तथा सवादवहन के साधनों के विकास को भी बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। स्वभावतः इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यवसायों के विकास को सीमित करना पड़ा है। स्पष्टतः इसका अभिप्राय यह है कि पंचवर्षीय आयोजना के कायकाल में देश का व्यावसायिक विकास मुख्यतः व्यक्तिगत क्षेत्रों के साधनों तथा प्रेरणा शक्ति पर निर्भर करेगा।

निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया है कि आयोजना द्वारा सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए कितनी राशि व्यय की जाएगी।

तालिका 49

(करोड़ रुपये में)

|                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (1) व्यय जिससे केन्द्रीय और राज्य सरकारों की उत्पादक पूँजी बढ़ेगी                                         | 1,199 |
| (2) व्यय जो निजी क्षेत्र में उत्पादक पूँजी के निर्माण में योग देगा —                                      |       |
| 1. कृषि और ग्राम विकास पर व्यय (सामूहिक विकास योजनाओं और अभावग्रस्त क्षेत्रों के प्रबन्ध-व्यय को छोड़ कर) | 244   |
| 2. परिवहन और उद्योग के लिये ऋण                                                                            | 47    |
| 3. स्थानीय विकास कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये व्यय (सामूहिक योजनाएँ और स्थानीय कार्य)                 | 105   |
| (3) सामाजिक पूँजी पर व्यय                                                                                 | 425   |
| (4) अर्वाङ्गीकृत मदों पर व्यय (अभावग्रस्त क्षेत्रों के व्यय की व्यवस्था सहित)                             | 49    |
| योग ..                                                                                                    | 2,069 |

केन्द्र में तथा राज्यों में (जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर) विकास का यह व्यय किस तरह बाँटा जाएगा, इसका परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा :—

तालिका 50

(करोड़ रुपयों में)

|                             | केन्द्र | भाग 'क'<br>के राज्य | भाग 'ख'<br>के राज्य | भाग 'ग'<br>के राज्य |
|-----------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| कृषि और सामूहिक विकास       | 186.3   | 127.3               | 37.6                | 8.7                 |
| सिंचाई और बिजली             | 265.9   | 206.1               | 81.5                | 3.5                 |
| परिवहन और संचार             | 409.5   | 56.5                | 17.4                | 8.8                 |
| उद्योग                      | 146.7   | 17.9                | 7.1                 | 0.5                 |
| समाज सेवाएं (पुनर्वास सहित) | 191.4   | 192.3               | 28.9                | 10.4                |
| विविध                       | 40.7    | 10.0                | 0.7                 | —                   |
| योग                         | 1,240.5 | 610.1               | 173.2               | 31.9                |

## तालिका 51

(करोड़ रुपये में)

|                                                                                  | केन्द्रीय सरकार | राज्य (जम्मू और काश्मीर सहित) | योग   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|
| विकास सम्बन्धी आयोजित व्यय                                                       | 1,241           | 828                           | 2,069 |
| बजट सम्बन्धी स्रोत :—                                                            |                 |                               |       |
| (1) चालू आय में से बचत                                                           | 330             | 408                           | 738   |
| (2) पूंजीगत प्राप्तियां (संरक्षित कोष में से निकाली गई राशियों के अतिरिक्त)      | 396             | 124                           | 520   |
| (3) आयोजना के सम्बन्ध में आन्तरिक अन्तः सरकारी हस्तान्तरण (यथा केन्द्रीय सहायता) | (-229(क))       | 229(क)                        | —     |
|                                                                                  | 497             | 761                           | 1,258 |
| बाहरी स्रोतों से प्राप्त                                                         | 156             | —                             | 156   |
| योग                                                                              | 653             | 761                           | 1,414 |

शेष 655 करोड़ रुपए बाह्य सहायता द्वारा, आन्तरिक करों द्वारा, नए ऋणों द्वारा तथा हीनार्थ प्रबन्धन (deficit financing) द्वारा पूरे किए जाएंगे।

पंचवर्षीय योजना के कुछ लक्ष्य निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए हैं —

## तालिका 52

1950-51 1955-56

## I. कृषि

|                        |      |      |
|------------------------|------|------|
| खाद्यान्न (ख) (लाख टन) | 52.7 | 61.6 |
| रूई (लाख गांठें)       | 29.7 | 42.2 |
| पटसन (लाख गांठें)      | 33.0 | 53.9 |
| गन्ना (लाख टन)         | 5.6  | 6.3  |
| तिलहन (लाख टन)         | 5.1  | 5.5  |

(क) अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 4 करोड़ रु० के सरकारी अनुदान सहित, जो आसाम राज्य की अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के विकास पर व्यय किया जायेगा।

(ख) इनमें दाल और चना सम्मिलित है। 1949-50 में उत्पादन (जिसके आधार पर 1955-56 का लक्ष्य निर्धारित किया गया) 540 लाख टन रहा।

## 2. सिंचाई और बिजली

|                                                  |   |      |      |
|--------------------------------------------------|---|------|------|
| बड़े पैमाने की सिंचाई के साधन (लाख एकड़)         | } | 50.0 | 69.7 |
| छोटे पैमाने की सिंचाई के साधन (लाख एकड़)         |   |      |      |
| बिजली शक्ति (स्थापित सामर्थ्य लाख किलोवाटों में) | . | 12.3 | 3.5  |

## 3. उद्योग

लोहा और इस्पात :

|                                              |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|
| ढलाई के कारखानों के लिये कच्चा लोहा (लाख टन) | 3.5  | 6.6  |
| तैयार इस्पात (लाख टन)                        | 9.8  | 13.7 |
| सीमेंट                                       | 26.9 | 48.0 |
| अल्युमिनियम (हजार टन)                        | 3.7  | 12.0 |

खादे :

|                                     |      |       |
|-------------------------------------|------|-------|
| एमोनियम सल्फेट (हजार टन)            | 46.3 | 450.0 |
| सुपरफ़ासफ़ेट                        | 55.1 | 180.0 |
| ऐंजिन (संख्या)                      | --   | 150.0 |
| मशीनों के औज़ार (संख्या हजारों में) | 1.1  | 4.6   |
| पेट्रोल शुद्ध करने का काम           |      |       |
| द्रव पेट्रोल (लाख गैलन)             | --   | 403.0 |
| बिटुमेन (हजार टन)                   | —    | 37.5  |

रई की बनी हुई वस्तुएं :

|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| सूत (लाख पौंड) :          | 11,790 | 16,400 |
| मिल का कपडा (लाख गज)      | 37,180 | 47,000 |
| करघे का कपडा (लाख गज)     | 8,100  | 17,000 |
| पटसन की वस्तुएं (हजार टन) | 892    | 1,200  |

कृषि सम्बन्धी मशीनें :

|                                |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| बिजली से चलने वाले पम्प (हजार) | 34.3  | 85.0  |
| डीजेल इंजिन (हजार)             | 5.5   | 50.0  |
| वाइसिकिल (हजार)                | 101.0 | 530.0 |
| पावर अलकोहल (लाख गैलन)         | 4.7   | 18.0  |

## 4. परिवहन

जहाजरानी (टन) :

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| समुद्रतटीय (जी० आर० टी० हजार) | 211.0 | 315.0 |
|-------------------------------|-------|-------|

|                                  |   |   |       |       |
|----------------------------------|---|---|-------|-------|
| समुद्र पार की (जी० आर० टी० हजार) | . | . | 173.5 | 283.0 |
| सड़के :                          |   |   |       |       |
| राष्ट्रीय सड़के (हजार मील)       | . | . | 11.9  | 12.5  |
| राज्यों की सड़के (हजार मील)      | . | . | 17 6  | 20.6  |

## 5. शिक्षा (क)

विद्यार्थी :

|                                                             |   |   |       |       |
|-------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| प्राइमरी स्कूल (लाख)                                        | . | . | 151.1 | 187.9 |
| जूनियर बेसिक स्कूल (लाख)                                    | . | . | 29.0  | 52.8  |
| सेकेण्डरी स्कूल (लाख)                                       | . | . | 43.9  | 57.8  |
| औद्योगिक स्कूल (हजार)                                       | . | . | 14.8  | 21 8  |
| टेकनिकल तथा काम धंधों का शिक्षण देने वाले अन्य स्कूल (हजार) | . | . | 26.7  | 43.6  |

## 6. स्वास्थ्य

|                                                         |   |   |       |       |
|---------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| चिकित्सालय (रोगियों के लिये स्थान की संख्या हजारों में) | . | . | 106.5 | 117.2 |
| औषधालय (संख्या) :                                       |   |   |       |       |
| शहरी                                                    | . | . | 1,358 | 1,615 |
| देहाती                                                  | . | . | 5,229 | 5,840 |

## 7. विकास संस्थाएं

|                                           |   |   |       |       |
|-------------------------------------------|---|---|-------|-------|
| पंचायत (हजार)                             | . | . | 55 1  | 69.1  |
| सहकारी संस्थाएं (ख) :                     |   |   |       |       |
| ऋण देने वाली (हजार)                       | . | . | 87.8  | 112.5 |
| बिक्री और बाजार व्यवस्था करने वाली (हजार) | . | . | 14.7  | 20.7  |
| बहुदेशीय (हजार)                           | . | . | 31.5  | 40.5  |
| लिफ्ट सिंचाई (संख्या)                     | . | . | 192.0 | 514.0 |
| सहकारी कृषि (संख्या)                      | . | . | 352.0 | 975.0 |
| अन्य (हजार)                               | . | . | 27.3  | 35.8  |
| योग (हजार)                                | . | . | 161.9 | 211.1 |

(क) इन आंकड़ों में (औद्योगिक स्कूलों को छोड़कर) हैदराबाद, राजस्थान, अजमेर, और विध्य प्रदेश के आंकड़े नहीं हैं। कुछ मामलों में कुछ राज्यों के आंकड़े (जैसे प्राइमरी स्कूलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और जूनियर बेसिक और सेकेण्डरी स्कूलों के सम्बन्ध में मध्य देश) भी इनमें नहीं हैं।

(ख) इनमें पंजाब, उड़ीसा हैदराबाद, पेप्सू तथा भाग 'ग' के अधिकांश राज्यों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

1951-52 से लेकर 1953-54 तक बायाजना के लिए वित्त का प्रबन्ध जिस ढंग पर किया गया, उसका पारचय निम्नोक्त तालिका में प्रस्तुत है—

### तालिका 53

आयोजना की वित्त व्यवस्था : 1951-52 से 1953-54

(करोड़ रुपये में)

|                                                      | केन्द्र           |                    |                |                               | राज्य             |                    |                  |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
|                                                      | 1951-52<br>(लेखे) | 1952-53<br>संगोषित | 1953-54<br>बजट | 1951-56<br>पचवर्षीय<br>आयोजना | 1951-52<br>(लेखे) | 1952-53<br>संगोषित | 1953-54<br>(बजट) | 1951-56<br>पचवर्षीय<br>आयोजना |
| आयोजना का व्यय . . . . .                             | 133.5             | 165.4              | 236.9          | 2,240.5                       | 128.0             | 157.2              | 176.1            | 828.2                         |
| बजट सम्बन्धी स्रोत . . . . .                         | 127.1             | 56.5               | 71.3           | 497.2                         | 79.6              | 99.5               | 128.3            | 760.3                         |
| सरकारी आय के स्रोतों से वचत :—                       |                   |                    |                |                               |                   |                    |                  |                               |
| (क) चालू बाय से . . . . .                            | 121.1             | 4.2                | 29.5           | 160.0                         | 68.8              | 57.1               | 63.0             | 411.7                         |
| (ख) रेल से . . . . .                                 | 37.7              | 20.7               | 20.4           | 170.0                         | —                 | —                  | —                | —                             |
| निजी वचत :—                                          |                   |                    |                |                               |                   |                    |                  |                               |
| (क) जनता से ऋण . . . . .                             | —34.2             | —1.2               | —16.7          | 36.0                          | 11.5              | 15.1               | 14.1             | 79.0                          |
| (ख) छोटी वचत और अन्य ऋण जिनके लिए कोष न हो . . . . . | 48.6              | 54.4               | 55.7           | 270.0                         | —                 | —                  | —                | —                             |
| (चल ऋणों को छोड़ कर)                                 | —14.8             | 25.8               | 30.8           | 90.0                          | —34.0             | —17.5              | —2.3             | 40.8                          |
| (ग) जमा, कोष और अन्य विविध स्रोत (क)                 |                   |                    |                |                               |                   |                    |                  |                               |

(क) इस शीर्षक की प्राप्ति में परिवर्तन आंशिक रूप से राज्य के व्यापारिक लेन देनो के फलस्वरूप है। केन्द्र तथा राज्यों में राजकीय व्यापार पर शुद्ध पूँजी विनियोग प्रति वर्ष इस प्रकार है—

राज्य (करोड़ रु०)  
29.5  
—7.1  
—7.8

केन्द्र (करोड़ रु०)  
11.3  
—3.2  
3.2

1951-52 (लेखे)  
1952-53 (संगोषित)  
1953-54 (बजट)

(करोड़ रुपये में)

|                                                                            | केन्द्र           |                   |                | राज्य                          |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                            | 1951-52<br>(लेखे) | 1952-53<br>मशोषित | 1953-54<br>बजट | 1951-56<br>पंचवर्षीय<br>अयोजना | 1951-52<br>(लेखे) | 1953-54<br>(बजट) |
| आयोजना सम्बन्धी आन्तरिक अन्त मरकारी हस्तान्तरण (जैसे केन्द्रीय सहायता) (ख) | -31.4             | -46.8             | -48.4          | -228.8                         | 33.3              | 53.5             |
| स्त्रोतों में कमी                                                          | 6.4               | 108.9             | 165.6          | 743.3                          | 48.5              | 47.8             |
| बाहरी सहायता                                                               | 61.7              | 44.4              | 27.6           | —                              | —                 | —                |
| अनुदान                                                                     | 4.1               | 13.6              | 29.7           | —                              | —                 | —                |
| ऋण (शुद्ध) (ग)                                                             | 57.6              | 30.8              | -2.1           | —                              | —                 | —                |
| घाटा—                                                                      | -55.3             | 64.5              | 138.0          | —                              | 48.5              | 47.8             |
| पूर्ण के साधन—                                                             |                   |                   |                |                                |                   |                  |
| (क) अल्पकालीन ऋणों में वृद्धि (घ)                                          | -32.2             | -13.3             | 109.9          | —                              | -0.3              | 20.8             |
| (ख) सरक्षित सिक्युरिटियों की बिक्री (शुद्ध)                                | -22.2             | -5.0              | —              | —                              | 34.2              | 32.0             |
| (ग) संरक्षित धन में से वापसी                                               | -0.9              | 82.9              | 28.1           | —                              | 14.6              | 5.0              |
|                                                                            |                   |                   |                |                                |                   | 67.9             |

(ख) केन्द्रीय बजट के आधार पर आगणित "केन्द्रीय सहायता" राज्य-बजटों के आधार पर आगणित "के० सं०" से कुछ भिन्न है। 1951-52 और 1952-53 दोनों के आंकड़ों का साधनाय लेने पर जो अन्तर है वह उपेक्षणीय है। भाग "ग" के सभी राज्यों के मामले में यह मान लिया गया है कि उनके विकास-व्यय की व्यवस्था केन्द्र से मिलने वाले ऋण और अनुदानों में से की गयी है। भाग "ग" के उन राज्यों के सम्बन्ध में ऐसा मान लेना ठीक नहीं जो 1952-53 से अपने राज्य-बजट अलग तैयार करते हैं।

(ग) प्रस्तुत आंकड़े पुराने ऋणों के भुगतान के बाद के हैं।  
(घ) राज्यों के मामलों में ये ऋण विशेषकर कमवियल बैंकों से ही मिलते हैं।



केन्द्रीय सरकार को 5 वर्षों में यह 726 करोड़ पचाइन साधनों से पूरा करना था : आय में से वचत, रेल में अधिक आय, राष्ट्रीय ऋण, सार्वजनिक छोटी बचत तथा इसी तरह के अन्य साधन । 1951-53 तक के दो वर्षों में इन साधनों द्वारा 262 करोड़ रुपया एकत्र हुआ । राज्यों की सरकारों को 5 वर्षों में 532 करोड़ रुपया एकत्र करना था, परन्तु 1951-53 के दो वर्षों में वे केवल 101 करोड़ रुपया एकत्र कर पाए । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों की स्थिति का परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा —

तालिका 54

आयोजना के अन्तर्गत विकास व्यय की प्रगति — केन्द्र तथा राज्य

(लाख रुपयों में)

| विकास शीर्षक                       | केन्द्रीय सरकार       |                     |                  |                                  | राज्य                 |                     |                  |                                  |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
|                                    | व्यय की प्रगति        |                     |                  |                                  | व्यय की प्रगति        |                     |                  |                                  |
|                                    | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(मयोधित) | 1953-54<br>(बजट) | पांच वर्षों का<br>योग<br>1951-56 | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(मयोधित) | 1953-54<br>(बजट) | पांच वर्षों<br>का योग<br>1951-56 |
| I कृषि और सामूहिक विकास            | I                     | 2                   | 3                | 4                                | 5                     | 6                   | 7                | 8                                |
| कृषि                               | 171.0                 | 439.0               | 1,458.0          | 5,922.0                          | 2,059.5               | 2,232.0             | 2,203.4          | 12,490.0                         |
| पशु पालन (दुग्ध व्यवसाय सहित) जंगल | —                     | —                   | 1.0              | 412.0                            | 248.3                 | 217.9               | 286.0            | 1,816.5                          |
| महकारिता                           | —                     | —                   | —                | 200.0                            | 81.2                  | 114.3               | 164.5            | 909.4                            |
| मछली उद्योग                        | —                     | —                   | 15.0             | 50.0                             | 82.0                  | 93.6                | 106.3            | 660.2                            |
| ग्राम-विकास                        | —                     | 4.0                 | 8.0              | 51.0                             | 48.9                  | 48.4                | 69.1             | 412.6                            |
| सामूहिक योजनाएँ (क)                | —                     | —                   | —                | —                                | 115.4                 | 156.7               | 197.1            | 1,047.1                          |
| स्थानीय निर्माण कार्य              | —                     | 475.0               | 1,733.0          | 9,000.0                          | —                     | —                   | —                | —                                |
|                                    | —                     | —                   | 300.0            | 1,500.0                          | —                     | —                   | —                | —                                |

(क) सामूहिक योजनाओं पर का व्यय केन्द्र के अन्तर्गत दिवाया गया है । 1952-53 (मयोधित) और 1953-54 (बजट) के व्यय के आकड़ों में राज्यों का वह व्यय सम्मिलित नहीं है, जिसकी व्यवस्था उन्होंने राज्यों के खर्चों में नहीं की । विस्तृत आकड़ों की अभी पड़ताल की जा रही है ।

| विकास शीर्षक                              | केंद्रीय सरकार       |                     |                  |                                 |  | राज्य                |                     |                  |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
|                                           | व्यय की प्रगति       |                     |                  |                                 |  | व्यय की प्रगति       |                     |                  |                                 |
|                                           | 1951-52<br>(वार्षिक) | 1952-53<br>(समाविन) | 1953-54<br>(वजट) | पाच वर्षों का<br>योग<br>1951-56 |  | 1951-52<br>(वार्षिक) | 1952-53<br>(समाविन) | 1953-54<br>(वजट) | पाच वर्षों<br>का योग<br>1951-56 |
| अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये<br>कार्यक्रम | 1                    | 2                   | 3                | 4                               |  | 5                    | 6                   | 7                | 8                               |
| योग                                       | —                    | —                   | 400 0            | 1 500 0                         |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| 2 सिंचाई और बिजली :                       |                      |                     |                  |                                 |  |                      |                     |                  |                                 |
| बहुदेशीय कार्य                            | 171 0                | 918 0               | 39,15 0          | 18,635 0                        |  | 2,635 3              | 2,862 0             | 3,026 4          | 17,395 8                        |
| सिंचाई कार्य                              | 3,544 0              | 4,578 0             | 5,038 0          | 26,590 0                        |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| बिजली कार्य                               | —                    | —                   | —                | —                               |  | 2,605 1              | 3,481 7             | 3,699 6          | 16,769 7                        |
| योग                                       | 3,544 0              | 4,578 0             | 5,038 0          | 26,590 0                        |  | 2,148 4              | 2,560 1             | 3,022 3          | 12,754 0                        |
| 3 परिवहन और संचार—                        |                      |                     |                  |                                 |  |                      |                     |                  |                                 |
| रेल (क)                                   | 4,085 0              | 4,670 0             | 4,961 0          | 25,000 0                        |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| सड़क                                      | 310 0                | 702 0               | 805 0            | 3,124 0                         |  | 1,135 7              | 1,620 4             | 1,948 8          | 7,763 6                         |
| सड़क परिवहन (ख)                           | 20 0                 | 35 0                | 45 0             | —                               |  | 78 0                 | 262 2               | 121 1            | 896 9                           |
| जहाजरानी                                  | 158 0                | 124 0               | 441 0            | 1,806 0                         |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| असैनिक उड्डयन                             | 209 0                | 247 0               | 400 0            | 2,287 0                         |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| बन्दरगाह                                  | 113 0                | 230 0               | 875 0            | 3,206 0                         |  | 6 2                  | 12 1                | 27 0             | 102 4                           |
| आन्तरिक जल परिवहन                         | 2 0                  | 2 0                 | 4 0              | 10 0                            |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| डक-त्तार                                  | 553 0                | 602 0               | 1 017 0          | 5,000 0                         |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| प्रसारण                                   | 39 0                 | 43 0                | 71 0             | 352 0                           |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| समुद्र पार के संचार                       | 7 0                  | 20 0                | 34 0             | 100 0                           |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| अन्तरिक्षविज्ञान विभाग                    | —                    | 7 0                 | 7 0              | 62 0                            |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| योग                                       | 5 496 0              | 6,682 0             | 8,660 0          | 40,947 0                        |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| 4 उद्योग—                                 |                      |                     |                  |                                 |  |                      |                     |                  |                                 |
| बड़े उद्योग                               | 695 0                | 674 0               | 1 041 0          | 12 604 0                        |  | 249 3                | 414 7               | 448 9            | 1 434 6                         |
| कुटीर एवं छोटे उद्योग                     | 13 0                 | 18 0                | 100 0            | 1,500 0                         |  | 118 7                | 142 8               | 218 3            | 1,181 5                         |
| वैज्ञानिक और औद्योगिक<br>अनुसंधान         | 85 0                 | 108 0               | 78 0             | 461 0                           |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| खनिज विकास                                | 1 0                  | 8 0                 | 23 0             | 106 0                           |  | —                    | —                   | —                | —                               |
| योग                                       | 794 0                | 808 0               | 1,242 0          | 14,671 0                        |  | 368 0                | 557 5               | 667 2            | 2,616 1                         |
| 5 समाज सेवाएं—                            |                      |                     |                  |                                 |  |                      |                     |                  |                                 |
| शिक्षा                                    | 150 0                | 333 0               | 486 0            | 3,902 0                         |  | 1,892 7              | 2,052 3             | 2,386 1          | 11,637 7                        |
| स्वास्थ्य                                 | 9 0                  | 75 0                | 334 0            | 1,787 0                         |  | 1,182 0              | 1,235 6             | 1,484 1          | 8,224 3                         |
| गृह निर्माण                               | 168 0                | 200 0               | 984 0            | 3,850 0                         |  | 111 6                | 348 4               | 274 0            | 1,031 6                         |
| ग्राम और श्रम कल्याण                      | 46 0                 | 80 0                | 78 0             | 397 0                           |  | 30 2                 | 38 8                | 35 8             | 294 3                           |

(क) इनमें वर्तमान मरपनिदों के मूल्य ह्रास गमज्यो व्यय सम्मिलित नहीं है।

(ख) दिल्ली राज्य में सड़क परिवहन का व्यय केंद्रीय परिवहन मन्त्रालय के अन्तर्गत दिखाया गया है। आयोजना के अनुसार यह 2 16 करोड़ रुपये है।

तालिका 54--(बारी)

(लाख रुपयों में)

| विकास शीर्षक                                                           | केन्द्रीय सरकार       |                      |                  |                                 | राज्य                 |                      |                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
|                                                                        | व्यय की प्रगति        |                      |                  |                                 | व्यय की प्रगति        |                      |                  |                                 |
|                                                                        | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(मंशोधित) | 1953-54<br>(बजट) | पाच वर्षों<br>का योग<br>1951-56 | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(मंशोधित) | 1953-54<br>(बजट) | पाच वर्षों<br>का योग<br>1951-56 |
|                                                                        | I                     | 2                    | 3                | 4                               | 5                     | 6                    | 7                | 8                               |
| पिछड़ी जातियो, अनु-<br>सूचिन जातियो और<br>आदिम जातियो का<br>कल्याण (क) | —                     | —                    | 170.0            | 700 0                           | 339 0                 | 434.4                | 518 0            | 2,186 5                         |
| योग                                                                    | 373 0                 | 688 0                | 2,052 0          | 10,636 0                        | 3,555 5               | 4,109 5              | 4,698.0          | 23,374.4                        |
| 6 पुनर्वासि .                                                          | 2,866.0               | 2,638 0              | 2,270 0          | 8,500 0                         | —                     | —                    | —                | —                               |
| 7 कार्य और इमारतें .                                                   | 22 0                  | 106.0                | 203 0            | 1,102 0                         | —                     | —                    | —                | —                               |
| 8 वित्तमन्त्रालय की योजनाएँ .                                          | 76 0                  | 103 0                | 174 0            | 490 0                           | —                     | —                    | —                | —                               |
| 9 उत्तरपूर्वी सीमान्त<br>प्रदेश (ख)                                    | 10 0                  | 18 0                 | 40 0             | 300 0                           | —                     | —                    | —                | —                               |
| 10. अन्द्मान .                                                         | —                     | —                    | 94 0             | 383 0                           | —                     | —                    | —                | —                               |
| 11. कारपोरेशनों को ऋण .                                                | —                     | —                    | —                | 1,200 0                         | —                     | —                    | —                | —                               |
| 12. विविध .                                                            | —                     | —                    | —                | 600 0                           | 267 9                 | 258.4                | 402 9            | 1,148.3                         |
| सर्वयोग                                                                | 13,352 0              | 16,539 0             | 23,688 0         | 1,24,054 0                      | 12,800 1              | 15,724.8             | 17,613.3         | 82,821 2                        |

(क) यह उन अनुदानों से अलग है, जो मविधान की धारा 275 (I) के अन्तर्गत 1951-56 के लिये 9 करोड़ रुपये के रकम गये है, और जो आयोजना के श्रेणी के रूप में दिखाये नहीं गये है।

(ख) उत्तर-पूर्वी सीमान्त प्रदेश में सड़कों पर दुध्रा व्यय सड़कों के अन्तर्गत दिखाया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्य संबृद्धि के लिए राज्यों में जो विकास व्यय किया जा रहा है, उस उन्नति का परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा :—

तालिका 55

₹ (लाख रुपयों में)

| विकास शीर्षक                    | व्यय की प्रगति        |                        |                  | पांच वर्षों का योग |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
|                                 | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(मार्गाधित) | 1953-54<br>(बजट) | 1951-56            |
| कृषि                            | 2,059 5               | 2,232 0                | 2,203 4          | 12,490 0           |
| पशु पालन                        | 124 8                 | 144 1                  | 180 7            | 1,035 5            |
| दुग्ध व्यवसाय और दुग्ध व्यवस्था | 123 5                 | 73 8                   | 105 3            | 781 0              |
| जंगलात                          | 81 2                  | 114 3                  | 164 5            | 969 4              |
| सहकारिता                        | 82 0                  | 93 6                   | 106 3            | 660 2              |
| मछली उद्योग                     | 48 9                  | 48 4                   | 69 1             | 412 6              |
| ग्राम विकास                     | 115 4                 | 156 7                  | 197 1            | 1,047 1            |
| योग                             | 2,635 3               | 2,862 9                | 3,026 4          | 17,395 8           |
| सिंचाई योजनाएं                  | 2,605 1               | 3,481 7                | 3,699 6          | 16,769 7           |
| बिजली योजनाएं                   | 2,148 4               | 2,560 1                | 3,022 3          | 12,754 0           |
| योग                             | 4,753 5               | 6,041 8                | 6,721 9          | 29,523 7           |
| कुटीर उद्योग                    | 118 7                 | 142 8                  | 218 3            | 1,181 5            |
| अन्य उद्योग                     | 249 3                 | 414 7                  | 448 9            | 1,434 6            |
| योग                             | 368 0                 | 557 5                  | 667 2            | 2,616 1            |
| सड़के                           | 1,135 7               | 1,620 4                | 1,948 8          | 7,763 6            |
| सड़क परिवहन                     | 78 0                  | 262 2                  | 121 1            | 896 9              |
| बन्दरगाह                        | 6 2                   | 12 1                   | 27 0             | 102 4              |
| योग                             | 1,219 9               | 1,894 7                | 2,096 9          | 8,762 9            |
| शिक्षा                          | 1,892 7               | 2,052 3                | 2,386 1          | 11,637 7           |
| चिकित्सा सम्बन्धी               | 688 4                 | 649 9                  | 803 4            | 4,274 7            |
| सार्वजनिक स्वास्थ्य             | 493 6                 | 585 7                  | 680 7            | 3,949 6            |
| गृह निर्माण                     | 111 6                 | 348 4                  | 274 0            | 1,031 6            |
| श्रम और श्रम कल्याण             | 30 2                  | 38 8                   | 35 8             | 294 3              |
| पिछड़ी जातियों का कल्याण        | 339 0                 | 434 4                  | 518 0            | 2,186 5            |
| योग                             | 3,555 5               | 4,109 5                | 4,698 0          | 23,374 4           |
| विविध                           | 267 9                 | 258 4                  | 402 9            | 1,148 3            |
| सर्वयोग                         | 12,800 1              | 15,724 8               | 17,613 3         | 82,821 2           |

राज्यों के अनुसार विकास व्यय की उन्नति निम्नलिखित तालिका में देखिये :--

तालिका 56

(लाख रुपयों में)

| राज्य                     | व्यय की प्रगति        |                      |                  | पाच वर्षों का योग<br>1951-56 |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
|                           | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(संशोधित) | 1953-54<br>(बजट) |                              |
| <b>भाग 'क' के राज्य :</b> |                       |                      |                  |                              |
| आसाम . . . . .            | 118 4                 | 234 2                | 378 0            | 1,749.2                      |
| बिहार . . . . .           | 1,372 2               | 1,197 4              | 1,356 4          | 5,729 1                      |
| बम्बई . . . . .           | 2,304 7               | 2,905 9              | 3,085 9          | 14,643 3                     |
| मध्य प्रदेश . . . . .     | 705.7                 | 849 1                | 1,038.6          | 4,308 2                      |
| मद्रास . . . . .          | 2,699.5               | 2,826 8              | 2,431 5          | 14,084.1                     |
| उड़ीसा . . . . .          | 279 1                 | 325 0                | 427.3            | 1,784 2                      |
| पंजाब . . . . .           | 275 3                 | 502 8                | 628.3            | 2,020 7                      |
| उत्तर प्रदेश . . . . .    | 1,599 3               | 2,152 4              | 2,426 1          | 9,782 3                      |
| पश्चिमी बंगाल . . . . .   | 1,015 6               | 1,407 8              | 1,473.5          | 6,909 7                      |
| योग . . . . .             | 10,369 8              | 12,401 4             | 13,245 6         | 61,010 8                     |
| <b>भाग 'ख' के राज्य :</b> |                       |                      |                  |                              |
| हैदराबाद . . . . .        | 658 9                 | 748.4                | 781.8            | 4,155 0                      |
| मध्य भारत . . . . .       | 163.2                 | 267.0                | 404.0            | 2,240 0                      |
| मैसूर . . . . .           | 527 1                 | 611 3                | 580.9            | 3,660 2                      |
| पेप्सू . . . . .          | 59 1                  | 104 8                | 252.6            | 814 6                        |
| राजस्थान . . . . .        | 213 2                 | 239.8                | 357.7            | 1,681 4                      |
| मौरापुर . . . . .         | 192 5                 | 337 8                | 446 9            | 2,040 9                      |
| तिरुवाकुर-कोचीन . . . . . | 407 5                 | 525 1                | 554 8            | 2,731 9                      |
| योग . . . . .             | 2,221.5               | 2,834 2              | 3,378 7          | 17,324 0                     |
| <b>जम्मू और काश्मीर</b>   | 75.9                  | 128 9                | 270 2            | 1,300.0                      |
| <b>भाग 'ग' के राज्य :</b> |                       |                      |                  |                              |
| अजमेर . . . . .           | 10 5                  | 14 8                 | 30 7             | 157 2                        |
| भोपाल . . . . .           | 32 2                  | 66 8                 | 128.6            | 389 9                        |
| विलासपुर . . . . .        | 2 1                   | 10 8                 | 25.2             | 57 1                         |

| राज्य                | व्यय की प्रगति        |                     |                  | पाच वर्षों का योग<br>1951-56 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
|                      | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(सशोधित) | 1953-54<br>(बजट) |                              |
| कुर्ग . . .          | 6 2                   | 4 3                 | 20 8             | 73 0                         |
| दिल्ली . . .         | 32 2                  | 48 3                | 62 1             | 748 0                        |
| हिमाचल प्रदेश . . .  | 10 0                  | 42 5                | 149 5            | 454 6                        |
| कच्छ . . .           | 10 6                  | 61 4                | 89 6             | 305 3                        |
| मणिपुर . . .         | —                     | 16 8                | 43 3             | 154 8                        |
| त्रिपुरा . . .       | 5 0                   | 14.7                | 50 3             | 207.3                        |
| विन्ध्य प्रदेश . . . | 24 1                  | 79 9                | 118 7            | 639 2                        |
| योग . . .            | 132 9                 | 360 3               | 718 8            | 3,186 4                      |
| सर्व योग . . .       | 12,800 1              | 15,724 8            | 17,613.3         | 82,821.2                     |

भाग 'क' और 'ख' के राज्यों को आयोजना के सम्बन्ध में जो आर्थिक सहायता केन्द्र की ओर से दी जानी थी, वह इस तालिका में देखिए —

तालिका 57

(करोड़ रुपये में)

|                         | 1951-53 | 1951-56<br>पंच वर्षीय<br>आयोजना |
|-------------------------|---------|---------------------------------|
| भाग 'क' के राज्य :      |         |                                 |
| आसाम . . . . .          | 0.8     | 15.0                            |
| बिहार . . . . .         | 5.7     | 15.0                            |
| बम्बई . . . . .         | 7.0     | 16 0                            |
| मध्यप्रदेश . . . . .    | 5.8     | 12 0                            |
| मद्रास . . . . .        | 16.4    | 20 0                            |
| उड़ीसा . . . . .        | 3.5     | 10 0                            |
| पंजाब . . . . .         | 1 8     | 11.                             |
| उत्तर प्रदेश . . . . .  | 7.4     | 15                              |
| पश्चिमी बंगाल . . . . . | 7.3     | 26.5                            |
| योग . . . . .           | 55 7    | 140.5                           |

|                           | 1951-53     | 1951-56<br>पंच वर्षीय<br>आयोजना |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>भाग 'ख' के राज्य .</b> |             |                                 |
| इंदौराबाद . . . . .       | 5 9         | 10 0                            |
| मध्यभारत . . . . .        | 1 0         | 4 0                             |
| मैसूर . . . . .           | 4 8         | 8 0                             |
| पेप्पू . . . . .          | 1 2         | 2 5                             |
| राजस्थान . . . . .        | 1 2         | 9 0                             |
| गोवा . . . . .            | 1 8         | 6 0                             |
| तिरुवाकुर-कोचीन . . . . . | 0 1         | 7 0                             |
| <b>योग</b>                | <b>16 0</b> | <b>46 5</b>                     |
| <b>सर्वयोग</b>            | <b>71 7</b> | <b>187 0</b>                    |

पंचवर्षीय आयोजना की पूर्ति के लिए 1951 से 1953 तक कुल 189 करोड़ रुपया विभिन्न ढंगों की विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुआ, जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में दिया गया है —

### तालिका 58

(करोड़ रुपये)

#### अन्तर्राष्ट्रीय बैंक

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| आयोजना से पूर्व काल के ऋणों का बकाया, जो लिया नहीं गया . . . . . | 9 0  |
| इस्पान कार्य ऋण (दिसम्बर 1952) . . . . .                         | 15 2 |
| दामोदर घाटी कार्य के लिए ऋण (जनवरी 1953) . . . . .               | 9 5  |
| अमेरिकी खाद्य ऋण . . . . .                                       | 90 4 |

#### कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत अनुदान

|                          |      |
|--------------------------|------|
| कैनाडा से . . . . .      | 13 3 |
| ऑस्ट्रेलिया से . . . . . | 6 1  |
| न्यूजीलैण्ड से . . . . . | 0 9  |

#### अमेरिकी टेक्निकल सहकारिता सहायता

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| टैक्निकल सहकारिता करार (जनवरी 1952) . . . . .         | 23 8         |
| पूर्वक टैक्निकल सहकारिता करार (नवम्बर 1952) . . . . . | 18 0         |
| अन्य सहायता (क) . . . . .                             | 2 8          |
| <b>योग</b> . . . . .                                  | <b>189 0</b> |

(क) इसमें नार्वे और फोर्ट प्रिन्सटन से मिली सहायता सम्मिलित है।

## दसवा अध्याय

### कृषि

कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। इस देश के 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषिजन्य आय पर निर्भर करते हैं, और भारत की राष्ट्रीय आय का 48 प्रतिशत भाग कृषि द्वारा ही प्राप्त होता है। कुछ कृषिजन्य पदार्थ हमारे यहां के बड़े व्यवसायों के लिए कच्चे माल का काम देते हैं जैसे गन्ना और रूई, और कुछ का निर्यात होता है। लाख (लाक्षा) केवल भारत में ही पैदा होता है, तथा मूंगफली और चाय की दृष्टि में भारत समार का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी तरह चावल, पटसन, तम्बाकू और रूई के उत्पादन की दृष्टि में भारत का स्थान समार में दूसरा है।

### क्षेत्रफल तथा मिट्टी

भारत भर में कुल मिला कर 26,60,00,000 एकड़ में खेती बाड़ी होती है, उसमें से 3,60,00,000 एकड़ भूमि, अर्थात् कृषित भूभाग का 13 प्रतिशत, पर वर्ष में एक से अधिक फसलें होती हैं। इसके अतिरिक्त 1,16,00,000 एकड़ भूमि ऐसी है, जिस पर खेती-बाड़ी की जा सकती है, तथा 5,80,00,000 एकड़ ऐसी भूमि है, जिसे प्रत्यक्षपूर्वक कृषिसाध्य बनाया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भारत में खेती बाड़ी को गुण तथा मात्रा की दृष्टि में बढ़ाने की अभी बहुत गुजाइश है। तालिका सख्या 60 में कुछ वर्षों की कृषित भूमि की गणनाएँ दी गई हैं।

भारत में प्राप्त होने वाली मिट्टी चार भागों में बांटी जा सकती है (1) रेत मिली मटियाली, (2) काली, (3) लाल और (4) भूरी। इनमें से पहली तीन किस्म की मिट्टी में पोटाश और चूना काफी मात्रा में है, परन्तु उसमें फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी है। चौथे किस्म की मिट्टी में कतिपय रासायनिक पदार्थों की कमी है। इनमें से रेत मिली मटियाली मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, और गंगा के मैदानों में यह बहुतायत से पाई जाती है। दक्षिणी पठार की ओर जो काली मिट्टी पाई जाती है, वह अपने अन्दर नमी को बहुत समय तक सुरक्षित रख सकती है। लाल मिट्टी भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है। चौथे किस्म की मिट्टी मध्य भारत, आसाम तथा पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों में पाई जाती है।

### वर्षा और सिंचाई

भारत की कुल कृषित भूमि के केवल 19 प्रतिशत भाग की ही सिंचाई हो पाती है, शेष 81 प्रतिशत भाग केवल वर्षा पर निर्भर करता है। इसी कारण यदि कभी वर्षा समय पर न हो, या कम अधिक हो जाये तो कृषि को बहुत हानि पहुँचती है। इसके साथ ही भारतीय कृषि की अन्य दो मुख्य समस्याएँ ये हैं: (1) सैकड़ों वर्षों से लगातार कृषि किए जाने के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है; तथा (2) उत्तराधिकार में लगातार भूमि का बंटवारा होने के कारण धरती



बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई है। इन दोनों बातों का प्रभाव यह हुआ है कि भारत के किसान काफी गरीब हैं, तथा इनमें से कुछ लोग ऋणों के बोझ से दबे हुए हैं।

सिंचाई के सम्बन्ध में 1947 से 1950 तक क्या स्थिति थी, इसका परिचय निम्नलिखित तालिका से मिलेगा—

तालिका 59

(हजार एकड़)

| वर्ष      | नहरों से |       |        | तालाबों से | कुआँ से | अन्य स्रोतों से | योग    |
|-----------|----------|-------|--------|------------|---------|-----------------|--------|
|           | राज्य    | निजी  | योग    |            |         |                 |        |
| 1947-48 . | 15,304   | 4,448 | 19,752 | 7,991      | 12,550  | 6,342           | 46,635 |
| 1948-49 . | 15,929   | 4,524 | 20,453 | 7,658      | 12,643  | 6,133           | 46,887 |
| 1949-50 . | 16,961   | 2,856 | 19,817 | 8,174      | 12,881  | 7,780           | 48,652 |

जिस भूमि की सिंचाई होती है, उसकी उपज प्रायः अर्धसिंचित भूमि की अपेक्षा दुगुनी से चौगुनी तक होती है। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में सिंचाई के विस्तार पर बहुत अधिक बल दिया गया है। आजकल 4,90,00,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, इस संख्या में योजना के अनुसार 1955-56 तक 1,97,00,000 एकड़ भूमि की वृद्धि हो जाएगी।

सिंचाई के जिन बड़े कार्यों पर आजकल काम हो रहा है, आशा है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक उनके द्वारा 85,00,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगेगी, और जब उक्त योजनाओं का पूर्ण विकास हो जाएगा, तब यह संख्या 1,69,00,000 एकड़ तक जा पहुँचेगी। इसके अतिरिक्त सिंचाई के छोटे साधनों तथा राज्यों की सरकारों और व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा किए गए कार्यों से 1,12,00,000 एकड़ और अधिक भूमि भी सींची जा सकेगी।

### भूमि स्वामित्व

भारत में भूमि स्वामित्व की तीन प्रथाएं प्रचलित हैं : ज़मींदारी, महलवारी तथा रयतवारी। ज़मींदारी प्रथा के अनुसार एक या अधिक व्यक्ति भूमि का स्वामी होता है और वह सरकार को लगान देता है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में यह प्रथा प्रचलित है। महलवारी प्रथा के अनुसार गांव के कुछ लोगों या गांव की कुछ जमातों के पास अपने गांव की भूमि का स्वामित्व होता है, जिसमें सब लोग मिल कर और अलग-अलग रूप से लगान

भूमि के उपयोग का विवरण

(हजार एकड़)

| वर्ग        | कुल क्षेत्र | क्षेत्र का वर्गीकरण |         |        |                  | गांव के कागजों एक बार के अनुसार जिन क्षेत्रों के विवरण मौजूद है | बाया गया कुल क्षेत्र | बैती योग्य भूमि जो उत्तर कर छोड़ कर ऐसी भूमि में सम्मिलित है, जो जोती बोयी न गई हो |
|-------------|-------------|---------------------|---------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             | जंगल                | क्षेत्र | उत्तर  | बाया गया क्षेत्र |                                                                 |                      |                                                                                    |
| 1939-40     | 8,10,809    | 81,835              | 93,936  | 19,106 | 51,093           | 2,37,159                                                        | 5,55,204 (क)         | 10,610                                                                             |
| 1948-49 (ख) | 8,10,809    | 86,787              | 94,897  | 93,364 | 62,891           | 2,43,963                                                        | 5,82,888 (ग)         | 7,521                                                                              |
| 1949-50 (घ) | 8,10,809    | 93,143              | 96,024  | 48,400 | 58,171           | 2,66,372                                                        | 6,14,610 (ङ)         | 11,554                                                                             |

(क) इनमें वे 75,000 एकड़ सम्मिलित हैं, जिनके बारे में वर्गीकरण का विवरण अप्राप्य है।

(ख) इनमें वे 9,86,000 एकड़ सम्मिलित हैं, जिनके बारे में वर्गीकरण का विवरण अप्राप्य है।

(ग) इनमें वे 25,00,000 एकड़ सम्मिलित हैं, जिनके बारे में वर्गीकरण का विवरण अप्राप्य है।

(घ) अस्थायी।

(ङ) पट्टे मालों में सीमा विस्तार के कारण 1948-49 और 1949-50 के आंकड़ों के 1939-40 के आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती।

देने के ज़िम्मेवार होते हैं। यह प्रथा मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जारी है। रयतवारी प्रथा के अनुसार किसान भूमि का स्वामी होता है, और वही लगान देता है। यह प्रथा बम्बई और मद्रास में है।

इस तरह राज्य तथा खेती करने वाले किसानों के बीच अन्य मध्यस्थों की उपस्थिति से खेती बाड़ी के काम को बाधा पहुँचती है। इस कारण राज्यों की सरकारों ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है। पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर, भाग 'क' के सभी राज्यों में जमींदारी प्रथा नष्ट कर देने का कानून बन चुका है। जम्मू और काश्मीर में भी जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। हैदराबाद, मध्यभारत, राजस्थान तथा सौराष्ट्र में इसी उद्देश्य से आजकल कानून बनाए जा रहे हैं। 1952-53 में 'ग' भाग के राज्यों में से भी जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयत्न आरम्भ हो गया है।

### भूदान यज्ञ

अपने आश्रितों का भित्ता कर भूमिरहित किसानों की सख्या भारत में  $4\frac{1}{2}$  करोड़ है। जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाने में, खेती बाड़ी के इन मजदूरों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भूमि का कोई भाग प्राप्त नहीं हुआ। इन लोगों के कल्याण के लिए, 3, 4 अप्रैल, आचार्य विनोबा भावे ने भारत में भूदान यज्ञ का प्रारम्भ किया था। इस आन्दोलन को देश के अधिकांश राजनीतिज्ञ, आर्थिक तथा सामाजिक दलों का समर्थन प्राप्त है और यह कहा जा सकता है कि गैरसरकारी कार्यों में आचार्य विनोबा भावे का यह आन्दोलन सबसे बड़ा आन्दोलन है। इस आन्दोलन द्वारा भारत की सामाजिक कार्यशक्ति तथा त्याग की भावना को एक नया ध्वज और झंडा प्राप्त हो गया है। इस आन्दोलन का पूर्णतः सफल और क्रियात्मक बनाने के लिए राज्यों की सरकारों ने आवश्यक कानून पास कर दिए हैं, ताकि कोई कानूनी अड़चन इस आन्दोलन के मार्ग में खड़ी न हो सके। आचार्य विनोबा भावे ने यह अपील की थी कि अप्रैल 1954 तक उन्हें 25 लाख एकड़ भूमि इस यज्ञ के लिए प्राप्त हो जाये, परन्तु भारत में आचार्य विनोबा भावे की यह पुकार इतनी बलवती सिद्ध हुई कि उन्हें इसी अवधि तक 27½ लाख एकड़ भूमि प्राप्त हो गई। अप्रैल 1954 में सर्वोदयपुरी में आचार्य विनोबा भावे ने एक सर्वोदय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें उनके 550 कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त भारत के प्रधान मंत्री भी सम्मिलित हुए थे। सितम्बर 1953 तक विभिन्न राज्यों में भूदान यज्ञ में प्राप्त होने वाली भूमि की सख्या इस प्रकार थी :— बिहार 10,75,217 एकड़, उत्तर प्रदेश 5,11,417 एकड़, राजस्थान 2,17,886 एकड़; और हैदराबाद 63,982 एकड़। अब तक न सिर्फ उक्त राज्यों में इस भूमि का मात्रा में वृद्धि हुई है, बल्कि अन्य राज्यों में भी भूदान यज्ञ में भारतीय जनता उत्साह दिखाने लगी है।

भूदान यज्ञ में प्राप्त इस भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा गरीब किसानों को आवश्यक साधन जुटाने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने अब कूपदान तथा सम्पत्ति दान यज्ञ भी प्रारम्भ किये हैं।

### भूमि कर

अंग्रेजी राज्य के जमाने में पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम, मद्रास, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में स्थाई बन्दाबस्त की प्रथा विद्यमान थी। जमींदारी प्रथा की समाप्ति के साथ इसे भी समाप्त कर दिया गया। शेष भारत में अस्थायी बन्दाबस्त की प्रथा थी। विभिन्न राज्यों में विभिन्न ढंगों से

भूमि कर निश्चित किया जाता है। अर्थात् समय समय पर लगान की दरों में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। बम्बई, मैसूर, हैदराबाद और बिहार में पहले अनुभव के आधार पर लगान निश्चित किया जाता है और महलवारी, रयतवारी अथवा जमींदारी प्रथा वाले प्रदेशों में लगान की दर निश्चित है। पंजाब में यह 25 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत तथा मद्रास में 50 प्रतिशत है।

### भूस्वामित्व के आकार

भारत में औसतन एक भूमिह्व किसान के पास 5 एकड़ भूमि है। बम्बई में यह अनुपात 11.7 एकड़, पंजाब में 10 एकड़, उत्तर प्रदेश में 6 एकड़, बंगाल में 4.5 एकड़, मद्रास में 4.4 एकड़ तथा हैदराबाद में 12 एकड़ है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अधिकांश किसानों के पास औसत से बहुत कम भूमि है। मद्रास, बिहार और पश्चिमी बंगाल में 1949-50 में एक कृषि भूमि सम्बन्धी जाच-पड़ताल की गई थी। उसके अनुसार इन राज्यों में अधिकांश किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भूमि इतने छोटे छोटे भागों में बंट गई है कि इस पर अच्छी तरह खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि पशु तथा खेती बाड़ी का सामान भी बहुत अल्प मात्रा में बंट जाता है और उनसे यथेष्ट लाभ नहीं उठाया जा सकता।

1912 में भारत में इस तरह के प्रयत्न आरम्भ किए गए कि भूमि का यह विभाजन अब और अधिक न बढ़ने पावे। इस कार्य के लिए सहकारी समितियों से सहायता ली गई। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक कार्य पंजाब में हुआ। वहाँ 1950-51 में 361 सहकारी समितियाँ थी और उनकी सदस्य संख्या 1,86,057 थी। इन सहकारी समितियों के पास कुल मिला कर 7,07,000 एकड़ भूमि थी और एकीकरण विभाग की ओर से 3,50,000 एकड़ भूमि एकत्र की गई। सहकारिता आन्दोलन की उन्नति की रफ्तार इस कारण बहुत अधिक नहीं है कि सरकार इस सम्बन्ध में जबर-दस्ती नहीं करना चाहती। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि लोगों को समझा बुझा कर इस कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। कुछ राज्यों में कानून बना कर सहकारी प्रथा जारी की जा रही है। इस सम्बन्ध में सबसे पहला कानून 1928 में मध्य प्रदेश सरकार ने पास किया, उसके बाद कुछ अन्य राज्यों में भी इस सम्बन्ध में कानून पास किए गए : उत्तर प्रदेश (1939), बम्बई (1947), पंजाब (1936 और 1948), दिल्ली (1936 और 1948), जम्मू और काश्मीर (1996 विक्रमी), तथा पेंसू (2007 विक्रमी)।

सहकारी खेती को भी सगठित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आर्थिक तथा टेक्निकल सहायता देती है। नए विकसित होने वाले प्रदेशों में वह कुछ भूमि भी देती है। लगान में भी कुछ रियायत दी जाती है। आसाम, बम्बई, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में इस आशय के कानून बना दिए गए हैं कि एक निश्चित परिमाण में कम भूमि वाले कुछ निश्चित किसानों को सहकारी समितियों द्वारा खेती बाड़ी करनी होगी। इस समय बम्बई में 326 सहकारी कृषि समितियाँ हैं तथा उत्तर प्रदेश में 52। 1951-52 में पंजाब में इस तरह की समितियों की संख्या 194 थी और मद्रास में 41।

पिछले वर्षों में सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति का संचालन ये दो उद्देश्य ध्यान में रख कर किया गया है : (1) भूमि और अधिक हिस्सों में न बटने पाए, साथ ही (2) भूमि कुछ ही व्यक्तियों के पास जमा न हो जाये। बहुत से राज्यों में, उदाहरण के लिए आसाम, उत्तर प्रदेश,

मध्यभारत, जम्मू और काश्मीर, बम्बई, पंजाब और पेप्सू में, कम से कम भूमि और अधिक से अधिक भूमि की मात्रा निश्चित कर दी गई है या की जा रही है।

### कृषि के साधन तथा संगठन

भारत में किसानों तथा उन पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या 24,90,00,000 है। इसमें से दो तिहाई किसान स्वयं भूमि के मालिक हैं, 13 प्रतिशत काश्तकार हैं और 18 प्रतिशत भूमि-रहित किसान मजदूर। खेतीबाड़ी का काम न करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 2 प्रतिशत है। ये लोग या तो अपनी भूमि काश्तकारों को दे देते हैं और या काश्तकारों को बंटाई पर देते हैं। कुछ जमींदार मजदूरों द्वारा खेती कराते हैं। काश्तकारों और भूमिरहित किसान मजदूरों की दशा सुधारने के लिए विभिन्न राज्यों में समय समय पर कुछ न कुछ नियम बनाए जाते रहे हैं, परन्तु अभी तक उन्हें बहुत लाभ नहीं पहुंचा। इस तरह का एक कानून बम्बई का 1948 का टैनेन्सी तथा कृषि भूमि कानून था। इस ढंग का कानून हैदराबाद, मैसूर और सौराष्ट्र में भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया गया है। भूमिरहित किसान मजदूरों को कम से कम क्या वेतन दिया जाये, इस सम्बन्ध में भी जांच पड़ताल की गई, और पंजाब, दिल्ली, कच्छ, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, अजमेर तथा बिहार के पटना जिले में उनके लिए कम से कम वेतन नियत कर दिया गया।

1949-50 में भारत में 26,60,00,000 एकड़ भूमि पर कृषि की गई थी। इस हिसाब से प्रत्येक कृषिजीवी भारतीय के पीछे एक एकड़ से कुछ ही अधिक भूमि आती है। इन परिस्थितियों में गहरी खेती से लाभ हो सकता है, परन्तु उसके लिए जिनका पानी और खाद आदि चाहिए, वह यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार सिंचाई के साधन बढ़ाए जा रहे हैं। हाल ही में सिन्धु में वैज्ञानिक खादों का जो कारखाना खोला गया है, उससे खाद की कमी दूर होने में बहुत सहायता मिल रही है।

भारत के किसान पुराने ढंग के और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए औजारों से खेती बाड़ी का काम लेते हैं। हाल ही में बहुत अच्छे ढंग के हल और सुहागा, चारा काटने की मशीनें, गन्ने से रस निकालने की मशीनें पानी खींचने वाले नल आदि बनाने का प्रयत्न शुरू किया गया है। कुछ राज्यों में ट्रैक्टरों से भी खेतीबाड़ी करने की कोशिश हो रही है।

### उपज

भारतीय कृषि उत्पादन के दो महत्वपूर्ण पहलू यह हैं कि यहाँ बहुत तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं तथा उपज में खाने की वस्तुओं का प्राधान्य रहता है। गरम, समशीतोष्ण अथवा तराई वाले क्षेत्रों की शायद ही कोई ऐसी उपज हो, जो इस देश में पैदा न होती हो। कुल कृषित भूमि के 85 प्रतिशत भाग पर खाने-पीने की वस्तुएं बोई जाती हैं।

देश की मुख्य उपजों का दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: (1) खरीफ (2) रबी। खरीफ की उपजों में मुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा, मक्की, रूई, गन्ना तथा मूंगफली आदि होती हैं, और रबी की फसलों में मुख्यतः गेहूँ, जौ, चना, तिलहन, सरसों आदि।

उपज की दृष्टि से भारत का औसत प्रतिवर्ग एकड़ काफी कम है। इसके मुख्य कारण हैं, सिंचाई के साधनों की कमी, वर्षा की कमी, बाढ़ें तथा कृषि नाशक बीमारियाँ।

## जोता बोया गया क्षेत्र

(हजार एकड़ों में)

| वर्ष | अन्न की मुख्य फसलें |        |           |        |         |       |     | अन्य मुख्य फसलें |        |       |                  |     |
|------|---------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|-----|------------------|--------|-------|------------------|-----|
|      | चावल                | गेह    | अन्य अन्न | चना    | मूंगफली | गन्ना | बाज | कहवा             | रूई    | पटसन  | अन्य तिलहन तमाबू | रबर |
| 1947 | 64,692              | 25,007 | 89,159    | 16,971 | 10,267  | 3,528 | 765 | 212              | 11,671 | 652   | 12,652,845       | 159 |
| 1948 | 64,415              | 20,843 | 86,943    | 19,336 | 10,079  | 4,056 | 768 | 215              | 10,655 | 841   | 13,986,827       | 162 |
| 1949 | 72,485              | 22,342 | 91,976    | 20,497 | 9,165   | 3,752 | 712 | 218              | 11,293 | 1,163 | 14,421,803       | 168 |
| 1950 | 75,414              | 24,114 | 95,969    | 20,497 | 9,832   | 3,624 | 777 | 223              | 12,173 | 1,454 | 15,053,860       | 171 |
| 1951 | 75,975              | 24,134 | 92,930    | 18,709 | 11,130  | 4,214 | —   | 224              | 14,556 | 1,951 | 15,551,902       | 171 |
| 1952 | 73,665              | 23,450 | 95,124    | 16,857 | 11,798  | 4,792 | —   | —                | 16,198 | 1,834 | 16,590,712       | 173 |
| 1953 | 74,674              | 24,041 | 1,01,081  | 17,267 | 11,862  | 4,376 | —   | —                | 15,678 | —     | 15,649,798       | —   |

तालिका 62  
मुख्य फसलों का उत्पादन

| अन्न की फसले |                   |                   |                        |                  |                    |                                          |                  |                   |                     | अन्य फसले                       |                    |                    |                  |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| वर्ष         | चावल<br>(हजार टन) | गेहू<br>(हजार टन) | अन्य अन्न<br>(हजार टन) | चना<br>(हजार टन) | सूफकी<br>(हजार टन) | गन्ना,<br>कच्ची<br>खाद, गुड<br>(हजार टन) | चाय<br>(लाख पौड) | कहवा<br>(लाख पौड) | रूई<br>(हजार गांठे) | पटसन<br>(400 पौड की हजार गांठे) | नियहन<br>(हजार टन) | तमाबू<br>(हजार टन) | रबर<br>(लाख पौड) |
| 1947         | 21,669            | 4,971             | 15,904                 | 3,599            | 3,588              | 4,913                                    | 5,620            | 410               | 2,168               | 1,658                           | 1,560              | 270                | 370              |
| 1948         | 21,247            | 5,570             | 16,924                 | 4,503            | 3,411              | 5,817                                    | 5,760            | 350               | 2,188               | 2,055                           | 1,706              | 234                | 350              |
| 1949         | 22,597            | 5,650             | 15,067                 | 4,535            | 2,901              | 4,869                                    | 5,850            | 350               | 1,767               | 3,089                           | 1,601              | 255                | 350              |
| 1950         | 23,170            | 6,290             | 16,558                 | 3,667            | 3,379              | 4,938                                    | 6,070            | 480               | 2,628               | 3,301                           | 1,763              | 264                | 350              |
| 1951         | 20,295            | 6,374             | 15,117                 | 3,593            | 3,437              | 5,616                                    | —                | 540               | 2,971               | 4,678                           | 1,666              | 263                | 380              |
| 1952         | 20,741            | 6,039             | 15,660                 | 3,293            | 3,045              | 6,068                                    | —                | —                 | 3,133               | 4,695                           | 1,775              | 205                | 440              |
| 1953         | 23,424            | 6,762             | 17,398                 | 3,771            | 2,894              | 5,260                                    | —                | —                 | 3,050               | —                               | 1,741              | 205                | —                |

1951-52 में बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, सीराष्ट्र तथा आंध्र के रायलसीमा जिले में खाद्यान्नों की न्यूनता की परिस्थिति के कारण उपज अधिक नहीं बढ़ाई जा सकी। परन्तु 1952-53 में खरीफ की उपज में 60 लाख एकर (कुल भूमि का 5.5 प्रतिशत) भूमि की वृद्धि की गई। उपज में वृद्धि स्वभावतः इस अनुपात से तो नहीं हुई, परन्तु कुछ न कुछ अवश्य हुई। ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की उपज जिन हिमाचल में बढ़ी, उसका परिचय निम्नलिखित तालिका में मिलेगा।

तालिका 63

| फसल         | उत्पादन (लाख टन) |         | वे राज्य जिन के आकड़े इस में सम्मिलित नहीं        |
|-------------|------------------|---------|---------------------------------------------------|
|             | 1951-52          | 1952-53 |                                                   |
| चावल . . .  | 155              | 163     | बिहार, उड़ीसा, जम्मू और काश्मीर और तिरुवाकु-कोचीन |
| ज्वार . . . | 34               | 36      | बम्बई, पंजाब, मद्रास और राजस्थान                  |
| बाजरा . . . | 17               | 18      | बम्बई, पंजाब और पेशू                              |
| मक्का . . . | 15               | 17      | पंजाब, पेशू, राजस्थान और जम्मू और काश्मीर         |

1951-52 में गन्ना पहले की अपेक्षा अधिक भूमि में बोया गया, और उस की उपज में 3 लाख टन की वृद्धि हुई। 1952-53 में उस में कुछ कमी आई। इस वर्ष तिलहन की उपज, आबोहवा की कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण गत वर्ष की अपेक्षा कुछ कम हुई।

परन्तु रूई और पटसन की उपज में काफी वृद्धि हुई। इसका परिचय निम्नलिखित तालिका में मिलेगा। रूई की उपज में 1952-53 में थोड़ी सी कमी आई। उसका कारण आबोहवा सम्बन्धी विपरीत परिस्थितियों का होना था।

तालिका 64

| वर्ष          | रूई (लाख गांठे—प्रति गांठ 392 पौंड) | पटसन (प्रति गांठ 400 पौंड)<br>(लाख गांठे) |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1948-49 . . . | 17.7                                | 20.6                                      |
| 1949-50 . . . | 26.3                                | 30.9                                      |
| 1950-51 . . . | 29.7                                | 33.0                                      |
| 1951-52 . . . | 31.3                                | 46.8                                      |
| 1952-53 . . . | 30.5                                | 46.9                                      |



### “अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन

भारत मुख्यतः कृषिप्रधान देश है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों से वह अपनी आबादी के लिये पर्याप्त अन्न पैदा नहीं कर पा रहा था। इस सदी की चौथी दशाब्दी के मध्य में अन्न की उपज से आबादी की वृद्धि की रफ्तार अधिक बढ़ गई। 1937 में बर्मा भारत से पृथक हो गया। बर्मा से बहुत सा चावल भारत आया करता था। अन्न की यह कमी इतनी बढ़ती गई कि 1943 में बंगाल में अत्यन्त भयंकर अकाल पड़ा। उस के 4 वर्षों के बाद देश का विभाजन हुआ और पंजाब तथा सिंध के उपजाऊ इलाके, जहां नहरों से खेती बाड़ी की सिंचाई होती थी, तथा पूर्वी बंगाल की उपजाऊ नीची भूमिया पाकिस्तान को मिली। इस का परिणाम यह हुआ कि भारत में न सिर्फ खाद्यान्नों की कमी हो गई, अपितु पटसन और रूई की भी असाधारण कमी हो गई।

बंगाल के अकाल के दिनों में, अर्थात् 1943 में, “अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन का प्रारम्भ किया गया था। पिछले 4 वर्षों में इस कार्य के लिये केन्द्र तथा राज्यों की सरकारें किसानों को आर्थिक सहायता तथा कर्ज देती रही। आजकल केन्द्रीय सरकार केवल कुछ विशेष कार्यक्रमों के लिये ही आर्थिक सहायता दे रही है। इस आन्दोलन के अधीन दो तरह की योजनाएँ चल रही हैं : (1) नए कार्य तथा (2) आवश्यक पूर्ति के कार्य। पहली योजना के अन्तर्गत, कुएं, तालाब, छोटे बाध, नालिया, ट्यूबवैल और पानी के नलके इत्यादि का निर्माण और मरम्मत हो रही है। इसी योजना के अन्तर्गत बेकार पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। दूसरी योजना के अन्तर्गत किसानों को अच्छे बीज तथा खाद आदि बाटे जाते हैं। 1951-52 में इस सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की अपेक्षा उत्तम वैज्ञानिक ढंग से काम करना अधिक अच्छा रहेगा।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त 1950-51 में एक सयुक्त उत्पादन कार्यक्रम भी बनाया गया, जिसका उद्देश्य अन्न, रूई, पटसन और चीनी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। बाद में यह कार्यक्रम पंचवर्षीय कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया और अब भूमि-सुधार के सम्बन्ध में एक दस-वर्षीय योजना भी बन चुकी है। इस सम्बन्ध में राज्यों को जो सहायता दी जा रही है, वह “अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन के अन्तर्गत है। “अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन का संचालन अब निम्नलिखित नीति के अनुसार हो रहा है

- (1) उत्पादन की ऐसी योजनाओं पर अधिक बल दिया जाये, जो स्थायी महत्व की हों, जैसे सिंचाई तथा भूमि विकास कार्य आदि ;
- (2) ट्यूबवैलों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाये ;
- (3) अच्छे बीज, खाद, रासायनिक खाद, आदि विशेषतः ऐसे भागों में दिए जाये जहां सिंचाई की निश्चित व्यवस्था हो अथवा यथेष्ट वर्षा की संभावना हो ;
- (4) पशु-पालन, मछली उद्योग तथा बागवानी की योजनाओं को विशेष सहायता दी जाये ; और
- (5) यह सिद्धान्त बरता जाये कि केन्द्र की सहायता जहां तक सम्भव हो, कर्ज के रूप में दी जाये।

कृषि विकास के लिये विभिन्न राज्यों में 1951-52 में 20,60,00,000 रुपये खर्च किये गये तथा 1952-53 में 22,30,00,000 रुपये । इस राशि में से केन्द्रीय सरकार ने 1951-52 में 17,40,00,000 रुपये दिये (जिसमें से 10,40,00,000 रुपये कर्ज के रूप में और 7 करोड़ अनुदान के रूप में दिये गये) तथा 1952-53 में 21 करोड़ रुपये (जिस में से 14,50,00,000 कर्ज के रूप में थे और 6,50,00,000 रुपये अनुदान के रूप में) दिए । केन्द्रीय सहायता जिस रूप में प्राप्त हुई, उसे इस तालिका में देखिये —

तालिका 65

(करोड़ रुपये में)

| योजना                                      | 1951-52     |         | 1952-53     |         |
|--------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
|                                            | राशि<br>रु० | प्रतिशत | राशि<br>रु० | प्रतिशत |
| सिंचाई . . . . .                           | 10.9        | 62      | 13.7        | 65      |
| भूमि सुधार . . . . .                       | 1.5         | 9       | 1.6         | 8       |
| बीज, खाद और उर्वरक . . . . .               | 2.7         | 16      | 3.3         | 16      |
| अन्य योजनाएँ (पीढ़ा-संरक्षण आदि) . . . . . | 2.3         | 13      | 2.4         | 11      |
| योग . . . . .                              | 17.4        | 100     | 21.0        | 100     |

#### सिंचाई के छोटे कार्यक्रम

1951-52 तथा 1952-53 में केन्द्र ने राज्यों को जो सहायता दी, उसका 60 प्रतिशत सिंचाई के छोटे कार्यक्रमों के लिये था, यथा कुआँ और तालाबों की मरम्मत और निर्माण, नलके, बाध तथा नालियों का निर्माण और सुधार आदि । परिणाम यह हुआ कि 1951-52 में 20,50,000 एकड़ नई भूमि की सिंचाई होने लगी ।

तालिका 66

(लाख एकड़)

| योजना                                               | पाच वर्षों के लिये<br>लक्ष्य | 1951-52 में सीची<br>गई अतिरिक्त भूमि |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. कुआँ बनाना और उनकी मरम्मत . . . . .              | 16.5                         | 3.6                                  |
| 2. ट्यूब वेल्स . . . . .                            | 6.6                          | 1.4                                  |
| 3. पम्प लगाना, जिन में रहट भी सम्मिलित है . . . . . | 7.5                          | 3.4                                  |
| 4. बाध, नालियाँ आदि . . . . .                       | 52.2                         | 12.1                                 |
| योग . . . . .                                       | 82.8                         | 20.5                                 |

1951-52 में उत्तर प्रदेश में 8,687, मद्रास में 7,288, मध्य भारत में 3,297 और पंजाब में 2,001 नए कुएँ खोदे गये या उनकी मरम्मत की गई ।

शक्ति और तेल से चलने वाले नलके बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। 1951-52 में उनकी संख्या में जो वृद्धि हुई है, वह निम्न तालिका से पता चलेगी :

तालिका 67

| राज्य                                  | किसानों को दिये गये एंजिन और पम्प |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| मद्रास                                 |                                   |
| (क) तेल से चलने वाले एंजिन . . . . .   | 833                               |
| (ख) बिजली से चलने वाले एंजिन . . . . . | 156                               |
| मध्य प्रदेश . . . . .                  | 138                               |
| पश्चिमी बंगाल . . . . .                | 310                               |
| पंजाब . . . . .                        | 76                                |
| हैदराबाद . . . . .                     | 842                               |
| मध्य भारत . . . . .                    | 286                               |
| योग . . . . .                          | 2,641                             |

इसके अतिरिक्त मद्रास तथा उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने क्रमशः 200 और 739 पम्पिंग सेट लगाए, जिन से निजी खेतों को पानी दिया जाता है। बम्बई में यह काम सहकारी समितियों द्वारा हो रहा है और वहां इस उद्देश्य के लिये 250 के लगभग समितियां बनी हुई हैं।

भारत अमेरिका टैक्निकल सहायता कार्यक्रम के अनुसार जो 2,650 नए ट्यूबवैल लगाने की योजना बनाई गई है, उस के लिये पंचवर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किये जाने वाले 30 करोड़ रुपये की राशि में से काफी बड़ी मात्रा लगाई जा रही है। ये ट्यूबवैल बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब और पेप्सू में लगाए जा रहे हैं।

नए ट्यूबवैल लगाने के सम्बन्ध में कुछ राज्यों की योजना निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई है—

तालिका 68

| राज्य                  | लगाये जाने वाले ट्यूबवैलों की संख्या | लगाये गये ट्यूबवैलों की संख्या |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| उत्तर प्रदेश . . . . . | 440                                  | 221                            |
| पंजाब . . . . .        | 225                                  | 138                            |
| बिहार . . . . .        | 300                                  | 96                             |
| बम्बई . . . . .        | 400                                  | 26                             |
| योग . . . . .          | 1,365                                | 481                            |

पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में तालाबों की मरम्मत तथा नालियों का निर्माण आदि कार्य जोरशोर से जारी हैं। 1951-52 में पश्चिमी बंगाल में इस तरह के 975 कार्य किए गए और उन पर 27,42,000 रुपये खर्च किये गये। इसके अतिरिक्त 22,50,000 रुपये तालाबों की

मरम्मत पर व्यय हुए। आसाम में 36,51,000 रुपये व्यय कर के इस तरह के 650 कार्य किये गये। उत्तर प्रदेश में नालियों पर 12 लाख रुपये खर्च हुए और उससे 9,700 एकड़ भूमि को लाभ पहुँचा। मद्रास में 1,62,00,000 रुपये तालाबों पर खर्च किए गए और 1,34,00,000 रुपये सिंचाई के अन्य छोटे कार्यक्रमों पर।

### भूमि का उद्धार तथा विकास

1947 में अमेरिकन सेना द्वारा छोड़े गये 200 ट्रेक्टरों के साथ भारत में केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन का प्रारम्भ किया गया था। तब से अब तक इस संगठन ने इस देश में एशिया के कुछ सब से बड़े भूमिगुधार कार्य किये हैं। इस संगठन ने कास तथा गहरी व घनी झाड़ियों से भरे हुए जंगलों को साफ किया है, तथा वृक्षों को गिरा कर कृषि के लिये भूमि प्राप्त की है। 1951 में इस संगठन के लिये 250 नए ट्रेक्टर खरीदे गये थे और इस कार्य के लिये भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में कर्ज मिला था। 1952 तक निम्नलिखित भूमि का कृषि के लिये उद्धार किया गया—

| वर्ष          | एकड़ प्राप्त भूमि |
|---------------|-------------------|
| 1948-49 . . . | 71,497            |
| 1949-50 . . . | 79,346            |
| 1950-51 . . . | 2,81,962          |
| 1951-52 . . . | 1,55,367          |

उक्त संगठन के अतिरिक्त कतिपय राज्यों की सरकारों ने भी इसी तरह के संगठन बना रखे हैं। ये संगठन निजी कृषिकों को भूमि की सिंचाई तथा जुताई आदि में सहायता देते हैं। इस सम्बन्ध की विस्तृत सूचाये निम्नलिखित तालिका में देखिये—

तालिका 69

| राज्य                  | ट्रेक्टर संख्या |
|------------------------|-----------------|
| मद्रास . . . . .       | 299             |
| बम्बई . . . . .        | 256             |
| उत्तर प्रदेश . . . . . | 492             |
| पंजाब . . . . .        | 89              |
| मध्य प्रदेश . . . . .  | 100             |
| आसाम . . . . .         | 40              |
| हैदराबाद . . . . .     | 51              |
| मध्य भारत . . . . .    | 27              |

### भूमि की सुरक्षा

पञ्चवर्षीय योजना में 2 करोड़ रुपये भूमि की सुरक्षा के लिये रखे गये हैं। जोधपुर में राजस्थान के रेगिस्तान की वृद्धि को रोकने के लिये एक अनुसन्धान संस्था भी खोली गई है। देहरा-

दून में जगल अनुसन्धान सस्था (फौरेस्ट रिसर्च इन्स्टीच्यूट) के अधीन भूमि सुरक्षा अनुसन्धान सम्बन्धी शाखा भी खोली गई है ।

डमी उद्देश्य से भूमि के किनारे बनाने का कार्य भी जोरशोर से जागी है । वम्बई में 1951-52 में 30 लाख रुपये के व्यय से 50 हजार एकड़ के किनारे बनाये गये थे, ताकि वह भूमि बिकरने में पाये । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में क्रमश 6,67,000 तथा 10,00,000 रुपये के व्यय से 6,300 तथा 10,000 एकड़ भूमि सीमा-निर्माण तथा बाधों द्वारा सुरक्षित की गई ।

### पशु पालन

1951 की गणना के अनुसार भारत में 15,50,00,000 गाय, बैल आदि, 4,30,00,000 भैंसे और 3,90,00,000 भेड़ें थी । भारत में कृषि का सब से बड़ा और महत्वपूर्ण साधन बैल है, तथा देश की अधिकांश जनता के भोजन में दूध और उस से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । 3,90,00,000 भेड़ों में भारत को यथेष्ट ऊन प्राप्त होती है । (भारत में बकरियों की संख्या भी 4,70,00,000 है) । भारत की पशु समस्या के लिये निम्नलिखित तालिका देखिये—

### तालिका 70(क)

(हजारों में)

| पशु            | 1940     | 1945     | 1951         |
|----------------|----------|----------|--------------|
| गाय बैल        | 1,37,929 | 1,36,739 | 1,55,099 (ख) |
| भैंस           | 40,125   | 40,732   | 43,351       |
| भेड़           | 41,506   | 37,728   | 38,829       |
| बकरियाँ        | 50,253   | 46,302   | 47,077       |
| घोड़े और टट्टू | 1,780    | 1,398    | 1,514        |
| खच्चर          | 50       | 45       | 60           |
| गध             | 1,186    | 1,131    | 1,239        |
| ऊट             | 617      | 656      | 629          |
| मुअर           | 2,702    | 3,709    | 4,420        |
| योग            | 2,76,148 | 2,68,440 | 2,92,218     |
| मुर्गीपालन     |          |          |              |
| चिड़िया        | 55,062   | 54,666   | 67,135       |
| बत्तखें        | 2,346    | 3,581    | 6,264        |

(क) 1940 और 1945 के आकड़े भिन्न हैं, क्योंकि दोनों जनगणनाओं में भाग लेने वाले राज्यों की संख्या एक समान नहीं थी ।

(ख) इनमें 1,000 ऐसे पशु भी सम्मिलित हैं, जिन का विवरण अप्राप्य है ।

भारत में सब से अच्छी गाय पंजाब के साहीवाल और सौराष्ट्र के गीर में होती है। सब से अच्छे बूँद पंजाब के हिसार (हरियाना) और हामी में, मद्रास के नैलोर और कर्नाटक में मैसूर के अमृतमहल में, गुजरात के कपरेज में, उत्तर प्रदेश के खेरीगढ में तथा बम्बई के डागी और नीमार में होते हैं। दूध के लिये कपरेज और गीर प्रसिद्ध हैं। सब से अच्छी भैंसों के लिये पंजाब का मुरी, सौराष्ट्र के जफराबाद और बम्बई के मंहमाना, मुरत और पडरपुर प्रसिद्ध हैं।

भारत के पशु बहुत अच्छे किस्म के नहीं होते, क्योंकि उनकी नस्ल तथा भोजन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इस देश में एक गाय एक वर्ष में औसतन 413 पौंड दूध देती है, जोकि संसार में सब से न्यून मात्रा है। अधिकांश देशों में यह मात्रा 2,000 से 7,000 पौंड तक है।

### मुधार की योजनाएं

पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत पशुओं के मुधार के सम्बन्ध में कुछ योजनाएं बनाई गई हैं जो निम्नलिखित हैं—

#### 1. केन्द्र ग्राम योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारत भर में ऐसे गांव चुन लिये जायेंगे, जिनमें पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये कुछ साइ रखे जा सकें। यथेष्ट मात्रा में साइ नहीं मिल पाते, इसलिये गायों के वैज्ञानिक गर्भाधान का प्रबन्ध भी किया जा रहा है। 1951-52 में यह योजना प्रारम्भ की गई थी और एक ही वर्ष में इस तरह के 96 केन्द्र खोले गये। पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत इस तरह के 600 केन्द्र ग्राम तथा 150 वैज्ञानिक गर्भाधान केन्द्र खोलने का इरादा है।

#### 2. गो-सदन

जहां मुख्य ग्राम योजनाओं का उद्देश्य पशुओं की नस्ल में सुधार करना है, वहां गो-सदन का उद्देश्य वर्तमान पशुओं, विशेषतः गायों की देखभाल करना तथा बेकार के पशुओं का पथकीकरण करना है। योजना के अन्तर्गत 160 गो-सदन बनाए जायेंगे।

गाओं की नस्ल सुधारने के लिये 1952 में केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय गौसंवर्धन समिति भी बनाई थी।

दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने अच्छा दूध देने की एक प्रारम्भिक योजना जारी की हुई है, जिसके अनुसार वैज्ञानिक रीति से दूध को शुद्ध कर के 40 केन्द्रों द्वारा नई और पुरानी दिल्ली में बाटा जाता है।

#### 3. पशुओं का बीमारी से बचाव

भारत में पशुओं की मृत्यु जिन रोगों से होती है, उनमें रिडरपैस्ट सब से बुरी और भयानक बीमारी है। इस बीमारी को दूर करने के लिये आइजटनगर में टीके का एक बड़ा कारखाना खोला गया है। इस के लिये यथेष्ट साधन वहां एकत्र कर लिये गये हैं।

## जंगलात

देश के आर्थिक जीवन में जंगल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनसे जलाने की, लकड़ी तथा इमारती लकड़ी के अतिरिक्त बास, घास, लाख, गोद, बरोजा, रंग आदि उपयोगी और लाभदायक चीजें प्राप्त होती हैं। पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को सुरक्षित रखने और उसे फटाव से रोकने में जंगल बड़ा महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। जंगल पशुओं के लिये चरागाह का काम भी देते हैं। 1894 में भारतीय जंगलों के सम्बन्ध में तत्कालीन सरकार ने एक अस्पष्ट नीति का सूत्रपात किया था। 1951 में स्वतंत्र भारत में जंगलों के सम्बन्ध में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया।

## जंगलों का क्षेत्रफल

भारतीय जंगलों का कुल क्षेत्रफल 2,65,932 वर्गमील है, जो देश की कुल भूमि का 21 प्रतिशत भाग है। ससार के अन्य अधिकांश देशों की तुलना में यह अनुपात कम है। इस कारण 12 मई 1952 के जंगल नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार यह निश्चय किया गया कि देश के एक तिहाई भाग पर जंगल लगाये जायें। हिमालय, दक्कन तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह अनुपात 60 प्रतिशत रहेगा, तथा मैदानों में 20 प्रतिशत। पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ एकड़ जमींदारी जंगलों को विकसित करने का कार्यक्रम सम्मिलित है। यह कार्य राज्यों की सरकारों के अधीन है। जंगल के विकास के लिये निम्नलिखित साधन बरते जायेंगे :—

- (1) युद्ध के दिनों में जो जंगल काटे गये थे, उनका पुनरुद्धार ;
- (2) जिन भूमियों में बड़े-बड़े दरार पड़ गये हैं, उन में जंगल बोना ,
- (3) जंगल की सड़कों का विकास ;
- (4) इंधन की कमी दूर करने के लिये गावों के नजदीक छोटे जंगलों का विकास; तथा
- (5) देश में नए-नए और उपयोगी किस्म के वृक्ष लगाने का प्रयत्न करना।

1949-50 में देश में जंगल के क्षेत्र इस प्रकार थे :—

(वर्ग मील में)

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| (1) भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल . . . . .   | 12,66,890 |
| (2) देश में जंगलों का क्षेत्रफल . . . . . | 2,65,932  |

## (क) स्वामित्व

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| (1) सरकारी जंगल विभाग के अधीन . . . . . | 2,05,272 |
| (2) सहकारी संस्थाओं के अधीन . . . . .   | 850      |
| (3) व्यक्तिगत सम्पत्ति . . . . .        | 59,810   |

## (ख) जंगलों की किस्में

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| (1) व्यापारोपयोगी . . . . .                     | 1,55,136 |
| (2) अशक्य प्रवेश . . . . .                      | 54,353   |
| (3) जिसके बारे में सूचना प्राप्त नहीं . . . . . | 2,56,443 |

(ग) कानूनी स्थिति

|                                       |   |   |   |   |   |          |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|----------|
| (1) सुरक्षित (रिजर्व)                 | . | . | . | . | . | 1,23,665 |
| (2) रक्षित (प्रोटेक्टेड)              | . | . | . | . | . | 37,944   |
| (3) जिसका वर्गीकरण नहीं हुआ           | . | . | . | . | . | 87,371   |
| (4) जिसके बारे में सूचना प्राप्त नहीं | . | . | . | . | . | 16,952   |

(घ) रचना

|                                          |   |   |   |   |   |          |
|------------------------------------------|---|---|---|---|---|----------|
| (1) देवदार वर्ग के                       | . | . | . | . | . | 13,983   |
| (2) साल                                  | . | . | . | . | . | 40,932   |
| (3) सागौन (टीक)                          | . | . | . | . | . | 16,874   |
| (4) विविध                                | . | . | . | . | . | 1,47,898 |
| (5) जिसके बारे में सूचना प्राप्त नहीं है | . | . | . | . | . | 46,245   |

जंगलों की उपज

युद्ध के दिनों में जंगलों का उपयोग काफी निर्दयता के साथ किया गया था। परिणाम यह हुआ कि बहुत से जंगल नष्ट हो गये। अब जंगलों के पुनर्निर्माण की दृष्टि से प्रति वर्ष 18 लाख टन लकड़ी कम काटी जा रही है।

उत्तरी अदमान के जंगलों से 7,500 टन लकड़ी भारत में लाई गई। यह भी ज्ञात हुआ है कि नीकोबार द्वीपसमूह से भारत को 30 हजार टन लकड़ी प्रति वर्ष प्राप्त हो सकती है। निचली तालिका में 1949-50 की जंगल की उपज दिखाई गई है—

तालिका 71

| जंगलों में पैदा होने वाली वस्तुएं | मात्रा<br>(हजार घनफुट) | मूल्य<br>(रुपये में) |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. इमारती लकड़ी                   | 85,208                 | 11,10,45,000         |
| 2. लट्ठे                          | 22,822                 | 1,00,38,000          |
| 3. लुगदी वाली लकड़ी               | 95                     | 'क'                  |
| 4. जलाने की लकड़ी                 | 3,72,048               | 3,21,45,000          |
| 5. कोयला                          | 28,571                 | 13,98,000            |
|                                   | 5,34,52 'ख'            | 17,16,48,000 'ग'     |

'क' इमारती लकड़ी के अन्तर्गत सम्मिलित

'ख' इस में 25,784 हजार घनफुट सम्मिलित है, जिस के बारे में विवरण अप्राप्य है।

'ग' इस में 1,70,22,000 रुपये सम्मिलित है, जिन के बारे में विवरण अप्राप्य है।



इस वर्ष जंगल से होने वाली उपजों की सूची निम्न तालिका में देखिये :—

### तालिका 72

| जंगल में पैदा होने वाली छोटी वस्तुएँ | मूल्य<br>(रुपयों में) |
|--------------------------------------|-----------------------|
| पशुजन्य वस्तुएँ . . . . .            | 1,29,000              |
| बास और बेंत . . . . .                | 1,00,37,000           |
| ओषधियाँ . . . . .                    | 5,02,000              |
| मसाले . . . . .                      | 37,000                |
| रेशे और तन्तु . . . . .              | 45,000                |
| चारा और चरागाह . . . . .             | 1,50,94,000           |
| चारे के अलावा अन्य घास . . . . .     | 28,82,000             |
| गोंद और राल . . . . .                | 32,72,000             |
| लाख . . . . .                        | 56,00,000             |
| रबर और पौधों का दूध . . . . .        | 5,67,000              |
| सुगन्धित लकड़ी . . . . .             | 6,50,000              |
| चमड़ा रगने के द्रव्य . . . . .       | 19,16,000             |
| वनस्पतिजन्य तेल और तिलहन . . . . .   | 1,20,000              |
| अन्य छोटी वस्तुएँ . . . . .          | 1,59,41,000           |

### मछली उद्योग

द्वितीय महायुद्ध के दिनों में जब देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, तब मछली उद्योग के महत्व का अनुभव किया गया था। तब से मछली व्यवसाय के विकास का कार्यक्रम भी 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन का भाग बना दिया गया। इस व्यवसाय की उन्नति के लिये अब ये दो काम करने की योजना है—जिन जलाशयों में मछलियों का विकास किया जा सकता है, उन का परिमाणन ; समुद्र के उथले किनारों तथा गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने के लिये नए ढंग के छोटे जहाज तैयार करना।

मछलियों को बर्फ में सुरक्षित रखने के लिये कालीकट और बगलौर में दो शीत भंडार बनाये गये हैं। इस कार्य के लिये जापान से कुछ वैज्ञानिक सामान मंगाया गया है, तथा 4 विशेषज्ञ भी बुलाये गये हैं। कुछ विशेषज्ञ इंग्लैंड से भी बुलाये गये हैं। तिरुवाकुर-कोचीन में मछली व्यवसाय का विकास करने के लिये नार्वेजियन सहायता कार्यक्रम के अनुसार 38 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

खाद्य के रूप में मछलियों को सुरक्षित रखने का कार्य एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इस के लिये दो साधन बरते जाते हैं : मछलियों को धूप में सुखाना और उन्हें नमक में रखना। भारत

में अब सारडीन और शार्क मछलियों के लिबर का तेल भी बड़े पैमाने पर निकाला जाने लगा है। 1949 में मछलियों की प्राप्ति इस तरह हुई —

(1) उत्पत्ति :

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| समुद्र की मछली . . . . .    | 1,00,80,000 मन |
| मीठे पानी की मछली . . . . . | 41,30,000 मन   |
| योग . . . . .               | 1,42,10,000 मन |

(2) उपयोग :

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| जो ताज़ा रूप में खाई गई . . . . .        | 60,76,000 मन |
| धूप में सुखाई गई . . . . .               | 36,78,000 मन |
| नमक में सुरक्षित . . . . .               | 35,22,000 मन |
| मछली के खाद के रूप में व्यवहृत . . . . . | 9,36,000 मन  |

बाजार

उत्पन्न वस्तुओं की बिक्री की देखभाल के लिये भारत सरकार का बाजार तथा निरीक्षण डायरेक्टर नियुक्त है। इस तरह के संगठन कुछ राज्यों की सरकारों ने भी बनाये हैं। 1937 में कृषि उपज का वर्गीकरण और बाजार का कानून बनाया गया था। यह कानून फल, फलों से बनने वाला सामान, वनस्पति, अंडा, दूध, दूध से बनने वाला सामान, तमाखू, कहवा, चावल, बूरा, आटा, गेहूँ, गुड़, तिलहन, तिल, रूई, लाख, सन, चमड़ा, खाल, ऊन और बकरियों के बालों, पर लागू होता है। हाल ही में इस सूची में लकड़ी, सख्त बाल, बरोड़ा, तापिन, मुगारी आदि बढ़ा दिये गये हैं। 1948 से लेकर 1952 तक वर्गीकृत पदार्थों की उत्पत्ति इस तरह हुई—

| वर्ष           | (करोड़ रुपये में) |
|----------------|-------------------|
| 1948 . . . . . | 11.9              |
| 1949 . . . . . | 12.3              |
| 1950 . . . . . | 14.0              |
| 1951 . . . . . | 13.0              |
| 1952 . . . . . | 18.0              |

भारतीय प्लैनिंग कमीशन ने यह निश्चय किया है कि कृषि से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों का वर्गीकरण अवश्य किया जाए। यह वर्गीकरण का कार्य वर्तमान पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित है। निम्नलिखित राज्यों में से उपज की बाजार बिक्री के सम्बन्ध में कानून बनाए गए हैं : बम्बई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब तथा पेशू तथा मध्य भारत के कुछ भाग।

### कृषि अनुसन्धान

भारत के केन्द्रीय कृषि विभाग की स्थापना 1894 में हुई थी। क्रमशः विकास होते होते 1905 में पूसा की कृषि अनुसन्धान संस्था खोली गई, तथा 1929 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्। इस परिषद् की सलाहकार समिति में विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं तथा इस की शासन समिति में सभी भारतीय राज्यों के कृषि मंत्री और संसद् में व्यापारी हितों के प्रतिनिधि सदस्य रूप से सम्मिलित हैं। शासन समिति को सहायता देने के लिये एक अनुसन्धान बोर्ड बनाया गया है, तथा एक विस्तार बोर्ड। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी जो अनुसन्धान कार्य हो रहा है, उन सब में परस्पर समन्वय रखना, उन के कार्यों का बटवारा करना, उन्हें आर्थिक सहायता देना—इस भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कार्य हैं।

1951 में इस परिषद् का पूरी तरह पुनर्गठन किया गया। अनुसन्धान विभाग के कार्य-कर्ताओं तथा किसानों में परस्पर किसी तरह की खाई न रहे, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय पैमाने पर एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं तथा रूई, गन्ना, तिलहन, तमाखू, नारियल, आदि के उत्पादन में सुधार करने तथा उनके बाजार को सुगम बनाने के लिये कुछ केन्द्रीय समितियों का निर्माण किया गया है।

अन्न तथा कृषि मंत्रालय विभिन्न अनुसन्धान संस्थाओं में तालमेल रखने के अतिरिक्त कुछ अनुसन्धान संस्थाओं का संचालन भी करता है। यह कार्य भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था तथा केन्द्रीय पदार्थ कमेटियों द्वारा किया जाता है। 1952-53 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने विभिन्न संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की सहायता से 300 नई स्कीमों का प्रारम्भ किया। इन नई स्कीमों तथा विस्तार सेवाओं पर लगभग 40 लाख रुपये व्यय किये गये। इस वर्ष उक्त योजना के अधीन बम्बई राज्य में चावल बोने का जापानी तरीका बरता गया, जिस से चावल की उपज में बहुत वृद्धि हुई। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि चावल बोने का जापानी तरीका देश के अन्य राज्यों में भी बरता जाए।

### केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थाएं

दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान शाला कृषि सम्बन्धी ऐसी महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसन्धान किया करती है, जिनका सम्बन्ध सारे भारत से है; यथा भूमि की उपजाऊ शक्ति की वृद्धि, अच्छे किस्म के बीज जो पानी की कमी, बीमारी, कीटाणुओं आदि को सह सके तथा विभिन्न भूमियों और जलवायुओं में पनप सके। 1952-53 में इस संस्था के कार्यों में वृद्धि की गई तथा भारत-अमेरिकन टेक्निकल सहयोग समझौते के अनुसार कुछ नए कार्य हाथ में लिये गये। इसी समझौते के अन्तर्गत एक केन्द्रीय अनुसन्धान शाला खोलने का विचार है, जहां पर किसान अपनी भूमियों की मिट्टी की परीक्षा करवा सके। विभिन्न भूमियों में उपजाऊ शक्ति तथा विभिन्न खाद के उपयोगों के सम्बन्ध में भी देश में 6 प्रादेशिक केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है। यह संस्था स्नातकोत्तर शिक्षा देने का काम भी करेगी।

कटक में जो केन्द्रीय चावल अनुसन्धान सस्था खोली गई है, वह चावल की बनावट, गुण, उपज, विकास, कृषि आदि के सम्बन्ध में सब तरह की वैज्ञानिक परीक्षा करती है। चावल की उपज किस तरह बढ़ाई जा सकती है तथा उसकी किस्में किस तरह अच्छी की जा सकती है, हरे खाद से क्या लाभ है, इत्यादि के सम्बन्ध में भी वहां परीक्षण होते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय चावल कमीशन द्वारा दिये गये धन से भारतीय किस्म के चावल की परीक्षा के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। इस में यह देखा जायेगा कि विभिन्न किस्म के चावलों को एक दूसरे के साथ मिला कर उनकी उपज किस तरह बढ़ाई जा सकती है।

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान सस्था आलू की किस्म अच्छी बनाने तथा उनकी उपज बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रही है। पंचवर्षीय योजना के अनुसार आलू का ऐसा बीज तलाश करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिस पर बीमारियों का प्रभाव न पड़े तथा उन्हें चाहे तो पहाड़ पर और चाहे मैदान में बोया जा सके। इस तरह के 30 लाख मन आलुओं के बीज पैदा करने का लक्ष्य है। इस योजना पर 14,50,000 रुपया खर्च आयेगा, परन्तु बाद में यह योजना आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन जायेगी।

कुल्लू का केन्द्रीय सब्जी उपज केन्द्र ऐसे बीजों की उत्पत्ति का प्रयत्न कर रहा है, जिन में उत्पादन की शक्ति तथा उपज साधारण बीजों की अपेक्षा बहुत अधिक हो।

1914 में देहरादून में जंगल अनुसन्धान सस्था की स्थापना की गई थी। यह सस्था कृषि, लकड़ी की रचना, लकड़ी की सुरक्षा, सैल्युलोस और कागज व्यवसाय तथा जंगल के अन्य उत्पादनों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य करती है। जंगल के अफसरो को भी इस संस्था में शिक्षा दी जाती है। इन वर्षों में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि यह सस्था जंगल की उपज के अधिकतम और श्रेष्ठ उपयोगों की ओर अपना ध्यान दे।

आइजटनगर की भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान सस्था की स्थापना 1890 में की गई थी। अब इस संस्था के 6 अनुसन्धान भाग तथा 4 सेना सम्बन्धी भाग हैं। पशुओं के लिये टीके की दवाइयां बनाने के अतिरिक्त यह सस्था विद्यार्थियों को शिक्षा भी देती है। अमेरिका के विशेषज्ञों की सहायता से इस सस्था द्वारा तैयार हुई दवाओं में उन्नति की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस सस्था को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा का केन्द्र स्वीकार किया है।

बंगलोर की भारतीय दुग्ध अनुसन्धान सस्था दुग्धालयों की समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के अतिरिक्त विद्यार्थियों को शिक्षा भी देती है। इस सस्था में अच्छे दर्जे की गाय और बालू उत्पन्न करने का प्रयत्न भी किया जाता है। करनाल और कोयम्बटूर में भी दो पशु केन्द्र खोले गए हैं, तथा आनन्द में एक विशेष दुग्धालय का प्रबन्ध किया गया है।

नामकुम में भारतीय लाख अनुसन्धान सस्था लाख सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य कर रही है।

### पदार्थ समितियां

भारत में विभिन्न स्थानों पर रूई, पटसन, तिलहन, गन्ना, नारियल, सुपारी और तमाखू के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये भारतीय केन्द्रीय समितियां बनाई गई हैं।

### ईई समिति

भारत में लम्बे रेशे की रूई की कमी को पूरा करने के लिये भारतीय केन्द्रीय रूई समिति की स्थापना की गई है। इसका मुख्य केन्द्र इन्दौर में है। मध्य प्रदेश की सरकार से भी इस संस्था को सहायता मिलती है। यह पर्याप्त रूई सम्बन्धी प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रही है।

### पटसन समिति

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति अनुसन्धान तथा विस्तार के सम्बन्ध में यह कार्य कर रही है :

- (1) पटसन कृषि अनुसन्धान संस्था का संचालन,
- (2) टेक्नोलौजिकल अनुसन्धान परीक्षण संस्था का संचालन,
- (3) आर्थिक अनुसन्धान विभाग, तथा
- (4) प्रकाशन विभाग का संचालन।

यह समिति कलकत्ता विश्वविद्यालय, बोस अनुसन्धान संस्था तथा कलकत्ता के प्रेजिडेंसी कालेज के सहयोग से काम कर रही है।

### तिलहन समिति

आइजटनगर में तेल सम्बन्धी अनुसन्धान जारी है, जहां घानी का तेल, खली आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान होता है।

### गन्ना समिति

1936 में कानपुर में गन्ना अनुसन्धान के बारे में एक संस्था की स्थापना हुई थी। आजकल भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति इस संस्था का संचालन कर रही है। गन्ना सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं और प्रश्नों पर अनुसन्धान करने के अतिरिक्त यह संस्था चीनी के कारखानों के लिये दक्ष कार्यकर्ता भी तैयार करती है। पिछले वर्षों में इस संस्था ने इस बात का अध्ययन किया है कि चीनी बनाने के काम में गन्धक का प्रयोग आवश्यक है या नहीं।

### नारियल समिति

कासरगोड और कायागुलम में भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के दो अनुसन्धान केन्द्र हैं। इस के अतिरिक्त तिरुवाकुर कोचीन में 3 तथा उडीसा में 1 क्षेत्रीय केन्द्र भी हैं। इन में से कासरगोड की संस्था ही प्रति वर्ष 10,000 पौधे तैयार करती है।

### सुपारी समिति

सुपारी समिति के अधीन सुपारी की उपज की वृद्धि के लिए मंसूर, तिरुवानकुर-कोचीन और दक्षिण कनारा आदि में भी केन्द्र खोले गये हैं। सुपारी सम्बन्धी अनुसन्धानों में यह समिति सहायता देती है।

इसी तरह की महत्वपूर्ण अनुसन्धान संस्थाओं में दिल्ली की फल अनुसन्धान संस्था तथा चैरकपुर, मडप्पम, और वम्बई की मछली अनुसन्धान संस्थाएँ भी हैं।

उपर्युक्त सब संस्थाओं के अतिरिक्त भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ 22 कृषि महाविद्यालय भी जारी हैं। इन में से कितने ही महाविद्यालयों में अनुसन्धान का बहुत अच्छा प्रबन्ध है।

### विस्तार

1952 में अनुसन्धान के कार्यकर्ताओं तथा किसानों में पारम्परिक दूरी को मिटाने के लिये विस्तार संगठन का प्रारम्भ किया गया था। इस विषय का अध्ययन करने के लिये कुछ व्यक्ति अमेरिका और जापान भेजे गये थे। जनवरी 1952 में फोर्ड फाउंडेशन के साथ भारत सरकार का यह समझौता हुआ कि भारत के विभिन्न राज्यों में 5 विस्तार योजना के शिक्षा केन्द्र तथा 15 गहरे विकास केन्द्र खोले जायें। प्रत्येक केन्द्र में 50 कार्यकर्ताओं को शिक्षा देने का निश्चय हुआ और यह भी निश्चय हुआ कि वे आसपास के 100 गावों में उपयोगी कार्य करेंगे। पञ्चवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत सामूहिक योजना के अनुसार इसी तरह के 25 ग्राम नग केन्द्र भी खोलने का निश्चय हुआ, जहाँ गावों के दूरों के कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा।

### तालिका 73

#### फसलों का प्रारम्भ

| फसल        | समय       |
|------------|-----------|
| खरीफ फसल   | 1 नवम्बर  |
| रबी "      | 1 मई      |
| चावल       | 1 नवम्बर  |
| गेहूँ      | 1 मई      |
| गन्ना      | 1 नवम्बर  |
| रूई        | 1 सितम्बर |
| पटसन       | 1 जुलाई   |
| खरीफ तिलहन | 1 नवम्बर  |
| रबी तिलहन  | 1 अप्रैल  |
| चाय        | 1 जनवरी   |
| कहवा       | 1 जुलाई   |

नोट—समय के प्रारम्भ से अभिप्राय है, जब फसल बाजार में आने लगती है।

## तालिका 74

## फसल समय-कैलेंडर

## मुख्य फसलें, ऋतु और समय

| फसल               | ऋतु             | समय (क)         |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| चावल (ख)          | जाड़ा . . .     | 5 ½-6 महीने     |
|                   | पतझड़ . . .     | 4-4 ½ "         |
|                   | गर्मी . . .     | 2-3 "           |
| गेहूँ . . .       | रबी . . .       | 5-5 ½ "         |
| ज्वार . . .       | खरीफ . . .      | 4 ½-5 ½ "       |
|                   | रबी . . .       | 4 ½ - 5 "       |
|                   | जाइद खरीफ . . . | 2 ½ "           |
| बाजरा . . .       | खरीफ . . .      | 4 ½ "           |
| मक्का . . .       | खरीफ . . .      | 4-4 ½ "         |
| रागी . . .        | खरीफ . . .      | 3 ½ "           |
| जौ . . .          | रबी . . .       | 5-5 ½ "         |
| चना . . .         | रबी . . .       | 6 "             |
| गन्ना . . .       | सालभर . . .     | 12-15 "         |
| तिल . . .         | खरीफ . . .      | 3 ½-4 "         |
|                   | रबी . . .       | 5 "             |
| मूँगफली . . .     | खरीफ . . .      | पहले की 4-4 ½ " |
|                   |                 | बाद की 4 ½-5 "  |
| सरसो और राई . . . | रबी . . .       | 4-5 "           |
|                   | जाइद रबी . . .  | 4 "             |
| अलसी . . .        | रबी . . .       | 5-5 ½ "         |
| अरण्डी . . .      | खरीफ . . .      | पहले की 6 "     |
|                   |                 | बाद की 8 "      |
| रूई . . .         | खरीफ . . .      | पहले की 6-7 "   |
|                   |                 | बाद की 7-8 "    |
| पटसन . . .        | खरीफ . . .      | 6-7 "           |

(क) इस से उन महीनों से तात्पर्य है जिन दिनों फसल ज़मीन पर रहती है।

(ख) चावल की ऋतुएँ विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से प्रचलित हैं

|                |                                |              |          |
|----------------|--------------------------------|--------------|----------|
| आसाम . . .     | पतझड़ अथवा 'आहु' अथवा 'ओस'     | बम्बई        | पहले की  |
|                | जाड़ा अथवा 'साली' अथवा 'बाओ'   |              | बीच की   |
|                | बसन्त अथवा 'बोरो'              |              | बाद की   |
| प० बंगाल . . . | पतझड़ अथवा 'भदोई' अथवा 'ग्रौस' | मध्यप्रदेश . | पहले की  |
|                | जाड़ा अथवा 'अमन'               |              | बाद की   |
|                | गर्मी अथवा 'बारो'              |              |          |
| बिहार . . .    | पतझड़ अथवा 'भदोई' . . .        | मद्रास .     | पहली फसल |
|                | जाड़ा अथवा 'अगहनी'             |              | दूसरी "  |
| उड़ीसा . . .   | पतझड़ अथवा 'भदोई' . . .        | उत्तरप्रदेश  | पहले की  |
|                | जाड़ा                          |              | बाद की   |





# सामूहिक कार्य क्षेत्र



## ग्यारहवां अध्याय

### सामूहिक विकास

1946 से भारत के कुछ राज्यों में ग्राम विकास सम्बन्धी परीक्षण किये जा रहे थे। उदाहरण के लिये मध्यप्रदेश के सेवाग्राम में, बम्बई के सर्वोदय केन्द्रों में, मद्रास की फिरका विकास योजना के अन्तर्गत तथा उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर जिलों में। इन कार्यों की सफलता से उत्साहित होकर ही आयोजना समीशन ने ग्राम विकास योजनाओं के कार्यक्रम को अपन पंचवर्षीय कार्यक्रम का आन्तरिक अंग बना लिया। तदनुसार, आयोजना समीशन ने सामुदायिक योजनाओं के लिये तथा आगामी 10 वर्षों में देश भर में विस्तार योजनाओं का जाल बिछा देने के लिये 90 करोड़ रुपया रखा है। गहरे विकास के लिये केवल वही स्थान चुने गये हैं, जहाँ यथेष्ट वर्षा होती है तथा जहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है।

२ अक्टूबर 1952 को भारत के विभिन्न राज्यों में इस तरह के 55 कार्य प्रारम्भ किये गये। इन में से प्रत्येक कार्य का क्षेत्र 300 गावों तक विस्तृत है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल औसतन 450 से 500 वर्ग मील है; आबादी लगभग 2 लाख है तथा कृषित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 1,50,000 एकड़। प्रत्येक कार्य का क्षेत्र 3 विकास खंडों में विभाजित किया गया है। प्रति 5 गावों के पीछे एक ग्राम सेवक रखा गया है। सामूहिक विकास योजना के कार्यक्रम में दो तरह के कार्य सम्मिलित किये गये हैं। कुछ कार्य केवल ग्राम विस्तार सम्बन्धी हैं, और कुछ कार्य मिले-जुले। इन दूसरे किस्म के कामों में छोटे और बीच के व्यवसायों का विकास तथा कस्बों का निर्माण भी सम्मिलित है।

#### उद्देश्य

सामूहिक विकास कार्यों के आधारभूत उद्देश्य निम्नलिखित हैं—(1) प्रत्येक सभव उपाय से कृषि की उपज बढ़ाना, (2) ग्रामीण इलाकों में बेकारी की समस्या को हल करना, (3) गावों के संचार साधनों को सुधारना, (4) गावों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के केन्द्रों का प्रबन्ध करना, तथा (5) मकानों में सुधार तथा देशी कारीगरी और छोटे व्यवसायों को उन्नति देना। सामूहिक विकास कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रामवासी उन में कितनी और कैसी दिलचस्पी लेते हैं। सरकार तो उन्हें इस सम्बन्ध में मार्ग ही दिखा सकती है और उन के कार्यों में यत्किंचित सहायता दे सकती है।

#### आर्थिक प्रबन्ध

प्रत्येक कार्य के क्षेत्र में यह बात आधारभूत बातों में से मानी गई है कि ग्रामवासी यथेष्ट आर्थिक सहायता देंगे तथा स्वयं कार्य भी करेंगे। इन कार्यों के लिये सरकार जो सहायता देगी, उस में केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों द्वारा दी गई अनावर्तक (नोन रिफ़रिंग) सहायता का अनुपात 3 और 1 रहेगा। व्यय सम्बन्धी आवर्तक (रिफ़रिंग) सहायता केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें बराबर बराबर देंगी। यह आशा की जाती है कि 3 वर्षों के बाद इन कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार को सहायता देने की जरूरत नहीं रहेगी। गावों में किये जाने वाले सामूहिक

कार्यों पर 3 वर्षों में लगभग 65 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे, जिन में से 6,53,000 रुपये डालर व्यय के रूप में होंगे। सामूहिक विकास के प्रत्येक शहरी कार्यक्रम पर 3 वर्षों में 1,11,00,000 रुपये व्यय किये जायेंगे, जिसमें से 45,00,000 रुपये डालर व्यय के रूप में होंगे।

### राष्ट्रीय विस्तार सेवा

2 अक्टूबर 1953 को, अर्थात् महात्मा गांधी के चौरासीवें जन्म दिन, भारत में मुख्यतः ग्रामों की उन्नति के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना का प्रारम्भ किया गया। पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में, आशा है कि, भारत का एक चौथाई काम इस योजना के अन्तर्गत आ जायेगा तथा 10 वर्षों में भारत भर के गांवों में इस योजना के अनुसार कार्य होने लगेगा। सामूहिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का आधारभूत उद्देश्य एक ही है, इसलिये अब केन्द्र में तथा राज्यों में इन में परस्पर समन्वय कर दिया गया है। इन विस्तार सेवाओं का उद्देश्य यह है कि गांवों के किसान वर्तमान वैज्ञानिक ढंग से खेती करने लगे तथा सब क्षेत्रों (मानसिक, सामाजिक, आर्थिक आदि) में उनका दृष्टि-कोण विशाल बन जाये।

विस्तार कार्यक्रम तथा सामूहिक विकास कार्यक्रम अब एक साथ चलाये जायेंगे, केवल इस अन्तर के साथ कि सामूहिक कार्यक्रमों का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होगा तथा उन पर अधिक रुपये व्यय किये जायेंगे। 1956 तक देश में 1,200 विकास खंड बन जायेंगे, जिनमें से प्रत्येक में 100 गांव होंगे, जिन की औसतन आबादी लगभग 66,000 होगी। इस तरह देश के ग्रामीण भाग का एक चौथाई भाग इस योजना के अन्तर्गत आ जायेगा। इन 1,200 खंडों में से 300 खंडों में सामूहिक विकास कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। शेष 900 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ इस प्रकार प्रारम्भ की जायेंगी। 1953-54 में लगभग 180, 1954-55 में 270 तथा 1955-56 में 450। इनमें से 500 खंडों में सामूहिक योजनाओं के ढंग पर गहरे विकास का कार्य किया जायेगा। इस तरह देश की लगभग 4,62,00,000 आबादी सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत आ जायेगी। राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के लिये क्षेत्रों का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि किस स्थान पर कितने आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं तथा वहां के लोगों में योजना के लिये कितना उत्साह है। व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के लिये प्रत्येक खंड में एक सब-डिवीजनल अफसर या सब-कलक्टर रखा जायेगा।

### वित्तीय प्रबन्ध

पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार इस कार्य पर कुल मिला कर 101 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा। इसमें से अनावर्तक व्यय का 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार देगी तथा आवर्तक व्यय का 50 प्रतिशत। शेष व्यय राज्यों की सरकारें करेगी। इस योजना के कार्यकर्ताओं पर जो व्यय आयगा, उसका 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार देगी। योजना पूरी हो जाने के बाद भी यह कार्यकर्ता काम करते रहेंगे। इस तरह इस कार्य द्वारा 85,000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा, जिनमें अधिकांश टेक्निशियन तथा शिक्षित कार्यकर्ता होंगे।

## कार्यकर्ताओं को शिक्षा

विस्तार योजना के कार्यक्रम की सफलता काफी अंशों तक योजना के कार्यकर्ताओं की योग्यता पर निर्भर करती है। इस कारण ग्रामसेवकों को शिक्षा देने के लिये देश के विभिन्न भागों में 35 शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। इनके अतिरिक्त अगस्त 1953 में अलाहाबाद, गांधीधाम, हैदराबाद, नीलोखेड़ी तथा शान्तिनिकेतन में सामाजिक सेवा के कार्यकर्ताओं के लिये 5 शिक्षा-केन्द्र खोले गये हैं। राज्यों की सरकारों द्वारा चुने हुए व्यक्ति इन शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा के लिये भेजे जाते हैं। शिक्षा की समाप्ति के बाद ये कार्यकर्ता अपने राज्यों में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सरकार का शिक्षा मन्त्रालय भी इस सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं को शिक्षा देने का यथासम्भव प्रबन्ध करता रहता है। इस योजना का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि लोग इन कार्यों में स्वयं मेहनत करे और व्यावसायिक कार्यों के लिये आवश्यक रुपये भी स्वयं दें। यह काम तभी संभव है, जबकि लोग मिलजुल कर मेहनत करे और मिलजुल कर सामूहिक हितकर कार्यों के लिये रुपये लगायें। इसके लिये जनता का दृष्टिकोण बदलने की भी आवश्यकता होगी। सामुदायिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार योजना द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता का दृष्टिकोण बदलना तथा उन्हें ग्रामों के सर्वतोमुखी विकास में अधिकतम सहायता देना है।

## संगठन

एक विकास कार्यक्रमों के सञ्चालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्यों की सरकारों पर है। प्रायः प्रत्येक राज्य में इन कार्यों के लिये एक प्रमुख अधिकारी मन्त्रा नियुक्त की गई है। इस मन्त्रा को राज्य विकास समिति कहते हैं। उसमें राज्य के मुख्य मंत्री, विकास मंत्री तथा कुछ गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। यह समिति नीति सम्बन्धी बातों का निर्णय करती है। राज्य का विकास कमिश्नर इस समिति का मंत्री होता है, वही राज्य के विकास विभाग तथा इस योजना के कार्यों में तालमेल पैदा करता है। यह कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि विकास कमिश्नर को राज्य के सचिव का ओहदा दिया गया है, तथा उसे यथेष्ट अधिकार प्राप्त है।

जिले की विकास समिति का अध्यक्ष कलेक्टर होता है, और जिला विकास अफसर इस समिति का मंत्री होता है। जिले में विकास सम्बन्धी कार्य करने वाले सभी विभागों के मुखिया और जिला बोर्ड का चैयरमैन तथा वाइस चैयरमैन इस समिति के सदस्य होते हैं।

सब-डिवीजन में यह कार्य करने के लिये एक विस्तार अधिकारी नियुक्त किया गया है। आवश्यकतानुसार इस ढाँचे में यथेष्ट परिवर्तन करने का अधिकार भी राज्य के अधिकारियों को प्राप्त है।

योजना में ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये भारत सेवाक समाज नामक एक राजनीति रहित स्वयंसेवक संगठन कार्य कर रहा है।

## तालिका 75

## सांख्यिक योजनाए

## गांव, जनसंख्या और क्षेत्र

| राज्य                   | कार्य का नाम                                     | गावों की संख्या | जनसंख्या (हजारों में) | क्षेत्र (वर्ग-मील) |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| <b>भाग 'क' के राज्य</b> |                                                  |                 |                       |                    |
| 1. आन्ध्रप्रदेश         | 1. कच्छाड (मॉनई-गिलचंग) आदि                      | 508             | 313                   | 513                |
|                         | 2. दमग (मौजा डकुवा)                              | 413             | 101                   | 424                |
|                         | 3. गारो पहाड़िया (ग्वालपाडा क्षेत्र)             | 72              | 20                    | 50                 |
|                         | 4. गोलाघाट-मिकिर पहाड़ी क्षेत्र                  | 95              | 36                    | .                  |
| 2. बिहार                | 1. पूसा-ममस्तीपुर-वेगुसराय क्षेत्र               | 612             | 516.5                 | 450                |
|                         | 2. देहरी-भबुआ-मोहनिया क्षेत्र                    | 538             | 196                   | 450                |
|                         | 3. ओरमाओ-राची मडी क्षेत्र                        | 343             | 207                   | 450                |
|                         | 4. जहानाबाद-एकगुसराय बिहार-बडबीघा क्षेत्र        | 600             | 460                   | 500                |
|                         | 5. सथाल परगना रानेश्वर खड                        | 160             | 37                    | 100                |
| 3. बम्बई                | 1. महाराष्ट्र जिला (बीजापुर-कलोल-तहसीले)         | 204             | 442                   | 627                |
|                         | 2. कोल्हापुर जिला (करनीर पनहाला तहसीले)          | 209             | 363                   | 477                |
|                         | 3. थाना कोलाबा जिला (कल्याण करजट खालापुर तहसीले) | 520             | 468                   | 550                |
|                         | 4. बेलगाव जिला (हुक्करी-गोकक तहसीले)             | 209             | 377                   | 965                |
|                         | 5. साबरकण्ठा जिला                                | 120             | 69.4                  | .                  |
| 4. मध्य प्रदेश          | 1. चावल क्षेत्र (रायपुर धामतरी)                  | 302             | 106.9                 | 500                |
|                         | 2. गेहूँ क्षेत्र (होशंगाबाद सोहागपुर)            | 293             | 175                   | 600                |
|                         | 3. ज्वार क्षेत्र (अमरावती-मोरसी-दरियापुर)        | 270             | 221                   | 525                |
|                         | 4. बस्तर जिला                                    | ..              | ..                    | ..                 |
| 5. मद्रास               | 1. करनूल-कुड्डाह नहर क्षेत्र                     | 179             | 595.8                 | 851                |
|                         | 2. कोयम्बटूर (गोत्री ऐरोद-भवानी धारपुरम तहसील)   | 188             | 551                   | 323                |
|                         | 3. मालाबार (पालघाट)                              | 123             | 586                   | 496                |
|                         | 4. पूर्वी गोदावरी (काकिनाडा-पेड्डु-पुरम)         | 242             | 758                   | 561                |
|                         | 5. दक्षिण कनारा (कराईकाल-मंगलोर)                 | 442             | 622                   | 745                |
|                         | 6. मदुराई (नीलकोट्टाई-मैलूर-मदुराई)              | 279             | 327.8                 | 943                |

| राज्य                   | कार्य का नाम                                          | गावों की<br>संख्या | जनसंख्या<br>(हजारों में) | क्षेत्र<br>(वर्ग-मील) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 6. उड़ीसा               | 1. भद्रक . . . . .                                    | 553                | 173.6                    | 460                   |
|                         | 2. कलहन्दी जिला (धर्मगढ़ सबडिवीजन)                    | 338                | 171.6                    | 637                   |
|                         | 3. गजाम जिला (धुमसर तहसील)                            | 307                | 140                      | 493                   |
| 7. पंजाब                | 1. गुरदासपुर जिला (बटाला तहसील)                       | 495                | 339                      | 472                   |
|                         | 2. अम्बाला जिला (जगाधरी तहसील)                        | 384                | 208                      | 488                   |
|                         | 3. जालंधर जिला (नवानगहर तहसील)                        | 292                | 222.3                    | 299                   |
|                         | 4. सोनीपत तहसील . . . . .                             | 241                | 253.5                    | ..                    |
|                         | 5. फरीदाबाद . . . . .                                 | ..                 | 23 15                    | ..                    |
|                         | 6. नीलोखेड़ी . . . . .                                | 123                | ..                       | ..                    |
| 8. उत्तर प्रदेश         | 1. गोरखपुर जिला (महाराजगंज<br>सदर तहसील)              | 257                | 166                      | 155                   |
|                         | 2. आजमगढ़ जिला (घोसी-मुहम्मदा-<br>बाद गोहाना तहसील)   | 386                | 206.9                    | 178                   |
|                         | 3. फैजाबाद जिला (बीकापुर तहसील)                       | 177                | 126                      | 177                   |
|                         | 4. मैनपुरी तहसील . . . . .                            | 177                | 159                      | 180                   |
|                         | 5. झांसी जिला (गरौठा-मौरानीपुर<br>तहसील)              | 339                | 200                      | 1,000                 |
|                         | 6. अलमोड़ा तहसील . . . . .                            | 756                | 107                      | 700                   |
| 9. पश्चिम बंगाल         | 1. झाड़ग्राम जिला . . . . .                           | 295                | 30.7                     | 50                    |
|                         | 2. शक्तिगर . . . . .                                  | 127                | 66                       | 101                   |
|                         | 3. गुस्कारा . . . . .                                 | 110                | 74                       | 50                    |
|                         | 4. नलहटी . . . . .                                    | 82                 | 61.6                     | 50                    |
|                         | 5. मुहम्मद बाजार . . . . .                            | 125                | 33.8                     | 50                    |
|                         | 6. अहमदपुर . . . . .                                  | 104                | 32                       | 50                    |
|                         | 7. फूलिया . . . . .                                   | 96                 | 49.3                     | 82                    |
|                         | 8. बरुईपुर . . . . .                                  | 100                | 78.6                     | 50                    |
| <b>भाग 'ख' के राज्य</b> |                                                       |                    |                          |                       |
| 10. हैदराबाद            | 1. निजामसागर . . . . .                                | ..                 |                          |                       |
|                         | 2. रायचूर जिला (कोप्पाल-गंगावती<br>सिधनूर) . . . . .  | 63                 | 80                       | 460                   |
|                         | 3. वारंगल जिला . . . . .                              | ..                 | ..                       | ..                    |
| 11. मध्य भारत           | 1. गिर्दे जिला (घाटीगांव-पिछौर तहसील)                 | 247                | 97.2                     | 453                   |
|                         | 2. निमाड़ जिला (राजपुर कसरावर्द<br>तहसील) . . . . .   | 307                | 153                      | 690                   |
| 12. मैसूर               | 1. शिमोगा जिला (शिकारीपुर-सोराब<br>क्षेत्र) . . . . . | 480                | 130                      | 795                   |

| राज्य                          | योजना का नाम                                                          | गांवों की संख्या | जनसंख्या (हज़ारों में) | क्षेत्र (वर्ग-मील) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 13. पंजाब                      | 1. धुरी तहसील                                                         | 107              | 111                    | 276                |
| 14. राजस्थान                   | 1. बीकानेर (गगानगर जिला राय-सिंह नगर और अनूपगढ़ तहसील)                | 58               | 83                     | 340                |
|                                | 2. सवाई माधोपुर जिला (हिन्दुआ तहसील)                                  | 103              | 79.8                   | 176                |
|                                | 3. अलवर (अलवर जिला)                                                   | 100              | ..                     | ..                 |
|                                | 4. कोटा (कोटा जिला बारन तहसील)                                        | 103              | 62.5                   | 239                |
|                                | 5. जोधपुर-पाली जिला (जोधपुर)                                          | ..               | ..                     | ..                 |
|                                | 6. उदयपुर । उदयपुर जिला (राज-समन्द और रेलमगडा तहसील)                  | 100              | 68.6                   | 190                |
|                                | 7. भील क्षेत्र डूंगरपुर जिला (अनुसूचित आदिमजातिया)                    | ..               | ..                     | ..                 |
| 15. सौराष्ट्र                  | 1. सोरठ जिला (मानवदार-वनधली तहसील)                                    | 106              | 144                    | 378                |
| 16. तिरुवाकुर-कोचीन            | 1. कुन्नतनाड चलाकुदी-क्षेत्र (त्रिचूर जिला)                           | 229              | ..                     | 458                |
|                                | 2. कैयाटिनकरा-विलावनकोड-क्षेत्र (त्रिवेन्द्रम जिला)                   | 334              | 656                    | 399                |
| <b>भाग 'ग' के राज्य</b>        |                                                                       |                  |                        |                    |
| 17. अजमेर                      | 1. अजमेर सबडिवीजन                                                     | 106              | 116.8                  | 441                |
| 18. बिलामपुर                   | 1. सदर तहसील                                                          | 342              | 40                     | 154                |
| 19. भापाल                      | 1. सिहोरे और गयमेन जिले (गोहर-गज हुमूर-सिहोरे-डच्छवार तहसील)          | 354              | 247                    | 671                |
| 20. कुर्ग                      | 1. शनिवारमन्थे हुबली-सोमवारपेट नाड फ्रेजर पेट, हुबली नोटिफाइड क्षेत्र | 105              | 229                    | ..                 |
| 21. दिल्ली                     | 1. अलिपुर क्षेत्र                                                     | 100              | 360                    | 574                |
| 22. हिमाचल प्रदेश              | 1. मिरमूर-पौण्डा तहसीले                                               | 121              | 30                     | 68                 |
|                                | 2. मडी-सदर-सर्वाघाट-चचिओट-सुन्दरनगर                                   | 626              | 69                     | 168                |
|                                | 3. महाशिव जिला (कुनिहार)                                              | 108              | 14                     | ..                 |
| 23. कच्छ                       | 1. नखतराना-भुज तहसील                                                  | 118              | 85                     | 540                |
| 24. मणिपुर                     | 1. थोबल तहसील                                                         | 127              | 77                     | 200                |
| 25. त्रिपुरा                   | 1. नूतनहवेली और पुराना अग्रस्ताला                                     | 270              | 48                     | 166                |
| 26. विन्ध्य प्रदेश             | 1. अमरपटन तहसील                                                       | 108              | ..                     | 216                |
| 27. उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश | 1. अबोर जिला पासीघाट                                                  | 37               | 13.5                   | ..                 |

## तालिका 76

## विकास व्यय

(करोड़ रुपये में)

|                                                                                                                                                         | व्यय  | केन्द्र वा<br>अंश | राज्यो का<br>अंश | अल्पका-<br>लीन ऋण |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 900 राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास क्षेत्रों का व्यय                                                                                                    | 38 3  | 16 6              | 6.4              | 15 3              |
| 2 शिक्षण योजनाओं आदि के लिए व्यवस्था                                                                                                                    | (क)   | 5                 | (क)              | ..                |
| 3 टेक्निकल कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम सं० 8 (डालर व्यय सहित) के अन्तर्गत 55 वर्तमान सामूहिक विकास योजनाओं और 55 अतिरिक्त विकास क्षेत्रों का व्यय | 46 7  | 37 9              | 8.8              | ..                |
| 4 सामूहिक विकास कार्यक्रम के अनुसार 400 गहरे विकास क्षेत्रों का व्यय                                                                                    | 16 6  | 13 8              | 2 8              | ..                |
| योजना के समय में कुल व्यय                                                                                                                               | 101 6 | 73 3              | 18 0             | 15 3              |
| योजना के समय के बाद का व्यय (29 2+25 4)                                                                                                                 | 54 6  | 33 9              | 9 0              | 11 7              |
| कार्यक्रम का कुल व्यय                                                                                                                                   | 156 2 | 107 2             | 27 0             | 27 0              |

(क) व्यय घटाने का प्रश्न विचारार्थ है, पर यह मान लिया गया है कि केन्द्र का अंश 5 करोड़ रुपये होगा ।

## तालिका 77

## वे साधन जो 1951-56 में प्राप्त हो सकेंगे

(करोड़ रुपये में)

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 आयोजना में सामूहिक विभाग योजनाओं के लिये निर्धारित                                                 | 90  |
| 2 कृषि क लिये मध्यम और दीर्घकालीन ऋण (आयोजना में 'कृषि' के अन्तर्गत निर्धारित 10 करोड़ रुपये का आधा) | 5   |
| 3 शिक्षा .<br>(सामाजिक और बुनियादी शिक्षा के लिये निर्धारित कुल 20 करोड़ रुपये का 1/3)               | 7   |
| 4 आयोजना में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिये निर्धारित                                                | 3   |
| 5 पशुपालन और आदर्श ग्राम योजनाएं (आयोजना में निर्धारित 4.1 करोड़ रुपये का 1/4)                       | 1   |
| योग                                                                                                  | 106 |

नोट:-- ये साधन उन साधनों के अलावा होंगे जो राज्य सरकारों को अधिक अन्न उपजाओ योजना छोटी सिंचाई योजनाओं; शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होंगे और जो राज्य सरकारों की पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित हैं ।



## बारहवां अध्याय

### विद्युत शक्ति तथा सिंचाई

#### शक्ति

भारत में पानी से निकलने वाली बिजली का पहला कारखाना 1897-98 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। 1925 तक पानी से निकलने वाली बिजली कुल मिला कर 1,62,341 किलोवाट थी। 10 वर्षों के बाद अर्थात् 1935 में यह मात्रा 9,00,402 किलोवाट हो गई। 1945 से लेकर 1951 तक पानी से निकलने वाली बिजली का जो विकास हुआ, वह निम्न-लिखित तालिका में दिखाया गया है। इस तालिका में 1939 को आधार वर्ष मान कर 100 के बराबर दिखाया गया है।

तालिका 78  
बिजली की प्रगति के सूचक अंक

| मद                                   | 1939 | 1945  | 1951  |
|--------------------------------------|------|-------|-------|
| <b>स्थापित विद्युत क्षमता</b>        |      |       |       |
| स्टीम प्लान्ट (भाफ का कारखाना)       | 100  | 126.2 | 203.0 |
| आयल प्लान्ट (तेल का कारखाना)         | 100  | 106.9 | 187.4 |
| हाइड्रो प्लान्ट (जल विद्युत , , )    | 100  | 107.3 | 130.1 |
| योग                                  | 100  | 116.8 | 171.6 |
| <b>विद्युत उत्पादन</b>               |      |       |       |
| स्टीम प्लान्ट                        | 100  | 170.1 | 267.8 |
| आयल प्लान्ट                          | 100  | 126.9 | 226.4 |
| हाइड्रो प्लान्ट                      | 100  | 160.9 | 218.7 |
| योग                                  | 100  | 163.5 | 239.9 |
| कोयले की खपत                         | 100  | 164.4 | 262.7 |
| जलाने के तेल की खपत                  | 100  | 121.1 | 201.1 |
| औसतन अधिक से अधिक मांग               | 100  | 146.2 | 209.3 |
| <b>जिन कार्यों को बिजली बँची गई</b>  |      |       |       |
| घरेलू अथवा निवास सम्बन्धी            | 100  | 159.2 | 363.5 |
| कमर्शियल और छोटे इजिन                | 100  | 212.4 | 378.0 |
| औद्योगिक                             | 100  | 174.0 | 225.5 |
| ट्रक्शन                              | 100  | 125.2 | 153.4 |
| सिंचाई                               | 100  | 145.2 | 315.5 |
| सड़को तथा सार्वजनिक स्थानों की रोशनी | 100  | 71.1  | 145.7 |
| वाटर वर्क्स                          | 100  | 152.6 | 236.2 |
| योग                                  | 100  | 164.4 | 265.6 |

क्लिवाट से 6,12,00,00,000 किलोवाट हो गई। अर्थात् 5 वर्ष पहले की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक। इसी समय प्र भाप की शक्ति का क्षमता 54 5 प्रतिशत बढ़ गई। इस वृद्धि का परिचय निम्नलिखित तालिका में मिलेगा। —

| वर्ष    | प्रतिशत |
|---------|---------|
| 1954-55 | 54      |
| 1955-56 | 55      |
| 1956-57 | 56      |
| 1957-58 | 57      |
| 1958-59 | 58      |
| 1959-60 | 59      |
| 1960-61 | 60      |
| 1961-62 | 61      |
| 1962-63 | 62      |
| 1963-64 | 63      |
| 1964-65 | 64      |
| 1965-66 | 65      |
| 1966-67 | 66      |
| 1967-68 | 67      |
| 1968-69 | 68      |
| 1969-70 | 69      |
| 1970-71 | 70      |
| 1971-72 | 71      |
| 1972-73 | 72      |
| 1973-74 | 73      |
| 1974-75 | 74      |
| 1975-76 | 75      |
| 1976-77 | 76      |
| 1977-78 | 77      |
| 1978-79 | 78      |
| 1979-80 | 79      |
| 1980-81 | 80      |
| 1981-82 | 81      |
| 1982-83 | 82      |
| 1983-84 | 83      |
| 1984-85 | 84      |
| 1985-86 | 85      |
| 1986-87 | 86      |
| 1987-88 | 87      |
| 1988-89 | 88      |
| 1989-90 | 89      |
| 1990-91 | 90      |
| 1991-92 | 91      |
| 1992-93 | 92      |
| 1993-94 | 93      |
| 1994-95 | 94      |
| 1995-96 | 95      |
| 1996-97 | 96      |
| 1997-98 | 97      |
| 1998-99 | 98      |
| 1999-00 | 99      |
| 2000-01 | 100     |

## बिजली की प्रगति 1939-51

| वर्ष | विजली के यंत्रों की स्थापित विद्युत क्षमता |          |          |           |           |                        |                             |                                                     |                        |         |      |
|------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------|------|
|      | स्टोम                                      |          | डीजल     | हाइड्रो   | योग       | कुल विजली<br>(किलोवाट) | उत्पादित विजली<br>(किलोवाट) | उत्पादित विजली<br>क्षमता क्षमता की<br>प्रति किलोवाट | कुल विजली<br>(किलोवाट) | प्रतिशत |      |
|      | 2                                          | 3        | 4        | 5         |           |                        |                             |                                                     |                        |         |      |
| I    | किलोवाट                                    | किलोवाट  | किलोवाट  | किलोवाट   | किलोवाट   | 6                      | 7                           | 8                                                   | 9                      | 10      | 11   |
| 1939 | 5,40,760                                   | 86,790   | 4,42,169 | 10,69,719 | 5,75,810  | 24,424                 | 15                          | 2,283                                               | 20,346                 | 36      | 53.8 |
| 1940 | 5,71,250                                   | 89,691   | 4,59,369 | 11,20,310 | 6,28,630  | 27,020                 | 56                          | 2,412                                               | 22,499                 | 71      | 56.1 |
| 1941 | 5,97,900                                   | 90,845   | 4,59,369 | 11,48,114 | 6,64,270  | 31,208                 | 17                          | 2,718                                               | 26,634                 | 15      | 57.8 |
| 1942 | 5,82,028                                   | 89,542   | 4,59,369 | 11,30,939 | 6,95,802  | 31,601                 | 87                          | 2,794                                               | 26,626                 | 28      | 61.5 |
| 1943 | 6,34,580                                   | 89,337   | 4,58,129 | 11,82,046 | 7,12,525  | 34,451                 | 95                          | 2,933                                               | 28,997                 | 16      | 60.3 |
| 1944 | 6,51,235                                   | 90,171   | 4,69,419 | 12,10,825 | 7,87,848  | 37,198                 | 41                          | 3,072                                               | 31,314                 | 15      | 65.1 |
| 1945 | 6,82,220                                   | 92,815   | 4,74,419 | 12,49,454 | 8,41,682  | 39,928                 | 43                          | 3,196                                               | 33,448                 | 03      | 67.4 |
| 1946 | 7,25,185                                   | 91,920   | 4,84,419 | 13,01,524 | 8,19,182  | 38,922                 | 76                          | 2,991                                               | 32,578                 | 02      | 62.9 |
| 1947 | 7,57,457                                   | 97,679   | 5,08,129 | 13,63,265 | 8,82,853  | 40,733                 | 18                          | 2,988                                               | 33,567                 | 94      | 64.8 |
| 1948 | 7,88,393                                   | 1,07,019 | 5,15,554 | 14,10,966 | 9,65,780  | 45,754                 | 66                          | 3,243                                               | 37,214                 | 64      | 68.4 |
| 1949 | 8,52,639                                   | 1,25,468 | 5,59,079 | 15,37,186 | 10,08,000 | 49,092                 | 89                          | 3,194                                               | 40,047                 | 16      | 65.6 |
| 1950 | 10,04,434                                  | 1,48,796 | 5,59,285 | 17,12,515 | 10,98,014 | 51,067                 | 00                          | 2,981                                               | 41,566                 | 57      | 64.1 |
| 1951 | 10,97,567                                  | 1,62,680 | 5,75,179 | 18,35,426 | 12,05,194 | 58,584                 | 03                          | 3,192                                               | 47,933                 | 44      | 65.7 |

सार्वजनिक उपयोग के बिजली उत्पादक केन्द्र

| केन्द्रमध्या                    | स्थापित विद्युत क्षमता | अधिकतम माग |          | उत्पादित बिजली | वै. बि. गै. कु. बि.जली | औद्योगिक<br>उद्योगों की क्षमता | महोती<br>उद्योगों की क्षमता |           |           |          |        |
|---------------------------------|------------------------|------------|----------|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
|                                 |                        | (कि.वाट)   | (कि.वाट) |                |                        |                                |                             |           |           |          |        |
| 1947-1953<br>(अ.)               | 1947-1953<br>(अ.)      | 1946       | 1952     | 1946           | 1952                   | 1946                           | 1952                        |           |           |          |        |
| आसाम                            | 8 9                    | 2 708      | 3 525    | 1 678          | 2 690                  | 43 80                          | 73 50                       | 33 64     | 62 54     | 2 096    | 2 154  |
| बिहार                           | 17 22                  | 31 822     | 48 542   | 19 193         | 27 529                 | 818 31                         | 1 233 85                    | 736 89    | 1 333 76  | 3 092 13 | 10 596 |
| बम्बई                           | 95 124                 | 3 40 445   | 4 96 506 | 2 60 395       | 3 75 253               | 13 218 27                      | 17 936 17                   | 11 214 51 | 15 475 37 | 81 478   | 5 516  |
| मद्रास                          | 26 30                  | 1 53 067   | 2 11 913 | 1 00 500       | 1 84 271               | 4 041 10                       | 7 988 87                    | 3 244 35  | 6 185 94  | 13 115   | 1 396  |
| मध्य प्रदेश                     | 27 34                  | 24 393     | 58 108   | 11 607         | 30 029                 | 403 63                         | 1 192 61                    | 336 89    | 783 40    | 26 604   | 128    |
| उड़ीसा                          | 6 20                   | 1 570      | 8 180    | 851            | 5 144                  | 24 56                          | 82 63                       | 19 83     | 60 26     | 13 933   | 36     |
| पंजाब                           | 23 29                  | 55 989     | 72 006   | 33 545         | 44 630                 | 1 581 52                       | 1 952 23                    | 1 296 37  | 1 025 92  | 6 586    | 568    |
| उत्तर प्रदेश                    | 28 46                  | 1 68 130   | 2 11 823 | 90 064         | 1 25 373               | 1 290 36                       | 6 037 95                    | 3 514 70  | 4 849 08  | 27 648   | 9 175  |
| प० बंगाल<br>जम्मू और<br>काश्मीर | 15 26                  | 3 55 115   | 5 46 378 | 1 88 820       | 2 84 974               | 8 377 43                       | 12 896 11                   | 7 275 18  | 11 460 24 | 1 56 150 | 13 110 |
| हैदराबाद                        | 3 6                    | 4 270      | 6 479    | 3 961          | 4 228                  | 229 67                         | 267 15                      | 157 18    | 171 64    | ---      | ---    |
| मध्य भारत                       | 7 10                   | 20 551     | 26 800   | 7 916          | 11 771                 | 315 79                         | 555 47                      | 280 70    | 408 86    | 28 669   | ---    |
| पेप्सू                          | 6 10                   | 8 474      | 14 995   | 4 840          | 8 100                  | 207 27                         | 315 74                      | 150 88    | 258 05    | 12 702   | 15     |
| राजस्थान                        | 16 30                  | 3 313      | 6 896    | 1 396          | 2 244                  | 49 71                          | 67 60                       | 35 58     | 131 35    | 9 235    | 85     |
| सौराष्ट्र                       | 17 33                  | 12 543     | 30 897   | 7 182          | 14 628                 | 318 02                         | 631 45                      | 232 65    | 475 91    | 15 943   | 198    |
|                                 |                        | 8 883      | 25 550   | 4 583          | 12 667                 | 185 25                         | 438 52                      | 157 80    | 361 91    | 3 324    | 82     |
| त्रावणकोर-<br>कोचीन             | 6 7                    | 19 866     | 42 186   | 12 132         | 33 423                 | 797 40                         | 1 855 81                    | 726 98    | 1 504 69  | 1 014    | ---    |
| मैसूर                           | 2 3                    | 59 200     | 1 79 200 | 56 500         | 1 09 200               | 3 047 79                       | 5 989 59                    | 2 387 65  | 4 138 60  | 2 980    | ---    |
| दिल्ली                          | 3 5                    | 29 285     | 62 613   | 19 681         | 30 030                 | 902 41                         | 1 516 07                    | 768 41    | 1 232 35  | 10 804   | ---    |
| अन्य                            | 15 22                  | 4 267      | 9 158    | 2 453          | 4 521                  | 95 19                          | 172 15                      | 74 19     | 136 95    | 5 067    | 2 150  |

(क) वैसी स्थिति 1 जनवरी को थी।

## तालिका 81

## बिजली का विकास (1952)

| राज्य                                      | स्थापित विद्युत क्षमता (किलोवाट) |                                 | उत्पादित बिजली (किलोवाट घंटे)   |                | प्रति व्यक्ति के पीछे बिजली की वार्षिक खपत (किलोवाट घंटे) |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                            | योग                              | प्रति 1,000 की जनसंख्या के पीछे | प्रति वर्ग मील                  | प्रति वर्ग मील |                                                           |
|                                            |                                  |                                 | प्रति 1,000 की जनसंख्या के पीछे | प्रति वर्ग मील |                                                           |
| आसाम                                       | 3,525                            | 0.367                           | 0.041                           | 73.50          | 86                                                        |
| पश्चिमी बंगाल                              | 5,46,378                         | 22.022                          | 17.752                          | 12,896.11      | 41,899                                                    |
| बिहार                                      | 48,542                           | 1.207                           | 0.690                           | 1,233.86       | 1,754                                                     |
| केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र (क) दिल्ली | 4,96,506                         | 13.809                          | 4.456                           | 17,936.17      | 16,096                                                    |
| (ख) अन्य                                   | 62,613                           | 35.902                          | 108.327                         | 1,516.07       | 2,62,296                                                  |
| हदराबाद                                    | 9,158                            | 1.091                           | 0.113                           | 172.15         | 213                                                       |
| जम्मू और कश्मीर                            | 26,800                           | 1.437                           | 0.326                           | 555.47         | 676                                                       |
| मध्य भारत                                  | 6,479                            | 1.469                           | 0.070                           | 267.15         | 288                                                       |
| मध्य प्रदेश                                | 14,995                           | 1.885                           | 0.323                           | 315.74         | 679                                                       |
| मद्रास                                     | 58,108                           | 2.735                           | 0.446                           | 1,192.61       | 915                                                       |
| मैसूर                                      | 2,11,913                         | 3.717                           | 1.658                           | 7,988.87       | 6,252                                                     |
| उड़ीसा                                     | 1,79,200                         | 19.747                          | 6.077                           | 5,989.59       | 20,311                                                    |
| पेप्सू                                     | 8,180                            | 0.559                           | 0.136                           | 82.63          | 137                                                       |
| पंजाब                                      | 6,896                            | 2.884                           | 0.684                           | 67.60          | 671                                                       |
| राजस्थान                                   | 72,006                           | 5.696                           | 1.926                           | 1,952.23       | 5,223                                                     |
| सौराष्ट्र                                  | 30,897                           | 2.021                           | 0.237                           | 631.45         | 485                                                       |
| त्रावनकोर-कोचीन                            | 25,550                           | 6.176                           | 1.191                           | 438.52         | 2,044                                                     |
| उत्तर प्रदेश                               | 42,186                           | 4.546                           | 4.614                           | 1,855.81       | 20,295                                                    |
| योग                                        | 2,11,823                         | 3.351                           | 1.868                           | 6,037.95       | 5,324                                                     |
|                                            | 20,61,755                        | 5.699                           | 1.624                           | 61,203.47      | ओसत 4,821                                                 |
|                                            |                                  |                                 |                                 |                | 13.83                                                     |

### राज्यों के हिसाब से विभाजन

प्रारम्भ में बिजली का प्रयोग केवल भारतीय नगरों को प्रकाश देने के कार्य में किया जाता था । तब व्यवसाय और कृषि में बिजली का प्रयोग नहीं किया गया था । धीरे धीरे व्यवसाय में बिजली का प्रयोग प्रारम्भ हुआ और क्रमशः स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि देश में कुल उत्पादित बिजली का 64 प्रतिशत भाग व्यवसाय पर व्यय होने लगा । इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में बहुत बड़ा भेद पाया जाता है । राज्यों के हिसाब से प्रति व्यक्ति सब से ज्यादा बिजली का व्यय दिल्ली में होता है । इसके बाद पश्चिमी बंगाल में और तदनन्तर मैसूर और बम्बई में । भारत में 1952 में बिजली का औसत प्रति व्यक्ति व्यय 13.83 किलोवाट था, जबकि 1940 में यह औसत 7.1 किलोवाट था ।

### स्वामित्व

1925 तक बिजली कम्पनियाँ प्रायः व्यक्तिगत संगठनों के हाथ में थी । इन कम्पनियों को बिजली का लायसेंस दिया जाता था । उसके बाद कुछ राज्यों ने बिजली विकास सम्बन्धी कार्य अपने हाथों में ले लिया । 1952 तक व्यक्तिगत कम्पनियाँ 52 प्रतिशत बिजली निकाल रही थी । विस्तृत सख्याएँ निम्नलिखित तालिका में देखिए —

तालिका 82

| स्वामित्व          | संस्थाओं की संख्या | स्थापित विद्युत क्षमता (किलोवाट) |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| सरकारी             | 190                | 8,57,545                         |
| म्युनिसिपलिटियाँ   | 14                 | 25,191                           |
| प्राइवेट कम्पनियाँ | 220                | 11,79,019                        |
| योग                | 424                | 20,61,755                        |

1952 में विभिन्न व्यवसायों, रेलवे, विभिन्न सरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तिगत कम्पनियों के अधीन बिजली उत्पन्न करने वाले कारखानों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है —

तालिका 83

| उद्योग                               | चालू बिजली केन्द्रों की संख्या | स्थापित विद्युत क्षमता (किलोवाट) |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| लोहा तथा इस्पात ( रोलिंग मिल्स सहित) | 7                              | 1,79,665                         |
| वस्त्र :                             |                                |                                  |
| (क) सूती                             | 144                            | 91,102                           |
| (ख) ऊनी                              | 5                              | 3,833                            |

| उद्योग                 | चाल बिजली<br>केंद्रों की<br>संख्या | स्थापित विद्युत<br>क्षमता<br>(किलोवाट) |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| सीमेंट                 |                                    |                                        |
| (क) प्राइमरी           | 19                                 | 1,05,855                               |
| (ख) सेकण्डरी           | 19                                 | 1,910                                  |
| रासायनिक पदार्थ        | 8                                  | 19,000                                 |
| कागजात (खान)           | 48                                 | 70,296                                 |
| खाद                    | 1                                  | 80,000                                 |
| पटसन                   | 38                                 | 44,646                                 |
| रेलवे                  | 84                                 | 45,209                                 |
| कागज                   | 15                                 | 46,300                                 |
| चीनी                   | 103                                | 35,770                                 |
| अल्युमीनियम (प्राइमरी) | 3                                  | 16,482                                 |
| तांबा (प्राइमरी)       | 1                                  | 9,875                                  |
| अन्य                   | 25                                 | 21,827                                 |
| योग                    | 520                                | 7,71,770                               |

## व्यय

बिजली का व्यय विभिन्न श्रेणियों में किस तरह होता है, उसके लिए निम्नलिखित तालिका देलिये—

## तालिका 84

| उपयोग के प्रकार                                                     | उपभोक्ताओं की<br>संख्या |                           | सम्बन्धित भार |                           | बिजली की विक्री       |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                     | योग                     | योग<br>का<br>प्रति-<br>शत | योग           | योग<br>का<br>प्रति-<br>शत | लाभ किला-<br>वाट घंटे | योग का<br>प्रतिशत |
| 1 घरेलू निवास स्थानों<br>की रोशनी और<br>छांटी मशीनें                | 14,35,661               | 78                        | 9,42,258      | 27                        | 6,288.82              | 12.6              |
| 2. व्यापारिक इलाकों<br>और छांटी मशीनें                              | 3,02,393                | 16                        | 3,29,036      | 9                         | 3,363.28              | 6.7               |
| 3. औद्योगिक बिजली<br>(बिजली, ट्राम व ट्रेन तथा<br>वाटर वर्क्स सहित) | 74,063                  | 4                         | 19,95,830     | 28                        | 37,510.38             | 74.9              |
| 4. सार्वजनिक स्थानों<br>का प्रकाश                                   | 2,645                   | ..                        | 24,688        | 1                         | 739.42                | 1.5               |
| 5. सिंचाई                                                           | 28,710                  | 2                         | 1,61,389      | 5                         | 2,151.92              | 4.3               |
| योग                                                                 | 18,43,472               | 100                       | 34,53,201     | 100                       | 50,056.82             | 100.0             |

### गांवों का विद्युतीकरण

अब तक बिजली मुख्यतः नगरों को ही प्राप्त है। कुछ कारखाने गांवों की आवश्यकताओं के लिए भी बिजली देते हैं। मद्रास, मैसूर, द्रावनकोर कोचीन, उत्तर प्रदेश और पंजाब के गांवों में बिजली की मांग क्रमशः बढ़ रही है। इस सम्बन्ध में 1952 की गणनाएँ इस प्रकार हैं। देखिए तालिका 85—

तालिका 85

|   | जनसंख्या<br>(1951 की जनगणना के अनुसार) | इस ग्रुप के<br>कस्बे और<br>गांव (सं०) | कस्बे और<br>गांव जहां<br>बिजली पहुंचनी है | कुल गांव<br>और<br>नगरों का<br>प्रतिशत |
|---|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 1 00 000 से अधिक                       | 73                                    | 73                                        | 100 00                                |
| 2 | 50 000 से 1,00,000                     | 111                                   | 109                                       | 98 20                                 |
| 3 | 20 000 से 50,000                       | 401                                   | 308                                       | 76 81                                 |
| 4 | 10,000 से 20,000                       | 856                                   | 4 028                                     | 0 72                                  |
| 5 | 5 000 से 10,000                        | 3,101                                 |                                           |                                       |
| 6 | 5,000 से कम                            | 5,56,565                              |                                           |                                       |
|   | योग                                    | 5,61,107                              | 4,518                                     | 0 81                                  |

इन संख्याओं में यह स्पष्ट है कि अधिकांश बिजली नगरों के उपयोग में ही आती है। भारत में कुल मिला कर जितनी बिजली पैदा होती है, उसका 38 प्रतिशत भाग केवल बम्बई और कलकत्ता में ही व्यय हो जाता है। शेष बिजली का 13 प्रतिशत भाग अहमदाबाद, कानपुर, मद्रास और दिल्ली में व्यय होता है। इस तरह से 6 नगर ही भारत में उत्पन्न होने वाली कुल बिजली की पूर्ण उत्पादन क्षमता की दृष्टि में प्रतिशत 51 तथा उत्पन्न बिजली का 54 प्रतिशत व्यय करते हैं।

### सरकारी नीति

#### शासन

कुछ समय पहले तक बिजली के उत्पादन तथा वितरण के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति भारतीय बिजली कानून 1910 के अनुसार चलती जाती थी। इस कानून का उद्देश्य बिजली सम्बन्धी सभी बातों को मर्यादा में रखना था। बिजली शक्ति के विकास को प्रोत्साहित करने वाली कोई बात इस कानून में नहीं थी। स्वाधीनता से पहले तत्कालीन सरकार ने भारत में बिजली की उन्नति की ओर कभी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। केवल 1921 में ए. कमीशन द्वारा इस बात की जाच-पड़ताल की गई थी कि पानी द्वारा बिजली कहा कहा में निकाली जा सकती है। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में युद्ध सम्बन्धी उत्पादन का प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने 1941 में एक बिजली कमीशन की नियुक्ति की थी। 1945 में इसी काम के लिए एक केन्द्रीय टेक्निकल पावर बॉर्ड बनाया गया, जिसे 1948 में इन्वैक्टिकल कमीशन में मिला दिया गया। मितव्ययिता तथा कार्य संचालन में श्रेष्ठता लाने के उद्देश्य से हाल ही में केन्द्रीय बिजली कमीशन, केन्द्रीय जल शक्ति, सिंचाई और जहाजगती कमीशन मिला कर एक कर दिये गये हैं और उनका

सम्मिलित नाम 'केन्द्रीय विद्युत तथा शक्ति कमीशन' रख दिया गया है। इस कमीशन के अधीन ये कार्य हैं—बिजली सम्बन्धी सब तरह की छानबीन, परिमाण, अनुसंधान, परीक्षण और प्रचार में समन्वय तथा सहयोग उत्पन्न करना, और केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों के विद्युत विकास तथा जल विद्युत निर्माण के कार्यों में सहायता तथा सलाह देना।

विजली बनाने के कार्यों में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से पार्लियामेंट ने भी 1948 में विद्युत कानून पार किया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय बिजली बोर्ड नाम से एक केन्द्रीय बिजली शासन संस्था की स्थापना की गई है। यह शासन संस्था 1950 में बना दी गई, इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। मध्यप्रदेश और दिल्ली में भी 'राज्य बिजली बोर्डों' की स्थापना हो चुकी है।

केन्द्रीय बिजली शासन संस्था के ये कार्य हैं —

- (1) भारत के लिए एक समान राष्ट्रीय बिजली नीति बनाना और इस सम्बन्ध में जो आयोजना सम्बन्धी स्थापना काम कर रही है, उनके कार्यों में सहयोग और समन्वय उत्पन्न करना,
- (2) यदि कभी राज्यों की सरकारों या राज्यों के बिजली बोर्डों में अथवा लायसेंसदारों में कोई झगडा हो जाय, तो उनमें मध्यस्थता का काम करना;
- (3) बिजली की उत्पत्ति, विभाजन तथा व्यय और शक्ति के विकास के लिए सब तरह की जानकारी एकत्र करना और आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित करना,
- (4) जनता को इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएं देने रहना।

राज्यों के बिजली बोर्डों के ये कार्य हैं —

- (1) अपने क्षेत्र में बिजली की उत्पत्ति तथा वितरण के कार्य को सुचारू रूप से चलाना और बिजली के कारखानों को सब तरह की आवश्यक सहायता देना;
- (2) जहां आवश्यक हो वहां वर्तमान लायसेंस प्राप्त संस्थाओं को बिजली देना;
- (3) जहां आवश्यकता हो वहां वर्तमान बिजली उत्पादक कारखानों को नियंत्रित कारखाने घोषित करना; और
- (4) लायसेंस प्राप्त संस्थाओं को कम से कम व्यय पर अधिकाधिक बिजली उत्पन्न करने के कार्यों में नियुक्त और तत्पर रखना।

1948 के इस कानून द्वारा पुराने लायसेंस प्राप्त संस्थाओं के कार्यों में विशेष परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा। यह प्रयत्न किया जाएगा कि राज्यों के बिजली बोर्डों को उन संस्थाओं की सेवाएं अधिकतम रूप में प्राप्त हो सकें। राज्यों के यह बोर्ड गांवों में बिजली पहुंचाने की ओर विशेष ध्यान देंगे।

### स्रोत तथा सीमाएं

भारत के विस्तृत क्षेत्रफल और बड़ी आबादी की दृष्टि से इस देश में बिजली बहुत कम उत्पादन की जा रही है। इस सम्बन्ध में संसार के अन्य



देशों में स्थिति और उनके साथ भारत की तुलना तालिका 86 में देखिए, —

तालिका 86  
बिजली सम्बन्धी आंकड़े (क)  
(एक तुलनात्मक अध्ययन)

| देश           | क्षेत्र<br>(हजार<br>वर्ग<br>मील) | जनसंख्या<br>(लाख) | बिजली का<br>उत्पादन<br>(लाख<br>किलोवाट<br>घंटे) | प्रति व्यक्ति<br>बिजली<br>का उत्पादन<br>(किलोवाट<br>घंटे) | जनसंख्या<br>(प्रति<br>वर्ग<br>मील) |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| नार्वे        | 126                              | 33.27             | 1,83,960                                        | 5,529                                                     | 27                                 |
| कनाडा         | 3,700                            | 144.30            | 6,17,860                                        | 4,282                                                     | 4                                  |
| स्वीडन        | 173                              | 71.26             | 2,06,930                                        | 2,904                                                     | 41                                 |
| अमेरिका       | 3,738                            | 1,569.81          | 39,89,230                                       | 2,541                                                     | 42                                 |
| स्विट्जरलैण्ड | 16                               | 48.15             | 1,08,420                                        | 2,252                                                     | 301                                |
| न्यूजीलैण्ड   | 104                              | 19.95             | 30,300                                          | 1,519                                                     | 19                                 |
| ब्रिटेन       | 95                               | 504.29            | 6,19,880                                        | 1,229                                                     | 531                                |
| बेल्जियम      | 12                               | 87.05             | 94,700                                          | 1,088                                                     | 725                                |
| नीदरलैण्ड्स   | 13                               | 103.77            | 63,100                                          | 608                                                       | 798                                |
| डेनमार्क      | 17                               | 43.34             | 23,330                                          | 538                                                       | 255                                |
| जापान         | 148                              | 855.00            | 4,31,990                                        | 505                                                       | 578                                |
| भारत          | 1,270                            | 3,720.00          | 61,930                                          | 17                                                        | 293                                |

भारत में मुख्यतः खनिज तेल, कोयला और पानी से बिजली प्राप्त की जाती है। इनमें से खनिज तेल भारत में अपनी आवश्यकता का केवल 6 प्रतिशत पैदा होता है, इसलिए बिजली उत्पन्न करने के कार्य में उसका उपयोग अनुपयुक्त है। व्यवहार में बिजली के केवल उन्हीं छोटे कारखानों में खनिज तेलों का उपयोग किया जाएगा, जहाँ बिजली निकालने का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है।

भारत में कोयला काफी मात्रा में उपलब्ध होता है। कोयले के स्रोतों से हमें कम से कम 16,47,40,00,000 टन कोयला प्राप्त हो सकता है। बल्कि अनुमान तो यह है कि भारत की खानों में 60,00,00,00,000 टन कोयला विद्यमान है। व्यावसायिक दृष्टि से ससार के अन्य उन्नत देशों की तुलना में यह कोयला अधिक नहीं है। हमारे देश में धातुओं के काम में आने वाला कोयला 70 करोड़ से 75 करोड़ टन के बीच में है। जिस रफ्तार से आज उसका व्यय हो रहा है, उस रफ्तार से वह 65 और 70 वर्षों के बीच में समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारतीय कोल क्षेत्र कमेटी की यह सिफारिश है कि ऊँचे दर्जे के कोयले का कम इस्तेमाल किया जाय। इसी कारण बिजली के कारखानों तथा रेलवे इंजन आदि चलाने के लिए घटिया दर्जे का कोयला बरता जाता है। साथ ही कोयला कुछ ही राज्यों (बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश,

(क) जनसंख्या और बिजली उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े संयुक्त राष्ट्र संघ की आकड़ा सम्बन्धी मासिक पत्रिका के अगस्त 1953 के अंक से तथा क्षेत्र सम्बन्धी आंकड़े कॉलिन्स के 'एसेन्शियल वर्ल्ड एटलस' से लिये गये हैं।

हैदराबाद) में ही प्राप्त होता है। इसलिए इसका मितव्ययपूर्ण प्रयोग इन्हीं राज्यों में हो सकता है। उसे पंजाब या दक्षिणी भारत में ले जाने में काफी व्यय आता है, इसलिए वहां कोयले से बिजली निकालना बहुत महंगा पड़ेगा।

### जल विद्युत शक्ति

केन्द्रीय जल और शक्ति कमीशन ने हाल ही में भारत में प्राप्त होने वाली जल विद्युत शक्ति के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढंग से जाच पड़ताल की है। अनुमान है कि यह आजकल 3 करोड़ किलोवाट है।

जल से विद्युत् निकालने की सम्भावना केवल इसी बात पर निर्भर नहीं करती कि पानी में कितना प्रवाह है, अपितु उसके लिए यह देखना भी आवश्यक होता है कि प्रवाह या प्रपात के पास बिजली निकालने के बड़े बड़े कारखाने लगाए भी जा सकते हैं या नहीं; और जहां बिजली की खपत होती है, वहां में वह स्थान कितनी दूर है। भारत की नदियां विभिन्न ऋतुओं में एकदम विभिन्न आकार धारण कर लेती हैं। बाढ़ बना कर उनका पानी एकत्र कर लेने का कार्य बहुत व्ययसाध्य है। साथ ही हम अपनी नदियों का पानी सिंचाई के कामों पर व्यय करना है। इस कारण यह देखना आवश्यक हो जाता है कि बिजली निकालने का कोई काम सिंचाई की कीमत पर न किया जाय। यह पत्र होने दुर्ग भी पानी में निकाली गई बिजली हमारे देश में सबसे गम्भीर सिद्ध होती है।

भारत में शक्ति विकास की स्थिति इस प्रकार है —

दक्षिण भारत—मुम्बई जन विद्युत्, बम्बई—मुख्य जन विद्युत्, परन्तु कुछ क्षेत्रों में कोयले द्वारा भी विद्युत् प्राप्त की जा सकती है, विहार और बंगाल के कोल क्षेत्र—मुख्य कोयले में प्राप्त होने वाली बिजली, केन्द्रीय भारत—(हैदराबाद, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश)—मुख्य कोयले में प्राप्त होने वाली बिजली, तथा पंजाब और उत्तर प्रदेश—मुख्य जल विद्युत्, आशिकू रू में कोयले में प्राप्त होने वाली बिजली।

### आयोजना के अन्तर्गत शक्ति कार्यो का विकास

राज्यों की प्रेरणा शक्ति का फल यह हुआ है कि देश में बिजली का विकास जोरशोर में हो रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से इसमें और भी उत्तति हुई है। पश्चिमी बंगाल, विहार, बम्बई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा उक्त श्रेणी के राज्य हैं। पिछले वर्षों में यद्यपि कोई नई बड़ी विद्युत् उत्पादक कम्पनी नहीं बनाई गई, तथापि पुरानी व्यक्तिगत कम्पनियों में पहले की अपेक्षा अधिक बिजली बन रही है। इसमें यह स्पष्ट है कि राज्यों की सरकारें स्वयं बिजली उत्पन्न करने लगी हैं। इस कार्य में कुछ व्यावहारिक बाधाएँ अवश्य आईं। बिजली सम्बन्धी कार्य करने वाले शिक्षित कार्य-कर्त्ताओं की कमी इसमें सबसे बड़ी बाधा थी। साथ ही विदेशी विनिमय की स्थून्ता, कच्चा सामान, यथा लोहा, और मोमेंट की कमी और बड़ी बड़ी मशीनें लगाने की कठिनाइयां भी इसमें बाधक सिद्ध हुईं।

इस समय भारत के 24 राज्यों में 115 विद्युत् निर्माण कार्य जारी हैं या जारी किए जाने वाले हैं। उनमें में कुछ बहुमुखी नदी योजनाओं में सम्बद्ध हैं, जिनका जिक्र आगे चल कर किया गया है। तालिका 87 में राज्यों की शक्ति, केन्द्र का सामर्थ्य, और उनके विकास का परिचय दिया गया है और तालिका 88 में बताया गया है कि 1959 तक इस सम्बन्ध में क्या स्थिति हो जाएगी।

## तालिका 87

स्थापित क्षमता की अपेक्षित वृद्धि  
(आयोजना काल में)

| क्रम<br>संख्या | राज्य                                                   | अप्रैल 1951<br>में कुल<br>स्थापित विद्युत<br>क्षमता<br>(दस लाख वाट) | मार्च 1951<br>तक कुल<br>अपेक्षित क्षमता<br>(दस लाख वाट) |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.             | आसाम . . . . .                                          | 3 36                                                                | 4.05                                                    |
| 2.             | पश्चिमी बंगाल . . . . .                                 | 522.29                                                              | 560.29                                                  |
| 3.             | बिहार . . . . .                                         | 44.98                                                               | 258.98                                                  |
| 4.             | बम्बई . . . . .                                         | 416.19                                                              | 672.49                                                  |
| 5.             | केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र<br>(क) दिल्ली . . . . . | 37.54                                                               | 68.54                                                   |
|                | (ख) अन्य . . . . .                                      | 6.88                                                                | 13 68                                                   |
| 6.             | हैदराबाद . . . . .                                      | 21.07                                                               | 74.57                                                   |
| 7.             | जम्मू और काश्मीर . . . . .                              | 6.30                                                                | 12.30                                                   |
| 8.             | मध्य भारत . . . . .                                     | 13.69                                                               | 31.19                                                   |
| 9.             | मध्य प्रदेश . . . . .                                   | 27.84                                                               | 101.34                                                  |
| 10.            | मद्रास . . . . .                                        | 168.03                                                              | 362.03                                                  |
| 11.            | मेसूर . . . . .                                         | 107.20                                                              | 179.20                                                  |
| 12.            | पेन . . . . .                                           | 6.74                                                                | 6 74                                                    |
| 13.            | उड़ीसा . . . . .                                        | 4.61                                                                | 58.61                                                   |
| 14.            | पंजाब . . . . .                                         | 61.38                                                               | 160.38                                                  |
| 15.            | राजस्थान . . . . .                                      | 24.12                                                               | 39.12                                                   |
| 16.            | सौराष्ट्र . . . . .                                     | 21.89                                                               | 31.89                                                   |
| 17.            | त्रावनकोर-कोचीन . . . . .                               | 34.59                                                               | 115.59                                                  |
| 18.            | उत्तर प्रदेश . . . . .                                  | 183.84                                                              | 306.14                                                  |
|                | योग . . . . .                                           | 1,712.54                                                            | 3,057.13                                                |

## तालिका 88

|                   | 1956 तक क्षमता<br>(दस लाख वाट) | 1959 तक योज-<br>नाओं के पूरा<br>होने पर क्षमता<br>(दस लाख वाट) |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| हाइड्रो . . . . . | 1,176                          | 2,147                                                          |
| थर्मल . . . . .   | 1,881                          | 2,090                                                          |
| योग . . . . .     | 3,057                          | 4,237                                                          |

## सिंचाई

## सिंचाई का विकास

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, सिंचाई के साधनों का क्या महत्व है तथा उनका कितना विकास हुआ है, इस सम्बन्ध में कृषि के अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। जब से भारत का इतिहास प्रारम्भ होता है, तब से इस देश में सिंचाई के साधनों की विद्यमानता सिद्ध होती है। दक्षिण में बड़े बड़े तालाबों में वर्षा का पानी एकत्र कर लिया जाता था और उत्तर में कुओं द्वारा तथा नदियों द्वारा खेती बाड़ी को पानी दिया जाता था। भारत में नहरों का निर्माण बहुत प्राचीन काल ही में प्रारम्भ हो गया था। अंग्रेजी शासन काल में नहरों के विकास पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि भारत में सींचे जाने वाली भूमि ससार के किसी भी अन्य देश से अधिक है, तथापि वह भारत की कुल कृषियोग्य भूमि का केवल पाचवा भाग ही है।

भारत की नदियों में प्रतिवर्ष लगभग 1,35,60,00,000 एकड़ फुट पानी बहता है। जिसका लगभग 49 प्रतिशत वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। इसमें से केवल 7,60,00,000 एकड़ फुट (अर्थात् कुल जल का 5.6 प्रतिशत) ही सिंचाई अथवा बिजली बनाने के काम में प्रयुक्त होता है और शेष 94.4 प्रतिशत पानी व्यर्थ बह जाता है, बल्कि इस पानी से बाढ़ आदि के रूप में कभी कभी बहुत हानि भी पहुँचती है। वर्तमान बड़े कार्यों की पूर्ति हो जाने पर भारत अपने कुल पानी का 13.6 प्रतिशत प्रयोग में लाने लगेगा।

भारतीय नदियों से सिंचाई के कार्य के लिए जितनी नहरें निकाली जा सकती थी, वे लगभग पूरी मात्रा में निकाल ली गई हैं। इस कारण अब यही सम्भव था कि वर्षा के दिनों का पानी बाध बना कर वर्ष के बाकी दिनों के लिए एकत्र कर लिया जाय। इस उद्देश्य से आजकल उचित स्थानों पर बाध बनाए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर सिंचाई के लिए पानी को वैज्ञानिक साधनों से ऊपर उठाना पड़ता है। यह तरीका महंगा तो अवश्य सिद्ध होता है, परन्तु वहाँ सिंचाई के लिए यह अकेला सम्भव साधन होता है। इसलिए ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। कुछ प्रदेशों में सिंचाई का काम ट्यूबवेल द्वारा ही किया जा रहा है। इस विशाल देश में सिंचाई के छोटे साधनों यथा कुओं, तालाबों आदि का भी बहुत अधिक महत्व है और सिंचाई के लिए जो योजनाएँ गई हैं, उनमें उन्हें यथेष्ट स्थान दिया गया है।

## बनाई शासन

1902 से पहले सिंचाई का काम, विशेष रूप में उसका आर्थिक पहलू एक केन्द्रीय विषय था। यद्यपि उसकी व्यवस्था प्रांतीय सरकारों के सुपुर्द थी, तथापि सिंचाई के साधन बनाने पर पूरा व्यय भारत सरकार ही करती थी। मीण्टफोर्ड सुधारों के अनुसार सिंचाई एक प्रांतीय विषय बन गया। परन्तु तो भी सिंचाई के कार्य के लिए भारत सरकार राज्यों को काफी रूपा उधार देती रही और 1926 में इस कार्य के लिए एक केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड बनाया गया, जिसने भारत में जल विद्युत की सम्भावनाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की। सिंचाई तथा बाढ़ आदि के नियंत्रण के सम्बन्ध में यह बोर्ड प्रांतीय सरकारों को सलाह दिया करता था और सब तरह के अनुसंधान तथा तालमेल आदि के कार्य भी इसी बोर्ड के सुपुर्द थे। अप्रैल 1937 में भारत में प्रांतीय स्वाधीनता की स्थापना के बाद सिंचाई पूर्ण रूप से एक प्रांतीय विषय बन गया।

1945 में एक केन्द्रीय जल मार्ग, सिंचाई और जहाजराती कमीशन की स्थापना की गई । इसका उद्देश्य मुख्यतः उक्त बातों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एकत्र करना था । इन विषयों के संगठन तथा निर्माण के कार्य भी इसी कमीशन के सुपुर्द थे । हाल ही में यह कमीशन केन्द्रीय जल और विद्युत कमीशन में मिला दिया गया है ।

### सिंचाई सम्बन्धी अनुसन्धान

पूना का केन्द्रीय जल शक्ति, सिंचाई तथा जहाजराती अनुसन्धान स्टेशन भारत की सबसे पुरानी सिंचाई अनुसन्धान संस्था है । इसकी स्थापना 1916 में की गई थी । 1920 में वहा हाईड्रो-डाइनामिक अनुसन्धान स्टेशन भी खोला गया । 1934 में वहा हाईड्रोलिक अनुसन्धान का कार्य भी जारी कर दिया गया । 1937 में यह स्टेशन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । आज-कल यह स्टेशन 8 भागों में विभक्त है (1) नहर हाईड्रोलिक, (2) जहाजराती, (3) नहर बनाने का सामान, सीमेंट कंक्रीट आदि । (4) भूमि तथा भूमि की रचना, (5) एनर्जिफिक गणित, (6) एनर्जिफिक गणनाएँ और (7-8) एनर्जिफिक भौतिकी और रसायन ।

कुछ राज्यों की अपनी अनुसन्धानशालाएँ भी हैं । उदाहरण के लिए बम्बई, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास और हैदराबाद आदि । सिंचाई का केन्द्रीय बोर्ड इन सब स्टेशनों के अनुसन्धान कार्य में तात्त्विक और सहयोग उत्पन्न का कार्य करता है ।

### नदी घाटी योजना

भारत का आर्थिक विकास तथा खाद्य की कमी की समस्या का हल मुख्यतः इस बात में है कि उसी बहुमुखी नदी घाटी योजनाएँ जल्दी से जल्दी पूर्ण हों । इन योजनाओं को बहुमुखी इसलिए कहा जाता है कि उनमें एक साथ बहुत से लाभ होंगे । उनके द्वारा सिंचाई होगी, इसमें कृषि की उपज तो बढ़ेगी ही, साथ ही उनके द्वारा बाढ़ों पर नियंत्रण भी किया जा सकेगा तथा बड़े परिमाण में जल विद्युत निर्यात जा सकेगी । इसके साथ ही बड़ी नहरों में आन्तरिक यातायात का काम भी हो जाएगा । इन मुख्य लाभों के अतिरिक्त इन योजनाओं की पूर्ति से जल उत्पादन का कार्य, मछली उत्पादन कार्य, पीने के जल की प्राप्ति तथा जनता के मनोरंजन के माधनों का विकास भी किया जा सकेगा । इन महान कार्यों का इसी महत्ता के कारण पंचवर्षीय आयोजना के कार्यक्रम में उन्हें सबसे ऊँची प्राथमिकता दी गई है । इन कार्यों पर आयोजना के कुल बजट का एक तिहाई भाग खर्च किया जा रहा है । उन में से कुछ कार्य इतने बड़े होंगे कि उनकी गणना ससार के सबसे बड़ी नदी-घाटी कार्यों में की जाएगी ।

भारत के जलमार्ग लगभग सम्पूर्ण देश में एक समान बटे हुए हैं । यह पता लगाया गया है कि 15 से 20 वर्षों के बीच में देश की सिंचाई वाले क्षेत्र दगने किए जा सकते हैं । इससे न केवल अन्न की वर्तमान कमी दूर हो जाएगी, बल्कि देश की आबादी बढ़ जाने पर भी अन्न की कमी नहीं होगी । इन योजनाओं द्वारा भारत को सैकड़ों मील के जलमार्ग प्राप्त हो जायेंगे तथा 3 करोड़ से 4 करोड़ किलोवाट बिजली मिलने लगेगी ।

इस समय देश के विभिन्न भागों में 153 कार्यों का निर्माण जारी है । इनमें से केवल 6 ही बहुमुखी हैं ; 104 सिंचाई के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं और 43 जल विद्युत प्राप्त करने के उद्देश्य से । इनमें से 12 को बड़े कार्य कहा जा सकता है । इन 12 में से 6 बहुमुखी हैं, 3 जल विद्युत सम्बन्धी हैं और 3 सिंचाई सम्बन्धी । इन 12 बड़े कार्यों पर 4 39,00,00,000 रुपये और

शेष 141 कार्यों पर 1,51,00,00,000 रुपये व्यय आएंगे कुल मिला कर इन सब कार्यों पर 6,80,00,00,000 रुपये व्यय होंगे। इनके अतिरिक्त 122 अन्य कार्यों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाच पड़ताल की जा चुकी है या की जा रही है। परन्तु धन की कमी के कारण उनका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इन 122 कार्यों पर 13,10,00,00,000 रुपये के व्यय का अनुमान है।

पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार सिंचाई के 173 कार्य किये जा रहे हैं, जिनमें 85,30,000 एकड़ नई भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और 10 लाख किलोवाट नई जल विद्युत प्राप्त होगी। क्रमशः इन कार्यों में 1,69,40,000 एकड़ नई भूमि की सिंचाई होने लगेगी और 15 लाख किलोवाट नई जल विद्युत मिलेगी। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तालिका 89 देखिए—

## तालिका 89

पंचवर्षीय आयोजना में विद्युत एवं सिंचाई कार्य

(व्यय और लाभ)

| कार्य                                          | 1951-56<br>में कुल व्यय<br>(लाख रुपये) | सिंचाई से लाभ<br>(हजार एकड़) |                 | विद्युत से लाभ<br>(हजार किलोवाट) |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                                                |                                        | 1955-56<br>तक                | पूरा होने<br>पर | 1955-56<br>तक                    | पूरा होने<br>पर |
| <b>बहुद्देशीय कार्य</b>                        |                                        |                              |                 |                                  |                 |
| भाखड़ा नगल .                                   | 7,750                                  | 1,361                        | 3,604           | 96                               | 144             |
| हारीके .                                       | 1,062                                  | —                            | —               | —                                | —               |
| दामोदर घाटी योजना                              | 4,170                                  | 595                          | 1,141           | 194                              | 274             |
| हिराकुड .                                      | 4,400                                  | 261                          | 1,785           | 48                               | 123             |
| उपरोक्त कार्यों के<br>लिए अतिरिक्त<br>निधिया . | 5,000                                  | —                            | —               | —                                | —               |
| नई योजनाएं (क) .                               | 4,000                                  | —                            | —               | —                                | —               |
| <b>योग .</b>                                   | <b>26,382</b>                          | <b>2,217</b>                 | <b>6,530</b>    | <b>338</b>                       | <b>541</b>      |
| <b>भाग 'क' के राज्य :</b>                      |                                        |                              |                 |                                  |                 |
| आसाम .                                         | 283                                    | 218                          | 218             | 5                                | 7               |
| बिहार .                                        | 1,682                                  | 675                          | 777             | 11                               | 11              |
| बम्बई .                                        | 3,312                                  | 474                          | 893             | 83                               | 84              |
| मध्य प्रदेश .                                  | 908                                    | 114                          | 184             | 73                               | 73              |
| मद्रास .                                       | 8,432                                  | 435                          | 608             | 196                              | 307             |
| उड़ीसा .                                       | 691                                    | 480                          | 480             | 8                                | 8               |
| पंजाब .                                        | 364                                    | 666                          | 774             | —                                | —               |
| उत्तर प्रदेश .                                 | 3,321                                  | 1,361                        | 3,181           | 109                              | 124             |
| पश्चिमी बंगाल .                                | 1,613                                  | 917                          | 917             | 4                                | 4               |
| <b>योग .</b>                                   | <b>20,607</b>                          | <b>5,340</b>                 | <b>-8,032</b>   | <b>489</b>                       | <b>618</b>      |

(क) नई योजनाओं में कोसी (खड I), कोयना (खड I), कृष्णा, चम्ब ल (खड I) और गिहद शामिल है।

| कार्य                     | 1951-56<br>मे कुल व्यय | सिंचाई के लाभ<br>(हजार एकड़) |                 | विद्युत से लाभ<br>(हजार किलोवाट) |                 |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|                           | (लाख रुपये)            | 1955-56<br>तक                | पूरा होने<br>पर | 1955-56<br>तक                    | पूरा होने<br>पर |
| <b>भाग 'ख' के राज्य .</b> |                        |                              |                 |                                  |                 |
| हैदराबाद .                | 2,800                  | 306                          | 731             | 53                               | 53              |
| जम्मू और कश्मीर .         | 360                    | 76                           | 169             | 7                                | 7               |
| मध्य भारत .               | 556                    | 83                           | 152             | 15                               | 18              |
| मैसूर .                   | 1,984                  | 30                           | 250             | 72                               | 120             |
| पेप्सू .                  | 65                     | —                            | 129             | —                                | —               |
| राजस्थान .                | 545                    | 243                          | 523             | 11                               | 11              |
| सीराष्ट्र .               | 688                    | 108                          | 120             | 12                               | 12              |
| त्रावनकोर-कोचीन           | 1,513                  | 17                           | 168             | 81                               | 81              |
| <b>योग</b>                | <b>8,510</b>           | <b>863</b>                   | <b>2,242</b>    | <b>251</b>                       | <b>302</b>      |
| <b>भाग 'ग' के राज्य</b>   |                        |                              |                 |                                  |                 |
| अजमेर .                   | 11                     | —                            | —               | —                                | —               |
| भोपाल .                   | 28                     | —                            | —               | —                                | —               |
| कुर्ग .                   | 25                     | —                            | —               | —                                | —               |
| हिमाचल प्रदेश             | 93                     | 75                           | 100             | 1                                | 1               |
| कच्छ .                    | 114                    | 38                           | 38              | —                                | —               |
| त्रिपुरा                  | 7                      | —                            | —               | —                                | —               |
| मणिपुर                    | 12                     | —                            | —               | —                                | —               |
| विन्ध्य प्रदेश            | 51                     | —                            | —               | 3                                | 3               |
| <b>योग</b>                | <b>341</b>             | <b>113</b>                   | <b>138</b>      | <b>4</b>                         | <b>4</b>        |
| <b>सर्वयोग</b>            | <b>55,841</b>          | <b>8,533</b>                 | <b>16,942</b>   | <b>1,082</b>                     | <b>1,46</b>     |

### सिंचाई और शक्ति के कार्यों की उन्नति

बड़े बड़े कार्य वर्तमान पंचवर्षीय आयोजना के निर्माण से पहले ही प्रारम्भ कर दिए गए थे और बाद में उन्हें पंचवर्षीय आयोजना का अंग बना लिया गया। इन सिंचाई सम्बन्धी और विद्युत सम्बन्धी योजनाओं पर कुल 7,65,00,00,000 रुपये व्यय होंगे जिसमें से आधे से अधिक रुपया अब तक खर्च हो चुका है।

पिछले 3 वर्षों में ही इन कार्यों से देश को लाभ पहुंचना शुरू हो गया है। 1952-53 में 3,15,000 किलोवाट जल विद्युत की मशीनें लगा दी गईं और आजकल उनसे बिजली प्राप्त हो रही है। इसी तरह 14,20,000 नई भूमि की सिंचाई प्रारम्भ हो गई है। इस सम्बन्ध में पंजाब और उत्तर प्रदेश में आशा से अधिक उन्नति हुई और बिहार, मद्रास, राजस्थान तथा दामोदर वैली समय से कृषि पीछे रह गए हैं। तथापि यह स्पष्ट है कि इन कार्यों से पूरा लाभ आयोजना की पूर्ति के बाद ही प्राप्त हो सकेगा।

श्रमकी तीन तालिकाओं में बहुमुखी कार्यों, राज्यों में सिंचाई के कार्यों तथा राज्यों की विद्युत शक्ति के कार्यों के सम्बन्ध में सूचनाएँ दी गई हैं। 1953-54 में जो व्यय किया जा रहा है, उसका निर्देश भी इन तालिकाओं में है।

### तालिका 90 पचवर्षीय आयोजना की प्रगति राज्यों के सिंचाई कार्य

(1951-53)

| राज्य         | आयोजना में कार्यो 1951 तक का कुल व्यय | मार्च 1951 तक का व्यय | आयोजना में व्यय | व्यय की प्रगति |          |     |        |         |         | सोचा गया क्षेत्र (अतिरिक्त) |          |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------|-----|--------|---------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------|
|               |                                       |                       |                 | 1951-52        | वास्तविक | बजट | मशोदित | 1953-54 | 1952-53 | 1951-52                     | 1951-52  | 1952-53               |
|               |                                       |                       |                 | मशोदित         | वास्तविक | बजट | मशोदित | बजट     | मशोदित  | आयोजन-मुसार                 | वास्तविक | आयोजना-वास्तविक नुसार |
| I             | 2                                     | 3                     | 4               | 5              | 6        | 7   | 8      | 9       | 10      | 11                          | 12       | 13                    |
| (रु. व रुपये) |                                       |                       |                 |                |          |     |        |         |         |                             |          |                       |
| भारत के राज्य | 200                                   | —                     | 200             | 1              | 12       | 4   | 42     | 76      | —       | 19                          | 30       | 68                    |
| आन्ध्र प्रदेश | 1 414                                 | 125                   | 973             | 238            | 168      | 234 | 233    | 233     | 77      | —                           | 180      | 146                   |
| बम्बई         | 2 565                                 | 270                   | 2 269           | 232            | 233      | 274 | 227    | 469     | 2       | 1                           | 16       | 2                     |
| मध्य प्रदेश   | 309                                   | 14                    | 308             | 10             | 10       | 50  | 13     | 45      | 5       | 5                           | 10       | 10                    |
| मद्रास        | 4 968                                 | 1 561                 | 3 408           | 809            | 869      | 936 | 963    | 613     | —       | —                           | 42       | 7                     |
| उड़ीसा        | 402                                   | 102                   | 300             | 49             | 72       | 91  | 70     | 60      | 124     | 126                         | 263      | 182                   |

|                  |        |       |        |       |       |       |       |       |     |     |       |       |
|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|
| पंजाब            | 432    | 106   | 326    | 121   | 69    | 113   | 119   | 108   | 97  | 223 | 176   | 238   |
| उत्तर प्रदेश     | 4 944  | 532   | 1 911  | 256   | 217   | 390   | 444   | 464   | 123 | 285 | 528   | 585   |
| पश्चिमी बंगाल    | 1 941  | 403   | 1 538  | 315   | 190   | 412   | 399   | 417   | 173 | 100 | 360   | —     |
| योग              | 17,235 | 3,117 | 11,223 | 2,031 | 1,840 | 2,500 | 2,510 | 2,485 | 601 | 759 | 1,605 | 1,828 |
| भारत के राज्य    | 3,246  | 876   | 2 479  | 452   | 400   | 482   | 440   | 477   | —   | —   | 31    | 21    |
| तेदंगवाड़        | 311    | 19    | 340    | 25    | 49    | 30    | 57    | 85    | 2   | —   | 8     | —     |
| जम्मू और कश्मीर  | 339    | 11    | 328    | 32    | 29    | 37    | 31    | 50    | 4   | 2   | 19    | 2     |
| मध्य भारत        | 2,709  | 245   | 716    | 61    | 88    | 72    | 119   | 140   | 5   | 5   | 7     | 8     |
| मैसूर            | 36     | 2     | 34     | 3     | —     | 15    | 6     | 15    | —   | —   | —     | —     |
| पेप्सू           | 1 071  | 163   | 504    | 68    | 56    | 75    | 63    | 140   | 11  | 2   | 73    | 5     |
| राजस्थान         | 1 102  | 92    | 475    | 60    | 54    | 91    | 132   | 153   | 4   | 2   | 20    | 11    |
| सौराष्ट्र        | 610    | 132   | 478    | 100   | 86    | 84    | 92    | 90    | —   | 10  | —     | 20    |
| त्रावणिकोर-कोचीन | 9 604  | 1 540 | 5 354  | 801   | 762   | 886   | 940   | 1,150 | 26  | 21  | 158   | 67    |
| योग              | 11     | —     | 11     | —     | —     | —     | 1     | 1     | —   | —   | —     | —     |
| भारत के राज्य    | 80     | —     | 80     | —     | —     | 13    | 5     | 33    | —   | —   | —     | 5     |
| अजमेर            | 91     | —     | 91     | 5     | 4     | 32    | 26    | 33    | —   | —   | —     | —     |
| हिमाचल प्रदेश    | 182    | —     | 182    | 5     | 4     | 45    | 32    | 67    | —   | —   | —     | 5     |
| कच्छ             | 27,021 | 4,657 | 16,769 | 2,837 | 2,606 | 3,431 | 3,482 | 3,702 | 627 | 780 | 1,763 | 1,310 |
| योग              | —      | —     | —      | —     | —     | —     | —     | —     | —   | —   | —     | —     |
| संयोग            | —      | —     | —      | —     | —     | —     | —     | —     | —   | —   | —     | —     |

विद्युत-शक्ति तथा सिंचाई



| राज्य              | आयोजना मे आय का कुल व्यय |        |                |        | व्यय की प्रगति |       |         |       | स्थापित क्षमता—वर्तमान यंत्रों में वृद्धि और/या नये यंत्र |    |         |     |                |  |
|--------------------|--------------------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-----|----------------|--|
|                    | 1951 तक का व्यय          |        | आयोजना मे व्यय |        | 1951-52        |       | 1952-53 |       | 1951-52                                                   |    | 1952-53 |     |                |  |
|                    | 2                        | 3      | 4              | 5      | 6              | 7     | 8       | 9     | 10                                                        | 11 | 12      | 13  |                |  |
| I                  | (लाख रुपये)              |        |                |        |                |       |         |       |                                                           |    |         |     | (हजार किलोवाट) |  |
|                    | 2                        | 3      | 4              | 5      | 6              | 7     | 8       | 9     | 10                                                        | 11 | 12      | 13  |                |  |
| भाग 'क' के राज्य : | आसाम                     | 85     | 2              | 83     | —              | —     | 19      | 19    | 55                                                        | —  | —       | —   |                |  |
|                    | बिहार                    | 1,120  | 64             | 709    | 95             | 82    | 141     | 130   | 158                                                       | 1  | 4       | 2   |                |  |
|                    | बम्बई                    | 1,412  | 396            | 1,043  | 256            | 253   | 415     | 310   | 342                                                       | 2  | 21      | 21  |                |  |
|                    | मध्य प्रदेश              | 1,384  | 763            | 600    | 186            | 148   | 185     | 110   | 140                                                       | 24 | 51      | 51  |                |  |
|                    | मद्रास                   | 7,773  | 1,805          | 5,024  | 725            | 807   | 999     | 800   | 927                                                       | 7  | 58      | 58  |                |  |
|                    | उड़ीसा                   | 874    | 133            | 391    | 65             | 59    | 80      | 74    | 124                                                       | 4  | 7       | 4   |                |  |
|                    | पंजाब                    | 59     | 21             | 38     | 18             | 6     | 20      | 12    | 10                                                        | —  | —       | —   |                |  |
|                    | उत्तर प्रदेश             | 2,930  | 699            | 1,410  | 269            | 228   | 358     | 319   | 444                                                       | 7  | 26      | 16  |                |  |
|                    | पश्चिमी बंगाल            | 133    | 57             | 76     | 25             | 25    | 33      | 32    | 12                                                        | —  | —       | —   |                |  |
|                    | योग                      | 15,770 | 3,940          | 9,364  | 1,639          | 1,608 | 2,250   | 1,806 | 2,212                                                     | 45 | 167     | 152 |                |  |
| भाग 'ख' के राज्य : | हैदराबाद                 | 581    | 260            | 321    | 58             | 50    | 79      | 83    | 96                                                        | —  | —       | —   |                |  |
|                    | जम्मू और कश्मीर          | 1,86   | 12             | 75     | 18             | 6     | 25      | 9     | 24                                                        | —  | —       | —   |                |  |
|                    | मध्य भारत                | 2,14   | 46             | 228    | 48             | 44    | 111     | 99    | 66                                                        | 1  | 4       | 4   |                |  |
|                    | मैसूर                    | 2,027  | 690            | 1,268  | 191            | 191   | 230     | 215   | 150                                                       | —  | 36      | 72  |                |  |
|                    | पैप्पू                   | 200    | —              | 30     | 5              | 5     | —       | 8     | 13                                                        | —  | —       | —   |                |  |
|                    | राजस्थान                 | 53     | —              | 41     | 30             | 40    | 11      | 12    | 15                                                        | 4  | 11      | 9   |                |  |
|                    | सौराष्ट्र                | 262    | —              | 213    | —              | —     | 30      | 20    | 50                                                        | —  | —       | —   |                |  |
|                    | त्रावणकोर-कोचीन          | 1,770  | 735            | 1,035  | 237            | 206   | 277     | 284   | 268                                                       | 7  | 21      | 21  |                |  |
|                    | योग                      | 5,353  | 1,743          | 3,211  | 587            | 542   | 763     | 730   | 682                                                       | 12 | 72      | 106 |                |  |
|                    | भाग 'ग' के राज्य :       | भोपाल  | 28             | —      | 28             | —     | —       | 5     | 4                                                         | 12 | —       | —   | 3              |  |
| कुरु               |                          | 35     | —              | 35     | —              | —     | —       | —     | 12                                                        | —  | —       | —   |                |  |
| बच्छ               |                          | 23     | —              | 23     | —              | —     | 11      | 11    | 9                                                         | —  | —       | —   |                |  |
| जिपुरा             |                          | 7      | —              | 7      | —              | —     | 6       | —     | 4                                                         | —  | —       | —   |                |  |
| विन्ध्य प्रदेश     |                          | 51     | —              | 51     | —              | —     | 8       | 7     | 15                                                        | —  | —       | —   |                |  |
| दिमाचल प्रदेश      |                          | 13     | —              | 13     | —              | —     | 2       | 2     | 4                                                         | —  | —       | —   |                |  |
| मणिपुर             |                          | 12     | —              | 12     | —              | —     | 2       | 2     | 1                                                         | —  | —       | —   |                |  |
| योग                |                          | 169    | —              | 169    | —              | —     | 34      | 26    | 37                                                        | —  | —       | 3   |                |  |
| सर्वयोग            |                          | 21,292 | 5,683          | 12,754 | 2,226          | 2,150 | 3,047   | 2,562 | 2,951                                                     | 57 | 41      | 239 | 261            |  |

तालिका 92  
पंचवर्षीय योजना की प्रगति  
बहुदेशीय कार्य  
(1951-53)

| योजना                                | आयोजना में कार्य का कुल व्यय | मात्र 1951 तक का व्यय | आयोजना में खर्च | व्यय की प्रगति          |          |       |         | सींचा गया क्षेत्र (मैट्रिक.) |          |          |          | स्थापित विद्युत         |          |          |          |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------|-------|---------|------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|
|                                      |                              |                       |                 | लाख रुपये               |          |       |         | हजार एकड़                    |          |          |          | किलोवाट                 |          |          |          |
|                                      |                              |                       |                 | 1951-52 1952-53 1953-54 |          |       |         | 1951-52 1952-53 1953-54      |          |          |          | 1951-52 1952-53 1953-54 |          |          |          |
|                                      |                              |                       |                 | संशोधित                 | वस्तुविक | व्यय  | संशोधित | वस्तुविक                     | वस्तुविक | वस्तुविक | वस्तुविक | वस्तुविक                | वस्तुविक | वस्तुविक | वस्तुविक |
| बहुदेशीय कार्य—                      |                              |                       |                 |                         |          |       |         |                              |          |          |          |                         |          |          |          |
| भाखड़ा नाल                           | 13,290                       | 2,356                 | 7,750           | 1,226                   | 1,214    | 1,700 | 1,900   | 2,215                        | 19       | 19       | 101      | 101                     | 101      | —        | —        |
| हारी के                              | 1,380                        | 318                   | 1,062           | 260                     | 108      | 250   | 250     | 150                          | —        | —        | —        | —                       | —        | —        | —        |
| दामोदर घाटी                          |                              |                       |                 |                         |          |       |         |                              |          |          |          |                         |          |          |          |
| योजना                                | 7,498                        | 1,687                 | 4,170           | 1,350                   | 1,350    | 1,200 | 1,572   | 1,463                        | —        | —        | 26       | 5                       | —        | —        | 54,000   |
| हिगकुड बांध                          | 6,259                        | 628                   | 4,400           | 800                     | 858      | 850   | 950     | 1,172                        | —        | —        | —        | —                       | —        | —        | —        |
| उपरोक्त योजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय | —                            | —                     | 5,000           | —                       | —        | —     | —       | —                            | —        | —        | —        | —                       | —        | —        | —        |
| योग                                  | 28,427                       | 4,989                 | 22,382          | 3,636                   | 3,530    | 4,000 | 4,672   | 5,000                        | 19       | 19       | 127      | 106                     | —        | —        | 54,000   |

## तेरहवा अध्याय

### वैज्ञानिक शोध

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे यहां विदेशी सरकार ने वैज्ञानिक शोध में यथेष्ट हाथ नहीं बटाया। सच तो यह है कि ब्रिटिश युग में बहुत बाद को चल कर ही वैज्ञानिक शोध संस्थाओं को सरकारी सहायता प्राप्त होने लगी। फिर भी हमारे यहां एक से एक बड़े वैज्ञानिक उत्पन्न हुए सो भी ऐसे वैज्ञानिक जिन पर भारत उचित रूप से गर्व कर सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम सुपरिचित हैं जैसे श्रीनिवास रामानुजम, जगदीशचन्द्र बोस, प्रफुल्लचन्द्र राय, बीरबल साहनी, सी० वी० रमन, मेघनाद साहा, एच० जे० भाभा, एस० एस० भटनागर, के० एस० कृष्णन्, चन्द्रशेखरन, टी० एस० वेकटरमन और एस० कोठारी।

#### शोध सम्बन्धी संस्थाएं

यद्यपि सरकारी सहायता बाद को आई, पर 1784 में ही हम यह देखते हैं कि रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना हुई। इस संस्था की स्थापना हमारे इतिहास की एक प्रमुख घटना है। थोड़े दिनों में और भी संस्थाएँ स्थापित हुईं। 1800 ई० में भारत का परिमाणन विभाग, 1851 में भूगर्भ वैज्ञानिक परिमाणन, 1889 में वनस्पति वैज्ञानिक परिमाणन तथा 1916 में पशु वैज्ञानिक परिमाणन का सूत्रपात हुआ। 1876 में विज्ञान के परिशीलन के लिये इंडियन एसोसियेशन नाम से एक और संस्था खुली। ये संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्र में शोध करती रही। जो शोध होता था, वह वैज्ञानिक पत्रों तथा अन्य प्रकाशनों के जरिये प्रचारित किया जाता था। समय समय पर वैज्ञानिकों के सम्मेलन भी होते रहे, जिन में वैज्ञानिक मिल कर अपनी समस्याओं पर विचार करते थे।

अब तक विज्ञान के अलग अलग विभागों के लिये अलग अलग संस्थाएँ काम कर रही थी, पर विज्ञान अन्ततोगत्वा एक ओर अविभाज्य है, इसलिये इस बात की भी आवश्यकता थी कि लोग सुविधा के लिये एक शाखा में काम करे, पर साथ ही सब तरह के वैज्ञानिकों को एक मंच पर एकत्र हो कर विचार विनिमय करने का मौका मिले। इस उद्देश्य से 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसियेशन की स्थापना हुई। गत 40 सालों से यह संस्था काम कर रही है, और भारतीय वैज्ञानिकों में पारस्परिक विचार विनिमय के अतिरिक्त विदेश के वैज्ञानिक भी इस के सम्मेलनों में आ कर सामान्य समस्याओं पर बातचीत तथा विचार विनिमय करते हैं।

यह आवश्यक था कि एक केन्द्रीय संस्था होती जिसे सरकार सब से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मस्या के रूप में स्वीकार करती और जो वैज्ञानिक परिषदों, संस्थाओं, सभाओं तथा सरकार के वैज्ञानिक विभागों और सेवाओं की बीच की कड़ी के रूप में काम करती। इस उद्देश्य से नेशनल इस्टीमेट आफ साइसेज (1935) सब से उपयुक्त पाई गई। इस संस्था को वही मर्यादा प्राप्त है जो लन्दन की रायल नोसाइटी या वाशिंगटन के राष्ट्रीय एकेडमी को प्राप्त है। ऊपर जो काम बताये गये, उनके अतिरिक्त नेशनल इस्टीमेट आफ साइसेज विज्ञान की उन्नति के लिये कोष तथा वृत्तियों को प्राप्त करती है, और साथ ही साथ किस प्रकार से उन का उपयोग किया जाये इस सम्बन्ध में निर्णय देती है।

इस शताब्दी के प्रारम्भ में परिस्थिति यह थी कि सरकारी सूत्रों के द्वारा भी जो वैज्ञानिक कार्य होते थे, उनमें कोई सम्पर्क या संयोग नहीं था। 1902 में इसी उद्देश्य से बोर्ड आफ साइंटिफिक एडवाइस यानी वैज्ञानिक परामर्श बोर्ड की स्थापना हुई। 1934 में इस संस्था के स्थान पर इंडस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो की स्थापना हुई।

द्वितीय महायुद्ध का युग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिये एक बहुत खतरनाक युग था। युद्ध चलते समय यह आवश्यक हो गया कि भारत में प्राप्त साधनों का अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपयोग हो क्योंकि बाहर से बहुत सी आवश्यक चीजों का आना असम्भव नहीं तो कठिन हो गया था। युद्ध की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने 1940 में बोर्ड आफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और 1941 में कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की। यह द्रष्टव्य है कि युद्ध के बहुत खतरनाक युग में ही इन संस्थाओं की स्थापना हुई। यह स्पष्ट है कि इन संस्थाओं की स्थापना विज्ञान के प्रति प्रेम के कारण नहीं, बल्कि साम्राज्य के स्वार्थ की दृष्टि से हुई।

शोषित संस्था एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित हुई। इसके जन्मे यह काम डाला गया कि वह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध सम्बन्धी संस्थाओं पर देखरेख रखे और उन्हें चलावे, छात्रों को शोध के लिये वृत्तियाँ तथा फेलोशिप दे, औद्योगिक विकास के लिये शोध कार्य का उपयोग करे। कहना न होगा कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे। स्वाभाविक रूप से संस्थाये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक मामलों पर पत्र तथा अनुसन्धान प्रकाशित करती है।

इस संस्था को स्वतंत्र भारत में कितना महत्व दिया गया है यह इससे मालूम हो सकता है कि इसकी कार्य समिति के सभापति स्वयं प्रधान मंत्री हैं और प्राकृतिक साधन तथा वैज्ञानिक शोध के मंत्री इसके उपसभापति हैं। इन महानुभावों के अतिरिक्त इस समिति में विज्ञान, व्यापारी वर्ग तथा उद्योग धन्य के गैर सरकारी प्रतिनिधि, और साथ ही वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी हैं। यह समिति प्रौद्योगिक मामलों में 19 सदस्यों के बोर्ड आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च से परामर्श लेती है। इन में 9 व्यक्ति प्रमुख वैज्ञानिक हैं, जो मुख्यतः गैर सरकारी व्यक्ति हैं। जिन सरकारी विभागों का सम्बन्ध औद्योगिक शोध से है उसके भी प्रतिनिधि इस में आ जाते हैं। बोर्ड कार्य-समिति को किन मामलों में परामर्श देती है यह भी देख लिया जाये—(1) किसी विशेष समस्या पर शोध प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव, (2) वैज्ञानिक संस्थाओं (जिन में विशेष विज्ञानों तथा उद्योग धन्यों की समस्याओं पर अध्ययन करने के लिये विश्व-विद्यालय भी आ जाते हैं) द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव (3) ढग से शोध करने की आवश्यक तैयारी के रूप में देश में मौजूद साधनों के अध्ययन तथा परिमाणन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

बोर्ड को देश की निम्नलिखित मुख्य शोध संस्थाओं का सहयोग प्राप्त होता है :

(1) भौतिक विज्ञान शोध समिति, (2) रेडियो शोध समिति, (3) वातावरण शोध समिति, (4) उच्च तुंगत्व (आल्टीच्यूड) शोध समिति, (5) भारत में भूगर्भ वैज्ञानिक समय परिमाणन समिति, (6) आकड़ा शास्त्र, स्टैटिस्टिक्स तथा गुण नियंत्रण समिति, (7) भवन निर्माण शोध समिति, (8) आन्तरिक कम्प्यूटेशन इंजन शोध समिति, (9) रासायनिक शोध समिति, (10) फार्मासोलाज द्रव्य और औषध शोध समिति, (11) मलेरिया कैमोथेरापी समिति, (12) बायोकेमिकल शोध समिति, (13) खान शोध समिति

(14) ईंधन शोध समिति, (15) कोयला मिश्रण और कोक शोध उपसमिति, (16) शीशा और परावर्तक द्रव्य शोध समिति, (17) लवण शोध समिति, (18) आवश्यक तैल शोध समिति, (19) उद्भिज्ज तैल शोध समिति, (20) वनस्पति शोध परामर्श समिति, (21) धातु शोध समिति, (22) प्लास्टिक शोध समिति, (23) चर्म शोध समिति, (24) सैलूलोज समिति और (25) सड़क शोध समिति ।

स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ सरकार ने वैज्ञानिक शोध के महत्व को देखते हुए 1948 के जून में वैज्ञानिक शोध विभाग नाम से एक विभाग खोल दिया जिस पर यह काम सौंपा गया कि वह राज्यों में और निजी मस्याओं में इस सम्बन्ध में जो शोध हो रहे हैं, उन पर देखरेख रखे और उन्हें मयुक्त करे । जब 1952 में केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक साधनों और वैज्ञानिक शोध के लिये एक मंत्रालय कायम किया तो वह विभाग इस के अन्तर्गत कर दिया गया ।

### राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ

हमारी स्वतंत्र सरकार विज्ञान को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए देश भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई । ये संस्थाएँ मौलिक शोध करने के अतिरिक्त व्यवहारिक शोध भी करती हैं —

### तालिका 93

| अनु-क्रम | प्रयोगशाला का नाम                         | स्थिति      | उद्घाटन तिथि                        | डायरेक्टर,                  |
|----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोग-शाला ।          | पूना .      | 3 जनवरी, 1950                       | जी० आई० फिच, एफ० आर० एस०    |
| 2        | राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला                | नई दिल्ली   | 21 जनवरी, 1950                      | के० एस० कृष्णन, एफ० आर० एस० |
| 3        | केन्द्रीय ईंधन शोध संस्था                 | धनबाद .     | 22 अप्रैल, 1950                     | जे० डब्ल्यू० व्हिट-कर ।     |
| 4        | केन्द्रीय शीशा और उन्नत मिट्टी शोध संस्था | जादवपुर .   | 25 अगस्त, 1950                      | आत्मा राम                   |
| 5        | केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्था ।      | मैसूर .     | 21 अक्टूबर, 1950                    | वी० सुब्रह्मण्यम            |
| 6        | राष्ट्रीय धातु शोध प्रयोग-शाला ।          | जमशेदपुर .  | 26 नवंबर, 1950                      | ई० एच० वकनाल                |
| 7        | केन्द्रीय औषध शोध संस्था                  | लखनऊ .      | 17 फरवरी, 1951                      | बी० मुर्जी                  |
| 8        | केन्द्रीय सड़क शोध संस्था .               | नई दिल्ली . | 16 जुलाई, 1952                      | ई० जीपेक्स                  |
| 9        | केन्द्रीय नैद्युत-रासायनिक . शोध संस्था   | कगाडकुडी    | 15 जनवरी, 1953                      | बी० वी० डे                  |
| 10       | केन्द्रीय चर्म शोध संस्था                 | मद्रास      | 16 जनवरी, 1953                      | बी० एम० दास                 |
| 11       | केन्द्रीय भवन निर्माण शोध संस्था          | रुडकी .     | 13 अप्रैल, 1953                     | के० बिल्लिंग                |
| 12       | केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्था | पिलानी .    | 21 सितम्बर, 1953 को शिलान्यास हुआ । | —                           |
| 13       | राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान .                | लखनऊ .      | अप्रैल, 1953 .                      | के० एन० कौल                 |

इन तरह संस्थाओं के अतिरिक्त भावनगर में एक केन्द्रीय लवण शोध केन्द्र खुल रहा है, जिसके डायरेक्टर डा० माता प्रसाद होंगे। कौंसिल ने लखनऊ में सिकन्दरा उद्यान को अपने कब्जे में ले लिया है, और यह प्रस्ताव है कि अध्यापक के० एन० कौल के सचालकत्व में इसे एक राष्ट्रीय उद्भिद वैज्ञानिक उद्यान के रूप में विकसित किया जाये। पञ्चवर्षीय योजना में एक यांत्रिक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की व्यवस्था है।

यहां यह बता दिया जाये कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का उद्देश्य किसी भी प्रकार देश की अन्य शोध संस्थाओं के कार्य को दबाना या उन में रोड़े अटकाना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को बनाने में सरकार का यह उद्देश्य रहा है कि वे उन संस्थाओं के सहायक के रूप में काम करें। यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में ऊपर गिनाई हुई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण शोध संस्थाएँ हैं। यह शोध संस्थाएँ भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञानों से सम्बन्ध रखती हैं। ये संस्थाएँ विशुद्ध शोध तक ही अपने कार्यक्षेत्र को सीमित रखती हैं और सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं —

1.—प्राचीन उद्भिद विद्या सम्बन्धी बीरवल साहनी संस्था, 53 युनिवर्सिटी रोड लखनऊ।

2.—बोस शोध संस्था, 93 अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता।

3.—इंडियन एमॉसिपेशन फार दी कल्टीवेशन आफ माइस, बी बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता।

4.—इंडियन इस्टीच्यूट आफ साइंस, बंगलौर।

5.—इंडियन एकेडेमी आफ साइंस (गमन इस्टीच्यूट) की प्रयोगशालाएँ, मल्लिकार्जुन बंगलौर।

6 टाटा इस्टीच्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई।

पहले ही बताया गया है कि कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक बहुत बड़ा काम कर रही है। इसका एक मुख्य काम यह भी है कि औद्योगिक शोध संस्थाओं के निर्माण में सहायता दे। यह खुशी की बात है कि अहमदाबाद कपड़ा मिल उद्योग बम्बई की असली तथा नकली रेशम की मिले, कलकत्ते की जूट मिले तथा दिल्ली स्थित औद्योगिक शोध सम्बन्धी श्रीराम इस्टीच्यूट उल्लिखित प्रकार की संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं को सरकार कुछ सहायता देती है, पर जिस उद्योग में संस्था का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, वही इसका अधिकांश खर्च उठाता है। कौंसिल इस प्रकार की शोध संस्थाओं को स्वीकृति देती है।

### सहायता प्राप्त शोध

विश्वविद्यालयों तथा दूसरी शोध संस्थाओं में जो मौलिक तथा व्यावहारिक शोध कार्य चालू हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये कौंसिल धन की सहायता देती है। कौंसिल की देखरेख में चालू तथा जल्दी ही चालू होने वाली शोध योजनाओं की संख्या 117 है। ये शोध योजनाएँ या तो वैज्ञानिक संस्थाओं के जरिये चालू हो रही हैं या विश्वविद्यालयों के जरिये।

1952-53 में बोर्ड आफ साइंटिफिक एण्ड

इंडस्ट्रियल रिसर्च के महत्वपूर्ण कार्य

हमारा देश एक महादेश है इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं कि यहां पर 30 विभिन्न सम्बत्सर पद्धति एक साथ चालू है। यदि उनमें से प्रत्येक पद्धति का इतिहास देखा जाये, तो ज्ञान होगा कि

भूतकाल की किसी न किसी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक घटना या परम्परा के कारण वह चालू हुई है तथा जारी रही। कहना न होगा कि निजी तौर पर कोई कुछ भी माने सरकार अपने सारे कामों के लिये केवल एक सम्बत्सर पद्धति को ही स्वीकार कर सकती थी। इस काम के लिये भारत सरकार ने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० मेघनाद साहा के सचालकत्व में सम्बत्सर सुधार समिति नाम से एक संस्था स्थापित की। यह संस्था भी कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च की देखरेख में काम कर रही है। अभी इस समिति का कार्य चालू है, पर ज्ञात हुआ है कि वैज्ञानिक आधार पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सौर सम्बत्सर पद्धति तैयार करने की योजना है। यह न समझा जाये कि चांद्र सम्बत्सर पद्धति या इससे समाप्त हो जायेगी, धार्मिक कार्यों के लिये कई क्षेत्रों में चांद्र वर्ष का होना जरूरी है। पर यह आशा की जाती है कि चांद्र सम्बत्सर पद्धतियों को सौर पद्धति से निकट कर दिया जायेगा। प्राचीन काल में हमारी गणनाओं में उज्जैन को विशेष महत्व प्राप्त था, तदनुसार यह तय हुआ है कि उज्जैन जिस अक्षांश पर स्थित है, यानी ग्रीनविच 82° 50' पूर्व में किसी स्थान पर एक केन्द्रीय स्थान चुना जाये जहाँ में भारत की सारी गणना की जाये। यों तो हमारे यहाँ कई वेधशालाएँ हैं, पर आधुनिक सूक्ष्म यंत्रों में समन्वित एक केन्द्रीय वेधशाला की जरूरत थी। उम्मी बात को देखते हुए इस समिति ने इसकी भी सिफारिश की है। इस बीच में और भी जो काम हुआ है, उसका व्यौरा यों है कि आगामी 5 साल के लिये एक प्रयोगात्मक चांद्र-सौर सम्बत्सर पद्धति कायम की जाये। श्री जे० आर० डी० टाटा के सभापतित्व में एक गैस टर्बाइन और जेट प्रोपल्शन एजेंट कमेटी भी कायम हुई है। इस कमेटी का काम यह होगा कि वह गैस टर्बाइन और जेट प्रोपल्शन इंजनों के सम्बन्ध में शोध करे और भारत में उनका निर्माण करे।

### रेडियो शोध कार्य

हमारे देश में अब रेडियो को कितना महत्व प्राप्त हुआ है यह सभी को मालूम है, तदनुसार एक रेडियो शोध समिति कायम की गई है जो रेडियो के वल्वों, रेडियो तरंगों के वितरण तथा ध्रुवीकरण और लघु तरंगों के अन्तर्निधान के सम्बन्ध में शोध करेगी। इसके अलावा यह समिति वातावरण तथा आयनोस्फीयर के सम्बन्ध में खोज कर रही है। अपने शोध के परिणामों को यह समिति बुलेटिनों के रूप में प्रकाशित करती है। दुनिया के और हिस्सों में इस सम्बन्ध में जो शोध कार्य हो रहे हैं उनके परिणाम भी बुलेटिनों में प्रकाशित होते हैं। इन बुलेटिनों के पारस्परिक विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होता है।

### फर्मासी में उत्पन्न द्रव्य तथा दवाएं

पहले ही लखनऊ के ड्रग रिसर्च इंस्टीच्यूट का उल्लेख किया जा चुका है। इस संस्था की ओर से जम्मू और काश्मीर में जड़ी बूटियों के शोध के सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन कार्यक्रम चालू है। इसके साथ ही देश में जिन विभिन्न जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, उन पर भी शोध किये जा रहे हैं, जिससे मालूम हो सके कि कहाँ तक लोगों का विश्वास सही है। दूसरे देशों की जड़ी बूटियाँ यहाँ आ कर किस हद तक उत्पन्न हो सकती हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में भी खोज की जा रही है।

### गुलाब के पौधों पर खोज

गुलाब की कदर सारी दुनिया में है इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं कि विशेष रूप से गुलाब के पौधों पर खोज की गई। भूमि और जलवायु के साथ गुलाब की खेती का क्या सम्बन्ध है, गुलाब की कौन सी किस्में खेती के लिये सब से उपयोगी हैं तथा विभिन्न गुलाब में से कौन से गुलाब तथा उन की उपजों में अधिक सुगन्ध होती है उन पर शोध कार्य किया जा चुका है और परिणाम जल्दी ही प्रकाशित होगा।

### प्लास्टिक

देखते देखते प्लास्टिक का धन्धा कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, यह सभी को मालूम है। इसलिये यह उचित ही है कि प्लास्टिक रिसर्च कमेटी की देखरेख में शोधयोग्य समस्याओं की सूची तैयार हो चकी है और वह जल्दी ही प्रकाशित होगी।

### आकडेगत गुण नियंत्रण का प्रशिक्षण और शोध

कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से बम्बई के इंडियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट से आकडेगत गुण नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने की एक योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्र संघ के भारत में मौजूद विशेषज्ञों से सलाह ली गई। 1952 के अक्टूबर में आकडेगत गुण नियंत्रण समिति की सभा में विशेषज्ञ समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विचार किया गया। इसके बाद अध्यापक महलानविस ने एक उन्नततर शिक्षण तथा शोध सम्बन्धी कार्यक्रम दिया जिस पर विचार हो रहा है।

### भारतीय चट्टानों का वय-निर्णय

भूगर्भ विज्ञान में चट्टानों का वय-निर्णय एक प्रमुख विषय है। इस सम्बन्ध में भूगर्भ वैज्ञानिक समय प्रमाण समिति कार्य कर रही है। इस कार्य के लिये भौतिक, रासायनिक तथा प्राचीन उद्भिद विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम काम में लाया जा रहा है। आध विश्वविद्यालय में समुद्र परिमाणन शोध के सम्बन्ध में भी एक नया तरीका काम में लाया जा रहा है। यह कार्य अमेरिका के अध्यापक ई० एस० ला फौन्ड की देखरेख में चल रहा है, जो समुद्र परिमाणन सम्बन्धी स्क्रिप्स संस्था के सदस्य है। अभी परिमाणन का काम बहुत प्रारम्भिक अवस्था में है, फिर भी भारत के पूर्वी तट के सरसरी परिमाणन से समुद्रगर्भ की गहराई, भूगर्भवैज्ञानिक विशेषताओं, चट्टानों की तेजोद्गार अन्तर्गत वस्तु तथा समुद्र के गर्भ के प्राणियों और उद्भिदों के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी सूचनायें प्राप्त हुई हैं। कहना न होगा कि यह काम अभी उस हद तक नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिये। आशा की जाती है कि जल्दी ही इस कार्य का विस्तार होगा।

भारत के वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के लिये एक अभाव यह भी रहा कि उन्हें आवश्यकता-नुसार दुष्प्राप्य रासायनिक पदार्थ प्राप्त नहीं होते थे। इसलिये पूना की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला इस सम्बन्ध में कार्य कर रही है, और यह आशा की जा रही है कि उनके द्वारा बनाई हुई योजना के अनुसार कुछ दुष्प्राप्य रासायनिक पदार्थ शोध कार्य करने वालों को उचित मूल्य पर प्राप्त होंगे।



### भौतिक विज्ञान पर शोध

दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में आर० एफ० अम्मीटरस शोध योजना के फलस्वरूप तैयार हुए और उनके डिजाइन बने। ये परीक्षण में सन्तोषजनक पाये गये। अब नागरिक उड्डयन तथा प्रतिरक्षा सेवाओं में उनका परीक्षण हो रहा है।

### विज्ञान मन्दिर

विज्ञान को गांव वालों तक ले जाना एक महान् उद्देश्य है। तदनुसार दिल्ली राज्य के गांव में एक विज्ञान मन्दिर की स्थापना की गई है। इस मन्दिर का उद्देश्य गांव वालों को खेती तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उठने वाली दैनिक समस्याओं पर सलाह देना है। विज्ञान मन्दिर नई समस्याओं पर भी विचार करेगा। इसमें भूमि और जल का विश्लेषण किया जायेगा और बीमारियों के सम्बन्ध में भी अध्ययन होगा। इस मन्दिर में गांव वालों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार किया जायेगा और आसान साहित्य का वितरण होगा। केवल सलाह देने से ही काम नहीं चल सकता, इसलिये पौधों की बीमारियों को दूर करने के लिये आवश्यक चीजें भी मन्दिर में मिल सकेंगी। दिल्ली का यह प्रयोग सफल रहा तो भारत भर में विज्ञान मन्दिर खोले जायेंगे।

### इंजीनियरिंग शोध

1950 में इंजीनियरिंग सम्बन्धी शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिये बोर्ड आफ इंजीनियरिंग रिसर्च की स्थापना हुई। इसकी सहायक समितियों के रूप में 5 विशेषज्ञ समितियां काम करती हैं, जैसे (1) असेनिक इंजीनियरिंग समिति, (2) यन्त्रसम्बन्धी इंजीनियरिंग समिति, (3) विजली और रेडियो इंजीनियरिंग समिति, (4) हाइड्रोलिक समिति और (5) वायुयान विज्ञान सम्बन्धी इंजीनियरिंग समिति। इस बोर्ड के सामने विशेषरूप से दो कार्य हैं, एक तो देश में इंजीनियरिंग शोध से प्राप्त मुविधाओं का परिमाण तथा दूसरे उन समस्याओं का पता लगाना जो अभी तक हल नहीं की जा सकी।

### प्रकाशन

कौंसिल जो काम कर रही है, उसके सम्बन्ध में लोगों को जानकारी देने के लिये कई पत्र-पत्रिकाएं निकालती रहती है। अंग्रेजी में 'जरनल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च' और हिन्दी में विज्ञान प्रगति मासिक साहित्य के रूप में प्रकाशित हुई है। इनका उद्देश्य जनता में विज्ञान का प्रचार करना है। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं अपनी बुलेटिन प्रकाशित करती हैं।

भारत में कौन कौन से कच्चे माल प्राप्त हैं उस के सम्बन्ध में 11 जिल्दों में एक ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है, जिन में से चार जिल्दे प्रकाशित हो चुकी हैं। समय-समय पर और भी छोटी मोटी पुस्तिकाएं तथा परिमाण रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। इस मस्या की ओर से जो सबसे ताजी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं (1) वनस्पति की वनावट तथा पौष्टिक मूल्य पर शोध, (2) भारतीय फार्मी ग्रन्थ।

यह के विभिन्न द्रव्यों के परिमाण के साथ साथ कौंसिल यहां की वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक जनशक्ति के सम्बन्ध में भी एक विस्तृत पूंजी तैयार कर रही है। इस पुस्तक के लिखे जाने के समय तक 40,000 से ऊपर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विशेषज्ञों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा चुकी है।

### वैज्ञानिक सम्पर्क

भारत में विज्ञान की उन्नति के लिये इतना ही यथेष्ट नहीं है कि भारत के वैज्ञानिक परस्पर विचार विनिमय ही करते रहे, बल्कि इस के साथ यह भी जरूरी है कि हमारे वैज्ञानिकों का सम्पर्क संसार के अन्य वैज्ञानिकों के साथ बना रहे। इसी उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार की ओर से एक वैज्ञानिक कर्मचारी इंग्लैंड में नियुक्त है, जो कामनवेल्थ के देशों के अन्दर वैज्ञानिकों के आने जाने में सहायता देता है। संसार के वैज्ञानिक निरन्तर जो नये आविष्कार कर रहे हैं, यह कर्मचारी सरकार को उन से परिचित कराता रहता है, और साथ ही भारतीय छात्रों के लिये विदेशों में विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध करता रहता है।

### राष्ट्रीय शोध विकास कारपोरेशन

हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में निरन्तर नई-नई प्रक्रियाएँ तथा पद्धतियों का आविष्कार होता है। यदि केवल इन बातों को विज्ञान की पुस्तकों तक ही सीमित रखा जाये, तो कोई विशेष लाभ नहीं है। निजी व्यापारियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे उन आविष्कारों को फौरन ही काम में लायेंगे, तथा उस के लिये आवश्यक विपत्ति उठायेंगे। इस खतरे से बचने के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोध विकास कारपोरेशन नाम से एक संस्था की स्थापना की है। यह संस्था आविष्कृत तरीकों का प्रयोग कर नये यंत्रों तथा आविष्कारों का परीक्षण करेगी। जब परीक्षण में आविष्कार खरे उतर जायेंगे, तब तो निजी व्यापारी स्वयं ही उस ओर बढ़ेंगे।

### आणविक शक्ति आयोग

सारे संसार में आणविक शक्ति के सम्बन्ध में जो क्रियाशीलता चालू थी, उसे देखते हुए भारत सरकार इस ओर से उदासीन नहीं रह सकती थी। इसलिये 1948 के आणविक शक्ति ऐक्ट के अनुसार अगस्त 1948 में आणविक शक्ति आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का काम यह है कि आणविक शक्ति के विकास और उपयोग सम्बन्धी सारे विषयों पर काम करे।

आणविक शक्ति शोध बोर्ड तथा कास्मिक रश्मि समिति आयोग के काम में हाथ बटाती हैं। हमारे यहाँ गणित, रसायनशास्त्र, भौतिक विज्ञान पर अध्ययन का मान-दण्ड उतना ऊँचा नहीं था जितना कि उच्च वैज्ञानिक अध्ययन के लिये आवश्यक है। इस उद्देश्य से आयोग ने देश की कई शिक्षा संस्थाओं को काफी अनुदान दिया है। आयोग ने शोध सम्बन्धी जो कार्यक्रम बनाया है, उसके अनुसार विश्वविद्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट तथा दूसरी संस्थाओं में शोध कार्य हो रहा है।

कास्मिक रश्मि सम्बन्धी शोध करने के लिये आयोग की ओर से कलकत्ता के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स तथा बोस रिमर्च इंस्टीट्यूट को तथा अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी को सहायता दी जाती है। इस मद में प्रतिवर्ष कई लाख रुपये खर्च होते हैं।

आयोग ने तिरुवाकुर-कोचीन के अल्वाए नामक स्थान में भारतीय दुष्प्राप्य मिट्टियाँ लि० स्थापित की हैं। इस कारखाने पर भारत सरकार और तिरुवाकुर-कोचीन की सम्मिलित मिल्कियत है। 1952 के अप्रैल में यह कारखाना स्थापित हुआ था,

और इस में मोनाजाइट का प्रोसेसिंग होता है । इसी कारखाने में बहुत लाभ हो रहा है, और साथ ही भारत को युद्धोपयोगी माल भी मिल रहा है । अब तक इस कारखाने में यूरेनियम और थोरेनियम निकालने का कोई उपाय नहीं था, और इस के लिये वही एक दूसरा कारखाना खुल रहा है । इस कारखाने में जो दुष्प्राप्य मिट्टियों वाला नमक प्राप्त होता है, उसमें से कुछ गैस मेंटल धन्धे में लगा दिया जायेगा और बाकी भविष्य के लिये रख दिया जायेगा ।

### न्यूक्लेयर शोध

भारत में अभी कई मामले में जैसे न्यूक्लेयर शोध में तो अभी हाल ही में शुरुआत हुई है । इस सम्बन्ध में 1945 में स्थापित टाटा इस्टीट्यूट अग्रगामी रहा है । यह सस्था वित्तीय सहायता के लिये भारत सरकार पर निर्भर करती है और शोध करने के अतिरिक्त छात्रों को प्रशिक्षण भी देती है । 1950 में कलकत्ता में मदाम जोलियो कूरी ने इस्टीट्यूट आफ न्यूक्लेयर फिजिक्स की स्थापना की ।

## चौदहवां अध्याय उद्योग धन्धे

हमारे देश के लिये सब से बड़ी समस्या यह रही है कि जमीन पर बोझ घटाया जाये। यह सौभाग्य की बात है कि इधर हमारे देश में औद्योगिक प्रगति तेजी से हुई है। 1952 में प्रगति काफी रही। नीचे की तालिका से ज्ञात होगा कि 1952 में औद्योगिक उत्पादन का देशनाक 128.9 तक पहुँचा हुआ था जो युद्ध के बाद के वर्षों के लिये सर्वोच्च है :

तालिका 94  
( आधार : 1946=100 )

| वर्ष       | औद्योगिक जन-संख्या का देशनाक | औद्योगिक जनसंख्या का त्रैमासिक देशनाक |         |         |
|------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|
|            |                              | तिमाही                                | 1951-52 | 1952-53 |
| 1947 . . . | 97.2                         | I                                     | 117.3   | 126.7   |
| 1948 . . . | 108.4                        | II                                    | 117.7   | 128.2   |
| 1949 . . . | 106.1                        | III                                   | 121.3   | 133.5   |
| 1950 . . . | 105.0                        | IV                                    | 126.0   | 132.4   |
| 1951 . . . | 117.2                        |                                       |         |         |
| 1952 . . . | 128.9                        |                                       |         |         |

कुछ उद्योगों में विशेष तरक्की रही, जैसे सूती कपड़े, पटसन का माल, चीनी, नमक, दिया-सलाई, कागज, कागज का गत्ता, बिजली की बत्तियाँ, कृत्रिम रेशमी सूत तथा सिलाई की मशीनें। यदि यह विचार किया जाये कि यह बढ़ती क्यों हुई तो यह ज्ञात होगा कि दो बातें मुख्यतः इस के लिये जिम्मेदार हैं। एक तो मालिक और मजदूरों का झगडा कम हो गया, और दूसरे कच्चे माल की पूर्ति अधिक हुई। पर इन बातों के होते हुए भी कुछ धन्धे ऐसे हैं जिन में उत्पादन कम हुआ। इन धन्धों में मुख्य ये हैं :—

अल्यूमीनियम, पम्प, डीजल इंजन, यांत्रिक औजार, करघे, हरिकेन लालटेन, सूखी और स्टोरेज बैटरी, सुपर फास्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश, रंग वाले पेन्ट, एनामेल, चमडा, शीशा तथा ऊन की चीजें। इन धन्धों में अवनति इस कारण हुई कि सारी दुनिया में बेचनेवालों के बाजार से खरीदने वालों के बाजार के रूप में परिवर्तन हुआ।

1948 में 13,120 स्थायी और 2,786 मौसमी कारखाने थे। कुल मिलाकर इन से राष्ट्रीय आय 6.6 प्रतिशत प्राप्त हुई थी। उत्पादन की मर्दमशमारी के अनुसार उद्योगधन्धों के 29 वर्गों में कुल उत्पादक पूँजी का परिमाण 483 करोड़ रुपये, निर्दिष्ट पूँजी का परिमाण 196 करोड़ रुपये और चालू पूँजी 287 करोड़ रुपये की थी। इस के साथ यदि यह बात रक्खी जाये कि कई धन्धे इस गणना में नहीं आये, तो भारतीय उद्योग धन्धों में लगी हुई उत्पादक पूँजी का परिमाण 650 करोड़ रुपये था। सब कारखानों में कुल मिला कर पच्चीस लाख व्यक्ति काम कर रहे थे। इन सब बातों को देखते हुए 1948 में ही सप्ताह की औद्योगिक जातियों में भारत को आठवा स्थान प्राप्त हुआ।

भारत में पहली सूती मिल 1818 में स्थापित हुई, पर यह केवल इतिहास के लिये है। असल में 1854 में बम्बई में इस धन्धे का श्रीगणेश हुआ। सूती कपड़े का धन्धा और पटसन का धन्धा यही दोनो भारत के मुख्य धन्धे हैं। जहा सूती कपड़े का सूत्रपात बम्बई में हुआ वहा पटसन के धन्धे का सूत्रपात कलकत्ते में 1855 में हुआ। स्थापना के स्थान के अतिरिक्त इन दोनो धन्धों में एक फर्क और भी रहा। सूती कपड़े के धन्धे के पीछे मुख्यत भारतीय पू जी और उद्योग था, पर पटसन के धन्धे के पीछे विदेशी पू जी और विदेशी उद्योग था। नीचे की तालिकाओं में गत पचास वर्षों में इन धन्धों में जो प्रगति हुई है, दिखाई जा रही है :

## तालिका 95

## सूती कपड़ा उद्योग का विकास

| वर्ष | मिलों की संख्या | तकूबों की संख्या (हजारों में) | करघों की संख्या (हजारों में) | उत्पादन                   |                                 |
|------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|      |                 |                               |                              | सूत<br>(दस लाख पौडों में) | पीस गुड्स<br>(दस लाख पौडों में) |
| 1901 | 178             | 4,841                         | 40.5                         | 573                       | 120                             |
| 1911 | 233             | 6,095                         | 85.8                         | 625                       | 267                             |
| 1921 | 249             | 7,278                         | 133.5                        | 694                       | 403                             |
| 1931 | 314             | 9,078                         | 175.2                        | 966                       | 672                             |
| 1941 | 396             | 10,026                        | 200.2                        | 1,577                     | 1,093                           |
| 1951 | 445             | 11,241                        | 201.5                        | 1,304                     | 4,076<br>(दस लाख गज)            |

## तालिका 96

## पटसन उद्योग का विकास

| वर्ष                               | मिलों की संख्या | अधिकृत पू जी (करोड़ रुपये में) | करघों की संख्या (हजारों में) | तकूबों की संख्या (हजारों में) |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1879-80 से लेकर 1883-84 तक (औसत)   | 21              | 2.71                           | 5.5                          | 88                            |
| 1899-1900 से लेकर 1903-04 तक (औसत) | 36              | 6.80                           | 16.2                         | 335                           |
| 1909-10 से लेकर 1913-14 तक (औसत)   | 60              | 12.09                          | 33.5                         | 692                           |
| 1925-26                            | 90              | 21.35                          | 50.5                         | 1,064                         |
| 1930-31                            | 100             | 23.61                          | 61.8                         | 1,225                         |
| 1937-38                            | 105             | 24.89                          | 52.4                         | 1,108                         |
| 1951                               | 106             |                                |                              |                               |

1855 के लगभग इन दोनों धन्धों का आरम्भ हुआ, और प्रथम महायुद्ध छिड़ने तक ये ही दोनों धन्धे भारत के मुख्य धन्धे बने रहे। युद्ध के कारण भारतीय धन्धों को प्रोत्साहन मिला। उस युग की भारत सरकार समझ गई कि भारतीय धन्धों को प्रोत्साहन देना चाहिये, पर इस बीच में बहुत कुछ होते हुए भी 1922 में ही भारतीय फिस्कल कमिशन की सिफारिश पर भारतीय धन्धों को संरक्षण दिया गया। इससे भारतीय धन्धों को बहुत फायदा रहा। 1922 और 1939 के बीच सूती पीसगुड का उत्पादन दुगुने से अधिक हो गया। इम्पात के इनगट का उत्पादन आठ गुना हुआ, और कागज का उत्पादन ढाई गुना पहुँचा। सब से मार्को की प्रगति चीनी के धन्धे में हुई। संरक्षण मिलने के कारण 1932 से 36 के अन्दर देश चीनी के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो गया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। सीमेंट का धन्धा भी जोरों पर हो गया, और 1935-36 तक यह धन्धा इतना बढ़ गया कि देश की सीमेंट सम्बन्धी जरूरत का 95 प्रतिशत भारत में ही पूरा होने लगा। इसी प्रकार से दियासलाई, शीशा, वनस्पति, साबुन और इजीनियरिंग के कई धन्धों में उस युग में बहुत काफी प्रगति हुई। देश में अब बिजली का सामान भी उत्पन्न होने लगा।

इस प्रकार प्रथम महायुद्ध से भारत के उद्योगधन्धों को बहुत फायदा रहा, पर दूसरे महायुद्ध में और भी अधिक फायदा रहा क्योंकि अब यह तारा लगाया गया कि जहाँ तक हो सके देश की जरूरत देश में ही पूरी की जाये। इस कारण कई नये धन्धे चालू हो गये।

(देखिये पृष्ठ 231 पर तालिका 97)

नये धन्धों से लौह धातु मिश्रण, लौह धातु, डीजल इंजन, पम्प, वाइसिकल, सिलाई की मशीनें, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, क्लोरिन और सुपर फास्फेट का उत्पादन उल्लेखनीय है। इसी युग में यंत्रसम्बन्धी औजार, सरल यन्त्र, चाकू, छुरी आदि तथा फर्माई वाले द्रव्य उत्पन्न होने लगे। यह तो लड़ाई के जमाने की बात हुई। जब लड़ाई बन्द हो गई तो कई और नये धन्धे चल निकले। अब तो बाल और रोलर बेयरिंग, धुनाई इंजन, रिगफ्रेम और रेल इंजन उत्पन्न होने लगे। यद्यपि इसके पहले से ही रासायनिक खाद, सीमेंट, शीशे की चादरे, कास्टिक सोडा, मल्फ्युरिक एसिड के धन्धे चालू हो चुके थे, फिर भी अब उन में बहुत जोरों की वृद्धि हुई।

कई भी देश केवल उपभोग द्रव्यों के उत्पादन से बड़ा नहीं हो सकता। यह मही है कि जनता के प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक उपभोग द्रव्य पहुँचाना ही जनकल्याणकारी राष्ट्र का उद्देश्य है, पर जो देश केवल उपभोग के द्रव्य उत्पन्न करता है, वह आधारभूत पूजीवाले द्रव्यों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, इसलिये दूसरे देश जब चाहे तब उस की समृद्धि समाप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्य से अब तक हमारे यहाँ उपभोग द्रव्यों के उत्पादन पर ही जोर रहा। विदेशी शासन से और क्या आशा की जा सकती थी। उपभोग द्रव्यों के मामले में तो हम इतने आगे बढ़ गये थे कि सूती कपड़ा, चीनी, साबुन, दियासलाई और नमक में हम बहुत कुछ आत्मनिर्भर हो चुके थे। बाकी द्रव्यों के मामले में विशेषकर पूजी वाले द्रव्य तथा बीचकी उपजों को उत्पन्न करने वाले धन्धों में हम अपनी वर्तमान आवश्यकता को भी पूर्ण करने में असमर्थ रहे। लाहा और इम्पात के धन्धे में तो हम देश की ५० प्रतिशत मौजूदा माग को भी पूरा नहीं कर सके। अल्यूमिनियम, लौह धातुमिश्रण, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, रासायनिक खाद तथा पेट्रोल द्रव्यों में हम बहुत हो पीछे हैं। बड यन्त्र, सिन्थेटिक दवाइया, एन्टीबायोटिक द्रव्य

## तालिका 97

कुछ चुने हुए उद्योगों के उत्पादन आंकड़े

| उद्योग          | इकाई           | 1938   | 1945   | 1946   | 1947   | 1948   | 1949   | 1950   | 1951   | 1952   |
|-----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| भार इस्पात (क)  | (000 टन)       | 702    | 954    | 890    | 893    | 857    | 930    | 1,004  | 1,076  | 1,103  |
| सूत             | (10 लाख पौंड)  | 1,289  | 1,644  | 1,367  | 1,296  | 1,447  | 1,360  | 1,175  | 1,304  | 1,450  |
| सूती पीसगुड (ख) | (10 लाख गज)    | 4,306  | 4,711  | 3,908  | 3,762  | 4,319  | 3,905  | 3,665  | 4,076  | 4,598  |
| पटसन से बना माल | (000 टन)       | 1,266  | 1,086  | 1,088  | 1,051  | 1,088  | 946(ख) | 835(ख) | 875(ख) | 952(ख) |
| कागज और गत्ता   | (000 हंडरेड)   | 1,164  | 1,964  | 2,120  | 1,862  | 1,958  | 2,064  | 2,178  | 2,638  | 2,750  |
| गन्धक का तेजाब  | (000 हंडरेड)   | 485    | 734    | 1,200  | 1,200  | 1,600  | 1,989  | 2,050  | 2,139  | 1,921  |
| अमोनियम सल्फेट  | (000 टन)       | 14.5   | 22.0   | 22.5   | 21.3   | 35.2   | 45.9   | 47.3   | 52.7   | 220.3  |
| रंगवाला पेट     | (000 हंडरेड)   | 572    | 1,030  | 768    | 772    | 714    | 618    | 559    | 670    | 643    |
| दियासलाई        | (10 लाख ग्रुस) | 21.6   | 22.8   | 20.6   | 23.3   | 26.6   | 26.3   | 26.2   | 28.9   | 30.4   |
| चीनी (ग)        | (000 टन)       | 994    | 967    | 923    | 901    | 1,075  | 1,001  | 9,777  | 1,115  | 1,494  |
| सीमेंट          | (000 टन)       | 1,404  | 2,209  | 1,542  | 1,447  | 1,553  | 2,102  | 2,612  | 3,196  | 3,538  |
| नमक (घ)         | (000 मन)       | 43,968 | 54,602 | 47,868 | 51,600 | 63,528 | 55,620 | 71,316 | 74,376 | 76,860 |
| कोयला           | (000 टन)       | 28,344 | 28,716 | 28,884 | 30,000 | 29,820 | 31,452 | 31,992 | 34,308 | 36,228 |

ट्रस्टव. —अगस्त, 1947 के बाद के आंकड़े भारतीय यूनियन के लिये हैं।

(क) आंकड़े भारतीय यूनियन के लिये हैं।

(ख) अगस्त, 1949 के बाद के आंकड़े उन मिलों के उत्पादन के लिये हैं, जो भारतीय जूट मिल एसोसियेशन की सदस्य हैं और एक ऐसी मिल के लिये भी हैं जो सदस्य नहीं है।

(ग) 1946 के बाद के आंकड़ों का सम्बन्ध नवम्बर से लेकर अक्टूबर तक के फूसल-वर्ष के लिये है, और ये केवल गन्ने की शक्कर के लिये हैं।

(घ) 1946 तक के आंकड़े अप्रैल से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये हैं।

रग का सामान, भारी रासायनिक पदार्थ का उत्पादन अभी अभी हम ने आरंभ किया है। तालिका 97 में 1945 के बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण धन्धों में प्रगति हुई है, यह दिखाया गया है। इसी के साथ-साथ 1938 आंकड़े भी दिये गये हैं जिससे तुलना सम्भव है। कुछ मुख्य धन्धों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

तालिका 98

## सूती कपड़ा

| वर्ष    | मिलों की संख्या | करवे (हजार) | लकड़ें (हजार) | उत्पादित सूत (दम लाख पोंड) | उत्पादित कपड़ा (दम लाख गज) | नियत प्रति दिन (लाख गज) |
|---------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1947-48 | 408             | 197         | 10,266        | 1,330                      | 3,770                      | 19                      |
| 1948-49 | 416             | 198         | 10,534        | 1,475                      | 4,381                      | 34                      |
| 1949-50 | 425             | 200         | 10,849        | 1,290                      | 3,779                      | 69                      |
| 1950-51 | 445             | 201         | 11,241        | 1,162                      | 3,676                      | 1,211                   |
| 1951-52 | 453             | 204         | 11,427        | 1,325                      | 4,297                      | 42                      |
| 1952-53 | 453             | 204         | 11,427        | 1,500<br>(लगभग)            | 4,800<br>(लगभग)            | 65<br>(लगभग)            |

## पटसन का माल

| वर्ष<br>(जून-जुलाई) | मिलों की संख्या | उत्पादन (हजार टनों में) | निर्यात (हजार टनों में) | प्रति दिन नियोजित श्रमिकों की संख्या (औसत) |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1947-48             | 104             | 1,035                   | 896                     | 3,15,000                                   |
| 1948-49             | 104             | 1,040                   | 872                     | 3,03,000                                   |
| 1949-50             | 104             | 825                     | 754                     | 2,78,300                                   |
| 1950-51             | 104             | 858                     | 547                     | 2,84,000                                   |
| 1951-52             | 104             | 945                     | 797                     | 2,76,000                                   |
| 1952-53             | 104             | 920                     | 739                     | 2,70,000                                   |

## चीनी

| वर्ष    | मिलों की संख्या | उत्पादन (हजार टनों में) | चीनी की औसत प्राप्ति (प्रतिशत) |
|---------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1948-49 | 136             | 1,007                   | 9.97                           |
| 1949-50 | 139             | 978                     | 9.89                           |
| 1950-51 | 138             | 1,100                   | 9.99                           |
| 1951-52 | 139             | 1,483 (क)               | 9.57                           |
| 1952-53 | 136             | 1,250 (लगभग)            | 9.95                           |

(क) अब तक का अधिकतम उत्पादन



## लोहा व इस्पात

| वर्ष    | कुल उत्पादन (हजार टनों में) |
|---------|-----------------------------|
| 1948-49 | 3,620 1                     |
| 1949-50 | 3,973 4                     |
| 1950-51 | 4,007 6                     |
| 1951-52 | 4,309 3                     |
| 1952-53 | 4,100 0                     |

## सीमेंट

| वर्ष    | उत्पादन (लाख टनों में) | आयात (हजार टनों में) |
|---------|------------------------|----------------------|
| 1948-49 | 16 2                   | 147                  |
| 1949-50 | 22 9                   | 340                  |
| 1950-51 | 26 9                   | 19                   |
| 1951-52 | 33 0                   | 13                   |
| 1952-53 | 36 0                   | 13                   |

## कोयला व पत्थर का कोयला

| वर्ष    | उत्पादन (लाख टनों में) | निर्यात (लाख टनों में) |
|---------|------------------------|------------------------|
| 1948-49 | 280 1                  | 11.2                   |
| 1949-50 | 323 4                  | 9 7                    |
| 1950-51 | 361 8                  | 36.9                   |
| 1951-52 | 350 0                  | 24 0 (लगभग)            |
| 1952-53 | .                      | .                      |

## साइकिल

| वर्ष    | बनायी गयी साइकिलों की संख्या | आयात की गई (सम्पूर्ण) साइकिलों की संख्या |
|---------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1948-49 | 46,000                       | 2,64,392                                 |
| 1949-50 | 67,000                       | 2,68,148                                 |
| 1950-51 | 1,01,136                     | 1,65,461                                 |
| 1951-52 | 1,20,288                     | 2,83,100                                 |
| 1952-53 | 1,92,000                     | 2,56,491                                 |

## अल्युमिनियम

| वर्ष | वार्षिक क्षमता                                            | इस्पात का उत्पादन<br>(टनों में) | धातु का आयात सभी<br>रूप में (टनों में) |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1948 |                                                           | 3,362                           |                                        |
| 1949 |                                                           | 3,490                           |                                        |
| 1950 |                                                           | 3,596                           |                                        |
| 1951 | अनुमिता 16,000<br>इस्पात 4,000 (क)<br>चादर और छल्ले 3,500 | 3,489                           | 8,000 (अंशित)                          |
| 1952 |                                                           | 3,941                           |                                        |

## मशीनी औजार

| वर्ष                | फैक्ट्रियों की संख्या | कूती गयी वार्षिक क्षमता | उत्पादन |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| 1950-51             | 14                    | 3,000                   | 1,101   |
| 1955-56<br>(लक्ष्य) | 15                    | 4,600                   | 4,600   |

## बागान वाले धन्धे

हमारे देश में चाय, कढ़वा और रबड़ के धन्धे खेती वाले भाग के कुल 0.4 प्रतिशत भाग में फैले हुए हैं। भारत के उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में इनका बोलबाला है। पर विदेश से धन लाने की दृष्टि से ये धन्धे बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन से भारत को 80 करोड़ रुपये के मूल्य का विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। केवल चाय से ही 78 करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। इस तथ्य के अतिरिक्त यह भी तथ्य कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इन धन्धों से हमारे देश के 10 लाख से अधिक परिवार पलते हैं। पहले कढ़वा और रबड़ बाहर भेजा जाता था, पर अब मुख्यतः देश में ही उनकी खपत है। 1950-51 में लगभग 1 करोड़ 20 लाख पोण्ड रबड़ बाहर भेजी गयी। यह अनुभव किया गया कि हमारे यहाँ रबड़ की खेती बढ़ाई जा सकती है। तदनुसार रबड़ बनाने की विकास समिति ने एक पन्द्रह साल की योजना बनाई है। बागान वाले 3 धन्धों में हाल में कौसी प्रगति हुई है, यह तालिका 99 में दिखलाया गया है।

(क) इंडियन अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड 2,500; अल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1,500।

## तालिका 99

## बागान उद्योग

## चाय

| वर्ष     | जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार एकड़ों में) | उत्पादन (दस लाख पौण्डों में) |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1947 .   | 842                                       | 600                          |
| 1948 (क) | 773                                       | 567                          |
| 1949 .   | 773                                       | 586                          |
| 1950 .   | 777                                       | 606                          |

## कहवा

| वर्ष      | जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार एकड़ों में) | उत्पादन (हजार टनों में) |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1946-47 . | 216.9                                     | 45.4                    |
| 1947-48 . | 218.8                                     | 15.8                    |
| 1948-49 . | 221.0                                     | 21.6                    |
| 1949-50 . | 224.6                                     | 20.1                    |
| 1950-51 . | 224.6                                     | 18.3                    |

## रबर

| वर्ष   | जोत के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार एकड़ों में) | उत्पादन (हजार टनों में) |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1947 . | 129                                       | 16.4                    |
| 1948 . | 119                                       | 15.4                    |
| 1949 . | 124                                       | 15.6                    |
| 1950 . | 138                                       | 15.6                    |
| 1951 . | 149                                       | 17.1                    |

(क) केवल भारतीय यन्त्रियन के लिए ।

### औद्योगिक नीति

हमारे देश की औद्योगिक नीति क्या होनी चाहिये यह एक ऐसा विषय है जिस पर कई तरह के विचार प्रचलित थे। इसलिये 1948 की 7 अप्रैल को भारतीय संसद में उद्योग नीति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया गया जिस में यह कहा गया कि (1) कुछ धन्यो जैसे अस्त्रशस्त्र, आणविक शक्ति का धन्या और नियंत्रण, रेल मार्ग की मिल्कियत तथा व्यवस्था सम्पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार के अधीन होंगे, (2) दूसरे कुछ धन्यो में जैसे कोयला, लोहा और इस्पात का उत्पादन, हवाई जहाज और जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ और बेतार के सामान का उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन, इन धन्यो में और उन्नति करना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। हा, जितनी हद तक निजी धन्यो के सहयोग की आवश्यकता है उतनी ली जायेगी और (3) औद्योगिक क्षेत्रों का बाकी हिस्सा निजी धन्ये, वैयक्तिक उद्योग तथा सहकारी संस्था पर निर्भर होगा। हा, इन पर केन्द्रीय नियंत्रण रहेगा, तथा कुछ ऐसे धन्यो पर जो लागत तथा औद्योगिक कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं नियंत्रण भी रहेगा। योजना आयोग ने संसद की नीति का समर्थन किया। बात यह है कि हमारे यहाँ यह मान लिया जा चुका है कि हमारी अधिक व्यवस्था मिश्र पद्धति की होगी। योजना आयोग ने यह भी माना है कि इसी आधार पर हमारे औद्योगिक धन्यो की अट्टालिका खड़ी हो सकेगी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ सरकारी धन्ये और निजी धन्ये साथ साथ चलेगे। निजी धन्यो को हर हालत में हमारी प्रगति सम्बन्धी योजना के अनुसार चलना पड़ेगा, और उन्हें राष्ट्र के नियंत्रण में काम करना पड़ेगा। योजनात्मक उन्नति के लिये यह व्यवस्था जरूरी है।

1951 में एक औद्योगिक विकास और नियंत्रण विधि पारित हुई, जो 1952 की 8 मई से लागू हो गई। इस विधि का उद्देश्य यह है कि हमारी औद्योगिक उन्नति द्रुत हो। इसलिये इस विधि से उद्योग धन्यो के लिये केन्द्रीय परामर्श परिषद् की स्थापना हुई है। जो कारखाने इस समय चालू हैं, उन्हें अपने को पंजीकृत कराना पड़ेगा और नये कारखानो को लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि केन्द्रीय सरकार को किसी कारखाने के सम्बन्ध में ज्ञात हो कि इसमें कुछ ऐसी त्रुटियाँ हैं जिसके कारण उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो केन्द्रीय सरकार उस हालत में जाच कर सकेगी और कुछ निर्देश देगी। इस प्रकार ये त्रुटियाँ दूर कर दी जायेगी। यदि सरकार द्वारा दिये हुए निर्देश काम में न लाये जाये, तो सरकार को इस विधि के अनुसार अधिकार होगा कि उन धन्यो को अपनी देखरेख में चलाये। इस विधि के अनुसार केवल 37 धन्ये या धन्यो के वर्ग के नियंत्रण के लिये व्यवस्था थी, और इस में से प्रत्येक धन्या या धन्यो के वर्ग के लिये एक विकास परिषद् की स्थापना की व्यवस्था थी। पर 1953 में एक संशोधन के द्वारा इस सूची में रेशम, कृत्रिम रेशम, रंग का सामान, साबुन, प्लाडबुड, फेरोमैगनीज जोड़ दिये गये। पहले इस विधि के अनुसार कारखाने ऐसा देखरेख से बरी थे जिन में 1 लाख रुपये से कम पूँजी लगी हुई थी, पर अब यह रोक भी हटा दी गयी। पहले के मुकाबले में अब सरकार को व्यवस्था और नियंत्रण के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार मिले हैं। उक्त संशोधन के अनुसार अब आवश्यकता पड़ने पर किसी कारखाने पर संसद की स्वीकृति से 5 साल से अधिक समय तक भी नियंत्रण रखा जा सकता है।

1952 में विधि के अनुसार उद्योग धन्यो की जो केन्द्रीय परामर्श परिषद् बनी, उस में उद्योगधन्ये, श्रमिकवर्ग, उपभोक्ताओं तथा प्राथमिक उत्पादकों के 27 प्रतिनिधि थे। 1952 के नवम्बर तक 3,562 कारखानो ने पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र दिये, और 2,209 इस विधि के अनुसार पंजीकृत हुए। इस बीच में जो नये कारखाने खुले हैं, तथा मौजूदा कारखानो का

बिस्तार हुआ है, उस का ब्यौरा यह है कि सूती, तथा ऊनी कपड़े के धन्धे में नौ इकाइयो, बिजली का सामान, इंजीनियरिंग, सीमेंट और चीनी के धन्धों में से प्रत्येक में पाच इकाइयो, भारी रासायनिक पदार्थों में तीन इकाइयो और तिलहन से उत्पन्न तेल के धन्धे में चौदह इकाइयो को लाइसेंस मिला । लाइसेंस वाली समिति व्यापार और उद्योग मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय, रेल मन्त्रालय, उत्पादन मन्त्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों के द्वारा बनी है । सरकार इस सस्था के द्वारा इस सम्बन्ध में अपना मत लोगों पर लागू कर सकती है कि कौन से धन्धे विशेष रूप से बढ़ाये जायें । (1) भारी रासायनिक पदार्थ (ऐसिड) तथा रासायनिक खाद, और (2) आन्तरिक कम्बर्चन इंजन के लिये दो विकास परिषदे स्थापित हुई हैं ।

इन बातों के अतिरिक्त इस बात पर भी समय समय पर विचार करने की आवश्यकता है कि किन धन्धों को सुरक्षण दिया जाये । यदि दिया जाये तो किस हद तक दिया जाये । इसके लिये अनुविहित टैरिफ बोर्ड की जगह पर 1952 की जनवरी में स्थापित अनुविहित टैरिफ कमीशन सामने आया । 1952-53 में सब से पहली बार जिन धन्धों का सुरक्षण मिला उन में हाइड्रोक्वीनाइन, लोहा और इस्पात, मशीन स्कू, बिजली बत्तियों के पीतल के होल्डर, जीप फासनर और बाल बेयरिंग उल्लेखनीय हैं ।

### लागत और वित्त

यह देखा गया कि बहुत से नये धन्धों को स्थापित करने की आवश्यकता है पर इस प्रकार के धन्धों को चालू करने के लिये वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तदनुसार 1948 की जुलाई में एक औद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना की गयी, जिस का उद्देश्य भारतीय उद्योग धन्धों को माध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देना है । 1950-51 में कारपोरेशन ने 5.21 करोड़ रुपये और 1951-52 में 6.55 करोड़ रुपये का ऋण दिया । 1951 में राज्य वित्तीय कारपोरेशन ऐक्ट पारित हुआ, उसके अनुसार राज्य में औद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना की व्यवस्था है । यह कारपोरेशन मझले और छोटे पैमाने के ऐसे धन्धों को आर्थिक सहायता देगा जो अखिल भारतीय औद्योगिक वित्तीय कारपोरेशन के दायरे में नहीं आते । तदनुसार 1953 की फरवरी में पंजाब वित्तीय कारपोरेशन की स्थापना हुई । बम्बई, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर और तिरुवाकुर-कोचीन में इस प्रकार की सस्थाओं की स्थापना की बात चल रही है ।

केवल देश के अन्दर वित्त द्वारा सहायता यथेष्ट नहीं समझी गयी, बल्कि यह समझा गया कि विदेशों में भी जहां तक हो सके खुलकर पूजी आनी चाहिये । इस से लाभ यह है कि पूजी वाले द्रव्यो तथा प्रौद्योगिक ज्ञान के रूप में पूजी आती है । कहीं इस सम्बन्ध में कोई गलतफहमी न हो, इसलिये 1948 की अप्रैल में औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में विदेशी पूजी पर नीति स्पष्ट कर दी गयी । फिर 1949 की अप्रैल में प्रधान मंत्री ने भारत की मविधान सभा में एक वक्तव्य दिया, उसमें भी इस का अधिकतर स्पष्टीकरण किया गया । इस सम्बन्ध में भारत की नीति इस प्रकार है :—

- (1) विदेशी पूजी और उद्योग को राष्ट्रीय हित में नियमित करना आवश्यक है । उदाहरणस्वरूप इस के साथ-साथ यह बात तो होंनी ही चाहिए कि जहां तक हो सके मिल्कियत नया नियंत्रण, अपवादात्मक क्षेत्रों की

बात और है, हमेशा भारतीयों के ही हाथ में हो, साथ ही भारतीयों को इस उद्देश्य से उपयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाये कि अन्ततोगत्वा वे विदेशी विशेषज्ञों का स्थान ले लें ।

- (2) सामान्य औद्योगिक नीति के बरतने में विदेशी तथा भारतीय कम्पनी में कोई भेदबुद्धिमूलक व्यवहार नहीं किया जायेगा ।
- (3) देश की वैदेशिक विनिमय सम्बन्धी परिस्थिति से तालमेल रख कर मुनाफा बाहर भेजने तथा पूँजी जहाँ से आयी है वहाँ भेजने के लिये उचित सुविधाएं दी जायेंगी ।
- (4) राष्ट्रीयकरण होने पर उचित और न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति दी जायेगी ।

### सरकारी हिस्सा

यह पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे यहाँ यह मान लिया गया है कि निजी धन्यों के साथ-साथ सरकारी धन्य भी रहेंगे । पंचवर्षीय योजना में एक तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधीन औद्योगिक कार्यों के लिये 94 करोड़ रुपये की रकम नियत की गयी है, दूसरे आधारभूत धन्यों के लिये जिन में परिवहन सम्बन्धी सहायक सुविधाएं आ जाती हैं 50 करोड़ रुपया लगाने की व्यवस्था है । यह तो सरकारी धन्यों की बात हुई, निजी धन्यों के क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार के लिये यह अन्दाजा किया जाता है कि 233 करोड़ रुपये लगाये जायेंगे । इसमें पुराने यन्त्रों आदि को बदलने तथा आधुनिकीकरण में जो 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे, उस रकम को नहीं दिखाया गया है ।

पहले ही यह इंगित किया जा चुका है कि लोहा और इस्पात के उत्पादन के मामले में हमारा देश यथेष्ट पिछड़ा हुआ है । इसलिये पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि 80 करोड़ रुपये की लागत पर एक बहुत बड़ा औद्योगिक कारखाना खोला जाये जिस में लोहा और इस्पात का उत्पादन किया जाये । यह न समझा जाये कि यह सारी रकम तुरन्त ही लगा दी जायेगी । सच तो यह है कि 1955-56 तक कुल 30 करोड़ रुपये ही लगाये जायेंगे । इस रकम में से सरकार केवल 15 करोड़ रुपये देगी, और बाकी रकम देशी और विदेशी सूत्रों से आयेंगी । यह आशा की जाती है कि इस कारखाने की उत्पादन सामर्थ्य आठ लाख टन लोहा और कम से कम साठे तीन लाख टन इस्पात की होगी । इस कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से चलाने के लिये अभी हाल ही में भारत सरकार ने प्रसिद्ध जर्मन कम्पाइन क्रुस डेमाग के साथ एक समझौता किया है, जिस के अनुसार यह कम्पनी औद्योगिक सहायता देने के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देगी ।

यह एक बहुत ही मार्के की बात है कि उपभोग द्रव्यों का उत्पादन निजी धन्यों पर ही छोड़ दिया गया है । सरकारी धन्यों में केवल वे ही धन्ये रखे गये हैं, जैसे पूँजी वाले द्रव्य और अत्यन्त आवश्यक वीच की उपजें । वर्तमान तथा भविष्य में हमारे आर्थिक विकास के लिये जो बातें जरूरी हैं और होंगी, उन्हीं पर सरकार अपना ध्यान केन्द्रित करेगी । तालिका 100 में खर्च तथा मार्बजनिक क्षेत्रों के कारखानों आदि के सम्बन्ध में बताने दिये गये हैं ।

## निजी धन्ये

पहले हम यह बता चुके हैं कि निजी धन्यो के लिये उपयोग वाले द्रव्यों का उत्पादन छोड़ दिया गया है, पर इस का मतलब यह हरगिज नहीं कि निजी धन्यो के क्षेत्र में केवल उपयोग द्रव्यों का ही उत्पादन होगा। तथ्य तो यह है कि निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत पूँजी वाले द्रव्य तो उत्पादक द्रव्यों के साथ-साथ विशेषकर लोहा और इस्पात (43 करोड़ रुपये), पेट्रोल शोधन (64 करोड़ रुपये), सीमेंट (13 करोड़ रुपये), अल्युमिनियम (9 करोड़ रुपये) रासायनिक खाद, भारी रासायनिक पदार्थ और शक्ति सुराभार का उत्पादन होगा।

तालिका 100

सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक कार्य

| कार्य                                             | पूँजी वित्तियोग (लाख पयों में) |         |             |                           |                         | कार्य पूर्ण होने का वर्ष   | 1955-56 तक हो जाने वाली नयी अथवा अतिरिक्त वार्षिक क्षमता |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                   | 1951-52                        | 1952-53 | 1953-54 बजट | 1951-56 पाँच सालों का योग | 5                       |                            |                                                          |
| I                                                 | 2                              | 3       | 4           |                           |                         |                            |                                                          |
| केन्द्रीय सरकार                                   |                                |         |             |                           |                         |                            |                                                          |
| 1 लोहे व इस्पात का कार्य                          | ---                            | 10 00   | 10 00       | 3 000 0                   | 1957-58                 | 3,50,000 टन कच्चा लोहा     |                                                          |
| 2 गह्राज निर्माण (हिन्दुस्त्ान शिप-यार्ड लिमिटेड) | 232 05                         | 328 56  | 232 00      | 1 408 0                   | 1956-57                 | 50,000 डी० डब्ल्यू० टी०    |                                                          |
| 3 मशीनी औजार कारखाना जल-हल्ली                     | 2 28                           | 119 00  | 143.50      | 963.8                     | 1953-54                 | 1,600 इकाइया               |                                                          |
| 4. सिरी खाद कारखाना                               | 274 62                         | ---     | ---         | 903 0                     | अक्तूबर 1951            | 3,50,000 टन अमोनियम सल्फेट |                                                          |
| 5. चित्तरजन रेल इंजन कारखाना                      | 236.00                         | 110 00  | 9 00        | 355 0                     | उत्पादन प्रारम्भ हो गया | 100 रेल के इंजन            |                                                          |

## तालिका 100 (क्रमशः)

| I   | 2                                             | 3      | 4      | 5      | 6         | 7                            |
|-----|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|------------------------------|
| 6   | नेन के डिब्बे बनाने वाला कार-खाना (पेराम्बुर) | 4 00   | 74.00  | 130 00 | 468 0     | 50 इकाइया                    |
| 7   | पेनिमिलीन कारखाना, पिम्परी                    | 2 08   | 22 50  | 64 00  | 206 6 (क) | 48 लाख मेगा इकाइया           |
| 8   | राष्ट्रीय श्रीजार कारखाना, कलकत्ता            | 6 66   | 10 00  | 39 00  | 182 0     | 64.4 लाख रुपये के श्रीजार    |
| 9   | भारतीय टेलीफोन उद्योग                         | 65.00  | 33 00  | 82 00  | 130.0     | 200 लाख रुपये के टेलीफोन आदि |
| 10  | हिन्दुस्तान वेल्वेल्स लिमिटेड (रूपनारायणपुर)  | 1.30   | 33 00  | 70 00  | 129 7     | 100 लाख रुपये के केबुल्स     |
| 11  | मडी नमक कारखाना                               | —      | 2 25   | 1.00   | 100 0     | 61,000 टन                    |
| 12. | वर्तमान नमक बनाने वाले कार-खानों का विकास     | 4 42   | 5.00   | 8 00   | 50 0      | लगभग 3,68,000 टन             |
| 13  | दुग्गापय मिट्टी कारखाना, अलवाण                | 30.00  | 10 00  | —      | 40 0      | 800 टन दुग्गापय मिट्टी       |
| 14  | डा. डी टी कारखाना, दिल्ली                     | —      | 10 00  | 7.45   | 39 1 (ग)  | और 202 टन थोरियम             |
| 15  | हार्जिम कारखाना, दिल्ली                       | 12 91  | 4 55   | 2 00   | 19 5      | कम्पाउण्ड                    |
| 16  | अन्य कार्य (ख)                                | —      | —      | —      | 202.1     | 700 टन                       |
| योग |                                               | 899 01 | 801.37 | 838 65 | 8,889 5   | —                            |

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्तराष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकेत कोष में प्राप्त 57 लाख रुपये के सहित  
 (ख) नासिक छापाखाना, नयी टकसाल (अलीपुर), चांदी शोधन कारखाना (अलीपुर), फोटोप्रिन्टर प्रॉजेक्ट, और स्ट्याम्प को रद्द करने वाली छापे की स्थाही के सहित ।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्तराष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकेत कोष से 3,50,000 अमेरिकी डालर सहित ।



| I                                       | 2              | 3              | 4                | 5              | 6                        | 7                                                          |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>राज्य सरकारें</b>                    |                |                |                  |                |                          |                                                            |
| 1 मंसूर लोहा व इस्पात कारखाना           | 40 08          | 80 00          | 100.00           | 283.0          | 1954-55                  | 60,000 टन तैयार इस्पात                                     |
| 2 उत्तर प्रदेश सरकार का सीमेंट कारखाना  | 43 14<br>50 33 | 73 68<br>47 00 | 125.00<br>130 00 | 230 5<br>200 0 | 1953-54<br>1954          | 2,00,000 टन<br>30,000 टन अलुबारी का-गुज (300 कार्य के दिन) |
| 3 अलुबारी कागज (नैपा मिलज)              | 65 57          | 51 43          | —                | 200 0          | 1953-54                  | 165 लाख गुज नकली सिल्ले (330 कार्य के दिन)                 |
| 4 सिरसिल्ले लिमिटेड.                    | ---            | ---            | ---              | 60 0<br>50 2   | 1953-54<br>विस्तार कार्य | 8,000 टन<br>12,000 पानी के मीटर व 300 सुईबोन               |
| 5 तिरपुर पेपर मिलज.                     | 10 13          | 6 29           | 7.49             | 41 1<br>30 0   | 1953-54<br>1955-56       | 16,500 टन सुपर-फोस्फेट (330 कार्य के दिन)                  |
| 6 उत्तर प्रदेश सूक्ष्म बीजों का कारखाना | 40 00<br>138 4 | 23 09<br>25 00 | 26 15<br>32 00   |                |                          |                                                            |
| 7. बिहार सरकार का सुपरफोस्फेट कारखाना   | 263.09         | 306 49         | 420 64           | 1,094 8        |                          |                                                            |
| 8. अन्य कार्य (क)                       | 1,162 10       | 1,107 86       | 1,259 29         | 9 984 3        |                          |                                                            |
| योग                                     |                |                |                  |                |                          |                                                            |
| सर्व योग                                |                |                |                  |                |                          |                                                            |

(क) जिनमें मंसूर राज्य के कार्य व निरुद्धाकर कोचीन की मिट्टी व चीनी मिट्टी की बीज बनाने वाली फैक्ट्री भी शामिल है।

उपभोग द्रव्यों के धन्धों के क्षेत्र में नये कारखाने खोलने पर उतना जोर नहीं है जितना कि इस बात पर कि जो कारखाने मौजूद हैं, वे अपनी सामर्थ्य का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। कुछ नये क्षेत्रों में जैसे रेयन, कागज, दवा तथा फर्मासी वाले द्रव्यों पर यथेष्ट खर्च होगा। सूत और ऊनी सूत के धन्धे में भी थोड़ा बहुत विस्तार होगा।

कहीं किसी सम्बन्ध में कोई अस्पष्टता न रह जाये इसलिये योजना आयोग ने प्रत्येक धन्धे के प्रतिनिधियों के साथ घनिष्ट रूप से मिलकर 42 सगठित धन्धों के सम्बन्ध में ब्यौरेवार कार्यक्रम बनाया है। कुछ खास बड़े धन्धों के सम्बन्ध में भी विस्तार का कार्यक्रम बनाया गया है, जो नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायेगा :

### तालिका 101

निजी क्षेत्र में कुछ मुख्य दिशाओं में विस्तार का कार्यक्रम

| I                                      | इकाई            | 1950-51        |         | 1955-56        |                        |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|------------------------|
|                                        |                 | कूनी गई क्षमता | उत्पादन | कूनी गई क्षमता | उत्पादन                |
| 2                                      | 3               | 4              | 5       | 6              |                        |
| (I) कृषि यंत्र                         |                 |                |         |                |                        |
| (क) शक्ति चालित पम्प अक                |                 | 33,460         | 34,310  | 64,400         | 80,000 से<br>85,000 तक |
| (ख) डीजल इंजन अक                       |                 | 6,320          | 5,540   | 39,725         | 50,000                 |
| (2) अल्युमिनियम टन                     |                 | 4,000          | 3,677   | 20,000         | 12,000                 |
| (3) मोटर गाड़ियां<br>(केवल तैयार करना) | अक              | 30,000         | 4,077   | 30,000         | 30,000                 |
| (4) माइक्रोले                          | हजार            | 120            | 99      | 530            | 530                    |
| (5) सीमेंट                             | हजार टन         | 3,194          | 2,692   | 5,016          | 4,550                  |
| (6) विद्युत ट्रांसफॉर्मर               | हजार के<br>वी ए | 370            | 179     | 485            | 450                    |
| (7) खाद                                |                 |                |         |                |                        |
| (क) अमोनियम<br>सल्फेट टन               |                 | 78,670         | 46,528  | 1,31,270       | 1,20,000               |
| (ख) सुपरफास्फेट टन                     |                 | 1,23,460       | 55,089  | 1,92,855       | 1,64,000               |
| (8) काच उद्योग<br>शीशे की चादरे टन     |                 | 11,700         | 5,850   | 52,200         | 26,000                 |
| (9) भारी रासायनिक                      |                 |                |         |                |                        |
| (क) कास्टिक सोडा हजार टन               |                 | 19             | 11      | 37             | 33                     |
| (ख) सोडा ऐश " "                        |                 | 54             | 45      | 86             | 78                     |
| (ग) गंधक का तेजाब " "                  |                 | 150            | 99      | 213            | 192                    |
| (10) लोहा और इस्पात                    |                 |                |         |                |                        |
| (क) कच्चा लोहा " "                     |                 | 1,850          | 1,572   | 2,700          | 1,950                  |
| (ख) इस्पात (प्रमुख<br>उत्पादक) " "     |                 | 975            | 976     | 1,550          | 1,280                  |
| (11) कागज व गत्ता " "                  |                 | 137            | 114     | 198            | 188                    |

| I                         | 2           | 3        | 4        | 5        | 6      |
|---------------------------|-------------|----------|----------|----------|--------|
| (12) पेट्रोलियम बोध       |             |          |          |          |        |
| (क) तरल पेट्रोलियम पदार्थ | दस लाख गैलन | अप्राप्य | अप्राप्य | अप्राप्य | 403    |
| (ख) विट्रुमेन             | टन          | अप्राप्य | अप्राप्य | अप्राप्य | 37,500 |
| (13) शक्ति सुरासार        | दस लाख गैलन | I3       | 5        | 21       | 18     |
| (14) रेल के इजन           | अक          | ---      | ---      | 50       | 50     |
| (15) रेयन :               |             |          |          |          |        |
| (क) रेयन के तार           | दस लाख पौंड | 4        | ---      | 18       | 18     |
| (ख) मुख्य रेसा            | हजार गाठ    | ---      | ---      | 28       | 28     |

कुल मिलाकर निजी तथा सरकारी धन्धों के विकास के लिए 707 करोड रुपये की आवश्यकता है। इसमें चालू पूजी तथा मूल्यह्रास भी आ जाता है। विस्तार योजना का वित्त किस प्रकार जुटाया जायेगा उस का विवरण नीचे की तालिका में दिखलाया गया है :

### तालिका 102

1951-56 में उद्योगों की अनुमानित आवश्यकताएं और उन के लिए वित्त-प्राप्ति के स्रोत

(करोड पयों में)

#### अनुमानित आवश्यकताएं

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) सार्वजनिक क्षेत्र में लगी हुई पूजी                                | 94  |
| (2) निजी क्षेत्र में विस्तार, आधुनिकीकरण, तथा बदल के लिए लगाई गई पूजी | 383 |
| (3) चालू पूजी में विनियोग                                             | 150 |
| (4) चालू मूल्यह्रास व्यय जो सामान्य आय-कर की छूटों में शामिल नहीं है  | 80  |
| योग                                                                   | 707 |

#### वित्त प्राप्ति के स्रोत

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| (1) सार्वजनिक-क्षेत्र के साधन जो सीधे लगाये गये हैं  | 74      |
| (2) विदेशी पूजी                                      | 100     |
| (3) घरेलू निजी उद्योग के साधन                        | 533     |
| (क) औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित प्रयत्नों की बचतें | 200 (क) |
| (ख) नये निर्गमन                                      | 90      |
| (ग) सार्वजनिक क्षेत्र से सहायता                      | 5       |
| (घ) औद्योगिक वित्त कारपोरेशन                         | 20      |
| (ङ) अतिरिक्त मुनाफा-कर की जमा से वापसी               | 60      |
| (च) अल्पकालीन वित्त के साधन, बैंक आदि                | 158     |

योग 707

(क) इस में सामान्य आय-कर छूटों के अंतर्गत आने वाले चालू मूल्यह्रास-व्यय के लिए की गयी व्यवस्था शामिल नहीं है।

## प्रगति का लेखा

पंचवर्षीय योजना को चालू हुए दो वर्ष हो गये। इस बीच में क्या प्रगति हुई यह एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ धन्धों में जैसे सूती कपड़े के क्षेत्र में 1955-56 के उत्पादन के लिये जो लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा हो चुका है। यदि उपभोग द्रव्य वाले सब धन्धों को एकत्र करके देखा जाये तो संक्षेप में यह कह सकते हैं कि इन दो वर्षों में सभी धन्धे 1955-56 वाले अपने लक्ष्य को 56 प्रतिशत तक पूरा कर चुके हैं। इसी प्रकार उत्पादक तथा पूजी वाले द्रव्यों में लक्ष्य क्रमशः 50 और 31 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सामर्थ्य को बढ़ाने के सम्बन्ध में भी कुछ लक्ष्य रखा गया है। इस क्षेत्र में भी बहुत सतोषजनक प्रगति हुई है। उपभोग वाले द्रव्यों के क्षेत्र में औसत रूप में लक्ष्य का 81 प्रतिशत तक उत्पादक द्रव्यों और पूजी वाले द्रव्यों में क्रमशः लक्ष्य का 75 और 51 प्रतिशत प्राप्त किया जा चुका है। कई क्षेत्रों में तो इतनी प्रगति हुई कि वह बहुत ही आशा-वर्धक हैं। 1952 के दिसम्बर तक 12 उत्पादक द्रव्यों के धन्धे तथा 6 उपभोग द्रव्यों के धन्धे 1955-56 वाले अपने लक्ष्य को 90 प्रतिशत तक पूरा कर चुके थे। कहना न होगा कि यह बहुत बड़ी बात है।

जिन धन्धों में विशेष मार्कों की उन्नति हुई है, उन में सूती कपड़े और पटसन के कपड़े, चीनी, लोहा और इस्पात, सीमेंट और कागज मुख्य हैं। इस्को, स्काब और टिस्को कम्पनियों की लोहा और इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ पेट्रोल शोधनागार के सम्बन्ध में भी कार्य तेजी से चल रहा है। योजना में जिन थोड़े से नये उपभोग वाले द्रव्यों का प्रस्ताव रखा गया है, विशेषकर फर्मासी वाले धन्धे या तो उत्पादन करने लग गये हैं या करने ही वाले हैं। दूसरे नये धन्धों के यन्त्र और कारखाने लगभग तैयार हैं।

1951-53 के युग में केन्द्रीय सरकार के जिन 6 कारखानों में काम शुरू हुआ वे इस प्रकार हैं (1) चित्तरजन इजन कारखाना, (2) भारतीय टेलीफोन उद्योग (3) अम्बरनाथ का यांत्रिक औजार प्रोटोटाइप कारखाना, (4) सिद्री का रासायनिक खाद कारखाना, (5) दुष्प्राप्य मिट्टियों का कारखाना और (6) अलीपुर (कलकत्ता) की नई टकसाल।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के कार्य भी उल्लेखनीय हैं। राज्य सरकारों के कई कारखाने इस बीच में चालू हो चुके हैं, और उन में काफी प्रगति हुई है। उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश की सरकार का शुद्ध औजार कारखाना बहुत आगे बढ़ चुका है और अब उस में अनुवीक्षण यन्त्र तथा जलमीटरों का उत्पादन हो रहा है। नैसूर में लोहा और इस्पात का एक कारखाना था, उस का विस्तार हुआ है। और अब वह काम शुरू कर चुका है। 1952 से ही वहा एक बिजली की लोहे वाली भट्टी चालू थी और एक दूसरी भट्टी लगाई जा चुकी है। मध्यप्रदेश

सरकार का न्यूजप्रिंट कारखाना जल्दी ही काम शुरू करेगा, और ड्राइ कोर केबल कारखाना 1953-54 तक पूरा बन जाने की आशा है ।

जहाज तैयार करने का कार्यक्रम भी बहुत आगे बढ़ चुका है और 1952 में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ने तीन जहाज तैयार किये । और भी दो जहाज तैयार हो रहे हैं । इस प्रकार से कुल मिला कर 10 जहाज तैयार हो चुके हैं । पर इतने से ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, इसलिये इस कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है और यह भी आशा की जाती है कि बहुत अधिक संख्या में जहाज जल्दी ही तैयार हो सकेंगे ।

सरकार मेसर्स बेसाखासिंह वालनबर्ग लि० के साथ साझेदारी में वर्तमान मकान निर्माण सम्बन्धी कारखाने में फोम-कंकरीट रूफिंग पैनल तथा प्रीस्ट्रेस्ड कंकरीट कम्पोजिट इत्यादि का उत्पादन करेगी ।

सरकार को प्रतिकक्षा विभाग की आवश्यकता का भी ख्याल है । रेंडर और बेतार सम्बन्धी सामान के बिना कोई सरकार चल नहीं सकती । इसलिये एक फ्रेंच कम्पनी के साथ मिल कर सात करोड़ रुपये की लागत पर इन चीजों के निर्माण के लिए एक कारखाना खोलना निश्चित हुआ है ।

### शोध और प्रमाण

जैसा कि पहले अध्याय में बताया जा चुका है, देश भर में औद्योगिक और प्रौद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित हुई हैं । यह बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इस बिना इस युग में औद्योगिक धन्धे आगे नहीं बढ़ सकते । इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रमाण का कार्य भी प्रामाणिक ढंग में हो ।

1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट नाम में एक संस्था स्थापित हुई थी जिसका उद्देश्य औद्योगिक तथा व्यापारिक उपजों का प्रमाण करना था । यह एक अर्ध सरकारी संस्था के रूप में थी । 1952 तक इस संस्था की ओर में केवल 346 स्टैंडर्ड प्रमाणीकृत किये गये और 200 अतिरिक्त स्टैंडर्ड परीक्षार्थ घुमाये जा रहे थे, यानी विकास के अन्तिम मापानों में थे । 1952 में इस संस्था के 777 ग्राहक तथा 3,602 समिति सदस्य थे । पेटेंट परामर्श समिति केन्द्रीय सरकार की शोध तथा प्रौद्योगिक संस्थाओं के आविष्कारों के लिये पेटेंट देती है । 1951 में इसके पास आठारह पेटेंट विचारार्थ आये और 1952 में 24 आविष्कार पेटेंट के लिये पेश हुए ।

डायरेक्टरेट आफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लिम्स एक बुलेंटिन निकालता है, जिसमें उन्नति वर्गों में विभक्त 92 चुन हुए धन्धों के उत्पादन सम्बन्धी आकड़े दिये जाते हैं । डायरेक्टरेट का शोध डिवीजन औद्योगिक आकड़ों पर अध्ययन परिचालित करता है ।

### कुटीर शिल्प

इस में सन्देह नहीं कि हमारे देश में औद्योगिक धन्धों की बहुत काफी उन्नति हो चुकी है, फिर भी अभी हमारे देश में उत्पादन मूल्यतः छोटे पैमाने पर ही होता है ।

तालिका 103  
औद्योगिक विकास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की प्रगति

| क्रम सं. | उद्योग                                                                                                  | इकाई   | 1951-56         |                                    | 1951-52 में हुई प्रगति |                                 | अप्रैल से दिसम्बर तक का वार्षिक उत्पादन |                            | 1952 की पूर्ण क्षमता | लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                                                         |        | अतिरिक्त क्षमता | अतिरिक्त उत्पादन                   | अतिरिक्त क्षमता        | अतिरिक्त उत्पादन                | 1951 7                                  | 1952 8                     |                      |                                               |
| 1        | I<br>घातु संचयनी—<br>लोहा व इस्पात<br>(1) कच्चा मोटा                                                    | 2      | 3               | 4                                  | 5                      | 6                               |                                         |                            | 9                    | 10                                            |
|          |                                                                                                         | 000 टन | 1,757           | 1,261                              | —                      | 166                             | 1,350 (क)                               | 1,377 (क)                  | 1,950                | 1,685<br>(1957-58 तक होनी चाहिए)              |
|          | (2) नैयार इस्पात<br>(केवल प्रमुख उत्पादक)                                                               | 000 टन | 635             | 394                                | —                      | 55                              | 807                                     | 835 (क)                    | 1,050                | 500<br>(1957-58 तक होनी चाहिए)                |
| 2        | अल्युमिनियम<br>यांत्रिक- इंजीनियरिंग                                                                    | टन     | 16,000          | 8,323                              | —                      | 228                             | 2,886                                   | 2,523                      | 4,000                | 16,000                                        |
| 3        | कृषि यंत्र :<br>(1) शक्ति चालित<br>मेट्रीकुल पम्प                                                       | हजार   | 36.46 से 51     |                                    | 9                      | 14                              | 29                                      | 18                         | 43                   | 27                                            |
| 4        | (2) डीजल इंजन<br>मोटर गाड़ियां (केवल<br>तैयार करना)                                                     | हजार   | 33              | 44                                 | 4                      | 2                               | 5                                       | 2                          | 10                   | 29                                            |
|          |                                                                                                         | अक     | —               | 25,923                             | —                      | 2,561                           | —                                       | 1,396                      | 3,000                | —                                             |
| 5        | रेलवे रोलिंग स्टॉक<br>(1) रेल इंजन<br>(2) मगारो के डिब्बे<br>(3) माल के डिब्बे                          | अक     | 150<br>430<br>— | 438 (ल)<br>4,380 (ल)<br>30,000 (ल) | —<br>—<br>—            | 114 (क)<br>194 (क)<br>1,001 (क) | —<br>—<br>3,600 (क)                     | 42 (क)<br>550 (क)<br>4,120 | 150<br>850<br>6,000  | —<br>430<br>—                                 |
| 6        | मशीनों औजार (सेट)                                                                                       | अक     | 1,600           | 3,499                              | —                      | 2,164                           |                                         | 3,447                      | 3,000                | 1,600                                         |
| 7        | कपड़ा मिल मशीन<br>(1) घुमाई करने वाले<br>इंजन<br>(2) कर्ताई करने वाले यंत्र<br>(3) कपड़े, माद और अर्द्ध | अक     | —               | 600<br>440                         | —                      | 158<br>31                       | —                                       | 57<br>206                  | 600<br>396           | —<br>404                                      |
| 8        | वोल व रोलर वेरिंग                                                                                       | अक     | 4,400           | 4,106                              | 3,000                  | 683                             | 1,710                                   | 1,220                      | 6,500                | 1,400                                         |
| 9        | माडफिल                                                                                                  | हजार   | 600             | 1,113                              | —                      | 163                             | 176                                     | 356                        | 600                  | 600                                           |
| 10       | मिनीमो मशीन                                                                                             | हजार   | 410             | 429                                | 50                     | 19                              | 98                                      | 167                        | 417                  | 113                                           |
| 11       | हरीकन नावटन                                                                                             | हजार   | 54              | 59                                 | —                      | 15                              | 33                                      | 37                         | 41                   | 50                                            |
| 12       | चक्की                                                                                                   | हजार   | 250             | 2,800                              | —                      | 768                             | 2,982                                   | 2,595                      | 4,410                | 90                                            |
|          | विद्युत इंजीनियरिंग                                                                                     | टन     | 480             | 519 से 569                         | 40                     | 121                             | 236                                     | 286                        | 500                  | 340                                           |
| 13       | सूखी बैटिया                                                                                             | दस लाख | 25              | 183                                | —                      | 9                               | 108                                     | 93                         | 297                  | 13                                            |
| 14       | स्टीरिंग बैटिया                                                                                         | हजार   | 93              | 200                                | 93                     | 13                              | 157                                     | 105                        | 538                  | —                                             |
| 15       | त्रिजली के तार और केबल<br>11 मी एम और केबल                                                              | टन     | 2,500           | 3,326                              | —                      | 40                              | 1,290 (क)                               | 2,009                      | 2,500                | 2,500                                         |
| 16       | त्रिजली के पावे                                                                                         | हजार   | 72              | 126 से 156                         | —                      | 20                              | 160                                     | 145                        | 294                  | 66                                            |

(क) अनुमानित ।  
(ल) ये आंकड़े 1951 से 1956 तक के पांच सालों के सम्पूर्ण अनुमानित उत्पादन के हैं ।

| I  | 2                                                                                             | 3            | 4       | 5                | 6     | 7       | 8       | 9       | 10     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|-------|---------|---------|---------|--------|
| 17 | विजली के लैम्प-जी एस एल                                                                       | दस लाख       | 9       | 15               | —     | 1       | 12      | 15      | 6      |
| 18 | विजली की मोटर                                                                                 | हजार एच पी.  | 150     | 221              | 54    | 107     | 120     | 200     | 100    |
| 19 | विजली के ट्रांसफार्मर                                                                         | हजार के बी   | —       | —                | —     | —       | —       | —       | —      |
| 20 | रेडियो सेट                                                                                    | हजार         | 115     | 271              | 26    | 146     | 165     | 304     | 181    |
|    | रासायनिक और उनसे सम्बन्ध                                                                      |              | 303     | 301              | 10    | 51      | 58      | 153     | 227    |
| 21 | उर्वरक—<br>(1) अमोनियम सल्फेट<br>(2) सुपर फॉस्फेट                                             | हजार टन      | 403     | 404              | 350   | 28      | 40      | 432     | 49     |
|    | भारी रासायनिक                                                                                 | हजार टन      | 86      | 125              | 50    | 46      | 31      | 198     | 11     |
| 22 | (1) गंधक का तैलाब<br>(2) सोडा ऐश<br>(3) कार्बिक सोडा                                          | हजार टन      | 70      | 101              | 3     | 80      | 74      | 192     | 29     |
|    | अपशिष्ट व फार्मों से प्राप्त द्रव्य                                                           | हजार टन      | 32      | 33               | 2     | 36      | 33      | 54      | 32     |
| 23 | (1) बैनजीन<br>(2) सल्फा ड्रग्स<br>(3) पेट्रोल-पंपों से ली-सिलिक एमिड                          | हजार टन      | 18      | 22               | 4     | 11      | 13      | 35      | 2      |
|    | पेट और वार्निश                                                                                | टन           | 500     | 500              | 500   | —       | 70      | 500     | —      |
| 24 | (1) रेडीमेड पेट, वार्निश<br>(2) रंग (पिंटिनियम हाई ओक्साइड)                                   | हजार टन      | 400     | 400              | —     | —       | 80      | 350     | 50     |
|    |                                                                                               | टन           | 48      | 48               | —     | 7       | —       | —       | —      |
|    |                                                                                               | हजार टन      | 5       | 31               | 4     | 25      | 24      | 65      | 5      |
|    |                                                                                               | हजार टन      | 1,800   | 1,800            | 1,800 | 153 (क) | 178 (क) | 1,800   | —      |
|    |                                                                                               | हजार गैलन    | 500 (ख) | 450 (ख)          | 194   | —       | 69      | 403 (ग) | —      |
| 25 | (3) नाइट्रोसेल्यूलोज प्रस्ताव                                                                 | टन           | 750     | 750              | 500   | 87 (क)  | 13      | 228 (क) | 250    |
| 26 | (4) अल्युमिनियम पेंट व चर्च                                                                   | हजार टन      | 15      | 94               | 7     | 11      | 63      | 272     | —      |
| 27 | सावुन<br>जूने<br>कागज व गत्ता<br>(1) कागज व कागज का गत्ता<br>(2) स्ट्रॉ व अन्य चीजों के गत्ते | 10 लाख जोड़े | —       | 60               | —     | 0 56    | 4 3     | —       | 8      |
|    |                                                                                               | हजार टन      | 74      | 86               | 6     | 21      | 101     | 148     | 63     |
| 28 | मीमेड                                                                                         | हजार टन      | 10      | 31               | —     | 3       | —       | —       | —      |
| 29 | काच और उपकी चीजें<br>(1) काच की चादर<br>(2) फ्लाया और दबाया हुआ काच                           | हजार टन      | 2,026   | 2,108            | 442   | 596     | 2,386   | 3,845   | 1,461  |
|    |                                                                                               | टन           | 40,500  | 20,150           | —     | 380     | 4,158   | 10,200  | 15,800 |
|    |                                                                                               | टन           | 36,250  | 51,400 से 56,400 | 9,500 | 23,600  | —       | —       | —      |
| 30 | तरल ईंधन पदार्थ<br>पावर एलकोहल                                                                | 10 लाख गैलन  | 8       | 13               | —     | 2       | 4       | 13      | 8      |
|    | वस्त्र                                                                                        |              |         |                  |       |         |         |         |        |
| 31 | मूली<br>(1) मूल                                                                               | दस लाख पौंड  | 53      | 461              | 17    | 154     | 978     | 1,111   | 25     |

(क) अनुमानित

(ख) हाल में जो कुछ प्राप्ति हुई उसके प्रकाश में लक्ष्यो पर पुनर्विचार कर लिया गया है।

(ग) दो नई इकाइयों की अतिरिक्त क्षमता लगभग 97,000 गैलन प्रतिवर्ष है।

|    | 1                         | 2                | 3        | 4     | 5  | 6   | 7       | 8       | 9     | 10      |
|----|---------------------------|------------------|----------|-------|----|-----|---------|---------|-------|---------|
|    | (2) मिल का कगडा           | 10 लाख गज        | 35       | 982   | 19 | 416 | 3,057   | 3,576   | 4,778 | 1       |
|    | (3) हाथकरघे का कगडा       | 10 लाख गज        | —        | 890   | —  | 32  | 600 (क) | 750 (क) | —     | —       |
| 32 | जूट का सामान              | हजार टन          | —        | 308   | —  | 88  | 681     | 733     | 1,200 | —       |
| 33 | रेयन का नार               | 10 लाख पौड       | 14       | 17    | 6  | 4   | 4       | 6       | 10    | 8       |
| 34 | ऊनी माल                   | हजार पौड         | —        | 7,000 | —  | —   | 13,275  | 12,616  | 20    | —       |
|    | ईमारती लकड़ी              |                  |          |       |    |     |         |         |       |         |
| 35 | माचिस                     | हजार ग्रुम बक्से | 3,000    | 6,200 | —  | —   | —       | —       | —     | —       |
| 36 | ज्वाइंट्स के चाय के डब्बे | 10 लाख वर्ग फुट  | 41 से 51 | 55    | 21 | 32  | 45      | 56      | 171   | 9 से 19 |
|    | खाद्य पदार्थ              |                  |          |       |    |     |         |         |       |         |
| 37 | नमक                       | हजार टन          | —        | 426   | —  | 150 | 2,066   | 2,327   | —     | —       |
| 38 | चीनी                      | हजार टन          | 10       | 384   | —  | 602 | 836     | 531     | 1,540 | 10      |
| 39 | वनस्पति तेल               | हजार टन          | —        | 181   | —  | —   | —       | —       | —     | —       |
| 40 | वनस्पति                   | हजार टन          | 56       | 147   | 6  | 23  | 129     | 142 (क) | 339   | 50      |

(क) अनुमानित



हमारे किसानों के लिए यह समस्या है कि जिस समय खेती न की जा सकती हो, उस समय का वे क्या उपयोग करे। कुटीरशिल्प से इस समस्या का बहुत कुछ समाधान हो जाता है। हिसाब लगा कर देखा गया है कि भारत में लगभग दो करोड़ व्यक्ति कुटीरशिल्प में लगे हुए हैं। कुटीर शिल्पों में सबसे प्रधान हाथ करघा उद्योग है। इसमें 50 लाख लोग लगे हुए हैं। यह एक बहुत ही मार्क की बात है और जिसे अक्सर कई लोग भुला कर हवाई बाने करते हैं कि अकेले हाथ करघा उद्योग में ही उतने लोग काम करते हैं, जितने कि सारे सगठित धंधों में, जिनमें खानों तथा बागानों के बड़े पैमाने के धंधे आ जाते हैं। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हाथ करघा उद्योग की रक्षा के लिये इतना प्रयत्न क्यों किया जाता है।

कुटीर शिल्प तथा छोटे पैमाने के धंधों को ढग से सगठित करने तथा उनकी अधिक से अधिक उन्नति करने के लिये 1952 के नवम्बर और 1953 की फरवरी में क्रमशः अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड और अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। इन बोर्डों का कार्य यह है कि वे अपने क्षेत्रों के विषय में सरकार को परामर्श देते रहें। हाथ करघा उद्योग तथा खट्टर के धंधों को आगे बढ़ाने और कायम रखने के लिये मिल के प्रत्येक गज कपड़े पर तीन पाई अतिरिक्त कर लगाया गया है। इस प्रकार जो धन आयेगा, उससे इस उद्योग के विकास के लिये वित्त जुटाया जायेगा। हाथ करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सूती कपड़े की मिलों में धोतियों का उत्पादन भी सीमित कर दिया गया है।

विदेशों के बाजार में पहले नारियल की जटा की खपत बहुत अधिक थी, पर अब नारियल को जटा की खपत बहुत घट गयी है। इसका नतीजा यह हुआ कि इस उद्योग में बहुत अधिक बेकारी और परेशानी हो गयी है। इसको दूर करना जरूरी है। यह समझ कर नारियल की जटा के धंधे के सम्बन्ध में एक अनुविहित बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है। इस बोर्ड का काम यह होगा कि वह स्थानीय माग उत्पन्न करने के साथ-साथ विदेशों में नारियल की जटा की खपत बढ़ाये। विदेशों में इस चीज की खपत कदाचित् इसलिये घट गयी कि अब इस क्षेत्र में उत्पादन आधुनिक ढग में नहीं होता। इसलिए बोर्ड का काम यह भी होगा कि लोगों में आधुनिक शिल्प प्रणाली और प्रक्रिया का प्रचार करे और साथ ही साथ शोध कार्य भी करे।

राज्य सरकारें भी इस बात की बराबर चेष्टा कर रही हैं कि उनके इलाकों में कुटीर शिल्प में उत्पन्न द्रव्यों का अधिक प्रचार हो। उत्तर प्रदेश में फलों को सुरक्षित रखने के उपायों के सम्बन्ध में जानकारी न होने के कारण बहुत से फल नष्ट हो जाते थे। अब सहकारी आधार पर फल सुरक्षित रखने के लिये लखनऊ तथा रामगढ़ में कारखाने खोल दिये गये हैं।

गार्वी और टोकूबो श्रेणी की छोटे पैमाने की कताई इकाइयों और श्री काले द्वारा विकसित छोटे पैमाने की कताई इकाइया बम्बई तथा मौराष्ट्र के उन इलाकों में स्थापित हुई हैं जहां कपास उत्पन्न होती हैं। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की योजनाओं के लिये अनुदान दे रही है, जैसे लकड़ी का कारखाना, ऊन धुनने और तैयार करने का कारखाना, साइकिल के हिस्सों के परीक्षण तथा मंती करने के कारखाने। केन्द्रीय सरकार ने केवल राज्य सरकारों को ही अनुदान नहीं दिये बल्कि मशीन खरीदने के लिये गैर सरकारी मस्थाओं को भी राज्य सरकारों के जरिये या सीधे सहायता देनी रखी। अखिल भारतीय चरखा मंच को 1951-53 में ग्यारह लाख रुपये दिये गये।

हमारे गांव वाले भाइयों की बेकारी अथवा अर्धबेकारी दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजना में एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है। कुटीर शिल्प तथा छोटे पैमाने के धंधों के लिये योजना में 27 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है। नीचे देहाती धंधों के विकास का लेखा दिया जा रहा है :—

## तालिका 104

चुनी हुई ग्रामोद्योग योजनाओं के उत्पादन, व्यय और नियोजन के विवरण

| अनुक्रम | उद्योग                       | कुल उत्पादन                                                                | अतिरिक्त उत्पादन                                                                                                 | व्यय<br>(लाख<br>रुपयों में) | मोटे तौर से<br>अनुमानित<br>नियोजन                                                               |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | ग्रामीण तेल<br>उद्योग        | —                                                                          | 3 16 लाख टन<br>तेल (2.6<br>लाख टन 5<br>टन प्रति सुधरी<br>धानी और<br>0.56 लाख<br>टन 0.85<br>टन प्रति धानी)        | 233.1                       | 1,00,000 सग-<br>ठनकर्ता, मिस्त्री<br>तेल पेरने वाले।                                            |
| 2       | नीम के तेल से<br>साबुन बनाना | 3,448 टन<br>साबुन                                                          | 3,448 टन साबुन                                                                                                   | 18.1                        | 300 व्यक्ति और<br>इसके अति-<br>रिक्त बीज जमा<br>करने में अन्य<br>लोगों को अश-<br>कालीन धंधा।    |
| 3.      | धान साफ<br>करना              | 2 लाख टन                                                                   | —                                                                                                                | 10.0                        | 40,000 धान<br>कूटने वाले।                                                                       |
| 4.      | ताड़-गुड़                    | 2,53,252<br>टन ताड़<br>गुड़                                                | 81,852 टन<br>ताड़ गुड़ (4<br>साल के बाद<br>आवर्तक अति-<br>रिक्त वार्षिक<br>उत्पादन<br>40,943 टन हो<br>जायेगा)।   | 100.0                       | 60,000 कृषक<br>रस जमा करने<br>वाले आदि।                                                         |
| 5.      | गुड़ और<br>खाडसारी           | (क) 450<br>लाख मन<br>अच्छी किस्म<br>का साधारण<br>गुड़<br>(ख) 5 I<br>लाख मन | शुद्ध लाभ (रुपयों<br>में)<br>(1) बढ़िया ढंग<br>से रस निकालने<br>द्वारा 4 करोड़<br>(2) अच्छा माल<br>तैयार करने से | 100.4                       | 1,200 पूर्ण-<br>कालीन मजदूर<br>3,800 अश-<br>कालीन मजदूर<br>4,600 स्था-<br>नीय अवैतनिक<br>मजदूर, |

| अनुक्रम | उद्योग                               | कुल उत्पादन                                                                                                                                    | अतिरिक्त उत्पादन                                                                                                                                                                                                                 | व्यय<br>(लाख<br>रुपयों में) | नियोजना मोटे<br>तौर से अनु-<br>मानित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.      | चमड़ा उद्योग                         | शुद्ध साफ<br>गुड़<br>(ग) 1 लाख<br>मन मलाई<br>के रंग का<br>सीरा<br>(घ) 13.6<br>लाख मन<br>खांडसारी<br>खालें, हड्डियां<br>चर्बी, तथा<br>देशी जूते | 2.60 करोड़<br>(3) विक्रय के<br>सुघरे ढंग द्वारा<br>1.60 करोड़।<br>योग 8.20<br>करोड़<br><br>मृत पशुओं से<br>अधिक माल<br>प्राप्त करने के<br>कारण खाल,<br>हड्डी व चर्बी<br>का उत्पादन<br>बढ़ा। अच्छी<br>किस्म के जूते<br>बनाये गये। | 160.4                       | 6,00,000 गन्ना<br>उत्पादक, जो<br>30,000 गांवों<br>में हैं और जिन्हें<br>वर्ष के एक भ्रंश<br>में धंधा मिलता<br>है।<br><br>1,200 व्यक्ति<br>जिनमें लगभग<br>900 खाल<br>उधेड़ने वाले<br>आदि भी हैं,<br>इसके अतिरिक्त<br>लगभग 8 लाख<br>चमार जो<br>72,000 गांवों<br>में फैले हैं।<br>200 व्यक्ति,<br>4,000 कातने<br>वाले 200,<br>बुनकर।<br>1,000 काराज<br>बनाने वाले |
| 7.      | ऊन उद्योग                            | 10 लाख<br>कम्बल                                                                                                                                | 10 लाख कम्बल                                                                                                                                                                                                                     | 47.5                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.      | हाथ कागज<br>उद्योग                   | 1,400 टन<br>बढ़िया किस्म<br>का हाथ-<br>कागज जिसका<br>मूल्य 54<br>लाख रुपया<br>कूता गया है                                                      | 1,400 टन बढ़िया<br>किस्म का हाथ-<br>कागज।                                                                                                                                                                                        | 18.9                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.      | मधु मक्खी<br>पालन                    | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                | 16.3                        | 150 बड़े पैमाने<br>पर मधु मक्खी<br>पालने वाले;<br>मधु मक्खी<br>पालों ने सह-<br>कारी संस्थाएं<br>बनायी हैं।                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.     | दियासलाई<br>बनाने का<br>कुटीर उद्योग | —                                                                                                                                              | 18 लाख ग्रुस                                                                                                                                                                                                                     | 20.6                        | 3,000 छात्र-<br>कार्यकर्ता,<br>6,000 मजदूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| योग     |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  | 725.3                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## पन्द्रहवां अध्याय

### वाणिज्य

जब से कोरिया का युद्ध समाप्त हुआ और महायुद्ध छिड़ने की परिस्थितियाँ दूर हुई, तब से भारत की व्यापार सम्बन्धी नीति में निर्यात पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। गैर-डालर के क्षेत्रों से आयात बहुत उदारता के साथ करने दिया जा रहा है, पर डालर क्षेत्रों से केवल अत्यावश्यक चीजों का ही आयात करने दिया जा रहा है।

#### निर्यात

यह तो स्पष्ट ही है कि निर्यात के बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिये इस सम्बन्ध में तीन तरह के उपाय किये गये। इसमें सबसे मुख्य उपाय तो यह था कि पटसन के माल, कपास तथा सूती कपड़े पर निर्यात-कर कम कर दिया गया। दूसरे निर्यात का कोटा या निर्धारित भाग बढ़ा दिया गया। सूती कपड़े और पटसन के माल को मुक्त लाइसेंस की सूची में रखा गया है। हमारे यहाँ जो चीजें तैयार होती हैं, जैसे छत में लगने वाले बिजली के पखे आदि बिल्कुल मुक्त रूप से बाहर भेजे जा सकते हैं। कपास, रेडी, मूँगफली के तेलो के निर्यात सम्बन्धी निर्धारित भाग बढ़ा दिये गये। चीनी तथा अन्य कई चीजों के निर्यात के सम्बन्ध में भी निर्धारित भाग निर्दिष्ट कर दिये गये। इस सम्बन्ध में यह बता देना उचित है कि अब तक इन चीजों का बाहर भेजा जाना निषिद्ध था। तीसरी बात यह है कि अब तक बहुत से कारखाने निर्यात की कमी के कारण काम नहीं कर पा रहे थे। इस सम्बन्ध में सरकार ने यह नीति अपनाई कि जो लोग चीजों को समुद्र पार भेजने का प्रबन्ध कर सकते हैं, उन्हें इस्पात का अतिरिक्त निर्धारित भाग दिया जाये। सरकार ने भारतीय जूट मिल एसोसियेशन को भी इसीलिये सहायता दी कि वह अमेरिका में पटसन के माल की खपत के लिये प्रचार कार्य करे। सबसे बड़ी बात इस सम्बन्ध में यह हुई कि लाइसेंस देने का तरीका सरल कर दिया गया।

#### आयात

1952 की जुलाई-दिसम्बर वाली छमाही में आयात कुछ हद तक रुका रहा। इसका कारण यह था कि माल इकट्ठा हो गया था, और देश में ही उन चीजों के उत्पादन के कारण बाहर से माल मगाने की आवश्यकता नहीं रह गयी थी। आयात के सम्बन्ध में एक नयी बात यह भी की गयी कि पहले जहाँ कुछ चीजों के लिये लाइसेंस एक साल के लिये होता था, अब छः माह के लिये लाइसेंस दिये जाने लगे।

1953 की जनवरी-जून वाली छमाही में आयात सम्बन्धी नीति यह रही कि पहली छमाही में जिस आधार पर आयात हुआ, उसी आधार पर वह कायम रहा। हाँ, एक परिवर्तन यह करना पड़ा कि मशीन के आयात के सम्बन्ध में उदारता की नीति रक्खी गयी, और उपभोग वाले ऐसे द्रव्यों के सम्बन्ध में भी उदारता बरती गयी जिन्हें 1952 की जुलाई-दिसम्बर वाली छमाही में या तो कतई रोक दिया गया था या आंशिक रूप से रोक दिया गया था। उपभोगवाले द्रव्यों का आयात एक दम निषिद्ध करना उचित नहीं समझा गया क्योंकि इससे यहाँ के कारखानों में भारी गफलत पैदा हो सकती थी। स्वस्थ प्रतियोगिता जीवित रखना आवश्यक था। तालिका 105, 106 और 107 में 1948 से 1953 तक के भारत के विदेशी व्यापार की परिस्थिति दिखलाई गई है।

## तालिका 105

कुल व्यापार-संतुलन

(स्थल, जल व वायु मार्गों द्वारा)

(लाख रुपये में)

| पण्य द्रव्य का व्यापार                                          | 1948-49   | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52    | 1952-53    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------------|------------|
| <b>क. भारतीय पण्य-द्रव्य का निर्यात</b>                         |           |         |         |            |            |
| जल और वायु मार्गों द्वारा                                       | 42,104    | 47,207  | 57,898  | 70,175 (ख) | 55,383 (ख) |
| स्थल मार्गों द्वारा .                                           | 3,039 (क) | 2,788   | 1,781   | 2,714 (ख)  | 1,884 (ख)  |
| योग .                                                           | 45,143    | 49,995  | 59,679  | 72,889 (ख) | 57,267 (ख) |
| <b>ख. भारतीय पण्य-द्रव्य का निर्यात :</b>                       |           |         |         |            |            |
| (केवल जल और वायु मार्गों द्वारा) भोजन, पेय और तम्बाकू           | 9,230     | 11,588  | 13,581  | 15,816     | 14,216     |
| कच्चा माल और उत्पादित वस्तुएं और मुख्यतः तैयार नहीं ऐसी वस्तुएं | 9,787     | 10,426  | 12,577  | 13,968     | 14,503     |
| पूर्ण या मुख्य रूप से बनी हुई वस्तुएं                           | 22,906    | 24,974  | 31,478  | 40,031     | 25,977     |
| योग (जीवित पशुओं और डाक की वस्तुओं को मिला कर) .                | 42,104    | 47,207  | 57,898  | 70,180     | 55,104     |
| <b>ग. पुनः निर्यात (मार्गस्थ व्यापार को छोड़ कर) .</b>          | 729       | 607     | 456     | 392        | 504        |
| <b>घ. कुल निर्यात .</b>                                         | 45,872    | 50,602  | 60,135  | 73,281     | 57,771     |

द्रष्टव्य : "अनाज, दाल और आटा के अन्य आयातों" का मूल्य सम्मिलित नहीं ।

(क) केवल पाकिस्तान के लिए ।

(ख) आधुनिकतम संशोधित आंकड़े ।

(लाख रुपये में)

| पण्य द्रव्य का व्यापार                                                     | 1948-49  | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52    | 1952-53   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| ड. आयात :                                                                  |          |         |         |            |           |
| जल और वायु मार्गों द्वारा . . .                                            | 55,717   | 59,434  | 58,117  | 87,308(ख)  | 63,528(ख) |
| स्थल मार्ग द्वारा . . .                                                    | 8,500(क) | 3,371   | 4,279   | 8,045      | 2,516 (ख) |
| योग . . .                                                                  | 64,217   | 62,805  | 62,396  | 95,353 (ख) | 66,044(ख) |
| वहन व्यापार को घटा कर . . .                                                | —        | 314     | 60      | 80         | 19        |
| च. विशुद्ध आयात . . .                                                      | 64,217   | 62,491  | 62,336  | 95,273     | 66,025    |
| छ. आयात (केवल जल और वायु मार्गों द्वारा) भोजन, पेय पदार्थ और तम्बाकू . . . | 12,712   | 15,664  | 11,061  | 26,205     | 17,564    |
| कच्चा माल और उससे उत्पादित वस्तुएं और मुख्यतः तैयार नहीं ऐसी वस्तुएं . . . | 12,757   | 14,427  | 19,881  | 25,406     | 17,901    |
| पूर्ण अथवा मुख्य रूप से तैयार वस्तुएं . . .                                | 29,790   | 28,863  | 26,954  | 34,138     | 27,400    |
| योग (जीवित जन्तुओं और डाक की वस्तुओं को मिला कर) . . .                     | 55,717   | 59,434  | 58,117  | 86,284     | 63,295    |
| ज. पण्य द्रव्य के व्यापार का संतुलन . . .                                  | -18,345  | -11,889 | -2,201  | -21,992    | -8,254    |

अनाज, दाल और आटा के अन्य आयातों के मूल्य के सिवा :—

(क) केवल पाकिस्तान के लिये ।

(ख) सबसे ताजे सुधारे हुए अंक ।

## तालिका 106

निर्यात की मुख्य वस्तुएं

(जल, वायु और स्थल मार्गों द्वारा)

(प—परिमाण और मूल्य—आवक रूपों में मूल्य के लिये प्रयुक्त हुए हैं)

भोजन, पेय पदार्थ और तम्बाकू

| वर्ष      | मछली<br>(हजार<br>हड्डबेटों में) | प्याज (क)<br>(हजार<br>हड्डबेटों में) | काजू की गिरी<br>(हजार<br>टनों में) | इनायची<br>(हजार<br>हड्डबेटों में) | कालीमिर्च<br>(हजार<br>हड्डबेटों में) | चाय<br>(दस लाख<br>पौंडों में) | विना तैयार<br>तम्बाकू (दस<br>लाख पौंडों में) | तैयार तम्बाकू<br>(हजार<br>पौंडों में) |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1948-49 प | 235                             | 309                                  | 18                                 | 18                                | 141                                  | 443 (ग)                       | 69                                           | 4 976 (क)                             |
| मू        | 147                             | 50                                   | 493                                | 73                                | 267                                  | 6 921 (ग)                     | 649                                          | 567                                   |
| 1949-50 प | 321                             | 735                                  | 19                                 | 16                                | 313                                  | 445                           | 92                                           | 4 267 (क)                             |
| मू        | 191                             | 126                                  | 561                                | 125                               | 1 450                                | 7 291                         | 1 164                                        | 410                                   |
| 1950-51 प | 387                             | 1 156                                | 25                                 | 12                                | 308                                  | 442                           | 103                                          | 11 828                                |
| मू        | 246                             | 115                                  | 855                                | 148                               | 2 040                                | 8 042                         | 1 411                                        | 435                                   |
| 1951-52 प | 435                             | 925                                  | 21                                 | 14                                | 298                                  | 429                           | 112                                          | 12 359                                |
| मू        | 328                             | 107                                  | 903                                | 164                               | 2 322                                | 9 386                         | 1 614                                        | 639                                   |
| 1952-53 प | 475                             | 659                                  | 27                                 | 19                                | 246                                  | 428                           | 79                                           | 15 084 (ख)                            |
| मू        | 378                             | 112                                  | 1 276                              | 164                               | 1 596                                | 8 098                         | 1 266                                        | 252                                   |

(क) केवल जल और वायुमार्गों द्वारा

(ख) अपूर्ण

(ग) स्थल मार्गों द्वारा अफगानिस्तान और ईरान के लिये निर्यात के आकड़ों को छोड़ कर

## नियति की मुख्य वस्तुएं (क्रमशः)

कच्चा माल और उत्पादित वस्तुएं तथा मुख्यतः तैयार नहीं ऐसी वस्तुएं

| वर्ष            | मृगफली का तेल<br>(हजार गैलन में) | रेडो का तेल<br>(हजार गैलन में) | अलमी का तेल<br>(हजार गैलन में) | मृगफली<br>(हजार टनो में) | रेडो<br>(हजार टनो में) | अलमी<br>(हजार टनो में) | कच्ची<br>रूई<br>(हजार टनो में) | रडी रूई<br>(हजार<br>हडरवेटो में) | कच्चा<br>पट्टा<br>(हजार<br>हडरवेटो में) | कच्चा<br>ऊन<br>(हजार<br>पौंडो में) |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1948-49 प<br>मू | 8,951 (क)<br>670                 | 3 009<br>218                   | 2 281<br>148                   | 38<br>313                | --<br>--               | 25<br>139              | 76<br>1,401                    | 1,017<br>515                     | 665<br>339                              | 8,658<br>109                       |
| 1949-50 प<br>मू | 7,049 (क)<br>544                 | 1,138<br>69                    | 1 773<br>128                   | 126<br>904               | 5<br>28                | 72<br>456              | 58<br>1,061                    | 1,513<br>822                     | 342<br>175                              | 27,363<br>371                      |
| 1950-51 प<br>मू | 19,991<br>1,674                  | 5,898<br>435                   | 1 359<br>110                   | 38<br>357                | 79<br>592              | 68<br>567              | 15<br>494                      | 1,307<br>1,241                   | 271<br>128                              | 25,371<br>787                      |
| 1951-52 प<br>मू | 5,119<br>432                     | 5,522<br>657                   | 6,077<br>566                   | 20<br>235                | 1<br>16                | 7<br>70                | 23<br>1,368                    | 623<br>735                       | 417<br>248                              | 18,295<br>490                      |
| 1952-53 प<br>मू | 16,181<br>1 046                  | 8,925 (ख)<br>772               | 6,800 (क)<br>481               | 13<br>140                | 4<br>38                | --<br>52               | 71<br>1 932                    | 1,257<br>962                     | 336<br>144                              | 37,979<br>842                      |

(क) केवल जल मापों द्वारा । (ख) अपूर्ण ।



## निर्यात की मुख्य वस्तुएं (क्रमशः)

कच्चा माल और उत्पादित वस्तुएं तथा मुख्य रूप से तैयार नहीं ऐसी वस्तुएं

| वर्ष         | कोयला<br>(हजार टनों में) | अवरक<br>(हजार हडरवेटो<br>में) | लाक<br>(हजार हडरवेटो<br>में) | कच्चा<br>चमड़ा<br>(हजार<br>हडरवेटो<br>में) | कच्ची<br>खाल<br>(हजार<br>हडरवेटो<br>में) | पुराना<br>लोहा<br>और<br>इस्पात<br>फिर<br>तैयार<br>होने के<br>लिए<br>(हजार<br>टनों में) | खनिज<br>लोहा<br>(हजार<br>टनों में) | मंगनीज<br>(हजार<br>टनों में) | हरे<br>(हजार<br>हडरवेटो<br>में) | वस्तुएं<br>तैयार<br>करने की<br>हथियां<br>(हजार<br>टनों में) |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1948-49 प मू | 1 332<br>458             | 340<br>594                    | 491<br>869                   | 42<br>49                                   | 204<br>498                               | —<br>—                                                                                 | —<br>—                             | 309<br>181                   | 612<br>55                       | 31<br>57                                                    |
| 1949-50 प मू | 2 323<br>763             | 298<br>685                    | 456<br>809                   | 16<br>21                                   | 258<br>659                               | 0 2<br>0 31                                                                            | 4<br>1                             | 739<br>585                   | 845<br>90                       | 37<br>66                                                    |
| 1950-51 प मू | 994<br>344               | 407<br>1,000                  | 662<br>1,189                 | 38<br>69                                   | 248<br>874                               | 2<br>4                                                                                 | 85<br>22                           | 821<br>801                   | 821<br>103                      | 45<br>116                                                   |
| 1951-52 प मू | 2,801<br>955             | 408<br>1,321                  | 714<br>1,487                 | 24<br>62                                   | 220<br>762                               | 43<br>70                                                                               | 280<br>100                         | 1,125<br>1,569               | 897<br>113                      | 46<br>228                                                   |
| 1952-53 प मू | 2,187<br>1,011           | 284<br>899                    | 688<br>761                   | 1<br>2                                     | 228<br>554                               | 481<br>1,026                                                                           | 812<br>371                         | 1,365<br>2,077               | 515<br>41                       | 71<br>221                                                   |

निर्यात की मुख्य वस्तुएं (क्रमशः)

पूर्ण रूप से अथवा मुख्यतः तैयार वस्तुएं

| वर्ष         | तैयार चमड़ा (हजार हंड्रेड-वेटों में) | तैयार खाल (हजार हंड्रेड-वेटों में) | सूती ट्रिक्सट व मूल (हजार पाउंडों में) | सूती माजे व बनि-यान आदि | हाथ से बने सूती पीम गुड्स (१० लाख गजों में) | मिल में बने सूती पीम गुड्स (१० लाख गजों में) | विमान-खान का सामान (मुख्यतः तैयार सूती सामान) | टाट के बोरे (हजार टनों में) | टाट (हजार टनों में) | नकली सिल्क के पील्स गुड्स (हजार गजों में) | ऊनी कालीन और कम्बल (हजार मोटों में) | नारियल की जट से बने चीजे (हजार हंड्रेड-वेटों में) |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1948-49 प मू | 186 496                              | 104 720                            | 7 408 129                              | -- 95                   | -- --                                       | 361(ग) 39,540(ग)                             | -- 51                                         | 457 6 147                   | 435 8,072           | 24 480 519                                | 8,334 261                           | 869 447                                           |
| 1949-50 प मू | 315 853                              | 162 (ब) 1 183                      | 67 835(क) 1 240                        | -- 79                   | -- --                                       | 709 5 965                                    | -- 81                                         | 434 6 382                   | 309 5 725           | 12 230 149                                | 10 465 331                          | 1,424 721                                         |
| 1950-51 प मू | 351 1 202                            | 148 (ब) 1 333                      | 75 091 1 728                           | -- 86                   | 60 1 088                                    | 1 224 11 217                                 | -- 171                                        | 345 5 539                   | 266 5 291           | 6 990 97                                  | 14 091 556                          | 1,560 1,081                                       |
| 1951-52 प मू | 335 1 361                            | 124 (क) 1 141                      | 6 182(क) 1 97 130                      | -- --                   | 40(क) 920                                   | 388 4 295                                    | -- 246                                        | 473 13 529                  | 287 12,458          | 8 414 117                                 | 11,591 588                          | 1,219 1,019                                       |
| 1952-53 प मू | 313 922                              | 162 1 089 (क)                      | 17 453 428                             | -- 100                  | 54(क) 874                                   | 565 5 319                                    | -- 253                                        | 371(क) 6 139                | 1 304 6,321         | 3 621(क) 51                               | 7 121 279                           | 1,279 715                                         |

(क) अपूर्ण (ख) केवल जल और वायु मार्गों द्वारा ।

(ग) स्थल मार्गों द्वारा अफगानिस्तान और ईरान के निर्यात के आकड़ों को छोड़ कर

निर्यात की मुख्य वस्तुएं (क्रमशः)

पूर्ण ढं. अथवा मुख्यतः तैयार वस्तुएं :

| वर्ष         | पैराफिन मोम (हजार टनो में) | बत्तक, कंडे आदि (मोने व बनियान व जूतों को छोड़ कर) | शीत-रीत (हजार हेक्टरवटों में) | सल ईसब-गोल (ख) (हजार हंडरवटों में) (क) | लोहे का माल (हजार टनो में) | धातु का सामान | यंत्र (पूर्ण या उनके भाग) | काच और मिट्टी के सामान | मशीनें (जिनमें सिंक्राई की मशीनें भी शामिल हैं) | कागज, लुगदी, गता और स्टेशनरी | रबर का सामान | लोहे और इस्पात की छोड़ अन्य धातुएं तथा उनसे बना सामान |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1948-49 प मू | 10                         | 74                                                 | --                            | --                                     | 45                         | 54            | 94                        | 232                    | 29                                              | 49                           | 167          | 98                                                    |
| 1949-50 प मू | 113                        | --                                                 | --                            | --                                     | 63                         | 54            | --                        | --                     | 29                                              | 49                           | 167          | 98                                                    |
| 1950-51 प मू | 16                         | --                                                 | --                            | --                                     | 71                         | 61            | 74                        | 32                     | 69                                              | 31                           | 99           | 59                                                    |
| 1950-51 प मू | 158                        | 51                                                 | --                            | --                                     | 99                         | --            | --                        | 29                     | 47                                              | 33                           | 165          | 124                                                   |
| 1951-52 प मू | 20                         | --                                                 | --                            | --                                     | 54                         | 78            | 96                        | --                     | --                                              | --                           | --           | --                                                    |
| 1951-52 प मू | 226                        | 115                                                | --                            | --                                     | 86                         | 121           | 147                       | 43                     | 95                                              | 119                          | 108          | 141                                                   |
| 1952-53 प मू | 32                         | --                                                 | --                            | --                                     | 20                         | --            | --                        | --                     | --                                              | --                           | --           | --                                                    |
| 1952-53 प मू | 282                        | 82                                                 | --                            | --                                     | 41                         | 110           | 151                       | 34                     | 127                                             | 87                           | 143          | 268                                                   |
| 1952-53 प मू | 19                         | --                                                 | 61                            | --                                     | 11                         | --            | --                        | --                     | --                                              | --                           | --           | --                                                    |
| 1952-53 प मू | 133                        | 165                                                | 90                            | --                                     | 41                         | --            | --                        | --                     | --                                              | --                           | --           | --                                                    |

(क) अप्रैल १९५२ में व्यापार के तै में अलग से दिया आ ।

(ख) अप्रैल १९५३ से व्यापार के खते में अलग में दिया हुआ ।

## तालिका 107

आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं

(जल, वायु और स्थल मार्गों द्वारा)

(मूल्य लाख रुपये में)

| वर्ष     | मशीनों के लिए पट्ट | रासायनिक | कोलवार से तैयार होने वाले रंग | फल और सब्जियां | अनाज, दाल व आटा | लोहे का माल | यंत्र आदि | हर प्रकार की मशीनों जिसमें मशीनों के पट्ट भी शामिल है | लोहा और इस्पात तथा उनसे बने वाला सामान | लोहे और इस्पात के अतिरिक्त अन्य धातुएं तथा उनसे बना सामान |
|----------|--------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1948-49. | 212                | 2,057    | 1,234                         | 825(क)         | 10,170          | 596         | 1,881     | 8,156                                                 | 1,231                                  | 2,233                                                     |
| 1949-50. | 101                | 776      | 796                           | 1,058          | 13,388          | 614         | 2,075     | 10,551                                                | 1,370                                  | 1,818                                                     |
| 1950-51. | 119                | 922      | 1,198                         | 1,366          | 8,075           | 457         | 1,779     | 9,300                                                 | 1,900                                  | 2,784                                                     |
| 1951-52. | 207                | 1,920    | 1,427                         | 1,390          | 23,030          | 614         | 2,043     | 10,431                                                | 2,197                                  | 2,066                                                     |
| 1952-53. | 161                | 1,268    | 751                           | 1,374          | 15,673          | 404         | 2,221     | 8,787                                                 | 2,371                                  | 1,930                                                     |

(क) अफगानिस्तान व ईरान से स्थल मार्गों द्वारा हुए आयात के आंकड़ों को छोड़ कर ।

आयात को जाने वाली मुख्य वस्तुएं (क्रमशः)

(जल, वायु और स्थल मार्गों द्वारा)

(मूल्य लाख रुपयों में)

| वर्ष    | कागज  | रुई    | कच्चा ऊन | नकली रेशम का धागा | मोटरो का ढांचा | मोटर कार | औषधिया  | सूती पीस गुड | बटा हुआ और साधारण सूत | ऊनी और वस्टेड पीस गुड | परचुन का सामान और तेल आदि | पटसन  |
|---------|-------|--------|----------|-------------------|----------------|----------|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------|
| 1948-49 | 1,337 | 6,448  | 318      | 1,283             | 892            | 764      | 812 (क) | 930          | 450                   | 310                   | 708                       | 7,124 |
| 1949-50 | 774   | 6,379  | 303      | 1,046             | 538            | 318      | 804     | 1,070        | 577                   | 164                   | 730                       | 2,117 |
| 1950-51 | 950   | 10,077 | 562      | 1,471             | 266            | 324      | 1,052   | 131          | 30                    | 13                    | 602                       | 2,757 |
| 1951-52 | 1,316 | 13,718 | 260      | 1,729             | 287            | 479      | 1,560   | 237          | 182                   | 45                    | 1,084                     | 6,707 |
| 1952-53 | 1,121 | 7,667  | 71       | 785               | 288            | 296      | 1,145   | 125          | 209                   | 92                    | 571                       | 1,648 |

(क) ईरान व अफगानिस्तान से स्थल मार्गों द्वारा किये गये आयात के आंकड़ों को छोड़ कर ।

## सोलहवां अध्याय

### परिवहन

#### रेल मार्ग

भारत में रेल मार्ग ही परिवहन का मुख्य साधन है। माल का 80 प्रतिशत तथा सवारियों का 70 प्रतिशत रेल पर ही आता जाता है। हमारे यहां रेल पद्धति का प्रारम्भ सन 1853 में हुआ था और अभी हाल ही में रेल मार्ग की शताब्दी जयंती मनाई गई। रेल मार्ग की हमारे यहां किस प्रकार उन्नति हुई यह नीचे दिया जा रहा है :

तालिका 108

रेल मार्ग की प्रगति 1853-1954

(लाख रुपये में)

| व           | पटरियों की कुल लम्बाई (मीलों में) | लगी हुई पूंजी | कुल आय | व्यय   | विशुद्ध आय |
|-------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|------------|
| 1853        | 20                                | 38            | 0.90   | 0.41   | 0.49       |
| 1863        | 2,507                             | 5,300         | 220    | 133    | 87         |
| 1873        | 5,697                             | 9,173         | 723    | 378    | 345        |
| 1883        | 10,447                            | 14,831        | 1,639  | 797    | 842        |
| 1893        | 18,459                            | 23,318        | 2,408  | 1,135  | 1,273      |
| 1903        | 26,956                            | 34,111        | 3,601  | 1,711  | 1,890      |
| 1913-14     | 34,656                            | 49,509        | 6,359  | 3,293  | 3,066      |
| 1923-24     | 38,039                            | 71,793        | 10,780 | 6,845  | 3,935      |
| 1933-34     | 42,953                            | 88,441        | 9,958  | 6,954  | 3,004      |
| 1943-44 (क) | 40,512                            | 85,854        | 19,932 | 11,411 | 8,521      |
| 1947-48 (ख) | 33,985                            | 74,220        | 18,369 | 16,394 | 1,975      |
| 1948-49     | 33,861                            | 77,588        | 23,412 | 18,406 | 5,006      |
| 1949-50     | 34,022                            | 81,307        | 25,832 | 20,723 | 5,109      |
| 1950-51     | 34,079                            | 83,818        | 26,462 | 21,439 | 5,023      |
| 1951-52     | 34,119                            | 86,155        | 29,414 | 22,759 | 6,655      |

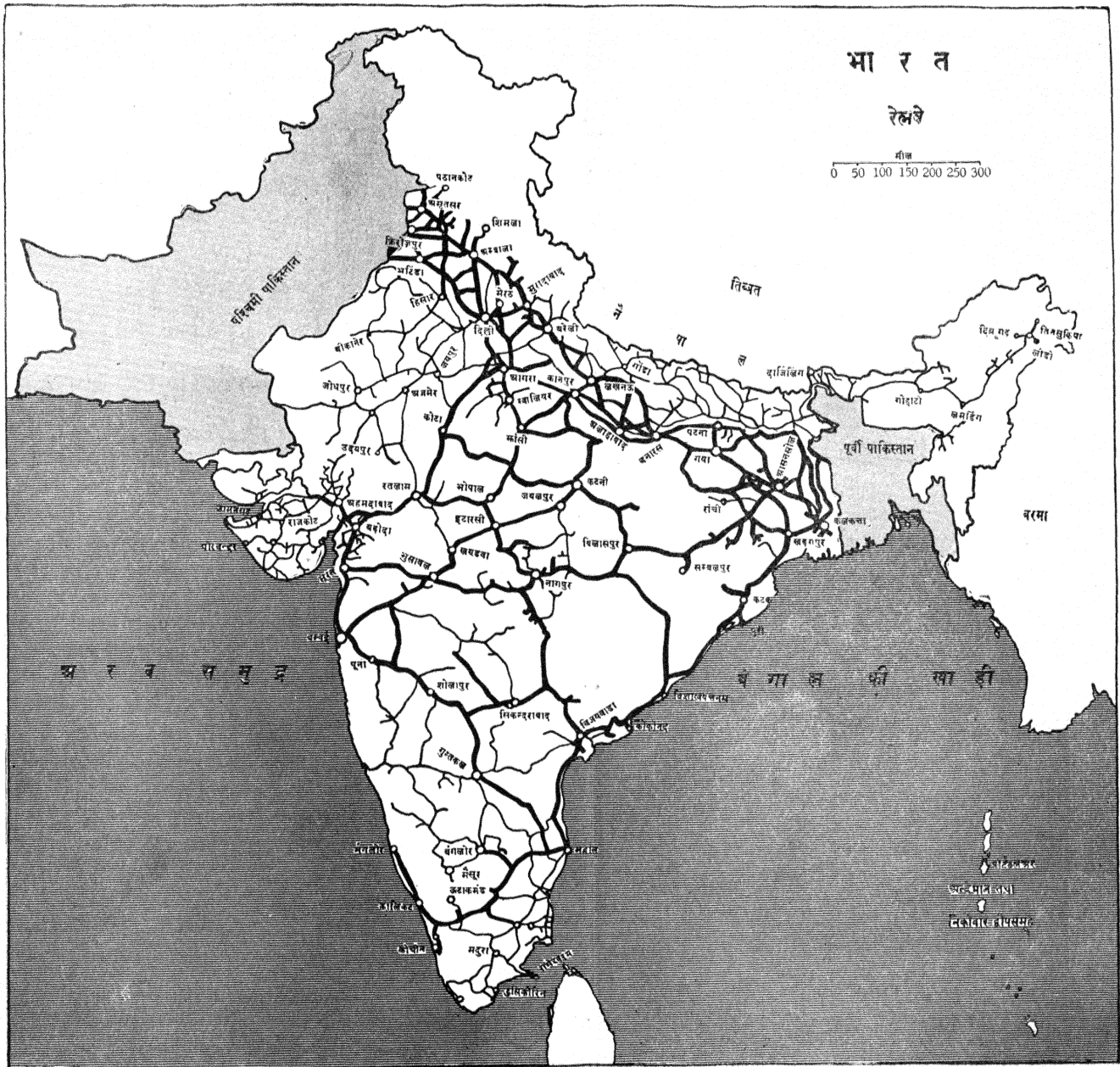
(क) 1937 में बर्मा रेल अलग हो गयी।

(ख) 15 अगस्त 1947 विभाजन के बाद।

भारत

रेलवे

मील  
0 50 100 150 200 250 300







## तालिका 109

यातायात (1871-1951)

| वर्ष            | यात्रियों की<br>संख्या<br>(हजार में) | यात्रियों से<br>प्राप्त भाड़ा<br>(लाख रुपये में) | ढोया गया<br>माल<br>(हजार टनों में) | माल की दुलाई<br>से प्राप्त भाड़ा<br>(लाख रुपये में) |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1871 . .        | 19,283                               | 202                                              | 3,542                              | 420                                                 |
| 1881 . .        | 54,764                               | 379                                              | 13,214                             | 956                                                 |
| 1891 . .        | 1,22,855                             | 686                                              | 26,159                             | 1,561                                               |
| 1901 . .        | 1,94,749                             | 1,007                                            | 43,392                             | 2,124                                               |
| 1911 . .        | 3,89,863                             | 1,849                                            | 71,268                             | 3,293                                               |
| 1921-22 . .     | 5,69,684                             | 3,429                                            | 90,142                             | 4,952                                               |
| 1931-32 . .     | 5,05,836                             | 3,135                                            | 74,575                             | 5,873                                               |
| 1941-42 (क) . . | 6,23,072                             | 3,969                                            | 96,997                             | 8,963                                               |
| 1951-52 (ख) . . | 12,32,073                            | 11,142                                           | 98,025                             | 15,395                                              |

विभाजन के अवसर पर अविभक्त भारत में 40,524 मील रेल थी, जिसमें से 6,958 मील पाकिस्तान में चली गई, और भारतीय यूनियन के लिये 33,566 मील रेल बच रही। इस प्रकार जो कमी हुई सो तो हुई, सबसे बड़ी हानि यह हुई कि आसाम की रेल भारत की रेल से अलग हो गई। इसलिये सबसे पहले यह प्रश्न सामने आया कि किस प्रकार इसे दूर किया जाये। तदनुसार भारत और आसाम को जोड़ना हुआ जो पतला सा भूभाग था उसमें 142 मील लम्बी मीटरगेज लाईन बनाई गई। इस लाइन का उद्घाटन 1949 के दिसम्बर में हुआ। इस प्रकार आसाम फिर एक बार भारत से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया :

काण्डला (गांधी धाम)—170 मील लम्बे दीसा रेल मार्ग का उद्घाटन दो अक्टूबर 1952 को हुआ। यह बता दिया जाये कि इस लाइन को इतना महत्व क्यों दिया गया। कराची के हम से पृथक् हो जाने से हमारे उस इलाके के लिये एक बन्दरगाह की आवश्यकता थी। काण्डला इसी के लिये विकसित किया गया, पर इसे रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ना था। इसलिये यह रेल मार्ग बना। इस कारण से एक नवम्बर 1949 से अप्रैल 1952 के बीच 3.77 करोड़ रु० की लागत पर सत्ताइस मील लम्बी मुकैरियां—पठानकोट रेल लाइन बनी। पहले पठानकोट को घूम कर जाना पड़ता था, अब इस रेल के बनने से दिल्ली से पठानकोट की दूरी 44 मील कम हो गई।

1944 में ही भारत सरकार ने सब रेलों को अपने अधीन कर लिया था। इसमें पूर्ण रेल की निष्क्रियता और नियंत्रण की पद्धति बड़ी जटिल थी। कई तरह की पद्धतियाँ एक साथ चालू थी।

(क) 1937 में बर्मा रेल अलग हो गयी।

(ख) 15 अगस्त 1947 विभाजन के बाद।

कुछ रेलवे लाइनो की मालिक भी सरकार थी और सरकार ही व्यवस्थापक भी थी। कुछ रेलवे लाइनों की मालिक सरकार थी पर उनकी व्यवस्था कम्पनियों के हाथ में थी। ऐसी कई रेल लाइनें थी जो कम्पनियों की थी और कम्पनियां ही उनकी व्यवस्था करती थी। इसके अतिरिक्त रजवाड़ों की अपनी लाइनें थी। कहना न होगा कि इस प्रकार की बातों से न तो कार्यकुशलता बढ़ती थी और न काम ढग से हो पाता था। खर्च भी अधिक होता था। 1948 में भारत में 42 प्रकार की रेलें थी। इनमें से तेरह अव्वल दर्जे की रेलें थी जिनकी कुल सालाना आमदनी 50 लाख रुपये या उससे अधिक थी। दूसरे दर्जे की 10 रेलें थी, जिनकी कुल सालाना आमदनी 10 से 50 लाख रुपये के अन्दर थी। तीसरे दर्जे की 19 रेलें थी, जिनकी कुल सालाना आमदनी 10 लाख रु० या उससे कम थी। 42 रेलों में से 32 (इसमें सांगली राज्य की पांच मील लम्बी रेल भी थी, ये लाइनें कुल मिला कर 7,559 मील लम्बी थी) रजवाड़ों की थी। 1950 की पहली अप्रैल से रजवाड़ों की निजी रेलें भारत सरकार की मिल्कियत और नियंत्रण में आ गयी। बात यह है कि इस बीच में रजवाड़े भारतीय यूनियन में विलीन हो चुके थे। यह समझा गया कि खर्च घटाने तथा प्रशासन में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये, सिर्फ रेलों के नये वर्गीकरण की जरूरत है। तदनुसार रेल बोर्ड ने 1950 में एक योजना बनाई, और 1951-52 में इसे अलग कर दिया गया। कुछ निजी लाइट रेलें इस कार्यक्रम से बरी रही। नये वर्गीकरण के पहले भारत में 35 प्रकार की रेलें थी, इनमें 22 पर सरकारी मिल्कियत थी। सरकारी रेलों के नाम ये थे : आसाम, बंगाल—नागपुर, बम्बई—बड़ौदा और मध्य भारत (बी० बी० एण्ड सी० आई०), बेजवाड़ा—धौनकुरनूल, दार्जिलिंग—हिमालयन, ईस्ट इण्डियन, ईस्टर्न पंजाब, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला (जी० आई० पी०), मद्रास और दक्षिणी मरहठा, अवध और तिरहुत, साऊथ इंडियन, बीकानेर राज्य, कच्छ राज्य, धौलपुर राज्य, जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य, मैसूर राज्य, निजाम शाही, राजस्थान, सौराष्ट्र और सिंधिया राज्य रेल। नये वर्गीकरण के फलस्वरूप निम्नलिखित क्षेत्रीय विभाग हुए।

## तालिका 110

| क्षेत्र | किस तारीख को बनायी गयी | जिसके अन्तर्गत है                                 | मुख्यकार्यालय | पटरियों की कुल लम्बाई (मीलों में)                                    |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| दक्षिण  | 14 अप्रैल 1951         | मद्रास एवं दक्षिण-मरहठा, दक्षिण भारत और मैसूर रेल | मद्रास        | 6,016.97<br>बी० जी० 1,754.05<br>एम० जी० 4,160.12<br>एन० जी० 702.20 } |

| क्षेत्र     | किस तारीख को बनायी गयी | जिस के अन्तर्गत है                                                             | मुख्य कार्यालय | पटरियों की कल लम्बाई (मीलों में)                                   |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| मध्य        | 5 नव० 1951             | ग्रेट इंडिया पनिसुला, निजाम की स्टेट, सिंधिया और धौलपुर रेल                    | बम्बई          | 5,427.70<br>बी० जी० 4,091.23<br>एम० जी० 772.49<br>एन० जी० 563.98   |
| पश्चिम      | 5 नव० 1951             | बम्बई बड़ौदा एव मध्य-भारत, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान और जयपुर रेलवे            | बम्बई          | 5,461.03<br>बी० जी० 1,266.34<br>एम० जी० 3,402.18<br>एन० जी० 792.51 |
| उत्तर       | 14 अप्रैल, 1952        | पूर्वी पंजाब, जोधपुर, और बीकानेर रेलवे और ईस्ट इण्डियन रेलवे के तीन अपर डिवीजन | दिल्ली         | 6,007.3<br>बी० जी० 3,881.68<br>एम० जी० 1,997.68<br>एन० जी० 127.97  |
| उत्तर-पूर्व | 14 अप्रैल 1952         | अवध एवं तिरहुत और आसाम रेलवे                                                   | गोरखपुर        | 4,766.87<br>बी० जी० 2.15<br>एम० जी० 4,712.75<br>एन० जी० 51.97      |
| पूर्वी      | 14 अप्रैल 1952         | ईस्ट इण्डियन रेलवे (तीन अपर डिवीजनों को छोड़ कर) और बंगाल-नागपुर रेलवे         | कलकत्ता        | 5,667.24<br>बी० जी० 4,725.27<br>एम० जी० —<br>एन० जी० 941.97        |

बी० जी० —ब्राड गेज

एम० जी० —मीटर गेज

एन० जी० —नैरो गेज

## तालिका 111

रेल प्रशासन व्यवस्था जैसी कि वह 16 अप्रैल 1953 को थी

| रेलवे                         | गेज                    | पटरियों की लम्बाई (मीलों में) | अधिकारी                 | प्रबन्धक   |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>प्रधान श्रेणी की रेल</b>   |                        |                               |                         |            |
| (I) मध्य                      |                        |                               |                         |            |
| (क) मध्य .                    | 5' 6"                  | 4,091                         | भारत सरकार              | भारत सरकार |
|                               | 3' 3 $\frac{3}{8}$ "   | 773                           | "                       | "          |
|                               | 2' 6"                  | 117                           | "                       | "          |
|                               | 2' 0"                  | 307                           | "                       | "          |
| (ख) इलिचपुर-यवतमाल            | 2' 6"                  | 118                           | ब्रांच लाइन क.          | "          |
| (ग) पुलगाव-आर्वी              | 2' 6"                  | 22                            | " 'क'                   | "          |
| (2) पूर्वी .                  | { 5' 6"                | 7,733                         | भारत सरकार              | "          |
| पूर्वी .                      | { 2' 6"                | 942                           | "                       | "          |
| (3) उत्तर-पूर्वी .            | { 5' 6"                | 2' 'ख'                        | "                       | "          |
| (क) उत्तर-पूर्वी .            | { 3' 3 $\frac{3}{8}$ " | 4,655                         | "                       | "          |
|                               | { 2' 0"                | 72                            | "                       | "          |
| (ख) चपरमुख-सिलघाट             | 3' 3 $\frac{3}{8}$ "   | 51                            | ब्रांच लाइन क. 'ग'      | "          |
| (ग) कटावल-लाला बाजार          | 3' 3 $\frac{3}{8}$ "   | 23                            | "                       | "          |
| (4) उत्तर :                   | { 5' 6"                | 3,870                         | भारत सरकार              | "          |
| (क) उत्तर                     | { 3' 3 $\frac{3}{8}$ " | 1,997                         | "                       | "          |
|                               | { 2' 6"                | 128                           | "                       | "          |
| (ख) पर नंगल बाघ 'घ' .         | 5' 6"                  | 34                            | "                       | "          |
| (5) दक्षिण                    |                        |                               |                         |            |
| (क) दक्षिण .                  | 5' 6"                  | 1,729                         | "                       | "          |
|                               | 2' 3 $\frac{3}{8}$ "   | 4,006                         | "                       | "          |
|                               | 2' 6"                  | 102                           | "                       | "          |
| (ख) तेनाली-रेपल्ली .          | 5' 6"                  | 22                            | डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गुटूर | "          |
| (ग) कोचीन बन्दर-गाह विस्तार . | 5' 6"                  | 4                             | कोचीन बन्दरगाह प्रशासन  | "          |

'क' छूट की शर्तों पर ।

'ख' यह लाइन हलदीबारी और पाकिस्तान की सीमा के बीच में पाकिस्तान से सीधा सम्बन्ध जोड़ने के लिए है ।

'ग' इस लाइन को भारत सरकार द्वारा गारण्टी प्राप्त है, और इसे आन्ध्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है ।

'घ' भारत सरकार और पंजाब सरकार का सम्मिलित स्वामित्व ।

| रेल                              | गेज                  | दूरिया की लम्बाई (मीलों में) | अधिकारी                            | प्रबन्धक                                |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| (घ) अलनावार दादेली (प्रान्तीय)   | 3' 3 $\frac{3}{8}$ " | 19                           | बम्बई राज्य सरकार                  | भारत सर-कार                             |
| (ङ) पश्चिमी भारत पुर्तगाली       | 3' 3 $\frac{3}{8}$ " | 51                           | पश्चिमी भारत पुर्तगोज रेल कम्पनी   | "                                       |
| (च) पेगलास-कराईकल                | 3' 3 $\frac{3}{8}$ " | 15                           | फ्रांसीसी सरकार                    | "                                       |
| (छ) पाडिचेरी                     | 3' 3 $\frac{3}{8}$ " | 8                            | पाडिचेरी रेल कम्पनी                | "                                       |
| (ज) तिल्लेवेल्ली तिरुवेन्दूर     | 3' 3 $\frac{3}{8}$ " | 38                           | डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तिल्लेवेल्ली     | "                                       |
| (झ) नन्जनगुड टाउन चमराज-नगर      | 3' 3 $\frac{3}{8}$ " | 22                           | मैसूर व माण्ड्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड | "                                       |
| (6) पश्चिम पश्चिम                | 5' 6"                | 1 265                        | भारत सरकार                         | "                                       |
|                                  | 3' 3 $\frac{3}{8}$ " | 3 573                        | "                                  | "                                       |
|                                  | 2' 6"                | 792                          | "                                  | "                                       |
| प्रथम श्रेणी की कुल रेलें        |                      | 33 582                       |                                    |                                         |
| द्वितीय श्रेणी की रेलें          |                      |                              |                                    |                                         |
| 1 बार्नी लाइट                    | 2' 6"                | 203                          | अप्राप्त सहायता कम्पनी             | बार्नी लाइट रेल कम्पनी                  |
| 2 शाहदरा (दिल्ली) सहा-रनपुर लाइट | 2' 6"                | 93                           | प्राप्त सहायता कम्पनी 'क'          | शाहदरा, दिल्ली सहायता लाइट रेलवे कम्पनी |
|                                  |                      | 296                          |                                    |                                         |
| द्वितीय श्रेणी की कुल रेलें      |                      |                              |                                    |                                         |
| तृतीय श्रेणी की रेलवे            |                      |                              |                                    |                                         |
| 1 अहमदपुर कटवा                   | 2' 6"                | 32                           | ब्राच लाइन कम्पनी 'ख'              | अहमदपुर कटवा रेलवे                      |
| 2 आरा-बनाराम लाइट                | 2' 6"                | 65                           | प्राप्त सहायता कम्पनी 'ग'          | आरा-बनाराम लाइट रेलवे कम्पनी            |

'क' सरकार द्वारा केवल भूमि प्राप्त ।

'ख' भारत सरकार द्वारा गारण्टी प्राप्त ।

'ग' जिला बोर्ड द्वारा

| रेलवे                                        | गेज   | पटरियों की लम्बाई (मीलों में) | अधिकारी                   | प्रबन्धक                        |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 3. बाकुरा-दामोदर .                           | 2' 6" | 60                            | ब्रांच लाइन कम्पनी (ख)    | बाकुरा-दामोदर रिवर रेलवे कम्पनी |
| 4. बरमेत-बसीरहाट लाइट                        | 2' 6" | 52                            | प्राप्त सहायता कम्पनी (ग) | बरसेत-बसीरहाट लाइट रेल कम्पनी   |
| 5. बंगाल प्रोविशियल—<br>(I) बंगाल प्रोविशियल | 2' 6" | 33                            | अप्राप्त सहायता कम्पनी    | बंगाल प्रोविशियल रेल कम्पनी     |
| (II) दसघरा जमालपुर-गंज .                     | 2' 6" | 9                             | ब्रांच लाइन कम्पनी (ख)    | "                               |
| 6. बस्तिरपुर-बिहार लाइट                      | 2' 6" | 33                            | डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पटना   | डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पटना         |
| 7. बर्दवान-कटवा .                            | 2' 6" | 33                            | ब्रांच लाइन कम्पनी (ख)    | बर्दवान-कटवा रेल कम्पनी         |
| 8. देहरी-रोहतास लाइट .                       | 2' 6" | 24                            | सहायता प्राप्त कम्पनी (क) | देहरी-रोहतास लाइट रेल कम्पनी    |
| 9. फतवा इसलामपुर .                           | 2' 6" | 27                            | ब्रांच लाइन कम्पनी (ख)    | फतवा इसलामपुर लाइट रेल कम्पनी   |
| 10. हावडा आम्टा लाइट .                       | 2' 0" | 44                            | सहायता प्राप्त कम्पनी (क) | हावडा आम्टा रेल कम्पनी          |
| 11. हावडा शियाखाला लाइट                      | 2' 0" | 20                            | सहायता प्राप्त कम्पनी (क) | हावडा शियाखाला लाइट रेल कम्पनी  |
| 12. जगाधारी लाइट .                           | 2' 0" | 3                             | अप्राप्त सहायता कम्पनी    | जगाधारी लाइट रेलवे कम्पनी       |
| 13. कालीघाट फाल्टा .                         | 2' 6" | 26                            | ब्रांच रेलवे कम्पनी (ख)   | कालीघाट-फाल्टा रेल कम्पनी       |
| तृतीय श्रेणी की कुल रेलें                    |       | 461                           |                           |                                 |

(क) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा गारंटी ।

(ख) भारत सरकार द्वारा गारंटी

(ग) सरकार से केवल भूमि प्राप्त

ट्रस्टव्य : प्रथम श्रेणी में वे रेल आती हैं जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपया या उससे अधिक हो । द्वितीय श्रेणी में वे रेल आती हैं जिनकी कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपये से कम हो पर 10 लाख रुपये से अधिक हो । तृतीय श्रेणी में वे रेल आती हैं जिनकी कुल वार्षिक आय 10 लाख रुपया या उससे कम हो ।

1951-52 के रेल मार्ग के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यों हैं:—

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| कुल मार्ग की लम्बाई             | 34,119             |
| ब्राड गेज (साढ़े 5 फुट)         | 15,702             |
| मीटर गेज (3 फुट 3-318 इंच)      | 15,060             |
| नैरो गेज (2 फुट 6 इंच और 2 फुट) | 3,356              |
| अव्वल दर्जे की रेलें            | 33,343             |
| दूसरे और तीसरे दर्ज की रेल      | 776                |
| पूँजी                           | 861.55 करोड़ रुपये |
| कुल आमदनी                       | 294.14 करोड़ रुपये |
| चालू खर्च                       | 227.59 करोड़ रुपये |
| शुद्ध आमदनी                     | 66.55 करोड़ रुपये  |
| यात्रा कितनी मील की गई          | 18 करोड़ 80 लाख    |
| ले जाई गई मवारियों की मख्या     | 123.21 करोड़       |
| ऐयर कंडीशन्ड दर्जा              | 0 0017 करोड़       |
| प्रथम और दूसरी श्रेणी           | 1 91 करोड़         |
| ड्योढ़ा दर्जा                   | 2 14 करोड़         |
| तीसरा दर्जा                     | 119.16 करोड़       |
| सवारियों में आमदनी              | 109.88 करोड़ रु०   |
| ले जाया गया माल                 | 980.3 लाख टन       |
| माल में आमदनी                   | 156.79 करोड़ रुपये |

1951-52 में रेल विभाग ने एक करोड़ आठ लाख टन कोयला इस्तेमाल किया, जिसका मूल्य 34 करोड़ 40 लाख रुपये हैं। बात यह है कि अभी हमारे देश में बिजली वाली रेल बम्बई तथा मद्रास के पास की कुछ लाइनों तक ही सीमित है। बिजली की रेल पहले पहले 1925 में शुरू की गयी थी, पर इस सम्बन्ध में अधिक प्रगति नहीं हुई है। जिस प्रकार से बम्बई और मद्रास के आस पास की कुछ लाइनों में बिजली वाली रेलें चालू हैं, उसी प्रकार कलकत्ते के इर्द गिर्द की कुछ लाइनों में बिजली इस्तेमाल करने की योजना विचाराधीन है।

1925 में रेल विभाग का वित्त सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया। उस समय यह निश्चय किया गया कि रेल विभाग सामान्य राजस्व विभाग में एक निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार राजस्व दिया करे। 1949 के दिसम्बर में यह तय हुआ कि 1950-51 से जिस पंचवर्ष का प्रारम्भ हुआ है, उससे रेल विभाग प्रत्येक चतुर्थ वर्ष के अन्त में चार प्रतिशत का प्रत्याभावित लाभान्श दे।

रेल विभाग के गत छः वर्षों के वित्त का लेखा नीचे की तालिका में प्रस्तुत किया जाता है :

### तालिका 112

(करोड़ रुपये में)

|                                              | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 | 1952-53<br>(वास्त-<br>विक) | 1953-54<br>(संशोधित) | 1954-55<br>(बजट) |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|----------------------|------------------|
| भाड़े से कुल आय                              | 236.35  | 263.01  | 290.82  | 270.56                     | 272.00               | 273.25           |
| साधारण कार्य व्यय                            | 181.53  | 180.23  | 194.04  | 187.96                     | 197.63               | 194.31           |
| मूल्यह्रास संचित निधि के लिए सविनियोग        | 11.58   | 30.00   | 30.00   | 30.00                      | 30.00                | 30.00            |
| जिन लाइनो पर कार्य हो रहा है उनके लिए भुगतान | 1.80    | 0.25    | 0.31    | 0.21                       | 0.24                 | 0.22             |
| कुल कार्य व्यय                               | 194.91  | 210.48  | 224.35  | 218.17                     | 227.87               | 224.53           |
| भाड़े से विशुद्ध आय                          | 41.44   | 52.53   | 66.47   | 52.39                      | 44.13                | 48.72            |
| विशुद्ध फुटकर व्यय                           | 3.67    | 4.97    | 4.72    | 5.21                       | 6.49                 | 8.08             |
| रेल द्वारा विशुद्ध आय                        | 37.77   | 47.56   | 61.75   | 47.18                      | 37.64                | 40.64            |
| साधारण आय को लाभांश                          | 23.18   | 32.51   | 33.41   | 33.99                      | 34.46                | 35.50            |
| विशुद्ध लाभ और बचत                           | 14.59   | 15.05   | 28.34   | 13.19                      | 3.18                 | 5.14             |

बहुत दिनों में हमारे रेल विभाग के सामने यह प्रश्न रहा है कि किस प्रकार से पुराने इंजनों, पटरियों आदि को बदल कर पहले वाली समृद्धावस्था में पहुंचा जाये। रेल विभाग पर पहली चोट तो 1930-39 की आर्थिक मंदी से पड़ी। यह मंदी बहुत दिनों तक कायम रही, और उसी सिले में द्वितीय महायुद्ध छिड़ा जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्री इधर से उधर भेजी गई। साथ ही पटरिया, इंजन और डिब्बों को बदलने की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका। युद्ध की समाप्ति के बाद अभी परिस्थिति सम्भल नहीं पायी थी कि देश का विभाजन हुआ, जिससे फिर एक बार रेल विभाग पर आपत्ति आयी। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण जिस प्रकार में देश की समस्याओं पर ध्यान दिया गया उससे 1948 में यह परिस्थिति हो गयी कि रेल विभाग के बुरे दिन समाप्त हो गये, और तब से हमारी रेलें बराबर उन्नति कर रही हैं। 1949-50 के बजट में रूजो गत खर्च के लिये जहाँ 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी, वहाँ 1952-53 में इस रकम को बढ़ा कर 80 करोड़ रुपये कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना में स्वाभाविक रूप से रेलों पर और भी अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि रेलों की उन्नति के बिना उत्पादन में वृद्धि एक तो सम्भव नहीं थी और जितनी सम्भव थी उससे कोई फायदा नहीं था। इसलिये रेलों के पुनरुद्धार और विस्तार के लिये पंचवर्षीय योजना में 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। रेल में रिजर्व फंड की परिस्थिति भी काफी सतोषजनक रही। 1952-53 के अन्त में रिजर्व 163 करोड़ रु० का था, ऐसा अनुमान किया जाता है।

1930 से लेकर रेल विभाग पर जिस तरह की आपत्तियाँ आती गई थी, उससे कितनी हानि हुई इसका अन्दाजा इस बात से लग सकता है कि 1949 की 31 मार्च को यह परिस्थिति हो गई



कि सरकारी रेलों के 30 प्रतिशत इजन अपनी निर्धारित उम्र पार कर चुके थे। इसके कई नतीजे दिखाई पड़ते थे, एक तो यह कि मरम्मत और कायम रखने का खर्च बहुत अधिक था। 1951 की 31 मार्च को परिस्थिति इतनी खराब थी कि 1,050 रेल इजन, 5,514 सवारी के डिब्बे तथा 21,418 माल के डिब्बे ऐसे हो गये थे जिन्हें फौरन बदलना जरूरी था। प्रति वर्ष 190 रेल इजन, 650 सवारी वाले डिब्बे और 5,000 माल के डिब्बे बदले जाने चाहिये। इस समस्या को फौरन हल करना आवश्यक था। इसलिये एक तो देश में जो कुछ भी उत्पन्न हो सकता था उसे अधिक से अधिक कर दिया गया और रोलिंग स्टॉक के लिये देश के बाहर आर्डर भेजे गये। क्रिप प्रकार से हमें नया सामान मिलता गया, यह निम्न तालिका में देखा जा सकता है :

तालिका 113

|                          | 1949-50         | 1950-51         | 1951-52               |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                          | प्राप्त (सख्या) | प्राप्त (सख्या) | काम में आ रहे (सख्या) |
| रेल-इजन                  | 435             | 225             | 103                   |
| सवारी गाड़ियों के डिब्बे | 346             | 479             | 771                   |
| माल गाड़ियों के डिब्बे   | 1,443           | 3,157           | —                     |

निम्न रोलिंग स्टॉक की प्राप्ति के लिये 1953-54 के बजट में 39.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है :

तालिका 114

(करोड़ रुपये में)

|                      | कार्यक्रमानुसार पहुच | नयी उपलब्धि |
|----------------------|----------------------|-------------|
| रेल इजन              | 6 02                 | 2 07        |
| बायलर्स              | 1 89                 | 0 16        |
| सवारी गाडी के डिब्बे | 11 28                | 4 71        |
| माल गाडी के डिब्बे   | 4 71                 | 7 81        |
| फेरीज (नौकाए)        | 0 68                 | 0 03        |
| योग                  | 24 58                | 14.78       |

हमारे कार्यक्रम के अनुसार हमें ये चीजें मिलनी चाहिये—245 रेल इजन, 179 बायलर, 1,384 सवारी वाले डिब्बे, 10,663 माल वाले डिब्बे, 19 फ्रेन और 7 फेरिया। इसमें से 150 रेल इजन, 63 बायलर 1,121 सवारी वाले डिब्बे और 6,834 माल वाले डिब्बे देश में तैयार होंगे, ऐसी आशा है। बाकी माल बाहर से मंगाया जा रहा है।

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब हमारे देश में रेल सामग्री का उत्पादन इतना आगे बढ़ गया है कि प्रतिवर्ष साधारण रूप से जितनी पटरियों, माल के डिब्बों तथा सवारी वाले डिब्बों की 13 M of I & B.

आवश्यकता पड़ती है, उतने देश में उत्पन्न हो रहे हैं। इस बात को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि इन चीजों का बाहर से मगाना रोक दिया जाये। हां, जिन चीजों के आर्डर दिये जा चुके हैं, वे तो आते ही रहेंगे। चित्तरजन रेल इंजन कारखाना, टाटा रेल इंजन तथा इजीनियरिंग कम्पनी लि० रेल-सामग्री के उत्पादन में लगी हुई है। जिस समय ये कारखाने अपने पूरे जोर पर होंगे, उस समय यह आशा की जाती है कि भारत रेल-सामग्री के मामले में विशेष कर रेल इंजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा। यह स्मरण रहे कि चित्तरजन रेल इंजन कारखाने ने अभी अभी 1950 में उत्पादन आरम्भ किया है। इसमें अब तक 100 रेल इंजन बने हैं। साथ ही देश में 70 प्रतिशत पुर्जें भी बन रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 1954 तक कुछ विशेष तथा सर्वाधिकार युक्त पुर्जों के अतिरिक्त देश में सारी रेल-सामग्री उत्पन्न होने लगेगी। चित्तरजन कारखाना प्रतिवर्ष 120 रेल इंजन और 50 फालतू बायलर उत्पन्न करने लगेगा। टाटा रेल इंजन कम्पनी मीटरगेज के रेल इंजन उत्पन्न करती है, और 1953 की जनवरी तक 35 रेल इंजन उत्पन्न कर चुकी थी। ऐसी आशा की जाती है कि 1951-56 के बीच यह कम्पनी 200 रेल इंजन दे सकेगी।

यह तो रेल-इंजनों की बात हुई, अब रेल के डिब्बों के उत्पादन की बात लीजिए। जनवरी 1952 में मद्रास के पैगम्बूर नामक स्थान में सवारी वाले डिब्बों के बनाने का एक कारखाना खोला गया। यह आशा की जाती है कि यह कारखाना दिन में केवल एक शिफ्ट काम करे, तो भी 300 हल्के अवयवगत किस्म के सर्वइस्पात-डिब्बे सालाना बनने लगेंगे। बंगलौर की सरकारी हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० कम्पनी 1950-51 में 63 सर्वइस्पात तीमरे दर्जे के सवारी डिब्बे और फिर 1951-52 में 100 और तैयार कर चुकी है। 1953-54 के बजट में देश में 7,000 माल के डिब्बे बनने की तथा बाहर में 4,000 माल के डिब्बे मगाने की व्यवस्था है।

देश के अन्दर रेल के डिब्बों के उत्पादन का लेखा इस प्रकार है

तालिका 115

|                       | 1948-49 | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 | योजना की अवधि (1951-56) में अनुमानित उत्पादन |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|
| सवारी गाड़ी के डिब्बे | 238     | 337     | 479     | 673     | 4,380                                        |
| माल गाड़ी के डिब्बे   | 2,520   | 1,095   | 2,924   | 3,707   | 30,000                                       |

हाल के वर्षों में रेल विभाग पहले से अधिक कार्यकुशलता के साथ काम करने लगा है। यह निम्नलिखित आंकड़ों से ज्ञात हो जायेगा

तालिका 116

संचालन कुशलता के देशान्तर

|                     | 1950-51 | 1951-52 |
|---------------------|---------|---------|
| ब्राड गेज . . . . . | 100.7   | 102.8   |
| मीटर गेज . . . . .  | 92.4    | 93.6    |

## तालिका 117

## सवारी गाड़ियों की समयनिष्ठता का अनुपात

|                     | 1947-48 | 1948-49 | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ब्राड गेज . . . . . | 67.6    | 71.3    | 81.4    | 79.8    | 78.8    |
| मीटर गेज . . . . .  | 69.7    | 68.4    | 76.7    | 71.4    | 77.7    |

## नयी लाइनें

पहले ही यह बताया जा चुका है कि दीमा-गांधीधाम (काण्डला) को मिलाने के लिये एक रेल लाइन बनाई गई। इस के अलावा 1952-53 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य या तो पूरे हो गये या शुरू किये गये—

(1) उत्तर रेलवे में बन्द की हुई बाइस मील लम्बी बिजनौर-चादपुर-स्याऊ वाली लाइन का फिर से उद्धार, (2) पश्चिमी रेलवे में बसदकठाना रेल लाइन का पुनरुद्धार, (3) तिरु-वाकुर-कोचीन राज्य को रेल सम्बन्धी सुविधा देने के लिये दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत क्वीलोन-एनकुलम मीटरगेज लाइनो का निर्माण। इस रेल का उद्देश्य कोचीन बन्दरगाह को दक्षिण की मीटरगेज लाइन के साथ मिलाना भी है। (4) मध्य रेलवे में कन्याण विजलीघर का तीन करोड़ रुपये की लागत पर विस्तार।

मुकामाघाट के पास गंगा नदी पर एक पुल बनाना बहुत जरूरी था। यह काम आरम्भ हो चुका है। यह पुल उत्तरी और दक्षिणी बिहार को मिलाता है, तथा उन में आवागमन आसान कर देता है। इस में 13 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1950 में केन्द्रीय परिवहन बोर्ड ने यह निश्चय किया था कि जो बारह लाइनें बन्द कर दी गई थी, उन्हें फिर से चालू किया जाये। उन में से दो लाइनें चालू कर दी गई, और नौ लाइनों का काम पूरा होने का है। यह तय हुआ है कि देश की सर्वांगीण प्रगतिके लिये प्रतिवर्ष कम से कम 200 मील लम्बी लाइनें बढ़ाई जायें।

## रेल के किराये और भाडे

1948 में रेल के किराये और भाडे की दरे ठीक की गई थी। वे क्रमशः 46 और 13 प्रतिशत बढ़ गई। यह देखा गया कि एक तो बीजो का मूल्य सामान्यतः बहुत बढ़ चुका था, दूसरे रेल का खर्च विशेष कर मरम्मत सम्बन्धी खर्च बहुत अधिक था, इसलिये 1951 की पहली अप्रैल को किराया बढ़ा दिया गया। सवारियों के किराये का ध्यौरा इस प्रकार है—

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
|                               | प्रति मील |
| एयर कन्डीशन्ड दर्जा . . . . . | 30 पाई    |
| अव्वल दर्जा . . . . .         | 27 पाई    |

|                                           | प्रति मील |
|-------------------------------------------|-----------|
| दूसरा दर्जा . . . . .                     | 16 पाई    |
| ड्यौडा (मेल या एक्सप्रेस) दर्जा . . . . . | 10½ पाई   |
| ड्यौडा (मामूली) दर्जा . . . . .           | 9 पाई     |
| तीसरा दर्जा (मेल या एक्सप्रेस) . . . . .  | 6 पाई     |
| तीसरा दर्जा मामूली . . . . .              | 5 पाई     |

भाड़े की सुधारों गयी प्रणाली में 15 दरे हैं। इसी प्रकार माल गाड़ियों के द्वारा माल ले जाने में भी इतनी ही दरे हैं। दूरी बढ़ने के साथ साथ भाड़ा घट जाता है। छोटे से छोटे रास्ते पर सस्ती से सस्ती दर पर अब माल ले जाया जाता है। निर्यात और आयात के माल भी देशीय माल के साथ एक श्रेणी में गिने जाते हैं। पहले यह नियम था कि आयात वाले माल को कुछ प्रधानता दी जाती थी। वह अब समाप्त कर दी गई है।

पहले रेल की दरों के सम्बन्ध में एक अनुविहित दर परामर्श समिति थी। अब उस की जगह पर 1949 में अनुविहित दर ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी गई है। दरों के सम्बन्ध में जो भी झगडा उठ खडा होता है, उस के लिये यह ट्रिब्यूनल एक कानून ट्रिब्यूनल के रूप में काम करती है।

स्वराज्य के पहले आम जनता की सुविधाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, पर हमारे लोक कल्याणकारी राष्ट्र में जनता के प्रति अब यह उदासीनता सम्भव नहीं है। इस कारण रेल विभाग में तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। 1949 में इस उद्देश्य से जो वित्तीय सम्मेलन बुलाया गया था, उस में इस उद्देश्य से आगामी पांच वर्षों के लिये प्रति वर्ष तीन करोड़ रुपये के हिसाब से खर्च करना निश्चित हुआ। जिन सुविधाओं के सम्बन्ध में ध्यान दिया गया, उन में से कुछ ये हैं : नई माडल गाड़िया या आदर्श गाड़िया जारी की गई, डिब्बों में रोशनी की व्यवस्था पहले से अच्छी की गई, नये स्टेशन खोले गये, प्रतीक्षालय तथा हालों की व्यवस्था की गई, टिकट बांटने के नये दफतर और आऊट एजेन्सीज जारी की गई, स्टेशनों पर ब्रिजली की व्यवस्था की गई, प्लेटफार्मों की व्यवस्था की गई, खाना पीना पहुचाने की उन्नत व्यवस्था की गई, स्टेशनों तथा डिब्बों में और अधिक सफाई की व्यवस्था की गई।

रेलों के सम्बन्ध में एक शिकायत यह भी थी कि भीड़ बहुत होती है। तदनुसार 1952 की पहली अप्रैल से 1953 की पहली जुलाई के बीच 109 नई गाड़िया जारी की गई और 108 गाड़ियों के मार्ग का विस्तार किया गया। इस प्रकार प्रतिदिन 9,850 मील सवारी गाड़िया बढ़ गई। जनता एक्सप्रेसों का जारी करना एक बहुत बड़ा काम रहा, क्योंकि इन गाड़ियों में केवल तीसरे दर्जे के डिब्बे होते हैं। दिल्ली और पठानकोट, दिल्ली और हावड़ा, लखनऊ और कटिहार, मद्रास (सैट्रल) और मंगलोर, मद्रास (एगमोर) और तिरुचिरापल्ली, बम्बई और पूना तथा बम्बई और मद्रास के बीच जनता एक्सप्रेस गाड़ियां जारी की गई।

यह अनुभव किया गया कि हमारी रेलें उतनी कार्यकुशल नहीं हैं, जितनी होनी चाहियें। इसलिये कार्यकुशलता अधिक कायम रखने के लिये यह प्रस्ताव किया गया कि केन्द्र में एक छोटा सा कार्यकुशलता ब्यूरो या दफतर हो। 1952 की जनवरी में बड़ौदा में रेल के अफसरों के लिये एक प्रशिक्षण कालेज खोला गया। इसके अलावा 1952-53 में लखनऊ में प्रधान

दफतर बना कर एक रेल-शोध और परीक्षण केन्द्र तथा चित्तरजन तथा लोनावला में उपकेन्द्र खोले गये ।

इन बातों के साथ साथ यह भी अनुभव किया गया कि रेल मजदूरो की भलाई का अधिकाधिक ध्यान रखना जरूरी है । 1947 के अगस्त से इस सम्बन्ध में बहुत काम किया गया है । रेल व्यवस्था विभाग तथा मजदूरो में मोटे तौर पर सम्बन्ध अच्छे हो रहे । 1952 की जनवरी में रेल के सम्बन्ध में मजदूरी की सारी शिकायतों और झगड़ों को तय करने के लिये तीन मध्य वाली एक स्थायी सस्था की व्यवस्था कर दी गई । यह द्रष्टव्य है कि 1952-53 में रेल मजदूरो के कल्याण पर सात करोड़ रुपये खर्च किये गये ।

1905 में रेल बोर्ड नाम से एक सस्था तैयार हुई थी, जिस पर यह जिम्मेदारी डाली गई थी कि वह रेलों का नियंत्रण तथा प्रशासन करे । अब इस बोर्ड को 1951 के अप्रैल में पुनः मगठित किया गया । अब बोर्ड में एक वित्तीय आयुक्त और तीन सदस्य हैं । इन तीन सदस्यों में से एक व्यक्ति बोर्ड का सभापति होता है, और वह केन्द्रीय रेल-मन्त्रालय का पदेन सचिव होता है । जनता और रेल प्रशासन के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखने के लिये अभी हाल ही में निम्नलिखित समितियाँ बनाई गईं—(1) रेल उपयोग करने वालों की क्षेत्रीय परामर्श-दात्री समिति, (2) रेल उपयोग करने वालों की उपक्षेत्रीय परामर्श-दात्री समिति, जो रेल के प्रत्येक उपक्षेत्र में प्रधान स्थान पर होती है, (3) रेल उपयोग करने वालों की राष्ट्रीय परामर्श-दात्री परिषद् । यह केन्द्र में होती है ।

### परिवहन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड

1947 के नवम्बर में परिवहन का केन्द्रीय बोर्ड स्थापित हुआ । इस का काम यह था कि यह परिवहन सम्बन्धी मुख्य समस्याओं, नई नीतियों पर विचार करे । इस का काम यह भी है कि परिवहन के सभी तरीकों को अधिकाधिक संयुक्त करे और यह देखे कि देश के सामने इस समय खेती तथा उद्योग धंधों की योजना में सहायता पहुँचाये । जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हमारी योजना तभी सफल हो सकती है जब परिवहन विभाग पूर्ण सहयोग करे ।

उक्त बोर्ड का सभापति परिवहन मंत्री होता है । संचार-मंत्री तथा व्यापार और उद्योग मंत्री इस के उपसभापति होते हैं और वित्त, प्रतिरक्षा, व्यापार, उद्योगधंधे, राज्य, रेल तथा परिवहन विभाग के उच्च कर्मचारी इस के सदस्य होते हैं ।

### सड़कें

1919 के शासन मुधार के अनुसार सड़कें प्रान्तीय विषय के अन्तर्गत मानी गईं । बाद को चल कर 1929 में पेट्रोल टैक्स की आय से एक केन्द्रीय सड़क कोष स्थापित किया गया । इस कोष से प्रान्तों को सड़क निर्माण के लिये एकबारगी अनुदान दिया गया । 1947 में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सड़कों के निर्माण और कायम रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली । बात यह है कि इस बीच में हमारा जो सविधान बना, उस के अनुसार राष्ट्रीय सड़कें केन्द्रीय सरकार का विषय हो गई । बाकी सड़कें यानी जिलों की सड़कें तथा गांव की सड़कें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पर डाल दी गईं ।

1948 की 31 मार्च को परिस्थिति यह थी कि देश की नगरपालिकाओं के बाहर 2,48,914 मील सड़के थी, जिन में से लगभग 90,000 मील सड़के ऐसी थी जिन पर धरातल था, इस में भी 13,400 मील सड़के राजपथ के रूप में थी ।

तालिका 118

31 मार्च, 1948 को नगरपालिकाओं के अधिकार के बाहर की सड़कें

(मीलों में)

| क्षेत्र                                   | पक्की सड़के |        |                   |                | कच्ची (जो तैयार नहीं है) सड़के | कुल योग     |
|-------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------|
|                                           | बिटु-मिन्स  | कंकरीट | वाटर बाऊंड मैकेडम | कुल सपाट सड़के |                                |             |
| भूतपूर्व देशी रियासतों के अतिरिक्त भारत . | 9,036       | 652    | 54,436            | 64,124         | 1,14,659                       | 1,78,783(क) |
| भूतपूर्व देशी रियासतें (31 मार्च 1944) .  | 1,675       | 111    | 24,198            | 25,984         | 44,147                         | 70,131      |
| योग .                                     | 10,711      | 763    | 78,634            | 90,108         | 1,58,806                       | 2,48,914    |

### विकास योजनाएं

शहरों में जो सड़के हैं, वे तो हैं ही, उन के अलावा देश भर में 1,18,000 मील ऐसी सड़के थी जो सभी मौसमों में जारी रहती थी । भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए इतनी सड़के काफी नहीं हैं । प्रति सौ वर्गमील में केवल 9.7 मील सर्वशुद्ध सड़के भारत में हैं । यह तो स्पष्ट है कि इतनी कम सड़कों से हमारी उन्नति नहीं हो सकती, इसलिये यह उचित है कि पंचवर्षीय योजना में इस के लिये सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था है । इस रकम में से सत्ताइस करोड़ रुपये राष्ट्रीय सड़कों पर तथा बाकी राज्य की सड़कों पर खर्च की जायेगी । पंचवर्षीय योजना में इस सबध में जो लक्ष्य रक्खा गया है, उसके अनुसार 3,000 मील नई सड़के बनेंगी और सामूहिक प्रयासों से 16,000 ले कर 17,000 मील सड़के बनेंगी । गांव वालों को सड़क निर्माण कार्य में उत्साह दिलाने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें सड़क बनने के खर्च की दो तिहाई उठायेगी । 1951-53 में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सड़क के विकास पर 7.4 करोड़ रुपये व्यय किये हैं । 240 मील नई सड़कों और 17 बड़े पुल बनाये जा

(क) 53,296 मील पब्लिक वर्क्स विभाग तथा सैनिक इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा तथा 1,25,487 मील स्थानीय संस्थाओं द्वारा रक्षित ।

चुके। पहले से मौजूद 1,050 मील सड़क उन्नत की गई, और 150 मील नई सड़क, 20 बड़े पुल और 1,500 मील मौजूदा सड़को पर काम चल रहा है। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सड़को के अलावा जिन चुनी हुई सड़को के विकास का भार अपने ऊपर लिया है, उनमें त्रिपुरा और आसाम को मिलाने वाली सड़क, पठानकोट—जम्मू सड़क और सिक्किम की सड़क पर 1951-52 तक 117 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इस विभाग में 140 मील नई सड़के बनाई जा चुकी थी और 120 मील सड़को तथा दो बड़े पुलों का काम जारी था। इसी क्रमाने में 7,200 मील राज्य सड़के, जिला सड़के तथा गांव की सड़के बनाई या सुधारी गई।

1951-53 में “क” भाग के राज्यों ने 22.87 करोड़ रुपये खर्च किया जब कि योजना के सारेयोग में कुल मिला कर 50.59 करोड़ रुपये खर्च करने हैं। “ख” भाग के राज्यों के लिये (जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त) ये ही आकड़े क्रमशः 3.95 करोड़ रुपये और 15.83 करोड़ रुपये और “ग” भाग के राज्यों के लिये क्रमशः 1.19 करोड़ और 6.27 करोड़ रुपये थे।

### सड़क परिवहन

भारत के गांवों को मिलाने के लिये अब भी बेलगाडिया कितनी महत्वपूर्ण है, यह इस बात से जाना जा सकता है कि महायुद्ध के पहले 87 लाख बेलगाडिया थी और इन में 261 करोड़ रुपये लगे हुए थे। लगभग एक करोड़ व्यक्ति और दो करोड़ जानवर बेलगाडी के धन्धे में लगे हुए थे।

भारत में 1950-51 की अन्तिम तिमाही में जिन मोटर गाडियों से टैक्स लिया गया, उन की संख्या 3,10,145 थी। उन में से 2,906 डीजल इंजन से चलाई जाती थी।

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| मोटर साइकिल . . . . .               | 27,105          |
| निजी मोटर गाडिया . . . . .          | 1,47,953        |
| सार्वजनिक सेवा की गाडिया . . . . .  | 45,753          |
| माल ढोने वाली मोटर गाडिया . . . . . | 85,509          |
| विविध . . . . .                     | 3,825           |
| योग . . . . .                       | <u>3,10,145</u> |

हमारे संविधान में मोटर गाडियों के टैक्स के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को टैक्सो के सिद्धांतों पर कानून बनाने का अधिकार है, जब कि टैक्स वसूल करने की शक्ति राज्य सरकार में ही निहित है। 1950-51 में मोटर गाडियों पर टैक्स के रूप में 7.77 करोड़ रुपये तथा मोटर गाडियों की लाइसेंस फीस के रूप में 84 लाख 90 हजार रुपये प्राप्त किये गये।

भारत में कुल 1,59,000 मोटर कारे और टैक्सिया, तथा 1,23,000 ट्रक और परिवहन की दूसरी मोटर गाडिया हैं। घिसाई पिटाई को देखते हुए मोटर गाडियों की वर्तमान संख्या कायम रखने तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी प्रति वर्ष लगभग बीस हजार मोटर कारे और बत्तीस हजार परिवहन की दूसरी गाडिया चाहियें।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि मोटर यातायात संचालन करने वालों की संख्या 47,575 है जिन में 46,000 छोटे संचालक हैं और उन में से प्रत्येक के पास पांच या उससे कम गाडिया हैं। कार्यकुशलता बढ़ाने तथा खर्च घटाने के लिये इन संचालकों को जहां भी सम्भव

हो बड़ी कम्पनियां बनाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 1950 की सड़क परिवहन कारपोरेशन विधिके अनुसार अनुविहित परिवहन कारपोरेशन, त्रिदलीय आधार पर यानी राज्य सरकार, रेल विभाग और निजी आपरेटरों को ले कर बनाया जा रहा है। भारत के 28 राज्यों में से 20 में राज्य सरकारों की परिवहन सेवाएँ चल रही हैं। सरकार और निजी कम्पनियों ने सड़क परिवहन सेवाओं में कुल 15 करोड़ 85 लाख रुपये की रकम लगा रखी है। पंचवर्षीय योजना के अनुसार राज्य सरकारें और भी 897 करोड़ रुपये लगायेंगी, ऐसी आशा है। परिवहन सम्बन्धी 2,000 गाड़ियों की खरीद के लिये यह रकम खर्च की जायेगी। इस के अलावा इस में से राज्य सरकार की मोटर गाड़ियों को कायम रखने, उन की मरम्मत तथा नवकरण के लिये खर्च होगा। मोटर चलाने वालों के प्रशिक्षण के लिये भी सुविधायें दी जायेंगी।

### आभ्यन्तरिक जलमार्ग

नया सविधान लागू होने के पहले आभ्यन्तरिक जलमार्ग राज्यों की जिम्मेदारी समझी जाती थी, पर हमारे सविधान में आभ्यन्तरिक जलमार्ग जहाँ तक यत्र—चालित यानों का सम्बन्ध है, समाधिकार सूची में रख दिया गया है। 1947 में आभ्यन्तरिक वाष्पजलयान विधि में कुछ त्रुटियाँ थी, इसलिये 1951 में उस में इस प्रकार से सुधार किया गया जिस में आभ्यन्तरिक वाष्पजलयानों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना पड़ा।

ऐसा समझा जाता है कि भारत में जल मार्ग के लिये बहुत बड़ी गुंजाइश है। इस समय कुल नाव्य जलमार्ग 5,500 मील है। देश के विभाजन के परिणामस्वरूप उत्तर—पूर्व की नदियाँ भारत और पाकिस्तान के विभक्त नियंत्रण में आ गई हैं। फिर भी उत्तर में गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उस की सहायक नदियाँ जलमार्ग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिये 1952 में गंगा और ब्रह्मपुत्र जल-यातायात बोर्ड के नाम से एक संस्था की स्थापना की गई।

### जहाजरानी

1952 के अन्त में हमारी जहाजरानी सम्बन्धी परिस्थिति यह थी कि 150 जी० आर० टी० के ऊपर वाले भारतीय जहाजों का कुल टनेज 4,52,274 जी० आर० टी० था, पर इतना टनेज बहुत कम था और हमारे व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप के जहाजों के सहारे चलता था। इसलिये 1947 की जहाजरानी नीति समिति ने बीस लाख टन का लक्ष्य रखा जिस से कि एक तो तमाम भारत के तट का सारा व्यापार अपने जहाजों के द्वारा हो, दूसरे बर्मा, लका और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यापार का 75 प्रतिशत भारत के हाथ में आवे; तीसरे समुद्र पार भारत के वाणिज्य का 50 प्रतिशत हमारे जहाजों के जरिये हो तथा चौथे पूर्वी देशों में होने वाला व्यापार जो पहले जापानी, जर्मन और इटैलियन जहाजों के द्वारा हुआ करता था उस का 30 प्रतिशत हमारे जहाजों के द्वारा हो। 1952 के अन्त तक यह परिस्थिति थी कि भारत के तटीय जहाजरानी का आंकड़ा 2,54,000 टन तक पहुँच गया था और तट के व्यापार का 96 प्रतिशत भारतीय जहाजों के द्वारा होता था। सच तो यह है कि अब तट का सारा का सारा व्यापार भारतीय जहाजों के द्वारा होता है। 1951-52 में भारतीय कम्पनियों को तटवर्ती व्यापार से कुल मिला कर भाड़ में दस करोड़ रुपया मिला।



यह बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जहाजरानी कम्पनियों के माल वाले जहाज नियमित रूप से इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया जाते हैं। इस मद में भारतीय जहाजों को 1951-52 में कुल नौ करोड़ रुपये मिले। 1952 के अन्त में समुद्रपार वाणिज्य में लगे हुए भारतीय जहाजों का कुल टनेज 1,73,000 जी० आर० टी० था।

1947 की जहाजरानी नियंत्रण विधि के अनुसार अब तट के व्यापार में नियुक्त सब जहाजों को लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ता है। सरकार ने 1950 में ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लि० नाम से एक कम्पनी का सूत्रपात किया। यह कम्पनी आस्ट्रेलिया, सुदूरपूर्व तथा निकटपूर्व के साथ भारत के व्यापार में लगी हुई है। इस कम्पनी की अधिकृत पूँजी दस करोड़ रुपये है। अब कारपोरेशन भारत-आस्ट्रेलिया, मद्रास-मलाया के मार्गों के यातायात को चलाता है।

जहाजरानी के क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा हुआ था, इस बात को देख कर पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई है कि 14 करोड़ 94 लाख रुपये जहाजरानी कम्पनियों को रियायती मूद पर दिये जायें जिस से कि वह अतिरिक्त टनेज प्राप्त करें। डम कृष्ण का व्यौरा नीचे तालिका II9 में दिया जा रहा है :

तालिका 119

| जहाजरानी का क्षेत्र      | कृष्ण दिया गया धन<br>(करोड़ रुपये में) | टन-सामर्थ्य जिस<br>का अर्जन करना<br>होगा<br>(जी० आर० टी०) |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| तटीय व्यापार             | 4' 0                                   | 65,000                                                    |
| समुद्रपार का व्यापार .   | 6' 5                                   | 70,000                                                    |
| ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन | 4' 44(क)                               | 40,000                                                    |

पंचवर्षीय योजना के अनुसार 1955-56 तक हमारे देश के जहाजों का कुल टनेज 3,62,150 से बढ़ कर छ. लाख जी० आर० टी० तक पहुँच जायेगा। जहाजों के मूल्य में तथा भाड़े की दरों में बराबर अत्यधिक उतार चढ़ाव होने के कारण जहाजरानी कम्पनियाँ 1951-53 में समुद्रपार वाणिज्य के लिये अतिरिक्त जहाज प्राप्त न कर सकीं।

इन बातों को देखते हुए यह जरूरी था कि हमारे देश में जहाज भी बनें। इसी के अनुसार 4<sup>व</sup> पंचवर्षीय योजना में विशाखापत्तनम के जहाज वाले कारखाने को लेने तथा उस के विकास के लिये बारह करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। ये कारखाने सिन्धिया कम्पनी से खरीद कर हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को सौंप दिये गये हैं, पर नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में रखा है। 1951-53 में 1,07,000 कुल टनेज के 31 जहाज भारतीय जहाज कम्पनियों को प्राप्त हुए थे, इन में से छः विशाखापत्तनम के जहाज वाले कारखाने में बने थे।

(क) कारपोरेशन को आवश्यक टन-सामर्थ्य अर्जन करने योग्य बनाने के लिये यह धन सरकार द्वारा लगाया जायेगा।

यद्यपि हमारे यहां जहाजरानी इतनी तरक्की पर है, तो भी यह आवश्यक है कि जहाजरानी विद्या के प्रशिक्षण के लिये कुछ व्यवस्था हो, तदनुसार प्रशिक्षण-जहाज डफरिन में तथा डायरेक्ट-रेट आफ मेरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में व्यापारी जहाज के लिये क्रमशः प्रबन्धाधिकारी तथा सामुद्रिक इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण होता है। बम्बई में नाटिकल तथा इंजीनियरिंग कालेज में इस सम्बन्ध में और उच्च शिक्षा दी जा रही है। कलकत्ता तथा विशाखापत्तनम में दो प्रशिक्षण जहाजों में प्रतिवर्ष 1,000 नाविकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस सख्या को 2,000 तक बढ़ाने के लिये तट पर प्रशिक्षण की और भी व्यवस्था की जायेगी। मुख्य मुख्य बन्दरगाहों पर नाविकों की डाक्टरी परीक्षा करने के लिये सुविधायें मौजूद हैं। 1944 से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय बन्दरगाहों में नाविकों के क्लबों तथा होस्टलों के निर्माण के लिये बराबर बहुत काफी धन दिया है। मुख्य भारतीय बन्दरगाहों तथा कुछ विदेशी बन्दरगाहों में भी कल्याण सेवा करने वाले दफ्तर मौजूद हैं।

### बन्दरगाह

भारत की तट रेखा 3,500 मील लम्बी है। इस में पांच मुख्य बन्दरगाह हैं यानी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम्। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का प्रशासन परिवहन मंत्रालय के द्वारा होता है। यह प्रशासन 1908 की भारतीय बन्दरगाह विधि के अनुसार पोर्ट ट्रस्टों के द्वारा किया जाता है। विशाखापत्तनम पर रेल बोर्ड का प्रशासन है, और कोचीन पर परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक अधिकारी प्रशासन करता है। मुख्य बन्दरगाहों के सम्बन्ध में लेखा इस प्रकार है :

### तालिका 120

| बन्दरगाह         | उन जहाजों की सख्या जिन्होंने प्रवेश किया | आयात (लाख टनो में) | निर्यात (लाख टनो में) | वर्धन (+) घाटा (—) (लाख रु० में) |
|------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| कलकत्ता . . .    | 1,460                                    | 40.93              | 54.90                 | —0.28                            |
| बम्बई . . . . .  | 2,767                                    | 58.06              | 16.73                 | +186.30                          |
| मद्रास . . . . . | 1,091                                    | 18.55              | 3.00                  | +48.89                           |
| कोचीन . . . . .  | 1,158                                    | 10.98              | 2.49                  | +4.62                            |

पाकिस्तान के बनने से हमारा एक मुख्य बन्दरगाह कराची भारत से निकल गया। इसलिये भारत सरकार ने 12 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत पर कच्छ में काण्डला नामक स्थान को एक मुख्य बन्दरगाह के रूप में विकसित करने का निर्णय किया। 1956 के प्रारम्भ तक इस बन्दरगाह का निर्माण पूरा हो जायेगा। कच्छ में पांच छोटे बन्दरगाहों के विकास के सम्बन्ध में भी काम जारी है। हमारे यहाँ जो मुख्य बन्दरगाह है, उन में भी कई नुटियां हैं। इसलिये उन के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये 29 करोड़ 27 लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था रखी गई है। बन्दरगाहों के सम्बन्ध में हमारी एक समस्या यह भी रही है कि किसी बन्दरगाह में कुछ नियम हैं तो किसी में कुछ। इसलिये प्रशासन की एकरूपता कायम करने के लिये तथा अधिकतर केन्द्रीय नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिये तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के मुख्य बन्दर-

गाहो के अधिकारो को विकेन्द्रित करने के लिये 1951 में पोर्ट ट्रस्ट्स एण्ड पोर्ट्स सशोधन विधि पारित की गई। 1950 में एक राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड बनाया गया, जो भारत सरकार के सामुद्रिक राज्यों तथा मुख्य बन्दरगाह अधिकारियों के प्रतिनिधियों को ले कर मगठित किया गया। यह बोर्ड बन्दरगाहों के विकास विशेषकर छोटे बन्दरगाहों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देता रहता है।

### नागरिक उड्डयन

1952 में भारत में नौ ऐसी कम्पनिया थी जिन के हवाई जहाज नियमपूर्वक देश के अन्दर तथा बाहर उड़ते थे। 1947 से यह परिस्थिति किस प्रकार रही है यह नीचे देखा जा सकता है—

तालिका 121

| वर्ष     | उड़ान<br>के घटे<br>(हजारों<br>में) | कितने<br>मील<br>उड़ान<br>की गई<br>(हजार<br>मीलों<br>में) | यात्रियों<br>की<br>संख्या<br>(हजारों<br>में) | ढोया<br>हुआ<br>माल<br>(हजार<br>पौंडों में) | ढोयी<br>गई<br>डाक<br>(हजार<br>पौंडों<br>में) | टन-मील<br>क्षमता<br>(दस<br>लाख<br>मीलों<br>में) | प्रति टन<br>भार<br>आय<br>(दस<br>लाख<br>मीलों<br>में) |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1947     | 59                                 | 9,362                                                    | 255                                          | 5,648                                      | 1,405                                        | 18.60                                           | 14.36                                                |
| 1948     | 79                                 | 12,649                                                   | 341                                          | 11,975                                     | 1,583                                        | 26.32                                           | 19.30                                                |
| 1949     | 94                                 | 15,098                                                   | 357                                          | 22,500                                     | 5,032                                        | 36.54                                           | 23.25                                                |
| 1950     | 117                                | 18,896                                                   | 453                                          | 80,007                                     | 8,356                                        | 52.25                                           | 34.41                                                |
| 1951     | 119                                | 19,498                                                   | 449                                          | 87,665                                     | 7,182                                        | 57.40                                           | 39.02                                                |
| 1952 (क) | 117                                | 19,078                                                   | 430                                          | 75,096                                     | 8,244                                        | 55.04                                           | 35.62                                                |

सोलह ऐसी कम्पनिया थी जिन के हवाई जहाज अनुसूचित ढग से नहीं उड़ते थे। इन में नौ कम्पनिया अनुसूचित हवाई लाइन चलाती थी। 1952 में अनुसूचित सेवाओं ने लगभग 37 हजार घटे और 58,96,000 मील उड़ान की। इन के द्वारा लगभग 83,790 सवारियां ले जाई गईं और ये 1,377 लाख पौंड माल भी ले गये। तीन भारतीय कम्पनिया ऐसी थी जिन की अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन सेवाएं थी और उन के जहाज इंग्लैंड, पूर्वी अफ्रीका, सिंगापुर और अफगानिस्तान जाते थे। भारत के मुख्य शहरों के बीच जो रात्रि एयरमेल सेवाएं जारी थीं, उन के द्वारा 1952 में लगभग 26,783 सवारियां यानी प्रतिदिन औसतन 73 सवारियां, 28.8 लाख पौंड डाक और 10.7 लाख पौंड माल ले जाया जाता रहा। जून 1951 के अन्त में भारत में 738 पंजीकृत हवाई जहाज थे और 200 हवाई जहाजों को वायुमार्ग के यातायात के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र मिले हुए थे। 1952-53 के अन्त में हमारे यहां का नागरिक उड्डयन

(क) प्रारम्भ के आठ मासों के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित

विभाग 77 एयरोड्रमो को कायम रखता तथा चलाता रहा । 1952-53 में इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई । तीन नये एयरोड्रम बने जिन में से एक मंगलौर में बना और दो नये संचार केन्द्र खोले गये । भारतीय वायुयान कम्पनिया नियमित रूप से देश के बाहर काहिरा, रोम, पेरिस, जेनिवा, लन्दन, अदन, नैरोबी, बैकोक, सिगापुर, लका, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हवाई लाइने चलाती रही । इन्हीं दिनों थाईलैंड, ईरान और मिस्र के साथ वायुयान द्वारा परिवहन के सम्बन्ध में द्विदलीय समझौते हुए ।

पहली अगस्त 1953 को भारत में एक बहुत क्रान्तिकारी कदम उठाया गया । उस दिन भारत में वायुयान परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया, और देश के भीतर की तथा बाहर की वायुयान परिवहन सेवाओं को चलाने के लिये दो अनुविहित कारपोरेशन यानी 'डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना हुई । इस राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा कार्यान्वित करने के लिये साढ़े 9 करोड़ रुपये पंचवर्षीय योजना में निर्दिष्ट हैं ।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का एक सदस्य है । वायुमार्ग परिवहन में इस देश में अब लोगों को जो सुविधायें दी जा रही हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार हैं । 1952-53 के अन्त में नागरिक उड्डयन विभाग के द्वारा परिचालित वैमानिक संचार 'केन्द्रों की कुल संख्या अठ्ठावन थी ।

1948 में इलाहाबाद में एक नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया । इस में वायुयान चालको, इंजीनियरिंग, एयरोड्रम नियंत्रण कर्मचारियों, रेडियो आपरेटरों तथा प्रौद्योगिक लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है । भारत में 1952-53 की जून में दस सहायता-प्राप्त उड्डयन क्लब तथा दो ग्लाइडिंग क्लब ऐसी थी, जहां विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स तथा प्रमाणपत्र के लिये 198 पाइलट प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । शोध तथा विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य प्रोटोटाइप एच० टी०-2 ट्रैनर एयरक्रैफ्ट का टाइप 'सर्टिफिकेशन किया जा रहा है । इसे हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट लि० ने बनाया था । प्रौद्योगिक केन्द्र में एक मझोला किम्म का ग्लाइडर भी बना । कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा गया और विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जरिये से प्राप्त की गईं ।

पंचवर्षीय योजना में नागरिक उड्डयन के विकास पर 22.8 करोड़ रुपये खर्च की व्यवस्था है । इस में से 2.56 करोड़ रुपये 1951-53 में खर्च हुए ।

### यात्री व्यवसाय

यूरोप में तथा अन्य महादेशों में यात्री व्यवसाय पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है । अब तक इस पर सरकार का ध्यान नहीं था पर स्वतंत्र भारत इस ओर से विमुख नहीं रह सकता था । इसलिये 1948 से सरकार देश में यात्री व्यवसाय को प्रोत्साहन दे रही है । बात यह है कि एक तो इस से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ती है, और दूसरे यह विदेशी वित्तिय उपाार्जन का एक अच्छा साधन है । 1949 में परिवहन मंत्रालय के अधीन एक यात्री व्यवसाय शाखा खोली गई और तब से महत्वपूर्ण नगरों में जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में क्षेत्रीय यात्री सुविधा कार्यालय खोले गये हैं । कुछ और स्थानों में ये दफ्तर छोटे रूप में मौजूद हैं । यह दफ्तर राज्य-

सरकारों के यात्रा एजेंटों तथा होटल के प्रशासन के साथ घनिष्ट सहयोग में काम करती है। न्यूयार्क में भी एक यात्री कार्यालय खोला गया है। इन कार्यालयों का काम यह है कि वे विदेशी यात्रियों के लिये युक्तिसंगत सुविधाओं की व्यवस्था करें और यात्रियों को आकृष्ट करने के लिये विदेशों में प्रचार कार्य करें। 1952 के प्रथम 10 महीनों में क्षेत्रीय यात्री कार्यालय ने कुल मिला कर 7,328 पूछताछ का उत्तर दिया। इस दृष्टि से गाइड पुस्तके, पुस्तिकाएँ, पोस्टर तथा फोल्डर निकाले जाते हैं। विदेशों में वितरण तथा प्रदर्शन के लिये यात्री फिल्में भी बनाई जा रही हैं। कहना न होगा कि इन कार्यों का परिणाम अच्छा हुआ है। 1951 में लगभग 20 हजार और 1952 में 25,448 यात्री भारत आये।

भारत सरकारी यात्रा सगठनों के अन्तर्राष्ट्रीय सघ का सदस्य हो गया है। इस सगठन की ओर से एशिया और दूरपूर्व के लिये भी क्षेत्रीय यात्री आयोग की स्थापना हुई है, और ऐसा करने से यूरोप और अफ्रीका में चालू प्रकार के आयोगों का अनकरण किया गया है।

## सत्रहवां अध्याय डाक और तार

रेल विभाग के बाद ही भारत सरकार के कार्यों में डाक और तार विभाग सब से महत्वपूर्ण है। यह विभाग संचार मंत्रालय के अधीन है और इस पर एक डायरेक्टर जनरल का नियंत्रण होता है। डायरेक्टर जनरल की सहायता के लिये एक डाक और तार बोर्ड है, जिस के वे सभापति होते हैं। इस बोर्ड के सदस्य मुख्य इंजीनियर, वरिष्ठ डिप्टी डायरेक्टर जनरल और सयक्त सचिव वित्त मंत्रालय (संचार डिवीजन) होते हैं। मुख्य इंजीनियर डाक तार के सम्बन्ध में प्रौद्योगिक परामर्श देता है, और वरिष्ठ डिप्टी डायरेक्टर जनरल डाक तथा आर० एम० एम० के संबंध में परामर्श देता है।

इस विभाग का महत्व इसी में समझा जा सकता है कि यही विभाग डाक तार, टेलीफोन और बेतार के लिये जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त डाकखानों का वचन बैंक, राष्ट्रीय वचन सर्टिफिकेट, डाक विभागीय जीवन बीमा और रेडियो सैटो के लिये लाइसेन्स की फीस के संग्रह का काम भी यही विभाग करता है।

प्रशासन की दृष्टि से सारे देश को तेरह भागों में बांटा गया है जिन में से ग्यारह डाकतार की इकाइयां हैं, एक डाक वाला वृत्त है जो दिल्ली में स्थित है। तेरहवीं इकाई हैदराबाद वाला डाक-उपवृत्त है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली में चार टेलीफोन के जिले कायम किये गये हैं।

### तालिका 122

#### प्रदेशीय इकाइयां

| जिला अथवा सिकिल अधिकारी का पद-नाम              | अधिकार-क्षेत्र                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| I. पोस्ट मास्टर-जनरल, पश्चिमी बंगाल            | पश्चिमी बंगाल, अडमान और निकोबार द्वीप-समूह, मिक्किम, और मध्य तिब्बत स्थित तीन डाकखाने।  |
| 2 पोस्टमास्टर-जनरल, बिहार                      | बिहार                                                                                   |
| 3 पोस्टमास्टर-जनरल, उत्तर प्रदेश सिकिल         | उत्तर प्रदेश                                                                            |
| 4. पोस्टमास्टर-जनरल, पंजाब सिकिल               | पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पेप्सु, बिलासपुर, जम्मू और काश्मीर, दिल्ली (केवल तार-विभाग)।      |
| 5 पोस्टमास्टर-जनरल, बम्बई सिकिल                | बम्बई, मोगास्ट्र और कच्छ।                                                               |
| 6. पोस्टमास्टर-जनरल, मद्रास सिकिल              | मद्रास, मैसूर, तिरुवाक्कुर-कोचीन, कुर्ग हैदराबाद (यह एक डायरेक्टर के आधीन उप-सिकिल है)। |
| 7. पोस्ट मास्टर जनरल, मेट्रोल सिकिल            | मध्य-प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश।                                                            |
| 8 डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, राजस्थान सिकिल | राजस्थान, मध्य-भारत, भोपाल, और अजमेर                                                    |

| जिला अथवा सकिल अधिकारी का पद -नाम               | अधिकार क्षेत्र                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9. डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, आध सकिल        | आध                                                            |
| 10 डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, उड़ीसा         | उड़ीसा                                                        |
| 11. डाक व तार विभाग के डायरेक्टर, आसाम          | आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा                                      |
| 12 डायरेक्टर आफ पोस्टल सर्विसेज, दिल्ली         | दिल्ली (केवल डाक)                                             |
| 13 डायरेक्टर आफ पोस्टल सर्विसेज, हैदराबाद       | हैदराबाद राज्य (उप-सकिल)                                      |
| 14 जनरल मैनेजर, कलकत्ता टेलीफोन जिला            | कलकत्ता नगर                                                   |
| 15 जनरल मैनेजर, बम्बई टेलीफोन जिला              | बम्बई नगर                                                     |
| 16 जिला मैनेजर, दिल्ली टेलीफोन जिला             | दिल्ली व नई दिल्ली के क्षेत्र                                 |
| 17 जिला मैनेजर, मद्रास टेलीफोन जिला             | मद्रास नगर                                                    |
| कार्यकारी इकाइया                                |                                                               |
| एडिशनल चीफ इंजीनियर, पोस्ट एव टेलिग्राफ, जबलपुर | टेली-मचार (डिजाइन और अनुसन्धान) विकास-कार्य के अधिष्ठाता      |
| जनरल मैनेजर, वर्कशॉप                            | जबलपुर और बम्बई स्थित पोस्ट एव टेलिग्राफ वर्कशॉप के अधिष्ठाता |
| चीफ कंट्रोलर आफ टेलिग्राफ स्टोर्म               | टेलिग्राफ व टेलीफोन स्टोर्म के अधिष्ठाता                      |

इस विभाग में 1952 की 31 मार्च को कुल मिला कर 2,19,710 व्यक्ति काम करते थे, जिन में से 1,70,184 स्थायी थे, और 49,526 अस्थायी। इस में 991 अधिकारी हैं, और 52,896 एकस्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट हैं।

डाक और तार विभाग व्यवसायी ढंग पर काम करता है। पर रेल विभाग का वित्त जिस प्रकार से सामान्य वित्त से अलग है, इस का वित्त उस प्रकार से अलग नहीं रखा गया है। चालू खर्च और लगाई हुई पूँजी पर सूद स्थूल आमदनी से घटा दिया जाता है, और जो रकम बचती है, वह सामान्य राजस्व विभाग में दी जाती है। इस प्रकार जो फालतू धन बच रहता है, उस में से राजस्व विभाग में एक रकम दे दी जाती है, और बाकी विभाग के नाम पर रोकड़ के रूप में दिखलाया जाता है। उस प्रकार जो फालतू धन राशि जमा होती है, उस पर विभाग को कुछ छूट मिलती है।

1953-54 के वजट सम्बन्धी अनुमानों में इस विभाग की स्थूल आमदनी 42 करोड़ 22 लाख रुपये तथा चालू खर्च और सूद 41 करोड़ 82 लाख रुपये कूटा गया था। इस प्रकार में 40 लाख रुपये की बचत थी, जबकि 1952-53 के वजट सम्बन्धी अनुमानों में यह रकम 1 करोड़ 16 लाख रुपये थी। इस प्रकार बचत घटने का कारण अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति बतलाई जाती है। एकत्रित फालतू धन तथा लगाई हुई कुल पूँजी क्रमशः 14 करोड़ 37 लाख रुपये और 57 करोड़ रुपये है।

भारतीय डाक पद्धति 1,60,000 मील तक फैली हुई है। इस में से यह 24 प्रतिशत डाक रेल द्वारा, 17 प्रतिशत मोटर गाड़ियों के द्वारा और 5 प्रतिशत परिवहन के दूसरे साधनों के

द्वारा जैसे स्टीमरो, डाक ले जाने वाली बैलगाड़ियो, घोडो, खच्चरों और ऊटो के द्वारा ले जाई जाती है। बाकी यानी कुल का 54 प्रतिशत हरकारो तथा छोटी नावो के द्वारा ले जाई जाती है।

### रात के चलते फिरते डाकघर

रात के चलते फिरते डाकघरो का कार्यक्रम प्रयोगात्मक ढंग से पहले पहल नागपुर में चालू किया गया। बाद को यह योजना मद्रास, दिल्ली, और कानपुर में लागू कर दी गई। शहर के मामूली डाकघरो के बन्द हो जाने के बाद चलते फिरते डाकघर शहर के महत्वपूर्ण केन्द्रो में निदिष्ट समय पर पहुचते है। यह डाकघर सभी दिनो यानी रविवारो तथा डाकघरो की अन्य छुट्टी के दिन भी चालू रहते है। चलते फिरते डाकघरो में मनीआर्डर नहीं लिये जाते और न सेविंग्स बैंक का ही काम किया जाता है।

### हवाई डाक और सर्व-हवाई डाक की योजनाएं

1948 में भारत के मुख्य नगरो यानी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और नागपुर को जोडती हुई एक आभ्यन्तरिक रात्रि हवाई डाक सेवा का प्रवर्तन किया गया। 1949 से हवाई डाक योजना के अनुसार सारे पत्र, पोस्टकार्ड इत्यादि मामूली तौर पर हवाई डाक से भेजे जाते हैं, और ईसके लिये कोई अतिरिक्त महसूल नहीं देना पडता। 1951 की पहली मई से यह योजना आभ्यन्तरिक मनीआर्डर पर भी लागू कर दी गई। इसके अलावा सारी आभ्यन्तरिक इश्योरस शुदा डाक भी जहा तक सम्भव और मुविधाजनक है हवाई जहाज से भेजी जानी है। विदेशो में जाने वाला या विदेशो से आने वाला सामान देश के अन्दर हवाई डाक से नहीं भेजा जाता। 1951-52 तक यह परिस्थिति पहुच गई थी कि 55 लाख पौड डाक यानी सारी डाक का 27 प्रतिशत आभ्यन्तरिक हवाई डाक मार्ग से ले जाया गया। त्रिपुरा राज्य में अगरतला को जाने या वहा से आने वाली मत्र तरह की डाक जिस में पैकेट और पारमल भी हैं, बिना किमी अतिरिक्त महसूल के हवाई मार्ग से ले जायी जानी है। 1951 में एक पद्धति यह जारी की गई थी कि जम्मू और काश्मीर तथा भारत के बीच में जो पारमल और पजीकृत समाचारपत्र गियायनी हवाई महसूल पर हवाईडाक से भेजे जाते थे, उनका भेजा जाना अब भी जारी रक्खा जा रहा है। भारत से आस्ट्रेलिया, मिस्त्र, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के लिये एक हवाई पारमल सेवा 1953 की 2 जनवरी को जारी की गई। उमी तारीख में लंका के लिये हवाई डाक के पत्र सामान्य पजीकरण फीस के देने पर पजीकृत किये जा सकते है।

नीचे की तालिका में डाक तार विभाग द्वारा किये हुए काम का लेखा प्रस्तुत किया जाता है

### तालिका 123

(मह्युण दस लाखो में)

|                                                                         | 1938-39   | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(वास्तविक) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| I डाक जो लाई तथा ले जाई गई (इस में सरकारी और रजिस्टर्ड-डाक भी शामिल है) | 1,241 (क) | 2,365.8               | 2,703                 |

(क) दो सप्ताहो के औसत पर आधारित।



|                                                                                              | 1938-39  | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(वास्तविक) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 2. रजिस्टर्ड सामान जो लाया ले जाया गया<br>(इस में बी० पी० और बीमा किया<br>सामान भी शामिल है) | 42       | 85.4                  | 91.3                  |
| 3. मनीआर्डर जो पहुंचाये गये (अन्तर्देशीय<br>और विदेशी दोनों)                                 | 43       | 56.3                  | 57.1                  |
| 4. पहुंचाये गये मनीआर्डरों का मूल्य<br>(अन्तर्देशीय और विदेशी दोनों)                         | 820      | 2,150                 | 1,980.7               |
| 5. सेविंग्स बैंक का लेन-देन                                                                  | 12.48    | 12.99                 | 14.4 (ख)              |
| 6. नेशनल सेविंग्स साटिफिकेट (लेन-देन<br>आदि)                                                 | 1.21     | 1.7                   | 1.3 (ख)               |
| 7. तार                                                                                       | 16.37    | 29.2 (घ)              | 29.7 (ग)              |
| 8. टेलीफोन सम्बन्ध (संख्या)                                                                  | 83,378   | 1,84,506              | 2,00,800 (ङ)          |
| 9. टुंकाल                                                                                    | 2.25     | 8.9                   | 10.8                  |
| 10. कितने मील तार कायम रखे गये                                                               | 5,13,924 | 7,21,243 (च)          | 7,77,566 (ङ)          |

डाक और तार की वृद्धि डाकखानों तथा उन में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाने के कारण ढग से देखरेख करने का प्रश्न भी सामने आया। इस कारण डाकघरों की देखरेख तथा नियंत्रण तथा देहाती इलाकों में डाक पहुंचाने पर क्या व्यवस्था हो सकती है, इस सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये पोस्टमास्टर जनरल की मर्यादा का एक उच्च कर्मचारी नियुक्त किया गया। उन स्थानों पर बीस अतिरिक्त डाक डिबीजन बनाये गये जहां उन की बहुत ही आवश्यकता थी।

## तालिका 124

## अतिरिक्त डाकखाने

| सकिल          | I-4-1952 से 31-12-1952 तक |      | I-1-1953 से 31-8-1953 तक |      |
|---------------|---------------------------|------|--------------------------|------|
|               | ग्रामीण                   | शहरी | ग्रामीण                  | शहरी |
| आसाम          | 34                        | 1    | 120                      | 6    |
| बिहार         | 55                        | 3    | 566                      | 4    |
| बम्बई         | 11                        | -    | 82                       | 1    |
| सेट्रल        | 18                        | 4    | 120                      | 7    |
| दिल्ली        | 4                         | 5    | 15                       | 6    |
| हैदराबाद      | 2                         | 1    | 15                       | 4    |
| मद्रास        | 44                        | 39   | 150                      | 61   |
| उड़ीसा        | 11                        | 1    | 18                       | 1    |
| पंजाब         | 37                        | 14   | 52                       | 21   |
| उत्तर-प्रदेश  | 22                        | 4    | 158                      | 4    |
| पश्चिमी-बंगाल | 24                        | -    | 119                      | 4    |
| योग           | 262                       | 72   | 1,405                    | 127  |

(ख) लगभग। (ग) अनुमानित। (घ) जैसे कि 31 मार्च 1952 को थी।

(ङ) जैसे कि 31 मार्च, 1952 को थी। (च) जैसे कि 31 मार्च, 1951 को थी।

नीचे की तालिका में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इस विभाग का कितना विस्तार हुआ यह दिखलाया गया है :

तालिका 125

| कार्यालय                                                | 31-3-1948 की स्थिति के अनुसार | 31-8-1953 की स्थिति के अनुसार |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ग्रामीण डाकखाने . . . . .                               | 19,181                        | 38,168                        |
| शहरी डाकखाने . . . . .                                  | 4,160                         | 5,782                         |
| तार-घर . . . . .                                        | 7,330                         | 8,360 (क)                     |
| टेलीफोन एक्सचेंज (इन में पी० बी० एक्सचेंज भी शामिल हैं) | 2,487                         | 4,277 (क)                     |
| सार्वजनिक टेलीफोन-स्थान . . . . .                       | 479                           | 1,839 (ख)                     |
| टेलीफोन सम्बन्ध . . . . .                               | 1,14,922                      | 1,99,934 (क)                  |

### तार और टेलीफोन

#### टेलीफोन

जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, तब से यहाँ टेलीफोनों की संख्या भी बढ़ी है। तब से 85 हजार टेलीफोन और बढ़े हैं। सारे देश में 600 से ऊपर टेलीफोन एक्सचेंज हैं, और दो लाख टेलीफोन हैं। इस के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन गृह खोले गये हैं। बराबर लोग टेलीफोन की माग करते हैं और यह अनुमान किया जाता है कि 1953-54 के अन्त में भी टेलीफोन मागने के सम्बन्ध में 1 लाख 20 हजार आवेदनपत्र विचारार्थ बाकी बच रहेगें।

#### टेलीफोन के "मालिक बनो कार्यक्रम"

यह योजना दिसम्बर 1949 में अहमदाबाद, अमृतसर, बगलौर, भटिण्डा, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, धुवरी, एरोड, गुन्टूर, हैदराबाद, इन्दौर, कानपुर, मद्रास, मेरठ, नागपुर, राजकोट और सूरत में चालू की गई। इस योजना के अनुसार बम्बई और कलकत्ता में एक टेलीफोन के लिये 2,500 रुपये और बाकी स्थानों में 2,000 रुपये बीस साल के लिये ले लिये जाते हैं। प्रतिमास इसे कायम रखने के रूप में 2 रुपये लिये जाते हैं। इस योजना के अनुसार लगभग 13,109 लोगों को टेलीफोन मिल चके, और 3,19,87,500 रुपये उन से 1952 के अन्त तक लिये जा चके थे।

#### अपने एक्सचेंज के मालिक बनो

यह योजना 1950 में चालू की गई। इस योजना के अनुसार डाक तार विभाग 50 लाइनों वाला एक एक्सचेंज खोल सकता है बशर्ते कि संस्थाएँ, कोठियाँ तथा व्यक्ति 2½ प्रतिशत सूद पर पचास हजार रुपये का ऋण पेशगी देने के लिये तैयार हों। यह रकम बीस साल बाद वापिस मिल सकती है। अब तक इस योजना के अनुसार 7 एक्सचेंज खुल चुके हैं।

(क) 31 दिसम्बर, 1952 की स्थिति के अनुसार।

(ख) 1 अप्रैल, 1952 की स्थिति के अनुसार।

### प्रति सन्देश पद्धति

इस पद्धति का प्रवर्तन 1947 के अप्रैल में हुआ। इस पद्धति के अनुसार ग्राहकों को प्रति बार टेलीफोन करने के लिये शुल्क देना पड़ता है, और साथ ही एक निश्चित मासिक किराया देना पड़ता है। यह पद्धति 13 स्थानों पर यानी अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, इन्दौर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, पूना, थिमिया, और त्रिवेन्द्रम में चालू है।

### ट्रंक काल

1952-53 में एक करोड़ दस लाख ट्रंक काले हुईं। इस ओर किननी प्रगति हुई यह इस से जाना जा सकता है कि 1948-49 में चवालीस लाख ट्रंक काले हुई थी। यह बढ़ती शायद इस कारण हुई कि 1951 के 1 सितम्बर से 362.5 मील में अधिक दूर की ट्रंक काले रियायती दर पर करने दिये जाने लगी। अन्य दरे इस प्रकार हैं :—

- (1) पहले जहा प्रति 12.5 मील पर 3.2 आने लिये जाने थे, अब उस की जगह पर प्रति 25 मील पर चार आने लिये जाते हैं।
- (2) पहले 500 मील से अधिक दूर पर प्रति 12.5 मील पर 3.2 आने लिये जाते थे, अब उस की जगह प्रति 50 मील या उस के अग के लिये 6 आने लिये जाते हैं।

### स्वयंगतिक एक्सचेंज

कलकत्ता में स्वयंगतिक टेलीफोन एक्सचेंज का काम जारी है। अनुमान है कि उस में कुल मिला कर 13 करोड़ 40 लाख रुपये लगेंगे। जून 1953 तक एक्सचेंज की दो इमारतें बनीं, जिनकी कुल क्षमता 14 हजार लाइनों की है। बम्बई की टेलीफोन पद्धति की क्षमता 8,100 लाइनों की है, और आशा है कि मार्च 1954 तक 7,200 लाइनें काम करने लगेंगी।

1953 की 24 जनवरी को दिल्ली के तीसहजारी स्वयंगतिक एक्सचेंज में 29 हजार लाइनें जारी थी और इन के अलावा 1,100 लाइनें लगाई जा रही थी।

### रेडियो टेलीफोन सेवा

भारत से बर्मा, मिस्र, इंडोनीशिया, ईरान, जापान, नैरोबी, और इंग्लैंड का प्रत्यक्ष टेलीफोन सम्बन्ध है। लन्दन के जरिये से भारत और निम्नलिखित देशों में रेडियो टेलीफोन सेवा जारी है—आस्ट्रेलिया, बरबादोस, बेलजियम, बरमूडा, कनाडा, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जिब्राल्टर, हंगरी, आइसलैंड, इटली, केनिया, लक्जमबर्ग, मैक्सिको, हालैंड, उत्तरी रोडेशिया, नार्वे, सार, स्पेन, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी आयर्लैंड, दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टैंगानिका, उगान्डा, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्टिकन शहर तथा पश्चिमी जर्मनी। कुछ जहाज ऐसे हैं जो समुद्र में चलते रहने पर भी टेलीफोन द्वारा हम से सम्बद्ध रहते हैं, उन के नाम ये हैं—क्वीन मेरी, क्वीन एलिजाबेथ, एक्वीटेनिया, ओसलोफोर्ड, न्यूर, कारोनिया, मेरेटेनिया, अमेरिका।

टेलीफोन सम्बन्धी प्रशिक्षण पाने के लिये सात प्रशिक्षण केन्द्र हैं—सहारनपुर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली, नागपुर, अम्बाला। इन में प्रतिवर्ष 800 टेलीफोन कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

## तार

1951 के 31 दिसम्बर को इस देश में 8,360 तार के दफतर थे। हमारे सामने लक्ष्य यह है कि 5,000 से ऊपर आबादी वाले हरेक कस्बे में तार-दफतर की सुविधा हो। यह कार्य अच्छी तरह चल रहा है। बी० एफ० टी० पद्धति चालू किये जाने के कारण इन महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच टेलीग्राफ सरकिट्स बढ़ गये—बम्बई और जोधपुर, नागपुर और बेलगांव, राजकोट और सिकन्दराबाद, त्रिवेन्द्रम और कोयमबतूर, नई दिल्ली और जोधपुर, जोधपुर और कराची। एफ० एम० पद्धति के अलावा बी० एफ० टी० पद्धति वाला सरंजाम नई दिल्ली और कलकत्ता के बीच प्रयोग में लाया गया। इन दोनों पद्धतियों को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है।

टेलीप्रिन्टरों का काम काफी तरक्की पर है। इसके फलस्वरूप तार जल्दी पहुँच रहे हैं, और साधारण तारों में जनता का विश्वास बढ़ गया है। जहाँ 1948-49 में भेजे हुए तारों में से 45 प्रतिशत एक्सप्रेस तार होते थे, वहाँ 1951-52 में कुल 29.4 प्रतिशत तार ही एक्सप्रेस भेजे गये ह। ऊपर जो बातें बतलाई गई, उनके अलावा तार विभाग इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहा है कि तार जल्दी पहुँचे और जल्दी मिल जाये। इस सम्बन्ध में कई अन्य उपाय भी काम में लाये गये हैं।

## तार सम्बन्धी अन्य सुविधायें

1953 की एक जनवरी से तार विभाग ने एक नई सुविधा प्रदान की। पहले जहाँ केवल एक साल या छः महीने के लिये ही तार के सक्षिप्त पते स्वीकृत और पजीकृत होते थे, अब तीन माह, छः माह, और नौ माह तथा एक साल के लिये भी तार के सक्षिप्त पते पजीकृत हो सकते हैं। बम्बई और लन्दन के बीच तथा लन्दन के जरिये से न्यूयार्क और यूरोप के साथ फोटो टेलीग्राम सेवा जारी है। अब बेलजियम, फिनलैंड, नार्वे तथा स्वीडन के साथ भी यह सम्बन्ध जारी कर दिया गया है।

द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के बाद विदेशों के लिये डीलक्स टेलीग्राम सेवा बन्द कर दी गई थी पर अब फिर से यह जारी हुई है। अदन, ऐशेन्शन, बरमूडा, साइप्रस, फिजी (केवल सूबा), गाम्ब्रिया, जिब्राल्टर, गोल्डकोस्ट (केवल अकरा), हांगकांग, मलय (केवल सिंगापुर और पेनांग), माल्टा, मारीशस, नाइजीरिया (केवल लागोस), उत्तर बोर्नियो, न्यासालैंड, रोड्रीगुइज, सेंट हेलेना, शिशेलिस, सियर्रा लियोने (केवल फ्री टाऊन), इंग्लैंड और जजीबार के लिये यह सेवा फिर से प्राप्त है। पाकिस्तान के लिये भी यह पद्धति चालू है बशर्तकि आन्तरिक दर के अतिरिक्त प्रति तार पर चार आने और दिये जायें।

## बेतार के तार

एक तरफ बम्बई और दूसरी तरफ लन्दन, मेलबोर्न, शंघाई, टोकियो, न्यूयार्क, काबल और जकार्ता तथा नई दिल्ली और लन्दन और नई दिल्ली तथा मास्को के बीच सीधे सर्किट मौजूद हैं।

## जलवर्ती केबल तार सेवा

इस उपाय द्वारा (1) लन्दन से बजरिये अदन, पोर्ट सूडान, अलग्जैंड्रिया इत्यादि बम्बई संयुक्त है। इस प्रकार सारे यूरोप से सम्बन्ध मौजूद है। (2) मद्रास से पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग

। तथादि का, इस प्रकार दूरपूर्व का सम्बन्ध है । (3) बम्बई का जजीवार और अदन का और इस प्रकार पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका से सम्बन्ध है ।

### प्रभ्यान्तरिक बतार

कलकत्ता और अगरतल्ला के बीच एक रेडियो टेलीफोन सेवा है । मद्रास और रंगून के बीच अत्यन्त द्रुत बतार सेवा कायम की गई है ।

### बेतार मानिटारिंग

बगलोर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और जबलपुर में पांच मानिटारिंग स्टेशन इस समय चालू हैं ।

### भारतीय भाषाओं में तार

1949 की एक जनवरी को देवनागरी लिपि में तार सम्बन्धी सेवा का आरम्भ किया गया । फोनोकोम पद्धति के चालू हो जाने के कारण अब देवनागरी लिपि में भारतीय भाषाओं के तारों को 455 दफतरो में लिया और दिया जा सकता है । इस सुविधा को बढ़ाने के लिये आगरा, कलकत्ता, जबलपुर, पटना और पूना में पांच हिन्दी तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं । हैदराबाद और सिकन्दराबाद में हिन्दी मोर्स पद्धति चालू की गई है । यह अंग्रेजी की मोर्स कोड पर आधारित है । उदाहरणस्वरूप अंग्रेजी अक्षर “के” के लिये जो सिगनल है, उस को हिन्दी अक्षर “क” के लिये प्रस्तुत किया गया है इत्यादि । अको के लिये अंग्रेजी सिगनल ही रखे गये हैं । 1950 की जुलाई से अभिनन्दन सम्बन्धी तार हिन्दी में लिये जाते हैं । जिन स्थानों पर हिन्दी की तार सेवा मौजूद है, उन स्थानों में देवनागरी लिपि के लिखे हुए अन्य भारतीय भाषाओं के तार लिये जाते हैं । हिन्दी में तार और मनीआर्डर भेजने तथा नागरी लिपि में तार के पतों का पंजीकरण भी स्वीकृत कर लिया गया है ।

### हिन्दी टेलीप्रिन्टर

जबलपुर के प्रशिक्षण केन्द्र में अंग्रेजी टेलीप्रिन्टर को हिन्दी की आवश्यकताओं के अनुसार बदल दिया गया है । 1953 की जनवरी में हैदराबाद के नानलनगर नामक स्थान में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस में इन बदले हुए टेलीप्रिन्टरों के जरिये से लगभग 400 सन्देश नई दिल्ली भेजे गये ।

### तार विभाग की शताब्दी जयन्ती

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने दिल्ली में भारतीय तार विभाग की शताब्दी जयन्ती का उद्घाटन किया । इस अवसर के उपलक्ष्य में तार विभाग के द्वारा तार संचार प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई थी । इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने अक्टूबर 1851 से लेकर इस विभाग ने जो उन्नति की उस पर संतोष प्रकट किया । अक्टूबर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच यानी इक्कीस मील दूरी पर तार की पहली लाइन काम करने लगी थी ।

### पंचवर्षीय योजना

पंचवर्षीय योजना में डाक तार और टेलीफोन के विकास के लिये पचास करोड़ रुपये आवंटित हैं, जिस में से अब तक अठारह करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं । इस विकास योजना में विशेष रूप से देहाती इलाकों की सुविधा तथा बड़े शहरों में टेलीफोन की सुविधा पर जोर दिया गया है ।

वह दिन दूर नहीं है, जब डाक की सेवा यंत्रीकृत हो जायेगी, और पोस्टकार्ड तथा लिफाफे बेचने के लिये स्टाल मशीनें काम करेगी। तार संचार विभाग ने बड़े शहरों में टेलीफोन एक्सचेंजों को बढ़ाने, ट्रंक—टेलीफोन सेवा के आधुनिकीकरण तथा विस्तार तथा अतिरिक्त तार—सर्किट की स्थापना के लिये योजनाएं बनाई हैं।

### डाक की चालू दरें

#### देश के अन्दर के पत्र

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| एक तोले से अधिक नहीं . . . . .                            | 2 आने |
| प्रत्येक अतिरिक्त तोला या उस के भग्नांश के लिये . . . . . | 1 आना |

#### पोस्टकार्ड

##### (1) स्थानीय

|                     |       |
|---------------------|-------|
| (क) एक . . . . .    | 6 पाई |
| (ख) जवाबी . . . . . | 1 आना |

##### (2) साधारण

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| (क) एक . . . . .    | 9 पाई       |
| (ख) जवाबी . . . . . | 1 आना 6 पाई |

##### (3) लैटर कार्ड . . . . .

|             |
|-------------|
| 1 आना 6 पाई |
|-------------|

#### पुस्तक, पैटर्न या नमूने के पैकेट

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 5 तोला तक . . . . .                                                   | 1 आना    |
| प्रति अतिरिक्त $2\frac{1}{2}$ तोला या उस के भग्नांश के लिये . . . . . | 6 पाई    |
| अधिक से अधिक वजन जो भेजा जा सकता है . . . . .                         | 200 तोला |

#### समाचार-पत्र : देश के अन्दर की दर

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 10 तोला से अधिक नहीं . . . . .                          | 3 पाई |
| 10 तोले से ऊपर या 20 तोले तक . . . . .                  | 6 पाई |
| दो औंस की प्रति डकाई या उस के भग्नांश के लिये . . . . . | 3 पाई |
| प्रति दस तोला या उस के भग्नांश के लिये . . . . .        | 6 पाई |

#### पासल

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 40 तोले से अधिक नहीं . . . . .                           | 8 आने                             |
| प्रत्येक अतिरिक्त 40 तोले या उस के अंश के लिये . . . . . | 8 आने                             |
| अधिक से अधिक वजन . . . . .                               | 1,000 तोला या $12\frac{1}{2}$ सेर |
| 440 तोले से अधिक के पासल्लो की रजिस्ट्री अनिवार्य है।    |                                   |

#### रजिस्ट्री

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| रजिस्ट्री की फीस . . . . . | 6 आने प्रति अदद |
|----------------------------|-----------------|

#### बीमा

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| 100 रुपये के मूल्य तक की वस्तु के लिये बीमा की फीस . . . . . | 6 आने |
|--------------------------------------------------------------|-------|

प्रति अतिरिक्त 100 रुपये के बीमा मूल्य के लिये 3 आने  
अधिकसे अधिक बीमा कितने का हो सकता है . 5,000 रुपये

### हवाई डाक

पत्रों, पोस्टकार्डों और लैटर कार्डों के लिये कोई अतिरिक्त  
शुल्क नहीं है ।

पैकेटो के लिये प्रति तोला 6 पाई के हिसाब से अतिरिक्त  
शुल्क लगता है ।

आन्तरिक हवाई पारसलों के लिये प्रति 20 तोला या उस  
के भग्नांशो के लिये 10 आने लगते हैं ।

### विदेशी डाक

#### 1. पत्र

एक औंस से अधिक नहीं . . . . . 4 आने  
प्रति अतिरिक्त औंस या भग्नांश के लिये . . . . . 2 आने 6 पाई

#### 2. पोस्टकार्ड

एक . . . . . 2 आने 6 पाई  
जवाबी . . . . . 5 आने  
छपे हुए कागज प्रति 2 औंस या उस के भग्नांश के लिये . . . . . 1 आना

#### 3. व्यापार सम्बन्धी कागजात

8 औंस से अधिक नहीं . . . . . 4 आने  
प्रति अतिरिक्त 2 औंस या उस के भग्नांश के लिये . . . . . 1 आना

#### 4. नमूने के पैकेट

औंस से अधिक नहीं . . . . . 2 आने  
प्रति अतिरिक्त 2 औंस या उस के भग्नांश के लिये . . . . . 1 आना

### हवाई शुल्क : विदेशी

|                       | पत्र<br>(प्रति आधा<br>औंस या<br>उस के अंश) | पोस्ट कार्ड | हवाई पत्र  |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|
|                       | रु. आ. पा.                                 | रु. आ. पा.  | रु. आ. पा. |
| अफगानिस्तान . . . . . | 0 6 0                                      | 0 4 0       | 0 5 0      |
| बर्मा . . . . .       | 0 6 0                                      | 0 4 0       | 0 5 0      |
| चीन . . . . .         | 0 10 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0      |

|                                  | पत्र<br>(प्रति आधा<br>औस या<br>उस के ग्रश) | पोस्ट कार्ड | हवाई पत्र |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                  | र. आ. पा.                                  | र. आ. पा.   | र. आ. पा. |
| हिन्द-चीन . . . . .              | 0 10 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| हिन्देशिया . . . . .             | 0 10 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| ईरान, ईराक, इजराइल . . . . .     | 0 10 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| जापान, कोरिया, मलय . . . . .     | 0 10 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| मिस्र, तुर्की . . . . .          | 0 10 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| आस्ट्रिया . . . . .              | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| डेनमार्क . . . . .               | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| फ्रांस . . . . .                 | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| जिब्राल्टर . . . . .             | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| ग्रेट ब्रिटेन . . . . .          | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| ग्रीस . . . . .                  | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| नार्वे . . . . .                 | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| पोलैंड . . . . .                 | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| स्विट्जरलैण्ड . . . . .          | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| सोवियत यूनियन . . . . .          | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| इथियोपिया . . . . .              | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| केनिया . . . . .                 | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| लीबिया . . . . .                 | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| सूडान . . . . .                  | 0 14 0                                     | 0 6 0       | 0 8 0     |
| आस्ट्रेलिया . . . . .            | 1 2 0                                      | 0 8 0       | 0 10 0    |
| न्यूजीलैंड . . . . .             | 1 2 0                                      | 0 8 0       | 0 10 0    |
| गोल्ड कोस्ट . . . . .            | 1 2 0                                      | 0 8 0       | 0 10 0    |
| मारीशस . . . . .                 | 1 2 0                                      | 0 8 0       | 0 10 0    |
| दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका . . . . . | 1 2 0                                      | 0 8 0       | 0 10 0    |
| दक्षिण-अफ्रीका यूनियन . . . . .  | 1 2 0                                      | 0 8 0       | 0 10 0    |
| बरमूडा . . . . .                 | 1 8 0                                      | 0 10 0      | 0 12 0    |
| कनाडा . . . . .                  | 1 8 0                                      | 0 10 0      | 0 12 0    |
| क्यूबा . . . . .                 | 1 8 0                                      | 0 10 0      | 0 12 0    |
| मैक्सिको . . . . .               | 1 8 0                                      | 0 10 0      | 0 12 0    |
| अमेरिका . . . . .                | 1 8 0                                      | 0 10 0      | 0 12 0    |
| ब्रिटिश गयाना . . . . .          | 1 8 0                                      | 0 10 0      | 0 12 0    |
| कोलम्बिया . . . . .              | 1 8 0                                      | 0 10 0      | 0 12 0    |
| पेरू . . . . .                   | 1 8 0                                      | 0 10 0      | 0 12 0    |
| वेनेजुएला . . . . .              | 1 8 0                                      | 0 10 0      | 0 12 0    |

पुस्तकों, नमूने के पैकेटों तथा पैटर्न्स को द्वितीय श्रेणी के हवाई डाक से लंका, पाकिस्तान और पुर्तगाली भारत भेजने के लिये साधारण अन्तर्देशीय डाक-महसूल के अतिरिक्त डेढ़ आना प्रति तोला वायु-उपरि-शल्क भी लिया जायेगा ।



| हवाई पारसल              | प्रथम पौड के लिये डाक-<br>महसूल (जिसमें वायु-शुल्क<br>भी शामिल है) | उस के बाद प्रति 4 औंस<br>या उस के अंशों के लिये<br>डाक-महसूल (जिसमें वायु<br>शुल्क भी शामिल है) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | रु० आ० पा०                                                         | रु० आ० पा०                                                                                      |
| अफगानिस्तान . . .       | 5 8 0                                                              | 0 11 0                                                                                          |
| आस्ट्रेलिया . . .       | 10 8 0                                                             | 2 5 0                                                                                           |
| लका . . .               | 2 0 0                                                              | (प्रति पौड तथा उसके अंश<br>के लिये)                                                             |
| मिस्र . . . . .         | 7 12 0                                                             | 1 2 0                                                                                           |
| फ्रांस . . . . .        | 11 0 0                                                             | 1 14 0                                                                                          |
| यूनाइटेड किंगडम . . .   | 9 12 0                                                             | 1 14 0                                                                                          |
| स्विट्जरलैण्ड . . . . . | 9 8 0                                                              | 1 12 0                                                                                          |
| अमेरिका . . . . .       | 15 8 0                                                             | 3 8 0                                                                                           |

## विविध

## मनीआर्डर

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| 5 रुपये तक . . . . .                      | 2 आना |
| 5 रुपये से अधिक और 10 रुपये तक . . . . .  | 3 आना |
| 10 रुपये से अधिक और 15 रुपये तक . . . . . | 4 आना |
| 15 रुपये से अधिक और 25 रुपये तक . . . . . | 6 आना |
| प्रति 25 रुपये . . . . .                  | 6 आना |

## तार द्वारा मनीआर्डर

तार द्वारा मनीआर्डर भेजने के लिये साधारण मनीआर्डर द्वारा भेजने में जो शुल्क लगता है उस में तार का मूल्य और 2 आने का उपरि-शुल्क जोड़ कर शुल्क देना होता है।

## पोस्टल आर्डर

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| पोस्टल आर्डर . . . . .                                       | 1 आना प्रति आर्डर |
| एक्सप्रेस डिलीवरी . . . . .                                  | 2 आना             |
| व्यापारी जवाबी पोस्टकार्ड व लिफाफे (वार्षिक परमिट) . . . . . | 10 रुपये          |

## पोस्ट बाक्स थैले

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| वार्षिक . . . . .                             | 12 रुपये |
| त्रैमासिक . . . . .                           | 4 रुपये  |
| सम्मिलित पोस्टबाक्स व बैग (वार्षिक) . . . . . | 15 रुपये |

## सेविंग्स बैंक

यह निश्चय किया गया है कि :

- (I) जमा किये जा सकने वाले धन का अधिकतम परिमाण बढ़ा कर प्रति व्यक्ति 15,000 रुपया और सम्मिलित रूप से 30,000 रुपया कर दिया जाये।

- (2) 10,000 रुपये तक की जमा रकम पर 2 प्रतिशत व्याज तथा 10,000 से अधिक की जमा रकम पर डेढ़ प्रतिशत व्याज दिया जाये ।
- (3) सप्ताह में दो बार धन निकालने दिया जाये यदि कुल निकाला गया धन 10,000 रुपये तक हो, और
- (4) बम्बई जी० पी० ओ० तथा बम्बई सर्किल के कुछ विशेष हैड पोस्टऑफिसों से चेक द्वारा धन निकालने दिया जाये ।

### नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स

#### बारह वर्षीय सर्टिफिकेट्स

दर्जा—5 रु०, 10 रु०, 50 रु०, 100 रु०, 500 रु०, 1,000 रु०, और 5,000 रु० ।

भुनाने के समय मूल्य—7 रु० 8 आ०, 15 रु०, 75 रु०, 150 रु०, 750 रु०, 1,500 रु० और 7,500 रु० ।

#### सात वर्षीय सर्टिफिकेट्स

दर्जा—5 रु०, 10 रु०, 50 रु०, 100 रु०, 1,000 रु०, और 5,000 रु० ।

भुनाने के समय मूल्य—6 रु० 4 आ०, 12 रु० 8 आ०, 62 रु० 8 आ०, 125 रु०, 1,250 रु० और 6,250 रु० ।

#### पांच वर्षीय सर्टिफिकेट्स

दर्जा—5 रु०, 10 रु०, 50 रु०, 100 रु०, 1,000 रु० और 5,000 रु० ।

भुनाने के समय मूल्य—5 रु० 12 आ०, 11 रु० 8 आ०, 57 रु० 8 आ०, 115 रु०, 1,150 रु० और 5,750 रु० ।

कोई अकेला व्यक्ति 25,000 रु० के मूल्य तक के सर्टिफिकेट ले सकता है पर किसी अन्य व्यक्ति के संग मिल कर वह संयुक्त रूप से 50,000 रु० के मूल्य तक के सर्टिफिकेट ले सकता है । पांच और सप्तवर्षीय सर्टिफिकेट कभी भी बनाये जा सकते हैं, परन्तु बारह वर्षीय सर्टिफिकेट केवल एक निर्धारित अवधि के बीत जाने पर ही बनाये जा सकते हैं ।

#### पोस्टल जीवन-बीमा

1 जनवरी, 1949 से सेना-विभाग के कर्मचारियों को पोस्टल जीवन बीमा फंड से लाभ उठाने की सुविधा दी गई । इस योजना को उन औद्योगिक कार्यों के कर्मचारियों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, अथवा जिन में सरकार का बड़ा भाग है ।

#### देशीय तार

भारत, बर्मा, श्रीलंका, या पाकिस्तान स्थित स्थानों को या उन स्थानों से भेजे गये तार देशीय तारों के वर्ग में आते हैं । देशीय तारों पर निम्नलिखित दरों के अनुसार महसूल लिया जाता है :

#### भारत में प्राप्ति

|                                           | एक्सप्रेस | साधारण         |
|-------------------------------------------|-----------|----------------|
|                                           | रु० आ०    | पा० रु० आ० पा० |
| न्यूनतम शुल्क (8 शब्दों तक के लिये) . . . | I 8 0 0   | I2 0           |
| 8 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द पर . . .     | 0 2 0 0   | I 0            |

**बर्मा और पाकिस्तान में प्राप्ति**

|                                            | एक्सप्रेस  | साधारण     |
|--------------------------------------------|------------|------------|
|                                            | रु० आ० पा० | रु० आ० पा० |
| न्यूनतम शुल्क (8 शब्दों के लिये) . . . . . | 2 12 0     | 1 6 0      |
| 8 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द पर . . . . .  | 0 4 0      | 0 2 0      |

**प्रेस तार भारत में प्राप्ति**

|                                                |       |        |
|------------------------------------------------|-------|--------|
| न्यूनतम शुल्क (50 शब्दों तक के लिये) . . . . . | 1 8 0 | 0 12 0 |
| 50 से ऊपर प्रति अतिरिक्त 5 शब्दों पर . . . . . | 0 2 0 | 0 1 0  |

**बधाई के तार**

उत्सवों के अवसर पर बधाई के तार, भारत के किसी भी तार घर से भारत के किसी भी तार-घर को, विशेषरूप से घटाई गई दरों पर भेजे जा सकते हैं :

शब्दों की सख्या :

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| (क) प्राप्त करने वाले का नाम व पता . . . . .   | 4 शब्द |
| (ख) बधाई (एक विशेष अंक द्वारा इंगित) . . . . . | 1 शब्द |
| (ग) भेजने वाले का नाम . . . . .                | 1 शब्द |

6 शब्द

|                                                | एक्सप्रेस  | साधारण     |
|------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                | रु० आ० पा० | रु० आ० पा० |
| इन 6 शब्दों के लिये . . . . .                  | 1 0 0      | 0 8 0      |
| 6 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द के लिये . . . . . | 0 2 0      | 0 1 0      |

**स्थानीय तार**

भारत के समस्त तार-घरों और डाक-प्राप्त करने वाले कार्यालयों में स्थानीय तार भेजने की व्यवस्था है जिस के लिये न्यूनतम शुल्क 6 आना है ( 8 या उस से कम शब्दों के लिये) और 8 से ऊपर प्रति अतिरिक्त शब्द के लिए 6 पाई शुल्क देना होता है ।

**फ्लैश तार**

प्रेस की सुविधा के लिये 15 अगस्त, 1947 से एक नये प्रकार के तार चलाये गये जिन्हें “फ्लैश समाचार” कहा जाता है । यद्यपि इस तार के लिये उसी दर से शुल्क देना पड़ता है जो वैयक्तिक एक्सप्रेस तार के लिये है तथापि इसे उस से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त होती है । फ्लैश तारों के लिए टेलिफोन द्वारा भेजने की भी सुविधा उपलब्ध है ।

**जीवन-संकट तार**

ये तार दुर्घटना, गम्भीर रूग्णावस्था, अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर भेजे जा सकते हैं और इन पर देशीय एक्सप्रेस तारों की दर पर शुल्क लगाया जाता है । इस प्रकार के तारों को अन्य सभी अर्जेंट और एक्सप्रेस तारों से अधिक प्राथमिकता दी जाती है ।

## अठारहवा अध्याय

### सहकारी आन्दोलन

सहकारी आन्दोलन सर्वत्र जनता का आन्दोलन है। यदि जनता जोश के साथ उम में हाथ धाये, तभी यह आन्दोलन सफल हो सकता है। यद्यपि संविधान के अनुसार यह राज्य सरकार के विषय के अन्तर्गत रखा गया है और यद्यपि प्रत्येक राज्य सरकार इस सम्बन्ध में यथा साध्य कर रही है, फिर भी इसका कार्य बहुत कुछ परामर्श देने तक ही सीमित है, और जनता ही इसे सफल बना सकती है।

1950-51 के अन्त में सब तरह की सहकारी समितियों की संख्या 1,81,189 थी, जब कि 1949-50 के अन्त में उन की संख्या 1,73,094 थी। इसी युग में प्राथमिक समितियों की सदस्य संख्या 1 करोड़ 26 लाख से 1 करोड़ 37 लाख हो गयी। यदि मोटे तौर पर यह मान लिया जाये कि एक भारतीय परिवार में औसत रूप में 5 व्यक्ति आते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि 1950-51 में 6 करोड़ 85 लाख यानी सारी जनता का 19.1 प्रतिशत सहकारी आन्दोलन से लाभ उठा रहा था। जब कि 1949-50 में केवल 18.2 प्रतिशत लोग ही इस का फायदा उठा रहे थे। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि कई व्यक्ति एक से अधिक सहकारी समिति के सदस्य हो सकते हैं इसलिये उम आकड़े का प्रयोग समझ बूझ बार ही किया जा सकता है।

सब तरह की सहकारी समितियों की कुल पूँजी 1949-50 के अन्त में 233 करोड़ 10 लाख रुपये और 1951 की 30 जून को 275 करोड़ 85 लाख पये थी। इसमें से 40.8 प्रतिशत जमा रकमे थी। मिल्कियत कोष कार्यशील पूँजी के 29 प्रतिशत और कुल जमा धन के 71 प्रतिशत थे।

नीचे की तालिका में प्राथमिक समितियों के ऋण सम्बन्धी आदान प्रदान की प्रगति देखी जा सकती है :

तालिका 126

|                                                                 | (करोड़ पयों में) |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
|                                                                 | 1948-49          | 1949-50 | 1950-51 |
| प्राथमिक समितियों द्वारा दिया गया ऋण                            | 60.06            | 70.56   | 86.57   |
| चुका दिये गये ऋण                                                | 50.56            | 59.45   | 72.66   |
| बकाया ऋण                                                        | 61.84            | 71.37   | 83.86   |
| 30 जून को ऐसे ऋण जिन्हें चुकाने का समय निकल बहुत दिन हो चुके थे | 7.80             | 8.91    | 9.78    |

रिजर्व बैंक, राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों से बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण प्राथमिक समितियों के द्वारा दिये जाने वाले कर्जों में बहुत वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतः

“क” भाग के राज्यों में हुई। उन राज्यों में कर्ज 60 करोड़ 88 लाख रुपये से 72 करोड़ 8 लाख रुपये हो गया। “ख” भाग के राज्यों में इसी प्रकार कर्ज 10 करोड़ 49 लाख रुपये से बढ़कर 11 करोड़ 78 लाख रुपये पहुँच गया। भुगतान के योग्य पुराने कर्ज घटते हुए मालूम हुए। 1948-49 में इन का परिमाण 12.6 प्रतिशत, 1949-50 में 12.5 प्रतिशत और 1950-51 में 11.7 प्रतिशत रहा।

### अल्पकालीन कर्ज

1949-50 की तुलना में 1950-51 में भुगतान किये हुए कर्जों में और मोबूदा कर्ज में वृद्धि हुई। कुछ भी हो विभिन्न किस्म की सहकारी समितियों के यहाँ जो रकम जमा हुई है उन में आनुपातिक दृष्टि से कोई वृद्धि नहीं हुई। इस का नतीजा यह रहा कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं पर ही निर्भर करना पड़ा।

तालिका 127

(करोड़ रुपये में)

|                                   | शिखर बैंक |         | केन्द्रीय बैंक |          | प्राथमिक कृषि-ऋण समितियाँ |           |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------------|----------|---------------------------|-----------|
|                                   | 1949-50   | 1950-51 | 1949-50        | 1950-51  | 1949-50                   | 1950-51   |
| संख्या                            | 14        | 15      | 498            | 505      | 1,16,534                  | 1,15,462  |
| सदस्य संख्या                      | 18,618    | 20,932  | 1,89,722       | 2,07,074 | 48,17,545                 | 51,53,907 |
| वर्ष पर्यन्त दिया गया कुल ऋण      | 29.6      | 42.1    | 75.4           | 82.8     | 18.0                      | 22.9      |
| वर्ष पर्यन्त चुका दिया गया कुल ऋण | 31.6      | 38.2    | 76.2           | 77.2     | 13.5                      | 18.3      |
| बकाया ऋण                          | 14.1      | 17.9    | 28.9           | 34.1     | 25.0                      | 29.1      |
| लगायी गयी पूँजी                   | 11.6      | 11.4    | 13.1           | 14.1     | 1.0                       | 1.2       |
| स्वामित्व प्राप्त निधि            | 3.4       | 3.8     | 8.1            | 8.8      | 15.3                      | 17.3      |
| जमा किया गया धन                   | 21.2      | 22.1    | 35.0           | 37.8     | 4.1                       | 4.5       |
| अन्य उधार                         | 5.9       | 8.5     | 6.8            | 9.7      | 15.8                      | 19.2      |
| कार्यकारी पूँजी                   | 30.5      | 34.4    | 49.9           | 56.4     | 35.2                      | 41.0      |

### सहकारी बैंक

#### केन्द्रीय बैंक

1950-51 में केन्द्रीय बैंकों की संख्या जिस में बैंकिंग यूनियन भी सम्मिलित है, 498 से बढ़कर 505 हो गयी। उसी युग में उन के सदस्यों की संख्या 1,89,722 से बढ़कर 2,07,074 हो गयी और शेषर पूँजी तथा रिजर्व क्रमशः चार करोड़ चार लाख रुपये और 4 करोड़ 79 लाख रुपये हो गया।

केन्द्रीय बैंको की कार्यकारी पूँजी (56 करोड़ 37 लाख रुपये) की बनावट का अध्ययन करने से यह पता लगा है कि शिखर तथा अन्य संस्थाओं में कर्ज लिये हुए कोष पर निर्भरता अधिक है, जैसा कि नीचे के आकड़ों से स्पष्ट है :

## तालिका 128

|                                 | कार्यकारी पूँजी का प्रतिशत |         |
|---------------------------------|----------------------------|---------|
|                                 | 1949-50                    | 1950-51 |
| स्वामित्व प्राप्त (ओन्ड) निधि . | 16 2                       | 15 7    |
| जमा किया गया धन .               | 70.2                       | 67 0    |
| अन्य उधार .                     | 13 6                       | 17 3    |

केन्द्रीय बैंको ने 1950-51 में व्यक्तियों, बैंको तथा समितियों को 82 करोड़ 84 लाख रुपये दिये, जब कि 1949-50 में 75 करोड़ 44 लाख रुपये दिये गये थे। केवल बम्बई में व्यक्ति और समितियों के मद में 3 करोड़ 50 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

सरकारी कागजों (सिक्कुरिटी) तथा इस प्रकार के अन्य कागजों में केन्द्रीय बैंको की जो पूँजी लगी हुई थी (यह कर्ज का जिक्र नहीं है) वह 14 करोड़ 13 लाख रुपये की है।

**राज्य बैंक**

विन्ध्य प्रदेश में शिखर बैंक की स्थापना के साथ साथ राज्य बैंकों की संख्या 1950-51 में बढ़ कर 15 हो गयी। सदस्यों की संख्या में भी कुछ वृद्धि हुई। उस साल सदस्यों में 8,266 व्यक्ति तथा 12,666 बैंक और समितियाँ थीं। 1949-50 के अन्त में शेरार पूँजी और रिजर्व क्रमशः 1 करोड़ 58 लाख रुपये तथा 2 करोड़ 22 लाख रुपये हो गयी। शिखर बैंको ने जो पूँजी पेशगी दी थी उस का परिमाण 42 करोड़ 13 लाख रु० था जिस में से सहकारी बैंक और समितियों को 34 करोड़ 40 लाख रुपये यानी कुल 82 प्रतिशत पूँजी मिली।

शिखर संस्थाओं ने धन की बढ़ती हुई माँग को अधिक कर्ज लेकर पूरा किया। 1949-50 में लिये हुए कर्ज की रकम जो 5 करोड़ 31 लाख रु० थी, वह अब 8 करोड़ 34 लाख रुपये हो गयी। जमा धन राशि में थोड़ी सी वृद्धि हुई, यानी यह 21 करोड़ 17 लाख रुपये में 22 करोड़ 7 लाख रुपये में पहुँच गयी।

बैंक की कुल लागत करीब करोड़ अपरिवर्तित रूप से 11 करोड़ 42 लाख रुपये बनी रही। सरकारी कागजों में लगी हुई पूँजी सब से अधिक थी यानी 10 करोड़ 74 लाख रुपये थी। बाकी पूँजी जमीन, इमारतों तथा सहकारी संस्थाओं के शेयरों में लगी रही।

**कृषि समितियाँ****कर्ज समितियाँ**

1949-50 की तुलना में कर्ज समितियों की संख्या 1,072 से घट कर 1,15,462 रह गयी। कुल मिलाकर "क" भाग के राज्यों की समिति में की संख्या में कुछ वृद्धि हुई, पर

“ख” और “ग” भाग के राज्यों की समितियों की सख्या में 1,925 की कमी हुई । यद्यपि इसी प्रकार समितियों की सख्या तो घट गयी, पर इनके सदस्यों की सख्या 3,36,362 बढ़ कर 51,53,907 पहुँच गयी ।

1950-51 में समितियों ने अपने सदस्यों को जो कर्ज दिया, उस का परिमाण 22 करोड़ 90 लाख रुपये था । जब कि 1949-50 में इसी का परिमाण केवल 18 करोड़ रुपये ही था । इसी प्रकार 1950-51 के अन्त में भुगतान लायक पुराने कर्ज 29 करोड़ 12 लाख रुपये था, जब कि इस के पहले साल यह कुल 24 करोड़ 96 लाख रुपये ही था । 6 करोड़ 38 लाख रुपये की वीतकाल दिये हुए कर्ज की रकम 22 प्रतिशत थी, जब कि 1949-50 में वीतकाल दिये हुए कर्ज की रकम 21.5 प्रतिशत थी ।

कर्ज समितियाँ अपनी कार्यकारी पूँजी के लिये मुख्यतः केन्द्रीय वित्तीय जगहों पर निर्भर रहती हैं । इस प्रकार 1950-51 में स्थिति यह थी कि उन की कार्यकारी पूँजी का 47 प्रतिशत कर्ज से प्राप्त था । (अपना कोष) ग्रांड फंड 17 करोड़ 26 लाख रुपये का था, यानी कार्यकारी पूँजी का 42 प्रतिशत था, जब कि जमा की कुल रकम 4 करोड़ 48 लाख रुपये थी । युद्ध के बाद के युग में कार्यकारी पूँजी के मुकाबले में जमा का अनुपात बराबर गिरता गया । उदाहरणस्वरूप 1946-47 में यह अनुपात 14.4 था, 1950-51 में यह घटकर 10 प्रतिशत हो गया । इस से यह ज्ञात होता है कि अल्पकालीन ऋण की खेती के लिये कर्ज की व्यवस्था का वृहत्तर भाग बढ़ता रहा, पर उसी अनुपात में यह बड़ी रकम को आकर्षित नहीं कर सका । सहकारी आन्दोलन को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये यह जरूरी है कि अधिक से अधिक रकम आकृष्ट करने के लिये बग़ावर प्रयत्न किया जाये । निम्नलिखित आकड़ों से औसत सदस्य सख्या, शेयर पूँजी तथा जमा की रकम ज्ञात होती है—

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| औसत सदस्य                  | 45             |
| प्रति समिति औसत शेयर पूँजी | लगभग 727 पये   |
| प्रति सदस्य औसत शेयर पूँजी | लगभग 16 पये    |
| प्रति समिति लगभग जमा रकम   | लगभग 388 रुपये |
| प्रति सदस्य औसत जमा रकम    | लगभग 9 रुपये   |

प्रति समिति औसत कार्यकारी पूँजी बम्बई में सबसे अधिक थी (11,065 पये) इस के बाद कुर्ग का नम्बर आता है (7,991 पये) फिर मद्रास आता है (7,398 पये) । पेन्स, बम्बई, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, और पंजाब में प्रति सदस्य पर औसत कार्यकारी पूँजी अधिक थी जो क्रमशः इस प्रकार थी, 152 ०, 148 ०, 119 ०, 116 ० और 111 ० ।

सहकारी आन्दोलन का एक मुख्य उद्देश्य शुरू से यह रहा कि खेतिहरों को कम सूद पर खेती के लिये कर्ज मिले, इतना कम सूद जितना कि वे दे सकते हैं । इस दिशा में बहुत सीमित सफलता हुई है । खेतिहरों को अब भी सूद अधिक देना पड़ रहा है । कई क्षेत्रों में तो उन्हें 12.5 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश और बिहार में तो 15 प्रतिशत तक देना पड़ रहा है ।

#### गैर-कर्ज समितियाँ

1950 की 30 जून को राज्तीय गैर-कर्ज समितियों की सख्या 22 थी । पर 1950-51 के अन्त में यह सख्या बढ़ कर 35 हो गयी । इन संस्थाओं की कार्यकारी पूँजी 8 करोड़ 74 लाख

रुपये थी, और यह मालिक तथा एजेंटों के रूप में 21 करोड़ 32 लाख रुपये का माल बेच लेते थे।

गैर कर्ज ढाँचों में इस के बाद ही गैर कर्ज समितियों का नम्बर आता है, जिन की संख्या 2,201 है। इनमें से 1,860 उत्तर प्रदेश में ही हैं। 14,06,907 व्यक्ति तथा 46,228 समितियाँ इन की सदस्य थी। उन की कार्यकारी पूँजी 1951 के 30 जून को 12 करोड़ 45 लाख रुपये थी और उन्होंने 86 करोड़ 7 लाख रुपये का माल बेचा जब कि 1949-50 में उन्होंने 53 करोड़ 34 लाख रुपये का ही माल बेचा था।

1950 की 30 जून को प्राथमिक समितियों की संख्या 25,860 थी, पर 1950-51 के अन्त में उनकी संख्या 33,815 हो गई। इन की कार्यकारी पूँजी 13 करोड़ 14 लाख रुपये से बढ़ कर 16 करोड़ 54 लाख रुपये हो गयी और 1949-50 में जहाँ उन को केवल 55 लाख रुपये का लाभ हुआ था अब उन्हें 65 लाख 35 हजार रुपये का लाभ हुआ।

#### भूमि बन्धक बैंक

यद्यपि ऐसे बैंकों की संख्या पाँच ही बनी रही, पर इन के द्वारा दिये गये कर्ज की रकम जहाँ 1949-50 में 1 करोड़ 1 लाख रुपये थी वहाँ 1950-51 में यह रकम 1 करोड़ 33 लाख रुपये हो गयी। इस में से 83 लाख रुपये यानी कर्ज का लगभग 62 प्रतिशत मद्रास, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक के द्वारा दिया गया। देय कर्ज का परिमाण 5 करोड़ 12 लाख रुपये में 5 करोड़ 98 लाख रुपये हो गया। देय ऋण पत्रों का परिमाण 5 करोड़ 82 लाख रुपये से 6 करोड़ 74 लाख रुपये हो गया। इस में से केवल मद्रास वाली रकम 5 करोड़ रुपये से कुछ ऊपर है।

#### अकृषि समितियाँ

##### कर्ज समितियाँ

1950-51 के अन्त में भारत में 7,810 प्राथमिक अकृषि कर्ज समितियाँ थी जबकि इस के पहले साल इन की संख्या 7,534 थी। इस की कार्यकारी पूँजी बढ़कर 56 करोड़ 78 लाख रुपये हो गयी और दिए हुए कर्ज का परिमाण 47 करोड़ 29 लाख रुपये हो गया। उनकी कार्यकारी पूँजी की बनावट इस प्रकार थी—

|                   | कुल का प्रतिशत |
|-------------------|----------------|
| अपना कोष (ओड फंड) | 30.8           |
| जमा               | 61.8           |
| कर्ज              | 7.4            |
| योग               | <u>100.0</u>   |

##### गैर-कर्ज समितियाँ

1950-51 के अन्त में 20,518 ऐसी समितियाँ थीं जिन के 28,03,256 सदस्य थे, और जिन की कार्यकारी पूँजी 35 करोड़ 22 लाख रुपये थी। 1949-50 की तुलना में ये आंकड़े उन्नति के सूचक हैं क्योंकि उस साल 19,739 समितियाँ थी जिन के सदस्य 25,49,494 और पूँजी 26 करोड़ 70 लाख रुपये थी। इन समितियों को मालिक अथवा



एजेंट के रूप में क्रमशः 90 करोड़ 77 लाख रुपये और 2 करोड़ 67 लाख रुपयों का माल प्राप्त हुआ। विभिन्न किस्मों की सहकारी समितियों का शुद्ध लाभ सप्रकार ये :

## तालिका 129

(लाख रुपयों में)

|                                             | 1949-50 | 1950-51 |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| राज्य और केन्द्रीय बैंक                     | 66 10   | 70 62   |
| राज्य और केन्द्र की ऋण न देने वाली समितियाँ | 57 50   | 119 94  |
| कृषि ऋण समितियाँ                            | 74 75   | 87 72   |
| ऋण न देने वाली कृषि समितियाँ                | 55 04   | 65 36   |
| अ-कृषि ऋण समितियाँ                          | 83 60   | 104 04  |
| ऋण न देने वाली अ-कृषि समितियाँ              | 60 89   | 242 57  |
| भूमि बन्धक बैंक और समितियाँ                 | 6 67    | 7 04    |
| योग                                         | 404 55  | 697.29  |

अगर के आंकड़ों से जाना जाता है कि देश में सहकारी आन्दोलन कहीं अधिक फैल रहा है तथा कहीं कम। इसके साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि कहीं इसका रूप कुछ है और कहीं कुछ और। "क" भाग के राज्यों के आन्दोलन यथेष्ट फैले हुए हैं, फिर भी ये हमारे स्थानों में कम फैले हैं, और "ल" तथा "ग" भाग के राज्यों में करीब करीब अविश्वसित है। मच तो यह है कि भारत में इस समय जो 1,15,462 खेती सम्बन्धी प्राथमिक कर्ज समितियाँ हैं, उनमें केवल मद्रास, उत्तर प्रदेश और बम्बई में ही 52,422 समितियाँ यानी कुल का 45.4 प्रतिशत हैं।

जमींदारी प्रथा के हटा दिये जाने से तो खेती करने वालों के लिये वित्त के वैकल्पिक साधन खुल जाते हैं सहकारी आन्दोलन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। पंचवर्षीय योजना में खेती वाले कर्जों के सम्बन्ध में कुछ लक्ष्य नियत किया गया है, जैसे अल्पकालीन कर्जों के लिये प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये, मध्यकालीन कर्जों के लिये प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये और दीर्घकालीन कर्जों के लिये प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये लक्ष्य रखा गया है। इन का अर्थ यह है कि यह आन्दोलन बढ़ेगा, तभी कार्य बढ़ेगा। बड़ यह तभी सकता है जब कि इस संगठन का दायरा और कार्यकुशलता बढ़े।

आंकड़े : एक दृष्टि में

|                                   | 1949-50     | 1950-51     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| समितियों की कुल संख्या            | 1,73,094    | 1,81,189    |
| प्राथमिक समितियों की सदस्य संख्या | 1,25,61,016 | 1,37,15,020 |

|                                                   | 1949-50            | 1950-51            |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| सब प्रकार की समितियों की कार्यकारी पूजी . . . . . | 2,33,10,28,870 रु० | 2,75,85,23,956 रु० |
| प्राथमिक समितियों द्वारा दिया गया ऋण . . . . .    | 70,56,08,272 रु०   | 86,56,58,475 रु०   |
| सब प्रकार की समितियों द्वारा अर्जित लाभ . . . . . | 4,04,54,307 रु०    | 6,97,29,650 रु०    |
| <b>प्रान्तीय बैंक</b>                             |                    |                    |
| संख्या . . . . .                                  | 14                 | 15                 |
| सदस्यों की संख्या . . . . .                       | 18,618             | 20,932             |
| दिया गया ऋण . . . . .                             | 29,57,73,390 रु०   | 42,13,30,561 रु०   |
| कार्यकारी पूजी . . . . .                          | 30,45,42,441 रु०   | 34,42,07,198 रु०   |
| <b>केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिंग यूनियन</b>          |                    |                    |
| संख्या . . . . .                                  | 498                | 505                |
| सदस्य संख्या . . . . .                            | 1,89,722           | 2,07,074           |
| दिया गया ऋण . . . . .                             | 75,43,47,929 रु०   | 82,84,04,052 रु०   |
| कार्यकारी पूजी . . . . .                          | 49,87,34,416 रु०   | 56,36,76,766 रु०   |
| <b>प्राथमिक कृषि ऋण समितियां</b>                  |                    |                    |
| संख्या . . . . .                                  | 1,16,534           | 1,15,462           |
| सदस्य संख्या . . . . .                            | 48,17,545          | 51,53,907          |
| दिया गया ऋण . . . . .                             | 17,98,68,995 रु०   | 22,89,71,810 रु०   |
| कार्यकारी पूजी . . . . .                          | 35,21,75,427 रु०   | 40,95,77,395 रु०   |
| <b>प्राथमिक अ-कृषि समितियां</b>                   |                    |                    |
| संख्या . . . . .                                  | 7,534              | 7,810              |
| सदस्य संख्या . . . . .                            | 20,65,990          | 21,77,551          |
| दिया गया ऋण . . . . .                             | 38,71,57,342 रु०   | 47,29,02,608 रु०   |
| कार्यकारी पूजी . . . . .                          | 51,60,24,194 रु०   | 56,78,02,055 रु०   |
| <b>अ-ऋण प्रान्तीय समितियां</b>                    |                    |                    |
| संख्या . . . . .                                  | 22                 | 35                 |
| सदस्य संख्या . . . . .                            | 9,364              | 20,068             |
| प्राप्त माल का मूल्य . . . . .                    | 8,26,62,628 रु०    | 21,29,10,083 रु०   |
| विक्रय किये माल का मूल्य . . . . .                | 11,51,48,865 रु०   | 21,32,05,330 रु०   |
| कार्यकारी पूजी . . . . .                          | 2,09,56,530 रु०    | 8,74,63,865 रु०    |

|                                      | 1949-50          | 1950-51            |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>अ-ऋण केन्द्रीय समितियां</b>       |                  |                    |
| सख्या . . . . .                      | 2,091            | 2,201              |
| सदस्य सख्या . . . . .                | 13,37,738        | 14,53,135          |
| प्राप्त माल का मूल्य . . . . .       | 44,92,81,935 रु० | 84,29,55,169 रु०   |
| विक्रय किये माल का मूल्य . . . . .   | 53,34,55,767 रु० | 86,07,01,253 रु०   |
| कार्यकारी पूजी . . . . .             | 11,27,68,745 रु० | 12,44,67,042 रु०   |
| <b>अ-ऋण प्राथमिक कृषि समितियां</b>   |                  |                    |
| सख्या . . . . .                      | 25,860           | 33,815             |
| सदस्य सख्या . . . . .                | 29,41,157        | 33,65,243          |
| प्राप्त माल का मूल्य . . . . .       | 46,80,65,548 रु० | 52,12,48,666 रु०   |
| विक्रय किये माल का मूल्य . . . . .   | 48,60,64,453 रु० | 55,00,25,115 रु०   |
| कार्यकारी पूजी . . . . .             | 13,14,48,329 रु० | 16,53,82,046 रु०   |
| <b>प्राथमिक अ-ऋण अ-कृषि समितियां</b> |                  |                    |
| सख्या . . . . .                      | 19,739           | 20,518             |
| सदस्य संख्या . . . . .               | 25,49,494        | 28,03,256          |
| प्राप्त माल का मूल्य . . . . .       | 71,91,20,296 रु० | 93,43,82,356 रु०   |
| विक्रय किये माल का मूल्य . . . . .   | 76,57,41,180 रु० | 1,00,81,50,776 रु० |
| कार्यकारी पूजी . . . . .             | 26,70,75,761 रु० | 35,21,68,399 रु०   |
| <b>केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक</b>     |                  |                    |
| सख्या . . . . .                      | 5                | 5                  |
| सदस्य सख्या . . . . .                | 8,871            | 9,848              |
| दिया गया ऋण . . . . .                | 1,01,08,270 रु०  | 1,32,92,943 रु०    |
| कार्यकारी पूजी . . . . .             | 6,86,93,111 रु०  | 7,72,06,284 रु०    |
| <b>प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक</b>      |                  |                    |
| सख्या . . . . .                      | 283              | 286                |
| सदस्य सख्या . . . . .                | 1,86,330         | 2,15,063           |
| दिया गया ऋण . . . . .                | 1,01,10,789 रु०  | 1,29,01,950 रु०    |
| कार्यकारी पूजी . . . . .             | 5,86,09,316 रु०  | 6,65,72,906 रु०    |

तालिका 130 .  
सहाकारी समितिया, सदस्य और कार्यकारी पूजी

राज्य बार (1950-51)

| राज्य                | जनसंख्या<br>(10 लाख में)<br>(क) | समितियाँ का कुल सदस्य<br>संमिति | प्रतिशत व्यक्तियों<br>में से | प्रारम्भिक सन्धि<br>की संख्या | प्रति 1000<br>व्यक्ति पर<br>प्रारम्भिक सन्धि<br>की संख्या | कार्यकारी पूजी |                                         |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|                      |                                 |                                 |                              |                               |                                                           | योग            | प्रति व्यक्ति<br>पीछे खाना<br>की संख्या |
| <b>भारत के राज्य</b> |                                 |                                 |                              |                               |                                                           |                |                                         |
| अन्धप्रदेश           | 57 0                            | 24,205                          | 42 5                         | 33,82,495                     | 59 3                                                      | 85,32,44,721   | 235 0                                   |
| बिहार                | 35 9                            | 16,076                          | 44 8                         | 22,43,577                     | 62 5                                                      | 82,97,10,922   | 369 8                                   |
| उत्तर प्रदेश         | 24 8                            | 15,441                          | 62 3                         | 9,38,012                      | 37 8                                                      | 17,78,41,121   | 114 7                                   |
| पश्चिम बंगाल         | 63 2                            | 36,211                          | 57 3                         | 17,05,553                     | 27 0                                                      | 23,03,43,170   | 58 2                                    |
| मध्य प्रदेश          | 21 2                            | 10,202                          | 48 1                         | 4,19,714                      | 19 8                                                      | 9,72,56,089    | 73 3                                    |
| गुजरात               | 15 3                            | 14,052                          | 91 8                         | 7,42,922                      | 48 6                                                      | 12,52,50,472   | 130 9                                   |
| हिमाचल प्रदेश        | 40 2                            | 14,548                          | 36 2                         | 6,35,846                      | 15 8                                                      | 5,20,40,534    | 20 6                                    |
| उड़ीसा               | 14 6                            | 5,145                           | 35 2                         | 2,82,596                      | 19 4                                                      | 4,27,46,014    | 46 6                                    |
| आन्ध्रप्रदेश         | 9 0                             | 2,929                           | 32 5                         | 2,83,960                      | 31 6                                                      | 1,95,61,196    | 34 7                                    |
| योग .                | 281 2                           | 1,38,809                        | 49 4                         | 1,06,34,675                   | 37 8                                                      | 2,42,79,94,239 | 138.1                                   |

## भारत, ग, और घ के राज्य (ख)

|                                    |        |          |       |             |      |                |       |
|------------------------------------|--------|----------|-------|-------------|------|----------------|-------|
| संसार                              | 9 1    | 5 190    | 57 0  | 4,94,822    | 54 4 | 6,90,90,904    | 121 4 |
| दक्षिण भारत                        | 18 6   | 15,077   | 81 1  | 14,56,478   | 78 3 | 10,13,28,235   | 87 0  |
| मध्य भारत                          | 7 9    | 6,601    | 83 6  | 1,77,036    | 22 4 | 4,13,78,831    | 83 7  |
| गुजरात                             | 15 3   | 3,151    | 20 6  | 1,40,735    | 92 0 | 2,28,69,833    | 23 8  |
| तिरुवाङ्कुर-मैसूर                  | 9 3    | 2,631    | 28 3  | 3,53,345    | 38 0 | 2,65,24,859    | 45 6  |
| पंजाब                              | 3 5    | 1,453    | 41 5  | 42,732      | 12 2 | 1,54,64,963    | 70 1  |
| जम्मू और कश्मीर (ग)                | —      | 3,288    | —     | 1,69,548    | —    | 1,38,56,924    | —     |
| सौराष्ट्र                          | 4 1    | 767      | 18 7  | 41,347      | 10 1 | 51,21,432      | 19 8  |
| अजमेर                              | 0 7    | 967      | 138 1 | 33,597      | 48 0 | 82,09,297      | 187 5 |
| सोनाल                              | 0 8    | 265      | 33 1  | 10,863      | 13 6 | 14,22,425      | 28 3  |
| दिल्ली                             | 1 7    | 983      | 57 8  | 60,267      | 35 5 | 1,57,90,316    | 148 4 |
| कर्नाट                             | 0 2    | 356      | 178 0 | 48,255      | 24 2 | 58,42,339      | 476 4 |
| हिमाचल प्रदेश                      | 1 0    | 843      | 84 3  | 23,982      | 24 0 | 21,36,783      | 34 1  |
| त्रिपुरा प्रदेश                    | 3 6    | 464      | 12 9  | 10,682      | 30 2 | 3,93,628       | 1 8   |
| मणिपुर                             | 0 6    | 328      | 54 7  | 15,369      | 25 6 | 7,08,629       | 18 9  |
| त्रिपुरा                           | 0 6    | 9        | 1 5   | 653         | 1 1  | 1,54,650       | 4 0   |
| अन्धप्रदेश और त्रिफाल र द्वीप समूह | 0 03   | 7        | —     | 634         | 21 1 | 2,35,669       | 125 6 |
| योग                                | 77 03  | 42,380   | 55 0  | 30,80,345   | 40 0 | 33,05,29,717   | 68 6  |
| सर्व योग                           | 358 23 | 1,81,189 | 50 6  | 1,37,15,020 | 38 3 | 2,75,85,23,956 | 123 2 |

(क) जनसंख्या के आकड़े भारत की जनगणना वर्ष न० 1 1952 में मिले गये हैं।

(ख) त्रिपुरा, पुरु, और कच्छ में सहाकारी समितियाँ नहीं हैं।

(ग) जम्मू और कश्मीर में वहाँ की परिस्थिति विशेष के कारण जनगणना नहीं की गयी।

## उन्नीसवां अध्याय

### शिक्षा

1947 में शिक्षा विभाग केन्द्र का एक पूर्णविवध मंत्रालय बन गया। राज्य शिक्षा सम्बन्धी मामलों में स्वतंत्र हैं और उन पर जनता की शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। केन्द्र का काम यह है कि वह शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय मान-दण्ड कायम रखने में सहायता करे तथा यह देखरेख रखे कि शिक्षा का चरित्र राष्ट्रीय रहता है।

भारत सरकार "ग" भाग के राज्य तथा "घ" भाग के भूभागों की शिक्षा के लिये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अजमेर, कुर्ग, दिल्ली अन्दमान और निकोबार द्वीप पुञ्ज सविधान के लागू होने के पहले केन्द्र के द्वारा प्रशासित थे। केन्द्रीय सरकार कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और भोपाल की शिक्षा के लिये भी जिम्मेदार है।

सरकार को इस सम्बन्ध में जो अधिकार प्राप्त हैं, वे आशिक रूप से विश्वविद्यालयों, संकेन्द्रों तथा इंटर शिक्षा बोर्डों, जिला बोर्डों तथा कुछ परोपकारी और धार्मिक संस्थाओं में बटे हुए हैं। नीचे की तालिका में देश की स्वीकृत शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में सूचनाएं हैं। यह आकड़े 1951-52 के हैं (क)

तालिका 131

| संस्था का रूप                                     | संस्थाओं की संख्या | छात्र संख्या (हजारों में) | व्यय (लाख रुपयों में) |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| वश्वविद्यालय                                      | 30                 | 26                        | 4,66                  |
| माध्यमिक और इंटरमीडियेट शिक्षा बोर्ड              | 12                 | —                         | 75 (ख)                |
| कला और विज्ञान कालेज (ग)                          | 579                | 3,47                      | 8,33                  |
| धर्मों की शिक्षा तथा विशेष शिक्षा देने वाले कालेज | 311                | 71                        | 5,20                  |
| माध्यमिक पाठशालाएं                                | 22,500             | 56,48                     | 33,40                 |
| प्रारम्भिक पाठशालाएं                              | 2,14,862           | 1,89,01                   | 40,15                 |
| प्राक प्रारम्भिक पाठशालाएं                        | 331                | 23                        | 15                    |
| व्यावसायिक तथा विशेष शिक्षा देने वाली पाठशालाएं   | 51,999             | 14,84                     | 5,44                  |
| योग                                               | 2,90,264           | 2,65,00                   | 98,08 (घ)             |

(क) संस्थाएं अस्थायी हैं।

(ख) इस में उन पांच बोर्डों पर हुआ व्यय सम्मिलित नहीं है जिन पर व्यय परोक्ष व्यय के अन्तर्गत ले लिया गया है।

(ग) इस में शोध संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।

(घ) इसमें 23.52 करोड़ रुपये का परोक्ष व्यय सम्मिलित नहीं है।

## सार्जन्ट योजना

1944 में केन्द्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना बनाई। इस योजना को आमतौर से सार्जन्ट योजना कहा जाता है। इस योजना में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों और बच्चियों की सार्वजनिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव रखे गये थे। प्राथमिक विद्यालयों में निम्न तथा उच्च नई तालीम के स्कूल आ जाते हैं। इस योजना में 11 से लेकर 17 साल तक के बच्चों के लिये एक छः साला पाठ्यक्रम भी आ गया था। हाई स्कूल या उच्च विद्यालयों के सम्बन्ध में तय किया गया था कि वे दो विभिन्न किस्मों के होंगे, यानी एक तो विद्यापीठ ढंग के और दूसरे प्रौद्योगिक या व्यवसायिक। इस योजना में यह कहा गया था कि इटर पाठ्यक्रम का उच्छेदन कर दिया जाये और उच्च विद्यालय की अवधि में एक साल तथा कालेज की अवधि में एक साल और जोड़ा जाये। सार्जन्ट योजना के अनुसार सारे देश के लिये एक चालीम साला शिक्षा सम्बन्धी रचनात्मक योजना बनाने की बात कही गयी थी। इन सुझावों पर खेर समिति ने विचार किया, और उस ने ऐसे उपाय बताये जिन से कि यही काम 16 साल के अन्दर पूरा हो सकता था। मोटे तौर पर भारत सरकार ने इस योजना को स्वीकार किया है।

सब से पहले दिल्ली के हायर सैकेण्ड्री एजुकेशन बोर्ड ने इटरमीडियेट कोर्स समाप्त कर दिया, और स्कूल के दोयम सोपान में एक साल जोड़ दिया। अब इसे हायर सैकेण्ड्री कहते हैं। बाकी एक साल डिग्री पाठ्यक्रम में जोड़ दिया।

इस समय हमारे यहाँ शिक्षा का जो ढाँचा है, वह इस प्रकार है — (1) प्राथमिक विद्यालय जिन में क्षेत्र की भाषा यानी मातृभाषा माध्यम है, (2) मिडिल स्कूल जिन में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी या केवल क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाती है, (3) सैकेण्ड्री स्कूल जिन में मैट्रिकुलेशन यानी उस के तुल्य स्टैण्डर्ड की शिक्षा के लिये सुविधा रहती है, (4) इटर कालेज जो बोर्डों या विश्व-विद्यालयों के अन्तर्भुक्त हैं, (5) डिग्री कालेज जो विश्व-विद्यालयों के अधीन हैं, और (6) स्नातकोत्तर या शोध संस्थाएँ।

## प्राथमिक शिक्षा

कुछ राज्यों में विविध प्रकार के नर्सरी स्कूल या शिशु विद्यालय हैं। इन की संख्या बहुत कम है। कुछ ऐसे विद्यालयों को निजी संस्थाएँ चलाती हैं। कुछ विद्यालय ईसाई मिशनो के द्वारा चलाये जाते हैं। इस क्षेत्र में बहुत विस्तार की गुंजाइश है, परन्तु प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होने के कारण शिशु विद्यालयों का बड़े पैमाने पर विस्तार सम्भव नहीं है। प्रत्येक राज्य में शिशु विद्यालय अलग अलग ढंग से चलाये जाते हैं। किसी राज्य में तीन से पांच साल तक की उम्र के बच्चे शिशु विद्यालय में ले लिये जाते हैं, पर दूसरों में सात साल के बच्चे ही लिये जाते हैं। 1950-51 में हिसाब लगा कर देखा गया था कि ऐसे शिशु विद्यालयों की संख्या लगभग 300 है।

प्राथमिक शिक्षा चार से छ साल तक के लिये है। हमारे देश की जनता का बहुत बड़ा भाग गाव में रहता है, इस कारण अधिकांश प्राथमिक विद्यालय गावों में हैं। 1949-50 में यह हिसाब लगाया गया था कि कुल 2,07,354 प्राथमिक शिशु विद्यालयों में से 1,65,056 प्राथमिक विद्यालय देहातों में अवस्थित हैं। गाव के प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में एक बात

यह भी बता देने योग्य है कि गांवों के प्राथमिक विद्यालयों में से आधे में केवल एक ही शिक्षक होता है।

### जूनियर बेसिक शिक्षा

शिक्षा के केन्द्रीय परामर्श बोर्ड ने यह सुझाव रखा है कि प्रत्येक बच्चे को कम से कम 8 साल तक बेसिक शिक्षा दी जाये, जिस में से जूनियर बेसिक शिक्षा के प्रथम संपान में पांच वर्ष लगेगे। मद्रास सरकार ने बेसिक शिक्षा का रूप और भी विस्तृत इस प्रकार कर दिया है कि उन्होंने आरम्भिक शिक्षा की एक नयी पद्धति चलाई है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि 6 से 11 साल के बीच के बच्चों में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के लिये जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करे और ऐसा जातपात, धर्म और सामाजिक स्थिति का ख्याल न रख कर किया जाये। इस शिक्षा पद्धति की आधारभूत बात यह है कि शिक्षार्थी काम करता जाये, और सीखा जाये। जूनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्यक्रम वही है जो प्राथमिक विद्यालयों में है, पर इन में आधारभूत दस्तकारियों, जैसे खेती, कतारई, बुनाई, फलों की रक्षा, तरकारी उत्पादन, बढईगीरी, चमड़े का काम, पुस्तक सम्बन्धी काम (जिस में कागज और कार्डबोर्ड का काम भी आ जाता है) और घरेलू शिल्प जैसे खाना पकाना, सिलाई, गृहप्रबन्ध इत्यादि पर जोर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में यह मान लिया गया है कि यदि बच्चा बागवानी करे, तो खेती में उसकी रुचि होगी, यदि वह सूत काने, तो बुनाई की तरफ उस का ध्यान आयेगा, और यदि वह मिट्टी के माडल बनायेगा तो बर्तन बनाने और लकड़ी के काम आदि की तरफ उस का ध्यान जायेगा। यह तो स्पष्ट ही है कि इस प्रकार के स्कूल केवल स्कूली इमारत से चल नहीं सकते। इमारत तो या तो हो, स्कूल के साथ साथ बागवानी आदि के लिये दो एकड़ भूमि होनी चाहिये, और उस में मिर्बाई की सुविधा होनी चाहिये। ऐसी आशा की जाती है कि कुछ सालों के अन्दर जिनने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उन सब को जूनियर बेसिक स्कूलों में परिणित किया जा सकेगा।

### बेसिक प्रशिक्षण

भारत में जिन मस्थाओं में बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमें ये मस्थाये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—पेवाग्राम का नई तालीम भवन, जामिया मिलिया दिल्ली की शिक्षक प्रशिक्षण मस्था, शान्तिनिकेतन का विद्याभवन और सर्वोदय महाविद्यालय या बिहार कम्प्यूनिटी कालेज। कुछ ऐसे अच्छे प्रशिक्षण विद्यालय भी हैं, जो निजी देखरेख में चलाये जाते हैं। मद्रास का रामकृष्ण मिशन विद्यालय तथा उदयपुर का विद्याभवन ऐसे विद्यालयों में हैं। इन के अलावा प्रत्येक राज्य में अपने बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय तथा स्नातकोत्तर बेसिक प्रशिक्षण कालेज भी स्थापित किये हैं।

### सैकेण्ड्री शिक्षा

सैकेण्ड्री विद्यालयों में दो विभाग हैं। एक जूनियर और दूसरा सीनियर। जूनियर श्रेणी तक का सैकेण्ड्री स्कूल कही तो मिडिल या कही लोअर सैकेण्ड्री स्कूल कहलाता है। इस में तीन से चार साल लगते हैं। साधारण रूप से मिडिल स्कूल भी दो किस्म के हैं। एक तो देशी भाषा मिडिल स्कूल और दूसरे आंग्ल देशी भाषा मिडिल स्कूल। अब यह भेद जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है।

संनिधर बेसिक शिक्षा जूनियर बेसिक शिक्षा की पूरक है। इस के लिये निर्दिष्ट उम्र आधार से चौदह साल है। संनिधर बेसिक स्कूलों में शिल्प और दस्तकारी पर जोर दिया जाता है। जूनियर बेसिक विद्यालयों के 80 प्रतिशत बच्चे संनिधर बेसिक स्कूलों में जाते हैं, जब कि बाकी 20 प्रतिशत बच्चे हाई स्कूलों के जूनियर विभागों में जाते हैं, जहाँ उन्हें विश्व-विद्यालयों में जा कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

### हाई स्कूल का सोपान

हाई स्कूल में पहले 10 साल आ जाते हैं। छात्रों में से बहुत अधिक संख्या हाई स्कूलों में से निकलकर पढ़ना छोड़ देते हैं। जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, या तो वे विश्व-विद्यालयों में चले जाते हैं, या उच्च शिक्षा के किसी केन्द्र में भरती हो जाते हैं। जो छात्र हायर सैकेंड्री पास कर लेते हैं, वे ऐसे विश्वविद्यालयों की डिग्री की श्रेणियों में भरती हो जाते हैं जहाँ डिग्री के लिये तीन साल अध्ययन करना पड़ता है। कुछ राज्यों में इटर कालेज, सैकेंड्री आर इटर शिक्षा बोर्डों के अधीन होते हैं, विश्वविद्यालयों के अधीन नहीं। दूसरे राज्यों में चार साल का डिग्री पाठ्यक्रम दो साल इटर में तथा दो साल डिग्री में बंट जाता है।

### सैकेंड्री शिक्षा आयोग

भारत सरकार ने सैकेंड्री शिक्षा आयोग स्थापित किया। इस के सभापति मद्रास विश्व-विद्यालय के उपकुलपति डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुर्दालियर नियुक्त किये गये। इस आयोग को ये काम सौंपे गये—(क) भारत में इस समय सैकेंड्री शिक्षा की क्या परिस्थिति है, उसके सब पहलुओं पर जाच की जाये, और एक प्रतिवेदन दिया जाये, और (ख) इस के पुनर्गठन तथा उत्थति के लिये उपाय बनाये जायें, विशेषकर (1) सैकेंड्री शिक्षा के उद्देश्यों, संगठन और अन्तर्गत वस्तु, (2) प्राथमिक बेसिक तथा उच्चतर शिक्षा के साथ इसका सम्बन्ध, (3) विभिन्न प्रकार के सैकेंड्री स्कूलों का पारस्परिक सम्बन्ध, (4) दूसरी मिली जुली समस्याओं का स्पष्टीकरण। इस जाच का उद्देश्य यह था कि सारे देश में इस समय जैसे भिन्न भिन्न सैकेंड्री शिक्षा पद्धति प्रचलित हैं, वैसी न रह कर उन्हें जहाँ तक हो सके युक्तिसंगत ढंग से एकरूप कर दिया जाये।

आयोग ने लगभग एक साल तक जाच करने के बाद 1953 के अगस्त में कुछ सुझाव दिये, जिन का सार यों है —

- (1) चार या पांच साल प्राथमिक तथा जूनियर बेसिक शिक्षा के बाद हाई स्कूल शुरू होगा। इस में इस प्रकार की विभिन्न बातें आ जायें जैसे भाषा, सामाजिक अध्ययन, साधारण विज्ञान और दस्तकारी। एक उच्चाधिकार-समिति पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करे। छात्र किन विषयों को ले उस सम्बन्ध में उसे सही पथ-प्रदर्शन तथा सलाह का मौका मिलना चाहिये।
- (2) शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो, इस के अलावा मिडिल स्कूल में राष्ट्रभाषा तथा एक विदेशी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिये।
- (3) साल में काम के दिन 200 से कम नहीं होने चाहिये, प्रति सप्ताह 35 पीरियड हो जो 45 मिनट के हों।



- (4) परीक्षाओं तथा श्रेणी बढ़ाने के मामले में विद्यालय के रिकार्डों पर विचार होना चाहिये ।
- (5) प्रारम्भिक सोपान में प्रौद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये बहुधन्वी विद्यालय खोले जाने चाहिये ।
- (6) सैंकेन्ट्री विद्यालय के शिक्षकों तथा स्नातक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये अलग अलग ग्रेड होने चाहिये । शारीरिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाय ।
- (7) सैंकेन्ट्री शिक्षा बोर्ड, शिक्षक प्रशिक्षण-बोर्ड तथा राज्य परामर्श बोर्ड भी हो । प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य समितियों को समय समय पर मिलकर अपने कार्यों को संयुक्त करना चाहिये । निरीक्षण तथा संचालन के अधिकारी वर्ग बहुत उच्च अर्थ में विशेषज्ञ हो ।
- (8) प्रत्येक स्कूल में प्रबन्ध बोर्ड हो, जो कम्पनी विधि के अनुसार पजीकृत हो । प्रधान शिक्षक इसके पदेन सदस्य होंगे ।
- (9) स्कूल की ईमारतें हवादार हो, और उनके साथ खेल के मैदान हो ।
- (10) कृषि, उद्योग धन्धा, व्यापार, व्यवसाय, नागरिकता में प्रशिक्षण की प्रगति की दृष्टि से केन्द्र को चाहिये कि सैंकेन्ट्री शिक्षा के वित्तीय प्रबन्ध की व्यवस्था करे ।

### उच्चतर शिक्षा

मैट्रिकुलेशन और इंटर परीक्षाओं को पास करने के बाद छात्र कला, विज्ञान, व्यवसाय, कृषि, इंजीनियरिंग, चिकित्साशास्त्र आदि की डिग्री की श्रेणियों में भरती किये जाते हैं ।

बी. ए., बी. एस. सी. (प्रौद्योगिक), बी. काम., बी. एग., बी. ई., एम. बी. बी. एस., बी. टी., बी. एड., एल. एल. बी., आदि डिग्रियां विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों के द्वारा दी जाती हैं । स्नातकोत्तर डिग्रियां ये हैं—एम. ए., एम. एस. सी., एम. काम., एम. ई., एम. डी., एम. एड. तथा एल. एल. एम. और इनसे भी ऊंची शोध सम्बन्धी डिग्रियां ये हैं—पी. एच. डी., डी. एस. सी., डी. लिट., एल. एल. डी., इत्यादि । कुछ विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विज्ञान, व्यवसाय, शिक्षा विधिशास्त्र इत्यादि विषयों में अपने विभागों, परिषदों तथा स्नातकोत्तर शिक्षण विभागों के जरिये से उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं ।

### विश्वविद्यालय

| नाम          | स्थिति        | रूप                                                       | वर्ष         |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1. कलकत्ता . | पश्चिमी बंगाल | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।                 | 1857         |
| 2. बम्बई .   | बम्बई .       | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली । (पुनर्संगठित) . | 1857<br>1928 |
| 3. मद्रास .  | मद्रास .      | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली । (पुनर्संगठित) . | 1857<br>1923 |

| नाम                  | स्थिति          | रूप                                                  | वर्ष         |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 4. इलाहाबाद          | उत्तर प्रदेश    | शिक्षा देने वाली, एकात्मक और स्थानीय । (पुनर्संगठित) | 1887<br>1922 |
| 5. बनारस             | उत्तर प्रदेश    | शिक्षा देने वाली और स्थानीय                          | 1916         |
| 6. मैसूर             | मैसूर           | सम्बन्धित करने वाली और शिक्षा देने वाली ।            | 1916         |
| 7. पटना              | बिहार           | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।            | 1917         |
| 8. उस्मानिया         | हैदराबाद        | शिक्षा देने वाली तथा स्थानीय                         | 1918         |
| 9. अलीगढ़            | उत्तर प्रदेश    | शिक्षा देने वाली तथा स्थानीय                         | 1920         |
| 10. लखनऊ             | उत्तर प्रदेश    | शिक्षा देने वाली, एकात्मक तथा स्थानीय ।              | 1920         |
| 11. दिल्ली           | दिल्ली          | शिक्षा देने वाली, एकात्मक, तथा स्थानीय ।             | 1922         |
| 12. नागपुर           | मध्य प्रदेश     | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।            | 1923         |
| 13. आन्ध्र           | आन्ध्र          | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।            | 1926         |
| 14. आगरा             | उत्तर प्रदेश    | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।            | 1927         |
| 15. अन्नामलाई        | मद्रास          | शिक्षा देने वाली, एकात्मक और सम्बन्धित करने वाली ।   | 1929         |
| 16. तिरुवाकुर        | तिरुवाकुर-कोचीन | शिक्षा देने वाली, सम्बन्धित करने वाली तथा स्थानीय ।  | 1937         |
| 17. उत्कल            | उड़ीसा          | सम्बन्धित करने वाली                                  | 1943         |
| 18. सागर             | मध्य प्रदेश     | शिक्षा देने वाली तथा सम्बन्धित करने वाली ।           | 1946         |
| 19. राजपुताना        | राजस्थान        | सम्बन्धित करने वाली तथा शिक्षा देने वाली ।           | 1947         |
| 20. पंजाब            | पंजाब           | सम्बन्धित करने वाली तथा शिक्षा देने वाली ।           | 1947         |
| 21. गौहाटी           | आसाम            | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।            | 1948         |
| 22. पूना             | बम्बई           | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।            | 1948         |
| 23. रुड़की           | उत्तर प्रदेश    | शिक्षा देने वाली, एकात्मक और स्थानीय ।               | 1948         |
| 24. जम्मू और काश्मीर | काश्मीर         | सम्बन्धित करने वाली                                  | 1948         |
| 25. बडोदा            | बम्बई           | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।            | 1949         |
| 26. कर्नाटक          | बम्बई           | शिक्षा देने वाली और सम्बन्धित करने वाली ।            | 1950         |
| 27. गुजरात           | बम्बई           | सम्बन्धित करने वाली                                  | 1950         |

| नाम                                                         | स्थिति       | रूप                                   | वर्ष |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|
| 28 श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे भारतीय नारी विश्वविद्यालय । | बम्बई        | सम्बन्धित करने वाली                   | 1951 |
| 29 विश्व-भारती                                              | पश्चिम बंगाल | शिक्षा देने वाली, एकात्मक और स्थायी । | 1951 |
| 30 बिहार                                                    | बिहार        | सम्बन्धित करने वाली                   | 1952 |

### अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड एक परामर्श समिति के रूप में काम करता है । इसके सामने विश्वविद्यालयों की समस्याएँ आती रहती हैं । यह बोर्ड विदेशों में अपनी डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं को स्वीकृत कराने के लिये प्रयत्न करता है । 1953 के अप्रैल में क' तथा 'ख' भाग के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों तथा उच्चशिक्षणियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय की शिक्षा के सामान्य मान-दण्ड को ऊपर उठाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर बानचीत हुई थी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी यह निर्देश दिया गया था कि अपने विशेष कर्तव्यों के अतिरिक्त वह इन मुद्दों को कार्यरूप में परिणत करे । उच्चतर शिक्षा तथा शोध कार्य के विकास के लिये योजना आयोग ने तीन करोड़ रुपय लाब रुपये की व्यवस्था की है ।

### गैर-विश्वविद्यालय संस्थाएँ

विश्वविद्यालयों के अनिश्चित कुछ संस्थाएँ ऐसी हैं जिन में स्नातक बनने के पहले, स्नातक बनने तथा स्नातकोत्तर कार्य और प्रशिक्षण की सुविधाएँ दी जाती हैं । इनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है । (1) ह्यूमेनिटीज, (2) वैज्ञानिक शोध, (3) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विज्ञान, (4) कृषि और (5) चिकित्सा शास्त्र ।

### ह्यूमेनिटीज

देश भर में इस समय दस संस्थाएँ हैं जिनमें शिक्षा, भारतीय अभिलेखागार, प्राच्य विद्या, इंडोलोजी या भारत-तत्व, दर्शन, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों में उच्चतर शिक्षा दी जाती है ।

### वैज्ञानिक शोध

इस समय देश में वैज्ञानिक संस्थाओं तथा प्रयोगशालाओं की संख्या 78 है । इनमें से 12 तो राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ हैं, जिन्हें कोमिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च चलाती है, बाकी संस्थाएँ निजी सभाओं या उद्योगपतियों के द्वारा चलाई जाती हैं ।

### इंजीनियरिंग विद्या और प्रौद्योगिक विज्ञान

इस समय देश भर में 14 ऐसी ऊँचे दर्जे की संस्थाएँ हैं जिनमें इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक विज्ञान की सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है । कुछ महत्वपूर्ण विषय जिनकी शिक्षा इन संस्थाओं में दी जाती है, ये हैं—

(1) वैमानिक इंजीनियरिंग, (2) आटोमोबाइल इंजीनियरिंग (3) रासायनिक इंजीनियरिंग (4) सिविल इंजीनियरिंग, (5) विद्युत इंजीनियरिंग, (6) विद्युत एवं यांत्रिक

इंजीनियरिंग (सम्मिलित), (7) मार्ग निर्माण इंजीनियरिंग, (8) आंतर-दहन इंजीनियरिंग, (9) यांत्रिक इंजीनियरिंग, (10) नाविक भास्कर्य, (11) रेडियो इंजीनियरिंग, (12) टेली-संचार, (13) खनिज-विज्ञान, (14) धातु-कर्म, (15) भू-भौतिकी, (16) व्यावहारिक भौतिक विज्ञान, (17) रासायनिक प्रौद्योगिकी, (18) चलचित्र विज्ञान और ध्वनि प्रौद्योगिकी, (19) मात्सिकी प्रौद्योगिकी और नौका-नयन, (20) चर्म प्रौद्योगिकी, (21) मुद्रण प्रौद्योगिकी, (22) शर्करा प्रौद्योगिकी, (23) वस्त्र प्रौद्योगिकी, (24) व्यावहारिक कला कौशल, (25) भास्कर्य और (26) वाणिज्य ।

### कृषि

देश भर में ऐसी 13 मस्थाएँ हैं, जहाँ पर कृषि इत्यादि अन्य प्रयुक्त विज्ञानों के अध्ययन की सुविधाएँ हैं। यह एक बहुत ही मार्क की बात है कि चावल तथा अन्य पुष्टिकर द्रव्यों के लिये उपयुक्त एक्जी तैयार करने में बहुत प्रगति हुई है ।

### चिकित्सा शास्त्र

कई विश्वविद्यालयों के साथ मेडिकल कालेज तथा चिकित्सा-शास्त्र विभाग लगे हुए हैं। पर इनके अलावा लिप्रमी इन्स्टीट्यूट या कुट्टे मस्था तथा ट्यूबर्कुलोसिस ऐमोसियेशन या तपे-दिक मघ ऐसी मस्थाएँ मौजूद हैं जिनमें विशेष विषयों पर अध्ययन की सुविधा है। यों तो ये मस्थाएँ आत्मशासित हैं, पर इन्हें सरकार से वित्तीय अनुदान मिलता रहता है ।

### विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

भारत सरकार ने 1948 के नवम्बर में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सभापति बना कर एक आयोग नियुक्त किया कि वह विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रिपोर्ट देता हुआ उन्नति के मुझाव रखे। आयोग ने जो मुझाव रखे, वे इस प्रकार हैं—विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन के स्केल बढ़ा दिये जायें, छात्रों को नभी विश्वविद्यालय में भरती किया जायें जबकि वे विश्वविद्यालय में पहले 12 साल की शिक्षा समाप्त कर चुके हों, शिक्षा का वर्ष परीक्षाओं के अनिश्चित 180 कार्यकारी दिनों का हो, तीन टर्म हो जिनमें से प्रत्येक लगभग ग्यारह सप्ताह का हो, उच्च शिक्षा के तीन मुख्य उद्देश्य हैं यानी माध्याम सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा और पेशा सम्बन्धी शिक्षा। इन विषयों पर अधिक ध्यान दिया जायें—(1) कृषि, (2) व्यवसाय, (3) शिक्षा, (4) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक विज्ञान, (5) विधि शास्त्र और (6) चिकित्सा-शास्त्र। इस समय मौजूदा इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक विज्ञान की मस्थाएँ राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में समझी जायें और उन्हें उन्नत बनाने के लिये सब प्रकार के प्रयास किये जायें। प्रशासनीय सेवाओं के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक न समझी जायें। विभिन्न सरकारी सेवा में भरती होने के लिये राज्य की ओर से होने वाली परीक्षाएँ सब प्राथियों के लिये खुली हों, प्रथम डिग्री के लिये प्रस्तुत करने में तीन साल लगते हैं, इसलिये यह वाछनीय नहीं है कि इस अरसे में किये गये सारे कार्य की जाच केवल एक परीक्षा से की जायें, जहाँ तक हो सके परीक्षाएँ कई टकड़ों में हों, परीक्षा का मान-दण्ड सर्वत्र उच्च किया जायें और सब विश्वविद्यालयों में वह एक रूप कर दिया जायें, विश्वविद्यालय की शिक्षा सहायक (कानक्रेण्ट) सूची में रखी जायें।

शिक्षा के केन्द्रीय परामर्श बोर्ड ने सामान्यतः आयोग की मझारिशों को मझूर किया, पर उन्हें कार्यरूप में परिणत करने के लिये कुछ दिक्कत थी। इसलिये उन्हें दूर करने के लिये कानून

बनाये जा रहे हैं। बाकी सिफारिशों फौरन कार्यान्वित हो रही हैं। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर णेध को उन्नत तथा विस्तृत करने के लिये 8 विश्वविद्यालयों को लगभग साढ़े चार करोड़ रुपयों का अनुदान दिया गया है।

### प्रौढ़ शिक्षा

हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। देश भर में कई तरह की प्रौढ़ शिक्षाएँ हैं, जिनमें अल्पकालीन तथा व्यापक पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। अल्पकालीन पाठ्यक्रम का उद्देश्य साक्षरता के विस्तार तक सीमित है पर स्वास्थ्य, सफाई और नागरिक शास्त्र में बृहत्तर पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है। सेवाग्राम में एक देहाती विश्वविद्यालय और दिल्ली में एक जनता कालेज है। इनमें देहाती इलाकों के लिये नेतृत्व की शिक्षा दी जाती है।

### श्रव्य-दृश्य सहायताएं

शिक्षा मंत्रालय ने श्रव्य-दृश्य शिक्षा के लिये राष्ट्रीय बोर्ड कायम कर दिया है जिसका काम यह है कि इस क्षेत्र में होने वाले कार्यों में परस्पर संयोग कायम रखें तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को परामर्श दे। इस बोर्ड की ओर से अत्यन्त दूर देहातों में मोटर गाड़ियाँ भेजी जाती हैं, जिनमें ग्रामोफोन, मैजिक लालटन, फिश्म तथा फिश्म दिखाने के साधन होते हैं। इनके द्वारा लोगों को सामाजिक शिक्षा दी जाती है। आल इंडिया रेडियो के सभी केन्द्रों से ग्रामवासियों के उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। आल इंडिया रेडियो के कुछ केन्द्रों से औद्योगिक क्षेत्रों यानी विशेषकर हमारे मजदूर भाइयों के लिये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। कई राज्य सरकारों ने तो सामाजिक शिक्षा के लिये संगीत तथा नाटकों द्वारा मनोरंजन के कार्यक्रम को भी अपनाया है। इनके अलावा कई राज्यों में मेले और प्रदर्शनियाँ भी मगठिन की जाती हैं, जिससे किसान को अधिक से अधिक लाभ हो।

### दृश्य कलाएं और शिल्प

दृश्य कलाओं और शिल्पों, कृषि, संगीत, चित्र विद्या इत्यादि से शिक्षा देने के लिये विद्यालय तथा कालेजों में सुविधाएँ हैं :

तालिका 132

राज्यों में मान्यता-प्राप्त शिक्षण संस्थाएँ 1951-52 (क)

| राज्य<br>1      | संस्थाएँ<br>2 | छात्रों की<br>संख्या<br>(हजारों में)<br>3 | व्यय<br>(लाख रुपये<br>में)<br>4 |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| आसाम            | 13,882        | 8,84                                      | 2,56                            |
| बिहार           | 30,238        | 19,80                                     | 7,82                            |
| बम्बई           | 42,250        | 42,92                                     | 22,62                           |
| मध्य प्रदेश (क) | 31,113        | 14,90                                     | 5,34                            |
| मद्रास          | 43,718        | 51,26                                     | 22,48                           |

(क) संख्याएँ अस्थायी हैं।

| I                                      | 2        | 3       | 4       |
|----------------------------------------|----------|---------|---------|
| उड़ीसा . . . . .                       | 11,528   | 6,19    | 2,13    |
| पंजाब . . . . .                        | 6,195    | 9,08    | 5,51    |
| उत्तर प्रदेश . . . . .                 | 38,023   | 38,11   | 17,28   |
| पश्चिमी बंगाल . . . . .                | 20,085   | 22,53   | 12,39   |
| हैदराबाद (क) . . . . .                 | 9,753    | 7,32    | 4,70    |
| जम्मू और काश्मीर (क) . . . . .         | 1,449    | 91      | 37      |
| मध्य-भारत . . . . .                    | 5,239    | 3,64    | 1,82    |
| मंसूर . . . . .                        | 13,876   | 9,26    | 3,50    |
| पेप्सू . . . . .                       | 1,432    | 1,66    | 92      |
| राजस्थान . . . . .                     | 6,332    | 4,62    | 2,65    |
| सौराष्ट्र (क) . . . . .                | 2,777    | 2,83    | 1,22    |
| तिरुवाकुर-कोचीन (क) . . . . .          | 5,534    | 15,14   | 3,39    |
| अजमेर . . . . .                        | 653      | 58      | 63      |
| अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह . . . . . | 23       | 2       | 1       |
| भोपाल . . . . .                        | 373      | 20      | 16      |
| बिलासपुर . . . . .                     | 36       | 6       | 3       |
| बुर्ग . . . . .                        | 163      | 25      | 15      |
| दिल्ली . . . . .                       | 1,921    | 2,33    | 2,88    |
| हिमाचल प्रदेश . . . . .                | 627      | 42      | 19      |
| कच्छ . . . . .                         | 287      | 23      | 8       |
| मणिपुर . . . . .                       | 681      | 53      | 15      |
| त्रिपुरा . . . . .                     | 497      | 35      | 16      |
| विन्ध्य प्रदेश . . . . .               | 1,948    | 1,02    | 46      |
| भारत . . . . .                         | 2,90,624 | 2,65,00 | 1,21,60 |

## तालिका 133

मान्यता प्राप्त संस्थाओं में छात्रों की संख्या श्रेणी—अनुसार (1951-52) (ख)

|                                            | लड़के           | लड़किया       | योग             |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>कालेज शिक्षा</b>                        |                 |               |                 |
| इंटरमीजियेट . . . . .                      | 2,19,000        | 28,000        | 2,47,000        |
| बी. ए., बी. एस. सी . . . . .               | 85,000          | 13,000        | 98,000          |
| एम. ए., एम. एस. सी . . . . .               | 14,000          | 2,000         | 16,000          |
| शोध कार्य . . . . .                        | 1,000           | —             | 1,000           |
| व्यावसायिक और प्रौद्योगिक शिक्षा . . . . . | 1,07,000        | 9,000         | 1,16,000        |
| <b>योग . . . . .</b>                       | <b>4,26,000</b> | <b>52,000</b> | <b>4,78,000</b> |

(क) इन संख्याओं का सम्बन्ध 1950-51 से है।

(ख) संख्याये अस्थायी हैं।

|                                  | लड़के       | लड़किया   | योग         |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>स्कूल शिक्षा</b>              |             |           |             |
| पूर्व-प्रारम्भिक                 | 19,000      | 14,000    | 33,000      |
| प्रारम्भिक                       | 1,37,74,000 | 54,66,000 | 1,92,40,000 |
| माध्यमिक                         | 43,78,000   | 8,91,000  | 52,69,000   |
| व्यावसायिक और प्रौद्योगिक शिक्षा | 12,15,000   | 2,63,000  | 14,78,000   |
| योग                              | 1,93,86,000 | 66,34,000 | 2,60,20,000 |
| सर्व योग                         | 1,98,12,000 | 66,86,000 | 2,64,98,000 |

सघ सरकार ने शिक्षकों को बेसिक शिक्षा, कला और शिल्प, संगीत और नृत्य की शिक्षा देने के लिये दिल्ली के जामिया मिलिया तथा शांतिनिकेतन की विश्व-भारती में व्यवस्था की है। कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों ने प्रशिक्षण देने के लिये विशेष व्यवस्था की है और उनकी तरफ से प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा दिये जाते हैं। 1953 की जनवरी में नृत्य, नाटक और संगीत की राष्ट्रीय अकादमी स्थापित की गई। सघ सरकार ने कला और साहित्य के क्षेत्र में विभूतियों को वित्तीय सहायता देने की एक व्यवस्था भी की है।

### अक्षमों की शिक्षा

अक्षमों की शिक्षा को दो श्रेणियों में बाटा जा सकता है। एक तो उन अक्षमों की शिक्षा के लिये विद्यालय जो अन्धे, बहरे या गूगे हैं यानी जो शारीरिक दृष्टि से अक्षम हैं और दूसरे मानसिक रूप से अक्षमों के लिये विद्यालय।

अन्धों के लिये 50 तथा गूगों और बहरो के लिये 42 मस्थाए हैं, मानसिक रूप से अक्षमों के लिये केवल दो ही मस्थाए हैं, एक पश्चिमी बंगाल में तथा दूसरी बम्बई में।

सभी राज्यों में अन्धों को ब्रेल पद्धति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं के जरिये से शिक्षा दी जाती है। छात्रों को दर्जींगीरी, कढाई, बुनाई, बढईंगीरी आदि की शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में संगीत की भी शिक्षा दी जाती है।

1950 की जनवरी में देहरादून में वयस्क अंधों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था। यहा अच्छा काम हो रहा है। देहरादून में केन्द्रीय ब्रेल छापाखाना है, और यहा हिन्दी में ब्रेल की पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। ओठ के द्वारा पढाई के अतिरिक्त गूगों, बहरो को शब्दस्फुट करना तथा ऐसे शिल्प सिखलाये जाते हैं जैसे चित्र विद्या, बढईंगीरी, दर्जींगीरी इत्यादि।

### प्रौद्योगिक शिक्षा

शिक्षा मंत्रालय का एक डिवीजन देश की प्रौद्योगिक शिक्षा की देखरेख करता है। सघ सरकार ने प्रौद्योगिक शिक्षा के लिये एक अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य यह है कि वह प्रौद्योगिक शिक्षा, विकास तथा मानदण्डीकरण के सम्बन्ध में परामर्श दे। परिषद् ने इजीनियरिंग व्यवसाय, रासायनिक इजीनियरिंग और वस्त्र प्रौद्योगिक

विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों के लिये अखिल भारतीय बोर्डों की एक संयुक्त समिति भी कायम की है। साथ ही परिषद् ने आगामी पांच वर्षों तथा दीर्घकालीन आधार पर प्रौद्योगिक जनशक्ति की कितनी आवश्यकता है, इसके प्रमाण के लिये एक उपसमिति नियुक्त की है। सरकार ने क्षेत्रीय समितियाँ भी नियुक्त की हैं, जिनका प्रधान सहायक प्रौद्योगिक परामर्शदाता होता है। इनका काम यह है कि एक तरफ तो शिक्षा सस्थाओं और दूसरी तरफ सरकार के औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक विभागों में सम्पर्क कायम रखे।

### छात्रवृत्ति की योजनाएं

#### समुद्रपार छात्रवृत्ति की योजनाएं

युद्ध के बाद की विकास योजनाओं में प्रौद्योगिक दृष्टि से सहायक सिद्ध होने के लिये भारत सरकार ने प्रौद्योगिक उच्च शिक्षा के लिये 1945 में समुद्रपार छात्रवृत्तियों की योजना बनाई थी। तब से इस योजना में कुछ परिवर्तन किया गया है। और 1952-53 के प्रारम्भ से तीन साल तक के लिये यह योजना कुछ परिवर्तित करके मजूर की गई है।

इस समय यह योजना विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा की अन्य सस्थाओं तक ही सीमित है। 1952-53 में 25 व्यक्ति छात्रवृत्तियों के लिये चुने गये।

#### केन्द्रीय राज्य छात्रवृत्ति योजना

यह योजना 'ग' भाग के राज्यों तथा 'घ' भाग के क्षेत्रों तक ही सीमित है। आम तौर पर विदेश में जाकर अध्ययन करने के लिये प्रति वर्ष एक छात्रवृत्ति दी जाती है।

#### ब्रिटिश उद्योग संघ की योजना

इस योजना के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में छात्रों की शिक्षा के लिये भारत सरकार को और छात्र 200 पाँड देना पड़ता है। इस के अनुसार 1952-53 में उद्योग धंधों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये भारतीयों को सात छात्रवृत्तियाँ दी गईं।

#### भारत जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना

पश्चिमी जर्मनी के संघी प्रजातंत्र ने 50 भारतीय छात्रों को स्नातकोत्तर सुविधाएं देने के अतिरिक्त 250 भारतीय इंजीनियरों और शिक्षार्थियों को जर्मन भारी उद्योग धंधों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये निशुल्क सुविधाएं देना स्वीकार किया। इस के जवाब में भारत सरकार ने दस जर्मन छात्रों को भारतीय भाषाओं, धर्म, दर्शन के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ दी हैं।

#### अनुसूचित जातियों अनुसूचित उपजातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों को छात्रवृत्तियाँ

1952-53 में ऊपर बताये हुए वर्गों के छात्रों को मैट्रिकुलेशन के बाद की शिक्षा के लिये साठे सत्रह लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बाद को चल कर इस मद में 12 लाख 60 हजार पया जोड़ दिया। 1952-53 में कुल मिला कर 5,893 छात्रवृत्तियाँ दी गईं जिन में से 1,726 13 M of I & B.



पेशों के लिये, 276 स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये, 953 स्नातक बनने के लिये और 2,938 छात्रवृत्तियाँ प्राक्स्नातक अध्ययन के लिये दिये गये। 1953-54 में इस के लिये चालीस लाख रुपये की व्यवस्था है।

### एशिया अफ्रीका तथा कामनवेल्थ के दूसरे देशों की ओर से छात्रवृत्तियाँ

भारत तथा दूसरे देशों में सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने तथा भारत में शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाने के लिये 1949 में 70 छात्रवृत्तियों की एक आम योजना बनाई गई। इसके फलस्वरूप 1952-53 में विभिन्न देशों से 91 छात्र आये 1953-54 में इसी योजना के अनुसार 100 छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की गई है।

### फ्रांसीसी छात्रों को फेलोशिप

फ्रांसीसी सरकार ने भारतीय छात्रों को कुछ छात्रवृत्तियाँ दी हैं। इसके जवाब में भारत सरकार ने फ्रांसीसी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी हैं।

### संयुक्त राष्ट्र संघीय और यूनेस्को फेलोशिप

भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघीय सामाजिक कल्याण फेलोशिपों तथा छात्रवृत्तियों के कार्यक्रमों में 1947 से बराबर भाग लेती रही है। फेलोशिपों तथा छात्रवृत्तियों के कार्यक्रमों की शर्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को मासिक वृत्ति दी जाती है। अध्ययन के लिये निर्वाचित देश के अनुसार मासिक वृत्ति की रकम अलग होती है। इसके साथ ही समाज का खर्च तथा गुस्तकों के क्रय तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये भी खर्च दिया जाता है।

1952 में भारत को 35 से लेकर 40 संयुक्त राष्ट्र संघीय सामाजिक कल्याण फेलोशिप तथा 10 से लेकर 15 छात्रवृत्तियाँ दी गईं। 1953 के कार्यक्रम के लिये भारत सरकार से 70 प्रार्थियों के आवेदन पत्र भेजने के लिये कहा गया था।

## हिन्दी प्रचार

हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिये शिक्षा मंत्रालय ने एक पंचवर्षीय योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि सविधान के अनुसार हिन्दी को पंद्रह वर्ष के अन्दर सघ की सरकारी भाषा बना दी जाये। इसी उद्देश्य से मंत्रालय में एक हिन्दी विभाग भी खोला गया है। विशेषकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिये हिन्दी शिक्षा समिति नाम से एक समिति की स्थापना हुई है, जो मंत्रालय को इस सबध में सलाह देगी। 1950 में वैज्ञानिक, प्रशासनीय तथा दूसरे प्रौद्योगिक शब्दों के लिये कोष तैयार करने के लिये वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना हुई है।

मंत्रालय ने सरकारी नौकरों को हिन्दी शिक्षा देने के लिये श्रमिया खोल दी है। अखिल भारतीय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली; साहित्यकार संसद्, इलाहाबाद; संसदीय हिन्दी परिषद्, तथा वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को विशेष अनुदान दिये गये हैं। धीरे धीरे एक हिन्दी पुस्तकालय बन रहा है। हिन्दी के मौलिक लेखकों तथा अनुवादकों के लिये 29,000 रुपये के पुरस्कारों की घोषणा की गई है।

## तालिका 134

## शिक्षा बजट (राजस्व लेखा) (क)

| सरकार                       | 1952-53                     |                            | 1953-54                     |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                             | कुल व्यय<br>(लाख रुपये में) | सम्पूर्ण बजट<br>का प्रतिशत | कुल व्यय<br>(लाख रुपये में) | सम्पूर्ण बजट<br>का प्रतिशत |
| आन्ध्रप्रदेश                | 185                         | 14.7                       | 200                         | 13.3                       |
| बिहार                       | 412                         | 13.8                       | 521                         | 15.6                       |
| बम्बई                       | 1,280                       | 20.3                       | 1,282                       | 18.9                       |
| मध्य प्रदेश                 | 314                         | 15.8                       | 467                         | 19.0                       |
| पंजाब                       | 1,180                       | 16.6                       | 1,205                       | 14.9                       |
| उड़ीसा                      | 140                         | 11.6                       | 177                         | 12.2                       |
| राजस्थान                    | 151                         | 11.4                       | 251                         | 12.5                       |
| उत्तर प्रदेश                | 785                         | 12.0                       | 854                         | 10.8                       |
| पश्चिमी बंगाल               | 400                         | 9.7                        | 487                         | 11.2                       |
| तेलंगाना                    | 505                         | 16.0                       | 476                         | 16.9                       |
| जम्मू और काश्मीर            | 45                          | 9.6                        | 56                          | 12.0                       |
| मध्य-भारत                   | 177                         | 13.4                       | 178                         | 12.3                       |
| मैसूर                       | 338                         | 16.9                       | 373                         | 16.8                       |
| पेरार                       | 78                          | 13.3                       | 109                         | 15.4                       |
| राजस्थान                    | 250                         | 14.5                       | 294                         | 15.1                       |
| मौरापुर                     | 122                         | 14.0                       | 147                         | 14.7                       |
| निरुवाकुर-कोचीन             | 320                         | 17.0                       | 381                         | 17.8                       |
| अजमेर                       | 50                          | 29.7                       | 61                          | 31.0                       |
| अडमान और निकोबार द्वीप-समूह | 2                           | 1.6                        | 3                           | 1.7                        |
| भोपाल                       | 27                          | 7.5                        | 35                          | 13.7                       |
| बिलासपुर                    | 34                          | 23.7                       | 4                           | 16.2                       |
| कुर्ग                       | 12                          | 13.5                       | 25                          | 17.9                       |
| दिल्ली                      | 113                         | 2.8                        | 142                         | 33.2                       |
| हिमाचल प्रदेश               | 29                          | 11.7                       | 38                          | 13.0                       |
| कच्छ                        | 11                          | 11.4                       | 12                          | 11.0                       |
| मणिपुर                      | 10                          | 21.6                       | 12                          | 18.4                       |
| त्रिपुरा                    | 19                          | 17.3                       | 20                          | 16.3                       |
| विन्ध्य प्रदेश              | 66                          | 19.4                       | 84                          | 18.8                       |
| भारत                        | 7,068                       | 15.0                       | 7,894                       | 15.0                       |

(क) केवल शिक्षा विभागों के।

## तालिका 135

स्रोतों के अनुसार शिक्षा पर अपरोक्ष व्यय

| स्रोत               | 1948-49                      |         | 1950-51                      |         |
|---------------------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
|                     | राशि<br>(करोड़ रुपये<br>में) | प्रतिशत | राशि<br>(करोड़ रुपये<br>में) | प्रतिशत |
| सरकारी निधि         | 33 59                        | 49 0    | 64 55                        | 56 9    |
| स्थानीय संस्था निधि | 9 51                         | 13 9    | 12 48                        | 11 6    |
| फीस                 | 16 47                        | 24 1    | 23 12                        | 20 4    |
| अन्य स्रोत          | 8 89                         | 13 0    | 13 28                        | 11 7    |
| योग                 | 68 46                        | 100 0   | 113 43                       | 100 0   |

## तालिका 136

मबों के अनुसार शिक्षा पर व्यय

| मदे                                                                  | 1948-49                      |         | 1950-51                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
|                                                                      | राशि<br>(करोड़ रुपये<br>में) | प्रतिशत | राशि<br>(करोड़ रुपये<br>में) | प्रतिशत |
| 1. प्रारम्भिक पाठशालाएँ                                              | 22.9                         | —       | 37.15                        | 32.8    |
| 2. माध्यमिक पाठशालाएँ                                                | 18.15                        | —       | 30.39                        | 26.8    |
| 3. व्यावसायिक तथा विशेष<br>पाठशालाएँ                                 | 3.60                         | —       | 6.23                         | 5.5     |
| 4. कला और विज्ञान कालेज                                              | 4.03                         | —       | 6.7                          | 5.9     |
| 5. धधो की शिक्षा देने वाले<br>और विशेष कालेज                         | 2.85                         | —       | 4.41                         | 4.0     |
| 6. विश्वविद्यालय और<br>माध्यमिक एंव इंटरमीडि-<br>येट शिक्षा के बोर्ड | 2.0                          | —       | 5.9                          | 5.2     |
| 7. निर्देशन और निरीक्षण                                              | 1.93                         | —       | —                            | 2.4     |
| 8. भवन                                                               | 5.61                         | —       | 9.8                          | 8.5     |
| 9. विविध                                                             | 6.40                         | —       | 7.1                          | 6.0     |

## बीसवां अध्याय

### स्वास्थ्य

स्वास्थ्य का विषय राज्य सरकार में सम्बन्ध रखता है, फिर भी बहुत से मामलों में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह अधिकार है कि वह स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करे। राज्यों के मामलों में स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य विशुद्ध रूप से परामर्श देने तथा राज्यों के कार्यों को परस्पर मयक्त करने का है। स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर अत्यावश्यक सूचनाएँ भी भेजता रहता है। इस के अतिरिक्त देशवासियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिये परामर्श तथा अन्य सहायता देना भी स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर ही यह भार है कि विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों के साथ सम्बन्ध कायम रखे। बन्दरगाहों में क्वारान्टीन का विषय भी उन्हीं के हाथ में है। बाहर से मगाई हुई दवाओं के मानदण्ड की जांच करने रहता, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रियों पर देखरेख रखना, इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च तथा अन्य मन्त्रियों के जर्गल से शांति कार्य को प्रोत्साहन देना, यह भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य है। केन्द्र ने चिकित्सा शास्त्र, फरमासी विज्ञान, दन्त चिकित्सा तथा धात्रीविद्या के विकास के लिये भी सहायता देना रहता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों तथा अन्य स्वास्थ्य विभागों में आड़े मूलाक सूचनाएँ भी भेजी जाती हैं।

इन कार्यों के अतिरिक्त हमें निम्नलिखित उद्देश्यों में केन्द्रीय स्वास्थ्यसेवा निर्माण करना तथा उसे कायम रखना पड़ता है—(क) केन्द्र में प्रशासन के उच्च मानदण्ड कायम रहे, (ख) राज्यों के साथ सहयोग के द्वारा उनके प्रशासनों में उन्नी प्रकार के उच्च मानदण्ड कायम रखे जायें और (ग) केन्द्र तथा राज्यों को शिक्षा, शोध तथा चिकित्सा मन्त्रियों के लिये उच्च शिक्षित कर्मचारी वर्ग की सेवाएँ प्राप्त की जायें।

#### पञ्चवर्षीय योजना

पञ्चवर्षीय योजना में चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 99 करोड़ 55 लाख रु० निर्दिष्ट है। इस रकम में से केन्द्रीय सरकार मुख्यतः प्रस्तावित अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था तथा राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण पर 17 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च करने का इरादा रखती है। ऊपर बताये हुए 99 करोड़ 55 लाख रुपये का केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की चिकित्सा तथा सार्वजनिक योजनाओं में किस प्रकार खर्च होगा, यह नीचे देखा जा सकता है :

#### तालिका 137

(लाख रुपये में)

|                    | चिकित्सा-सम्बन्धी | सार्वजनिक स्वास्थ्य | योग      |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------|
| केन्द्र सरकार .    | 565.23            | 1,222.20            | 1,787.43 |
| भाग "क" के राज्य . | 3,394.30          | 2,956.00            | 6,350.30 |
| भाग "ख" के राज्य . | 580.70            | 657.40              | 1,238.10 |
| जम्मू और काश्मीर . | 46.00             | 82.20               | 128.20   |
| भाग "ग" के राज्य . | 222.50            | 228.00              | 450.50   |
| योग .              | 4,808.73          | 5,145.80            | 9,954.53 |

1950-51 में भारत सरकार ने एक करोड़ रुपया खर्च किया, जिस में से साठे सात लाख रुपये विकास योजनाओं पर खर्च किये गये। पंचवर्षीय योजना के समय में केन्द्र की विकास योजना पर खर्च बढ़ कर 3 करोड़ 57 लाख रुपये सालाना तक पहुँच जाने की सम्भावना है।

राज्य सरकारें चिकित्सा सम्बन्धी योजनाओं पर जो 42 करोड़ 41 लाख रुपया खर्च करने वाली हैं, उनमें से 33 करोड़ रुपये तो उन योजनाओं पर खर्च होंगे, जो इस समय चालू हैं। बाकी रकम नई योजनाओं के लिए सुरिजर्व रखी जाएगी। राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं के लिये जो 39 करोड़ 23 लाख रुपये खर्च किये गये हैं, उनमें से 17 करोड़ रुपये चालू योजनाओं पर और बाकी रुपये नई योजनाओं पर खर्च होंगे। नीचे एक तुलना मूलक तालिका प्रस्तुत की जा रही है :

तालिका 138

(लाख रुपये में)

| राज्य            | चिकित्सा सम्बन्धी              |                                   |                   | सार्वजनिक स्वास्थ्य            |                                   |                   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                  | 1950-51 में विकास के लिये व्यय | योजना में परि-कल्पित वार्षिक व्यय | वृद्धि का प्रतिशत | 1950-51 में विकास के लिये व्यय | योजना में परि-कल्पित वार्षिक व्यय | वृद्धि का प्रतिशत |
| भाग "क" के राज्य | 525.31                         | 678.86                            | 29.2              | 316.57                         | 591.2                             | 86.9              |
| भाग "ख" के राज्य | 78.66                          | 116.14                            | 47.9              | 51.48                          | 131.4                             | 55.4              |
| भाग "ग" के राज्य | 1.48                           | 44.52                             | 2,908.0           | 1.12                           | 45.6                              | 3,970.0           |

#### चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी शिक्षा

जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त केन्द्रीय और राज्य सरकारें मिल कर पंचवर्षीय योजना काल में 47 करोड़ 62 लाख रुपया खर्च करेंगी।

नीचे की तालिका में यह दिखलाया गया है कि यह खर्च किस प्रकार बँटा हुआ है और 1950-51 के साथ उसका तुलनात्मक रूप किस प्रकार बैठता है :

तालिका 139

(लाख रुपये में)

|                     | 1950-51 में व्यय | योजना काल में जो राशि व्यय की जायेगी | योजना काल में वार्षिक औसत |
|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| प्रशासन             | 3.2              | 62.2                                 | 12.4                      |
| शिक्षा और प्रशिक्षण | 235.2            | 1,891.7                              | 378.3                     |
| अस्पताल और दवाखाने  | 331.3            | 2,486.7                              | 497.4                     |
| अन्य योजनाएँ        | 43.3             | 322.1                                | 64.5                      |
| योग                 | 613.0            | 4,762.7                              | 952.6                     |

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें पंचवर्षीय योजना की विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। नीचे की तालिका में राज्यों ने इस सम्बन्ध में किस प्रकार प्रगति की है यह देखा जा सकता है :

तालिका 140

(लाख रुपये में)

|                        | 1950-51<br>(वास्तविक) | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(संभावित) | 1953-54<br>(बजट) | पांच वर्षों<br>का योग |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| प्रशासन                | 3.4                   | 3.5                   | 3.5                  | 5.5              | 22.2                  |
| शिक्षा और<br>प्रशिक्षण | 291.7                 | 270.4                 | 167.3                | 217.7            | 1,345.8               |
| अस्पताल और<br>दवाखाने  | 241.6                 | 378.7                 | 436.7                | 525.0            | 2,472.4               |
| अन्य योजनाएं           | 18.2                  | 32.5                  | 42.4                 | 55.2             | 434.3                 |

पंच-वर्षीय योजना में कुल जितना खर्च प्रस्तावित है, उसका 50 प्रतिशत अस्पताल तथा औपचारिकों पर खर्च होगा। पंचवर्षीय योजना काल में अस्पतालों, औपचारिकों तथा रोगी-शय्याओं की संख्या में किस प्रकार वृद्धि होगी यह नीचे की तालिका में देखा जा सकता है :

तालिका 141

|                | 1950-51  | 1951-52<br>(सम्पन्न) | 1952-53<br>(सम्पन्न) | 1953-54<br>(प्रत्याशित) | 1951-56 |
|----------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| अस्पताल        | 1,915    | 158                  | 155                  | 165                     | 258     |
| पलंग           | 1,16,731 | 7,343                | 6,609                | 4,684                   | 16,324  |
| दवाखाने        | 6,589    | 231                  | 395                  | 202                     | 1,574   |
| पलंग           | 7,072    | 1,587                | 2,899                | 393                     | 9,620   |
| स्वास्थ्य इकाई | 433      | 101                  | 55                   | 50                      | 314     |

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्य योजना के अन्तर्गत सावधानिक स्वास्थ्य योजनाओं पर 50 करोड़ 63 लाख रुपये खर्च करेंगे।

तालिका 142 में यह बताया गया है कि यह खर्च किस प्रकार बंटा हुआ है, और साथ ही इसकी तुलना 1950-51 की स्थिति से की गई है।

## तालिका 142

(लाख रुपयों में)

|                                     | 1950-51<br>में व्यय | योजना काल<br>में व्यय किया<br>जायेगा | योजना काल<br>में वार्षिक<br>औसत |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| प्रशासन . . . . .                   | 15.6                | 210.8                                | 42.2                            |
| शिक्षा . . . . .                    | 1.0                 | 130.7                                | 26.1                            |
| जल और नालियों की व्यवस्था . . . . . | 270.5               | 2,334.4                              | 466.9                           |
| मलेरिया निरोधक योजना . . . . .      | 45.4                | 1,715.2                              | 343.0                           |
| अन्य योजनाएं . . . . .              | 35.5                | 672.5                                | 134.5                           |
| योग . . . . .                       | 268.0               | 5,063.6                              | 1,012.7                         |

राज्य सरकारों के स्वास्थ्य कार्यक्रम पंच-वर्षीय योजना काल में किस प्रकार रहेगे, यह नीचे देखा जा सकता है :

## तालिका 143

(लाख रुपयों में)

|                                     | 1950-51<br>(वास्तविक) | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(संशोधित) | 1953-54<br>(बजट) | पांच वर्षों का<br>योग |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| प्रशासन . . . . .                   | 15.0                  | 30.4                  | 21.3                 | 22.0             | 224.5                 |
| शिक्षा . . . . .                    | 1.4                   | 1.2                   | 3.7                  | 3.8              | 41.8                  |
| जल और नालियों की व्यवस्था . . . . . | 264.2                 | 354.9                 | 407.5                | 412.2            | 2,407.9               |
| मलेरिया निरोधक योजनाएं . . . . .    | 47.2                  | 61.7                  | 81.6                 | 125.0            | 727.1                 |
| अन्य योजनाएं . . . . .              | 35.9                  | 55.7                  | 71.6                 | 117.7            | 548.3                 |

केन्द्र और राज्य सरकारें मिल कर जो 99 करोड़ 55 लाख रुपये की रकम खर्च करेगी, उसके अतिरिक्त राज्यों में स्थानीय अधिकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ की तरह अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से कई अन्य चिकित्सा सम्बन्धी तथा सावजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वित करेंगे ।

### चिकित्सा की देशी पद्धतियाँ

राष्ट्रीय योजना समिति की सिफारिश तथा 1946 में स्वास्थ्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उसके अनुसार 1946 के दिसम्बर में देशी दवा की पद्धतियों के प्रशिक्षण तथा शोध सम्बन्धी सुविधाओं पर जांच करने के लिये तथा इस क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण स्थापित करने की वाच्छनीयता पर विचार करने के लिये श्री आर० एन० चोपड़ा के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई थी ।

1948 के नवम्बर में होम्योपैथिक जांच समिति की नियुक्ति हुई, और इसको यह भार सौपा गया कि यह होम्योपैथिक पद्धति के नियंत्रण तथा विकास के लिये सुझाव पेश करे ।

इन समितियों ने जांच के बाद जो प्रतिवेदन पेश किये, उन पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अपने अध्ययन प्रस्तुत किये । 1950 के अगस्त-सितम्बर में स्वास्थ्य मंत्रियों के तृतीय सम्मेलन में इन सब पर विचार किया गया ।

1949 में पंडित कमेटी के नाम से एक छोटी समिति को यह भार सौपा गया कि वह आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों पर वैज्ञानिक ढंग से शोध करने के लिये क्या सुविधा दी जाये, उनका पता लगाये । समिति ने 1951 में अपना प्रतिवेदन पेश किया । इस समिति ने यह सिफारिश की कि देशीय चिकित्सा पद्धतियों पर जो केन्द्रीय शोध मस्या प्रस्तावित है, वह जामनगर की गुलाब कुवरबा आयुर्वेदिक मस्या के साथ मिल कर काम करे । सरकार ने यह सिफारिश मजूर कर ली, और यह मस्या 1953 के 24 अगस्त से काम करने लगी ।

कुछ दिनों से लोगों में यह भावना फैली हुई थी कि देशी चिकित्सा पद्धतियों की उतनी कदर नहीं की गई, जितनी कि करनी चाहिये । चोपड़ा समिति, 1950 के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन और पंडित समिति सब ने वैद्यों और हकीमों की शिक्षा को पुनःसंगठित करने के विषय पर विचार किया । इस सम्बन्ध में सभी लोग सहमत हैं कि देशी चिकित्सा पद्धतियों के पाठ्यक्रम में शरीर शास्त्र (ऐनाटोमी और फिजिओलोजी) तथा शल्य विद्या होनी चाहिये ।

देशी चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा देने वाले 50 तथा होम्योपैथिक पद्धतियों पर शिक्षा देने वाले 8 कालेज मौजूद हैं ।

देशी दवा पद्धतियों के सम्बन्ध में इन मस्याओं में शोध किया जाता है—स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन कलकत्ता, केन्द्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी, जम्मू तथा सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट फार रिसर्च इंडीजिनस सिस्टम आफ मेडिसिन । ठाकुर दत्त शर्मा धर्मार्थ ट्रस्ट की देखरेख में 1953 की 31 जुलाई को एक आयुर्वेदिक शोध मस्या भी खोली गई । बम्बई में वैज्ञानिक तरीकों पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पर शोध करने के लिये तथा आसी आयुर्वेदिक कालेज की देखरेख में एक शोध मस्या खोली गई है ।

पंच वर्षीय योजना में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर शोध करने के लिये 37 लाख 50 हजार रुपये की व्यवस्था है ।



इसी कार्य के लिये राज्यों ने कुल मिला कर 95 लाख 23 हजार रुपये का व्यय निर्दिष्ट रखा है, और वे अस्पतालों तथा औषधालयों के लिये 1 करोड़ 6 लाख रुपये खर्च करना चाहते हैं ।

एलोपैथी पद्धति ने रोगों के प्रतिशोध तथा आरोग्य करने में जो महान प्रगति की है, उसे देखते हुए सरकार ने इसके स्थान पर किसी और पद्धति को अपनाना उचित नहीं समझा । देश में अनेक ढंग की चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित होने के कारण गड़बड़ी उत्पन्न होती है, इसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि केवल एक ही पद्धति स्वीकार की जाये, यद्यपि दूसरी पद्धतियों की अच्छी बातें एलोपैथी में ली जा सकती हैं । भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि देशी तथा होम्योपैथिक पद्धतियों पर शोध किया जाये, साथ ही यह भी जरूरी समझा गया कि जिन लोगों ने उचित ढंग से शिक्षा नहीं पाई, उन लोगों की नीमहकीमी बन्द की जाये ।

#### चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी शिक्षा

1951 में इस बात की एक विशेष गिनती की गई कि देश में कितने लोग चिकित्सा शास्त्र तथा स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं । इस प्रमाणन का परिणाम नीचे देखा जा सकता है :

तालिका 144

| वर्ग                                                                                                                                                                           | संख्या   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| पंजीकृत चिकित्साजीवी                                                                                                                                                           | 91,930   |
| वैद्य, हकीम, और अन्य ऐसे व्यक्ति जो चिकित्साजीवी हैं परन्तु पंजीकृत नहीं हुए हैं                                                                                               | 96,147   |
| कम्पाउंडर                                                                                                                                                                      | 38,407   |
| नर्स                                                                                                                                                                           | 31,517   |
| धात्रिया                                                                                                                                                                       | 23,938   |
| टीका लगाने वाले                                                                                                                                                                | 5,928    |
| दत्त-चिकित्सक                                                                                                                                                                  | 3,283    |
| अन्य सभी व्यक्ति जो अस्पतालों में या अन्य ऐसे संस्थानों में कार्य करते हैं जो चिकित्सा या अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करते हैं (मेहतरों तथा अन्य सफाई-कर्मचारियों के सहित) | 72,970   |
| योग                                                                                                                                                                            | 3,64,120 |

हमारे यहाँ डाक्टरों तथा चिकित्सा कार्य में लगे हुए अन्य लोगों की संख्या इतनी कम है कि हमारी कम से कम आवश्यकता भी पूरी नहीं हो सकती । 1943-44 में डाक्टरों की संख्या 47,500 बताई गई थी । इसी संख्या को ले कर स्वास्थ्य प्रमाणन तथा विकास समिति ने यह राय दी कि 1971 तक भारत को और भी 1,85,000 डाक्टरों की जरूरत है । भारत सरकार ने इस समय मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने में कोई बात उठा नहीं रखी है । इस दिशा में क्या प्रगति हुई है यह तालिका 145 देखा जा सकता है :

## तालिका 145

|            | 1950-51 | 1951-52<br>(वास्तविक) | 1952-53<br>(वास्तविक) | 1953-54<br>(प्रत्याशित) | 1951-56<br>(लक्ष्य) |
|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| डाक्टर     | 5,336   | 1,325                 | 967                   | 1,029                   | 4,153               |
| कम्पाउण्डर | 894     | 765                   | 461                   | 439                     | 1,945               |
| धानिया     | 1,149   | 441                   | 607                   | 1,068                   | 3,501               |
| उपचारिकाए  | 2,212   | 1,008                 | 860                   | 709                     | 4,648               |

इस समय 33 मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल स्कूल, 6 दंत चिकित्सा कॉलेज और 5 अन्य संस्थाएँ हैं जो एलोपैथी में शिक्षा देती हैं। उनकी सूची नीचे दी जाती है :

## मेडिकल कॉलेज

- 1 मद्रास मेडिकल कॉलेज, मद्रास ।
- 2 स्टैनली मेडिकल कॉलेज, मद्रास ।
- 3 आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखपट्टनम् ।
- 4 क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, बेलूर ।
- 5 गुटूर मेडिकल कॉलेज, गुटूर ।
- 6 ग्राट मेडिकल कॉलेज, बम्बई ।
- 7 सेंट जी० एम्० मेडिकल कॉलेज, परेल, बम्बई ।
- 8 टॉमी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, बम्बई ।
- 9 बी० जे० मेडिकल कॉलेज, पूना ।
- 10 बी० जे० मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद ।
- 11 वडोदा मेडिकल कॉलेज, वडोदा ।
- 12 मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता ।
- 13 आर० जी० कार मेडिकल कॉलेज, बेलगछिया, कलकत्ता ।
- 14 नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता ।
- 15 नेशनल मेडिकल इस्टीट्यूट, कलकत्ता ।
- 16 महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, लखनऊ ।
- 17 सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा ।
- 18 प्रिंस आफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना ।
- 19 दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा ।
- 20 मेडिकल कॉलेज, अमृतसर ।
- 21 आसाम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ ।
- 22 मेडिकल कॉलेज, नागपुर ।
- 23 श्री रामचन्द्र भग मेडिकल कॉलेज, कटक ।
- 24 लेडी हार्डिंग महिला मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली ।

25. महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, इंदौर ।
26. गजरा राजा मेडिकल कालेज, ग्वालियर ।
27. सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर ।
28. मेडिकल कालेज, मैसूर ।
29. उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद (दक्षिण) ।
30. मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम ।
31. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, लधियाना ।
32. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल ।
33. मेडिकल कालेज, पटियाला (पेप्सू)

### मेडिकल स्कूल

1. आर्य मेडिकल स्कूल, लधियाना ।
2. युनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल, बंगलोर ।

### दन्त-चिकित्सा कालेज

1. नय्यर हास्पिटल डेंटल कालेज, बम्बई ।
2. करीम भाई इब्राहीम मेमोरियल हास्पिटल एण्ड डेंटल कालेज, बम्बई ।
3. कलकत्ता डेंटल कालेज, कलकत्ता ।
4. डेंटल कालेज, अमृतसर ।
5. किंग जार्जस मेडिकल कालेज (दन्त चिकित्सा विभाग), लखनऊ ।
6. मद्रास मेडिकल कालेज, दन्त-चिकित्सा विभाग, मद्रास ।

### अन्य सम्बद्ध कालेज

1. आल इंडिया इस्टीट्यूट आफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता
2. मलेरिया इस्टीट्यूट आफ इंडिया, दिल्ली ।
3. कालेज आफ नर्सिंग, नई दिल्ली ।
4. स्कूल आफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, कलकत्ता ।
5. श्री वल्लभभाई पटेल चेस्ट इस्टीट्यूट, दिल्ली ।

योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि पंचवर्षीय योजना के अन्त में परिस्थिति ऐसी हो जाये कि सारे देश भर के मेडिकल कालेजों में 4,000 छात्रों की नई भरती की व्यवस्था हो । 1951 में नई भरती सम्बन्धी व्यवस्था इस प्रकार थी :

तालिका 146

| संस्था                  | छात्रों की संख्या |         |           |
|-------------------------|-------------------|---------|-----------|
|                         | पुरुष             | नारी    | योग       |
| मेडिकल कालेज (30)       | 2,056             | 514 (क) | 2,570 (क) |
| मेडिकल स्कूल (2)        | 137               | 24      | 161       |
| दन्त-चिकित्सा कालेज (4) | 77                | 8       | 85        |

(क) लेडी हार्डिंग महिला मेडिकल कालेज, नई दिल्ली, में प्राभेष्टियों की संख्या (जो कि 40 है) का सम्बन्ध 1950 से है ।

II मेडिकल स्कूलों को कालेज की मर्यादा दी गई। निम्नलिखित विभागों की भी मर्यादा बढ़ा दी गई है :

मेडिकल कालेज, पटना का दैहिकी विभाग, टाटा-स्मारक अस्पताल, बम्बई का कैंसर शोध केन्द्र, अखिल भारत स्वास्थ्य-विद्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता का औद्योगिक स्वास्थ्य-विद्या विभाग; सरकारो आम अस्पताल, मद्रास का गुप्त-रोग विभाग; मेडिकल कालेज, मद्रास का शरीर विभाग, सरकारी महिला और शिशु अस्पताल, मद्रास का धात्री-विद्या और स्त्री-रोग-विद्या का विभाग, दिल्ली विश्व विद्यालय का क्षय-रोग विभाग।

वेल्लोर के युनिवर्सिटी मेडिकल कालेज को एक लाख रु० इस उद्देश्य से दिया गया कि वहाँ ओरस (थोराकिक) शल्य विद्या के विभाग का मानदण्ड ऊँचा किया जाये। उसी प्रकार अन्य संस्थाओं में अन्य विभागों के मानदण्ड को ऊँचा उठाने के लिये 1953-54 के बजट में 6,73,400 रुपये की व्यवस्था है।

### अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था के खोलने के लिये सारी प्रारम्भिक बातें ठीक हैं। आरम्भ के रूप में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में छात्रों को परीक्षणमूलक प्रशिक्षण की सुविधा दी जायेगी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य इसको एक प्रदर्शन केन्द्र बनाना होगा, जहाँ पूर्व-स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध क्षेत्रों के प्रशिक्षण के लिये उच्च मानदण्ड रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त देश के चिकित्सा सम्बन्धी कालेजों के शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा।

### विशेष प्रशिक्षण

भारत भर के करीब करीब सभी अस्पतालों में धात्री-विद्या सिखाने की व्यवस्था है। दिल्ली तथा वेल्लोर के धात्री विद्या कालेजों में ऐसे पाठ्य क्रम हैं, जो बी० एस० सी० के मानदण्ड के हैं। भारतीय धात्री विद्या परिषद् ने सहायक धात्रियों के लिए सरल और संक्षिप्त शिक्षाक्रम स्वीकृत किया है। आन्ध्र महिला सभा ट्रस्ट बोर्ड ने सहायक धात्रियों तथा दाइयों के प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना के लिए एक योजना बनाई थी। इसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है। 1951-52 में सभा बोर्ड को 80 हजार रु० अनावर्तक अनुदान दिया गया और 1952-53 तथा 1953-54 के बजट के अनुमानों में 15,000 रुपये का आवर्तक अनुदान सभा के लिए स्वीकृत हो चुका है। नई दिल्ली में जो धात्री विद्या कालेज है, उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास, पूना, बम्बई, नागपुर, हैदराबाद इत्यादि में हेल्थ विजिटर्स के लिए प्रशिक्षण केन्द्र हैं। योजना आयोग ने यह सिफारिश की है कि दाइयों को प्रशिक्षण की जो सुविधाएँ प्राप्त हैं उनको विस्तृत करना चाहिए। देशी दाइयों को कुछ राज्यों में भी प्रशिक्षण दिया गया है। अखिल भारतीय इस्टीच्यूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता के मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य विभाग की मातृत्व तथा शिशु कल्याण शाखा को एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, और साथ ही साथ इस पर कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वाध्यताएँ भी हैं। भारत की मलेरिया संस्था में अब तक चिकित्सा अधिकारियों को मलेरिया के सम्बन्ध में छः सप्ताह शिक्षा लेनी पड़ती थी, पर उन्हें बारह सप्ताह शिक्षा लेनी पड़ेगी। भारत सरकार ने पुष्टि विज्ञान के सम्बन्ध में भी एक संक्षिप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया है। इस पाठ्यक्रम में कृषि फार्मिंग, दुग्धशाला विज्ञान, पशु पालन, मत्स्यपालन इत्यादि के वे पहल

भी आ जाएंगे, जिनका सम्बन्ध पुष्टि से है। देश में कुछ ऐसी सस्थाएँ भी हैं, जिनमें तपेदिक शिक्षा-धियों को शिक्षा दी जाती है।

भारत सरकार ने छात्रों को देश के बाहर जाकर प्रशिक्षण देने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी हैं। 1948 से वरिष्ठ शिक्षकों तथा शोध करने वाली को भ्रमण सम्बन्धी छात्रवृत्तियाँ भी दी जा रही हैं। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कामनवेल्थ औद्योगिक सहायता कार्यक्रम के अनुसार आस्ट्रेलिया तथा कनाडा ने क्रमशः 37 और 10 छात्रवृत्तियाँ भारतीय छात्रों को दी। विद्वत् स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ की ओर से विदेशों में उच्चतर चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रों को फेलोशिप दिए जाने हैं।

## शोध

### पुष्टि

कुन्नूर की पुष्टि विज्ञान शोध प्रयोगशाला, कलकत्ता, बम्बई तथा बंगलोर की शोध मस्थाओं तथा देश की अन्य शोध मस्थाओं में पुष्टि विज्ञान के सम्बन्ध में शोध जारी है। इनमें से कुन्नूर वाली प्रयोगशाला का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें सबसे पहले ऐसे लोगों के सम्बन्ध में जैसे चेन्नी-बेरी और फीलपोन के सम्बन्ध में शोध कार्य शुरू हुआ, जिनका सम्बन्ध पुष्टिगत कमी से है, पर अब इसका दायरा ऐसे विषयों तक विस्तृत हो गया है जिनमें पुष्टि के पूर्ण सम्बन्धों पहलू, देश में आम तौर से प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न खाद्य द्रव्यों के पौष्टिक मूल्यों का निर्णय, खाद्यगत प्रमाणन तथा शरीर पर कुछ खाद्य द्रव्यों के कृत्रिमणुओं का अध्ययन।

1953 के 31 मार्च को हैदराबाद में पुष्टि-शोध प्रयोगशाला की स्थायी स्मारक का शिलान्यास किया गया था।

शोणित विज्ञान के सम्बन्ध में भारत में 1930 से 1939 तक के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में लगभग शोध कार्य शुरू हुआ। तब से चिकित्सा सम्बन्धी शोध की भारतीय परिषद् ने शोणित विज्ञान में शोध की बहुत सी योजनाएँ रखी हैं और अभी हाल में शोणित विज्ञान पर शोध के लिए एक विशेष विभाग स्थापित हुआ है।

### विरस-शोध केन्द्र

पूना में 1953 की 4 फरवरी को विरस शोध केन्द्र का बाकायदा उद्घाटन किया गया। भारत में विशेष रूप से पाए जाने वाले विरस से उत्पन्न रोगों पर यहाँ शोध कार्य होगा, और साथ ही यहाँ विरस शोध के क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया जायगा। चिकित्सा सम्बन्धी शोध की भारतीय परिषद् तथा राकफेलर फाउण्डेशन ने यह कार्य मयुक्त रूप से किया है इस केन्द्र को चलाने की वित्तीय जिम्मेदारियाँ प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार पर नहीं हैं।

चिकित्सा सम्बन्धी शोध की भारतीय परिषद् ने विरस शोध में विशेष दिलचस्पी ली है, इसके अलावा कसौली में कुछ समय से रेबीज शोध केन्द्र काम कर रहा है।

### इन्फ्लुएन्जा केन्द्र

इन्फ्लुएन्जा के विभिन्न पहलुओं पर कुन्नूर पास्तूर संस्था के इन्फ्लुएन्जा केन्द्र 1950 से शोध कार्य जारी है। इस केन्द्र में अब तक इन्फ्लुएन्जा के ग्यारह प्रकार के विरस अलग किए गए हैं, इसके अलावा मद्रास, कुन्नूर, ऊटकमंड, बम्बई इत्यादि स्थानों में इस रोग का जो प्रकोप हुआ

या, उस पर भी शोध किया गया। यहाँ पर रैबीज, हैजा तथा सर्पविष प्रतिशोधकों पर भी प्रतिशोध हो रहा है, भारत में ज्वर कितना होता है इस पर भी खोज हो रही है। साथ ही गुप्त रोगों के निदान के मीरिगोलोजिकल उपायों में भी तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। इन्फ्लूएन्जा निवारक वैक्सिनो तथा सिरमो को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। उनका परिणाम अच्छा रहा है, इसलिए एक प्रस्ताव यह है कि इसके लिए एक प्रारम्भिक कारखाना खोला जाय। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से तपेदिक के सम्बन्ध में विशेषकर बी० सी० जी० के साथ इसके सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए शोध कार्य शुरू हो चुका है। तपेदिक शोध मद्रास के मदनापल्ले नामक स्थान के यूनियन मिशन टी० बी० मेनेटोरियम में हो रहा है। तपेदिक के महामारी रूप सम्बन्धी शोध की एक योजना स्वीकृत हो चुकी है। यह योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा चिकित्सा शोध की भारतीय परिषद् की सहायता से कार्यान्वित की जाएगी।

### कुष्ठ

स्वास्थ्य प्रमापन और विकास समिति की सिफारिश पर पंचवर्षीय योजना में मद्रास के चिन्नलपट्ट नामक स्थान में एक केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षा तथा शोध मस्था की स्थापना की व्यवस्था की गई है। यह प्रस्ताव है कि लेडी विलिंगडन कुष्ठ सेनेटोरियम तथा मिलवर जुबली शिशु रोग परीक्षणगृह को यह मस्था अपने अन्तर्गत कर ले।

### कैन्सर

1946 में बम्बई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैन्सर सम्बन्धी शोध जारी हो गया। अपग्रेडिंग समिति या उन्नयन समिति की सिफारिश पर इस शोध कार्य को कैन्सर शोध के राष्ट्रीय केन्द्र की मर्यादा प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने अनावर्तक तथा आवर्तक अनुदानों के रूप में इस केन्द्र को बहुत बड़ी रकम दी है।

### प्रयोगशालाएं

निम्नलिखित मस्थाओं में अपने अपने विषय के लिए शोध की सुविधाएं हैं। मद्रास के गिण्डी नामक स्थान के ० ई० एम० अस्पताल की बी० सी० जी० वेक्सिन की प्रयोगशाला (स्थापित 1948), कलकत्ता की केन्द्रीय ड्रग प्रयोगशाला (स्थापित 1947) कलकत्ता की सेरेलांजिस्ट प्रयोगशाला (स्थापित 1914) कसौली की केन्द्रीय शोध मस्था (स्थापित 1906)।

बी० सी० जी० वेक्सिन प्रयोगशाला में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथेष्ट वेक्सिन उत्पन्न हो रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बी० सी० जी० सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए इस प्रयोगशाला को आर्डर दिए हैं। कसौली की केन्द्रीय शोध मस्था से देश भर की टी० बी०, हैजा, रैबीज तथा विष निवारक सिरमो और वैक्सिनो की पूर्ति होती है।

### केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

संविधान के 263 अनुच्छेद के अनुसार 1952 के 9 अगस्त को दिए हुए राष्ट्रपति के एक आज्ञा पत्र के अनुसार यह संस्था बनी। इस संस्था का उद्देश्य यह है कि संयुक्त रूप से कार्य किया जाए, और केन्द्र तथा राज्य आपस में मिल कर प्रयत्न करे। यूनियन की स्वास्थ्य मंत्री इस परिषद् की प्रधान तथा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रीगण इसके उपप्रधान हैं। 1953 की जनवरी में

परिषद् की पहली सभा हैदराबाद में हुई और इसमें अन्य विषयों के साथ साथ राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम, चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के मानदण्डों विशेषकर वैद्यों को, हकीमों को दृष्टि में रखते हुए विचार हुआ।

### औषधि नियन्त्रण

1940 की औषधि विधि तथा 1945 के औषधि सम्बन्धी नियम 'क' भाग के सब राज्यों में तथा 'ग' भाग के राज्यों में से अजमेर, कुर्ग तथा दिल्ली में 1947 की पहली अप्रैल को लागू हो गये। यह विधि तथा नियम अब 'ख' भाग के सब राज्यों में (सिवा जम्मू और काश्मीर के तथा नये बने हुए 'ग' भाग के राज्यों में) लागू हो चुके हैं। इस विधि के अनुसार यूनियन सरकार को यह अख्तियार दिया गया है कि केवल उन्हीं दवाओं को बाहर से मगाने दिया जाये जो एक स्वीकृत मानदण्ड तक की हो। राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे स्थानीय रूप से उत्पन्न होने वाली दवाओं का उत्पादन, बिक्री और वितरण पर नियन्त्रण रखें। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय इस विधि को भी कड़ाई के साथ बरतना चाहता है।

स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल के अधीन एक कंट्रोलर या नियन्त्रक तथा चार सहायक नियन्त्रक औषधि विधि में वर्णित कार्यों को करने के लिए नियुक्त हुए हैं। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के प्रोद्योगिक विषयों पर परामर्श देने तथा प्रशासन में एकरूपता प्राप्त करने के लिए औषधि प्रोद्योगिक परामर्श बोर्ड तथा औषधि सलाहकारी समिति का निर्माण हुआ है।

### मेडिकल डिपो और कारखाने

अतैनिक तथा सैनिक विभागों को उपयुक्त तथा स्वीकृत ढंग की दवाएं पहुंचाने के लिए मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और करनाल में दवाओं के सरकारी डिपो मौजूद हैं। मद्रास वाले डिपो के साथ कुछ कारखाने भी हैं। इन कारखानों में बहुत बड़े परिमाण में बाहर से बंगाए हुए तथा देशीय कच्चे माल से बहुत सी दवाएं उत्पन्न की जाती हैं।

### पेनिसिलीन और डी० डी० टी०

केन्द्रीय सरकार की यह योजना है कि पूना में एक पेनिसिलीन का कारखाना खोला जाये यह योजना अच्छी प्रगति कर चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीयों को प्रशिक्षित करने के अतिरिक्त तीन लाख तीस हजार डालर के मूल्य तक की प्रौद्योगिक सहायता देने का निश्चय किया है। यूनिसेफ इस कारखाने तथा उसके यन्त्रों के लिए साठ लाख डालर देना चाहता है। बम्बई सरकार बम्बई के पास जल्दी ही एक डी० डी० टी० का कारखाना खोलने वाली है। बंगाल तथा मद्रास सरकार सिन्कोना के ऐसे कारखानों की मालिक हैं, जिनमें एक लाख पौंड सिन्कोना प्रति-वर्ष उत्पन्न होता है। बम्बई की हैफकिन संस्था ऐसी सलफा दवाएं प्रस्तुत कर रही है जो विश्व में उत्पन्न सलफा की सर्वोत्तम दवाइयों में समझी जाती हैं।

### फरमासी जांच समिति

भारत सरकार ने फरमासी उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर खोज करने तथा भारत सरकार को ऐसी बातों की सिफारिश करने जिससे यह धधा मजबूत हो जाए एक समिति नियुक्त की है।

### दवाओं के विज्ञापन पर नियन्त्रण

दवाओं के विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय मसद् ने एक विधि बना दी है। इस विधि के अनुसार तिलस्मी आरोग्य शक्ति तथा अनाप मनाप दावा करने वाले लोगों को सजा दी जायेगी।

### रोगों की रोकथाम और नियन्त्रण

1947 में कुछ शहरों और देहाती इलाकों के अतिरिक्त 'क' तथा 'ख' भाग के सब राज्यों में टीका सम्बन्धी विधि लागू थी। 'क' भाग के सब राज्यों तथा 'ख' भाग के अजमेर, कुर्ग और दिल्ली में 82 कसबे, 204 देहाती वृत्त तथा 621 गांव ऐसे थे जहां प्रारम्भिक टीका लगाना अनिवार्य नहीं था, तथा 589 कसबे, 815 देहाती वृत्त, 621 गांव ऐसे थे, जहां दोबारा टीका लगवाना अनिवार्य नहीं था। 'क' भाग के राज्यों में तथा अजमेर, कुर्ग और दिल्ली में 1947 के दौरान में 2,12,49,020 व्यक्तियों को टीके लगे थे। हैजा तथा ताऊन के लिए क्रमशः 2,18,58,094 तथा 62,95,157 व्यक्तियों को टीके दिए गए थे।

### राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम

इस समय मौजूदा नियन्त्रण कार्यक्रम से लगभग तीन करोड़ व्यक्तियों को यानी भारत की कुल आबादी के आठ प्रतिशत से कुछ अधिक लोगो को मलेरिया से संरक्षण प्राप्त होता है। यह तो स्पष्ट है कि केवल इतने लोगो को संरक्षण देने से काम नहीं चलता, इसलिए 1952 की जुलाई वाले भारत अमेरिका समझौते के अनुसार एक राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना चालू की जाएगी। इस योजना के दो अंग हैं, एक तो तीन साल तक रोग के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा, और इसके बाद कुछ कम पैमाने पर उस परिणाम को कायम रखा जायेगा। उद्देश्य यह है कि तेरह करोड़ लोगो को मलेरिया से संरक्षण मिले और व्यावहारिक मलेरिया नियन्त्रण टीमो की संख्या तीस से 1955-56 तक 130 कर दिया जाए। 1953-54 तक टीमो की कुल संख्या 75 तक ले जाना था। भारत सरकार राज्यों को 1954-55 और 1955-56 में 60 लाख रुपये के मूल्य का डी० डी० टी० और अगले तीन सालो में सवा पांच लाख रुपये के मूल्य की मलेरिया निवारक दवाइया मुफ्त देगी। केन्द्रीय सरकार कुछ राज्यों को नये कार्यक्रम शुरू करने तथा अपने वर्तमान कार्यक्रमो को बढ़ाने के लिए सहायता देने का विचार रखती है। राज्य सरकार को डी० डी० टी० के अलावा बाकी सब व्यावहारिक खर्च और अतिरिक्त सामान के लिए आरम्भिक खर्च उठाना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि इन तीन वर्षों में वे अपनी तरफ से बराबर मलेरिया निरोध के लिए जो कुछ खर्च करते रहे हैं, उसे बन्द नहीं करेंगे। डी० सी० ए० की ओर से डी० डी० टी० अनुदान के रूप में सहायता दी जाएगी। यह द्रष्टव्य है कि मलेरिया के नियन्त्रण में यही सबसे अधिक खर्च वाली चीज है। इसके अलावा डी० सी० ए० की ओर से आवश्यक सामग्री भी दी जाएगी। बम्बई में 1953 की तीन जून को राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना चालू की गई।

### तालिका 147

(करोड़ रुपये में)

|                 | राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व औसत वार्षिक व्यय | राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण योजना काल में व्यय |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| राज्य केन्द्र . | 1 41<br>—                                                                       | 5<br>10                                        |



रौकफेलर फाउण्डेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, एफ० ए० ओ० तथा अमेरिका के प्रौद्योगिक सहयोग प्रशासन आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मलेरिया के विरुद्ध मूल्यवान सहयोग दिया गया है। मलेरिया की टीमें जिनमें डब्ल्यू० एच० ओ० तथा राज्य सरकारों के लोग हैं, तराई तथा मैसूर के मालनद इलाके में काम कर रही हैं।

दिल्ली की भारतीय मलेरिया संस्था पद्धतिगत रूप से शोध, महामारी सम्बन्धी अनुसंधान तथा मलेरिया निवारक उपाय करती रहती है। साथ ही वह व्यावहारिक मलेरिया निवारण में लगे हुए लोगों को प्रशिक्षण भी देती है।

### तपेदिक

अनुमान है कि लगभग पचीस लाख व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं, जिनमें से पांच लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष मर जाते हैं। 1947 में 'क' भाग के राज्यों तथा 'ग' भाग के राज्यों में अजमेर, कुर्ग, दिल्ली में 3,71,045 व्यक्ति सास सम्बन्धी बीमारियों से तथा 47,639 हृदय के तपेदिक से मर गए। यह हिसाब लगाया गया है कि इन रोगों के कारण 90 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक मनुष्य दिनों की हानि होती है, इसलिए यदि यह कहा जाये कि हानि बहुत ही भारी है, तो इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तपेदिक का सामना करने तथा उसके नियंत्रण के लिए ये उपाय किए गए हैं :

### बी० सी० जी०

बीस साल से ऊपर तजुर्बा करने के बाद यह मालूम हुआ है कि बी० सी० जी० का टीका तपेदिक नियंत्रण करने के लिए सुन्दर उपाय है। भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य मण्डल तथा यूनिसेफ के साथ यह समझौता किया है कि देशव्यापी बी० सी० जी० कार्यक्रम चलाया जाये। 1948 में बी० सी० जी० टीकों का कार्यक्रम आरम्भ हुआ, और 1951 के अप्रैल में बड़े पैमाने पर इसे चलाया जा रहा है।

1953 के सितम्बर के अन्त तक सोलह राज्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हो चुके थे। 1953 के अगस्त के अन्त तक दो करोड़ दस लाख व्यक्ति की ट्यूबरकुलिन के लिए परीक्षा हो चुकी थी। इनमें से 65 लाख व्यक्ति ट्यूबरकुलिन नेगेटिव पाए गए, इसलिए उन्हें बी० सी० जी० का टीका दिया गया। इस कार्यक्रम को ढग से चलाने के लिए एक केन्द्रीय बी० सी० जी० मण्डल बनाया गया है, और 1953-54 के लिए 3,78,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। यह तो केन्द्र की बात हुई, राज्य सरकारों से भी कहा गया कि वे इस प्रकार के संगठन कायम करें।

100 से अधिक बी० सी० जी० टीमें देश भर में काम कर रही हैं। गिन्डी स्थित बी० सी० जी० वेक्विन प्रयोगशाला इनकी अधिक वेक्विन उत्पन्न करनी है कि वह देश की आवश्यकता के लिए यथेष्ट है।

तपेदिक पर विजय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इस कार्य के लिये लोग यथेष्ट संख्या में प्रशिक्षित हों। दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में जो तीन प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन केन्द्र हैं, उनमें चिकित्सा-शास्त्र के छात्रों, स्नातकोत्तर कार्यकर्ताओं, छात्रियों, हेल्थ विजिटर्स तथा प्रौद्योगिक विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय तपेदिक संघ प्रतिवर्ष कुछ हेल्थ विजिटर्स को प्रशिक्षित करता है।

दिल्ली के वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर शोधकार्य होता है। इस संस्था में कई विभाग खोले जान का विचार है जिनमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर शोधकार्य होगा।

तपेदिक से लोहा लेने के लिए यह आवश्यक है कि देश भर में बहुत अधिक संख्या में रोगी निवास, अस्पताल तथा प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि हो। योजना आयोग ने इन संस्थाओं की वृद्धि तथा जो संस्थाएँ मौजूद हैं, उनके विस्तार के लिए सिफारिश की है। इस सम्बन्ध में क्या प्रगति अभीष्ट है, यह निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है

तालिका 148

|                   | 1950-51            |                  | 1955-56            |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                   | संस्थाओं की संख्या | पलंगों की संख्या | संस्थाओं की संख्या | पलंगों की संख्या |
| आरोग्य-गृह        | 37                 | 4,161            | 46                 | 5,656            |
| अस्पताल           | 48                 | 3,077            | 50                 | 4,814            |
| रोगी चिकित्सा गृह | 127                | 2,323            | 180                | 2,562            |

1952 में इतनी उन्नति हो चुकी थी कि 1947 में जहाँ पाँच हजार पलंगों का ही प्रबन्ध था, वहाँ उस साल 13,000 पलंगों का प्रबन्ध हो चुका था। तपेदिक रोग से मुक्त लोगों के लिए रोगोत्तर-सेवा उपनिवेशों तथा सुपात्र गरीब रोगियों की सहायता के लिए एक कोष का होना बहुत आवश्यक है। तपेदिक के रोगी अच्छे हो जाने पर भी अपने पहले के कार्यों पर लौट नहीं पाते, क्योंकि लोग उनसे एक प्रकार में बचना चाहते हैं। इसके अलावा यह भी बात सही है कि यदि बेकठिन परिश्रम करे, तो वे फिर से रोगी हो सकते हैं। एक प्रस्ताव यह है कि पश्चिमी बंगाल में एक रोगोत्तर सेवा उपनिवेश स्थापित किया जाए, और इसके लिए दस लाख रुपये का लक्ष्य रख कर एक कोष एकत्र किया जा रहा है। केन्द्र में गरीब रोगियों की सहायता के लिए एक कोष खोला जा चुका है। इस कोष का प्रबंध-भार केन्द्रीय तपेदिक सच को दे दिया गया है।

#### टी० बी० सीलों का कार्यक्रम

तपेदिक सच ने टी० बी० सीलों का बेचना जारी करके गैर-सरकारी तपेदिक विरोधी संस्थाओं के लिए अच्छी सुविधा प्रस्तुत कर दी है। इससे पैसे एकत्र करने का तथा जनता में वैयक्तिक दिलचस्पी पैदा करने का अच्छा मौका मिला है। गत तीन अभियानों में लगभग तीस लाख रुपये एकत्र हो चुके हैं। जो लोग तपेदिक के क्षेत्र में सेवा कार्य कर रहे हैं, उनका मिल जुल कर काम करना तथा पारस्परिक तजुर्बे से फायदा उठाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से केन्द्रीय तपेदिक सच सम्बन्धित लोगों का एक सम्मेलन बुलाता है। 1953-54 की दो फरवरी को मंसूर में तपेदिक कार्यकर्ताओं का दसवाँ सम्मेलन हुआ था।

केन्द्र में एक तपेदिक परामर्शदाता है। यह सम्भव है कि जल्दी ही सभी मुख्य राज्यों में इसी प्रकार के परामर्शदाता होंगे। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें तपेदिक सेवा में लगे हुए विभिन्न संगठनों तथा संस्थाओं को अनुदान देती है।

### यौन रोग

अब यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ऐसे स्थानों में यौन रोग का अनुपात बहुत अधिक है। इन राज्यों में पांच से सात प्रतिशत व्यक्ति उपदश से पीड़ित हैं। देहातों में क्या परिस्थिति है, यह नहीं मालूम, पर काश्मीर से लेकर आसाम तक की पहाड़ी इलाके विशेष कर काश्मीर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश और आसाम में यह रोग बहुत अधिक फैला हुआ है। पश्चिमी बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टरेट के कर्मचारीवर्ग में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो केवल यौन रोग दमन करने वाले हैं। मद्रास राज्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से एक मेडिकल सलाहकार की सेवाएँ प्राप्त की गई हैं।

भारत सरकार के सामने एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार मद्रास और बम्बई के मेडिकल कालेजों के अन्तर्गत यौन विभाग को उच्चतर मर्यादा दी जाएगी। पश्चिमी बंगाल में यौन रोग नियन्त्रण की एक बहुत ही व्यापक योजना चालू है, जिसमें 84 लाख 30 हजार रुपये खर्च होते हैं। पंचवर्षीय योजना काल में इस मद में केन्द्र तथा राज्य इस प्रकार खर्च करेंगे।

|           |   |   |   |                   |
|-----------|---|---|---|-------------------|
| राज्य .   | . | . | . | I करोड़ 3 लाख रु० |
| केन्द्र . | . | . | . | 5 लाख 79 हजार रु० |

### कुष्ठ

भारत में लगभग दस लाख व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित रहते हैं। इन स्थानों के कुछ इलाकों में कुष्ठ का जोर सबसे अधिक हो रहा है—पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, त्रिबुवाकुर-कोचीन।

इस समय कुष्ठ निवारण का अधिकांश कार्य स्वयंसेवक ढग के सगठनों के द्वारा किया जाता है। इस कार्य में मिशन टू लेपर्ज संस्था सबसे आगे है। 1875 में पंजाब में चम्बा नामक स्थान में इस संस्था की स्थापना हुई। अब 95 संस्थाएँ इससे सयुक्त हैं। हाल ही में राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने कुष्ठ रोगियों के रहने का प्रबन्ध करने की चेष्टा की, पर कुल मिला कर देश भर में केवल 14,000 कुष्ठ रोगियों के लिए स्थान प्राप्त है। हिन्दू कुष्ठ निवारण संघ ने 1925 में ब्रिटिश साम्राज्य कुष्ठ निवारण संघ की भारतीय परिषद् के रूप में काम शुरू किया। गांधी स्मारक निधि ने भी एक कुष्ठ निवारण संघ स्थापित किया है और इस रोग को रोकने के लिए 90 लाख रुपये का अनुदान दिया है।

जिन स्थानों में कुष्ठ का विशेष प्रकोप है, उन स्थानों में अधिक कार्य करने के लिए कुछ योजनाएँ केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

### कैसर

साल में लगभग दो लाख व्यक्ति कैसर में मरते हैं। बम्बई का टाटा स्मारक अस्पताल तथा कलकत्ते का चित्तरंजन अस्पताल ये ही दो ऐसे अस्पताल हैं, जहाँ कैसर का इलाज होता है। मद्रास में इसी प्रकार का अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। टाटा स्मारक अस्पताल में शोध भी हो रहा है।

## स्वास्थ्य

1951 की दो मई को बम्बई में भारतीय कैसर सोसायटी की स्थापना हुई। इसके दो प्रधान दफ्तर कलकत्ता और दिल्ली में हैं। दिल्ली वाला दफ्तर 1953 के अप्रैल में स्थापित हुआ था।

### जलपूर्ति

भारत में केवल छः प्रतिशत नगरों में शोधित जल पूर्ति की व्यवस्था है। इस प्रकार भारत की कुल आबादी के 6.15 प्रतिशत तथा शहरी आबादी के 48.5 प्रतिशत को ही शोधित जल मिलता है। बड़े शहरों में जल की व्यवस्था काफी बिगड़ी है। देहाती इलाकों में तथा छोटे शहरों में लोगों को शोधित जल नहीं मिलता। एनवायरनेमेंटल हाईजीन कमेटी ने इस सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना तैयार की है, जिसमें उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें जल दुर्लभ है, हैजा का प्रकोप रहता है इत्यादि। इस कमेटी ने जो योजना रखी है उसमें प्रतिवर्ष 16 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च होंगे।

एक लाख की आबादी से ऊपर वाले 48 शहरों में से 23 में मल अपवहन पद्धति मौजूद है। बारह शहरों में आंशिक रूप से मल अपवहन प्रणालियाँ हैं। इस प्रकार केवल तीन प्रतिशत लोगों को इस प्रणाली से लाभ प्राप्त होता है। ऊपर बताई हुई कमेटी ने इस सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो प्रस्ताव रखा है उसमें पंद्रह करोड़ रुपये खर्च आएगा।

‘क’ भाग के राज्यों में बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, बिहार, ‘ख’ भाग के राज्यों में मध्य प्रदेश, मैसूर तिरुवाकुर-कोचीन और ‘ग’ भाग के राज्यों में भोपाल, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर ने अपनी जल पूर्ति तथा मल अपवहन प्रणाली को उन्नत करने के लिए यथेष्ट खर्च किया है। राज्यों की जल पूर्ति और मल अपवहन के पंचवर्षीय कार्यक्रम में 23 करोड़ 49 लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें केन्द्र दस करोड़ रुपये देगा, जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थानीय विकास कार्यों के लिए प्राप्त तीस करोड़ रुपये की रकम में से दिया जाएगा।

एक आदर्श व्यापक जन स्वास्थ्य विधेयक बनाने के लिए एक समिति नियुक्त हुई है। इसमें परिस्थितिगत सफाई के सारे पहलू आ जाएंगे जैसे मकान की जल पूर्ति, सामान्य सफाई, विविध व्यवसायों, धधो तथा पेशों की व्यवस्था।

### पुष्टि

1935 और 1948 के बीच भारत में खाद्यों का जो प्रमाणन किया गया, उससे यह ज्ञात हुआ कि एक औसत भारतीय के खाद्य में अनाज बहुत अधिक रहता है, पर उसमें प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा विटामिन जैसे संरक्षण खाद्यों का अभाव रहता है। इस प्रकार का भोजन असन्तुलित होता है और इससे अपुष्टि होती है। इसके कारण बच्चों, माताओं तथा साधारण लोगों में मृत्यु संख्या अधिक होती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और भारतीय कृषि शोध परिषद् की संयुक्त समिति ने खेती की उपजों को दृष्टि में रख कर मनुष्यों तथा पशुओं की पुष्टि के सम्बन्ध में एक नयी तुली

योजना रखी है। नीचे जो तालिका दी गयी है, उसमें प्रति वयस्क व्यक्ति को कितना खाना प्राप्त है तथा 1956 तक हमारा क्या लक्ष्य है, यह दिखाया गया है :

तालिका 149

तीस करोड़ वयस्क इकाइयों की आवश्यकता-पूर्ति का लक्ष्य

| खाद्य पदार्थ      | 1950 में प्रति वयस्क व्यक्ति उपलब्ध मात्रा (औंसों में) | दैनिक आवश्यकताएं (औंसों में) | वार्षिक आवश्यकताएं (दस लाख टनों में) |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| अनाज              | 13 71                                                  | 14                           | 43                                   |
| दालें             | 2 1                                                    | 3                            | 9                                    |
| दूध               | 5.5                                                    | 10                           | 31                                   |
| फल                | 1 5                                                    | 3                            | 9                                    |
| तरकारियां         | 1 3                                                    | 10                           | 29                                   |
| चीनी              | 1 6                                                    | 2                            | 6                                    |
| मछली और गोشت      | 0.3                                                    | 3                            | 9                                    |
| अंडे              | —                                                      | 1 (अक)                       | 10,95,000 लाख अंडे                   |
| वनस्पति तेल और घी | 1                                                      | 2                            | 6                                    |

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की एक पुष्टि परामर्श समिति है। इसके अलावा कई पुष्टि शोध प्रयोगशालाएं भी हैं। केन्द्र में भी एक अन्तर्विभागीय समिति है। बंगाल, बम्बई, तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ऐसी समितियां बना ली हैं। मद्रास, बिहार तथा पंजाब की सरकारें इस विषय पर विचार कर रही हैं।

खाद्य में मिलावट की ओर सरकार की दृष्टि गई है, और ससद् खाद्य मिलावट विधेयक पर विचार चल रहा था।

### स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा

सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा केन्द्रीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। जनता में स्वास्थ्य सम्बन्धी विचारों को फैलाने के लिए फिल्मों, पोस्टरों पुस्तिकाओं, माडलों, फोटो आदि का प्रयोग होता है।

स्वास्थ्य मेवाओं के डायरेक्टरेट जनरल से एक केन्द्रीय स्वास्थ्य फिल्म पुस्तकालय भी सम्बद्ध है। इस पुस्तकालय में स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो फिल्म रहते हैं, वे राज्य सरकारों को, शिक्षा संस्थाओं को, स्थानीय संस्थाओं को, सामूहिक कार्य प्रशासन संस्थाओं को तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं को उधार दिये जाते हैं, जिससे कि वे उनका लाभ उठा सकें। बीस बहुरंगी चित्रमय पोस्टर तथा पैंतीस पुस्तिकाएं अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी हैं, और निःशुल्क बांटी जा रही हैं। नुमाइशों में बहुत से बहुदीकृत फोटो तथा अन्य प्रदर्शन योग्य चीजें दिखाई जाती हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य अजायबघर की स्थापना भी की जा चुकी है।

### जनसंख्या का नियन्त्रण

स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टरेट जनरल में अभी हाल में ही आबादी-नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक नया विभाग खोला गया है। इस सम्बन्ध में तीन प्रारम्भिक प्रयोग किये जा रहे हैं। इनमें

से दो प्रयोग दिल्ली में और एक मैसूर में किया जा रहा है। परिवार नियन्त्रण के सम्बन्ध में जो खतरे से खाली दिन का मिद्धान्त है, उसकी उपयोगिता तथा मृत्यु पर अध्ययन तथा प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा समझा जाता है कि 1954 के अन्त तक यह अध्ययन समाप्त हो जायेगा। भारत सरकार को परिवार-नियन्त्रण के सम्बन्ध में शोध सम्बन्धी तथा अन्य योजनाओं पर परामर्श देने के लिए एक परिवार-नियन्त्रण शोध तथा कार्यक्रम समिति का निर्माण किया जा चुका है।

योजना आयोग ने इस कार्य के लिए 65 लाख रुपये की व्यवस्था की है। 1952-53 में उसके लिए तीन लाख रुपये की व्यवस्था थी, जिसमें से केवल एक ही अग्र खर्च हुआ था। 1953-54 के बजट में भी इस सम्बन्ध में तीन लाख रुपये की व्यवस्था है।

### अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्ध

भारत को 1948 से विश्व स्वास्थ्य सगठन तथा 1949 से यूनिसेफ में सहायता प्राप्त हो रही है। इन सगठनों से जो सहायता प्राप्त होती है, वह साधारणतः मौजूदा सेवाओं को उन्नत करने के लिए विशेषज्ञ परामर्श, चिकित्सा सम्बन्धी साहित्य, साज-सामान तथा धात्रियों और दाइयों को प्रशिक्षित करने के लिए फैलोशिप और छात्रवृत्तियों के रूप में होती है। इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से हमारे यहां जो तरह तरह के प्रशिक्षण तथा शोध कार्य चालू हैं, उनके लिए पथ प्रदर्शक तथा शिक्षक भी भेजे जाते हैं। यूनिसेफ की ओर से भूचाल तथा दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्रों के लिए भी सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बच्चों तथा ग्रामज प्रसवा माताओं को खिलाने पिलाने के सम्बन्ध में भी इसके कार्यक्रम भी चालू हैं। इसकी ओर से भारत के 28 राज्यों के मातृमंगल तथा शिशु कल्याण केन्द्रों में 3,06,900 पौड साबुन बांटा जा चुका है।

1952-53 के बजट में विश्व स्वास्थ्य सगठन में बीस लाख रुपये अलग रखे गये थे। 1952 में भारत सरकार ने यूनिसेफ के कोष में बारह लाख रुपये दिये। 1953 में इस मस्या को पंद्रह लाख रुपये देने की व्यवस्था है।

### तालिका 150

| माह      | जन्म                |                              | मृत्यु              |                              |
|----------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
|          | योग<br>(हजारों में) | (हजार<br>व्यक्ति<br>पीछे) दर | योग<br>(हजारों में) | (हजार<br>व्यक्ति<br>पीछे) दर |
| I        | 2                   | 3                            | 4                   | 5                            |
| 1950     | 6,728               | 24.8                         | 4,333               | 16.0                         |
| 1951 (क) |                     |                              |                     |                              |
| जनवरी    | 468                 | 24.3                         | 283                 | 14.7                         |
| फरवरी    | 445                 | 23.4                         | 269                 | 14.1                         |
| मार्च    | 464                 | 23.2                         | 289                 | 14.4                         |
| अप्रैल   | 448                 | 22.4                         | 285                 | 14.2                         |
| मई       | 460                 | 22.6                         | 316                 | 15.6                         |
| जून      | 463                 | 22.9                         | 291                 | 14.4                         |
| जुलाई    | 503                 | 26.0                         | 281                 | 13.9                         |

(क) इनका उन इकाइयों से सम्बन्ध है जिन्हें पहले प्रांत कहा जाता था।

| I               | 2   | 3    | 4   | 5    |
|-----------------|-----|------|-----|------|
| अगस्त .         | 522 | 26.4 | 267 | 13.5 |
| सितम्बर .       | 522 | 28.2 | 260 | 14.1 |
| अक्तूबर .       | 516 | 27.8 | 290 | 15.7 |
| नवम्बर .        | 517 | 27.4 | 250 | 13.2 |
| दिसम्बर .       | 515 | 25.1 | 267 | 13.0 |
| 1952(क) जनवरी . | —   | 24.4 | —   | 12.7 |
| फरवरी .         | —   | 23.6 | —   | 12.4 |
| मार्च .         | —   | 24.2 | —   | 13.3 |
| अप्रैल .        | —   | 24.4 | —   | 13.1 |
| मई .            | —   | 24.6 | —   | 13.0 |
| जून .           | —   | 26.0 | —   | 12.9 |
| जुलाई .         | —   | 29.6 | —   | 14.6 |
| अगस्त .         | —   | 31.7 | —   | 15.6 |
| सितम्बर .       | —   | 32.6 | —   | 16.4 |
| अक्तूबर .       | —   | 34.4 | —   | 17.0 |
| नवम्बर .        | —   | 29.5 | —   | 14.8 |
| दिसम्बर .       | —   | 32.6 | —   | 17.3 |

(क) अस्थायी ।

## इक्कीसवां अध्याय

### श्रम

केवल कुछ संगठित भागों के सम्बन्ध में जैसे कारखानों, खानों, बागानों, रेलों, डाक और तार विभाग में लगे हुए लोगों के सम्बन्ध में ही आंकड़े प्राप्त हैं। पर असली काम करने वालों की संख्या इतने कहीं अधिक है। 1950 में संगठित धंधों में कितने लोग काम करते थे, उसका लेखा इस प्रकार है :—

|                      |   |   |   |           |
|----------------------|---|---|---|-----------|
| कारखाने              | . | . | . | 25,04,399 |
| खाने                 | . | . | . | 4,71,761  |
| रेले                 | . | . | . | 9,23,154  |
| ट्राम मार्ग          | . | . | . | 13,662    |
| डाक और तार           | . | . | . | 1,74,230  |
| मुख्य बन्दरगाह       | . | . | . | 53,258    |
| सी० पी० डब्ल्यू० डी० | . | . | . | 4,08,190  |

1950 में बागानों में कितने लोग काम करते थे, इसके आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। पर 1949 में बागानों में 12,10,964 व्यक्ति लगे हुए थे। सी० पी० डब्ल्यू० डी०, डाक और तार विभाग, मुख्य बन्दरगाहों और ट्रामों पर 1951 में क्रमशः 2,29,032; 1,93,302, 49,082 और 17,740 व्यक्ति लगे हुए थे। 1952 के 31 मार्च को रेल विभाग में 9,25,319 व्यक्ति लगे हुए थे।

### काम से गैर-हाजिरी

काम से गैर-हाजिरी के कारण उत्पादन सम्बन्धी साधनों पर बड़ा जोर पड़ता है। तालिका 151 से 153 में कुछ धंधों के सम्बन्ध में परिस्थिति स्पष्ट की गई है :

(देखिये पृष्ठ 346 पर तालिका 151)

### तालिका 152

कोयला-खानों के मजदूरों की अनुपस्थिति-वृत्ति (प्रतिशत)

| अवधि        | भू-गर्भ में | खुले में | धरातल पर | कुल मिलाकर |
|-------------|-------------|----------|----------|------------|
| 1951 (औसत)  | 15.18       | 14.56    | 10.55    | 13.31      |
| 1952 (औसत)  | 14.78       | 14.31    | 10.38    | 13.11      |
| जनवरी 1953  | 15.37       | 14.71    | 8.98     | 12.77      |
| फरवरी 1953  | 14.23       | 14.08    | 10.77    | 13.01      |
| मार्च 1953  | 15.78       | 16.91    | 11.60    | 14.40      |
| अप्रैल 1953 | 13.99       | 14.38    | 10.70    | 12.86      |
| मई 1953     | 14.07       | 14.51    | 11.06    | 13.05      |
| जून 1953    | 15.90       | 15.00    | 11.86    | 14.34      |



## तालिका 151

उत्पादन करने वाले उद्योगों में अनुपस्थिति—वृत्ति

[कार्य के लिए निर्धारित व्यक्ति-पालियों (मैन-विण्डस) के मुकाबले व्यर्थ गयी व्यक्ति-पालियों का प्रतिशत]

| वर्ष | बम्बई ग्रह-मदा-वाट | शोला मद्रास मदुरा | कोय-म्बटूर | कान-पुर | कान-धारी-वाल | ऊती मिले | इंजीनियरिंग कारखाने | टेलि-ग्राफ वर्क-शाप | द्रामवे वर्क-शाप | लोहे व इस्पात के कार-खाने | ग्राडि-नेस कार-खाने | सीमेंट के कार-खाने | दिया-सलाई के कार-खाने | चमड़े के कार-खाने |      |
|------|--------------------|-------------------|------------|---------|--------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------|
|      |                    |                   |            |         |              |          |                     |                     |                  |                           |                     |                    |                       |                   |      |
| 1947 | 14.4               | 6.4               | 19.1       | 10.3    | 14.7         | 13.8     | 16.1                | 11.5                | -                | 13.8                      | -                   | 10.6               | 12.2                  | 12.4              | 15.5 |
| 1948 | 13.3               | 5.9               | 18.1       | 9.1     | 13.9         | 9.6      | 16.1                | 10.6                | -                | 13.4                      | -                   | 8.5                | 10.9                  | 10.9              | 8.0  |
| 1949 | 15.9               | 7.4               | 21.3       | 8.6     | 13.1         | 8.1      | 15.6                | 11.0                | -                | 13.6                      | -                   | 8.0                | 10.1                  | 10.8              | 11.3 |
| 1950 | 14.5               | 8.4               | 20.1       | 9.5     | 14.6         | 9.7      | 16.1                | 12.5                | 9.3              | 13.1                      | 11.1                | 8.1                | 10.6                  | 11.0              | 8.4  |
| 1951 | 12.7               | 8.3               | 18.7       | 8.9     | 11.3         | 10.0     | 12.0                | 13.2                | 10.6             | 13.9                      | 10.1                | 8.5                | 11.8                  | 10.5              | 7.8  |

तालिका 153

आसाम के चाय बागों में अनपस्थिति-वृत्ति (प्रतिशत)

|         |   |   |      |
|---------|---|---|------|
| 1944-45 | . | . | 28.8 |
| 1945-46 | . | . | 25.5 |
| 1946-47 | . | . | 25.6 |
| 1947-48 | . | . | 24.6 |
| 1948-49 | . | . | 25.9 |
| 1949-50 | . | . | 19.3 |

कोयला-खान बोनस योजना, और कोयला-खान प्राविडेंट फंड योजना, जो मुख्यतः कोयला-खान-मजदूरों की नौकरी के आकस्मिक रूप को समाप्त करने के उद्देश्य से बनायी गयी है, और उपस्थिति बोनस के कारण अनुपस्थिति-वृत्ति कम हो गयी है।

उत्पादनक्षमता

श्रम की उत्पादनक्षमता के विषय में हाल ही में अध्ययन प्रारम्भ किया गया। निम्नलिखित तालिका से कोयला खानों में श्रम की उत्पादनक्षमता के विषय में कुछ अन्दाज लग सकेगा—

तालिका 154

कोयला-खानों में उत्पादनक्षमता (औसत)

| अवधि        | खुदाई और<br>ढुलाई करने<br>वाले | भू-गर्भ में<br>और खुले में<br>कार्य सलग्न<br>सभी व्यक्ति | खान के<br>भीतर बाहर<br>कार्य सलग्न<br>सभी व्यक्ति |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| I           | 2                              | 3                                                        | 4                                                 |
| 1951 (औसत)  | 1 03                           | 0 55                                                     | 0 34                                              |
| 1952 (औसत)  | 1 04                           | 0 56                                                     | 0 35                                              |
| जनवरी 1953  | 1 06                           | 0 57                                                     | 0 33                                              |
| फरवरी 1953  | 1 03                           | 0 57                                                     | 0 37                                              |
| मार्च 1953  | 1 06                           | 0 57                                                     | 0 36                                              |
| अप्रैल 1953 | 1 05                           | 0 57                                                     | 0 37                                              |
| मई 1953     | 1 03                           | 0 56                                                     | 0 36                                              |
| जून 1953    | 1 06                           | 0 57                                                     | 0 35                                              |

उत्पादनक्षमता और परिणामों के द्वारा भुगतान पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन टीम

1952 की 5 दिसम्बर को पांच विशेषज्ञों का बना हुआ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मिशन भारत आया। नई दिल्ली में कुछ प्राथमिक विचार विनिमय करने के बाद मिशन दो हिस्सों में बंट गया। एक तो वस्त्र व्यवसाय के सम्बन्ध में सक्रिय हो गया, और दूसरा इंजीनियरिंग धंधों पर काम करने लगा। इन टीमों ने बम्बई राज्य की कपडा मिलों तथा कलकत्ते के पांच इंजीनियरिंग धंधों में बहुत ब्योरेवार जाचकार्य किया।

इस मिशन का उद्देश्य यह जांच करना था कि कार्य करने के आधुनिक उपायों, कारखाने के संगठन तथा जहाँ भी उपयुक्त हो भुगतान की उपयुक्त पद्धति के प्रवर्तन से भारतीय मजदूरों की उत्पादनक्षमता तथा मजदूरी किस प्रकार बढ़ सकती है। मिशन ने कुछ चुने हुए लोगों को तथा मजदूर संघ के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है और इसका नतीजा बहुत उत्साहप्रद रहा। अब यह प्रस्ताव रखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता केन्द्र खोला जाये।

### बेकारी

चाय के धंधे पर 1952 में जो आफत आई थी, वह 1953 में भी कायम रही। कपड़े के धंधे को भी हानि पहुँची, यहाँ तक कि मिले बन्द करने, छाट करने तथा मजदूरों के निकाले जाने की नौबत आ गई। इसके अतिरिक्त शिक्षित लोगों में भी बेकारी बढ़ गई। 1952 के अन्त में काम-दिलाऊ केन्द्रों के रजिस्ट्रो पर शिक्षित बेकारों की संख्या 1,61,599 दिखाई गई थी, यह संख्या 1953 के जून के अन्त में 1,94,881 हो गई। 1953 की जुलाई में आगरा अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश में फैली हुई बेरोजगारी के पतनकारी परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। ससद् के दोनों भवनो के शरद् तथा शीत अधिवेशनों में इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी सदस्यों ने प्रस्ताव भी रखे। कुछ राज्यों की विधान सभाओं में भी इस प्रश्न पर विचार हुआ। योजना आयोग ने इस समस्या पर ध्यान दिया और परिस्थिति का सामना करने के लिए कुछ कदम उठाये।

### बेकारी दूर करने के उपाय

देश में बेकारी बहुत अधिक बढ़ चुकी है, पर इस सम्बन्ध में कुछ ही उपाय काम में लाये जा सकते हैं। फिर भी बेरोजगारी दूर करने के लिये जो कुछ भी सम्भव है किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर पंचवर्षीय योजना में संशोधन किया जा रहा है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें विकास कार्यों के लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करने में लगी हुई हैं। निजी धंधों को भी अपनी उत्पादनक्षमता बढ़ाने में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में देश के प्रयासों को सही मार्ग दिखलाने के लिए एक एकादश-सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है। शिक्षित बेकारों की समस्या पर आपत्तिकाल के ढंग से विचार हो रहा है। एक शिक्षक वाले विद्यालयों का एक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें 1953-54 में 33,000 शिक्षक खप जायेंगे और 1954-55 में 50,000 और शिक्षक खपेंगे। इसके अतिरिक्त 30,000 विशेष शिक्षा केन्द्र 1953-54 में तथा 5,000 विशेष शिक्षा केन्द्र 1954-55 में खोले जायेंगे, ऐसी आशा है। राष्ट्रीय विस्तार योजना से 84,000 नौकरियाँ निकलेगी। केन्द्रीय सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए चौदह करोड़ सत्तर लाख रुपये खर्च करने का निर्णय किया है। अब तक अठारह राज्य केन्द्र का प्रस्ताव स्वीकार कर चुके हैं। इस मद में राज्यों में धन इस प्रकार से बांटा जायेगा :

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| बिहार . . . . .  | 11.50 लाख रुपये |
| पंजाब . . . . .  | 5.50 लाख रुपये  |
| पेप्सू . . . . . | 2.00 लाख रुपये  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| राजस्थान . . . . .  | 3.72 लाख रुपये |
| सीराष्ट्र . . . . . | 1.00 लाख रुपये |

### छंटनी किये हुए तथा हटाये हुए मजदूरों के लिए क्षतिपूर्ति

1953 की जुलाई में स्टैंडिंग लेबर कमेटी या स्थायी श्रम समिति के तेरहवें अधिवेशन में पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच जो समझौता हुआ था उसी को राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के रूप में 1953 के अक्टूबर में प्रकाशित किया गया। इसमें यह कहा गया है कि जो मजदूर मौसमी कारखानों के अलावा ऐसे कारखानों में काम करते हैं जहाँ पचास या उससे अधिक लोग काम करते हैं और कारखानेदार उसे हटाना चाहता है, तो यदि उस मजदूर के सामने कोई उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार नहीं है, तो कारखानेदार उसे एक साल में 45 दिन के हिसाब से जितने दिन बनेंगे उन के लिये पचास प्रतिशत मजदूरी और महगाई भत्ता देगा। अध्यादेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई मजदूर किसी मालिक के अधीन कम से कम एक साल रहा है, तो उसे निकालने के लिए एक महीने का नोटिस या नोटिस के ऐवज में एक महीने का वेतन तथा जितने साल या छः महीने में अधिक समय उसने पूरा किया, उतने सालों के लिये 15 दिन के औसत वेतन के हिसाब से एक मुश्त रकम देनी पड़ेगी।

(देखिये पृष्ठ 350 पर तालिका 155)

काम दिलाऊ केन्द्रों में अनुसूचित जातियों, छटनी में निकाले हुए सरकारी नौकरो तथा विस्थापितों को नौकरी दिलाने में प्राथमिकता दी जाती है। 1952 में इस संस्था की ओर से 8,596 छटनी में निकाले गये सरकारी नौकरो, 17,088 विस्थापितों तथा 49,044 अनुसूचित जातियों के प्रार्थियों को नौकरियाँ दिलाई गईं। हाल ही में काम दिलाऊ केन्द्रों में एक नया विभाग खोला गया है जो दर्जा I तथा दर्जा II के गेजेटेड तथा कमीशन प्राप्त फालतू तथा छटनी में निकाले हुए अधिकारियों को नौकरियाँ दिलाने का काम करेगा। 1952 में दर्जा I तथा दर्जा II के गेजेटेड तथा छटनी में निकाले हुए कमीशन प्राप्त अधिकारियों के विशेष रजिस्टर पर 307 व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए थे।

देहातो तथा काम दिलाऊ केन्द्रों के दफ्तरों से बहुत दूर के स्थानों में नौकरी चाहने वाले लोगों की मदद के लिए तेरह काम दिलाऊ केन्द्रों की ओर से चलते फिरते दफ्तर खोले गये। 1952 में प्रति मास औसतन 6,370 व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई। नौकरी चाहने वालों को गतिशील बनाने में भी काम दिलाऊ केन्द्र सहायक हो रहे हैं। प्रति मास देश भर के काम दिलाऊ केन्द्रों में गतिशील श्रम परिस्थिति विवरण के द्वारा लगभग 2,800 व्यक्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरे प्रचारित किये गये और प्रति मास औसतन 402 से अधिक व्यक्तियों को अपने जिलों से बाहर नौकरी दिलाई गई।

### प्रशिक्षण योजनाएं

1946 में काम दिलाऊ केन्द्रों की ओर से जो प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाएं बनाई गई थी, उनमें केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्रौद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी।

## राष्ट्रीय रोजगार सेवा

1945 में काम दिलाऊ केन्द्र इस उद्देश्य से खोले गये कि लड़ाई से छूटे हुये सिपाहियों को नौकरिया दिलाई जायें। अभी यह समस्या निपट नहीं पाई थी कि शरणार्थियों की समस्या आ गई और 1947 में उनको काम दिलाने की समस्या इस संस्था के सुपुर्द की गयी। बाद को काम दिलाऊ केन्द्रों का दायरा और बढ़ा दिया गया। इन केन्द्रों के कुछ कार्यों पर नीचे की तालिका में रोशनी पड़ेगी :

तालिका 155

| अवधि                           | अवधि की समाप्ति पर केन्द्रों की संख्या | अवधि में पजी-कृत हुए व्यक्तियों की संख्या | उन प्रार्थियों की संख्या जिन्हें इस अवधि में रोजगार दिला-वाया गया | उन पजीकृत व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अवधि की समाप्ति पर रोजगार नहीं दिलावाया जा सका था | उन नियोजकों की संख्या जो केन्द्रों से लाभ उठा रहे थे | अवधि में प्रकाशित रिक्त स्थानों की मासिक संख्या | अवधि की समाप्ति पर ऐसे रिक्त स्था जिन्हें भरना शेष था |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 15 अगस्त, से लेकर दिसम्बर 1947 | 75                                     | 2,07,838                                  | 61,729                                                            | 2,36,734                                                                                 | 2,879                                                | 97,892                                          | 68,756                                                |
| 1948                           | 77                                     | 8,68,787                                  | 2,59,774                                                          | 2,39,033                                                                                 | 3,422                                                | 3,80,118                                        | 55,131                                                |
| 1949                           | 110                                    | 10,66,351                                 | 2,56,809                                                          | 2,74,335                                                                                 | 4,483                                                | 3,62,011                                        | 29,292                                                |
| 1950                           | 122                                    | 12,10,358                                 | 3,31,193                                                          | 3,30,743                                                                                 | 5,566                                                | 4,19,307                                        | 28,189                                                |
| 1951                           | 126                                    | 13,75,351                                 | 4,16,858                                                          | 3,28,719                                                                                 | 6,364                                                | 4,86,534                                        | 21,776                                                |
| 1952                           | 128                                    | 14,76,699                                 | 3,57,828                                                          | 3,83,992                                                                                 | 6,023                                                | 4,29,551                                        | 22,293                                                |
| जनवरी से लेकर जून 1953 तक      | 126                                    | 6,95,573                                  | 1,05,379                                                          | 4,73,917                                                                                 | —                                                    | 1,43,240                                        | 22,662                                                |

नीचे की तालिका में प्रति वर्ष की जुलाई में कितने प्रशिक्षण केन्द्र थे तथा कितने लोगो को प्रशिक्षण दिया जाता था, इसका ब्यौरा दिया जा रहा है

**तालिका 156**  
**प्रशिक्षण के आकड़े**  
(इसके अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की योजनाएं आती हैं)

| माह         | अवधि की समाप्ति पर केन्द्रों की संख्या | अवधि की समाप्ति पर उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था |             |            |             | योग    |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
|             |                                        | पुरुष                                                                       |             |            | नारी        |        |
|             |                                        | औद्योगिक                                                                    | व्याव-सायिक | शिक्षार्थी | व्याव-सायिक |        |
| जुलाई 1948. | 377                                    | 9,178                                                                       | 3,691       | 1,494      | 288         | 15,337 |
| जुलाई 1949. | 533                                    | 10,958                                                                      | 4,571       | 2,439      | 255         | 18,226 |
| जुलाई 1950. | 98                                     | 6,022                                                                       | 1,162       | —          | 322         | 7,506  |
| जुलाई 1951. | 199                                    | 7,640                                                                       | 2,304       | 789        | 390         | 11,123 |
| जुलाई 1952. | 106                                    | 9,371                                                                       | 476         | 302        | 14          | 10,163 |
| जुलाई 1953. | 259                                    | 7,718                                                                       | 48          | 572        | 9           | 8,347  |

### केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था

दस्तकारों को प्रशिक्षित करने के अलावा मध्य प्रदेश के कोनी-बिलासपुर की केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था शिक्षकों तथा इंस्पेक्टरों या निरीक्षकों को भी प्रशिक्षित करती है। एशिया में यह संस्था अपने ढंग की एक है, और यहाँ केवल छः महीने की शिक्षा दी जाती है। 1952 में इस संस्था में 207 व्यक्ति प्रशिक्षित हुए थे। इस प्रकार अब तक कुल 874 व्यक्तियों को यहाँ प्रशिक्षित होने का अवसर मिला।

### राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणीकरण बोर्ड

भारत सरकार ने 1951 में एक केन्द्रीय बोर्ड इसलिये नियुक्त किया कि वह प्रत्येक विषय में मानदंड नियत करे, परीक्षाएँ ले तथा कार्यकुशलता के प्रमाणपत्र दे।

### शिवाराव समिति

ससद सदस्य श्री शिवाराव की अध्यक्षता में प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा संगठन समिति नाम से एक समिति नियुक्त हुई, जिसका काम यह है कि पुनर्वास तथा रोजगार संगठन के भविष्य सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करे।

### औद्योगिक सम्बन्ध

#### मजदूर संघ

सरकार की औद्योगिक नीति का मूल मंत्र यह है कि मजदूर संघों को ठोस तथा स्वस्थ आधार पर संगठित किया जाये। 1926 की मजदूर संघ विधि के अनुसार पंजीकृत मजदूर

संघों को एक विधिवत तथा सामूहिक मर्यादा दी गई, और उन्हें मजदूर-पूजीपतियों के झगड़ों के सम्बन्ध में कुछ विमुक्तिया प्राप्त हुईं। मजदूर संघ के कोषों पर जो थोड़ी बहुत रोकथाम रखी गई है उसका उद्देश्य उसे विवेकहीन व्यक्तियों के शोषण से बचाना है। 1947 में एक संशोधित विधि बनी जिसके अनुसार मजदूर संघों की अनिवार्य स्वीकृति, तथा अवैध आचारों के विरुद्ध उपाय बने। पर यह विधि तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि कुछ मामलों में सरकार की अन्तिम नीति स्पष्ट नहीं हो जाती। सरकार ने जो नई नीति अपनाई है, उसका उद्देश्य यह है कि मजदूर संघ अपनी संगठित शक्ति तथा सामूहिक सोदा करने की सामर्थ्य पर निर्भर करे तथा जो समझौते हों उन्हें कार्यान्वित करने में अपनी कर्मशक्ति का उपयोग करें, न कि सरकार का मुह ताके।

पंजीकृत मजदूर संघों तथा उनके कोषों के सम्बन्ध में नीचे की तालिकाओं में सारी बातें आ जाती हैं :

## तालिका 157

पंजीकृत संघों की संख्या और सदस्य संख्या 1949-50

| मजदूर संघ         | संघों की संख्या जो रजिस्टर पर थी | ऐसे संघों की संख्या जो आय-विवरण देते थे | आय-विवरण देने वाले संघों की सदस्य संख्या |                  |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                   |                                  |                                         | वर्ष के प्रारम्भ में                     | वर्ष के अन्त में |
| नियोजकों के संगठन | 39                               | 29                                      | 3,760                                    | 4,877            |
| मजदूरों के संगठन  | 3,483                            | 1,897                                   | 18,14,648 (क)                            | 18,16,255 (क)    |
| योग               | 3,522                            | 1,926                                   | 18,18,408                                | 18,21,132        |

## तालिका 158

1949-50 के लिये आय-विवरण देने वाले पंजीकृत मजदूर संघों के सामान्य कोष (रुपयों में)

|               | आय-विवरण देने वाले संघों की संख्या | प्रारम्भिक अन्तर | आय        | व्यय      | मवरण अन्तर |
|---------------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| मजदूर संघ     | 40                                 | 1,30,693         | 3,36,192  | 2,81,204  | 1,85,681   |
| केन्द्रीय संघ | 1,857                              | 36,19,136        | 41,02,797 | 34,63,225 | 42,58,708  |
| राष्ट्रीय संघ | 1,897                              | 37,49,829        | 44,38,989 | 37,44,429 | 44,44,389  |
| योग           |                                    |                  |           |           |            |
| नियोजक संघ :  |                                    |                  |           |           |            |
| केन्द्रीय संघ | 1                                  | 53,804           | 5,862     | 3,152     | 56,514     |
| राष्ट्रीय संघ | 28                                 | 19,13,689        | 25,14,719 | 20,69,247 | 23,59,161  |
| योग           | 29                                 | 19,67,493        | 25,20,581 | 20,72,399 | 24,15,675  |
| सर्व योग      | 1,926                              | 57,17,322        | 69,59,570 | 58,16,828 | 68,60,064  |

(क) सदस्य संख्या के ये आकड़े 1919 के मजदूर संघों से सम्बद्ध हैं।

इस समय मजदूर संघ आन्दोलन चार राष्ट्रीय संगठनों में बंटा हुआ है। इस प्रकार से एक ही धंधे में एक से अधिक मजदूर संघ मौजूद हैं। उद्योग धंधे के एक ही विभाग में विभिन्न और कई बार परस्पर विरुद्ध विचारधाराओं के मजदूर संघ काम कर रहे हैं। कहना न होगा कि यह परिस्थिति मजदूर संघ की वृद्धि के लिए हितकर नहीं है। यद्यपि यह सारा मामला मजदूरों का निजी मामला है, फिर भी सरकार ने बार बार यह बात कही है कि एक धंधे में एक मजदूर संघ होना वांछनीय है। अब तो मजदूर संघ के नेता भी इस बात को समझने लगे हैं। भारतीय मजदूरों के चार राष्ट्रव्यापी संगठनों के साथ कितने-कितने मजदूर संघ हैं, तथा उनके कितने सदस्य हैं, यह नीचे की तालिका में दिया जा रहा है।

### तालिका 159

#### अखिल-भारत मजदूर-संगठन

| संगठन                                | सम्बद्ध संघों की संख्या |       |       | सदस्य संख्या |           |           |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-----------|-----------|
|                                      | 1949                    | 1950  | 1951  | 1949         | 1950      | 1951      |
| इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस . | 847                     | 1,043 | 1,232 | 10,23,117    | 14,31,878 | 15,48,56  |
| आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस .    | 754                     | 722   | 736   | 7,41,035     | 7,30,636  | 7,58,314  |
| हिन्द मजदूर सभा .                    | 419                     | 460   | 517   | 6,79,287     | 6,98,720  | 8,04,33   |
| यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस       | 254                     | 306   | 332   | 3,31,991     | 3,66,401  | 3,84,962  |
| योग                                  | 2,274                   | 2,531 | 2,817 | 27,75,430    | 32,27,635 | 34,96,181 |

#### केन्द्रीय श्रम संस्था

1953 के पूर्वार्द्ध में अमेरिका के औद्योगिक सहायता कार्यक्रम के अनुसार यह निर्णय हुआ कि एक केन्द्रीय श्रम संस्था की स्थापना की जाये। इस योजना के कई भाग हैं जैसे—(1) औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण कार्य अजायबघर; (2) औद्योगिक सफाई प्रयोगशाला; (3) प्रशिक्षण केन्द्र तथा (4) पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र। इस प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र का मुख्य कार्य श्रम प्रशासकों तथा इस प्रकार के अन्य लोगों को प्रशिक्षण देना है। श्रम तथा सूचना केन्द्रों में सारी श्रम समस्याओं पर प्रामाणिक सूचनाओं की पूर्ति तथा अध्ययन और शोध की सुविधाएँ होगी। औद्योगिक सफाई प्रयोगशाला स्थापित की गई है, और औद्योगिक अजायब-घर खोलने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अलावा मुक्त मजदूर संघों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने एक एशियाई मजदूर संघ कालेज स्थापित किया है। यह कालेज एशिया में अपने ढंग का एक है और इसमें तीस प्रशिक्षणार्थियों को तीन महीने प्रशिक्षित किया जाता है। इस कालेज की देख रेख में विभिन्न देशों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चालू है। जल्दी ही काठला में इसी कालेज की देखरेख में परिवर्तन कार्यकर्ताओं के लिए एक शिक्षण केन्द्र खोला जायेगा।



## औद्योगिक मजदूरी

1939 से औद्योगिक मजदूरी का लेखा इस प्रकार रहा :

तालिका 160

| वर्ष                         | मजदूरी की संख्या         |                                          | उन मजदूरों की संख्या जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मजदूरी में फंसे थे |                                            | प्रवधि में व्यर्थ-गये दिनों की कुल संख्या |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                              | जो वर्ष में प्रारम्भ हुए | जो वर्ष भर या उसके किसी भाग में चलते रहे | जो वर्ष में प्रारम्भ हुए                                            | जो वर्ष भर या उसके किसी भाग में चलते रहे । |                                           |
| 1939 .                       | --                       | 406                                      | ---                                                                 | 4,09,189                                   | 49,92,795                                 |
| 1940 .                       | ---                      | 322                                      | ---                                                                 | 4,52,539                                   | 75,77,281                                 |
| 1941 .                       | ---                      | 359                                      | ---                                                                 | 2,91,054                                   | 33,30,503                                 |
| 1942 .                       | ---                      | 694                                      | ---                                                                 | 7,72,653                                   | 57,79,965                                 |
| 1943 .                       | ---                      | 716                                      | ---                                                                 | 5,25,088                                   | 23,42,287                                 |
| 1944 .                       | ---                      | 658                                      | ---                                                                 | 5,50,015                                   | 34,47,306                                 |
| 1945 .                       | ---                      | 820                                      | ---                                                                 | 7,47,530                                   | 40,54,499                                 |
| 1946 .                       | ---                      | 1,629                                    | ---                                                                 | 19,61,948                                  | 1,27,17,762                               |
| 1947 .                       | ---                      | 1,811                                    | ---                                                                 | 18,40,784                                  | 1,65,62,666                               |
| 1948 .                       | ---                      | 1,259                                    | ---                                                                 | 10,59,120                                  | 78,37,173                                 |
| 1949 .                       | ---                      | 920                                      | ---                                                                 | 6,85,457                                   | 66,00,595                                 |
| 1950 .                       | ---                      | 814                                      | ---                                                                 | 7,19,883                                   | 1,28,06,704                               |
| 1951 .                       | ---                      | 1,071                                    | ---                                                                 | 6,91,321                                   | 38,18,928                                 |
| 1952 .                       | ---                      | 963                                      | ---                                                                 | 8,09,242                                   | 3,33,696                                  |
| जनवरी से लेकर<br>जून 1953 तक | ---                      | 357                                      | ---                                                                 | 2,35,801                                   | 13,33,547                                 |

## मजदूरी को रोकने तथा मिटाने का उपाय

1947 की औद्योगिक कलह विधि में (बाद के संशोधन के साथ) एक सुलह अधिकारी, सुलह बोर्ड, जांच अदालत, औद्योगिक ट्रिब्यूनल तथा श्रम अपील ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। सम्बद्ध सरकारों को तदर्थ ट्रिब्यूनलों की स्थापना का अधिकार दिया गया है। कुछ राज्यों ने इस विषय पर अपने कानून बनाये हैं। बम्बई वाली विधि में दो नई संस्थाओं यानी श्रम अदालत तथा मजदूरी बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था की गई है।

## केन्द्रीय सुलह संगठन

1945 में यह संगठन बनाया गया था। अब इस में 79 अधिकारी हैं जिनमें एक मुख्य श्रम आयुक्त, दो सहायक श्रम आयुक्त, सात क्षेत्रीय आयुक्त, सत्रह सुलह अधिकारी और 52 श्रम निरीक्षकों की व्यवस्था है, जो विभिन्न इलाकों में रहते हैं। कुछ श्रम विधियों के प्रशासन का भार भी इस संगठन पर है। राज्यों में सुलह कराने के अपने अपने साधन हैं।

### औद्योगिक ट्रिब्यूनल

दो औद्योगिक ट्रिब्यूनल हैं—एक धनबाद में तथा दूसरा कलकत्ते में । राज्यों के अपने अपने ट्रिब्यूनल हैं ।

### श्रम अपीलेट ट्रिब्यूनल

कलकत्ता, बम्बई और लखनऊ में इस ट्रिब्यूनल की शाखाएं हैं । प्रधान दफ्तर कलकत्ता में है ।

### तबर्थ रेल ट्रिब्यूनल

1953 की जुलाई में एक सदस्यीय रेल ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था जिसके सामने पांच कलहपूर्ण विषय रखे गये । इनका सम्बन्ध कुछ रेल कर्मचारियों के वेतन के ग्रेड और स्केल, छुट्टी तथा दूसरे के एवज में कार्य करत समय के वेतन आदि से था ।

### अखिल भारतीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल (बैंक के झगड़े)

1953 के अप्रैल में बैंक के झगड़ों पर पहले जो तीन नरस्यों वाला ट्रिब्यूनल बैठाया गया था, उसकी सिफारिशें सामने आईं । वेतन तथा भत्ता की दृष्टि से ट्रिब्यूनल ने बैंकों को उनके कार्यकारी कोषों के अनुसार चार वर्गों में बाटा है, और उनके कार्यक्षेत्र को रहन-सहन के व्यय की विभिन्नता के अनुसार तीन श्रेणियों में बाटा है । प्रत्येक वर्ग के लिए समय सम्बन्धी स्केल तथा श्रम के घंटे निर्दिष्ट कर दिये गये हैं । निर्वाह निधि, बोनस, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, छुट्टी, छ्त्रनी के लिए क्षतिपूर्ति तथा भर्ती, तबादला और अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई के सम्बन्ध में सिफारिशें की गईं ।

इसी प्रकार प्रतिरक्षा विभाग के श्रमिकोंकी शिकायतों पर प्रतिवेदन देने के लिये जाच तमिळि की सिफारिशें मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं । सरकार ने कोयले की खानों के मजदूरों की कुछ शिकायतों को भी एक औद्योगिक ट्रिब्यूनल के सामन रखने का फैसला कर लिया है । एक ऐसे ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रयास हो रहा है ।

### त्रिदलीय यंत्र

कुछ सालों से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन के नमूने पर दश भर में सरकार, पूजोपति तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों के सगठन काम करते रहे हैं । इन सगठनों का होना हितकर पाया गया है और अब वे देश की औद्योगिक नीति के एक अंग हो गये हैं । इन लोगों ने समझौते की भावना, शुभेच्छा, पारस्परिक विश्वास उत्पन्न कर के बड़ी कठिन तथा जटिल समस्याओं को सुलझाया है ।

त्रिदलीय ढग के महत्वपूर्ण सगठनों में यह हैं—भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति और विविध औद्योगिक तथा परामर्श समितियां । अधिकांश राज्यों में इसी ढग पर स्वतन्त्र त्रिदलीय यंत्र हैं । 1953 की 27 और 28 जुलाई को स्थायी श्रम समिति का अधिवेशन हुआ था । उसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार हुआ और इच्छा के विरुद्ध बेकारी तथा छुट्टी के सम्बन्ध में उन्होंने एक स्वीकृत सूत्र विकसित किया, जिसके द्वारा क्या रकम दी जायेगी तथा कितने समय के लिये लाभ होगा, यह बताया गया था । यद्यपि श्रम मंत्रियों के सम्मेलन को त्रिदलीय सगठन नहीं कहा जा सकता, पर वह धनिष्ठ रूप से संयुक्त तो है ही । 1953 की छः और सात फरवरी को इनका दसवां अधिवेशन हुआ और इसमें, औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

[ पृष्ठ 358 पर जारी ]

1950-51 में केन्द्रीय कारखानों में 323 कार्य समितियाँ थीं । 1951 के

तालिका  
कार्य और उत्पादन समितियाँ

| अनुक्रम                   | बम्बई |     | बिहार |    | मद्रास |     | उड़ीसा |   | पंजाब |    | पश्चिमी बंगाल |    |
|---------------------------|-------|-----|-------|----|--------|-----|--------|---|-------|----|---------------|----|
|                           | का    | उ   | का    | उ  | का     | उ   | का     | उ | का    | उ  | का            | उ  |
| 1. कागज मिलें             | 30    | 7   | -     | -  | -      | -   | I      | I | -     | -  | -             | -  |
| 2. काच के कारखाने         | (क)   | (क) | -     | -  | -      | -   | I      | - | -     | -  | I             | -  |
| 3. विद्युत सस्थान         | 5     | 3   | -     | -  | -      | -   | I      | - | -     | -  | 2             | -  |
| 4. चीनों के कारखाने       | I     | I   | -     | I  | -      | -   | I      | - | -     | -  | -             | -  |
| 5. तल मिले                | -     | -   | -     | I  | -      | -   | I      | - | -     | -  | -             | -  |
| 6. कुम्हार का काम         | -     | -   | -     | -  | -      | -   | I      | - | -     | -  | -             | -  |
| 7. छापाखाने               | -     | -   | -     | -  | -      | -   | I      | - | -     | -  | 3             | I  |
| 8. कपड़ा मिले             | -     | 45  | -     | 2  | -      | -   | I      | - | 25    | 13 | 28            | 5  |
| 9. चावल मिले              | -     | -   | -     | -  | -      | -   | II     | 2 | -     | -  | -             | -  |
| 10. इंजीनियरिंग और धातुएं | 69    | 20  | -     | 7  | -      | -   | -      | - | 17    | 5  | 8             | II |
| 11. रासायनिक              | 39    | 17  | -     | I  | -      | -   | -      | - | -     | -  | -             | I  |
| 12. लाख, पेय और तवाकू     | 15    | -   | -     | -  | -      | -   | -      | - | -     | -  | 2             | 2  |
| 13. खाले और चमड़ा         | I     | -   | -     | I  | -      | -   | -      | - | -     | -  | -             | I  |
| 14. सीमेंट                | I     | -   | -     | 3  | -      | -   | -      | - | -     | -  | -             | -  |
| 15. दियासलाई              | -     | -   | -     | -  | -      | -   | -      | - | -     | -  | -             | -  |
| 16. यातायात               | -     | -   | -     | -  | -      | -   | -      | - | -     | -  | -             | -  |
| 17. विविध                 | 85    | 22  | 102   | 4  | -      | -   | I      | 2 | 56    | 35 | 34            | 2  |
| योग                       | 245   | 115 | 102   | 20 | 486    | 200 | 20     | 5 | 98    | 53 | 78            | 23 |
|                           | (ख)   | (ख) |       |    |        |     |        |   |       |    |               |    |

का-कार्य समितियाँ

उ-उत्पादन समितियाँ

30 सितम्बर को जितनी कार्य निर्वाहक और उत्पादन समितियाँ थी, उन का लेखा इस प्रकार है—

161

की संख्या 30 सितम्बर, 1951 को

| हैदराबाद | मध्यभारत |   | पेप्सू |   | राजस्थान |   | सौराष्ट्र |   | गुजरात |   | भोपाल |   | दिल्ली |   | हिमाचल प्रदेश |   |
|----------|----------|---|--------|---|----------|---|-----------|---|--------|---|-------|---|--------|---|---------------|---|
|          | का       | उ | का     | उ | का       | उ | का        | उ | का     | उ | का    | उ | का     | उ | का            | उ |
| I        | -        | - | -      | - | -        | - | -         | - | -      | - | -     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | 2        | - | -         | - | -      | - | -     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | -        | - | I         | - | -      | - | -     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | 2 | -        | - | -         | - | I      | - | I     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | -        | - | -         | - | -      | - | -     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | -        | - | 3         | - | -      | - | -     | - | I      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | -        | - | -         | - | -      | - | -     | - | 5      | - | -             | - |
| -        | -        | I | -      | - | 4        | - | 5         | - | 4      | 4 | -     | - | 4      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | -        | - | -         | - | -      | - | -     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | 3        | - | -         | - | -      | - | -     | - | 17     | - | -             | - |
| I        | -        | - | -      | I | I        | - | I         | - | -      | - | -     | - | 2      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | -        | - | -         | - | -      | - | -     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | -        | - | -         | - | -      | - | -     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | I        | - | I         | - | -      | - | -     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | -        | - | -         | - | -      | - | -     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | - | 3        | - | -         | - | -      | - | -     | - | -      | - | -             | - |
| -        | -        | - | -      | 2 | 20       | - | 4         | - | -      | - | I     | - | II     | - | 7             | 8 |
| 2        | -        | I | -      | 6 | 35       | - | 15        | - | 5      | 4 | 2     | - | 40     | - | 7             | 8 |

(क) इसमें छापाखाने भी शामिल हैं । (ख) उद्योगवार वितरण अभ्यास है ।

तथा ऐसे प्रश्न जैसे—चाय बागानों में फालतू श्रम, फैक्टरी इस्पेक्टर का तगड़ा किया जाना तथा निजी कारखानों में चिकित्सा निरीक्षकों का नियुक्ति और राष्ट्रीय छुट्टियों तथा त्यौहार के लिये भुगतान के एक एकीभूत मानदण्ड पर विचार हुआ।

### संयुक्त समितियाँ

मालिकों और मजदूरों की कार्य निर्वाहक समितियाँ झगड़ों को निपटाने में प्रारम्भिक स्थिति में बहुत काम कर सकती हैं। ये समितियाँ मुख्यतः मुक्त तथा खुले वाद-विवादों के द्वारा परस्पर के दृष्टिकोण को समझ सकती हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें 1947 की औद्योगिक विधि तथा अन्य कानूनों के अनुसार समय समय पर सौ या उससे अधिक मजदूरों को काम में लगाने वाले कारखानों में मालिक मजदूर समितियों का निर्माण करवा सकती हैं।

(देखिये पृष्ठ 356-57 पर तालिका 161)

### औद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी आज्ञापत्र

स्थायी आज्ञापत्रों में पहले से सेवा की अवस्थाएँ, कार्य की प्रगति, काम के घण्टे, छुट्टियाँ, मजदूरी का भुगतान, मजदूरी में किसी तरह की कमी करने के नियम और अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही के विषय में बातें ही होती हैं। पहले से ये नियम बने होने से मनमुटाव तथा झगड़ों के कारण कम से कम हो जाते हैं। 1946 की औद्योगिक रोजगार सम्बन्धी स्थायी आज्ञापत्र विधि के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे आदर्श नियम बनावे। तदनुसार इन सरकारों ने आदर्श नियम बनाये हैं, और सौ या उससे अधिक मजदूर वाले कारखानों में वे चाहती हैं कि ये नियम लागू कर दिये जायें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो यह आज्ञा दी है कि जिन कारखानों में सौ से कम व्यक्ति काम करते हों वे भी अपने यहाँ के स्थायी आज्ञापत्र की पद्धति चालू करें। आसाम सरकार ने तो इस विधि को ऐसे कारखानों में जिनमें दस या उससे अधिक लोग काम करते हैं, लागू कर दिया है।

### औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

अस्थायी ससद में जो औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पेश किया गया था वह अस्थायी ससद के समाप्त हो जाने पर स्वयं समाप्त हो गया। केन्द्रीय सरकार ने इस मोर्के से फायदा उठाया, और इस बीच में जो आलोचनाएँ हुई थी, उनकी रोशनी में विधेयक पर विचार किया गया। जून 1952 में एक व्यापक प्रश्नपत्र गश्ती रूप से घुमाया गया। अक्टूबर 1952 के भारतीय श्रम सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार भी हुआ। दिसम्बर 1952 में सात व्यक्तियों की एक समिति में इसकी और छानबीन भी की गयी। इसके बाद केन्द्रीय सरकार के रोजगार वाले मंत्रालयों ने इस पर विचार किया। फिर फरवरी 1953 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में इसके सब पहलुओं पर विचार हुआ। इन वाद-विवादों तथा आलोचनाओं के फलस्वरूप यह विधेयक अब अंतिम रूप में है, और शायद संसद में शीघ्र ही पेश हो।

### मजदूरी और उपार्जन

मजदूरों के जीवन में मजदूरी और उपार्जन को बहुत अधिक महत्व प्राप्त है, और यह तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं कि मजदूरी का असर औद्योगिक उद्भाव तथा उत्पादनक्षमता पर पड़ता है। 1939 के बाद से कारखानों के मजदूरों के उपार्जन में वृद्धि हुई है, यह इन आंकड़ों से ज्ञात होगा।

इस विधि पर 1950 में किस प्रकार से काम हुआ है, यह निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है ।

तालिका 162

| राज्य                      | उन संस्थानों की अनुमानित संख्या जिन पर वह कानून लागू होता था | स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण के लिये आये प्रार्थना-पत्रों की संख्या |                         | उन प्रार्थना-पत्रों की संख्या जिनका वर्ष में निबटारा कर दिया गया | 31-12-50                                                          | 31-12-49                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                              | जो वर्ष के आरम्भ में विचारार्थीन थे                                | जो उसी वर्ष प्राप्त हुए |                                                                  | ऐसे संस्थानों की संख्या जिन्हें प्रमाणीकृत स्थायी आदेश प्राप्त थे | ऐसे संस्थानों की संख्या जिन्हें प्रमाणीकृत स्थायी आदेश प्राप्त थे |
| आसाम . . . . .             | 638 (क)                                                      | 55                                                                 | 7                       | 6                                                                | 561                                                               | 555                                                               |
| बिहार . . . . .            | 180 (ख)                                                      | 74                                                                 | 26                      | 48                                                               | 85                                                                | 37                                                                |
| बम्बई . . . . .            | 556                                                          | 138                                                                | 88                      | 10                                                               | 10                                                                | कुछ नहीं                                                          |
| मध्य प्रदेश . . . . .      | 115                                                          | —                                                                  | 11                      | 11                                                               | 11                                                                | —                                                                 |
| मद्रास . . . . .           | 739                                                          | 245                                                                | 196                     | 293                                                              | 566                                                               | 273                                                               |
| उड़ीसा . . . . .           | 22                                                           | 6                                                                  | 2                       | 5                                                                | 7                                                                 | 2                                                                 |
| पंजाब . . . . .            | 130                                                          | 3                                                                  | 69                      | 16                                                               | 16                                                                | कुछ नहीं                                                          |
| उत्तर प्रदेश . . . . .     | 701 (ग)                                                      | 346                                                                | 100                     | 65                                                               | 413 (घ)                                                           | 348 (घ)                                                           |
| पश्चिमी बंगाल . . . . .    | 1,131                                                        | 191                                                                | 96                      | 182                                                              | 872                                                               | 690                                                               |
| अजमेर . . . . .            | 6                                                            | 1                                                                  | —                       | 1                                                                | 6                                                                 | 5                                                                 |
| कुर्ग . . . . .            | 7                                                            | 4                                                                  | 11                      | 15                                                               | 76                                                                | 61                                                                |
| दिल्ली . . . . .           | 34                                                           | 10                                                                 | 1                       | 3                                                                | 21                                                                | 18                                                                |
| केन्द्रीय क्षेत्र के कार्य | 1,424                                                        | 73                                                                 | 116                     | 62                                                               | 375                                                               | 313                                                               |

(क) इस में 149 ऐसे संस्थान भी शामिल हैं जिन में सौ से कम मजदूर काम करते हैं, परन्तु जो इस कानून की धारा 1(3) के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

(ख) लगभग ।

(ग) इस में 422 ऐसे संस्थान भी शामिल हैं जिन में सौ से कम मजदूर काम करते हैं, परन्तु जो इस कानून की धारा 1(3) के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

(घ) इस में 56 ऐसी चीनी फैक्ट्रियां भी शामिल हैं जिन के स्थायी आदेश, इस कानून के अधीन प्रमाणीकृत कर दिये गये थे, परन्तु जिन्हें आगे चल कर इसलिए छूट प्रदान कर दी गयी थी कि उन के स्थायी आदेशों का उत्तर प्रदेश औद्योगिक कलह कानून, 1947 के अधीन निषेध हो चुका था ।

## तालिका 163

उन फैक्ट्री मजदूरों की औसत वार्षिक आय जिनकी मासिक आय 200 रुपये से कम है (ग)

| राज्य             | 1939  | 1945  | 1946      | 1947  | 1948    | 1949    | 1950    | 1951 (क) |
|-------------------|-------|-------|-----------|-------|---------|---------|---------|----------|
| भारतम             | 263.7 | 660.5 | 687.5     | 755.5 | 795.8   | 942.8   | 1,018.6 | 1,017.9  |
| बिहार             | 415.5 | 538.7 | 544.0     | 819.8 | 946.2   | 983.9   | 1,059.1 | 1,239.3  |
| बम्बई             | 370.4 | 814.7 | 812.3     | 977.9 | 1,141.9 | 1,210.1 | 1,170.3 | 1,270.5  |
| मध्य प्रदेश       | ...   | 530.6 | 479.7     | 572.3 | 609.2   | 841.9   | 936.8   | 862.0    |
| मद्रास            | 175.9 | 357.6 | 422.2     | 560.3 | 611.8   | 726.6   | 591.2   | 664.9    |
| उड़ीसा            | 161.8 | 417.2 | 440.1     | 493.6 | 612.6   | 527.0   | 680.6   | 749.1    |
| पंजाब             | 296.0 | 578.8 | 602.0 (ख) | 628.2 | 675.9   | 858.7   | 771.3   | 756.0    |
| उत्तर प्रदेश      | 235.6 | 551.7 | 593.6     | 672.8 | 887.1   | 993.0   | 933.0   | 960.4    |
| पश्चिमी बंगाल     | 248.7 | 465.5 | 496.3     | 567.7 | 723.9   | 839.0   | 877.5   | 942.3    |
| गुजरात            | 163.7 | 419.8 | 447.8     | 445.3 | 527.2   | 552.0   | 660.0   | 694.2    |
| दिल्ली            | 309.4 | 699.9 | 837.2     | 877.7 | 1,047.3 | 1,028.4 | 1,061.6 | 1,292.6  |
| तिरुवांकुर-कोचीन  | ...   | ...   | ...       | ...   | ...     | ...     | ...     | 632.1    |
| अंडमान और निकोबार | ...   | ...   | ...       | ...   | ...     | ...     | 732.9   | 718.1    |
| द्वीप-समूह (ख)    | ...   | ...   | ...       | ...   | ...     | ...     | ...     | ...      |

(क) अस्थायी ।

(ख) अनुमानित ।

(ग) इसमें, रेलवे वर्क-शॉप के अतिरिक्त, खाद्य, पेय, तम्बाकू, रई की मोटाई और गांठ बंधाई सम्मिलित नहीं है ।

### मजदूरी भुगतान विधि 1936

इस विधि के अनुसार मजदूरी नियमित रूप से देना तथा उसमें से किस प्रकार की कितनी कमी की जा सकती है, इस सम्बन्ध में नियम दिये गये हैं। यह उन मजदूरों पर लागू है जो प्रति मास 200 रुपये या उससे कम पाते हैं। इस विधि के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी औद्योगिक कारखाने तक इस विधि का विस्तार करे तथा उसके निरीक्षण के लिये निरीक्षक नियुक्त करे। सच तो यह है कि यह विधि रेलों, खानों, कारखानों, बगानों, कुछ राज्यों की कुछ विशेष परिवहन सेवाओं तथा अन्य व्यवसाय केन्द्रों तक प्रसारित की जा चुकी है।

### न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी विधि 1948

विभिन्न ढंग के निर्णयपत्रों, समझौतों, विभिन्न अनुसंधान समितियों की सिफारिशों तथा केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अनेक धन्धों में लगे हुए मजदूरों की कम से कम मजदूरी तय कर दी गयी है। न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी विधि का महत्व यह है कि इसके द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह ऐसे कई कम मजदूरी वाले धन्धों के लिये न्यूनतम अनुविहृत मजदूरी निर्दिष्ट करे, जिनमें अपनी मांगों को मनवा सकने की सांगठनिक शक्ति बहुत कम है। विभिन्न राज्यों में अनुसूची के भाग एक के अन्तर्भूक्त कई तरह के श्रमों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट है। एक संशोधन के अनुसार सब राज्यों के लिये यह ज़रूरी कर दिया गया है कि वे इस वर्ग के लिये 31 दिसम्बर 1953 तक न्यूनतम मजदूरी तय कर दें। खेतहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी भी इसी अवधि में निर्दिष्ट होने वाली थी। कुछ राज्यों ने जैसा कि वे इस विधि के अनुसार कर सकते हैं कई ऐसे धन्धों पर भी इस विधि को लागू कर दिया है, जिनका उल्लेख विधि में नहीं है।

सरकार ने कई धन्धों के सम्बन्ध में उचित मजदूरी निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में एक कदम उठाने की सोची है। अस्थायी संसद् के विलय हो जाने पर उचित मजदूरी विधेयक भी समाप्त हो गया। इस पर और भी विचार हो रहा है, और ऐसी आशा की जाती है कि जल्दी ही अंतिम राय प्राप्त होगी। 1946 की औद्योगिक सम्बन्ध विधि के अनुसार कपास तथा रेशम के कारखानों में मजदूरों को एक सतह पर लाने के लिये बम्बई में मजदूरी बोर्ड स्थापित हुए हैं। 1948 की कारखाना विधि तथा 1952 की खान विधि के अनुसार समयान्तर (ओवर टाइम) कार्य के लिये भुगतान का दर मामूली से दुगुना निश्चित हुआ है।

### कोयले की खानों की बोनस सम्बन्धी योजना

मजदूरों की बोनस सम्बन्धी मांग सैद्धान्तिक रूप से मान ली गयी है। रहा यह कि रकम क्या हो इसका निर्णय औद्योगिक अदालतों तथा सुलह बोर्डों पर छोड़ा हुआ है। कोयले की खानों की बोनस सम्बन्धी योजना के अनुसार खानों में काम करने वाले मजदूरों का बोनस पाना निश्चित है, और इस सम्बन्ध में रकम का निर्णय भी उन लोगों के आधारभूत उपार्जन पर होता है, जो इसके हकदार हैं।

बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश के कुछ कोयले की खानों में 1950-51 में कितने मजदूर थे, तथा उन्हें कितना बोनस मिला यह नीचे दिखाया गया है—

तालिका 164 (क)

| श्रमिकों की समाप्ति का माह | उन कोयला-खानों की संख्या जो आय विवरण देती हैं | आय विवरण देने वाली कोयला खानों में काम कर रहे मजदूरों की संख्या | उन मजदूरों की संख्या जिन्होंने बोनस पाने का अधिकार प्राप्त किया | वितरण किये गये बोनस की राशि |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>बिहार</b>               |                                               |                                                                 |                                                                 |                             |
| जून 1950                   | 165                                           | 1,29,919                                                        | 58,178                                                          | 11,19,898                   |
| सितम्बर 1950               | 89                                            | 79,803                                                          | 39,799                                                          | 8,03,150                    |
| दिसम्बर 1950               | 113                                           | 89,520                                                          | 40,981                                                          | 7,62,199                    |
| मार्च 1951                 | 80                                            | 73,235                                                          | 40,909                                                          | 8,59,876                    |
| <b>पश्चिमी बंगाल</b>       |                                               |                                                                 |                                                                 |                             |
| जून 1950                   | 93                                            | 1,04,814                                                        | 31,640                                                          | 5,67,006                    |
| सितम्बर 1950               | 42                                            | 31,956                                                          | 10,664                                                          | 1,92,688                    |
| दिसम्बर 1950               | 58                                            | 48,185                                                          | 14,244                                                          | 2,53,878                    |
| मार्च 1951                 | 37                                            | 24,344                                                          | 6,414                                                           | 1,08,113                    |
| <b>मध्य प्रदेश</b>         |                                               |                                                                 |                                                                 |                             |
| जून 1950                   | 45                                            | 40,744                                                          | 14,998                                                          | 3,16,252                    |
| सितम्बर 1950               | 23                                            | 27,868                                                          | 12,363                                                          | 2,23,652                    |
| दिसम्बर 1950               | 22                                            | 35,718                                                          | 13,493                                                          | 2,97,536                    |
| मार्च 1951                 | 17                                            | 16,164                                                          | 6,967                                                           | 1,30,549                    |

#### लागत और रहन सहन का मानदण्ड

रहन सहन के बढ़े हुए मूल्य का मजदूरों के जीवन पर क्या असर पड़ा इसका अंदाज लगाने के लिये विभिन्न सूत्रों से आवश्यक सामग्री तैयार होती है। केन्द्रीय सरकार ने अपने श्रम ब्यूरो के जरिये से रहन सहन के मूल्य सूचक अंकों के सोलह वर्ग तैयार किये हैं, और इस कार्य के लिये 1944 या 1939 आधारभूत वर्ष माना गया है। इसी प्रकार से कुछ राज्य सरकारों कुछ विशेष वर्ग के मजदूरों के लिये रहन सहन के मूल्य सम्बन्धी सूचक अंक तैयार कर रही हैं। नियमित रूप से ये अंक सरकारी गजटों में प्रकाशित होते हैं। इस के अतिरिक्त कुछ राज्यों में मजदूरों के पारिवारिक बजटों के सम्बन्ध में भी कुछ अनुसन्धान किया जाता है। तालिका 165 तथा 166 में 1945 से लेकर सारे भारत तथा सोलह चुने हुए स्थानों के लिये रहन सहन के सूचक अंक या देशनांक दिये जाते हैं :

(क) प्रादेशिक श्रम आयोग (केन्द्रीय) धनबाद द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित।



तालिका 165

मजदूर-वर्ग के रहन-सहन के मूल्य का अखिल भारतीय औसत देशानांक

(आधार : 1944=100)

|            |   |   |   |     |
|------------|---|---|---|-----|
| 1944       | . | . | . | 100 |
| 1945 (औसत) | . | . | . | 100 |
| 1946 "     | . | . | . | 106 |
| 1947 "     | . | . | . | 120 |
| 1948 "     | . | . | . | 134 |
| 1949 "     | . | . | . | 138 |
| 1950 "     | . | . | . | 138 |
| 1951 "     | . | . | . | 144 |
| 1952 "     | . | . | . | 141 |

तालिका 166

श्रम व्यूरो द्वारा प्रस्तुत मजदूर-वर्ग के रहन-सहन के मूल्य का देशानांक

(आधार : 1944=100)

| केन्द्र              | वार्षिक औसत |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 1945        | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 |
| 1. दिल्ली .          | 103         | 108  | 122  | 132  | 132  | 132  | 142  |
| 2 अजमेर .            | 110         | 118  | 152  | 161  | 161  | 168  | 178  |
| 3 झरिया .            | 97          | 122  | 139  | 153  | 159  | 182  | 184  |
| 4. देहरी .           | 99          | 131  | 158  | 171  | 170  | 185  | 197  |
| 5 जमशेदपुर           | 100         | 103  | 123  | 136  | 138  | 145  | 160  |
| 6. मुंगेर और जमालपुर | 105         | 132  | 153  | 166  | 171  | 193  | 188  |
| 7. कटका .            | 102         | 106  | 117  | 134  | 147  | 163  | 181  |
| 8. बरहमपुर           | 101         | 111  | 126  | 145  | 154  | 162  | 190  |
| 9. गौहाटी .          | 90          | 86   | 97   | 117  | 128  | 126  | 141  |
| 10. सिलचर            | 92          | 96   | 110  | 132  | 138  | 146  | 159  |
| 11. तिनसुकिया        | 94          | 83   | 93   | 109  | 110  | 114  | 124  |
| 12. अकोला            | 98          | 107  | 139  | 156  | 168  | 162  | 165  |
| 13. जबलपुर           | 95          | 101  | 123  | 146  | 151  | 153  | 168  |
| 14. लुधियाना         | 105         | 119  | 142  | 168  | 164  | 165  | 167  |
| 15. खड़गपुर          | 97          | 100  | 111  | 132  | 137  | 137  | 136  |
| 16. मरकारा-(क)       | -           | -    | -    | -    | 111  | 116  | 118  |

(क) बगान मजदूरों के लिए अन्तरिम शृंखला (आधार: जुलाई से दिसम्बर 1948=100)

### वि सम्बन्धी श्रम के विषय में जांचपड़ताल

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर खेतिहर मजदूरों की अवस्था के सम्बन्ध में एक राष्ट्रव्यापी जांचपड़ताल का सूत्रपात किया था। इस का उद्देश्य रोजगार, पार्जन तथा रहन सहन के मूल्य और मानदण्ड पर तथ्य एकत्र करना था। कुल मिलाकर मने के गांव में रहने वाले एक लाख चालीस हजार परिवारों का पर्यवेक्षण किया गया। इनमें 10 गांव में खेतिहर तथा गैरखेतिहर परिवारों का अनुपात 78 और 22 का था।

### सामाजिक सुरक्षा

जिन उपायों से देश के औद्योगिक मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है वे यों हैं— एम्प्लॉइज स्टेट इन्श्योरेंस ऐक्ट, 1948; प्रोविडेंट फंड ऐक्ट, 1952; कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड एण्ड बोनस स्कीम ऐक्ट 1948; वर्कमेन्स कम्पेंसेशन ऐक्ट 1923; और मॅटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट, इन विषयों का कुछ ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

### एम्प्लॉइज स्टेट इन्श्योरेंस ऐक्ट

यह विधि दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने ढंग की सबसे पहली है। 1951 में इस में संशोधन कर लिया गया कि दिल्ली तथा कानपुर के मालिकों ने उत्पादन की बढ़ी हुई लागत की प्रभावशाली थी। इस विधि की व्यवस्थाएं देश के विभिन्न स्थानों में दर्जाबद्ध लागू की जाती हैं।

### तेज

यह विधि उन सब स्थायी कारखानों पर लागू है, जिनमें विद्युत का प्रयोग होता है और जहाँ बीस या उससे अधिक लोग काम करते हैं। मजदूर चाहे सीधे रखे गये हों या परोक्ष रूप से, उन सब पर तथा क्लकों पर भी यह विधि लागू है। यह विधि उन लोगों पर लागू नहीं है जिनका वेतन 400 रुपये मासिक से अधिक है। सेना के लोग इस विधि में नहीं आते।

### प्रशासन

इस योजना का प्रशासन एम्प्लॉइज स्टेट इन्श्योरेंस कारपोरेशन के द्वारा होता है। इस कारपोरेशन के 38 सदस्य हैं, जिनमें मजदूर, मालिक, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा डाक्टरी क्षेत्र के लोग तथा संसद-सदस्य हैं। इनमें से भी तेरह सदस्यों की एक स्थायी समिति है, जिस पर प्रशासन का भार है। एक मेडिकल बेनिफिट कौंसिल भी है, जिस के 28 सदस्य हैं। यह कारपोरेशन को चिकित्सा सम्बन्धी हितों पर सलाह देती है। कारपोरेशन का प्रबन्धकर्ता डायरेक्टर जनरल है। इसके आधीन चार मुख्य अधिकारी हैं। डायरेक्टर जनरल क्षेत्रीय तथा स्थानीय दफ्तरों के जरिये से काम करता है। क्षेत्रीय सलाहकारी बोर्ड में मालिकों, मजदूरों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।

### अनुदाय

अनुदाय की दृष्टि से विधि में जो लोग आते हैं, उन्हें आठ वर्गों में बांटा गया है और उनके अनुदाय का दर तथा उनके तथा उनके मालिकों के अनुदाय का दर एक अनुसूची में निश्चित किया गया है। जिन मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन एक रुपये से कम हो, उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता, पर उनके मालिक अनुदाय देने से बरी नहीं हैं। अनुदाय के ये दर एक संशोधित विधि में निर्दिष्ट अनुदाय में परिवर्तित कर दिये गये हैं। यह तब तक चालू रहेगा, जब तक सारा देश योजना के अन्तर्गत नहीं आ जाता। संशोधित विधि के अनुसार सारे देश के मालिकों को मजदूरी के कुल बिलों का 0.75 प्रतिशत विशेष अनुदाय देना पड़ता है। पर जिन इलाकों में मजदूर कल्याण सम्बन्धी नियम लागू हो चुके हैं, वहाँ के मालिकों को मजदूरी में दिये हुए अपने बिलों का 1.25 प्रतिशत अनुदाय देना पड़ेगा। बात यह है कि यहाँ इन लोगों को मजदूरों की क्षति-पूर्ति विधि तथा मातृमंगल विधि के अनुसार क्षतिपूर्ति देनी नहीं पड़ती। जिन इलाकों में यह योजना अभी लागू नहीं हुई है वहाँ के मजदूरों को कुछ भी देना नहीं पड़ता। सबसे ताजे आकड़ों से ज्ञात होता है कि दो करोड़ रुपये से अधिक अनुदाय के रूप में प्राप्त हो चुके हैं जिस में से मालिकों से 174 लाख रुपये और मजदूरों से 39 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इस विधि में जिन लोगों की व्यवस्था है वे इस प्रकार हैं—(1) बीमारी के लाभ, (2) मातृ मंगल, (3) पंगु हो जाने पर लाभ, (4) आश्रित लोग सम्बन्धी लाभ, और (5) चिकित्सा सम्बन्धी लाभ।

### चिकित्सा सम्बन्धी लाभ

बीमा किये हुए लोगों को बीमारी की हालत में चिकित्सा सम्बन्धी लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा तथा दवा मुफ्त होती है। इस समय केवल बीमा किये हुए लोगों को ही चिकित्सा सम्बन्धी लाभ प्राप्त है, पर यदि कारपोरेशन तथा राज्य सरकारें सम्भव समझे तो वे ये लाभ उन लोगों को भी मिल सकते हैं जो बीमा किये हुए नहीं हैं।

### बीमारी के लाभ

यदि एक बीमा किये हुए व्यक्ति ने छः महीने की अपनी अनुदाय अवधि में कम से कम बार अनुदाय दिये हैं तो बीमारी की हालत में उसे बीमारी के लाभ प्राप्त होंगे। इसका रूप यह होगा कि 365 दिनों तक लगातार काम करने पर अधिक से अधिक आठ सप्ताह का नकद वेतन मिलेगा। यह दर मोटे तौर पर उसकी औसत मजदूरी का 7/12 है।

### मातृमंगल लाभ

स्त्रियों को मातृत्व लाभ इस रूप में दिया जाता है कि उन्हें बारह सप्ताह की छुट्टी मिलती है। इन बारह सप्ताहों में से प्रसव की सम्भव तारीख के पहले छः सप्ताह से अधिक छुट्टी नहीं मिल सकती। इस समय के लिये प्रति दिन बारह आने या बीमारी के लाभ के दर से, इनमें से जो भी अधिक हो उस दर से पैसे मिलते हैं।

### पर लाभ

यदि कोई बीमा किया हुआ व्यक्ति काम करते हुए चोट खा जाये और उसके फलस्वरूप पंगु हो जाये तो उसे समय समय पर सहायता दी जाती है। सामयिक रूप से पंगु हो जाने की

अवधि के लिये लगभग आधी औसत मजदूरी दी जाती है। यदि व्यक्ति पूरे तरीके से पंगु हो जाये, तो मजदूरों की क्षतिपूर्ति विधि के अनुसार एक मुश्त रकम दिये जाने के बजाय बीमा किये हुए लोगों को उपार्जन सामर्थ्य में जिस अनुपात में हानि हुई है उस अनुपात से 'आजीवन पेंशन' पाने का अधिकार है।

### आश्रितों के लाभ

यदि कोई बीमाशुदा व्यक्ति काम करते समय चोट के फलस्वरूप मर जाये, तो उसके आश्रित लोगों को कुछ लाभ दिये जाते हैं। यह लाभ बीमा किये हुए व्यक्ति के बच्चों तथा स्त्री को दिये जाते हैं—पूरे दर के 3/5 मृत व्यक्ति की विधवा को तब तक मिलता है, जब तक कि वह फिर से शादी नहीं करती। पूरे दर का 2/5 प्रत्येक वैध तथा गोद लिये हुए लड़के को पंद्रह साल की उम्र तक मिलता है तथा पूरे दर का 2/5 प्रत्येक वैध अविवर्हित लड़की को पंद्रह साल की उम्र तक मिलता है। मजदूरों के राज्य बीमा निगम की ओर से दिल्ली तथा कानपुर के मजदूरों को किस प्रकार का कितना लाभ 1953 के 30 सितम्बर तक दिया गया, उसका लेखा इस प्रकार है :—

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| वे बीमार जिनकी दवाखानो मे देखभाल की गयी . . . . . | 16,10,028     |
| वे बीमार जिनके विषय मे अस्पतालों से राय . . . . . |               |
| मागी गयी . . . . .                                | 1,801         |
| विशेष जाच . . . . .                               | 14,463        |
| कितनी बार बीमारों के घर जाया गया . . . . .        | 16,951        |
| रुग्णता सम्बन्धी लाभ . . . . .                    | 11,25,987 रु० |
| अस्थायी अपागता लाभ . . . . .                      | 1,64,828 रु०  |
| स्थायी अपागता लाभ . . . . .                       | 6,137 रु०     |
| आश्रितो को लाभ . . . . .                          | 3,954 रु०     |
| मातृ मंगल लाभ . . . . .                           | 1,866 रु०     |

### योजना की प्रगति

पहले पहल यह योजना 24 फरवरी 1952 को दिल्ली और कानपुर में लागू की गई। इस में डेढ़ लाख मजदूर और 1,200 मालिक आ गए। दूसरी स्थिति तब सामने आयी, जब 17 मई 1953 को पंजाब में इसका प्रवर्तन किया गया। यह इन नगरों में लागू है अमृतसर—(छहाराटा का नोटिफाइड एरिया भी आ जाता है) अम्बाला, जालन्धर, लुधियाना अम्बुल्लापुर, जगाधरी, बटाला और भवानी जहा तीस हज़ार मजदूर हैं। इस योजना को बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, मैसूर और मध्य प्रदेश में लागू करने का विचार है। पश्चिमी बंगाल में हावड़ा जिला तथा कलकत्ता में एक योजना चालू करने का प्रस्ताव है। हाल ही में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय ने मजदूरों के राज्य बीमा निगम के पश्चिमी बंगाल बोर्ड का उद्घाटन किया। इस से कलकत्ता और हावड़ा जिले के लगभग दो लाख चालीस हज़ार मजदूरों को लाभ होगा। जब अन्त तक यह योजना सारे राज्यों में लागू हो जायेगी, तो छः लाख औद्योगिक मजदूरों को फायदा पहुंचेगा। मद्रास सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोयम्बटूर चुना है।

12 नवम्बर 1953 को यूनिनयन सरकार के श्रम मंत्री ने मद्रास क्षेत्रीय बोर्ड का उद्घाटन किया । मैसूर सरकार बंगलोर में चिकित्सा सम्बन्धी लाभ देने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रही थी । मध्य प्रदेश ने एक प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी को दिल्ली, कानपुर और पंजाब में इस योजना का अध्ययन करने तथा नागपुर में कार्यान्वित करने की संभावनाओं की रिपोर्ट देने का भार सौंपा है । यह आशा की जाती है कि यह योजना 1954 में उन सब औद्योगिक क्षेत्रों में लागू की जाएगी, जहां पांच हजार या अधिक मजदूर हैं ।

### । एम्प्लाइज प्राविडेंट फंड ऐक्ट

1952 में यह विधि पारित हुई थी । 1953 के अक्टूबर में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश निकाल कर इसे संशोधित किया । अध्यादेश में उदारतर पैमाने पर कुछ उद्योग धंधों को इससे मुक्त कर दिया गया है । साथ ही प्राविडेंट फंड या निर्वाह निधि के निरीक्षण की भी व्यवस्था है । यह विधि छः प्रधान धन्धों—सीमेंट, सिगरेट, वैद्युतिक, यान्त्रिक तथा साधारण इंजीनियरिंग, लोहा और इस्पात, कागज और कपड़े पर लागू होगी बशर्ते कि उसमें पचास या उस से अधिक व्यक्ति काम में लगे हों । सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों की देख-रेख में चलने वाले उद्योग धन्धे तथा वे धन्धे जिन को आरम्भ हुए अभी तीन साल नहीं हुए इस विधि के दायरे के बाहर हैं । अब 1,643 कारखाने (जिन में से 473 बरी हैं और 1,170 बरी नहीं हैं) तथा 13,63,000 मजदूर (जिन में से 8,16,000 बरी हैं और 5,47,000 ऐसे कारखानों में हैं जो बरी नहीं हैं) इस विधि में आ जाते हैं । अब तक इस आवश्यकता को पूरा न करने के कारण सत्रह मालिकों पर मुकदमा चलाया गया ।

### अनुदाय

इस कोष में मालिकों का अनुदाय मुलाजिमों को दी जाने वाली आधारभूत मजदूरी तथा महंगाई भत्ता का  $6\frac{1}{4}$  प्रतिशत होगा । मुलाजिमों से भी यह आशा की जाती है कि मालिक जितनी रकम देंगे वे भी उतनी ही रकम देंगे; वे चाहें तो ज्यादा भी दे सकते हैं । पर किसी भी हालत में आधारभूत मजदूरी और महंगाई भत्ते के  $8\frac{1}{4}$  प्रतिशत से अधिक नहीं दे सकते ।

### प्रशासन

इस विधि के अनुसार ट्रस्टियों का एक बोर्ड स्थापित किया गया है और एक केन्द्रीय प्राविडेंट फंड या निर्वाह निधि आयुक्त नियुक्त हुआ है । इस कोष का प्रशासन 1954 के अन्त तक विकेंद्रित हो जायेगा । राज्य बोर्डों के स्थापित होते ही यह कार्य स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जायेगा ।

### कोयले की खान की प्राविडेंट फंड और बोनस योजना विधि

कोयले की खानों में काम करने वाले लोगों के प्राविडेंट फंड की योजना उल्लिखित विधि के अनुसार दिसम्बर 1948 में बनाई गई थी । और यह इसके बाद पश्चिमी बंगाल, बिहार,

उड़ीसा और मध्य प्रदेश में अनुदर्शी रूप से लागू होगी। कुछ मामूली संशोधनों के साथ बाद में यह विधि आसाम, रीवा, तलचर, कोरिया और मध्य प्रदेश के आंशिक रूप से बहिर्भूत इलाकों में लागू की गई है। योजना को बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के आंशिक रूप से बहिर्भूत इलाकों को कोयले की खानों में लागू किया गया है। हैदराबाद, सौराष्ट्र और राजस्थान में इसे लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

इस योजना के अनुसार बोनस पाने का अधिकारी प्रत्येक मुलाजिम कोयले की खान सम्बन्धी बोनस योजना के अनुसार त्यों ही बोनस पाने का अधिकारी हो जाता है, ज्यों ही वह बोनस पाने का अधिकारी होने के बाद अगली तिमाही में पदार्पण करता है। आयु के विभिन्न वर्गों में अनुदाय के विभिन्न दर तय किये गये हैं। अनुदाय मासिक तथा साथ ही साप्ताहिक रूप में देने की व्यवस्था है। 1952 के दिसम्बर तक मालिकों और मुलाजिमों की तीन करोड़ रुपये की रकम इस कोष में जमा हो चुकी थी। कोयले की खानों के निर्वाह निधि आयुक्त जो साथ ही कोष के मुख्य प्रबन्धकर्ता हैं नियुक्त किये जा चुके हैं। प्राविडेंट फंड की योजना को लागू करने के लिए कुछ इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये हैं, 1951 के 31 मार्च को अन्त होने वाले वर्ष में अधिकारियों और निरीक्षकों ने 1,627 कोयले की खानों का निरीक्षण किया। सितम्बर 1951 के अन्त तक शर्त पूरी न कर पाने वाले खान मालिकों से जवाबतलबी करते हुए तीन सौ नोटिस दी गई थी, और 150 के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई थीं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि कोयले के सभी बड़े कारखानों में यह योजना लागू की जा चुकी है। यह पता लगा है कि यह योजना जनप्रिय सिद्ध हुई है।

### मजदूरों की क्षतिपूर्ति विधि 1923

इस विधि के अनुसार काम करते समय लगी हुई चोटों, पेशे के कारण उत्पन्न रोग तथा इस प्रकार की चोटों और रोगों से होने वाली मृत्युओं के लिए क्षति-पूर्ति देने की व्यवस्था है। यदि मजदूरों को यह चोट शराब पीने की वजह से या किसी ऐसे नियम को जानबूझ कर न मानने की वजह से आई है जो खतरो से बचाव वाली हिदायत के रूप में है, तो मालिक उस हालत में क्षतिपूर्ति देने के लिए मजबूर नहीं है। यदि चोट सात ही दिन या उससे कम रही है, तो भी कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। अब तक मजदूरों के सत्ताइस वर्ग इस विधि के अन्तर्भुक्त किये गए हैं। पेशे के कारण उत्पन्न ऐसे रोगों की सूची जिन में क्षतिपूर्ति दी जाती है, विधि में दी हुई है। राज्य सरकारों को उचित नोटिस देने के बाद इस सूची में इजाफा करने का अधिकार है।

### क्षतिपूर्ति की राशि

यदि कोई नाबालिग मर जाये या बिलकुल पंगु हो जाये, तो उस के लिए क्रमशः 200 तथा 1,200 रुपये की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

इस विधि में मजदूरों के हितों की उचित रूप से रक्षा की गई है। क्षतिपूर्ति के लिए जो रकम लगेगी, वह न तो जब्त की जा सकेगी, न बन्द की जा सकेगी, और न किसी और को दी जा सकेगी, बशर्त कि दावा ऐसा न हो, जो विधि में वर्णित है। यदि मालिकों का दिवाला निकल जाता है, या ऐसा कोई शर्तनामा है जिसके अनुसार अनुविहित क्षतिपूर्ति के अधिकार में कोई कमी आती है, तो उस हालत में भी मजदूरों के हित सुरक्षित हैं।

प्रकाशन

राज्य सरकारों के द्वारा नियुक्त मजदूरों की क्षतिपूर्ति आयुक्त इस विधि के प्रकाशक हैं। 1929 से लेकर 1950 तक मृत्यु, स्थायी रूप से पंगु हो जाने तथा सामयिक रूप से पंगु हो जाने पर दी गई क्षतिपूर्ति का लेखा नोबे दिया जाता है—

## तालिका 167

## बुधटनाओं की संख्या और क्षतिपूर्ति-राशि

| वर्ष     | उन दुर्घटनाओं की संख्या जो कारण वनी |                  |                       | दी गयी क्षतिपूर्ति-राशि रुपये में |               |                    |
|----------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
|          | मृत्यु का                           | स्थायी अपागता का | अस्थायी अपागता का योग | मृत्यु                            | स्थायी अपागता | अस्थायी अपागता योग |
| 1929     | 888                                 | 1,345            | 16,632                | 5,87,390                          | 3,97,177      | 2,75,597           |
| 1934     | 598                                 | 1,287            | 15,005                | 3,71,762                          | 2,94,131      | 2,02,954           |
| 1939     | 832                                 | 1,929            | 35,920                | 5,81,080                          | 5,16,444      | 4,11,803           |
| 1945     | 1,250                               | 3,943            | 62,194                | 13,30,644                         | 20,30,576     | 8,64,119           |
| 1946 (क) | 1,154                               | 3,536            | 50,551                | 13,68,681                         | 13,03,113     | 9,54,014           |
| 1947 (ख) | 1,011                               | 3,228            | 49,335                | 11,79,087                         | 12,09,974     | 9,37,434           |
| 1948 (ग) | 1,032                               | 3,850            | 61,894                | 15,80,450                         | 16,15,390     | 10,24,228          |
| 1949     | 1,063                               | 3,972            | 55,441                | 18,70,568                         | 20,25,227     | 13,19,617          |
| 1950 (घ) | 969                                 | 4,062            | 50,706                | 18,20,082                         | 21,82,788     | 12,86,902          |

(क) पंजाब और सिंध के अनिरुक्त ।

(ख) इनका सम्बन्ध पन्नाव के अन्तर्गत भारतीय यूनियन के उन सब राज्यों से है जिन्हें पहले प्रात कहा जाता था ।

(ग) 1948 और उसके बाद के वर्षों के आंकड़े भारतीय यूनियन के उन सब राज्यों से सम्बन्धित हैं जिन्हें पहले प्रात कहा जाता था ।

(घ) आंकड़े अस्थायी; इनमें उद्दीसा के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

## मातृमंगल के लाभ

मातृमंगल के भुगतान के सम्बन्ध में भारतीय यूनियन के करीब करीब सभी राज्यों में कानून मौजूद हैं। बारह राज्यों ने अपनी विधान सभाओं में मातृमंगल विधि पारित की, बाकी राज्यों ने दूसरे राज्यों की विधियों को अपने यहां लागू कर दिया। इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय विधि है जो खानों पर लागू है। कुछ राज्य विधियां उन्हीं के क्षेत्राधिकार के सारे नियमित कारखानों पर लागू हैं, और कुछ विधियां ऐसी हैं जो स्थायी या गैर-मौसमी कारखानों पर ही लागू हैं। पश्चिमी बंगाल में एक अलग विधि है जो बगानों में काम करने वाली स्त्रियों पर लागू है।

जितने समय के लिये लाभ मिलता है, लाभ का दर क्या है तथा लाभ की रकम क्या है, यह प्रत्येक स्थान की विधि में अलग अलग है। आसाम मातृमंगल विधि तथा पश्चिमी बंगाल चाय बागान मातृमंगल विधि के अनुसार 150 दिन, मद्रास विधि के अनुसार 240 दिन, कोचीन विधि के अनुसार बारह महीने, बिहार, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय विधिओं के अनुसार छः महीने तथा बाकी विधियों के अनुसार नौ महीने काम कर लेने पर ही कोई स्त्री मातृमंगल विधि के लाभ पाने की अधिकारिणी होती है। हैदराबाद तथा पश्चिमी बंगाल चाय बागान विधि के अनुसार स्त्रियों को बारह सप्ताह, मद्रास विधि के अनुसार सात सप्ताह, पंजाब विधि के अनुसार साठ दिन तथा बाकी विधियों के अनुसार आठ सप्ताह के लिए लाभ मिलता है। पंजाब, हैदराबाद और केन्द्रीय विधियों के अनुसार लाभ बारह आने, प्रतिदिन आसाम विधि के अनुसार साढ़े ग्यारह आने (इसमें खाद्य सम्बन्धी रियायतें शामिल नहीं हैं), पश्चिमी बंगाल चाय बागान विधि के अनुसार सवा पांच रुपये प्रति सप्ताह तथा बाकी विधियों के अनुसार आठ आने प्रति दिन या औसत दैनिक मजदूरी जो भी अधिक हो, दिया जाता है।

ऊपर जो लाभ बताये गये हैं, उनके अतिरिक्त बिहार और उत्तर प्रदेश की विधियों के अनुसार पांच रुपये तथा केन्द्रीय विधियों के अनुसार तीन रुपये का बोनस उन स्त्रियों को दिया जाता है, जो प्रसव के समय प्रशिक्षित धात्रियों या दाइयों का उपयोग करती हैं। चिकित्सा सम्बन्धी निःशुल्क सहायता, शिशु-शालाओं तथा काम के बीच में अतिरिक्त छुट्टियों की भी व्यवस्था कुछ विधियों में भी की गई है। यदि मालिक ऐसी स्त्रियों को नौकरी से अलग करना चाहे तो उसके लिए भी उचित संरक्षण रखा गया है और यदि फिर भी करे तो उसके लिए सजा की व्यवस्था है। मातृमंगलवाली छुट्टियों के जमाने में स्त्रियों से काम लेना दण्डनीय अपराध है। यदि कोई स्त्री इन छुट्टियों में काम करती पाई जाये तो उसे अनुविहित लाभ से वंचित किया जाता है।



मातृमंगल लाभ पाने के लिए कितनी स्त्रियां दावा पेश करती हैं, और पाती हैं, उनकी औसत संख्या तथा दी हुई रकम नीचे दिखाई गई है :

तालिका 168

1950 में विभिन्न राज्यों तथा अथवा खानों में दिया गया मातृमंगल-लाभ

| राज्य         | प्रति दिन काम पर लगायी जाने वाली औरतों की औसत संख्या | उन औरतों की संख्या जिन्होंने मातृ-मंगल-मागा | उन औरतों की संख्या जिन्हें मातृ-मंगल-लाभ पूरा या आंशिकरूप में दिया गया | उन मामलों की संख्या जहां अश गर्भपान या मृत्यु के कारण बोनस या मातृमंगल-लाभ दिया गया | कुल प्रदत्त राशि (रुपयों में) |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| अजमेर         | 13,336                                               | 47                                          | 39 (क)                                                                 | ...                                                                                 | 990                           |
| आसाम          | 2,12,463                                             | 45,652                                      | 44,339                                                                 | ...                                                                                 | 17,14,707                     |
| बिहार         | 11,535                                               | 1,028                                       | 944                                                                    | 83                                                                                  | 64,314                        |
| बम्बई         | 47,108                                               | 4,671                                       | 4,530                                                                  | ...                                                                                 | 1,81,132                      |
| दिल्ली        | 511                                                  | 16                                          | 14 (ख)                                                                 | ...                                                                                 | 428                           |
| मध्य - प्रदेश | 5,256                                                | 600                                         | 581                                                                    | ...                                                                                 | 27,348                        |
| मद्रास        | 88,526                                               | 3,723                                       | 3,249                                                                  | ...                                                                                 | 1,36,181                      |
| पंजाब         | 1,640                                                | 15                                          | 15                                                                     | ...                                                                                 | 634                           |
| उत्तर-प्रदेश  | 1,352                                                | 94                                          | 73                                                                     | 11                                                                                  | 3,587                         |
| पश्चिम-बंगाल  | 54,875                                               | 4,539                                       | 4,505                                                                  | ...                                                                                 | 4,77,670                      |
| (ग)<br>खाने   | 93,899                                               | 6,437                                       | 6,325 (घ)                                                              | 1,706                                                                               | 2,38,125                      |

श्रम कल्याण

1948 की कारखाना विधि, 1952 की खान विधि, 1951 की बगान श्रमिक विधि के अनुसार कैंटीनों, शिशुशालाओं, विश्रामगृहों, घोंने की सुविधाओं तथा चिकित्सा सम्बन्धी

(क) आठ मामले अभी निबटे नहीं हैं ।

(ख) इसमें एक 1949 का मामला भी शामिल है । 1950 के दो मामले अभी निबटे नहीं हैं ।

(ग) इस सूचना का 1949 से सम्बन्ध है ।

(घ) इस संख्या में 180 ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें लाभ की प्रथम किस्त 1949 में दे दी गयी थी ।

सहायता की व्यवस्था की गई है। यदि कारखाने में कम से कम मजदूर जो इस विधि के लिए जरूरी है, लगे हुए हैं तो श्रम अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है।

1951 के 31 मार्च को कोयले की खानों में 65 पिटहैंड गुसलखाने तथा 89 शिशुशालाएं बनाई गई थी और 93 पिटहैंड गुसलखाने तथा 104 शिशुशालाएं बन रही थी।

1947 की कोयले की खानों की श्रम कल्याण कोष विधि, 1946 की अभ्रक खान कल्याण कोष विधि, 1951 की उत्तरप्रदेश चीनी और पावर इल्कोहल धन्धों के श्रम कल्याण तथा विकास कोष विधि तथा 1953 की बम्बई श्रम कल्याण कोष विधि का दायरा बहुत विस्तृत है। इन विधियों के अनुसार कल्याण योजना बनाते समय मजदूरों के ज़सारे जीवन को सामने रख कर यह चेष्टा की जाती है कि मजदूर तथा उसके परिवार पूर्ण रूप से पनपे।

### तालिका 169

कोयला-खान श्रम कल्याण कोष का प्राप्ति-व्यय लेखा

(रुपयों में)

| वर्ष                                        | सामान्य कल्याण का लेखा |               | आवास-प्रबंध लेखा |           |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------|
|                                             | प्राप्ति               | व्यय          | प्राप्ति         | व्यय      |
| 1946-47                                     | 43,42,500              | 17,15,531     | ...              | ...       |
| 1947-48                                     | 50,70,964              | 40,00,000 (क) | 40,00,000 (क)    | ...       |
|                                             |                        | 22,93,034     | 11,18,862        | 6,46,485  |
| 1948-49                                     | 63,05,351              | 41,07,528     | 16,73,673        | 18,52,417 |
| 1949-50                                     | 47,11,298              | 55,22,048     | 66,99,159        | 30,26,547 |
| 1950-51                                     | 50,10,720              | 37,01,282     | 79,71,273        | 11,80,394 |
| योग                                         | 3,15,41,043            | 2,17,66,159   | 2,14,62,967      | 67,05,843 |
| 1 अप्रैल 1951 को जमा बाकी आई: 97,74,884 रु० |                        |               | 1,47,57,124 रु०  |           |

#### कोयले की खानों में श्रम कल्याण

1948 से मातृमंगल केन्द्र वाले चार क्षेत्रीय अस्पताल तिसरा और कतरास और (सरिया की खानें), चोरा और सियरसोल (रानीगंज की खानें) काम कर रहे हैं। धनबाद का केन्द्रीय अस्पताल 6 दिसम्बर 1951 को खोला गया था। 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1951 तक इन अस्पतालों में 16,463 ऐसे रोगी थे, जो अस्पतालों में भरती किये गये थे, और 50,122 ऐसे रोगी थे, जो बाहर रह कर चिकित्सा कराते थे। इसका लेखा तालिका 170 में दिया हुआ है।

(क) सामान्य-कल्याण लेखा से आवास-प्रबंध लेखा को एतदर्थ स्थानान्तर।

तालिका 170

| अस्पताल    | इलाज किये गये मरीजों की संख्या |       |       |        |                       |        |        |        |
|------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|
|            | अस्पताल में दाखिल मरीज         |       |       |        | बाहर से आने वाले मरीज |        |        |        |
|            | पुरुष                          | नारी  | शिशु  | योग    | पुरुष                 | नारी   | शिशु   | योग    |
| कतरास      | 3,521                          | 1,213 | 346   | 5,080  | 6,882                 | 6,772  | 5,121  | 18,775 |
| तिसरा      | 1,119                          | 781   | 474   | 3,374  | 4,831                 | 6,117  | 2,936  | 13,884 |
| सियर-सोल   | 4,339                          | 331   | 91    | 4,761  | 7,261                 | 2,934  | 1,249  | 11,444 |
| कोरा       | 2,420                          | 688   | 140   | 3,248  | 2,712                 | 1,733  | 1,574  | 6,019  |
| सब अस्पताल | 12,399                         | 3,013 | 1,051 | 16,463 | 21,686                | 17,556 | 10,880 | 50,122 |

आसनसोल में एक और केन्द्रीय अस्पताल बन रहा है। बोकारो कोयले की खान में फूसरो नामक स्थान में एक क्षेत्रीय अस्पताल के निर्माण का निर्णय हो चुका है, और पंच घाटी में एक क्षेत्रीय अस्पताल खोलने की योजना विचाराधीन है। कतरास और सियरसोल में तपेदिक रोगी-परीक्षण गृह खोले गये हैं। कुछ स्वास्थ्य निवासों में खान में काम करने वालों के लिए कुछ पलग रिजर्व रखे गये हैं। आसनसोल में खान में काम करने वाले तथा उन के परिवारों के लिये एक शोणित बैंक चालू है। लगभग कोयले की खान के सभी क्षेत्रों में मलेरिया प्रतिशोधक कार्यक्रम चालू है। बी० सी० जी० टीके का भी एक अभियान चालू है।

कई कोयले के क्षेत्रों में ऐसे बहुमुखी कल्याण केन्द्र खोले गये हैं जहाँ पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन तथा कल्याण सम्बन्धी अन्य कार्य भी जारी रहते हैं। 1951-52 के लिए ऐसे ग्यारह तथा 1952-53 के लिए ऐसे सात केन्द्रों का खोलना मंजूर हुआ था। धनबाद के केन्द्रीय अस्पतालों में पंगू खान-मजदूरों के लिए एक पुनर्वास केन्द्र खोला गया है। हैदराबाद की कोयले की खानों में खान मजदूरों के लाभ के लिए कुछ कृषि फार्म चलाये जा रहे हैं। खान मजदूरों के मनोरंजन के लिए रेडियो, चलते फिरते सिनेमा और खेल के मैदानों की व्यवस्था है। केन्द्रीय श्रम कल्याण सम्बन्धी विभाग के अन्तर्गत 1951-52 तथा 1952-53 के लिए कोयले की खानों के श्रमिकों के कल्याण के लिए क्रमशः 72,44,000 रुपये तथा 70,18,300 रुपये का बजट बना हुआ था।

## अभ्रक-खान श्रमिक कल्याण कोष का आय-व्यय लेखा

| वर्ष    | प्राप्ति                     |                              | व्यय                               |                                    |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1950-51 | रोकड़ बाकी आई                | रु० आ० पा०<br>42,07,178-5- 4 | बिहार में                          | रु० आ० पा०<br>1,11,857-8- 0        |
|         | प्राप्तियां वर्ष की अवधि में | 20,63,304-3- 6               | मद्रास में रोकड़ बाकी रही          | 77,714-14- 2<br>60,80,910- 2- 8    |
|         | प्राप्ति योग                 | 62,70,482-8-10               |                                    | 62,70,482- 8-10                    |
|         | अनुमानित प्राप्ति            | 15,00,000-0- 0               | अनुमानित व्यय-बिहार में मद्रास में | 13,39,310- 0- 0<br>4,02,623 - 0- 0 |

## अभ्रक की खानों में कल्याण कार्य

बिहार के कर्मा नामक स्थान में एक केन्द्रीय अस्पताल बनाने की मजूरी 1950-51 में दी गई थी। मद्रास के कलिचेडू नामक स्थान में इस प्रकार एक अस्पताल बनाने की मजूरी 1951-52 में दी गई। बिहार के धाब नामक स्थान में एक मातृकल्याण तथा शिशु-कल्याण केन्द्र बनाने की मजूरी 1952-53 में दी गई। नैल्लोर तथा गुडूर के सरकारी अस्पतालों में केचन खान मजदूरों के लिए कुछ पलग रिजर्व थे।

1950-51 में एक बहुमुखी कल्याण केन्द्र स्थापित करने की योजना मजूर की गई थी। 1952-53 में राजस्थान में ऐसे आठ केन्द्र खोलने की योजना विचाराधीन थी। खान मजदूरों के बच्चों को प्रौद्योगिक, उच्च सेकेंडरी तथा कालेजों की शिक्षा देने और उन्हें मुफ्त पुस्तकें और स्टेटे देने के लिए धन राशि मजूर की गई थी।

ऊपर बताए गये कोष में कई काम और किये जाते हैं। जहरत की चीजों तथा परचून की दुकान खोली जाती है, और चलते फिरते सिनेमा दिखाये जाते हैं इत्यादि। 1951-52 में अभ्रक कल्याण कोष के बजट के अनुसार बिहार और मद्रास के लिए क्रमशः नौ लाख और सवा लाख रुपये का बजट निदिष्ट था। 1952-53 के बजट में बिहार के लिए 7,75,000 रुपये की; मद्रास के लिये 4,00,000 रुपये की; राजस्थान के लिये 1,37,000 रुपये की और अजमेर के लिए 2,000 रुपये की व्यवस्था थी।

## बागान श्रमिक सम्बन्धी कल्याण

चाय बागान के श्रमिकों का भी उचित ध्यान रखा गया है। चाय बागानों में काम करने वालों को चिकित्सा सम्बन्धी क्या सुविधाएं देनी चाहिए, इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए

एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने जो सुझाव रखे वे सब के सब मान लिये गये। कुछ मालिकों ने इन सुझावों को पूर्ण रूप से मान लिया। 1951-52 में केन्द्रीय चाय बोर्ड से चाय बागान के मजदूरों के कल्याण के लिए चार लाख रुपये प्राप्त किये गये। यह रकम राज्य सरकारों में बांट दी गई, और इनके लिये जो कल्याण कार्य किये गये उनमें मनोरजन के अलावा, दर्जीगिरी, कढ़ाई, बुनाई, टोकरी बनाना इत्यादि उपयोगी शिल्प आते हैं। चाय बागान के मजदूरों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए आदर्श केन्द्र संगठित करने के लिए एक जापानी विशेषज्ञ बुलाया गया है।

### स्वेच्छा से किए जाने वाले उपाय

द्वितीय महायुद्ध के जमाने में श्रम कल्याण कोष इसलिए बनाये गये कि मजदूरों के लिए कल्याण कार्य किये जा सकें। 1947-48 में सब केन्द्रीय संस्थाओं को यह कहा गया कि वे इस प्रकार के कोषों का निर्माण करें। 1950-51 में 221 केन्द्रीय संस्थाओं में कल्याण कोष स्थापित किये जा चुके थे। मन्त्रालयों की दृष्टि से किस प्रकार यह कोष बढ़े हुए हैं यह नीचे देखा जा सकता है :

|                                      |  | ऐसी संस्थाओं की संख्या<br>जिनमें कल्याण कोष<br>है |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| मन्त्रालय                            |  |                                                   |
| प्रतिरक्षा . . . . .                 |  | 193                                               |
| विन्त . . . . .                      |  | 4                                                 |
| निर्माण, उत्पादन और पूर्ति . . . . . |  | 6                                                 |
| संचार . . . . .                      |  | 8                                                 |
| स्वास्थ्य . . . . .                  |  | 4                                                 |
| खाद्य एवं कृषि . . . . .             |  | 6                                                 |
| योग . . . . .                        |  | 221                                               |

इन कोषों में सात लाख रुपया एकत्र है, और इनमें लगभग एक लाख बीस हजार मजदूरों को लाभ पहुंचना है। कोष में मजदूरों के लिए विशेष कर घर के अन्दर खेले जाने योग्य खेल तथा बाहर खेले जाने योग्य खेल, वाचनालय, पुस्तकालय, रेडियो, शिक्षा तथा मनोरजन की व्यवस्था की जाती है। विभिन्न संस्थाओं तथा मजदूर संगठनों के द्वारा चलाये हुए मातृकल्याण केन्द्र, क्लबों, स्कूलों तथा सामाजिक सेवा केन्द्रों को अनुदान भी दिये जाते हैं।

राज्य सरकारें भी कुछ कल्याण केन्द्र चलाती हैं। कल्याण कार्यों के आकार प्रकार तथा प्रकृति के अनुसार यह केन्द्र 'क' 'ख' 'ग' 'घ' वर्गों में वर्गीकृत हैं। इन केन्द्रों के बारे में सब से ताजे आंकड़े इस प्रकार हैं—बम्बई 53, उत्तर प्रदेश 33, पश्चिमी बंगाल 19, सौराष्ट्र 17, बिहार, हैदराबाद और तिरुवांकुर-कोचीन—प्रत्येक में 3 और मंसूर में 2 ।

### कल्याण ट्रस्ट फंड

निजी मालिकों को समझा बूझाकर अपने यहां काम करने वाले लोगों के लाभ के लिए कल्याण ट्रस्ट कोष खोलने के लिए राजी किया गया। प्रयास यही किया गया कि ये कोष सामयिक स्वेच्छा के आधार पर बनाये जायें, यदि ऐसा न हो सका तो यह निर्णय किया गया कि

इसके लिए कानून बना कर लोगों को मजदूर किया जाये। नवम्बर 1952 में केन्द्रीय सरकार न गण्य सरकारों को अपने क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों को यह समझाने के लिए कहा कि वे इस प्रकार के कोष जारी करें। कल्याण कोष के सुन्दरतर उपयोग तथा निर्माण के लिए एक अखिल भारतीय विधि बनाने का विचार है।

अकेले मालिक (जैसे टाटा कम्पनी जमशेदपुर), कई मालिकों की संस्थाएं (जैसे भारतीय जूट मिल्स एसोसियेशन और भारतीय चाय एसोसियेशन) और कई मजदूर संस्थाएं (जैसे वस्त्र श्रमिक एसोसियेशन, अहमदाबाद) अपने अपने ढंग से श्रम कल्याण में लगे हुए हैं।

### मजदूरों के लिए मकान

1948 के अप्रैल में केन्द्रीय सरकार ने दस साल के अन्दर मजदूरों के लिए दस लाख मकान बनाने का निश्चय किया। आर्थिक दिककत के कारण 1949 के अप्रैल में एक संशोधित योजना घोषित की गई। इस योजना के अनुसार 1950-51 में तथा 1951-52 में राज्य सरकार को जो कर्ज दिये गये, वे इस प्रकार थे :

### तालिका 172

(लाख रुपये में)

| राज्य           | 1950-51 | 1951-52 |
|-----------------|---------|---------|
| आसाम            | ...     | 10      |
| बिहार           | 5       | 30      |
| बम्बई           | 75      | 44      |
| मध्य प्रदेश     | 10      | 10      |
| मद्रास          | ...     | 9       |
| उड़ीसा          | 10      | 10      |
| पंजाब           | ...     | 5       |
| हैदराबाद        | ...     | 20      |
| मैसूर           | ...     | 20      |
| तिरुवाकुर-कोचीन | ...     | 10      |
| योग             | 100     | 168     |

### मजदूरों के लिये सहायताप्राप्त मकान

1952 के अन्त में केन्द्रीय सरकार ने मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त मकानों की एक योजना की घोषणा की। यह योजना 1956 के मार्च तक याने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जारी रहेगी। केन्द्रीय सरकार मुख्य वित्तीय जिम्मेदारी ग्रहण करेगी, साथ ही साथ सामान और परिवहन की सुविधाएं भी देगी। विद्यालयों, औषधालयों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था राज्य सरकार को और से की जायेगी। मालिक तथा मजदूर युक्तिसंगत किराया देने के जिम्मेदार होंगे।

1952-53 के लिए सात करोड़ सौ जह लाख रुपये की लागत पर 28,500 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पर यह योजना देर से चालू हुई इसलिए कर्ज के रूप में 3,01,10,265 रुपये तथा सहायता के रूप में 2,70,18,786 रुपये की लागत पर 19,635 मकानों के बनाने

को मजूरी दी गई। इनमें से 1,189 की मजूरी (जिनमें कर्ज के रूप में 11,11,435 रुपये तथा सहायता के रूप में 11,98,401 रुपये मंजूर थे) रद्द कर देनी पड़ी क्योंकि मकान बनाना शुरू ही नहीं हुआ था। 1953-54 के लिए सात करोड़ सड़सठ लाख रुपये की लागत पर 22,000 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनसे यह आशा की जाती है कि 14,000 मकान राज्य सरकारों तथा हाउसिंग बोर्डों के द्वारा, 3,500 सहकारी समितियों तथा 4,500 मालिकों के द्वारा बनाये जायेंगे। अगस्त 1953 तक 1,802 मकानों के बनने के लिए 34,55,775 रुपये की कुल रकम मंजूर की गई थी। 1953 के सितम्बर में इनके अलावा एक कमरे वाले एक मजिल के 980 मकानों के लिए और भी 23,43,837 रुपये मंजूर किये गये थे। 1953 के अक्टूबर में एक कमरे वाले एक मजिल वाले 2,164 मकानों को बनाने के लिए 48,95,710 रुपये की एक रकम और मंजूर की गई।

गत वर्ष जो तजरबे हुए, उनके अनुसार इस योजना में कुछ संशोधन हुए। साथ ही मजदूरी को सहकारी समितियों की सुविधा के लिए भी परिवर्तन किये गये। गत वर्ष के मुकाबले में एक मुख्य परिवर्तन यह हुआ है कि 150 रुपये मासिक या उससे अधिक कमाने वाले मजदूरों के लिए दो कमरे वाले मकान बनाने तय हुए हैं।

#### पंचवर्षीय योजना

मकान बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना में 48,69,00,000 रुपये की व्यवस्था है। इस रकम में से केन्द्रीय सरकार 38 करोड़ 50 लाख रुपये और राज्य सरकारें 10 करोड़ 19 लाख रुपये खर्च करेंगी। 1953-54 में इस सम्बन्ध में जितने खर्च की व्यवस्था है, उसमें तथा बाद के वर्षों में खर्च के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखे जायेंगे उनमें यह ध्यान रखा जायेगा कि कुल 38 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च करना है।

केन्द्रीय सरकार के उदाहरण का अनुसरण करते हुए लगभग सभी राज्य सरकारें मजदूरी के लिए मकान सम्बन्धी अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में लगी हुई हैं। बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर ने क्रमशः बम्बई हाउसिंग ऐक्ट 1948, उ० प्र० शुगर एण्ड पावर एलकोहल इण्डस्ट्रीज लेबर वेल्फेयर एण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट 1951, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट 1950 और मैसूर लेबर हाउसिंग ऐक्ट 1949 पास कर लिया है। इन विधियों के द्वारा मकान बनवाने के लिए सरकारें वित्त ले सकेंगी। इस सम्बन्ध में वित्त आने के साधन केन्द्रीय और राज्य सरकारों से प्राप्त राज्य अनुदान, मालिकों और मुलाजिमों से प्राप्त अनुदान तथा किराये हैं। इन कोषों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि सम्बद्ध सरकारों से पहले से स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक ऋण प्राप्त करें। बम्बई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रासंगिक विधियों के अनुसार अनुविहित हाउसिंग बोर्ड स्थापित किये गये हैं। मैसूर सरकार ने लेबर हाउसिंग कारपोरेशन की शक्तियां तथा जिम्मेदारियां बंगलोर नगरोन्नयन ट्रस्ट को सौंप दी है। बिहार सरकार ने मई 1951 में एक अस्थायी औद्योगिक गृह निर्माण बोर्ड स्थापित की है। उन गृहनिर्माण बोर्डों को इस बात का कानूनी अधिकार कि वे भूमि प्राप्त करें, और उसको उन्नयन करें तथा औद्योगिक मजदूरों के लिए मकान बनवायें और उन्हें कायम रखें।

भारत सरकार ने हाल ही की एक विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित कर दिया है कि पंचवर्षीय योजना आयोग ने जिस राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को स्थापित करने की सिफारिश की, उस

की सब प्रारम्भिक तैयारियां हो चुकी हैं। इस सगठन में कौन लोग होंगे, यह भी अन्तिम रूप से तय हो चुका है। जल्दी ही इस सम्बन्ध में घोषणा होने वाली है।

### कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिये मकान

अपने अपने यहां के स्वास्थ्य सम्बन्धी खान बोर्डों के आदेश के अनुसार झरिया, आसनसोल, हजाराबाग के कोयले की खानों के मालिकों ने क्रमशः 37,386, 16,110 और 1,442 मकान बनवाये हैं। इतना हो जाने पर भी निवास-स्थान की बहुत कमी थी क्योंकि खान में काम करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कोयले की खान के मजदूरों की कल्याण कोष विधि 1948 के अनुसार जो कल्याणकारी संगठन बने हैं, वे खान में काम करने वाले मजदूरों के रहने के लिए मकान बनवाने का एक अलग हिसाब रखते हैं। 1 अप्रैल 1951 की इन सगठनों का आयव्यय और बाकी क्रमशः इस प्रकार था—2,14,62,967 रुपये, 67,05,843 रुपये तथा 1,47,57,124, रुपये। इस सगठन ने अब तक झरिया क्षेत्र के भूलि नामक स्थान में 1,566 तथा रानीगंज की कोयले की खान के विजयनगर नामक स्थान में 48 मकान बनवाये हैं। बोकारो, करगालो, भर-कण्डा और कुरसिया की सरकारी खानों में इस कोष से 184 मकान बन चुके हैं और 355 बन रहे हैं। कल्याण कोष सगठन ने खान-स्वास्थ्य बोर्ड से यह अनुरोध किया है कि वह मालिकों से यह कहे कि खान मजदूरों के लिए उन्नत किस्म के मकान बनवाएं।

### श्रम विधियों का प्रशासन

श्रम विधियों का प्रशासन विभक्त जिम्मेवारी का है, याने केन्द्रीय सरकार खानों, रेलों तथा अन्य केन्द्रीय उद्योगों पर लागू श्रम विधियों को अपने विभिन्न दफ्तरों के जरिये से प्रशासित करती है। राज्य सरकारें बाकी विधियों को अपने सगठनों के जरिये से लागू करती हैं। तत्सम्बन्धी केन्द्रीय संगठन ये हैं :—

- (1) मुख्य श्रम-आयुक्त का दफ्तर, नई दिल्ली।
- (2) कोयले की खानों के कल्याण आयुक्त का दफ्तर, धनबाद।
- (3) कोयले की खानों के प्राविडेंट फंड आयुक्त का दफ्तर, धनबाद।
- (4) अभ्रक की खानों के श्रम कल्याण कोष के कल्याण आयुक्तों के दफ्तर, धनबाद तथा नेल्लौर।
- (5) खानों के मुख्य निरीक्षक का दफ्तर, धनबाद।
- (6) कारखानों के मुख्य परामर्शदाता का दफ्तर, नई दिल्ली।
- (7) बाहर से आये हुए श्रमिकों के कंट्रोलर का दफ्तर, शिलांग।
- (8) मुलाजिमों के राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल का दफ्तर, नई दिल्ली।
- (9) लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर का दफ्तर।

औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण सभी राज्यों ने अपने इलाकों के अन्दर लागू सभी श्रम विधियों के प्रशासन तथा लागू करने के लिए संगठन बनाये हैं। जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त सभी 'क' तथा 'ख' भाग के राज्यों में इस उद्देश्य से आयुक्त नियुक्त हुए हैं।



## बाईसवां अध्याय

### पत्र-पत्रिकाएं, फिल्म और रेडियो द्वारा प्रसार

1947 के अगस्त में भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों और सामयिक पत्रों की संख्या 3,000 थी, जिस में 300 दैनिक पत्र थे। 1 अप्रैल 1953 को यही संख्या 8,134 में पहुँच गई, जिस में 683 दैनिक पत्र, 2,666 साप्ताहिक पत्र, 2,911 मासिक पत्र और 1,874 दूसरे सामयिक पत्र थे। इन में से अंग्रेजी में 74 दैनिक, 299 साप्ताहिक, 465 मासिक, और 439 दूसरे सामयिक पत्र प्रकाशित होते थे।

नीचे की तालिका में भाषावार लेखा प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 173

| किस भाषा में प्रकाशित होता है | दैनिक | साप्ताहिक | मासिक | अन्य पत्रिकाएँ | योग   |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|
| हिन्दी                        | 176   | 705       | 777   | 297            | 1,955 |
| अंग्रेजी                      | 74    | 299       | 465   | 439            | 1,277 |
| उर्दू                         | 170   | 391       | 317   | 79             | 957   |
| बंगला                         | 24    | 235       | 300   | 211            | 770   |
| मराठी                         | 52    | 168       | 49    | 80             | 349   |
| तमिल                          | 16    | 161       | 249   | 92             | 518   |
| तेलुगू                        | 8     | 103       | 162   | 62             | 335   |
| मलयालम                        | 13    | 54        | 105   | 19             | 191   |
| कन्नड                         | 28    | 96        | 33    | 20             | 177   |
| गुजराती                       | 48    | 154       | 60    | 88             | 350   |
| संस्कृत                       | ...   | 3         | 8     | ...            | 11    |
| काश्मीरी                      | ...   | ..        | ..    | ..             | ...   |
| संस्कृति                      | 22    | 35        | 52    | 6              | 115   |
| असमिया                        | 1     | 27        | 11    | 32             | 71    |
| उडिया                         | 3     | 15        | 32    | 6              | 56    |
| द्वै-मासिक या बहु-मासिक       | 33    | 161       | 252   | 424            | 870   |
| अन्य भाषाएँ (मिथी आदि)        | 15    | 59        | 39    | 19             | 132   |
| योग                           | 683   | 2,666     | 2,911 | 1,874          | 8,134 |

भारत में दैनिक पत्रों के प्रकाशन की अनुमानित कुल संख्या बीस लाख से ऊपर है। दूसरे देशों के मुकाबले में यह संख्या बहुत कम है। प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे ब्रिटेन में 596 दैनिक, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 354, इजराइल में 235, जापान में 224, लेबनान में 81,

लंका में 27, फिलीपीन द्वीप में 25 और इराक में 10 दैनिक लिए जाते हैं, जब कि भारत में मोटे तौर पर प्रत्येक हजार व्यक्तियों के पीछे 6 पत्र छपते हैं। भारत सरकार ने 1952 के 23 सितम्बर को न्यायाधीश राज-व्यक्ष की अध्यक्षता में एक मुद्रणालय आयोग (प्रेस कमीशन) इसलिए नियुक्त किया कि वह पत्र-पत्रिकाओं की वर्तमान अवस्था की पड़ताल करे और भविष्य में उसका किस प्रकार विकास हो, यह बताये। निर्देश्य शर्तों के अनुसार आयोग को इन बातों पर विचार करना था—(1) समाचार पत्रों, सामयिक पत्रों, खबर देने वाली एजेंसियों तथा फीचर सिन्डीकेटों का नियन्त्रण, उनकी व्यवस्था, मिलिकियत तथा उनका वित्तीय ढांचा क्या है। (2) एकाधिकार तथा पत्रों की मालाएँ किस प्रकार चलती हैं। (3) पत्रकारिता के विकास पर अधिकारी कम्पनी तथा विज्ञापनों का क्या असर पड़ता है। (4) वेतन प्राप्त पत्रकारों की भर्तियों, प्रशासन, वेतन तथा काम करने की अवस्थाएँ क्या हैं। (5) न्यूजप्रिंट की पूर्तियों तथा छापेखाने कहाँ तक उपयुक्त हैं। (6) पत्रकारिता के ऊँचे मानदण्ड के लिए क्या आवश्यक है। (7) कौन सी विधियाँ ऐसी हों जिनको बिना हटाये या संशोधन किये बिना पत्रकार-कला की स्वतन्त्रता नहीं रह सकती। इन मामलों पर सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए आयोग ने एक प्रश्नावली गश्ती रूप में जारी की और इस पर लोगों की गवाहियाँ ली गईं। आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है।

### छापेखाने की स्वतन्त्रता

संविधान के 19वें अनुच्छेद में यह गारंटी दी गई है कि प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त होगा। 1951 की संविधान (प्रथम संशोधन) विधि के अनुसार संसद इस अधिकार को देश की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रता के सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, सुरुचि या सुनौति, अदालत का अपमान, मानहानि या किसी अपराध के लिए उत्तेजना की दृष्टि से इस अधिकार को व्यक्तिगत रूप से रोक सकती है। संशोधन के कारण 'युक्तिसंगत रूप से रोकने' के जो शब्द आ गये, उनके कारण अब इस अधिकार को रोकते हुए जो कानून बनते हैं, वे एक तरफ जहाँ उचित हो गए, वहीं दूसरी तरफ वे कहीं युक्तिसंगत हृद से आगे तो नहीं निकल गये, इस पर अदालत के सामने मुकदमा दायर हो सकता है।

### फिल्म

1930 तक भारतीय फिल्म व्यवसाय की प्रगति बहुत मामूली रही। उन दिनों जितने विदेशी फिल्म भारत में दिखाए जाते थे, उनकी लम्बाई भारतीय फिल्मों की सात गुनी होती थी। 80 प्रतिशत फिल्म तो अमेरिका से ही मंगाये जाते थे। पर अब परिस्थिति यह है कि जितने फुट फीचर फिल्म भारत में बनाये जाते हैं, वे बाहर से मंगाये हुए फिल्मों से अधिक लम्बे होते हैं। अब भारत में लगभग 200 निर्माता, 60 स्टुडियो, 40 प्रयोगशालाएँ और लगभग 6,600 वितरक और उपवितरक काम करते हैं। मुख्य उत्पादन-केन्द्र बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हैं। इस धंधे में कुल पूँजी चालीस करोड़ रुपये लगी हुई है। और इससे प्रति वर्ष बीस करोड़ रुपये कुल राजस्व प्राप्त होता है। अब तो परिस्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि यहाँ की फिल्में देश के बाहर भी खपने लगी हैं।

संसार के फिल्म उत्पादकों में भारत का स्थान दूसरा है। 1953 में भारत ने 259 फिल्मों तैयार की। इस समय अन्य देशों के वार्षिक आकड़े इस प्रकार हैं —संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 450 फीचर फिल्म, जापान 150, इटली 120, फ्रांस 110, जर्मनी और ब्रिटेन प्रत्येक 85, चीन 26 और रूस 15।

1931 से विभिन्न भारतीय भाषाओं में किस गति से फिल्म उत्पन्न हुए इसका लेखा नीचे प्रस्तुत किया गया है :

### तालिका 174

भारतीय भाषाओं में निर्मित फीचर-फिल्में (1931-53)

| वर्ष   | हिन्दी | गुजराती | मराठी | बंगाली | तमिल | तेलुगु | कन्नड़ | पंजाबी | मलयालम | अन्य | योग |
|--------|--------|---------|-------|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|-----|
| 1931 . | 23     | ...     | ...   | 3      | 1    | 1      | ...    | ...    | ...    | ...  | 28  |
| 1932 . | 61     | 2       | 8     | 5      | 4    | 2      | ...    | ...    | ...    | 1    | 83  |
| 1933 . | 75     | ...     | 6     | 9      | 7    | 5      | ...    | ...    | ...    | 1    | 103 |
| 1934 . | 121    | 1       | 11    | 10     | 14   | 3      | 2      | ...    | ...    | 2    | 164 |
| 1935 . | 154    | 1       | 9     | 19     | 38   | 7      | 1      | 1      | ...    | 3    | 233 |
| 1936 . | 135    | 3       | 6     | 19     | 38   | 12     | 1      | 1      | ...    | 2    | 217 |
| 1937 . | 102    | ...     | 11    | 16     | 37   | 10     | 3      | ...    | ...    | ...  | 179 |
| 1938 . | 88     | ...     | 14    | 19     | 39   | 10     | ...    | 1      | 1      | ...  | 172 |
| 1939 . | 82     | 1       | 12    | 15     | 35   | 12     | ...    | 7      | ...    | 1    | 165 |
| 1940 . | 86     | 1       | 10    | 16     | 36   | 14     | ...    | 7      | 1      | ...  | 171 |
| 1941 . | 79     | 1       | 14    | 18     | 34   | 16     | 2      | 2      | 1      | 3    | 170 |
| 1942 . | 97     | ...     | 13    | 18     | 19   | 8      | 2      | 5      | ...    | 1    | 163 |
| 1943 . | 108    | ...     | 5     | 21     | 13   | 6      | 4      | ...    | ...    | 2    | 159 |
| 1944 . | 86     | ...     | 4     | 14     | 13   | 6      | ...    | 2      | ...    | 1    | 126 |
| 1945 . | 73     | ...     | ...   | 9      | 11   | 5      | 1      | ...    | ...    | ...  | 99  |
| 1946 . | 155    | 1       | 2     | 15     | 16   | 10     | ...    | 1      | ...    | ...  | 200 |
| 1947 . | 186    | 11      | 6     | 38     | 29   | 6      | 5      | ...    | ...    | 7    | 288 |
| 1948 . | 148    | 28      | 7     | 37     | 32   | 7      | 2      | 1      | 1      | 2    | 265 |
| 1949 . | 157    | 17      | 15    | 62     | 21   | 7      | 6      | 1      | 1      | 2    | 289 |
| 1950 . | 115    | 13      | 19    | 42     | 19   | 18     | 1      | 4      | 6      | 4    | 241 |
| 1951 . | 100    | 6       | 16    | 38     | 26   | 20     | 2      | 4      | 7      | 2    | 221 |
| 1952 . | 102    | 2       | 17    | 43     | 32   | 25     | 1      | ...    | 11     | ...  | 233 |
| 1953 . | 96     | ...     | 21    | 50     | 42   | 29     | 7      | 3      | 7      | 4    | 259 |

1945-46 के बाद से बाहर से कितनी फिल्में मंगाई गईं इनका लेखा यों है :—

### तालिका 175

(सख्याये लाखों में)

| वर्ष<br>(अप्रैल से<br>मार्च तक) | कच्ची फिल्म         |                    | प्रयुक्त (एक्सपोज्ड)<br>फिल्म |                    | ध्वनि रेका-<br>डिंग और यंत्र<br>सम्बन्धित<br>सामग्री (मू-<br>ल्य रूपयो<br>में) |  | प्रदर्शन यंत्र<br>और संबन्धित<br>सामग्री (मू-<br>ल्य रूपयो में) |  |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|                                 | फुटों में<br>लम्बाई | मूल्य<br>रूपयो में | फुटों में<br>लम्बाई           | मूल्य<br>रूपयो में |                                                                                |  |                                                                 |  |
| 1945-46                         | 808.94              | 29.05              | 161.88                        | 45.28              | 15.37                                                                          |  | 19.10                                                           |  |
| 1946-47                         | 1,286.23            | 54.11              | 151.15                        | 24.60              | 23.17                                                                          |  | 46.70                                                           |  |
| 1947-48                         | 1,742.00            | 79.96              | 150.88                        | 19.98              | 84.64                                                                          |  | 61.51                                                           |  |
| 1948-49                         | 1,564.16            | 76.96              | 123.91                        | 31.52              | 24.53                                                                          |  | 37.14                                                           |  |
| 1949-50                         | 1,787.50            | 95.30              | 146.32                        | 38.18              | 11.50                                                                          |  | 61.08                                                           |  |
| 1950-51                         | 2,085.38            | 125.59             | 145.37                        | 35.79              | 9.53                                                                           |  | 61.94                                                           |  |
| 1951-52                         | 1,981.74            | 135.55             | 105.96                        | 28.01              | 17.56                                                                          |  | 53.79                                                           |  |
| 1952-53                         | 2,476.41            | 166.07             | 129.47                        | 39.69              | 10.70                                                                          |  | 25.58                                                           |  |

भारत में लगभग 3,250 सिनेमाघर हैं, जिन में से 850 चलते फिरते हैं। इनमें से बीस प्रतिशत ऐसे गहरो अथवा नगरो में हैं, जिनकी आवादी एक लाख में ऊपर है। बाकी छद्मे नगरो तथा कस्बो में अवस्थित हैं। कुल मिलाकर साल में सिनेमा घरों में उपस्थिति 60 करोड़ रहनी है।

#### डाक्यूमेंटरी तथा खबरों की रीलों

सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय के अन्तर्गत फिल्म डिवीजन ऐसी डाक्यूमेंटरी तथा खबरों की रीलों का निर्माण करता है, जिन में भारतीय जीवन के विभिन्न पहलू दिखलाये जाते हैं। इन फिल्मों में इतिहास, संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा चालू घटनाएँ दिखाई जाती हैं। भान्त सरकार के फिल्म डिवीजन को 1948 में पुनर्जीवित किया गया। 1953 के दिसम्बर के दूसरे सप्ताह तक यह डिवीजन 269 समाचार रीले प्रस्तुत कर चुका था और प्रतिवर्ष औसत 39 डाक्यूमेंटरी तैयार कर रहा था। 1948 और 1953 के बीच के डाक्यूमेंटरी का लेखा इस प्रकार रहा है —

### तालिका 176

| वर्ष                    | डाक्यूमेंटरी फिल्मों की सख्या |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1948                    | 3                             |
| 1949                    | 28                            |
| 1950                    | 39                            |
| 1951                    | 38                            |
| 1952                    | 39                            |
| 1953 (नवम्बर के अंत तक) | 30                            |
| योग                     | 177                           |

सरकार साधारणतः पांच भाषाओं में फिल्म तैयार करती है। हिन्दी, बंगला, तमिऴ, तेलुगु और अंग्रेजी। चुने हुए डाक्यूमेंटरी तथा खबर की रीले अब व्यापारिक प्रदर्शन के लिये विदेश स्थित भारतीय मिशनो में भी भेजी जाती है। इसके अलावा ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेलिविजन कार्यक्रमों में भी उनका अब इस्तेमाल होता है।

### फिल्मों का सेन्सर

जनवरी 1951 में फिल्म सेंसरो का केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किया गया, और उस समय जब विभिन्न राज्य बोर्ड थे उनका स्थान उसे मिला। इस प्रकार एक संस्था स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय संस्कृति, शिक्षा, तथा मनोरंजन के माध्यम के रूप में फिल्मों के मान-दण्ड को ऊँचा करने के लिये सेन्सर के कार्य में एकरूपता स्थापित की जाये।

बोर्ड का उद्देश्य यह है कि फिल्मों को सार्वजनिक रूप से दिखाने की दृष्टि से उनकी परीक्षा की जाये तथा उन्हें मंजूर किया जाये। बोर्ड में महापति का लेकर सात सदस्य होते हैं। इस का प्रधान दफ्तर बम्बई में है। इसके अलावा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इस के क्षेत्रीय दफ्तर हैं। बोर्ड दो प्रकार के प्रमाण-पत्र देते हैं, एक तो वह प्रमाण-पत्र जिस के अनुसार फिल्म सब को दिखलायी जा सकती है, दूसरा वह प्रमाण-पत्र जो केवल बयस्को को दिखलाने की आज्ञा देता है। प्रथम प्रमाण-पत्र को यू० प्रमाण-पत्र और दूसरे को ए० प्रमाण-पत्र कहा जाता है। यदि कोई निर्माता बोर्ड के निर्णय में असन्तुष्ट है, तो उसे भारत सरकार में अपील करने का अधिकार है। 1 अप्रैल 1952 और 31 मार्च 1953 के बीच में 33 फिल्मों (जिन में 26 विदेशी फिल्में थीं) को बयस्को के लिये तथा 3,164 फिल्मों को सर्व प्रकार की जनता के लिये प्रमाणपत्र दिये गये। इसी युग में कितनी फीचर फिल्मों को और कितनी सक्षिप्त फिल्मों को प्रमाणपत्र दिये गये, उसका हिसाब यों है :—

|                    | भारतीय | विदेशी |
|--------------------|--------|--------|
| फीचर फिल्में . . . | 262    | 500    |
| छोटी फिल्में . . . | 369    | 2,066  |
| योग                | 631    | 2,566  |

### प्रसारण

आल इंडिया रेडियो के 21 प्रसार केन्द्र हैं। 1953 के 2 अक्टूबर को पूना में एक प्रसार केन्द्र खोला गया, पर साथ ही औरंगाबाद का स्टेशन बन्द हो गया। इस प्रकार प्रसार केन्द्रों की संख्या उतनी ही बनी रही।

देश में लाइसेंसयुक्त रेडियो सैटों का प्रचार जोरों के साथ हुआ। 1947 में जहां इनकी संख्या 2,75,956 थी, वहां 1952 के दिसम्बर के अन्त तक इनकी संख्या 7,58,620 हो गयी। इसमें से अधिकतर घरेलू सेट हैं, जिनकी संख्या लगभग 6,94,000 है।

लाइसेंसों की सख्या में किस प्रकार प्रगति रही उसका लखा इस प्रकार है ---

### तालिका 177

| वर्ष           | कुल<br>सख्या |
|----------------|--------------|
| 1947 . . . . . | 2,75,955     |
| 1948 . . . . . | 3,18,999     |
| 1949 . . . . . | 4,08,060     |
| 1950 . . . . . | 4,46,319     |
| 1951 . . . . . | 6,85,508     |
| 1952 . . . . . | 7,58,620     |

1952 के अन्त में प्रति हजार व्यक्ति पीछे भारत में लगभग दो रेडियो सेट थे, जब कि 1950-51 में इजराइल में प्रति हजार व्यक्ति पीछे 123 सेट, जापान में 106, लेबनान में 36 टर्की में 16, मिस्र में 12, और लंका में 4 थे। पश्चिमी देशों में यह सख्या बहुत अधिक है, यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को रेडियो का लाभ देने के लिये देहाती के औद्योगिक क्षेत्रों तथा विद्यालयों में सामूहिक सेट लगाये गये हैं। वर्तमान समय में 6,600 ऐसे रिसीवर हैं।

#### विकास योजनाएं

1953 में प्रसार के विकास की एक पंचवर्षीय योजना बनायी गयी। इस योजना में बम्बई, अहमदाबाद, बंगलोर, कलकत्ता, जालन्धर तथा इलाहाबाद में अत्युच्च शक्तियुक्त ह्रस्व तरंग संप्रेषण लगेंगे तथा नागपुर, गौहाटी, मद्रास, इंदौर, हैदराबाद में मझोले तरंग संप्रेषण लगने हैं। जयपुर, जोधपुर (केवल रिले केन्द्र), ग्वालियर तथा राजकोट में नये प्रसार केन्द्र खुलने हैं। इसके अलावा कलकत्ता और मद्रास में स्टूडियो की इमारतें बनेंगी और नई दिल्ली में जो इमारत है, उसका विस्तार होगा।

दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के प्रसार केन्द्र ह्रस्व तथा मझोले तरंग के संप्रेषणों के द्वारा अपने अपने इलाके की सेवा करते हैं। मझोले तरंग पर जो दूसरे केन्द्र काम करते हैं, वे सीमित रूप से अपने ईर्ष्या-गर्द की सेवा करते हैं। इन केन्द्रों से जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, उनमें संगीत, खबरे, शिक्षा सम्बन्धी प्रसार, नाटक, बच्चों, स्त्रियों के लिये फीचर तथा देहाती भाषियों और मजदूरों के लिये कार्यक्रम होते हैं।

1952-53 में कार्यक्रमों के उन्नयन के लिये कुछ कदम उठाये गये। आल इंडिया रेडियो को पक्के गाने तथा सरल संगीत (हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटकी दोनों के) प्रसारित करने वाले कलाकारों को चुनने में सहायता देने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति चुनी गयी। साथ ही साथ हल्के गानों के मान-दण्ड का भी उन्नयन हो रहा है। फिल्म संगीत के सम्बन्ध में काफी कमी की गयी है और इस प्रकार जो समय बच रहा है उसमें ऐसा संगीत प्रसारित किया जा रहा है, जो वाछनीय मान-दण्ड का है। आल इंडिया रेडियो दिल्ली में संगीत का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी

इसलिये शुरू किया गया है कि लोगो में एकता बढे। इस कार्यक्रम को सभी स्टेशन प्रसारित करने हैं तथा उच्च कांठि या हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटकी संगीत सर्वसाधारण में प्रसारित दिया जाना है।

### संवाद प्रसार

आल इंडिया रेडियो की संवाद प्रसार सम्बन्धी सेवा दिल्ली के संवाद सेवा डिवीजन में केन्द्रित है और दिल्ली के प्रसारित संवाद सम्बन्धी विज्ञप्तिया क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रसारित होती है।

आल इंडिया रेडियो इस समय प्रतिदिन 73 संवाद विज्ञप्तिया प्रसारित करता है, जिनमें से 44 देश के अन्दर के लोगो के लिये होती हैं, तथा 29 विदेशों में रहने वाले भाइयों के लिये होती है। इन विज्ञप्तियों में लगभग 14 घंटे लगते हैं और ये 27 भाषाओं में प्रसारित की जाती हैं। इनमें से 16 भारतीय भाषाएं हैं और शेष 11 विदेशी।

एक्सटर्नल सर्विसेज में एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के विभिन्न देशों तथा वेस्ट इंडीज के लिये कार्यक्रम प्रसारित होता है। प्रति दिन इस कार्यक्रम में 21 घंटे लगते हैं।

1947 में आल इंडिया रेडियो से प्रसार का कुल समय 26,342 घंटे था। 1952 में यह 74,640 घंटे हो गया। छुट्टी के सप्ताहात दिवसों में प्रसार का समय केन्द्र की शक्ति के अनुसार पांच से दस घंटे तक होना है।

### प्रसार केन्द्र

आल इंडिया रेडियो के प्रसार केन्द्र चार क्षेत्रों में बंटे हुए हैं—उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर क्षेत्रीय सेवा में ये केन्द्र आ जाते हैं—दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जलन्धर-प्रमत्तमर। पूर्वी क्षेत्रीय सेवा में, कलकत्ता, कटक, शिलांग और गौहाटी आते हैं। मद्रास, तिरुची, विजयवाडा, मैसूर, त्रिवेन्द्रम और कोचीकोड दक्षिण सेवा में आते हैं, और पश्चिम क्षेत्रीय सेवा में बम्बई, नागपुर, बडौदा, अहमदाबाद, धारवाड, हैदराबाद और पूना आते हैं।

दिल्ली में संप्रेषण की दो अलग धाराएं हैं “क”, “ख”। संप्रेषण “क” में कुल नौ घंटे बीस मिनट और संप्रेषण “ख” में आठ घंटे तीस मिनट प्रसार होता है। सप्ताह के कुछ दिनों में विद्यालयों के लिये जो विशेष कार्यक्रम होता है, उनको इस में नहीं दिखाया गया है। दिल्ली “क” में हिन्दी, उर्दू, इरियाना और अंग्रेजी व्यवहार में आती है। हिन्दी और उर्दू के सारे कार्यक्रम दिल्ली “क” से शुरू होते हैं। इसमें वे कार्यक्रम भी हैं जो बच्चों, स्त्रियों, देहाती भाइयों तथा विद्यालयों के लिये हैं। दिल्ली “ख” में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के “क” वाले कुछ कार्यक्रमों को पुन प्रसारित करने के अनिवार्य पञ्जाबी और गोरखाली श्रोताओं के लिये कार्यक्रम प्रसारित होता है। पश्चिमी संगीत तथा सेनाओं के लिये कार्यक्रम दिल्ली “ख” से प्रसारित होते हैं। फरवरी 1953 तक लखनऊ, इलाहाबाद और पटना इस विचार में एक साथ बंधे हुए थे कि इन क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं प्राप्त हैं वे सबके लिये हैं। पर 1953 की पहली फरवरी को बिहार के श्रोताओं के लाभ की दृष्टि से पटना केन्द्र को अलग कर दिया गया। इन केन्द्रों में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के कार्यक्रम होते हैं। प्रत्येक केन्द्र से साढ़े आठ घंटे प्रसार होता है। इसमें विद्यालयों के लिये विशेष दिनों में होने वाले कार्यक्रम नहीं गिनाये गये। लखनऊ और इलाहाबाद के प्रथम और द्वितीय संप्रेषण सामान्य हैं, और लखनऊ से ही उनका आरम्भ होता है। इन दो केन्द्रों में वार्ताओं, नाटकों, फीचरों तथा संगीत कार्यक्रमों की सामान्य सूची होती है। विद्यालयों, बच्चों

तथा स्त्रियों के लिये कार्यक्रम भी सामान्य है। देहाती इलाकों के लिये तथा स्थानीय बोलियों में जो सामयिक दिलचस्पी के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, वे दोनों स्टेशनों से अलग अलग होते हैं। देहाती भाइयों के लिये लखनऊ से जो कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसमें मजदूरों के लिये भी पंद्रह मिनट का एक कार्यक्रम रहता है।

जालन्धर और अमृतसर में कार्यक्रम अक्सर सामान्य होते हैं। इन केन्द्रों में हिन्दी, पंजाबी उर्दू और अंग्रेजी काम में लायी जाती है। प्रतिदिन कुल साढ़े पांच घंटे प्रसार का काम होता है।

बम्बई में दो अलग अलग धाराएँ हैं 'क' और 'ख', जिनमें से प्रत्येक में कुल मिला कर नौ घंटे पचीस मिनट प्रेषण का कार्य होता है। इसमें विद्यालयों के कार्यक्रम शामिल हैं। बम्बई 'क' से गुजराती और अंग्रेजी भाषा में प्रसार होता है। मजदूरों के लिए भी एक कार्यक्रम होता है। बम्बई 'ख' से हिन्दी, उर्दू, मराठी और कोन्कणी में प्रसार कार्य होता है।

नागपुर में प्रतिदिन साढ़े सात घंटे प्रसार होता है। यहाँ में हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी में प्रसार कार्य होता है।

बड़ौदा और अहमदाबाद जुड़े हुए हैं, और उनके अधिकांश कार्यक्रम सामान्य हैं। बड़ौदा से देहाती भाइयों के लिए गुजराती में और अहमदाबाद से मजदूरों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। यहाँ केन्द्र में कुल मिला कर प्रति दिन सवा छः घंटे प्रसार होता है।

धारवाड से सप्ताह के सातों दिन साढ़ेसात घंटे प्रसार का काम होता है। यहाँ बम्बई, हिन्दी और अंग्रेजी काम में आती है।

हैदराबाद में प्रति दिन आठ घंटे पैंतीस मिनट कार्यक्रम प्रसारित होता है। यहाँ से उर्दू, मराठी, कन्नड और अंग्रेजी में प्रसार होता है।

कलकत्ता में 'क' और 'ख' दो कार्यक्रम चलते हैं। कुल मिला कर प्रति दिन दस घंटे प्रसार का काम होता है। 'क' में बंगला, हिन्दी और अंग्रेजी तथा 'ख' में इन भाषाओं के अलावा उडिया भी काम में लायी जाती है। कलकत्ता 'ख' के अधिकांश कार्यक्रम कलकत्ता 'क' में प्रसारित किये जाते हैं। कलकत्ता 'ख' का भाव यह है कि उडिया मजदूरों तथा देहाती मुनने वालों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाये। कटक में प्रति दिन साढ़े पांच घंटे प्रसार होता है और वहाँ उडिया, हिन्दी तथा अंग्रेजी काम में आती है।

शिलांग, गौहाटी में प्रति दिन पांच घंटे पैंतीस मिनट कार्यक्रम प्रसारित होता है, और यहाँ की भाषा आसामी, हिन्दी और अंग्रेजी है। गौहाटी और शिलांग में साथ ही साथ देहाती मुनने वालों के लिए स्थानीय बोली में और उपजातियों के लिए खासी-जयन्तिया भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

मद्रास में 'क' और 'ख' दो कार्यक्रम चलते हैं। प्रति दिन 'क' में नौ घंटे पैंतीस मिनट और 'ख' में दस घंटे पांच मिनट प्रसार किया जाता है। 'ख' के कार्यक्रम में विद्यालयों के कार्यक्रम भी शामिल हैं। 'क' से तमिल, हिन्दी और अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं जो तमिल भाषी इलाकों के लिए होते हैं। 'ख' में हिन्दी, अंग्रेजी और तेलगू में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। सप्ताह में पांच दिन मजदूरों के लिए तथा देहाती मुनने वालों के लिए तेलगू में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। मद्रास के 'क' से कोई देहाती कार्यक्रम प्रसारित नहीं होता।



तिरुचो से प्रति दिन तमिल में आठ घंटे पैतोस मिनट कार्यक्रम प्रसारित होता है। यहां से देहानी कार्यक्रम होने हैं तथा सप्ताह में पांच दिन प्राथमिक स्कूलों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित होता है।

त्रिवेन्द्रम और कोजोवोड एक पांच जुड़े हुए हैं और इन में मलयालम और अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित होने हैं। अधिकांश कार्यक्रम सामान्य होने हैं। स्थानीय दिलचस्पी के कार्यक्रम अलग अलग प्रसारित होते हैं। त्रिवेन्द्रम में प्रति दिन पौने सात घंटे और कोजोवोड से पौने छः घंटे कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

ममूर से कुल मिला कर पौने सात घंटे का संप्रेषण होता है। यहां से कन्नड, हिन्दी, अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित होता है।

### बाह्र की सेवाएं

बाह्र की सेवा को मोटे तौर पर दो हिस्से में बांटा जा सकता है—एक पूर्वी सेवा और दूसरी पश्चिमी सेवा। दिल्ली से उच्च शक्तियुक्त संप्रेषकों पर प्रसार का काम जारी रहता है।

पूर्वी सेवा पांच पृथक इकाओं के लिए है, और इनमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के भारतीयों के लिए होने वाले सामान्य कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। गानों तथा फीचर कार्यक्रमों के अतिरिक्त हिन्दी, तमिल और अंग्रेजी में खबरे भी प्रसारित की जाती हैं। बर्मी, चीनी (क्युयु), केन्टो तथा इंडोनेशियाई भाषाओं में प्रतिदिन समाचार प्रसारित किये जाते हैं। विशेष दिनवस्ती के संगीत और वार्ताएं तथा बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।

पश्चिमी सेवा में सुनने वालों के कार्यक्रम आठ पृथक वर्गों के लिए प्रसारित होते हैं तथा इसमें पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों के लिए सामान्य सेवा भी रहती है। गानों तथा अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त हिन्दी, गुजराती तथा अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किये जाते हैं। वेस्टइंडीज संप्रेषण में हिन्दी में वार्ताएं, संगीत, नाटक इत्यादि होते हैं। अरबी ईरानी, अफगान तथा पश्तो संप्रेषणों में पूर्वी तथा पश्चिमी संगीत के अतिरिक्त इन भाषाओं में समाचार भी प्रसारित होते हैं। यूरोपीय संप्रेषण में दो विभिन्न कार्यक्रम हैं—एक अंग्रेजी में और दूसरा फ्रांसीसी में।

## तेईसवां अध्याय

### पुनर्वास

1951 की जनगणना के अनुसार भारत में विस्थापितों की कुल संख्या 74 लाख 80 हजार है। इनमें से मोटे तौर पर 49 लाख 5 हजार पश्चिमी पाकिस्तानी और 25 लाख 75 हजार पूर्वी पाकिस्तानी हैं।

मई-अक्टूबर 1952 के समय में पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच हिन्दुओं का आवागमन बढ़ता गया। पर 1952 के 15 अक्टूबर से जब से पासपोर्ट पद्धति का सूत्रपात हुआ तब से उनकी गतिविधि में यथेष्ट कमी आयी है। मई 1953 के बाद फिर कुछ गतिविधि बढ़ी। 1953 के जुलाई में लगभग 46,100 हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल में आये, और 44,200 हिन्दू पश्चिमी बंगाल छोड़कर पूर्वी बंगाल गये। यह अंदाज लगाया जाता है कि जनगणना के बाद छः लाख विस्थापित पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं, इसलिए मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूर्वी पाकिस्तान से 32 लाख आदमी आये।

### देहाती बस्तियां

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को खेती में फिर से लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पंजाब और पेप्सू में पश्चिमी पंजाब तथा सिन्ध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, बलोचिस्तान और बहावलपुर में आये हुए पंजाबी खेतिहरो को लगभग स्थायी आधार पर निष्क्रातों की खेती वाली जमीन दी गई है। कुल मिलाकर इन दो राज्यों में 23 लाख 80 हजार स्टेड्स एकड़ जमीन 4 लाख 75 हजार विस्थापित खेतिहरो को मिल चुकी है।

पंजाब और पेप्सू में लगभग 33 हजार विस्थापित परिवार गैर-मौरूसी काश्तकारों के रूप में बसा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए अधिकांश रूप में गैर पंजाबी 56 हजार विस्थापित खेतिहर परिवार अजमेर, भोपाल, बम्बई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में बसा दिये गये हैं। 7 लाख 65 हजार एकड़ से अधिक भूमि इनमें आवंटित की गई है।

विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पूर्वी राज्यों में कई योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। लगभग 1,95,000 परिवार पश्चिमी बंगाल में भूमि, चाय बगान तथा खेती से सम्बद्ध पेशों में लगा दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त 34 हजार परिवारों को आसाम, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, उ० प्रदेश, अण्डमान तथा निकोबर द्वीप पुंज में बसा दिया गया है। 1953 के मार्च के अन्त तक केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय ने बेल, चारा, खाद्य, खेती के औजार, बीज तथा मकान और कुओं की मरम्मत और निर्माण के लिये विस्थापितों को 16 करोड़ 94 लाख पया दिया था। इस रकम में से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए लोगों को क्रमशः 7 करोड़ 83 लाख रुपया तथा 9 करोड़ 11 लाख रुपया दिया गया। 1953-54 के लिए 2 करोड़ 79 लाख रुपये की व्यवस्था है जिस में 25 लाख रुपये पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के लिए और 2 करोड़ 54 लाख रुपये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये है।

## शहरी बस्ती

1953 के मार्च के अन्त तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने मिल कर पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के लिये 1,39,000 मकानों के निर्माण की मंजूरी दे दी थी। इनमें से लगभग 1,13,000 मकान जून 1953 तक पूरे हो चुके थे, और जो मकान बाकी थे, वे निर्माण की विभिन्न स्थिति में थे। विस्थापितों ने व्यक्तिगत रूप से या सहकारी समितियों के रूप में जो भी संगठन किया, उन्हें सरकार की ओर से मकान बनाने के लिये स्थान तथा कर्ज मिले हैं।

1952-53 में 1,81,000 मकानों के बनाने का कार्यक्रम सामने रखा गया था। पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए 9 लाख 10 हजार विस्थापितों के लिये इन मकानों के बन जाने से समस्या हल हो जाती थी। सरकार ने इस कार्यक्रम पर 46 करोड़ 44 लाख रुपये खर्च किये।

पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में परिस्थिति को देखते हुए सामान्य नीति यह रही है कि उन्हें इमारत बनाने के स्थान तथा कर्ज देने की व्यवस्था की जाये और मकान बनाने का काम विस्थापितों का रहे पर फिर भी सरकार ने कुछ निर्माण कार्य अपने हाथ में लिये हैं। फूलिया और हावडा-बंगाछी में दो नये नगर बसाये गये हैं। इस के अलावा पूर्वी राज्यों में सरकार ने लगभग 10 हजार मकान बनाये।

## व्यापार और उद्योग-धन्धों को सहायता

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को निष्क्रान्तों की लगभग 29 हजार दुकानें तथा औद्योगिक कारखाने दिये गये। इसके अलावा विभिन्न नगरों में लगभग 31 हजार नयी दुकानें तथा कई बाजार बनाये गये हैं। दिल्ली में तथा उसके इर्द-गिर्द विस्थापितों के लिये जो नये नगर बसाये गये हैं, उनके अतिरिक्त लगभग 130 नगरोपकन्ठीय बस्तियां तथा नये नगर बसाये गये हैं। ऐसे बसाये हुए स्थानों में फरीदाबाद, गांधीधाम, राजपुरा, नीलो-खेरी, त्रिपुरी, सरदारनगर, उल्हासनगर, हस्तिनापुर और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पश्चिम नगरोपकन्ठीय बस्तियां पुराने शहरों के विस्तार रूप हैं फिर भी उनके निजी स्कूल अस्पताल, दुकानें तथा खेल के मैदान हैं।

## रोजगार

जून 1953 के अन्त तक काम दिलाऊ दफ्तर ने 9,56,800 विस्थापितों को पंजीकृत किया। इस में से 2,07,200 (जिनमें पूर्वी पाकिस्तान के 35,900 लोग आ जाते हैं) नीकरी दिलायी गयी थी।

## प्रौद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण

इस समय विस्थापितों को प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये तीन तरह की योजनाये हैं—(1) एक तो वे जिन में श्रम मंत्रालय के फिर से बसाये जाने और काम दिलाऊ विभाग के डायरेक्टरेट जनरल की प्रधीनता में काम होता है, (2) ऐसी योजनाएँ जिनका निर्माण राज्य सरकारों ने किया है, और (3) पुनर्वास मंत्रालय के द्वारा शुरू किये हुए कार्यक्रम।

प्रथम योजना उन लोगों तक सीमित है जो ऐसे व्यवसाय सीखना चाहते हैं, जिन में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत आगे बढ़े हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। इन योजनाओं के अधीन 31 प्रशिक्षण केन्द्र हैं। 1953 के जून के अन्त तक 11,410 विस्थापित इन केन्द्रों में

प्रशिक्षित हो चुके थे और 2,095 प्रशिक्षित हो रहे थे। 4,015 विस्थापित स्वीकृत निजी औद्योगिक संस्थाओं में शिक्षार्थी के रूप में प्रशिक्षित हो चुके थे और 536 विस्थापित पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण पा रहे थे।

जून 1953 तक जो 15,400 विस्थापित व्यक्ति प्रशिक्षित हुए थे, उन में से 4,200 पूर्वी पाकिस्तान से तथा बाकी पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए थे।

फिर से बसाने तथा काम दिलाने के डायरेक्टरेट जनरल ने प्रशिक्षण की जो सुविधाएं दी थी उन्हें सहायता पहुंचाने के लिये कई राज्य सरकारों ने प्रशिक्षण—श्रम केन्द्र खोले हैं। पुनर्वास मंत्रालय ने भी इसी प्रकार के केन्द्र खोले थे पर वे अब या तो बन्द कर दिये गये हैं या स्थानीय राज्य सरकारों को सौंप दिये गये हैं। केवल एक विशेष प्रशिक्षण—श्रम केन्द्र श्रव की सराय में जारी है, जिसे पुनर्वास मंत्रालय चला रहा है। नीलोखेरी, फूलिया, फरीदाबाद तथा गांधीधाम आदि नये बसाये हुए शहरों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थानीय अधिकारी चला रहे हैं।

1953 के जून के अन्त तक पश्चिमी पाकिस्तान से 50,500 विस्थापित व्यक्ति शिल्पी तथा दस्तकारियों में प्रशिक्षित हो चुके थे। इन के अलावा नौ हजार लोगों का एक जत्था विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षण ले रहा था। इस के अलावा पूर्वी पाकिस्तान से आये 6,000 विस्थापित पूर्वी राज्यों में प्रशिक्षित हो चुके थे और 2,000 प्रशिक्षण पा रहे थे।

### शिक्षा

विस्थापितों की शिक्षा की ओर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। वित्तीय सहायता को एक संशोधित योजना के अनुसार हाई स्कूल के मानदण्ड तथा निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकों और लेखन सामग्रियों के लिये गुणवत्ता छात्रों को नकद अनुदान दिया जाता है। प्रतिभाशाली छात्रों को कला, विज्ञान और प्रौद्योगिक विषय में कालेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये वृत्तियां दी जा रही हैं।

### ऋण

‘अल्प ऋण योजना’ के अनुसार शहरी इलाकों से आये हुए विस्थापितों को वाणिज्य, व्यापार, उद्योग-धंधों तथा शिक्षित पेशों के लिये अधिक से अधिक 5,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है। विस्थापितों की सहकारी समितियों को ऋण देने में कोई सीमा नहीं रखी गयी है। फिर भी सहकारी समितियों की कुल धनराशि या प्रति सदस्य पीछे 2,500 रुपये (इनमें से जो भी बड़े हों) के ऊपर साधारण रूप से ऋण नहीं दिया जाता।

इस योजना के अनुसार जो बहुत से कर्ज गत छः सालों में दिये गये थे, उनके भुगतान का समय आ चुका है, फिर भी पुनर्वास मंत्रालय ने यह निश्चय किया है कि जिन विस्थापितों को पश्चिमी पाकिस्तान में सम्पत्तियां हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति की पहली किस्त जब तक अदा नहीं की जाती, तब तक उन से कर्ज की रकम की अदायगी रोकी रखी जाये। ऐसी रिआयत केवल उन्हीं क्षेत्रों में दी जायेगी जहां ऋण सम्बन्धित व्यक्ति के प्रामाणीकृत दावे के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

छोटे कर्जों की योजना में हाल ही में सुधार किया गया है और शहरी इलाकों में अब केवल निम्नलिखित लोगों को ही कर्ज दिया जाता है :—

(1) जिन्होंने किसी सरकारी योजना के अनुसार प्रौद्योगिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और जो अपने धन्धे जारी करना चाहते हों।

(2) नये बसाये हुए नगरों में बसने वाले ।

(3) अपाहिज गृहों से निकले हुए ऐसे लोग जिन के सम्बन्ध में यह कहा गया हो कि वे योग्य नहीं हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के सम्बन्ध में ऊपर की गतें ढीली कर दी गयी हैं और राज्य सरकारें अपने निर्णय के अनुसार कर्ज देती हैं ।

1952-53 में कुल 16 करोड़ 75 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये गये । इनमें से 10 करोड़ 79 लाख रुपये पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को और 5 करोड़ 96 लाख रुपये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को दिये गये ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन व्यक्तियों, हिम्सेदारों, निजी लिमिटेड कंपनियों को 5,000 रुपये से ऊपर ऋण देता है । 1953 के 30 जून तक 13,081 प्रार्थियों के लिये 10 करोड़ 37 लाख रुपये मजूर किये गये थे । पर वास्तव में कुल 6 करोड़ 23 लाख रुपये दिये गये ।

### सहायता

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के शिविर बहुत पहले ही बन्द कर दिये गये और पूर्वी राज्यों में भी अधिकांश शिविर 1952 के अप्रैल में बन्द कर दिये गये । पर 1952 की मई से अक्टूबर तक पूर्वी पाकिस्तान से कुछ नये शरणार्थी आ गये, इसलिये कुछ शिविरों को फिर से खोलने की जरूरत पड़ी । पासपोर्ट पद्धति के प्रवर्तन के साथ-साथ इन शिविरों में भारतीयों की सख्या बराबर घटती गयी है । जून 1953 के अन्त में पूर्वी राज्यों के शिविरों की कुल आबादी 87,000 थी और यह लोग सब सामयिक रूप से सहायतार्थी वर्ग के थे ।

इस समय लगभग 77 हजार ऐसी स्त्रिया तथा बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है । इनमें बूढ़े तथा अपाहिज लोग भी हैं । पूर्वी पाकिस्तान से आयी 40,500 और पश्चिमी पाकिस्तान से आयी 36,500 स्त्रिया इसमें आती हैं । इन लोगों को शिविरों, आश्रमों तथा अपाहिजगृहों में रखा गया है । पुनर्वास मंत्रालय की ओर से अन्तरिम सहायता के रूप में विधवाओं, अनाथ स्त्रियों, नाबालिगों या ऐसे विस्थापित लोगों को जो बुढ़ापा, अपांगता, रोग तथा अन्य कारणों से रोटी कमाने में असमर्थ हैं या जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान की शहरी अचल सम्पत्ति से मिलने वाली आय पर सम्पूर्ण रूप से निर्भर हैं, उन्हें निर्वाह भत्ता देना स्वीकार किया गया है । भत्ता अधिक से अधिक 100 रुपये मासिक का दिया जाता है । अब तक लगभग 1 करोड़ 1 लाख 58 हजार रुपये खर्च किये जा चुके हैं और इस रूप में 14,200 लोगों को सहायता दी जा रही है ।

### दावों की जाच

विस्थापितों की दावा विधि 1950 के अनुसार 1953 की 31 मई के दिन तक जाच के लिय पेश किये गये दावों की स्थिति यो थी :

### तालिका 178

|                                                          | शहरी और ग्रामीण घर | कृषि भूमि | योग       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| भरे गये सम्पत्ति-पत्रों की कुल संख्या                    | 10,39,842          | 1,51,976  | 11,91,818 |
| उन दावों की कुल सख्या जिनकी जाच की जा चुकी है ।          | —                  | —         | 5,25,454  |
| उन सम्पत्ति-पत्रों की कुल सख्या जिन की जाच की जा चुकी है | 10,23,307          | 1,47,682  | 11,70,989 |

## अन्य दावे

1949 की अप्रैल में नई दिल्ली में जो हिन्द-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था उस के एक निर्णय के अनुसार दोनों देशों में पेशना, प्राविडेंट फंडो, सरकारी नौकरो, राज्यों तथा स्थानीय संस्थाओं के नौकरो (जो पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आये थे) के पेंशनों, प्राविडेंट फंडों और छुट्टी के बेतनों के मामले को जल्दी से जल्दी तय करने के लिये दोनों देशों में केन्द्रीय दावा संगठन कायम किया गया था। भारतीय केन्द्रीय दावा संगठन पेंशनों, प्राविडेंट फंडों तथा भारत सरकार की अपनी अन्तरिम सहायता योजना के अनुसार विस्थापितों के कुछ वर्गों को स्थायी रूप से भुगतान करने का प्रबन्ध करता है।

## अन्तरिम-क्षतिपूर्ति-योजना

चूँकि अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिये पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम योजना मजूर नहीं हो सकी। क्षतिपूर्ति के लिये निष्क्रान्तों की सम्पत्ति के उपभोग के सम्बन्ध में भी कोई कानून इस कारण नहीं बनाया जा सका, फिर भी इस बीच में सरकार ने 1953 के 18 नवम्बर को विस्थापितों के कुछ वर्गों के लिए अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना मजूर कर ली गई। इस योजना के अनुसार फौरन 50 हजार से अधिक दावेदारों को लाभ पहुँचा जो इन वर्गों में आ जाते हैं। यह स्मरण रहे कि नीचे जो आकड़ें दिये गये हैं वे मोटे तौर पर सही हैं :—

- |                                                                                                                                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) विधवाएं, बुढ़े तथा अपाहिज व्यक्ति जो निर्वाह भत्ता पा रहे हैं                                                                                                                                      | 10,250 |
| (2) स्त्रियों के आश्रमों तथा अपाहिज गृहों के रहने वाले अनाथ स्त्रियों, तथा बच्चे, ऐसे बुढ़े और अपाहिज जो आश्रमों आदि के बाहर रहते हुए सहायता पा रहे हैं (इस में नकद सहायता पाने वाले 1,100 लोग भी हैं) | 4,250  |
| (3) ऐसी विधवाएं जिन के अपने नाम पर दावे हैं                                                                                                                                                            | 13,600 |
| (4) जो लोग कुछ सरकारी और निर्मित नगरों या उपनिवेशों में रहते हैं                                                                                                                                       | 18,100 |
| (5) पंजाब के मिट्टी के मकान वाले उपनिवेशों में रहने वाले                                                                                                                                               | 5,450  |

क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास अनुदान की दरे इस सिद्धान्त पर तैयार की गयी कि दावेदार जितना ही छोटा हो उमे उतनी ही अधिक सहायता दी जाये। किसी भी दावेदार को अधिक से अधिक 8000 रुपये की रकम देनी निश्चित हुई। स्वीकृत दावे का 16 से 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। और बाकी रकम पुनर्वास अनुदान के रूप में दावेदार की आवश्यकता को देखते हुए दी जा रही है। आश्रमों तथा अपाहिज घरों में रहने वाले दावेदारों के लिये उदार दरे मंजूर की गयी हैं।

सब तो यह है कि अन्तरिम क्षतिपूर्ति को धीरे धीरे और विस्तृत किया जायेगा, जिस से कि अधिक से अधिक दावेदारों को लाभ पहुँचे। भूमि के कुछ मालिकों तथा दूसरे दावेदारों से क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र मागे जा चुके हैं।

## व्यय

1947 से 1952-53 के अन्त तक पुनर्वास मन्त्रालय ने पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों पर कुल मिला कर 175 करोड़ 74 लाख रुपये खर्च किये थे। इस का व्यौरा यो है :—

## तालिका 179

(करोड़ रुपये में)

| व्यय की मद                                      | पश्चिमी-पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर | पूर्वी-पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर | योग      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| अनुदान .                                        | 56.59                                            | 21.17                                           | 77.76    |
| ऋण .                                            | 19.90                                            | 13.79                                           | 33.6     |
| आवास प्रबन्ध . .                                | 46.44                                            | 11.70                                           | 58.14    |
| प्रस्थापना . .                                  | 0.86                                             | 0.06                                            | 0.92     |
| विधि . . .                                      | 0.01                                             | —                                               | 0.01     |
| योग . . .                                       | 123.80                                           | 46.72                                           | 170.52   |
| पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋण . . . |                                                  |                                                 | 5.22 (क) |

1953-54 के लिए व्यवस्था इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति . . . | 16.76 |
| पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति . . . | 12.69 |
| पुनर्वास-वित्त-प्रशासन . . .                    | 2.50  |
| योग . . .                                       | 31.95 |

आंकड़े : एक दृष्टि में

## देशान्तरगमन

I. 1951 की अखिल-भारत जनगणना के अनुसार पाकिस्तान

में आये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या . . . 74.80 लाख

(i) पश्चिमी पाकिस्तान से . . . 49.05 लाख

(ii) पूर्वी पाकिस्तान से . . . 25.75 लाख

(क) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए ।

**ग्रामीण क्षेत्र में फिर से बसाने का कार्य**

- I. पश्चिमी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित परिवारों की संख्या जिन्हें कृषि-योग्य भूमि पर बसाया गया . . . . . 5.64 लाख
- (i) लगभग स्थायी नियतन . . . 4.75 लाख
- (ii) जो अस्थायी के रूप में बसाये गये . . . 0.33 लाख
- (iii) अस्थायी नियतन . . . . . 0.56 लाख
2. पूर्वी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित परिवारों की संख्या जिन्हें कृषि-योग्य भूमि, चाय बगानों, और सहायक धंधों में लगाया गया . . . 2.3 लाख
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बसे विस्थापित परिवारों को दिया गया ऋण . . . . . 16.94 करोड़ रुपये
- (1) पश्चिमी पाकिस्तान से आये परिवारों को . . . . . 9.11 करोड़ रुपये
- (ii) पूर्वी पाकिस्तान से आये परिवारों को 7.83 करोड़ रुपये

**आवास प्रबन्ध**

- I. पश्चिमी पाकिस्तान में आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये उपलब्ध की गयी निवास-ईकाइयों की संख्या
- (i) निष्क्रांत व्यक्तियों के मकान . . . 1.79 लाख
- (ii) सरकार द्वारा नव-निर्मित . . . 1.39 लाख
- (iii) सरकार द्वारा आंशिक सहायता प्राप्त लोगों द्वारा निजी रूप से नव-निर्मित 0.42 लाख
2. पश्चिमी पाकिस्तान से आये उन नागरिक विस्थापित व्यक्तियों को मस्था जिन के लिए आवास-व्यवस्था कर दी गयी है' . . . . . 23.80 लाख
- (i) निष्क्रांत व्यक्तियों के मकानों में . . . 14.70 लाख
- (ii) नव-निर्मित मकानों में अथवा उन मकानों में जो बन रहे हैं . . . 9.10 लाख

**रोजगार**

- विस्थापित व्यक्ति जिन्हें काम-दिलाऊ केन्द्रों के द्वारा रोजगार मिला . . . . . 2.07 लाख
- (i) पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए . . . 1.71 लाख
- (ii) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए . . . 0.36 लाख



### औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण

#### I पश्चिमी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| (i) प्रशिक्षण दिया जा चुका है . . . | 0.62 लाख |
| (ii) प्रशिक्षण दिया जा रहा है . . . | 0.10 लाख |

#### 2. पूर्वी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| (i) प्रशिक्षण दिया जा चुका है . . . | 0.10 लाख |
| (ii) प्रशिक्षण दिया जा रहा है . . . | 0.04 लाख |

### व्यापारिक और औद्योगिक गृह

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| को दी गयी इकाइयों की कुल संख्या . . .                           | 0.60 लाख |
| (i) निष्क्रान्त व्यक्तियों की दुकानें और औद्योगिक गृह . . . . . | 0.29 लाख |
| (ii) नई दुकानें . . . . .                                       | 0.31 लाख |

### ऋण

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (क) अल्प ऋण . . . . .                                                    | 16.75 करोड़ रु०  |
| (i) पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को . . . . .           | 10.79 करोड़ रु०  |
| (ii) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को . . . . .           | 5.96 करोड़ रु०   |
| (ख) पुनर्वास-वित्त-प्रणाली द्वारा दिया गया ऋण                            |                  |
| (i) उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिनके लिए ऋण स्वीकृत हुआ . . . . . | 13,081           |
| पूर्वी पाकिस्तान से आये . . . . .                                        | 3,816            |
| पश्चिमी पाकिस्तान से आये . . . . .                                       | 9,265            |
| (ii) स्वीकृत राशि . . . . .                                              | 1,037.23 लाख रु० |
| पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए . . . . .            | 286.93 लाख रु०   |
| पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए . . . . .           | 750.30 लाख रु०   |
| (iii) प्रदत्त राशि . . . . .                                             | 623.03 लाख रु०   |
| पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को . . . . .                | 160.21 लाख रु०   |
| पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को . . . . .               | 462.82 लाख       |

## सहायता

## 1. उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सरकार

[द्वारा सहायता दी जा रही है . . . 1\*64 लाख

(i) अस्थायी दायित्व (पूर्वी पाकिस्तान से  
आये विस्थापित व्यक्ति) . . . 0\*87 लाख

(ii) स्थायी और अर्ध-स्थायी दायित्व . . . 0\*77 लाख

## 2. निर्वाह भत्ता

(i) प्रदत्त मासिक भत्ता . . . 3\*50 लाख रु०

(ii) पाने वालों की संख्या . . . 0\*14 लाख

## व्यय]

विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय की कुल राशि

(i) 1947-48 से 1952-53 तक<sup>1</sup>. 175\*74 करोड़ रु०

(ii) 1953-54 के लिए की गयी व्यवस्था 31\*95 करोड़ रु०

## तालिका 180

## 1951 में विस्थापित व्यक्तियों का राज्यवार आवंटन

(हजारों में)

| राज्य                      | कुल जन-संख्या (क) | विस्थापित जन-संख्या (ख) |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>'क' भाग के राज्य</b>    |                   |                         |
| 1. आसाम . . .              | 9,044             | 277                     |
| 2. बिहार . . .             | 40,226            | 79                      |
| 3. बम्बई . . .             | 35,956            | 341                     |
| 4. मध्य प्रदेश . . .       | 21,248            | 121                     |
| 5. मद्रास . . .            | 57,016            | 10                      |
| 6. उड़ीसा . . .            | 14,646            | 21                      |
| 7. पंजाब . . .             | 12,641            | 2,468                   |
| 8. उत्तर प्रदेश . . .      | 63,216            | 476                     |
| 9. पश्चिमी बंगाल . . .     | 24,810            | 2,118                   |
| योग . . .                  | 2,78,803          | 5,911                   |
| <b>'ख' भाग के राज्य</b>    |                   |                         |
| 10. हैदराबाद . . .         | 18,655            | 4                       |
| 11. जम्मू और काश्मीर . . . | जनगणना नहीं हुई   | ---                     |
| 12. मध्य-भारत . . .        | 7,954             | 68                      |
| 13. मेसूर . . .            | 9,075             | 8                       |
| 14. पंप्सू . . .           | 3,494             | 380                     |
| 15. राजस्थान . . .         | 15,291            | 313                     |
| 16. सीराष्ट्र . . .        | 4,137             | 61                      |
| 17. तिरुवाकु-कोचीन . . .   | 9,280             | ---                     |
| योग . . .                  | 67,886            | 834                     |

(क) अंतिम योग । (ख) अस्थायी योग ।

| राज्य                                     | कुल जनसंख्या (क) | विस्थापित जन-संख्या (ख) |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>'ग' भाग के राज्य</b>                   |                  |                         |
| 18. अजमेर . . . . .                       | 683              | 72                      |
| 19. भोपाल . . . . .                       | 836              | 18                      |
| 20. ब्रिन्दासपुर . . . . .                | 126              | ---                     |
| 21. कुर्ग . . . . .                       | 229              | ---                     |
| 22. दिल्ली . . . . .                      | 1,744            | 510                     |
| 23. महाराष्ट्र प्रदेश . . . . .           | 983              | 5                       |
| 24. कच्छ . . . . .                        | 568              | 12                      |
| 25. मणिपुर . . . . .                      | 578              | 1                       |
| 26. त्रिपुरा . . . . .                    | 639              | 100                     |
| 27. विन्ध्य-प्रदेश . . . . .              | 3,575            | 15                      |
| योग . . . . .                             | 9,971            | 733                     |
| 28. अडमान और निकोबार द्वीप-समूह . . . . . | 31               | 2                       |
| 29. मिक्किम . . . . .                     | 138              | ...                     |
| योग . . . . .                             | 169              | 2                       |
| सर्व योग (ग)                              | 3,56,289         | 7,480 (घ)               |

### तालिका 181

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित परिवार जिन्हें कृषि-योग्य भूमि पर बसाया गया  
(जून 1953) (च)

| राज्य                | बसाये गये परिवारों की संख्या | आवृत्ति भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में) |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| पेप्सू               | 61,451                       | 3,67,197 (ड)                           |
| पंजाब                | 4,13,156                     | 20,12,429 (ड)                          |
| योग                  | 4,74,607                     | 23,79,626 (ड)                          |
| <b>अस्थायी आवंटन</b> |                              |                                        |
| अजमेर                | 235                          | 1,981                                  |
| भोपाल                | 827                          | 10,840                                 |
| बम्बई                | 1,198                        | 12,492                                 |

(क) अन्तिम योग। (ख) अस्थायी योग।

(ग) जम्मू और काश्मीर के तथा आसाम के भाग 'ख' के जन-जातीय क्षेत्रों के आकड़े वहां जन-गणना-कार्य न होने के कारण नहीं दिये जा सके हैं।

(घ) प्रस्तुत अस्थायी योगों के अन्तर्गत (जिन का सम्बन्ध 1 मार्च 1951 से है) भारत आने के पश्चात् उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, मद्रास, विन्ध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों और बिहार में विस्थापित व्यक्तियों के पैदा हुए शिशु भी सम्मिलित हैं। अन्य स्थानों में पैदा हुए इस प्रकार के शिशु इन योगों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

(ङ) 'प्रमापीकृत' (स्टैंडर्ड) एकड़।

(च) जहां जून 1953 के आकड़े अप्राप्य हैं वहां ताजे से ताजे आकड़े ले लिये गये हैं।

| राज्य                     | वमाये गये परिवारों की संख्या | आवृत्ति भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में) |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>अस्थायी आवंटन—जारी</b> |                              |                                        |
| दिल्ली                    | 1,177                        | 12,690                                 |
| हिमाचल प्रदेश             | 27                           | 2,361                                  |
| कच्छ                      | 326                          | 2,400                                  |
| मध्य भारत                 | 420                          | 7,033                                  |
| मध्य प्रदेश               | 134                          | 3,775                                  |
| मंगूर                     | 1                            | 2                                      |
| राजस्थान                  | 44,158                       | 6,28,800                               |
| राजपुरा (पेप्पू)          | 1,017                        | 9,530                                  |
| सींगपूर                   | 615                          | 9,320                                  |
| उत्तर-प्रदेश              | 5,382                        | 59,787                                 |
| विन्ध्य प्रदेश            | 306                          | 4,201                                  |
| <b>योग</b>                | <b>55,823</b>                | <b>7,65,215</b>                        |

## तालिका 182

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए सरकारी भवन-निर्माण  
योजनाओं की प्रगति  
( 30 जून 1953 )

| राज्य       | 1952-53 के अन्त तक के लिए स्वीकृत भवन-निर्माण कार्यक्रम |                                                                               |        |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             | वनाये जा चुके मकानों/वास-स्थानों की संख्या              | उन मकानों/वास-स्थानों की संख्या जो बन रहे हैं या जिनका निर्माण विचाराधीन है । | योग    |
| I           | 2                                                       | 3                                                                             | 4      |
| अजमेर       | 776                                                     | ...                                                                           | 776    |
| भोपाल       | 326                                                     | 580                                                                           | 906    |
| बिहार       | 262                                                     | 288                                                                           | 550    |
| बम्बई       | 18,603                                                  | 8,634                                                                         | 27,237 |
| दिल्ली      | 31,381                                                  | 6,819                                                                         | 38,200 |
| कच्छ        | 3,320                                                   | 400                                                                           | 3,720  |
| मध्य-भारत   | 1,403                                                   | 70                                                                            | 1,473  |
| मध्य-प्रदेश | 2,313                                                   | 4,000                                                                         | 6,313  |

| I                | 2        | 3      | 4        |
|------------------|----------|--------|----------|
| मद्रास .         | 108      | ...    | 108      |
| मैसूर .          | 56       | .      | 56       |
| पेम्सू .         | 4,215    | ...    | 4,215    |
| पंजाब .          | 32,349   | 529    | 32,878   |
| राजस्थान .       | 1,435    | 500    | 1,935    |
| मीरापट्ट .       | 1,501    | 725    | 2,226    |
| उत्तर-प्रदेश (क) | 14,604   | 2,801  | 17,405   |
| विन्ध्य- प्रदेश  | .        | 780    | 780      |
| योग .            | 1,12,652 | 26,126 | 1,38,778 |

तालिका 183

काम विलाज केन्द्रों द्वारा पंजीकृत और रोजगार में लगाये गये विस्थापित व्यक्ति  
(30 जून 1953)

| राज्य                       | वे विस्थापित व्यक्तियों जिन्हें |                       |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                             | पंजीकृत किया गया है             | रोजगार दिलवाया गया है |
| प्रायम                      | 17,370                          | 2,499                 |
| बिहार                       | 10,982                          | 1,698                 |
| बम्बई                       | 59,196                          | 11,650                |
| दिल्ली अजमेर और<br>राजस्थान | 1,52,890                        | 20,315                |
| हैदराबाद                    | 143                             | 42                    |
| मध्य प्रदेश                 | 11,547                          | 1,861                 |
| मद्रास                      | 832                             | 149                   |
| उड़ीसा                      | 1,043                           | 165                   |
| पंजाब                       | 3,82,098                        | 1,20,762              |
| उत्तर प्रदेश                | 81,564                          | 16,530                |
| पश्चिमी बंगाल               | 2,39,110                        | 31,536                |
| योग                         | 9,56,775                        | 2,07,207              |

टिप्पण्य : इस व्यौरे के अन्तर्गत दो निर्माण-कार्य नहीं लिये गये हैं जो स्वयं विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अथवा सरकारी सहायता से उन की सहायरी समितियों द्वारा उठाये गये । ऐसे कार्यों की संख्या लगभग 42,000 है ।

जहां जून की रिपोर्ट प्राप्य नहीं थीं वहां ताजे से ताजे आकड़े ले लिये गये हैं ।

(क) अस्थायी ।

## तालिका 184

श्रम मंत्रालय के अधीन संचालित प्रशिक्षण योजनाओं की प्रगति  
(30 जून 1953)

| राज्य        | उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जो प्रशिक्षण पा चुके हैं |             |            |            | उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जो प्रशिक्षण पा रहे हैं |             |            |       |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|              | टेकनिकल                                                    | व्याव-सायिक | शिक्षार्थी | योग        | टेकनिकल                                                   | व्याव-सायिक | शिक्षार्थी | योग   |
| आसाम         | 36                                                         | 32          | —          | 68         | 89                                                        | 31          | —          | 120   |
| बिहार        | 156                                                        | 16          | —          | 172        | 58                                                        | —           | —          | 58    |
| बम्बई        | 423                                                        | 93          | 26         | 542        | 42                                                        | 11          | —          | 53    |
| दिल्ली       | 1,210                                                      | 612         | 176        | 1,998      | 123                                                       | —           | —          | 123   |
| अजमेर        |                                                            |             |            |            | 13                                                        | —           | —          | 13    |
| राजस्थान     |                                                            |             |            |            | 9                                                         | —           | —          | 9     |
| मध्यप्रदेश   | 121                                                        | 100         | —          | 221        | 60                                                        | —           | —          | 60    |
| उड़ीसा       | 46                                                         | —           | —          | 46         | 76                                                        | —           | —          | 76    |
| पंजाब        | 2,473                                                      | 416         | 1,415      | 4,304      | 153                                                       | —           | —          | 153   |
| उत्तर प्रदेश | 2,526                                                      | 553         | 947        | 4,026      | 471                                                       | —           | 289        | 760   |
| पश्चिम बंगाल | 1,911                                                      | 386         | 1,451      | 3,748      | 803                                                       | 156         | 247        | 1,206 |
| योग          | 8,902                                                      | 2,208       | 4,015      | (क) 15,125 | 1,897                                                     | 198         | 536        | 2,631 |

## तालिका 185

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए बनायी गयीं  
प्रशिक्षण योजनाओं की प्रगति  
(30 जून 1953)

| राज्य/उप-नगर | उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें प्रशिक्षण |                |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|              | दिया जा चुका है                                     | दिया जा रहा है |
| I            | 2                                                   | 3              |
| अजमेर        | 394                                                 | 146            |
| भोपाल        | 1,294                                               | 143            |
| बम्बई        | 6,031 (ख)                                           | 801            |

(क) इसके अतिरिक्त 285 और व्यक्तियों को भी हाल ही में प्रशिक्षण दिया गया है। इन व्यक्तियों के राज्य-वार आवंटन के विषय में सूचना प्राप्त नहीं है।

(ख) ताजी सूचनाओं के आधार पर संख्याओं में संशोधन किया गया है।

| I                                                           | 2          | 3     |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------|
| दिल्ली . . . . .                                            | 10,426 (क) | 1,419 |
| मध्य भारत . . . . .                                         | 2,200      | 146   |
| पेप्सु . . . . .                                            | 1,261      | 181   |
| पंजाब . . . . .                                             | 15,101 (क) | 3,163 |
| राजस्थान . . . . .                                          | 256        | 744   |
| सौराष्ट्र . . . . .                                         | 592        | 267   |
| उत्तर प्रदेश . . . . .                                      | 7,759      | 1,458 |
| फरीदाबाद उप-नगर . . . . .                                   | —          | 39    |
| नीलोखरी उप-नगर . . . . .                                    | 3,010      | 191   |
| राजपुरा उप-नगर . . . . .                                    | 717        | 310   |
| योल शिविर में बसे काश्मीरी विस्था-<br>पित व्यक्ति . . . . . | 1,443      | —     |
| योग . . . . .                                               | 50,484     | 9,008 |

तालिका 186

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिया गया ऋण  
(30 जून 1953)

| प्रातः/राज्य जो प्रार्थी<br>का मूल निवास-स्थान<br>था | प्राप्त आवे-<br>दनपत्रों<br>की कुल<br>संख्या | उन आवे<br>दन-पत्रों<br>की संख्या<br>जिनका<br>निबटारा<br>कर दिया<br>गया | स्वीकृत आवे<br>दन-पत्र | स्वीकृत राशि<br>(लाख<br>पयों में) | प्रदत्त राशि<br>(लाख<br>पयों में) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| बहावलपुर राज्य . . . . .                             | 959                                          | 750                                                                    | 246                    | 19.72                             | 9.16                              |
| बलोचिस्तान . . . . .                                 | 898                                          | 787                                                                    | 212                    | 16.80                             | 9.79                              |
| पूर्वी पाकिस्तान . . . . .                           | 18,819                                       | 12,887                                                                 | 3,816                  | 286.93                            | 160.21                            |
| उत्तर-पश्चिमी सीमा<br>प्रान्त . . . . .              | 4,261                                        | 2,882                                                                  | 774                    | 58.96                             | 36.01                             |
| सिंध और खैरपुर राज्य . . . . .                       | 19,572                                       | 15,574                                                                 | 3,893                  | 281.92                            | 152.91                            |
| पश्चिमी पंजाब . . . . .                              | 19,490                                       | 15,530                                                                 | 4,140                  | 372.90                            | 254.95                            |
| अन्य . . . . .                                       | 1,696                                        | 358                                                                    | —                      | —                                 | —                                 |
| योग . . . . .                                        | 65,695                                       | 48,768                                                                 | 13,081                 | 1,037.23                          | 623.03                            |

(फुटनोट देखिए पृष्ठ 402 पर)

ट्रस्टव्य :

इस ब्यौरे के अन्तर्गत डी० जी० आर० ई० के अधीन संचालित योजनाओं के अतिरिक्त सभी योजनाएँ ली गयी हैं। इन योजनाओं को या तो सरकार सीधे स्वयं चलाती है या ऐसी सम्मानित गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलवाती है जिन्हें सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त है।

जहाँ जून 1953 की रिपोर्ट नहीं मिली वहाँ ताजी से ताजी प्राप्य सूचना को आधार बनाया गया।

(क) ताजी सूचनाओं के आधार पर संख्याओं में संशोधन किया गया है।

## तालिका 187

पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों पर किया गया कुल व्यय  
(1947-48 से 1952-53 तक) (क)

(लाख रुपये में)

|                                                                                          | पश्चिमी पाकि-<br>स्तान से आये<br>विस्थापित<br>व्यक्तियों पर | पूर्वी पाकिस्तान से<br>आये विस्थापित<br>व्यक्तियों पर | योग             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I. अनुदान</b>                                                                         |                                                             |                                                       |                 |
| (i) सहायता (जिसमें कर्म-<br>चारी-मंडल पर व्यय,<br>निष्क्रांति व्यय, आदि<br>सम्मिलित हैं) | 4640.22                                                     | 1546.66                                               | 6186.88         |
| (ii) पुनर्वास                                                                            | 1018.48                                                     | 570.81                                                | 1589.29         |
| योग                                                                                      | 5658.70                                                     | 2117.47                                               | 7776.17         |
| <b>२. ऋण</b>                                                                             |                                                             |                                                       |                 |
| (i) शहरी                                                                                 | 1078.67                                                     | 595.93                                                | 1674.60         |
| (ii) ग्रामीण                                                                             | 911.17(ख)                                                   | 782.92(ख)                                             | 1694.09         |
| (iii) पुनर्वास-वित्त-प्रशासन                                                             | —                                                           | —                                                     | 521.90          |
| योग                                                                                      | 1989.84                                                     | 1378.85                                               | 3890.59         |
| <b>३. आवास-प्रबन्ध</b>                                                                   |                                                             |                                                       |                 |
| (i) ऋण                                                                                   | 3126.58                                                     | 1170.55                                               | 4297.13         |
| (ii) असैनिक कार्यों पर<br>लगाई गई पूंजी                                                  | 1462.34                                                     | —                                                     | 1462.34         |
| (iii) श्रृंखला-क्रय                                                                      | 55.00                                                       | —                                                     | 55.00           |
| योग                                                                                      | 4643.92                                                     | 1170.55                                               | 5814.47         |
| <b>४. परिस्थापना</b>                                                                     |                                                             |                                                       |                 |
| पुनर्वास मंत्रालय का सचिवा-<br>लय                                                        | 86.40                                                       | 6.14                                                  | 92.54           |
| <b>५. पाकिस्तान से आगमन-बढ़ाव</b>                                                        |                                                             |                                                       |                 |
| नियंत्रण विधि की व्यव-<br>स्थाओं को तोड़ने वाले<br>व्यक्तियों की शारीरिक<br>निष्क्रांति  | 0.51                                                        | —                                                     | 0.51            |
| <b>कुल योग</b>                                                                           | <b>12379.37(ग)</b>                                          | <b>4673.01(ग)</b>                                     | <b>17574.28</b> |

1. खोले गये ऋण खातों की कुल मर्यादा

8,070

2. 30-6-1953 तक जो किश्ते देनी बकाया थीं

94.80 लाख रु०

3. 30-6-1953 तक जो किश्ते मिल चुकी थीं

45.87 लाख रु०

(क) 1951-52 और 1952-53 के आंकड़ों का अन्तिम अनुदान राशि से सम्बन्ध है।

(ख) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए।

(ग) पुनर्वास-वित्त-प्रशासन द्वारा दिये गये ऋणों के अतिरिक्त।



## चीबीसवां अध्याय

### अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े हुए वर्ग

पिछड़े हुए वर्गों में जो दो मुख्य समूह आते हैं उनमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 5 करोड़ 14 लाख है और वह विभिन्न उपवर्गों में बंटे हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या 1 करोड़ 91 लाख है। पिछड़े हुए वर्गों की कुल आबादी 3 करोड़ 56 लाख 60 हजार है जिनमें 2 करोड़ 94 लाख 80 हजार गांवों में तथा 61 लाख 80 हजार शहरी इलाकों में बसते हैं। संविधान में इन जातियों के कल्याण के लिए तथा किसी भी रूप में उनके साथ भेदभाव का बर्ताव करने के विरुद्ध बड़ा ही संरक्षण है।

#### संविधान में बचाव

संविधान के पंद्रहवें अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जन्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेद रखना निषिद्ध है। इन कारणों से किसी भी नागरिक को रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मंतांगजनगृहों तथा उन स्थानों में रोकना नहीं जा सकता जिन पर राष्ट्रीय कोष में पूर्ण या अंशतः खर्च होता है या जो आम जनता के समर्पित हैं।

सत्रहवें अनुच्छेद के प्रनुसार छुआछूत समाप्त कर दी गयी और किसी भी रूप में इसका पालन निषिद्ध है।

पच्चीसवें अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे हिन्दू मन्दिरा इत्यादि में सब हिन्दुओं के प्रवेश के सम्बन्ध में कानून बना सकते हैं या इसके सम्बन्ध में जो कानून हैं, उनको जारी रख सकते हैं।

उन्नीसवें अनुच्छेद में यह बात दिया गया है कि राष्ट्र के द्वारा चलाई जाने वाली सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में नागरिकों को शर्म, भय या जाति या भाषा के आधार पर रोकना नहीं जा सकता।

राष्ट्र की नीति के नियामक सिद्धांतों में दो बातें जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, उनमें से एक तो यह है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा जनता का कल्याण करे। दूसरा नियम यह है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के लोगों, विशेष कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक सुविधाओं की रक्षा करे और हर हालत में सामाजिक अन्धकार तथा सभी तरह के शोषण से उनकी रक्षा करे।

संविधान के 338वें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने 18 नवम्बर 1950 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आर्युक्त नियुक्त किया। इस अनुच्छेद की धारा 4 के अनुसार आयोग के कार्य यह हैं कि संविधान में बताए गये सब बचावों की जांच करे तथा उनके अनुसार होने वाली कार्रवाइयों की उतने उतने अंश में रिपोर्ट जैसा कि राष्ट्रपति आदेश दे।

तालिका 190 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राज्यों के विधान मंडलों में कौन सी विधियाँ पारित हुईं, यह दिखाया गया है। जहाँ तक 'ख' भाग के राज्यों का सम्बन्ध है, सूचनाएं अभी सम्पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हैं। हैदराबाद, मध्य भारत, मेसूर, सौराष्ट्र और निम्नांकित-कोचीन में इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। जो विधियाँ 'क' भाग के राज्यों में लागू हैं, केन्द्रीय सरकार ने उन्हें 'ख' भाग के राज्यों पर भी लागू कर दिया है।

### सेवाओं में संरक्षण

संविधान के अनुच्छेद 335 में यह कहा गया है कि प्रशासन की कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को केन्द्र तथा राज्यों की सेवाओं में स्थान दिया जाए। केन्द्र तथा राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में किम प्रकार कार्य करेंगी यह अनुच्छेद 16 (4) में साफ कर दिया गया है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो, राज्यों को किसी भी पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों में नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संरक्षण कायम करने का अधिकार होगा बशर्ते कि राज्य की राय में उस वर्ग को राज्य सरकार की सेवाओं में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

1934 में ही भारत सरकार ने यह आज्ञा दी थी कि इन वर्गों के योग्य व्यक्तियों को केवल इस कारण नौकरियों से वंचित न किया जाये कि वे खूली प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकते। उस समय यह जरूरी नहीं समझा गया कि इन वर्गों के लिए नौकरियों का कुछ निश्चित प्रतिशत रिजर्व रखा जाये, पर 1942 में यह पता लगा कि उन्हें उस नियम में कोई फायदा नहीं पहुँचा। भारत सरकार का यह मत था कि योग्य उम्मीदवार प्राप्त न होने के कारण ऐसा हो रहा है। फिर यह उचित समझा गया कि उनके लिए कुछ नौकरियाँ सुरक्षित कर दी जायें, तब लागू आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की ओर झुकेगे। यह समझा गया कि उच्च सम्बन्धी नियमों को ढीला करने तथा परीक्षाओं की फीम घटाने से उपयुक्त वातावरण उत्पन्न होगा। तदनुसार अगस्त 1943 में 8½ प्रतिशत रिक्त स्थान उनके लिए सुरक्षित कर दिए गए, पर यह केवल सीधी भरती के मामलों में ही लागू थी। जून 1946 में संरक्षण का प्रतिशत बढ़ा कर 12½ कर दिया गया अर्थात् यह प्रतिशत देश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के बराबर कर दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह तय हुआ कि प्रतियोगिता के आधार पर रिक्त स्थानों में उसे 12½ प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रहे। बाकी सब नौकरियों के लिए सुरक्षित भाग 16½ प्रतिशत कर दिया गया।

इसीके साथ साथ सारे देश में नियुक्तकारी अधिकारियों विशेष कर आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अधिकारियों को यह आज्ञा दी गई कि वे अनुसूचित जातियों के योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की बात याद रखें। जुलाई 1949 में उच्च तथा गीस के सम्बन्ध में अब तक जो रियायतें, अनुसूचित जातियों को दी जाती हैं वे अब अनुसूचित जनजातियों को भी दी जाने लगी।

### संसद् तथा विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व

संविधान के लागू होने के दिन से लेकर दस वर्षों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संसद् और राज्यों के विधान मंडलों में विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। संविधान के 330, 332 और 334 अनुच्छेद में यह आदेश है। इस सम्बन्ध में परिस्थिति क्या है यह तालिका 191 और 192 में देखी जा सकती है।

## विधियों की नियुक्ति

संविधान के 164 वें अनुच्छेद के प्रतिबन्ध I तथा 238 अनुच्छेद की छठी धारा के अनुसार मध्य भारत, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के लिए यह जरूरी है कि वह अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण पर देख रेख रखने के लिए मंत्री नियुक्त करें। कुछ दूसरे राज्यों में भी इन लोगों के कल्याण के विभाग खोले हुए हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार में जितने मंत्री, उपमंत्री तथा सचिव हैं उनमें 31 अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के हैं।

## अनुसूचित तथा जनजातीय इलाके

यह तो पता ही बनाया जा चुका है कि संविधान में पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए विशेष रूप से वर्णन है। पिछड़े हुए इलाकों को संविधान के पंचम अनुच्छेद में पैरा छः के अनुसार ग्रामों के अतिरिक्त 'क' तथा 'ख' भाग के राज्यों में अनुसूचित इलाके तथा ग्रामों में जनजातीय इलाके तय किए गए हैं। जिन राज्यों में अनुसूचित इलाके हैं, उनमें संविधान के पंचम अनुच्छेद के पैरा चार के अनुसार एक जनजाति परामर्श परिषद् कायम करने की गत की गई है, जो राज्यपाल या राजप्रमुख को अनुसूचित जातियों की उन्नति तथा कल्याण के सम्बन्ध में परामर्श देगी। यदि राष्ट्रपति आज्ञा दे तो ऐसे किसी भी राज्य में इस प्रकार की परिषद् नियुक्त हो सकती है, जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ हों, पर अनुसूचित इलाके नहीं हों। इस समय कि बिहार, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान, बम्बई और हैदराबाद में जनजाति परामर्श परिषद् कायम हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ने यह आज्ञा दी है कि पश्चिमी बंगाल में भी इस प्रकार की एक परिषद् खोली जाये।

संविधान की पंचम अनुसूची के तीसरे पैरा के अनुसार किसी ऐसे राज्य के राजप्रमुख को जिसके किसी भाग को अनुसूचित इलाका घोषित किया गया है प्रतिवर्ष इन इलाकों में प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन देना पड़ेगा।

यह स्मरण रहे कि अनुसूचित जनजातियों के मामले अनुसूचित जातियों की तरह जटिल नहीं हैं, क्योंकि अपेक्षाकृत लोगों के विरुद्ध समाज में जिस प्रकार की विरोधी धारणाएँ हैं, उनके विरुद्ध वैसी नहीं हैं। शताब्दियों में अनुसूचित जनजातियाँ घने जंगलों और पहाड़ों में रहती थीं। इसलिए वह समाज में दूर रहती हैं। उनको उन्नत करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, और कुछ राज्यों ने उनकी उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई है। इसके लिए उन्हें संविधान के 205वें अनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय सरकार में बजट सहायता मिलती है। 1952 के जून में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित इलाकों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, और उसमें अनुसूचित जनजातियों की उन्नति तथा अनुसूचित इलाकों के विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी।

## शिक्षा तथा अन्य कल्याण योजनाएँ

संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार जनता के कमजोर हिस्से विशेष कर अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा सम्बन्धी और आर्थिक हितों को विशेष रूप से उन्नयन और उन्हें सब तरह के शोषण के साथ सामाजिक अन्धाय से बचाने की बात की गई है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कार्य किया है।

1951-52 में जहा अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण कार्य के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च हुए थे वहां 1952-53 में यह खर्च 3 करोड़ 50 लाख रुपये था, और 1953-54 में यह खर्च 5 करोड़ 20 लाख रुपये कर दिया गया।

भारत सरकार मेट्रिकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्तिया देती है। तालिका 188 में इसका लेखा प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 188

(रुपयों में)

| व्यय                | 1951-52   |           | 1952-53   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     | स्वीकृत   | वास्तविक  | स्वीकृत   |
| अनुसूचित जातियां    | 8,25,000  | 8,17,976  | 14,50,000 |
| अनुसूचित जनजातियां  | 3,00,000  | 2,81,780  | 5,00,000  |
| अन्य पिछड़ी जातियां | 3,75,000  | 4,41,186  | 10,50,000 |
| योग                 | 15,00,000 | 15,40,942 | 30,00,000 |

दिसम्बर 1952 के अन्त तक अनुसूचित जातियों को 3,065, अनुसूचित जनजातियों को 1,094 तथा दूसरे पिछड़े हुए वर्गों को 1,734 छात्रवृत्तिया दी गई याने कुल मिला कर 5,893 छात्रवृत्तिया दी गई। पूर्व वर्षों की तुलना में इन जातियों के लोगों ने चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि इत्यादि की शिक्षा प्राप्त की। यह देखा गया था कि बहुत से छात्र गरीबी के कारण मेट्रिक या इटर के बाद पढ़ना छोड़ देने हैं। कुछ राज्यों में इन छात्रों को शिक्षा के सब सोपानों में फीस से मुक्त कर दिया गया है, पर कुछ राज्यों में उन्हें ये रियायत केवल प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में दी जाती है। भारत सरकार ने सब राज्यों से यह कहा है कि वे उन जातियों के छात्रों को सब सोपानों में निःशुल्क शिक्षा देने पर विचार करें।

### विकास योजनाएं

सविधान के 275वें अनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इसलिए अनुदान देगी कि वे पिछड़े हुए वर्गों के लाभ के लिए विकास योजनाओं को आगे बढ़ावे। 1951-52 के 'क' तथा 'ख' भाग के राज्यों को इसके अनुसार 1 करोड़ 74 लाख 75 हजार रुपये, 1952-53 में 1 करोड़ 80 लाख 80 का अनुदान दिया गया। 1952-53 में भारत सरकार ने 'ग' भाग के राज्यों को जनजातियों के कल्याण के लिए 24 लाख रुपये और दिया। इस सम्बन्ध में भारत सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की सलाह से कार्य करती है।

### पंचवर्षीय योजना के लाभ

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के लिए पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ 80 की व्यवस्था है। जनजातियों के इलाकों की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण तथा विकास के महत्व पर भी विचार किया है।

पंचवर्षीय योजना के अनुसार 'क' भाग के राज्य 1,548 लाख रुपये, 'ख' भाग के राज्य 316.6 लाख रुपये तथा 'ग' भाग के राज्य 22.5 लाख रुपये खर्च करेंगे। यह किस प्रकार वितरित है नीचे देखा जा सकता है :

|                            |   |   |   | राशि<br>(लाख रुपयों में) |
|----------------------------|---|---|---|--------------------------|
| <b>'क' भाग के राज्य</b>    |   |   |   |                          |
| आसाम                       | . | . | . | 209.6                    |
| बिहार                      | . | . | . | 160.0                    |
| बम्बई                      | . | . | . | 213.6                    |
| मध्य प्रदेश                | . | . | . | 136.4                    |
| मद्रास                     | . | . | . | 467.6                    |
| पंजाब                      | . | . | . | 116.4                    |
| उड़ीसा                     | . | . | . | ...                      |
| उत्तर प्रदेश               | . | . | . | 236.2                    |
| पश्चिमी बंगाल              | . | . | . | 8.3                      |
|                            |   |   |   | <hr/> 1,548.1            |
| <b>'ख' भाग के राज्य</b>    |   |   |   |                          |
| हैदराबाद                   | . | . | . | ...                      |
| मध्य भारत                  | . | . | . | 80.0                     |
| मैसूर                      | . | . | . | 100.0                    |
| पेप्सु                     | . | . | . | 10.0                     |
| राजस्थान                   | . | . | . | 42.2                     |
| मीराट्ट                    | . | . | . | 24.4                     |
| तिरुवाकुर-कोचीन            | . | . | . | 60.0                     |
|                            |   |   |   | <hr/> 316.6              |
| <b>'ग' भाग के राज्य</b>    |   |   |   |                          |
| अजमेर                      | . | . | . | ...                      |
| भोपाल                      | . | . | . | 5.0                      |
| बिलासपुर                   | . | . | . | ...                      |
| कुर्ग                      | . | . | . | ...                      |
| दिल्ली                     | . | . | . | ...                      |
| हिमाचल प्रदेश              | . | . | . | ...                      |
| कच्छ                       | . | . | . | 2.5                      |
| मणिपुर                     | . | . | . | ...                      |
| त्रिपुरा                   | . | . | . | ...                      |
| विन्ध्य प्रदेश             | . | . | . | 15.0                     |
|                            |   |   |   | <hr/> 22.5               |
| सब राज्यों का सम्पूर्ण योग |   |   |   | <hr/> 1,887.2            |

अनुसूचित और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए बनायी गयी कल्याण योजनाओं पर व्यय]

| राज्य         | अनुसूचित जातियां     |                        | अन्य पिछड़ी जातियां  |                        | योग         |             |
|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|
|               | 1951-52<br>(वार्षिक) | 1952-53<br>(परिकल्पित) | 1951-52<br>(वार्षिक) | 1952-53<br>(परिकल्पित) | 1951-52     | 1952-53     |
| आसाम          | 1,836                | 1,836                  | 18,036               | 18,036                 | 19,872      | 19,872      |
| बिहार         | 15,87,020            | 15,34,092              | 6,22,026             | 6,65,991               | 22,09,087   | 37,44,083   |
| बम्बई         | 22,66,826            | 24,71,088              | 24,95,763            | 35,35,970              | 47,62,589   | 60,07,058   |
| मध्य प्रदेश   | 1,06,716             | 1,24,965               | —                    | —                      | 1,06,716    | 1,24,965    |
| मद्रास        | 1,00,86,289          | 1,26,18,598            | 13,04,214            | 18,71,800              | 1,13,90,503 | 1,44,90,398 |
| पंजाब         | 7,98,300             | 5,52,700               | —                    | —                      | 7,98,300    | 5,52,700    |
| उत्तर प्रदेश  | 39,20,000            | 49,62,000              | 4,75,300             | 5,60,200               | 43,95,300   | 55,22,200   |
| पश्चिमी बंगाल | 7,51,508             | 7,00,000               | अभाव्य               | अभाव्य                 | 7,51,508    | 7,00,000    |
| हैदराबाद      | 42,637               | 1,91,264               | 32,665               | 80,281                 | 75,302      | 2,71,545    |

भारत 1954

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े हुए वर्ग [ 409

|                  |           |           |        |          |           |           |
|------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| मध्य भारत        | 2,12,371  | 5,47,249  | —      | —        | 2,12,371  | 5,47,249  |
| मैसूर            | 18,14,607 | 19,03,000 | —      | —        | 18,14,607 | 19,03,000 |
| पेप्सू           | 3,78,137  | 8,01,138  | —      | —        | 3,78,137  | 8,01,138  |
| राजस्थान         | —         | —         | 29,517 | 11,000   | 29,517    | 11,000    |
| सौराष्ट्र        | 80,000    | 3,92,000  | —      | 1,10,000 | 80,000    | 7,02,000  |
| तिरुवांगूर-कोचीन | 6,35,000  | 9,12,600  | —      | —        | 6,35,000  | 9,12,600  |
| अजमेर            | 25,080    | 25,080    | —      | —        | 25,080    | 25,080    |
| मोपाल            | अभाव्य    | 10,000    | —      | —        | अभाव्य    | 10,000    |
| बिलासपुर         | 600       | 600       | —      | —        | 600       | 600       |
| कुर्ग            | 50,000    | 50,000    | —      | —        | 50,000    | 50,000    |
| दिल्ली           | 58,414    | 1,53,200  | —      | —        | 58,414    | 1,53,200  |
| हियाचल प्रदेश    | —         | 2,45,840  | —      | —        | अभाव्य    | 2,45,840  |
| कच्छ             | 10,780    | 53,400    | —      | —        | 10,780    | 53,400    |

दृष्टव्य : जहाँ अनुसूचित तथा अन्य पिछड़ी जातियों को अलग-अलग नहीं लिया जाता वहाँ प्रशासन के कार्यों के लिए दोनों को संग ले लिया गया है।

## पिछड़े हुए वर्ग

यद्यपि संविधान में इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया, फिर भी सामाजिक रूप से और शिक्षा में पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को पिछड़े वर्ग का माना जाता है। संविधान के 15वें अनुच्छेद के अनुसार राज्य को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त सामाजिक रूप से तथा शिक्षा में पिछड़े हुए किसी भी वर्ग की उन्नति के लिए विशेष नियम बनाने के अधिकार हैं। कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े हुए वर्गों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए वर्गों की कल्याण योजनाओं पर खर्च का लेखा तालिका 189 में प्रस्तुत किया गया है।

## पिछड़े हुए वर्गों का आयोग

भारत सरकार ने श्री काका साहब कालेलकर के सभापतित्व में एक पिछड़े हुए वर्गों का आयोग नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने 18 मार्च 1953 को इसका उद्घाटन किया। इसका काम तीन तरह का है : पहला तो यह है कि यह बताये कि कोई वर्ग या समूह पिछड़ा हुआ किस आधार पर माना जा सकता है। दूसरा कार्य है सारे भारत के लिए इस प्रकार के पिछड़े हुए वर्गों की एक सूची तैयार की जाये। तीसरा कार्य यह है कि वह पिछड़े हुए वर्गों की कठिनाइयों की जांच करे और उन्हें दूर करने के उपाय बताये।

आयोग जिन राज्य में जाएगा, उस राज्य से कम से कम दो सदस्य ले सकेगा, जिसमें एक स्त्री हो सकती है। निर्देश्य शर्तों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक, आर्थिक रूप से और शिक्षा में पिछड़े हुए कुछ अन्य समूह पर छानबीन करनी है। आयोग विभिन्न सरकारों तथा निजी मस्थाओं से प्राप्त तथ्यों पर अपना उपसंहार अवलम्बित करेगा।

हिन्दुओं में सामाजिक अनर्हताएँ दूर करने के लिए 31 दिसम्बर 1951 तक क्या किया गया, इसका लेखा इस प्रकार है :

## तालिका 190

| राज्य            | स्वीकृत विधान                                                                   | क्या इस कानून के अंतर्गत आने वाले अप-राध कार्य-वाही किये जाने योग्य है |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                               | 3                                                                      |
| 1. बिहार .       | बिहार हरिजन (नागरिक-अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1949 और संशोधन कानून, 1951 .    | हां                                                                    |
| 2. बम्बई .       | (1) बम्बई हरिजन (नागरिक अनर्हताओं का निवारण), 1947 .                            | हां                                                                    |
| 3. मध्य प्रदेश . | (2) बम्बई हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून, 1947 .                                     | हां                                                                    |
|                  | (1) सी० पी० और बरार अनुसूचित जातियों (नागरिक अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1947 . | हां                                                                    |
|                  | (2) सी० पी० और बरार मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 1947 .                     | हां                                                                    |
| 4. मद्रास .      | (1) नागरिक अनर्हताओं का निवारण कानून, 1938 .                                    | हां                                                                    |
|                  | (2) मद्रास मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 1947 और संशोधन कानून, 1949 .        | हां                                                                    |
| 5. उड़ीसा .      | (1) उड़ीसा (नागरिक अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1946 .                           | नहीं                                                                   |
|                  | (2) उड़ीसा मन्दिर प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 1948 .                              | हां                                                                    |

| I                   | 2                                                                                                                                                     | 3                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6. पंजाब            | पूर्वी पंजाब (धार्मिक और सामाजिक अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1947                                                                                     | हां               |
| 7. उत्तर प्रदेश     | उ० प्र० (सामाजिक अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1947                                                                                                     | नहीं              |
| 8. पश्चिमी-बंगाल    | पश्चिमी बंगाल हिन्दू (सामाजिक अनर्हताओं का निवारण) कानून, 1948                                                                                        | हां               |
| 9. हैदराबाद         | (1) हैदराबाद हरिजन मन्दिर प्रवेश विनियम 1358 एफ० की स० 55 (1948-49)<br>(2) हरिजन (सामाजिक अनर्हताओं का निवारण) विनियम 1358 एफ० की स० 56 (1948-49)     | हां               |
| 10. मध्य भारत       | हरिजन अनर्हताओं का (निवारण) कानून, 1949 और मशोधन कानून, 1950                                                                                          | हां               |
| 11. मैसूर           | (1) नागरिक अनर्हताओं का निवारण कानून, 1943<br>(2) 1948 और 1949 के मशोधन कानून<br>(3) मैसूर मन्दिर-प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 1948 और मशोधन कानून, 1949 | हां<br>हां<br>हां |
| 12. मौराणा          | सामाजिक अनर्हताओं का निवारण अध्यादेश, 1948                                                                                                            | हां               |
| 13. निरुवाकुर-कोचीन | (1) निरुवाकुर-कोचीन मन्दिर-प्रवेश (अनर्हता निवारण) कानून, 1950<br>(2) मयूक्त राज्य निरुवाकुर-कोचीन (सामाजिक अनर्हता-निवारण) कानून, 1950               | हां<br>हां        |
| 14. अजमेर           | उत्तर प्रदेश (सामाजिक अनर्हता निवारण) कानून, 1947, अजमेर राज्य पर भी लागू कर दिया गया                                                                 | हां               |
| 15. भोपाल           | उत्तर प्रदेश (सामाजिक अनर्हता निवारण) कानून, 1947, 1951 में भोपाल राज्य पर भी लागू कर दिया गया                                                        | नहीं              |
| 16. बिलासपुर        | उत्तर प्रदेश (सामाजिक अनर्हता निवारण) कानून, 1947, जून 1951 में बिलासपुर राज्य पर भी लागू कर दिया गया                                                 | नहीं              |
| 17. कर्ग            | (1) कर्ग अनुसूचित जातियां (नागरिक और सामाजिक) अनर्हता-निवारण) कानून, 1949<br>(2) कर्ग मन्दिर-प्रवेश स्वीकृतिकरण कानून, 1949                           | हां<br>नहीं       |
| 18. दिल्ली          | बम्बई हरिजन (सामाजिक-अनर्हता-निवारण) कानून 1947 इस राज्य पर भी लागू कर दिया गया                                                                       | हां               |
| 19. हिमाचल-प्रदेश   | उत्तर प्रदेश (सामाजिक-अनर्हता-निवारण) कानून 1947, मई 1951 में इस राज्य पर भी लागू कर दिया गया                                                         | नहीं              |
| 20. कच्छ            | बम्बई हरिजन (सामाजिक-अनर्हता निवारण) कानून, 1947, मई 1951 में कच्छ राज्य पर भी लागू कर दिया गया                                                       | हां               |
| 21. त्रिपुरा        | पश्चिमी-बंगाल हिन्दू (सामाजिक-अनर्हता-निवारण) कानून, 1948, मई 1951 में त्रिपुरा राज्य पर भी लागू कर दिया गया                                          | हां               |
| 22. विध्य-प्रदेश    | उत्तर प्रदेश (सामाजिक-अनर्हता-निवारण) कानून, 1947, विध्यप्रदेश राज्य पर भी लागू कर दिया गया                                                           | नहीं              |



नीचे यह दिखलाया गया है कि 1953 की मई के परिसीमन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितनी सीटों का प्रबंध । यह प्रस्ताव ताजी जनगणना के आधार पर किया गया है :

## तालिका 191

| राज्य अथवा क्षेत्र का नाम              | लोक सभा में स्थानों की संख्याएँ | अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या | अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>'क' भाग के राज्य :</b>              |                                 |                                                    |                                                      |
| 1. आंध्र . . .                         | 28                              | 4                                                  | 1                                                    |
| 2. आसाम . . .                          | 12                              | 1                                                  | 2                                                    |
| 3. बिहार . . .                         | 55                              | 7                                                  | 6                                                    |
| 4. बम्बई . . .                         | 49                              | 4                                                  | 5                                                    |
| 5. मध्य प्रदेश . . .                   | 29                              | 4                                                  | 3                                                    |
| 6. मद्रास . . .                        | 49                              | 8                                                  | नहीं                                                 |
| 7. उड़ीसा . . .                        | 20                              | 4                                                  | 4                                                    |
| 8. पंजाब . . .                         | 17                              | 3                                                  | नहीं                                                 |
| 9. उत्तर प्रदेश . . .                  | 86                              | 16                                                 | नहीं                                                 |
| 10. पश्चिमी बंगाल . . .                | 34                              | 6                                                  | 2                                                    |
| <b>'ख' भाग के राज्य :</b>              |                                 |                                                    |                                                      |
| 1. हरद्वारा . . .                      | 25                              | 4                                                  | नहीं                                                 |
| 2. जम्मू और काश्मीर . . .              | 6 (ख)                           | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| 3. मध्य भारत . . .                     | 11                              | 2                                                  | 1                                                    |
| 4. मैसूर . . .                         | 13                              | 2                                                  | नहीं                                                 |
| 5. पेशवा . . .                         | 5                               | 1                                                  | नहीं                                                 |
| 6. राजस्थान . . .                      | 21                              | 2                                                  | नहीं                                                 |
| 7. सौराष्ट्र . . .                     | 6                               | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| 8. तिरुवाकुर-कोचीन . . .               | 13                              | 1                                                  | नहीं                                                 |
| <b>'ग' भाग के राज्य :</b>              |                                 |                                                    |                                                      |
| 1. अजमेर . . .                         | 1                               | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| 2. भोपाल . . .                         | 2                               | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| 3. बिलासपुर . . .                      | 1                               | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| 4. कुर्ग . . .                         | 1                               | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| 5. दिल्ली . . .                        | 3                               | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| 6. हिमाचल प्रदेश . . .                 | 2                               | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| 7. कच्छ . . .                          | 2                               | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| 8. मणिपुर . . .                        | 2                               | नहीं                                               | 1                                                    |
| 9. त्रिपुरा . . .                      | 2                               | नहीं                                               | 1                                                    |
| 10. विन्ध्य प्रदेश . . .               | 5                               | 1                                                  | 1                                                    |
| 11. अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह . . . | 1 (ख)                           | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| 12. 'ख' भाग के जन-जातीय क्षेत्र . . .  | 1 (ख)                           | नहीं                                               | नहीं                                                 |
| योग . . .                              | 502                             | 71                                                 | 28                                                   |

(क) स्वसत्ता-प्राप्त जिलों में ।

(ख) राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये जायेंगे ।

राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें सुरक्षित हैं, इसका लेखा नीचे दिया गया है :

तालिका 192

| राज्य का नाम             | व्यवस्थापिका<br>सभा में स्थानों<br>की संख्या | अनुसूचित जातियों<br>के लिए सरक्षित<br>स्थानों की संख्या | अन्य पिछड़ी<br>जातियों के लिए<br>सरक्षित स्थानों<br>की संख्या |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>भाग 'क' के राज्य</b>  |                                              |                                                         |                                                               |
| 1 आन्ध्र . . .           | 168                                          | 22                                                      | 4                                                             |
| 2 आसाम . . .             | 108                                          | 5                                                       | { 9(क)<br>17(ख)                                               |
| 3. बिहार . . .           | 330                                          | 41                                                      | 33                                                            |
| 4 बम्बई . . .            | 294                                          | 25                                                      | 27                                                            |
| 5 मध्य प्रदेश . . .      | 232                                          | 32                                                      | 27                                                            |
| 6 मद्रास . . .           | 245                                          | 39                                                      | 1                                                             |
| 7 उड़ीसा . . .           | 140                                          | 25                                                      | 28                                                            |
| 8 पंजाब . . .            | 119                                          | 22                                                      | —                                                             |
| 9 उत्तर प्रदेश . . .     | 430                                          | 78                                                      | —                                                             |
| 10 पश्चिमी बंगाल . . .   | 238                                          | 45                                                      | 11                                                            |
| <b>भाग 'ख' के राज्य</b>  |                                              |                                                         |                                                               |
| 1. हैदराबाद . . .        | 175                                          | 26                                                      | 3                                                             |
| 2. मध्यभारत . . .        | 99                                           | 16                                                      | 13                                                            |
| 3 मैसूर . . .            | 117                                          | 21                                                      | —                                                             |
| 4. गोवा . . .            | 60                                           | 12                                                      | —                                                             |
| 5. राजस्थान . . .        | 168                                          | 18                                                      | 3                                                             |
| 6. मीरपुर . . .          | 60                                           | 2                                                       | 1                                                             |
| 7 तिरुवाकुर-कांचीन . . . | 104                                          | 10                                                      | —                                                             |
| <b>भाग 'ग' के राज्य</b>  |                                              |                                                         |                                                               |
| 1 अजमेर . . .            | 30                                           | 6                                                       | —                                                             |
| 2 भापाल . . .            | 30                                           | 5                                                       | 2                                                             |
| 3 कुर्ग . . .            | 24                                           | 3                                                       | 3                                                             |
| 4 दिल्ली . . .           | 48                                           | 6                                                       | —                                                             |
| 5 हिमाचल प्रदेश . . .    | 36                                           | 8                                                       | —                                                             |
| 6 बिन्ध्य प्रदेश . . .   | 60                                           | 6                                                       | 6                                                             |
| <b>योग</b>               | <b>3,315</b>                                 | <b>473</b>                                              | <b>188</b>                                                    |

(क) जन-जातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त ।

(ख) स्वसत्ता-प्राप्त जिलों में ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरे पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को किन किन विषयों में छात्रवृत्तियां दी गई हैं, यह नीचे दिखाया गया है :

तालिका 193

| अध्ययन विषय                 | छात्रवृत्ति प्राप्त लोगो की संख्या |                    |                     | योग          |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
|                             | अनुसूचित जातियां                   | अनुसूचित जनजातियां | अन्य पिछड़ी जातियां |              |
| <b>व्यावसायिक शिक्षा</b>    |                                    |                    |                     |              |
| डाक्टरी                     | 236                                | 52                 | 341                 | 629          |
| इंजीनियरिंग                 | 250                                | 32                 | 377                 | 659          |
| कृषि                        | 59                                 | 11                 | 80                  | 150          |
| पशु चिकित्सा सम्बन्धी       | 2                                  | 5                  | 2                   | 9            |
| प्रौद्योगिक                 | 16                                 | 2                  | 2                   | 20           |
| कानूनी                      | 119                                | 19                 | 30                  | 168          |
| अध्यापक प्रशिक्षण           | 27                                 | 11                 | 45                  | 83           |
| कला-कौशल                    | 3                                  | 1                  | 4                   | 8            |
|                             |                                    |                    |                     | 1,726        |
| <b>स्नातकोत्तर श्रेणी</b>   |                                    |                    |                     |              |
| पी० एच० डी०                 | 4                                  | —                  | 3                   | 7            |
| एम० एम० सी०                 | 25                                 | 4                  | 35                  | 64           |
| एम० ए०                      | 138                                | 29                 | 27                  | 194          |
| एम० काम०                    | 5                                  | —                  | 6                   | 11           |
|                             |                                    |                    |                     | 276          |
| <b>स्नातक श्रेणी</b>        |                                    |                    |                     |              |
| बी० एम० सी०                 | 161                                | 36                 | 116                 | 313          |
| बी० ए०                      | 235                                | 190                | 118                 | 543          |
| बी० काम०                    | 53                                 | 19                 | 25                  | 97           |
|                             |                                    |                    |                     | 953          |
| <b>प्राक्-स्नातक श्रेणी</b> |                                    |                    |                     |              |
| आई० एम० सी०                 | 807                                | 179                | 340                 | 1,326        |
| आई० ए०                      | 812                                | 460                | 159                 | 1,431        |
| आई० काम०                    | 113                                | 44                 | 24                  | 181          |
|                             |                                    |                    |                     | 2,938        |
| <b>योग</b>                  | <b>3,065</b>                       | <b>1,094</b>       | <b>1,734</b>        | <b>5,893</b> |

## पच्चीसवां अध्याय

### 'क' भाग के राज्य

#### आन्ध्र

#### राज्यपाल

चन्द्रलाल त्रिवेदी

#### मंत्री

- |                                                                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. मुख्य मंत्री तथा सार्वजनिक सेवा, राजनीतिक, सूचना और प्रचार विभाग . . . . .                                          | टी० प्रकाशम                 |
| 2. उप-मुख्य मंत्री, गृह, पुलिस, कानून और व्यवस्था, पासपोर्ट व्यवस्थापन, निर्वाचन, सार्वजनिक कार्य और यातायात . . . . . | एन० संजीव रेड्डी            |
| 3. लगान, अन्न तथा रजिस्ट्रेशन . . . . .                                                                                | के० कोटि रेड्डी             |
| 4. वित्त, कानून, धर्मार्थ, परिगणित क्षेत्र तथा आदिवासी . . . . .                                                       | टी० विश्वनाथन               |
| 5. आयोजन, स्वास्थ्य, सहयोग, श्रम तथा हरिजन सेवा . . . . .                                                              | डी० सजीवध्या                |
| 6. शिक्षा, व्यवसाय, आन्तरिक कर, मद्यनिषेध, नारी उन्नति और व्यापारिक कर . . . . .                                       | एस० बी० पी० पट्टाभि रामाराव |
| 7. स्थानीय शासन, कृषि, जंगल, पशुपालन तथा मछली व्यवसाय . . . . .                                                        | पी० थिम्मा रेड्डी           |

आन्ध्र राज्य का जन्म 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और तब से करनूल इसकी अस्थाई राजधानी है। यह राज्य पहले मद्रास राज्य का भाग था। इसका क्षेत्रफल 67000 वर्गमील है और आबादी 2,12,82,000।

#### वित्त

आन्ध्र का 1953-54 का बजट इस प्रकार है :

|                | रुपये        |
|----------------|--------------|
| आय . . . . .   | 27,77,00,000 |
| व्यय . . . . . | 22,80,00,000 |
| बचत . . . . .  | 4,97,00 000  |

#### शिक्षा

आन्ध्र विश्वविद्यालय की स्थापना आज से 27 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत के विश्वविद्यालयों में इसका निर्माण अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। इस विश्वविद्यालय के अधीन 29 कालेज हैं और उनमें ज्ञान, विज्ञान, भारतीय अध्ययन, कानून, व्यापार, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि और शिक्षण की शिक्षा का प्रबन्ध है।

## खाद्यान्न तथा कृषि

आन्ध्र की 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है और वहाँ अपनी आवश्यकता से 3 लाख टन अधिक अन्न उत्पन्न होता है। आन्ध्र में 155 लाख एकड़ भूमि पर कृषि की जाती है। 1953-54 में वहाँ 33 लाख टन चावल पैदा हुआ था। भारत में कुल जितना तमाखू उत्पन्न होता है, उसका 80 प्रतिशत आन्ध्र में पैदा होता है।

पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत आन्ध्र में दो जन विद्युत् कार्यों का निर्माण जारी है। उनमें से तुंगभद्रा कार्य द्वारा आन्ध्र और मैसूर को लाभ होगा तथा मक्कुण्ड कार्य द्वारा आन्ध्र और उडीसा को।

## व्यवसाय

आन्ध्र में चीनी के 7 कारखाने, सोने के 2 कारखाने और शीता, एनेमन, कागज, वनस्पति और खाद की मिठाई बनाने के एक-एक कारखाने हैं। पंचवर्षीय आयोजना में इस राज्य के औद्योगिक विकास के लिए 46,28,000 रुपये स्वीकार किए गए हैं। विशाखापटनम के जहाजों के कारखाने का विकास तथा तेल शुद्धि का कारखाना खोलना वहाँ की योजना के मुख्य भाग है। विजयवाड़ा के निकट ब्यूरू के चीनी के कारखाने में उद्योगिक प्रयोग का प्रबन्ध किया जा रहा है।

## आन्ध्र विधान सभा

अध्यक्ष-एन० वेक्टरमैया

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| के० आदित्यसदतु नायडू (चन्द्रागिरि)                     | चन्द्र रामलिंगय्या (दिवी, सरक्षित परिगणित जाति)  |
| जा० अजयलू (वन्दर)                                      | के० चव्वराम नायडू (कन्दूरूर)                     |
| के० अप्पला नायडू (श्रीकाकुलम्)                         | वी० चिदानन्दम् (वडवेल)                           |
| ब्रोज्ज अप्पलास्वामी (अमलापुरम्, सरक्षित परिगणित जाति) | पी० चिन्नम्मा रेड्डी (चित्तूर)                   |
| राजा मेका रगय्या अप्पाराव (नूजवीड)                     | वी० सी० चूडामणि देव (पार्वतीपुरम्)               |
| टी० सी० अच्युता नायडू (चीपूरुपल्ली)                    | डी० दशरथरमैया नायडू (गपुर)                       |
| वाइ० आदिनारायण रेड्डी (रायचोटी)                        | एम० डोरयकन्नू (तिरुतानि, सरक्षित परिगणित जाति)   |
| के० बालनारायण रेड्डी (प्रोदुदुतूर)                     | पी० वी० आर० गजपतिराजू (विजय नगरम्)               |
| एम० बापैया चौदुरी (बेल्लमकोण्डा)                       | बी० गणैया नायडू (माडूगोल)                        |
| के० बापप्पा दोरा (भद्राचलम सरक्षित परिगणित जाति)       | पी० गोपालकृष्ण रेड्डी (गुडूर)                    |
| जी० बापाय्या (दिवी, सरक्षित परिगणित जाति)              | वी० गोपालकृष्णैया (सेट्टनपल्ली)                  |
| पी० बापु नाइडू (येल्लमनचिल्ली)                         | के० गोविन्दराव (अनकापल्ली)                       |
| डी० ब्रमिनी रेड्डी (मेन्नूगोण्डा)                      | पी० गुन्नैया (चीपूरुपल्ली, सरक्षित परिगणित जाति) |

एम० हनुमन्त राव (रेपल्ले)  
 चि० इन्द्रय्या (तणुकू)  
 जी० जोसेफ (अमरतलूर)  
 एस० कासीरैडु (दर्मी)  
 जी० सी० कोण्डय्या (आत्माकुर)  
 पी० कोटय्या (चीराला)  
 के० कोटि रेड्डी (कडपा)  
 श्रीमती तम्मा कोटम्मा रेड्डी (प्रत्तिपाडू)  
 वी० वी० कृष्णाम् राजु (तुनी)  
 बी० कृष्णमूर्ति राव (पुगन्)  
 के० कृष्ण राव (नेल्लोर)  
 वाई० वी० कृष्ण राव (भद्राचलम्)  
 एम० कूने राव (चिन्तलपुडी)  
 एल० लक्ष्मणदाम (पातपटनम्)  
 टी० लक्ष्मीनारायण रेड्डी (पेत्तकोण्डा)  
 एम० लक्ष्मण स्वामी (कंकीपाडू)  
 डी० लक्ष्मैया (मगलगिरि)  
 आर० लक्ष्मी नरसिंह दारा (टेक्कली)  
 वी० लक्ष्मीनरम राजू (नरमापुर)  
 जी० लक्ष्मन्ना (मोमपेट)  
 के० मालकोडय्या (श्रीमाल नरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 टी० मल्लय्या (अदानी संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 एस० आर० टी० पी० मृति राजू (ताडेपल्ली  
 गुडेम)  
 जी० नागभूषणम् (रायदुर्ग)  
 जी० नागेश्वर राव (गजाल)  
 ए० नागेश्वर राव (दुर्गोरागा)  
 टी० नागि रेड्डी (अनन्तपुर)  
 एन० वी० एल० नरसिंह राव (गुन्तूर)  
 पी० नरसिंह रेड्डी (राजमपेट)  
 के० नारायण (श्रीकाकुलम्, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 एम० नारायणप्पा (कल्याण दुर्ग)  
 डी० नारायण राजू (उण्डी)  
 एम० नारायण स्वामी (श्रीगोल)

ए० नीलाद्विराव रेड्डी (इच्छापुरम्)  
 के० वी० एस० पद्मनाभ राजू (अलमण्डा)  
 के० पट्टाभिरामैया (रामचन्द्रपुरम्)  
 एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव (पामरुं)  
 एम० पेन्टन्नायडू (पातपटनम्, संरक्षित परि-  
 गणित जन-जाति)  
 टी० पोता राजू (विजयवाडा)  
 सी० प्रभाकर चौधरी (राजामुन्द्री)  
 टी० प्रकाशम् (मगवरूपकोटा)  
 सी० पुन्नारेड्डी (नन्दीकोटकुर)  
 पी० पुण्डरीकाक्षाचार्यन् (होजरम्)  
 के० राजगोपाल राव (गुडिवाडा)  
 एम० राजेश्वरराव (कांवर, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 एन० रामभद्र राजू (अमलापुरम्)  
 डी० रामब्रह्म (पन्नमनेर)  
 पी० एम० रामचन्द्र राव (कोवूर)  
 श्री० रामाकृष्ण रेड्डी (वावली)  
 एच० रामागंगा रेड्डी (अदानी)  
 के० राममूर्ति (मालगण्डा)  
 जी० रामा राव (गुडिवाडा संरक्षित)  
 एन० वी० रामाराव (वृ. गुप्पुडी)  
 पी० रामाराव (तिरुवूर)  
 वी० रामाराव (कांचिकेर्ली)  
 थोटा रामास्वामी (पेद्दापुरम्)  
 के० वी० रामेशम् (चांडवरम्)  
 के० रमैया, चौधरी (उदयागिरि)  
 के० रमैया (जम्मल मडुगु)  
 के० रगा राव (चिलकलूरिपेटा)  
 पी० रगा रेड्डी (कावम)  
 सी० वी० के० राव (काकिगडा)  
 पी० सगम नाड्डू (पालकोण्डा)  
 एन० सजीव रेड्डी (कालाहस्ती)  
 डी० मजीवैया (करनूल, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 एन० शकर रेड्डी (करनूल)  
 बी० शकरय्या (कोवूर)

के० सांतपग (कल्याणदुर्ग, सरक्षित परि-  
गणित जाति)

जी० सत्यनारायण (एल्लूर)

एच० सत्यनारायण डोरा (नरसरापेट)

पी० सत्यनारायण रेड्डी (अनपति)

डी० मीतारमैया (मदनपल्ली)

के० षनमुखम् (कण्डुकुर, संरक्षित पारिगणित  
जाति)

आर० सिद्धन्ना गौड (मडकसिरा)

एन० शिवशामी रेड्डी (कमलापुरम्)

जी० शिवशङ्कर रेड्डी (हिन्दुपुर)

पी० श्री कृष्णा (वापन्ला)

के० श्रीनिवासुलु (धर्मवरम्)

श्रीरामम् (चित्तर, सरक्षित पारिगणित जाति)

वी० मुब्बा राजू (भीमवरम्)

के० मुब्बा रेड्डी (पल्लनाड)

एम० मुब्बा रेड्डी (नन्नाल)

सी० मुब्बा रेड्डी (नाडिपल्ली)

आर० वी० वी० मुदर्शन वर्मा (कारवेतिनगर)

पी० सूर्यचन्द्र राव (आलम्पुरम्)

जी० सूर्यनारायण (विजयनगरम् सरक्षित  
परिगणित जाति)

के० सूर्यनारायण (भीमनीपटनम्)

सूर्यनारायण राजू (पयाराओपेट)

पी० श्यामसुन्दर राव (नरसपुर, सरक्षित  
परिगणित जाति)

पी० थिम्मः रेड्डी (पीळूरु)

के० वरदाचारी (तिरुत्तनी)

एम० वीरभद्रम् (परवड)

के० वीरभा पडाल (गोलुगोण्डा)

संरक्षित परिगणित जन जाति

के० वी० वेमा रेड्डी (कदिरि)

एस० वेमैया (नेल्लोर संरक्षित परिगणित  
जाति)

के० वेकथ्या (पोन्नूर)

आर० वेकटजग्गा राव (पिठापुरम्)

के० वेकट कुर्मी नायडू (वोविली)

ए० वेकटरामराजु (राजोल)

एन० वेकटरामैया (नरसराओपेट)

के० वेकट शेटी (धोन)

पी० वेकट शिवैया (वित्तूकोण्डा)

एम० वेकट मुब्बा रेड्डी (कुयलकुन्टला)

टी० एन० वेकट मुब्बा रेड्डी (घट्टूर)

पी० वेकटमुब्बा रेड्डी (राजमपेट संरक्षित परि  
गणित जाति)

ए० वेकटमुब्बामय्यम् (कैकलूर)

एन० वेकटथ्या (माकंपर)

पी० वेकटेश्वरलू (जगगयापेट)

के० वेकट नारायण डोरा (मालूरु)

ए० वेकटरमैया (नेनाली)

एस० वेकटराव (काकीनाड, सरक्षित परि  
गणित जाति)

पी० वेकटस्वामी रेड्डी (वेकटगिरी)

टी० विश्वनाथम् (विशाखपत्तनम्)

जी० येलमन्दा रेड्डी (कनिगिरि)

## आसाम

### राज्यपाल

जयरामदास बोलतराम

### मंत्री

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| १. मुख्य मंत्री, गृह, नियुक्ति, समन्वय तथा आ | सिंहों की            |
| उन्नति                                       | विष्णुराम मेधी       |
| २. वित्त तथा लगान                            | मोतीराम बोरा         |
| ३. सार्वजनिक कार्य तथा यातायात               | सिद्धिनाथ शर्मा      |
| ४. श्रम, शि                                  | विकास ओमियोकुमार दास |

- |                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 5. अन्न, कृषि, सहयोग, प्रचार तथा कुटीर व्यवसाय         | महेन्द्र मोहन चौधरी    |
| 6. पूर्ति, व्यापार और वाणिज्य                          | वैद्यनाथ मुखर्जी       |
| 7. न्याय और स्वास्थ्य                                  | रूपनाथ ब्रह्म          |
| 8. जंगल, व्यवस्थापन और विजली                           | रामनाथदास              |
| 9. आन्तरिक कर, जेल, रजिस्ट्रेशन तथा स्टैम्प            | जे० जे० एम० निकोलस राय |
| 10. स्थानिय स्वराज्य, पशु चिकित्सा तथा पशुवृद्धि विभाग | अब्दुल मतलिब मजूमदार   |

**उपमंत्री**

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. लगान, सहायता तथा पुनर्वास | हरेस्वर दास       |
| 2. श्रम और शिक्षा            | पूर्णानन्द चेटिया |

**वित्त**

(लाख रुपयो मे)

| बजट के आंकडे     | आय    | व्यय  | बचत (+)<br>या<br>घाटा (—) |
|------------------|-------|-------|---------------------------|
| 1950-51 (लेखा)   | 9.92  | 9.28  | + 64                      |
| 1951-52 (लेखा)   | 11.29 | 10.93 | + 36                      |
| 1952-53 (सशोधित) | 12.72 | 12.68 | + 4                       |
| 1953-54 (बजट)    | 13.01 | 14.97 | — 196                     |

**शिक्षा**

1952-53 में ग्रामागम में सब तरह की शिक्षा संस्थाओं की उन्नति हुई। 1951-52 में वहाँ प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या, 9,610 थी, जो गत वर्ष बढ़ कर 9,860 हो गई। इसी तरह शिक्षकों की संख्या 14,253 से 14,603 और विद्यार्थियों की संख्या 5,69,640 से बढ़ कर 6,00,000 हो गई। 1953-54 में वहाँ शिक्षा पर 72,29,000 रुपया खर्च किया गया।

गत वर्ष वहाँ 11 सब-डिविजनों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। आजकल 12 नगरों और 4,000 गावों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है और उसके अन्तर्गत 6 से 11 वर्ष तक की आयु के 2,80,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिगणित जातियों तथा आदिवासियों में भी शिक्षा का अधिकाधिक प्रचार किया जा रहा है।

गत वर्ष ऐसे प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या, जिनमें बेसिक ढंग की शिक्षा दी जाती है, 142 तक पहुँच गई। 1951 में वहाँ शिक्षा पर 33,21,000 रुपये व्यय किए गए और 1952-53 में 47,26,000। माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय संस्थाओं को काफी बड़ी संख्या में सहायता दी गई। पहाड़वासियों को आसामी भाषा की शिक्षा देने के लिए टीटाबर प्रशिक्षण संस्था में एक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र जारी किया गया। इस केन्द्र में 33,000 रुपयों के व्यय से प्रति वर्ष 40



शिक्षक तैयार किए जायेंगे। 1952-53 में माध्यमिक श्रेणियों में हिन्दी और सामाजिक सेवाओं की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को राज्य की सरकार ने हिन्दी के प्रचार के लिए 25,000 रुपये दिये।

### साख तथा कृषि

1952-53 में चीनी, रुई, सुपारी तथा जूट के अनुसंधान के लिए कई योजनाएं जारी की गईं। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत एक सप्तमुखी कार्य शुरू किया गया। इसके अनुसार अच्छे बीज, खाद, सिंचाई का प्रबन्ध, पौधों की रक्षा, व्यर्थ भूमि का उपयोग तथा वर्ष में दो बार फसल पैदा करने के कार्य भी प्रारम्भ किए गए।

गत वर्ष 5,00,000 रुपये के व्यय से सिंचाई के 900 छोटे-छोटे कार्य चालू किए गए। इनसे अन्न की उपज में 35,000 टन की वृद्धि होने की आशा है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो सिंचाई के 24 बड़े-बड़े कार्यों का निर्माण कर रहा है, उनमें से 8 गत वर्ष पूरे कर लिए गए। इसके अतिरिक्त 47,492 एकड़ परती भूमि को उपजाऊ बना लिया गया और वह कृषिरहित किसानों और शरणार्थियों में बांट दी गई।

### उद्योग

15 अगस्त 1952 से 31 मार्च 1953 तक राज्य के कुटीर उद्योग विभाग ने घरेलू उद्योगों की उन्नति के लिए 54,500 रुपये उधार दिए। इसी तरह छोटे उद्योगों के विकास के लिए राज्य की ओर से कुछ और सहायताएं भी दी गईं। पहाड़ी प्रदेशों में शहद उद्योग को उन्नत करने का प्रयत्न किया गया तथा चापरमुख में एक वारनिश बनाने के कारखाने का निर्माण जारी किया गया।

गत वर्ष चाय बागान, चावल तथा तेल की मिलों, मोटर और यातायात के कार्यों में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन निश्चित कर दिया गया। चाय बागान के वेतनों पर अभी पुनर्विचार किया जाएगा। इन साधनों द्वारा चाय के 27 बगीचों को बन्द होने से बचा लिया गया, क्योंकि राज्य का चाय-व्यवसाय एक बड़े सकट में से गुजर रहा था।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों में कालाजार के इलाज के लिए 2 अस्पताल खोले गए। दुदनाई तथा गोल-पाड़ा जिलों में भी 20-22 बिस्तरों के दो कालाजार अस्पताल खोले जाएंगे। पेट के कीड़ों तथा मलेरिया से बचाव का प्रयत्न भी किया गया और 20,000 रुपये की दवाइयां मुफ्त बांटी गईं। इन्हीं दिनों कोढ़ के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने का व्यापक प्रयत्न किया गया। कोढ़ के 37 अस्पतालों में 429 रोगियों की चिकित्सा की गई और 251 रोगियों की चिकित्सा अभी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्माओं के लिए तथा शिशुओं की चिकित्सा के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त किया गया। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को चिकित्सा सम्बन्धी विशेष सहायता पहुंचाई गई और संक्रामक बीमारियों को रोकने का अधिकाधिक प्रयत्न किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था के बीबीन स्त्रियों और बच्चों को 498 दुग्धपूर्ण के पीये बांटे गए।

## आसाम विधान सभा

### अध्यक्ष—कुलधर चलिहा

- ६० अल्ले (नगपो., सरक्षित परिगणित जन जाति)
- आरान संगमा (देनाडूबी, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- अब्दुल मतलीब मजूमदार (हाइला कादि)
- अब्दुल जलील (बदरपुर)
- अजित नारायण देव (कोकराझर, सिदली)
- ए० एस० खोगफाई (नोगस्टोन, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- अक्षयकुमार दास (सरभोग)
- आनन्दचन्द्र बेजबरुबा (नाजिरा)
- बैद्यनाथ मुकर्जी (रातावादी पाथरकादी)
- बैकुण्ठनाथ दास (पतचरकुशी बारमा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- बालीराम दास (मरीगाव बिंग, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- विजयचन्द्र भागवती (सूतिया)
- विमला कान्त बोरा (जमुनामुख)
- विष्णुराम मेधी (हाजा)
- विश्वदेव शर्मा (तेजपुर उत्तर)
- बु० च० सपरगा (आइजल पश्चिम सरक्षित परिगणित जन जाति)
- चानू खेरिया (गोलाघाट पश्चिम)
- दलवीरसिंग लोहार (डिगबोय)
- दण्डीराम दत्त (कलियाइगाव)
- डेविडसन भोबोरा (पानेरी, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- देवेश्वर राजखोवा (डेरगाव)
- धरणीधर वसुमतारी (रगिया, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- एमनसिंग सगमा (फुलवारी, संरक्षित परिगणित जन जाति)
- एमारसन मोमिन (तुरा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- फैजनूर अली (डिब्रूगढ पश्चिम)
- गहनचन्द्र गोस्वामी (गोहपुर)
- गौरीशंकर भट्टाचार्य (गौहाटी)
- गौरीशंकर राय (कातलीचिरा)
- घनकान्त गंगै (मोरान)
- गिरीन्द्रनाथ गंग (शिवसागर)
- हाकिमचन्द्र राभा (गोआलपाडा, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- हरेश्वर दास (उत्तर सालमरा)
- हरेश्वर गोस्वामी (पलाशवारी)
- हरिहर चौधुरी (डूमडूमा)
- हैरिसन मोमिन (वाघमर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- हरिनारायण बरुबा (तियक)
- हेमचन्द्र चक्रवर्ती (हाइला कान्ति, शिलचर)
- हेमचन्द्र हजारिका (उत्तर लखीमपुर)
- नरनारायण गोस्वामी (पतचरकुचा, बरमा)
- इन्द्रेश्वर खाउन्द (तिनसुकिया उत्तर)
- यादवचन्द्र खाखलाड़ी (डिगबोई, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- यदुनाथ भूयान (तिनसुकिया दक्षिण)
- यतीन्द्र नारायण दास (गोसाइगाव)
- जयभद्र हगजर (उत्तर कछार पहाडिया, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- जे० जे० एम० निकोलस राय (शिलांग)
- योगकान्त बरुबा (जयपुर)
- कमलाप्रसाद अग्रवाल (तेजपुर दक्षिण)
- खगेन्द्रनाथ (गोयालपारा)
- कार्कचन्द्र दोले (उत्तर लखीमपुर, सरक्षित परिगणित जन जाति)
- खरसिंह तेरांग (मिक्किर पहाडिया, पूर्व संरक्षित परिगणित जन जाति)
- किष्टोविन रिम्बाय (जांवाय, सरक्षित परिगणित जन जाति)

कोबाद हुसैन अहमद (मानकछार)  
 कृष्णानन्द ब्रह्मचारी (विजरी)  
 कुलधर चलिहा (जोरहाट दक्षिण)  
 लीलकान्त बेडा (कलीआवर)  
 महादेव दास (बरपेटा उत्तर पूर्व, सरक्षित  
 परिगणित जन जाति)  
 माहम सिंह (चैरा, सरक्षित परिगणित जन  
 जाति)  
 नूरुल इस्लाम (लाहारीघाट)  
 मुहम्मद इद्रिस (रूपाही हाट)  
 मुहम्मद अनी (पाथरकडी करीमगज)  
 महेन्द्र मोहन चौधरी, (बरपेटा उत्तर पूर्व)  
 महेन्द्र हजारीका (नगांव, रहा, सरक्षित परि-  
 गणित जन जाति)  
 मालचन्द्र पेगू (गोलाघाट पश्चिम, सरक्षित  
 परिगणित जन जाति)  
 माणिकचन्द्र दास (बरडुडी)  
 मेहराबअली लस्कर (शिलचर)  
 महेन्द्र नाथ डेका (कमलपुर)  
 महीकान्त दास (डेकियाजुली दक्षिण)  
 मोयनल हक चौधरी (शिलचर सोनाई)  
 मोतीराम बेरा (मरीगाव धिंग)  
 ताजउद्दीन अहमद (बरपेटा पश्चिम)  
 मुहम्मद पहाड खान (तारावाडी)  
 मुहम्मद उमरुद्दीन (विलासीपाडा)  
 नामवर अली बग्भूंया (काटीगोरा)  
 नन्दकिशोर सिंह (सोनाई)  
 निहू रंगफेर (मिकिर पहाडिया, पश्चिम)  
 नीलमणि फूकन (जोरहाट उत्तर)  
 अभिय कुमार दास (डेकियाजुली उत्तर)  
 प्रभातचन्द्र गोस्वामी (नलवारी उत्तर)  
 प्रतापचन्द्र शर्मा (नगांव रहा)  
 पुरन्दर शर्मा (मंगलदथ)  
 पूर्णानन्द चेतिया (सोनारी)

रबीन काकती (ग्रामगुरी,  
 राधिका रामदास (पुवबगसर, शिलमुन्दरी  
 धोपा)  
 राधाचरण चौधरी (बेको)  
 रघुनन्दन धोबी (लखीपुर, सरक्षित परिगणित  
 जन जाति)  
 पु० आर० डेगथुग्रामा (लूगलेह, सरक्षित परि-  
 गणित जन जाति)  
 पु० लालबुआइया (आइजल पूर्व सरक्षित  
 परिगणित जन जाति)  
 राय चाद नाथ (बरखोला)  
 राजेन्द्र नाथ बरुवा, (गोलाघाट पूर्व)  
 रमेशचन्द्र दास चौधरी (रातावारी पाथर-  
 कान्दी, सरक्षित परिगणित जन जाति)  
 रमेशचन्द्र बरुवा (डिब्रुगढ़ पूर्व)  
 रामनाथ दास (जोरहाट उत्तर, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 रामप्रसाद चौबे (लखीमपुर)  
 रणेन्द्र मांहन दास (करीमगज)  
 रुपनाथ ब्रह्म (कांभराझार सिदली, सरक्षित  
 परिगणित जन जाति)  
 सहादतअली मण्डल (दक्षिण मलमाग)  
 सन्तोउकुमार बरुवा (गोलांक गज)  
 सरजप्रसाद सिंह (नीताबर)  
 सर्वेश्वर बरुवा (बिहपुर्गिया)  
 शशधर घोष (पानेरी)  
 सिद्धिनाथ शर्मा (रगिया)  
 प्रफुल्लचन्द्र गोस्वामी (नलवाडी दक्षिण)  
 तमीजुद्दीन प्रोधानी (धूवरी)  
 थानूराम गंगै (नाजिरा सोनारि)  
 उषा बडठाकुर (सामगुरी)  
 रिक्त (नागा पहाडिया उत्तर)  
 रिक्त (नागा पहाडिया केन्द्र)  
 रिक्त (नागा पहाडिया दक्षिण)

## बिहार

### राज्यपाल

#### मंत्री

1. मुख्य मंत्री, राजनीतिक तथा नियुक्ति विभाग
2. वित्त, कृषि और श्रम

रगनाथ आर० दिवाकर

- श्री कृष्ण सिन्हा
- अनुग्रहनारायण सिंह

3. लगान, जंगल तथा गृह कर] . . . . . कृष्णवल्लभ सहाय
4. शिक्षा . . . . . बदरीनाथ वर्मा
5. सिचाई और बिजली . . . . . रामचरितसिंह
6. नागरिक पूर्ति तथा स्वास्थ्य ] . . . . . हरिनाथ मिश्र
7. व्यवसाय, यातायात तथा गृचना ] . . . . . महेशप्रसाद सिंह
8. न्याय तथा व्यवस्थापन . . . . . शिवनन्दनप्रसाद मंडल
9. महयोग तथा पशु चिकित्सा . . . . . दीपनारायण सिंह
10. स्थानीय स्वराज्य और पिछड़ी जाति-कल्याण . . . . . भोला पासवान
11. जेल तथा पुनर्वास . . . . . एस० मोहम्मद उज्जर मुः
12. सार्वजनिक कार्य . . . . . मोहम्मद शफी

**उप मंत्री**

1. नोरापद मुखर्जी
2. वीरचन्द्र पटेल
3. अटुल अहमद मुहम्मद नूर

**वित्त**

(लाख रुपये में)

| बजट के आकड़े       | आय    | व्यय  | बचत (+)<br>घाटा (-) |
|--------------------|-------|-------|---------------------|
| 1950-51 (लेखा) .   | 28,97 | 26,05 | +292                |
| 1951-52 (लेखा) .   | 34,30 | 32,82 | +148                |
| 1952-53 (मशौधित) . | 35,77 | 31,36 | +441                |
| 1953-54 (बजट) .    | 33,00 | 33,34 | -34                 |

**शिक्षा**

1952-53 में पटना यूनिवर्सिटी को एक शिक्षात्मक यूनिवर्सिटी बना दिया गया और पटना के सब कालेज उसके अधीन कर दिए गए। बिहार के शेष सब कालेज एक नए बिहार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिए गए।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस उद्देश्य से परिवर्तन किया गया कि राज्य के हाई स्कूलों में धर्मों की शिक्षा को यथेष्ट महत्व दिया जा सके। मैट्रिक्युलेशन परीक्षा अब विश्वविद्यालय के अधीन नहीं रही। इस परीक्षा को अब एक स्कूल परीक्षा बोर्ड के अधीन कर दिया गया है। टुर्की में एक बेसिक शिक्षा का कालेज खोला गया। पौर्वीय विषयों की शिक्षा के सम्बन्ध में नालन्दा पाली सस्था और मिथिला संस्कृत सस्था ने विशेष उन्नति की। काशीप्रसाद जायसवाल अनुसन्धान सस्था ने कुमराहार में खुदाई का काम किया और तिब्बती पाण्डुलिपियों का सम्पादन किया। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के तत्वावधान में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् ने साहित्य का आकिकदाल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया।

**लाख तथा कुषि**

बिहार मे 1952-53 मे अन्न की कमी थी । इसलिए शहरों में 1,846 और गावों में उचित मूल्य की 9,613 दूकानों द्वारा अन्न बाटा गया । इस सम्बन्ध मे लोगो को सहायता देने के लिए और भी कितने ही कार्य किए गए, यथा मुफ्त बीज और गेहूँ बाटना आदि । इन कार्यों पर सरकार ने 360 लाख रुपये व्यय किए ।

2 अक्टूबर 1952 को राज्य मे सामुदायिक विकास कार्यों का प्रारम्भ किया गया । पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार बिहार मे इस तरह की 190 योजनाएं चलाई जाएगी जिन पर 5,729 लाख रुपये व्यय होंगे । 1952-53 मे इन योजनाओं पर 1,223 लाख रुपये व्यय किए गए ।

सिंचाई की छोटी योजनाओं के अनुसार उत्तर बिहार के कुल 300 ट्यूबवैलो मे से 175 ट्यूबवैल गत वर्ष लगा दिए गए और दक्षिण बिहार के 283 मे से 205 । इनके अतिरिक्त विभिन्न नदियों पर 250 चल (मोबाइल) पम्प लगाए गए ।

सिंचाई के मुख्य कार्यों मे गत वर्ष 12 बाढ़ रोकने वाले बाघ पूरे कर लिए गए जिनमे 3 लाख एकड़ भूमि को लाभ होगा । नालियो द्वारा पानी के निष्कासन की 26 योजनाएं जारी की गईं, जिनके द्वारा 77,000 एकड़ भूमि का उद्धार हुआ । इसी तरह कुछ छोटी नदियों का सुधार तथा सिंचाई की नालियो आदि की व्यवस्था भी की गई । साथ ही छोटा नागपुर के कासी और फकीदीह कार्य तथा चम्पारन में 19 मील की बेलवा साथी नहर के कार्य पूरे किए गए ।

**उद्योग**

1953-54 मे मध्यम आकार के उद्योगों के लिए सरकार ने 10 लाख रुपया दिया । छोटे उद्योगो के पुनर्संगठन के लिए 14 श्रेणिया खोली गईं, जिनमे रूई, रेशम, ऊन आदि की बुनाई, बर्तन निर्माण, चाकू छुरी निर्माण, रंगाई छपाई और चमड़े के काम की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया ।

**सार्वजनिक स्वास्थ्य**

मलेरिया और कालाजार को रोकने का विशेष प्रयत्न किया गया । राज्य के 6,49,500 व्यक्तियों की इस सम्बन्ध मे परीक्षा की गई कि उन्हें तपेदिक की बीमारी तो नहीं है । बी० सी बी० के 3 लाख टीके लगाए गए । 1952-53 मे बिहार सरकार ने पटना के तपेदिक केन्द्र मे 69,764 रुपयो से 44 नए विस्तरो का प्रबन्ध किया । इसी तरह ग्रामीण तथा शहरी हलकों मे स्वास्थ्य सुधार और चेचक निरोध के गम्भीर प्रयत्न किए गए । अस्पतालो को चौरफाड़ के नए औजार और दवाइया दी गईं । पटना के मैडीकल कालेज के अस्पताल का विस्तार किया गया और 250 बिस्तरो का एक नया सर्जिकल वार्ड बनाया गया । रांची और भागलपुर मे दो पैथो-लोजिकल अनुसंधान शालाएं खोली गईं ।

**बिहार विधान सभा****अध्यक्ष-बिन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा**

रामेश्वर प्रसाद शास्त्री (मनोर)

जगत नारायण लाल (दानापुर)

बदरीनाथ वर्मा (पटना शहर पश्चिम-नौवतपुर)

मूंगरी लाल (पटना शहर पश्चिम नौवतपुर,

सरक्षित परिगणित जाति)

सैयद महम्मद मेहदी (पटना शहर पूर्व)  
 शिव महादेव प्रसाद (फतुहा)  
 राम खेलावन सिंह (पुनपुन-मसौड़ी)  
 श्रीमती सरस्वती चौधरी (पुनपुन मसौड़ी  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 धनराज शर्मा (बान्दी)  
 लालगिरि त्रिपाठी (एकगरसराय)  
 शिवशरणप्रसाद शर्मा (इसलामपुर सिलाव)  
 महावीर प्रसाद (इसलामपुर-सिलाव संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 जगदीश नारायण सिंह (मोकामाह)  
 राणा शिवलाखपति सिंह (बाढ़)  
 ताजुद्दीन (स्थावा)  
 गिरधरधारी सिंह (बिहार उत्तर)  
 सैयद मुहम्मद अकिल (बिहार दक्षिण)  
 श्रीमती मुन्दरी देवी (ब्रिखियारपुर)  
 श्रीमती मनोरमा देवी (बिहटा)  
 राम लखनसिंह यादव (पालीगज)  
 मजूर अहमद (पकरीबगंज—शर्मलीगज)  
 चेतुराम (पकरीबराव—शर्मलीगज)  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 रामकिसुन सिंह (नवदा हामुआ)  
 शक्तिकुमार (नवादा-हामुआ, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 राधाकृष्ण प्रसाद सिंह (रजौली-बलीगज)  
 महावीर चौधरी (रजौली बलीगज संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 रामेश्वर प्रसाद यादव (अतरी)  
 केशो प्रसाद (गया शहर)  
 जगलाल महतो (शेरघाटी ईमामगज)  
 देवधारी चमार (शेरघाटी ईमामगज, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 जोगेश्वर प्रसाद खलिश (बुद्धगया परध्या)  
 रामेश्वर माझी (बुद्धगया परध्या संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 पौदानी सिंह (अरवल)

रामचरण सिंह (कुर्या)  
 शिवभजन सिंह (जहानाबाद)  
 रामचन्द्र यादव (घोसी)  
 रामेश्वर यादव (मखदूमपुर)  
 मिथिलेश्वरप्रसाद सिंह (टंकारी)  
 रामनरेश सिंह (दाऊद नगर)  
 मुन्द्रिका सिंह (गोह)  
 एस० एम० लतिफुर्रहमान (रफीगंज)  
 प्रियव्रत नारायण सिंह (औरगाबाद)  
 पदार्थ सिंह (आंवरा)  
 अनुग्रह नारायण सिंह (नवीनगर)  
 राम विलास सिंह (बड़हरा)  
 अम्बिकासिंह (आरा मुफ्त्सिल)  
 रगवहादुर प्रसाद (आरा शहर)  
 देव नारायण सिंह (सहार)  
 गुप्तनाथ सिंह (बैनपुर)  
 राम नगीना सिंह (भभुआ मोहनिया)  
 दुलारचन्द राम (भभुआ-मोहनिया, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 जगन्नाथ सिंह (नम, राम-रोहतास)  
 गोविन्द चमार (समारा रोहतास, संरक्षित-  
 परिगणित जाति)  
 बसावन सिन्हा (देहरी)  
 रामचन्द्र राय (रामगढ़)  
 राजाराम राय (इटाही)  
 लक्ष्मीकान्त तिवारी (बक्सर)  
 हरिहर प्रसाद सिंह (डुमराव)  
 लालन सिंह (ब्रह्मपुर)  
 रामानन्द तिवारी (शाहपुर)  
 श्रीमती सुमित्रादेवी (जगदीशपुर)  
 हेमराज यादव (विक्रमगज)  
 रघुनाथ प्रसाद शाह (नोखा)  
 रामानन्द उपाध्याय (दिनारा)  
 राधामोहन राय (तड़ारी-मीरो)  
 देवी दयाल राम (तड़ारी-मीरा, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 शिव कुमार पाठक (कुचायकोट)

कमला राय (गोपालगज)  
अब्दुल गफूर भिया (बरोली)  
शिववचन त्रिवेदी (बंरुाडपुर)  
नन्दकिशोर नारायण (कटैया भोरे)  
चन्द्रिका राम (कटैया-भोरे, संरक्षित परि-  
गणित जाति)

जनार्दन सिंह (मीरगज)  
मोलवी घसीरुल हक (बड़हरिया)  
शकरनाथ (सिवान)  
रामबसावन राम (सिवान, संरक्षित परि-  
गणित जाति)

गदाधर प्रसाद (भैरवा)  
रामायण शुक्ल (दरौली)  
रामानन्द यादव (रघुनाथपुर)  
गिरीश तिवारी (माझी)  
महामायाप्रसाद सिंह (महाराजगज)  
लक्ष्मीनारायण सिंह (एकमा)  
कृष्णकान्त सिंह (बसन्तपुर पश्चिम)  
हरिकिशोर प्रसाद (बसन्तपुर पूर्व)  
बैजनाथ सिंह (मसरख उत्तर)  
सुखदेव नारायण सिंह महथा (मसरख दक्षिण)  
यमुनाप्रसाद सिंह (मरहौरा)  
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र (बनियापुर)  
मुग्लीमनोहर प्रसाद (छपरा कस्बा)  
प्रभुनाथ सिंह (छपरा मुफ्फिसल-गरखा)  
जगलाल चौधरी (छपरा मुफ्फिसल-गरखा,  
संरक्षित परिगणित जाति)

दरोगाप्रसाद राय (परसा)  
रामबिनाद सिंह (दिधकारा)  
जगदीश शर्मा (मोनपुर)  
केदार पाण्डे (बड़ हान-रामनगर)  
विश्वनाथ सिंह (शिकारपुर लौरिया)  
रघुनी बैठा (शिकारपुर-लौरिया,  
संरक्षित परिगणित जाति)

फजुल रहमान (सिकटा)  
सुदामा मिश्र (घनहा)

श्रीमती केतकी देवी (बेतिया)  
श्रीमती पार्वती देवी (नीतन)  
जय नारायण प्रसाद (सगौली)  
हरिवंश सहाय (हरसीडीह)  
गणेशप्रसाद शाह (मोतीहारी पिपरा)  
जमनाराम (मोतीहारी पिपरा, संरक्षित  
परिगणित जाति)  
राधा पाण्डे (रक्सौल)  
रामसुन्दर तिवारी (अदापुर)  
राम अयोध्या प्रसाद (घोडासाहन)  
मौलवी मसूद (ढाका)  
गदाधर सिन्हा (पटाही)  
ब्रज बिहारी शर्मा (मनुवन)  
शिवधारी पाण्डे (गोविन्दगज)  
श्रीमती प्रभावती गुप्त (केसरिया)  
श्रीमती रामदुतारी (मेजरगज)  
डा० गिरजानन्दन सिंह (शिवहर-बेलसन्ड)  
चुल्हई दुसाध (शिवहर बेलसन्ड संरक्षित  
परिगणित जाति)  
राममेवक शरण (मीतामढी दक्षिण)  
कुलदीप नारायण यादव (मीतामढी पश्चिम)  
दामोदर झा (मीतामढी)  
विवेकानन्द गिरी (रूनी सैदपुर)  
महन्त श्यामनारायण दास (पुःरी दक्षिण)  
डा० मोहम्मद हबीबुर्रहमान (पुर्बरी उत्तर)  
तिलधारी महतो (सोनवर्षा फन्तिथर)  
रामचरित्र राय यादव (सुरसन्ड)  
ब्रजनन्दन प्रसाद सिंह (साहबगज)  
रामचन्द्र प्रसाद शाही (वरुगज)  
जमुना प्रसाद त्रिपाठी (बान्डी)  
कपिलदेव नारायण सिंह (कुरहनी)  
बीरचंद पटेल (महुआ)  
फुदेनीप्रसाद (महुआ, संरक्षित परिगणित  
जाति)  
नवलकिशोर प्रसाद सिंह (पारु उत्तर)  
हरिहर शरण दत्त (पारु दक्षिण)  
ललितेश्वर प्रसाद साहू (लालाज),

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| चन्द्रमणि लाल चौधरी (लालगज, सरक्षित परिगणित जाति)    | नरेन्द्रनाथ दास (बहेडा, उत्तर पूर्व)                     |
| सरयूप्रसाद (हाजीपुर)                                 | गजेन्द्र नारायण मिह (सिधिया)                             |
| हरवश नारायण सिंह (राधोपुर)                           | जानकी नन्दन सिंह (मधेपुर)                                |
| जनक सिंह (मीनापुर)                                   | श्रीमती जनक किशोर देवी (हरलाखी)                          |
| मथुराप्रसाद सिंह (कटरा उत्तर)                        | कुंवर महाबल (जयनगर)                                      |
| नीतिश्वर प्रसाद सिंह (कटरा दक्षिण)                   | शकूर अहमद (खजौली)                                        |
| विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा (मुजफ्फरपुर कस्बा)        | देव नारायण यादव (लादनिया)                                |
| महेशप्रसाद सिंह (मुजफ्फरपुर सकरा)                    | हरिनाथ मिश्र (मधुबनी)                                    |
| शिवनन्दन राम (मुजफ्फरपुर—सकरा सर-क्षित परिगणित जाति) | रामकृष्ण महता (मधुबनी सरक्षित परि-गणित जाति)             |
| नथुनीलाल मेहता (पातेपुर)                             | कपिलेश्वर शास्त्री (झरपुर)                               |
| दीपनारायण सिंह (महनार)                               | जोगेश्वर घोष (लौकहा)                                     |
| अब्दुल समी नादवी (जाले)                              | काशीनाथ मिश्र (फुलपारस)                                  |
| रामरूपप्रसाद राय (मोहीउद्दीननगर)                     | श्रीवृष्ण गिन्हा (खडगपुर)                                |
| कपूरी ठाकुर (ताजपुर)                                 | बामुकीनाथ राय (तारापुर)                                  |
| वशिष्ठ नारायण सिंह (बारिस नगर)                       | योगेन्द्र महता (जमालपुर कस्बा)                           |
| घनपति पशवन (बारिसनगर, सरक्षित परि-गणित जाति)         | निराध मुखर्जी (मुंगेर कस्बा)                             |
| यदुनन्दन सहाय (समस्तीपुर)                            | राजेश्वरी प्रसाद सिंह (मुरजगढ लखीसराय)                   |
| सुन्दर महता (समस्तीपुर, सरक्षित परि-गणित जाति)       | भागवतप्रसाद (मुरजगढ लखीसराय, सरक्षित परिगणित जाति)       |
| सहदेव महता (दलसिंहसराय पूर्व)                        | चन्द्रशेखर सिंह (आजा)                                    |
| देवकी नन्दन झा (दलसिंहसराय पश्चिम)                   | दुर्गा मण्डल (लक्ष्मीपुर, जमुई)                          |
| महावीर राउत (रोसेड़ा)                                | गुरू चमार (लक्ष्मीपुर, जमुई, सरक्षित परि-गणित जाति)      |
| बालेश्वर राम (रोसेड़ा, सरक्षित परिगणित जाति)         | कृष्ण मोहन प्यारे सिंह (बरबीघा)                          |
| सईदुल हक (दरभगा)                                     | शाह मुस्ताक साहिब (शेखपुरा सिकन्दरा)                     |
| हृदय नारायण चौधरी (दरभगा उत्तर)                      | रघुनन्दन प्रसाद (शेखपुरा सिकन्दरा सर-क्षित परिगणित जाति) |
| राधाकान्त चौधरी (दरभगा दक्षिण)                       | राम नारायण चौधरी (बरियारपुर)                             |
| बाबूलाल महता (दरभगा दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)    | मिठ्ठन चौधरी (बख्तवारा)                                  |
| मुहम्मद शफी (बेनीपट्टी पश्चिम)                       | रामचरित्र सिंह (तेघरा)                                   |
| सुबोध नारायण यादव (बेनीपट्टी पूर्व)                  | मुहम्मद इलियाम (बेगूसराय उत्तर)                          |
| देवचन्द्र मिश्र (बिरील)                              | सरयूप्रसाद सिंह (बेगूसराय दक्षिण)                        |
| श्रीमती कृष्णा देवी (बहेरा दक्षिण)                   | शिव व्रत नारायण सिंह (बखरी)                              |
| जयनारायण झा (बिनीत) (बहेरा, उत्तर)                   | ब्रह्मदेव नारायण सिंह (बलिया)                            |
|                                                      | झारिकाप्रसाद (खगड़िया)                                   |
|                                                      | जियालाल मण्डल (बस्तिरारपुर—चौधम)                         |



- मिश्री मुंशर (बल्लियारपुर—चौथम, सर-  
क्षित परिगणित जाति)
- बनश्यामसिंह (गोगरी)
- त्रिवेणीकुमार (परबट्टा)
- कामताप्रसाद गुप्त (निर्मली)
- खूबलाल महतो (प्रतापगंज)
- लहटन चौधरी (सुपील)
- बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल (त्रिवेणीगंज मधे-  
पुर)
- भोली सरदार (त्रिवेणीगंज मधेपुर, सरक्षित  
परिगणित जाति)
- रमेश झा (धरहार)
- उपेन्द्र नारायण सिंह (सबदर बाजार सोन-  
वर्षा)
- जोगेश्वर हाजरा (सबदर बाजार मोनवर्मा  
सरक्षित परिगणित जाति)
- शिवनन्दन प्रसाद मण्डल (मुरलीगंज)
- कमलेश्वरी प्रसाद यादव (किशुनगंज)
- तनुकलाल यादव (आलम नगर)
- कुमार रघुनन्दन प्रसाद (नौगछिया बीहपुर)
- रामजन्म महतां (कहुनगांव)
- सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल (भागलपुर कस्बा)
- सैयद मसबूल अहमद (भागलपुर मुफम्मिल)
- रास बिहारी लाल (मुलतानगंज)
- पशुपति सिंह प्रबल (धुरइया अमरपुर)
- भोलानाथ दाम (धुरइया अमरपुर, सरक्षित  
परिगणित जाति)
- राघवेन्द्र नारायण सिंह (बाका)
- शीतलप्रसाद भगत (बेलहर कटोरिया)
- पीरू माझी (बेलहर कटोरिया  
सरक्षित परिगणित जाति)
- सियाराम सिंह (पीरपेती)
- रामनारायण मण्डल (नरपतगंज धराहर)
- बूमरलाल बैठा (नरपतगंज धराहर, संरक्षित  
परिगणित जाति)
- लक्ष्मीनारायण “सुभांशु” (छमदाहा कोर्ही)
- भोला पासवान (छमदाहा कोर्ही, संरक्षित  
परिगणित जाति)
- मोहितलाल पण्डित (रूपौली)
- अनाथकान्त बसु (ठाकुरगंज)
- चौधरी मुहम्मद अफाक (इसलामपुर)
- रावतमल अग्रवाल (किशुनगंज)
- मुहम्मद एहसान (बहादुरगंज)
- मोहिउद्दीन मुस्तार (करनदीघी)
- जीवत्स ‘हिमांशु’ शर्मा (कदवा)
- बोकाय मण्डल (फारबिसगंज)
- पुण्यानन्द झा (पलासी)
- हाजी जियाउर रहमान (अररिया)
- मुहम्मद ताहिर (अमौर)
- अबुल अहद मुहम्मद नूर (बैसी)
- कमलदेव नारायण सिंह (पूर्णिया)
- सुखदेव नारायण सिंह (कटिहार बरारी)
- बाबूलाल माझी (कटिहार बरारी, सरक्षित  
परिगणित जाति)
- श्रीमती पार्वती देवी (आजम नगर)
- जैठा किस्कू (राजमहल दामिन, सरक्षित  
परिगणित जन जाति)
- राम चरण किस्कू (पकोर दामिन सरक्षित  
परिगणित जन जाति)
- बाबूलाल टुडू (गोड्डा दामिन, संरक्षित परि-  
गणित जन जाति)
- विनोदानन्द झा (महगामा)
- बुद्धिनाथ झा “कैरव” (गोड्डा)
- जगदीशनारायण मण्डल (परैयाहाट जार-  
मण्डी)
- चुनका हेमब्रामो (परैयाहाट, जरमुण्डी, संर-  
क्षित परिगणित जन जाति)
- सुपई मुरमु (रामगढ़ संरक्षित परिगणित  
जन जाति)
- देवी सोरेन (डुमका, संरक्षित परिगणित  
जन जाति)
- शत्रुहन बेसरा (जामतारा, सरक्षित परि-  
गणित जन जाति)
- मदन बेसरा (मसलिया, संरक्षित परिगणित  
जन जाति)

|                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| विलियम हेमब्रोम (शिकारीपाडा, संरक्षित परिगणित जन जाति)  | सुकरा उरांव (गुमला, संरक्षित परिगणित जन जाति)              |
| जीतू किस्कू (महेशपुर, संरक्षित परिगणित जन जाति)         | जुनस सुरीन (बसिया, संरक्षित परिगणित जन जाति)               |
| श्रीमती ज्योतिर्भयी देवी, (पकौर)                        | लुकस मुण्डा (खुटी, संरक्षित परिगणित जन जाति)               |
| मुहम्मद बुरहानुद्दीन खा (राजमहल)                        | एस० के० बागे, (कोलेबीरा, संरक्षित परिगणित जन जाति)         |
| भुवनेश्वर पाण्डे (देवघर)                                | अलफ्रेड उरांव (सिमदेगा, संरक्षित परिगणित जन जाति)          |
| जानकीप्रसाद सिंह (मधुपुर सारथ)                          | देवचरण मांझी (चैनपुर संरक्षित परिगणित जन जाति)             |
| गोकुल मेहरा (मधुपुर सारथ, संरक्षित परिगणित जाति)        | बलिया भगत (सेसाई, संरक्षित परिगणित जन जाति)                |
| कृष्ण गोपाल दास (नारायणपुर)                             | इगनसे कुजूर (लोहारदगा, संरक्षित परिगणित जन जाति)           |
| सदानन्द प्रसाद (जमुआ-गावा)                              | राजकिशोर सिंह (हुसैनाबाद—गढवा)                             |
| किशुन राम दास (जमुआ-गावा, संरक्षित परिगणित जाति)        | देवचन्द राम पासी (हुसैनाबाद—गढवा संरक्षित परिगणित जाति)    |
| अवध बिहारी दीक्षित (कोडरमा)                             | कुमारी राजेश्वरी सरोज दाम (नगर उन्तरी)                     |
| पुनीत राय (धनवार)                                       | अमिय कुमार घोष (डाल्टनगज)                                  |
| कृष्णवल्लभ सहाय (गिरिडीह-डुमरी)                         | भुवनेश्वर चौबे (लेसलीगज चतरपुर)                            |
| लक्ष्मण मांझी (गिरिडीह-डुमरी, संरक्षित परिगणित जन जाति) | जीतू राम (लेसलीगज चतरपुर, संरक्षित परिगणित जाति)           |
| तपेश्वर देव (त्रगोदर)                                   | गिरिजानन्दन सिंह (लेटेहार—मनाटू)                           |
| बी० बेंदु (पेतरवार)                                     | भगीरथी सिंह (लेटेहार—मनाटू संरक्षित परिगणित जाति)          |
| अब्दुल कय्यूम असारि (गोमिया)                            | पूर्णन्दु नारायण सिंह (तोपचाची)                            |
| वसन्त नारायण सिंह (रामगढ-हजारीबाग)                      | श्रीमती मनोरमा सिंह (कतरास)                                |
| बिगन राम (रामगढ-हजारीबाग, संरक्षित परिगणित जाति)        | राम नारायण शर्मा (टण्डी-निरसा)                             |
| रामेश्वर प्रसाद महथा (बरही)                             | टीकाराम मांझी (टण्डी—निरसा, संरक्षित परिगणित जन जाति)      |
| नन्दकिशोर सिंह (चम्पारन)                                | पुरुषोत्तम चौहान (धनबाद)                                   |
| कामाख्या नारायण सिंह (बडकागाव)                          | राजा काली प्रसाद सिंह (बलियापुर)                           |
| मुखलाल सिंह (चतरा)                                      | अनन्दा प्रसाद चक्रवर्ती, (काशीपुर रघुनाथपुर)               |
| शोभा भगत (मन्दार, संरक्षित परिगणित जन जाति)             | बुद्धन मांझी (काशीपुर रघुनाथपुर, संरक्षित परिगणित जन जाति) |
| भोलानाथ भगत (रिल्ली)                                    |                                                            |
| पाल दयाल (रांची)                                        |                                                            |
| राम रतनराम (रांची, संरक्षित परिगणित जाति)               |                                                            |
| जगन्नाथ महतो वकील कुर्मी (सोनाहाटू)                     |                                                            |
| नियारन मुण्डा (तमार)                                    |                                                            |
| हरमन लकड़ा (बेरो, संरक्षित परिगणित जन जाति)             |                                                            |

देवशंकर प्रसाद सिंह (पारा चास)  
 शरत मोची (पारा-चास, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 देवेन्द्र नाथ महता (झालदा)  
 सिरीशचन्द्र बनर्जी (बाघमुण्डो)  
 समरेन्द्र नाथ ओझा (पुरुलिया—हुरा)  
 दीनू चर्मकार (पुरुलिया—हुरा, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 सत्य किंकर मेहता (मानबाजार—पटमदा)  
 सरदार नितार्ई सिंह (मान बाजार पटमदा,  
 संरक्षित परिगणित जन जाति)  
 भीमचन्द्र महता (बडा बाजार-चादिल)  
 भईया अतुलचन्द्र सिंह (बडा बाजार-  
 चादिल, संरक्षित परिगणित जन जाति)  
 शुभनाथ देवगम (मनोहरपुर, संरक्षित परि-  
 गणित जन जाति)  
 सुखदेव माझी (चक्रधरपुर संरक्षित परि-  
 गणित जन जाति)

सिदुई हेमश्रोम (कोलहन, संरक्षित परि-  
 गणित जन जाति)  
 अंकुरा हो (जामदा, संरक्षित परिगणित  
 जन जाति)  
 सुरेन्द्र नाथ बिस्म्रा (मनजारी, संरक्षित परि-  
 गणित जन जाति)  
 उजेन्द्र लाल हो (खरसावा, संरक्षित परि-  
 गणित जन जाति)  
 कवि मिहिर (सराय केला)  
 शिव चन्द्रिका प्रसाद (जमशेदपुर)  
 हरिपद सिंह (जुगसलाई—पोतका)  
 कैलाश प्रसाद (जुगसलाई-पोतका, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 मुकुन्दराम तान्ति (घाटशिला बहर गोडा)  
 घनीराम सान्थाल (घाटजिला बहर गोडा,  
 संरक्षित परिगणित जन जाति)  
 एम, मोरिस (नामजद)

### विहार विधान परिषद्

#### सभापति—श्यामाप्रसाद सिन्हा

कृष्ण बहादुर (स्नातक —पटना डिवीजन)  
 सिंहेश्वरी प्रसाद (स्नातक—पटना डिवीजन)  
 सांवलिया बिहारी लाल वर्मा (स्नातक  
 तिरहुत डिवीजन)  
 लक्ष्मीनाथ झा (स्नातक—तिरहुत डिवीजन)  
 रावणेश्वर मिश्र (स्नातक, भागलपुर डिवीजन)  
 अनिल कुमार मेन (स्नातक, छोटा नागपुर,  
 डिवीजन)  
 धर्मराज किशोर (अध्यापक, पटना डिवी-  
 जन)  
 मथुराप्रसाद दूबे (अध्यापक तिरहुत डिवीजन)  
 विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र (अध्यापक भागलपुर  
 डिवीजन)  
 हरगोरी तिवारी (अध्यापक, भागलपुर डिवी-  
 जन)  
 महेन्द्र प्रसाद (अध्यापक, छोटा नागपुर डिवी-  
 जन)  
 शशाक शंखर घोष (अध्यापक छोटा नागपुर  
 डिवीजन)  
 देवशरण सिंह (पटना डिवीजन)  
 महन्थ महादेवानन्द गिरि (पटना डिवीजन)  
 कुमार झा (पटना डिवीजन)  
 शिवनाथ प्रसाद (पटना डिवीजन)  
 विष्णु शंकर (पटना डिवीजन)  
 मथुराप्रसाद सिंह (पटना डिवीजन)  
 ब्रजेन्द्र बहादुर (तिरहुत डिवीजन)  
 कुमार कल्याण लाल (तिरहुत डिवीजन)  
 वैद्यनाथ मिश्र (तिरहुत डिवीजन)  
 ब्रज बिहारी प्रसाद (तिरहुत डिवीजन)  
 राम बहादुर राय (तिरहुत डिवीजन)  
 श्रीनिवास नारायण सिंह (तिरहुत डिवीजन)  
 वीर नारायण चन्द (भागलपुर)  
 जागेश्वर मंडल (भागलपुर)

सागर मोहन पाठक (भागलपुर)

जमुना प्रसाद सिंह (भागलपुर)

मायानन्द ठाकुर (भागलपुर)

कुदरतुल्लाह (भागलपुर)

आर० नरसिंह राव (छोटा नागपुर डिवीजन)

रामप्रकाश लाल (छोटा नागपुर डिवीजन)

अजीतप्रसाद सिंह देव (छोटा नागपुर डिवीजन)

कन्तु कुमार लाल (छोटा नागपुर डिवीजन)

सुबोध कुमार सेन (छोटा नागपुर डिवीजन)

शम्भुनाथ राय (छोटा नागपुर डिवीजन)

अबुल हयात चान्द (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

सैयद अमीन अहमद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

वसन्त चन्द्र घोष (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

रामानन्द चौधरी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

गौरीशंकर डालमिया (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

श्रीमती रामप्यारी देवी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

हकीबुल हक (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

वरियार हेम्ब्रोम (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

जयदेव नारायण सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

जीतूलाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

श्रीमती नझमा खातून हैदर (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

नूरुल्लाह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

राधा गोविन्द प्रसाद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

शाह मुहम्मद औजैर मुनेमि (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

इन्द्रनारायण सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

कुशेश्वर सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

रघुवशप्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

राम शेखर प्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

श्रीकृष्ण सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

कामताप्रसादसिंह ‘काम’ (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

व्यामाप्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

गीता प्रसाद सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

ब्रजेन्द्र नारायण यादव (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

सीताराम यादव (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

मोहनलाल महतो ‘वियोगी’ (नामजद)

जगन्नाथ प्रसाद मिश्र (नामजद)

त्रिदिव नाथ बनर्जी (नामजद)

लेडी अनीस इमाम (नामजद)

नारायणजी (नामजद)

ब्रजनन्दन प्रसाद (नामजद)

फतेह नारायण सिंह (नामजद)

रामेश्वर प्रसाद सिंह (नामजद)

वृजराज कृष्ण (नामजद)

हरेन्द्र बहादुर चन्द्र (नामजद)

रामचरण सिंह (नामजद)

जयदेव प्रसाद (नामजद)

बम्बई

## राज्यपाल

## गिरजाशंकर बाजपेयी

## 1. मुख्य मंत्री तथा गृह, राजनीतिक और सेवा

## विभाग

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| 2. लगान, कृषि और जंगल                            | मुरारजी आर० देसाई      |
| 3. शिक्षा और कानून                               | बी० एस० हिरे           |
| 4. वित्त, मद्यनिषेध तथा व्ययसाय                  | दिनकरराव एन० देसाई     |
| 5. स्थानीय स्वराज्य और सहयोग                     | जीवराज एन० मेहता       |
| 6. सार्वजनिक कार्य                               | एम० पी० पाटील          |
| 7. पुनर्वास, मछली व्यवसाय तथा पिछड़ी हुई जातियाँ | एम० एम० नाथक निम्बालकर |
| 8. श्रम तथा स्वास्थ्य                            | जी० डी० तपासे          |
| 9. नागरिक पूर्ति                                 | शान्तिलाल एच० शाह      |
|                                                  | वाई० बी० चव्हाण        |

## उपमंत्री

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. शिक्षा                     | श्रीमती इन्दुमती चमनलाल |
| 2. सार्वजनिक कार्य            | बी० जे० पटेल            |
| 3. पिछड़ी हुई जातियाँ         | डी० एन० वाण्ड्रेकर      |
| 4. कृषि तथा जंगल              | के० एफ० पाटिल           |
| 5. सार्वजनिक स्वास्थ्य        | बी० डी० नेनी            |
| 6. स्थानीय स्वराज्य तथा सहयोग | बी० डी० देशमुख          |
| 7. मद्यनिषेध                  | टी० आर० नरवाने          |
| 8. लगान                       | एम० जी० फाफा            |
| 9. नागरिक पूर्ति              | बी० के० माड             |

## वित्त

(लख रुपयों में)

| वर्ष के आवक       | आय    | व्यय  | अवशेष (+)<br>अधिशेष (-) |
|-------------------|-------|-------|-------------------------|
| 1950-51 (हिसाब)   | 64,39 | 64,37 | —6                      |
| 1951-52 (हिसाब)   | 62,77 | 62,58 | +12                     |
| 1952-53 (संशोधित) | 64,34 | 68,24 | —390                    |
| 1953-54 (वर्ष)    | 68,84 | 67,76 | +8                      |

## शिक्षा

सन् 1952-53 में बम्बई में 4 करोड़ रुपये अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किए गए, 51,05,000 रुपये स्कूलों की इमारत बनाने पर, 150 लाख रुपये बेसिक शिक्षा पर तथा 50 लाख रुपये शिक्षकों को ट्रेड बनाने पर। कुल नए 16 कालेज बनाने की योजना में से 13 नए कालेज जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए 92,03,000 रुपये स्वीकृत हुए, जिनमें से 14,40,000 रुपये बम्बई राज्य में प्रविष्ट होने वाले नए क्षेत्रों के लिए थे। टेक्निकल तथा

घंघों की शिक्षा के लिए 1,35,00,000 रुपये खर्च किए गए। माध्यमिक शिक्षा देने वाले कुछ स्कूलों को टेक्निकल शिक्षा देने वाले स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। नए पुस्तकालयों के लिए, 24,41,000 रुपये स्वीकृत हुए और 10 लाख रुपये व्यवहारिक शिक्षा के लिए।

### खाद्यान्न तथा कृषि

कृषि सम्बन्धी नए कानूनों के अनुसार कृषि भूमि का लगान उपज का  $\frac{1}{8}$  नियुक्त किया गया जबकि पहले वह सिंचाई रहित भूमि का एक तिहाई और सिंचाई वाली भूमि का एक चौथाई था। कानून द्वारा कृषि की भूमि किराए पर लेने के कुछ दूषित प्रकार के प्रचलित ढंग बन्द कर दिए गए। राज्यों में जो नए क्षेत्र मिले थे, उनकी ओर इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया गया। इन सुधारों का उद्देश्य यह था कि किसानों का भाग बीच की अनावश्यक पार्टियों को न मिलने पावे।

1952-53 में सरकार ने अच्छे बीज और खाद बांटने का प्रयत्न किया। सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाई गईं और गेहूँ, चावल, दाल, गन्ना आदि की उपज के सम्बन्ध में उपयोगी अनुमधान किए गए। 53 लाख के व्यय से मेशवा नहर कार्य पूरा कर लिया गया। इस समय राज्य में 6 बड़े और 10 छोटे सिंचाई के कार्यों का निर्माण जारी है, जिन पर एक करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। केन्द्र की सरकार से उधार लेकर राज्य की सरकार ने 587 कार्य पूरे कर लिए हैं और 661 कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

अच्छे पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र खोले गए हैं। राज्य में 14 मुख्य केन्द्र ग्राम बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 500 गऊओं को रखा गया है। बम्बई के निकट ‘आरे दुग्ध उपनिवेश’ बसाया गया है जहाँ से सम्पूर्ण बम्बई नगर को वैज्ञानिक ढंग से शुद्ध किया हुआ दूध उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकेगा। इस उपनिवेश में आजकल 12,000 दूध देने वाले पशु हैं और प्रतिदिन 3,200 मन दूध प्राप्त होता है।

पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार बम्बई राज्य में आयोजना पर 146 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। जिनमें से 130 करोड़ रुपये राज्य की सरकार देगी। अभी तक विकास की विभिन्न योजनाओं पर 53 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। सामूहिक विकास योजना के कार्यक्रम के लिए राज्य में 13 ब्लाक बनाए गए हैं, जिनमें 1,233 गांव हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 7,07,994 एकड़ है और आबादी 1,22,859।

बिजली शक्ति के लिए 7 मुख्य योजनाएँ जारी की जा रही हैं। ये हैं—कोल्हापुर की राधा-नगरी जल विद्युत् स्कीम और पचगंगा का विद्युत् गृह, जोंग विभाजन स्कीम, चोला वा बिजली घर, दक्षिण गुजरात की बिजली स्कीम और सतारा जिले का कंथना कार्य।

### व्यवसाय

1948 के फैक्टरी कानून के अनुसार राज्य में 7,000 फैक्टरियाँ रजिस्टर्ड हैं। पिछले वर्ष कितनी ही नई कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए। जिनमें सीमेंट, कागज, दवाइयाँ, रेडियो सेट, स्टूडियो का सामान, पेट्रोल, प्लास्क, बैटरी आदि बनाने की फैक्टरियाँ भी थी। इन कारखानों पर 6,57,79,000 रुपये लगा हुआ है। छोटे व्यवसायों को सहायता देने के लिए राज्य ने एक व्यावसायिक साख संस्था की स्थापना की, जिसे 2 करोड़ रुपये विभिन्न व्यवसायों को उधार देने के लिए दिए गए। व्यवसायों के लिए एक सलाहकार समिति भी बनाई गई है। विकास योजना के अनुसार व्यावसायिक संगठन की समस्याओं पर विचार करने और उन्हें सुलझाने के लिए इस संस्था को 125 लाख रुपये दिए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा तथा टेक्निकल शिक्षा देने वाली संस्थाओं का शीघ्रता से विकास किया जा रहा है।

राज्य में विभिन्न व्यवसायों में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन भी निश्चित कर दिया गया है। बम्बई का व्यवसाय सम्बन्धी कानून चीनी के कारखानों पर भी लागू किया गया। जनकल्याण का काम करने वाले केन्द्रों के लिए 38,78,000 रुपये खर्चे किए गए हैं।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

1945-46 में बम्बई में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केवल 164 लाख रुपये व्यय किए जाते थे, 1952-53 में यह व्यय बढ़ कर 461 लाख हो गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान देने तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने का परिणाम यह हुआ है कि मृत्यु मृत्यु 1,000 के पीछे 25.5 से घट कर 18.31 हो गई है; बच्चों की मृत्यु प्रति हजार पीछे 160.83 से घट कर 128.66 हो गई है और जच्चाओं की मृत्यु सख्ता प्रति 1,000 के पीछे 6.92 से घट कर 5.38 हो गई है।

ग्रीष्म के तपेदिक अस्पताल में शरणार्थियों के लिए 50 अतिरिक्त विस्तरों का प्रयत्न किया गया है। 30,89,000 रुपये में एक नया अस्पताल खोलने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। मलेरिया की रोकथाम के लिए 1,27,22,000 रुपये व्यय किए गए और डी० डी० टी० का कारखाना लगाने के लिए 40 लाख रुपये दिये गये। 1953 में बम्बई में 23 मलेरिया निरोधक केन्द्र थे। बम्बई राज्य की 3,50,00,000 आबादी में से 1,17,20,000 व्यक्तियों ने डी० डी० टी० से लाभ उठाया। 22,48,000 रुपये से 5 नए अस्पताल खोले गए और शोलापुर के कांड़ी उपनिवेश के लिए डेढ़ लाख रुपये की रकम रखी गई।

बम्बई के मेडिकल प्रेडिक्शनर कानून में सुधार किया गया और उसके द्वारा अधमिविधे लोगों को चिकित्सा करने में मना कर दिया गया। डैण्टल कौमिल की रचना में भी सुधार किया गया और आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणालियों को मंगठित करने का प्रयत्न किया गया। नर्सों और दाइयों के नियंत्रण के लिए भी एक कानून बनाया गया। दवाइयों के विशुद्ध निर्माण के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही की गई।

### बम्बई विधान सभा

अध्यक्ष : डी० के० कुन्टे

|                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| मोहम्मद ताहिर हबीब (अग्निपाडा-मदनपुरा-फारसरोड-चूना भट्टी) | शामप्रसाद रूपशंकर वसीवदा (अहमदाबाद शहर नं० 5)                       |
| भवानीशंकर बापुजी मेहता (अहमदाबाद शहर)                     | मोरारजी आर० देसाई (अहमदाबाद शहर नं० 6-7)                            |
| वृजलाल केशवलाल मेहता (अहमदाबाद शहर नं० 1)                 | केशवजी रणछोड़जी वघेला (अहमदाबाद शहर नं० 6-7, संरक्षित परिगणित जाति) |
| जयकृष्ण हरिवल्लभदास पटेल (अहमदाबाद शहर नं० 2)             | मदनमोहन मंगलदास (अहमदाबाद शहर नं० 8)                                |
| श्रीमती इंदुमती चिमनलाल (अहमदाबाद शहर नं० 3)              | विठ्ठल गणपत कुटे (अहमदनगर)                                          |
| हम्मद शरीफ अलारखजी छीपा (अहमदाबाद शहर नं० 4)              | भास्कर तुकाराम औटी (अहमदनगर-पारनेर)                                 |

मडिवालप्पा बंडप्पा कवाडी (अक्कलकोट—  
दक्षिण शोलापुर)

गणपत लक्ष्मण सोनवणे (अक्कलकोट—दक्षिण  
शोलापुर, संरक्षित परिगणित जाति)

दत्ता आप्पाजी देशमुख (अकोला—सगमनेर)  
गोपाल श्रवण भागरे (अकोला—सगमनेर,  
संरक्षित परिगणित जाति)

दत्तात्रय काशीनाथ कुन्टे (अलीबाग)

नामदेव यादव पाटील (अमलनेर)

अण्णासाहब गोपालराव आवाटे (अम्बगाव)  
जीवराज नारायण मेहता (अमरेली—  
दामनगर)

शन्भूभाई महजीभाई पटेल (आनंद उत्तर)  
नटवरसिंहजी केसरीसिंहजी सोलंकी (आनंद  
दक्षिण)

हरिमिहजी भगुभाई (अंकलेश्वर—हंसोट—  
जगादिया—वालिआ)

मोहन नरसी (अंकलेश्वर—हंसोट—जगादिया  
वालिआ, संरक्षित परिगणित जनजाति)

वालमो पुरसो कदम (अंकोला—कारवार)

नरसगौडा येलगौडा पाटील (अ नी)

पदमप्पा हिरियप्पा गुजाल (अथनी—चिकोडी)

वेळनगौड हनमन्त गौड पाटील (बदामी)

बमप्पा तम्मन्ना मुर्नाल (बागलकोट)

होलीवसाप्पा शिर्वांगप्पा मेग्गुड  
(बैलहोंगल)

चतुरभाई जेठाभाई चौहाण (बालासीनोर—  
कपाडवज)

दत्तात्रय नथोवा वाद्रेकर (वांद्रा—खार-  
ज्ह)

मधुभाई जयसिंह पटेल (बंसदा—दक्षिण  
व्यारा, संरक्षित परिगणित जनजाति)

गुलाबराव दादासाहब मलिक (बारामती)

माकनजी पुरुषोत्तम पटेल (बारडोली-  
बालोद—पलसाना—महुवा)

खुशालभाई धनाभाई धोदिया (बारडोली—  
बालोद—पलसाना—महुवा, संरक्षित  
परिगणित जनजाति)

छोटाभाई जवेरभाई सुतारिया (बडौदा  
शहर)

मगनभाई शकरभाई पटेल (बडौदा—बाघो-  
डिया)

मीठाभाई रामजीभाई चौहाण (बडौदा—  
बाघोडिया, संरक्षित परिगणित जाति)

तुलसीदास सुभर्णराव जाधव (बारसी—माधा)

नरसिंग तात्या देशमुख (बारसी उत्तर)

सदानन्द गोपाल वार्ती (बसीन)

सदाशिवराव बापुराव भोसले उर्फ कुत्रे  
(बेलगाम—ग्रामीण)

भुजग केशव दलवी (बेलगाम शहरी)

मोतीराम शामराव सूर्यवंशी (भादगावम—  
चालीसगाव)

जलमखा सादेबजखा ताडवी (भादगाव—  
चालीसगांव, संरक्षित परिगणित जन-  
जाति)

मुस्तफा गुलाम नबी फकी (भिवडी—  
मुरबाद—पूर्व कल्याण)

पाण्डुरंग धर्माजी जाधव (भिवडी—  
मुरबाद—पूर्व कल्याण, संरक्षित परि-  
गणित जाति)

नामदेव सदाशिव मोहोल (भोर—वेल्हे—दक्षिण  
मुलशी)

विश्वनाथ तुकाराम पाटील (भूधरगड—  
अजरा)

कोदरदास कालीदास शाह (भूलेश्वर मार्केंट)

नीलकण्ठ गणेश साने (भुसावल—जामनेर)

केशव राघव वानखेडे (भुसावल—जामनेर, संर-  
क्षित परिगणित जाति)

मल्लनगौड रमणगौड पाटील (बीजापूर)

कैलाशनारायण शिवनारायण नरोला उर्फ

डा० कैलाश (बोरी बन्दर—मरीन

लाइन्स) माधव कृष्ण देशपांडे (बोरिवली)

शिवाभाई रणछोडभाई पटेल (बोरसद न० I)

ईश्वरभाई खुदाभाई चावड़ा (बोरसद  
न० 2)



दिनकरराव नरभेराम देसाई (भडोच)

अमूल मगनलाल देसाई (बलसार—चिखली)

भूलाभाई नारनभाई पटेल (बलसार—चिखली, संरक्षित परिगणित जनजाति)

अगलेभाई अब्दुल कादर (चकला—माडवी चीच बन्दर)

रामदास किलाचंद (चानसमा—हारिज-पाटण)

खेमचन्दभाई एस० चावडा (चानसमा हारिजपाटण, संरक्षित परिगणित जाति)

विठ्ठल सीताराम पाटील (चांदगड)

माधवराव लक्ष्मणराव जाधव (चांदोर—कलवान—बगलान)

डोंगर रामा मोरे (चांदोर—कलवान—बगलान, संरक्षित परिगणित जाति)

नौशीर गुरसेठजी भरुष (चौपाटी—ग्रांट रोड—तारदेव)

रतीलाल बेचरदाम मेहता (चेम्बूर—घाट-कोपर और अन्ध गांव और सीव, उत्तर)

भंजीभाई गरबन्धभाई तडवी (छोटा उदेपुर, संरक्षित परिगणित जनजाति)

शंकर दादोबा कोठावले (चिकोडी)

श्रीमती राधाबाई मातुरी श्रेयकर (चिकोडी, संरक्षित परिगणित जाति)

वसन्तराव लखगौड पाटील (चिकोडी-राय-बाग)

भागीरथ सदानन्द झा (चिचपोकली—लोअर परेल—लव ग्रोव)

बापू चन्द्रसेन काम्बले (चिचपोकली—लोअर परेल—लव ग्रोव, संरक्षित परिगणित जाति)

तुकाराम कृष्ण शेट्टे (चिपलूण—खेड)

मुडकोजी बाबूराव खेडेकर (चिपलूण—खेड, संरक्षित परिगणित जाति)

मानुशंकर मंधाराम याज्ञिक (चीरा बाजार—ठाकुरद्वार—फणसवाडी)

माधव गोटे पाटील (चोपडा)

कल्याणजी विठ्ठलभाई मेहता (चौरासी)

नाथालाल डायभाई परेल (कोलाबा-फोर्ट)

अम्बालाल छोटालाल शाह (दुभोई)

त्रिम्बक रामचन्द्र नरवाने (दादर—सैतानचौकी)

शामराव रामचन्द्र पाटील (डहानू-उम्बर गांव)

भीमरा रडका रूपजी (डहानू—उम्बर गांव, संरक्षित परिगणित जाति)

रावसाहेब भाऊसाहेब थोरात (डाम्स—सुरगना पीट—दिन्डोरी)

अनन्त लहानू जाधव (डाम्स—सुरगना—पीट दिन्डोरी, संरक्षित परिगणित जनजाति)

वजुद्दीन अहमद परकत (दापोली खेड)

छोटालाल जीवाभाई पटेल (दसकोरी)

पोपटलाल मूलशकर जोशी (दीसा—धनेरा)

जीवनभाई खोडीदास (देहगाम)

शान्तीलाल स्वरूपचन्द शाह (देवदार—काकरेज, वाव-थराड)

जोइटा अजाजी सोलकी (देवदार—काकरेज, वाव-थराड, संरक्षित परिगणित जाति)

वामन नागोजी राणे (देवगड)

गुलाम रसूल मिया साहब कुरेशी (धन्दुका)

भीखाभाई जीनाभाई, अतारा (धरमपुर, संरक्षित परिगणित जनजाति)

बसवराज अयाप्पा देसाई (धारवार)

बसवन्नप्पा रामप्पा तम्बाकड (धारवार—कलघटकी)

माणेकलाल चुन्नीलाल शाह (धोलका)

नवल आनंद पाटील (धुलिया)

सोनुजी देवराम वानखेदर (धुलिया, संरक्षित परिगणित जाति)

जयसिंह मानसिंह सोलकी (दोहड, संरक्षित परिगणित जनजाति)

विठ्ठलराव नानासाहेब पाटील (पूर्व सतारा)

यसिंह दौलतसिंह राऊल (पूर्व शहाडा—सिन्धखेडा—नन्दुरवार)

तुकाराम हुराजी गाविट (पूर्व शहाडा—सिन्ध खेडा—नन्दुरवार, संरक्षित परिगणित जाति)

माफतलाल मोतीलाल पटेल (पूर्व सिद्धपुर)  
 एकनाथराव सम्पतराव पाटील (एदलाबाद)  
 सीताराम हीराचन्द बोर्ला (एरंडोल)  
 कुबेरप्पा पराप्पा गदग (गदग)  
 चनबसप्पा सदाशिवाप्पा हुलकोटी (गदग-  
 मुडगर्गी)  
 महादेव दंडाप्पा श्रेष्ठ (गडहिंग्लज)  
 कीकूभाई गुलाबभाई नाइक (गणदेवी)  
 भगवान भाभाभाई वारद (धोधो—कोडी-  
 नार)  
 श्रीमती लीलावती धीरजलाल बैकर  
 (गीरगाव—खेतवाडी)  
 डायामाई लल्लामाई राजपूत (गोधरा)  
 अण्णप्पा रामप्पा पचगवी (गोकाक)  
 महादेव रामचन्द्र पवार (गुहागर)  
 मडीवलप्पा रुद्रप्पा पट्टणसेट्टी (गुलेदगुड-  
 कमतगर्डी)  
 रामचन्द्र गोपाल कामत (हलिया येल्लापुर—  
 सुपल)  
 सिद्धप्पा चनबसप्पा सिन्धूर (हनगल)  
 बाबा साहब भाऊ साहब खंजीरे (हाटकनागले)  
 दत्तात्रय शान्तराम पोवार (हाटकनागले,  
 सरक्षित परिगणित जाति)  
 मार्तण्ड धोंडीबा मगर (हवेली घोड)  
 गणपत सम्भाजी खराट (हवेली घोड, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 जी० वी० हल्लीकेरी (हवेली)  
 परषोत्तम जदुराव गिवेदी (हिम्मतनगर)  
 खेमजी रूपाजी गरसिया (हिम्मतनगर, सर-  
 क्षित परिगणित जनजाति)  
 शंकरगौड यशवन्तगौड पाटील (हिप्पगर्गी  
 बागेवाडी)  
 वी० वी० पाटील (हीरेकेरूर)  
 रामकृष्ण नरसिंह कामत (होनावर)  
 आनन्दप्पा सिद्धप्पा काम्बली (हुबली)  
 धरमाप्पा यलाप्पा साम्बान (हुबली, सरक्षित  
 परिगणित जाति)

मालगौड पुनागौड पाटील (हुकेरी)  
 शिवलिंगाप्पा रुद्राप्पा कन्ठी (हुनगुड)  
 दलजीतसिंह जी हिम्मतसिंह जी (इडर)  
 शकरराव बाजीराव पाटील (इन्दापुर)  
 मल्लपा करबसप्पा सुरपुर (इन्डी सिन्दगी)  
 लक्ष्मण जेट्टप्पा कवाडी (इन्डी सिन्दगी, सर-  
 क्षित परिगणित जाति)  
 सदाशिवराव दाजी पाटील (इस्लामपुर)  
 गुलाम रसूल हाजी हसन भगवान शेख (जलगांव  
 —म्हसवड)  
 भगवान बुधाजी खंडकरे (जलगाव—म्हसव,  
 सरक्षित परिगणित जाति)  
 छोटामाई माकनभाई पटेल (जम्बूसर)  
 बसप्पा दानप्पा जत्ती (जमखंडी)  
 विजयसिंहराव रामराव दाफले (जथ)  
 बाबासाहेब जगदेवराव शिन्दे (जावली—  
 महाबलेश्वर)  
 लालचन्द धूलामाई नीनामा (झालोद, सरक्षित  
 परिगणित जनजाति)  
 दत्तात्रय अमृतराव धोबले (जुन्नार)  
 पुरुषोत्तमदास रणछोडदास पटेल (कडी)  
 मल्हारराव राजारामराव देसाई (कागल)  
 भगवानदास मायाचन्द सेठ (कलोल)  
 मोहनभाई मानाभाई राठौड (कलोल)  
 खानचन्द गोपालदास (कल्याण सेन्ट्रल—  
 कल्याण कैम्प)  
 कानजी गोविन्द करसन (कल्याण-पश्चिम)  
 विश्वनाथराव राजन्ना तुल्ला (कामाठीपुरा—  
 नागपाडा)  
 केशव व्यंकटेश राणे (कनकवली)  
 शंकरलाल हरजीवनदास शाह (कापडवंज)  
 यशवन्त बलवन्त चव्हाण (कराड उत्तर)  
 यशवन्तराव जीजाबा मोहिते (कराड दक्षिण)  
 चीनूभाई किशोरभाई पटेल (कर्जें  
 सिनौर)

नामदेव महादेव जगताप (करमाला)  
 नारायण तुकाराम सरनाईक (करबीर)  
 गन्डू दशरथ पाटील (कव-महन्काल  
 (मीरज) तासगांव पूर्व]  
 बसप्पा शिर्दलिंगप्पा अरगावी (खानापूर)  
 दत्ताजीराव भाऊसाहेब देशमुख (खानापूर)  
 लक्ष्मण बाबाजी भिंगारदेव (खानापूर,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 ईशाकभाई अम्बासभाई बन्दूकवाला (खारा  
 तलाव—कुम्बारवाडा)  
 तात्या आनन्दराव जाधव (खटावा)  
 पन्ढरीनाथ रामदास कबीरबुवा (खेड)  
 शंकरजी ओखाजी ठाकोर (खेरालू)  
 बलवन्त धोंडो बारले (कोल्हापूर शहर)  
 खादिरसाब अब्दुलसाब शेख (कोभूर)  
 जगन्नाथ शंकर बारहाटे (कोपर गांव)  
 शंकरराव गणपतराव धारगे (कोरेगाव)  
 जगन्नाथ सीताराम धोन्ड (कुडाल)  
 रामकृष्ण बीरन्ना नाईक (कुमटा होनावर)  
 इन्द्रवदन मनमोहनराय ओझा (कुर्ला—  
 बान्द्रा पूर्व)  
 माधव दत्तात्रय देसाई (लालबाग परेल)  
 विठ्ठल गणेश कालम्बटे (लान्जा)  
 जयन्तीलाल झवेरभाई पटेल (लूनावाडा—  
 सन्तरामपुर)  
 तेरसिंह मोतीसिंह भाभूनोर (लूनावाडा—  
 सन्तरामपुर, संरक्षित परिगणित जन-  
 जाति)  
 बाबूराव बाजीराव पाटील (माढा मोहोल)  
 मुहम्मद अब्दुल लतीफ (माहीम धारावी)  
 शंकरराव नारायणराव मोहिते (मालसीरास)  
 श्रीपाद सदाशिव महाजन (मालवण)  
 शिवप्पागौड बापुगौड पाटील (मानगोली—  
 बाबलेश्वर)

शान्ताराम लक्ष्मण पेजे (मन्डनगड— दापोली)  
 प्रभाकर रामकृष्ण देशमुख (मानगांव—  
 म्हसला—महाड)  
 दत्तात्रय मालोजी तलेगांवकर (मानगाव—  
 म्हसला—महाड, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 माधवीलाल भाईलालभाई शाह (मातर  
 कम्बे)  
 अलाभाई, नाथूभाई (मातर कम्बे,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 सालवती सुब्रमण्यम (माटुंगा सीव—  
 कोलीवाडा)  
 वीरधवल यशवन्तराव दाभाडे (मावल—  
 उत्तर मुलशी)  
 एम० यू० मसकरणहास (मजगाव घोडपदेव)  
 मानकलाल चुन्नीलाल मोदी (मेहमदाबाद)  
 हरगोविन्दभाई धनाभाई पटेल (मेहसान—  
 उत्तर पाटण)  
 केशवलाल भोलीदास पटेल (मेहसाना दक्षिण)  
 विश्राम हरी पाटील (मेवासा—तलोडा—  
 अकरानी—पश्चिम शहाडा)  
 जनार्दन फोयारिया बलवी (मेवासा—  
 तलोडा—अकरानी—पश्चिम शहाडा,  
 संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 श्रीमती श्रीमतीबाई चारुदत्त कलंटे (मीरज)  
 रमणलाल पीताम्बरदास सोनी (मोडासा-  
 मेघराज)  
 लडकू नाऊर भोयर (मोखाडा—वाडा—  
 शाहापुर)  
 अमृत राधो पवार (मोखाडा—वाडा—  
 शाहापुर, संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 प्राणेश गुरभट्ट सिद्धान्ती वकील (मड्डेबीहाल)  
 हीरालाल बन्दूलाल शाह (मुधोल)  
 भास्कर नारायण दीधे (मुरुड श्रीवर्धन)  
 उदयसिंह वीरसिंह बडोदिया (नाडियाद उत्तर  
 बाबूभाई जशभाई पटेल (नाडियाद दक्षिण)

दलपत उर्फ दामाजी बूचर (नांदोड—डेडी-  
पाडा—सागबारा, संरक्षित परिगणित  
जनजाति)

पाण्डुरंग महादेव मुरकुटे (नासिक—इगतपुरी)  
दत्तात्रय तुलसीराम काले (नासिक—इगतपुरी  
सरक्षित परिगणित जाति)

भीका त्रिम्बक पवार (नासिक—इगतपुरी,  
सरक्षित परिगणित जनजाति)

भूलाभाई दूलाभाई तडवी (नसवाडी, संर-  
क्षित परिगणित जनजाति)

आदिवेष्पागौड शीदन्नागौड पाटील (नवल-  
गुड—नारगुड)

लल्लूभाई माकनजी पटेल (नवसारी)

नारनभाई माधवभाई राठोड (नवसारी,  
सरक्षित परिगणित जाति)

यशवत सखाराम देसाले (नवपुर-सकरी)  
बकाराम मुकाराम कोकणी (नवपुर—सकरी,  
सरक्षित परिगणित जनजाति)

मोहम्मद साबिर अब्दुल सत्तार (उत्तर-  
मालेगाव)

श्रीमती राजे निर्मला देवी विजयसिंह भोसले  
(उत्तर शोलापुर)

मोहनलाल वृजभाई सेजलिया (ओल्हा-  
मण्डल—धारी खम्बा)

छोटूभाई वनमालीदास पटल (ओलपाड-  
मंगरौल—माडवी—कामरेज)

प्रभुभाई धनाभाई पटेल (ओलपाड मंगरौल-  
माडवी—कामरेज, संरक्षित परिगणित जनजाति)

जुलानसिंह शंकरराव—पाटेल (पाचोरा)

जसवन्तलाल सौभाग्यचन्द शाह (पादरा)

यूसुफ मियाजी (पालणपुर—डीसा)

गलबा नानजी चौधरी (पालनपुर—आबू-  
वडगाम—दांसा)

गामा फाता वासिया (पालनपुर—आबू-वडगाम  
डांसा, संरक्षित परिगणित जनजाति)

मारुती पद्माकर मेहेर (पालघर—जव्हार)

त्रिम्बक भाऊ मुकणे (पालघर—जव्हार, संर-  
क्षित परिगणित जनजाति)

जयवन्त घनश्याम मोरे (पन्ढरपुर—मंगल-  
वेढा)

मारुती महादेव काम्बले (पन्ढरपुर—मंगलवेढा,  
सरक्षित परिगणित जनजाति)

आत्माराम पाण्डुरंग सावन्त (बावडा—पन्हाला)  
नरहर परशुराम ठोसर (पनवेल—कजंत-

माथेरान—खालापूर)

मनोहर कुशावा पडीर (पनवेल कजंत—माथेरान-  
खालापूर, संरक्षित परिगणित जनजाति)

हेमप्पा वीरभद्रप्पा कौजलगी (परसगड)  
रेवला मुकर पटेल (पारडी)

भगवन्तराव दामोदर देशमुख (परोला)

दौलतराव श्रीपतराव देसाई (पाटण)

माधव मारुती नीरहाली (पत्थरडी)

अम्बाजी तुकाराम पाटोल (पेण—उरण)

भास्कर रामभाई पटेल (पेटलाद—उत्तर)

मणीभाई प्रभुदास परीख (पेटलाद—दक्षिण)

भालोजीराव नाईक निम्बालकर उर्फ नाना  
साहेब (फ्लटन—मान)

गणपतराव देवजी तपासे (फ्लटन—मान,  
संरक्षित परिगणित जनजाति)

दिगम्बर विनायक पुरोहित (पोलादपुर—महाड)

विनायक कृष्ण साठे (पूना शहर सेन्ट्रल)

श्रीमती मालती माधव शिरोले (पूना शहर  
उत्तर-पश्चिम)

पोपटलाल रामचन्द्र शाह (पूना शहर दक्षिण  
पूर्व)

श्रीधर महादेव जोशी (पूना शहर दक्षिण—  
पश्चिम)

गोपालदाम बेणीदास पटेल (प्रातिज—बयाड-  
मालपुर)

पुरुषोत्तम जेठाभाई सोलकी (प्रातिज—बयाड—  
मालपुर, संरक्षित परिगणित जनजाति  
असंगठित)

माधवराव नारायणराव मेमाने (पुरन्धर)  
 ज्ञानदेव सन्तराम खाण्डेकर (राधानगरी)  
 लक्ष्मणराव माधवराव पाटील (राहुरी)  
 सीताराम मुरारी सूबेदार (राजापुर)  
 हनुमन्त यैल्लाप्पा मूम्बरड्डी (रामदुर्ग)  
 कल्लनगौडा फकीरगौडा पाटील (रानेबेन्नूर)  
 सीताराम नाना सूर्वे (रत्नागिरि)  
 धनजी महारू बोन्डे (रावेर)  
 मासती सीताराम सावन्त (रोहा सुधागड)  
 अंदानेप्पा ज्ञानप्पा दोडुमेटी (रोग)  
 शान्तिलाल त्रिकमलाल (साणद)  
 बसन्तराव बन्दु पाटोल (सागली)  
 रामदास भाऊमाहेव शिरके (सगमेश्वर)  
 केशवराव श्रीपतराव राऊत (सगोला)  
 भाना भाई गुलाबभाई तडवी (सखेडा  
 सरक्षित परिगणित जनजाति)  
 भाणकलाल नाथलाल वखारिया (सन्तालपुर—  
 राधनपुर—सामी)  
 प्रतापराव देवराव भोसले (सावन्तवाडी)  
 मणीलाल हरगोविन्ददास पाठक (सावली)  
 प्रतापसिंह हीराभाई पटेल (सेहरा—लीमखेडा—  
 पूर्व हरिया)  
 वीरसिंह कानजीभाई निसारता (सेहरा—  
 लीमखेडा—पूर्व हरिया, सरक्षित परिगणित  
 जनजाति)  
 माधव गणपतराव माने (सिवरी—काला चौकी  
 —नायगाम—बडाला)  
 सीताराम नामदेव शिवतरकर (सिवरी—काला—  
 चौकी—नायगाम—बडाला, सरक्षित परि-  
 गणित जनजाति)  
 रंगराव नामदेव पाटल (शाहवाडी)  
 त्रिम्बक शिवराम भारडे (शिवगांव)  
 मलप्पा बमप्पा ठुरालिकोप्पी (शेगांव)  
 वेकटेश तिममन्ना मागडी (शिरहट्टी)  
 राजाराम तुकाराम बागडे (शिरोल)  
 श्रीमति सरोजिनी कृष्णराव बाबर  
 (शिरला-वलवा)

गजमल दलपत मास्की (शिरपुर)  
 शिवराव भवानराव धोरात (श्रीगोंडा)  
 बाबूराव महादेव भारसकर (श्रीगोंडा,  
 सरक्षित परिगणित जाति)  
 भाऊराव गोविन्दराव चौगुले (श्रीरामपुर—  
 नेवासा)  
 गोविन्द दत्तात्रेय साने (शोलापुर शहर  
 दक्षिण)  
 शिवशकर मल्लप्पा धनशेट्टी (शोलापुर शहर  
 उत्तर)  
 तिममप्पा मनिप्पा भोटनसर (सिद्धपूर  
 सिरसी—मुन्डगोड)  
 नारायण सहदेव पाटील (सिन्धखेडा)  
 वसन्त नारायण नाम्नीक (सिन्नर—नीफाड)  
 अमृतराव धोन्डिवा रनखम्बे, (सिन्नर—नीफाड,  
 सरक्षित परिगणित जनजाति)  
 विठ्ठल दत्तात्रेय घाटे (सिन्नर)  
 वनमाली तागनिया चौधरी (सोनगड उत्तर  
 ब्यारा, सरक्षित परिगणित जनजाति)  
 भाऊसाहेब सखाराम हीरे (दक्षिण मालेगाव—  
 उत्तर नांदगाव)  
 गोर्धनदास रणछोडदास चोखावाला (सूरत  
 शहर पूर्व)  
 मोहम्मदहुसैन अब्दुस्समद गोलन्दाज (सूरत  
 शहर पश्चिम)  
 सयाजी लक्ष्मण सिलम (टेक पाखडी-वाईक-  
 कालाचौकी पश्चिम)  
 दत्ताजीराव भाऊराव सूर्यवंशी (तासगांव—  
 पश्चिम)  
 माधव विनायक हेडगे (थाना)  
 फजले अब्बास तैय्यबअली जमीदार (थासरा)  
 चनबसप्पा जगदेवप्पा अम्बली (तिकोटा—  
 विलगी)  
 भवानी शकर पद्मनाथ दिवगी (उमरखाडी—  
 डागरी—वाडी बन्दर)  
 इब्राहीम अली पटेल (वागरा—आमोद)

परशराम कृष्णाजी सावन्त (वेन्गुर्ला)  
कचराभाई कानजीदास पटेल (बीजापुर उत्तर)  
मानसिंह पृथ्वीराज पटेल (बीजापुर दक्षिण)  
शान्तीलाल हरजीवन शाह (त्रिलै पाल्ले—अधेरी  
वर्सावा)

मगनभाई रणछोड़भाई पटेल (वीरमगाम)  
शिवाभाई प्रभुदास पटेल (विसनगर)  
दादासाहब खासेराव जगताप (वाई—खडाला)  
होमी जहागीरजी तल्यारखा (बालकेश्वर—  
महालक्ष्मी)

श्रीमती इन्दुबेन नानूभाई देसाई (पश्चिम  
बारिया)

बाबूराव बाला साहब धोरपडे (पश्चिम सातारा)  
दयालजी त्रिभुवन पटेल (पश्चिम सिद्धपुर—  
पूर्व पाटण)

माधव नारायण वीरजे (वीरली—प्रभादेवी)  
विठ्ठलराव नथू पाटील (यावल)  
माधवराव त्रिम्बक (पाटील) शिन्दे (येवला  
नन्दगाव)

श्रीमती इरिन लिलीयन जिलेस्पी (नामणद)

### बम्बई विधान परिषद्

समापति : आर० एस० हुक्केरीकर

काशीनाथ मन्नालाल अग्रवाल (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

गविशिद्धपा शिद्धप्पा बेलवाडी (विधान  
सभा द्वारा निर्वाचित)

सदाशिव लक्ष्मण बेनाडीकर (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

आत्माराम रावजी भट (विधान सभा द्वारा  
निर्वाचित)

दाजीसाहब रामराव चव्हाण (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

पन्नालाल मानेकलाल चिनाई (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

जोसफ अल्लिनो कोलैको (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

दीनशाजी रतनजी दावू (विधान सभा द्वारा  
निर्वाचित)

शान्तराम महादेव दहानूकर (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

श्रीमती लीलावती हीरालाल देसाई (विधान  
सभा द्वारा निर्वाचित)

श्रीमती रमाबाई नारायण देशपांडे (विधान  
सभा द्वारा निर्वाचित)

पाण्डुरंग वामुदेव गाडगिल (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

गुलाम हैदर वलीमुहम्मद (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

रामराव श्रीनिवासराव हुक्केरीकर (विधान  
सभा द्वारा निर्वाचित)

पद्मनाभ सुन्नाया कामत (विधान सभा द्वारा  
निर्वाचित)

अर्जुनलाल भोगीलाल लाला (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

महालदार गौस मोहिउद्दीन (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

रामराय मोहनराय मुशी (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

विठ्ठल सखाराम पागे (विधान सभा द्वारा  
निर्वाचित)

मगनभाई भीखाभाई पटेल (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

चिमतलाल कुबेरदास शाह (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

श्रीमती ज्योत्स्नाबेन बहुसुखराम शुक्ल  
(विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

वामन गंगाधर यादवी (विधान सभा द्वारा  
निर्वाचित)

बिदेश तुकाराम कुलकर्णी (स्तानक, बम्बई  
शहर I.)

दाभूभाई छगनभाई शुक्ल (स्नातक, अहमदाबाद शहर)

चन्द्रकांत छोटालाल मेहता (स्नातक, उत्तरी डिवीजन)

से नुसिंग धनसिंग पाटिल (स्नातक, मध्य डिवीजन)

माधव हरी गोडबोले (स्नातक, दक्षिणी डिवीजन)

उत्तमराव लक्ष्मण पाटील (स्नातक, मध्य डिवीजन)

जामन दिनकर साठे (स्नातक, पूना शहर)

मोरेस्वर वासुदेव डोंडे (अध्यापक, बम्बई शहर)

ठाकोरलाल श्रीपतराय ठाकोर (अध्यापक, अहमदाबाद शहर)

जगन्नाथ बलवन्त कुमठेकर (अध्यापक, पूना शहर)

देसाईभाई नाथाभाई पटेल (अध्यापक, उत्तरी डिवीजन)

गजानन श्रीपत खैर (अध्यापक, मध्य डिवीजन)

केशव गोपाल पण्डित (अध्यापक, दक्षिणी जन)

दयाशंकर बिहारीलाल अगरवाल (स्थानीय अधिकारी, पूना)

चुनीलाल दामोदर बर्फीवाला (स्थानीय अधिकारी, बम्बई शहर)

वेजनजी अह्मदरजी दलाल (स्थानीय अधिकारी, बम्बई शहर)

रामचन्द्र अन्नाजी खेडगीवार (स्थानीय अधिकारी, बम्बई शहर)

देवजी रतनमी (स्थानीय अधिकारी, बम्बई शहर)

भोगीलाल धीरजलाल लाला, (स्थानीय अधिकारी, अहमदाबाद शहर)

प्रभुदास बालुभाई पटवारी (स्थानीय अधिकारी अहमदाबाद जिला)

श्रीमती मनीबेन चन्दुभाई पटेल (स्थानीय अधिकारी, बौदा-अमरोली)

मोतीलाल हरगोविन्ददास विन (स्थानीय अधिकारी, भडौच पंच म्हाल)

शामलदास खेमचन्द पटेल (स्थानीय अधिकारी, मेहसाना-वनसकठा)

चुनीभाई मृणालीभाई पटेल (स्थानीय अधिकारी, खेडा)

प्रेमशंकर जेजुराम (स्थानीय अधिकारी, गुरत)

बसंतराव बलवन्त देशमुख (स्थानीय अधिकारी, पूना शहर)

दत्तात्रय सेन भिरुद (स्थानीय अधिकारी पूर्वे खानदेश)

गोपाल रामजी धिटे, (स्थानीय अधिकारी नासिक शहर)

गणपतराय धोटिवा माटे (स्थानीय अधिकारी, शोलापुर)

रामचन्द्र नारायण भावे (स्थानीय अधिकारी, उत्तर-सातारा)

शंकरराव चन्नप्पा एडके (स्थानीय अधिकारी, बीजापुर)

सदानन्द केशव गोल्वनकर (स्थानीय अधिकारी, कोनाबा-थाना)

हुच्चय्या फकीरय्या कट्टीमणी (स्थानीय अधिकारी, धारवार)

शंकर विठ्ठल लिंगराय (स्थानीय अधिकारी, कोल्हापुर—दक्षिण सातारा)

चूडानन आनन्द रावन्डले (स्थानीय अधिकारी, अहमदनगर—पश्चिम खानदेश)

देवचंद छगनलाल गाहू (स्थानीय अधिकारी, बेलगाम)

जगन्नाथ रामकृष्ण तांबडे (स्थानीय अधिकारी, रत्नागिरि-कनारा)

जी० डी० अम्बेडकर (नामजद)

मगन भाई पी० देसाई (नामजद)

वी० एस० डोगरे (नामजद)

एफ० डी० धोडके (नामजद)

के० ए० हमीद (नामजद)

श्रीमती मुशीला जयदेव कुलकर्णी (नामजद) श्रीमती जेठी टी० सिपाहीमलानी (नामजद)  
 बी० सी० लागू (नामजद) डी० एस० सोधी (नामजद)  
 बी० जी० लिमाये (नामजद) रामशंकर जयशंकर उपाध्याय (नामजद)  
 बचूभाई पोपटभाई रावत (नामजद)

### मध्य प्रदेश

राज्यपाल

बी० पट्टाभि सीतारमय्या

मंत्री

1. मुख्यमंत्री तथा माधारण व्यवस्था, तालमेल, नियुक्ति, पुनर्निर्माण और प्रचार विभाग . . . . . रविशंकर शुक्ल
2. व्यवसाय तथा वाणिज्य, कानून और जंगल . . . . . डी० के० महता
3. शिक्षा, लगान तथा भारतीय भाषाएँ . . . . . पी० के० देशमुख
4. वित्त, लगान और रजिस्ट्रेशन . . . . . त्रिजलाल त्रिपाठी
5. कृषि, पशु चिकित्सा, सहयोग, और ग्रामीण विकास . . . . . शंकरलाल तिवारी
6. स्वास्थ्य और जेल . . . . . एम० एम० कन्नमवार
7. अग्निशामी कल्याण सार्वजनिक कार्य, तथा बिजली . . . . . नरेशचन्द्रसिंह
8. ग्रन्थ, श्रम और पुनर्वास . . . . . दीनदयाल गुप्त
9. लगान, मैटलमेंट, लैण्ड रिकार्ड तथा नागरिक पूति . . . . . बी० ए० मंडलोई
10. योजना तथा विकास . . . . . आर० के० पाटिल

#### उपमंत्री

1. वित्त . . . . . पी० एल० धगट
2. गृह . . . . . बीरेन्द्र बहादुरसिंह
3. शिक्षा . . . . . अब्दुल कादिर सिद्दीकी
4. कृषि . . . . . गणेशराम अनन्त
5. लगान . . . . . वसन्तराव पी० नाइक
6. वाणिज्य और व्यवसाय . . . . . श्रीमती पी० बी० जकातदार

वित्त

(लाख रुपयों में)

| बजट के आंकड़े       | आय    | व्यय  | वर्धन (+)<br>या<br>घाटा (—) |
|---------------------|-------|-------|-----------------------------|
| 1950-51 (हिसाब) .   | 1,965 | 1,674 | +291                        |
| 1951-52 (हिसाब) .   | 2,360 | 1,822 | +538                        |
| 1952-53 (संशोधित) . | 2,390 | 2,120 | +270                        |
| 1953-54 (बजट) .     | 2,506 | 2,453 | +53                         |



गत वर्ष कोई नए कर तो नहीं लगाए गए, परन्तु अदालती शुल्कों की दर में कुछ परिवर्तन किया गया। करघे के माल और हाथ से बने माल पर बिक्री कर में कुछ रियायते दी गई। बजट का 56.4 प्रतिशत भाग देहाती क्षेत्रों के विकास पर व्यय किया जाएगा। शेष रुपया शहरी क्षेत्रों में व्यय होगा। परन्तु उससे भी शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों का लाभ होने की आशा है।

जुलाई 1953 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक करोड़ रुपये का 10 वर्षीय ऋण जारी किया है। इस पर 4 प्रतिशत सूद मिलेगा और इसका प्रारम्भिक मूल्य 100 रुपये की जगह 99 रुपये 8 आना रखा गया है। यह ऋण पूर्ण रूप से बिक गया है।

### शिक्षा

1952 में मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्निकल शिक्षा देने वाली कुछ संस्थाओं को अपने अधीन कर लिया। अगले वर्ष सामाजिक शिक्षा विभाग की ओर से 5,036 वयस्क शिक्षा-केन्द्र खोले गए, जिनमें 11,040 शिक्षकों ने कार्य किया और 2,60,453 बड़ी उमर के व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। राज्य में 700 छोटे छोटे पुस्तकालय खोलने की योजना भी बनाई गई और उसके अनुसार 100 से लेकर 150 पुस्तक रखने के बक्से विभिन्न केन्द्रों में बांटे गए। सामाजिक शिक्षा की उन्नति के लिए भी एक कमेटी बनाई गई।

### खाद्यान्न तथा कृषि

रायपुर, बस्तर, होशंगाबाद और अमरावती जिलों में सामूहिक विकास योजना के 4 क्षेत्र खोले गए हैं। अन्न की उत्पत्ति पर विशेष बल देने के उद्देश्य से यह विकास केन्द्र उन क्षेत्रों में खोले गए हैं, जहां जमीन विशेष रूप से उपजाऊ है। बस्तर का सामूहिक विकास केन्द्र इस इरादे से खोला गया है कि उससे आदिवासियों को भी लाभ पहुंच सके।

1952 में मध्य प्रदेश में वर्षा की कमी के कारण खेती को नुकसान पहुंचा और कम अन्न उत्पन्न हुआ। इस कारण लगान में 28 लाख रुपये की कमी कर दी गई और किसानों को 6,71,000 रुपये सहायता के रूप में बांटे गए। तकावी के ऋण के रूप में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये किसानों को बांटे गए। इस वर्ष विभिन्न तरह की सहायता के रूप में 19 लाख रुपये और भी दिए गए। सहायता देने के उद्देश्य से 30 सड़कें, 24 घात तोड़ने वाले केन्द्र और 14 तालाबों के निर्माण कार्य भी जारी किए गए। कमी के इन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है, इस कारण आदिवासियों की आर्थिक स्थिति की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

राज्य की सरकार ने भूदान यज्ञ आन्दोलन को सब तरह की और अधिकतम सहायता देने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से राज्य की विधान सभा ने एक कानून बना कर भूदान यज्ञ बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड का कार्य भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि की देखभाल करना और उसका विभाजन करना है।

पंचवर्षीय-आयोजना के अन्तर्गत 6 बड़े और 23 छोटे सिंचाई के कार्य जारी किए गए हैं। इन पर 3,81,45,000 रुपये व्यय आयेंगे और इनके द्वारा 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इनमें से 2 बड़े और 2 छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है।

**व्यवसाय**

बल्लरपुर पेपर मिल्स तथा नेपा मिल्स ने अपने कार्यों में अच्छी उन्नति की। गत वर्ष 118 क्वैरियो के और 129 खानो के पट्टे दिए गए। दामुआ, कालीछप्पर और राखीकोल की कोयले की खानों में प्राप्त कोयले नमूने धनबाद की कोयला अनुसन्धान संस्था में भेजे गए और उनके सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण का कार्य जारी किया गया। राज्य के व्यवसाय विभाग की ओर से विभिन्न केन्द्रों में बुनाई, रगसाजी और छपाई के कार्यों का प्रदर्शन किया गया। इन कामों में मेहनत बचाने का तरीका निकालने का प्रयत्न भी किया गया और जुलाहों तथा बुनकरों को अच्छे ढंग के परदे, पलगपोश और गिलाफ आदि बनाने की विशेष शिक्षा दी गई। गृहोद्योग परीक्षण-शाला में एक नए ढंग की स्याही बनाने का प्रयत्न किया गया। स्टेशनरी बनाने की पूरी मशीन इसी परीक्षणशाला ने बनाई।

बुनाई, सीमेंट, विजली, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग व्यवसायों में कार्यकर्ताओं के प्रोविडण्ड फण्ड की स्कीम जारी की गई। इस स्कीम से 38 हजार कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचने की आशा है।

**सार्वजनिक स्वास्थ्य**

मैडिकल कालेज की मुख्य इमारत का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने 20 मार्च 1953 को किया। इस वर्ष मैडिकल कालेज के अस्पताल में तपेदिक के मरीजों के विस्तार की संख्या 50 से बढ़ा कर 75 कर दी गई। इसी तरह देहाती हलकों में आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना करने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले के अस्पतालों को क्रमशः राज्य के अधीन किया जा रहा है और प्रति वर्ष 3 अस्पताल राज्य अपनी देख-रेख में ले लेता है। 1953-54 के बजट में अकोला, खडवा और विलामपुर अस्पतालों को राज्य की देख रेख में लिया गया इसी तरह रायपुर की आयुर्वेदिक फार्मसी को राज्य ने इस उद्देश्य में अपने हाथ में ले लिया है कि जिला सभाओं और म्युनिसिपल कमेटियों में आयुर्वेदिक दवाइयां पहुंच सकें।

प्लेग की रोक-थाम के लिए राज्य की सरकार ने एक योजना बनाई और एक प्लेग कण्ट्रोल यूनिट स्थापित किया। 1953-54 में केन्द्र की सरकार ने 8 राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण यूनिट मध्यप्रदेश सरकार को दे दिए। योजना के अनुसार खडवा, जलगाव, चादा, जगदलपुर, नागपुर आदि स्थानों पर मलेरिया निरोध के प्रयत्न जारी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा हैदराबाद, उड़ीसा और मद्रास की सरकारों के सहयोग से मध्यप्रदेश सरकार ने चादा जिले के अहीरी नामक स्थान में या-निरोधी (anti yaws) आन्दोलन जारी किया।

**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**अध्यक्ष :** कुजीलाल दुबे

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| अमृतराव गणपतराव सोनार (अचलपुर)                  | कुलपतिसंह सूर्यवंशी (अकलतरा-मस्तूरी, |
| हाजी मुहम्मद मसूद खां अकबर खां (अकल-तरामस्तूरी) | संरक्षित परिगणित जाति)               |
|                                                 | ब्रिजलाल नन्दलाल बियाणी (अकोला)      |

साकी निवाजी मुहम्मद सुभान (आकोट)

अर्जुनसिंह सिसोदिया (अमरवाड़ा)

नारायण मनीरामजी वाडिवा (अमरवाड़ा,  
सरक्षित परिगणित जनजाति)

रामानुज सरनसिंह देव (अम्बिकापुर)

ठा० पारसनाथ (अम्बिकापुर, संरक्षित परि-  
गणित जनजाति)

गिरधारी नान चतुर्भुज शर्मा (आमगाव)

वामनराव गोपालराव जोशी (अमरावती)

वावू नान काशी प्रसाद (अमरावती, सरक्षित  
परिगणित जाति)

लखनलाल गुप्ता (आरंग-खोरोरा)

मुखचैन दास (आरंग-खोरोरा, सरक्षित परि-  
गणित जाति)

जगजीवन गणताराव कडम (आर्वी)

कृष्णराव गोपालराव नाईक (बैहर)

हरेसिंह बखतसिंह (बैहर, सरक्षित परि-  
गणित जनजाति)

कन्हैयालाल बहादुर सिंह (बालाघाट)

घियामुद्दीन सैयद नसीरुद्दीन काजी (बाला-  
पुर)

दगडू झागोजी पलसपगार (बालापुर,  
सरक्षित परिगणित जाति)

केशवलाल गोमास्ता (बालोद)

श्रीमती दारनवाई (बालोद, संरक्षित परि-  
गणित जनजाति)

कृष्णानन्द रामवरण (बन्डा)

विभाहूदास महन्त (बारद्वारा)

रामराव उन्नडे (बारघाट)

जयदेव गदाधर सतपथी (बसना)

विश्वनाथ यादवराव तामस्कर (बेमेतरा)

शिवलाठ (बेमेतरा, सरक्षित परिगणित  
जाति)

दीपचन्द लक्ष्मीचन्द गोठी (बैतूल)

रामराव कृष्णराव पाटिल (भद्रावती)

आनन्दराव सोनाजी लोखंडे (भैसदेही)

राम बकाराम लान्जेवार (भंडारा)

चक्रपाणि शुक्ल (भाटापारा-सीतापुर)

बाजीराव हबिारी (भाटापारा-सीतापुर,  
सरक्षित परिगणित जाति)

लक्ष्मीनारायण दास (भटगाव)

हीराशाह (बीजापुर स० प० जनजाति)

लक्ष्मी शंकर (विजयराघोगढ़)

डा० शिव दुलारे मिश्र (बिलासपुर)

श्रीमती रानी पद्मावती देवी (बोरी देवकर)

भूतनाथ (बोरी देवकर, सरक्षित परिगणित  
जाति)

मुरारीराव कृष्णराव नागमोती (ब्रह्मपुरी)

नामदेव पुजाजी पवार (बुलढाना)

अब्दुलकादिर सिद्दीकी (बुरहानपुर)

रामकृष्ण राठौर (चापा)

लक्ष्मण कृष्णाजी वासेकर (चान्दा)

गजानन शर्मा (चन्द्रपुर विर्वा)

मूलचन्द टीकाराम (चन्द्रपुर विर्वा, सरक्षित  
परिगणित जाति)

पुण्डलीकराव बालकृष्ण चोरे (चान्दुर)

लाल श्याम शाह (चीकी, सरक्षित परि-  
गणित जन जाति)

कृष्ण गणेश रेखडे (छिदवाड़ा)

शंकर प्रतापसिंह (चिचली)

मोहकमसिंह उड्डे (चिचली, सरक्षित  
परिगणित जनजाति)

अयंवर भिकाजी खेडेकर (चिखली)

डोरा डोक्का (चित्रकोट, सरक्षित परिगणित  
जनजाति)

हर्षिचन्द्र लक्ष्मीचन्द मरोठी (दमोह)

बोडा दादा (दतेवारा, सरक्षित परिगणित  
जनजाति)

देवराव शिवराम पाटिल (दारवा)

श्रीमती कोकिलाबाई जगन्नाथ गावडे  
(दर्यापुर)

किसन नारायण खंडारे (दर्यापुर, सरक्षित  
परिगणित जाति)

गोकरन सिंह (देवभोग)  
 महादेव तुकाराम ठाकरे (देवली)  
 शंकर विठ्ठल सोनवणे (देवली, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 रामगोपाल शर्मा (धमतरी)  
 चन्द्रचूड प्रसाद सिंह देव (धरम जयगढ)  
 बुधनाथ माय (धरम जयगढ, सरक्षित परि-  
 गणित जनजाति)  
 अलिहसन मम-दानी (दिग्रस)  
 द्वारिका प्रसाद अनन्तराम (डिडोरी)  
 रूपसिंह उमरावसिंह (डिडोरी, सरक्षित  
 परिगणित जनजाति)  
 विजय लाल (डोगरगढ)  
 धन्नालाल जैन (डोगरगढ)  
 घनश्याम सिंह गुप्त (दुर्ग)  
 निरजनगिंह सिद्धसिंह (गाडरवाडा)  
 कीर्तिमन्त राव भुजंगराव (गढचिरोली-  
 मिरोन्ना, सरक्षित परिगणित जनजाति)  
 नामदेवराव बालाजी पोरेडीवार (गढचिरोली-  
 मिरोन्ना)  
 ऋतुपर्ण किशोरदास (गन्डयी)  
 दुर्गाचरण (घरघोडा)  
 ललित कुमार सिंह (घरघोडा, सरक्षित परि-  
 गणित जनजाति)  
 रामचन्द्र वामुदेव कथडे (गोडपिपरी)  
 मनोहर भाई वावरभाई (गोदिया)  
 पन्नालाल त्रिहारीलाल दुबे (गोरेगाव)  
 श्याममुन्दर नारायण लक्ष्मी नारायण (गोटे-  
 गाव)  
 मूलचन्द बागडो (गुडियारी)  
 महेशदत्त मिश्र (हरदा)  
 प्रेमनाथ ऋषी वामनीक (हरदा, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 मिश्रीलाल शेरमल साड (हरसूद)  
 प्रेमशकर लक्ष्मीशकर ढगट (हट्टा)  
 कडोरेनाल (हट्टा, सरक्षित परिगणित जाति)

रामकिशनदास मोतीलाल मोहता (हिन्गन-  
 घाट)  
 मोहम्मद अब्दुल्ला खा पठान (हिगणा)  
 नन्हेलाल भूरेलाल (होशगावाड)  
 जगदीश नारायण अवस्थ (जवलपुर १)  
 मटुग्रा (जवलपुर १, सरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 कुजीलाल दुबे (जवलपुर २)  
 विद्यानाथ ठाकुर (जगदलपुर)  
 डूमार (जगदलपुर, सरक्षित परिगणित जाति)  
 काशीराव रायभान पाटिल (जलगाव)  
 लखेश्वर लाल (जाजगीर-पामगढ)  
 गणेश राम अनत (जाजगीर पामगढ  
 सरक्षित परिगणित जाति)  
 रामकृष्ण आत्माराम बेलसरे (जरुड)  
 विजय भूषण सिंह देव (जशपुरनगर)  
 जोहन (जशपुरनगर, सरक्षित परिगणित  
 जनजाति)  
 नारायण राव झुगलाजी नन्दुरकर (कलम्ब)  
 बजरगजी लहानूजी कडू ठेकेदार (कामठी)  
 कौशलनाथ लक्ष्मीचन्द (कामठा)  
 मनोहर राव जटाग (कान्हीवारा)  
 भानु प्रताप देव (काकेर)  
 रामप्रसाद धमसान (काकेर, सरक्षित परि-  
 गणित जनजाति)  
 विठ्ठल सिंह जसिह ठाकूर (कारजा)  
 शकरलाल तिवारी (कटगी)  
 मोतीराम श्रोडक्या (कटगी, सरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 बनवारी लाल नौवतगाम (कटधोरा)  
 आदित्य प्रताप सिंह त्रिभुवन प्रताप सिंह  
 (कटधोरा, सरक्षित परिगणित जनजाति)  
 शकरराव दीलतराव गेडाम (काटोल)  
 गंगा प्रसाद उपाध्याय (कवर्धा)  
 राजमन पटलू (केसकाल, सरक्षित परिगणित  
 जनजाति)

वीरेन्द्र बहादुरसिंह (खैरागढ)  
 जगमोहनदास महेश्वरी (खमरिया)  
 पुरुषोत्तम गोविन्द एकबोटे (खामगाव)  
 भगवन्तराव अन्नाभाऊ मडलोई (खंडवा)  
 देवकरन बालचन्द्र (खंडवा, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 कृष्णचन्द्र ताराचन्द्र शर्मा (खुरई)  
 प्यारेलाल खुमन (खुरई, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 बृजलाल वर्मा (कोसमंडी-कसडोल)  
 नैनदास (कोसमंडी-कसडोल, संरक्षित परि  
 गणित जाति)  
 काशीराम तिवारी (कोटा)  
 भोपाल राव पवार (कुरुद)  
 तिलोचन सिंह साहू (कुयरेल)  
 कृष्णराव दागोजी ठाकुर (लखानदुर)  
 सीताराम जैराम भाबोरे (लखानदुर, संर-  
 क्षित परिगणित जाति)  
 दुर्गाशंकर मेहता (लखनादोन)  
 बसन्तराव उडके (लखनादोन, संरक्षित  
 परिगणित जनजाति)  
 शान्तिनाथ सबमुखलाल जैन (लालबारी)  
 तेजलाल हरिश्चन्द्र टेभरे (लाजी)  
 अयोध्या प्रसाद शर्मा (महागमुन्द)  
 परमानन्द भाई पटेल (मझोली-पनागर)  
 भिक्कू फकीरा शेलकी (मलकापुर)  
 रूपनारायण ज्ञानकलाल चतुर्वेदी (मंडला  
 निवास)  
 भूपतिसिंह उडके (मंडला निवाग, संरक्षित  
 परिगणित जनजाति)  
 ज्वाला प्रसाद (मनेन्द्रगढ)  
 प्रीतराम कुरे (मनेन्द्रगढ, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 बाबाराव आनन्दराव देशमुख (मंगरूपीर)  
 शिवराय कृष्णय्या गगधेरीवार (मारगाव)  
 आनन्द राव मारोतीराव पवार (मेहकर)

लक्ष्मण ठकुजी गवई (मेहकर, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 बालकृष्ण मूलचन्द्र भंडारी (मेलघाट)  
 श्रीमती प्रभावती बाई जयवन्त जकातदार  
 (मोहडी)  
 पंजाबराव बालकृष्णराव सदात पूरे (मोशीं)  
 मारोतराव साम्बाशिव कन्नमवार (मूल)  
 बिहारीलाल देवराव (मुलताई)  
 भाकर केवजी पटेल (मुलताई, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 कालूसिंह शेरसिंह (मुडी)  
 रामगोपाल बशीधर तिवारी (मुंगेली)  
 अंजोरदास देवदास (मुंगेली, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 शामराव देवराव धोत्रे (मुर्तिजापुर)  
 गोविन्द प्रसाद शर्मा (मुरवाडा)  
 रिक्त (नैनपुर-मोहगाव)  
 अकाली बमोरी (नैनपुर-मोहगांव, संरक्षित  
 परिगणित जनजाति)  
 मदनगोपाल जोधराज अग्रवाल (नागपुर १)  
 दीन दयाल गुप्त (नागपुर २)  
 श्रीमती विद्यावती बाई पन्नालाल जी देवडिया  
 (नागपुर ३)  
 मंचेरगा हस्तमजी आवारी (नागपुर ४)  
 विनायक जगन्नाथ चगोले (नागपुर ४, संर-  
 क्षित परिगणित जाति)  
 राजकुमार शुक्ल (नादगाव-दुर्ग जिला)  
 पंजाबराव बापूराव यावलीकर (नादगाव—  
 अमरावती जिला)  
 जालमसिंह इगले (नादुरा)  
 रामेश्वर अर्जुन (नारायणपुर, संरक्षित परि-  
 गणित जनजाति)  
 रामेश्वर प्रसाद शर्मा (नरगोडा)  
 श्रीमती सरला देवी द्वारका प्रसाद पाठक  
 (नरसिंहपुर)  
 डा० खूबचन्द बघेल (पंचेडा)

धरमपाल जैसवाल (पाल)  
 भडारीराम (पाल, सरक्षित परिगणित जन-  
 जाति)  
 पद्मराज सिंह राजा रघुराज सिंह  
 (पंडरिया)  
 उदयराम (पंधर)  
 दत्तात्रेय कृष्णराव देशमुख (पाठरकवडा)  
 ताराचन्द साहू (पान्डुका)  
 ठाकुर नेक नारायण सिंह (पाटन)  
 मथुरा प्रसाद बशीधर दुबे (पेंडरा)  
 नारायण सिंह दंगलसिंह (पिपरिया)  
 गणपत राव दानी (पिथौरा)  
 नारायण सिंह सम्पत सिंह उइके (पुराडा)  
 बसन्तराव फूलसिंह नाईक (पुसद)  
 दौलत लक्ष्मण खडसे (पुसद, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 बैजनाथ मोदी (रायगढ)  
 ठा० प्यारेलाल सिंह (रायपुर)  
 श्रीमती श्यामकुमारी देवी (राजीम)  
 रुद्रसरन प्रतापसिंह (रामपुर, सरक्षित  
 परिगणित जनजाति)  
 चिन्तामणराव गोविन्द तिडके (रामटेक)  
 लल्लेन्द्र रामचन्द्र वासनीक (रामटक, सर-  
 क्षित परिगणित जाति)  
 बाला प्रसाद उर्फ बालाजी (रहेली)  
 कुजीलाल स्वर्णकार (रीठी)  
 मुहम्मद शफी मुहम्मद मुबराती (सागर)  
 अर्जुनगणजी समरीत (साकोली)  
 नाशिक खताडू तिरपुडे (साकोली, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 लीलाधर सिंह (सक्ती)  
 शिवबक्ष राम (सामरी, संरक्षित परिगणित  
 जनजाति)  
 नरेन्द्र महीपति तिडके (सावनेर)  
 रविशकर शुक्ल (सरायपाली)  
 नरेशचन्द्र सिंह (सारंगढ)  
 वेदराम (सारंगढ, सरक्षित परिगणित जाति)  
 निलकंठ राव (सौसर)

क्षिप्र पूसे (सौसर, सरक्षित परिगणित जाति)  
 शेषराव कृष्णा जी वानखेडे (सावरगाव)  
 काशीप्रसाद पांडे (सिहोरा)  
 दादू महेन्द्रनाथ सिंघ (सिवनी)  
 गंगाचरण बिहारीलाल (शाहपुर)  
 दत्तात्रेय तुकाराम ठाकरे (शंकरपुर सिन्देवाही)  
 पाण्डुरंग अन्ताराम चूनारकर (शंकरपुर—  
 सिन्देवाही, सरक्षित परिगणित जाति)  
 तुकाराम गणपत खुमकर (शेगाव)  
 बापूराव मारोतराव देशमुख (सिन्दी)  
 हरभजन सिंह (सीतापुर, सरक्षित परि-  
 गणित जनजाति)  
 बसन्त कुमार मिश्र (स्लीमनाबाद)  
 हरिप्रसाद नन्दलाल (सोहागपुर)  
 पीलू गगळ (सुकमा, सरक्षित परिगणित जन-  
 जाति)  
 ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी (सुरखी)  
 चन्द्रभूषण सिंह शिवराज सिंह (तखतपुर)  
 भाऊ राव गुलाबराव जाधव (तलेगाव)  
 शान्ति सरूप शर्मा (तामिया-परासिया)  
 फूलभानु शाह (तामिया-परासियः सरक्षित  
 परिगणित जनजाति)  
 रघुबर प्रसाद मोदी (तेन्दूखेडा)  
 शालिग्राम रामरतन दीक्षित (तिरोरा)  
 नारायण सम्भूजी (तुमसर)  
 श्रीमती राधादेवी किसनलाल गोयनका (उगवा)  
 रामचन्द्र पाण्डुरंग लाजेवार (उमरेड)  
 श्रीधर नाथोबा जवादे (वाढोना)  
 पुरुषोत्तम काशीराव देशमुख (वलगाव)  
 देवराव यशवन्तराव गोहोकर (वणी)  
 थानसिंह टीकाराम बिसेन (वारासिवनी)  
 श्रीमती शांताबाई नारूलकर (वर्धा)  
 महादेवराव नागोराव पावडे (वरोडा)  
 शंकर सदाशिव कुलकर्णी (वाशिम)  
 मारोती काशीराम खिराडे (वाशिम, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 ताराचन्द शेरमल मुराणा (यवतमाल)  
 मेजर पी० ब डे (नामजद)

मद्रास

राज्यपाल

अप्रकाश

मंत्री

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. मुख्य मंत्री और गृह, पुलिस तथा सार्वजनिक विभाग                                 | के० कामराज नाडर            |
| 2. स्वास्थ्य, सहयोग, भवन निर्माण तथा पैन्शन-याफता सेवक विभाग                      | ए० बी० शेट्टी              |
| 3. कृषि, पशुपालन, स्त्री कल्याण, व्यवसाय और श्रम                                  | एम० भक्तवत्सलम             |
| 4. वित्त, अन्न, शिक्षा, अदालतें, और जेल                                           | सी० सुब्रमण्यम             |
| 5. यातायात, हरिजन उद्धार, हिन्दू धार्मिक दान संस्थायें, रजिस्ट्रेशन तथा मद्यनिषेध | बी० परमेश्वरम्             |
| 6. सार्वजनिक कार्य                                                                | एस० राजेश्वर सेतुपति       |
| 7. लगान                                                                           | एम० ए० मानिकवेलु नैकर      |
| 8. स्थानीय शासन                                                                   | एस० एस० रामास्वामी पादयाची |

वित्त

(लाख रुपये में)

| बजट के आंकड़े     | आय    | व्यय  | बचत (+)<br>या घाटा (—) |
|-------------------|-------|-------|------------------------|
| 1950-51 (हिसाब)   | 5,816 | 5,945 | -129                   |
| 1951-52 (हिसाब)   | 5,943 | 6,444 | -501                   |
| 1952-53 (संशोधित) | 6,336 | 6,875 | -539                   |
| 1953-54 (बजट)     | 6,575 | 6,575 | —                      |

शिक्षा

1952-53 में मद्रास राज्य में शिक्षा पर 12,00,00,000 रुपये व्यय किये गये, जब कि 7 वर्ष पहले यह व्यय केवल 4,59,73,000 था। कितने ही प्राथमिक तथा साधारण ट्रेनिंग स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। 1953 में वहाँ 50 बेसिक ट्रेनिंग स्कूल थे और 715 बेसिक प्रारम्भिक स्कूल। 27 स्कूलों में ढाई से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। परिगणित जातियों तथा आदिवासियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया और उन्हें इस सम्बन्ध में यथेष्ट सहायता दी गई। सरकारी कालेजों में 15 प्रतिशत स्थान आदिवासियों के लिये सुरक्षित कर दिये गये और 25 प्रतिशत स्थान पिछड़ी हुई जातियों के लिये।

हाल ही में राज्य ने एक आदेश द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक श्रेणियों में नौन-गज़ेटेड सरकारी कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिये तथा स्थानीय संस्थाओं के 300 रुपये या उस से कम मासिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया है। इन बच्चों से हाई स्कूल की शिक्षा के लिये आधी फीस ली जायगी।

### खाद्यान्न तथा कृषि

1952-53 में मद्रास में कृषि तथा मछली व्यवसाय के विकास पर 3,28,29,000 रुपये व्यय किये गये। 1953-54 के लिये यह रकम 3,73,13,000 कर दी गई है। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार, आशा है कि, 1955-56 तक मद्रास राज्य में 8,60,000 टन अतिरिक्त चावल आदि तथा 7,50,000 गांठें अतिरिक्त रुई पैदा होने लगेंगी। सिंचाई के सरकारी कार्यक्रम में 300 सिंचाई के छोटे कार्य तथा बहुमुखी माध्यमिक कार्य सम्मिलित हैं। 1952-53 में मद्रास में 1,580 लाख रुपये सिंचाई पर खर्च किये गये थे। ‘अधिक अन्न उपजाओ’ कार्यक्रम के अन्तर्गत वहा के लिये 338 सिंचाई की स्कीमें स्वीकार की गई थी और उन पर 454 लाख रुपये व्यय आने का अनुमान था। इससे 1,63,600 एकड़ नई भूमि की सिंचाई होने लगेंगी। आन्ध्र राज्य के निर्माण से पूर्व मद्रास सरकार ने रायलसीमा के कमी वाले इलाके में सहायता पहुंचाने के अनेक कार्य किये। लगभग 10 करोड़ रुपया दुष्काल निवारण के लिये व्यय किया गया।

### व्यवसाय

5 मार्च 1953 को 70 लाख रुपये के व्यय से दक्षिण आर्काट जिले में कोयला निकालने का कार्य प्रारम्भ किया गया। जाच पडताल से मालूम हुआ है कि इस क्षेत्र के लगभग 100 वर्ग मील दायरे में 2 अर्ब लाख टन कोयला विद्यमान है।

1952-53 में मद्रास राज्य में 3,554 ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियां थी, 1,192 तेल के कारखाने, 17 चीनी के कारखाने और 85 कपड़ा बनाने के कारखाने थे। राज्य की सरकार की ओर से 9 क्षेत्रों में गृह तथा छोटे उद्योग धंधों के विकास के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पडताल की गई है।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 527 लाख रुपये व्यय किये गये। 18 जिलों के 3,600 गावों में, जिनका क्षेत्रफल 10,000 वर्गमील के लगभग है 37 मलेरिया निरोधक कार्य प्रारम्भ किये गये। अन्य क्षेत्रों में भी मलेरिया को रोकने का भरसक प्रयत्न किया गया। अस्पतालों में रोगियों के विस्तरों की संख्या बढ़ाई गई और उनके कार्य का दर्जा ऊंचा किया गया।

### मद्रास विधान सभा

अध्यक्ष : शिवषण्मुखम पिल्लै

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| एस० वेन्कटराम अय्यर (आदिरामपट्टिनम्) | ओ० कोरान (आलथुरा संरक्षित परिगणित जाति) |
| जी० नारायणस्वामी नायडू (आडुतुराइ)    | पी० चोक्कालिगम् (अम्बासमुद्रम)          |
| तेवरचिन्नयम्बी (आलनगुलम्)            | मोहम्मद सालीह मरैकाथर (अरन्तांगी)       |
| आर० कृष्णन् (आलथुर)                  |                                         |



एस० पंचाक्षरम् (आर्काट)  
 एम० पलनियांडी (अरियलूर)  
 बी० भक्तवत्सलु नायडू (अरकोनम्)  
 वी० के० कन्नन (आर्नी)  
 जयराम रेड्डियार (अरुपुक्कोटाइ)  
 एन० रत्न गाउडर (अरवकुरुची)  
 एम० पी० सुब्रह्मण्यम् (आत्तूर)  
 श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन् (अत्थूर)  
 के० मोड्डड (बडगारा)  
 एम० गंगाप्पा (बेलरी)  
 बी० के० नल्लस्वामी (भवानी)  
 वी० कृष्णास्वामी पडयाची (भुवनगिरि)  
 एस० एस० कोल्किबेइल (ब्रह्मावर)  
 के० टी० श्रीधरन (कन्ननोर)  
 एन० सी० रामस्वामी कन्दर (चेनगम्)  
 एस० चेल्लपांडियन (चेरनमहादेवी)  
 ए० अप्पु (चेवयूर)  
 वी० धरमालिंग नायकर (चैय्यार)  
 जी० वाघीसम पिल्लै (चिदम्बरम्)  
 ए० एस० सहजानन्दा (चिदम्बरम्, संरक्षित परिगणित जाति)  
 के० विनायकम् (चिंगलपट)  
 एस० सी० सी० एन्थोनी पिल्लै (चूळै)  
 सी० सुब्रह्मण्यम् (कोयम्बतूर)  
 ओइ० मजय्या शेटी (कूडपुर)  
 एस० एस० रामस्वामी पादयाच्ची (कडलूर)  
 ए० रत्नम् (कडलूर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 पी० टी० राजन् (कंबम्—मदुराई जिला)  
 सेनापति गाउडर (धर्मपुरम्)  
 पी० आर० राजगोपाल गाउडर (धर्मपुरी)  
 एम० एस० मुनिस्वामी पिल्लै (डिडिगल)  
 एस० अर्धनारीश्वर गाउडर (एडप्पाडी)  
 आर० कृष्णस्वामी नायडू (एडिकोट्टै)  
 के० टी० राजू (इरोड)  
 अरंगनाथन (जिजी)  
 पी० एस० नल्ल गाउण्डर (गोबीचेदिटपालयम्)  
 के० कामराज नाडर (गुडियात्तम्)

टी० मण्वालन (गुडियात्तम्, संरक्षित परिगणित जाति)  
 डा० यू० कृष्णराव (हारवर)  
 डुरै स्वामी गाउडर (हरूर)  
 ओ० ए० नंजप्पा (हरूर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 एम० नारायणन नम्बियार (होस्दुग)  
 एम० मुनिरेड्डी (होसुर)  
 के० आर० विश्वनाथन (जयकोडन)  
 ए० अय्यारु (जयकोडन, संरक्षित परिगणित जाति)  
 वेणुगोपाल कृष्णस्वामी (कडम्बूर)  
 आर० ए० नटराज मुदलियार (कलसपक्कम्)  
 के० पार्थसारथी (कल्लकुरिची)  
 एल० आनन्दन् (कल्लकुरिची, संरक्षित परिगणित जाति)  
 एस० देडवसिगामणी (काचीपुरम्)  
 के० ज० पलनिस्वामि गाउडर (कागेयम्)  
 एआर० ए० आरएम० चोक्कालिगम्  
 चेदियार (कारैकुडि)  
 ए० बी० शेटी (कारकल)  
 एम० मानिक्कासुन्दरम् (करूर)  
 टी० वी० सन्नामी (करूर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 एम० एस० मोग्राल (कसारगोड)  
 के० आर० नल्लशिवम् (कोडुमुडी)  
 वी० के० पलनिस्वामी गाउडर (कोइल-पालयम्)  
 एस० सी० वीरूपाक्षय्या (कोल्लेगाल)  
 सी० अहमद कुट्टी (कोट्टक्कल)  
 के० पी० कुट्टिकृष्णन् नायर (कोप्पीकोड)  
 डी० कृष्णमूर्ति गाउडर (कृष्णगिरि)  
 फरनाण्डेज (नामज्जद)  
 टी० आर० वरदन (कुम्बकोनम्)  
 वी० आर० कृष्ण अय्यर (कुत्थुपरम्बा)  
 राजचिदम्बरम् (लालगुडि)

आर० कुप्पुस्वामी (मदुक्करै)  
 ओ० वकटमुक्का रेड्डी (मदुरातकम्)  
 बी० परमेश्वरन् (मदुरातकम्, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 पी० राममूर्ति (मदुरै—उत्तर)  
 टी० के० रामा (मदुरै दक्षिण)  
 के० एम० सीथी साहिब (मल्लपुरम्)  
 एम० चडयन (मल्लपुरम्, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 एन० राजगोपाल (मनचनल्लुर)  
 पी० एस० कृष्णस्वामी अय्यगार (मानामदुरै)  
 एन्थोनी पीटर (मनप्पारै)  
 एल० सी० पेड्स (मगलोर)  
 के० सी० गोपालन उन्नी (मन्नारघाट)  
 सी० कंडसामी (मन्नारगुडी)  
 ए० के० सुब्बाया (मन्नारगुडी, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 के० माधवन नम्बियार (मत्तनुर)  
 के० आर० सम्बन्दम् (मयूरम्)  
 ए० वेल् (मयूरम्, संरक्षित परिगणित जाति)  
 एम० कंडसामी कदर (मेचेरी)  
 बी० गोपाल गाउंडर (मेलमल्लयनुर)  
 चिन्नकरुप्प तेवर (मेलूर)  
 बी० एस० शिवप्रकाशम् (मेलूर, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 केम्पै गाउंडर (मेट्टूपाळयम्)  
 यू० मुत्तुरामालिग तेवर (मुदुकुलत्थूर)  
 एम० मोट्टयन् (मुदुकुलत्थूर, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 एन० एन० सुवर्णा (मुल्की)  
 एस० पी० तंगवेलु (मुसरी)  
 मी० राजम् रामस्वामी (मैलापुर)  
 ई० के० सकरवर्मा राजा (नादपुरम्)  
 एन० शिवराज (नागपट्टिनम्)  
 एस० वडिवेलु (नागपट्टिनम्, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 के० बी० रामस्वामी (नामक्कल)

एम० पी० पेरिय स्वामी (नामक्कल, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 पी० जी० कहल्लिमन् (नम्बियूर,  
 पी० जी० मानिक्कम् (नम्बियूर, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 एम० जी० शंकर (नागुनेरी)  
 एम० डी० त्यागराज पिल्लै (नन्निलम्)  
 एम० सी० मुत्तुकुमारस्वामी (नन्निलम्,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 पी० के० गोपालकृष्णन् (नट्टिका)  
 पी० वेकटेश शोलगर (निडमगलम्)  
 बी० आर० एम० मुत्तु तेवर (निलक्कोट्टै)  
 ए० अय्यनार (निलक्कोट्टै, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 एच० बी० अरि गौडर (नीलगिरि)  
 के० एच० बोम्मन् (नीलगिरि, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 पी० रत्नस्वामी पिल्लै (ओमलूर)  
 के० एस० लक्ष्मीपति नायकर (ओट्टनचक्कम्)  
 एम० नारायण कुरुप (ओट्टनचक्कम्)  
 टी० गणपति (पल्लूर)  
 के० रामकृष्णन (पालघाट)  
 एम० पी० मगल गाउंडर (पलनी)  
 बी० बैकुण्ठ बालिगा (पने मगलूर)  
 एस० राधाकृष्णन (पनरुटी)  
 एस० स्वयंप्रकाशम् (पापनासम्)  
 जी० गोविन्दन (परमक्कुडी)  
 आर० रगास्वामी गाउंडर (परामती)  
 बी० संकरनारायण मेनन (पट्टाम्बी)  
 बी० नाडिमुत्तु पिल्लै (पट्टुकोट्टै)  
 के० पी० गोपालन (पेय्यनूर)  
 एस० कडास्वामी गाउंडर (पेन्नगरम्)  
 एन० परमसिव उडयार (पेरम्बलूर)  
 एम० पलनिमुत्तु (पेरम्बलूर, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 पी० कुन्हीरामकिडाव (पेरम्बा)  
 एस० पक्किस्वामी पिल्लै (पेरम्बूर)

कुन्ही मोहम्मद शाफ़ी (पेरिन्तलमन्ना)

मूकैया तेवर (पेरियकुलम्)

वी० मुत्तु (पेरियकुलम्, संरक्षित परिगणित जाति)

एन० महालिंगम (पोल्लाच्ची)

पी० के० तिरुमूर्ति (पोल्लाच्ची संरक्षित परिगणित जाति)

एम० ए० मनिक्कवेलु नायकर (पोलुर)

एन० गोपाल मेनन् (पोन्नानी)

ई० टी० कुन्हन (पोन्नानी, संरक्षित परिगणित जाति)

के० गजपति रेड्डि (पोन्नेरी)

ओ० चेन्नगम पिल्लै (पोन्नेरी, संरक्षित परिगणित जाति)

टी० अनन्त पै (उडिप्पि)

वी० बालकृष्णन् (पुदुकोट्टाई)

के० वेक्टरमन गौडा (पुत्तूर, दक्षिण कनारा जिला)

के० ईश्वरा (पुत्तूर, दक्षिण कनारा जिला, संरक्षित, परिगणित जाति)

सी० कुन्हीराम कुरुप (क्विलांडी)

षन्मुग राजेस्वर सेतुपति (रामनाथपुरम्)

के० जी० मुनिस्वामी गाउंडर (रानीपेट)

टी० एम० कालियन्नन (रासिपुरम्)

एन० रामवृष्ण अय्यर (सैदापेट)

टी० पी० एलुमलै (सैदापेट, संरक्षित परिगणित जाति)

एस० लक्ष्मण कदार (सेलम—ग्रामीण)

डा० पी० वरदराजुलु नायडू (सेलम—नागरिक)

जी० सामिय क्यूरी (सालयमंगलम्)

रामसुन्दर कृष्णालयपाडियन् (संकरनयनारकोइल)

ऊर्कवलन (संकरनयनारकोइल, संरक्षित परिगणित जाति)

के० टी० कोसलराम (सात्तनकुलम्)

एस० रामस्वामी नायडू (सात्तूर)

एस० तिनकरस्वामी तेवर (सेडपट्टी)

एम० सुब्रह्मण्य नायकर (शोलिंगर)

सी० मुत्तैया पिल्लै (सीकाली)

आर० वी० स्वामीनाथन (सिवगंगा)

टी० षन्मुगम (श्रीपेरुम्बुदूर)

डा० जी० चिन्नम्बलम् (श्रीरंगम्)

डी० के० राजू (श्रीविल्लीपुत्तूर)

ए० बैकुंठम् (श्रीविल्लीपुत्तूर, संरक्षित परिगणित जाति)

ए० साम्बसिदम (तलैवासल)

टी० सी० नारायणन् नम्बियार (ताल्लिपरम्बा)

एस० रामलिंगम (तजौर)

एम० मारिमुत्तु (तजौर, संरक्षित परिगणित जाति)

सी० एच० कनारन (तेल्लिचेरी)

ए० के० सुब्रह्मण्य पिल्लै (तेनकासी)

आर० एम० पलनियप्प (तिरुमयम्)

वी० चिन्नय्या (तिरुमयम्, संरक्षित परिगणित जाति)

के० वेक्टरस्वामी नायडू (थाउजैड लाइट्स)

जे० शिवषण्मुखम पिल्लै (थाउजैड लाइट्स, संरक्षित परिगणित जाति)

पी० रगसामी रेड्डियार (तुरैयुर)

एम० वेणुगोपाल गाउंडर (तिडिवनम्)

एम० जगन्नाथन (तिडिवनम्, संरक्षित परिगणित जाति)

टी० एस० अर्धनारी (तिरुचेन्नोड)

एस० आरुमुगन् पिल्लै (तिरुचेन्नोड, संरक्षित परिगणित जाति)

एस० टी० आदित्यन (तिरुचेंदुर)

वी० अरुमुगम (तिरुचेंदुर, संरक्षित परिगणित जाति)

एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली—उत्तर)

ए० रामस्वामी तेवर (तिरुचिरापल्ली—दक्षिण)

टी० डी० मुत्तुकुमारसामी नायडू (तिरुकोयिलूर)

ए० मुत्तुसामी (तिरुकोयिलूर, संरक्षित परिगणित जाति)

के० राजाराम (तिरुमंगलम्)

एस० एन० सोमयाजुलु (तिरुनेलवेली)

आर० एस० आरुमुगम (तिरुनेलवेली, संरक्षित परिगणित जाति)  
 एम० ए० मुत्तैया चेदियार (तिरुपत्तुर, रामनाथपुरम् जिला)  
 ई० एल० राधव मुदलियार (तिरुपत्तुरउत्तर, आरकाट जिला)  
 एम० आर० रामचन्द्रन (तिरुप्पूर)  
 रगत्त्वामी नायडू (तिरुप्पूर)  
 एस० आर० आरुमुघम (तिरुप्पूर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 के० उप्पी साहेब (तिरु)  
 के० रामस्वामी दास (कोकिल पट्टी)  
 पी० चेन्नदुरै (तिरुवाडानै)  
 वी० गोविन्दस्वामी नायडू (तिरुवल्लूर)  
 एम० धर्मलिंगम (तिरुवल्लूर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 ए० रामचन्द्र रेड्डियार (तिरुवन्नामलै)  
 आर० तंगवेलू (तिरुवन्नामलै, संरक्षित परिगणित जाति)  
 वी० सी० पलनिस्वामी गाउंडर (तौंडमुत्तूर)  
 ए० एम० संबन्दम (त्रिपलिकेन)  
 डा० के० बी० मेनन (त्रितला)  
 जे० एल० पी० रोच विकटोरिया (ट्यूटीकोरिन)  
 माउनगुरुस्वामी नायडू (उडुमलपेट)  
 एम० कन्दसामी पडयाची (उलुंदूरपेट)  
 पी० एम० मुनुस्वामी गडण्डर (उदन्नपल्ली)

ए० एस० सुब्बराज (उत्तमपालयम्)  
 पलनिस्वामी (उत्तुकुली)  
 वी० के० रामस्वामी मुदलियार (उत्तिरमेरूर)  
 चिन्नस्वामी नायडू (वडमदुरै)  
 पी० कन्दसामी गाउंडर (वेलप्पाडी)  
 ए० के० हनुमन्तराय गाउंडर (वानियंबाडी)  
 वी० मदनगोपाल (वेदासदूर)  
 ए० के० मामिलामनि चेदियार (वेल्लूर)  
 एच० एम० जगन्नाथम (वेल्लूर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 ए० गोविन्दस्वामी नायगर (विक्रवांडी)  
 पी० सेलवराज (विलतिकुलम्)  
 वी० आर० नागराजन् (विल्लुपुरम्)  
 के० धन्मुगम (विरुधुनगर)  
 एस० स्वामी कन्नु (वृद्धाचलम)  
 एम० कटिटुम्तु (वृद्धाचलम, संरक्षित परिगणित जाति)  
 एस० सोमसुन्दर गाउंडर (वंडिवाश)  
 डी० दशरथन (वंडिवाश, संरक्षित परिगणित जाति)  
 पी० जीवानन्दम् (वाषरमेनपेट)  
 एम० के० पद्मभ्रमा गाउंडर (वैनाड)  
 सी० वेल्मुक्कन (वैनाड, संरक्षित परिगणित जाति)

### मद्रास विधान परिषद्

सभापति : पी० वी० चेरियन

एम० के० एम० अब्दुल सलाम (दक्षिण, आर्काट—तंजौर—तिरुचिरापल्ली)  
 ए० एम० अल्लापिचैडि (विधान सभा)  
 एन० ब्रह्ममलै पिल्लै (विधान सभा)  
 के० बालसुब्रह्मण्य अय्यर (मद्रास स्नातक)

वी० भाष्यम अय्यंगार (नामजद)  
 के० भाष्यम (मद्रास स्नातक)  
 एम० भक्तवत्सलम (विधान सभा)  
 वी० चक्कराई चेदटी (विधान सभा)  
 पी० वी० चेरियन (मद्रास स्नातक)  
 मेरी सी. कलबवाला जाधव (नामजद)

टी० एम० देवशिखामनी आचरियार (नामजद)  
टी० बी० देवराज मुदलियार  
एम० इथिराजुलू (विधान सभा)  
ए० गजपति नायगर (विधान सभा)  
एलेक्झांडर ज्ञानमुत्तु (दक्षिण मद्रास अध्यापक)  
के० गोपालन (पश्चिमी तट)  
एम० पी० गोविंदमेनन् (राज्य विधान सभा)  
बी० गुरुनन्दन राव (विधान सभा)  
बी० के० जॉन (विधान सभा)  
जोती वेंकटाचलम (विधान सभा)  
जी० कृष्णमूर्ति (मद्रास अध्यापक)  
टी० जी० कृष्णमूर्ति (विधान सभा)  
ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार (मद्रास स्नातक)  
मोहम्मद उस्मान (नामजद)  
एस० मंजुभाषणी (विधान सभा)  
सी० मरुतावनम् पिल्लई (दक्षिण आर्काट—  
तंजौर—तिरुचिरापल्ली)  
मोहम्मद रजा खान (विधान सभा)  
टी० एम० नारायणस्वामी पिल्लै (विधान सभा)  
एन० नल्ला सेनापति सरकराई मन्नाडियार  
(विधान सभा)  
एस० नरसपया (विधान सभा)  
के० एन० पलनिस्वामी गाउंडर (सेलम—  
कोयम्बटूर—नीलगिरी)  
ई० एच० परमेश्वरन् (मद्रास अध्यापक)

सी० पेरूमाल स्वामी रेड्डी (मद्रास—  
चिगलपुट—उत्तर आर्काट)  
टी० पुरुषोत्तम (मद्रास—चिगलपुट—उत्तर  
आर्काट)  
सी० राजगोपालाचारी (नामजद)  
बी० बी० रामस्वामी (विधान सभा)  
ओ० पी० रामास्वामी रेड्डीयार (नामजद)  
बी० आर० रंगनादन (मद्रास अध्यापक)  
बी० रंगास्वामी (सेलम—कोयम्बटूर—  
नीलगिरी)  
टी० एस० संकरनारायणा पिल्लई (मदुराई—  
रामनाथपुरम्—तिरुनेलवेली)  
एस० पी० सिवसुब्रह्मण्य नाडार (मदुराई—  
रामनाथपुरम्—तिरुनेलवेली)  
ए० सोमसुन्दरा रेड्डीयार (दक्षिण आर्काट—  
तंजौर—तिरुचिरापल्ली)  
ए० श्रीनिवासन (मद्रास स्नातक)  
एस० श्रीनिवास राव (विधान सभा)  
ए० सुब्रह्मण्यम (विधान सभा)  
बी० बी० सुब्रह्मण्यम (विधान सभा)  
आर० एस० सुब्बलक्ष्मी (नामजद)  
पी० बी० के० त्यागराज रेड्डीयार (सेलम—  
कोयम्बटूर—नीलगिरी)  
पी० पी० उम्मर कोया (पश्चिमी तट)  
जी० वेंकटाचलम (नामजद)  
ए० चिदंबर मुदलियार

### उड़ीसा

#### राज्यपाल

#### मंत्री

1. मुख्य मंत्री तथा गृह-कार्य, नदी घाटी विकास योजना,  
पुनर्वास और सार्वजनिक सम्बन्ध ।
2. कानून, विकास और स्वास्थ्य
3. व्यवसाय और यातायात

#### पी० कूमरस्वामी राजा

नवकृष्ण चौधरी  
दीनबन्धु साहू  
किशोरदेव भंज

- |                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 4. आदिवासी और ग्राम सुधार, श्रम और व्यापार | सोनाराम सोरेन   |
| 5. वित्त और शिक्षा                         | राधानाथ रथ      |
| 6. लगान, पूर्ति और आन्तरिक कर              | सदाशिव त्रिपाठी |

उपमन्त्री

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. स्वास्थ्य                 | श्रीमती वसन्तमजरी देवी |
| 2. कार्य                     | भैरवचन्द्र महन्ती      |
| 3. जेल, राजनीतिक तथा व्यापार | नीलमणि रौबाई           |
| 4. सार्वजनिक सम्बन्ध         | अनूपसिंह देव           |
| 5. कृषि तथा स्थानीय स्वराज्य | शान्तनु कुमार दास      |
| 6. यातायात                   | तीर्थवासी प्रधान       |
| 7. पूर्ति                    | कृपानिधि नायक          |
| वित्त                        | (लाख रुपये में)        |

| बजट आकड़े         | आय    | व्यय  | बचत (+)<br>या कमी (—) |
|-------------------|-------|-------|-----------------------|
| 1950-51 (लेखा)    | 1,031 | 1,201 | - 170                 |
| 1951-52 (लेखा)    | 1,196 | 1,086 | + 110                 |
| 1952-53 (संशोधित) | 1,360 | 1,240 | + 120                 |
| 1953-54 (बजट)     | 1 357 | 1,446 | - 89                  |

शिक्षा

1952-53 में उड़ीसा में 884 नये प्रारम्भिक स्कूल खोले गये और 110 को उच्च प्रारम्भिक दर्जे का कर दिया गया। राज्य के 4,000 चुने हुए स्कूलों में तथा 16 प्रारम्भिक ट्रेनिंग स्कूलों में नई शिक्षा पद्धति जारी की गई। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन करने के लिये राज्य की व्यवस्थापिका सभा में बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा बिल पास हुआ। इसी वर्ष 25 नये मिडिल अंग्रेजी स्कूल तथा 15 नये हाई स्कूल जारी किये गये। इस तरह राज्य भर में इन स्कूलों की कुल संख्या 550 और 198 हो गई। राज्य के कालेजों में शिक्षा का दर्जा ऊचा करने का भरसक प्रयत्न किया गया और उनकी सहायता में वृद्धि की गई। प्रौढ शिक्षा के 162 नये केन्द्र खोले गये और राज्य के 3 क्षेत्रों में 15,666 प्रौढों को साक्षर बना दिया गया। सामाजिक शिक्षा पर 140 लाख रुपये खर्च किये गये।

खाद्यान्न तथा कृषि

गत वर्ष राज्य में 3,000 एकड़ नई भूमि पर कृषि प्रारम्भ हुई। गहरी खेती करने के उद्देश्य से अच्छे बीजों, अच्छे खादों और कृषि के नये उपकरणों का वितरण किया गया। ग्राम-वासियों को कृषि की बीमारियों से बचने के उपाय बताये गये और इस सम्बन्ध में उचित कार्य-वाही की गई।

1952-53 में उड़ीसा में सिंचाई के बड़े साधनों पर 25 लाख रुपये व्यय हुए और छोटे साधनों पर 23,589 रुपये ।

पहली नवम्बर 1952 से 31 अक्तूबर 1953 तक राज्य में 2 लाख टन चावल प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था । मार्च 1953 के अन्त तक इसमें से 1,91,412 टन चावल प्राप्त हो चुका था, जब कि गत वर्ष इसी अवधि में चावल की उत्पत्ति केवल 96,335 टन हुई थी ।

### व्यवसाय

राज्य में इन कारखानों की स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है : सूतकटाई का एक कारखाना, 10,000 टन अल्युमिनियम पैदा करने वाला एक कारखाना, एक बुनाई कारखाना और एक 30,000 लोहे की ट्यूबें बनाने वाला कारखाना । लोहे की चादरें बनाने वाला कारखाना जारी हो चुका है और एक कागज बनाने वाली मिल और एक जूट मिल लगाई जा रही है । इनके अतिरिक्त रुई साफ करने का कारखाना तथा व्यावसायिक उपयोग के तेल बनाने का कारखाना खोले जाने की दो स्कीमें बनी हैं । छोटे दर्जे के तथा मध्यम व्यवसायों को काफ़ी मात्रा में आर्थिक सहायता दी गई । कटक का रिकार्डिंग प्लांट, सम्बलपुर और बहुरामपुर के पावर लूम कारखाने और बिस्कुट और नमक के कारखानों की ओर राज्य की सरकार ने विशेष ध्यान दिया ।

राज्य में लकड़ी के खिलौने बनाने तथा मिट्टी के मजबूत खिलौने बनाने और बालासोर जिले में पीतल की घंटियाँ और बरतन बनाने के कार्यों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है । ये सब काम छोटे उद्योगों के अंग हैं । मार्च 1953 तक उड़ीसा में 1,03,779 गज खादी बनाई गई और हाथ के करघों द्वारा 6 लाख गज कपड़ा बुना गया ।

1952-53 में 67 नई फैक्टरियाँ रजिस्टर्ड हुईं और उनकी लाइसेंस फ़ी से 26,000 से अधिक रुपये प्राप्त हुए । व्यवसाय के सम्बन्ध में आवश्यक गणनायें एकत्र की गईं ।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

1952-53 में उड़ीसा सरकार ने स्वास्थ्य पर 54 लाख रुपये खर्च किये । रामचन्द्र भज मेडिकल कालेज तथा कटक के अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई और नये सामान और अतिरिक्त स्टाफ पर 2 लाख रुपये खर्च किये गये । उदितनारायणपुर के तपेदिक अस्पताल में 10 बिस्तर बढ़ाये गये । 40,000 रुपये कटक में तपेदिक का क्लिनिक बनाने के लिये स्वीकार किये गये । राज्य की ओर से अंधों को सहायता देने के लिये लगभग 6,000 रुपये विभिन्न संस्थाओं को बांटे गये । कलहंदी और पुरी जिलों में पागल कुत्तों के काटे का इलाज करने के लिये दो केन्द्र खोले गये ।

कटक के जच्चा अस्पताल के विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार ने 30,000 रुपये दिये । जिन क्षेत्रों में बीमारियाँ फैलती हैं, वहाँ डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया । संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था की ओर से 12½ टन, 50 प्रतिशत डी० डी० टी० वाला पाउडर तथा एक लाख पौंड धोल प्राप्त हुआ । तपेदिक की रोकथाम करने के लिये गत वर्ष 3 दलों ने दौरा किया । उन्होंने 1,52,026 व्यक्तियों की परीक्षा की और 29,735 को बी० सी० जी० के टीके लगाये । ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा पानी पहुंचाने के लिये 11 लाख रुपये खर्च किये गये ।

उड़ीसा विधान सभा

अध्यक्ष : नन्दकिशोर दास

पधान मकरध्वज (अम्भाभोना मुरा)  
 जनार्दन भंज देव (आनन्दपुर)  
 भाइगा मेठी (आनन्दपुर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 हृषिकेश त्रिपाठी (आगुल हिन्दोल)  
 अखिता नायक (आगुल, हिन्दोल, संरक्षित परिगणित जाति)  
 हरिहरदाम (अस्क)  
 मोहन नायक (अस्क, संरक्षित परिगणित जाति)  
 राधानाथ रथ (आठगढ)  
 किशोर चन्द्र (अठमल्लिक)  
 विपिन विहारी दास (अट्टावीरा)  
 शैलेन्द्र नारायण भंज देव (औल)  
 मोरेन मुनारम (बहालदा, संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 सुरेन्द्र नाथ दास (बालासोर)  
 यादव पट्टा (बालिगुडा, संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 प्राण कृष्ण परीजा (बलीकुडा)  
 इन्दुभूषण महन्ति (बभ्रा)  
 जयदेव ठाकुर (बभ्रा, संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 यादव माझी (बंग्रीपोशी, संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 गोकुलानन्द पहराज (बांकी)  
 गोदावरीश मिश्र (बानपुर)  
 गोकुलानन्द मोहान्ति (बांठ)  
 नवकृष्ण चौधरी (बरछना)  
 तीर्थवासी प्रधान (बारहगढ)  
 गिरीश चन्द्र राय (बारीपदा)  
 सुरेन्द्र सिंह (बारीपदा, संरक्षित परिगणित जाति)  
 सेनापति त्रिलोचन (बेस्ता)  
 गण्डाधर पाइकेरा (बेगुनिया)

नायिक वृन्दावन (बेरहामपुर)  
 नायक मोहन (बेरहामपुर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 मुहम्मद हनीफ (भद्रक)  
 योगीश चन्द्र सिंह देव (भवानी पटना)  
 जनार्दन माझी (भवानी पटना, संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 शशि कांत भज (भोगराई)  
 सत्यप्रिय महन्ति (भुवनेश्वर)  
 महनु मलिक (भुवनेश्वर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 बैकुण्ठ नेपक (बिनिका)  
 पद्मनाभ राय (बिन्जारपुर)  
 नव किशोर मल्लिक (बिन्जारपुर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 अच्युतानन्द महाकुर (वीरमहाराजपुर)  
 मदनमोहन अमात (विसरा, संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 श्याम घन उलाका (विसरेमकटक, संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 नन्द किशोर मिश्र (बोलगीर)  
 अछूता महानन्द (बोलगीर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 नीलमणि सिंह दण्डपत (बोनाय, संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 हिमांशु शेखर पाधि (बौढ)  
 विश्वनाथ परीदा (ब्रह्मागिरि)  
 गुरु चरण नायक (चम्पुआ, संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 चक्रधर बेहेरा (चांदबाली)  
 वृन्दावन दास (चांदबाली, संरक्षित परिगणित जाति)  
 वी. सीतारमैया (छत्रपुर)  
 भैरव चरण महन्ति (कटक)



लक्ष्मण मलिक (कटक, ग्रामीण, संरक्षित  
परिगणित जाति)  
बीरेन मिश्र (कटक कस्बा)  
किशोर चन्द्र भंज देव (दशपला)  
नीलमणि राउत्र (धामनगर)  
परमानन्द मोहान्ति (धरमशाला)  
वैष्णव चरण पटनायक (धेनकनल)  
भावन देहरी (डेनकनाल, संरक्षित परिगणित  
जन जाति)  
गौरीश्याम नायक (एरसमा)  
गमग भगीरथी (गुनुपुर), संरक्षित परिगणित  
जन जाति)  
नीलमणि प्रधान (जगतसिंहपुर)  
झजरू झोडिया (जयपला काशीपुर संरक्षित  
परिगणित जन जाति)  
गदाधर दास (जाजपुर)  
शान्तनु कुमार दास (जाजपुर, संरक्षित परि-  
गणित जाति)  
करुणाकर पाणीग्रही (जलेश्वर)  
हरिहर मिश्र (जेपुर)  
लोहछन नायको (जेपुर, संरक्षित परिगणित  
जाति)  
विजय कुमार पानि (झरसुगुडा—रामपेला)  
मनोहर नायक (झरसुगुडा—रामपेला,  
संरक्षित परिगणित जन जाति)  
विजयानन्द पटनायक (जे. प्रसाद)  
प्रताप किशोर देव (जूनागढ)  
दयानिधि नायक (जूनागढ, संरक्षित परि-  
गणित जाति)  
हर चन्द्र हंसदा (काणतीपाडा, संरक्षित परि-  
गणित जन जाति)  
मुदिली गंगा (कोरापुत, संरक्षित परिगणित  
जन जाति)  
उपेन्द्र मोहान्ति (काकटपुर—निमपारा)  
गोविन्द चन्द्र सेठी (काकटपुर—निमपारा,  
संरक्षित परिगणित जाति)  
दीनबन्धु साहू (केन्द्रपारा)

लक्ष्मीनारायण भंजदेव (क्योझार)  
गोविन्द मुण्डा (क्योंझार, संरक्षित परिगणित  
जनजाति)  
राजकृष्ण बसु (केसनगर)  
राम चन्द्र मर्दाराज देव (खालीकोट)  
हरिहर सिंह गर्दाराज भ्रामरवर देव  
(खण्डपारा)  
शारेन शाकीह (खुण्टा, संरक्षित परिगणित  
जन जाति)  
माधव चन्द्र राउत्र (खुरदा)  
बनमाली महाराणा, (कुदाला)  
दास प्रदीप्त किशोर (महंगा)  
लक्ष्मणगौदो (मल्कनगिरि)  
प्रसन्न कुमार दास (मुरुदा)  
भोगोबान खेमेन्दु नायक (नन्दपुर)  
वृन्दावन साहु (नरसिंहपुर)  
अनुप सिंह देव (नवपारा)  
चेतन माझी (नवपारा, संरक्षित परिगणित  
जन जाति)  
कृष्ण चन्द्र सिंह मान्धाता (नयागढ)  
नीलाम्बर दास (नीलगिरि)  
चैतन्य सेठी (नीलगिरी, संरक्षित परिगणित  
जाति)  
गदाशिव त्रिपाठी (नौरगपुर)  
मुदिनायको (नौरगपुर, संरक्षित परिगणित  
जन जाति)  
अनिरुचा मिश्र (पदमपुर)  
लाल रंजीत सिंह बरिहा (पदमपुर, संरक्षित  
परिगणित जन जाति)  
गणेश्वर महापात्र (पदुभ्रा)  
सुबाहु सिंह महेश चन्द्र (पाल—लहरा के.  
नगर)  
बैधर नायक, (पाल—लहरा के. नगर,  
संरक्षित परिगणित जाति)  
विश्वनाथ साहु (पंचपीर)  
घासीराम शाण्डील (पंचपीर—संरक्षित  
परिगणित जाति)

जगन्नाथ मिश्र (परलाकिमेदी)  
 अण्णन्ना डोरा विश्वासराय (परलाकिमेदी,  
 संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 लोकनाथ मिश्र (पतकुरा)  
 अर्जुनदास (पटनागढ़)  
 गणेशराम बरिया (पटनागढ़, संरक्षित परि-  
 गणित जन जाति)  
 दिवाकर पटनायक (पन्नापुर)  
 कुमारी राम राज ((पट्टामुण्डई)  
 गोविंद प्रधान (पट्टापुर)  
 सदानन्द साहु (फुलबनी—उदयगिरि)  
 बालकृष्ण मल्लिक, ( फुलबनि—उदयगिरि,  
 संरक्षित परिगणित जन जाति)  
 जयकृष्ण महान्ति (पिप्ली)  
 फकीर चरण दास (पुरी)  
 हरिहर दास (पुरुषोत्तमपुर)  
 हरदेव त्रिया (रायरगंपुर, सरक्षित परिगणित  
 जन जाति)  
 लक्का अगापीट (राजनगर, संरक्षित परिगणित  
 जन जाति)  
 श्रीमती सरस्वती देई (राजनगर)  
 श्रीमती वसन्तमंजरी देवी (रणपुर)  
 कामय्या मदंगी (रायगदा, संरक्षित परिगणित  
 जन जाति)

दीनबन्धु बेहेडा (रोस्सुलकोडा)  
 सुरेन्द्र नाथ पटनायक (सालेपुर)  
 पुरनन्द सामल, (सालेपुर, सरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 श्राद्धकर सुपाकर (सम्बलपुर—रैराखोल)  
 भिखारी घासी (सम्बलपुर—रैराखोल)  
 (सरक्षित परिगणित जाति)  
 नीलकण्ठ दास (सत्यवादी)  
 भिखारी साहु (सोहेल्ला)  
 बीसी बिभार (सोहेल्ला, सरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 अन्त राम नन्द (मोनपुर)  
 नन्द किशोर दास (मोरो)  
 कृपानिधि नायक (मुन्दरगढ़)  
 द्वारिका नाथ कुसुम (मुन्दरगढ़, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 नारायण चन्द्र पति (सकिदा)  
 पवित्र मोहन प्रधान (तलचर)  
 निशामणि कुतिया (तिरतोल्)  
 मुरलीधर पाण्डा (टीटलगढ़)  
 रमेशचन्द्र भोई (टीटलगढ़, सरक्षित परि-  
 गणित जन जाति)  
 पत्तु मोलिको (उदयगिरि—मोहाना, सरक्षित  
 परिगणित जन जाति)

### पंजाब

#### राज्यपाल

चन्द्रिकेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

#### मंत्री

1. मुख्यमंत्री तथा साधारण व्यवस्था, प्रचार,  
 कानून और शान्ति, जेल, न्याय, पंचायत, खाद्य  
 तथा नागरिक पूर्ति
2. लगान, विकास (कृषि, जंगल और पशुचिकित्सा)  
 तथा भूमि का एकत्रीकरण
3. सिंचाई, बिजली और सहयोग समितियां
4. वित्त, व्यवसाय और पुनर्वास
5. शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात
6. श्रम, स्टेशनरी, आन्तरिक कर, अन्य टैक्स, परिगणित  
 जातियां और पिछड़ी हुई जातियां

भीमसेन सच्चर

प्रतापसिंह कैरो

लहरीसिंह

उज्जलसिंह

जगतनारायण

मुन्दरसिंह

## 7. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बड़े कार्य और

गुरवचनसिंह बजवा

स्थानीय स्वराज्य

वित्त

(लाख रुपये में)

| बजट आंकड़े        | आय    | व्यय  | बचत (+)<br>या कमी (—) |
|-------------------|-------|-------|-----------------------|
| 1950-51 (ख.)      | 1,686 | 1,600 | + 86                  |
| 1951-52 (लेखा)    | 1,817 | 1,645 | + 172                 |
| 1952-53 (संशोधित) | 1,856 | 1,689 | + 167                 |
| 1953-54 (बजट)     | 1,974 | 2,005 | — 31                  |

## शिक्षा

पंजाब में शिक्षा प्रसार के लिये एक चतुर्मुखी योजना जारी की गई, जिसके अनुसार कम कोमन पर शिक्षा देने, पाठ्य पुस्तकों की कीमत घटाने, नये स्कूल खोलने, शिक्षकों को ट्रेण्ड करने और शिक्षा के लिये एक सलाहकार बोर्ड बनाने के कार्य जारी किये गये। 1952-53 में प्रारम्भिक शिक्षा पर 1,06,50,000 रुपये व्यय किये गये। इसके अतिरिक्त ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की इमारतें बनाने के लिये 6 लाख रुपये व्यय किये गये। गत वर्ष राज्य में 25 वेंसिक, 900 प्रारम्भिक और 30 हाई स्कूल नये खोले गये। रोपड़ में शारीरिक शिक्षा देने के लिये एक कालेज खोला गया और चंडीगढ़ में एक गवर्नमेंट कालेज। पाठ्य पुस्तकों की कीमतें 30 प्रतिशत घटाई जा रही हैं। शिक्षा पर 1952-53 में 203 लाख रुपये व्यय किये गये और 1953-54 में 244 लाख रुपये।

## खाद्यान्न और कृषि

1952 में पंजाब से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद 46,000 टन गेहूँ, 50,000 टन चावल और 5,000 टन जौ निर्यात किया गया। कृषि के सुधार के लिये कितनी ही नई स्कीमें जारी की गईं, जिनके अनुसार भूमि का पुनर्विचार, ग्रामीण खादों का प्रयोग और खेती की बीमारियों की रोकथाम का प्रयत्न जारी है। 1952 तक वहां 96,000 एकड़ नई भूमि पर खेतीबाड़ी प्रारम्भ कर दी गई थी। इसी वर्ष 3 लाख एकड़ नई भूमि की सिंचाई नहरों तथा 571 ट्यूबवैलों द्वारा की गई। रूई पैदा करने के क्षेत्र बढ़ाये गये और उसकी उत्पत्ति 1952-53 में 2,67,000 गांठों तक पहुंच गई, जब कि 1948-49 में वह केवल 77,700 गांठें थी। किसानों को 67 लाख रुपये की कीमत का 20,000 टन अमोनियम सल्फेट (बढिया रासायनिक खाद) बांटा गया।

## व्यवसाय

राज्य का व्यावसायिक विकास करने के लिये एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन बनाया गया, जिसे दो करोड़ रुपये उधार देने का अधिकार दिया गया। व्यवसायों और सरकार में निकटता लाने के लिये दो सलाहकार समितियां बनाई गईं। गत वर्ष पंजाब में 441 नई कम्पनियां रजिस्टर्ड हुईं, जिनका आज्ञा मूलधन 130 करोड़ रुपये है और प्राप्त मूलधन 134

लाख । 1952-53 में फैंक्टरी क्रानून के अनुसार रजिस्टर्ड फैंक्टरियों की संख्या 1,500 तक पहुंच गई । 1953 में कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य बीमा स्कीम भी जारी कर दी गई ।

#### सार्वजनिक स्वास्थ्य

1952 में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों की संख्या 118 तक पहुंच गई, जब कि 1948 में वह केवल 62 थी । इसी तरह औषधालयों की संख्या 255 से 473 हो गई । 1952 में एक डेंटल कालेज और एक नया अस्पताल खोला गया और कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय भी जारी किये गये । 1952 में इन अस्पतालों में 59,09,048 बीमारों का इलाज किया गया ।

#### पंजाब विधान सभा

अध्यक्ष : गुरदयाल सिंह ढिल्लो

गुरदयाल सिंह ढिल्लो (झब्बल)  
 सूर्यसिंह (नारनौंद)  
 भीमसेन सच्चर (लुधियाना नगर दक्षिण)  
 प्रतापसिंह कैरों (पट्टी)  
 लहरीसिंह (गनौर)  
 जगतनारायण (चण्डीगढ़)  
 गुरबचन सिंह बाजवा (बटाला)  
 सुन्दरसिंह (गुरदासपुर, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 प्रबोधचंद्र (गुरदासपुर)  
 अब्दुल गफ्फार खान (अम्बाला नगर)  
 अब्दुल गनी दार (नूह)  
 अभयसिंह (रेवाड़ी)  
 अछरसिंह (अजनाला)  
 अजमेरसिंह (समराला)  
 अमीरचन्द गुप्ता (अमृतसर नगर—मध्य)  
 बाबूदयाल (सोहना)  
 बचन सिंह (बाघा पुराना)  
 बदलूराम (कलानौर)  
 बालूराम (बलाचौर)  
 बालू (फतेहाबाद, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 बलवन्तराय तायल (हिसार नगर)  
 बलवन्तसिंह (खालरा)  
 बनारसीदास गुप्त (थानेसर)  
 भार्गसिंह (मुक्तसर)

भार्गसिंह (कोट भाई, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 बिशनराम (नवांशहर, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 चाननसिंह (टांडा)  
 चन्दनलाल जौड़ा (अमृतसर नगर, उत्तर)  
 चांदराम अहलावत (झज्जर, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 चांदीराम वर्मा (अबोहर)  
 चूनीलाल (रेवाड़ी, संरक्षित परिगणित जाति)  
 दरबारसिंह (नूरमहल).  
 दर्शनसिंह (तरन तारन, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 दौलतराम (कैथल)  
 दौलतराम शर्मा (हमीरपुर)  
 डी. डी. पुरी (जगाधरी)  
 देवीलाल (सिरसा)  
 देवेन्द्रसिंह (मोगा, धर्मकोट)  
 देवराज आनन्द (अम्बाला छावनी)  
 देवराज सेठी (रोहतक नगर)  
 धर्मवीर वसिष्ठ (हसनपुर)  
 गजराजसिंह (गुडगांव)  
 गोपालसिंह (जगरांव, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 गोपीचन्द (पुण्डरी)  
 गोरखनाथ (नारोट जयमल सिंह)

गुरादास हंस (होशियारपुर, संरक्षित परि-  
गणित जाति)

गुरबचनसिंह अत्वाल (नवांशहर)॥

गुरबन्तासिंह (आदमपुर, संरक्षित परिगणित  
जाति)

गुरदयालसिंह (करतारपुर)

गुरुदत्त सिंह (पलवल)

गुरुनंजसिंह (सीड़ा)

हरभजनसिंह (गढशंकर)

हरीचंद (आनन्दपुर)

हरीराम (धरमशाला)

हरीसिंह (दसूया)

हरकिशन सिंह सुरजीत (नकोदर)

हरनामसिंह सेठी (फ़ीरोजपुर)

इकबालसिंह (जगरांव)

जगताराम भारद्वाज (होशियारपुर)

जगदीशचन्दर (शाहबाद)

जगदीशचन्द्र (लधियाना शहर, उत्तर)

जोगिन्दरसिंह (डेरा बाबा नानक)

कन्हैयालाल बुटैल (पालमपुर)

करतारसिंह (गढशंकर)

कस्तूरीलाल गोयल (असध)

केदारनाथ सहगल (बल्लभगढ)

केशोदास (पठानकोट)

खेमसिंह (अमृतसर, संरक्षित परिगणित  
जाति)

खुशीराम गुप्त (अम्ब)

चौधरी कृष्णगोपाल दत्त (पानीपत)

लाजपतराय (हांसी)

लालचन्द प्रार्थी (कुल्लू)

मामचन्द (गोहाना, संरक्षित परिगणित  
जाति)

मामराज (भिवानी, संरक्षित परिगणित  
जाति)

मणीराम (फतेहाबाद)

मन्साराम कुठियाला (ऊना)

मारुसिंह मलिक (सम्पला)

मेहरसिंह (हमीरपुर, संरक्षित परिगणित  
जाति)

मेहरसिंह (हरीपुर)

मोहनसिंह (तरन तारन)

मुहम्मद यासीन खा (फ़ीरोजपुर—झिरका)

मूलचन्द जैन (सम्भलका)

मोतासिंह आनन्दपुरी (आदमपुर)

मुक्तियारसिंह (मोगा—धर्मकोट—संरक्षित  
परिगणित जाति)

नन्दलाल (करनाल)

नान्हूराम (गोहाना)

नरजनदास धीमन (फिल्लौर)

नौरंगसिंह (समराला, संरक्षित परिगणित  
जाति)

श्रीमती प्रकाशकौर (रामदास)

प्रतापसिंह (सुजानपुर)

प्रतापसिंह (रोपड़, संरक्षित परिगणित  
जाति)

प्रतापसिंह राय (गुरु हरसहाय)

प्रतापसिंह (मल्लनवाला)

फगूराम (बटाना, संरक्षित परिगणित  
जाति)

पूरनसिंह (कोट भाई)

रघुवीरसिंह (सेराज)

राजेन्द्रसिंह (रोपड़)

रालाराम (मुकेरिया)

रामचन्द्र (नूरपुर)

रामदयाल वैद्य (डबवाली)

रामकिशन (जालन्धर नगर, उत्तर-पश्चिम)

रामकुमार बिधत (भिवानी)

रामप्रकाश (मोलाना, संरक्षित  
परिगणित जाति)

रामसरूप (बुटाना)

रंजीतसिंह कैप्टन (हिसार, सदर)

रत्तन अमोल सिंह (मोलाना)

रिज्जकराम (राई)

साधूराम (नारायण गढ़)  
समरसिंह (गरीण्डा)  
सन्तराम (नकोदर, सरक्षित परिगणित जाति)  
सरूपसिंह (अमृतसर नगर, पूर्व)  
शमशेरसिंह (लुधियाना सदर)  
श्रीमती शन्नो देवी (अमृतसर नगर, पश्चिम)  
शेरसिंह (झज्जर)  
शिवसिंह (रानिया)  
श्रीराम शर्मा (सोनीपत)

श्रीमती सीतादेवी (जालन्धर नगर, दक्षिण पूर्व)  
सोहनसिंह (भ्यास)  
सोमदत्त (शिमला)  
श्रीचन्द (बहादुरगढ़)  
उत्तमसिंह (श्रीगोविन्दपुर)  
वधवाराम (फाजिल्का)  
वरियामसिंह (अमृतसर)  
वजीरसिंह (देल्हन)

### पंजाब विधान परिषद्

#### सभापति—कपूरसिंह

प्रविनाशचन्द्र (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
बलवन्त राय (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
गुलाबसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
हसराम (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
कपूरसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
कर्तारसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
किशोरीलाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
कर्तारसिंह चौधरी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
साहिब राम सेठी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
तेजासिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
सोहनसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
उज्जलसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
यशपाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
रामचन्द्र (स्नातकों का निर्वाचन क्षेत्र)  
जोशनिह (स्नातकों का निर्वाचन क्षेत्र)  
सूरजभान (स्नातकों का निर्वाचन क्षेत्र)  
चमनलाल (अध्यापकों का निर्वाचन क्षेत्र)  
उदयसिंह (अध्यापकों का निर्वाचन क्षेत्र)  
गुरचरनसिंह (अध्यापकों का निर्वाचन क्षेत्र)  
मोहनलाल (होशियारपुर कागड़ा-गुरदासपुर स्थानीय प्राधिकार)

गुरबख्श सिंह (होशियारपुर—कागड़ा—गुरदासपुर स्था०)  
कृष्णचन्द्र (होशियारपुर—कागड़ा—गुरदासपुर स्था०)  
नगिन्दरसिंह (जालन्धर—फीरोज़पुर—अमृतसर—लुधियाना स्था०)  
नरायणसिंह (जालन्धर—फीरोज़पुर—अमृतसर—लुधियाना स्था०)  
रामदयाल सिंह (जालन्धर—फीरोज़पुर—अमृतसर—लुधियाना स्था०)  
दीनानाथ (जालन्धर—फीरोज़पुर—अमृतसर—लुधियाना स्था०)  
दरबारीलाल (अम्बाला—करनाल स्था०)  
अमरनाथ (अम्बाला—करनाल)  
बीरेन्द्रसिंह (गुड़गावां—रोहतक—हिसार—शिमला स्था०)  
हरिसिंह (गुरगाव—रोहतक—हिसार—शिमला स्था०)  
मोहरसिंह (गुरगावा—रोहतक—हिसार—शिमला स्था०)  
प्रेममुख दास (गुड़गावा—रोहतक—हिसार—शिमला स्था०)  
सूर्यकान्त (नामजद)  
वीरसिंह (नामजद)

एस० जी० ठाकुर सिंह (नामजद)  
 रामधन शर्मा (नामजद)  
 मोहनलाल (नामजद)

यशवन्तराय (नामजद)  
 कुमारी बी. जी. भान (नामजद)  
 बशीर-उद्दीन (नामजद)

### उत्तर प्रदेश

#### राज्यपाल मंत्री

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

- |                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| I. मुख्य मंत्री, तथा शासन व्यवस्था, आयोजना और सहयोग | गोविन्दवल्लभ पन्त    |
| 2. वित्त और शक्ति                                   | मोहम्मद इब्राहीम     |
| 3. गृह तथा श्रम                                     | सम्पूर्णानन्द        |
| 4. व्यवसाय और पुनर्वासि                             | हुकमसिंह             |
| 5. सार्वजनिक कार्य                                  | गिरधारीलाल           |
| 6. नागरिक पूर्ति और स्वास्थ्य                       | चन्द्रभानु गुप्त     |
| 7. लगान और कृषि                                     | चरणसिंह              |
| 8. न्याय और आन्तरिक कर                              | अली जहीर             |
| 9. शिक्षा और हरिजन सहायक                            | हरगोविन्द सिंह       |
| 10. स्थानीय स्वराज्य                                | मोहनलाल गौतम         |
| 11. सूचना और सिंचाई                                 | कमलापति त्रिपाठी     |
| 12. यातायात                                         | विचित्र नारायण शर्मा |

#### उप-मंत्री

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. पालियामेटरी कार्य और सहयोग | मंगलाप्रसाद         |
| 2. जंगल                       | जगमोहन सिंह नेगी    |
| 3. कृषि                       | जगन्नाथ प्रसाद रावत |
| 4. जेल                        | मुजफ्फर हुसैन       |
| 5. सार्वजनिक कार्य विभाग      | चतुर्भुज शर्मा      |
| 6. सिंचाई                     | राममूर्ति           |
| 7. योजना                      | फूलसिंह             |

#### वित्त

(लाख रुपयों में)

| बजट आकड़े         | आय        | व्यय      | अतिरिक्त (+)<br>या कमी (—) |
|-------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 1950-51 (लेखा)    | 5,189 (क) | 5,184 (क) | +5                         |
| 1951-52 (लेखा)    | 5,556 (क) | 5,550 (क) | +6                         |
| 1952-53 (संशोधित) | 6,641 (क) | 6,641 (क) | —                          |
| 1953-54 (बजट)     | 7,438 (क) | 7,880 (क) | -442                       |

(क) आय और व्यय में, राज्य-परिवहन सेवा द्वारा कुल प्राप्त और कुल व्यय भी सम्मिलित है।

## शिक्षा

गत वर्ष उत्तर प्रदेश की 86 म्युनिसिपल कमेटियों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई । राज्य में विद्यार्थियों की संख्या 12 लाख तक पहुंच गई । ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया गया और उसके लिये अधिक रुपये व्यय किये गये । यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गांव से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने गावों के विकास के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें । उन में प्रेरणा, सूझ, आत्मनियंत्रण और आत्म-निर्भरता का विकास करने के लिये सामाजिक सेवा की एक विशेष स्कीम जारी की गई है । 17 जिलों में विद्यार्थियों को फौजी शिक्षा भी दी जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की । गूंगे और बहरों की शिक्षा की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया और इस कार्य के लिये एक अनावर्तक सहायता भी दी । देहरादून के अध-विद्यालय के लिये केन्द्रीय सरकार और राज्य की सरकार आधा-आधा खर्च दे रही है । 1953 में हिन्दुस्तानी एकेडमी की कौंसिल का 3 वर्षों के लिये पुनर्निर्माण किया गया ।

इलाहाबाद के मनोविज्ञान ब्यूरो के कार्य का विस्तार करने के लिये मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर और बनारस में मनोवैज्ञानिक केन्द्र खोले गये । इन केन्द्रों में विद्यार्थियों को इस बात की सलाह भी दी जाती है कि वे अपने लिये कौन-सा मार्ग चुनें ।

## साधान और कृषि

1952-53 में राज्य में सैंकड़ों नये ट्यूबवैल लगाये गये । कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कितनी ही सिंचाई की नई नालियां खोदी गईं । इसी वर्ष रंगवान और अहरोरा बांध भी पूरे किये गये । इन कार्यों से 3,50,000 एकड़ नई भूमि की सिंचाई होगी ।

440 नये ट्यूबवैल लगाने का कार्य लगभग समाप्त पर है । गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के जिलों में लगभग 100 ट्यूबवैल लगाये गये, जिनसे 48,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । अल्मोडा, नैनीताल, गढ़वाल और टिहरी के इलाकों में 250 मील सिंचाई की नालियां खोदी गईं, जिनसे 20,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । केन्द्रीय क्षेत्रों में 2,000 मील लम्बी नालियां बनाने का काम जारी है । शारदा और अपर-गंगा नहरों का जल-सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसी तरह पूर्वी जमना नहर का भी विस्तार किया जा रहा है ।

1952 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में कृषि महाविद्यालय में एक नया अनुसन्धान विभाग स्थापित किया, जिसका उद्देश्य टैक्निकल अनुसन्धान और किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं में तालमेल पैदा करना है । तराई भाग के जंगल में हाथियों द्वारा ट्रैक्टर चलाने का परीक्षण भी किया जा रहा है ।

26 जिलों में जापानी ढंग से चावल बोने के कार्य जारी किये गये । आगरा और मथुरा में राजस्थान के रेगिस्तान की वृद्धि रोकने के लिये नये जंगल बोये गये ।

गत वर्ष व्यवस्थापिका सभा ने भूमि अधिकार सम्बन्धी एक नया कानून पास किया । अपने कार्य की शिक्षा लेने के लिये लगान सम्बन्धी बहुत से सरकारी कार्यकर्ता पंजाब में भेजे गये । जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये भूमि सम्बन्धी कितने ही कानून पास हुए । राज्य में राशन समाप्त कर दिया गया और खुली बिक्री की प्रथा जारी की गई । अन्न खरीदने की



पया बन्द कर दी गई और राज्य में अन्न के यातायात पर से सब प्रतिबन्ध उठा लिये गये। अन्नों की 11 मितों पर से नियंत्रण हटा लिये गये। 1953 के प्रारम्भ में गेहूँ तथा कुछ खाद्यान्नों की कीमतें कतिपय नगरों में ऊपर की ओर गईं, इसलिये ऐसे शहरों में सरकार ने सस्ते दामों पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से दो छंटाक आयात गेहूँ देने का प्रबन्ध किया। जहाँ राशन जारी था, वहाँ सस्ते दामों पर अन्नों की बिक्री का प्रबन्ध भी किया गया। बाद में एक लाख से कम आबादी वाले नगरों में से राशन हटा लिया गया। जिन पूर्वी और पहाड़ी जिलों में प्राकृतिक मुसीबतों के कारण अन्न की कमी हो गई थी, वहाँ सरकार ने अन्न पहुँचाने का प्रबन्ध किया। इस काम के लिये हवाई जहाज भी इस्तेमाल में लाये गये।

### व्यवसाय

1952 में कानपुर में कार्यकर्ताओं की सरकारी बीमा स्कीम जारी कर देने से वहाँ एक लाख कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचा। कार्यकर्ताओं के लिए प्रोविडेंट फण्ड स्कीम भी जारी की गई। 1952-53 में गृह उद्योग कमेटी की जगह 'गृह व्यवसाय बोर्ड' स्थापित किया गया। हाथ के हरघों को संरक्षण देने के लिये एक हैंडलूम बोर्ड बनाया गया। राज्य में हाथ से कता ऊनी और सूती कपड़ा बनाने के लिये क्रमशः 3 और 4 ग्रामीण केन्द्र स्थापित किये गये। आजमगढ़ जिले के मऊ नामक स्थान पर एक रंगने वाली फैक्टरी खोली गई। देहाती हलकों में धधो की शिक्षा देने के लिये 1,21,000 रुपये के व्यय से जौनपुर में एक पोलिटैक्निक कालेज स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अच्छा अन्न पैदा करने के लिये सरकार ने 30 लाख रुपये की एक पंचवर्षीय योजना जारी की है।

मिर्जापुर जिले में रौवर्ट्सगंज की सरकारी सीमेंट फैक्टरी विशेष उन्नति कर रही है। इमारत बन चुकी है और मशीनें लगाई जा रही हैं। लखनऊ के सरकारी यंत्र निर्माण केन्द्र में मानी के मीटरों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। 1952 में प्रति मास 700 मीटर बन रहे थे। यह संख्या अब काफी बढ़ गई है।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

छोटे कस्बों और देहाती इलाकों में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने की ओर विशेष ध्यान दिया गया और गत वर्ष कितने ही नये औषधालय खोले गये। कितने ही जिलों में नये अस्पताल जारी किये गये। देहरादून जिले के जौनसार बावर परगने में लैंगिक बीमारियों की रोकथाम के लिये एक चिकित्सक दल भेजा गया।

24 जिलों में मलेरिया की रोकथाम के प्रयत्न किये गये। प्लेग की रोकथाम के भी उपाय किये गये। नैनीताल जिले के गेथिया नामक स्थान पर विद्यमान एक तपेदिक के अस्पताल को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अब विशेषतः विद्यार्थियों और अध्यापकों की चिकित्सा के लिये एक और तपेदिक का सेनेटोरियम खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है। बस्ती और बदायूँ में 2 तपेदिक बाड़ों का निर्माण किया जा रहा है। डब्ल्यू० एच० ओ० टैक्निकल सहायता कार्यक्रम के अनुसार आगरा के सरोजिनी नायडू सरकारी मैडिकल कालेज में एक अर्वाचीन इंग का तपेदिक निरोधक क्लीनिक खोला जा रहा है।

आंध्र सम्बन्धी बीमारियों की रोकथाम के लिये एक ओपेरेटिव एडवाइजरी हॉसिल (चक्षु सम्बन्धी सलाहकार समिति) बनाई गई। आंध्र की बीमारियों की चिकित्सा के लिये सरकार अब 75,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता देती है।

राज्य में होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिये एक होमियोपैथिक बोर्ड बनाया गया है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि योग्य होमियोपैथिक चिकित्सक गांवों में जाकर अपना कार्य करें। जनता को शुद्ध दवाइयां प्राप्त हो सके, इसकी ओर भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है।

### उत्तर प्रदेश विधान सभा

#### अध्यक्ष—आत्माराम गोविन्द खेर

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| देवकीनन्दन विभव (आगरा)                    | शम्भूनाथ चतुर्वेदी (बाह)                   |
| बाबूलाल मित्तल (आगरा शहर, उत्तर)          | राममूर्ति (बहेड़ी उत्तर पूर्व)             |
| सी० वी० महाजन (आगरा शहर, पश्चिम)          | धर्मदत्त वैद्य (बहेड़ी दक्षिण पश्चिम)      |
| रामनारायण त्रिपाठी (अकबरपुर पूर्व)        | बरेली पश्चिम)                              |
| रामदुलारे मिश्र (अकबरपुर-दक्षिण)          | शिवशरणलाल श्रीवास्तव (बहराइच पूर्व)        |
| जयराम वर्मा (अकबरपुर-पश्चिम)              | राजकिशोर राय (बहराइच-पूर्व, संरक्षित)      |
| रामदाम (अकबरपुर पश्चिम, संरक्षित)         | परिगणित जाति)                              |
| परिगणित जाति)                             | त्रिलोकीनाथ कौल (बहराइच पश्चिम)            |
| मोहनसिंह शाम्य (अलीगंज दक्षिण)            | जमनाप्रसाद (बहराइच, पश्चिम, संरक्षित)      |
| कल्याणचन्द्र मोहिले (इलाहाबाद शहर)        | परिगणित जाति)                              |
| सेन्द्रल)                                 | राम अनन्त पाण्डे (बलिया, सेन्द्रल)         |
| [गणेशप्रसाद जायसवाल (इलाहाबाद शहर पूर्व)  | राधामोहन सिंह (बलिया पूर्व)                |
| भूपालसिंह खाती (अलमोडा उत्तर)             | जगन्नाथ सिंह (बलिया-पूर्व-बंसदी-दक्षिण)    |
| गोवर्द्धन तिवारी (अलमोडा दक्षिण)          | पश्चिम)                                    |
| कुंवर रणजयसिंह (अमेठी सेन्द्रल)           | बलदेव सिंह (बनारस, केन्द्रीय)              |
| रुखलीराम (अमरोहा पूर्व)                   | लालबहादुर सिंह (बनारस-उत्तर)               |
| मुहम्मद तकी हादी (अमरोहा पश्चिम)          | राजनारायण (बनारस दक्षिण)                   |
| दीनदयाल शर्मा (अनूपशहर उत्तर)             | देवमूर्ति शर्मा (बनारस, पश्चिम)            |
| नाथूसिंह (आंवला पूर्व-फरीदपुर)            | शेख मुहम्मद अब्दुल समद (बनारस)             |
| सुन्दरलाल (आंवला पूर्व-फरीदपुर, संरक्षित) | शहर, उत्तर)                                |
| परिगणित जाति)                             | सम्पूर्णानन्द (बनारस शहर, दक्षिण)          |
| नवलकिशोर (आंवला पश्चिम)                   | पहलवान सिंह (बादा)                         |
| श्रीनिवाम (अतरौली उत्तर)                  | बैजनाथ सिंह (बंसदी, सेन्द्रल)              |
| राजाराम (अतरौली दक्षिण-कोइल पूर्व)        | शिवमंगल सिंह (बसदी पश्चिम)                 |
| सत्यनारायण (औरख्या भरथना दक्षिण)          | केशभान (बसगांव सेन्द्रल)                   |
| तुलाराम (औरख्या-भरथना दक्षिण, संरक्षित)   | भगवती प्रसाद दुबे (बंसगांव पूर्व-गोरखपुर)  |
| परिगणित जाति )                            | दक्षिण)                                    |
| रामसनेही भारतीय (बबरू, पश्चिम)            | भृगुनाथ चतुर्वेदी (बसगांव दक्षिण-पूर्व)    |
| हरश्याल सिंह (बागपत पूर्व)                | गणेशप्रसाद पांडेय (बंसगांव, दक्षिण-पश्चिम) |
| रघवीरसिंह (बागपत दक्षिण)                  | श्रीमती यशोदादेवी (बंसगांव, दक्षिण-)       |
| चरणसिंह (बागपत पश्चिम)                    | पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)             |
|                                           | मथराप्रसाद (बंसी, उत्तर)                   |

पुद्गल राम (बंसी उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 रामकुमार शास्त्री (बंसी, दक्षिण)  
 श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद (बरेली पूर्व)  
 गोविन्द वल्लभ पन्त (बरेली म्यूनिसिपैलिटी)  
 रामचरण लाल गंगवार (बरेली पश्चिम)  
 अंशुमान सिंह (बस्ती पूर्व)  
 प्रभुदयाल (बस्ती पश्चिम)  
 रामलाल (बस्ती पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)  
 रामस्वरूप गुप्त (भोगनीपुर पश्चिम डेरापुर दक्षिण)  
 गजेन्द्रसिंह (बिधुना पूर्व)  
 महरबानसिंह (बिधुना पश्चिम—भरथना उत्तर—इटावा उत्तर)  
 घासीराम (बिधुना पश्चिम—भरथना उत्तर—इटावा उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 श्रीमती चन्द्रावती (बिजनौर केन्द्रीय)  
 अब्दुल लतीफ (बिजनौर—उत्तर नजीबाबाद पश्चिम)  
 शिवकुमार शर्मा (बिजनौर दक्षिण—धामपुर दक्षिण पश्चिम)  
 बृजबासी लाल (बीकापुर सेन्ट्रल)  
 अवधेश प्रतापसिंह (बीकापुर पूर्व)  
 रामहर्ष यादव (बीकापुर पश्चिम)  
 हरसहाय (बिलारी)  
 महीलाल (बिलारी, संरक्षित परिगणित जाति)  
 राधाकृष्ण अग्रवाल (बिलग्राम पूर्व)  
 वीरेन्द्रनाथ (बिलग्राम पश्चिम)  
 श्रीमती बृजरानी देवी (बिलहौर-अकबरपुर)  
 मुरलीधर (बिलहौर-अकबरपुर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 हरिप्रसाद (बिसालपुर सेन्ट्रल)  
 शिवराज सिंह यादव (बिसौली-गन्धौर पूर्व)  
 चुन्नीलाल सगर (बिसौली-गन्धौर पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)

सुरेशप्रकाश सिंह (निसवान-सिदौली पूर्व)  
 मुन्नालाल (बिसवान-सिदौली पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)  
 श्रीनिवास पंडित (बदाऊं उत्तर)  
 रिक्त (बदाऊं दक्षिण पश्चिम)  
 मुहम्मद नबी (बुधाना पूर्व—जनसठ दक्षिण)  
 रामदास (बुधाना पूर्व—जनसठ दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)  
 श्रीचनु (बुधाना पश्चिम)  
 बनारसी दास (बुलन्दशहर सेन्ट्रल)  
 मोहनसिंह (बुलन्दशहर उत्तर पूर्व)  
 इतैजा हुसैन (बुलन्दशहर—उत्तर पश्चिम)  
 देवदत्त शर्मा (बुलन्दशहर दक्षिण-अनूपशहर दक्षिण)  
 धर्मसिंह (बुलन्द शहर दक्षिण—अनूपशहर दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)  
 मुजफ्फर हुसैन (चैल उत्तर)  
 कमलापति त्रिपाठी (चकिया, चन्दौली दक्षिण पूर्व)  
 रामलखन (चकिया-चन्दौली दक्षिण-पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)  
 शांतिप्रपन्न शर्मा (चकराता-पश्चिमी दून उत्तर)  
 गंगाधर मैठाली (चमोली पश्चिम-पौड़ी उत्तर)  
 कामताप्रसाद विद्यार्थी (चन्दौली उत्तर)  
 उमाशंकर तिवारी (चन्दौली दक्षिण-पश्चिम रामनगर)  
 रामहेत सिंह (छाता)  
 अवधेशचन्द्र सिंह (चिन्नामाऊ पूर्व-फर्रुखाबाद पूर्व)  
 पातीराम (चिन्नामाऊ पूर्व फर्रुखाबाद पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)  
 चिरंजीलाल पालीवाल (चिन्नामाऊ दक्षिण कन्नौज दक्षिण)  
 राजकुमार शर्मा (चुनार उत्तर)  
 राजनारायण सिंह (चुनार दक्षिण)  
 उदभानसिंह (डलमाऊ पूर्व)

गुप्तारसिंह (दालमाऊ दक्षिण पश्चिम)  
 ओंकारसिंह (दातागंज उत्तर)  
 नरोत्तमसिंह (दातागंज दक्षिण बदायू  
 दक्षिण-पूर्व)  
 फूलसिंह (देवबन्द)  
 हरदेव (देवबन्द, संरक्षित परिगणित जाति)  
 सत्यसिंह राणा (देवप्रयाग)  
 फारुक चिस्ती (देवरिया उत्तर पूर्व)  
 रामेश्वर लाल (देवरिया दक्षिण)  
 रामजी सहाय (देवरिया दक्षिण पश्चिम हाता  
 दक्षिण पश्चिम)  
 सीताराम (देवरिया दक्षिण पश्चिम, हाता  
 दक्षिण पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)  
 शिवराम पांडे (डोरापुर उत्तर)  
 खूर्वासिंह (धामपुर उत्तर पूर्व-नगीना पूर्व)  
 गिरधारीलाल (धामपुर उत्तर पूर्व-नगीना पूर्व,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 मुहम्मद मुलेमान अधमी (डामरिया गंज  
 उत्तर पूर्व-बसी पश्चिम)  
 रामलखन मिश्र (डोमरियागंज उत्तर  
 पश्चिम)  
 आदिल अब्बासी (डोमरियागंज दक्षिण)  
 शिवमगनसिंह कपूर (डोमरिया गंज पश्चिम)  
 बृजभूषण (दूढी-रौबर्टगंज)  
 रामन्वरूप (दूढी-रौबर्टगंज, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 श्रीमती विद्यावती राठौर (एटा पूर्व-अलीगंज  
 पश्चिम-कासगंज दक्षिण)  
 होतीलाल दास (एटा दक्षिण)  
 गोपीनाथ दीक्षित (इटावा दक्षिण)  
 उल्फतसिंह चौहान “निर्भय” (एतमादपुर-  
 आगरा पूर्व)  
 पुतुलाल (एतमादपुर-आगरा पूर्व, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 मदनगोपाल वैद्य (फैजाबाद पूर्व)  
 नारायण दास (फैजाबाद पूर्व, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 राजाराम मिश्र (फैजाबाद पश्चिम)

सियाराम गंगवार (फर्रुखाबाद सेन्ट्रल-  
 करीमगंज पूर्व)  
 मथुराप्रसाद त्रिपाठी (फर्रुखाबाद पश्चिम-  
 चित्रामऊ)  
 अब्दुर रऊफ खा (फतेहपुर पूर्व—खागा उत्तर)  
 अवधशरण वर्मा उर्फ लल्लाजी (फतेहपुर  
 उत्तर)  
 भगवतीप्रसाद शुक्ल (फतेहपुर दक्षिण)  
 अनन्तस्वरूप सिंह (फतेहपुर दक्षिण-खागा  
 दक्षिण)  
 भगवानदीन (फतेहपुर दक्षिण—खागा दक्षिण)  
 इसराफुल हक (फिरोजाबाद-फतेहाबाद)  
 गंगाधर (फिरोजाबाद-फतेहाबाद, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 रामसहाय शर्मा (गरोठा-मोठ उत्तर)  
 बृजबिहारी मेहरोत्रा (धाटमपुर-भोगलपुर पूर्व)  
 दयालदास भगत (धाटमपुर-भोगलपुर पूर्व,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 विचित्रनारायण शर्मा (गाजियाबाद उत्तर पूर्व)  
 तेजासिंह (गाजियाबाद- उत्तर पश्चिम)  
 कुवर बलवीर सिंह (गाजियाबाद दक्षिण)  
 रिक्त (गाजीपुर दक्षिण पूर्व)  
 भोनासिंह यादव (गाजीपुर दक्षिण पश्चिम)  
 विश्वनार्थसिंह गौतम (गाजीपुर पश्चिम)  
 रामसुन्दर पांडेय (घोसी पूर्व)  
 झारखंडे राय (घोसी पश्चिम)  
 श्रीमती सज्जन देवी मेहनीत (गोंडा पूर्व)  
 ज्वालाप्रसाद सिन्हा (गोंडा पश्चिम)  
 इस्तफा हुसैन (गोरखपुर सेन्ट्रल)  
 केशव पांडेय (गोरखपुर उत्तर पूर्व)  
 महादेव प्रसाद (गोरखपुर उत्तर पूर्व, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 अक्षयवर सिंह (गोरखपुर, दक्षिण पूर्व)  
 देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह (गोरखपुर  
 पश्चिम)  
 करनसिंह यादव (गन्धौर उत्तर)  
 बेचनराम गुप्ता (ज्ञानपुर पूर्व)  
 बंसनारायण (ज्ञानपुर उत्तर पश्चिम)  
 बेचनराम (ज्ञानपुर उत्तर पश्चिम, संरक्षित  
 परिगणित जाति)

सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी (हमीरपुर-मौदहा उत्तर)  
 महाबीर प्रसाद शुक्ल (हंडिया दक्षिण)  
 श्रीमती प्रकाशवती सूद (हापुड़ उत्तर)  
 हरिसिंह (हापुड़ उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 लुत्फअली खां (हापुड़ दक्षिण)  
 वीरसेन (हापुड़दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)  
 चन्द्रहास (हरदोई पूर्व)  
 किन्दरलाल (हरदोई पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)  
 कृपाशंकर (हरया पूर्व-बस्ती पश्चिम)  
 शिवनारायण (हरया पूर्व-बस्ती पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)  
 प्रभाकर शुक्ल (हरया उत्तर पश्चिम)  
 सीताराम (हरया दक्षिण पश्चिम)  
 लताफत हुसैन (हसनपुर उत्तर)  
 जगदीशप्रसाद (हसनपुर दक्षिण-सम्भल पश्चिम)  
 सूर्य बली पाण्डेय (हाटा केन्द्रीय)  
 शिवप्रसाद (हाटा केन्द्रीय, संरक्षित परिगणित जाति)  
 महाबीरसिंह (हाटा उत्तर)  
 नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (हाथरस)  
 हरदयाल सिंह पिपल (हाथरस, संरक्षित परिगणित जाति)  
 कल्याण राय (हजूर-मिल्क उत्तर)  
 शिवदानसिंह (इगलास)  
 रामगुलाम सिंह (जलालाबाद पश्चिम)  
 सहदेवसिंह (जलेश्वर-एटा उत्तर)  
 चिरंजीलाल (जलेश्वर एटा उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 विष्णुदयाल (जसराना)  
 हरगोविंदसिंह (जौनपुर पूर्व)  
 दीपनारायण वर्मा (जौनपुर पश्चिम)  
 भगवतीदीन तिवारी (जौनपुर उत्तर-शाहगंज पश्चिम)

आत्माराम गोविन्द खेर (झांसी पूर्व)  
 काशीप्रसाद पांडेय (कादीपुर)  
 शंकरलाल (कादीपुर, संरक्षित परिगणित जाति),  
 मुलतान आलम खां (कायमगंज पश्चिम)  
 केश गुप्त (कैराना उत्तर)  
 वीरेन्द्र वर्मा (कैराना दक्षिण)  
 सियाराम चौधरी (केसरगंज सेन्ट्रल)  
 दीवान मुन्दरदास (केसरगंज उत्तर)  
 हुकुमसिंह (केसरगंज दक्षिण)  
 वीरेन्द्र शाह (कालपी-जालोन उत्तर)  
 बसन्त लाल (कालपी परिगणित जाति)  
 कालीचरण टन्डन (कन्नौज, उत्तर)  
 हमीदखां (कानपुर शहर केन्द्रीय पूर्व)  
 बासुदेव मिश्र (कानपुर शहर सेन्ट्रल पश्चिम)  
 जवाहरलाल (कानपुर शहर पूर्व)  
 सूर्यप्रसाद अवस्थी (कानपुर नगर उत्तर)  
 ब्रह्मदत्त दीक्षित (कानपुर शहर दक्षिण)  
 बेनीसिंह (कानपुर तहसील)  
 एच० एन० बहुगुना (करछना उत्तर-चैल दक्षिण)  
 जवाहरलाल (करछना उत्तर-चैल दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)  
 शिवबक्श सिंह (करहल पूर्व-भोगाव)  
 मिर्जाजीलाल (करहल पूर्व-भोगाव, संरक्षित परिगणित जाति)  
 वशीदास धागर (करहल पश्चिम-शिकोहा-बाद पूर्व)  
 श्रीमती सईदा जहा बेगम मखफी (कासगंज पूर्व-अलीगंज उत्तर)  
 तिरमलसिंह (कासगंज उत्तर)  
 बाबूराम गुप्त (कासगंज-पश्चिम)  
 जगनप्रसाद रावत (खैरगढ़)  
 लालबहादुर सिंह (केराकट-जौनपुर दक्षिण)  
 परमेश्वरी (केराकट-जौनपुर दक्षिण संरक्षित परिगणित जाति)  
 मोहनलाल गौतम (खैर-कोइल उत्तर पश्चिम)

रामप्रसाद देशमुख (खैर-कोइल उत्तर पश्चिम सरक्षित परिगणित जाति)  
 शिवराज बलीसिंह (खजुहा पूर्व—फतेहपुर दक्षिण पश्चिम)  
 गुरुप्रसाद पांडेय (खजुहा पश्चिम)  
 अट्टुल मोईज खा (खलीलाबाद केन्द्रीय)  
 राजाराम शर्मा (खलीलाबाद उत्तर)  
 घनुष धारी पाण्डेय (खलीलाबाद दक्षिण)  
 रामगुन्दर (खलीलाबाद दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)  
 कृष्ण स्वरूप भट्टनागर (खुर्जा)  
 भीमभेन (खुर्जा, सरक्षित परिगणित जाति)  
 रमेय वर्मा (विशौली)  
 मल्लवानसिंह (कोइल केन्द्रीय)  
 चित्तर सिंह निरंजन (कोंच)  
 रामनरेय शुक्ल (कुन्डा दक्षिण)  
 रामस्वरूप भारतीय (कुन्डा दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)  
 बशीधर मिश्र (लखीमपुर दक्षिण)  
 छेदालाल चौधरी (लखीमपुर दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)  
 तेजबहादुर (लालगज, उत्तर)  
 कालिकासिंह (लालगज, दक्षिण)  
 कृष्णचन्द्र शर्मा (ललितपुर दक्षिण)  
 रामप्रसाद नौटियाल (लैसडौन पूर्व)  
 जगमोहन सिंह नेगी (लासडौन पश्चिम)  
 हरीशचन्द्र बाजपेयी (लखनऊ, केन्द्रीय)  
 रामशंकर रविबामी (लखनऊ, केन्द्रीय सं० प० जा०)  
 अली जहीर (लखनऊ शहर सेन्ट्रल)  
 चन्द्रभानु गुप्त (लखनऊ शहर पश्चिम)  
 पुनिन बिहारी बनर्जी (लखनऊ शहर पश्चिम)  
 नागेश्वर द्विवेदी (मछलीशहर उत्तर)  
 मुहम्मद रऊफ जाफरी (मछलीशहर दक्षिण)  
 परिपूर्णानन्द वर्मा (महाराजगंज उत्तर)

रामप्रसाद सिंह (महाराजगंज दक्षिण)  
 शुकदेव प्रसाद (महाराजगंज दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति)  
 मन्नीलाल गुरुदेव म (होवा-कुलपहाड़-चरखारी)  
 जोगवर वर्मा (महोवा-कुलपहाड़-चरखारी, सरक्षित परिगणित जाति)  
 वर्मा नकवी (महाराजगंज-पूर्व सलौन उत्तर)  
 रामस्वरूप त्रिसारद (महाराजगंज पश्चिम)  
 रामेश्वर प्रसाद (महाराजगंज पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाति)  
 रामनाथ खेरा (महरीनी)  
 गणेशचन्द्र काछी (मैनपुरी उत्तर-भोगाव उत्तर-वीरेन्द्र पति यादव (मैनपुरी दक्षिण)  
 श्याममनोहर मिश्र (मलीहाबाद-बाराबकी, उत्तर पश्चिम)  
 तुलाराम रावत (मलीहाबाद-बाराबकी, उत्तर पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाति)  
 द्वारकाप्रसाद मोर्य (मरियाहू उत्तर)  
 रमेशचन्द्र शर्मा (मरियाहू दक्षिण)  
 लक्ष्मीरमण आचार्य (माट-सदाबाद पश्चिम)  
 दालचन्द (माट-सदाबाद पश्चिम, सरक्षित परिगणित जाति)  
 श्रीनाथ (मथुरा उत्तर)  
 आचार्य जुगलकिशोर (मथुरा दक्षिण)  
 जगधत्तसिंह (मऊ-करवी-बबेरू पूर्व)  
 दर्शनराम (मऊ-करवी-बबेरू पूर्व, सरक्षित परिगणित जाति)  
 लक्ष्मणराव कदम (मऊ-मोठ-दक्षिण श्यामी पश्चिम ललितपुर उत्तर)  
 गजूराम (मऊ-मोठ दक्षिण-श्यामी पश्चिम ललितपुर उत्तर, सरक्षित परिगणित जाति)  
 तेजप्रताप सिंह (मोदाहा दक्षिण)  
 विष्णुसरन दुबलिश (मवाना)  
 रामजीलाल सहायक (मवाना, सरक्षित परिगणित जाति)

कैलाशप्रकाश (मेरठ म्यूनिस्पैलिटी)  
 मंगलाप्रसाद (मेजा-करछना दक्षिण)  
 रघुनाथ प्रसाद (मेजा-करछना दक्षिण,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 कृष्णशर्मा आर्य (मिल्क दक्षिण शाहाबाद)  
 अमरेशचन्द्र (मिर्जापुर उत्तर)  
 अजीज इमाम (मिर्जापुर दक्षिण)  
 रामकृष्ण जैसवार (मिर्जापुर दक्षिण, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 गंगाधर शर्मा (मिसरीख)  
 डल्लाराम (मिसरीख, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 कमाल अहमद (मोहम्मदी-पूर्व)  
 रामभजन (मोहम्मदी)  
 पद्मनाथ (महमूदाबाद, गोहाना, दक्षिण)  
 हबीबुररहमान (महमूदाबाद उत्तर-धोसी  
 दक्षिण)  
 श्रीनाथराम (महमूदाबाद उत्तर-धोसी  
 दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)  
 शिवपूजन राय (महमूदाबाद उत्तर पूर्व)  
 विजयशकर प्रसाद (महमूदाबाद दक्षिण)  
 महावीरप्रसाद श्रीवास्तव (मोहनलालगंज)  
 दाऊदयाल खन्ना (मुरादाबाद उत्तर)  
 वेदारनाथ (मुरादाबाद दक्षिण)  
 श्रीमती सावित्रीदेवी (मुसाफिरखाना  
 केन्द्रीय)  
 नाज़िम अली (मुसाफिरखाना उत्तर—  
 सुलतानपुर उत्तर)  
 गुलज़ार (मुसाफिरखाना उत्तर-सुलतानपुर  
 उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 गुल्प्रसाद सिंह (मुसाफिरखाना दक्षिण  
 अमेठी पश्चिम)  
 द्वारकाप्रसाद (मुजफ्फरनगर केन्द्रीय)  
 बलवन्तसिंह (मुजफ्फरनगर पूर्व—जनसाथ  
 उत्तर)  
 राजेन्द्र दत्त (मुजफ्फरनगर पश्चिम)

एच० एम० इब्राहीम (नगीना दक्षिण पश्चिम—  
 धामपुर उत्तर पश्चिम)  
 नारायणदत्त तिवारी (नैनीताल उत्तर)  
 लक्ष्मणदत्त (नैनीताल दक्षिण)  
 रतनलाल (नजीबाबाद उत्तर—नगीना  
 उत्तर)  
 दाताराम (नाकुर दक्षिण)  
 वीरेन्द्रविक्रमसिंह (नानपारा पूर्व)  
 बसन्तलाल गर्मा (नानपारा उत्तर)  
 मुहम्मद सादत अली खा (नानपारा दक्षिण)  
 श्यामाचरण बाजपेयी (नरैनी)  
 नौरंगलाल (नवाबगंज)  
 जगतनारायण (नवाब गंज उत्तर)  
 उमाशकर मिश्र (नवाब गंज दक्षिण—हैदरगढ़  
 रामसनेही घाट)  
 घनश्यामदास (नवाबगंज दक्षिण—हैदरगढ़  
 रामसनेही घाट, संरक्षित परिगणित जाति)  
 कर्नसिंह (निधासन-लखीमपुर उत्तर)  
 जगन्नाथ प्रसाद (निधासन-लखीमपुर उत्तर,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 चतुर्भुज शर्मा (उरई-जालौन दक्षिण)  
 गोदासिंह (पडरौना पूर्व)  
 जगतनाथ मल (पडरौना उत्तर)  
 राजवंसी (पडरौना दक्षिण पश्चिम—देवरिया  
 दक्षिण-पूर्व)  
 राम सुभग वर्मा (पडरौना पश्चिम)  
 रामराज (पट्टी पूर्व)  
 गिरजा रमण (पट्टी दक्षिण)  
 चन्द्रसिंह रावत (पौड़ी दक्षिण-चमोली पूर्व)  
 बलदेवसिंह (पौड़ी दक्षिण-चमोली पूर्व,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 प्रेमकिशन खन्ना (पवायां-शाहजहांपुर पूर्व)  
 नारायणदीन (पवायां-शाहजहांपुर पूर्व,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 गौरीराम गुप्त (फरेन्दा केन्द्रीय)  
 रामश्रवण सिंह (फरेन्दा उत्तर)  
 द्वारकाप्रसाद पाण्डेय (फूलपुर केन्द्रीय)

शिवनाथ काटजू (फूलपुर केन्द्रीय)  
 भूवरजी (फूलपुर पूर्व-हन्डिया उत्तर पश्चिम)  
 बृजबिहारी मिश्र (फूलपुर उत्तर)  
 रामबचन यादव (फूलपुर दक्षिण)  
 श्रीमती आशालता व्यास (फूलपुर दक्षिण,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 निरंजनसिंह (पीलीभीत पूर्व-बीसलपुर  
 पश्चिम)  
 मकसूद आलम खा (पीलीभीत पश्चिम)  
 नरेन्द्रसिंह बिष्ट (पिथौरागढ़ चम्पावत)  
 खुशोराम (पिथौरागढ़-चम्पावत संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़ पूर्व)  
 राम आधार तिवारी (प्रतापगढ़ उत्तर पश्चिम-  
 पट्टी उत्तर पश्चिम)  
 रामकिंकर (प्रतापगढ़ उत्तर पश्चिम-पट्टी  
 उत्तर पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)  
 राजाराम (प्रतापगढ़ पश्चिम कुंडा उत्तर)  
 मुनींद्रपाल सिंह (पूरनपुर—बीसलपुर पूर्व)  
 रामअधीन यादव (पुरवा सेन्द्रल)  
 जटाशकर शुक्ल (पुरवा उत्तर—हसनगंज)  
 सेनाराम (पुरवा उत्तर—हसनगंज, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 देवदत्त मिश्र (पुरवा दक्षिण)  
 रामशकर द्विवेदी (रायबरेली-दलमऊ उत्तर)  
 रामप्रसाद (रायबरेली-दलमऊ उत्तर,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 फजलुल हक (रामपुर शहर)  
 महन्त जगन्नाथबक्श दास (रामसनेही घाट)  
 बाबूलाल कुशमेश (रामसनेही घाट, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 मदनमोहन उपाध्याय (रानीखेत उत्तर)  
 हरगोविंद (रानीखेत दक्षिण)  
 मन्धाता (रसरा पूर्व-बलिया दक्षिण पश्चिम)  
 रामरतन प्रसाद (रसरा पूर्व-बलिया दक्षिण  
 पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)  
 गंगाप्रसाद सिंह (रसरा पश्चिम)

श्रीपति सहाय (रठ)  
 ज्येन्द्रसिंह बिस्त (रावेन-तेहरी उत्तर)  
 दीनदयालु शास्त्री (रुड़की पूर्व)  
 अतहर हसन (रुड़की दक्षिण)  
 शुगनचन्द (रुड़की पश्चिम—सहारनपुर उत्तर)  
 जयपाल (रुड़की पश्चिम—सहारनपुर उत्तर,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 अशरफ अली खा (सादाबाद पूर्व)  
 शिवराम राय (सदर-आजमगढ़-उत्तर)  
 सुरजूराम (सदर-आजमगढ़-उत्तर  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 हबीबुर्रहमान (सफीपुर—उन्नाव उत्तर)  
 मोहनलाल (सफीपुर—उन्नाव उत्तर, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 विश्राम राय (सगरी पूर्व)  
 उमाशकर (सगरी पश्चिम)  
 मजूरल नबी (सहारनपुर शहर)  
 महमूदअली खां (सहारनपुर उत्तर पश्चिम—  
 नाकुर उत्तर)  
 केशवराम (सहसवान पूर्व)  
 मुस्ताक अलीखा (सहसवान पश्चिम)  
 कमलासिंह (सैदपुर)  
 देवराम (सैदपुर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठः (सलीमपुर पूर्व)  
 शिवबचन राव (सलीमपुर उत्तर)  
 बद्रीनारायण मिश्र (सलीमपुर दक्षिण)  
 देवनन्दन शुक्ल (सलीमपुर पश्चिम)  
 दलबहादुर सिंह (सलोन दक्षिण)  
 जगदीशशरण रस्तीगी (सम्भल पूर्व)  
 लेखराज सिंह (सम्भल पूर्व, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 श्रीमती लक्ष्मीदेवी (सन्दीला-बिलग्राम  
 दक्षिण पूर्व)  
 टीकाराम (सन्दीला-बिलग्राम दक्षिण पूर्व,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 विश्वम्भरसिंह (सरधना-पूर्व)  
 कतेहसिंह राणा (सरधना पश्चिम)



छेदालाल (शाहाबादपूर्व-हरदोई उत्तर पश्चिम)  
 कन्हैयालाल बाल्मीकी (शाहाबाद पूर्व-हरदोई  
 उत्तर पश्चिम, संरक्षित परिगणित जाति)  
 ऐजाज रसूल (शाहाबाद पश्चिम)  
 लक्ष्मीशंकर यादव (शाहगंज पूर्व)  
 बाबूनन्दन (शाहगंज पूर्व, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 हबीबुर रहमान खां (शाहजहांपुर केन्द्रीय)  
 प्रतिपालसिंह (शाहजहापुर पश्चिम—  
 जलालाबाद पूर्व)  
 महाराज सिंह (शिकोहाबाद पश्चिम)  
 हुनुमानप्रसाद (सिधौली पश्चिम)  
 कन्हैयालाल (सिधौली पश्चिम, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 केवलसिंह (सिकन्दराबाद पूर्व)  
 रामचन्द्र विकल (सिकन्दराबाद पश्चिम)  
 नेत्रपाल सिंह (सिकन्दरा राऊ उत्तर-कोइल  
 दक्षिण पूर्व)  
 नेकराम शर्मा (सिकन्दराराऊ दक्षिण)  
 रिक्त (सिराथू—मंझनपुर)  
 सुखीराम भारतीय (सिराथू—मंझनपुर,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 बशीर अहमद हकीमी (सीतापुर पूर्व)  
 हरीशचन्द्र अस्थाना (सीतापुर उत्तर-पश्चिम)  
 कृष्णचन्द्र गुप्त (सीतापुर, दक्षिण-पूर्व)  
 संध्यामसिंह (सोरांव उत्तर-फूलपुर पश्चिम)

परमानन्द सिन्हा (सोरांव दक्षिण)  
 रामबाली मिश्र (मुलतानपुर पूर्व-अमेठी पूर्व)  
 कुंवरकृष्ण (मुलतानपुर पश्चिम)  
 महमूदअली खां (सुमर-टांडा-बिलासपुर) .  
 मुहम्मद नासीर (टांडा)  
 रामसुमेर (टांडा, संरक्षित परिगणित जाति)  
 चन्द्रभानुशरण सिंह (तराबगंज दक्षिण-पूर्व-  
 गोंडा दक्षिण)  
 गंगाप्रसाद (तराबगंज दक्षिण पूर्व-गोंडा  
 दक्षिण, संरक्षित परिगणित जाति)  
 महाराज कुमार बालेन्दुशाह (टेहरी दक्षिण-  
 प्रतापनगर)  
 शिवस्वरूप सिंह (ठाकुरद्वारा)  
 शिवकुमार मिश्र (तिल्हर उत्तर)  
 भगवान सहाय (तिल्हर दक्षिण)  
 रघुराज सिंह (तराबगंज पश्चिम)  
 लीलाधर अष्टाना (उन्नाव दक्षिण)  
 एस० एम० शाहिद फकीरी (उत्तरीला केन्द्रीय)  
 बलभद्र प्रसाद (उत्तरीला उत्तर)  
 श्यामलाल (उत्तरीला उत्तर, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 उम्मेदसिंह (उत्तरीला उत्तर पूर्व)  
 अमृतनाथ मिश्र (उत्तरीला दक्षिण)  
 राघवेन्द्रप्रतापसिंह (उत्तरीला, दक्षिण-  
 पश्चिम)  
 देवनर शास्त्री (पश्चिमी दून दक्षिण-पूर्वी दून)

### उत्तर-प्रदेश विधान परिषद्

#### सभापति—चन्द्रभाल

बद्रीप्रसाद कक्कड़ (विधान सभा द्वारा  
 निर्वाचित)  
 बालकराम वैश्य (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 बशीर अहमद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 कुंवर गुरुनारायण (विधान सभा द्वारा  
 निर्वाचित)  
 केदारनाथ खेतान (विधान सभा द्वारा  
 निर्वाचित)

खुशालसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 कृष्णचन्द जोशी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 ललिताप्रसाद सोनकार (विधान सभा द्वारा  
 निर्वाचित)  
 कुंवर महावीरसिंह (विधान सभा द्वारा  
 निर्वाचित)  
 प्रतापचन्द्र आजाद (विधान सभा द्वारा  
 निर्वाचित)

पूर्णचन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 रामनारायण पाण्डे (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 रामनन्दन सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 रामलगान सिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 स्कनुद्दीन खां (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 सत्यप्रेमी उर्फ हरी प्रसाद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 श्रीमती शान्तिदेवी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 श्रीमती शान्तिदेवी अग्रवाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 राणा शिव अम्बरसिंह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 श्यामसुन्दर लाल (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 विश्वनाथ (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)  
 डा० ब्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक उ० प्र० पश्चिम)  
 डा० ईश्वरीप्रसाद (स्नातक उ० प्र० पश्चिम)  
 डा० बेनोप्रसाद टंडन (स्नातक उ० प्र० पश्चिम)  
 शिवप्रसाद सिन्हा (स्नातक उ० प्र० पूर्व)  
 गोविन्द सहाय (स्नातक उ० प्र० पूर्व)  
 निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी (स्नातक उ० प्र० पूर्व)  
 डा० प्यारेलाल श्रीवास्तव (अध्यापक, उ० प्र० पश्चिम)  
 कन्हैयालाल गुप्त (अध्यापक, उ० प्र० पश्चिम)  
 शान्तिस्वरूप अग्रवाल (अध्यापक, उ० प्र० पश्चिम)  
 शिवकुमार लाल श्रीवास्तव (अध्यापक, उ० प्र० पूर्व)  
 हृदयनारायण सिंह (अध्यापक, उ० प्र० पूर्व)  
 बलभद्र प्रसाद वाजपेयी (अध्यापक, उ० प्र० पूर्व)  
 ज्योतिप्रसाद गुप्त (उ० प्र० स्थानीय संस्थाओं उत्तर पश्चिम)

तेलूराम (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर पश्चिम)  
 दीपचन्द्र (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पश्चिम)  
 महमूद असलम खा (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पश्चिम)  
 इन्द्रसिंह नयाल (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पूर्व)  
 शिवसुमरन लाल जौहरी (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पूर्व)  
 बाबू अब्दुल मजीद (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पूर्व)  
 रामलखन (उ० प्र० स्था० सं० उत्तर-पूर्व)  
 प्रेमचन्द शर्मा (उ० प्र० स्था० सं० पश्चिम)  
 बृजलाल वर्मन (उ० प्र० स्था० सं० पश्चिम)  
 अब्दुल शकूर नजमी (उ० प्र० स्था० सं० पश्चिम)  
 जगदीशचन्द्र वर्मा (उ० प्र० स्था० सं० पश्चिम)  
 जमीलुर्रहमान किदवाई (उ० प्र० स्था० सं० मध्य)  
 लालमुरेश मिह (उ० प्र० स्था० सं० मध्य)  
 राम-किशोर रस्तांगी (उ० प्र० स्था० सं० मध्य)  
 वशाधर शुक्ल (उ० प्र० स्था० सं० मध्य)  
 लल्लूराम द्विवेदी (उ० प्र० स्था० सं० दक्षिण)  
 प्रसिदनारायण अनंद (उ० प्र० स्था० सं० दक्षिण)  
 पन्नालाल गुप्त (उ० प्र० स्था० सं० दक्षिण)  
 नरोत्तमदास टंडन (उ० प्र० स्था० सं० दक्षिण)  
 जगन्नाथ आचार्य (उ० प्र० स्था० सं० पूर्व)  
 परमात्मानन्द मिह (उ० प्र० स्था० सं० पूर्व)  
 प्रभुनारायण मिह (उ० प्र० स्था० सं० पूर्व)  
 श्रीमती महादेवी वर्मा (नामजद)  
 वीरभान भाटिया (नामजद)  
 उमानाथ बली (नामजद)  
 श्रीमती तारा अग्रवाल (नामजद)  
 सैयद मुहम्मद नमीर (नामजद)  
 सभापति उपाध्याय (नामजद)

विजयानगरम के महाराजकुमार डाक्टर विजय  
(नामजद)  
सरदार सन्तोषसिंह (नामजद)  
हयातुल्लाह अन्सारी (नामजद)

हरगोविन्द मिश्र (नामजद)  
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी (नामजद)  
राय बजरग बहादुर सिंह (नामजद)

### पश्चिमी बंगाल

#### राज्यपाल

##### मंत्री

1. मुख्य मंत्री तथा गृह, व्यापार, व्यवसाय तथा विकास
2. घरेलू तथा छोटे व्यवसाय
3. जंगल और मछली व्यवसाय
4. सिंचाई तथा जलमार्ग
5. आन्तरिक कर
6. कार्य तथा इमारते
7. आदिवासी कल्याण
8. स्थानीय स्वराज्य
9. शरणार्थी सहायता और पुनर्वास
10. बाढ़, सहायता तथा पूर्ति
11. शिक्षा
12. कृषि तथा सहयोग
13. श्रम
14. न्याय-व्यवस्थापन, भूमि और लगान

#### मिनिस्टर आफ स्टेट

1. चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य
2. जेल

#### उपमंत्री

1. यातायात
2. गृह विभाग की रक्षा शाखा
3. प्रकाशन तथा जन सम्बन्ध
4. नगर निर्माण तथा सहायता
5. व्यापार और व्यवसाय
6. आदिवासी कल्याण
7. पुनर्वास
8. अन्न
9. पूर्ति
10. कृषि
11. पार्लियामेंटरी कार्य
12. सहयोग
13. स्त्री शिक्षा
14. श्रम

#### एच० सी० मुकर्जी

- विधानचन्द्र राय  
जादवेन्द्र नाथ पंज  
हेमचन्द्र नस्कर  
अजयकुमार मुकर्जी  
श्यामाप्रसाद बर्मन  
खगेन्द्रनाथ दास गुप्ता  
राधागोविन्दराय  
ईश्वरदास जालान  
श्रीमती रेणुकाराय  
प्रफुल्लचन्द्र सेन  
पद्मालाल बोम  
रफीउद्दीन अहमद  
कालिपद मुखर्जी  
सत्येन्द्र कुमार बसु

अमृत्यधन मुखोपाध्याय  
जीव रतन धर

एस० सी० राय सिन्हा  
एस० सी० घोष मलिक  
गोपिका बिलास सेन  
तरुणकान्ति घोष  
सौरीन्द्रमोहन मिश्र  
तैर्नजिग वागडी  
बिदेशचन्द्र सेन  
समरजीत बन्दोपाध्याय  
रजनिकान्त प्रामाणिक  
अब्दुस शकूर  
देवेन्द्रचन्द्र दे  
चित्तरंजन राय  
श्रीमती प्ररबी मुखर्जी  
शिवकुमार राय

**वित्त**

(लाख रुपये में)

| वजट के आकड़े    | आय    | व्यय  | अतिरिक्त (+)<br>या<br>घाटा (-) |
|-----------------|-------|-------|--------------------------------|
| 1950-51 (लेखा)  | 3,430 | 3,733 | -303                           |
| 1951-52 (लेखा)  | 3,859 | 3,731 | +128                           |
| 1952-53 (मसौदा) | 3,830 | 4,213 | -383                           |
| 1953-54 (बजट)   | 3,816 | 4,327 | -511                           |

**शिक्षा**

बंगाल सरकार ने 1952-53 में शिक्षा पर 3,39,00,000 रुपये व्यय किए। 4 वर्ष पहले यह संख्या 2 करोड़ से भी कम थी। एक नए कानून द्वारा देहानी हलकों की स्थानीय संस्थाओं को भी शिक्षा को अनिवार्य करने का अधिकार दिया गया। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि 2 वर्षों में बंगाल के पाचवे भाग में शिक्षा पूर्ण रूप में अनिवार्य कर दी जाय। माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर एक पश्चिमी बंगाल माध्यमिक शिक्षा कानून पार किया गया। इसी तरह भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कलकत्ता विश्वविद्यालय कानून में भी आवश्यक सुधार किए गए।

गत वर्ष बंगाल में 1848 जूनियर बेसिक स्कूल थे। इनके अतिरिक्त 77 नए स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई। इन में से प्रत्येक स्कूल पर 32,000 रुपये व्यय आयेगा। प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को शिक्षा देने के लिए राज्य में 31 ट्रेनिंग स्कूल पहले ही विद्यमान थे। अब 12 नए बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खोले गए हैं। राज्य की सरकार 708 शिक्षा केन्द्र चला रही है। इन में से 300 में सामाजिक शिक्षा देने का भी प्रबन्ध है। इनके अतिरिक्त 200 केन्द्र सहायता प्राप्त स्वयंसेवक सगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

मैट्रिक पास विद्यार्थियों को टेक्निकल शिक्षा देने के लिए 7 पॉलिटेक्नीक सस्थाएं जारी हैं, जिनमें 15,000 से ऊपर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिवपुर में बंगाल इंजीनियरिंग कालेज का सगठन किया जा रहा है। जादवपुर के इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी कालेज का विस्तार किया जा रहा है। सस्कृत कालेज में एक स्नातकोत्तर अनुसन्धान विभाग भी खोला गया है।

गत वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा कर 16 लाख रु० कर दी गई। कलकत्ता प्रेजीडेसी कालेज में विज्ञान के विद्यार्थियों की सुविधा और विस्तार के लिये 2,85,000 रुपये स्वीकार किए गए। दार्जिलिंग गवर्नमेंट कालेज के लिए 6,75,000 रुपये स्वीकार किए गए।

**लाघान तथा कृषि**

गहरी कृषि के लिए सिंचाई के 447 छोटे कार्य जारी किये गए, जिनसे 1,46,256 एकड़ भूमि को लाभ पहुंचा। इनके अतिरिक्त 290 छोटे कार्यों की पूर्ति का अधिकतम प्रयत्न किया जा रहा है। 277 तालाबों का पुनर्निर्माण किया गया और 325 में सुधार किया गया।

यह लक्ष्य बनाया गया था कि 5 वर्षों के बाद बंगाल में जूट उत्पत्ति की वृद्धि 10 लाख गांठों तक और बढ़ जायेगी। परन्तु यह लक्ष्य 3 वर्षों में ही प्राप्त कर लिया गया और 1952-53 में यहाँ 24,13,000 जूट की गांठें प्राप्त हुईं। जनवरी 1953 में चीनी का राशन प्रति सप्ताह प्रति व्यक्ति एक सेर से बढ़ा कर एक सेर पाच छटाक कर दिया गया। चावल प्राप्ति के उपायों में भी सुधार किया गया और एक जिले से दूसरे जिले में अन्न ले जाने पर से रुकावटें उठा दी गईं।

### व्यवसाय

गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की सरकार ने एक विशेष विभाग निर्मित किया। इस विभाग की सिफारिशों के अनुसार सरकार गृह उद्योगों द्वारा बनाये गये सामान को बड़े उद्योगों द्वारा बनाये गये सामान के मुकाबले में 15 प्रतिशत तक तरजीह देती है। करघों का सामान, खादी, चटाई, गुड़, हाथ का बना कागज, आदि व्यवसायों के विकास की ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इन व्यवसायों के लिए शिक्षा के केन्द्र खोले गये हैं, तथा प्रदर्शन आदि का भरसक प्रबन्ध किया जाता है। रेशम व्यवसाय को बढ़ाने के लिए शहतूत के वृक्ष ज्यादा संख्या में बोये जा रहे हैं। ताड़-गुड़ को सुरक्षित रूप में रखने के सम्बन्ध में नए तरीके निकाले गये हैं। कच्ची जूट तथा उसके सामान की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने फाटका बन्द कर दिया है। हिमालय की ऊँची चोटियों पर उपयोगी दवाइयाँ उत्पन्न करने की भी एक योजना बनाई गई है।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

1952-53 में 133 नये स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, जिनमें 1806 बीमारों की चिकित्सा का प्रबन्ध है। 120 बिस्तरों वाले 12 केन्द्र लगभग बन कर तैयार हैं तथा 452 बिस्तरों वाले 39 केन्द्रों का निर्माण हो रहा है।

कलकत्ता के प्रेजिडेंसी अस्पताल तथा जिला अस्पतालों का विस्तार किया जा रहा है। 4 अन्य केन्द्रों में नये अस्पताल बनाने की योजना स्वीकार हो चुकी है। टॉलीगज में 200 बिस्तरों वाला बगुर अस्पताल बन कर तैयार है कचनपारा के तपेदिक अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 600 से बढ़ा कर 1,000 कर दी गई है और दिग्री के बगुर स्वास्थ्य केन्द्र में बिस्तरों की संख्या 130 से बढ़ा कर 200 कर दी गई है। गत वर्ष सरकारी अस्पतालों में तपेदिक के बीमारों की निशुल्क चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया।

4 जिलों में मलेरिया की रोकथाम की स्कीमें जारी की गईं। 14 जिलों में मलेरिया निरोध के कार्यक्रम के लिये 16 यूनिट स्थापित किये गये हैं। इन पर प्रति वर्ष 26,00,000 रुपये व्यय आया।

मिर्जापुर, हावड़ा, कृष्णगढ, बहरामपुर और बर्दवान में राज्य की सरकार की ओर से कोठ के चिकित्सालय चलाये जा रहे हैं, जिन में नवीनतम साधनों से चिकित्सा की जाती है। गत वर्ष 12 लाख व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 4 लाख से अधिक व्यक्तियों को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया।

1952-53 में 37 नये जन्मा-घर खोले गये और लैंगिक बीमारियों की रोकथाम के लिये कलकत्ता में 14 तथा अन्य जिलों में 18 क्लिनक्स खोले गये।

पश्चिमी बंगाल विधान सभा

अध्यक्ष : सैलकुमार मुखर्जी

सत्येन्द्रकुमार वसु (अलीपुर)  
 पिजुश कान्ति मुखर्जी (अलीपुर दुआर्स)  
 देवेन्द्र ब्रह्म मोहनलाल (अलीपुर दुआर्स,  
 सरक्षित परिगणित जन-जाति)  
 नारायण प्रामाणिक (अमता केन्द्रीय)  
 अलामोहन दास (अमता उत्तर)  
 अरविन्द राय (अमता दक्षिण)  
 राधाकृष्ण पाल (आराम बाग)  
 मदन मोहन साहा (आराम बाग, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 सतीन्द्र नाथ वसु (आसनसोल)  
 आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (ओमग्राम)  
 कनईलाल दास (ओमग्राम, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 शम्भू चरण मुखोपाध्याय (बगनाल)  
 वृन्दावन चट्टोपाध्याय (बालागोर)  
 रतनमणि चट्टोपाध्याय (बालागोरवाल्मी)  
 सरोजरजन चट्टोपाध्याय (बलूरघाट)  
 लक्षणचन्द्र हासदा (बलूरघाट, सरक्षित  
 परिगणित जन जाति)  
 राखहरि चैटर्जी (बाकुरा)  
 ईश्वरदास जालन (बडा बाजार)  
 ज्योति वसु (बड़ानगर)  
 अमृत्यधन मुखोपाध्याय (बारासाल)  
 प्रफुल्लचन्द्र राय (बरजोड़ा)  
 फणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय (बैरकपुर)  
 अब्दुलशकूर (बडुईपुर)  
 ललितकुमार सिंह (बडुईपुर, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 प्रफुल्ल बैनर्जी (वसिरहाट)  
 बिरेन राय (विहाला)  
 क्षितिशचन्द्र घोष (बैलडागा)  
 गणेश घोष (बैलगाचिया)  
 13 M of I & E.

सुहृद कुमार मल्लिक चौधुरी (बेनीवाट)  
 जोगेशचन्द्र गुप्त (बेनियापुकुर-बालीगंज)  
 पुलिन बिहारी खट्टक (बेनियापुकुर-बालीगंज,  
 सरक्षित परिगणित जाति)  
 विजयकुमार घोष (बैरहामपुर)  
 व्योमकेश मजूमदार (भद्रेश्वर)  
 रामेश्वर पण्डा (भगवानपुर)  
 गगाधर नसकर (भगोर)  
 हेमचन्द्र नसकर (भगोर, सरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 विजयेन्द्र नारायण राय (भरतपुर)  
 दयाराम बेरी (भातपाडा)  
 श्रीमती मीरादत्त गुप्त (भांवानीपुर)  
 नृपेन्द्रगोपाल मिश्र (बीनपुर)  
 मंगलचन्द्र शर्मा (बीनपुर, सरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 प्रभासचन्द्र राय (बिष्णुपुर)  
 वसन्त कुमार माल (बिष्णुपुर संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 डा० मैत्रेयी वसु (बीजपुर)  
 हन्तेश्वर राय (बोलपुर)  
 भूषण हासदा (बोलपुर, सरक्षित परिगणित  
 जन जाति)  
 जीवन रतन घर (बीन गाव)  
 विधानचन्द्र राय (बऊ बाजार)  
 बकिम मुखर्जी (बज-बज)  
 विनयकृष्ण चौधुरी (बर्दवान)  
 सुधीरचन्द्र राय चौधुरी (बडतोला)  
 सत्येन्द्रचन्द्र घोष मलिक (बर्दवान-खड़ग्राम)  
 सुधीर मण्डल (बर्दवान-खड़ग्राम, सरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 यज्ञेश्वर राय (केन्द्रीय द्वारस)  
 मंगलदास भगत (केन्द्रीय द्वारस, संरक्षित  
 परिगणित जाति)

समरजीत बन्दोपाध्याय (छपरा)  
 प्रबोधचन्द्र दत्त (चाटना)  
 कमलाकान्त हेन्नाम (चाटना, संरक्षित  
 परिगणित जन जाति)  
 ज्योतिषचन्द्र घोष (चिन्सुरा)  
 राधानाथ दास (चिन्सुरा, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 आनन्दीलाल पोद्दार (कोलूनोला)  
 सुधीरचन्द्र दास (कोन्टाई उत्तर)  
 नटेन्द्रनाथ दास (कोन्टाई दक्षिण)  
 मजीरद्दीन अहमद (कूच-बिहार)  
 यनीन्द्रनाथ सरकार (कूच-बिहार, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 विश्वनाथ राय (कोसीपुर)  
 ज्ञानेन्द्रकुमार चौधुरी (डन्टन)  
 दल बहादुर सिंह गनतराज (दार्जिलिंग)  
 भुगेन्द्र भट्टाचार्य (दासपुर)  
 रफीउद्दीन अहमद (देगंगा)  
 धीरेन्द्र नारायण मुखर्जी (धनियाखाली)  
 लीमो हासदा (धनियाखाली, संरक्षित  
 परिगणित जन-जाति)  
 रवीन्द्रनाथ सिकंदर (धूपगुरी)  
 जगदीश हालदार (डायमंड-हाबेर)  
 सनीशचन्द्र रायसी (दिनहाटा)  
 उमेशचन्द्र मण्डल (दिनहाटा, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 तारापद डे (डोमजूर)  
 कनाईलाल दास (डमडम)  
 देवेन्द्रचन्द्र डे (एन्टाली)  
 ज्योतिषचन्द्र राय (फालटा)  
 गयासुद्दीन (फड़ाका)  
 नरेन्द्रनाथ सेन (फोर्ट)  
 जियाउल हक (गईघाटा)  
 जटवेन्द्रनाथ पंजा (गालसी)  
 मोहितोश साहा (गालसी, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)

धीरेन्द्रनाथ चटर्जी (गंगाजलघाटी)  
 सतीन्द्रनाथ बसु (गंगारामपुर)  
 सरोज राय (गरवेटा)  
 एस० एम० अब्दुल्ल (गार्डेन-रीच)  
 धरनीधर सरकार (गजोल)  
 जातीशचन्द्र घोष (घाटल)  
 अमूल्यचरण दत्त (घाटल, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 नरेन्द्रनाथ घोष (गोघाट)  
 घनन्जय कर (गोपी बल्लभपुर)  
 जगतपति हंसदा (गोपी बल्लभपुर, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 तरुणकान्ति घोष (हावडा)  
 ए० हमीद (हरिहर पाड़ा)  
 रामहरि राय (हरिचन्द्र पुर)  
 हेमन्त कुमार घोषाल (हरोआ-सन्देशखाली)  
 ज्योतिषचन्द्र राय (हरोआ-सन्देशखाली  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 विजेशचन्द्र सेन (हसनाबाद)  
 राजकृष्ण मण्डल (हसनाबाद, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 शैलकुमार मुखोपाध्याय (हावडा-पूर्व)  
 बिरेन बनर्जी (हावडा-उत्तर)  
 बेणीचरण दत्त (हावडा-दक्षिण)  
 बंकिमचन्द्र कर (हावडा-पश्चिम)  
 बनमाली दास (इताहर)  
 अमृतलाल हाजरा (जगत बल्लभपुर)  
 ए० एम० ए० जामान (जलांगी)  
 खगेन्द्रनाथ दास गुप्त (जलपाईगुडी)  
 सरोजेन्द्र देव रायकूट (जलपाईगुडी,  
 संरक्षित परिगणित जाति)  
 महेन्द्रनाथ महतो (झरग्राम)  
 मदनमोहन खान (झरग्राम, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 रामलगन सिंह (जोराबागान)  
 अमरेन्द्रनाथ बसु (जोराबागान)

शिवकुमार राय (जोरबंगलो)  
 सुबोध बैनर्जी (जयनगर)  
 दीनतारण मोनी (जयनगर, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 अबुल बरकत अताउल गनी (कालिया चाक  
 उत्तर)  
 सौरीन्द्रमोहन मिश्र (कालिया चाक दक्षिण)  
 एस० एम० फज्रुल रहमान (कालीगंज)  
 श्रीमती मनी कुन्तला सेन (कालीघाट)  
 नरबहादुर गरंग (कालिम्पोग)  
 राश बिहारी सेन (कालना)  
 वैद्यनाथ सन्ताल (कालना, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 गोइलबदन त्रिवेदी (कान्डी)  
 हरिपद चैटर्जी (करीमपुर)  
 सुबोध चौधुरी (कटवा)  
 गंगापद, कुअर (केशपुर)  
 नगन्द्र दोलोई (केशपुर-संरक्षित परिगणित)  
 तारापद गगोपाध्याय (केटूग्राम)  
 महम्मद हुसैन (खाडाघोश)  
 महमूद मुमताज़ (खड़गपुर)  
 तफज़ल हुसैन (खारवा)  
 अमूल्यरतन घोष (खटरा)  
 आशुतोष मल्लिक (खटरा, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 श्रीमती आभा मैती (खेजरी)  
 कोस्तुव क्रान्ति करन (खेजरी, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 खगेन्द्रनाथ बन्दोपाध्याय (खोयरसोल)  
 विजयलाल चट्टोपाध्याय (कृष्णनगर)  
 नलिनीकान्त हलदार (कुलपी)  
 प्राणकृष्ण कामार (कुलपी, संरक्षित परि-  
 गणित जाति)  
 जयनारायण शर्मा (कुलटी)  
 वैद्यनाथ मण्डल (कुलटी, संरक्षित परिगणित  
 जाति)

नेपालचन्द्र राय (कुमारतली)  
 जार्ज मैहवर्ट (कुरसियोग-सीलीगुड़ी)  
 तेनर्जिक वाग्डी (कुरसियोग-सीलीगुड़ी  
 संरक्षित परिगणित जनजाति)  
 काजिमअली मिर्जा (लाल गोला)  
 अबुल हाशिम (मगराहाट)  
 अर्धेन्द्रशेखर नसकर (मगराहाट संरक्षित)  
 सुधीरचन्द्र भन्डारी (महेलटोला)  
 कुमारदेव प्रसाद गर्ग (महौसदल)  
 सुरेन्द्रनाथ राय (मेनागरी, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 निकुंज बिहारी गुप्त (मालदा)  
 रायपद दास (मालदा, संरक्षित परिगणित  
 जाति)  
 भक्त चन्द्र राय (मगलकोट)  
 रनेन्द्र नाथ सेन (मानिक ताला)  
 पशुपति झा (मानिक चाक)  
 अन्नदा प्रसाद मण्डल (मंटेस्वर)  
 शारदा प्रसाद प्रामाणिक (माघाभग)  
 भूषणचन्द्र दास (मथुरापुर)  
 वृन्दाबन गायन (मथुरापुर, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 सत्येन्द्रप्रसन्न चैटजी (मेकलीगंज)  
 बसन्तकुमार पानिग्राही (मोहनपुर)  
 कानाईलाल भौमिक (मोयना)  
 शकरप्रसाद मिश्र (मुचीपाडा)  
 योगेन्द्रनारायण दास (मुरारय)  
 दुर्गापद सिंह (मुर्शिदाबाद)  
 निरंजन मोदक (नवद्वीप)  
 सुरेशचन्द्र पाल (नई हटी)  
 जगन्नाथ भजूमदार (नकाली पाड़ा)  
 याकूब हुसैन (नलहाटी)  
 सुबोधचन्द्र मैती (नन्दीग्राम-उत्तर)  
 प्रवीरचन्द्र जाना (नन्दीग्राम-दक्षिण)  
 बसन्तलाल मुरारका (ननूर, संरक्षित  
 परिगणित जाति)  
 कृष्णचन्द्र सतपाठी (नारायणगढ़)



सुरेन्द्रनाथ प्रामाणिक (नाययब बद्र, संरक्षित परिगणित जाति)  
 मुहम्मद इसाक (तोबास)  
 रजनीकान्त प्रामाणिक (पाँसकुटा-उत्तर)  
 श्यामा भट्टाचार्य (पाँसकुटा-दक्षिण)  
 जनार्दन साहु (पटाग्रपुर)  
 पुलिन बिहारी मैती (पिपला)  
 विमलानन्द तर्कतीर्थ (पुरुबस्थाली)  
 गुलाम हमीदुर्रहमान (रायगंज)  
 श्यामाप्रसाद बर्मन (रायगंज, संरक्षित परिगणित जाति)  
 दाशरथी तह (रैना)  
 मृत्युंजय प्रामाणिक (रैना, संरक्षित परिगणित जाति)  
 यतीन्द्रनाथ बसु (रायपुर)  
 जदुनाथ मुर्मू (रायपुर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 बलाईलाल दास महापात्र (रामनगर)  
 श्रीकुमार बैनर्जी (रामपुरहाट)  
 पंचानन लेट (रामपुरहाट, संरक्षित परिगणित जाति)  
 केशवचन्द्र मिश्र (रानाघाट)  
 विजयकृष्ण सरकार (रानाघाट, संरक्षित परिगणित जाति)  
 पशुपतिनाथ मालिया (रानीगंज)  
 व्रजधारी मंडल (रानीगंज, संरक्षित परिगणित जाति)  
 जैनुल अबदीन काजी (रानीगंज)  
 श्रीमती रेणुका राय (रतुआ)  
 गोपाल चन्द्र दास अधिकारी (सबोग)  
 श्यामापद भट्टाचार्य (सागरदीघी)  
 कुबेरचन्द्र हालदार (सांगरदीघी, संरक्षित परिगणित जाति)  
 हरिपद बागुली (सागोर)  
 विजयगोपाल गोस्वामी (सालबोनी)  
 कानाईलाल भट्टाचार्य (मकरेल)  
 कृपासिन्धु शा (मंकरेल, संरक्षित परिगणित जाति)  
 शशिभूषण खान (शान्तिपुर)

पान्नालाल बोस (सीमालबाह)  
 जितेन्द्रनाथ लाहिरी (बैरामपुर)  
 हेमन्तकुमार बसु (श्यामपुर)  
 शसबिन्दु बेरा (श्यामपुर)  
 अज्ञेयकुमार बसु (सिमूर)  
 सुरेन्द्र नाथ साहा (सिमूर संरक्षित परिगणित जाति)  
 भवतारन चक्रवर्ती (सोनामुखी)  
 शिशुराम मन्डल (सोनामुखी, संरक्षित परिगणित जाति)  
 गोपिकाविलास सेन गुप्त (सूरी)  
 निशापति माझी (सूरी, संरक्षित परिगणित जाति)  
 कुमारचन्द्र जाना (सुताहाट)  
 लुन्कुन हक (सूनी)  
 मुहम्मद इसाक (स्वरूप नगर)  
 श्रीमती पूरबी मुखर्जी (तालङगरा)  
 शमसुल हक (तालटोला)  
 अजयकुमार मुखर्जी (तामलक)  
 पारवती हाजरा (तारकेश्वर)  
 रघुनन्दन विश्वाम (तेहड़ा)  
 कृष्णकुमार शुक्ल (टीटागढ़)  
 ज्योतिष जोषारदार (टालीगंज)  
 प्रियरजन सेन (टालीगंज उत्तर)  
 अम्बिका चक्रवर्ती (टालीगंज दक्षिण)  
 विभूतिभूषण घोष (डनबेरिया)  
 विजय भूषण मन्डल (उलूबेरिया, संरक्षित परिगणित जाति)  
 मनोरजन हाजरा (उत्तर पाडा)  
 नारायण चन्द्र राय (विद्यासागर)  
 राधा गोविन्द राय (विष्णुपुर)  
 किरणचन्द्र दीगर (विष्णुपुर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 काली मुखर्जी (वटगूंगे)  
 शसधर कर (पश्चिमी द्वारस)  
 ऐन्टनी तोपनो मुडा (पश्चिमी द्वारस संरक्षित परिगणित जाति)  
 आर० ई० प्लेटन (नामजद)  
 रैमीनान्ड आर्थर मैमी (नामजद)

पश्चिमी बंगाल विधान परिषद्

सभापति—सुनीतिकुमार चटर्जी

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| अब्दुल हलीम (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)             | चारुचन्द्र सान्याल (स्नातक-पश्चिमी बंगाल-उत्तर)      |
| नरेन्द्रनाथ बागची (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)       | कामिनी घोष (अध्यापक कलकत्ता)                         |
| बकिमचन्द्र बैनर्जी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)      | विजनबिहारी भट्टाचार्यजी (अध्यापक बर्दवान डिवीजन)     |
| सुबोधकुमार बसु (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)          | सत्यप्रिय राय (अध्यापक प्रेजीडेसी डिवीजन-दक्षिण)     |
| मुनीन्द्रमोहन चक्रवर्ती (विधान सभा द्वारा निर्वाचित) | श्रीमती अनिला देवी (अध्यापक प्रेजीडेसी डिवीजन-उत्तर) |
| के० पी० चट्टोपाध्याय (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)    | आर० एस० प्रसाद (दार्जिलिंग)                          |
| मोहम्मद, सैयद मियां (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)     | सच्चिन्द्रनाथ मित्र (पश्चिम बंगाल-उत्तर)             |
| प्रतापचन्द्र गुह (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)        | तारकदास बन्दोपाध्याय (नादिया-मुर्शीदाबाद)            |
| मोहितोष राय चौधरी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)       | काली नारायण सिंह (नादिया, मुर्शीदाबाद)               |
| मिर्जा अब्दुर्रशीद (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)      | कालीपद मुखर्जी (कलकत्ता-२४ परगना)                    |
| कमलाचरण मुखर्जी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)         | शरतचन्द्र सावू (कलकत्ता-२४ परगना)                    |
| रामकुमार भुवाल्का (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)       | मुधिरेंद्रनाथ मजूमदार (कलकत्ता-२४ परगना)             |
| कामदाकिंकर मुखर्जी (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)      | हृदयभूषण चक्रवर्ती (कलकत्ता-२४ परगना)                |
| विजयसिंह नाहर (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)           | देवप्रसाद चटर्जी (कलकत्ता-२४ परगना)                  |
| ऋषभ प्रधान (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)              | प्रफुल्लकुमार गुह (कलकत्ता-२४ परगना)                 |
| सुरेन्द्रकुमार राय (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)      | प्रफुल्लचन्द्र सेन (हुगली-हावड़ा)                    |
| देबेन्द्रसेन (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)            | रवीन्द्रलाल सिंह (हुगली-हावड़ा)                      |
| निर्मलचन्द्र भट्टाचार्य (स्नातक, कलकत्ता)            | सुनीतिकुमार बनर्जी (हुगली-हावड़ा)                    |
| सुनीतिकुमार चटर्जी (स्नातक, पश्चिम बंगाल-दक्षिण)     | चारुचन्द्र महन्ती (बर्दवान डिवीजन-उत्तर)             |
| चित्तरंजन राय (स्नातक-पश्चिम बंगाल-पश्चिम)           | प्रणतेश्वर सरकार (बर्दवान डिवीजन-उत्तर)              |
|                                                      | बिमान बिहारी लाल सिंह (बर्दवान-डिवीजन-उत्तर)         |
|                                                      | अन्नदाप्रसाद चौधरी (बर्दवान डिवीजन-उत्तर)            |
|                                                      | शंकरदास बनर्जी (नामजद)                               |
|                                                      | ताराशंकर बनर्जी (नामजद)                              |
|                                                      | गुरुगोविन्द बसु (नामजद)                              |
|                                                      | श्रीमती शान्ति दास (नामजद)                           |
|                                                      | नरसिंहा मल्ल उगल सैन्द देव (नामजद)                   |
|                                                      | श्रीमती लावण्यप्रभा दत्त (नामजद)                     |
|                                                      | मुशर्रफ हुसैन (नामजद)                                |
|                                                      | शेख मुहम्मद जौन (नामजद)                              |
|                                                      | श्रीमती सारोगी (नामजद)                               |

## छब्बीसवां अध्याय

### 'ख' भाग के राज्य

#### हैदराबाद

#### राजप्रमुख

हैदराबाद के निज़ाम

#### मंत्री

- |                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. मुख्य मंत्री तथा साधारण व्यवस्था, सूचना और सामाजिक सेवाये । | बी० रामकृष्ण राव     |
| 2. गृह, पुनर्वास और कानून                                      | डी० जी० बिन्दु       |
| 3. आन्तरिक कर, लगान, जंगल                                      | के० बी० रंगारेड्डी   |
| 4. वित्त, गणना, कर, व्यवसाय और व्यापार                         | विनायकराव विद्यालकार |
| 5. सार्वजनिक कार्य और श्रम                                     | जी० एस० मलकोटे       |
| 6. चिकित्सा तथा देहात पुनर्निर्माण                             | मेहदीनबाख् जंग       |
| 7. शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य और व्यवस्थापन                      | गोपाल राव एकबोटे     |
| 8. कृषि, पूर्ति, योजना और विकास                                | एम० चेन्ना रेड्डी    |

हैदराबाद राज्य भारतीय यूनियन में दिसम्बर 1949 में सम्मिलित हुआ। राज्य में 16 जिले हैं 138 ताल्लुके हैं और कुल मिलाकर 22,000 गाव हैं ।

#### वित्त

(लाख रुपयों में)

| वर्ष के आकड़े     | आय    | व्यय  | वर्चत (+)<br>या घाटा (—) |
|-------------------|-------|-------|--------------------------|
| 1950-51 (लेखा)    | 2,618 | 2,755 | —137                     |
| 1951-52 (लेखा)    | 2,987 | 2,819 | +168                     |
| 1952-53 (मशोर्धन) | 2,791 | 2,682 | +109                     |
| 1953-54 (वर्ष)    | 2 802 | 2,822 | —20                      |

#### शिक्षा

1953 में 'हैदराबाद अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा कानून' पास हुआ। उसके अनुसार 170 प्रारम्भिक और 70 माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त श्रेणियां जारी की गईं। सामूहिक विकास योजना के क्षेत्रों में जो प्रारम्भिक स्कूल हैं तथा जो स्कूल बेसिक शिक्षा के ट्रेनिंग स्कूलों के निकट हैं, उन्हें बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। सरकार ने यह निश्चय किया है कि राज्य में टेक्निकल शिक्षा की उन्नति की जाय। इस कार्य के लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी

भी नियुक्त की गई थी, जिसकी कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। इसी उद्देश्य में राज्य के टेक्निकल कालेज को पुनर्संगठित किया गया है, जहाँ मैट्रिक पास विद्यार्थियों को तीन वर्षों के लिये मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है। चित्रकला, वास्तुकला, व्यापारिक कला तथा निर्माण आदि की शिक्षा तथा डिप्लोमा देने के लिये एक स्कूल आफ आर्ट्स पुनर्संगठित किया गया है। शारीरिक शिक्षा के लिये एक एकेडेमी की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन जनवरी, 1953 में प्रधान मंत्री ने किया था। शिक्षा संस्थाओं की सहायता के मद में 2 लाख रुपये की वृद्धि की गई।

### खाद्यान्न तथा कृषि

पंचवर्षीय आशोजना के अनुसार हैदराबाद में कृषि के विकास पर साढ़े तीन करोड़ रुपये व्यय किया जायगा। खाद्यान्न तथा रूई के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। गत वर्ष सिंचाई के कितने ही नये कार्य किये गये। 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाले 20 माध्यमिक सिंचाई कार्यों का निर्माण पूरा कर लिया गया। 10,350 एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाले 3 माध्यमिक और 4 छोटे सिंचाई कार्यों का निर्माण जारी है। गतवर्ष हैदराबाद से 17,500 टन ज्वार बम्बई, मद्रास और मंसूर को भेजी गई। क्रमशः राशन के क्षेत्रों को घटाया गया। आशोजना कमीशन की सिफारिशों पर 1952-53 में हैदराबाद में एक टैनेन्सी कानून पास हुआ। किसानों के अधिकारों की रक्षा तथा भूमि के कार्यों पर देखभाल करने के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त की गई। राज्य के 22,000 गावों में से 21,798 गावों में भूमि स्वामित्व के कागजों की देखभाल की गई और राज्य भर में 6 लाख से ऊपर किसानों को टैनेन्सी सर्टीफिकेट दिये गये।

### व्यवसाय

1952-53 में हैदराबाद में सरकार ने उत्पादन वृद्धि की इच्छा से कुछ आधारभूत व्यवसायों को प्रारम्भ किया। आजू-मजाही तथा उस्मानशाही कपड़े की मिलों का तथा ग्राहाबाद की सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन 50 प्रतिशत बढ़ाया गया। बोधन की चीनी की फैक्टरी का उत्पादन 200 प्रतिशत बढ़ा, कोयले का उत्पादन 25 प्रतिशत बढ़ा और कागज का 100 प्रतिशत। गृह व्यवसायों को सहायता देने के लिये राज्य में कुछ शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से एक हैडीक्राफ्ट बोर्ड भी बनाया जा रहा है।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष 45 नये चिकित्सालय खोले गये और हैदराबाद के तपेदिक अस्पताल में 45 नये विस्तारों की वृद्धि की गई। उस्मानिया मेडिकल कालेज के अतिरिक्त प्रिन्सेस लीलाफर अस्पताल को भी राज्य की सरकार ने इस उद्देश्य से अपने हाथ में ले लिया है कि उसका विकास एक प्रथम श्रेणी के जच्चा अस्पताल के रूप में किया जा सके। मोमिनाबाद में एक तपेदिक का स्वास्थ्य केन्द्र भी खोला गया। प्लेग, कोढ़, मलेरिया और हैजा आदि की रोक थाम के लिये बहुत से प्रयत्न किये गये। बी० सी० जी० के टीके भी बहुत बड़ी संख्या में लगाये गये।

हैदराबाद शहर में 24 शिशुकल्याण केन्द्र बनाये गये और राज्य के जिलों में 21 : 1 इन्सू० एच० ओ० की सहायता से राज्य में नर्सों और दाइयों को ट्रेड करने का प्रयत्न किया जा रहा है और गावों में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं ।

## हैदराबाद विधानसभा

### अध्यक्ष — काशीनाथ राव वैद्य

दाजीशकर राव (आदिलाबाद)  
अन्नाराव वासप्पा (अफजलपुर)  
निर्वधि रेड्डी नामदेव रेड्डी (अहमदपुर)  
पगा पुल्ला रेड्डी (अलमपुर-गडवाल)  
नागन्ना (अलमपुर-गडवाल, संरक्षित परिगणित जाति)  
श्रीमती अरुटला कमलादेवी (आलेर)  
वीरेन्द्र पाटील (आलन्द)  
भगवन्तराव गम्भीरराव गाडे (अवंड)  
शरन गौड इनामदार (अन्दोल-जेवर्गी)  
वैन्कट राजेश्वर जोशी (अन्दोल)  
लच्छ्मन कुमार (अन्दोल, संरक्षित परिगणित जाति)  
जी० राजाराम (अरमूर)  
रुखमाजी धोडिबा (आष्टी)  
लक्ष्मण बापूजी कोंडा (आसिकाबाद)  
काशीराम (आसिकाबाद, संरक्षित परिगणित जाति)  
श्रीपादराव लक्ष्मण राव नेवासेकर (औरंगाबाद)  
देवसिंह वेन्कटसिंह चौहान (अवसा)  
अनन्त रेड्डी (बालकोडा)  
श्रीमती लक्ष्मीबाई (बसवाडा)  
भगवानराव गोपालराव बोरलकर (बसमत)  
शामराव भिकाजी जाध (बसमत, संरक्षित परिगणित जाति)  
काशीनाथराव वैद्य (बेगमबाजार)  
मुरलीधर राव श्रीनिवास राव कामटीकर (भालकी)  
श्रीपतराव कदम (भीर)  
दिगम्बरराव बिन्दु (भोकर)

भाऊराव दगडूराव (भोकरदन)  
धोडीराज काम्बले (भोकरदन, संरक्षित परिगणित जाति)  
गोका रामलिंगम् (भोनीर)  
शफीउद्दीन (बिदार)  
नारायणराव नरसिंहराव (बिलोली)  
एस० एल० शास्त्री (बोधन)  
गोपाल राव एकबोटे (चांदघाट)  
शंकरप्पा (चिचोली)  
काचिनपल्ली वैन्कट रामा राव (चिन्नाकोन्दूर)  
रुद्रप्पा (चितापुर)  
जयवन्तराव ज्ञानेश्वर (देगलूर)  
गणपतराव माणिकराव (देगलूर, संरक्षित परिगणित जाति)  
करिवासप्पा गुरुवासप्पा (देवदुर्ग)  
के० अनन्तराम राव (देवरकोंडा)  
श्रीनिवास राव (डिचपल्ली)  
जव्वादी बामोदर राव (एलगुन्डाल)  
पेन्डम वामुदेव (गजवेल)  
रगराव देशमुख (गगाखेड)  
के० आर० हीरामठ (गगावली)  
रामराव (गेवराई)  
मुहम्मदअली (गुलबर्गा)  
माधवराव लालजी पाटील (हदगांव)  
एस० मबाटला रामनाथन (हूनमकोडा)  
मिर्जा शुकूर बेग (हसनपट्टी)  
शामराव नाइक (हिगोली)  
माधवराव निरलीकर (हिगोली, संरक्षित परिगणित जाति)  
किशनराव बापुराव देशपांडे (हुलसर)

श्रीनिवासराय एखलीकर (हुमनाबाद)  
 शंकर देव (हुमनाबाद, संरक्षित परिगणित जाति)  
 पी० नारायणराव (हुजूरबाद)  
 जे० बैकटशम (हुजूरबाद, संरक्षित परिगणित जाति)  
 मखदूम मोइनुद्दीन (हुजूरनगर)  
 थालमल्ला नरसिम्ह (हुजूरनगर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 सैयद हसन (हेदराबाद शहर)  
 आपी रेड्डी (इब्राहीमपटन)  
 एम० बी० गौतम (इब्राहीमपटन, संरक्षित परिगणित जाति)  
 विठ्ठलराव देशपाण्डे (इप्पागुडा)  
 बदम मल्ला रेड्डी (जगतिथाल)  
 बुट्टी राजाराम (जगतिथाल, संरक्षित परिगणित जाति)  
 मुहम्मदअली मुसावी (जालना)  
 सय्यद अख्तर हुसैन (जनगाव)  
 भुजगराव नांगोराव (जितूर)  
 रामलिंगास्वामी (कैज)  
 अच्युतराव योगीराज (कल्लम)  
 एम० नरसिंग राव (कलवाकुर्ती)  
 के० आर० वीरास्वामी (कलवाकुर्ती, संरक्षित परिगणित जाति)  
 जी० विठ्ठल रेड्डी (कामारेड्डी)  
 वि० रामराव (कामारेड्डी, संरक्षित परिगणित जाति)  
 चन्द्रशेखर (कमलापुर)  
 गोविन्दराव नरसिंह राव (कन्धार)  
 भाधवराव सवाई सीताराम सवाई (कन्धार, संरक्षित परिगणित जाति)  
 रामगोपाल रामकृष्ण (कन्नड़)  
 सी० एच० बैकटराम राव (करीमनगर)  
 नरेन्द्र (करवान)  
 पी० कृष्णाय्या (खम्मम)

आर० बी० गुरमूर्ति (खम्मम, संरक्षित परिगणित जाति)  
 श्रीहरि (किनवत)  
 अनन्त रेड्डी (कोडागल)  
 वीरास्वामी (कोडागल, संरक्षित परिगणित जाति)  
 अनन्त रामचन्द्र रेड्डी (कोलापुर)  
 श्रीमती महादेवम्मा बसवानगोडा (कोप्पल)  
 एम० कोंडल रेड्डी (कुनाराम)  
 अन्दानप्पा (कुडगी)  
 विनायकराव कोरटकर (लातूर)  
 बसन्तगोडा (लिगासगूर)  
 विश्वनाथ राव (लक्ष्मीपेठ)  
 राजमल्लू (लक्ष्मीपेठ, संरक्षित परिगणित जाति)  
 कोडाबालू वेकय्या (मदिरा)  
 कन्नककान्ति श्रीनिवासराय (महूबाबाद)  
 बी० एम० चन्दरराव (महूबाबाद, संरक्षित परिगणित जाति)  
 पी० हनुमन्त राव (महबूबनगर)  
 श्रीमती शान्ताबाई (मखटाल-आत्माकुर)  
 बासप्पा (मखटाल-आत्माकुर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 अब्दुल रहमान (मलकपेट)  
 लिम्बाजी मुक्ताजी (मजलेगाव)  
 जी० श्रीरामलु (मन्थानी)  
 दाम्पन गौडा शक्कप्पा (मानवी)  
 वेकटेश्वरराव (मेदक)  
 वरकण्ठम गोपाल रेड्डी (मेडचल)  
 गागुला भूमय्या (मेटपल्ली)  
 वामनराव रामराव (मोमिनाबाद)  
 द्वारका प्रसाद चौधरी (मोमिनाबाद, संरक्षित परिगणित जाति)  
 गोपाल शास्त्री देव (मुधोल)  
 हनुमन्त राव (मुलुग)  
 जी० एस० मलकोटे (मुशीराबाद)  
 ब्रह्म रेड्डी (नगार्कुर्ल)

डी० रामास्वामी (नगरकुर्नुल, संरक्षित परिगणित जाति)  
 कट्टाराम रेड्डी (नलगोंडा)  
 लक्ष्मय्या (नलगोंडा, संरक्षित परिगणित जाति)  
 भगवानराव गांजवे (नान्देड)  
 आप्पाराव (नारायणखेड)  
 जे० रामा रेड्डी (नरसापुर)  
 शेषराव माधवराव (नीलवांगा)  
 गोपी रेड्डी गंगा रेड्डी (निर्मल)  
 गंगाराम (निर्मल, संरक्षित परिगणित जाति)  
 मुहम्मद दावर हुसैन (निजामाबाद)  
 सिंगी रेड्डी बेन्कट रेड्डी (नुस्सुलापुर)  
 फत्तचन्द रामचन्द्र गाधी (ओमगां)  
 उद्धवराव (उसमानाबाद)  
 कल्याणराव (उसमानाबाद, संरक्षित परिगणित जाति)  
 बापुजी मानसिंह (पैठण गंगापुर)  
 गोविन्द राव केरोजी गायकवाड (पैठण गंगापुर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 गोपालराव (पाखल)  
 अन्नाजीराव (परभाती)  
 विश्वासराव पाटील (पारेन्डा)  
 श्रीमती शाहजहा बेगम (परगी)  
 के० केशव रेड्डी (परकाल)  
 अकुशराव बेन्कटराव (परतूर)  
 रामराव बालकृष्ण राव (पथरी)  
 रतनलाल कोटेचा (पटोडा)  
 के० बेन्कट रामा राव (पेद्दामुगल)  
 मुत्तय्या (पेद्दाल्ली)  
 मानिकचन्द केवलचपहाडे (फूलमारी)  
 एल० के० शाराफ (रायचूर)  
 के० बी० नारायण रेड्डी (राजगोपाल पेट)  
 कथाकूरी रामचन्द्र रेड्डी (रामन्नापेट)  
 ए० रामचन्द्र रेड्डी (रामायणपेट)  
 वी० बी० राजू (सिकन्दराबाद)

जे० बी० मुत्थालराव (सिकन्दराबाद, संरक्षित परिगणित जाति)  
 बी० रामकृष्णराव (शादनगर)  
 बेन्कट रंगा रेड्डी (शाहबाद)  
 विरूपाकशप्पा (शाहपुर)  
 श्रीमती मासूमा बेगम (शालिबंडा)  
 मल्लाप्पा (शोरापुर)  
 ए० गुन्ना रेड्डी (सिद्दीपेट)  
 नागेराव विश्वनाथ (सिल्लोड)  
 शिवबसन गौडा (सिधनूर)  
 जोगनपल्ली आनन्दराव (सिरसिल्ला)  
 श्रीमती जे० एम० राजमणि देवी (सिरसिल्ला, संरक्षित परिगणित जाति)  
 एम० बुच्चय्या (सिरपुर)  
 मेहदी नवाज जंग (सोमाजीगुडा)  
 ए० राज रेड्डी (सुलतानाबाद)  
 बी० धर्म भिक्शम (सूर्यपेट)  
 उप्पाल मलचूर (सूर्यपेट, संरक्षित परिगणित जाति)  
 जे० के० प्राणेशचार्य (तांडूर-सेरम)  
 माधवराव बेन्कटराव घोनसिकर (उदगीर)  
 तुलसीराम दशरथ काम्बले (उदगीर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 श्रीमती आशाताई बाधामरे (वजापुर)  
 कांडिमल्ला रामकृष्ण राव (वेमसूर)  
 एम० चेन्ना रेड्डी (विकाराबाद)  
 ए० रामास्वामी (विकाराबाद, संरक्षित परिगणित जाति)  
 एम० राम रेड्डी (वानरपट्टी)  
 एम० एस० राजलिंगम (वारंगल)  
 ए० लक्ष्मी नरसिंह रेड्डी (वारदन्नापेट)  
 जगन्नाथ राव (यादगीर)  
 अम्बादास (यादगीर, संरक्षित परिगणित जाति)  
 ए० निगनगौडा (येलबुर्गा)  
 के० एल० नरसिंह राव (येल्लान्दू)  
 वुके नगय्या (येल्लान्दू, संरक्षित परिगणित जाति)  
 गंडेराव यशवन्त राव (जहीराबाद)

## जम्मू और काश्मीर

सबरे रियासत . . . . . युवराज कर्णसिंह

### मंत्री

1. प्रधान मंत्री, तथा साधारण व्यवस्था, कानून, बख्शी गुलाम मुहम्मद  
अदालतें, योजना, सामुहिक विकास कार्य, पुलिस  
और यातायात इत्यादि
2. शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रचार, सूचना और जेल . गुलाम मुहम्मद सादिक
3. वित्त, हिसाब, चुगी, आन्तरिक कर, आयकर, गिरधारीलाल डोंगरा  
तथा बैंक
4. विकास, व्यवसाय, जंगल, स्थानीय स्वराज्य, शामलाल सराफ  
यात्री, तथा प्रदर्शन
5. लगान, कृषि, ग्रामीण विकास, सहयोग, सहायता मीर कामिस  
और पुनर्वास

### उपमंत्री

- 1 गृह . . . . . डी. पी. धर
2. शिक्षा तथा स्वास्थ्य . . . . . जी. आर. रैन्जु
- 3 मरहदी मामले . . . . . कौशिक बकुला
- 4 विकास . . . . . ए यू मीर
- 5 लगान . . . . . प्यारासिंह

यह राज्य 27 अक्टूबर 1947 को भारत यूनियन में सम्मिलित हुआ ।

### शिक्षा

राज्य की शिक्षा पुनर्संगठन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1952-53 में एक नई बहु-उद्देशीय शिक्षा पद्धति का प्रारम्भ किया गया । उसके अनुसार जम्मू और श्रीनगर में दो बहु-उद्देशीय स्कूल खोले गये और इसी ढंग का एक स्कूल श्रीनगर के निकट शालीमार गाव में खोला गया । राज्य के 60 प्रारम्भिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया और 20 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूलों में । गत वर्ष शिक्षा पर 46,04,000 रुपये व्यय किये गये और इसके अतिरिक्त 8 लाख रुपये पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार शिक्षा कार्यों पर व्यय हुए । पुस्तकालयों तथा परीक्षणशालाओं के लिये पुस्तकें तथा नया सामान आदि खरीदा गया ।

1954 के लिये काश्मीर सरकार ने निश्चय किया है कि जम्मू, काश्मीर और लद्दाख में 300 नये प्रारम्भिक स्कूल, 28 नये माध्यमिक स्कूल और 2 नये हाई स्कूल खोले जायें ।

### खाद्यान्न तथा कृषि

मार्च 1953 में भूमि मुआवजा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य की विधान सभा के सम्मुख पेश की । उसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि जमींदारों को कोई मुआवजा न दिया जाय ।



किसानों को भूमि बांटने का कार्य सन्तोषजनक रूप से जारी है। काश्मीर घाटी तथा लद्दाख में यह कार्य पूरा किया जा चुका है और जम्मू प्रान्त में यह कार्य समाप्ति के करीब है। जो 9 लाख कनाल भूमि राज्य के अपने पास आई है, उसमें शरणार्थियों को बसाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जम्मू, कठुआ और राजौरी-रुद्र जिलों में भूमि वितरण का कार्य जारी है।

#### व्यवसाय

1952-53 में जम्मू काश्मीर सरकार ने कुछ मशीनें जापान से मंगवाईं। इन मशीनों के संचालन के प्रदर्शन के लिये एक ट्रेनिंग केन्द्र खोला गया। काश्मीर का साबा शहर छपाई के कार्य के लिये प्रसिद्ध था। सरकार अब साबा में इस व्यवसाय का पुनरुद्धार कर रही है। छोटे व्यवसायों के विकास और पुनर्निर्माण के लिये राज्य के व्यवसाय बोर्ड ने 20,000 रुपये कर्ज के रूप में बाटे हैं। राज्य से काश्मीरी सामान का निर्यात अब बहुत मगठित रूप में हो रहा है और यह प्रयत्न किया जाना है कि काश्मीर में बने माल की किस्म घटिया न होने पावे। राज्य की व्यवस्थापिका सभा घटिया दर्जे के नमदों के निर्माण पर बंदिश लगा चुकी है।

#### सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष जनता के स्वास्थ्य की ओर अधिकतम ध्यान दिया गया। राज्य के अस्पतालों में नये ढंग के उपकरण मगवाये गये। राज्य के अस्पतालों का पुनर्मगठन किया गया। श्रीनगर के अस्पताल के लिये एक लाख रुपये के व्यय से एक्स रे का नया प्लाण्ट आया। अब बारामूल के अस्पताल में भी इसी तरह का यंत्र लाया जा रहा है।

जम्मू में लैंगिक बीमारियों के निरोध के लिये प्रयत्न जारी है। राज्य के चिकित्सकों को इस सम्बन्ध में शिक्षा लेने के लिये शिमला भेजा गया था। तपेदिक के निरोध के लिये 3 लाख व्यक्तियों की परीक्षा की गई और उन्हें बी. सी. जी का टीका लगाया गया। जम्मू और काश्मीर सरकार ने कुछ चलते-फिरते चिकित्सा यूनिट बनाये हैं, जो राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर जनता की सेवा का कार्य करते हैं।

#### जम्मू और काश्मीर संविधान सभा

(जम्मू और काश्मीर की विधान सभा भी यही है)

संविधान सभा के अध्यक्ष : जी० एम० सादिक

विधान सभा के अध्यक्ष : जी० आर० रेन्जू

बख्शी गुलाम मुहम्मद (सफा कदल)  
मुहम्मद अफजल बेग (अनन्तनाग)  
गिरधारीलाल डोगरा (जसमेरगढ़)  
शामलाल सराफ (हब्बाकदल)  
अब्दुल अजीज शाल (राजौरी)  
अब्दुल गनी तराखी (राजपोरा)  
अब्दुल गनी गोनी (भलेसा—बुजवाह)  
अब्दुल कुदूस (बिरवा)  
बख्शी अब्दुल रशीद (चरारे शरीफ)  
अब्दुल कबीर खा (वाडीपुर—गुरेज)

अब्दुल खालिक (सनिवारा)  
अल्लाउद्दीन गिलानी (हन्धारा)  
असद उल्लाह मीर (रामबन)  
छज्जूराम (रणबीरसिंहपुर)  
भगतराम शर्मा (लम्दर—टीकरी)  
चूनीलाल कोसवाल (भदरवा)  
चैलासिंह (छम्ब)  
डी० पी० धर (कुलगाम)  
गुलाम अहमद मीर (दक्खिनपारा)  
मुहम्मद अब्दुल्ला (हजूरतबल)

गुलाम अहमद देव (डोडा)  
 गुलाम जि नानी (पाम्पुर)  
 गुलाम हसन खा (नारवाव)  
 गुलाम रसूल रैना (नन्दी)  
 गुलाम हसन (देवसर)  
 गुलाम मुहम्मद मसूदी (त्राल)  
 जी० एम० सादिक (टैकीपुर)  
 गुलाम मुहम्मद बेग (नोबुग—ब्रंग घाटी)  
 गुलाम मुहम्मद बट्ट जालिब (पट्टन)  
 गुलाम मट्युद्दीन हमदानी (खानवार)  
 गुलाम मट्युद्दीन खा (खा साहेब)  
 गुलाम नबी हमदानी (जड्डिबल)  
 गुलाम नबी बानी (लोलाब)  
 गुलाम नबी बानी (दरीगाम)  
 गुलाम कादिर मसाला (द्रुगमूला)  
 गुलाम रसूल रेन्जु (अमीरा कदल)  
 गुलाम रसूल शेख (शोपिया)  
 गुलाम रसूल कार (हम्मल)  
 गुलाम रसूल क़ैगा क (किश्तगार)  
 हबीब उल्लाह (सोपुर)  
 हरबंससिंह आजाद (बारामूला)  
 हेमराज जन्डियाल (रामनगर)  
 इब्राहीम शाह (करगिल)  
 श्रीमती ईश्वरदेवी मैनी (जम्मू उत्तर)  
 जमालुद्दीन डार (दरहाल)  
 जामयतअली शाह (भेण्डर)  
 जानकीनाथ ककरू (कोठार)

कृष्णदेव सेठी (नौशेरा)  
 कुलबीरसिंह (पछ सहर)  
 कुशक बकुसा (लेह)  
 मनमुखराय (रियासी)  
 महन्तराम शर्मा (बसोनी)  
 मुहम्मद अक़्बल खा (उडो)  
 मुहम्मद अक़्बर (टंगमर्ग)  
 मुहम्मद अनवर शाह (करनाह)  
 मुहम्मद अपूब खा (अरनास)  
 गुलाम मुहम्मद मीर (रामहान)  
 मांतोराम बैगरा (उधमपुर)  
 मीर कामिम (डुरू शाहवादा)  
 मुबारिक शाह (मागाम)  
 नाहर सिंह (विगना)  
 निजामुद्दीन (कगन)  
 नूहद्दीन डार (खोवरपारा)  
 नूहद्दीन सूफी (गान्धरबल)  
 प्यारामिंह (कठुप्रा)  
 रामचन्द्र खजूरिया (बिलावर)  
 रामप्यारा भराक (साम्बा)  
 रामदेवी (जम्मू दक्षिण)  
 रामरखा मल (काहनाचक)  
 रामसरन दास (जन्दा—घरोटा)  
 रामलाल (अखनूर)  
 सागरसिंह (पुरमण्डल)  
 सनाउल्ला शेख (पूलवामा)  
 अली शाह सफवी (बडगाम)

## मध्यभारत

राजप्रमुख

महाराजा ग्वालियर

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, व्यवस्था तथा नियुक्तियां . मिश्रीलाल गंगवाल
2. गृह तथा सार्वजनिक कार्य . मनोहर सिंह महता
3. लगान, अन्न, नागरिक पूर्ति सड़कें . शामलाल पाडवीध  
तथा स्थानीय स्वराज्य .
4. कानून, व्यापार, व्यवसाय तथा सूचना . सीताराम जाजू

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 5. कृषि, श्रम और विकास                | • वी. वी. द्रविड    |
| 6. स्वास्थ्य, जंगल तथा आदिवासी-कल्याण | • प्रेमसिंह राठौर   |
| 7. वित्त (लगान को छोड़कर)             | • सौभाग्यमल जैन     |
| 8. शिक्षा, सहायता और पुनर्वास         | • नरसिंहराव दीक्षित |

### उपसंत्री

1. राधावल्लभ विजयवर्गीय
2. सर्वाईसिंह सिसोदिया
3. सज्जनसिंह विशनार

मध्यभारत राज्य की स्थापना पिछली 25 रियासतों के मिश्रण से मई 1948 में हुई थी।

### वित्त

(लाख रुपये में)

| बजट के आकड़े      | आय    | व्यय  | वृद्धि या (+)<br>घाटा (-) |
|-------------------|-------|-------|---------------------------|
| 1950-51 (लेखा)    | 1,038 | 1,177 | -- 139                    |
| 1951-52 (लेखा)    | 1,149 | 1,131 | + 18                      |
| 1952-53 (संशोधित) | 1,301 | 1,273 | + 28                      |
| 1953-54 (बजट)     | 1,430 | 1,449 | -- 19                     |

### शिक्षा

इस समय मध्यभारत में 5 डिग्री कालेज, 2 संस्कृत कालेज, 1 संगीत कालेज, 16 इंटरमीडिएट कालेज, 374 लड़कों के माध्यमिक स्कूल और 69 लड़कियों के माध्यमिक स्कूल हैं। इनके अतिरिक्त 4,358 लड़कों के तथा 428 लड़कियों के प्रारम्भिक स्कूल हैं। विशेषज्ञों की एक समिति की राय के अनुसार सरकार ने यह निश्चय किया है कि वर्तमान प्रारम्भिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिणत कर दिया जाय तथा कतिपय नये बेसिक स्कूल खोले जायें। राज्य भर में शिक्षा का दर्जा, पाठ्यक्रम, अध्यापकों की उन्नति सम्बन्धी नियम, फीस आदि को एक समान कर दिया गया है। 16 जिलों के मुख्य स्थानों पर अनिवार्य शिक्षा जारी की गई है, जिससे 20,000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंच रहा है। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार 1953-54 में शिक्षा के विस्तार पर 23,23,000 रुपये व्यय करने का निश्चय हुआ। राज्य की विधान सभा मध्यभारत यूनिवर्सिटी बिल पर विचार कर रही है।

### लाघान तथा कृषि

1951 के जमींदारी निवारण कानून के अनुसार मध्यभारत में जमींदारी प्रथा का अन्त कर दिया गया है। इस कानून के अनुसार यह निश्चय हुआ है कि जमींदारों को 10 वर्षों में अपनी वार्षिक आय का 8 गुना मुआवजे के रूप में दे दिया जायगा। जागीर निवारण कानून पर कार्यवाही इसलिये रोक दी गई कि उसके सम्बन्ध में जागीरदारों ने कानूनी अपील की हुई है, और अभी सुप्रीम कोर्ट से उसके सम्बन्ध में निर्णय प्राप्त नहीं हुआ।

गत वर्ष ट्रैक्टरों की सहायता से 39,000 एकड़ कास वाली भूमि तथा 4,500 एकड़ जंगल वाली भूमि को साफ कर कृषि योग्य बना दिया गया। किसानों को बैल, बीज, खाद आदि खरीदने के लिये 60 लाख रुपये तकावी के रूप में बांटे गये। हरमी, भेलसा और राजपुर क्षेत्रों में 3 कृषि तथा देहाती विकास योजनाएं जारी की गईं।

### व्यवसाय

राज्य के मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित हैं कपड़ा, चीनी, सीमेंट, तेल, विस्कुट और चीनी की मिठाई बनाने वाले कारखाने। कपड़े के कारखाने मुख्यतः इन्दौर, ग्वालियर और उज्जैन में हैं और उन में प्रति वर्ष 26 करोड़ गज कपड़ा तैयार होता है। प्रति वर्ष राज्य में 61 लाख टन सीमेंट बनाई जाती है।

राज्य ने अपनी ओर से चीनी के वर्तन, चमड़े का सामान और इंजीनियरिंग के कुछ व्यवसाय जारी किये हुए हैं। व्यक्तिगत कार्यों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्वालियर की टैक्समैको फैक्टरी भारत भर में स्वयंचालित कारखों को बनाने वाली एकमात्र फैक्टरी है। मंधाराम विस्कुट फैक्टरी अपने ढंग की एशिया भर में सब से बड़ी फैक्ट्रियों में से है। मध्यभारत में उस्तेरे बनाने की भी एक फैक्टरी है। नागदा में सूत बनाने का कारखाना और माहेश्वर में पत्थर की नालियां बनाने का कारखाना जारी किया गया है।

गृह व्यवसाय का भी विकास किया जा रहा है। राज्य में लगभग 125 गृह व्यवसाय जारी हैं जिनमें महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं कपड़ा, चमड़े का सामान, चीनी और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के कार्य, धातु के कार्य, तथा तेल निकालना। चन्देरी और माहेश्वर के सूती और ऊनी कपड़े भारत भर में प्रसिद्ध हैं। रेशम की उपज बढ़ाने के लिये राज्य में शहतूत के वृक्ष बोये जा रहे हैं। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार मध्यभारत में गृह उद्योगों के विकास के लिये 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। इस कार्य के लिये एक गृह उद्योग बोर्ड स्थापित किया जा चुका है।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

1953 में ग्वालियर में 45 अस्पताल थे, जिनमें से एक मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिये था। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को मिला कर राज्य भर में चिकित्सालयों की संख्या 496 थी।

पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार राज्य में 13 तपेदिक के क्लिनिक खोलने का निश्चय किया गया था, जिनमें से अब तक 10 खोले जा चुके हैं। इन 10 में से भिण्ड, राजगढ़, मन्दनौर और धार के चारों क्लिनिक गत वर्ष खोले गये। तपेदिक की रोकथाम के लिये 12,50,000 व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 3,50,000 को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया। 1953 में 7 नये जन्मागृह खोले गये और उनकी कुल संख्या 46 तक पहुँच गई। राज्य के दो जिलों में परीक्षण के तौर में शराबबन्दी भी जारी की गई है। क्रमशः शराबबन्दी का क्षेत्र बढ़ाने का इरादा है।

## मध्यभारत विधान सभा

अध्यक्ष : ए० एस० पटवर्धन

सीभाव्यमल जैन (आगर)

भीमा भील (अलिराजपुर, संरक्षित परिगणित जनजाति)

कुसुमकान्त जैन (अलौट)

चंदनलाल सामलीप्रसाद (अम्बा, संरक्षित परिगणित जनजाति)

जमुनाप्रसाद सिंह (अम्बा)

बाबूराम (अटेर)

सवाईसिंह सिसोदिया (बारनगर)

मिश्रीलाल गगवाल (बागली)

निरजन वर्मा (बसोदा)

जादवचन्द जैन (बरवाहा)

सीताराम साधु (बरवाहा, संरक्षित परिगणित जाति)

किशनसिंह (बरबानी, संरक्षित परिगणित जनजाति)

विमलकुमार मन्नालाल चोडिया (मानपुरा)

चतुर्भुज जातव (भीलसा, संरक्षित परिगणित जाति)

जमुनाप्रसाद मुखारिया (भीलसा)

नरसिंहराव दीक्षित (भिड)

वल्लभदास सीताराम (भीकनगाव)

मदनलाल अग्रवाल (बिअौरा)

बालमूकुन्द मुद्गल (बिजयपुर)

द्वारकादास गर्ग (चाचौरा)

कन्हैयालाल खादीवाला (दिपालपुर)

सज्जनसिंह विशनार (दिपालपुर, संरक्षित परिगणित जाति)

अनन्त सदाशिव पटवर्धन (देवास)

वापुलाल किशनलाल मालवीय (देवास,

संरक्षित परिगणित जाति)

गोपालप्रसाद (धार—बादनवार)

जगन्नाथ (धार—बादनवार, संरक्षित गणित जाति)

एम० वी० धुले (घाटीगाव)

प्रभुदयाल (गोह ड, संरक्षित परिगणित जाति)

रामधन सिंह (गोहाड)

वृन्दावन प्रसाद तिवारी (गुना)

पुरुषोत्तम लक्ष्मण राव इनामदार (ग्वानियर)

मनोहरसिंह मेहता (इन्दौर)

रामसिंह के० वर्मा (इन्दौर)

वी० वी० द्रविड (इन्दौर)

बी० बी० सरवते (इन्दौर)

चौधरी पं० तुल्ला (जिअौरा)

बद्रीदत्त भट्ट (जादव)

श्रीमती जमुनाबाई (झाबुआ, संरक्षित परिगणित जनजाति)

प्रेमसिंह सालकी (जाबाट, संरक्षित परिगणित जनजाति)

रामचरण मिश्र (जीरा)

भगवानदाम चतुर्वेदी (केरा)

भेरूलाल सेवजी चौहान (खचरोद, संरक्षित परिगणित जाति)

रामचन्द्र विलासीराम नवल (खचरोद)

सवाईसिंह मन्डलोई (खारगोन, संरक्षित परिगणित जनजाति)

श्रीमती मंजुबाई बागले (खाटेगाव)

प्रभुदयाल चौबे (खिलचीपुर)

रघुराजसिंह (खिलचीपुर)

रतुसिंह रामसिंह (कुक्शी, संरक्षित परिगणित जनजाति)

रामसिंह (कुरवई)

गोकुलप्रसाद कटरोलिया (लाहर, संरक्षित परिगणित जनजाति)

हरसेवक मिश्र (लाहर)

हरकिशोर वैश्य (लशकर)

भूमकिरत सिंह (मनावर, दक्षिण, संरक्षित परिगणित जनजाति)

शिवभानु सोलकी (मनसौर, उत्तर, संरक्षित परिगणित जाति)

रामलाल (मनसा)

भगवानदास जैन (मदसौर, उत्तर)

श्याममुख गर्ग (मदसौर, दक्षिण)

स्तमजी काःउमजी जान (मऊ)

करनसिंह (मोरेंता, संरक्षित परिगणित जाति)

मुरलीधरसिंह (मोरेंता)

कुन्दनलाल बारिया (मगाधौली)

श्यामलाल पाडवीय (मोगट)

भवगलाल जीवन (नर्ममहगढ, संरक्षित परिगणित जाति)

गधावल्लभ विजयदर्जीय (नर्ममहगढ)

मीनाराम जाजू (नर्मच)

दुलीचन्द (पट्टार, संरक्षित परिगणित जाति)

रामदयाल मिह रवृवशी (पट्टार)

देदन रुद्र (पिछौर—भण्डेर)

दिवान बरजोर्गमिह (पिछौर, दक्षिण)

किशोरीलाल मुखाराम (पिछौर—भण्डेर, संरक्षित परिगणित जाति)

लक्ष्मीनारायण बकीन (पिछौर—उत्तर)

राजा बलभद्रमिह (गधोगढ)

श्रीमती प्रतिभादत्त उभाना (राजगढ)

हीरालाल शर्मा (राजपुर)

देवीमिह (रतनाम तहसील)

प्रेममिह (रतनाम शहर)

लक्ष्मीचन्द बैय (मालगढ)

जेठा भग्ना भगन (सवाना, संरक्षित परिगणित जनजाति)

शंकरलाल गर्ग (सरदारपुर)

बारकू महादू चौहान (मेन्धवा, संरक्षित परिगणित जनजाति)

रमाकान्त खोडे (मेन्धवा)

रामचन्द्र विटल बादे (मेन्धवा)

एच एल. सूरकर (शाजापुर)

कृष्णलाल नागाजी मालवीय (शाजापुर, संरक्षित परिगणित जाति)

नरहरिप्रसाद (शिवपुरी—कोलारस)

तुलाराम (शिवपुरी—कोलारस, संरक्षित परिगणित जाति)

मोमे लालनी (शिवपुरी, संरक्षित परिगणित जनजाति)

उदयभानु मिह (शिवपुर)

त्रिभुवक नरेशिख गोखले (शुजातपुर)

बापुलाल चम्पालाल (मीनमऊ)

धनीराम सागर (मीनमऊ, संरक्षित परिगणित जाति)

विजयमिह (मोनकाच)

राना मानमिह (मुमनेर)

रामेश्वरदयाल तोला (तराना)

लालमिह (थाडला, संरक्षित परिगणित जनजाति)

गदुदाम सूर्यवशी (उज्जैन, तहसील, संरक्षित परिगणित जाति)

मसूद अहमद (उज्जैन तहसील)

बी. बी. आयाचित (उज्जैन शहर)

राणा रणविजयमिह (उमरी)

## मैसूर

राजप्रमुख

महाराजा मैसूर

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, वित्त, सेवायें, महल, हाईकोर्ट, के० हनुमन्तय्य  
योजना, तथा दलित जाति कल्याण

2. कानून, शिक्षा, श्रम और सूचना . . . ए. जी. रामचन्द्र राव

13 M of I & R

3. स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य, आन्तरिक कर,  
तथा ग्रामीण विकास डी चक्रवर्त्य
4. लगान, सार्वजनिक कार्य, स्टैम्प तथा रजिस्ट्रेशन के. मजप्पा  
गृह, व्यवसाय, यातायात, अन्न तथा नागरिक  
पूर्ति एच. सिद्दीबीरप्प
6. कृषि, जंगल, पशु चिकित्सा, सहयोग, सहायता  
तथा पुनर्वासि आर. नागन गौड

वित्त

(लाख रुपयों में)

| बजट के आकड़े      | आय    | व्यय  | अतिरिक्त (+)<br>या घाटा (—) |
|-------------------|-------|-------|-----------------------------|
| 1950-51 (लेखा)    | 1,441 | 1,351 | +90                         |
| 1951-52 (लेखा)    | 1,831 | 1,835 | —4                          |
| 1952-53 (संशोधित) | 1,967 | 2,021 | —54                         |
| 1953-54 (बजट)     | 2,062 | 2,220 | —158                        |

### शिक्षा

मैसूर राज्य ने शिक्षा पद्धति की परीक्षा के लिये 1952 में जो समिति नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट में ये बातें निर्दिष्ट थी :—शिक्षा पर जो व्यय किया जाता है उसका काफ़ी बड़ा भाग अनिवार्य प्रारम्भिक तथा बेसिक शिक्षा पर व्यय होना चाहिये। अनुसन्धान की सुविधायें बढ़ानी चाहिये तथा राज्य में जनता कालेजों की स्थापना की जानी चाहिये। समिति की यह भी सिफारिश थी कि शिक्षा में शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिये और सामाजिक सेवा को शिक्षा का आन्तरिक भाग बना देना चाहिये। इन सिफारिशों को किस तरह व्यवहार में लाया जाय, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

1952 में मैसूर में कुल 13,888 शिक्षा सस्थायें थी और उन में 927,133 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इनमें 10,474 प्रारम्भिक स्कूल, 703 माध्यमिक स्कूल, 217 हाई स्कूल और 37 कॉलेज थे। 1953-54 के बजट में शिक्षा के लिये 3,77,35,000 रुपये स्वीकार हुए थे।

### खाद्यान्न तथा कृषि

मई 1953 में मैसूर में राशन प्रणाली बन्द कर दी गई है। उससे पिछले वर्ष के लिये 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अनुसार भारत सरकार ने एक करोड़ रुपया उधार के रूप में और 31,10,000 रुपया सहायता के रूप में दिया था। विभिन्न योजनाओं पर 57,07,000 रुपये व्यय किये गये।

कृषि के सम्बन्ध में राज्य ने कितने ही अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कार्य किये । आलुओं की अच्छी क्रिस्म प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया । राज्य में मिर्च की रूई बोई गई और उसका परिणाम सन्तोषप्रद निकला । भारतीय केन्द्रीय सुपारी कमेटी के सहयोग से सुपारी की उपज को अच्छा करने और बढ़ाने के प्रयत्न भी जारी हैं ।

फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से 31 गांव के दजों के कार्यकर्ताओं को तयार किया गया और उन्हें मल्लवली ताल्लुके के कुछ गावों में नियुक्त किया गया । राज्य में जापानी ढग से चावल बोलने की पद्धति को लोकप्रिय बनाया जा रहा है । कुछ नई किस्म की उपजों के सम्बन्ध में परीक्षण किये जा रहे हैं ।

### व्यवसाय

गत वर्ष विभिन्न व्यवसायों पर राज्य ने 520 लाख रुपये की पूंजी लगाई । मैसूर के लोहे के कारखाने के प्रबन्ध, व्यवस्था आदि में सुधार किया गया । इस कारखाने के अतिरिक्त सरकारी बिजली कारखाना और सरकारी चीनी मिट्टी कारखाना के नियंत्रण के लिये एक संयुक्त बोर्ड बनाया गया । उद्देश्य यह है कि सभी व्यवसायों की उन्नति के लिये उनमें एक समान नीति बरती जाए ।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

1952-53 में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधीन 175 स्वास्थ्य यूनिट काम कर रहे थे । इस वर्ष के लिये 44 नये स्वास्थ्य यूनिटों की स्वीकृति दी गई है ।

## मैसूर विधान सभा

अध्यक्ष : आर० चन्निगरामय्य

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| आर० अनन्तरामन (चामराजोट)                               | के० प्रभाकर (नैलमगल, सरक्षित परिगणित जाति)      |
| के० वी० बैरे गौड (बगलूर, उत्तर)                        | एच० टी० पुट्टप्पा (हीमकोटे—अनेकल)               |
| डी० एम० गोविन्दराजू (नैलमगल)                           | पी० आर० रामय्य (बगलूरगुडि)                      |
| के० हनुमन्तय्य (रामनगरम्)                              | वी० एम० शीतप्पा (कन्ननपेटे)                     |
| एस० करियप्पा (विरुपाक्षपुर)                            | टी० मिदिलगय्य (दोड्डबल्लापुर)                   |
| वी० टी० केम्पराज (बगलूर, दक्षिण, सरक्षित परिगणित जाति) | एम० मिदुप्पा (मागडी)                            |
| श्रीमती लक्ष्मीदेवी रामप्पा (हीमकोटे—अनेकल)            | के० जी० तिम्ले गौड (कन्ननपुरा)                  |
| वी० एम० मास्करेन्हास (सेन्टजोन्स हिल)                  | वी० वेकटण (चन्नपटन)                             |
| आर० मुनीस्वामय्य (बगलूर, उत्तर, सरक्षित परिगणित जाति)  | डी० वेकटेश (गाधीनगर)                            |
| वी० आर० नायडू (माल्लेश्वरम्)                           | वाई० एम० चन्द्रशेखरय्य (कडूर)                   |
| ए० वी० नरसिंह रेड्डी (बगलूर, दक्षिण)                   | जी० पुट्टस्वामी (चिकमगलूर—सरक्षित परिगणित जाति) |
| एम० पलनियप्पा (उलसूर)                                  |                                                 |



भीमती बी० एल० सुब्रम्मा (चिकमगलूर)

जी० बसप्प (होसदुर्ग)

ए० भीमप्प नायक (मोलकालमूरु)

जी० दुगप्प (होलकैरे, सरक्षित परिगणित जाति)

टी० हनुमय्य (हेरैयूरु, सरक्षित परिगणित जाति)

जे० मुहम्मद इमाम (जगलूर)

बी० मसिप्प (हिरैयूरु)

मुल्ल गोविन्द रेड्डी (चित्रदुर्ग)

जी० शिवप्प (होललकैरे)

एच० मिद्दीप्प (हरिहर)

श्रीमती वल्लारी मिद्दम (दावणोरे)

वी० एन० बोरण्ण गौड (बैलूर)

वी० चिकण्ण (जावगल)

डी० आर० करीगौड (हामन)

के० लक्कप (चन्नारायपट्टण)

के० पचाक्षरय्य (आरसीकैरे)

ए० जी० रामचन्द्र राव (होले नरसीपुर)

एच० के० मिदय्य (बैलूर, सरक्षित परिगणित जाति)

जी० ए० तिम्मप्प गौड (अरकलनाड)

एम० सी० अाजनेय रेड्डी (चिन्तामणि)

टी० चन्नय्य (मुलवगल-श्रीनिवासपुर सरक्षित परिगणित जाति)

आर० के० प्रमाद (बैलूरपेटे)

एच० सी० त्रिगारेड्डी (मानूर)

ए० मुनियय (मिडलघट्ट चिकवल्लापुर, सरक्षित परिगणित जाति)

एन० सी० नागय्य रेड्डी (गोरी विदनूर)

जी० नारायण गौड (मुलवागुल-श्रीनिवासपुर)

जे० नारायणप्प (चिन्तामणि, सरक्षित परिगणित जाति)

बी० बी० नारायण रेड्डी (बागेपल्ली-गुडी-वण्डे)

जी० पाप्पण (सिडलघट्ट-चिकवल्लापुर)

के० पट्टाभिरामन (कौनार)

पी० एम० स्वामि दौरे (कोलार गोल्ड फील्ड, संरक्षित परिगणित जाति)

के० एम० वासन (कोलार गोल्ड-फील्ड)

एम० चिक्किलगप्पा (मालवल्ली, सरक्षित परिगणित जाति)

एस० एम० लिगप्प (कृष्णराजपेट)

बी० पी० नागराज मूर्ति (मालवल्ली)

बी० बाई० नीले गौड (पाण्डवपुर)

के० पुट्टस्वामी (श्रीरंगपट्टण)

जी० एय० बोम्मे गौड (मण्ड्य)

के० मिगारि गौड (नागमगला)

एच० के० वीरण्ण गौड (मदुदूर)

डी० देवराज अा (हन्मूर)

एम० विगण्ण (नन्जनगड)

यू० एम० मादप्प (चामराजनगर)

एम० मादय्य (नन्जनगड, सरक्षित परिगणित जाति)

एस० एम० मरयप्प (पेरियापटना)

टी० मरियप्प (मैसूर शहर, उत्तर)

बी० नारायण स्वामी (मैसूर शहर, दक्षिण)

बी० राचय्य (येलन्दुरु, सरक्षित परिगणित जाति)

एम० राजशेखर मूर्ति (येलन्दुरु)

शिवनन्जे गौड (मैसूर तालूक)

मिदय्य उर्फ कुन्नय्य (गुन्डलपेट-हैगडडेवनकोट सरक्षित परिगणित जाति)

एच० के० शिवरुद्रप्प (गुन्डलपेट-हैगडडेवन कोट)

एस० श्रीनिवास आयंगार (टी० नरसीपुर)

एस० एच० तिम्मय्य उर्फ हनुमन्ते गौडर तिम्मय्य (कृष्णराजनगर)

गंगानायक (होराब-शिकारीपुर संरक्षित परिगणित जाति)

एस० गोपाल गौड (सागर हासनगर)  
कुड्डिदाल मजण्य (तीर्थहाल्ली-कोण्य)  
बी० माधवाचार (भद्रावनी)  
टी० मी० वसण्य (तारीकेरे)  
एस० आर० नागपमेट्टी (शिवमोगा)  
एच० एम० रघु (होत्राली)  
रिक्का (मोग्य-शहारीपुर)  
एल० मिट्टा (चन्नगिरि)  
सी० एम० अण्णय्यण्य (गुड्डि)  
आर० चन्नगरामय (कोरटगेरे-मधुगिरि,  
सरक्षित धार्याणित जानि)  
सी० टी० हनुमन्त्य (पादगड, सरक्षित  
धार्याणित जानि)  
बी० हच्चे गौड (तुरुवेकरे)  
एन० दुचमास्ति गौड (होत्राली-गुड्डि)

सी० एच० लिगदेवरू (चिकनायकनहल्ली) ]  
माली मरियण्य (पादगड)  
मुदुदुरामय्य (कोरटगेरे-मधुगिरि)  
टी० एन० मुडलगिरि गौड (कुण्णिल)  
बी० मी० रज्जुण्डय्य (कोरा)  
एम० बी० रामगव (तुमकूर)  
बी० एन० राम गौड (भीरा)  
टी० जी० निम्मगौड (तिपटूर)  
मिडनी ए० थामस (नामजद)  
एम० गण्य (बलरि)  
कोटवरवरू गौड (कुड्डिलगी)  
ड० आर० नारन गौड (होमपेट)  
एम० परमेश्वरय्य (मिन्गुण्डा)  
इजारि मिरमण्य (हरपनहल्ली)

## मैसूर विधान परिषद्

सभापति के० टी० भाष्यम

जी० वीरण्य (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)  
टी० एस० राजगोपाल आर्ययार (स्नातक  
निर्वाचन क्षेत्र)  
ए० एन० रामराव (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)  
एम० पी० एल० शास्त्री (अध्यापक निर्वाचन  
क्षेत्र)  
के० सम्पत गिरिराव (अध्यापक निर्वाचन  
क्षेत्र)  
एच० आर० अब्दुल गफार (अध्यापक  
निर्वाचन क्षेत्र)  
सी० एच० वेन्कटरमण्य (जिला कोलार)  
डी० वेन्कटरामय्य (जिला कोलार)  
टी० एन० केम्प हौन्नय्य (जिला तुमकूर)  
आर० सुब्बन्न (बंगलूर जिला)  
एम० आर० गुरु उर्फ गुरुनय्य (जिला  
बंगलूर)  
ज० देवय्य (माड्या जिला)  
पी० सीतारामय्य (मैसूर जिला)

आर० पी० रेवण्य (जिला मैसूर)  
वाई० धर्मण्य (जिला हासन)  
एन० पी० गोविंद गौड (जिला चिकमगलूर) ]  
यू० पी० शकर राव (शिमोगा जिला)  
टी० वीरण्य (चित्रदुर्ग जिला)  
के० सजीव रेड्डी (चित्रदुर्ग जिला)  
के० टी० भाष्यम (विधान सभा द्वारा  
निर्वाचित)  
एल० एच० तिममात्रोवि (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)  
एच० एम० गगाधरय्य (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)  
मरिस्वामय्य मलदपाटील (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)  
एम० एन० जीयम (विधान सभा द्वारा  
निर्वाचित)  
श्रीमती एम० आर० लक्ष्मम (विधान सभा  
द्वारा निर्वाचित)

एम० एन० महन्त देवरू (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

बी० के० पुट्टरामय्य (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

एम० शंकरय्य (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

एस० शिवप्प (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

पी० तिरूमले गोड (विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

एस० वीरबसप्प ( विधान सभा द्वारा निर्वाचित)

एम० वेल्लरी (विधान सभा द्वारा— निर्वाचित)

एन० ए० अय्यंगार (नामजद)

टी० चौडय्य (नामजद)

जी० एच० वीरण्ण (नामजद)

रूमाले चेंन्नवसवय्य (नामजद)

पी० गोपाल कृष्ण सेट्टी (नामजद)

सी० जे० देवनाथ (नामजद)

गोरूरु रामस्वामी अय्यंगार (नामजद)

सैयद गौस मोहिउद्दीन (नामजद)

### पेप्सू

राजप्रमुख

महाराजा पटियाला

मंत्री

- |                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| 1. मुख्य मंत्री, व्यवस्था और गृह . . . . . | कर्नल रघुवीर सिंह  |
| 2. शिक्षा, वित्त और व्यवसाय . . . . .      | वृषभान             |
| 3. स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक कार्य . . . . . | सरदार शिवदेव सिंह  |
| 4. विकास, कृषि तथा सहयोग . . . . .         | राजा मुरिन्दर सिंह |
| 5. लगान, पुनर्वास तथा बन्दोबस्त . . . . .  | सरदार हरचरण सिंह   |

उपमंत्री

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. वित्त . . . . .                 | सरदार प्रेमसिंह |
| 2. मुख्य मंत्री के सहायक . . . . . | साधुराम         |
| 3. अन्य . . . . .                  | अमीरसिंह        |

वित्त

(लाख रुपयों में)

| बजट के आंकड़े     | आय  | व्यय | बचत (+)<br>या घाटा (-) |
|-------------------|-----|------|------------------------|
| 1950-51 (लेखा)    | 604 | 503  | +101                   |
| 1951-52 (लेखा)    | 609 | 466  | +143                   |
| 1952-53 (संशोधित) | 625 | 579  | +46                    |
| 1953-54 (बजट)     | 635 | 704  | -69                    |

खाद्यान्न तथा कृषि

किसानों को जमीनों पर स्वामित्व देने तथा आर्थिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से राष्ट्रपति ने पेप्सू में दो कानून जारी किये। 1953 के प्रोक्लुपेन्सी टैनेन्सी कानून के अनुसार

सब किसानों को उस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त हो गया है, जिस पर वे कृषि करते हैं। ‘आला खलिङ्गयत राइट्स कानून’ के अनुसार राज्य में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई।

1952-53 में राज्य में एक लाख टन से ऊपर खाद्यान्न, जिनमें अधिकांश गेहूं था, प्राप्त किया गया और इसमें से 60 हजार टन कमी वाले क्षेत्रों में भेजा गया। 1952 के अन्त तक कृषि सुधार की दृष्टि से भूमि के एकीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। अनावृष्टि के कारण महेंद्रगढ़ जिले के 1,300 गावों में 5 लाख रुपये के लगान को छूट दी गई। 2,60,000 रुपये तकावी आदि के रूप में बांटे गये।

भाखड़ा योजना की पूर्ति के साथ पेप्पू में 13 लाख एकड़ नई भूमि की सिंचाई होने लगेगी। इसके अतिरिक्त मरहन्द नहर के पानी का क्षेत्र भी बहुत बड़ा दिया जायगा।

### व्यवसाय

राज्य में कुल 550 रजिस्टर्ड कारखाने हैं, जिनमें से एक दर्जन बहुत बड़े हैं। इनमें राजपुरा की बिस्कुट फ़ैक्टरी, राजपुरा, फगवाड़ा और फरीदकोट की स्टाच फ़ैक्टरिया, हमीरा और फगवाड़ा के चीनी के कारखाने और फगवाड़ा का कपड़े का कारखाना अंकित करने योग्य हैं। इनके अतिरिक्त दो सीमेन्ट की और दो आटे की मिलें भी हैं।

छोटे व्यवसायों और बड़े व्यवसायों को उन्नत करने तथा उनमें तालमेल पैदा करने के लिये एक प्रारम्भिक जाव पड़ताल की गई थी। इसी उद्देश्य में एक व्यावसायिक वित्त कारपोरेशन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। नाभा में एक व्यावसायिक शिक्षा संस्था खोली गई है, जहां धानु के काम की शिक्षा, मेकैनिक, बढईगीरी आदि काम सिखनाये जाते हैं। 1953 में पटियाला में एक अखिल भारतीय व्यावसायिक प्रदर्शनी भी की गई थी।

### श्रम

1953-54 में राज्य के विभिन्न कारखानों में 27,000 आदमी काम करते थे। मजदूरों के कल्याण के लिये भारत में जो कानून हैं, वे सब पेप्पू में भी क्रमशः जारी कर दिये गये हैं। पूँजीपतियों और मजदूरों में सहयोग और सौहार्द बढ़ाने के लिये 1953 में एक त्रिदलीय श्रम सम्मेलन बुलाया गया था।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

1953-54 में राज्य के स्वास्थ्य के लिये 47,30,000 रुपये खर्चे गये। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार पेप्पू में चिकित्सा सम्बन्धी विकास तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों पर 85 लाख रुपये का व्यय स्वीकार किया गया है।

इस समय राज्य में 50 अस्पताल हैं, जिनमें 1200 बिस्तरों का प्रबन्ध है। पटियाला के प्रसिद्ध राजेन्द्र अस्पताल में 152 बिस्तर थे, परन्तु वे अपर्याप्त समझे गये और अब 500 बिस्तरों का नया अस्पताल बन कर लगभग तैयार है। इसी अस्पताल के साथ एक मैडिकल कालेज खोलने का भी इरादा है। धर्मपुर के हार्डिंग तपेदिक चिकित्सालय में एक नया वार्ड बढ़ाया गया है। राज्य में आजकल 51 आयुर्वेदीय चिकित्सालय हैं। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार उनकी संख्या में 75 की वृद्धि की जायगी। तपेदिक की रोकथाम के लिये 3 दलों ने राज्य में 7,00,000 व्यक्तियों की परीक्षा की और 2,50,000 को बी० सी० जी० का टीका लगाया

## पेप्सू विधान सभा

अध्यक्ष : रामसरन चन्द मित्तल

| निर्वाचन क्षेत्र      | सदस्य का नाम       | दल                |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1. ग्रहमदगढ           | चन्दासिंह          | कांग्रेस          |
| 2. अमलोह              | ज्ञानसिंह          | स्वतंत्र          |
| 3. अमलोह (सरक्षित)    | मिहनासिंह          | स्वतंत्र          |
| 4. अटेली              | श्याम मनोहर        | कांग्रेस          |
| 5. बाधरा              | श्रीमती चन्द्रावती | कांग्रेस          |
| 6. बनूड               | किरणसिंह           | कांग्रेस          |
| 7. बनूड (सरक्षित)     | हरचन्दसिंह         | कांग्रेस          |
| 8. बरनाला             | कर्तारसिंह         | अकाली (क)         |
| 9. बस्मी              | बेअन्तसिंह         | अकाली (क)         |
| 10. भादमो             | भगवन्तसिंह         | कांग्रेस          |
| 11. भठिन्डा           | हरचरणसिंह          | कांग्रेस          |
| 12. भवानीगढ़          | जंगीरसिंह          | अकाली (क)         |
| 13. भोलतथ             | हरनामसिंह          | अकाली (क)         |
| 14. बुढलाडा           | धर्मसिंह           | कम्युनिस्ट पार्टी |
| 15. बुढलाडा (सरक्षित) | कृपालसिंह          | अकाली (ख)         |
| 16. दादरी             | अमीरसिंह           | कांग्रेस          |
| 17. दादरी (सरक्षित)   | रामचन्द            | कांग्रेस          |
| 18. धनौला             | हरदितसिंह          | कम्युनिस्ट पार्टी |
| 19. धुरी              | परदुमनसिंह         | कांग्रेस          |
| 20. धुरी (सरक्षित)    | लहनासिंह           | कांग्रेस          |
| 21. फरीदकोट           | हरीन्द्रसिंह       | स्वतंत्र          |
| 22. जैतों             | हीरासिंह           | कांग्रेस          |
| 23. जीन्द             | दलसिंह             | कांग्रेस          |
| 24. जुलाना            | घासीराम            | स्वतंत्र          |
| 25. कलायात            | वृषभान             | कांग्रेस          |
| 26. कंडाघाट           | ज्ञानचन्द          | कांग्रेस          |
| 27. कंडाघाट (सरक्षित) | रोशनलाल            | कांग्रेस          |
| 28. कनीना             | लालसिंह            | कांग्रेस          |
| 29. कपूरथला           | ठाकुरसिंह          | कांग्रेस          |
| 30. कोट कपूरा         | मंजीतीन्द्रसिंह    | कांग्रेस          |
| 31. लहरा              | प्रीतमसिंह गोजरां  | अकाली (क)         |
| 32. लहरा (सरक्षित)    | प्रीतमसिंह साहूके  | अकाली (क)         |
| 33. मालेरकोटला        | इफतखार अली खां     | कांग्रेस          |

(क) मास्टर तारासिंह का दल

(ख) रामां दल

|                              |                    |                   |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 34. मानसा                    | जंगीरसिंह          | कम्युनिस्ट पार्टी |
| 35. मोड़                     | शमशेरसिंह          | कांग्रेस          |
| 36. महेन्द्रगढ़              | मंगलसिंह           | कांग्रेस          |
| 37. नाभा                     | शिवदेवसिंह         | कांग्रेस          |
| 38. नालागढ़                  | सुरेन्द्रसिंह      | कांग्रेस          |
| 39. नहीयावाला-रामा           | चैतनसिंह           | कांग्रेस          |
| 40. नहीयावाला-रामा (सरक्षित) | कर्नारसिंह         | अकाली (क)         |
| 41. नगल चौधरी                | निहलसिंह           | कांग्रेस          |
| 42. नारनौन                   | रामसरन चन्द मित्तल | कांग्रेस          |
| 43. नरवाना                   | अनवेलसिंह          | स्वतंत्र          |
| 44. नरवाना (सरक्षित)         | फकीरिया            | कांग्रेस          |
| 45. पटियाला शहर              | श्रीमती मनमोहन कौर | अकाली (क)         |
| 46. पटियाला सदर              | खुशीरसिंह          | कांग्रेस          |
| 47. फगवाडा                   | हृगराज धर्मा       | कांग्रेस          |
| 48. फगवाडा (सरक्षित)         | साधुराम            | कांग्रेस          |
| 49. फूल                      | अर्जुनसिंह         | कम्युनिस्ट पार्टी |
| 50. फूल (सरक्षित)            | धन्नासिंह          | अकाली (ख)         |
| 51. राजपुरा                  | प्रेमसिंह          | कांग्रेस          |
| 52. सफीदों                   | कलीराम             | कांग्रेस          |
| 53. समाना                    | सुरेन्द्रनाथ       | स्वतंत्र          |
| 54. समाना (सरक्षित)          | प्रीतसिंह          | स्वतंत्र          |
| 55. सगरूर                    | देवेन्द्रसिंह      | कांग्रेस          |
| 56. सईलगढ़                   | प्रीतसिंह          | अकाली (क)         |
| 57. शेरपुर                   | गुरबख्शीशसिंह      | कांग्रेस          |
| 58. सरहन्द                   | बलवन्तसिंह         | कांग्रेस          |
| 59. मुलतानपुर                | आत्मासिंह          | अकाली (क)         |
| 60. सुताम                    | महेशेन्द्रसिंह     | कांग्रेस          |

### राजस्थान

महाराजप्रमुख

राजप्रमुख

मंत्री :

I. मुख्य मंत्री, सामान्य अनुशासन, तालमेल, वित्त तथा

न्याय विभाग

2. कृषि तथा लगान

मेवाड के महाराणा

महाराजा जयपुर

जयनारायण व्यास\*

मोहनलाल मुखाडिया

(क) मास्टर तारासिंह का दल

(ख) रामा दल

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 3. सार्वजनिक कार्य, शिक्षा और यातायात                     | भोलानाथ        |
| 4. अन्न, नागरिक पूर्ति और सिंचाई                          | भोगीलाल पंड्या |
| 5. जंगल, सहयोग, सहायता और पुनर्वास                        | अमृतलाल यादव   |
| 6. श्रम, स्थानीय स्वराज्य चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य | रामकरण जोशी    |
| 7. व्यापार और व्यवसाय                                     | कुम्भाराम आर्य |

## उपमंत्री

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. वित्त तथा न्याय विभाग | चंदनमल वैद्य       |
| 2. सामान्य शासन और गृह   | नरसिंह कछवाहा      |
| वित्त                    | (लाखों रुपयों में) |

| बजट के आंकड़े     | आय    | व्यय  | बचत (+) या घाटा (-) |
|-------------------|-------|-------|---------------------|
| 1950-51 (लेखा)    | 1,461 | 1,391 | +70                 |
| 1951-52 (लेखा)    | 1,551 | 1,576 | -25                 |
| 1952-53 (संशोधित) | 1,750 | 1,714 | +36                 |
| 1953-54 (बजट)     | 1,944 | 1,944 | —                   |

## शिक्षा

1953-54 में राजस्थान में शिक्षा पर 2,91,90,000 रुपये व्यय हुए। जब कि चार वर्ष पहले यह आय केवल 160 लाख रुपया था। 1953 में वहां 4,095 प्रारम्भिक स्कूल थे, जिनमें दो लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। माध्यमिक स्कूलों की संख्या 918 थी और उनमें 1,68,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कालेजों की संख्या 9 थी। इनके अतिरिक्त कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कृषि के चार कालेज भी जारी हैं। सामाजिक शिक्षा के 220 केन्द्र काम कर रहे हैं। गत वर्ष दो हाई स्कूलों को इंटरमीडियेट कालेजों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित 97 प्रारम्भिक स्कूलों और 21 माध्यमिक स्कूलों को राज्य की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। राज्य में स्नातकोत्तर ट्रेनिंग कालेज, प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये ट्रेनिंग कालेज, 3 बेसिक मॉडल स्कूल और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिये जनता कालेज खोलने का निश्चय किया गया। राजस्थान का पुरातत्व मन्दिर संस्कृत और राजस्थानी पुस्तकों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अन्वेषण कर रहा है और इस संस्था ने 2,500 दुर्लभ पुस्तकें और 2,000 पाण्डुलिपियां एकत्र की हैं। इनमें से कुछ पाण्डुलिपियां प्रकाशित भी की गई हैं।

## खाद्यान्न तथा कृषि

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से गत वर्ष तक राजस्थान में किसानों की दशा सुधारने के लिये अनेक कानून बनाये गये। गत वर्ष भूदान यज्ञ बिल पास किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में भूदान यज्ञ अन्दोलन को सफल बनाना है। इसके अनुसार आचार्य विनोबा भावे द्वारा नियुक्त चार से सात व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो भूदान यज्ञ में प्राप्त भूमि का बंटवारा करेगी।

अगस्त वर्ष जवाई और मोरेल के बांध पूरे कर लिये गये । इनसे 3 लाख एकड़ नई भूमि की सिंचाई होगी । मोरेल बांध से 2 नालिया निकाली गई है, जिनसे 43 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । बीकानेर की गंग नहर में सुधार कर उससे 1 लाख एकड़ नई भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है । राज्य में 400 नये कूप खोदे गये और सैकड़ों कुओं की मरम्मत की गई । 500 जगहों पर रहट और पम्पिंग सेट लगाये गये ।

### व्यवसाय

गृह उद्योगों से बने माल की खपत के लिये विशेष सुविधायें देने का प्रयत्न किया गया । मारवाड बलिया के सोडियम सल्फेट कारखाने से 14,000 टन रासायनिक पदार्थ भारत के विभिन्न कारखानों में भेजे गये । आदिवासी क्षेत्रों में गुड बनाने वाले 4 नये केन्द्र खोले गये । शेवावटी भंडों के पालन पोषण के सम्बन्ध में विशेष ध्यान किया गया । जयपुर के एक कारखाने में राज्य में प्राप्त होने वाली 400 किस्म की ऊतों का परीक्षण किया गया ।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

मीकर, लाउन् श्रीमहावीर जी और कासली में आबों की शल्य चिकित्सा के लिये 4 केन्द्र खोले गये । तपेदिक के इलाज के लिये एक स्वास्थ्यागार खोलने के उद्देश्य से 4 लाख रुपये स्वीकृत हुए और सम्पूर्ण राज्य में बी० सी० जी० के टीके लगाने का प्रबन्ध किया गया । राज्य में अस्पतालों तथा औपधियों की संख्या इस प्रकार है :—

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (1) डाक्टरी अस्पताल तथा औपधालय                         | शहरों में 243 गावों में 140 |
| (2) तपेदिक का स्वास्थ्यागार                            | 1 (54 बिस्तरी वाला)         |
| (3) आयुर्वेदिक औपधालय                                  | 54                          |
| (4) तपेदिक के अस्पताल                                  | 4 (172 बिस्तरे)             |
| (5) कोढ़ के चिकित्सा-केन्द्र                           | 2                           |
| (6) मानसिक रोगों के चिकित्सालय                         | 3                           |
| (7) वे बीमार, जिन्हें अस्पताल में रख कर चिकित्सा की गई | 1,00,000                    |
| (8) वे बीमार जिन्होंने अस्पताल से इलाज कराया           | 60,00,000                   |

### राजस्थान विधान सभा

अध्यक्ष : नरोत्तमलाल जोशी

छोटुसिंह (अलवर)  
श्रीमती कमला कुमारी (आमेर, क)  
अंगदराम (आमेर, ख)  
चन्द्रकान्त राव (अतरू मांगरोल)  
जयसिंह राणावत (असिन्द)  
हिम्मत्सिंह (अतरू)  
जगतसिंह झाला (बड़ी सदरी कपासिन)

जयचन्द (बड़ी सदरी कपासिन संरक्षित परिगणित जाति)  
हरीराम निनामा (बागीडोरा संरक्षित परिगणित जन जाति)  
मुक्तिलाल मोदी (बैरेठ)  
लक्ष्मनसिंह (बाली)  
भैरोंसिंह (बाली देसुरी)



विशम्भरनाथ जोशी (बान्दीकुई)  
 बद्रीप्रसाद गुप्त (बांसुर)  
 यशोदादेवी (बासबाडा)  
 डा० मंगलसिंह (बडी)  
 हंसराज जटिया (बडी, संरक्षित परिगणित जाति)  
 तनसिंह (बारमेर, क)  
 नाथुसिंह (बारमेर, ख)  
 माधोसिंह (बारमेर, ग)  
 सुगनचन्द जैन (बेगुन)  
 रामजीलाल यादव (बेहरोर)  
 हंसराज आर्य (भद्रा)  
 हरीदत्त (भरतपुर)  
 मोहबत्सिंह (भावरी)  
 तेजमल ब.यना (भीलवाडा)  
 सप्रामसिंह (भीम)  
 मोतीचन्द खजान्ची (बीकानेर शहर)  
 जसवन्तसिंह (बीकानेर तहसील)  
 सन्तोषसिंह कछवाहा (बिलारा)  
 छोतरलाल शर्मा (बूदी)  
 बदपाल त्यागी (छाबरा)  
 हरलालसिंह (चिडावा)  
 प्रतार्पसिंह (चित्तौर)  
 कुम्भाराम चौधरी (चूरू)  
 प्रभुदयाल (चूरू, संरक्षित परिगणित जाति)  
 भैरोसिंह (दातराम गढ)  
 श्रीगोपाल भार्गव (धोलपुर)  
 मधुरादास (डिडवाना)  
 मोतीलाल चौधरी (डिडवाना-पर्वतसर)  
 हरीदेव जोशी (डुगरपुर)  
 सोभा वालू भील (डूगरपुर, संरक्षित परिगणित जन जाति)  
 मोतीराम (गगानगर)  
 धूलजी भाई भावसर (घाटौल)  
 लाल सिंह सक्तावत (गिरवा)  
 ऋद्धिचन्द पालीवाल (हिण्डौन)  
 छांगा (हिण्डौन, संरक्षित परिगणित जाति)

सज्जनसिंह (हिण्डोली)  
 रामदयाल उपाध्याय (जहाजपुर)  
 शाह अलीमुद्दीन (जयपुर शहर, क)  
 रामकिशोर (जयपुर शहर, ख)  
 गुलाबचन्द कासलीवाल (जयपुर शहर, ग)  
 नारायण चतुर्वेदी (जयपुर-चाकमू)  
 हरीशंकर सिद्धान्त शास्त्री (जयपुर चाकमू, संरक्षित परिगणित जाति)  
 मोहनसिंह (जैताराम पूरा-गोजन पूर्व)  
 हनुमन्तसिंह (जयमलमेर)  
 उमेशसिंह (जयनगर उत्तर पश्चिम)  
 माधोसिंह (जलोर, क)  
 हरिसिंह (जलोर, ख)  
 मानसिंह (जमुवा रामगढ)  
 दत्तगंमह (जसवन्तपुर)  
 गणेशसिंह (जयमन्तपुर-गान्धोग)  
 भगवानसिंह तरंगी (झालापाटन)  
 माधोलाल मेहेर (झालापाटन संरक्षित परिगणित जाति)  
 द्वारकादास पुरोहित (जोधपुर शहर क)  
 हरिकृष्ण व्यास (जोधपुर शहर, ख)  
 मंगलसिंह (जोधपुर तहसील उत्तर)  
 नरसिंह कछवाहा (जोधपुर तहसील दक्षिण)  
 मुहम्मद ब्राहीम (कामन)  
 ब्रिजेंद्रपाल (करोली)  
 शिवदानसिंह (खमनौर)  
 झुमारसिंह (खानपुर)  
 रघुवीरसिंह (खेतडी)  
 महादेव प्रसाद (खेतडी, संरक्षित परिगणित जाति)  
 विजयसिंह (खुवलगढ)  
 रघुराजसिंह (किशनगज)  
 जयनारायण व्यास (किशनगढ)  
 हजारीलाल (कोटपुतली)  
 मानसिंह (कुम्हेर)  
 बलवीर (लछमनगढ)

नारायणलाल (लछमनगढ़, संरक्षित  
परिगणित जाति)  
भोलानाथ (लछमनगढ़ राजगढ़)  
सम्पतराम (लछमन गढ़ राजगढ़ संरक्षित  
परिगणित जाति)  
दिलीपसिंह (लाडपुरा)  
केशवलाल जेलिया (लाडपुरा, संरक्षित परि-  
गणित जाति)  
राम करन जोशी (लालमोट-दीसा)  
रामनाथ बसोवाल (लालमोट-दीसा, संरक्षित  
परिगणित जाति)  
उदयलाल ब्रदिया (लमादिया)  
दीकाराम पालीवाल (महुसा)  
वीरेंद्रनाथ (मन्तारना चौड)  
शमशेरनाथ (मातपुरा)  
वर्धनाथ (माडन)  
हेमनाथ टिजालिया (माडनगढ़)  
नानीराम यादव (मडावर)  
जय शम्भु (मन्तारना थाना)  
भोपालसिंह (मेहता पूर्व)  
नानुशम मिर्धा (मेहता पश्चिम)  
शमशेरनाथ गोयल (नादागी)  
गोरीलाल यादव (नगर)  
रामनिवास मिर्धा (नागीर पूर्व)  
केसरसिंह (नागीर पश्चिम)  
भीरुसिंह (नवलगढ़)  
विजयलाल शार (नावा)  
लाडराम चौधरी (नीम का थाना, व)  
रूपनारायण (नीम का थाना, ख)  
कपिलदेव (नीम का थाना, ग)  
मनकरामसिंह (नाहर)  
कानसिंह (नौखा)  
विश्वरामसिंह (पाली—पोजत)  
श्यामल महता (परबत-नर)  
बद्रीलाल (प्रतापगढ़-नीम्बाहेड़ा)  
मन्ना भील (परबतसर-नीम्बाहेड़ा, संरक्षित  
परिगणित जन जाति)

केसरीसिंह (पाटन)  
शिवनीकुमार (फागी)  
हिम्मतसिंह (फलोदी)  
तेजराज सिंह (पीपलदा)  
गुरदयालसिंह सन्धु, (रायसिंहनगर  
करनपुर)  
धरमपाल (रायसिंहनगर—करनपुर, संरक्षित  
परिगणित जाति)  
भैरोसिंह (राजममन्द रेलमगरा)  
शमूतलाल यादव (राजसमन्द, रेलमगरा,  
संरक्षित परिगणित जाति)  
दुर्लबसिंह (रामगढ़)  
महादेवप्रसाद गुप्त पण्डित (रतनगढ़)  
श्रीभानुसिंह (रुपाना)  
भानुप्रताप सिंह (रूपनगर)  
रामचन्द्र चौधरी (साधुनगढ़)  
भोपाललाल पण्डित (सायरा)  
रायलाल (सायरा)  
श्रीनयनसु परमार (सायरा, संरक्षित परिगणित  
जाति)  
मुहम्मद अब्दुल हादी (सांवर)  
लालबहादुर (नगोद)  
धरमचन्द (सरोनरा)  
मोहनलाल (शारदा—सालम्बोर)  
लक्ष्मण भील (सराड़ा, सालम्बर संरक्षित  
परिगणित जन जाति)  
चन्दनमल बेद (सरदार शहर)  
श्रीदाम गोयल (मवाई माधोपुर)  
शम्भूसिंह (साहाड़ा)  
अमरसिंह (साहापुरा—बानेडा)  
हिन्दूचन्द (साहापुरा—बानेडा, संरक्षित  
परिगणित जाति)  
अर्जुनसिंह (शिवगज)  
खेतसिंह (शेरगढ़)  
ईश्वरसिंह (सीकर तहसील)  
राधाकृष्ण मारू (सीकर कस्बा)  
त्रिवेणी व्याम शर्मा (सिकरई)

जवानसिंह (सिरोही)  
 बृजसुन्दर शर्मा (सिरोज)  
 मोटाराम चौधरी (सिवाना)  
 केशरीसिंह (सोजत)  
 भैरोसिंह खेजड़ला (सोजत—देसूरी)  
 प्रताप सिंह (सुजानगढ़)  
 भवानीसहाय (थानागाजी)  
 रावराजा सरदारसिंह (उनियारा)  
 बासीराम (तिजरा)

रामरतन डिकी बाल (ढोंक)  
 लालुराम (ढोंक, संरक्षित परिगणित जाति)  
 देवीसिंह (उदयपुर)  
 मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर शहर)  
 आर० एस० दिलीपसिंह (उन्ठाला)  
 धीसीसिंह कटाला (वेर)  
 तेजपाल (वेर, संरक्षित परिगणित जाति)

### सौराष्ट्र

#### राजप्रमुख मंत्री

नवानगर के जामसाहब

1. मुख्य मंत्री, मंत्रीमंडल तथा तालमेल विभाग, लगान और सेवाएं . . . . . यू० एन० धेबर
2. गृह, संवादवहन तथा सूचना . . . . . आर० यू० पारख
3. वित्त, लेखा परीक्षा तथा आंतरिक कर . . . . . एम० एम० शाह
4. शिक्षा और सार्वजनिक कार्य . . . . . जे० के० मोदी
5. कानून, न्याय और चिकित्सा . . . . . डी० टी० दवे
6. पुनर्वास, व्यापार और व्यवसाय, अन्न पूर्ति तथा श्रम . . . . . जी० सी० ओझा
7. विकास, योजना, स्थानीय स्वराज्य, तथा पिछड़ी जातिया . . . . . आर० एम० अदानी

15 फरवरी 1948 के 200 खजवाड़ों के मिश्रण से सौराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था ।

#### वित्त

(लाभ रुपयों में)

| बजट के आंकड़े       | आय  | व्यय  | बचत (+)<br>घाटा (—) |
|---------------------|-----|-------|---------------------|
| 1950-51 (लेखा) .    | 777 | 742   | -35                 |
| 1951-52 (लेखा) .    | 752 | 863   | -111                |
| 1952-53 (संशोधित) . | 984 | 1,166 | -182                |
| 1953-54 (बजट) .     | 942 | 995   | -53                 |

#### शिक्षा

शिक्षा विस्तार की नई योजना के अनुसार प्रारम्भिक स्कूलों में 75 नये अध्यापक नियुक्त किये गये तथा प्रारम्भिक स्कूलों के 311 अध्यापकों और 168 विद्यार्थियों

को ट्रेनिंग कालेज में भरती किया गया। गत वर्ष नये 100 प्रारम्भिक स्कूल खोले गये, इस तरह उनकी संख्या 2,486 तक पहुँच गई। विद्यार्थियों में हाथ से काम करने की रुचि उत्पन्न करने के लिये प्रारम्भिक स्कूलों में 10,000 चर्खे बाँटे गये। राज्य में सामाजिक शिक्षा देने के 240 केन्द्र खोले गये। 1952-53 में 7,04,000 रुपये यूनि-वर्सिटी शिक्षा पर, 27,78,000 रुपये माध्यमिक शिक्षा पर और 70,21,000 रुपये प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किये गये। शिक्षा पर कुल 1,22,00,000 रुपये व्यय हुए।

### साधना तथा कृषि

कृषि के सम्बन्ध में अनेक अनुसन्धान तथा ट्रेनिंग स्कीमें जारी की गईं। ज्वार और बाजरा के सम्बन्ध में परीक्षण किये गये। आलू और रूई की कृषि के सम्बन्ध में विस्तार और सुधार के अतिरिक्त घास वाले मैदानों को सुधार कर वहाँ दुग्धशालायें खोलने की योजना बनाई गई। वर्तमान जंगल का सुधार और नये जंगल का बाने का प्रयत्न भी किया गया।

### व्यवसाय

पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार सौराष्ट्र में 21,85,00,000 रुपये व्यय किये जायेंगे। इसमें से 14,80,000 रुपये व्यवसायों के विकास पर व्यय होंगे।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

हैजे और चेचक से बचने के लिये राज्य भर में टीके लगाये गये। मलेरिया की रोकथाम के लिये 22 केन्द्र खोले गये, जो 1,257 गावों में काम कर रहे हैं। तपेदिक की रोकथाम के सम्बन्ध में 63,895 व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 21,285 व्यक्तियों के बी० सी० जी० के टीके लगाये गये। गत वर्ष 25 आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई थी, जिन में से 14 ने कार्य जारी हो गया है। जिन गावों ने औषधालय खोलना संभव न था, वहाँ दवाइयों के बक्स बाँटे गये हैं।

### सौराष्ट्र विधान मंडल

अध्यक्ष : मंगनलाल जोगी

गजानन भवानीशकर जोगी (वावरा)  
 केशवजी अरजण पटेल (भाणवड-जमाजोधपुर)  
 ब्रजलाल गोकुलदाम बोरा (भावनगर  
 शहर पूर्व)  
 अजीतराय मानशकर ओझा (भावनगर  
 शहर पश्चिम)  
 करसन जराम कणवी (भावनगर-दसक्रोई  
 सिहौर)  
 भूपत भाई ब्रजलाल देसाई (दसाड़ा  
 लखतर)

बजुभाई मणिनाथ शाह (घोगाजी)  
 मनहरनाथ मनमुखलाल शाह (ध्रुवधरा)  
 हमराज जीवनदास कायाणी (ध्रुवजोडिया)  
 गोविन्दजी केशवजी पटेल (गोटल कुकावाव)  
 हरिभाई राणाभाई भास्कर (गोटल-कुकावाव  
 सरक्षित परिगणित जाति)  
 लाभशकर मंगनलाल शुक्ल (हलवद-भुलि)  
 कनुभाई जीवनलाल लहेरी (जाफराबाद-  
 राजुला)  
 रतनशी भाजी पटेल (जामजोधपुर-लालपुर)

अञ्जारखा हजरा हमीरसः (जामनगर-शहर पूर्व)

लवन्द परसोलम तम्बोली (जामनगर शहर पश्चिम)

माननाल भगवानजी जोशी (जामनगर तालुका)

प्रभानगिरि गुनाबगिरि गोसाईं (जसदण)

बाबुभाई प्राणजीवन वैद्य (जंतपुर)

परमानन्ददामजीवन भाई कथेचा (जूतागढ-भेसान)

चित्ररजन रघुनाथ राजा (जूतागढ शहर)

कल्याणजी हरजी वसन्त (कल्याणपुर)

भीमजी रुडाभाई चागेला (कण्डोरणा-मायावदर)

गुनुभाई मूलशर्मा अदागो (केशोद)

चन्द्रमिह जी दीनमिहजी अडेजा (कानावड़-धौन)

हरिलाल रामजी नरुम (खम्भानिया)

अमूलखराय कुमलचन्द खिगाणी (कुण्डला)

दयाशरर विक्रमजी दवे (कुटियाणा-राणावाव)

निगा जननत सवाणी (लाठी)

मोहनवरमशो बाघाणी (लोनिया)

लामशरर देवशरर आचार्य (लिम्बडी-लखतर)

घनश्याम लाल छोटालाल ओझा (लिम्बडी-वठवाण)

हमीर जीवा वगकर (लिम्बडी-वठवाण, संरक्षित परिगणित जाति)

जादवजी केशवजी मोदी (महुवा तालुका)

जनवन्तराय नानुभाई मेहता (माहुवा-कस्बा)

कानजी कवरा मोरी (मालिया-हाटना-मेन्दरडा)

श्रीमनी जयावहन वजुभाई शाह (मगरौल)

राजन्द्र रगनाथ राय (मौरवी मालिया)

अम्बुलता हमीर काजडिया (मौरवी मालिया — संरक्षित परिगणित जनजाति)

बालकृष्ण दिनमणि शकर शुक्ल (पड़घरा-लोधिका-कोटडा-सांगाणी)

जोरसिंह कसलसिंह इन्द्राणी (पालीताणा चौक)

मोतीलाल गोर्धनदास जोशी (पाटन-बीरावल तालुका)

मथुरादास गोर्धनदास गुप्त (पोरबन्दर शहर)

मां देव जी मण्डलिक जी अंडेडा (पोरबन्दर तालुका)

चिमनलाल नागरदास शाह (राजकोट शहर उत्तर)

गिरधरनाल भवानभाई कोटक (राजकोट शहर दक्षिण)

कुर्जी जादवजी बेकरिया (राजकोट तालुका)

रमिकनाल उमेदचन्द परीख (मायना-चोटिला)

छगननाल लालजीभाई गोपाणी (मोनगढ़-उमराता)

प्रभुदाग रामजी मेहता (नानाजा दाठा)

हमीर मरमण सोलकी (नानाला)

गुग्गभाई कालुभाई वरू (उना)

उछरगराय नवनशरर देवर (उपलोटा)

प्रेमचन्द मगनलाल शाह (वल्लभीपुर-गडडा)

काजी मवली रेवार (वल्लभीपुर-गडडा, संरक्षित परिगणित जाति)

रामजी परबत विक्राणी (वन्थली-माणावदर वाटवा)

जीवराज विश्राम गोहेल, (वन्थली-माणावदर)

वाटवा, संरक्षित, परिगणित जाति)

श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनमेहता (बेरावन कस्बा)

नरमी वेनजी बोरड (विमावदर)

शान्तिनाल राजपाल शाह (वाकानेर)

### तिरुवांकुर-कोचीन

राजप्रमुख  
मंत्री

तिरुवांकुर के महाराज

I. मुख्य मंत्री, सामान्य व्यवस्था, कानून, योजना, न्याय, सूचना, शिक्षा, खाद्य, नागरिक पूर्ति, व्यवस्थापन, निर्वाचन, देवमंदिर इत्यादि

ए० थानु पिल्लई

2. वित्त, लगान, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय और व्यापार,  
खनिज, जंगल, आन्तरिक कर तथा बन्दोबस्त पी० एम० नटराज पिल्लई
3. सार्वजनिक कार्य, बिजली, यातायात, संवाद वहन,  
बन्दरगाह तथा रेलवे ए० अच्युतन
4. स्वास्थ्य, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम मुधार, हरिजन कल्याण  
पिछड़ी जातियों की रक्षा, श्रम, रजिस्ट्रेशन, सहयोग  
तथा निवास पी० के० कुंजु

तिरुवाकुर और कोचीन रियासतों के मेल में बना यह राज्य 1 जलाई 1949 को भारत यूनियन में सम्मिलित हुआ ।

वित्त

(लाख रुपयों में)

| वजट के आकड़े      | आय    | व्यय  | अतिरिक्त (+)<br>घाटा (—)- |
|-------------------|-------|-------|---------------------------|
| 1950-51 (लेखा)    | 1,399 | 1,274 | +125                      |
| 1951-52 (लेखा)    | 1,791 | 1,363 | +428                      |
| 1952-53 (संगोषित) | 1,673 | 1,683 | —10                       |
| 1953-54 (वजट)     | 1,714 | 1,728 | —14                       |

## शिक्षा

1952-53 में तिरुवाकुर काचीन में शिक्षा पर 370 लाख रुपये व्यय किये गये । राज्य के 6 में 11 वर्ष तक की आयु के 98.8 प्रतिशत बालक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इस का अभिप्राय यह है कि राज्य भर में शिक्षा व्यवहार रूप में अनिवार्य हो गई है । तिरुवाकुर कोचीन में इस समय 39 कॉलेज हैं, जिनमें चिकित्सा, इंजीनियरिंग, टैक्निकल कॉलेज आदि सम्मिलित हैं । गत वर्ष तक वहां हाई स्कूलों की संख्या 552 थी, माध्यमिक स्कूलों की 792, प्रारम्भिक स्कूलों की 4,133, सम्स्कृत स्कूलों की 32 और ट्रेनिंग मस्थाओं की 63 । प्रारम्भिक स्कूलों में 13,65,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । 20 प्रारम्भिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा जारी की गई तथा 57 अध्यापकों को बेसिक ट्रेनिंग दी गई ।

परिगणित जाति के विद्यार्थियों के लिये 3 लाख रुपये की सहायता दी गई । उनके शुल्क भी माफ कर दिये गये । उन्हें टैक्निकल, व्यवसायिक तथा व्यापारिक शिक्षा देने की सुविधाये भी दी गई । इस सहायता पर 2,50,000 रुपये व्यय किये गये ।

## सादासन तथा कृषि

‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन के अन्तर्गत 37 लाख रुपयों का 13,950 टन खाद किसानों को बाटा गया । इसमें चावल की उपज में 20,000 टनों की वृद्धि हुई । गहरी कृषि के उद्देश्य से किसानों को प्रति नये कुए के पीछे 600 रुपये दिये गये । 40 नये कुये खोद गये और 35 की खुदाई अभी जारी है ।

**व्यवसाय**

राज्य में व्यावसायिक सहायता देने के लिये एक व्यावसायिक वित्त कारपोरेशन स्थापित किया गया, जिसे एक करोड़ रुपया दिया गया। 1952-53 में राज्य में निम्नलिखित 3 नये कारखाने खोले गये : कोरट्टी में जमना थूड मिल्स, तिरुवांकुर कोचीन कैमिकल्स मिल तथा अलवाये में रेअर अर्थ फैक्टरी। पहली फैक्टरी में इतना सूत तैयार होगा कि उससे राज्य की सब आवश्यकताये पूरी हो जायेगी। दूसरी फैक्टरी 7,000 टन कास्टिक सोडा प्रति वर्ष तैयार कर रही है। तीसरी फैक्टरी का उद्घाटन दिसम्बर, 1952 में प्रधान मंत्री ने किया था। यह 1,680 टन क्लोराइड बना सकती है।

गृह उद्योग बोर्ड की ओर से करघा, शहद, तेल आदि व्यवसायो के विकास के प्रयत्न किये गये। पंचवर्षीय आयोजना अनुसार सहयोग के ढग पर नारियल के जटा व्यवसाय को पुर्नसंगठित किया जायगा। व्यावसायिक मदी पर नियन्त्रण रखने के लिये राज्य ने भरसक प्रयत्न किये। 5 लाख रुपये मजदूरो को सहायता के रूप में बाटे गये। 26,000 रुपये वर्तन व्यवसाय के संगठन पर व्यय किये गये।

**सार्वजनिक स्वास्थ्य**

गत वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 142 लाख रुपये व्यय हुए। इस समय राज्य में 234 चिकित्सा संस्थायें हैं। इनमें दो बड़े तपेदिक अस्पताल, एक कोढ़ स्वास्थ्यागार, 3 कोढ़ चिकित्सालय, दो मानसिक रोगों के औषधालय, 6 बच्चों और औरतों के औषधालय और एक आँखों का अस्पताल भी सम्मिलित हैं। गत वर्ष 15 लाख व्यक्तियों को चेचक का टीका लगाया गया। हैजा तथा मलेरिया की रोकथाम के लिये प्रयत्न किये गये। तपेदिक की रोकथाम के लिये 8,30,000 व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 3,31,000 व्यक्तियों को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया।

त्रिवेन्द्रम की सार्वजनिक स्वास्थ्य लेबोरेटरी में बड़ी मफलता से तथा बड़े पैमाने पर चेचक, हैजा आदि के निरोध के टीके तैयार किये जा रहे हैं।

गत वर्ष राज्य में 11 आयुर्वेदिक अस्पताल, 4 आयुर्वेदिक औषधालय, 341 वैद्यशालाये, तथा 2 फार्मेशिया जारी थी। दो औषधालयों का दर्जा ऊँचा किया गया तथा 26 नये औषधालय खोले गये।

**तिरुवांकुर-कोचीन विधान सभा**

| निर्वाचन क्षेत्र       | सदस्य का नाम       | दल                                          |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 1. अग्रस्तीस्वरम . . . | पी० तारुणलिंग नाडर | तिरुवांकुर तामिलनाडु कांग्रेस (ति० ता० का०) |
| 2. अलनगाड . . .        | गोपाल मेनन         | कांग्रेस                                    |
| 3. अलप्पी 1 . . .      | के० सी० जार्ज      | कम्युनिस्ट                                  |
| 4. अलप्पी 2 . . .      | टी० वी० रामस       | कम्युनिस्ट                                  |
| 5. अलवाए . . .         | टी० ओ० बावा        | कांग्रेस                                    |

| निर्वाचन क्षेत्र                   | सदस्य का नाम               | बल                                                  |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| प्रम्बल पूझा . . . . .             | पी० नारायण पोटी            | क्रांतिकारी सोश-<br>लिस्ट पार्टी<br>(क्रा० सो० पा०) |
| 7. अरूर . . . . .                  | अवीराकन                    | स्वतंत्र                                            |
| 8. अट्टिगल . . . . .               | आर० प्रकाशम                | कम्युनिस्ट                                          |
| 9. भरनीकावू . . . . .              | टी० भामकरन पिल्लड          | कम्युनिस्ट                                          |
| 10. भरनीकावू (सरक्षित) . . . . .   | कुट्टप्पन                  | कम्युनिस्ट                                          |
| 11. चायामगलम . . . . .             | वी० गगाधरन                 | प्रजा सोशलिस्ट<br>पार्टी                            |
| 12. चालकुडी . . . . .              | पनामपिल्ली गोविंद मेनन     | कांग्रेस                                            |
| 13. चगना चैरी . . . . .            | एन० परमेश्वरम पिल्लई       | कांग्रेस                                            |
| 14. चवरा . . . . .                 | बेबी जौन                   | क्रा० सो० पा०                                       |
| 15. चेगन्नूर . . . . .             | सी० के० रामचन्द्रन नैयर    | प्र० मो० पा०                                        |
| 16. चेगन्नूर (सरक्षित) . . . . .   | पी० के० कुजाय्यन           | कम्युनिस्ट                                          |
| 17. चेरपू . . . . .                | जोमफ मडासरी                | स्वतंत्र                                            |
| 18. चिरयिकिल . . . . .             | यू० नीलकण्ठन               | स्वतंत्र                                            |
| 19. चित्तूर . . . . .              | ए० आर० मेनन                | कांग्रेस                                            |
| 20. कोलाचेल . . . . .              | टाम्पमन थमीराज डेनियल      | नि० ता० का०                                         |
| 21. क्रागन्नूर . . . . .           | अब्दुल कादिर               | कांग्रेस                                            |
| 22. देवीकोलम . . . . .             | शेषादरी नाथ शर्मा          | नि ता का                                            |
| 23. देवीकोलम (सरक्षित) . . . . .   | तनकय्या                    | नि ता का                                            |
| 24. एलानकुलम . . . . .             | एम० पद्मनाभ मेनन           | स्वतंत्र                                            |
| 25. एरवीपुरम . . . . .             | पी० के० सुकमारन            | कम्युनिस्ट                                          |
| 26. एरवीपुरम (सरक्षित) . . . . .   | चन्द्रशेखरम्               | क्रा सो पा                                          |
| 27. एरणाकुलम . . . . .             | आ० आर० चुम्मार             | कांग्रेस                                            |
| 28. एट्टमानूर . . . . .            | वी० वी० सेवस्टियन          | कांग्रेस                                            |
| 29. एङ्गमात्तूर . . . . .          | टी० एम० वर्गीस             | कांग्रेस                                            |
| 30. इरिजालकूडा . . . . .           | के० के० बालकृष्णन          | कम्युनिस्ट                                          |
| 31. इरिजालकूडा (सरक्षित) . . . . . | पी० के० चायन               | कांग्रेस                                            |
| 32. कडपरा . . . . .                | वी०पी०परमेश्वरम नाम्पूथिरी | प्र० सो० पा०                                        |
| 33. काडुथूरुथी . . . . .           | के० एम० जार्ज              | कांग्रेस                                            |
| 34. कडुथूरुथी (सरक्षित) . . . . .  | टी० टी० केशवन शास्त्री     | कांग्रेस                                            |
| 35. कल्लुप्पारा . . . . .          | एम० एम० मथाई               | कांग्रेस                                            |
| 36. कन्याछूर . . . . .             | एन० के० कुमारन्            | कांग्रेस                                            |
| 37. कांजीरपल्ली . . . . .          | टामस . . . . .             | कांग्रेस                                            |
| 38. करकुलम . . . . .               | आर बालकृष्ण पिल्लई         | कम्युनिस्ट                                          |



| निर्वाचन क्षेत्र                  | सदस्य का नाम            | दल            |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 39. कार्तिकापल्ली . . .           | ए० अच्युतन              | प्र० सो० पा०  |
| 40. करुणागपल्ली . . .             | ए० ए० रहीम . . .        | कांग्रेस      |
| 41. किल्लीयूर . . .               | आर० पोन्नप्पन नाडर      | ति० ता० कां०  |
| 42. कोडाकारा . . .                | पोलीयेदेय केशव मेनन     | प्र० सो० पा०  |
| 43. कोल्लेन्कोडे . . .            | अलैक्जेंडर मँनुअल साइमन | ति० ता० कां०  |
| 44. कोतकुलांगरा . . .             | एम० ए० एन्थनी           | कांग्रेस      |
| 45. कोतमंगलम . . .                | मचनाथ प्रभु . . .       | प्र० सो० पा०  |
| 46. कोट्टारकरा . . .              | बी० बी० पन्डारथिल       | क्रा० सो० पा० |
| 47. कोट्टयम . . .                 | पी० भास्करन नैयर        | कम्युनिस्ट    |
| 48. कोट्टुकाल . . .               | बी० विवेकानन्दन . . .   | स्वतंत्र      |
| 49. कृष्णपुरम् . . .              | पी० के० कुंजू           | प्र० सो० पा०  |
| 50. कुमारमंगलम . . .              | सी० ए० मैथ्यू . . .     | कांग्रेस      |
| 51. कुन्नमकुलम . . .              | टी० के० कृष्णन . . .    | कम्युनिस्ट    |
| 52. कुन्नत्तुनाड . . .            | के० एम० चाको            | कांग्रेस      |
| 53. कुन्नत्तुनाड (संरक्षित) . . . | के० कोचुकुटन            | कांग्रेस      |
| 54. कुन्नोतुकाल . . .             | के० कृष्ण पिल्लई . . .  | प्र० सो० पा०  |
| 55. कुन्नातुर . . .               | पी० आर० माधवन पिल्लई    | कम्युनिस्ट    |
| 56. कुन्नातुर (संरक्षित) . . .    | के० एस० कृष्णा शास्त्री | क्रा० सो० पा० |
| 57. कुरीची . . .                  | पी० जे० सेवस्टियन . . . | कांग्रेस      |
| 58. मानालूर . . .                 | कन्नौठ करुणाकरण . . .   | कांग्रेस      |
| 59. मणिमला . . .                  | के० एम० कोरा . . .      | कांग्रेस      |
| 60. मरारीकोलम . . .               | आर० सुगतन . . .         | कम्युनिस्ट    |
| 61. मतानचेरी . . .                | जे० अनन्त भट्ट . . .    | कांग्रेस      |
| 62. मावेलीकरा . . .               | आर० शंकरनारायन् ताम्पी  | कम्युनिस्ट    |
| 63. मिनायिल . . .                 | के० एम० चाण्डी . . .    | कांग्रेस      |
| 64. मवात्तुपुञ्जा . . .           | एम० बी० चेरियन . . .    | कांग्रेस      |
| 65. नागरकोइल . . .                | डी० अनन्तरामन           | ति० ता० कां०  |
| 66. नारक्काल . . .                | के० सी० अब्राहम         | कांग्रेस      |
| 67. नैडूमनगड . . .                | एन० नेलिकांतारु-यंड     | कम्युनिस्ट    |
| रायिल                             |                         |               |
| 68. नीण्डकरा . . .                | ए० चिदाम्बरनाथ नाडर     | ति० ता० कां०  |
| 69. नेम्भारा . . .                | के० ए० शिवराम भारती     | प्र० सो० पा०  |
| 70. नेमम . . .                    | पी० विश्वमभरन्          | प्र० सो० पा०  |
| 71. नय्यात्तिकर . . .             | एम० भास्करन नैय्यर      | कांग्रेस      |
| 72. ओल्लूर . . .                  | पी० आर० कृष्णन्         | कांग्रेस      |

| निर्वाचन क्षेत्र            | सदस्य का नाम                    | बल            |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 73. ओमल्लूर . . .           | एन० जी० चाको . . .              | कांग्रेस      |
| 74. ऊल्लूर . . .            | वी० श्रीधरन् . . .              | कम्युनिस्ट    |
| 75. उल्लूर (संरक्षित) . . . | पी० कुजन् . . .                 | प्र० सो० पा०  |
| 76. पद्मनाभपुरम् . . .      | नूर मुहम्मद . . .               | ति० ता० का    |
| 77. पल्लीवासल . . .         | वी० जे० जोसफ . . .              | कांग्रेस      |
| 78. पल्लीविस्ती . . .       | अलैकजेंडर परम्बितरा . . .       | कांग्रेस      |
| 79. पालोडै . . .            | एन० चन्द्रशेखरन् नैयर . . .     | प्र० सो० पा०  |
| 80. पारम्माला . . .         | आर० कुंजन नाडर . . .            | ति० ता० कां०  |
| 81. परवुर . . .             | रविन्द्रन् . . .                | कम्युनिस्ट    |
| 82. पारूर . . .             | के० ए० बालन . . .               | कम्युनिस्ट    |
| 83. पठनमतिट्टा . . .        | पी० एस० वसुदेवन पिल्लई . . .    | कांग्रेस      |
| 84. पठनमपुरम . . .          | के० वेलायुधन नैयर . . .         | कांग्रेस      |
| 85. पत्तियुर . . .          | पी० के० यशोधरन . . .            | क्रा० सो० पा० |
| 86. पेरम्बावूर . . .        | के० पी० उरुमेस . . .            | कांग्रेस      |
| 87. पूजार . . .             | ए० जे० जोण . . .                | कांग्रेस      |
| 88. पुनलूर . . .            | पी० गोपालन . . .                | स्वतंत्र      |
| 89. पुत्तुकाड . . .         | टी० पी० सीतारमय्यार . . .       | कांग्रेस      |
| 90. पुत्तुण्णली . . .       | टामस . . .                      | कांग्रेस      |
| 91. कुडैली . . .            | टी० के० दिवाकरन् . . .          | क्रा० सो० पा० |
| 92. रामपुरम् . . .          | जोसफ चाजीकाड . . .              | स्वतंत्र      |
| 93. राप्ती . . .            | वियाला एडिकुला . . .            | प्र० सो० पा०  |
| 94. शेनकोट्टाह . . .        | के० सत्तानाथ कार्यालर . . .     | स्वतंत्र      |
| 95. शेरतल्लइ . . .          | श्रीमती के० आर० गौरी . . .      | कम्युनिस्ट    |
| 96. ताकजी . . .             | नारायण कुरूप . . .              | कांग्रेस      |
| 97. तिरुवल्ला . . .         | चन्द्रशेखरन पिल्लई . . .        | कांग्रेस      |
| 98. तिरुवापू . . .          | राघव कुरूप . . .                | कम्युनिस्ट    |
| 99. तिरुवट्टार . . .        | पी० रामास्वामी पिल्लइ . . .     | कांग्रेस      |
| 100. तोडुपुजा . . .         | ए० सी० चाको . . .               | कांग्रेस      |
| 101. तोवला . . .            | टी० एस० रामास्वामी पिल्लइ . . . | प्र० सो० पा०  |
| 102. त्रिचूर . . .          | पी० पी० ऐन्धनी . . .            | कांग्रेस      |
| 103. त्रिक्कडवूर . . .      | प्राक्कुलम भासी . . .           | क्रा० सो० पा० |
| 104. त्रिवेन्द्रम I . . .   | पी० एस० नटराज पिल्लइ . . .      | प्र० सो० पा०  |
| 105. त्रिवेन्द्रम 2 . . .   | ए० थानु पिल्लइ . . .            | प्र० सो० पा०  |
| 106. त्रिवेन्द्रम 3 . . .   | के० बालाकृष्णन् . . .           | क्रा० सो० पा० |
| 107. तुरावूर . . .          | सी० जी० सदाशिवन . . .           | कम्युनिस्ट    |

| निर्वाचन क्षेत्र             | सदस्य का नाम                   | दल           |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 108. वैकम . . .              | सी० के० विश्वनाथन .            | कम्युनिस्ट   |
| 109. वरकला . . .             | टी० ए० मजीद .                  | स्वतंत्र     |
| 110. वरकला (संरक्षित) .      | कोचू कुंजू .                   | प्र० सो० पा० |
| 111. वझूर . . .              | के० नारायण कुरूप .             | प्र० सो० पा० |
| 112. वेलियम . . .            | डी० दामोदरन् पोटी .            | प्र० सो० पा० |
| 113. विजयपुरम' . . .         | पी० एम० मारकोस .               | कांग्रेस     |
| 114. विलवंकौड . . .          | एम० विलियम .                   | ति० ता० कां० |
| 115. विथूर . . .             | के० आई० बैलायुधन .             | कांग्रेस     |
| 116. वडक्कानचेरी . . .       | वी० के० अच्युत मेनीन .         | कांग्रेस     |
| 117. वडक्कानचेरी ]संरक्षित . | सी० सी० अय्याप्पेन .           | कम्युनिस्ट   |
| 118. अल्पमत . . .            | ऐन्थनी ऐन्ड्र्यू डेनियल लुइज . | नामजद        |

**सत्ताईसवां अध्याय**  
**‘ग’ भाग के राज्य तथा ‘घ’ भाग के प्रदेश**  
**अजमेर**

**बीफ कमिशनर  
मंत्री**

**एम० के० कृपलानी**

1. मुख्य मंत्री

हरिभाऊ उपाध्याय

2. गृह, वित्त तथा सार्वजनिक कार्य विभाग

बालकृष्ण कौल

3. शिक्षा, लगान तथा स्थानीय स्वराज्य

बूजमोहनलाल शर्मा

अजमेर राज्य पहले अजमेर-मारवाड़ नाम से पुकारा जाता था । इस में अजमेर, ब्यावर, और केकड़ी के तीन सब-डिवीजन सम्मिलित हैं ।

**वित्त**

**(हज़ार रुपयों में)**

| बजट के आंकड़े        | आय     | व्यय   | बचत (+)<br>घाटा (—) |
|----------------------|--------|--------|---------------------|
| 1952-53 (सशोधित) . . | 22,629 | 22,269 | +360                |
| 1953-54 (बजट) . .    | 18,876 | 18,876 | —                   |

**शिक्षा**

गत वर्ष केकड़ी सब-डिवीजन में 65 नए बेसिक स्कूल खोले गए और देहाती हलकों के 115 प्रारम्भिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया । इस तरह राज्य में बेसिक संस्थाओं की संख्या 390 तक पहुँच गई और उन के विद्यार्थियों की संख्या 13,600 हो गई । राज्य में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को जारी करने का प्रयत्न किया जा रहा है और छोटे बेसिक स्कूलों का नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है । सामाजिक शिक्षा के कार्यों का विस्तार किया गया । देहाती स्कूलों में अध्यापकों से सामाजिक शिक्षा का काम भी लिया गया । इस तरह गत वर्ष राज्य भर में कुल 1,000 सामाजिक शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे थे ।

**खाद्यान्न तथा कृषि**

‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन के अन्तर्गत राज्य के किसानों को 51,769 मन बीज 162 मन अमोनियम सल्फेट, 48 मन खली और 6 मन सुपर फास्फेट बांटा गया । साथ ही 118 नए कुएं खोदे गये और 347 पुराने कुओं की मरम्मत की गई । इस कार्य के लिए किसानों को तकावी बांटी गई । 2,266 पुराने कुओं को अधिक गहरा किया गया । टिड्डियों की रोकथाम के भरसक प्रयत्न किये गये और गांव वालों को अच्छा ताड़ गुड़ बनाने की शिक्षा दी गई ।

**व्यवसाय**

1952-53 में 25 व्यावसायिक श्रगड़े आपसी समझौते द्वारा निबटारे गए। कुछ व्यवसायों के बारे में गणनाएं एकत्र की गईं तथा वस्त्र व्यवसाय और ऊन शुद्ध करने के व्यवसाय में कम से कम वेतन नियत कर दिया गया। आजकल 4 कपड़ा मिलों और दो होजरी फैक्टरियों में कार्यकर्ताओं का प्राविडेण्ट फण्ड कानून लागू है।

**सार्वजनिक स्वास्थ्य**

अजमेर के विक्टोरिया अस्पताल के साथ एक तपेदिक क्लिनिक भी जारी किया गया। बिजयनगर के औषधालय को राज्य ने अपने हाथ में ले लिया और उस में अतिरिक्त स्टाफ भी नियत किया गया। देहाती क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम का प्रयत्न किया गया। तपेदिक की रोकथाम के लिए बी० सी० जी० का आन्दोलन जारी किया तथा एक लाख से ऊपर व्यक्तियों को टीका लगाया गया।

**अजमेर विधान सभा****अध्यक्ष—भागीरथसिंह**

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| अर्जनदास (अजमेर I, दक्षिण-पश्चिम)                    | भागीरथसिंह (जेठाना)                                        |
| परसराम (अजमेर I, दक्षिण-पश्चिम सरक्षित परिगणित जाति) | हजारी (जेठाना, संरक्षित परिगणित जाति)                      |
| बालकृष्णकौल (अजमेर 2, पूर्व)                         | जेठामल (केकड़ी)                                            |
| हरजीतलाल (अजमेर 2 पूर्व, संरक्षित परिगणित जाति)      | सेवादास (केकड़ी, संरक्षित परिगणित जाति)                    |
| रमेशचन्द्र भार्गव (अजमेर 3, कालाबाग)                 | नारायणसिंह (मसूदा)                                         |
| श्रीमनदास (अजमेर 4, टाऊन हाल)                        | सूर्यमल मौर्य (मसूदा, संरक्षित परिगणित जाति)               |
| अम्बालाल (अजमेर 5, नयाबाजार)                         | महेन्द्रसिंह पवार (नसीराबाद)                               |
| सैयद अब्बास अली (अजमेर 6, ढाई दिन का शोपड़ा)         | लक्ष्मीनारायण जी० जोनवाल (नसीराबाद, संरक्षित परिगणित जाति) |
| कल्याणसिंह (भिनाय)                                   | गणपति सिंह (नयानगर)                                        |
| ब्रजमोहन लाल शर्मा (ब्यावर शहर, उत्तर)               | शिवनारायण सिंह (पुष्कर उत्तर)                              |
| जगन्नाथ शर्मा (ब्यावर शहर, दक्षिण)                   | जयनारायण शर्मा (पुष्कर दक्षिण)                             |
| छगनलाल गैना (देवलिया कलां)                           | लक्ष्मणसिंह (सावर)                                         |
| हिम्मत अली (डैराठू)                                  | वली मुहम्मद (शामगढ़)                                       |
| रिक्त (गगवाना)                                       | हरिभाऊ उपाध्याय (श्रीनगर)                                  |
| चिमनसिंह भाटी (जवाजा)                                | प्रेमसिंह (टाडगढ़)                                         |

**बिलासपुर****चीफ कमिश्नर**

श्रीचन्द छाबड़ा

बिलासपुर पहले पंजाब की रियासतों में था, अब 12 अक्टूबर 1948 से केन्द्र द्वारा शासित राज्य बन गया है।

## शिक्षा

गत वर्ष विलासपुर में एक इंटरमिडिएट कालेज, 4 माध्यमिक तथा 6 प्रारम्भिक स्कूल नए खोले गए। एक ग्रामीण स्कूल तथा एक लड़कियों के माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल बना दिया गया। इस के अतिरिक्त एक ट्रेनिंग कालेज तथा घुमारबिन में एक जनता कालेज खोला गया। पेशों की तथा टेक्निकल शिक्षा देने के लिये 100-100 रुपये की पांच छात्रवृत्तियां स्वीकार की गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक केन्द्रीय वयस्क शिक्षा केन्द्र के अतिरिक्त 4 नए केन्द्र खोले गए। विलासपुर में एक केन्द्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय खोला गया।

## खाद्यान्न तथा कृषि

विलासपुर के लिये भारत सरकार ने उपज प्रतियोगिता, बीज मिश्रण और हरे खाद की स्कीमें स्वीकार की। ज्वार की उपज 1,953 मन हो गई जो पहले से लगभग तीन गुना है। राज्य में कृषि के विकास के लिये सामूहिक योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 नई स्कीमें जारी की गईं।

## सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष राज्य में दो जच्चा केन्द्र, दो एलोपैथिक औषधालय और एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया। 4 व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में सुश्रुषा की शिक्षा के लिये भेजा गया।

## भोपाल

चीफ कमिश्नर

भगवानसहाय

### मंत्री

1. मुख्य मंत्री, गृह, शिक्षा, लगान, शासन, कानून, न्याय, विकास, आयोजना, वित्त, श्रम, व्यवसाय, आन्तरिक कर और कृषि . . . . . शकरदयाल शर्मा
2. अन्न, नागरिक पूर्ति, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य, सार्वजनिक कार्य, तथा सिंचाई . . . . . इनायतउल्लाखान तरजी मशरिकी

### उप-मंत्री

1. जंगल, सहयोग तथा हरिजन उद्धार . . . . . उमरावसिंह

भोपाल का शासन 1 जून 1949 को केन्द्र ने अपने हाथ में लिया।

वित्त

(हजार रुपयों में)

| बजट के आकड़े            | आय     | व्यय   | बचत (+)<br>या घाटा (—) |
|-------------------------|--------|--------|------------------------|
| 1952-53 (संशोधित) . . . | 20,672 | 20,232 | +440                   |
| 1953-54 (बजट) . . .     | 23,304 | 23,259 | +45                    |

## शिक्षा

1952-53 में गवर्नमेंट हमीदिया कालेज का दर्जा बढ़ा कर स्नातकोत्तर कालेज तक कर दिया गया। वहां बी० एस० सी० की पढ़ाई भी जारी की गई और बी० ए० तथा बी० काम० के लिये सायंकालीन श्रेणियां खोली गईं। राज्य में एक नया कृषि कालेज तथा 5 नए स्कूल खोले गये। 18 प्रारम्भिक स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें माध्यमिक स्कूल बना दिया गया और 103 प्रारम्भिक स्कूल तथा 13 नए बेसिक स्कूल खोले गये। एक ही वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या 17,900 से बढ़कर 23,800 (1952-53) तक पहुंच गई। सामाजिक शिक्षा पर 23,000 रु० व्यय किये गये।

## खाद्यान्न तथा कृषि

भोपाल में 1952-53 में 84,000 टन गेहूं पैदा हुआ, जो पिछले वर्ष से लगभग 25,000 टन अधिक था। मुख्य खाद्यान्नो की उपज गत वर्ष 1,78,000 टन हुई, जो गत वर्ष से 44,700 टन अधिक थी। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत गत वर्ष 30 नए तालाब बनाये गये, 1,056 कुओं की मरम्मत की गई, 93 नए कुएं खोदे गये और 16 नये बांध बांधे गये। इस पर 9 लाख रुपये व्यय आये। इन के अतिरिक्त गांवों में 125 नए रूट लगाये गये। सिंचाई के बड़े कामों में अष्टा का पार्वती बांध और भोजपुर के बेतवा बांध पूरे किये गये। अजनाल, अजनार, मछवाही और हेलाही में सिंचाई की छोटी योजनायें पूरी की गईं। ताड़ गुड व्यवसाय योजना के अन्तर्गत 1,18,920 टन खाद तैयार किया गया और 60,615 टन खाद किसानों को बांटी गई।

## व्यवसाय

छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिये अक्टूबर 1952 में व्यवसाय विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग द्वारा छोटे व्यवसायों के लिये दस लाख रुपये कर्जों के रूप में दिये गये। व्यवसायों के लिये आवश्यक ट्रेनिंग देने का भी प्रयत्न किया गया। स्त्रियों को सिलाई तथा कारीगरी की शिक्षा देने के लिये एक केन्द्र खोला गया। विभिन्न व्यावसायिक सहयोग समितियों तथा कारीगरों को आवश्यक मशीनों तथा पुरजों के रूप में 30,000 रुपये का सामान बांटा गया। पुराने व्यवसायों के विकास और सीमेंट, चूना, लोहा, ऊन आदि नए व्यवसायों को प्रारम्भ करने का प्रयत्न भी किया गया।

## सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष तपेदिक की रोकथाम के लिये 1,00,000 व्यक्तियों की परीक्षा की गई और 40,000 को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया। तपेदिक के इलाज के लिये भोपाल में 20 बिस्तरों का एक क्लिनिक खोला गया। ईदगाह पहाड़ी पर 10 लाख रुपये के व्यय से एक तपेदिक के अस्पताल का निर्माण जारी है। मलेरिया की रोकथाम के कार्य को भी संगठित किया जा रहा है। हमीदिया अस्पताल में 26,000 रुपयों के व्यय से एक नया एक्सरे प्लांट लगाया गया है। देहाती क्षेत्रों में 4 जच्चा केन्द्र तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोले जा रहे हैं। 1952-53 में राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिये हवाई नियंत्रण कानून तथा भोपाल चिकित्सक कानून पास किया गया।

## भोपाल विधान-सभा

अध्यक्ष : सुलतान मुहम्मद खां

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| जलालुद्दीन कुरैशी (शाहजहाबाद)                   | गोपीदास (आष्टा, संरक्षित परिगणित जाति)         |
| सैयद ऐंजाजुद्दीन (शीश महल)                      | श्रीमती मैमूना सुलतान (कोटरी)                  |
| इनायतुल्लाखां तरजी मशरिकी (जहांगीराबाद)         | वंशीधर (नसरुल्लागंज)                           |
| कुमारी लीला राय (बैरागढ़)                       | लच्छमी नारायण अग्रवाल (बुधनी)                  |
| बाबूलाल (बैरागढ़, संरक्षित परिगणित जाति)        | गुलाब चन्द (गोहर गंज)                          |
| सरदारमल ललवानी (हजूर)                           | दलीप सिंह (गौहरगंज, संरक्षित, परिगणित जन जाति) |
| शंकरदयाल शर्मा (बेरसिया)                        | कामता प्रसाद (रायसेन)                          |
| शंकरदयाल (नजीराबाद)                             | बाबूलाल (रायसेन, संरक्षित, परिगणित जाति)       |
| सुलतान मुहम्मद खां (सिहोर)                      | कुन्दनलाल (बेगम गंज)                           |
| उमराव सिंह (सिहोर, संरक्षित, परिगणित जाति)      | बाबूलाल कमल (सुलतान गंज)                       |
| बाबू लाल (श्यामपुर)                             | लीलाधर राठी (सिलवानी)                          |
| हरिकृष्ण सिंह (श्यामपुर, संरक्षित परिगणित जाति) | दीलतसिंह (सिलवानी, संरक्षित परिगणित जन जाति)   |
| केसरीमल जैन (इच्छावर)                           | नबंदाचरण लाल (अमरावद)                          |
| चन्दनमल (आष्टा)                                 | श्यामसुन्दर (बरेली)                            |
|                                                 | नितगोपाल (उदयपुरा)                             |
|                                                 | रामकरन लाल (देवरी)                             |

## कुर्ग

चीफ कमिशनर

दयासिंह बेदी

मंत्री

1. मुख्य मंत्री, लगान, आन्तरिक कर, योजना और विकास . . . . . सी० एम० पुनाचा
2. गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय . . . . . के० मल्लप्पा

वित्त

1953-54 का बजट इस प्रकार है :—

(रुपये)

|                |             |
|----------------|-------------|
| आय . . . . .   | I,04,00,000 |
| व्यय . . . . . | I,41,00,000 |
| घाटा . . . . . | 37,00,000   |

शिक्षा

कुर्ग में केवल एक ही प्रथम श्रेणी का कालेज है, जो मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इस के अतिरिक्त वहां 10 हाई स्कूल, 49 माध्यमिक स्कूल, 90 प्रारम्भिक स्कूल और 4



शिशुओं के स्कूल हैं। इन में से कुछ स्कूलों को बेसिक स्कूल बनाया जा रहा है। अप्रैल 1953 में कुर्ग की सरकार ने जिला बोर्ड के सब स्कूलों को अपने हाथ में ले लिया।

### साक्षात् तथा कृषि

राज्य में कुल 4,985 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, जिस में से 900 एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध हाल ही में किया गया है। विकास योजना कार्यक्रम के अनुसार कुर्ग में एक विकास केन्द्र खोला गया है, जिस के अन्तर्गत 118 गांव हैं जिन की आबादी 75,000 है। भारत सरकार के निश्चय के अनुसार राज्य के शेष देहाती भागों के लिये दूसरे विकास केन्द्र बहुत शीघ्र जारी किये जायेंगे।

कृषि विकास के लिये एक सलाहकार समिति बनाई गई है। राज्य में जापानी ढंग से चावल बोने का प्रयत्न किया जा रहा है। गत वर्ष 900 एकड़ भूमि में उक्त ढंग से चावल बोया गया। 1,72,327 एकड़ भूमि में चावल, रागी, कौफी, सन्तरे और सुपारिया उत्पन्न होती हैं।

### व्यवसाय

राज्य के व्यवसाय सलाहकार बोर्ड की सलाह के अनुसार राज्य में शहद, रेशम और फलों का रस, मुर्गी पालन, तेल, करघा, चटाई बनाना आदि व्यवसायों का विकास करने का निश्चय किया गया है। गत वर्ष राज्य में 240 करघे बाटे गये।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

कुर्ग में 12 अस्पताल और 6 औषधालय हैं, जिन में कार्य करने वालों की संख्या 190 है। गत वर्ष 3,53,029 बीमारों का इलाज किया गया।

### कुर्ग विधान-सभा

अध्यक्ष : बी० एस० कुशलाप्पा

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| सी० एम० पूनच्च (बेट्टीयन नाड)                        | बी० काला (सिद्धापुर, संरक्षित परिगणित जन जाति)       |
| के० मल्लप (शनीवारसंते)                               | वाई० बेल्ली (पूनेमपेट नाड, संरक्षित परिगणित जन जाति) |
| बी० एस० कुशलप्प (मरकारा कस्बा)                       | पी० आई० बेल्लीयप्प (अम्माती नाड)                     |
| के० एम० देवय्य (भागमण्डला)                           | एच० टी० मुत्तप्पा (सुम्बर पेट, दक्षिण)               |
| जी० एम० मंजूनाथय्य (सुनटिकोप्पा)                     | के० पी० करम्बय्या (श्री मंगला)                       |
| पी० के० चेन्नय्य (शनीवारसंते, संरक्षित परिगणित जाति) | जी० सुबाया (श्री मंगला नाड, संरक्षित परिगणित जनजाति) |
| पी० लक्का (सुटिकोप्प, संरक्षित परिगणित जाति)         | के० के० गणपति (हुदीकेरी)                             |
| सी० के० कलप्प (सोमवारपेट उत्तर)                      | एन० जी० अहमद (विराजपेट कस्बा)                        |
| जी० लिंगराज्या (फरेजपेट)                             | पी० सी० उताया (विराजपेट नाड)                         |
| सी० ए० मन्दा (मुरनाड)                                | ए० सी० तिम्मया (नापोक्लू)                            |
| पी० डी० सुब्बय्य (मरकरा नाड)                         | एच० नाजा (विराजपेट नाड, संरक्षित परिगणित जाति)       |
| पी० एम० नानयय्य (पोन्मपेट नाड)                       |                                                      |
| एस० डी० माचय्य (सिद्धापुर)                           |                                                      |

## दिल्ली

**चीफ कमिश्नर**

ए० डी० पण्डित

**मंत्री**

- |                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. मुख्य मंत्री तथा साधारण शासन प्रबन्ध, वित्त, नागरिक पूर्ति, शिक्षा, तथा स्थानीय स्वराज्य | ब्रह्मप्रकाश |
| 2. स्वास्थ्य, यातायात, सहायता तथा पुनर्वास                                                  | मुशीला नायर  |
| 3. विकास, कानून और न्याय                                                                    | गोपीनाथ अमन  |

वित्त (हजार रुपये में)

| बजट के आकड़े     | आय     | व्यय   | बचत (+)<br>घाटा (—) |
|------------------|--------|--------|---------------------|
| 1952-53 (सशोधित) | 36,253 | 36,253 | —                   |
| 1953-54 (बजट)    | 42,563 | 42,563 | —                   |

### **शिक्षा**

1953-54 के बजट में शिक्षा के लिये 1,29,77,000 रुपये रखे गये। स्कूलों की इमारतों की कमी के कारण दिल्ली के कई स्कूलों में दो बार क्लास लगाने का प्रबन्ध किया गया और इस तरह 40,000 अतिरिक्त विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। हरिजन विद्यार्थियों को दसवीं श्रेणी तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। राज्य में 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिये 10 नए नर्सरी स्कूल खोलने का निश्चय किया गया है। अनिवार्य शिक्षा के लिये एक मसविदा आजकल विचाराधीन है। देहाती हलकों में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिये लगभग 300 बेसिक स्कूल खोले गये हैं। अलीपुर में एक जनता कालेज की स्थापना की गई है जो शहर से 12 मील दूर है। कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने का भी प्रयत्न किया गया। इस कार्य के लिये संगीत के साज आदि पुरस्कार में बांटे गये।

### **साधारण तथा कृषि**

1953-54 में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिये 8,55,000 रुपये रखे गये हैं। गत वर्ष 600 नए कुएं खोदे गये थे तथा 16 ट्रयूबवैल और 400 रहट लगाए गए थे। इन कार्यों के द्वारा 11,000 एकड़ नई भूमि को सिचाई योग्य बना लिया गया। किसानों को 8 लाख रुपये तकावी के रूप में बांटे गये और 22,020 रुपये की लगान में छूट दी गई। इस के अतिरिक्त किसानों को 6 लाख मन खाद भी बांटा गया। इन साधनों से 22,500 मन अधिक अनाज उत्पन्न होने की आशा है। राज्य की ग्राम सम्बन्धी उन्नति के लिये अन्य भी कितने ही काम किये जा रहे हैं, उदाहरण के लिये 52 गावों में 40,998 एकड़ भूमि का संगृहीतिकरण किया गया। खेती-बाड़ी के औजारों को भी राज्य ही में बनाने का प्रबन्ध किया गया है। दिल्ली भर को दूध और अण्डे पहुंचाने के लिये योजना बनाई गई है। राज्य में पशुओं की उन्नति के लिये भी स्कीमें बनाई जा रही हैं। एक मछली विभाग भी बनाया गया है।

राज्य के विकास विभाग के प्रयत्न से दिल्ली के गांवों के निवासियों तथा राष्ट्रीय कैडेट कोरों ने स्वेच्छापूर्वक शारीरिक श्रम दान किया। इस श्रमदान द्वारा देहाती हलकों में 38 मील नालियों की सफाई की गई और उन का पुनरुद्धार किया गया। जमींदारी सम्बन्धी कानून में आवश्यक परिवर्तन किया जा रहा है और उन में वे सिद्धान्त बरते जा रहे हैं, जो अन्य राज्यों के जमींदारी-निरोध कानून में बरते गये हैं।

### व्यवसाय

छोटे पैमाने के व्यवसायों की उन्नति के लिये व्यावसायिक सलाह बोर्ड ने अनेक स्कीमें बनाई हैं। इस उद्देश्य से राज्य की भूमि, जल और शक्ति के साधनों की जांच-पड़ताल की गई है। सामूहिक विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी आदि कुछ व्यवसायों का विशेष विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

1952-53 में इरविन अस्पताल में 48 बिस्तरे बढ़ाए गए। इसी तरह तपेदिक के अस्पताल में 18 और संक्रामक बीमारियों के अस्पताल में 24 बिस्तारों की सख्या बढ़ाई गई। लाजपत नगर, मालवीय नगर, तिलक नगर और कालकाजी में 16-16 नए बिस्तारों के 4 अस्पताल खोले गये। झीलकुरंजा में एक औषधालय खोला गया और सन्जीमंडी तथा करोलबाग क्षेत्र में 6 स्वास्थ्य केन्द्र। राज्य भर में हैजा, चेचक आदि के निरोध के लिये सफलतापूर्वक टीके लगाये गये। बी० सी० जी० आन्दोलन को खूब सफलतापूर्वक चलाया गया। राज्य की सरकार को मलेरिया के नियंत्रण करने के कार्य में असाधारण सफलता प्राप्त हुई, यह इस बात से स्पष्ट होगा कि 1933 में दिल्ली में प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे 180 व्यक्ति मलेरिया से बीमार हुआ करते थे, 1952 में यह सख्या घट कर 2.1 रह गई। गांवों में भी इस सम्बन्ध में असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3,700 पौंड डी० डी० टी० छिड़का गया। हैजा आदि पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सका। राज्य की विधान सभा आजकल एक नर्सिंग होम बिल पर विचार कर रही है।

### दिल्ली विधान सभा

#### अध्यक्ष गुरुमुख निहालसिंह

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| हरीचन्द (अजमेरी गेट)               | श्यामचरण (डिप्टीगंज)                     |
| मंगलदास (आर्यपुरा)                 | हाथीसिंह (इशापुर)                        |
| मुलतान यार खां (बल्लीमारां)        | गिरधारीलाल सलवान (झण्डेवाला)             |
| युद्धवीरसिंह (चांदनी चौक)          | भूपसिंह (कंझावाला)                       |
| नुरुद्दीन एहमद (चावड़ी बाजार)      | भगवानदास (कश्मीरी गेट)                   |
| करतारसिंह (चित्रगुप्त)             | जंगबहादुर सिंह (किम्सवे कैम्प)           |
| हुकुमसिंह (चन्द्रावल)              | जगप्रवेश चन्द्र (किशनगंज, आनन्द पर्वत)   |
| श्रीमती कृष्णा सेठी (सिविल लाइन्स) | श्रीमती शान्ता वशिष्ठ (कोटला, फीरोज़शाह) |
| गुरुमुख निहालसिंह (दरियागंज)       | मुस्ताक एहमद (कूचा चेलां)                |
| राघवेन्द्रसिंह (दिल्ली छावनी)      | शिवनन्दन ऋषी (लोदी रोड)                  |

आनन्द राज (मालीवाड़ा)  
बी० डी० जोशी (मानकपुरा)  
मुस्ताक राय खन्ना (मन्डोला)  
सुख देव (मेहरोली)  
मित्तरसैन (मेहरोली, संरक्षित परिगणित जाति)  
दिलावर सिंह (नाईवालां)  
ब्रह्मप्रकाश (नांगलोई)  
मांगेराम (नरेला)  
प्रभुदयाल (नरेला, संरक्षित परिगणित जाति)  
अजीतसिंह (नजफगढ़)  
चिन्तामणि (शाहदरा)  
शिवनाथ (पहाड़ी धीरज—बस्ती जुलाहा,  
संरक्षित परिगणित जाति)  
खुशालेश्वरप्रसाद शंकरा (पालियामेंट स्ट्रीट)  
हरकिशनलाल भगत (फाटक हबश खान)  
श्रीमती पुष्पादेवी (पुराना किला-विनय नगर)  
शंकरलाल (राम नगर)

प्रफुल्ल रंजन चक्रवर्ती (रीडिंग रोड)  
अमीचन्द (रीडिंग रोड, संरक्षित परिगणित जाति)  
श्रीमती सुशीला नैयर (रैगरपुरा-देवनगर)  
दयाराम (रैगरपुरा-देवनगर, संरक्षित परिगणित जाति)  
कंवरलाल गुप्त (रोशनारा)  
दलजीतसिंह (सफदर जंग)  
हेमचन्द जैन (पहाड़ी धीरज—बस्ती जुलाहा)  
शिवचरण दास (सीताराम बाजार-तुर्कमान गेट)  
सुदर्शनसिंह (सीताराम बाजार-तुर्कमान गेट, संरक्षित परिगणित जाति)  
रामसिंह (तिब्बिया कालेज)  
गोपीनाथ अमन (टोकरीवाला)  
फतेहसिंह (बजीराबाद)

### हिमाचल प्रदेश

का० में०  
संघी

एम० एस० हिम्मतसिंहजी

1. मुख्य मन्त्री, साधारण व्यवस्था, वित्त और लगान . यशवन्तसिंह परमार
2. शिक्षा, पुलिस, जेल, विकास, व्यवसाय और नागरिक प्रति . पद्म देव
3. सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य, यातायात तथा स्थानीय स्वराज्य . गौरीप्रसाद

15 अप्रैल 1948 को पंजाब की 30 छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतों को मिला कर हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई। 26 जनवरी 1950 को कोटगढ और कोटखाई का छोटा-सा भाग उस राज्य में मिला दिया गया।

वित्त

(हजार रुपये में)

| बजट के आकड़े      | आय     | व्यय   | बचत या (+)<br>घाटा (-) |
|-------------------|--------|--------|------------------------|
| 1952-53 (संशोधित) | 23,969 | 23,694 | + 275                  |
| 1953-54 (बजट)     | 26,683 | 26,596 | + 87                   |

शिक्षा

1952-53 में हिमाचल प्रदेश में दो माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल बना दिया गया और 11 प्रारम्भिक तथा 21 छोटे स्तर के माध्यमिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूल बना दिया गया। इन के अतिरिक्त 36 नए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये थे। पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत प्रथम वर्षों

में 145 नए माध्यमिक स्कूल खोले गये थे। वयस्क लोगों में शिक्षा के प्रचार के लिये सामाजिक शिक्षा की एक योजना तैयार की गई है, जिस के द्वारा राज्य के अध्यापक और विद्यार्थी साक्षरता प्रसार का कार्य करेंगे।

### साद्यान्न तथा कृषि

‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अच्छे बीजों के 4 फार्म खोले हैं। राज्य में अच्छे फलों के वृक्ष बोने के लिये आवश्यक सलाह दी जाती है। गत वर्ष 19,100 फलों के वृक्ष लगाये गये और 1,438 वृक्षों में कलम लगाई गई। आलुओं की किस्म अच्छी बनाने के लिये आवश्यक परीक्षा की गई। राज्य की सरकार ने काश्मीर सरकार को 5,000 मन गेहूँ दिया और केन्द्रीय सरकार को 10,000 मन मक्का। किसानों की भलाई की दृष्टि से राज्य की सरकार ने 1952 में दो आवश्यक कानून पास किये। लगान के सम्बन्ध में छानबीन करने के लिये एक कमेटी भी नियुक्त की गई। मछली व्यवसाय के विकास, नियन्त्रण और संचालन के लिये आवश्यक नियम बनाये गये हैं।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

महासू जिले के स्नोडन अस्पताल को राज्य की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और उस का नाम हिमाचल प्रदेश अस्पताल रख दिया गया है। 34,000 रुपये की लागत से वहाँ एक नया एक्सरे प्लाट लगाया गया है। इसी के साथ एक परिवार नियन्त्रण केन्द्र तथा एक दांतों का क्लिनिक भी खोले गये हैं। मंडी में 35,000 रुपये के व्यय से एक नया मेटर्नटी वार्ड खोला गया है। चम्बा में भी एक जच्चागृह खोला गया है। इन के अतिरिक्त 12 नए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का भी प्रस्ताव है।

राज्य में लैंगिक बीमारियों की रोकथाम के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। महासू जिले में एक तपेदिक अस्पताल खोला जा रहा है और सामूहिक विकास योजना क्षेत्र में मलेरिया नियन्त्रण का उपाय किया गया है।

### हिमाचल प्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष: जयवन्त राम

सरजूसिंह (भामला)  
जयवन्तराम (भटियान)  
गुरदित्तामल (भरमौर)  
कृष्णचन्द्र (चच्नोट)  
पीरू (चच्नोट, संरक्षित)  
अवतारचन्द्र मेहता (चौराह)  
विद्याधर (चौराह, संरक्षित)  
चत्तरसिंह (चम्बा)  
गोपालचन्द्र (चीनी)  
बालानन्द (जुब्बल)  
बेसरराम (योगेन्द्र नगर)

जीवनूराम (पछाद, संरक्षित)  
शिवानन्द (पाञ्चोन्टा)  
दौलतराम (पांगी)  
पद्मदेव (रोडू)  
घनश्याम (राजगढ)  
हरदयालसिंह (रामपुर)  
भगतराम (रामपुर, संरक्षित)  
गौरीप्रसाद (रवाल्सर)  
सूरतसिंह (रेणुका)  
प्रतापसिंह (रेणुका, संरक्षित)  
हीरासिंह पाल (सोलन)

हितेन्द्र सेन (कसुम्पटि)  
रामदयाल (कुमारसैन)  
रत्नसिंह (करसोग)  
करमसिंह (महादेव)  
कृष्णानन्द स्वामी (मण्डी सदर)  
तपेन्द्रसिंह (ताहन)  
यशवन्तसिंह परमार (पछाद)

रामदास (सोलन, संरक्षित)  
सीताराम (मुनी)  
बलदेवचन्द (मुन्दरनगर)  
कश्मीरसिंह (सन्धौल)  
हरिसिंह (सन्धौल, संरक्षित)  
देवीराम (ठयोग)  
जीवनू (ठयोग, संरक्षित)

### कच्छ

#### चीफ कमिशनर

एस० ए० घाटगे

I जून 1948 को कच्छ भारत यूनियन में सम्मिलित हुआ ।

वित्त

1953-54 का बजट इस प्रकार है —

|      |   |   |   |   |   |               |
|------|---|---|---|---|---|---------------|
| आय   | . | . | . | . | . | 37,48,000 रु० |
| व्यय | . | . | . | . | . | 1,57,59,000 „ |
| घाटा | . | . | . | . | . | 1,20,11,000 „ |

#### शिक्षा

कच्छ में कुल 8 हाई स्कूल हैं, जिन में विद्यार्थियों की संख्या 2,600 है। इस के अतिरिक्त वहां 13 माध्यमिक स्कूल 355 लड़कों के प्रारम्भिक स्कूल, और 135 लड़कियों के प्रारम्भिक स्कूल हैं। वहां एक आर्ट्स स्कूल, एक अध विद्यालय, एक कृषि स्कूल, और लगभग 40 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं। राज्य में विद्यार्थियों की कुल संख्या 53,000 है। 1953 में एक इंटर कालेज खोला गया ।

#### साधना तथा कृषि

कच्छ में मुख्यतः वाजरा, गेहूं, जौ और रुई पैदा होती है। सिंचाई के साधनों का अच्छा विकास किया गया है और इस कार्य के लिये वहां 46 तालाब हैं, जिन से 75,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार 11 नए बांध बनाने का निश्चय किया गया है, जिन में से 6 का निर्माण हो गया है और बाकी का निर्माण जारी है। इन बांधों के द्वारा 67,000 एकड़ नई भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

#### व्यवसाय

राज्य में बहुत ऊंचे दर्जे की मिट्टी, पत्थर का चूना, लिगनाइट, सगमरमर तथा फिटकरी आदि पाई जाती हैं। साथ ही कच्छ अपने सुन्दर कसीदे तथा चादी पर पच्चीकारी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है ।

#### सार्वजनिक स्वास्थ्य

राज्य की सरकार की ओर से 6 अस्पताल, 15 औषधालय और 2 जच्चागृह चलाए जा रहे हैं। इन के अतिरिक्त राज्य में 7 व्यक्तिगत अस्पताल तथा 31 अन्य औषधालय भी हैं। पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार भुज में एक अस्पताल, मांडवी में आंखों का एक अस्पताल, भुज 13 M of I & B.

में एक मानसिक रोगी का अस्पताल तथा तपेदिक क्लिनिक और 5 चल-औषधालय जारी किये जायेंगे। मलेरिया की रोकथाम, विटामिन की गोलियों का वितरण तथा बच्चों के लिये दूध और फलों के केन्द्र खोलने के निमित्त 10,00,000 रुपये रखे गये हैं।

### कच्छ निर्वाचन मण्डल

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| नानालाल रामचन्द (आडेसर)              | मावजी रामजी जोशी (लायजा मोटा)     |
| माणिकलाल नेणसी (आदोई)                | मोतीलाल लक्ष्मण जैन (लाकडिया)     |
| पुरुषोत्तम सामजी (अन्जार)            | खराशंकर जटाशंकर जोशी (लखपत)       |
| हेतुभा रम्बाजी (मचाऊ)                | प्रेमजी भवानजी ठकर (माघापर)       |
| खिमजी जेवत (भद्रेश्वर)               | हरीराम नथुभाई कोठारी (माडवी)      |
| जमियतराय गुलाबशकर (भुज)              | मनहरलाल मावजी कायस्थ (मानकुवा)    |
| मगनलाल वेलजी (भुजपर)                 | शिवलाल अमरजी गरनारा (मस्का)       |
| शिवजी हरसी (विडडा)                   | कुमारजी जेडीसिंहजी (मादाला)       |
| सरूपचन्द न्यालचन्द (फतेहगढ)          | वाघजी भाई कैशवजी राजपूत (मुन्दरा) |
| गोविन्दजी मावजी (गठसीसा)             | नथु नानजी (नखत्राणा)              |
| दुगरसी पुरुषोत्तम लोहाणा (गान्धीधाम) | विशनजी कान्जी लोहाना (नलिधा)      |
| हिरजी भाई रणछोडदास कोटक (केरा)       | जुगताराम दलपतराम ब्राह्मण (नेतरा) |
| वकील मूलशकर कुवरजी (खावडा)           | जादवजी मानसग लोहाना (रापर)        |
| वानेचन्द घरमसी (किडीयानगर)           | शिवुभा मोरजी जाडेजा (रतनाल)       |
| करसन दास हीरजी (कोडारा)              | मन्सुख खिमकरण बारोट (रोहा, सुमरी) |

### मणिपुर

#### चौफ कमिश्नर

आर० पी० भार्गव

15 अक्तूबर 1949 को भारत सरकार ने मणिपुर का शासन अपने हाथ में लिया था। उस से पहले यह आसाम के अन्तर्गत एक छोटी गी रियासत थी।

#### वित्त

1953-54 का बजट इस प्रकार है —

रुपये

|      |   |   |   |   |   |             |
|------|---|---|---|---|---|-------------|
| आय   | . | . | . | . | . | 34,66,000   |
| व्यय | . | . | . | . | . | 1,08,44,000 |
| घाटा | . | . | . | . | . | 73,78,000   |

#### शिक्षा

मणिपुर में एक सरकारी कालिज है, 22 हाई स्कूल, 65 माध्यमिक स्कूल तथा 687 प्रारम्भिक स्कूल हैं। इन सब में कुल मिला कर 46,096 विद्यार्थी हैं।

#### साखान्न तथा कृषि

‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन के अन्तर्गत किसानों को अच्छे किस्म के बीज बांटे जा रहे हैं तथा राज्य की सम्पूर्ण भूमि पर खेती बाड़ी करने का प्रयत्न किया जा रहा है। समुसग

सुरक्षित क्षेत्र, जिस में 2,500 एकड़ भूमि है, का परिमाण पूरा कर लिया गया है। अन्य दो बड़े क्षेत्रों का परिमाण जारी है। लूशीपत और खारंगपत में से नहरे काट कर उन का पानी निकालने का प्रस्ताव है।

### व्यवसाय

राज्य के प्रमुख गृहव्यवसाय निम्नलिखित हैं—करघा, साबुन बनाना, तरखानी, रेशम, चमड़ा तथा रस निकालना। वस्त्र व्यवसाय की उन्नति के लिये गावों में अच्छे ढंग के करघे आदि उधार दिये जा रहे हैं। राज्य में विदेशी रेशम के कीड़ों के पालन का प्रबन्ध भी किया जा रहा है। मणिपुर का बना कपड़ा अपने सौन्दर्य के लिये देश भर में प्रसिद्ध है।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

मणिपुर में कुल 15 अस्पताल हैं, जिन में से एक तपेदिक का अस्पताल है और एक कोढ़ का। इन के अतिरिक्त जो 12 अस्पताल हैं, उन में से 3 चल हैं।

### मनीपुर निर्वाचन मण्डल

|                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| अथुइबाऊ (आइमोल)                                          | लाइश्रम गिरिमोहन सिंह (नम्बोल—कैनी)                   |
| माइरेन्वम् कोइरगसिंह (विशेषुर—मोइराग)                    | जरेम (फमात)                                           |
| सीरोवाइब चौरजीतसिंह (चरागपात—खोमजोर)                     | सलाम तोम्बी सिंह (सगोलबन्द)                           |
| सुमखोहेन (चुराचान्दपुर)                                  | आर० के० अडांसना सिंह (सगोलमाग)                        |
| एलागबम् नदी सिंह (हिगागलम—सुगनु)                         | सोराम छत्रधारी सिंह (सलाम—खुम्बोग—कौन्योजम)           |
| तखेल्लम्बम् इबोतोम्बी सिंह (इरिगबुग—याइरिपोक—तोप—चिंगथा) | रुवाइराक्पम् चाउवासिंह (सेकमाइ—लमशाग)                 |
| सिनाम विजय सिंह (जी 1)                                   | कैवेन (तेमगलोग)                                       |
| पुछम्बम् तोमचौ सिंह (कक्चिंग—वागजिंग)                    | आलम अनल (तेगनौपल)                                     |
| युमनाम मेघसिंह (कंशामथोग)                                | खुमा (थानलौन)                                         |
| श्रीमती विनोदिनी देवी (खुराई)                            | एल० चाओयाइमा सिंह (थोवाल—चन्द्रखोंग)                  |
| निगथोजम थंगलेन सिंह (कुम्बीथाग)                          | सुइसा (उखुल)                                          |
| तोम्बा मिया (लमलाई—कैराओ)                                | हिदगमयुम् द्विजमणि शर्मा (उरिपोक—ललाम्बुग—थांगमैबन्द) |
| अलीमुद्दीन (लिलोंग)                                      | लाइश्रम अचौसिंह (वाखें—कौगबा)                         |
| दासो थोइसो (माओ—पूर्व)                                   | निगथोजम् तोमचौसिंह (वांगोइ—मयाग—इम्फाल)               |
| हेपुनी कैखो (माओ—पश्चिम)                                 |                                                       |

### त्रिपुरा

#### चीफ कमिशनर

बी० आई० ननजप्पा

15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत आया।

#### शिक्षा

1952-53 के बजट में 4,36,800 रुपये कालेज शिक्षा के लिये तथा 4,86,000 रुपये प्रारम्भिक तथा प्रौढ शिक्षा के लिये रखे गये। 70 व्यक्तिगत सस्थाओं को 35,160 रुपये सहायता



के रूप में दिये गये। किसानों तथा आदिवासियों में शिक्षा प्रसार करने के लिये एक-एक अध्यापक वाले 80 निम्न प्रारम्भिक स्कूल खोले गये और दो-दो अध्यापकों वाले 10 उच्च प्रारम्भिक स्कूल। इन पर 50,000 रुपये व्यय किये गये।

### खाद्यान्न तथा कृषि

गत वर्ष 300 टन खाद तैयार किया गया और 200 टन बाटा गया। सरकारी कृषि फार्म की ओर से चावल, गन्ना, मक्का आदि के श्रेष्ठ कोटि के बीज बाटे गये। अगरतल्ला का 2½ वर्ग मील का क्षेत्र, राज्य में 'केन्द्र ग्राम' बनाने के उद्देश्य से चुना गया। मछली व्यवसाय के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया।

### व्यवसाय

आयोजना कमीशन की ओर से त्रिपुरा में छोटे व्यवसायों के विकास के लिये 2 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य

अगरतल्ला के बी० एम० अस्पताल में एक मेटरनिटी वार्ड खोला गया है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 7 औषधालय जारी किये गये हैं। राज्य के अस्पताल में शिक्षित नर्सों और दाइया रखी गई हैं और जच्चा तथा शिशु कल्याण केन्द्र भी खोले गये हैं। गत वर्ष बी० सी० जी० के टीक लगाये गये तथा मलेरिया के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की गई।

### त्रिपुरा निर्वाचन मण्डल

हेमन्तदेव (अगरतला सदर I)

अतिकुल इसलाम (अगरतला सदर 2)

सुदानचन्द्र देव बर्मा (अगरतला सदर 3)

नन्दलाल चक्रवर्ती (अगरतला कस्बा I)

उमेशलाल सिंह (अगरतला कस्बा 2)

जोएनल आबेदिन (बेलोनिया)

गारूमिया (वीरगंज)

आफताबदीन (विशालगढ़)

अधोरचन्द्र देव बर्मा (चारीलाम)

करुणचन्द्र नाथ (धर्म नगर—उत्तर)

अब्दुल वाजीद (धर्मनगर—दक्षिण)

यारी मोहन जग (धुम्बुर नगर)

गोकुलचन्द्र सिंह (फटिकराय)

अब्दुल लतीफ (कैलाशहर)

रामचरण (कल्याणपुर—दक्षिण)

गणसिंह (कमलपुर)

माधवचन्द्र मास्टर (कांचनपुर)

सतीश चक्रवर्ती (खोवाई आशारामवाडी)

श्रीमती कीर्णमाला देवी (खोआई कल्याण-पुर)

कृष्णमणि त्रिपुरा (कुलाइनोर)

बसरतल्ला (कुर्ती)

प्रमोदरजन दासगुप्त (मोहनपुर)

क्षेत्रमोहन मजूमदार (मुद्दुरीपुर)

सिराजुल इस्माइल (पुराना अगरतला)

इरशाद अली (राधाकिशोरपुर)

बंशीदेव बर्मा (सन्नूम)

मणीन्द्रकिशोर चौधरी (सालगढ)

काला मिया (सोनामुरा—उत्तर)

कृष्णचन्द्र देव बर्मन (सोनारपुरा—दक्षिण)

बीरचन्द्र देव बर्मा (ताकरजल)

### विन्ध्यप्रदेश

लेफ्टिनेंट गवर्नर

मंत्री

के० सन्तानम

1. मुख्यमंत्री तथा साधारण शासन वित्त और लगान

2. शिक्षा तथा सामाजिक सेवाएं

शम्भुनाथ शुक्ल

महेन्द्रकुमार मानव

3. गृह तथा स्थानीय स्वराज्य . . . . . लालाराम बाजपेयी
4. योजना तथा न्याय . . . . . गोपाल शरण सिंह
5. व्यवसाय तथा नागरिक पूर्ति . . . . . दान बहादुर सिंह

पुरानी छोटी छोटी 36 रियासतों को मिला कर 1 जनवरी 1950 को विन्ध्यप्रदेश राज्य बनाया गया ।

#### वित्त

(हजार रुपयों में)

| बजट के आकड़े     | आय      | व्यय    | बचत (+)<br>या घाटा (—) |
|------------------|---------|---------|------------------------|
| 1952-53 (सशोधित) | 3,18,30 | 3,07,93 | + 10,37                |
| 1953-54 (बजट)    | 4,39,60 | 4,39,40 | + 20                   |

#### शिक्षा

1952-53 में विन्ध्यप्रदेश में 150 नए प्रारम्भिक स्कूल खोले गये और इस तरह उन की संख्या 1,858 हो गई । इन स्कूलों में कुल 67,059 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । गत वर्ष 15 प्रारम्भिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूल बना दिया गया और 7 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल । अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य की सरकार ने एक कानून पास किया है । व्यावसायिक टैक्निकल तथा घघों की शिक्षा देने के लिए नौगाव में एक पौलिटैक्नीक संस्था खोली गई है और रीवा में एक नई कृषि संस्था । इस के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में 8 बेसिक स्कूल खोले गये हैं । टीकमगढ़ जिले के कुण्डेश्वर नामक स्थान पर एक बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है ।

#### खाद्यान्न तथा कृषि

‘अधिक अन्न उपजाओ’ योजना के अन्तर्गत राज्य में 214 टन वैज्ञानिक खाद, 2,526 टन साधारण खाद, 1,000 मन गेहूँ, 1,680 मन आलू, 85 मन चावल और 380 मन अन्य प्रकार के बीज किसानों को बांटे गये । सिंचाई की योजनाओं के अन्तर्गत 60 कुए खोदे गये और एक तालाब बनाया गया । इन से 1,180 एकड़ भूमि की सिंचाई की गई । 10 लाख रुपये तकावी के रूप में बांटे गये और चावल की कृषि में जापानी ढग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया गया ।

#### व्यवसाय

1953 में रीवा में एक राजकीय एम्पोरियम की स्थापना की गई तथा ‘क्लिनकल इन्स्टी-च्यूट के तरखानी विभाग का विकास किया गया । पंचवर्षीय आयोजना के अनुसार विन्ध्यप्रदेश में छोटे व्यवसायों के विकास पर 6 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे ।

गत वर्ष टीकमगढ़ में ताड़ गुड व्यवसाय जारी करने की योजना तथा सतना में हड्डियों से खाद बनाने की एक फैक्टरी बनाने की योजना स्वीकार हुई ।

#### सार्वजनिक स्वास्थ्य

गत वर्ष 4 नए जच्चा और शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया, जिन में से रीवा और नौगाव में दो केन्द्र जारी भी कर दिये गये । लैंगिक बीमारियों तथा को 5 की रोकथाम

के लिये राज्य में 4 क्लिनिक खोले जा रहे हैं। छतरपुर जिले में बी० सी० जी० आन्दोलन बहुत सफलतापूर्वक चलाया गया।

### विन्ध्यप्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष : शिवानन्द (सतना, जिला सतना)

शत्रुसूदन सिंह (धरापुर)  
 ब्रजराज सिंह तिवारी (गुढ़)  
 श्रीनिवास तिवारी (मनगा)  
 मुनीप्रसाद शुक्ल (रेवा)  
 सरदार नर्मदाप्रसाद सिंह (सिरमौर)  
 बकुठप्रसाद पाण्डेय (सेमरिया)  
 राणा शमशेरसिंह (गढ़ी)  
 राजेश्वरप्रसाद मिश्र (तियन्थर)  
 कुंवर सोमेश्वरसिंह (मऊनगज, नई गढ़ी)  
 सहदेवया (परिगणितजाति मऊनगज नई गढ़ी)  
 भुवनेश्वर प्रसाद उर्फ ईश्वराचार्य (हनुमान)  
 कौशलेन्द्र प्रताप बहादुर सिंह (कोठी)  
 रामाधर पाण्डेय (अमदरा)  
 चन्दा दीन (परिगणित जाति नागौद)  
 गोपालशरण सिंह (नगोद)  
 कर्नल बलबन्धुसिंह (रामनगर)  
 केशवप्रसाद (मुकन्दपुर)  
 लालबिहारीसिंह (अमरपटान)  
 गोविन्दनारायण सिंह (रामपुर बधेतान)  
 रामसजीवन (सभापुर)  
 भाईलाल (कनपुरी)  
 जगतबहादुर सिंह (चुरहट)  
 चन्द्रप्रताप तिवारी (सीधी, मडवास)  
 दाढी (परिगणित जनजाति, मडवास)  
 श्यामकात्तिक (सिगरीली निवास)  
 श्रीमती सुमित्री (परिगणित जनजाति, सिगरीली निवास)  
 जगदीशप्रसाद खरे (देवसर)  
 शम्भुनाथ शुक्ल (अमरपुर)  
 दानबहादुर सिंह (पुष्कराजगढ़)

रामप्रसाद सिंह (परिगणित जन जाति पुष्कराज गढ़)  
 बाबूलाल उदानिया (जैतपुर कोतमा)  
 रतन सिंह (परिगणित जन जाति, जैतपुर कोतमा)  
 लाल राजेन्द्रबहादुर सिंह (मोहागपुर)  
 सरस्वतीप्रसाद पटेल (बुढार)  
 लाल आदित्यनाथ सिंह (उमरिया)  
 बाबादीन (परिगणित जाति, ब्यौहारी)  
 रामकिशोर शुक्ल (ब्यौहारी)  
 नरेन्द्रसिंह (पवई)  
 भरा (परिगणित जनजाति पवई)  
 लाल मुहम्मद (अजयगढ़)  
 सरजूप्रसाद चदपुरिया (पन्ना)  
 रघुनाथसिंह (बन्दला)  
 महेन्द्र कुमार मानव (लौडी)  
 गोकुलप्रसाद (राजनगर)  
 दशरथजैन (छतरपुर)  
 बिरवा (परिगणित जाति, छतरपुर)  
 दीवान प्रतापसिंह (बिजावर)  
 प्यारेलाल (परिगणित जाति, बिजावर)  
 रिक्त (मलहरा)  
 रिक्त (मेवडा)  
 रिक्त (परिगणित जाति, सेवडा)  
 कृष्णकान्त राय (टीकमगढ़)  
 रिल्ली चमार (प० जा०, टीकमगढ़)  
 ठाकुरदास मिश्र (चन्दपुर)  
 सेठ नारायणदास (जतरा)  
 लालाराम वाजपेयी (निवारी)  
 रघुराज सिंह (लिधौरा)  
 श्यामलाल साहू (पृथ्वीपुर)

## भाग ‘घ’ के प्रदेश

### अन्दमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह

**चीफ कमिशनर**

एम० एन० मैत्रा

**खाद्यान्न तथा कृषि**

1952-53 में कुल 5,599 एकड़ भूमि पर चावल बोया गया। सरकारी परीक्षण फार्म में चावल की 16 किस्में पैदा की गईं। परीक्षण के तौर पर गन्ना, अरहर, रुई, रागी, और चना आदि भी बोये गये। मार्च 1953 में एक कृषि तथा व्यावसायिक प्रदर्शनी समारोह की गई, जिस में किसानों को पुरस्कार बांटे गये। अन्दमान में एक सहायक मछली अनुसन्धान अफसर, मछली व्यवसाय के विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य कर रहा है।

**व्यवसाय**

अन्दमान में दो बड़े कारखाने हैं। एक चैथम आरा मिल तथा दूसरा दियासलाई फैक्टरी। करघों से बने माल की उन्नति के लिए एक करघा मोसाइटी कार्य कर रही है। कारनिकोबार द्वीप में महयोगी ढग पर खोपरा तेल व्यवसाय को विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**सार्वजनिक स्वास्थ्य**

कारनिकोबार के नए अस्पताल का निर्माण कार्य समाप्तप्राय है। माया बन्दर में 20 बिस्तरो का एक नया अस्पताल खोला गया है। नीकोबार द्वीपों में लैंगिक बीमारियों की रोकथाम के लिये चिकित्सकों का एक दल भेजने का प्रस्ताव है तथा रागट में एक अस्पताल खोला जा रहा है। इन द्वीपों की सब से भयंकर बीमारी मलेरिया है, अतः उस की रोकथाम के लिये भर्त्सक प्रयत्न किया जा रहा है। गत वर्ष स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षा की गई और जिन्हें आवश्यकता थी, उन का इलाज किया गया।

### मिक्किम

5 दिसम्बर 1950 की गंधि के अनुसार मिक्किम भारत सरकार का सुरक्षित राज्य है। राज्य की रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा यातायात और सवादवहन के सम्बन्ध में भारत का विशेष उत्तरदायित्व है।

## अठाईसवां अध्याय

### खेल

#### हाकी

1928 से भारत का स्थान हाकी की दृष्टि से संसार में सर्वश्रेष्ठ है। तब से अब तक जितने ओलम्पिक खेल हुए हैं, उन सब में भारत हाकी में प्रथम आता रहा है। 1952 में हैलसिंकी में भी भारत हाकी में सर्वप्रथम आया और उसने अन्तिम सान्मुख्य में हालैंड को 6 के मुकाबले में 1 गोल से हराया था।

#### राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता (जून 1953)

सर्विसेज टीम ने पंजाब को एक गोल से हराया।

पुराने विजयी : बंगाल (1952) पंजाब (1951)।

#### आगाखान टूर्नामेंट (अप्रैल 1953)

लूसिटैनियन्ज ने टाटा स्पोर्ट्स क्लब को एक गोल से हराया।

पुराने विजयी : टाटा स्पोर्ट्स क्लब (1950 से 1952)।

#### ब्रेटन कप टूर्नामेंट (मई 1953)

टाटा स्पोर्ट्स क्लब ने नागपुर यूनाइटेड को कलकत्ता में 2 गोलों के मुकाबले में 1 से हराया।

पुराने विजयी

मोहन बागान (1952)

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट (1951)

#### फुटबाल

#### सन्तोष मेमोरियल ट्राफी (1953)

बंगाल ने मैसूर को 3 गोलों से हराया। बंगाल ने सातवीं बार यह ट्राफी जीती।

पुराने विजयी : मैसूर (1952)

बंगाल (1951)

#### आई० ए० एफ० शील्ड (1953)

बम्बई की इंडिया कल्चर लीग तथा ईस्ट बंगाल में दो दिन मैच हुआ, फिर भी कोई निश्चय नहीं हो पाया। तब इंडिया कल्चर लीग की शिकायत पर ईस्ट बंगाल को खेल से हटा दिया गया, क्योंकि उन के 10 खिलाड़ी अनियमित रूप से खेल में शामिल थे। इसलिए यह शील्ड इंडिया लीग को दी गई।

पुराने विजयी :

मोहन बागान और राजस्थान (1952)

पूर्वी बंगाल (1951)

**रोवर्स कप (अक्तूबर 1953)**

बगलौर मुस्लिम को 2 गोलों से हरा कर हैदराबाद पुलिस ने चौथी बार यह कप जीता ।  
यह सान्मुख्य 61 वर्षों से जारी है ।

**डूराण्ड कप (अक्तूबर-नवम्बर 1953)**

नेशनल डिफेन्स अकादमी को मोहनबागान ने 4 गोलों से हरा कर यह कप जीता ।

पुराने विजयी : पूर्वी (बगाल 1951 और 52)

**क्रिकेट****रंजी ट्रॉफी (मार्च 1953)**

होल्कर ने पश्चिमी बगाल को पहली पारी में अधिक रन बनाने के कारण हरा दिया । स्कोर यह रहे —

होल्कर पहली पारी 496 (बी० बी० निम्बालकर 219)

दूसरी „ 9 विकेटों पर 177 रन

पश्चिमी बगाल पहली पारी 479

दूसरी „ 5 विकेटों पर 320 रन (पारी समाप्ति घोषणा)

पिछले विजेता .

| वर्ष            | विजेता                  | पराजित        |
|-----------------|-------------------------|---------------|
| 1934-35 . . . . | बम्बई                   | उत्तरी भारत   |
| 1935-36 . . . . | बम्बई                   | मद्रास        |
| 1936-37 . . . . | नवानगर                  | बगाल          |
| 1937-38 . . . . | हैदराबाद                | नवानगर        |
| 1938-39 . . . . | बगाल                    | दक्षिणी पंजाब |
| 1939-40 . . . . | महाराष्ट्र              | उत्तर प्रदेश  |
| 1940-41 . . . . | महाराष्ट्र <sup>1</sup> | मद्रास        |
| 1941-42 . . . . | बम्बई                   | मैसूर         |
| 1942-43 . . . . | बडोदा                   | हैदराबाद      |
| 1943-44 . . . . | पश्चिमी भारत            | बगाल          |
| 1944-45 . . . . | बम्बई                   | होल्कर        |
| 1945-46 . . . . | होल्कर                  | बडोदा         |
| 1946-47 . . . . | बडोदा                   | होल्कर        |
| 1947-48 . . . . | होल्कर                  | बम्बई         |
| 1948-49 . . . . | बम्बई                   | बडोदा         |

|                   |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| 1949-50 . . . . . | बडोदा  | होल्कर |
| 1950-51 . . . . . | होल्कर | गुजरात |
| 1951-52 . . . . . | बम्बई  | होल्कर |

### वेस्ट इंडीज में भारतीय क्रिकेट टीम (1953)

#### पोर्ट आफ स्पेन में पहला टेस्ट

मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ :

|             |             |                                             |
|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| भारत        | पहली पारी . | 417 (उमरीगर, 130)                           |
|             | दूसरी „     | 294 (उमरीगर 69 • फाडकर 65)                  |
| वेस्ट इंडीज | पहली पारी   | 438 (वीक्स 207; गुप्ते 162 रनों पर 7 विकेट) |
|             | दूसरी „     | 142 कोई आउट नहीं ।                          |

#### ब्रिजटाउन में दूसरा टेस्ट

वेस्ट इंडीज ने 142 रनों में मैच जीत लिया .

|             |             |                                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| वेस्ट इंडीज | पहली पारी . | 296 (बालकौट, 98)                 |
|             | दूसरी „     | 228                              |
| भारत        | पहली पारी . | 253 (आष्टे 64, हजारे 63)         |
|             | दूसरी „     | 129 (रामाधीन 26 रनों पर 5 विकेट) |

#### ट्रिनिडाड में तीसरा टेस्ट

मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ .

|             |             |                                                                                     |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| भारत        | पहली पारी . | 279 (रामचन्द्र 62, उमरीगर 61, किंग 74 रनों पर 5 विकेट)                              |
|             | दूसरी „     | 7 विकेटों पर 362 रन (पारी समाप्त घोषित)<br>(आष्टे 163 रन, आउट नहीं हुए; रनकद 96 रन) |
| वेस्ट इंडीज | पहली पारी . | 315 (वीक्स 161, गुप्ते 107 रनों पर 5 विकेट)                                         |
|             | दूसरी „     | 2 विकेटों पर 192 रन, (लंगल 104, आउट नहीं हुए)                                       |

#### जार्ज टाउन में चौथा टेस्ट

मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ

|             |             |                     |
|-------------|-------------|---------------------|
| भारत        | पहली पारी . | 262                 |
|             | दूसरी „     | 5 विकेटों पर 190 रन |
| वेस्ट इंडीज | पहली पारी . | 364 (बालकौट 125)    |

#### किंगस्टन में पांचवां टेस्ट

मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ:

|      |             |                            |
|------|-------------|----------------------------|
| भारत | पहली पारी . | 312 (उमरीगर 117, राय 85)   |
|      | दूसरी „     | 444 (राय 150, मंजरेकर 118) |

वेस्ट इंडीज पहली पारी . 576 (बोरेल 237, वाल्कौट 118, वीक्स 109)  
दूसरी " . 4 विकेटों पर 92 रन

### पिछले टेस्ट मैच

भारत बनाम आस्ट्रेलिया (1947-48)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| आस्ट्रेलिया ने जीते . . . . . | 4 |
| भारत ने जीते . . . . .        | 0 |
| अनिर्णीत . . . . .            | 1 |
| कुल . . . . .                 | 5 |

भारत बनाम वेस्ट इंडीज (1948-49)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| भारत ने जीते . . . . .         | 0 |
| वेस्ट इंडीज ने जीते— . . . . . | 1 |
| अनिर्णीत . . . . .             | 4 |
| कुल . . . . .                  | 5 |

भारत बनाम द गवर्नेट

| वर्ष              | खेले हुए मैचों की संख्या |      |          |     | हारे | अनिर्णीत |
|-------------------|--------------------------|------|----------|-----|------|----------|
|                   | जीते                     | हारे | अनिर्णीत | कुल |      |          |
| 1932 . . . . .    | 1                        | 0    | 1        | 0   |      |          |
| 1933-34 . . . . . | 3                        | 0    | 2        | 1   |      |          |
| 1936 . . . . .    | 3                        | 0    | 2        | 1   |      |          |
| 1946 . . . . .    | 3                        | 0    | 1        | 2   |      |          |
| 1951-52 . . . . . | 5                        | 1    | 1        | 3   |      |          |
| 1952 . . . . .    | 4                        | 0    | 3        | 1   |      |          |
|                   | 19                       | 1    | 10       | 8   |      |          |

### रिकार्ड

| अधिक से अधिक कुल संख्या          | टीम                   | वर्ष    |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| 38 विकेटों पर 2,376 रन . . . . . | महाराष्ट्र बनाम बम्बई | 1948-49 |
| 40 विकेटों पर 2,078 रन . . . . . | बम्बई बनाम होल्कर     | 1944-45 |

सब से अधिक रन बनाने वाला जोड़ा

बी० एस० हजारे (288) और गल मुहम्मद (319) ने 577 रन बनाकर विश्व-रिकार्ड स्थापित किया। यह रिकार्ड उन्होंने 1946-47 में बडौदा की ओर से होल्कर के विरुद्ध खेलते हुए चौथी विकेट के पार्टनरशिप में स्थापित किया था।



1948-49 में पूना में बी० बी० निम्बालकर और के० वी० भन्डारकर ने महाराष्ट्र की ओर से पश्चिमी भारतीय राज्य (वेस्टर्न इंडिया स्टेट्स) के विरुद्ध दूसरी क्रिकेट पार्टनरशिप में खेलते हुए 455 रन बनाये ।

\*                      \*                      \*                      \*                      \*

1930 में के० एस० दिलीपसिंह जी ने होब में ससेक्स की ओर से नार्थम्पटन शायर के विरुद्ध खेलते हुए 333 रन बनाये थे ।

\*                      \*                      \*                      \*                      \*

के० एस० दिलीपसिंह जी ने ब्रिटेन में 1931 में एक के बाद एक लगातार 4 शतक बनाये ।

\*                      \*                      \*                      \*                      \*

भारत का सब से अधिक रन बनान का रिकार्ड 8 विकेटों पर 912 रन (पारी समाप्ति घोषणा) होल्कर ने इन्दौर में 1945-46 में होल्कर बनाम मैसूर के मैच में स्थापित किया ।

### भारत में रजतजयन्ती 1953-54

प्रथम टेस्ट (दिल्ली)

भारत एक पारी और 15 रन से जीता :

भारत :            पहली पारी . 387 (जी० एस० रामचन्द 119, वी० एल० मन्जरेकर 86)

एस० जी० ओ० सी० टीम :

पहली पारी . 198 (सिम्पसन 57, गुप्ते 91 रनों पर 8 विकेटे)

दूसरी „ . 174 (सिम्पसन 59, बोरेल 54, गुलाम एहमद 52 रन पर 6 विकेटे, गुप्ते 82 रनों पर 4 विकेटे)

द्वितीय टेस्ट (बम्बई)

मैच अनिर्णीत सिद्ध हुआ :

एस० जी० ओ० सी० टीम :

पहली पारी . 6 विकेटों पर 504 रन (पारी समाप्ति घोषणा)  
(सिम्पसन 121, बैरिक 102, आउट नहीं हुए;  
मार्शल 90)

भारत :            पहली पारी . 153 (उमरीगर 83)

दूसरी „ . 5 विकेटों पर 447 रन (मनकद 154, गडकारी 102, आउट नहीं हुए)

तृतीय टेस्ट (कलकत्ता)

एस० जी० ओ० सी० टीम 6 विकेटों से मैच जीत गई :

भारत :            पहली पारी . 238 (उमरीगर 112, आउट नहीं हुए)

दूसरी „ . 190 (रामचन्द 111, इवर्सन न 47 रनों पर 6 विकेटे हासिल की)

एस० जे० ओ० सी० टीम :

पहली पारी . 245 (गुप्ते 95 रनों पर 6 विकेट, मियूलमान 75)

दूसरी ,, . 4 विकेटों पर 187 रन (मार्शल 88, आउट नहीं हुए)

### टेनिस

राष्ट्रीय लॉन टेनिस सर्व-विजय प्रतियोगिता (चैम्पियनशिप) (दिसम्बर

1953-54)

पुरुष अकेले

आर० कृष्णन ने स्ट्रेट सेट 6-2, 6-3, 7-5 पर आस्ट्रेलिया के जे० आर्किनस्टाल को हरा कर टाईटल प्राप्त किया ।

पिछले विजेता : सुमन्त मिश्र

पुरुष जोड़े

जे० आर्किनस्टाल और इफ्तिखार एहमद ने नरेज कुमार और नरेन्द्रनाथ को 3-6, 5-7, 8-6, 7-5, 6-3 पर हराया ,

मिले-जले जोड़े

इफ्तिखार एहमद और मिस पी० शेख अपने प्रतिद्वंद्वी जोड़े नरेन्द्रनाथ और मिस थापर के न खेले के कारण जीत गये ।

स्त्रियां अकेली

कुमारी रीता डावर ने कुमारी थापर को 0-6, 6-2, 6-2 पर हराया ।

### टेबल-टेनिस

राष्ट्रीय सर्वविजयी प्रतियोगिता (चैम्पियनशिप) (दिसंबर 1953)

पुरुष अकेले

बम्बई के एस० ठाकरसे ने मद्रास के टी० तिरुवेन्नादम को हरा कर ओपन-सिंगल टाईटल प्राप्त किया 25-23, 21-13, 15-21, 21-19 ।

पिछले विजेता . के० जयन्त (1950), टी० तिरुवेन्नादम (1951), के० जयन्त (1952)।

पुरुष जोड़े

बम्बई के यू० एम० चन्द्रराना और डी० पी० सोमाया ने बंगाल के एम० बनर्जी और आर० भंडारी को हराया, 22-20, 18-21, 21-12, 22-24, 21-18 ।

स्त्रियां अकेली

कुमारी सुलताना ने श्रीमती सी० के० के० पिल्ले को हराया, 21-12, 21-16, 21-11 ।

पिछली विजेता : कुमारी सुलताना (1951 और 1952) ।

मिले-जुले जोड़े

कुमारी सुलताना और भंडारी ने श्रीमती राजगोपालन और चन्द्रराना को हराया 21-16, 21-13, 21-13 ।

**अन्तर्राष्ट्रीय सर्वविजयी प्रतियोगिता (चैम्पियनशिप) (दिसम्बर 1953)**

बम्बई ने बंगाल को पांच मैचों में हरा कर चैम्पियनशिप को जीत लिया ।

हैदराबाद ने पिछले विजेता बम्बई को तीन मैचों में हरा कर स्त्रियों के जयलक्ष्मी कप को जीत लिया ।

### राष्ट्रीय खेल-कूद (फरवरी 1953)

खेलों का आयोजन जबलपुर में हुआ । सेना (सर्विमिज) ने चैम्पियनशिप का 121.5 प्वाइंट्स प्राप्त कर के जीत लिया । पेप्सू 30 प्वाइंट्स प्राप्त कर द्वितीय रहा और बम्बई 23 प्वाइंट्स प्राप्त कर तृतीय रहा ।

इन खेलों में 7 नये अखिल-भारतीय रेकार्ड स्थापित किये गये ।

#### पुरुषों के खेल

100 मीटर दौड़

- 1 लेवी पिन्टो (बम्बई)
- 2 सती घोष (बिहार)
- 3 बलवन्तसिंह (सेना)

समय 10.8 सेकण्ड

200 मीटर दौड़

- 1 लेवी पिन्टो (बम्बई)
- 2 मन्ती घोष (बिहार)
- 3 कृपालसिंह (पंजाब)

समय 21.8 सेकण्ड (नया रिकार्ड)

400 मीटर दौड़

- 1 ईवान जैकब (मद्रास)
- 2 बलवन्तसिंह (पेप्सू)
- 3 अप्परसिंह (सेना)

समय : 49.6 सेकण्ड (नया रिकार्ड)

800 मीटर दौड़

1. मोहनसिंह (सेना)
2. कुलवन्तसिंह (सेना)
3. भगवानसिंह (दिल्ली)

समय 1 मिनट 55.2 सेकण्ड (नया रिकार्ड)

1,500 मीटर दौड़

1. कुलवन्तसिंह (सेना)
2. नीरार्जुन (सेना)
3. रणजीतराम (दिल्ली)

समय . 4 मिनट 4.2 सेकण्ड

3,000 मीटर स्टीपलचेज दौड़

- 1 डालू राम (सेना)
- 2 इन्दरसिंह (सेना)
3. गुलजारामसिंह (पेप्सू)

समय 9 मिनट 33.4 सेकण्ड

5,000 मीटर दौड़

1. डालू राम (सेना)
2. करनलसिंह (सेना)
3. गुरुवचनसिंह (सेना)

समय : 15 मिनट 31.5 सेकण्ड

10,000 मीटर दौड़

1. धनसिंह (सेना)
2. बूलासिंह (सेना)
3. रौनकसिंह (पेप्सू)

समय . 32 मिनट 45.8 सेकण्ड

## चलना

## 10,000 मीटर चलना

1. हरनाथकसिंह (सेना)
2. अमरीकसिंह (पंजाब)
3. नत्थाराव (राजस्थान)

समय : 55 मिनट 2 सेकन्ड

## 50 किलोमीटर चलना

1. वी० दास (बंगाल)
2. भागसिंह (पंजाब)
3. लालसिंह (पेप्सू)
4. पद्म० रोज (बंगाल)
5. इन्दरजीत सिंह (दिल्ली)

समय 5 घंटे, 32 मिनट 24.1 सेकन्ड

## मेगयन दौड़ 26 (मील)

1. छोटाराम (पेप्सू)
2. मुरजनसिंह (पेप्सू)
3. मुरनसिंह (दिल्ली)

समय 2 घंटे, 33 मिनट 21.4 सेकन्ड

## 110 मीटर बाधा दौड़

1. गुलदुर्गसिंह (सेना)
2. लक्ष्मणसिंह (सेना)
3. अजमेरसिंह (पंजाब)

समय 15.6 सेकन्ड

## 400 मीटर बाधा दौड़

1. जोगिन्दरसिंह (सेना)
2. प्रीतसिंह (सेना)
3. दर्शनसिंह (पंजाब)

समय : 55.6 सेकन्ड

## 4,100 मीटर रिले दौड़

1. बम्बई
2. दिल्ली
3. मद्रास
4. पेप्सू

समय : 44.2 सेकन्ड

## 4,400 मीटर रिले दौड़

1. सेना
2. पेप्सू
3. मद्रास

समय : 3 मिनट 23.9 सेकन्ड (नया रिकार्ड)

## दौड़ कर ऊंची कूद

1. अजीतसिंह (पंजाब)
2. के० चटर्जी (बंगाल)
3. दयारामसिंह (सेना)

ऊँचाई 6 फीट 3.5 इंच

## दौड़ कर लम्घना

1. केहरसिंह (सेना)
2. भागसिंह (सेना)
3. कृष्णसिंह (पंजाब)

फासला 22 फीट 7.75 इंच

## भार फेंकना

1. नाथीप्रसाद (सेना)
2. कृष्णसिंह (पेप्सू)
3. श्रीधरसिंह (सेना)

फासला 142 फीट 1 इंच

## डिस्क फेंकना

1. बरजीत सिंह (पंजाब)
2. माखन सिंह (सेना)
3. ईशर सिंह (पेप्सू)

फासला : 131 फीट 1.25 इंच

## जैवेलिन फेंक

1. मुरतसिंह (सेना)
2. राजगोपालन् (दिल्ली)
3. गोविन्दराम (दिल्ली)

फासला : 176 फीट

## डिकैथलन्

1. गुरनामसिंह (पेप्सू) 4.367  
प्वाइंट
2. एम० कौड्स (बम्बई) 4.345"
3. एन० के० दास (उड़ीसा) 4.302"

उछलना, कदम लेना और कूदना

1. केहरसिंह (सेना)
2. सुदर्शनसिंह (सेना)
3. दर्शनसिंह (पंजाब)

फासला : 46 फीट 10 इंच

## गोला फेंकना

1. परदुमनसिंह (सेना)
2. मोहिन्दरसिंह (सेना)
3. ईशरसिंह (पेप्सू)

फासला : 44 फीट 10 इंच

बांस से कूदना

1. जार्ज (सेना)
2. भगवानसिंह (सेना)
3. पी० वासवन (तिरुवाकुर-कोचीन)

ऊंचाई : 11 फीट 11 इंच

## स्त्रियों के खेल

## 100 मीटर

1. मेरी डी० सूजा (बम्बई)
2. ए० काचातूर (बंगाल)
3. जोन टैलिस (बम्बई)

समय : 13 सेकंड

## 200 मीटर

1. मेरी डी० सूजा (बम्बई)
2. ए० काचातूर (बंगाल)
3. स्टीफी डी० सूजा (बम्बई)

समय : 26.4 सेकंड

## 400 मीटर रिले

1. बम्बई
2. बंगाल
3. मध्यप्रदेश

समय : 52.5 सेकंड

## 80 मीटर बाधा दौड़

1. मेरी डी० सूजा (बम्बई)
2. मेरी सीमोज (बम्बई)
3. नीलिमा घोष (बंगाल)

समय : 12.7 सेकंड (नया रिकार्ड)

## दौड़ कर ऊंचा कूदना

1. मेरी सीमोज (बम्बई)
2. पी० वसु (मध्य प्रदेश)
3. सी० ओडी (मध्य प्रदेश)

ऊंचाई : 4 फीट 2 3/4 इंच

## दौड़ कर दूर लाघना

1. स्टीफी डी० सूजा (बम्बई)
2. लूसी पाल (तिरुवाकुर-कोचीन)
3. मेरी कैस्टेलीन (बम्बई)

फासला : 13 फीट 3 1/2 इंच

## गोला फेंकना

1. आर० थोर्नवर (बम्बई)
2. ए० मसावजी (मध्य प्रदेश)
3. एस० थामस (तिरुवाकुर-कोचीन)

फासला : 29 फीट 3 1/2 इंच

## डिस्क फेंकना

1. पी० प्राउडफुट (बम्बई)
2. ए० मजाओ (मध्यप्रदेश)
3. सी० भिडे (बम्बई)

फासला : 90 फीट 0.5 इंच

## उन्तीसवां अध्या 1953 की घटनाओं की सूची जनवरी

### तारीख

- I भोपाल में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा का अधिवेशन समाप्त हुआ ।
- 2 नई दिल्ली में रेडियोलोजी की 7वीं भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ ।
- 5 नई दिल्ली में गांधीवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय मंमिनार का उद्घाटन हुआ ।
- 5 इलाहाबाद में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का प्रारम्भ ।
- 6 डाक्टर सैफुद्दीन किचलू को स्टालिन शांति पुरस्कार दिया गया ।
- 7 रंगून में एशियन सोशलिस्टों का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ ।
- I2 दिल्ली में राजकुमारी अमृतकौर ने वल्लभभाई पटेल चैस्ट इन्स्टीच्यूट का उद्घाटन किया ।
- I3 बम्बई के निकट प्रधान मंत्री ने अम्बरनाथ मशीन टूल फैक्टरी का उद्घाटन किया ।  
जनरल के० एम० करिअप्पा ने भारत के कमान्डर-इन-चीफ के पद से अवकाश ग्रहण किया ।
- I4 डाक्टर राधाकृष्णन ने कराएकुडी में केन्द्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान सस्था का उद्घाटन किया ।
- I4 हैदराबाद के नानलनगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ ।
- I5 जनरल राजेन्द्रसिंह जी भारत के कमान्डर-इन-चीफ नियुक्त हुए ।
- I6 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विषय समिति ने पञ्चवर्षीय आयोजना को स्वीकार किया ।
- I7 नानलनगर में श्री जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मुख अध्यक्ष पद से अपना भाषण दिया ।
- I7 डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने गांधियन सेमीनार के सम्मुख भाषण दिया ।
- I7 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्यों के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किया ।
- I8 नानलनगर में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हुआ ।
- I9 भारत से काबुल के हवाई मार्ग के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान में समझौता हुआ ।
- I9 डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की रिपोर्टों को भारत सरकार ने स्वीकार किया ।
- 20 श्री जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा अकादमी का उद्घाटन किया ।
- 24 तिरुवांकुर-कोचीन में मछली व्यवसाय का विकास करने के लिये भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा ताबे के साथ समझौता किया ।

## शारीख

- 28 भारत और वेस्ट इण्डिज के बीच पहला टेस्ट मैच बिना किसी निर्णय के समाप्त हुआ ।
- 29 नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्रीय नृत्य-नाटक और संगीत अकादमी का उद्घाटन किया ।
- 29 न्यायाधीश वाचू ने आंध्र के सम्बन्ध में अपनी जाच समाप्त कर ली ।
- 29 पाकिस्तान ने किसी भी दशा में युद्ध न करने की घोषणा के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ।
- 30 उडीसा हाईकोर्ट ने उडीसा राज्य इस्टेट कानून का वैध घोषित किया ।
- 31 भारत और इन्डोनेशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुए ।

## फरवरी

- 2 दिल्ली में प्रधान मंत्री ने अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्घाटन किया ।
- 2 भारत और पाकिस्तान में पासपोर्ट पद्धति में उदारता से काम लेने का समझौता हुआ ।
- 6 श्री सी० सी० देसाई लका में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त हुए ।
- 6 भारतीय इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस, प्रजासोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तथा जनसंघ को अखिल भारतीय पार्टियों के रूप में स्वीकार किया ।
- 10 इंग्लैंड के मजदूर नेता श्री एनुरिन बेवन नई दिल्ली में आये ।
- 10 भारत के रक्षा मंत्री श्री एन० गोपालास्वामी का मद्रास में देहान्त हो गया ।
- 11 राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट के बजट अधिवेशन का उद्घाटन किया ।
- 12 दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इण्डिज टीम भारत से 142 रनों द्वारा जीत गई ।
- 19 आस्ट्रेलियन प्रेस डेलीगेशन भारत की तीन सप्ताह की यात्रा पर कलकत्ता पहुंचा ।
- 21 प्रधान मंत्री ने तल्लैया बांध और बोकारो बिजली स्टेशन का उद्घाटन किया ।
- 21 श्री सुकुमार सेन सूडान के निर्वाचन कमीशन में नियुक्त हुए ।
- 27 भारत के वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में नया बजट पेश किया ।
- 28 मद्रास में डाक्टर टी० विजयाराघवाचार्य का देहान्त हुआ ।

## मार्च

- 1 श्री ज्ञानसिंह राड़ेवाला ने पेप्सू के मुख्य मंत्रित्व से त्यागपत्र दे दिया ।
- 5 बिहार के चांडिल नामक ग्राम में भूदान यज्ञ के प्रमुख कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे से विचार विमर्श के निमित्त मिले ।
- 7 नई दिल्ली में प्रधान मंत्री ने भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया ।
- 8 टर्की का पार्लियामेंट प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली पहुंचा ।
- 10 बम्बई में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० के० टी० शाह का देहान्त हुआ ।
- 11 श्री चन्द्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हुए ।
- 16 श्री महावीर त्यागी प्रतिरक्षा सगठन के मंत्री नियुक्त हुए ।
- 17 पार्लियामेंट में प्रधान मंत्री ने भारत में विदेशी पाकेटों के विरुद्ध घोषणा की ।

तारीख]

- 24 होल्कर टीम रणजी ट्राफी जीत गई ।
- 25 प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि पहली अक्टूबर को आंध्र राज्य का निर्माण किया जायेगा ।
- 28 संवादबहन के मंत्री ने घोषणा की कि 31 मार्च, 1954 तक भारत के प्रत्येक गांव में, जिसकी आबादी 2,000 से ऊपर है, एक डाकखाना अवश्य खोला जायेगा ।
- 30 भारत और बर्मा के प्रधान मंत्रियों ने एक साथ आसाम और बर्मा के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया ।
- 31 डाक्टर ग्राहम ने काश्मीर के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट मयुक्त राष्ट्र संघ को पेश की ।

अप्रैल

- I बर्न में भारत के राजदूत श्री आसफअली का देहान्त हुआ ।
- I भारतीय वायु सेना ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई ।
- 8 श्री बालचन्द्र हीराचन्द्र का देहान्त हुआ ।
- 9 पार्लियामेंट ने खादी बिल पास किया ।
- 12 भारत के शिक्षा मंत्री ने स्कूली में केन्द्रीय निर्माण अनुसन्धान शाला का उद्घाटन किया ।
- 18 लोकमभा ने विन बिल पास किया ।
- 19 भारतीय रेलवे कार्यकर्ताओं के दो मुख्य संगठन मिल कर एक हो गये और इस संगठन का नाम भारतीय रेलवे कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय फ़ेडरेशन रखा गया ।
- 28 प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा ।
- 30 जनरल करिअप्पा आस्ट्रेलिया में भारत के कमिश्नर नियुक्त हुए ।

मई

- 2 प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि युद्ध होने की स्थिति में भारत किसी गुट का साथ नहीं देगा ।
- 3 डमडम हवाई अड्डे से 25 मील दूर बी० ओ० ए० सी० का कोमेट विमान टूटा ।
- 4 भारत में अमेरिका के नये राजदूत श्री जार्ज एलैन ने राष्ट्रपति के सम्मुख अपने कागज़ पेश किये ।
- 11 डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी काश्मीर में अनियमित प्रवेश के आधार पर लखीमपुर में गिरफ्तार किये गये ।
- 15 प्रधान मंत्री ने सर चर्चिल के बड़े राष्ट्रों की काफ़ेस के प्रस्ताव का समर्थन किया ।
- 20 अमेरिका के सेंक्रेटरी आफ स्टेट मि० जान फोस्टर डलेस नई दिल्ली पहुंचे ।
- 20 भारत सरकार ने शरणार्थियों को मुआवजा देने की एक नई स्कीम की घोषणा की ।
- 28 प्रधान मंत्री महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिये दिल्ली से लंदन को रवाना हुए ।
- 29 शेरपा तेननिहू नोरकी तथा एडमण्ड हिलैरी मानव जाति के इतिहास में पहली बार संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर पहुंचे ।



## तारीख

- 30 भारत सरकार का 75 करोड़ का कर्ज पूर्ण रूप से बिक गया ।  
 31 त्रिवेन्द्रम में आइ० एफ० डब्ल्यू० जे० का दूसरा वार्षिक अधिवेशन समाप्त हुआ ।

## जून

- 2 लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ ।  
 4 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने श्री जवाहरलाल नेहरू को डाक्टर ऑफ ला की माननीय पदवी दी ।  
 5 मद्रास विधान सभा के आध्र सदस्यों ने बहुमत से यह निश्चय किया कि करनूल को आध्र की राजधानी बनाया जाय ।  
 10 लिस्बन भारतीय दूतावास बन्द कर दिया गया ।  
 12 भारत ने यह स्वीकार कर लिया कि वह कोरिया के युद्धबन्दी कमीशन का सदस्य बनेगा ।  
 23 श्रीनगर के अस्पताल में डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी का देहान्त हुआ ।  
 23 काहिरा में भारत के प्रधानमंत्री जनरल नजीब और श्री मोहम्मद अली से मिले ।  
 23 रूस के राजदूत श्री आई० ए० वैनैडिक्टोव नई दिल्ली पहुंचे ।

## जुलाई

- 1 तुंगभद्रा के जलभंडार से सिंचाई के लिये पानी छोड़ा गया ।  
 2 श्री बेकटारमन् शास्त्री का देहान्त हो गया ।  
 3 प्रधान मंत्री ने यह अपील की कि प्रजा परिषद् आन्दोलन समाप्त कर दिया जाय ।  
 7 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि पंचवर्षीय आयोजना में बेकारी की समस्या मुलज्ञाने पर विशेष बल दिया जाय ।  
 7 जम्मू में प्रजा परिषद् आन्दोलन समाप्त कर दिया गया ।  
 8 काहिरा में भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक संधि हुई ।  
 10 भारत सरकार ने कपड़ा और सूत की कीमतों और वितरण पर से कन्ट्रोल उठा लिया ।  
 13 फारवर्ड ब्लाक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गया ।  
 17 डाक्टर बी० बी० कैपलर ने यह अपील की कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुनरुद्धार किया जाय ।  
 25 भारत के प्रधान मंत्री कराची में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिले ।  
 27 मद्रास विधान सभा ने आध्र राज्य बिल पास कर दिया ।

## अगस्त

- 1 स्टेट एअर कारपोरेशन का उद्घाटन किया गया ।  
 4 पाकिस्तान के नये हाई कमिशनर श्री गज़नफरअली खा नई दिल्ली में पहुंचे ।  
 9 सदरे रियासत ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पदच्युत कर दिया ।  
 9 बरूशी गुलाम मोहम्मद जम्मू और काश्मीर के नये प्रधान मंत्री नियुक्त हुए ।  
 9 शेख अब्दुल्ला नजरबन्द कर लिये गये ।

## तारीख

- 10 गृह मंत्री ने यह घोषणा की कि पेप्सू में 1954 में आम चुनाव होंगे ।  
 15 देश भर में स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया गया ।  
 16 गोदावरी में बहुत बड़ी बाढ़ आई ।  
 20 दिल्ली में पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों ने सम्मिलित रूप से यह निश्चय किया कि अप्रैल 1954 के अन्त तक जम्मू और काश्मीर के लिये प्लेबिसिट एडमिनिस्ट्रेटर (लोक-सम्मति व्यवस्थापक) को नियुक्त कर दिया जायगा ।

## सितम्बर

- 1 भारतीय कस्टोडियन फोर्स का पहला कोरिया पहुँचा ।  
 1 प्रजा मोचलिस्ट नेता श्री अशोक मेहता पारडी मृत्यग्रह के सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए ।  
 3 श्री सैयद जफर इमाम बिहार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए ।  
 4 मंसूर सरकार ने निश्चय किया कि भविष्य में 16<sup>3</sup> सरकारी नौकरियाँ परिगणित जायेंगी और आदिवासियों को दी जायेंगी ।  
 8 फिलिपाइन सरकार ने भारतीयों के आने पर में पाबन्दी हटा ली ।  
 14 भारत सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय परिवारों का प्रवेश न होने देने की नीति का विरोध किया ।  
 15 श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित मयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली के 8वें अधिवेशन की प्रधान चुनी गई ।  
 18 नई दिल्ली में राज्यों के सूचना मंत्रियों की दो दिन की कांग्रेस प्रारम्भ हुई ।  
 23 तिरुवाकुर-कोचीन विधान सभा में सरकार के प्रति विश्वास का प्रस्ताव गिर गया और राज्य की विधान सभा भंग कर दी गई । यह घोषणा की गई कि अगले निर्वाचन तक श्री ए० जे० जोन का मंत्रिमंडल काम चलाता रहेगा ।  
 25 बिहार में देवगढ़ का वैद्यनाथ मंदिर हिन्दूमात्र के लिये खोल दिया गया ।

## अक्तूबर

- 1 आंध्र राज्य का उद्घाटन हुआ और टी० प्रकाशम उसके प्रथम मुख्य मंत्री नियुक्त हुए ।  
 1 श्री चन्द्रलाल एम० त्रिवेदी ने आंध्र राज्य के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की ।  
 3 मद्रास में डा० अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का देहान्त हुआ ।  
 4 कलकत्ता में वर्कम, हाउसिंग और सप्लाई के उपमंत्री श्री एम० एन० बरगोहन का देहान्त हुआ ।  
 4 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की ट्रस्टीशिप कौंसिल का सदस्य चुना गया ।  
 7 राष्ट्रपति ने पंजाब की नई राजधानी चंडीगढ़ का उद्घाटन किया ।  
 9 बम्बई में राष्ट्रपति ने नौसेना की प्रथम रिब्यू देवी ।  
 14 इस्टेट ड्यूटी एक्ट जारी हुआ ।  
 14 विश्व बैंक ने भारत को 50 करोड़ पौंड दामोदर वैली कारपोरेशन तथा लोहे के कार्यों के लिये उधार दिया ।

तारीख

- 15 भारत सरकार ने मैसूर सरकार को लक्कावल्ली कार्य के लिये 3 करोड़ रुपये, कर्ज जारी करने की अनुमति दी ।
- 15 कोरिया में युद्ध बन्धियों का एकस्प्लेनेशन प्रारम्भ हुआ ।
- 22 भारत सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय राजाओं की व्यक्तिगत आय पर आय-कर लगाया जाय ।
- 29 उत्तर-पूर्वी सरहद की अबोर पहाड़ियों पर कुछ आदिवासियों ने सरकारी कार्यकर्ताओं और फौज के व्यक्तियों की एक टुकड़ी पर आक्रमण किया ।
- 30 'ख' भाग के राज्यों के सम्बन्ध में गाडगिल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की ।

### नवम्बर

- I नई दिल्ली में राष्ट्रपति ने भारतीय तार शताब्दी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया ।
- 9 विशाखापटनम में भारत के उत्पादन मंत्री ने जलपुत्र नामक 1,000 टन के जहाज का जल प्रवेश किया ।
- 11 रांची में राष्ट्रपति ने दूसरी अखिल भारतीय आदिवासी कल्याण कांग्रेस का उद्घाटन किया ।
- 15 प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हो रही इस बातचीत के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की कि अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देगा ।
- 17 नई दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीशों की दो दिनों की कान्फ्रेंस समाप्त हुई ।
- 21 पाकिस्तान ने भारत के 20 रोके हुए इंजन वापिस किये ।
- 24 जनरल थिमैया न इस सम्बन्ध में रिपोर्ट की कि उनके मिशन का कार्य कितना कठिन है ।
- 30 ज्यूरिच में श्री बी० एन० राव का देहान्त हो गया ।
- 0 अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री रिचर्ड निक्सन नई दिल्ली पहुंचे । लोकसभा ने व्यावसायिक कलह बिल पास किया ।

### दिसम्बर

- 2 भारत और रूस के बीच पंचवर्षीय व्यापारिक संधि हुई ।
- 3 भारत के योजना मंत्री ने यह घोषणा की कि पंचवर्षीय आयोजना पर 150 से लेकर 170 करोड़ रुपये तक अधिक व्यय आयेगा ।
- 11 प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि प्रस्तावित पाकिस्तान और अमेरिकन सैनिक संधि का प्रभाव सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया की शांति को भंग कर देगा । क्योंकि वह इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को तोड़ देगा ।
- 15 यह घोषणा की गई कि मार्च 1954 में तिरुवांकुर-कोचीन और पेप्सू में नये निर्वाचन होंगे ।
- 18 इंग्लैंड के मजदूर नेता श्री सी० आर० एटली ने घोषणा की कि संसार में प्रजातंत्र पद्धति के पनपने में भारत का महत्व बहुत अधिक है ।

तारीख

- 21 भारत सरकार का जर्मनी के क्रुस कारखाने से यह समझौता हुआ कि भारत में 100 करोड़ रुपये की लागत से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड नाम का इस्पात का कारखाना खोला जायगा ।
- 22 प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि राज्यों के पुनर्संगठन के उद्देश्य से एक कमीशन नियुक्त किया जा रहा है ।
- 24 भारतीय रेलवे के लिये अमेरिका और भारत में यह समझौता हुआ कि अमेरिका भारत को 2 करोड़ डालर देगा ।
- 30 भारत में अस्पृश्यता को अपराध घोषित करने वाला कानून गजट में प्रकाशित कर दिया गया ।
- 31 प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि वह किसी भी दशा में विदेशी सेना को भारत की भूमि पर नहीं आने देंगे ।

**तीसवां अध्याय**  
**वर्ष के कानून**  
**1953**

| कानून                                                                          | पेश होने का समय | प्राग्भ कराने वाले भवन में स्वीकृत होने का तारीख | दूसरे भवन में स्वीकृत होने का तारीख | राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने की तारीख |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| I                                                                              | 2               | 3                                                | 4                                   | 5                                      |
| 1 स्वीकृतिकरण कानून 1953                                                       | 19 फरवरी 1953   | 19 फरवरी 1953                                    | 23 फरवरी 1953                       | 5 मार्च 1953                           |
| 2 भारतीय तटकर (मशो-धन) कानून 1953                                              | 20 फरवरी 1953   | 4 मार्च 1953                                     | 9 मार्च 1953                        | 16 मार्च 1953                          |
| 3 यनियन अन्तरिम कर (वितरण) कानून 1953                                          | 27 फरवरी 1953   | 3 मार्च 1953                                     | 9 मार्च 1953                        | 18 मार्च 1953                          |
| 4 स्वीकृतिकरण (बोट और एकाउन्ट) कानून 1953                                      | 3 मार्च 1953    | 3 मार्च 1953                                     | 7 मार्च 1953                        | 19 मार्च 1953                          |
| 5 स्वीकृतिकरण (रेलवे) कानून 1953                                               | 2 मार्च 1953    | 3 मार्च 1953                                     | 7 मार्च 1953                        | 19 मार्च 1953                          |
| 6 स्वीकृतिकरण (रेलवे) न० 2 कानून 1953                                          | 3 मार्च 1953    | 3 मार्च 1953                                     | 7 मार्च 1953                        | 19 मार्च 1953                          |
| 7 पटियाला और पूर्वी-पञ्जाब राज्य यनियन स्वीकृतिकरण कानून 1953                  | 26 मार्च 1953   | 26 मार्च 1953                                    | 28 मार्च 1953                       | 31 मार्च 1953                          |
| 8 पटियाला और पूर्वी-पञ्जाब राज्य यनियन स्वीकृतिकरण (बोट और एकाउन्ट) कानून 1953 | 26 मार्च 1953   | 26 मार्च 1953                                    | 28 मार्च 1953                       | 31 मार्च 1953                          |
| 9 स्वीकृतिकरण (न० 2) कानून 1953                                                | 26 मार्च 1953   | 26 मार्च 1953                                    | 28 मार्च 1953                       | 31 मार्च 1953                          |
| 10 हैदराबाद मुद्रा और कागजी मुद्रा (विविध व्यवस्थापन) कानून 1953               | 27 मार्च 1953   | 28 मार्च 1953                                    | 31 मार्च 1953                       | 31 मार्च 1953                          |
| II निष्कान्त सम्पत्ति प्रशासन मशोधन कानून 1953                                 | 4 अगस्त 1952    | 20 फरवरी 1953<br>26 मार्च 1953                   | 25 फरवरी 1953                       | 9 अप्रैल 1953                          |

| I                                                                                               | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12. खादी और अन्य कच्चा<br>उद्योगों का विकास<br>(कपड़ों पर अतिरिक्त<br>उत्पादन कर) कानून<br>1953 | 14 फरवरी<br>1953  | 9 अप्रैल<br>1953  | 14 अप्रैल<br>1953 | 14 अप्रैल<br>1953 |
| 13. स्वीकृतिकरण (नं० 3)<br>कानून 1953                                                           | 7 अप्रैल<br>1953  | 8 अप्रैल<br>1953  | 16 अप्रैल<br>1953 | 23 अप्रैल<br>1953 |
| 14. वित्त कानून 1953                                                                            | 27 फरवरी<br>1953  | 18 अप्रैल<br>1953 | 23 अप्रैल<br>1953 | 25 अप्रैल<br>1953 |
| 15. केन्द्रीय उत्पादन और<br>नमक (मशोधन कानून)<br>1953                                           | 14 अप्रैल<br>1953 | 18 अप्रैल<br>1953 | 23 अप्रैल<br>1953 | 25 अप्रैल<br>1953 |
| 16. अनुसूचित-क्षेत्र (विधि<br>सामयिक) कानून<br>1953                                             | 28 मार्च<br>1953  | 9 अप्रैल<br>1953  | 25 अप्रैल<br>1953 | 6 मई<br>1953      |
| 17. पटियाला और पूर्वी पंजाब<br>राज्य मुनियन स्वीकृति-<br>करण (नं० 2) कानून<br>1953              | 2 मई<br>1953      | 2 मई<br>1953      | 8 मई<br>1953      | 15 मई<br>1953     |
| 18. भारतीय लाइट हाउस<br>(मशोधन) कानून 1953                                                      | 14 नवम्बर<br>1952 | 25 अप्रैल<br>1953 | 29 अप्रैल<br>1953 | 16 मई<br>1953     |
| 19. मिनेमैशियाफ (मशो-<br>धन) कानून 1953                                                         | 27 नवम्बर<br>1952 | 25 अप्रैल<br>1953 | 29 अप्रैल<br>1953 | 16 मई<br>1953     |
| 20. समद के अफमरा का<br>वेतन और भत्ता कानून,<br>1953                                             | 11 मार्च<br>1953  | 28 अप्रैल<br>1953 | 5 मई<br>1953      | 16 मई<br>1953     |
| 21. कन्ट्रोलर और आडिटर<br>जनरल (सेवा की शर्तें)<br>कानून 1953                                   | 15 अप्रैल<br>1953 | 29 अप्रैल<br>1953 | 7 मई<br>1953      | 17 मई<br>1953     |
| 22. पटियाला और पूर्वी<br>पंजाब राज्यों के विधान<br>मण्डल (अधिकार दान)<br>कानून 1953             | 6 अप्रैल<br>1953  | 30 अप्रैल<br>1953 | 12 मई<br>1953     | 17 मई<br>1953     |
| 23. भारतीय व्यापारिक<br>जहाजगती (मशोधन)<br>कानून 1953                                           | 20 नवम्बर<br>1953 | 27 अप्रैल<br>1953 | 1 मई<br>1953      | 21 मई<br>1953     |
| 24. दिल्ली मंडक-यातायात<br>प्रशासन (मशोधन)<br>कानून 1953                                        | 6 मई<br>1953      | 13 मई<br>1953     | 15 मई<br>1953     | 22 मई<br>1953     |
| 25. भारतीय आयकर<br>(मशोधन) कानून 1953                                                           | 26 मई<br>1952     | 25 अप्रैल<br>1953 | 1 मई<br>1953      | 24 मई<br>1953     |

| I                                                                       | 2               | 3               | 4               | 5               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन कानून 1953                         | 10 अप्रैल 1953  | 5 मई 1953       | 12 मई 1953      | 26 मई 1953      |
| 27. वायु कार्पोरेशन कानून 1953                                          | 21 मार्च 1953   | 8 मई 1953       | 14 मई 1953      | 28 मई 1953      |
| 28. विन्ध्यप्रदेश विधान मण्डल (नियोग्यता के विरुद्ध सुरक्षण) कानून 1953 | 2 अप्रैल 1953   | 13 मई 1953      | 16 मई 1953      | 28 मई 1953      |
| 29. चाय कानून 1953                                                      | 17 दिसम्बर 1952 | 9 मई 1953       | 15 मई 1953      | 28 मई 1953      |
| 30. आन्ध्र राज्य कानून 1953                                             | 10 अगस्त 1953   | 27 अगस्त 1953   | 12 सितम्बर 1953 | 14 सितम्बर 1953 |
| 31. केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) कानून 1953                            | 19 दिसम्बर 1952 | 5 अगस्त 1953    | 26 अगस्त 1953   | 18 सितम्बर 1953 |
| 32. आकड़ा संग्रह कानून 1953                                             | 19 दिसम्बर 1952 | 6 अगस्त 1953    | 27 अगस्त 1953   | 18 सितम्बर 1953 |
| 33. स्वीकृतिकरण (न० 4) कानून 1953                                       | 15 सितम्बर 1953 | 15 सितम्बर 1953 | 17 सितम्बर 1953 | 29 सितम्बर 1953 |
| 34. सम्पत्ति कर कानून 1953                                              | 11 अगस्त 1952   | 15 सितम्बर 1953 | 22 सितम्बर 1953 | 6 अक्टूबर 1953  |
| 35. समुद्री शुल्क (संशोधन) कानून 1953                                   | 24 अप्रैल 1953  | 17 नवम्बर 1953  | 26 नवम्बर 1953  | 5 दिसम्बर 1953  |
| 36. पुनर्वास वित्त प्रशासन (संशोधन) कानून 1952                          | 15 नवम्बर 1953  | 17 नवम्बर 1953  | 25 नवम्बर 1953  | 10 दिसम्बर 1953 |
| 37. कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (संशोधन) कानून 1953                         | 14 सितम्बर 1953 | 24 नवम्बर 1953  | 1 दिसम्बर 1953  | 12 दिसम्बर 1953 |
| 38. तिरुवांकूर-कोचीन उच्च-न्यायालय (संशोधन) कानून 1953                  | 4 मार्च 1953    | 9 अप्रैल 1953   | 8 दिसम्बर 1953  | 15 दिसम्बर 1953 |
| 39. घोती (अतिरिक्त उत्पादन कर) कानून 1953                               | 21 नवम्बर 1953  | 21 नवम्बर 1953  | 7 दिसम्बर 1953  | 16 दिसम्बर 1953 |
| 40. पालतू पशु पक्षी (संशोधन) कानून 1953                                 | 13 फरवरी 1953   | 18 फरवरी 1953   | 9 दिसम्बर 1953  | 16 दिसम्बर 1953 |
| 41. कलकत्ता उच्च न्यायालय (क्षेत्र का विस्तार) कानून 1953               | 22 अप्रैल 1953  | 27 अप्रैल 1953  | 9 दिसम्बर 1953  | 18 दिसम्बर 1953 |
| 42. रद्द और संशोधित करने का कानून, 1953                                 | 9 अप्रैल 1953   | 20 अप्रैल 1953  | 11 दिसम्बर 1953 | 23 दिसम्बर 1953 |

| 1                                                                                    | 2               | 3                                     | 4               | 5               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 43. औद्योगिक संधर्ष (संशोधन) कानून 1953                                              | 18 नवम्बर 1953  | 30 नवम्बर 1953                        | 10 दिसम्बर 1953 | 23 दिसम्बर 1953 |
| 44. मणिपुर न्यायालय शुल्क (संशोधन और प्रमाणो-करण) कानून 1952                         | 15 नवम्बर 1952  | 3 दिसम्बर 1953                        | 17 दिसम्बर 1953 | 23 दिसम्बर 1953 |
| 45. नारियल रेशा उद्योग कानून 1953                                                    | 26 मार्च 1953   | 19 नवम्बर 1953<br>14 दिस० (क)<br>1953 | 2 दिसम्बर 1953  | 23 दिसम्बर 1953 |
| 46. फाटका (विनिमयन) संशोधन कानून, 1953                                               | 3 सितम्बर 1953  | 2 दिसम्बर 1953                        | 15 दिसम्बर 1953 | 23 दिसम्बर 1953 |
| 47. भारतीय टैरिफ (दूसरा संशोधन) कानून 1953                                           | 13 सितम्बर 1953 | 14 सितम्बर 1953                       | 21 दिसम्बर 1953 | 25 दिसम्बर 1953 |
| 48. भारतीय टैरिफ (तीसरा संशोधन) कानून 1953                                           | 10 दिसम्बर 1953 | 15 दिसम्बर 1953                       | 21 दिसम्बर 1953 | 26 दिसम्बर 1953 |
| 49. नमक चुगी कानून 1953                                                              | 15 दिसम्बर 1953 | 21 दिसम्बर 1953                       | 24 दिसम्बर 1953 | 26 दिसम्बर 1953 |
| 50. स्वीकृतिकरण (न० 5) कानून 1953                                                    | 19 दिसम्बर 1953 | 19 दिसम्बर 1953                       | 22 दिसम्बर 1953 | 26 दिसम्बर 1953 |
| 51. पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य यूनियन का स्वीकृतिकरण (न० 3) कानून 1953            | 19 दिसम्बर 1953 | 19 दिसम्बर 1953                       | 22 दिसम्बर 1953 | 26 दिसम्बर 1953 |
| 52. बैंकिंग कम्पनी (संशोधन) कानून 1953                                               | 16 नवम्बर 1953  | 3 दिसम्बर 1953                        | 15 दिसम्बर 1953 | 30 दिसम्बर 1953 |
| 53. टैलीग्राफ (अवैध स्वामित्व) संशोधन कानून 1952                                     | 15 नवम्बर 1952  | 4 दिसम्बर 1953                        | 17 दिसम्बर 1953 | 30 दिसम्बर 1953 |
| 54. भारत के रिजर्व बैंक (संशोधन और विविध व्यवस्था) कानून 1952                        | 21 नवम्बर 1952  | 8 दिसम्बर 1953                        | 19 दिसम्बर 1953 | 30 दिसम्बर 1953 |
| 55. भारतीय पेटेंट और डिजाइन (संशोधन) कानून 1952                                      | 4 अगस्त 1953    | 7 दिसम्बर 1953                        | 19 दिसम्बर 1953 | 30 दिसम्बर 1953 |
| 56. निर्यातता के विरुद्ध संरक्षण (संसद और भाग 'ग' राज्यों के विधान मण्डल) कानून 1953 | 10 दिसम्बर 1953 | 16 दिसम्बर 1953                       | 24 दिसम्बर 1953 | 1 जनवरी 1954    |

(क) राज्य सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन जो क सभा में पाठ था ।



| I                                                                                                     | 2              | 3                                     | 4               | 5            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| 57. कन्टोनमेन्ट (संशोधन) कानून 1952                                                                   | 30 जुलाई 1952  | 11 फरवरी 1953<br>19 दिसम्बर 1953 (क)  | 10 दिसम्बर 1953 | 2 जनवरी 1954 |
| 58. प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और भवनों तथा अवशेषों (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) का संशोधन कानून 1953 | 15 अप्रैल 1953 | 20 अप्रैल 1953<br>19 दिसम्बर 1953 (क) | 3 दिसम्बर 1953  | 2 जनवरी 1954 |

(क) लोक सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन राज्य सभा में पास हुआ ।

**नोट:—** अनुक्रम I से 9, II से 17, 17 में 23, 25 में 36, 39, 43, में 45 और 47 से 55 तक के कानून पहले लोक सभा में पेश हुए ।

अनुक्रम 10, 16, 24, 37, 38, 40 में 42, 46 और 56 से 58 तक के कानून पहले राज्य सभा में पेश हुए ।

## इकतीसवां अध्याय

### सामान्य जानकारी

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य

अध्यक्ष

आर० एन० बनर्जी

सदस्य

एन० गोविंदराजन

सी० बी० नागरकर

एन० के० सिद्धान्त

ए० ए० ए० फैजवी

एस० वी० कानूनगो

कंट्रोलर और भारत के आडिटर-जनरल

वी० नरहरि राव

अग्रिमता का वारण्ट

(दिसम्बर 1953)

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. राज्यपाल, राजस्थान के महाराजप्रमुख और राजप्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर
3. क. भारत के उप-राष्ट्रपति
4. भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व गवर्नर-जनरल
4. क. अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर लेफ्टीनेन्ट जनरल
5. अपने राज्यों में 17 तोपों या उन से अधिक की सलामी प्राप्त करने वाले भारतीय राज्यों के नरेश
6. भारत में विदेशी राजदूत  
भारत में कामनवेल्थ सरकारों के हाई कमिशनर
7. भारत के प्रमुख न्यायाधीश  
लोक-सभा के अध्यक्ष
8. अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर राज्यपाल, राजस्थान के महाराजप्रमुख और राजप्रमुख
9. भारत के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री
9. क. अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर लेफ्टीनेन्ट गवर्नर
10. अपने राज्यों से बाहर 17 या उस से अधिक तोपों की सलामी प्राप्त भारतीय राज्यों के नरेश

11. 'क' और 'ख' भाग के राज्यो के अपने अपने राज्यो में मुख्य मंत्री
12. 13 या 15 तोपों की सलामी प्राप्त भारतीय राज्यो के नरेश
13. पूर्णाधिकारापन्न मंत्री और एनवाय एक्स्ट्राडिनरी
14. भारतीय यूनियन के लिये राज्य के मंत्री  
आयोजना कमीशन के सदस्य
14. क. 'ग' भाग के चीफ कमिशनर, जिन के मंत्रिमंडल उन के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर है
- 14 ख. अपने अपने राज्यो में 'ग' भाग के राज्यो के मुख्यमंत्री
14. ग. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
15. भारत के राजदूत और दौरे पर गये हुए राजदूत  
भारत के दौरे पर आये हुए विदेशी राजदूत  
दौरे पर आये हुए भारत के हाई कमिशनर और भारत के दौरे पर आये हुए अन्य  
कामनवेल्थ देशों के हाई कमिशनर
16. सा. दफ्तर और 'ए-पीड' एवं 'एड इंटरिम' स्थानापन्न हाई कमिशनर
17. चीफ आफ स्टाफ और प्रधान सेनाध्यक्ष, बशर्ते उन्हें पूरे जनरल या उसके  
बराबर का ओहदा प्राप्त हो
18. अपने अपने राज्यो के बाहर भाग 'क' राज्यो के मुख्य मंत्री  
अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर भाग 'ग' राज्यो के मुख्य मंत्री  
भारतीय यूनियन के उप-मंत्री  
भारत के अटर्नी-जनरल  
भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल
19. उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश  
'क' और 'ख' भाग राज्यो की विधान परिषदों के अध्यक्ष  
'क' और 'ख' भाग राज्यो के विधान-मंडलों के अध्यक्ष
20. चीफ-आफ स्टाफ और प्रधान सेनाध्यक्ष, बशर्ते उन्हें लेफ्टीनेन्ट जनरल या  
उसके बराबर का ओहदा प्राप्त हो
21. 11 या 15 तोपों की सलामी प्राप्त भारतीय नरेश
22. 'क' और 'ख' भाग राज्यो के मंत्री
23. यूनियन पब्लिक सर्विसकमीशन के अध्यक्ष  
प्रधान चुनाव-कमिशनर
24. उच्च-न्यायालय के स्थायी-न्यायाधीश
25. भाग 'क' राज्यो के उप-मंत्री
26. लोकसभा के सदस्य
27. पूरे जनरल के ओहदे प्राप्त अफसर या उसके बराबर के ओहदे वाले अफसर  
भारत के सोलिसिटर जनरल  
राष्ट्रपति के सचिव  
भारत सरकार के सचिव और  
प्रधान मंत्री के प्रिन्सिपल निजी सचिव

अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कमिश्नर  
 पुनर्वास सम्बन्धी मामलों के परामर्शदाता  
 स्थानापन्न चीफ़ आफ़ स्टॉफ़ और प्रधान-सेनापति, जिनको मेजर-जनरल  
 या उस के बराबर का ओहदा प्राप्त है  
 'ग' भाग के चीफ़ कमिश्नर जिन के मन्त्रिमंडल उन के अधिकार-क्षेत्र से  
 बाहर हैं  
 बाहर से आगत भारत के पूर्णाधिकार प्राप्त मंत्री और भारत आए हुए पूर्णा-  
 धिकार प्राप्त विदेशी मंत्री  
 रेलवे-बोर्ड के अध्यक्ष  
 रेलवे वित्त-कमिश्नर

27. क. अपने अपने राज्यों के बाहर 'ग' भाग के मुख्य मंत्री
27. ख. अपने अपने राज्यों और बाहर 'ग' भाग राज्यों के विधान मंडलों के अध्यक्ष
27. ग. अपने अपने राज्यों के अन्दर और बाहर 'ग' भाग राज्यों के मंत्री
28. रेलवे बोर्ड के सदस्य  
 कामनवेल्थ और विदेशी मिशनों के मंत्री, जो पूर्णाधिकार प्राप्त नहीं हैं  
 लेफ्टिनेन्ट-जनरल के ओहदे के या उस के समान ओहदा रखने वाले अफसर  
 29. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डी, त्रिपुरा और मणिपुर के चीफ़  
 कमिश्नर अपने अधिकार क्षेत्र में ;  
 भारतीय सरकार के अतिरिक्त सचिव  
 भारतीय टैरिफ बोर्ड के अध्यक्ष  
 केन्द्रीय विद्युत कमीशन के अध्यक्ष  
 केन्द्रीय जल-शक्ति मिचार्ड और नौगा-नयन कमीशन के अध्यक्ष  
 भारतीय कृषि अनुसन्धान सभा के उप-प्रधान  
 वित्त-विभाग (मुरक्षा) के वित्तीय परामर्शदाता  
 केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष  
 सशस्त्र-सेना के मेजर-जनरल या उस के बराबर का ओहदा रखने वाले  
 पी० एस० ग्रं०\*  
 30. राज्यों के पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रधान  
 'क' भाग के राज्य सरकारों के प्रधान सचिव  
 वित्तीय कमिश्नर  
 केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य  
 भारतीय जल-सेना के स्क्वाड्रन के रीयर-एडमिरल  
 राजस्व बोर्डों के सदस्य

---

\* यदि एक पी० एस० ग्रं० को लेफ्टिनेन्ट-जनरल का ओहदा प्राप्त है, तो उस की अग्रिमता इस अनुसूची की 28वीं धारा में वर्णित "लेफ्टिनेन्ट जनरल या उसी के समान ओहदा रखने वाले अफसरों" को प्राप्त व्यक्तियों के बराबर हो जायगी ।

31. स्वास्थ्य सेवाओं के प्रधान संचालक  
 डाक-तार के प्रधान संचालक  
 गुप्तचर-विभाग के संचालक  
 रेलवे के जनरल मैनेजर  
 भारत सरकार के एस्टेब्लिशमेंट अफसर  
 भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी (मंत्रि-मंडल के ज्वाइंट-सेक्रेटरी भी शामिल हैं)  
 मेजर-जनरल या उस के समान ओहदा रखने वाले अफसर  
 भारत के प्रधान सर्वेयर  
 भारतीय टेरिफ़ बोर्ड के सदस्य  
 भारत में नागरिक वायु यात्रा के संचालक  
 सर्जन-जनरल  
 सप्लाय और डिस्पोज़ल के संचालक  
 आर्डिनेंस कारखानों के प्रधान संचालक  
 जल-सेना के ठहरने के लिये बन्दरगाहों और स्थानों के भारतीय जल-सेना से सम्बन्धित कोमोडोर-इन्चार्ज  
 हवाई कोमोडोर का ओहदा रखने वाले आई० ए० एफ० के कमांडर  
 समुद्री और हवाई बेड़े के सदर-मुकाम के पी० एस० ओ०, जिन्हें कोमोडोर और हवाई-कमोडोर का ओहदा प्राप्त है।  
 अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह, कच्छ, त्रिपुरा और मणिपुर के अपने अधिकारों के बाहर चीफ-कमिशनर  
 आल इण्डिया रेडियो के प्रधान संचालक  
 राष्ट्रपति के सेना सचिव (जब तक उन को सरकारी प्रतिनिधि सत्कार संस्था के प्रधान संचालक का स्थान भी प्राप्त है)  
 भारत में कामनवेल्थ और विदेशी मिशनों के कौन्सिलर  
 'क' भाग राज्यों के पुलिस के इंसपेक्टर जनरल  
 डिवीज़नों के कमिशनर

नोट 1. अग्रिमता के प्राप्ति का नियम राज्य के सरकारी समारोहों के अवसरों के लिये ही है। अन्य अनौपचारिक अवसरों पर उन का सक्ती से पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट 2. यह वारन्ट भारतीय राज्यों और 'ख' भाग के राज्यों के नरेशों की अग्रिमता के नियमों में कोई अन्तर नहीं लायगा और वे उन के स्थानीय रस्म-रिवाजों के अनुसार ही निर्धारित होंगे और न ही यह 15 अगस्त, 1947 के ठीक पहले नरेशों के स्थानीय आपसी अग्रिमता क्रम को प्रभावित करेगा।

नोट 3. अग्रिमता की तालिका में अफसर अपने प्रवेश की संख्यानुसार ही दर्जा प्राप्त करेंगे। एक संख्या में शामिल अफसरों की एक दूसरे के मुकाबले में अग्रिमता उन की प्रवेश तिथि के अनुसार निर्धारित होगी।

नोट 4. लोक सभा के सब सदस्यों को एक संग राज्य के प्रमुख सम्मरोहों में आमंत्रित किये जाने के समय उनके बैठने का स्थान राजदूतों, भारत के प्रधान न्यायाधीशों लोक-सभा के अध्यक्ष, राज्यपाल आदि के बाद आयगा ।

नोट 5. गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल के मुकाबले में अग्रिमता प्राप्त होगी, चाहे 31 धारा में उस की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो ।

नोट 6. मेजर-जनरलों को भारतीय-जल-सेना के कमोडोर-इन्चार्ज और भारतीय वायु-सेना के कमोडारों के मुकाबले में अग्रिमता प्राप्त होंगी, चाहे 31 धारा में उन की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो ।

नोट 7. 'क' भाग की राज्य-सरकारों के प्रधान सचिवों को राजस्व-बोर्ड के सदस्यों के मुकाबले में अग्रिमता प्राप्त होगी, चाहे धारा 30 में उन की प्रवेश-तिथि कुछ भी हो ।

नोट 8 अग्रिमता के वारण्ट-सम्बन्धी मामलों में नई दिल्ली और लाल किला की दिल्ली राज्य से बाहर समझना चाहिये ।

### नोबल पुरस्कार विजेता

ड० रवीन्द्रनाथ ठाकुर

साहित्य (1913)

डा० चन्द्रशेखर वेकट रमन

भौतिक-विज्ञान (1930)

### रायल सोसायटी के भारतीय फेलो

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 1 कारसेटजी         | 7 डा० के० एम० कृष्णन्      |
| 2. एस० रामानुजम    | 8. डा० एम० एस० भटनागर      |
| 3 डा० जे० सी० बोस  | 9 डा० एच० जे० भामा         |
| 4 डा० मेघनाद साहा  | 10 प्रो० एम० चन्द्रशेखर    |
| 5. डा० सी० बी० रमन | 11 प्रो० पी० सी० महलानोबिस |
| 6 डा० वीरबल साहनी  |                            |

### कृषि पण्डित

कृषि-अनुसन्धान की भारतीय कौंसिल प्रति वर्ष 'कृषि-पण्डित' की उपाधि उन कृषकों को प्रदान करती है जिन्होंने भारतीय कृषि-क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है । जिन कृषकों को यह उपाधि दी गई है, उन के नाम निम्नलिखित हैं :

| वर्ष | नाम                                 | फसल   | उत्पादन                         |
|------|-------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1949 | गंगासरन किसान (हापुड, यू० पी०)      | आलू   | 548 मन प्रति एकड़               |
| 1950 | रत्नप्रकाश (हापुड, यू० पी०)         | आलू   | 679 मन प्रति एकड़               |
| 1951 | माधोक्रुपाल (हापुड, यू० पी०)        | आलू   | 726 मन 3 सेर 3 छटाक प्रति एकड़  |
| 1951 | के० बलिया गाडडर (घातमपत्ती, मद्रास) | धान   | 150 मन प्रति एकड़               |
| 1951 | पदमसिंह (श्यामपुर, यू० पी०)         | गेहूं | 59 मन 25 सेर 11 छटाक प्रति एकड़ |

| वर्ष | नाम                                            | फसल   | उत्पादन                            |
|------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 1952 | जयपालचन्द्र (बुलन्दशहर यू. पा०)                | आलू   | 735 मन 24 सेर प्रति एकड़           |
| 1952 | जोगमा सी० संगाय्या (अलुर, कुर्ग)               | धान   | 136 मन 5 सेर 14 छटाक<br>प्रति एकड़ |
| 1952 | गु देवसिंह (कलालमाजरा, पंजाब)                  | गेहूँ | 71 मन 23 सेर 10 छटाक<br>प्रति एकड़ |
| 1952 | विलायतीराम लम्बरदार<br>(अगवार खाजू बाज, पंजाब) | चना   | 46 मन 2 सेर 6 छटाक<br>प्रति एकड़   |
| 1952 | भीम-गान्डा दादा पटेल<br>(तामादालगे, बम्बई)     | ज्वार | 84 मन 23 सेर 5 छटाक<br>प्रति एकड़  |
| 1952 | वामन रामचन्द्र मराठे (बम्बई)                   | बाजरा | 29 मन 11 सेर 10 छटाक<br>प्रति एकड़ |

## पर्वतीय स्थान

| नाम                    | वे राज्य जहाँ ये स्थित है | गमद्र तल में ऊँचाई<br>(फुट में) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| अल्मोडा                | उत्तर प्रदेश              | 5,500                           |
| बंगलोर                 | मैसूर                     | 3,000                           |
| चेरापूजी               | आसाम                      | 4,455                           |
| कून्नूर                | मद्रास                    | 6,740                           |
| डलहौजी                 | पंजाब                     | 7,867                           |
| दार्जिलिंग             | पश्चिमी बंगाल             | 7,168                           |
| गुलमर्ग                | जम्मू और कश्मीर           | 8,700                           |
| कलिम्पोंग              | पश्चिमी बंगाल             | 3,933                           |
| कसौली                  | पंजाब                     | 6,200                           |
| कोडाई कनाल             | मद्रास                    | 7,000                           |
| कुल्लू और कांगड़ा घाटी | पंजाब                     | 4,700                           |
| लेसडाउन                | उत्तर प्रदेश              | 6,060                           |
| महाबलेश्वर             | बम्बई                     | 4,500                           |
| माथेरान                | बम्बई                     | 2,650                           |
| माउंट आबू              | बम्बई                     | 4,500                           |
| मसूरी                  | उत्तर प्रदेश              | 6,600                           |
| नैनीताल                | उत्तर प्रदेश              | 6,350                           |
| ऊटकमंड                 | मद्रास                    | 7,500                           |
| पंचमढी                 | मध्य प्रदेश               | 4,500                           |
| रांची                  | बिहार                     | 2,100                           |
| शिलौंग                 | आसाम                      | 4,980                           |
| शिमला                  | पंजाब                     | 7,000                           |

## सब से ऊँचे पर्वत

|                               | (फुट)  |
|-------------------------------|--------|
| एवरेस्ट (तिब्बत, नेपाल)       | 29,141 |
| के. 2. गौडविन आस्टिन (कश्मीर) | 28,250 |
| कंचन जंघा (नेपाल, सिक्किम)    | 28,146 |

|                                           | (फुट)  |
|-------------------------------------------|--------|
| नंगा पर्वत (काश्मीर) . . . . .            | 26,653 |
| गशेरत्रम (काश्मीर) . . . . .              | 26,470 |
| दिस्ताघित सर (काश्मीर) . . . . .          | 25,868 |
| मशेरत्रम (काश्मीर) . . . . .              | 25,660 |
| नन्दा देवी (उत्तर प्रदेश) . . . . .       | 25,645 |
| राकापोशी (काश्मीर) . . . . .              | 25,550 |
| कामेत (उत्तर प्रदेश, तिब्बत) . . . . .    | 25,447 |
| चोमो हारी (भूटान, तिब्बत) . . . . .       | 23,996 |
| बद्रीनाथ (उत्तर प्रदेश, तिब्बत) . . . . . | 23,190 |
| गंगोत्री (उत्तर प्रदेश) . . . . .         | 21,700 |
| बंदरपुछ (पंजाब) . . . . .                 | 20,720 |

सब से लम्बे पुल— :

|                         | (फुट)  |
|-------------------------|--------|
| सोन पुल . . . . .       | 10,052 |
| गोदावरी पुल . . . . .   | 9,096  |
| महानदी पुल . . . . .    | 6,912  |
| हाडिंग पुल . . . . .    | 5,380  |
| विलिंगडन पुल . . . . .  | 2,610  |
| हावडा पुल . . . . .     | 2,150  |
| गोराइ पुल (I) . . . . . | 1,744  |
| जुबली पुल . . . . .     | 1,213  |
| मेघना पुल . . . . .     | 1,213  |

लखनऊ में गोमती का पुराना लोहे का पुल भारत में सब से पुराना है ।

तौल और माप

फासला :—

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| I मील      | — 8 फर्लांग या 1,760 गज                         |
| I लीग      | — 3 मील                                         |
| I किलोमीटर | — I मील का $\frac{5}{8}$ वां भाग (3,280.89 फुट) |
| I मीटर     | — 1.0936 गज                                     |

भूमि :—

|           |                |
|-----------|----------------|
| I एकड़    | — 4,840 वर्गगज |
| I वर्गमील | — 640 एकड़     |

द्रव्य :—

|         |           |
|---------|-----------|
| I औंस   | — 8 ग्राम |
| I पाइंट | — 20 औंस  |

(I) यह भारत में सब से बड़ा कैटीलिवर स्पॉन ब्रिज और दुनिया में तीसरा सब से बड़ा कैटीलिवर ब्रिज है ।



4 चाय के भरे चम्मच — 2 मेवा के भरे चम्मच

— 1 बड़ा चमचा

—  $\frac{1}{2}$  औंस

1 किलोग्राम — 2.2046 पौंड

1 मीट्रिक टन — 2,204.6 पौंड

#### तोल

1 टन — 26.89 मन

1 बुशल — 60 पाउंड

1 क्विण्टल प्रति हैक्टर — 58 मन प्रति बीघा

1 छटाक — 5 तोला

#### कागज का माप

डबल क्राउन —  $20'' \times 30''$

डबल डिमाइ —  $22'' \times 36''$

डबल फुलस्कोप —  $17'' \times 27''$

फुलस्कोप —  $13\frac{1}{2}'' \times 17''$

क्राउन —  $15'' \times 20''$

डिमाइ —  $18'' \times 22''$

रायल —  $20'' \times 26''$

क्राउन ओक्टवो —  $7\frac{1}{2}'' \times 5''$

क्राउन क्वाटो —  $10'' \times 7\frac{1}{2}''$

क्राउन फोलियो —  $15'' \times 10''$

#### समय विभाजन

60 पल — 1 दण्ड

$7\frac{1}{2}$  दण्ड — 1 प्रहर

8 प्रहर — 1 दिन

#### भारत में प्रथम

सब से बड़ी झील

वुलर झील, काश्मीर

सब से ऊँचा शिखर

नन्दा देवी (25,645 फुट) †

सब से बड़ा शहर

कलकत्ता (हावड़ा, टौलीगंज आदि को मिला कर)  
34,78,745 आबादी

सब से बड़ा झरना

गेरसोप्पा झरना (960 फुट ऊँचा) मैसूर राज्य

सब से बड़ा राज्य

मध्य प्रदेश (1,30,272 वर्ग मील)

सब से अधिक वर्षा

चेरापूजी (426 इंच प्रति वर्ष)

सब से अधिक वन प्रदेश वाला राज्य

आसाम

सब से बड़ा मुहाना

सुन्दरवन मुहाना (8,000 वर्ग मील)

सब से लम्बा कैंटीलिवर स्पैन पुल

हावड़ा पुल

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| सब से बड़ा गुहा मन्दिर     | हैदराबाद में एलोरा                             |
| सब से बड़ी मस्जिद          | दिल्ली की जामा मस्जिद                          |
| सब से लम्बा आंगन           | रामेश्वरम मन्दिर का आंगन (4,000 फुट लम्बा)     |
| सब से लम्बा पुल            | सोन पुल                                        |
| सब से ऊँचा प्रवेशद्वार     | बुलन्द दरवाजा, फतहपुर सिकरी, (176 फुट)         |
| सब से लम्बी मूर्ति         | गोमटेश्वर की मूर्ति (56 फुट ऊँची) मंसूर, राज्य |
| सब से लम्बा प्लैटफार्म     | सोनपुर प्लैटफार्म                              |
| सब से लम्बी सड़क           | ग्राण्ड ट्रंक रोड, (1500 मील)                  |
| सब से ऊँची मीनार           | कुतब मीनार, दिल्ली                             |
| सब से बड़ा गुम्बद          | गोल गुम्बद, बीजापुर                            |
| सब से बड़ा पशु मेला        | सोनपुर मेला                                    |
| सब से लम्बी नहर            | नेपाल, अरुण और रुहेलखण्ड में                   |
| सब से बड़ा चिडिया घर       | अलीपुर का चिडियाघर, कलकत्ता                    |
| सब से बड़ा अजायब घर        | इण्डिया अजायब घर, कलकत्ता                      |
| सब से अधिक आबादीवाला राज्य | उत्तर प्रदेश 6 करोड़ 32 लाख                    |

### विदेश स्थित कूटनीतिज्ञ और व्यापार प्रतिनिधि

| देश            | नाम                               | पद                                  | पता                                                                          |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| दूतावास        |                                   |                                     |                                                                              |
| अफगानिस्तान    | भगवत दयाल .                       | राजदूत . .                          | भारतीय दूतावास, शेरे अरठा, काबुल                                             |
| अर्जन्टाइन .   | रिक्त . .                         | राजदूत (चिली के लिये मंत्री भी)     | भारतीय दूतावास, लावाल 462 (पाचवी मजिल) ब्यूनोस एयर्स                         |
| बेलजियम .      | पी० ए० मेनन .                     | राजदूत (लक्समबर्ग के लिए मंत्री भी) | भारतीय दूतावास, 62, एविन्यू फ्रैंकलिन, रुजवेल्ट, ब्रुसल्स                    |
| ब्राजील .      | राजा योगेन्द्र सेन बहादुर, मडी के | राजदूत . .                          | भारतीय दूतावास, रुआ बाराओ दे फ्लामेजो, 22 एण्ट० 801-802 रिओ दे जैनेरियो      |
| बर्मा .        | के० के० चेतूर .                   | राजदूत . .                          | भारतीय दूतावास, रानदे-रिया बिल्डिंग्स, फायरे स्ट्रीट, पो बाक्स न० 751, रंगून |
| चीन .          | एन० राघवन .                       | राजदूत . .                          | भारतीय दूतावास, 32 लीगे-शन स्ट्रीट, (पूर्व), पेंकिंग ।                       |
| चेकोस्लोवाकिया | धर्मवीर .                         | शा० द-फेय .                         | भारतीय दूतावास, 22 थनो-वस्का, प्राग—3                                        |

| देश           | नाम                    | पद                                                                               | पता                                                                                    |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| मिस्र         | नवाब अली यावर जंग      | राजदूत, (लेबनान गणतंत्र, जोर्डन के हैशमाइट राज्य, सीरिया और लीबिया के मंत्री भी) | भारतीय दूतावास नं० 29 शारिया हसन पाशा (फ्लैट 7), जमालक, पो० बाक्स 718, ब.हिरा          |
| फ्रांस        | एच० एस० मलिक           | राजदूत (नार्वे के लिये मंत्री भी)                                                | भारतीय दूतावास, 15 रू एलफ्रेड दिहोदेनक, पैरिस                                          |
| जर्मनी        | एस० दत्त               | राजदूत (भारतीय फौजी मिशन बर्लिन के अध्यक्ष भी)                                   | भारतीय दूतावास, 262 कोब्लेनज़ोरस्ट्रासे, बोन                                           |
| इंडोनेशिया    | बी० एफ० एच० बी० तैयबजी | राजदूत                                                                           | भारतीय दूतावास, पो० बाक्स 178, 44 केवन सिरिह, जकार्ता                                  |
| इरान          | ताराचन्द               | राजदूत                                                                           | भारतीय दूतावास, एविन्यू-शाह रजा, तेहरान                                                |
| ईराक          | खूबचन्द                | राजदूत-मंत्री                                                                    | भारतीय दूतावास, 8/8 सफी-उल दीन अल हिली स्ट्रीट, वजीरिया, बगदाद                         |
| आयरलैंड       | बी० जी० खेर            | राजदूत (ब्रिटेन में भारत के राजदूत भी)                                           | इंडिया हाउस, आलड्विच, लन्दन, डब्ल्यू० सी० 2                                            |
| इटली          | बी० आर० सेन            | राजदूत (यगोस्लाविया के लिये राजदूत भी)                                           | भारतीय दूतावास, द्वारा फ्रान्सिस्को डैन्जे, 36 रोम                                     |
| जापान         | एम० ए० रऊफ             | राजदूत                                                                           | भारतीय दूतावास (नैगाइ विल्डिंग्स) 5 वी मंजिल नं० 13-20 चोम मारु-नौची, चियोदाकू, टोकियो |
| मैक्सिको      | जी० एल० मेहता          | राजदूत (अमेरिका के लिये भी राजदूत)                                               | भारतीय दूतावास, 2, 107, मैसेच्युसेट्स एविन्यू, एन० डब्ल्यू० वॉशिंगटन, 8 डी० सी०        |
| नेपाल         | बी० के० गोखले          | राजदूत                                                                           | भारतीय दूतावास, काठमाडू                                                                |
| नेदरलैंड्स    | बी० एन० चक्रवर्ती      | राजदूत                                                                           | भारतीय दूतावास, बुइटेन रुस्टवाग, 2 हेग                                                 |
| स्विट्ज़रलैंड | वाई० डी० गुंडे-विया    | राजदूत (आस्ट्रिया और वैटिकन के लिये मंत्री भी)                                   | भारतीय दूतावास, 59 थुआ-त्रस, बर्न                                                      |
| थाइलैंड       | गुरवचनसिंह             | शा० द-फेयर (अस्थायी)                                                             | भारतीय दूतावास, 37 थियायाई रोड, बेगकाक                                                 |
| टर्की         | सी० एस० झा             | राजदूत                                                                           | भारतीय दूतावास, नं० 44 किज़िलिरमाक सोकाक, कोसेतेप, अंकारा                              |

| देश          | नाम                 | पद                                      | पता                                                                             |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| अमेरिका .    | जी० एल० मेहता       | राजदूत (मेक्सिको के लिये भी राजदूत हैं) | भारतीय दूतावास, मैसेच्यु-<br>सेट्स एविन्यू, एन० डब्ल्यू०<br>वाशिंगटन, 8 डी० सी० |
| रूस .        | के० पी० एस०<br>मेनन | राजदूत (हंगरी के लिये<br>राजदूत भी)     | भारतीय दूतावास, नं० 6<br>और 8, उलिस्सा ओबुखा,<br>मास्को                         |
| युगोस्लाविया | बी० आर० सेन         | राजदूत (इटली के लिये<br>राजदूत भी)      | _____                                                                           |

## हार्ड कमीशन

| देश            | नाम                      | पद                                                                  | पता                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आस्ट्रेलिया .  | जनरल के० एम०<br>करिअप्पा | भारत के हार्ड कमिशनर<br>(न्यूजीलैण्ड के लिये<br>भी मान्यता प्राप्त) | सिविक सेंटर, कैनबरा                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कैनाडा .       | आर० आर० .<br>सक्सेना     | भारत के हार्ड कमिशनर                                                | 200 मैक्लेरन स्ट्रीट,<br>बोटावा                                                                                                                                                                                                                                                  |
| लंका .         | मी० सी० देसाई            | भारत के हार्ड कमिशनर                                                | गफफूर विल्डिंग, फोर्ट कोलबो,<br>पो० बाक्स 47, कोलम्बो                                                                                                                                                                                                                            |
| न्यूजीलैण्ड .  | जनरल के० एम०<br>करिअप्पा | भारत के हार्ड कमिशनर<br>(कैनबरा में निवास)                          | _____                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पाकिस्तान .    | एम० एस० मेहता            | भारत के हार्ड कमिशनर                                                | वामिका महल, जहागीर<br>सेठना रोड, न्यूटाउन,<br>कराची—5                                                                                                                                                                                                                            |
|                | बी० के० आचार्य           | भारत के डिप्टी हार्ड<br>कमिशनर                                      | बैतून अमन, मेमनसिंह रोड,<br>पो० आ० रमना, बाका                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | एन० बी० राव              | भारत के डिप्टी हार्ड<br>कमिशनर                                      | 144 अपर माल, लाहौर                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दक्षिण अफ्रीका | रिक्त .                  | भारत के हार्ड कमिशनर<br>के सचिव                                     | गोक्सन हाउस न० 52,<br>कमिशनर स्ट्रीट, पो०<br>बाक्स—8, 327, जोहानेस-<br>बर्ग, (प्रति वर्ष जनवरी<br>से जून तक केपटाउन में<br>निवास और इस अवधि<br>के लिए पता निम्न-<br>लिखित है—पो० बाक्स<br>12, माकोन हाउस, बैरक<br>स्ट्रीट, केपटाउन, तार<br>का पता यह है—हिको-<br>मिण्ड, केपटाउन) |
| ब्रिटेन .      | डी० जी० खेर              | भारत के हार्ड कमिशनर<br>(आयरलैण्ड के राजदूत<br>भी)                  | इंडिया हाउस, आल्डविच,<br>लन्दन डब्ल्यू० सी० 2                                                                                                                                                                                                                                    |

## लीगेशन

| देश         | नाम                      | पद                                                                                                          | पता                                                                                   |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| आस्ट्रिया . | वाई० डी० गुण्डे-<br>विया | मंत्री (स्विटजरलैंड और<br>वैटिकन के लिये मंत्री<br>भी)                                                      | लीगेशन आफ इण्डिया, 17<br>गायेर गार्से (एन्ट्रेन्स 2),<br>स्पिटजीगासे वियना            |
| चिली .      | रिक्त .                  | मंत्री (अर्जेन्टिना के<br>लिये भी राजदूत)                                                                   | —                                                                                     |
| डेनमार्क .  | ए० सी० नम्बि-<br>यार     | मंत्री (स्वीडन और<br>फिनलैंड के लिये भी<br>मंत्री)                                                          | लीगेशन आफ इंडिया, स्ट्रेंड<br>वागेओ, 47 स्टार्कहोम                                    |
| इथियोपिया . | मेजर जन० अटल             | मंत्री .                                                                                                    | लीगेशन आफ इंडिया, पो०<br>बाक्स 528, एडिस-<br>अबाबा                                    |
| फिनलैंड .   | ए० सी० नम्बि-<br>यार     | मंत्री (स्वीडन तथा<br>डेनमार्क के लिये भी<br>मंत्री)                                                        | लीगेशन आफ इंडिया, स्ट्रेंड<br>वागेओ, 47, स्टार्कहोम                                   |
| जोर्डन .    | नवाब अली यावर<br>जग      | मंत्री (मिस्र के लिये<br>राजदूत भी)                                                                         | भारतीय दूतावास, न० 29<br>शरिया हसन पाशा<br>(फ्लैट 7), जमालक, पो०<br>बाक्स 718, काहिरा |
| लेबनान .    | नवाब अली यावर<br>जग      | मंत्री (मिस्र के लिये<br>राजदूत भी)                                                                         | भारतीय दूतावास न० 29<br>शरिया हसन पाशा<br>(फ्लैट 7), जमालक पो०<br>बाक्स 718, काहिरा   |
| लीबिया .    | नवाब अली यावर<br>जग      | मंत्री (मिस्र के लिये<br>राजदूत भी)                                                                         | भारतीय दूतावास, न० 29<br>शरिया हसन पाशा<br>(फ्लैट 7), जमालक, पो०<br>बाक्स 718, काहिरा |
| लक्समबर्ग . | पी० ए० मेनन .            | मंत्री (बेल्जियम के<br>लिये राजदूत भी)                                                                      | भारतीय दूतावास, 62<br>एविन्यू फ्राकलिन रूज-<br>वेल्ट, ब्रूसेल्स                       |
| नार्वे .    | एच० एस० मलिक             | मंत्री (फ्रांस के लिये<br>राजदूत भी)                                                                        | —                                                                                     |
| फिलिपीन     | एम० आर० बेग              | एनवाय एक्स्ट्रा आडि-<br>नरी और मंत्री प्लेनि-<br>पोटेन्शियरि                                                | भारतीय लीगेशन, 510-<br>512 बूक बिल्डिंग<br>एस्कौल्टा, मनीला                           |
| स्वीडन .    | ए० सी० नम्बि-<br>यार     | एनवाय एक्स्ट्रा आडि-<br>नरी और मंत्री<br>प्लेनिपोटेन्शियरि<br>(डेनमार्क और<br>फिनलैंड के<br>लिये मंत्री भी) | लीगेशन आव इंडिया, स्ट्रेंड-<br>वेगन, 47 स्टार्कहोम                                    |

| देश      | नाम                    | पद                                                          | पता                                                |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| सीरिया . | जे० ए० थिवी .          | एनवाय एक्स्ट्राआर्डि-<br>नरी और मंत्री प्लेनि-<br>पोटेशियरि | लीगेशन आफ इण्डिया,<br>शराइ आकिम, दमिस्क,<br>सीरिया |
| बेटिकन . | वाई० डी०<br>गुण्डेविया | मंत्री (आस्ट्रिया और<br>स्विट्जरलैण्ड के लिये<br>भी मंत्री) | — — —                                              |

## विशेष मिशन

| देश                         | नाम            | पद                                                                                                                                                                               | पता                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मलाया .                     | एम० गोपाल मेनन | भारत सरकार के प्रति-<br>निधि                                                                                                                                                     | इण्डिया हाउस, 31 ग्रेंग<br>रोड, पो० वाक्स० 836,<br>सिगापुर                                            |
| तिब्बत, भूटान<br>और सिक्किम | बी० के० कपूर   | सिक्किम में राजनीतिक<br>अफसर                                                                                                                                                     | सिक्किम में राजनीतिक<br>अफसर का दफ्तर, गग-<br>टोक विल्डिंग (सिलि-<br>गुरी, पश्चिमी बंगाल से<br>हो कर) |
| संयुक्त राष्ट्र<br>संघ      | आर० दयाल .     | संयुक्त राष्ट्र संघ के<br>केन्द्रीय दफ्तर में<br>भारत के स्थायी प्रति-<br>निधि (जिन को एन-<br>वाय एक्स्ट्रा आर्डि-<br>नरी और मंत्री प्लेनि-<br>पोटेशियरि का दर्जा<br>प्राप्त है) | संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारतीय<br>डेलीगेशन न्यू इण्डिया<br>हाउस, 3 पूर्वे 64 वीं<br>स्ट्रीट, न्यूयार्क |

## कमीशन

| देश                       | नाम        | पद                                                                                                                                                                      | पता                                                               |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| अदन .                     | ए० एस० धवन | भारत सरकार के<br>कमिशनर                                                                                                                                                 | भारत सरकार के कमिशनर<br>का दफ्तर, अदन                             |
| ब्रिटिश पूर्वी<br>अफ्रीका | रिक्त .    | भारत सरकार के<br>कमिशनर (जो दक्षिणी<br>रोडेशिया, उत्तरी<br>रोडेशिया और न्यासा-<br>लेड के कमिशनर और<br>बेल्जियन कांगो और<br>रुआण्डा उरुण्डी के<br>कौन्सल जनरल भी<br>हैं) | इंडिया हाउस, ड्यूक स्ट्रीट,<br>पो० वाक्स 2,274<br>नैरोबी (केनिया) |

| देश                                        | नाम               | पद                | पता                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रिटिश पश्चिमी इंडीज (ब्रिटिश गायना सहित) | बी० एन० नन्दा .   | भारत के कमिश्नर   | पो० बाक्स 530 (67 क्वीन स्ट्रीट) स्पेन का बंदरगाह, ट्रोनीदाद बी० डब्ल्यू० आई० |
| फ़िजी .                                    | एन० वी० राज-कुमार | भारत के कमिश्नर . | विशाल भारतीय बिल्डिंग्स, वैमानू रोड, सुआ                                      |
| गोल्ड कोस्ट .                              | रामेश्वर राव .    | भारत के कमिश्नर   |                                                                               |
| हॉंगकॉंग .                                 | पी० आर० एस० मनी   | भारत के कमिश्नर . | दीना हाउस, दुइल स्ट्रीट, हागकांग                                              |
| मौरीशस .                                   | ए० एम० सहाय       | भारत के कमिश्नर . | शा द मार, पोर्ट लूई, मोरीशस                                                   |

## कौंसुलेट जनरल और कौंसुलेट

| देश                       | नाम                                    | पद                                                     | पता                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| अलैक्जेंडरिया कोपनहागेन . | रघुनाथ सिन्हा .<br>विक्टर बी. स्ट्रेंड | भारत के कौंसल जनरल<br>भारत के आनरेरी कौंसल जनरल        | कौंसुलेट जनरल आव इंडिया, द्वारा लीगेशन आव इंडिया, स्ट्रेंडवेगन 47—4, स्टाकहोम |
| जेनेवा .                  | एस० सेन .                              | भारत के कौंसल जनरल                                     | भारत के कौंसुलेट जनरल, I-3 रु शान्तेपोलत, जेनेवा                              |
| गोआ .                     | वी० एच० कोएल्हो                        | भारत के कौंसल जनरल                                     | भारत के कौंसुलेट जनरल, रुआ आकेन्सो द अलबु-कर्क, सिदाद द गोआ                   |
| हैलसिन्की .               | जहो सावियो .                           | भारत के आनरेरी कौंसल जनरल                              |                                                                               |
| जहा (सौदी अरब)            | एम० के० किदवई                          | भारत के कौंसल जनरल                                     | भारतीय कौंसुलेट जनरल, जहा                                                     |
| काशगर (चीन)               | रिक्त .                                | भारत के कौंसल जनरल                                     | भारतीय कौंसुलेट जनरल, चीनी बाग, काशगर                                         |
| लासा (तिब्बत)             | ए० के० सेन .                           | भारत के कौंसल जनरल                                     | लासा के कौंसल जनरल, पो० आ०-ग्यासी, तिब्बत                                     |
| मेशेद .                   | अब्दुल मजीद खान                        | भारत के कौंसल जनरल                                     | भारतीय कौंसुलेट जनरल, खियाबान जहानबानी, मेशेद (ईरान)                          |
| न्यूयार्क .               | ए० एस० लाल .                           | भारत के कौंसल जनरल (मंत्री का व्यक्तिगत दर्जा प्राप्त) | भारतीय कौंसुलेट जनरल, 3, ईस्ट—64 स्ट्रीट, न्यूयार्क                           |

| देश           | नाम            | पद                 | पता                                                            |
|---------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| पाण्डिचेरी .  | केवलसिंह .     | भारत के कौंसल जनरल | भारतीय कौंसुलेट जनरल,<br>7 रू द कैपासिन्ज, पाण्डि-<br>चेरी     |
| सैगोन .       | ओ० पी० मोह्ला  | भारत के उप-कौंसल . | भारतीय कौंसुलेट जनरल,<br>213 रुकैतिनात, सैगोन                  |
| सानफ्रासिस्को | एम० ए० हुसैन . | भारत के कौंसल जनरल | भारतीय कौंसुलेट जनरल<br>417 माटगुमरी स्ट्रीट,<br>सानफ्रासिस्को |
| शघाई .        | डी० मुखेसन .   | भारत के कौंसल जनरल | भारतीय कौंसुलेट जनरल,<br>219/12 दी वण्ड,<br>शघाई               |
| मेदन .        | आगतसिंह .      | भारत के कौंसल      | भारतीय कौंसुलेट, 46<br>दाजालन जोकिया, मेदन<br>(इण्डोनेशिया)    |
| हनोई .        | रिक्त .        | कौंसुलर एजेंट .    | 29, रू द ला शा, हनोई                                           |

उप-कौंसुलेंट

| देश                              | नाम                  | पद                 | पता                                       |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| जलालाबाद .<br>(अफगानि-<br>स्तान) | डी० सरीन .           | भारत के उप-कौंसल . | भारतीय उप-कौंसुलेट,<br>जलालाबाद           |
| कंधार (अफ-<br>गानिस्तान)         | के० एल० एस०<br>पंडित | भारत के उप-कौंसल   | भारतीय उप-कौंसुलेट,<br>कंधार              |
| जहीदन .                          | रिक्त .              | भारत के उप-कौंसल . | भारतीय उप-कौंसुलेट<br>जहीदन (पूर्वी ईरान) |

एजेन्सियां

| देश       | नाम                       | पद                                                                    | पता                                                                       |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| लंका .    | पी० एस० मेनन .            | भारत सरकार के एजेंट                                                   | पेराडेनिया रोड, कैंडी                                                     |
| मलय .     | टी० वी० रामकृष्ण<br>राव   | भारत सरकार के<br>स्थानापन्न एजेंट                                     | पो० बान्स 59, ओरियन्टल<br>बिल्डिंग्स, दूसरी मंजिल,<br>कोलालम्पूर          |
| म्यांसी . | मेजर एस० एम०<br>कृष्णन्नी | भारतीय व्यापार एजेंट<br>एवं सिविकम स्थित<br>राजनीतिक अफसर<br>के सहायक | भारतीय व्यापार एजेंसी,<br>म्यांसी (तिब्बत), द्वारा—<br>सिलीगुरी, ५० बंगाल |



| देश      | नाम                 | पद                                                                     | पता                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गरतौक .  | लक्ष्मणसिंह .       | भारतीय व्यापार एजेंट<br>एवं सिक्किम स्थित<br>राजनीतिक अफसर<br>के सहायक | भारतीय व्यापार एजेंसी,<br>गरतौक (पश्चिमी तिब्बत)<br><br>यह दौरा करने वाला दफतर<br>है और इस दफतर के<br>नाम पत्र व्यवहार निम्न-<br>लिखित पते पर करना<br>चाहिये : द्वारा पी० ओ०<br>गन्तोक, सिक्किम |
| यातुंग . | सोनाम तोबदन<br>काजी | भारतीय व्यापार एजेंट<br>और सिक्किम में राज-<br>नीतिक अफसर के<br>सहायक  | भारतीय व्यापार एजेंसी,<br>यातुंग, तिब्बत                                                                                                                                                        |

## भारत में विदेशी कूटनीतिज्ञ

## राजदूतावास

| देश            | नाम                                       | पद                                                      | पता                               |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| अफगानिस्तान    | श्री अब्दुल हुसैन<br>अजीज                 | राजदूत एक्स्ट्राऑर्डि-<br>नेरी और प्लेनिपो-<br>टेंशियरी | 24 रेडेन रोड,<br>नई दिल्ली        |
| अर्जन्तीना .   | म० म० श्री रेने<br>लासन                   | "                                                       | 128 इम्पीरियल होटल,<br>नई दिल्ली  |
| बेल्जियम .     | म० म० श्री स्टीफन<br>हैलो                 | "                                                       | 24 हार्डिंग एविन्यू,<br>नई दिल्ली |
| ब्राजील .      | म० म० श्री इल्देफोंसो<br>फाल्काओ          | "                                                       | 8 औरंगजेब रोड,<br>नई दिल्ली       |
| बर्मा .        | म० म० श्री ऊ<br>कियन्                     | "                                                       | 40 रेडेन्डन रोड,<br>नई दिल्ली     |
| चीन .          | म० म० जेन० युआन<br>चुंग सियन              | "                                                       | 1 पुराना किला रोड,<br>नई दिल्ली   |
| चैकोस्लोवेकिया | म० म० डा० लादि-<br>स्लाव डुदिल            | "                                                       | 25 औरंगजेब रोड,<br>नई दिल्ली      |
| मिस्र .        | म० म० श्री इस्मा-<br>इल कामिल             | "                                                       | मेडन्स होटल, दिल्ली               |
| फ्रांस .       | म० म० काउन्ट<br>स्टानिस्लास ओस्बो-<br>रोग | "                                                       | 16 हार्डिंग एविन्यू,<br>नई दिल्ली |
| इण्डोनेशिया    | म० म० डा० एल०<br>एन० पालार                | "                                                       | 14 औरंगजेब रोड,<br>नई दिल्ली      |

| देश                      | नाम                                          | पद                                                    | पता                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ईरान                     | म० म० श्री ए० ए०<br>हैकमत                    | राजदूत एकस्ट्रा-<br>ग्राडिनेरी और<br>प्लेनिपोटेन्शियर | 5, बाराखम्बा रोड,<br>नई दिल्ली                      |
| इराक                     | म० म० श्री मुहम्मद<br>सलीम अलरादी            | "                                                     | 21, पृथ्वीराज रोड,<br>नई दिल्ली                     |
| इटली                     | म० म० डा० अल-<br>बेटों बेरिओ                 | "                                                     | 17, यार्क रोड, नई दिल्ली                            |
| जापान                    | म० म० श्री टी०<br>निशियामा                   | "                                                     | 3, सरकुलर रोड, डिप्लो-<br>मेटिक एन्क्लेव, नई दिल्ली |
| मैक्सिको                 | श्री लुइस फर्नांडेज<br>मग्रेगोर (सी० डी० ए०) | "                                                     | होटल इम्पीरियल,<br>नई दिल्ली                        |
| नेपाल                    | श्री जे० एन० सिंघा<br>(शा० द-फेयर)           | "                                                     | बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली                            |
| नेदरलैंड्स               | म० म० श्री ईरन<br>एफ० सी० ए० ब्रान<br>पालाट  | "                                                     | 10, औरंगजेब रोड,<br>नई दिल्ली                       |
| पोलैण्ड                  | श्री जर्जी युदजिन्सकी                        | "                                                     | —                                                   |
| थाइलैण्ड                 | म० म० लुआंग<br>भद्रवादी                      | "                                                     | 15, औरंगजेब रोड,<br>नई दिल्ली                       |
| टर्की                    | म० म० श्री नुमान<br>ताहिर सैमैन              | "                                                     | मेडन्स होटल, दिल्ली                                 |
| अमेरिका                  | म० म० श्री जार्ज<br>बी० एलेन                 | "                                                     | 17, रेटेन्डन रोड, नई दिल्ली                         |
| सोवियत रूस               | म० म० श्री एम०<br>ए० मैशिकोव                 | "                                                     | 6, कैनिंग रोड, नई दिल्ली                            |
| जर्मनी (सघीय<br>गणराज्य) | म० म० डा० एन्स्ट<br>विल्हेल्म मायेंर         | "                                                     | 1, अलबुकर्क रोड,<br>नई दिल्ली                       |
| युगोस्लाविया             | म० म० श्री डा०<br>गोइको निकोलिस              | "                                                     | 4, अलबुकर्क रोड,<br>नई दिल्ली                       |

## हाई कमिशन

| देश         | नाम                               | पद         | पता                                   |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| ऑस्ट्रेलिया | म० म० श्री डब्ल्यू०<br>आर० क्राकर | हाई कमिशनर | 24, फीरोजशाह रोड,<br>नई दिल्ली        |
| कनाडा       | म० म० श्री एस्काट<br>एम० रीड      | "          | 4, औरंगजेब रोड,<br>नई दिल्ली          |
| लका         | म० म० श्री कुमार-<br>स्वामी       | "          | 3, हार्डिंग एविन्यू,<br>नई दिल्ली     |
| पाकिस्तान   | म० म० श्री गजनफर-<br>अली खां      | "          | 8, बी० हार्डिंग एविन्यू,<br>नई दिल्ली |
| ब्रिटेन     | म० म० सर एलेक-<br>जेंडर क्लटरबक   | "          | 2, किंग जार्ज एविन्यू,<br>नई दिल्ली   |

## लीगेशन

| देश            | नाम                                       | पद                                                             | पता                                     |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| आस्ट्रिया .    | श्री एलविन लेख                            | शा० द-फेयर .                                                   | 80, सेमिल होटल, दिल्ली                  |
| चिली .         | म० म० श्री मिगुअल<br>सेरानो फरनादेज       | ” .                                                            | 7, स्विस् होटल, दिल्ली                  |
| डेनमार्क .     | म० म० श्री<br>टायबर्ग फ्रान्सन            | एन्वाय एक्स्ट्राआर्डि-<br>नेरी और मंत्री प्लेनि-<br>पोटेंशियरि | 7, अलबुकर्क रोड,<br>नई दिल्ली           |
| इथियोपिया .    | म० म० श्री गैब्रे<br>मस्केल केफ्लरजी      | ”                                                              | 29, पृथ्वीराज रोड,<br>नई दिल्ली         |
| फिनलैंड .      | म० म० मौंज ह्यूगो<br>वात्यान्स            | ”                                                              | 39, पृथ्वीराज रोड,<br>नई दिल्ली         |
| होली सी .      | म० म० मोस्ट रेव-<br>रैण्ड मार्टिन         | एपस्टोलिक इन्टर्नशियो                                          | 8, अलीपुर रोड, दिल्ली                   |
| हंगरी .        | म० म० श्री पीटर-<br>कोस (डेजिग-<br>नेट)   | एन्वाय एक्स्ट्राआर्डि-<br>नेरी और मंत्री प्लेनि-<br>पोटेंशियरि | बी 33, एन० ई० ए० करोल<br>बाग, नई दिल्ली |
| जोर्डन .       | रिक्त .                                   | रिक्त .                                                        |                                         |
| नार्वे .       | म० म० श्री कूण्ट<br>लाइक                  | एन्वाय एक्स्ट्राआर्डि-<br>नेरी और मंत्री प्लेनि-<br>पोटेंशियरि | 29, सेसिल होटल, दिल्ली                  |
| फिलीपीन .      | म० म० श्री नार-<br>सिसो रोमोस             | ”                                                              | 78, मेडन्स होटल, दिल्ली                 |
| पुर्तगाल .     | म० म० डा० वास्को<br>वियरा गारिन           | ”                                                              | 22, हार्डिंग एविन्यू,<br>नई दिल्ली      |
| स्वीडन .       | म० म० श्री<br>गुस्ताव आदुल्फ<br>विक्रयमान | ”                                                              | 11, रेटेन्डन रोड,<br>नई दिल्ली          |
| स्विट्जरलैंड . | म० म० डा० मेक्स<br>ग्रालिसली              | ”                                                              | 7, पृथ्वीराज रोड,<br>नई दिल्ली          |
| सीरिया .       | म० म० डा० युसुफ<br>लुत्फी बोस्तामी        | ”                                                              | एम्बेसेडर<br>होटल,                      |

## पराशष्ट राष्ट्रीय नमूनों का परिमाण

भारत की आर्थिक स्थिति का अन्दाजा लगाने के लिये 1950-51 में भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय नमूना परिमाण' का प्रारम्भ किया था। इस परिमाण द्वारा राष्ट्रीय आय और विकास आयोजना के सम्बन्ध में आवश्यक गणनायें और सामग्री एकत्र की जाती है। प्रारम्भ में यह देहली क्षेत्रों के लिये खोला गया था, परन्तु अब शहरी क्षेत्रों में भी यह कार्य हो रहा है।

परिमाण की आयोजना और सरकार के विवेक्षण का कार्य कलकत्ता के भारतीय स्टैटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट को सौंपा गया था, जो पूना की गोखले इन्स्टीट्यूट आफ इकोनॉमिक्स एण्ड पोलिटिक्स के सहयोग से काम कर रही थी। पहली सन्धा ने पश्चिमी बंगाल में कार्य किया है और दूसरी ने बम्बई के 12 दक्षिणी जिलों में।

वित्त सचिवालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग द्वारा नियुक्त डायरेक्टरेट आफ नेशनल सैम्पल सर्वे ने बाकी क्षेत्रों में कार्य किया। विभिन्न आर्थिक प्रवृत्तियों तथा विभिन्न कार्यों के उत्पादन और व्यय तथा घरेलू क्षेत्र में उपभोक्ताओं के व्यय के सम्बन्ध में ये गणनायें एकत्र की गई हैं। ये सूचनायें एक के बाद दूसरी गस्तों में जमा की गई हैं। इस समय तक मात गजने की जा चुकी है। इन मातों गस्तों के सम्बन्ध में निम्नलिखित तालिका से जानकारी प्राप्त की जा सकती है :

| चकर्    | अवधि                    | क्षेत्र       | नमूनों की संख्या |     | नमूने के परिवारों की संख्या |        |
|---------|-------------------------|---------------|------------------|-----|-----------------------------|--------|
|         |                         |               | गाव              | शहर | गाव                         | शहर    |
| थम      | अक्टूबर-मार्च 1951      | देहली         | 1,643            | ... | 26,288                      | ...    |
| द्वितीय | अप्रैल-जून 1951         | देहली         | 1,106            | ... | 10,947                      | ...    |
| तृतीय   | अगस्त-नवम्बर 1951       | देहली और शहरी | 863              | 490 | 10,165                      | 3,378  |
| चतुर्थ  | अप्रैल-सितम्बर 1952     | देहली और शहरी | 938              | 406 | 25,722                      | 11,713 |
| पंचम    | दिसम्बर 1952-मार्च 1953 | देहली और शहरी | 739              | 405 | 12,878                      | 5,942  |
| षष्ठ    | मई-अगस्त 1953           | देहली और शहरी | 949              | 409 | 13,150                      | 5,133  |
| सप्तम   | अक्टूबर 1953            | देहली और शहरी |                  |     |                             |        |

निचली दो तालिकाओं में यह दिखाया गया है कि प्रत्येक घर में उपभोक्ताओं का क्या व्यय आता है। समय को दो भागों में बांटा गया है। पहली तालिका ग्रामीण घरों के सम्बन्ध में है।

(जुलाई 1949 से जून 1950 तक प्रति परिवार की खपत)

| वस्तुएं                         | परिवारों की संख्या | उपभोक्ताओं का व्यय<br>( पयो में ) |               | योग का प्रतिशत |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|                                 |                    | प्रति परिवार                      | प्रति व्यक्ति |                |
| 1 खाद्यान्न . . .               | 3,139              | 442.61                            | 85.03         | 38.70          |
| 2 दालें . . .                   | 3,139              | 40.89                             | 7.86          | 3.58           |
| 3 खाद्य तेल . . .               | 3,140              | 43.31                             | 8.32          | 3.79           |
| 4 सब्जियाँ . . .                | 3,141              | 26.72                             | 5.13          | 2.34           |
| 5 दूध और दूध के पदार्थ . . .    | 3,141              | 88.82                             | 17.06         | 7.77           |
| 6 गार्ल, अंडे और मछली . . .     | 3,141              | 24.57                             | 4.72          | 2.15           |
| 7 फल . . .                      | 3,141              | 12.15                             | 2.33          | 1.06           |
| 8 जलपान . . .                   | 3,140              | 14.10                             | 2.71          | 1.23           |
| 9 नमक . . .                     | 3,138              | 4.82                              | 0.93          | 0.42           |
| 10. मिर्च . . .                 | 3,139              | 31.00                             | 5.95          | 2.71           |
| 11 चीनी . . .                   | 3,139              | 29.28                             | 5.62          | 2.56           |
| कुल खाद्य . . .                 | ...                | 758.27                            | 145.66        | 66.31          |
| 12 पान . . .                    | 3,140              | 9.17                              | 1.76          | 0.80           |
| 13 तम्बाकू . . .                | 3,141              | 20.46                             | 3.93          | 1.79           |
| 14 मादक वस्तुएं . . .           | 3,141              | 8.96                              | 1.72          | 0.78           |
| 15 ईंधन और प्रकाश . . .         | 3,139              | 37.14                             | 7.14          | 3.25           |
| 16 पुरुषों के वस्त्र . . .      | 3,123              | 36.01                             | 6.92          | 3.16           |
| 17 स्त्रियों के वस्त्र . . .    | 3,123              | 42.36                             | 8.14          | 3.70           |
| 18 बच्चों के वस्त्र . . .       | 3,123              | 9.84                              | 1.89          | 0.86           |
| 19 फुटवॉर वस्त्र . . .          | 3,123              | 6.35                              | 1.22          | 0.56           |
| 20. टोपी आदि . . .              | 3,123              | 4.61                              | 0.89          | 0.40           |
| 21 विस्तर . . .                 | 3,123              | 9.92                              | 1.91          | 0.87           |
| 22 कापड़े सिलवाने का व्यय . . . | 3,123              | 11.43                             | 2.20          | 1.00           |
| 23 जुते . . .                   | 3,123              | 9.66                              | 1.86          | 0.84           |
| 24 मोची को . . .                | 3,123              | 1.12                              | 0.21          | 0.10           |
| 25 प्रसाधन . . .                | 3,123              | 3.35                              | 0.64          | 0.29           |
| 26 प्रसाधन सेवा . . .           | 3,123              | 5.74                              | 1.10          | 0.50           |
| 27. मनोरंजन . . .               | 3,123              | 6.04                              | 1.16          | 0.53           |
| 28 शिक्षा . . .                 | 3,123              | 2.92                              | 0.56          | 0.26           |
| 29 शिक्षा-सेवा . . .            | 3,123              | 4.95                              | 0.95          | 0.43           |
| 30 पत्र-पत्रिकाएँ आदि . . .     | 3,123              | 0.50                              | 0.10          | 0.04           |
| 31 चिकित्सा व्यय . . .          | 3,123              | 9.19                              | 1.77          | 0.80           |

| वस्तुएं                        | परिवारों की संख्या | उपभोक्ताओं का व्यय<br>(रुपयों में) |               | योग का प्रतिशत |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
|                                |                    | प्रति परिवार                       | प्रति व्यक्ति |                |
| 32. चिकित्सा सेवा              | 3,123              | 5.35                               | 1.03          | 0.47           |
| 33. फुटकर पारिवारिक सामग्री    | 3,123              | 8.25                               | 1.59          | 0.72           |
| 34. घरेलू और पारिवारिक सेवा    | 3,123              | 10.41                              | 2.00          | 0.91           |
| 35. खाद्य मेवा                 | 3,123              | 1.68                               | 0.32          | 0.15           |
| 36. फर्नीचर                    | 3,123              | 2.87                               | 0.55          | 0.25           |
| 37. फर्नीचर सुधार              | 3,123              | 0.73                               | 0.14          | 0.06           |
| 38. बर्तन                      | 3,123              | 7.24                               | 1.39          | 0.63           |
| 39. उत्सव समारोह               | 3,123              | 82.46                              | 15.84         | 7.21           |
| 40. अनावर्तक व्यय              | 3,123              | 3.01                               | 0.58          | 0.26           |
| 41. फुटकर (प्रदान के अतिरिक्त) | 3,123              | 17.20                              | 3.30          | 1.50           |
| 42. मकान का किराया ग्रो-कर     | 3,123              | 6.51                               | 1.25          | 0.57           |
| भोजन के अतिरिक्त योग           | ...                | 1,143.70                           | 219.72        | 100.00         |

भारत के देहाती क्षेत्रों में उपभोग्य वस्तुओं की प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति खपत  
(अप्रैल 1951 से जून 1951 तक)

| वस्तु                           | नमूने के परिवारों की संख्या | उपभोक्ताओं का 3 महीनों का व्यय—90 दिन<br>(रुपयों में) |               | योग का प्रतिशत |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                 |                             | प्रति घर                                              | प्रति व्यक्ति |                |
| I खाद्यान्न                     | 10,870                      | 154.28                                                | 29.04         | 39.42          |
| 2 दाल                           | 10,855                      | 15.43                                                 | 2.96          | 4.02           |
| 3. खाद्य तेल                    | 10,760                      | 13.37                                                 | 2.57          | 3.49           |
| 4. सब्जियाँ                     | 10,860                      | 8.74                                                  | 1.67          | 2.27           |
| 5 दूध और दूध से बने वाले पदार्थ | 10,870                      | 24.04                                                 | 4.50          | 6.11           |
| 6. गोस्त, भंज और मछली           | 10,860                      | 7.33                                                  | 1.41          | 1.91           |
| 7 फल                            | 10,860                      | 7.07                                                  | 1.29          | 1.75           |
| 8. जलपान                        | 10,860                      | 4.24                                                  | 0.77          | 1.05           |
| 9. नमक                          | 10,690                      | 1.67                                                  | 0.26          | 0.35           |
| 10. मसाले                       | 10,859                      | 9.90                                                  | 1.93          | 2.62           |
| 11. चीनी                        | 10,859                      | 11.31                                                 | 2.19          | 2.97           |
| भोजन का योग                     | ...                         | 257.38                                                | 48.59         | 65.96          |

नोट :—I वस्तु से लेकर 15 वस्तुओं तक के लिये नमूने के गांवों की संख्या 1,085 थी और 16 वस्तुओं से लेकर 42 वस्तुओं तक के लिये गांवों की संख्या 1,079 थी। परिवार का औसत आकार 5.2।

| वस्तु                    | नमूने के परिवारों की संख्या | उपभोक्ताओं का 3 महीनों का व्यय—90 दिव (रुपयों में) |               | योग का प्रतिशत |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                          |                             | प्रति घर                                           | प्रति व्यक्ति |                |
| 12. पान . . .            | 10,860                      | 3.09                                               | 0.64          | 0.87           |
| 13. तम्बाकू . . .        | 10,860                      | 7.58                                               | 1.41          | 1.92           |
| 14. मद्य पदार्थ . . .    | 10,860                      | 3.09                                               | 0.51          | 0.69           |
| 15. ईंधन और प्रकाश सामान | 10,860                      | 24.04                                              | 4.50          | 6.11           |
| 16. कपड़ा (सूती)         | 10,870                      | 20.34                                              | 3.83          | 5.20           |
| 17. कपड़ा (रेशमी)        | 10,870                      | 0.52                                               | 0.10          | 0.14           |
| 18. कपड़ा (ऊनी)          | 10,870                      | 0.60                                               | 0.11          | 0.15           |
| 19. बिस्तर . . .         | 10,870                      | 1.68                                               | 0.32          | 0.43           |
| 20. मनोरंजन . . .        | 10,870                      | 2.22                                               | 0.42          | 0.57           |
| 21. शिक्षा . . .         | 10,870                      | 2.10                                               | 0.39          | 0.53           |
| 22. दवा . . .            | 10,870                      | 6.00                                               | 1.14          | 1.55           |
| 23. प्रसाधन-सामग्री      | 10,870                      | 1.11                                               | 0.21          | 0.29           |
| 24. छोटी-मोटी वस्तुएं    | 10,870                      | 2.43                                               | 0.45          | 0.61           |
| 25. वाहन                 | 10,870                      | 4.92                                               | 0.93          | 1.26           |
| 26. सेवायें . . .        | 10,870                      | 22.20                                              | 4.17          | 5.66           |
| 27. फर्नीचर . . .        | 10,870                      | 0.67                                               | 0.13          | 0.18           |
| 28. फुटकर सामग्री . . .  | 10,870                      | 0.62                                               | 0.12          | 0.16           |
| 29. वाद्य-यंत्र          | 10,870                      | 0.11                                               | 0.02          | 0.03           |
| 30. आभूषण                | 10,870                      | 4.25                                               | 0.80          | 1.09           |
| 31. जूते . . .           | 10,870                      | 2.39                                               | 0.45          | 0.61           |
| 32. बर्तन                | 10,870                      | 1.08                                               | 0.20          | 0.27           |
| 33. उत्सव-समारोह         | 10,870                      | 18.92                                              | 3.56          | 4.83           |
| 34. किराया               | 10,870                      | 2.84                                               | 0.54          | 0.73           |
| 35. कर . . .             | 10,870                      | 0.63                                               | 0.12          | 0.16           |
| कुल अन्य व्यय            | .                           | 133.43                                             | 25.07         | 34.04          |
| सर्व योग                 |                             | 390.81                                             | 73.66         | 100.00         |

नोट.—नमूने के गाँवों की संख्या 1,142 थी ; परिवार का औसत आकार 5.31



सविस्तार विवरण के लिए अपने निकटस्थ एयर फोर्स रेक्यूटिंग एडजुटेंट को मिलिए अथवा लिखिए

AC-571



दि  
**पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड**  
(स्थापित १८९५)

प्रधान कार्यालय—८ अन्डर हिल रोड, दिल्ली ।

अपने ३०० कार्यालयों तथा समस्त संसार में अपने  
प्रतिनिधियों द्वारा बैंकिंग तथा एक्सचेंज की  
पूर्ण सुविधाएं प्रस्तुत करता है ।

डिपोजिट्स ... ७० करोड़ रुपये से अधिक  
लेनदारी..... ८६ करोड़ रुपये से अधिक

(३० जून, १९५४ के अनुसार)

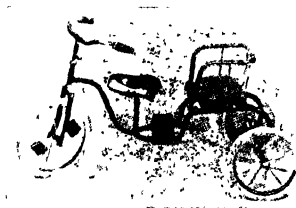
बी० एन० पुरी

जनरल मैनेजर

**FOR HEALTH, PROSPERITY AND EXERCISE  
GET A WORLD RENOWNED  
'AMARIND' TRICYCLE TO YOUR CHILD**

*AVAILABLE FROM LEADING DEALERS OF YOUR CITY*

**NU-LOOK**



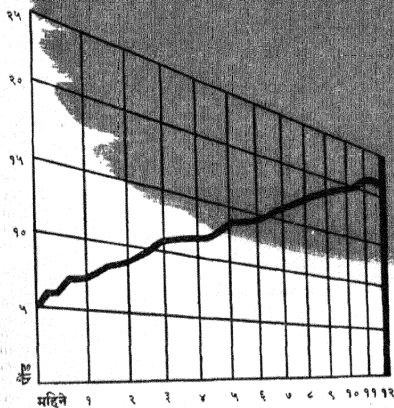
**AMAR INDUSTRIE**

**MILLERGANJ LUDHIANA**

*Phone :—340*

*Gram :—'AMARIND'*

आयु के साथ  
बच्चे का वज़न  
बढ़ना भी ज़रूरी है।



डॉक्टरों ने हर आयु के लिए एक वज़न निश्चित कर दिया है।  
अगर आप का बच्चा इसके अनुसार है तो ठीक... नहीं तो  
निश्चय कर लीजिए कि उसको बढ़ने वाली खुराक नहीं मिलती।  
उसे ड्यूमेक्स बेबी फ़ूड दीजिए और फिर देखिए कि उसका वज़न  
कैसे बढ़ता है। अगर आपके बच्चे का वज़न ठीक भी है तो  
भी उसे बढ़ती हुई आयु के साथ ताक़त देने वाली खुराक की  
ज़रूरत होगी और यह उसे सिर्फ़ ड्यूमेक्स से प्राप्त हो सकती है।

**ड्यूमेक्स  
बेबी फ़ूड की  
विशेषताएँ:-**

- \* खय के कीटाणुओं से सुरक्षित  
मायी का इस्तेमाल।
- \* आसानी से घुल जाने वाला  
'निरोटोमाइज्ड' पाउडर।
- \* आसानी से पच जाने वाली  
पोष्टिक किण्वक।
- \* विटामिन बी-12 तथा  
आहारीय से युक्त।

**अपने बच्चों को ड्यूमेक्स दीजिए और देखिए वे कैसे फलते और फूलते हैं।**







